

बिहार

सामान्य ज्ञान

(जानिए संपूर्ण बिहार को)

BPSC, BSSC एवं बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक पुस्तक



डॉ. मनीष रंजन (IAS)

बिहार

सामान्य ज्ञान

डॉ. मनीष रंजन (IAS)



प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
ISO 9001:2008 प्रकाशक

Downloaded From
http://t.me/Edu_Books
www.studymasterofficial.com

यह पुस्तक कर्म और श्रम की प्रेरणा से पूरित, ममत्व की शांति माँ; अभिभावकत्व के दायित्व व संरक्षण में आकाशधर्मा पिता; अंक, अक्षर और संस्कार का बीज वपन करनेवाले परिमार्जक तथा शोधक गुरुजनों; जीवन-पथ पर मित्रवत् स्नेह-छाँव देनेवाली सहधर्मिणी पत्नी; अपनी मुस्कराहट और मासूमियत से मुझे आह्लादित करनेवाली पुत्री एवं उन समस्त मेधाओं तथा प्रतिभाओं को समर्पित है, जिनकी आँखों में प्रतियोगिता के सर्वोच्च प्रतिमान को रचने का स्वप्न आकार ले रहा है।

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

अनुक्रम

प्राक्कथन

भूमिका

1. इतिहास के स्रोत (Sources of History)
2. प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल (Pre-Historical Age and Ancient Period)
3. मध्य काल (Medieval Period)
4. आधुनिक काल (Modern Period)
5. स्वतंत्रता आंदोलन (Freedom Movement)
6. पृथक् बिहार आंदोलन (Bihar Separation Movement)
7. वास्तुकला एवं चित्रकला (Architecture and Painting)
8. लोक-संस्कृति (Folk Culture)
9. मेले एवं त्योहार (Fairs and Festivals)
10. साहित्य एवं साहित्यकार (Literature and Writer)
11. बिहार की विभूति (Personalities of Bihar)
12. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद (Education, Health and Sports)
13. स्थिति एवं उच्चावच (Location and Relief)
14. अपवाह प्रणाली (Drainage System)
15. जलवायु एवं मिट्टी (Soil and Climate)
16. वन एवं वन्य जीव-जंतु (Forest and Wild Life)
17. कृषि (Agriculture)
18. सिंचाई के साधन (Sources of Irrigation)
19. खनिज एवं उद्योग (Minerals and Industry)
20. आधारभूत संरचना (Infrastructure)
21. जनसंख्या एवं अधिवास (Population and Settlement)
22. पर्यटन एवं पर्यटन स्थल (Tourism and Tourist Places)

- [23. आपदा प्रबंधन \(Disaster Management\)](#)
- [24. राज व्यवस्था \(Political System\)](#)
- [25. प्रशासनिक व्यवस्था \(Administrative System\)](#)
- [26. न्यायपालिका \(Judiciary\)](#)
- [27. स्थानीय स्वशासन \(Local Government\)](#)
- [28. प्रमुख आर्थिक संकेतक \(Main Economic Indicators\)](#)
- [29. गरीबी \(Poverty\)](#)
- [30. बेरोजगारी \(Unemployment\)](#)
- [31. केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ \(Central and State Sponsored Schemes\)](#)
- [32. वित्तीय प्रणाली \(Financial System\)](#)
- [33. नीतियाँ \(Policies\)](#)
- [34. आर्थिक सर्वेक्षण : 2016-17 \(Economic Survey : 2016-17\)](#)
- [35. बजट : 2017-18 \(Budget : 2017-18\)](#)
- [36. राज्य विभाजन का प्रभाव \(Effect of State Partition\)](#)
- [37. विशेष राज्य के दर्जे की माँग एवं विशेष पैकेज, 2015 \(Demand of Special Status and Special Package\)](#)
- [38. नक्सलवाद \(Naxalism\)](#)
- [39. बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन एवं विकास की संभावनाएँ \(Economic Backwardness of Bihar and Possibilities of Development\)](#)
- [40. सुशासन एवं सात निश्चय \(Good Governance and Seven Nishchaya\)](#)
- [41. बिहार दिवस \(Bihar Diwas\)](#)
- [42. समसामयिकी \(Current Affairs\)](#)
- [43. सांख्यिकी उपस्थापन \(Statistical Presentation\)](#)
- [44. प्रश्नावली सेट \(Questionnaire Set\)](#)
- [45. परिशिष्ट \(Appendix\)](#)

प्राक्कथन

प्रिय पाठको,

मैं अपने जीवन में अध्ययन एवं अध्यापन के दौरान ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के हजारों युवाओं के संसर्ग में आया। युवाओं के संसर्ग के क्रम में मैंने पाया कि जब युवा बाल्यकाल में होते हैं तो उनके चेहरे पर प्राकृतिक मुसकराहट बनी रहती है। शनैः-शनैः जब उम्र बढ़ती जाती है तथा उनके चेहरे पर मुसकराहट की जगह शिकन अपना आधिपत्य जमा लेती है, और एक समय ऐसा आता है, जब युवाओं के कंधे पर स्वयं की, परिवार की तथा समाज की जिम्मेदारी आ जाती है, ऐसे समय में उनके सामने रोजगार का अभाव होता है। ऐसी दुरूह स्थिति में युवा जीवन के चौराहे पर अपने को किंकर्तव्यविमूढ़ पाते हैं। स्वयं की अनुभूति एवं परिवेश के अनुभव ने मुझे प्रेरित किया है कि ऐसे युवाओं के जीवन में रोजगार रूपी चिराग जलाने के लिए मैं कोई प्रयत्न करूँ। इसी का प्रतिफलन है प्रस्तुत पुस्तक, जिसमें हम लोगों ने खयाल रखा है कि बिहार से संबंधित तथ्यों को इस प्रकार पहुँचाएँ, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जानेवाले प्रश्नों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का एक खाका आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाए।

यों तो प्रतियोगिता रूपी व्यावसायिक बाजार में पुस्तकों का अभाव नहीं है, किंतु प्रामाणिकता की कसौटी पर प्रमाण की भूमिका में यह पुस्तक प्रस्तुत है। यदि आप इस पुस्तक के सभी तथ्यों का पूर्ण मनोयोग से अध्ययन कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी दृष्टि में पैनापन आएगा, जो आपके चेहरे पर बाल्यकाल की प्राकृतिक मुसकराहट को वापस लौटाएगा। आत्मविश्वास से भरा युवा ही समर्थ भारत की पहचान हो, यही मेरी आकांक्षा है।

इस प्राक्कथन के माध्यम से मैं उन हजारों अनाथ, असहाय, गरीब एवं बेरोजगारी से संघर्षरत युवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका विपरीत परिस्थिति में जूझने के साहस ने मुझे प्रेरित किया कि जुगनू के रूप में ही सही, अपना सूक्ष्म प्रकाश उन तक पहुँचाऊँ। इस पुस्तक के संकलन में निदेशक मुन्नाजी का निश्छल सहयोग मुझे हर स्तर पर मिलता रहा। गरीब, अनाथ एवं निःसहाय छात्रों के उत्थान के लिए श्री मुन्नाजी के भगीरथ प्रयास को मैं साधुवाद देता हूँ और अंत में आप से कहना चाहूँगा—

ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा,
पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा।
ओ अमावस को बुरा कह के बहकानेवालो,
अपने ही मन का तुझे दीप जलाना होगा।
भाग मगरूँ भाग क्योंकि
जिंदगी न मिलेगी दुबारा।
जय हिंद! जय युवा!!

तुम सभी का

डॉ. एम. रहमान

इतिहास, जिंदगी एवं परीक्षा विशेषज्ञ

(अदम्या अदिति गुरुकुल)

Downloaded From
http://t.me/Edu_Books
www.studymasterofficial.com

भूमिका

गौरवशाली अतीत एवं प्रेरणादायक परंपराओं से ओत-प्रोत बिहार की धरती को महान् विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। प्रकृति की सुंदरता एवं ऐतिहासिक विरासत की संपूर्णता को समेटे हुए बिहार न केवल संस्कृति के उद्भव का साक्षी रहा है, बल्कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की जन्मभूमि भी है। बिहार प्राचीनकाल से ही विश्व को शासन, शांति, सत्य एवं अहिंसा का उपदेश देता रहा है। बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे प्राचीन मनीषियों से लेकर आधुनिक युग में लोकनायक जयप्रकाश एवं देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जैसी महान् विभूतियों की जन्मस्थली तथा कर्मस्थली रहा है। प्रत्येक कालखंड में बिहार ने राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई तथा विश्व समुदाय को नई दिशा एवं नया संदेश दिया है। बिहार ने अपनी बौद्धिक एवं प्राकृतिक संपदा के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जीवित करना इसका नव्य उदाहरण है।

यह सत्य है कि अतीत के सुनहरे पल में जीनेवाला बिहार बाद के वर्षों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पिछड़ गया एवं देश के अन्य राज्यों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने में असमर्थ रहा, लेकिन पिछले दशक में राज्य ने पुनः कर्म के बल पर तीव्र गति से विकास करनेवाले राज्यों में अपना स्थान बना लिया।

हमारी जन्मभूमि होने एवं निश्चल लगाव होने के कारण बिहार पर पुस्तक लिखने की आकांक्षा एवं अभिलाषा वर्षों से रही थी। बिहार की बौद्धिक संपन्नता, जल एवं मिट्टी जैसे संसाधनों की उपलब्धता राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने में सक्षम है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से महसूस किया कि बिहार पर अब तक लिखी गई सभी पुस्तकें प्राकृतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित करने में असमर्थ रही हैं। बिहार पर उपलब्ध पुस्तकें, गाइड आदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को सरल, सुबोध, तथ्यात्मक एवं ज्ञानपरक जानकारी प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं और इस कारण कठिन परिश्रम के बाद भी प्रतियोगी छात्रों को असफलता हाथ लगती है। हमारे द्वारा लिखी पुस्तक के संदर्भ में यही कहा जा सकता है, 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्' अर्थात् जो इस पुस्तक में है, वह अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं मिलेगा। पुस्तक में इसी कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है।

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।'...

—गीता

इस उद्देश्य से सूचनाओं की विश्लेषणात्मक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इसे पुस्तक का स्वरूप दिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक को 45 अध्यायों में विभाजित किया गया है। विभिन्न अध्यायों में बिहार का इतिहास, कला एवं लोक-संस्कृति, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं समकालिक स्थिति का तथ्यपरक एवं सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

बिहार की ऐतिहासिक जानकारी को पुस्तक में 6 अध्यायों में समाहित किया गया है। कला एवं संस्कृति के विविध पक्षों एवं बिहार की विभूतियों तथा खेल-कूद से संबंधित भागों को 6 अध्यायों में वर्णित किया गया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं आपदा से संबंधित विवरण को 13 अध्यायों में वर्णित किया गया है। राजव्यवस्था,

अर्थव्यवस्था एवं राज्य के आर्थिक विकास की नीतियों को 12 अध्यायों में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभाजन का प्रभाव, विशेष राज्य का दर्जा, सुशासन एवं विकास से संबंधित संभावनाएँ, बिहार दिवस एवं समसामयिकी से संबंधित घटनाचक्र को 7 अध्यायों में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी उपस्थापन, परिशिष्ट आदि विषयों से संबंधित अध्याय सम्मिलित हैं।

इतिहास अध्ययन के स्रोत—पुस्तक में बिहार के इतिहास को सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं निरपेक्ष भाव से वर्णित किया गया है। संस्कृतियों के परिवर्तन एवं उसके मानव जीवन पर प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में इतिहास अध्ययन के मूल आधार ऐतिहासिक स्रोत एवं ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण को आधार बनाया गया है।

प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल—प्रस्तुत अध्याय में प्राक्-ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक बिहार के सांस्कृतिक उदय तथा सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ-साथ बिहार का राजनैतिक इतिहास, यथा—मगध साम्राज्य, मौर्योत्तर एवं गुप्तकालीन बिहार का वर्णन किया गया है, जो पाठकों को बिहार की ऐतिहासिक विरासत को समझने में ज्ञानवर्धक है।

मध्यकाल—इस अध्याय में मध्यकाल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित कर सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। पूर्व मध्यकाल के साथ-साथ मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों के बिहार पर प्रभाव का वर्णन किया गया है। मध्यकाल में पूरे भारत के इतिहास को प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावित करनेवाले बिहार के अफगान शासक शेरशाह का उदय एवं उसकी नीतियों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बिहार में मुगलकालीन शासन व्यवस्था एवं मध्यकालीन रहस्यवादी इस्लामिक सूफी परंपरा का चित्रण किया गया है, जिसने भारत के साथ-साथ बिहार में भी भाईचारेवाली हिंद-इस्लामी संस्कृति को पुष्पित एवं पल्लवित होने का आधार प्रदान किया।

आधुनिक काल—इस अध्याय में देश के साथ-साथ राज्य में केंद्रीकृत मुगल शासन के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने के कारण एवं प्रभाव को वर्णित किया गया है, साथ ही यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन, उनके बीच राज्य पर शासन स्थापना के लिए संघर्ष—जिसमें अंग्रेजों की विजय का विश्लेषण किया गया है—अंग्रेजी शासन की स्थापना के विरुद्ध राज्य में हुए जन आंदोलन का भी सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्रता आंदोलन—बिहार प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं का पोषक या पक्षधर रहा है। 1857 ई. के विद्रोह के पूर्व भी अनेक जनजातीय एवं किसान विद्रोह हो चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में 'चंपारण सत्याग्रह', 'खिलाफत आंदोलन', 'असहयोग आंदोलन', 'सविनय अवज्ञा आंदोलन', 'भारत छोड़ो आंदोलन' में बिहारवासियों ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। चंपारण की भूमि से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग का आंदोलन प्रारंभ किया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ-साथ 'आजाद हिंद फौज' में बिहारी क्रांतिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महिला, किसान, समाजवादी विचारधारा के लोगों के योगदान का विश्लेषण भी इस अध्याय में किया गया है, साथ ही ब्रिटिशकाल के दौरान बिहार में शिक्षा के विकास से संबंधित नीतियों एवं संस्थाओं के विकास का वर्णन किया गया है।

पृथक् बिहार आंदोलन—इस अध्याय में बिहार के वर्तमान राजनैतिक स्वरूप के लिए चलाए गए आंदोलन को चरणबद्ध रूप में वर्णित किया गया है। 1 अप्रैल, 1912 को बिहार स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठित हुआ। बिहार प्राचीन काल से ही स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है। मगध, मौर्य से लेकर शेरशाह एवं अकबर तक बिहार अलग सूबे के रूप में गठित था, लेकिन ब्रिटिश काल में बिहार को बंगाल एवं उड़ीसा के साथ सम्मिलित कर एक प्रांत बना

दिया गया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के कारण बिहार में भी बुद्धिजीवियों का उदय हुआ, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि पृथक् बिहार प्रांत के गठन के उपरांत ही बिहारियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। इन बुद्धिजीवियों में सर्वश्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, दीपनारायण सिंह एवं गणेश शंकर विद्यार्थी आदि प्रमुख थे।

वास्तुकला एवं चित्रकला—इस अध्याय में बिहार में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पुष्पित एवं पल्लवित वास्तु एवं चित्रकला की विभिन्न शैलियों, यथा—मौर्यकला, पालकला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा शैली आदि का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

लोक-संस्कृति—बिहार की सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक संश्लिष्ट विशेषताओं को समझने का प्रयास किया गया है। किसी भी राज्य या देश की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है। इसी से उसकी अस्मिता और स्वतंत्र पहचान का परिचय मिलता है। संस्कृतियों के आंतरिक समन्वय को प्रदर्शित करनेवाले लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य और जनजातीय संस्कृति का बोधगम्य विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है।

प्रमुख मेले एवं पर्व-त्योहार—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य के लोकजीवन को प्रदर्शित करनेवाले प्रमुख मेले, महोत्सव एवं पर्व-त्योहारों का वर्णन किया गया है। राज्य में देश का सबसे बड़ा सोनपुर प्रशु-मेला, छठ का पवित्र त्योहार जैसे अनेक पर्व-त्योहारों का विश्लेषण किया गया है।

साहित्य एवं साहित्यकार—इस अध्याय में बिहार के भाषा एवं साहित्य, पत्रकारिता, साहित्यकारों आदि का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। बिहार में अनेक भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका और मागधी आदि प्रमुख हैं। हिंदी बिहार में अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। बिहार में बोली जानेवाली हिंदी भाषा में क्षेत्रीय विविधताएँ पाई जाती हैं। राज्य में साहित्य लेखन एवं पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है। राष्ट्रकवि दिनकर, आंग्लिक विशेषताओं को प्रदर्शित करनेवाले आचार्य शिवपूजन सहाय एवं क्षेत्रीय भाषा के महान् कवि विद्यापति की जन्मभूमि बिहार ही रहा है।

बिहार की विभूति—बिहार ने इतिहास काल से ही समय-समय पर संपूर्ण विश्व को प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। यह भूमि प्राचीन काल से ही विभूतियों से धनी रही है। बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे प्राचीन मनीषियों से लेकर आधुनिक युग में लोकनायक जयप्रकाश एवं देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जैसे महान् विभूतियों की जन्मस्थली तथा कर्मस्थली रहा है। प्रस्तुत अध्याय में बिहार को विश्व मानस-पटल पर स्थान दिलानेवाली अमर विभूतियों का विश्लेषण किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद—इस अध्याय में राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों एवं प्रमुख संग्रहालयों का वर्णन है, जो पाठकों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण एवं रुचिकर है। स्वास्थ्य एवं खेल-कूद मानव के सर्वांगीण विकास की अनिवार्य शर्त है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं एवं खेल-कूद से संबंधित क्रिया-कलापों का विश्लेषण किया गया है। खेल-जगत में राज्य ने अप्रतिम, अद्वितीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को हासिल किया है।

स्थिति एवं उच्चावचता—इस अध्याय में राज्य की भौगोलिक विशेषताओं, यथा—भौगोलिक सीमाओं, भौगोलिक संरचना एवं उच्चावचता, भौगोलिक प्रदेश आदि का सूक्ष्म एवं तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। राज्य का यह सौभाग्य है कि यहाँ की प्रकृति जितनी मनोरम है, जल एवं मिट्टी संसाधन में उतनी ही परिपूर्ण है। प्रस्तुत पुस्तक में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मानचित्र, आँकड़ों आदि का विश्लेषण किया गया है।

अपवाह प्रणाली—इस अध्याय में नदियों, गरम जलकुंड, जलप्रपात, झील, आर्द्रभूमि क्षेत्र का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्य में सदानीरा नदियों का जाल है, जो हिमालय पर्वत से निकलकर बिहार की भूमि

को सींचती एवं उपजाऊ बनाती हुई प्रवाहित होती हैं। इन नदी प्रणालियों का बिहार में मानव के विकास में अमूल्य योगदान रहा है।

जलवायु एवं मिट्टी—प्रस्तुत अध्याय में बिहार की उष्ण मानसूनी जलवायु, जो वैविध्यपूर्ण है, के साथ-साथ वर्षा का वितरण, मिट्टी की विशेषता एवं उनके प्रकार का वर्णन किया गया है।

वन एवं वन्य जीव-जंतु—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य के वन संसाधन एवं जैव विविधता का विस्तृत वर्णन किया गया है। राज्य में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव-जंतुओं की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनके संरक्षण का समुचित प्रयास भी किया जा रहा है। राज्य वन विकास अधिकरण एवं वन्य जीव-जंतु एवं संरक्षण आदि संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव-जंतु के संरक्षण का उल्लेखनीय प्रयास किया जा रहा है।

कृषि—इस अध्याय में भूमि उपयोग प्रतिरूप, कृषि गहनता, कृषि-संयोजन प्रदेश, कृषि प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलों, पशुपालन एवं मत्स्यपालन एवं भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। कृषि बिहार के विकास का प्रमुख आधार-स्तंभ है। कृषि के विकास के अभाव में राज्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

सिंचाई साधन—इस अध्याय में सिंचाई के प्रमुख साधनों, विभिन्न परियोजनाओं जैसे—कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना आदि, कृषि के विकास के लिए चलाई जा रही इंद्रधनुष क्रांति एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा पूर्वी क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, पटना का वर्णन किया गया है।

खनिज एवं उद्योग—इस अध्याय में बिहार में उपलब्ध खनिज संपदा, उद्योग-धंधे, जैसे—कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि का वर्णन किया गया है। उद्योगों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए की गई छठी आर्थिक गणना, 2013, उद्योगों के विकास एवं सहायता के लिए बनाए गए विभिन्न क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों, उद्योग मित्रों एवं औद्योगिक प्रदेशों का विशद वर्णन किया गया है।

आधारभूत संरचना—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं, यथा—परिवहन, संचार-व्यवस्था, ऊर्जा, का वर्णन किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए लागू किए गए बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, 2011 का विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

जनसंख्या एवं अधिवास—राज्य की जनसंख्या, घनत्व एवं वितरण का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई जनसंख्या नीति को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। राज्य के मानव विकास सूचकांक और ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास भी इस अध्याय को सुशोभित करते हैं।

पर्यटन एवं पर्यटन स्थल—इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों के वर्णन किए गए हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई पर्यटन नीति को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

आपदा प्रबंधन—इस अध्याय में राज्य की विभिन्न प्रकार की आपदाओं, जैसे—बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं अन्य आपदाओं का वर्णन किया गया है। राज्य में आपदा को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधित कार्यों, अधिनियमों, प्राधिकरणों को भी सम्मिलित किया गया है। बिहार राज्य ने 'बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015-30' बनाया है। इसका भी विशद वर्णन किया गया है।

राज-व्यवस्था—इस अध्याय में राजनैतिक संरचना, व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यपाल, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद्, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, लोकायुक्त का वर्णन किया गया है। बिहार में गठन किए गए विभिन्न आयोगों का भी उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था—राज्य के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, जैसे—प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन आदि, साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों की सामाजिक,

राजनैतिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है।

न्यायपालिका—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य की न्यायपालिका की संरचना का वर्णन किया गया है, जैसे—उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का विशद वर्णन किया गया है।

स्थानीय स्वशासन—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य की पंचायती राज-व्यवस्था एवं नगरीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। पंचायती राज-व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के गठन, कार्य एवं उनके अधिकारों का भी वर्णन है।

प्रमुख आर्थिक संकेतक—इस अध्याय में राज्य के प्रमुख आर्थिक संकेतकों को बताया गया है, जिसके अंतर्गत जनसांख्यिकी, राज्य के घरेलू उत्पाद, आर्थिक संरचना, क्षेत्रीय विषमता, राजकोषीय नीति को आँकड़ों के माध्यम से दिखाया गया है।

गरीबी—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार में गरीबी की स्थिति का रेखांकन है। इसके मापन तथा विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाई गई मापन विधियों के आधार पर बिहार में गरीबी के आकलन का वर्णन किया गया है।

बेरोजगारी—इस अध्याय में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों एवं राज्य में पाए जानेवाले बेरोजगारों की संख्या के बारे में बताया गया है।

केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ—इस अध्याय के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ, जो राज्य के समावेशी विकास के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों, गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, का विशद वर्णन किया गया है। ये योजनाएँ बिहार में किस प्रकार से चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं से क्या सफलताएँ प्राप्त हुई हैं, इसका भी आँकड़ा आधारित विश्लेषण है।

वित्तीय प्रणाली—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, निजी व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं, साख-ऋण अनुपात एवं अन्य प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्य में कार्य कर रही विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

नीतियाँ—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से विकसित बनाने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों, जैसे—औद्योगिक नीति, स्टार्ट-अप नीति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञापन नीति, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम का वर्णन किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17 का विशद निरूपण है।

बिहार बजट, 2017-18—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार बजट, 2017-18 का विभागवार वर्णन किया गया है। विभिन्न विभागों को प्राप्त आवंटनों को भी इस अध्याय में दर्शाया गया है।

राज्य-विभाजन का प्रभाव—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार के विभाजन के बाद पड़नेवाले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक प्रभावों को दर्शाया गया है। इसमें संसाधनों, लृप्तिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विभाजन से पड़नेवाले प्रभावों को भी दर्शाया गया है।

विशेष राज्य की माँग एवं विशेष पैकेज—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार की अपनी विशेष स्थिति के कारण

विशेष राज्य की माँग का वर्णन किया गया है, साथ ही प्रधानमंत्री प्रदत्त विशेष पैकेज का भी वर्णन है।

नक्सलवाद—बिहार में नक्सलवाद की स्थिति, उसके कारण एवं प्रभाव का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

विकास की संभावनाएँ—इस अध्याय के अंतर्गत बिहार की वर्तमान स्थिति एवं विकास की संभावनाओं को दर्शाया गया है। वर्तमान में आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रसित होने के बावजूद भविष्य में विकास की संभावनाएँ मौजूद हैं, इसको तार्किक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

सुशासन एवं सात निश्चय—न्याय के साथ विकास के दृष्टिकोण को रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेने के लिए सुशासन की संकल्पना एवं इनको प्राप्त करने के लिए विकसित बिहार के 'सात निश्चयों' का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

बिहार दिवस—राज्य सरकार के द्वारा बिहारी अस्मिता को जाग्रत एवं प्रदर्शित करने के लिए 'बिहार दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

समसामयिकी—इस अध्याय के अंतर्गत राज्य से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य घटनाओं तथा उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सांख्यिकी उपस्थापन—इस अध्याय में बिहार की समग्र जानकारी को आँकड़ों एवं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो प्रतियोगी छात्रों एवं बिहार को जानने को इच्छुक पाठकों के लिए अधिक उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति, जो बिहार का अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता है, के लिए यह अध्याय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रश्नावली सेट—इस अध्याय के अंतर्गत छात्रों को अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को परखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सेट दिया गया है, जिसके माध्यम से वे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, साथ ही परीक्षा के समय अपने विषयों को प्रश्नों के माध्यम से याद कर सकते हैं।

परिशिष्ट—बिहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों का संग्रह इस अध्याय में किया गया है।

उपर्युक्त विषय वस्तु से यह प्रमाणित होता है कि 'बिहार सामान्य ज्ञान' बिहार में आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टि में रखकर लिखी गई पुस्तक है। इसे जान-बूझकर व्यापक बनाया गया है, जिनसे प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको अच्छी प्रकार से तैयार किया जा सके। हमारा उद्देश्य आपको इस प्रकार से तैयार करना है, जिससे आप चाहे प्रीलिम्स में बैठ रहे हों या मेंस में या साक्षात्कार बोर्ड के सामने हों, आपको कोई परेशानी न हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास है कि पुस्तक में विविध पक्षों—सैद्धांतिक, धारणात्मक तथा तथ्यात्मक (अद्यतन) से संबंधित उपलब्ध तथ्यों को एक स्थान पर एकत्र किया जाए। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक तथ्यात्मक तथा धारणात्मक समस्या के समाधान के लिए यह पुस्तक अंतिम विश्वसनीय प्रमाण सिद्ध होगी।

मैं एक प्रशासक हूँ और सरकार का अभिन्न अंग हूँ। हमारी तटस्थता हमारी पहचान है। अतः मेरी जिम्मेदारी भी अत्यंत संवेदनशील है। हमारा उद्देश्य राज्य एवं केंद्र सरकार पर दोषारोपण या प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचना करने का नहीं रहा है। यदि कहीं कुछ इस तरह की बातें प्रदर्शित भी हो गई हों, तो वे मेरी नहीं, बल्कि संचार माध्यमों और आम जनता की भावनाओं की निश्छल अभिव्यक्ति मात्र हैं। फिर भी यदि किसी की भावना आहत होती है, तो मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ।

अंत में, इस पुस्तक की भाषा, शैली और रोचकता के संदर्भ में इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि यहाँ भाषा के विधात्मक पक्ष का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुबोध एवं ग्रहणीय है, जो छात्रों और सामान्य जनो को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का निम्न श्लोक इस पुस्तक की सार्थवत्ता को प्रमाणित करता है—

“न तद् ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ॥”

ज्ञान शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म की कोई भी विधा ऐसी नहीं, जो इस पुस्तक में न हो ।

पुस्तक के प्रारूप निर्माण और लेखन में सर्वश्री दीपक कुमार, सुनील कुमार, नूर आलम खान, आशीष कुमार, प्रियरंजन, प्रवीण कुमार, अरविंद कुमार एवं प्रदुम्न कुमार का सक्रिय सहयोग मुझे मिला है। इनसे मिले सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

1. इतिहास के स्रोत

(Sources of History)

पुरातात्विक स्रोत

साहित्यिक स्रोत

बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व भर में हुए घटनाक्रम किसी-न-किसी रूप में बिहार से जुड़े रहे हैं। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान् मनीषियों, विद्वानों एवं राजा-महाराजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल बिहार का, बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश देनेवाले भगवान महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली बिहार ही है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान् जैसे दिग्विजयी राजाओं ने इस राज्य को सुदृढता और समुन्नति प्रदान की।

किसी भी काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक, दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं।

पुरातात्विक स्रोत

पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया एवं पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सारण के चिरौंद से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्रप्रस्तरयुगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्रलेख, स्मारक, भग्नावशेष, सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभलेख, सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफालेख आदि प्रमुख हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर दो अभिलेख हैं। वैशाली जिले के बसाढ़ से महादेवी प्रभुदाया के भी दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर, जो महादेवी धुरवस्वामिनी की है, इसमें धुरवस्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया है।

गुप्तकाल के समय के प्राप्त अभिलेख संस्कृत भाषा के हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। बसाढ़ से मिट्टी की दो मुहरें मिली हैं, जिस पर लेख उत्कीर्ण है। बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर, जो महादेवी धुरवस्वामिनी की है, में धुरवस्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया है। बोधगया से प्राप्त एक अभिलेख में श्रीलंका

के एक भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोधगया में वज्रासन के समीप एक प्रासाद बनवाया था। नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त हुआ है। नवादा के निकट अफसढ़ गाँव से प्राप्त आदित्यसेन के गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्ण गुप्त से लेकर आदित्यसेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। बाँका जिले के बाँसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्यसेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। आरा के पास देव-वरुणार्क से जीवगुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है।

पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो संस्कृत भाषा में हैं। धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गाँव दान में दिया था। नालंदा के धोंसरावा से प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, के वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। देवपाल के मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख आदि भी प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं।

अज्ञातशत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया है। केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी होटगाँव ने पहली बार दी थी। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो ने किया है तथा इसने ही कुर्कीकार कुहरार (पाटलिपुत्र) के टीले का उत्खनन करवाया था। कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्त्व विज्ञान का जनक कहते हैं, ने 1861 ई. में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की। कनिंघम ने ही बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज की। कनिंघम ने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गाँव की खोज की, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है। वहाँ से दो अभिलेख भी मिले हैं, जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है।

स्वतंत्रता के बाद 1949 ई. में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद बिहार के पुरातात्विक स्थलों की खोज में गति आई। के. देव एवं डॉ. अल्लेकर ने 1950 ई. में वैशाली और 1951 ई. में कुम्हार का उत्खनन करवाया था। 1962 ई. में राज्य पुरातत्त्व निदेशालय की स्थापना की गई।

बौद्धकालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, लेकिन बिहार के किसी भी भाग से अभी तक प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर-पश्चिम भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं।

सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र (Numismatics) कहलाता है। सिक्के इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया है। उत्तर-वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ा, तब विदेह, अंग और मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 'वृहदारण्यक उपनिषद्' के अनुसार, विदेह के राजा जनक ने निष्क (सुवर्ण/शतनाम) सिक्के दान में दिए थे। बौद्धकालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, लेकिन बिहार के किसी भी भाग से अभी तक प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर-पश्चिम भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के

तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ऐसे नौ सिक्के पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जो कार्षापण, धारण या पूर्ण और पर्ण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार में चाँदी और ताम्र सिक्के अनेक भागों से एन.बी.पी. (उत्तरकालीन चित्रित) स्थलों में प्राप्त हुए हैं। रजत आहत सिक्के लोहानीपुर, कुम्हार, मनेर, मायागंज, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली, फतुहा, भभुआ, सुपौल, मोतिहारी, नंदनगढ़, मुंगेर, पटना सिटी, गया, चिरौंद, बक्सर से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के पाए गए हैं। बिहार के अनेक भागों में ये सिक्के मिले हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा-भोज के सिक्के मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं।

साहित्यिक स्रोत

साहित्यिक स्रोत में बिहार के इतिहास को जानने के लिए धार्मिक और गैर-धार्मिक, दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य में 'ऋग्वेद', 'अथर्ववेद', 'शतपथ ब्राह्मण', 'वृहदारण्यक उपनिषद्' आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बौद्ध साहित्य में 'अंगुत्तर निकाय', 'दीर्घनिकाय', 'विनयपिटक' तथा जैन साहित्य में 'भगवती सूत्र' आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, जिससे बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। 'अंगुत्तर निकाय' एवं 'भगवती सूत्र' में पहली बार महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में मगध, लिच्छवी एवं अंग बिहार में स्थित थे। मध्यकाल में मिर्जासिराज की पुस्तक 'तबकाते नासिरी', अब्बास खाँ शेरवानी की 'तारीख-ए-शेरशाही' प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। 'तबकाते नासिरी' भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास है। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। 'तारीख-ए-शेरशाही' शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इख्तिसान देहलवी की 'बसातीनुल उंस', शेख कबीर की 'अफसाना-ए-शाही', रिजकुल्लाह की रचना 'बकीयाते मुश्ताकी', गुलाम हुसैन सलीम की 'रियाज उल सलातीन' तथा गुलाम हुसैन तबात-बाई की रचना 'सीयर उल मुताखेरीन' आदि भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति की 'कीर्तिलता' एवं 'कीर्तिपताका', ज्योतिरीश्वर की 'वर्णरत्नाकर' तथा चंदेश्वर की रचना 'रजनीरत्नाकर' भी मध्यकालीन बिहार का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचनाएँ, जैसे—कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', पाणिनि की 'अष्टाध्यायी', 'गुप्तकालीन साहित्य', जियाउद्दीन बरनी की 'तारीख-ए-फिरोजशाही', बाबर की 'तुजके बाबरी', अबुल फजल का 'अकबरनामा' आदि भी बिहार के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

उपरोक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका, फाहियान, ह्वेनसांग, ईत्सिंग आदि का यात्रा-वृत्तांत प्रमुख है। मुगलकाल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों में रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मॉनरिक, मनूची, टेबेर्नियर आदि ने अपने यात्रा-वृत्तांत में बिहार के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य का वर्णन किया है।

□

2. प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल

(Pre-Historical Age and Ancient Period)

प्राक्-ऐतिहासिक काल

ऐतिहासिक काल

प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन

बिहार का राजनैतिक इतिहास

मगध साम्राज्य का उदय

मौर्योत्तर बिहार

गुप्तकालीन बिहार

बिहार में मानव सभ्यता के इतिहास को दो भागों में बाँटकर अध्ययन करते हैं—

1. प्राक्-ऐतिहासिक काल,
2. ऐतिहासिक काल।

प्राक्-ऐतिहासिक काल

आज से लगभग तीस हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मेधावी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, का आविर्भाव हुआ। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग एक लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं। ये साक्ष्य पुरापाषाण युग के हैं। इनमें पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। ऐसे अवशेष नालंदा और मुंगेर जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। प्राक्-ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण पाषाण युग कहलाता है। इस समय मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। पत्थर के उपकरण में विविधता एवं विशेषताओं में परिवर्तन के आधार पर पाषाण युग को पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग में विभाजित किया जाता है। बिहार में भी प्राक्-ऐतिहासिक काल की मानव संस्कृति के विभिन्न चरणों के साक्ष्य अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

पुरापाषाण काल

ये उपकरण नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाँध और पैसरा, भागलपुर के राजपोखर एवं भालीजोर तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं।

बिहार के नालंदा, गया, मुंगेर और भागलपुर जिलों में निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण

प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाँध और पैसरा, भागलपुर के राजपोखर एवं भालीजोर तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों से प्राप्त पाषाण उपकरण आशुलियन प्रकार के हैं। इन उपकरणों में कुल्हाड़ी, अस्क, स्क्रैपर (क्षुरणक), फलक, छुड़िया, अर्द्ध चांद्रिक, उत्कीर्णक, छुरी तथा खुरचनी आदि प्रमुख थे। इन उपकरणों का प्रयोग जानवरों का शिकार करने एवं चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। इस समय मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत शिकार एवं मछली पकड़ना तथा कंद-मूल एकत्रित करना था। इस समय मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था तथा प्राकृतिक आवास जैसे पहाड़ी चट्टानों एवं गुफाओं में रहता था। गया जिला की शेरघाटी में प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

नवपाषाण काल

नवपाषाण काल को मनुष्य द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण मानव जीवन का प्रथम क्रांति का काल कहते हैं। कृषि कार्य के कारण इस काल में स्थायी बस्तियों का विकास शुरू हुआ। कृषि प्रारंभ होने के कारण मानव गुफाओं से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में निवास करने लगा। बिहार में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल वैशाली के चेचर (श्वेतपुर) एवं कुतुबपुर, सारण के चिराँद, पटना के मनेर, रोहतास के सेनुआर, गया के सोनपुर, ताराडीह एवं केऊर में मिले हैं। सारण के चिराँद से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिराँद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चिराँद का नामकरण चेरों शासक के नाम पर हुआ है। चिराँद का उत्खनन 1962 ई. में हुआ। यहाँ से लगभग 2500-1345 ई.पू. के नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण के साथ-साथ काले चित्रित मृद्भांड भी प्राप्त हुए हैं। वैशाली के चेचर, जो हाजीपुर शहर से पूरब में गंगा-गंडक घाटी में स्थित है, से नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ताराडीह गया जिले में फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि सेनुआर रोहतास जिले में कुर्दा नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त सभी स्थल नदी-घाटियों या नदी के तटों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होने के कारण मानव ने जल एवं उपजाऊ मिट्टी की सुविधा के कारण इन क्षेत्रों में अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू कीं।

चिराँद का नामकरण चेरों शासक के नाम पर हुआ है। चिराँद का उत्खनन 1962 ई. में हुआ। यहाँ से लगभग 2500-1345 ई.पू. के नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण के साथ-साथ काले चित्रित मृद्भांड भी प्राप्त हुए हैं।

पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल आते-आते मानवीय संस्कृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। नवपाषाण काल में पहली बार कृषि प्रारंभ होने के कारण स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। मानव के भौतिक जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण ही बाद के समय में ताम्र-पाषाण संस्कृति का विकास हुआ।

ताम्रपाषाण काल

मानव ने पहली बार धातु के रूप में ताँबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ताँबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया गया। इसलिए इस युग को ताम्र-पाषाण युग कहा जाता है। बिहार में ताम्र-पाषाण संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सेनुआर, चिराँद, चेचर तथा आरियप से प्राप्त हुए हैं। ताम्र-पाषाण संस्कृति में भी मनुष्य का जीवन कृषि एवं आखेट पर ही आधारित था। 1050 ई.पू. के आसपास गंगा घाटी में अतरंजीखेड़ा (उत्तर-प्रदेश) से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है। लोहे के आविष्कार के कारण ताम्र-पाषाण संस्कृति का स्थान लौह युग ने ले लिया।

लौह काल

लौह युग उत्तर-वैदिक युग का काल है, जिसमें मानवीय बस्तियों का विस्तार गंगा घाटी में उत्तरी बिहार तक हो चुका था। इस समय लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से औजार निर्माण में किया जाता था। लौह युग का दूसरा चरण, जो उत्तरी काले मृद्भांड (N.B.P.) का काल कहलाता है, में लोहे का उपयोग कृषि कार्य में भी होने लगा। इस समय गाँव धीरे-धीरे नगर में परिवर्तित होने लगे, जिससे पहली बार बिहार में नगरीकरण का साक्ष्य प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक काल

लोहे के प्रयोग में आने से मानव की संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया। नई भौतिक संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ। उत्तर-वैदिक काल (1000-600 ई.पू.) में वैदिक संस्कृति का विस्तार पूर्वी भारत में उत्तर बिहार तक हुआ। 'शतपथ ब्राह्मण' सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। इसमें आर्यों के विस्तार की चर्चा है। 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश किया। सरस्वती नदी उनका केंद्र थी, जिसके तट पर बड़े-बड़े यज्ञ एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था। 'शतपथ ब्राह्मण' में माधव विदेह एवं गौतम राहुगाण की कहानी है, जिसके अनुसार माधव विदेह ने ही आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था। उत्तर-वैदिक काल का मध्य चरण आते-आते आर्यों का विस्तार बिहार के मगध, अंग, बज्जि, विदेह, अंगुत्तरप्प, कौशिकी क्षेत्रों तक हो चुका था। राजा विदेह माधव एवं उनका पुरोहित गौतम राहुगाण सरस्वती नदी के तट से अग्नि को जलाते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़े तथा बिहार के विदेह क्षेत्र में गंडक नदी तक पहुँचे। गंडक नदी में अग्नि बुझ गई, जिसके कारण गंडक को सदानीरा भी कहा जाता है। इस तरह आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण 'शतपथ ब्राह्मण' से मिलता है। उत्तर-वैदिक युग के अंतिम चरण में विदेह की चर्चा उपनिषदों की रचना के कारण हुई है। विदेह के राजा जनक दार्शनिक एवं विद्वान् थे, जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी। 'वृहदारण्यक उपनिषद्' में विद्वान् याज्ञवल्क्य-गार्गी एवं याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद का वर्णन है। विदेह राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी रहती थीं।

'शतपथ ब्राह्मण' सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं, इसमें आर्यों के विस्तार की चर्चा है। 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार आर्यों सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश किया।

गंगा घाटी में पूर्व की ओर आर्यों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण लौह तकनीकी का विकास था और इस क्षेत्र में लौह उपकरण अधिक संख्या में उपलब्ध हुए थे। लोहे के कारण कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ, जिसके कारण प्राचीन बिहार में भी नगरीकरण प्रारंभ हुआ।

प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन

उत्तर-वैदिक काल में कृषि क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में जटिलता आने लगी। कृषि क्षेत्र में विस्तार होने से पशुओं की माँग बढ़ने लगी, जबकि उत्तर-वैदिक काल में हो रहे बड़े-बड़े यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी।

ऋग्वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.) के अंतिम चरण में अर्थात् 1000 ई.पू. आते-आते सामाजिक जीवन में कई प्रकार की कुरीतियाँ आने लगीं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल का अंत होते-होते अपने जटिल स्वरूप में आ गया। छठी सदी पूर्व तक छुआछूत

जैसे कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थीं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जो उत्तर-वैदिक काल का अंतिम चरण आते-आते दयनीय हो गई थी।

उत्तर-वैदिक काल के अंतिम चरण में (छठी सदी ई.पू.) सामाजिक जटिलता, कर्मकांड, छुआछूत, अस्पृश्यता आदि के विरोध में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. वर्ण-व्यवस्था की जटिलता एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन।
2. धार्मिक जीवन से असंतोष।
3. नए धार्मिक विचारों का उदय।
4. नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव।

इस समय वैदिक धर्म के खिलाफ अनेक नास्तिक एवं अनीश्वरवादी संप्रदायों का उदय हुआ। केवल उत्तर भारत में लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय प्रमुख हैं। इन दोनों संप्रदायों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार ही रहा है।

बौद्ध धर्म

29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रात्रि के समय गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ ने रात्रि के समय अपने अश्व कंथक और सारथी छंदक के साथ गृह त्याग किया था।

बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु (वर्तमान पिपरहवा) के लुंबिनी गाँव के आम्रकुंज में हुआ था। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा सुयोधन एवं कोलीय कुल के कौशल की राजकुमारी महामाया देवी की संतान थे। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। अतः उनका पालन-पोषण मौसी एवं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम का अर्थ पालन-पोषण का नियम होता है तथा उनके गोत्र का नाम भी गौतम था। बुद्ध का जन्म चीनी साहित्य के अनुसार 563 ई.पू. में तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई.पू. में हुई थी। बुद्ध के जन्म के समय कालदेवल नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुयोधन से कहा कि यह बालक संन्यासी बनेगा। अतः राजा ने उनके महल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी एवं सारी सुख-सुविधाएँ महल के अंदर ही उपलब्ध कराईं। 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य गण की राजकुमारी यशोधरा, जिसके अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि भी हैं, से विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गौतम बुद्ध ने राहुल रखा। बुद्ध ने शहर भ्रमण के क्रम में क्रमशः चार चिह्न—वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत और संन्यासी को देखा। बौद्ध साहित्य 'दीर्घनिकाय' के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिह्न एक ही यात्रा में दिखाई दिए, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार अलग-अलग यात्रा में दिखाई दिए थे। संन्यासी को देखकर सांसारिक जीवन के प्रति गौतम बुद्ध का मोह भंग हो गया और उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रात्रि के समय गृह-त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ ने रात्रि के समय अपने अश्व कंथक और सारथी छंदक के साथ गृह-त्याग किया था। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जबकि गृह त्याग की घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर अनोमा नदी के किनारे प्रव्रज्या (संन्यास) धारण किया। बुद्ध को ज्ञान-प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम दो प्रारंभिक गुरु पहले वैशाली में अलारकलाम, जो सांख्य दर्शन के विद्वान् थे तथा बाद में राजगृह में रुद्रक रामपुत्र मिले। इन दोनों की शिक्षाओं से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और गया के पास उरुवेला (बोधगया) वन पहुँचे। उरुवेला वन में पाँच साथियों के साथ कठिन तपस्या प्रारंभ

की। इन साथियों में कौंडिल्य, अज, अस्सिग, वप्पा और भदिया थे। कठिन तपस्या के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब सभी साथी इन्हें पाखंडी घोषित करके चले गए। गौतम बुद्ध ने पुनः गया के पास निरंजना नदी (फल्गु) के तट पर तपस्या प्रारंभ की। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नामक कन्या के हाथ से तपस्या के 49वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब बुद्ध बोधिसत्त्व कहलाए। ज्ञान-प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस और भल्लिक नामक दो बंजारों को बोधगया में ही अपना शिष्य बनाया। ज्ञान-प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ (ऋषिपतन) के मृगदाब पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पाँच साथियों का प्रथम उपदेश दिया। यह प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की। इसके बाद बुद्ध वाराणसी पहुँचकर यश नामक श्रेष्ठीपुत्र के घर पर रुके। यश अपनी माता, पिता, पत्नी के साथ महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। यश की माता और पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएँ बनीं। वाराणसी से उरुवेला जाने के क्रम में बुद्ध से 30 धनी युवकों की मुलाकात हुई, जिनका नेता भद्र था तथा ये सभी भद्रवर्गीय थे। ये सभी बुद्ध के अनुयायी बन गए। उरुवेला से बुद्ध राजगृह पहुँचे, जहाँ बिंबिसार ने उन्हें वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, उपालि आदि इनके शिष्य बने। राजगृह से लुंबिनी पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया। माता प्रजाप्रति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होनेवाली प्रथम स्त्री थीं। अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। स्त्रियों को शामिल करते हुए बुद्ध ने कहा था कि जो बौद्ध धर्म हजार वर्ष तक चलता, वह अब पाँच सौ वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। लुंबिनी में उनका चचेरा भाई देवदत्त भी शिष्य बना।

ज्ञान-प्राप्ति के आठवें वर्ष वैशाली पहुँचे, जहाँ लिच्छवियों ने उन्हें कुटप्रशाला नामक विहार दान में दिया था। वैशाली में वैशाली की नगरवधू आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी क्षेमा बुद्ध की शिष्या बनी थी। ज्ञान-प्राप्ति के बीसवें वर्ष बुद्ध कोसल की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे, जहाँ अँगुलिमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य बना। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई.पू. में दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावा में चुंद नामक सुनार के घर सूअर का मांस (शूकर मांस) खाने से उदर विकार हुआ, जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के समय आनंद ने बुद्ध से पूछा कि आपके बाद हमारे शास्ता (मार्गदर्शक) कौन होंगे? इस पर बुद्ध ने कहा कि मेरे बाद हमारा उपदेश ही तुम्हारा शास्ता होगा। बुद्ध का अंतिम वाक्य था—*अप्प दीपो भव।*

बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष को प्राप्त करने के लिए आठ शासक पहुँचे थे। अतः उनके अस्थि अवशेष को आठ भागों में विभाजित कर दिया गया। इन आठों भाग पर स्तूप का निर्माण करवाया गया।

बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर उस पर स्तूप बनवानेवाले शासक निम्नलिखित थे—

शासक का नाम : अजातशत्रु

राज्य का नाम : मगध

शासक का नाम : शाक्य

राज्य का नाम : कपिलवस्तु

शासक का नाम : लिच्छवि

राज्य का नाम : वैशाली

शासक का नाम : ब्राह्मण

राज्य का नाम : वेठद्वीप

शासक का नाम : बुलि

राज्य का नाम : अलकंप

शासक का नाम : मल्ल

राज्य का नाम : पावा

शासक का नाम : मोरिय

राज्य का नाम : पिप्पलिवन

शासक का नाम : कोलिय

राज्य का नाम : रामगाम

गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी

1. सारिपुत्र
2. आनंद
3. मौद्गल्यायन
4. उपालि
5. सुनीत
6. अनिरुद्ध
7. अनाथ पिंडक
8. बिंबिसार
9. प्रसेनजित
10. अजातशत्रु
11. जीवक
12. महाकश्यप

बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियाँ

1. महाप्रजापति गौतमी
2. यशोधरा
3. नंदा
4. खेमा या क्षेमा
5. आप्रपाली

6. विशाखा

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

गौतम बुद्ध के उपदेश अत्यंत सरल थे। उन्होंने सबसे पहले चार आर्य सत्त्यों का प्रतिपादन किया—

1. दुःख,
2. दुःख समुदाय,
3. दुःख निरोध,
4. दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा

गौतम बुद्ध ने दुःख निरोधगामिनी अर्थात् दुःख का नाश करने के लिए आष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ये आष्टांगिक मार्ग हैं—

1. सम्यक् दृष्टि अर्थात् सत्य और असत्य की पहचान करना।
2. सम्यक् संकल्प अर्थात् इच्छा और हिंसारहित संकल्प।
3. सम्यक् वाक् अर्थात् सत्य और मृदुभाषी।
4. सम्यक् कर्मात् अर्थात् सत्य काम करना।
5. सम्यक् आजीव अर्थात् सादा जीवन-यापन करना।
6. सम्यक् व्यायाम अर्थात् सही दिशा में किया गया कर्म।
7. सम्यक् स्मृति अर्थात् कर्मों के प्रति सजग रहना।
8. सम्यक् समाधि अर्थात् एकाग्रचित्त होना।

बौद्ध धर्म में आष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए दस शील बताए गए हैं। ये दस शील जीवन का नैतिक आधार हैं। इन्हें शिक्षा प्राद भी कहते हैं। ये दस शील निम्नलिखित हैं—

1. अहिंसा,
2. सत्य,
3. अस्तेय (चोरी नहीं करना),
4. अपरिग्रह (धन संग्रह नहीं करना),
5. ब्रह्मचर्य का पालन करना,
6. व्यभिचार नहीं करना,
7. मद्यपान नहीं करना,
8. असमय भोजन नहीं करना,
9. नाच-गाना से बचना,
10. सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना।

सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य बौद्ध धर्म में सभी के लिए अनिवार्य था, जबकि शेष पाँच बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे।

बौद्ध धर्म में दुःख के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 चक्र हैं, जिसे द्वादश निदान कहा गया है, जो निम्नलिखित हैं—

1. अविद्या,
2. संस्कार,

3. विज्ञान (चैतन्य),
4. नामरूप,
5. षडायतन (पाँच इंद्रियों तथा मन का समूह),
6. स्पर्श,
7. वेदना,
8. तृष्णा,
9. उपादान (सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा),
10. भव (शरीर धारण करने की इच्छा),
11. जाति (शरीर धारण करना),
12. जरा-रण।

बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता है। कर्मफल के सिद्धांत को मानता है अर्थात् कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति जीवन रहते संभव है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है।

गौतम बुद्ध के बाद अशोक, कनिष्क, हर्षवर्द्धन एवं पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, प्रचार-प्रसार किया। इस धर्म का केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान, मध्य एशिया आदि में प्रसार हुआ। भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. बौद्ध धर्म का सरल एवं जनवादी होना।
2. लोकप्रिय भाषा पाली का प्रयोग।
3. मध्यममार्गी धर्म।
4. राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, जैसे—बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक आदि ने हीनयान शाखा को संरक्षण दिया, जबकि कनिष्क, हर्षवर्द्धन, पाल शासक आदि ने महायान शाखा को संरक्षण दिया।
5. बौद्ध शिक्षण संस्थानों का योगदान, जैसे—नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि बौद्ध शिक्षण संस्थानों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
6. उग्र प्रतिस्पर्धा वाले संप्रदाय का अभाव।
7. बौद्ध धर्म ने समानता एवं स्वतंत्रता की भावना पर बल दिया।

लेकिन तीसरी से चौथी सदी आते-आते बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण इस समय बौद्ध मठों में फैला हुआ भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन था।

बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

1. बौद्ध मठों में फैला हुआ भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन।
2. विदेशी आक्रमण जैसे बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया गया।
3. राज्याश्रय का अभाव।
4. हिंदू धर्म का पुनरुत्थान।
5. हिंदू धर्म में समन्वय एवं एकीकरण की शक्ति।

बौद्ध संगीति

483 ई.पू. में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय सुभद्र नामक भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। उसकी बातों से गौतम बुद्ध के अनुयायियों में बौद्ध धर्म में विभाजन का खतरा मँडराने लगा। अतः इसे रोकने के लिए बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चार बौद्ध संगीति आयोजित की गई।

संगीति : प्रथम

वर्ष : 483 ई.पू.

स्थान : राजगृह की सप्तपर्णी गुफा

अध्यक्ष : महाकश्यप

शासक : अजातशत्रु

प्रमुख कार्य : सुत एवं विनयपिटक का संकलन

संगीति : द्वितीय

वर्ष : 383 ई.पू.

स्थान : वैशाली

अध्यक्ष : सर्वकामी

शासक : कालाशोक

प्रमुख कार्य : स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन

संगीति : तृतीय

वर्ष : 249 ई.पू.

स्थान : पाटलिपुत्र

अध्यक्ष : मोगलिपुत्ततिस्सु

शासक : अशोक

प्रमुख कार्य : अभिधम्मपिटक का संकलन

संगीति : चतुर्थ

वर्ष : 95 ई.

स्थान : कुंडलवन (कश्मीर)

अध्यक्ष : वसुमित्र, उपाध्यक्ष-अश्वघोष

शासक : कनिष्क

प्रमुख कार्य : हीनयान एवं महायान में विभाजन

बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को काफी प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की प्रमुख देन निम्नलिखित हैं—

1. बौद्ध धर्म ने भारतीय जीवन पद्धति को सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय धर्म प्रदान किया।
2. बौद्ध धर्म से ऊँचे नैतिक आदर्श का आगमन हुआ।
3. संघ व्यवस्था की शुरुआत हुई। संघ व्यवस्था गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी।
4. नवीन दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ।
5. मूर्तिपूजा का प्रारंभ हुआ।
6. लोक-साहित्य का विकास हुआ।
7. भारतीय कला में स्तूप, चैत्य आदि का विकास हुआ।

बौद्ध साहित्य

बौद्ध साहित्य को 'त्रिपिटक ग्रंथ' कहा जाता है। इसकी भाषा पाली है। यह 'त्रिपिटक', 'सुत्तपिटक', 'विनयपिटक', 'अभिधम्मपिटक' के नाम से जाना जाता है।

सुत्तपिटक—सुत्तपिटक में गौतम बुद्ध के शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित हैं। इसका संकलन आनंद द्वारा किया गया है। सुत्तपिटक के पाँच भाग हैं—

1. दीघ निकाय—इसमें बुद्ध के उपदेश, महापरिनिर्वाण सुत्त एवं आष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। बुद्ध घोष ने दीघ निकाय पर 'सुमंगलवासिनी' एवं 'सामंतपासादिका' नामक टीका लिखी है।
2. मज्झिम निकाय
3. अंगुत्तर निकाय—इसमें पहली बार सोलह महाजनपदों का वर्णन हुआ है।
4. संयुक्त निकाय
5. खुद्दक निकाय—इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है।

विनयपिटक—इसमें बौद्ध धर्म का नियम है। इसका संकलन उपाली द्वारा किया गया है। इसके तीन भाग हैं—

1. सुत विभाग,
2. खंडक,
3. परिवार।

अभिधम्मपिटक—इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। इसका संकलन मोगलिपुत्त तिस्स द्वारा किया गया है। इसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग कथावस्तु है।

अन्य प्रमुख ग्रंथ

बौद्ध साहित्य : जातक कथाएँ

लेखक : —

विवरण : इसकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है।

बौद्ध साहित्य : मिलिंदपन्हो

लेखक : नागसेन

विवरण : बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्तालाप है।

बौद्ध साहित्य : भाषा-पाली

लेखक : —

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : विशुद्धि मग्ग

लेखक : बुद्ध घोष

विवरण : बौद्ध धर्म का दार्शनिक निचोड़ है।

बौद्ध साहित्य : निदान काठा

लेखक : बुद्ध घोष

विवरण : यह पाली भाषा में गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है।

बौद्ध साहित्य : अट्ठ कथाएँ

लेखक : —

विवरण : त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य।

बौद्ध साहित्य : अभिधम्मकोष

लेखक : वसुबंधु

विवरण : इससे काल गणना एवं साल गणना की जानकारी मिलती है।

बौद्ध साहित्य : सुदर्भ पुंडरिक

लेखक : वसुबंधु

विवरण : यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात् स्वर्ग में बैठनेवाला कहा गया है।

बौद्ध साहित्य : प्रज्ञा पारमिता

लेखक : नागार्जुन

विवरण : इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है।

बौद्ध साहित्य : अकुतोमाया

लेखक : नागार्जुन

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : ललित विस्तार

लेखक : वसुमित्र

विवरण : इसे 'लाइट ऑफ एशिया' कहते हैं।

बौद्ध साहित्य : विभाषा सूत्र

लेखक : वसुमित्र

विवरण : कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित रचना है।

बौद्ध साहित्य : सौंदरानंद

लेखक : अश्वघोष

विवरण : इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है।

बौद्ध साहित्य : बुद्ध चरित्र

लेखक : अश्वघोष

विवरण : इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं।

बौद्ध साहित्य : दीपवंश

लेखक : —

विवरण : श्रीलंका का बौद्ध साहित्य इतिहास है।

बौद्ध साहित्य : महावंश

लेखक : भदंत महानामा

विवरण : इसमें अशोक को उज्जैन के वायसराय एवं उसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने की जानकारी

मिलती है। इस पर 'वंशपथ काशिनी' नामक टीका लिखी गई है।

बौद्ध साहित्य : दिव्यावदान

लेखक : —

विवरण : नेपाली साहित्य, जिसके दो भाग अशोकावदान और कुणालावदान हैं।

बौद्ध संप्रदाय

द्वितीय बौद्ध संगीति (383 ई.पू.) में बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास रखनेवाले बौद्ध भिक्षुओं को, जिन्हें स्थविर अथवा थेरावादी अथवा हीनसंघिक कहा गया, उन लोगों ने मतभेद रखनेवालों को बौद्ध संघ से बाहर कर दिया। बाहर होनेवाले अथवा परिवर्तन चाहनेवाले बौद्ध भिक्षुओं को महासंघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया। स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक महाकव्यायन था, जबकि महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक महाकश्यप था।

तृतीय बौद्ध संगीति, जो 249 ई.पू. में आयोजित किया गया था, के बाद स्थविर धीरे-धीरे भारत से समाप्त हो गए और उसके स्थान पर श्रावस्तिवाद या वैभाषिक संप्रदाय का विकास हुआ।

चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान मूलतः स्थविरवादियों का संघ था, जबकि महायान महासंघिकों का संघ था। हीनयान वह संप्रदाय है, जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है, जैसे—चार आर्य सत्य, आष्टांगिक मार्ग, दस शील आदि। इस संप्रदाय का आदर्श 'अहर्त' है। अहर्त वह है, जो केवल अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और मूर्तिपूजा का विरोध करते हैं।

महायान संप्रदाय बुद्ध के मूल विचारों में परिवर्तन की बात करता है। महायान में ही बुद्ध को देवता माना गया है तथा मूर्तिपूजा प्रारंभ हुई। महायानी साहित्य की भाषा संस्कृत है। महायान में सर्वमुक्ति की बात कही गई है अर्थात् बुद्ध को बोधिसत्त्व कहा गया है।

बौद्ध संघ

बुद्ध ने सारनाथ में अपने पाँच शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी अनिवार्य थी। कोई भी व्यक्ति माता-पिता की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। निम्न व्यक्तियों का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था—

1. 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
2. चोर,
3. हत्यारा,
4. ऋणी,
5. राजा का सेवक,
6. सैनिक,
7. रोगी।

जैन धर्म

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर की ऐतिहासिकता प्रमाणित है।

जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। विजय प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को जैन धर्म में वीतराग कहा गया है। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, जिनके प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर की ऐतिहासिकता प्रमाणित है। इनके पहले के 22 तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह-त्याग किया था। 83 दिन की तपस्या के बाद संवेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद की आलोचना की। इनके अनुयायी निर्ग्रंथी कहलाते थे। निर्ग्रंथी का अर्थ है—बंधन से मुक्त होना। इनके प्रमुख शिष्य केशी थे। इन्होंने चार मूल शिक्षा दीं, जो निम्नलिखित हैं—

1. सत्य,
2. अहिंसा,
3. अस्तेय (चोरी नहीं करना),
4. अपरिग्रह (धन जमा नहीं करना)।

24वें तीर्थंकर महावीर के माता-पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ई.पू. में हुआ था। इनका माता त्रिशला (विदेहदत्ता) लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञातृ कुल के क्षत्रिय थे। महावीर का विवाह कुंडियन गोत्र की यशोदा से हुआ था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ई.पू. में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्द्धमान था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्द्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह-त्याग किया था। गृह त्याग के 13 माह बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर जूँभिका ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान-प्राप्ति के बाद महावीर कैवल्य कहलाए। कैवल्य का अर्थ होता है—सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करनेवाला। इनके अनुयायी जैनी कहलाते हैं तथा इनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम थे। ज्ञान-प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। उनका प्रथम शिष्य जमाली बना। इनके समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्योतसेन आदि इनके अनुयायी थे।

महावीर जैन की शिक्षा

जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है, जिसे तीन जौहर भी कहा जाता है। त्रिरत्न के सिद्धांत में शामिल हैं

1. सम्यक् कर्म या व्यायाम,
2. सम्यक् ज्ञान,
3. सम्यक् विश्वास।

इन तीनों में सर्वाधिक बल सम्यक् कर्म पर दिया गया है। जैन धर्म भी अनीश्वरवादी धर्म है। यह आत्मा और

पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए पंच महाव्रत बताया गया है। ये पंच महाव्रत हैं—

1. सत्य,
2. अहिंसा,
3. अस्तेय,
4. अपरिग्रह,
5. ब्रह्मचर्य।

इनमें प्रथम चार के बारे में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताया, जबकि ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा। जैन मुनियों के लिए पंच महाव्रत का पालन करने के कठोर नियम बताए गए हैं, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए इसे उदार बनाया गया है, जिसे अनुव्रत कहते हैं।

पंच महाव्रत एवं अनुव्रतों के अतिरिक्त तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत के पालन एवं अनुकरण पर भी जैन धर्म में महत्त्व प्रदान किया गया है।

तीन अनुव्रत

1. प्रत्येक गृहस्थ को सुविधानुसार कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।
2. केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करना चाहिए।
3. भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

चार शिक्षाव्रत

1. देशविरति—किसी देश-प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत।
2. सामयिक व्रत—दिन में चार बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना।
3. प्रोपोद्योपवास—उपवास व्रत करना।
4. वैयावृत्य—दान, पूजा आदि करना।

जैन धर्म में कायाक्लेश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपवास द्वारा देह-त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे संलेखनापद्धति (संथारा) एवं निसिद्धी कहा जाता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला (मैसूर) में इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे।

जैन दर्शन

जैन धर्म आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन और जैन धर्म में निकट संबंध है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन देवता का स्थान जिन/महावीर से नीचे रखा गया है। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बँटा हुआ है। प्रत्येक चक्र की दो अवधियाँ उत्सर्पिणी अर्थात् विकास की अवधि तथा अवसर्पिणी अर्थात् हस की अवधि हैं। इस धर्म में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। यह संसार जीव और अजीव से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्त्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्त्व है।

जैन धर्म में पाँच प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है—

1. मति अर्थात् इंद्रियजनित ज्ञान।

2. श्रुति अर्थात् सुनकर अर्जित ज्ञान।
3. अवधि अर्थात् दिव्य ज्ञान।
4. मनःपर्याय अर्थात् दूसरों की मन की बात जाननेवाला ज्ञान।
5. कैवल्य अर्थात् पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति।

जैन धर्म में अनेकांतवाद तथा स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है। स्यादवाद को 'सप्तभंगिनय' भी कहते हैं। जैनियों ने परम तत्त्व की व्याख्या के लिए 'सप्तभंग' न्याय की कल्पना की है। दार्शनिकवाद की दृष्टि से इसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद का अर्थ है—संभवतः। स्यादवाद के सात अंग निम्नलिखित हैं—

1. स्याद अस्ति—शायद है।
2. स्याद नास्ति—शायद नहीं है।
3. स्याद अस्ति च नास्ति—वस्तु शायद है और नहीं भी है।
4. स्याद अवक्तव्यम्—कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
5. स्याद अस्ति अवक्तव्यम्—शायद है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है।
6. स्याद नास्ति अवक्तव्यम्—शायद नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता है।
7. स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम्—शायद है, नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता है।

जैन धर्म में कर्म और बंधन की व्याख्या की गई है। इसमें आठ प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म का जीव को पकड़ लेना ही बंधन है। ज्ञान के द्वारा इन आठों प्रकार के कर्मों का नाश किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कर्म योग जगत् और भोगायतन शरीर के कारण उत्पन्न होता है। जैन धर्म के अनुसार, शरीर अथवा जीव स्वभाव से मुक्त है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव कर्म-बंधन में फँस जाता है। जीव के साथ कर्म का संयोग और वियोग की पाँच अवस्थाएँ बताई गई हैं। जैन धर्म में पाँच अवस्था को पदार्थ कहा गया है, जो निम्न हैं—

1. आस्तव—कर्म का जीव की ओर बहाव।
2. बंधन—कर्म जीव में घुसकर जीव को जकड़ लेता है।
3. संबन्ध—इसमें कर्म का जीव की ओर बहाव के मार्ग को अवरुद्ध किया गया, जिससे अब कर्म जीव में न घुस सके।
4. निर्जरा—इसमें ज्ञान के द्वारा जीव में घुसे हुए कर्म का नाश कर देते हैं।
5. मोक्ष—जब कर्म का अंतिम रूप से नाश हो जाता है, तब जीव सर्वज्ञ एवं सर्वत्र रूप से चमकने लगता है तथा प्रकाशमान हो जाता है। इस अवस्था को मोक्ष या कैवल्य कहते हैं।

जैन संगीति

संगीति : प्रथम

वर्ष : 322-298 ई.पू.

स्थान : पाटलिपुत्र

अध्यक्ष : स्थूलभद्र

शासक : चंद्रगुप्त मौर्य

प्रमुख कार्य : 12 अंगों का संकलन तथा श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजन

संगीति : द्वितीय

वर्ष : 512 ई.

स्थान : वल्लभी

अध्यक्ष : देवार्थिकमाश्रवण

शासक : —

प्रमुख कार्य : जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया।

जैन साहित्य

जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। इसकी भाषा प्राकृत है। कुछ जैन साहित्य की रचना मागधी एवं अर्द्धमागधी भाषा में भी की गई है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत आनेवाले मुख्य साहित्य निम्न हैं—

1. चौदह पूर्वास—यह दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य है।

2. बारह अंग—इसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी। इसके प्रमुख अंग हैं—

• अचरांग सूत्र—इसके अंतर्गत जैन भिक्षुओं के पालन से संबंधित नियम संकलित हैं।

• भगवती सूत्र—इसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है एवं जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भी है। भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन है।

• उत्तराध्ययन सूत्र—इसमें इंद्रभूति गोतम तथा केसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है। इससे ही जैनमत का विकास हुआ है।

3. कल्पसूत्र—इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें 11 गणधरों की चर्चा है। गणधर वह है, जो महावीर के समकक्ष है। जैन धर्म में गणधर का वही स्थान है, जो बौद्ध धर्म में आनंद का है।

4. परिशिष्टिपर्वण—इसकी रचना हेमचंद्र द्वारा की गई है। हेमचंद्र गुजरात में चालुक्य वंश के दरबार में रहनेवाला विद्वान् था। 1200 ई. में हेमचंद्र भद्रबाहु के समकक्ष एवं भद्रबाहु के बाद जैन धर्म का सबसे बड़ा विद्वान् था। परिशिष्टिपर्वण जैन धर्म का लघु इतिहास है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला (मैसूर) पहुँचा, जहाँ अन्न त्यागने से उसकी मृत्यु हो गई।

चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला (मैसूर) पहुँचा, जहाँ अन्न त्यागने से उसकी मृत्यु हो गई।

5. अवसादगाओ—इसमें जैन धर्म में शामिल होनेवाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है।

जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय

1. श्वेतांबर—मगध साम्राज्य में अकाल के दौरान स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे और

उन्होंने श्वेतवस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। श्वेतांबर जैनियों को यति, साधु तथा आचार्य कहा जाता है। ये नियमों का पालन करने में उदार होते हैं। श्वेतांबर अनुयायी भोजन को आवश्यक समझते हैं तथा इनका मानना है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी थी।

2. दिगंबर—चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए और ये वस्त्र त्याग दिए। दिगंबर अनुयायी नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। इनके लिए दिशा और आसमान ही इनका वस्त्र है (दिक् + अंबर)। दिगंबर जैनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रथ कहा जाता था। दिगंबर मानते थे कि ज्ञान-प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। ये महावीर को अविवाहित मानते थे।

कालांतर में श्वेतांबर और दिगंबर भी अनेक उप-संप्रदायों में विभाजित हो गए—

1. श्वेतांबर के उप-संप्रदाय—पुजेरा या डेरावासी एवं दूढिया या स्थानकवासी।

2. दिगंबर के उप-संप्रदाय—बीसापंथी, थेरापंथी तथा समैयापंथी या तारणपंथी।

पुजेरा मंदिरमार्गी तथा जैन तीर्थकरों की पूजा करते हैं, जबकि दूढिया या स्थानकवासी केवल सिद्धांतों को मानते हैं। बीसापंथी तथा थेरापंथी जैन तीर्थकरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जबकि तारणपंथी मूर्तिपूजक नहीं हैं।

बौद्ध एवं जैन संप्रदाय के अतिरिक्त छठी सदी ई.पू. में स्थापित होनेवाले अन्य नास्तिक संप्रदाय निम्नलिखित थे

1. अक्रियावादी संप्रदाय—इसके संस्थापक पूरणकश्यप थे। इस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है।

2. आजीवक संप्रदाय—इसके संस्थापक मकखली गोसाल थे। यह धार्मिक लोगों का एक समूह था। मौर्य शासक बिंदुसार, अशोक एवं अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था।

3. भौतिकवादी संप्रदाय—इस संप्रदाय के संस्थापक अजित केशकंबली थे। इसे लोकायत संप्रदाय भी कहते हैं। इसी ने चार्वाक दर्शन का विकास किया था। चार्वाक का अर्थ होता है—सुंदर बोलनेवाले लोगों का समूह। चार्वाक दर्शन के अनुसार वेद की रचना झूठे, मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी। यह ईश्वर एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में केवल अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है। इस संप्रदाय का प्रसिद्ध वाक्य है—यावज्जीवत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मी भूतस्य कर्तारौ भण्डधूर्तनिशाचराः॥ अर्थात् मनुष्य जब तक जीवित रहे, तब तक सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए अर्थात् सुख भोग के लिए जो भी उपाय करना पड़े, करे।

4. अनिश्चयवादी संप्रदाय—इसके संस्थापक संजय वेठलीपुत्र थे। इसके अनुसार किसी प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह संदेहवादी संप्रदाय है।

बिहार का राजनैतिक इतिहास

भारत के राजनैतिक इतिहास का निर्धारण सर्वप्रथम पॉर्जिटर द्वारा करने का प्रयास किया गया है। ऋग्वैदिक काल में प्रजा आश्रित 'जन' शब्द का प्रयोग राजनीतिक इकाई के रूप में मिलता है। उत्तर-वैदिक काल में क्षेत्र-आश्रित जनपद शब्द का प्रयोग होने लगा। 600 ई.पू. के आसपास कई जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण हुआ। बौद्धकाल में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों की प्रथम जानकारी बौद्ध साहित्य 'अंगुत्तर निकाय' और जैन साहित्य 'भगवती सूत्र' से मिलती है। 16 महाजनपद निम्न थे—

क्रमांक : 1

महाजनपद : काशी

राजधानी : वाराणसी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 2

महाजनपद : कोसल

राजधानी : अयोध्या एवं श्रावस्ती

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 3

महाजनपद : अंग

राजधानी : चंपा

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 4

महाजनपद : मगध

राजधानी : राजगृह या गिरिक्रज

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 5

महाजनपद : वज्जि

राजधानी : वैशाली

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 6

महाजनपद : मल्ल

राजधानी : उत्तरी मल्ल—कुशीनगर

दक्षिणी मल्ल—पावापुरी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश एवं बिहार

क्रमांक : 7

महाजनपद : चेदि

राजधानी : शक्तिमती

वर्तमान स्थिति : पंजाब

क्रमांक : 8

महाजनपद : वत्स

राजधानी : कौशांबी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 9

महाजनपद : पुरु

राजधानी : इंद्रप्रस्थ

वर्तमान स्थिति : हरियाणा

क्रमांक : 10

महाजनपद : पांचाल

राजधानी : उत्तरी पांचाल-अहिच्छत्र

दक्षिणी पांचाल-कापिल्य

वर्तमान स्थिति : पंजाब

क्रमांक : 11

महाजनपद : मत्स्य

राजधानी : विराट नगर

वर्तमान स्थिति : राजस्थान

क्रमांक : 12

महाजनपद : शूरसेन

राजधानी : मथुरा

वर्तमान स्थिति : पश्चिमी उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 13

महाजनपद : अश्मक

राजधानी : पाटन/पोतन

वर्तमान स्थिति : आंध्र प्रदेश

क्रमांक : 14

महाजनपद : अवन्ति

राजधानी : उत्तरी अवन्ति—उज्जैन

दक्षिणी अवन्ति—माहिष्मती

वर्तमान स्थिति : मध्य प्रदेश

क्रमांक : 15

महाजनपद : गांधार

राजधानी : तक्षशिला

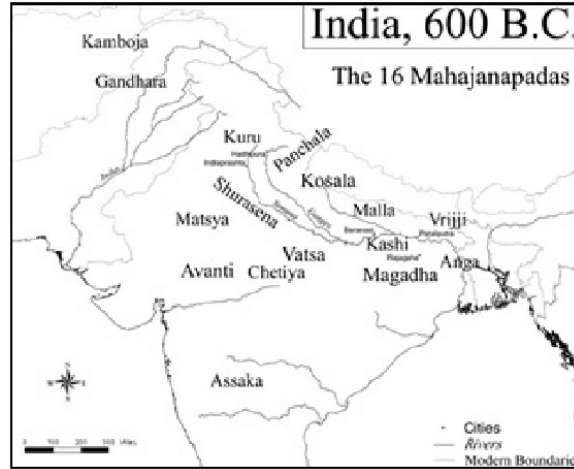
वर्तमान स्थिति : अफगानिस्तान

क्रमांक : 16

महाजनपद : कंबोज

राजधानी : हाटक

वर्तमान स्थिति : अफगानिस्तान



वज्जि संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद गांधार और कंबोज अफगानिस्तान में स्थित थे, लेकिन गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध, अंग एवं वज्जि बिहार में स्थित थे। अंग, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, की राजधानी वर्तमान भागलपुर के निकट चंपा में थी। पाणिनिरचित 'अष्टाध्यायी' में अंग को वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि भी कहा गया है। अंग महाजनपद बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था। इस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। महाभारत एवं पुराण के अनुसार राजा बलि के छह पुत्रों में से एक अंग ने अंग महाजनपद की स्थापना की। इन्हीं स्रोतों के अनुसार पृथुलाक्ष के पुत्र चंप के नाम पर चंपा नगर की स्थापना हुई, जो बाद में अंग की राजधानी बनी। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने जब मगध के शासक बिंबिसार के पिता भत्ति को पराजित किया, तब बिंबिसार ने क्रोधित होकर अंग पर आक्रमण कर दिया और छोटानागपुर क्षेत्र के शासक नागराज की सहायता से ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। अंग पर अधिकार करने के बाद बिंबिसार ने एक ब्राह्मण शोणदंड को चंपा का जागीरदार नियुक्त किया। इस तरह ब्रह्मदत्त अंग महाजनपद का अंतिम शासक था। मगध के शासक अजातशत्रु के समय अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया। 16 महाजनपदों में 5 महाजनपद अपनी भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण शक्तिशाली होकर उभरे। 5 महाजनपद निम्नलिखित शासकों के अधीन शक्तिशाली होकर उभरे थे—

1. हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य।
2. इक्ष्वाकु वंश के प्रसेनजित् के नेतृत्व में कोसल।
3. पोरव वंश के उदयन के नेतृत्व में वत्स।
4. प्रद्योतसेन के नेतृत्व में अवन्ति।
5. आठ संघों का गणराज्य वज्जि।

वज्जि महाजनपद की स्थापना 725 ई. पू. के आसपास हुई थी। यह आठ राज्यों का एक संघ था। इस संघ में शामिल राज्य निम्नलिखित थे—लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जि, उग्र, भोग, कौरव एवं इक्ष्वाकु। इसमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक की कुंडग्राम तथा वज्जि का कोल्लाग थी।

संपूर्ण वज्जि संघ की राजधानी वैशाली थी। इन आठ राज्यों में लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य था। अतः वज्जि

संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था।

मगध के शासक बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेल्लना के साथ विवाह किया था, जिसके कारण मगध और लिच्छवी संघ में बिंबिसार के समय मित्रता स्थापित हुई, लेकिन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के विरुद्ध वज्जियों ने मल्लों एवं कोसल के गणराज्यों के साथ मिलकर एक महासंघ का निर्माण किया था, जिस महासंघ में लिच्छवी के नौ गणराज्य, मल्ल के नौ गणराज्य तथा काशी एवं कोसल के 18 गणराज्य शामिल हुए थे। बौद्ध विद्वान बुध घोष के अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था, जिसके तहत राजा का चुनाव होता था। वज्जि संघ के शासन को चलाने के लिए 7707 राजा होते थे। राजा के साथ-साथ उप-राजा, सेनापति एवं भंडागारी का भी चुनाव होता था। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संस्थागार नामक भवन में होता था। लिच्छवी राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी, जो गणराज्य की सर्वोच्च सभा थी।

संस्था के अतिरिक्त अष्टकुल नामक एक संस्था थी, जिसमें वज्जि संघ के सभी आठ गणराज्यों का प्रतिनिधि होता था, जो न्याय महासमिति का कार्य करता था। ग्राम एवं नगर प्रशासन की देख-रेख के लिए गमगामीणि एवं पूर्णगामिक की नियुक्ति होती थी। गमगामीणि गाँव का मुखिया होता था, पूर्णगामिक औद्योगिक उत्पादन इकाइयों का प्रधान था। गौतम बुद्ध ने वज्जियों की गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा था कि जब तक वज्जि संघ के लोग अपने सात आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। वज्जि संघ की बैठकों की अध्यक्षता गणप्रमुख करता था तथा बैठकों में गणपूर्ति अनिवार्य थी। गणपूर्ति की संख्या 20 निर्धारित थी। वज्जि संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था। मत-पत्र प्रत्येक सदस्य को दिया जाता था, जो लकड़ी की बना होता था एवं अलग-अलग रंगों का होता था।

बिंबिसार, उदयन, प्रद्योतसेन और प्रसेनजित, चारों छठी शताब्दी ई.पू. के उत्तरार्ध में हुए। ये सभी बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे। इन पाँचों के बीच आपसी वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः मगध विजयी हुआ।

मगध साम्राज्य का उदय

मगध शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग है, जिसमें मूलरूप से मटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद के क्षेत्र स्थित हैं। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु राजगृह एवं पाटलिपुत्र था। अपनी भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक संसाधनों की संपन्नता के कारण अन्य महाजनपदों पर मगध श्रेष्ठता स्थापित करने में सफल रहा।

मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण

- 1. भौगोलिक स्थिति**—मगध की राजधानी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी। अतः यह बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। मगध से गंगा और सोन नदी गुजरती थी, जिससे जल यातायात की सुविधा थी। गंगा की दक्षिणी घाटी अधिक उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए उत्तम थी।
- 2. खनिज पदार्थों की उपलब्धता**—मगध के दक्षिणी भाग में लोहा, ताँबा तथा वन संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। लोहे की उपलब्धता के कारण उत्तम हथियार बनाने में सहायता मिली तथा कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई।
- 3. अन्य गणराज्यों का पतन**—मगध क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ, जिसका समर्थन इस क्षेत्र के

शासकों ने किया। बौद्ध एवं जैन धर्म के समर्थन के कारण उस क्षेत्र की जनता द्वारा शासकों को बड़े पैमाने पर सहयोग प्रदान किया गया।

वृहद्रथ वंश

यद्यपि मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश है, जिसके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, लेकिन पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। इसके पिता का नाम चेदिराज वसु था। इसकी राजधानी वसुमती या गिरित्रज या कुशाग्रपुर थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जरासंध हुआ। महाभारत में जरासंध एवं भीम के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है। एक मान्यता के अनुसार राजगृह की चट्टानों में इस युद्ध का पद-चिह्न आज भी दिखाई देता है। इसने काशी, कोसल, चेदि, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को भी पराजित किया। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया। बाद में एक दरबारी महीय ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया।

जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया।

हर्यक वंश

मगध एवं बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य को माना जाता है, जिसका संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक है।

काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित् के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजित् पराजित हुआ और उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली।

बिंबिसार (544-492 ई.पू.)—बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तथा इसके नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। राजगृह का नियोजन वास्तुकार महागोविंद ने किया था। बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए तीन प्रकार की नीतियाँ अपनाई—

1. **वैवाहिक संबंध की नीति**—इसने मगध साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत कोसल के राजा प्रसेनजित् की बहन कोशला देवी से विवाह करके दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना (चेतक की पुत्री) के साथ तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया।

2. **मैत्री की नीति**—बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मैत्री की नीति अपनाई। उसने अवन्ति शासक प्रद्योतसेन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया तथा उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा।

3. **विजय की नीति**—बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने लृपुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। इतिहास में बिंबिसार को ऐसा प्रथम शासक माना जाता है, जिसने स्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया। 493 ई.पू. में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना।

अजातशत्रु—493-461 ई.पू.

अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की भाँति साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसका उपनाम कुनिक था। इसके शासन काल में तीन महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिसके परिणाम अजातशत्रु के पक्ष में रहे।

कोसल के साथ संघर्ष—बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कोशल देवी की भी मृत्यु दुःख के कारण हो गई, जिससे प्रसेनजित् ने क्रोधित होकर मगध को दिए गए काशी के अनेक गाँवों पर पुनः अधिकार कर लिया। काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित् के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजित् पराजित हुआ और उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ, लेकिन प्रसेनजित् की पुत्री वाजिरा के साथ अजातशत्रु ने विवाह करके संघर्ष को समाप्त किया। अजातशत्रु के शासन काल में ही कोसल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया।

वज्जि संघ के साथ संघर्ष—कोसल विजय के बाद अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स के सहयोग से वज्जि संघ में फूट डाल दी। उसके बाद 16 वर्षीय युद्ध में इसने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने कंटक-शिला एवं गदा-मूसल जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। वज्जि से युद्ध करने लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अजातशत्रु ने एक सैनिक छावनी का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। अवंति नरेश प्रद्योत के द्वारा आक्रमण किए जाने की अशंका को ध्यान में रखकर अजातशत्रु ने राजगृह में सुरक्षा दुर्ग बनवाया, जो भारत में स्थापित निर्माण का प्राचीनतम उदाहरण है।

मल्ल के साथ संघर्ष—लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैवाहिक संबंध के द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया।

अजातशत्रु ने अपने शासन के दसवें वर्ष में गौतमबुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात् उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु से वैशाली की नगरवधू आम्रपाली प्रेम करती थी। इसके शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन उसकी हत्या कर स्वयं मगध साम्राज्य का शासक बना।

उदयन (461-444 ई.पू.)

उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में चंपा का राज्यपाल था। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता ग्रहण किया था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन जैन अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। अवंति के राजा पोलक ने उदयन की हत्या करा दी।

काशी के अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक को पुराण में 'दर्शक' भी कहा गया है।

शिशुनाग वंश (412-345 ई.पू.)

काशी का राज्यपाल शिशुनाग 412 ई.पू. में मगध का राजा बना। इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने वत्स, अवंति, कौशांबी पर विजय प्राप्त की। 394 ई.पू. में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र कालाशोक (काकर्ण) मगध की गद्दी पर बैठा। इसने मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक ही हुआ। इसके शासन काल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की 'द्वितीय संगीति' का आयोजन 383 ई.पू. में हुआ। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था।

नंद वंश (345-321 ई.पू.)

महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया तथा नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के समय मगध की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुँची। इस वंश के अधीन नंद एवं उसके आठ पुत्रों ने शासन किया। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक महापद्मनंद एवं घनानंद थे। महापद्मनंद को 'कलि का अंश', 'सर्वक्षत्रांतक', 'दूसरे परशुराम का अवतार', 'भार्गव', एकराट आदि कहा गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मनंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएँ गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर गईं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय-पताका फहरानेवाला पहला मगध का शासक महापद्मनंद ही हुआ। उसने उड़ीसा को जीता तथा वहाँ नहर बनवाई थी। इस विशाल साम्राज्य में एकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी।

वह उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था। महापद्मनंद के बाद मगध का अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिसके समय में, 326 ई.पू. में, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। 322 ई.पू. में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर नंदवंश को समाप्त किया। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे तथा शूद्र जाति से संबंधित थे।

मौर्य वंश (321-185 ई.पू.)

नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए।

शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक ही हुआ। इसके शासन काल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की 'द्वितीय संगीति' का आयोजन 383 ई.पू. में हुआ।

चंद्रगुप्त मौर्य—मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। 'ब्राह्मण ग्रंथ', 'विष्णु पुराण' तथा 'मुद्राराक्षस' के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, जबकि स्पूनर के अनुसार वह पारसीक था। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे मोरीय क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, आदि नामों से भी जाना जाता है।

कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिम के राज्य पंजाब एवं सिंध को विजित किया। इसके बाद मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात् सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। भारत विजय को ध्यान में रखते हुए काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा, जहाँ उसका सामना की सेना से हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ तथा उसने 303 ई.पू. चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा दहेज के रूप में उसने हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल को दिया। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहारस्वरूप प्रदान किए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामक पुस्तिका की रचना की।

चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। शासन के अंतिम वर्ष में वह अपना सिंहासन त्यागकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला (मैसूर) में चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चला गया, जहाँ उसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।

बिंदुसार (298-273 ई.पू.)

चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ई.पू. में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यूनानियों ने इसे अमित्रचेट्स या 'अमित्रघात' कहा है, जिसका अर्थ है—शत्रुओं का नाश करनेवाला। इसका एक अन्य नाम

सिंहसेन भी था।

सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामक पुस्तिका की रचना की।

बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। सीरिया के शासक एंटियोक प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत तथा मिस्र के शासक टॉल्मी द्वितीय फिलाडेलफस ने 'डायनोसियस' नामक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार अपने पिता की भाँति प्रशासन का कार्य करता था, उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया। प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने मंत्रिपरिषद् की स्थापना की तथा अनेक महामात्यों की नियुक्ति भी की। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया तथा 273 ई.पू. में उसकी मृत्यु हो गई।

अशोक (273-232 ई.पू.)

बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान् हुआ, जो 273 ई.पू. में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर सम्राट् बना, लेकिन इस विषय में मतभेद है। अशोक का अपने भाइयों के साथ संघर्ष हुआ, जो 4 वर्षों तक चला, क्योंकि अशोक 273 ई.पू. में शासक नियुक्त हुआ और 4 वर्ष बाद 269 ई.पू. में उसका राज्याभिषेक हुआ।

नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का गवर्नर था, जबकि श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह उज्जैन का गवर्नर था। अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा गया है। अशोक नाम का उल्लेख उसके चार अभिलेखों—मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम में मिलता है। भाब्रू अभिलेख में उसे 'प्रियदर्शी', जबकि मास्की में 'बुद्ध शाक्य' कहा गया है।

अशोक ने अपने जीवन में एकमात्र कलिंग युद्ध लड़ा, जिसकी जानकारी 13वें बृहत शिलालेख से मिलती है। यह युद्ध शासन के 8वें वर्ष 261 ई.पू. में लड़ा गया। इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपनाया एवं विश्व का प्रथम शांति प्रवर्तक बना। कौटिल्य के अनुसार, कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था, जबकि प्लिनी के अनुसार व्यापार-वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करने के उद्देश्य से कलिंग युद्ध लड़ा गया। कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कट्टर शैव था। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करनेवाला विद्वान् उपगुप्त या मोग्गलिपुत्रत्तिस्स था।

अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बाँटा था, जो निम्न थे—

क्रमांक : 1

प्रांत : उत्तरापथ

राजधानी : तक्षशिला

क्रमांक : 2

प्रांत : दक्षिणापथ

राजधानी : स्वर्णगिरि

क्रमांक : 3

प्रांत : अवन्ति

राजधानी : उज्जैन

क्रमांक : 4

प्रांत : कलिंग

राजधानी : तोसली

क्रमांक : 5

प्रांत : प्राची/पूर्वी राज्य

राजधानी : पाटलिपुत्र

संपूर्ण मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में ललितपाटन नामक नगर की स्थापना की। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, इस क्षेत्र में उर्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषाष्प द्वारा, रुद्रदमन ने सुविशाख द्वारा तथा स्कंदगुप्त ने चक्रपालित द्वारा कराई थी। तुषाष्प अशोक के समय अवन्ति का गवर्नर था, जो एक यूनानी था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कई भागों में बँट गया, जैसे—पूर्वी भाग अर्थात् बिहार, बंगाल, उत्तर-प्रदेश आदि। इस क्षेत्र का शासक देशरथ बना, जिसने इनकी राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखा। पश्चिमी भाग में राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रांत थे, जिसका शासक अशोक का एक अन्य पौत्र संप्रति बना। अशोक के बाद संप्रति को मौर्य वंश का श्रेष्ठ शासक कहा जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक जालौक बना। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या 185 ई.पू. में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई तथा शुंग वंश की स्थापना की गई।

अशोक का धम्म

धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अशोक की प्रसिद्धि उसकी विजय-यात्रा से नहीं, बल्कि उसकी धम्म नीति के कारण है। अशोक विश्व इतिहास में जनता के नैतिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करने के कारण महान् है। जिन सिद्धांतों के आधार पर नैतिक प्रयत्न संभव है, उन्हीं सिद्धांतों को अशोक के अभिलेखों में 'धम्म' कहा गया है।

अशोक के अनुसार, धम्म साधुता है, बहुत से अच्छे और कल्याणकारी कार्य करना है, पापरहित होना, दूसरों के साथ मधु व्यवहार करना, दान, दया, प्राणियों का वध न करना, माता-पिता और बड़ों का आदर करना, संबंधियों, मित्रों, दास एवं सेवक के साथ उत्तम व्यवहार करना आदि है। इसके साथ ही अशोक के धम्म में निषेधात्मक पक्ष भी है, जैसे—चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या आदि व्यक्ति के विकास में बाधक हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने प्रत्येक व्यक्ति को नित्य आत्म-परीक्षण पर बल देने को कहा। अशोक के अनुसार, मनुष्य

केवल अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है। यह कभी नहीं देखता है कि उसने क्या पाप किया? व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसके मनोवेग, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध एवं ईर्ष्या उसे पाप की ओर न ले जाएँ एवं उसका पथ भ्रष्ट न कर दें।

धम्म के उपर्युक्त सिद्धांतों के पालन करने पर इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है, जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी संप्रदायों में मान्य हैं। देश और काल की सीमा में बँधा नहीं है, किसी भी पंथ या संप्रदाय का कोई विरोध नहीं हो सकता है।

रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में उर्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषाष्प द्वारा, रुद्रदामन ने सुविशाख द्वारा तथा स्कंदगुप्त ने चक्रपालित द्वारा कराई थी।

अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का कार्य किया, लेकिन अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं है तथा वह अपनी जनता को धम्म के अनुसार कार्य करने को कहता है। इसका धम्म सर्वमान्य है, सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ संबंध की स्थापना करता है, बाह्य आडंबर का विरोध करता है तथा आंतरिक शुद्धता पर बल देता है।

अशोक के राज्यारोहण के समय उसे विशाल साम्राज्य मिला। 261 ई.पू. में उसकी सीमा में वृद्धि (कलिंग विजय) हुई। अतः इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इसके पास दो विकल्प थे—

सैन्यशक्ति द्वारा अर्थात् राजत्व में देवत्व का गुण भरके।

धम्म के आधार पर।

रोमिला थापर के अनुसार, अशोक का धम्म राजनीतिक-सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी। अशोक बौद्ध धर्म की अहिंसा नीति से प्रभावित हुआ। उसके समय में विविधतापूर्ण समाज था, जिसमें सामाजिक-राजनीतिक तथा धार्मिक असमानता थी। अतः अशोक इन परस्पर विरोधी तत्त्वों को आचरण और नैतिकता के आधार पर एक समान मंच पर लाना चाहता था, जिससे कि विरोध के स्वर दबे रहें। यह बात एक महान् शासक ही सोच सकता है, जिसे सभी परिस्थितियों का ज्ञान हो। इस प्रकार अशोक का धम्म उसके दिमाग का राजनीतिक आविष्कार हो सकता है, जिसके पीछे सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं का सावधानीपूर्वक समाधान करना है।

अशोक के अभिलेख—अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है—

शिलालेख

स्तंभलेख तथा

गुहालेख

शिलालेख

अशोक चतुर्दश शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख निम्नलिखित हैं—

1. गिरनार (काठियावाड़, गुजरात में जूनागढ़ के समीप) (ब्राह्मी लिपि में)
2. धौली (पुरी, उड़ीसा) (ब्राह्मी लिपि में)
3. जौगढ़ (गंजाम जिला, उड़ीसा) (ब्राह्मी लिपि में)

4. कालसी (देहरादून) (ब्राह्मी लिपि में)
5. येरगुड़ी (कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश) (ब्राह्मी लिपि में)
6. सोपारा (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) (ब्राह्मी लिपि में)
7. शाहबाजगढ़ी (पेशावर, पाकिस्तान) (खरोष्ठी लिपि में)
8. मानसेहरा (हजारा, पश्चिमी पाकिस्तान) (खरोष्ठी लिपि में)

लघु शिलालेख

ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं—

1. सासाराम (बिहार),
2. रूपनाथ (जबलपुर, मध्य प्रदेश),
3. गुर्जरा (दतिया, मध्य प्रदेश),
4. भबूर (वैराट) (जयपुर, राजस्थान),
5. मास्की (रायचूर, कर्नाटक),
6. ब्रह्मगिरि (चित्तलदुर्ग, कर्नाटक),
7. सिद्धपुर (ब्रह्मगिरि),
8. जटिगरामेश्वर (ब्रह्मगिरि),
9. येरगुड़ी (कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश),
10. गवीमठ (मैसूर),
11. पालकीगुंडू (रायचूर, कर्नाटक),
12. राजूल मंडगिरि (कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश),
13. अहरौरा (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश)।

स्तंभलेख

अशोक के बड़े स्तंभलेखों की संख्या-7 है, जो मुख्य रूप से छह भिन्न-भिन्न स्थानों में पाए गए हैं।

1. दिल्ली-टोपरा स्तंभलेख—यह स्तंभलेख अंबाला (हरियाणा) और सिसवा (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त हुआ है, जिसे फिरोजशाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया।
2. दिल्ली-मेरठ स्तंभलेख—यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोजशाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया।
3. लौरिया अरेराज स्तंभलेख—यह स्तंभलेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया अरेराज में स्थित है।
4. लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख—यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है।
5. रामपुरवा स्तंभलेख—यह स्तंभलेख पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है।
6. प्रयाग स्तंभलेख—यह पहले कौशांबी में स्थित था, जिसे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया है।

लघु स्तंभलेख

अशोक की राजकीय घोषणाएँ जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें साधारण तौर लघु स्तंभलेख कहा जाता है।

ये निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं—

1. सारनाथ—वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

2. कौशांबी—इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

3. साँची—रायसेन जिला, मध्य प्रदेश।

4. रूमिनदेई—नेपाल की तराई में परारिया ग्राम के समीप।

5. निगलीगाँव—निगलीगाँव सागर नामक बड़े सरोवर के तट पर नेपाल की तराई में रूमिनदेई से लगभग 13 किमी. पश्चिमोत्तर में स्थित है।

अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख उसका सातवाँ लेख है तथा सबसे छोटा स्तंभलेख रूमिनदेई स्तंभलेख है। कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभलेखों में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रूमिनदेई स्तंभलेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्मयात्रा पर जाने का विवरण है तथा इसी स्तंभलेख में करधान की चर्चा की गई है। अभिषेक के बीसवें वर्ष में अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई और वहाँ का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया। 'सभी मनुष्य मेरी संतान हैं।' इस वाक्य का वर्णन धौली तथा जौगढ़ के अभिलेख में है। गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग-अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। कंधार अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों और मछुआरों ने जीव-हिंसा त्याग दी। कंधार के पास 'शारे-कुना' नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा आरमाइक लिपि में हैं। इलाहाबाद से प्राप्त स्तंभलेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं। अशोक साँची, सारनाथ और कौशांबी के अपने लघु स्तंभलेखों में अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। भ्रू शिलालेख एकमात्र अभिलेख है, जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है।

अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा थी, ब्राह्मी लिपि बाएँ से दाएँ और खरोष्ठी लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। परंतु अशोक के येरागुड़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएँ से बाएँ लिखी हुई है।

गुहा लेख

दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी की तीन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, जिनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।

अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख उसका सातवाँ लेख है तथा सबसे छोटा स्तंभलेख रूमिनदेई स्तंभलेख है। कौशांबी के लघु स्तंभलेख में अशोक अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है।

मौर्य प्रशासन

स्मिथ ने मौर्यों की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा है। मौर्यों का विशाल साम्राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से राष्ट्र कहलाता था। संपूर्ण राष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य-बिंदुसार के समय 4 राज्य या चक्र तथा अशोक के समय 5 राज्यों में विभाजित था। ये प्रांत थे—

1. उत्तरापथ—इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान तथा पंजाब सम्मिलित थे।

2. अवन्ति—इसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश सम्मिलित

थे।

3. दक्षिणापथ—इसकी राजधानी स्वर्णगिरि थी। इसके अंतर्गत दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश सम्मिलित थे।

4. प्राची—इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल का तराई क्षेत्र तथा बंगलादेश सम्मिलित थे।

5. कलिंग—इसकी राजधानी तोसाली थी। इसके अंतर्गत उड़ीसा क्षेत्र सम्मिलित था तथा सबसे छोटा राज्य था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य प्रशासन के अंगों को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है—

राष्ट्र → प्रांत → मंडल (कमिशनरी) → जनपद → स्थानिक (800 गाँव) → द्रोणमुख (400 गाँव) → खार्चटिक (200 गाँव) → संग्रहण (100 गाँव) → ग्राम (सबसे छोटी इकाई)।

ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को 'राष्ट्र' कहा जाता था, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को 'दुर्ग' कहा जाता था। दोनों प्रकार के राजस्व समाहर्ता जमाकर सीधे केंद्र के पास भेजता था।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में उच्चस्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों (विभाग) का उल्लेख मिलता है, जिनके अध्यक्ष को महामात्य कहा जाता था। 18 तीर्थों में मुख्य तीर्थ निम्नलिखित थे—

1. मंत्री,
2. पुरोहित,
3. सेनापति,
4. युवराज,
5. समाहर्ता

5. समाहर्ता—समाहर्ता का कार्य राजस्व एकत्रित करना तथा जिले में कानून व्यवस्था देखना था। जनपद का प्रधान समाहर्ता ही होता था, जो न्यायिक कार्यों को भी देखता था अर्थात् इसमें अर्द्धन्यायिक शक्ति भी थी, लेकिन मुख्य कार्य राजस्व संगृहीत करना था। इसके साथ ही समाहर्ता आय-व्यय का ब्योरा रखता था तथा वार्षिक बजट तैयार करता था। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को 'राष्ट्र' कहा जाता था, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को 'दुर्ग' कहा जाता था। दोनों प्रकार के राजस्व समाहर्ता जमा कर सीधे केंद्र के पास भेजता था। राजकीय स्वामित्ववाली भूमि को सीता कहा गया तथा सीता से प्राप्त आय को भी समाहर्ता जमा करता था। समाहर्ता जिले के पुलिस अधिकारी, राजकुल तथा नगर प्रशासनिक अधिकारी नगर व्यावहारिक के बीच समन्वय स्थापित करता था। समाहर्ता मौर्यकालीन प्रशासन का सबसे प्रमुख अधिकारी था, जिसकी नियुक्ति सीधे राजा के द्वारा की जाती थी।

6. सन्निधाता (कोषाध्यक्ष)—जिला समाहर्ता राजस्व को केंद्रीय समाहर्ता के पास भेजता था तथा वह इस आय को सन्निधाता के पास जमा करता था।

कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में 26 अध्यक्षों की चर्चा की है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. सीताध्यक्ष—राजकीय भूमि का अधिकारी।
2. पण्यध्यक्ष—कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक।
3. लोहाध्यक्ष—धातु नियंत्रक।
4. विविताध्यक्ष—चरागाह अधिकारी।
5. पौतवाध्यक्ष—बाट एवं तराजू अधिकारी।
6. रूप दर्शक—सिक्का निरीक्षक अधिकारी।

7. धम्म महामात्य—धम्म प्रसार एवं नैतिक उत्थान अधिकारी।
8. राजुक—क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक।
9. प्रतिवेदक—राजा का निजी सचिव।
10. लक्षणाध्यक्ष—टकसाल अधिकारी।
11. एग्रोनोमोई—जिले का अधिकारी।
12. एरिस्टोनोमोई—नगर का अधिकारी।

मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की 'इंडिका' में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की छह समितियों का विवरण है।

न्याय प्रणाली

मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे—

धर्मस्थीय (दीवानी न्यायालय)

कंटकशोधन (फौजदारी न्यायालय)

सम्राट् स्वयं न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। 'अर्थशास्त्र' का संपूर्ण चौथा अध्याय कंटकशोधन अदालत विषय पर लिखा गया है।

मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। गुप्तचरों को गूढ़पुरुष कहा गया है। कौटिल्य ने इसे राजा का चक्षु (आँख) कहा है। अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी—

संस्था, जो स्थायी थी।

संचारा, जो भ्रमणशील था।

मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत कृषि था। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में 'वार्ता' कहा गया है। कर की दर 1/6 भाग थी। जंगल, वस्त्र उद्योग आदि पर राज्य का अधिकार था। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी एवं पुंड्र रेशम उद्योग हेतु तथा बंग मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में रेशम चीन से मँगाई जाती थी। मौर्य काल में चाँदी की आहत मुद्राएँ प्रचलित थीं। इन पर मयूर, पर्वत और अर्द्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी। 'बलि' एक प्रकार का भूराजस्व था, जबकि 'हिरण्य' नमक कर था, जो नकद लिया जाता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5 प्रतिशत ब्याज 'रूपिका' और 'परीक्षण' के रूप में देना होता था। वणिक कर, नाव एवं पत्तन कर, चरागाहों व सड़कों पर कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को 'सष्ट्र' के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त होनेवाली आय 'सीता' कहलाती थी। भूस्वामी को 'क्षेत्रक' और काश्तकार को 'उपवास' कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना 'सेतुबंध' कहलाता था, जो सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। 'पिंड कर' पूरे गाँव से एक बार वसूल किया जाता था, जबकि 'विवित' कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात् बेगार को 'विष्टि' कहा जाता था। देशी वस्तुओं पर 4 प्रतिशत बिक्री कर तथा आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था।

मौर्य काल के समय चार प्रमुख सड़क मार्ग थे, जो निम्न हैं—

उत्तरापथ—राजगीर से पुष्पकलावती को जोड़ता था अर्थात् पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता था तथा यह सबसे व्यस्त सड़क मार्ग था।

हिमवन्त मार्ग—यह उत्तर में हिमालय की ओर जाता था।

पाटलिपुत्र से काशी-उज्जैन होते हुए पश्चिमी तट तक जानेवाला मार्ग।

पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ती या ताम्रलुक तक जानेवाला मार्ग।

**अर्थशास्त्र के अनुसार काशी एवं पुंड्र रेशम उद्योग हेतु तथा बंग मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था।
मौर्य काल में रेशम चीन से मँगायी जाती थी। मौर्य काल में चाँदी की आहत मुद्राएँ प्रचलित थीं।**

एक अन्य मार्ग काशी से प्रतिष्ठान होते हुए मैसूर तक जाता था। चाणक्य ने उत्तरी मार्गों की तुलना में दक्षिणी मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि दक्षिण से अधिक मूल्यवान वस्तुएँ, जैसे—धातु, कीमती लकड़ी, हाथीदाँत, सोना आदि मिलते थे।

मौर्य काल में व्यापार के दो प्रमुख साधन थे—

जलीय मार्ग और

स्थलीय मार्ग।

चाणक्य ने जलीय मार्ग को ज्यादा उपयोगी और सुरक्षित बताया है, क्योंकि इसमें चोरी का कम खतरा था। यद्यपि चोरी होने पर राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति करने का प्रबंध था। मौर्यों के लिए तक्षशिला विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र था।

मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह निम्न थे—

पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह—भरुकच्छ या भड़ौच, सोपारा, बरबरिकम, मुंजरिश आदि।

पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह—ताम्रलिप्ती।

व्यापार से संबंधित निम्न प्रकार के कर वसूले जाते थे—

शुल्क—चुंगी कर।

वर्तनी—सड़क कर।

गुल्मदेय—बटमार से रक्षा कर।

अतिवाहक—सवारी कर।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं

1. राजा,
2. अमात्य,
3. जनपद,
4. दुर्ग,
5. कोष,
6. दंड,
7. मित्र।

सैन्य प्रशासन—केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सैन्य विभाग था। प्लिनी के अनुसार, चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30 हजार घोड़सवार तथा 9 हजार रथ थे। इस विभाग के अंतर्गत कुल 30 सदस्य होते थे, जो 5-5 सदस्यों की छह समितियों में बँटे होते थे। सेनापति विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करनेवाला अधिकारी 'नायक' कहलाता था। 'नवाध्यक्ष' युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष होता था। स्थायी सेना को 'मौल', जंगली सेना को 'अटावी बल' तथा किराए की सेना को 'भृतक' कहा जाता था।

आयुधगाराध्यक्ष 'अस्त्र-शस्त्र' का रखरखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध करता था।

मौर्यों की राजकीय मुद्रा 'पण' थी। यह 3/4 तोले के बराबर चाँदी का सिक्का था। अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था।

सामाजिक एवं आर्थिक जीवन

कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में समाज के चारों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख किया गया है। परिवार में स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी, लेकिन उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को 'अनिष्कासिनी' कहा है। मौर्य युग में गणिका या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करनेवाली स्त्रियाँ 'रूपाजीवा' कहलाती थीं। समाज में विधवा विवाह को मान्यता थी। स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करनेवाली विधवाएँ 'क्षंदवासिनी' कहलाती थी।

तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इस समय प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी विकास हुआ, जिसकी व्यवस्था श्रेणियों द्वारा की जाती थी। नट, नर्तक, गायक, वादक आदि समाज में लोगों का मनोरंजन किया करते थे। जुआ, शराब, शिकार इत्यादि भी मनोरंजन के साधन थे।

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य-व्यापार पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से 'वार्ता' कहा गया है। अर्थशास्त्र में धान की फसल को उत्तम और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है।

मौर्यों की राजकीय मुद्रा 'पण' थी। यह 3/4 तोले के बराबर चाँदी का सिक्का था। अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था। इस काल के सिक्के स्वर्ण, चाँदी और तँबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के निष्क एवं सुवर्ण, चाँदी के सिक्के पण या कार्षापण तथा तँबे के सिक्के मासक एवं काकणि कहलाते थे। इन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता था।

मौर्य वंश का पतन

मौर्य वंश के पतन के अनेक कारण थे—

1. महामहोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री के अनुसार, अशोक की धार्मिक नीति पतन का मुख्य कारण थी। उसकी नीति बौद्धों के पक्ष में और ब्राह्मणों के विरोध में थी। वृहद्रथ की हत्या ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया थी, लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी इसे अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार पशु हिंसा पूर्ण प्रतिबंधित थी एवं स्वयं प्रधानमंत्री तथा सेनापति पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे अर्थात् अशोक की नीति ब्राह्मण विरोधी नहीं थी। वृहद्रथ की हत्या एक सैनिक क्रांति थी, न कि धार्मिक प्रतिक्रिया।

2. हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की शांतिप्रियता और अहिंसा की नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी, क्योंकि इससे सेना का उत्साह कम हो गया। उत्तराधिकारी युद्धघोष के स्थान पर धम्मघोष पर बल देने लगे। नीलकंठ शास्त्री ने राय चौधरी के कथन का विरोध किया है और कहा कि अशोक की शांतिप्रिय नीति में कट्टरता थी। उसने अपनी सेना को बनाए रखा था तथा एक सीमा तक ही युद्ध नीति का त्याग किया था।

3. अयोग्य उत्तराधिकारी तंत्र।

4. अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति—अशोक की दानशीलता के कारण अशोक के बाद अर्थव्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो गया।

5. प्रशासन में केंद्रीयकरण—रोमिला थापर इसे पतन का मुख्य कारण मानती हैं, क्योंकि इससे प्रशिक्षित

अधिकारी तंत्र का अभाव हो गया।

6. निहार रंजन राय के अनुसार, मौर्य शासक विदेशी प्रभाव को अपनाने लगे, जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया।

मौर्योत्तर बिहार

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उभरकर सामने आई। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग वंशों ने राज्य स्थापित किया। मगध एवं बिहार क्षेत्र में शुंग एवं कण्व वंश, पश्चिमोत्तर एवं मध्य भारत में कुषाण वंश, दक्कन क्षेत्र में आंध्र सातवाहन वंश, पश्चिमी भारत में शक एवं उड़ीसा के क्षेत्र में चैत्र वंश ने शासन स्थापित किया। इन सभी वंशों ने किसी-न-किसी रूप में मगध एवं बिहार के इतिहास को प्रभावित किया है।

शुंग वंश (185 ई.पू.-72 ई.पू.)

शुंग वंश की स्थापना 185 ई.पू. में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर की। शुंग वंश की जानकारी हमें धनदेव का अयोध्या लेख, वेशनगर (विदिशा मध्य प्रदेश) का गरुड़ स्तंभलेख, कालिदास का 'मालविकाग्निमित्रम्' एवं पतंजलि के 'महाभाष्य' से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहाँ एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठापित किया। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्गर्ण का काल कहलाता है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ एवं यवनों के साथ युद्ध किया, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई।

पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य लूटकर अपना अधिकार जमाकर जहाँ एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठापित किया।

पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसने कुल 8 वर्षों तक (140 ई.पू.) तक शासन किया। अग्निमित्र कालिदास का नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' का नायक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वसुमित्र ने कर दी थी। शुंग वंश का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शासन की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद् थी। इस समय 'ग्राम' शासन की सबसे छोटी इकाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने 84 हजार बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन साँची, भरहुत एवं बोधगया के बौद्ध स्तूपों को और भव्य बनवाया था।

शुंग वंश के शासन काल में स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण, स्वर्ण मासिक आदि कहा जाता था। ताँबे के सिक्के 'कार्षापण' कहलाते थे। चाँदी के सिक्के के लिए 'पुराण' अथवा 'धारण' शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ। इस काल में लौकिक संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का मुख्य योगदान था, जिन्होंने 'महाभाष्य' लिखा। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने बोधगया से प्राप्त होते हैं। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था।

कण्व वंश (72-27 ई.पू.)

शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर उसके अमात्य वसुमित्र ने एक नए वंश कण्व राजवंश की

स्थापना की। ये शुंगों के समान ही ब्राह्मण थे। वसुमित्र ने कुल 9 वर्षों तक शासन किया तथा उसके बाद भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने शासन किया। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था, जिसकी हत्या आंध्रजातीय भृत्य शिमुक द्वारा कर दी गई। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश का अंत हो गया।

कुषाण वंश

कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडफिसस द्वारा की गई थी, लेकिन इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क था, जो 75 ई. में शासक बना था। कनिष्क ने अपनी राजधानी कनिष्कपुर (कश्मीर) अथवा पुरुषपुर में स्थापित की थी। कनिष्क ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में मगध तक के क्षेत्र को जीत लिया था तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वघोष को पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया था। अश्वघोष ने ही कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। कुषाणकालीन पुरातात्विक अवशेष बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

कनिष्क ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में मगध तक के क्षेत्र को जीत लिया था तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वघोष पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया था। अश्वघोष ने ही कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी।

कुषाणों के पतन के बाद वैशाली के लिच्छवियों ने मगध पर शासन किया, लेकिन इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण वंश के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शक-मुरुंड का शासन स्थापित था।

गुप्तकालीन बिहार

मौर्यों के समय मगध जो भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु था, मौर्यों के पतन के बाद मगध पर शुंग, कण्व जैसे कमजोर ब्राह्मण वंशों का शासन रहा। इस समय कुषाण, शक आदि ने भी मगध पर आक्रमण किया, शासन किया, लेकिन चौथी सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया और भारतीय इतिहास में मगध एवं पाटलिपुत्र के केंद्रीय महत्त्व को स्थापित किया।

गुप्त वंश के संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त थे, जिन्होंने 240 ई. में गुप्त वंश की स्थापना की। इनका पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है, जिसका शासन काल 319-335 ई. तक था। 319 ई. में गुप्त संवत् प्रारंभ हुआ, जिसका संबंध वल्लभी संवत् से है। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार 'महाराजाधिराज' की उपाधि ग्रहण की।

चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त (335-375 ई.) शासक बना। समुद्रगुप्त की जानकारी, का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त को 'भारत का नेपोलियन' भी कहा जाता है। सर्वप्रथम उसने गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिलाया। उसने पंजाब, असम, नेपाल, बंगाल, तमिलनाडु के क्षेत्र आदि को अपने राज्य में सम्मिलित किया। उसने शक और कुषाण शासकों को पराजित कर पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार स्थापित किया।

समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र एवं मालवा को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। इसके शासन काल को भारत का 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। इसने 375-412 ई. तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इसमें हूणों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। हूण

शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया। छठी शताब्दी ई. के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी।

गुप्त काल विद्या-कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता है। राजनीतिक शांति और सुदृढता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल के विख्यात विद्वानों में वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के नाम महत्वपूर्ण हैं। गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमारगुप्त था। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केंद्र बना, जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी आते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। वह बिहार के क्षेत्र में आया और तीन सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। कला के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोधगया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष हैं।

मगध के परवर्ती गुप्त शासक

छठी शताब्दी ई. में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों में मिलती है, जिनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद क्षेत्र में हुई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी दामोदरगुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। मगध क्षेत्र पर शशांक का आक्रमण हुआ, जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोधगया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुँचाई। देवगुप्त ने शशांक से समझौता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन को पराजित किया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासन काल के पहले तक बिहार का इतिहास नितांत संघर्ष का साक्षी रहा है।

सातवीं शताब्दी ई. के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार का कुछ भाग उसके नियंत्रण में था। हर्ष की मृत्यु के बाद बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुँचाई, जिसके प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण किया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। इसका अंत माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसका राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार तक विस्तृत था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया। इस वंश का अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय था। 725 ई. के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने उसकी हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन चीनी यात्री युआन-च्वांग 635 ई. के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था।

तिथिक्रमावली

प्राचीन काल

2300-1750 ई.पू.—हड़प्पा सभ्यता काल।

1500-1000 ई.पू.—ऋग्वैदिक काल।

- 1000-600 ई.पू.—आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार।
- 800 ई.पू. —‘शतपथ ब्राह्मण’ में गंडक के मैदानी क्षेत्र (बिदेह) में आर्यों के बसने का उल्लेख।
- 600-500 ई.पू. —द्वितीय नगरीकरण एवं 16 महाजनपद का काल।
- 563-483 ई.पू.—महात्मा बुद्ध का जीवनकाल।
- 544-492 ई.पू.—मगध नरेश बिंबिसार का शासन काल, मगध का उत्कर्ष।
- 540-468 ई.पू.—वर्द्धमान महावीर का जीवनकाल।
- 500 ई.पू.—वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना।
- 492-460 ई.पू.—अजातशत्रु का मगध पर राज्य, वैशाली पर विजय।
- 490 ई.पू.—अजातशत्रु द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना।
- 483 ई.पू.—राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन।
- 460-444 ई.पू.—मगध में उदयभद्र (उदयिन) का शासन काल।
- 455 ई.पू.—उदयिन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना।
- 413-344 ई.पू.—मगध के शिशुनाग वंश का शासन।
- 383 ई.पू.—वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन।
- 344 ई.पू.—महापद्मनंद द्वारा नंद वंश की स्थापना।
- 322 ई.पू.—चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित कर नंद वंश का अंत।
- 322-298 ई.पू.—चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल।
- 315 ई.पू.—मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन।
- 298-272 ई.पू.—बिंदुसार का शासन काल।
- 272-232 ई.पू.—अशोक महान् का शासन काल।
- 261 ई.पू.—कलिंग विजय, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
- 249 ई.पू.—पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का पड़ोसी देशों में प्रचार।
- 185 ई.पू.—पुष्यमित्र शुंग द्वारा वृहद्रथ की हत्या और मौर्य वंश का अंत, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण।
- 185-72 ई.पू.—शुंग वंश का शासन काल।
- 72-27 ई.पू.—कण्व वंश का शासन काल।
- 319-335 ई.—मगध में चंद्रगुप्त-I का शासन, गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष।
- 319 ई.—गुप्त संवत् का आरंभ।
- 335-375 ई.—समुद्रगुप्त का शासन काल, साम्राज्य विस्तार का आरंभ।

375-412 ई.—चंद्रगुप्त-II (विक्रमादित्य) का शासन काल, सांस्कृतिक प्रगति के कारण स्वर्णयुग।

405-411 ई.—चीनी यात्री फाहियान का भ्रमणकाल।

414-455 ई.—कुमारगुप्त-I का शासन काल, नालंदा विहार की स्थापना।

455-467 ई.—स्कंदगुप्त का शासन काल, हूणों का आक्रमण।

467-494 ई.—बुद्धगुप्त का शासन काल, गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ।

500 ई.—मगध क्षेत्र पर हूणों का आक्रमण।

495-510 ई.—भानुगुप्त का शासन काल, गुप्त साम्राज्य का अंत।

530 ई.—मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष।

606-641 ई.—थानेश्वर एवं कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार।

635 ई.—चीनी यात्री युआन च्वांग का भारत आगमन।

673 ई.—चीनी यात्री ई त्सिंग का भारत आगमन।



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

3. मध्य काल

(Medieval Period)

पूर्व मध्य काल

मध्य काल

अफगान शक्ति का उदय

मुगलकालीन बिहार

बिहार में सूफीवाद

मध्य काल का प्रारंभ हर्षवर्धन की मृत्यु (647 ई.) के बाद से माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो वर्ग में बाँटते हैं—

पूर्व मध्य काल—आठवीं से बारहवीं सदी तक का काल।

मध्यकाल—बारहवीं से अठारहवीं सदी के प्रारंभ तक का काल।

पूर्व मध्य काल

पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से पाल वंश, कर्णट वंश तथा सेन वंश ने शासन किया। इस समय तुर्क आक्रमण का भी बिहार पर प्रभाव पड़ा।

पाल वंश

उत्तर भारत में हर्षवर्धन के पतन और बंगाल क्षेत्र में शशांक के पतन के बाद बिहार-बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750-770 ई. तक शासन किया। बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा गोपाल को शासक चुना गया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल पुंड्रवर्धन (बंगाल) बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल का था। इसने बिहार में अपना शासन शीघ्र ही विस्तृत किया। गोपाल के बाद धर्मपाल (770-810 ई.) शासक बना। इसने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और 'उत्तरापथस्वामिन्' की उपाधि धारण की। गुजरात के कवि सोढदश ने 11वीं सदी में अपनी रचना 'उदयसुदरी' में धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है। धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक धुरव ने पराजित किया।

पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750-770 ई. तक शासन किया। बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा गोपाल को शासक चुना गया था।

धर्मपाल के बाद पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक देवपाल गद्दी पर आसीन हुआ। इसके समय में पाल वंश अपने

चरमोत्कर्ष पर था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई तथा पूर्वोत्तर में प्रागज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट तक उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया। उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय तथा कंबोज के हूणों को पराजित किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया। उसके समय में दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के शासक बलदेवपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए पाँच गाँव अनुदान में दिए। देवपाल बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था। अरब यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना है।

देवपाल की मृत्यु के बाद मिहिरभोज एवं महेंद्र पाल के शासन काल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में महिपाल प्रथम शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल ने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। इसके समय में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण बंगाल में कैवर्त अधिक शक्तिशाली होते चले गए और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमटकर रह गई। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक बना। संध्याकर नंदी की रचना 'रामचरित्र' रामपाल से संबंधित है।

रामपाल की मृत्यु के बाद गहड़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। सेन शासकों—विजय सेन और बंगाल सेन—ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी समय तुर्कों के आक्रमण बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक आरंभ हो गए थे। गहड़वाल वंश के शासक गोविंदचंद्र के मनेर ताम्रपत्र में 'तुरुष्कदंड' नामक कर की चर्चा मिलती है। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था और इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे।

पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की। उसी ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दानस्वरूप दिए। ओदंतपुरी और जगदल विश्वविद्यालय भी पाल शासन काल में स्थापित हुए। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शंतरक्षित और आतिश दीपंकर इस काल में तिब्बत गए। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामी तिब्बत से बिहार आया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए। उस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान दिए। पाल शासकों ने मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। गौतम बुद्ध तथा हिंदू देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएँ चमकीले काले पत्थर से बनाई गई हैं। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था।

पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमटकर रह गई। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक बना। संध्याकर नंदी की रचना 'रामचरित्र' रामपाल से संबंधित है।

सुलेमान ने पाल वंश को 'रूहेला' कहा है। पाल वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक देवपाल एवं धर्मपाल थे। जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित था। हर्षवर्धन के समय कन्नौज भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था। अतः कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। यह संघर्ष 5 चरणों में हुआ था, जिसमें पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम धर्मपाल ने भाग लिया था। धर्मपाल का

संघर्ष प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक धुरव के साथ हुआ था, जिसमें धुरव विजयी हुआ था। धर्मपाल के बाद देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल आदि ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई, लेकिन इन तीनों वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करनेवाला वंश पाल वंश था। इस समय बिहार एवं बंगाल क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है।

कर्णाट वंश

11वीं सदी के अंत में जब पाल शासक कमजोर हो चुके थे, तब उसी समय भारत पर तुर्क आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। भारत पर तुर्क आक्रमण दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में महमूद गजनवी तथा द्वितीय चरण में मुहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। इस समय बिहार पर पाल शासक रामपाल का शासन था। रामपाल के समय ही गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में कर्णाट वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। 11वीं सदी में मिथिला के शासक नान्यदेव का सिमरौव से प्राप्त पाषाण लेख से भी पता चलता है कि उसने ही कर्णाट वंश की स्थापना की थी। इस वंश की जानकारी दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से भी मिलता है।

हरिसिंहदेव एक महान् समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय 'पंजी प्रबंध' का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ।

नान्यदेव ने कर्णाट वंश की राजधानी सिमरौवगढ़ बनाई। कर्णाट शासकों के शासन काल को 'मिथिला का स्वर्ण युग' भी कहा जाता है। वैनवार वंश के शासन काल तक मिथिला में स्थिरता रही और उसकी प्रगति हुई। नान्यदेव के साथ सेन वंश के राजाओं का परस्पर युद्ध होता रहता था। कर्णाटवंशीय शासक नरसिंहदेव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंहदेव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। नरसिंहदेव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर फैला हुआ था। कर्णाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहता था। सामान्यतः दिल्ली सुल्तान के प्रांतपति, जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्णाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र पर अधिकार गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के क्रम में हुआ। उस समय तिरहुत का शासक हरिसिंहदेव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया। इस प्रकार उत्तरी एवं मध्य बिहार के क्षेत्रों का आपस में विलय हो गया। कर्णाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह था। 1378 ई. तक कर्णाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। हरिसिंहदेव एक महान् समाजसुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय 'पंजी प्रबंध' का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएँ भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गईं और मैथिली समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषताएँ इसी काल में परिपक्व रूप धारण कर सकीं। प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति दरभंगा नरेश कृति सिंह एवं शिव सिंह के दरबार में थे। विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिसपी गाँव में हुआ था। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर एवं माता का नाम हासिनी देवी था। इनका पुत्र हरपित तथा पुत्री दुलही थी, जिसका वर्णन विद्यापति की रचनाओं में आया है। विद्यापति को यह गाँव आश्रयदाता राजा शिवसिंह की ओर से उपहार में प्राप्त हुआ था। परंपराओं के अनुसार विद्यापति का जन्म 1350 ई. में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 90 वर्ष की अवस्था में बाजितपुर गाँव में हुई थी। इनकी चिता पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विद्यापति को शिक्षा देने का काम हरिमिश्र ने किया था। गढ़ बिसपी में कर्मदित्य त्रिपाठी नामक ब्राह्मण रहते थे, वे कर्णाट वंश के दरबार

में राजमंत्री थे। कर्मादित्य त्रिपाठी विद्यापति के वंश के आदिपुरुष विष्णु शर्मा ठाकुर के पौत्र थे। इस वंश के अधिकांश व्यक्ति राजदरबार से जुड़े हुए थे तथा विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। इसी वंश के वीरेश्वर ठाकुर नान्यवंशीय शासक शत्रु सिंह एवं उनके पुत्र हरिसिंहदेव के राज्य मंत्री थे। इन्होंने 'छांदोग्य दशपद्धति' नामक पुस्तक की रचना की थी। इनके भाई धीरेश्वर ठाकुर को महावार्तिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है। धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र चंदेश्वर ने 'कृत्यचिंतामणि', 'विवाद-रत्नाकर' और 'राजनीति-रत्नाकर' आदि सप्त रत्नाकरों की रचना की थी। चंदेश्वर हरिसिंह के मंत्री एवं महामहत्तक सांघिविग्रहीक थे। विद्यापति के पिता राजा गणेश्वर के सभापंडित एवं राजमंत्री थे, जिन्होंने 'गडंगभक्ति' एवं 'तरंगणि' नामक पुस्तक की रचना की थी।

विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कीर्ति सिंह के नाम पर कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना की। वर्तमान समय में यह पुस्तक नेपाल के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है।

विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कीर्तिसिंह के नाम पर 'कीर्तिलता' नामक ग्रंथ की रचना की। वर्तमान समय में यह पुस्तक नेपाल के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत, प्राकृत और मैथिली है। इस मिश्रित भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट नाम दिया है। विद्यापति ने भूपरिक्रमा नामक पोथी की रचना की। यह राजा देवसिंह की अनुमति से उन्होंने लिखी थी। यह नैतिक कहानियों का संग्रह है, जिसका बृहत रूप 'पुरुष परीक्षा' नामक रचना है। 1830 ई. में इसका अंग्रेजी में अनुवाद राजा कालीकृष्ण बहादुर ने किया था, जिसमें लॉर्ड बिशप टर्नर ने सहयोग दिया था। यह पुस्तक फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित थी।

विद्यापति द्वारा रचित चौथी पुस्तक 'कीर्तिपताका' है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई प्रेमकथाओं का संग्रह है। उन्होंने संस्कृत भाषा में 'लिखनावली' की रचना की। इन्होंने 'शैव-सर्वस्व-सार' की रचना राजा शिवसिंह की मृत्यु के बाद महारानी विश्वासदेवी की देखदेख में की थी। इसमें भवसिंह से लेकर विश्वासदेवी तक के शासन काल का वर्णन है। विद्यापति ने 'गंगा वाक्यावली', 'दान वाक्यावली', 'दुर्गाभक्ति तरंगिणी', 'विभाग-सार', 'वर्षकृत्य', 'गया-पतन' आदि पुस्तक की रचना की थी। 'गंगा वाक्यावली' विश्वासदेवी एवं 'दान वाक्यावली' नरसिंह देव की पत्नी धीरमति से संबंधित है। 'विभाग-सार', 'वर्षकृत्य' एवं 'गया-पतन' संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है।

सेन वंश

पाल वंश के पतन के बाद सामंत सेन के नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना हुई। सामंत सेन पालों के अधीन एक सामंत था। हेमंत सेन के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन आदि शासकों ने बिहार एवं बंगाल क्षेत्र पर शासन किया। विजय सेन इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। विजय सेन की जानकारी देवपाड़ा (बंगाल) ताम्रपत्र लेख से भी मिलती है। विजय सेन ने कर्णाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसने 'दानसागर' और 'अद्भुतसागर' नामक दो पुस्तकों की रचना की थी। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक था। 'गीतगोविंद' के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सेन शासक ने अपनी राजधानी नादिया और लखनौती में स्थापित की थी। सेन शासकों ने गया तक के क्षेत्र को जीत लिया था, जिसमें गहड़वाल शासक गोविंदपाल से संघर्ष करना पड़ा था।

जिस समय बिहार-बंगाल क्षेत्र में लक्ष्मण सेन का शासन था, उसी समय तुर्क मुहम्मद गोरी का सेनापति

बख्तियार खिलजी का सैन्य अभियान पूर्वी भारत में बिहार-बंगाल तक चल रहा था। इसमें बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर इस क्षेत्र को तुर्कों के अधीन ला दिया था।

बिहार पर तुर्क आक्रमण

11वीं सदी के प्रारंभ में भारत पर गजनी वंश के शासक महमूद गजनी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमण हुआ। तुर्क आक्रमण की जानकारी फिरदौसी की रचना 'शाहनामा' से मिलती है। 'शाहनामा' फारसी साहित्य की प्रथम सबसे प्रसिद्ध रचना है। यामिनी वंश का महमूद गजनी, जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, उसने 'गाजी' की उपाधि धारण की। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1001 ई. में उद्भांडपुर के हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1011-12 ई. में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर एवं 1021-22 ई. में पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य सैनिक केंद्र की स्थापना करना था। 1025-26 ई. में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ई. में जाट शासकों के खिलाफ था। गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। इसलिए भारत एवं बिहार के राजनीतिक इतिहास पर इस आक्रमण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

12वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत पर मुहम्मद गोरी का आक्रमण शुरू हुआ, जिसे तुर्क आक्रमण का द्वितीय चरण भी कहते हैं। मुहम्मद गोरी का मूल नाम मोइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम था। इसने 1175 ई. से 1194 ई. तक भारत पर कई बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता की स्थापना करना था और इस उद्देश्य में वह पूरी तरह सफल रहा। इसके आक्रमण से पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसके सफल होने का कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत की तरह ही इसके आक्रमण के समय बिहार पर भी विकेंद्रीकृत शक्तियाँ प्रभावी थीं। बिहार भी संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। इस समय उत्तरी बिहार के अधिकांश हिस्सों पर कर्नाट वंश का शासन था, जबकि अन्य भाग में छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे। इस समय बंगाल के सेन वंश के शासकों ने बिहार पर आक्रमण कर इसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय बना दी थी।

बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार में 1198 ई. में ओदंतपुरी (बिहारशरीफ) को जीता एवं वहाँ स्थापित शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया।

भारत में मुहम्मद गोरी के तीन सेनापति विजय अभियान चला रहे थे, जिसमें एक सेनापति इब्तिहार-अल-दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत में बिहार-बंगाल तक अपना अभियान चला रहा था। बख्तियार खिलजी को गाजी इब्तिहार के नाम से भी जाना जाता है। अतः बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार-बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रद्युम्न पाल ने उसका विरोध किया था। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार में 1198 ई. में ओदंतपुरी (बिहारशरीफ) को जीता एवं वहाँ स्थापित शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद 1203-04 ई. में लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अलीमर्दान खिलजी द्वारा 1206 ई. में कर दी गई। बख्तियार खिलजी के बाद इस क्षेत्र में मुहम्मद गोरी का अन्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित रहा।

1206 ई. में मुहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना

की, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बिहार-बंगाल का क्षेत्र भी बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही पूर्व मध्यकाल की समाप्ति और मध्यकाल का प्रारंभ होता है।

मध्य काल

13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत के अधीन पाँच वंशों ने शासन किया। ये वंश निम्नलिखित थे—

1. ममलूक या गुलाम वंश—1206-1290 ई.
2. खिलजी वंश—1290-1320 ई.
3. तुगलक वंश—1320-1414 ई.
4. सैयद वंश—1414-1451 ई.
5. लोदी वंश—1451-1526 ई.

1206 ई. में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें बिहार भी सम्मिलित था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय शासकों एवं मुहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों याल्दोज एवं कुबाचा के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, साथ ही भौगोलिक दूरी एवं परिवहन सुविधा के अभाव के कारण भी ऐबक बिहार और बंगाल पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था। अतः इस स्थिति का लाभ उठाकर स्थानीय सामंतों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में बंगाल के शासकों ने बार-बार बिहार पर आक्रमण किया और अपनी स्थिति मजबूत की तथा दिल्ली के सुलतानों के खिलाफ विद्रोह करते रहे। इस तरह बिहार का क्षेत्र दिल्ली के तुर्क शासकों, बंगाल के शासक एवं बिहार के स्थानीय शासक के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश (1210 से 1236 ई.) के समय 1211 ई. में गयासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। 1225 ई. में जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, तब उसने बिहार पर अपना अधिकार कर प्रशासक को नियुक्त किया तथा बंगाल के शासक गयासुद्दीन को पराजित कर बिहार से बाहर कर दिया। जब इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटा, तब गयासुद्दीन ने पुनः बिहार में नियुक्त प्रशासक मलिक जानी को अपदस्थ कर बिहार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद स्वयं इल्तुतमिश ने बंगाल के विद्रोह को कुचलने के लिए अभियान चलाया और बंगाल के शासक हिसाबुद्दीन को पराजित कर बिहार एवं बंगाल दो अलग-अलग सूबों को गठित किया। इल्तुतमिश के वापस लौटने के बाद उसके उत्तराधिकारी बिहार पर शासन कायम रखने में समर्थ नहीं थे। बलबन (1266-86 ई.) के समय पुनः बंगाल क्षेत्र में विद्रोह होने लगा। तुगलक के नेतृत्व में होनेवाले विद्रोह को बलबन ने कुचल दिया।

गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से 1324 ई. में दिल्ली वापस आ रहा था, उस समय कर्णाट वंश के शासक हरिसिंहदेव को पराजित किया तथा तिरहुत (मिथिला) राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया एवं इसका नाम तुगलकपुर रखा।

बलबन के बाद तुगलक काल में दक्षिण बिहार सहित उत्तरी बिहार (तिरहुत) पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। बिहार क्षेत्र में तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना एवं प्रशासन की जानकारी सूफी संत हजरत शर्फुद्दीन याहिया मनेरी की रचना 'मलफूजात' एवं 'मनाकिबुल असफिया' से तथा तिरहुत क्षेत्र में तुगलककालीन पाए गए

सिक्कों से मिलती है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से 1324 ई. में दिल्ली वापस आ रहा था, उस समय कर्णाट वंश के शासक हरिसिंहदेव को पराजित किया तथा तिरहुत (मिथिला) राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया एवं इसका नाम तुगलकपुर रखा। मुहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हरिसिंहदेव ने पराजित होकर कवि विद्यापति के सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी। हरिसिंहदेव के अमात्य अमियकर ने गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में जाकर हरिसिंहदेव को राज्य वापस दिलाने में सहयोग किया था। इस समय बिहार के प्रांतपति (मक्ता) मजदुल मुल्क ने भी हरिसिंहदेव को पराजित किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहारशरीफ थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोजशाह तुगलक ने 1359 ई. में बंगाल अभियान प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी 'सिरते-ए-फिरोजशाही' से मिलती है।

तुर्क शासक और कर्णाट वंश के बीच प्रारंभ से ही संघर्ष चल रहा था। बख्तियार खिलजी के समय में कर्णाट शासक नरसिंहदेव ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति को अपनाया था। उसने बख्तियार खिलजी को संतुष्ट करने के लिए नजराना दिया था। नरसिंहदेव के बाद रामसिंहदेव के समय भी तुगलक तुगन ने मिथिला पर आक्रमण किया था।

अफगान शक्ति का उदय

तुगलक वंश के समय 1398 ई. में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तथा विघटन का दौर शुरू हो गया। सैयद एवं लोदी वंश के समय अनेक क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ, जिसमें जौनपुर के शर्की वंश और बंगाल का हुसैनशाही वंश प्रमुख था। इस समय बिहार का पश्चिमी भाग जौनपुर के शर्की शासकों के अधीन एवं पूर्वी भाग बंगाल के हुसैनशाही वंश के अधीन था। अतः बिहार पर अधिकार करने के लिए जौनपुर, बंगाल एवं लोदी वंश के बीच संघर्ष होने लगा। दिल्ली में लोदी वंश के प्रमुख शासक बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी थे। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विद्रोह किया, जिसे सिकंदर लोदी ने कुचल दिया। इसी क्रम में सिकंदर लोदी ने बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तथा तिरहुत के शासक को कर देने के लिए बाध्य किया। कर वसूलने के लिए मुबारक खान को नियुक्त किया। 1504 ई. में सिकंदर लोदी एवं बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच युद्ध हुआ और अंततः संधि हुई, जिसमें उत्तर बिहार के क्षेत्र (सारण एवं तिरहुत) पर अलाउद्दीन ने सिकंदर लोदी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लोदी शासक इब्राहिम खान लोदी के समय में बिहार के सूबेदार दरिया खान नूहानी ने विद्रोह किया। अफगान दरिया खान नूहानी की मृत्यु 1523 ई. में होने के बाद उसके पुत्र मुहम्मद शाह नूहानी (बहार खान) ने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया।

फरीद खान लूने 1497 ई. से 1518 ई. तक सासाराम की जागीर को बड़ी योग्यता के साथ सँभाला तथा प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में सफल रहा। उसने विद्रोही जमींदारों को पराजित कर लोगों को सुख-सुविधाएँ प्रदान करने का हर सभंव प्रयास किया।

1526 ई. में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, तब बाबर ने हुमायूँ के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने अफगान नूहानी शासकों के प्रयास को असफल कर दिया। इस काल में दक्षिण बिहार पर अफगान शासक मुहम्मद शाह एवं उत्तर बिहार पर बंगाल के शासक नुसरत शाह का शासन स्थापित था। ये दोनों शासक अफगान थे तथा मुगलों के खिलाफ एक-दूसरे का सहयोग कर रहे थे। 1530 ई. में बाबर की मृत्यु के

बाद अफगान शक्ति का पुनः उत्थान होने लगा। यद्यपि 1532 ई. में दौरा के युद्ध में हुमायूँ ने अफगानों को पराजित कर दिया और नूहानियों का पतन सुनिश्चित कर दिया। नूहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान शेरशाह के नेतृत्व में हुआ।

सूर वंश

नूहानियों के पतन के बाद शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगान शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। शेरशाह का मूल नाम फरीद खान था। वह इब्राहिम खान सूर का प्रपौत्र एवं हसन खान सूर का पुत्र था। इसका जन्म दिल्ली के निकट पंजवाड़ा में 1486 ई. में हुआ था। दादा इब्राहिम खान एवं पिता हसन खान पंजाब छोड़कर बिहार के सूबेदार जमाल खान की सेवा में चले आए। जमाल खान ने हसन खान की सेवा-भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सासाराम, वासपुर व टांडा परगने की जागीर सौंप दी। फरीद का बचपन सोन नदी के किनारे सासाराम में व्यतीत हुआ। फरीद का बाल्यकाल सुखमय नहीं रहा। अपने पिता एवं अपनी सौतेली माँ की उपेक्षा के कारण वह जौनपुर चला गया। 15वीं सदी में जौनपुर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। उसे 'भारत का सिराज' कहा जाता था। फरीद ने बड़ीलगन के साथ अरबी और फारसी भाषाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। जमाल खान उसके गुणों से प्रभावित होकर पिता हसन खान से समझौता कराने में सफल हुआ। हसन खान ने अपने पुत्र फरीद खान को सासाराम की जागीर 1497 ई. में सौंप दी। फरीद खान लगे 1497 से 1518 ई. तक सासाराम की जागीर को बड़ी योग्यता के साथ सँभाला तथा प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में सफल रहा। उसने विद्रोही जमींदारों को पराजित कर लोगों को सुख-सुविधाएँ प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया। पुनः पिता हसन खान और सौतेली माँ से मतभेद होने पर फरीद सासाराम से आगरा चला गया।

1520 ई. में हसन खान की मृत्यु के पश्चात् इब्राहिम लोदी ने हसन खान की जागीर को वापस फरीद खान को लौटा दिया। फरीद पुनः सासाराम लौट आया। उसके लौटते ही सासाराम की जागीर के बँटवारे के लिए उसके सौतेले भाइयों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिससे तंग आकर 1522 ई. में पुनः फरीद ने सासाराम छोड़कर दक्षिण बिहार के शासक बहार खान के यहाँ शरण ली। एक बार वह अपने स्वामी बहार खान के साथ शिकार खेलने जंगल गया था, जहाँ उसने एक ही बार में शेर को मार डाला। फरीद खान की वीरता देखकर बहार खान ने उसे 'शेर खान' की उपाधि प्रदान की। शेर खान के बढ़ते प्रभाव को देखकर अफगान सरदारों ने बहार खान के माध्यम से दक्षिण बिहार तथा पैतृक जागीर से निकाल दिया। इसके बाद शेर खान आगरा पहुँचा और बाबर से मुलाकात की। बाबर ने शेर खान से प्रभावित होकर उसे अपनी सेना में नौकरी प्रदान की। शेर खान की ईमानदारी को देखकर बाबर ने उसकी पैतृक जागीर सासाराम को वापस कर दिया। 1528 ई. में वह सासाराम चला आया और वहाँ बहार खान के पुत्र जलाल खान का शिक्षक एवं संरक्षक बना। बहार खान की मृत्यु के पश्चात् जलाल की माँ दुदु बीबी उसकी संरक्षिका बनी। उसने शेर खान को अपना नायब नियुक्त किया। नायब के रूप में शेर खान ने सेना में व्याप्त दोषों को दूर किया तथा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुदु बीबी की मृत्यु के बाद शेर खान वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना।

शेर खान के प्रभाव को देखते हुए लोहानी सरदारों ने जलाल खान को सेना सँभालने के लिए उकसाया। जलाल खान ने बंगाल के सूबेदार नुसरत शाह से सहायता माँगी। नुसरत शाह जलाल की सहायता के लिए बिहार पहुँचा, लेकिन उसे शेर खान के हाथों पराजित होना पड़ा। इस विद्रोह के बाद जलाल खान तथा लोहानी सरदार सभी नुसरत शाह के साथ बंगाल प्रस्थान कर गए। इस प्रकार शेर खान वास्तविक रूप से बिहार का शासक बन गया। उसने 'हजरत-ए-आला' की पदवी धारण की।

1530 ई. में शेर खान ने चुनार के पूर्व सूबेदार ताज खान की विधवा लाड़ मल्लिका से विवाह किया, जिसके कारण उसकी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति काफी बढ़ गई। शेर खान ने चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खान को तैनात किया। बाबर की मृत्यु के पश्चात् 1530 ई. में हुमायूँ दिल्ली का शासक बना। उसने चुनारगढ़ पर आक्रमण के लिए एक विशाल सेना भेजी। शेर खान ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पुत्र कुतुब खान को आत्मसमर्पण करने को कहा। कुतुब खान के आत्मसमर्पण के पश्चात् हुमायूँ ने आसान शर्तों पर शेर खान से संधि कर ली और वापस चला गया। इस प्रकार शेर खान चुनारगढ़ को बचाने में सफल हुआ।

बंगाल के नए शासक महमूद शाह और जलाल खान ने एक बार पुनः शेर खान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। शेर खान और महमूद शाह की सेनाओं के साथ सूरजगढ़ में 1534 ई. में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शेर खान विजयी हुआ। इस विजय अभियान के बाद शेर खान ने भली-भाँति यह समझ लिया कि भारत में अफगान शासन पुनर्स्थापित हो सकता है। अतः उसने विभिन्न स्थानों पर अफगान सिपाहियों की भर्ती करना प्रारंभ कर दिया।

शेर खान पीछा करता हुआ चौसा पहुँचा और अचानक हुमायूँ की सेना पर टूट पड़ा। हुमायूँ और उसकी सेना घबराकर इधर-उधर भागने लगी। हुमायूँ अपनी जान बचाने के उद्देश्य से गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूँ की जान बचाई।

बंगाल के शासक महमूद शाह ने अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से चिनसुरा के पुर्तगालियों से मिलकर शेर खान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह दो युद्धों तेलियागढ़ी और सीकरी गली में पराजित हुआ। महमूद शाह ने हुमायूँ से सहायता माँगी। हुमायूँ उस समय गुजरात के बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था। उसने महमूद शाह के आग्रह पर बंगाल की ओर प्रस्थान किया तथा चुनार को छह महीने तक घेरे रहा। इस अवधि में शेर खान ने बंगाल सहित रोहतासगढ़ पर भी विजय प्राप्त कर ली।

हुमायूँ के साथ संघर्ष

शेर खान की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूँ ने बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण की आशंका को देखते हुए शेर खान अपना खजाना गौड़ से रोहतासगढ़ ले गया। उसने हुमायूँ को बंगाल में बिना किसी विरोध के प्रवेश करने दिया और वह बिहार लौट आया। हुमायूँ ने गौड़ पर विजय प्राप्त की तथा लगभग 8 महीने तक गौड़ में ही पड़ा रहा। इस बीच शेर खान ने जौनपुर, बनारस, कन्नौज आदि स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया।

चौसा का युद्ध (26 जून, 1539)

गौड़ विजय के बाद लगभग आठ महीने हुमायूँ की सेना गौड़ में ही रही। गौड़ से आगरा प्रस्थान के दौरान बक्सर के पास चौसा में छावनी डाली। शेर खान पीछा करता हुआ चौसा पहुँचा और अचानक हुमायूँ की सेना पर टूट पड़ा। हुमायूँ और उसकी सेना घबराकर इधर-उधर भागने लगी। हुमायूँ अपनी जान बचाने के उद्देश्य से गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूँ की जान बचाई। चौसा विजय के बाद जहाँ एक ओर शेर खान उत्साहित हुआ, वहीं दूसरी ओर मुगल सेना की शक्ति और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा।

कन्नौज का युद्ध (17 मई, 1540)

चौसा युद्ध में पराजय के बाद हुमायूँ किसी प्रकार अपनी जान बचाकर आगरा पहुँचा। उसने शेर खान पर पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई तथा साहस के साथ शेर खान के विरुद्ध युद्ध के लिए कन्नौज चल पड़ा। हुमायूँ

और शेर खान की सेना बिलग्राम में आमने-सामने हुई, लेकिन हुमायूँ के सामंतों और सिपाहियों के षड्यंत्र के कारण बिना किसी युद्ध के उसे पराजित होना पड़ा। वह भागकर पंजाब की ओर चल पड़ा।

चौसा और बिलग्राम के युद्ध ने शेर खान को भारत का सम्राट बना दिया। उसके अदम्य उत्साह और बहादुरी ने मुगल साम्राज्य को अपदस्थ कर दिया तथा भारत में उसने सूर वंश की वास्तविक स्थापना की। शेर खान को द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।

शेरशाह का साम्राज्य विस्तार

1. गक्खड़ प्रदेश (1541 ई.)—उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में गक्खड़ जाति के लोग रहते थे, जो मुगलों के प्रति वफादार थे। शेरशाह ने इनकी शक्तियों को कमजोर करने एवं पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। वहाँ हैवात खान और वास खान के नेतृत्व में सेना रखी गई।

2. बंगाल (1541 ई.)—बंगाल में खिज़्र खान ने विद्रोह किया, जिसे शेरशाह ने कुचल दिया। इसके बाद दूरस्थ एवं धनवान प्रांतों में विद्रोह से बचने के लिए नए ढंग से शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। उसने बंगाल को 19 सरकारों (जिला) में विभक्त किया, साथ ही एक नया पद अमीन-ए-बंगला (असैनिक अधिकारी) की नियुक्ति की। प्रत्येक सरकार को एक शिकदार के अधीन कर दिया गया।

3. मालवा (1542 ई.)—बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मल्लू खान ने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शेरशाह के अभियान के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सूजाद खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया।

4. रायसीन (1543 ई.)—रायसीन प्रदेश (मध्य प्रदेश) चौहान राजपूत राय सिंहलजी के पुत्र पूरनमल के अधिकार में था। रायसीन पर कब्जे के लिए शेरशाह कई माह तक घेरा डाले रहा, जिसके बाद पूरनमल ने आत्मसमर्पण कर किले को शेरशाह के हाथों सौंप दिया। यह शेरशाह की विजय नीति के फलस्वरूप एक संघर्ष था, लेकिन इस संघर्ष में उसने कल्लेआम का कार्य किया, जो इतिहास में शेरशाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है।

5. राजस्थान (1544 ई.)—मारवाड़ में मालदेव का शासन था, जो योग्य, साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। शेरशाह राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करना चाहता था। उसने एक बार शौर्य के स्थान पर चालाकी का सहारा लिया और मारवाड़ पर अधिकार करने में सफल हुआ। उसने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ के शासक उदय सिंह को भी पराजित किया और देखते ही देखते अजमेर, जोधपुर, माउंट आबू तथा चित्तौड़ जैसे चार महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया, किंतु यह विजय उसे बहुत महँगी पड़ी। शेरशाह ने स्वयं स्वीकार किया कि वह मुठ्ठीभर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता।

6. कालिंजर (मई, 1545)—यह शेरशाह का अंतिम अभियान था। इस अभियान का मुख्य कारण कालिंजर के राजा कीरत सिंह द्वारा शेरशाह की अधीनता का स्वीकार न करना था, साथ ही उसने रीवा के महाराजा वीरभान सिंह को शरण दे रखा था, 1544 ई. में शेरशाह ने कालिंजर के किले का घेरा डाला। छह माह के घेरे के बावजूद जब किले को नहीं जीता जा सका, तब शेरशाह ने किले की दीवार को तोप से उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन तोप का एक गोला शेरशाह को ही लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले शेरशाह 'उक्का' नामक आग्नेयशास्त्र चला रहा था।

शेरशाह एक महान् शासक एवं प्रबंधकर्ता था, जो एक मामूली जागीरदार के पुत्र की स्थिति से उठकर बादशाह के पद तक पहुँचा था। जब वह मुगल सेना में था, तभी चंदेरी युद्ध के समय कहा था कि 'अगर भाग्य ने मेरा साथ

दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूँगा।’

शेरशाह का प्रशासन

शेरशाह मध्यकाल के महान् शासन प्रबंधकों में से एक था। शासन का पहला अनुभव उसे पिता की जागीर देखते हुए प्राप्त हुआ था। इसके बाद उसने जलाल खान के संरक्षक के रूप में और मुगलों के संपर्क में आकर भी प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया। वह प्रतिदिन सोलह घंटे काम करता था और सैन्य संगठन, सैन्य भर्ती, न्याय और लगान जैसे सभी कार्य स्वयं सँभालता था। शासन प्रबंधन और सैनिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से शेरशाह अफगानों में श्रेष्ठ और अकबर से भी अधिक रचनात्मक बुद्धिवाला और राष्ट्र निर्माता था। शेरशाह को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। शेरशाह प्रशासन सुधार के लिए मध्यकालीन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इतिहासकारों का मानना है कि अगर शेरशाह की आकस्मिक मृत्यु न हुई होती तो मुगलों का पुनरुत्थान भारत में नहीं होता। शेरशाह के अनुसार राज्य का कर्तव्य मात्र पुलिस प्रशासन ही नहीं अपितु लोक-कल्याण भी है। उसने अलाउद्दीन खिलजी के आधार पर सैनिक सुधार, मुहम्मद बिन तुगलक के आधार पर लगान एवं मालगुजारी की व्यवस्था, फिरोजशाह तुगलक के आधार पर सार्वजनिक कार्य, कश्मीर के सुल्तान जैनुलआबदीन के आधार पर धार्मिक नीति लागू किया। शेरशाह ने प्रशासन को केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्था के रूप में लागू किया।

शेरशाह को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। शेरशाह प्रशासन सुधार के लिए मध्यकालीन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासक था।

केंद्रीय प्रशासन

केंद्र की सारी शक्ति शेरशाह के हाथों में थी, लेकिन उसने इस शक्ति का प्रयोग प्रजाहित के कार्यों में किया। उसने केंद्रीय शासन के सभी विभागों का संगठन किया। शेरशाह का राजस्व सिद्धांत तुर्क और अफगानों का मिला-जुला स्वरूप था। उसके शासन में भी मंत्री तथा उच्चाधिकारी थे, लेकिन मुगलों के विपरीत मंत्रियों को उसने बहुत अधिक अधिकार नहीं दिया था। वे स्वयं निर्णय न लेकर सिर्फ आज्ञा का पालन करते थे। शासन व्यवस्था के लिए सल्तनत काल के अनुरूप ही उसने अनेक विभागों का निर्माण किया, जो निम्न हैं—

दीवान-ए-वजारत—यह लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग था, जिसका प्रधान वजीर कहलाता था। उसका काम वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का था तथा वह दूसरे मंत्रियों पर निगरानी भी रखता था। आय-व्यय का लेखा-जोखा दीवान-ए-वजारत के अधीन था।

दीवान-ए-आरिज—यह सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था। फौज की भर्ती, प्रबंधन तथा सेना के अनुशासन के लिए उत्तरदायी था।

दीवान-ए-रसालत—इस विभाग को दीवान-ए-मोहतसिब भी कहा जाता था। इसके अधीन विदेश मंत्रालय होता था, जो विदेशी मामलों की देख-रेख करता था।

दीवान-ए-इशा—यह राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग था। सूबेदारों तथा दूसरे स्थानीय अधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार भी इसी विभाग द्वारा होता था।

दीवान-ए-काजी—यह न्यायालय विभाग था, जिसका प्रमुख काजी कहलाता था। यह विभाग सूबेदारों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता था।

दीवान-ए-बरीद—यह खुफिया विभाग था, जिसके अंतर्गत गुप्तचर होते थे। ये गुप्तचर सभी प्रकार की सूचनाएँ राजा तक पहुँचाते थे। डाक का प्रबंध भी इसी विभाग के अधीन था।

खान-ए-सामान—शाही महल के विभिन्न कार्यों की देखभाल इसी विभाग के अधीन था।

इस प्रकार शेरशाह के अधीन केंद्रीय विभाग का लगभग वही स्वरूप था जैसा दिल्ली सल्तनत के बादशाहों का था।

प्रांतीय प्रशासन

शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था प्रबंधन के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कानूनगो का मानना है कि शेरशाह के समय सरकार के ऊपर कोई विभाग नहीं था। संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में विभक्त था। उसके समय प्रांत या सूबा जैसी कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी, लेकिन परमात्मा शरण बताते हैं कि प्रांत और फौजी गवर्नरों की व्यवस्था थी, भले ही 1541 ई. में बंगाल के विद्रोह के बाद विशेष व्यवस्था की गई और बंगाल को 19 सरकारों में बाँटा गया हो। इस प्रकार शेरशाह के समय सरकारों की कुल संख्या 66 हो गई थी। इस तरह प्रत्येक सूबा सरकारों में विभक्त था और प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसमें एक शिकदार-ए-शिकदारों तथा दूसरा मुंसिफ-ए-मुंसिफा न होता था।

शिकदार-ए-शिकदारों—यह सरकार का प्रमुख अधिकारी के साथ-साथ सैन्य अधिकारी भी होता था, जो शांति व्यवस्था देखने का काम करता था। वह फौजदारी मामलों की देखरेख करता था।

मुंसिफ-ए-मुंसिफान—यह मुख्य न्याय अधिकारी होता था तथा दीवानी मुकदमों का फैसला करता था, साथ ही यह अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों की निगरानी भी करता था।

प्रत्येक सरकार (जिला) कई परगनों में विभक्त था। परगने के मुख्य अधिकारी शिकदार, खजांची (फोटदार), अमीन, मुंसिफ, एक हिंदी और एक फारसी लिपिक (कारकुन) होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गाँव के अधिकारी पटवारी, चौकीदार, चौधरी, मुकदम तथा प्रधान होते थे। ये गाँव के प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, सफाई आदि कार्यों का निष्पादन करते थे।

शेरशाह का लगान व्यवस्था

शेरशाह के समय केंद्रीय आय का प्रमुख साधन भू-राजस्व या लगान था। अन्य स्रोतों में लावारिस संपत्ति, लूट का माल, जजिया कर इत्यादि था। शेरशाह किसानों की सुख-समृद्धि पर अधिक ध्यान देता था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था को अपने प्रांतों में लागू किया, जो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की व्यवस्था थी। शेरशाह ने भूमि सुधार हेतु भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि को बीघा में बाँटा, जिसमें एक बीघा का क्षेत्रफल 3600 सिकंदरी गज होता था। उसने भूमि को तीन श्रेणियों में बाँटा—

अच्छी भूमि,
मध्यम भूमि,
निकृष्ट भूमि।

शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। लगान के रूप में उसने उपज का एक-तिहाई भाग वसूल किया। लगान नकद और अनाज दोनों रूप में वसूला जाता था, लेकिन नकद को ही प्राथमिकता दी जाती थी। शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की। प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से पट्टा दिया जाता था, जिसमें भूमि संबंधी संपूर्ण जानकारी होती थी। किसान कबूलियत लिखकर लगान की निश्चित रकम चुकाने का वचन देता था। किसान लगान को सीधे सरकारी खजाने में जमा करते थे। मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक के बाद शेरशाह ने किसानों के हितों का अधिक ध्यान रखा। उसने सेना को किसानों की खड़ी फसल बरबाद न करने या तंग न करने का आदेश दिया। किसानों की फसल बरबादी की स्थिति

में क्षतिपूर्ति का प्रावधान था। शेरशाह किसानों को भूमि विकास या भूमि को उर्वर बनाने के लिए आसान किस्तों पर ऋण भी देता था। प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल के नष्ट होने पर शेरशाह ने लगान माफ कर दिया था। लगान के अलावा उसने 'जरीबाना' (सर्वेक्षण शुल्क) और 'मुहासिलाना' (कर संग्रह शुल्क) भी लगाया था। शेरशाह की लगान व्यवस्था बाद में अकबर के 'दहसाला' और अंग्रेजों की 'रैयतवाड़ी' व्यवस्था का आधार बनी। कानूनगो ने कहा है कि यदि शेरशाह 10 या 20 वर्षों तक और जीवित रहता तो वह जमींदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर देता।

मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक के बाद शेरशाह ने किसानों के हितों का अधिक ध्यान रखा। उसने सेना को किसानों की खड़ी फसल बरबाद न करने या तंग न करने का आदेश दिया। किसानों की फसल बरबादी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान था।

न्याय और गुप्तचर व्यवस्था

शेरशाह स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था। लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय परगनों में मुंसिफ और सरकार (जिला) में मुंसिफ-ए-मुंसिफान करता था। सैनिक मामले संबंधी मुकदमों की सुनवाई काजी के द्वारा की जाती थी, जबकि फौजदारी मामलों की सुनवाई शिकदार-ए-शिकदारों द्वारा की जाती। फौजदारी कानून कठोर था और सभी पर समान रूप से लागू होता था। सभी प्रकार के दंड दिए जाते थे, जैसे—कैद, कोड़ा से पीटना, अंग भंग करना, जुर्माना इत्यादि। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था तथा उसका कहना था कि 'न्याय करना धार्मिक कामों में सर्वश्रेष्ठ है।'

शेरशाह का गुप्तचर एवं सूचना विभाग अत्यंत उन्नत था। प्रमुख नगरों, बाजारों और सरायों में 'हरकारा' नियुक्त किया गया था। प्रत्येक समय दो घोड़े गुप्तचर कार्य के उद्देश्य से रखे जाते थे। शेरशाह अपने गुप्तचरों और संदेशवाहकों की सहायता से राजकीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। 'दारोगा-ए-डाक चौकी' डाक एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था।

मुद्रा व्यवस्था

शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था प्रणाली में अनेक सुधार किए। उसने पुराने धिसे हुए सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया और मुख्य रूप से चाँदी का 'रुपया' (178 ग्रेन) एवं ताँबे का 'दाम' (380 ग्रेन) जारी किया। सभी सिक्कों में अच्छी धातु का प्रयोग किया गया। सिक्कों पर शेरशाह की टकसाल का नाम अरबी-फारसी एवं देवनागरी लिपि में लिखा गया था। इसके समय में 23 टकसाल थीं। शेरशाह प्रथम शासक था, जिसने शुद्ध चाँदी का रुपया चलाया। इसके चाँदी के रुपए 1835 ई. तक प्रचलन में रहे। चाँदी का एक रुपया 64 ताँबे के दाम के बराबर होता था। शेरशाह द्वारा जारी सोने के सिक्के का नाम अशर्फी था, जिसमें 167 ग्रेन सोना होता था। सिक्के चौकोर और गोलाकार होते थे। सुन्नी होने के नाते उसने अपने सिक्कों में इस्लाम के पहले चार खलीफाओं के नाम अंकित कराए।

व्यापार एवं व्यवसाय

शेरशाह ने व्यापार एवं व्यवसाय को विकसित करने के लिए अनेक कार्य किए। उसने अपने अधिकारियों को व्यापारियों के साथ उचित व्यवहार करने का आदेश दिया। अनेक आबकारी करों को समाप्त कर दिया गया। उसने केवल दो स्थानों पर आबकारी कर लगाने का आदेश दिया। प्रथम पूर्वी बंगाल के सुनार गाँव की सीमा पर अथवा पंजाब में रोहतासगढ़ की सीमा पर अथवा अन्य सीमांत प्रदेशों की निश्चित सीमाओं पर, जहाँ बिक्री की वस्तुएँ

पहले आकर उतरती थीं तथा दूसरा उन स्थान पर लगाए जहाँ बिक्री की वस्तुएँ बिकती थीं। तस्कर व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। वस्तुओं का बाजार में मूल्य एक समान बनाए रखने का प्रयास किया जाता था।

शेरशाह के निर्माण कार्य

स्थापत्य के क्षेत्र में शेरशाह ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने सासाराम में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। हुमायूँ द्वारा निर्मित दीनपनाह नगर को तोड़कर दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया, जिसके अंदर 1542 ई. में किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद भारतीय और इस्लामी कला का मिला-जुला उदाहरण है। शेरशाह ने 1541 ई. में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य सासाराम में बनवाया गया शेरशाह का मकबरा है, जो एक झील के बीच में निर्मित है। कानूनगो ने इस विषय में लिखा है कि 'यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है।' कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। उसने कन्नौज शहर को ध्वस्त कर उसे नया रूप दिया।

शेरशाह का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य सासाराम में बनवाया गया शेरशाह का मकबरा है, जो एक झील के बीच में निर्मित है। कानूनगो ने इस विषय में लिखा है कि 'यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है।'

जन-कल्याण कार्य

शेरशाह के जन-कल्याणकारी कार्यों में सड़कों के निर्माण, सरायें, कुएँ, सड़क के किनारे छायादार वृक्ष, डाक व्यवस्था आदि प्रमुख हैं। उसने अपने साम्राज्य में चार बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। सबसे बड़ी और प्रमुख सड़क पूर्व में सोनार गाँव (बंगाल) से पश्चिम में अटक (सिंध) तक जानेवाली सड़क-ए-आजम (ग्रैंड ट्रंक रोड) का निर्माण कराया। इसे वर्तमान में शेरशाह सूरी पथ भी कहा जाता है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर-चित्तौड़ तक तथा चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक निर्माण करवाया। शेरशाह ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए घोड़े की व्यवस्था की।

शेरशाह बड़ा उदार प्रकृति का व्यक्ति था। उसने अनेक धर्मार्थ संस्थाएँ स्थापित कीं। निर्धनों को मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की। अनाथ शरणार्थियों के लिए आवास का प्रबंध किया। निःशुल्क आवास और निःशुल्क शिक्षा का भी प्रबंध किया।

मुगलकालीन बिहार

भारत में मुगल राजवंश की स्थापना का श्रेय तैमूरलंग तथा चंगेज खान के वंशज जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर को जाता है। यह 1526 ई. में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के शासक इब्राहीम लोदी को पराजित कर भारत के बड़े भू-भाग का शासक बना। बिहार में सुल्तान मुहम्मद शाह नूहानी एवं फारमूली कबीलों के सरदारों ने चुनौती दी। अपने सैनिक अभियान के दौरान बाबर ने अप्रैल, 1529 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर फारमूली सरदारों को आत्मसमर्पण करने पर विवश किया तथा मुर्शीद इराकी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 27 अप्रैल, 1529 को उसने मुनेर सरदारों को पराजित किया। बाबर की सेना में शेरशाह ने भी कार्य किया था। 30 दिसंबर, 1530 को बाबर की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र हुमायूँ शासक बना। शेरशाह ने हुमायूँ की सत्ता को चुनौती दी तथा उसे चौसा के निकट 26 जून, 1539 को बुरी तरह पराजित किया। कर्मनाशा नदी पार कर हुमायूँ ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शेरशाह ने पुनः 1540 ई. में कन्नौज के युद्ध में हुमायूँ को पराजित किया। शेरशाह द्वारा स्थापित सूर वंश

के शासकों ने 1555 ई. में हुमायूँ को पुनः दिल्ली पर कब्जा कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की लेकिन 1556 ई. में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूँ की अचनाक मृत्यु हो गई। हुमायूँ के बाद उसका अल्प वयस्क पुत्र जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर 14 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना।

1555-56 ई. में हुमायूँ द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की गई। वास्तव में भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक अकबर को माना जाता है। उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के शासक बनने के प्रारंभिक काल में अफगानों ने बिहार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। 1564 ई. में एक अमीर सूलेमान करानी ने बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की। उसकी मृत्यु के बाद 1572 ई. में दाऊद खान शासक बना। उसने अपने नाम से खुतबा पढ़ाया एवं नया सिक्का चलाया। दाऊद खान ने पटना के दुर्ग को नष्ट कर दिया। अकबर ने दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए मुनीम खान को बिहार भेजा। दाऊद खान उस समय हाजीपुर में तथा उसका मंत्री लोदी सरदार रोहतास में था। मुनीम खान को दाऊद खान के ऊपर सफलता नहीं मिलने के पश्चात् स्वयं सम्राट् अकबर को पटना आना पड़ा। उसने हाजीपुर के दुर्ग पर आक्रमण किया और किलेदार फतह खान बरहा के साथ अन्य अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार अकबर ने हाजीपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया।

अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान को छोटानागपुर के राजा बैरीशाल के खिलाफ भेजा। शाहबाज खान द्वारा बैरीशाल को पराजित किया गया तथा उसे सम्राट् अकबर की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। 1579 ई. में राजा मानसिंह ने पलामू के चेरों राज्य पर आक्रमण किया, जिसने उन्हें मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लगान देने के लिए मजबूर किया। अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को भी 1574 ई. में पराजित कर मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। मानसिंह ने 1587 से 1594 ई. के बीच इस क्षेत्र में मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर आदि के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाया। मानसिंह ने कुछ समय के लिए राजमहल को भी अपनी राजधानी बनाया और उसे अकबर नगर नाम दिया।

जहाँगीर ने 1621 ई. में राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। जहाँगीर के शासन काल में खोखरादेश (छोटानागपुर) के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। वह छोटानागपुर के हीरे की खानों पर अधिकार प्राप्त करने में सफल हुआ। जहाँगीर की आत्मकथा 'तुजुके जहाँगीरी' में इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख है। शाहजहाँ ने 1623-24 ई. में बिहार का क्षेत्र परवेज से छीन लिया तथा उसके विद्रोह को कुचल दिया। इसके शासन काल में बिहार में शांति बनी रही। औरंगजेब ने 1702 ई. में अपने पोते राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा और उसने नगर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए। बंगाल का तत्कालीन दीवान मुर्शिद कुली खान था। उसने 1704 ई. में बंगाल का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तथा मुगल सम्राट् को कर देना बंद कर दिया। अजीम के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म पटना में ही हुआ था। उसने सम्राट् जहाँदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार स्थापित किया। फर्रुखसियर ने पटना में ही अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और आगरा के युद्ध में विजयी होकर सम्राट् बना। वह पहला मुगल सम्राट् था, जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ।

औरंगजेब ने 1702 ई. में अपने पोते राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा और उसने नगर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए।

फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन एवं सरफराज खान ने 1740 ई. तक शासन किया। बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक नायब नाजिम के पद का सृजन किया गया तथा पहला नाजिम अलीवर्दी खान बना। 1740 ई. में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया तथा 1756 ई. तक शासन किया। उसने बिहार में सुचारु रूप से शासन चलाने के लिए जैनुद्दीन हैबत को बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। अलीवर्दी खान को प्रारंभ से ही मराठों एवं अफगानों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1743 ई. में पुनः पूना के मराठा पेशवा बालाजी राव ने बिहार पर आक्रमण किया तथा वह मुंगेर होता हुआ भागलपुर पहुँचा। अफगानों ने 1748 ई. में मुस्तफा खान के नेतृत्व में हैबत जंग की हत्या कर दी। अलीवर्दी खान ने उसे पटना के युद्ध में पराजित किया। 1751 ई. में अलीवर्दी खान ने मराठों को फतुहा के समीप युद्ध में पराजित किया, लेकिन उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्रों में मराठों का अधिकार बना रहा। अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात् सिराजुद्दौला 1756 ई. में उसका उत्तराधिकारी बना।

मुगलकालीन बिहार की शासन व्यवस्था

मुगलकाल में बिहार की शासन व्यवस्था अनेक स्तरों पर विभाजित थी। प्रारंभ के वर्षों में मुख्य रूप से 1526 से 1540 ई. तक प्रशासन के पुराने ढाँचे को ही लागू रखा गया। बाबर ने 1529 ई. में घाघरा युद्ध में बिहार के अफगानों को पराजित किया था। उसने कई बार बिहार का दौरा किया, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं किया। 1540 ई. में शेरशाह ने बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया और यहाँ एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उसने आधुनिक बिहार के उत्तरी हिस्से को बंगाल से अलग पूर्णरूप प्रदान किया। उसने अपने प्रशासन को कई स्तर पर बाँटा, जिसका अनुसरण बाद में सम्राट् अकबर ने भी किया।

बख्शी युद्ध विभाग का प्रधान एवं फौजदार प्रांतीय सेना का सेनापति होता था। कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। मीरबहर का मुख्य कार्य बंदरगाहों पर कर वसूलना, सीमा शुल्क वसूलना एवं नौकाओं पर लगे कर वसूलना था।

अकबर ने बिहार को सूबा या प्रांत के रूप में गठित किया और यह परंपरा औरंगजेब के शासन काल तक जारी रही। 'आईन-ए-अकबरी' के अनुसार बिहार प्रांत (सूबा) सात सरकारों (जिला) में बाँटा हुआ था। ये सरकार थे—तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण, मुंगेर, बिहार तथा रोहतास। सरकारों को 199 परगनों में विभाजित किया गया था, जिसमें मिथिला प्रमुख था। बेतिया एवं हथुआ उत्तरी बिहार के सरकारों के अधीन थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर, बिहार तथा रोहतास प्रमुख सरकार (जिला) थे। पटना एवं गया बिहार सरकार के अंतर्गत क्षेत्र थे। सरकारों को जमींदारों के अधीन रखा गया। औरंगजेब के शासन काल में बिहार में सरकारों की संख्या 8 थी और परगनों की संख्या 245 थी। बिहार को मुगलों ने काफी महत्वपूर्ण सूबे का दर्जा प्रदान किया था। यहाँ कुतुबुद्दीन कोकल, सुलेमान शिकोह, आजम, अजीमुल्लान, मानसिंह, सैफ खान, मीर जुमला एवं दाऊद खान को सूबेदार नियुक्त किया गया था। सूबेदार की सहायता के लिए दीवान को नियुक्त किया गया था, जो सूबेदार को सूबे का प्रशासन चलाने में मदद करता था। दीवान का मुख्य कार्य राजस्व उगाही करना था। सदर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था, जबकि काजी न्यायाधीश होता था। बख्शी युद्ध विभाग का प्रधान एवं फौजदार प्रांतीय सेना का सेनापति होता था। कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। मीरबहर का मुख्य कार्य बंदरगाहों पर कर वसूलना, सीमा शुल्क वसूलना एवं नौकाओं पर लगे कर वसूलना था। वकई नदी सूचनाओं को जमा करनेवाला अधिकारी था।

सरकार (जिला) के स्तर पर प्रशासन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अनेक अधिकारी होते थे।

फौजदार सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था एवं सूबेदार का प्रमुख सहायक होता था। फौजदार को राजस्व, पुलिस एवं सैनिक अधिकार प्राप्त थे। इसकी तुलना वर्तमान में जिला मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। अमलागुजार राजस्व उगाही करनेवाला अधिकारी होता था। प्रत्येक सरकार में कौदी या कादी होता था, जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता था। कौदी की सहायता के लिए मुलिफ्तियों की नियुक्ति की जाती थी। वह फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भी करता था। इसकी सहायता के लिए मीर आदिल होते थे। कोतवाल शहरी अधिकारी के रूप में नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था।

प्रत्येक सरकार के अंतर्गत अनेक परगने होते थे। अकबर के समय बिहार में परगनों की संख्या लगभग 200 तथा औरंगजेब के समय लगभग 246 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना था। परगने में शिकदार प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था। राजस्व से संबंधित प्रशासन का दायित्व आमिल के ऊपर होता था। कारकुन का कार्य परगने का लेखा-जोखा तैयार करना एवं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुँचाना था। फोतदार स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी था। चौधरी राजस्व वसूल करनेवाला अधिकारी था, जबकि कानूनगो राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था।

शेरशाह द्वारा स्थापित निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को मुगल शासकों ने जारी रखा। वायसराय दाऊद खान के एक अधिकारी जफर खान द्वारा कई स्थानों, जैसे—खजेकली, सदरमली, भागलपुर, राजमहल आदि स्थानों, पर इस तरह के न्यायालय स्थापित किए गए।

मुगलकालीन बिहार सूबे का स्थानीय प्रशासन काफी सुदृढ़ था। परगनों के नीचे कई गाँव आते थे। इन गाँवों के प्रशासन में मुगल सम्राट के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मुखिया गाँव का प्रधान अधिकारी था। ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के विवादों का निपटारा गाँव का मुखिया ही करता था। पंचायत न्यायालय का कार्य करती थी।

बिहार सूबे की आय मुख्यतः भूमि, राजस्व, व्यापार, टकसाल, तोहफे, एकाधिकार, नमक, खान, जजिया, जकात, खम्स आदि से होती थी। इसके अतिरिक्त बाजार कर से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। भूमि को खालसा, जागीर एवं सयुरगल में बाँटा गया था। उन्हें राय या राजा के हाथों में बने रहने दिया गया। भूमि राजस्व की वसूली शिकदार करता था। उसकी मदद के लिए नवीसिंदा एवं मुकद्दम होते थे। अकबर के शासन काल में टोडरमल ने बिहार की भूमि की नाप की और भूमि राजस्व लगभग 25 लाख रुपए तय किया। व्यापारियों पर लगाए जानेवाले करों में मुख्य कर वजुहत, जीहत, सैरजीहत आदि थे। फरूआत जमींदारों द्वारा वसूला गया कर था। इसके अतिरिक्त इखराजत, अबाब, हुबुबात आदि प्रमुख कर थे। वेश्यालयों से भी कर वसूले जाते थे।

सैनिक प्रशासन की दृष्टि से बिहार प्रांत में विशेष ध्यान दिया गया। सेना में पहलवानों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। इसमें उत्तरी बिहार के महेशी और केंद्रीय बिहार के बक्सर के लोग प्रमुख थे। सेना तीन प्रकार की होती थी। प्रथम उच्चाधिकारियों द्वारा गठित सेना थी। उन्हें मनसब के आधार पर बाँटा गया था। दूसरी प्रांतीय सेना थी, जिसमें जमींदारों की प्रमुख भूमिका थी। सूबेदार को आवश्यकता पड़ने पर प्रांतीय सेना सहायता करती थी। सेना का तीसरा स्तर स्थानीय स्तर पर गठित घुड़सवार सैनिक था।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुगल शासकों ने बिहार सूबे में एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने अपने प्रांतीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना किसी भेदभाव के वे जनता का कल्याण करें। विधि व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के साथ न्याय करना उनके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। दीवानी एवं फौजदारी मामलों में अपराधियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था थी।

मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति

मध्यकाल में बिहार कई धार्मिक संप्रदाय और जातियों में विभाजित था। हिंदू समाज मुख्य रूप से चार वर्णों एवं अनेक जातियों, यथा—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बँटा हुआ था। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद समाज में क्षत्रियों का स्थान था। वैश्य पूर्व की भाँति आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। शूद्रों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। वे पहले की ही तरह कृषि उत्पादन एवं शारीरिक श्रमों से जुड़े हुए थे।

गया का विष्णुपद मंदिर वैष्णव संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि चैतन्य को गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया।

मध्यकालीन बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते थे। मिथिला में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती थी। यहाँ के बड़े संतों एवं उपासकों में देवादित्य मंडन मिश्र, गंगेश उपाध्याय एवं अन्य तांत्रिकों की चर्चा मिलती है। वैष्णव धर्म का बिहार के लोगों के ऊपर लंबे समय से प्रभाव रहा है। गया का विष्णुपद मंदिर वैष्णव संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि चैतन्य को गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया। चैतन्य देव के वैष्णव अनुयायी बड़ी संख्या में बिहार के थे। उनके प्रमुख शिष्य रघुपति उपाध्याय का जन्म तिरहुत में हुआ था। चैतन्य के अन्य शिष्य विष्णुपुरी मैथिल ब्राह्मण थे।

बिहार में शैव धर्म भी बहुत लोकप्रिय रहा है। यहाँ शैव धर्म से संबंधित मुख्य धार्मिक केंद्र वैद्यनाथ धाम, वैकटपुर (पटना), बोधगया मठ (गया), बाजिदपुर (समस्तीपुर) आदि हैं। उत्तर बिहार में शैव धर्म के अनुयायी सर्वाधिक संख्या में थे। सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है।

11वीं सदी में बिहार में मुगल मुसलमानों के आगमन से यहाँ की सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए। प्रारंभ में हिंदुओं ने इस्लाम का भरपूर विरोध किया, लेकिन यह विरोध धीरे-धीरे समझौते में बदल गया और अनेक स्तरों पर दोनों धर्मों का आदान-प्रदान हुआ। फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग यहाँ के लोगों ने न्यायालयों में करना शुरू किया। यह प्रवृत्ति 18वीं सदी तक बनी रही। हिंदू और मुसलमान संतों ने समान रूप से राम और कृष्ण की प्रशंसा में भक्तिपूर्ण गीत गाए। मध्यकाल में बिहार सूफी संतों का महत्त्वपूर्ण केंद्र रहा। सूफियों के दर्शन और शंकराचार्य के दर्शन में काफी समानता पाई गई।

मध्यकाल में मिथिला की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इसने समाज को प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान करने के बजाय रूढ़िवादी एवं कठोर दृष्टिकोण प्रदान किया। मिथिला के समाज को कुलीनवाद की तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय वहाँ के राजा हरिसिंहदेव को दिया जाता है, जो मिथिला के कर्णाट वंश के अंतिम शासक थे। मिथिला में बड़े पैमाने पर वंशावली तैयार कराई गई और पंजी व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया। पंजी प्रबंध के तहत रक्त की पवित्रता विवाह का आधार बनी और समाज में अपनी प्रभुता को बनाए रखने का साधन बनी। समाज एकजुट होने के बजाय कई वर्गों में खंडित हो गया। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी कई गोत्रों का जन्म हुआ। ज्योतिरीश्वर ने 'वर्ण रत्नाकर' में राजपूत जातियों की एक सूची प्रदान की, जिसमें परमार, चौहान, कछुवाहा, चंदेल, गहलौल, गांधर्व आदि जातियाँ प्रमुख हैं। मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 36 राजपूत जातियों के विषय की जानकारी ली। निम्न जाति के लोगों ने भी राजनीतिक सत्ता हासिल कर अपने को क्षत्रिय घोषित किया। एक बार शासक बन जाने के बाद इन लोगों ने अपनी वंशावलियाँ तैयार करवाकर और अपने को चंद्र और सूर्य से जोड़ा।

सतीप्रथा का प्रचलन समाज की ऊँची जातियों में ही था। इस पद्धति को अकबर के समय में कानून

बनाकर निषिद्ध कर दिया गया।

मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति पूर्व की भाँति काफी दयनीय रही। बहुविवाह और बालविवाह का प्रचलन लगभग सभी समाज में व्याप्त था। माता-पिता के द्वारा अपनी पुत्रियों को थोड़े से सिक्कों के लिए बेचा जाने लगा। शिक्षा की स्थिति काफी चिंताजनक रही। इस काल में वेश्याओं का मजाक उड़ाया जाने लगा। इस काल में औरतों के सती होने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कर्णाट राजा शिवसिंहदेव एवं मिथिला के राजा भवसिंह की पत्नियों के द्वारा सती होने का प्रमाण मिलता है। सतीप्रथा का प्रचलन समाज की ऊँची जातियों में ही था। इस पद्धति को अकबर के समय में कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया।

मध्यकालीन बिहार में दासप्रथा का भी प्रचलन था। मालिक या स्वामी जब चाहता, दासों की खरीद-बिक्री कर सकता था। विद्यापति की रचनाओं में दासप्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। विद्यापति की 'कीर्तिलता' से पता चलता है कि 13वीं तथा 14वीं शताब्दियों में हिंदुओं की दशा बड़ी दयनीय थी।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकालीन बिहार की सामाजिक दशा अत्यंत ही दयनीय थी।

मध्यकालीन बिहार की आर्थिक स्थिति

मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्णरूप से कृषि पर आश्रित थे। कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। मध्यकाल में कृषि पद्धति संभवतः वर्तमान कृषि पद्धति जैसी ही थी। प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उपयोग की सभी वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर उत्पादन होना था। खाद्य फसल के रूप में कृषक धान, दलहन, तिलहन, जौ, बाजरा, ईख, कपास, गेहूँ, आदि फसल उपजाते थे। तंबाकू तथा अफीम की खेती भी की जाती थी, जिसका उपयोग औषधि एवं मादक द्रव्य के रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त इस काल में चीनी, तेल, सुगंधित तेल, इत्र आदि भी बनाए जाते थे और इनका निर्यात भी किया जाता था।

मध्यकाल के उत्तरार्ध में जमींदारों, जागीरदारों एवं बिचौलियों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कृषकों की स्थिति अत्यधिक जर्जर हो गई। सामंतवादी व्यवस्था में अधिक मात्रा में लगान वसूलने का कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे किसानों के साथ-साथ कृषि की प्रगति पर भी बुरा असर पड़ा। सामंतवादी व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया एवं उन्हें भूमिहीन बना दिया।

मध्यकालीन बिहार में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित थे। इनमें वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, गव्य उद्योग, चर्म उद्योग, काष्ठ एवं हस्तशिल्प उद्योग अधिक महत्वपूर्ण थे। तिरहुत का क्षेत्र गव्य उद्योग के लिए विख्यात था। मिथिला का क्षेत्र कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। इस काल की पुस्तक 'वर्णरत्नाकर' में तीस तरह के कपड़े का उल्लेख मिलता है। यद्यपि रेशम के कीड़े बंगाल में पाए जाते थे, किंतु रेशम वस्त्र का निर्माण बिहार में होता था। इसके अतिरिक्त अनेक लघु एवं कुटीर उद्योग भी मध्यकालीन बिहार में विकसित थे।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकालीन बिहार में भले ही कृषकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अनेक प्रकार के लघु एवं बड़े उद्योग विकसित थे। व्यापार एवं व्यवसाय कृषि कार्य के बाद प्रमुख आर्थिक क्रिया-कलाप थे।

बिहार में सूफीवाद

मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक विकास का क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई, जिसमें सूफी संतों की देन महत्वपूर्ण रही। बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं शताब्दी में मनेर में बसनेवाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। 13वीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे। इनमें चिश्ती, कादरी,

सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी आदि प्रमुख थे। बिहार में सबसे अधिक चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संतों ने समन्वित संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया। इन संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय फिरदौसी रहा है।

सूफी संतों ने जीवन की व्यावहारिकता पर जोर दिया और सरलता एवं सादगी को मानव जीवन का सबसे महान् आभूषण बताया। उन्होंने हिंदू धर्म की प्रशंसा की और कहा कि भारत में इस्लाम और हिंदू धर्म के समन्वय के आधार पर ही सम्यक् समाज की स्थापना की जा सकती है। एकेश्वरवाद में उनकी आस्था थी और ईश्वर को वे अपने प्रेमी के रूप में देखते थे। घृणा एवं नफरत के स्थान पर उन्होंने आपस में श्रद्धा एवं सम्मान को स्थापित करने पर बल दिया।

बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के संतों में सबसे प्रमुख स्थान मखदूम शफ़ुद्दीन याहिया मनेरी को प्राप्त है। इनका जन्म 1263 ई. में हुआ था। इनके पिता का नाम मखदूम याहिया मनेरी था। आज भी इनकी दरगाह मनेर में बड़ी दरगाह के नाम से मौजूद है। उन्होंने दुनिया के लोगों की सत्ता को स्वीकार करने के बजाय ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने और उससे प्रेम करने पर बल दिया। इनकी मृत्यु

1381 ई. में हुई। बिहार में फिरदौसियों ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक परिवर्तन का समर्थन नहीं किया। फिर भी उनके विचार से प्रभावित होकर हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया।

बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के संतों में सबसे प्रमुख स्थान मखदूम शफ़ुद्दीन याहिया मनेरी को प्राप्त है। इनका जन्म 1263 ई. में हुआ था। इनके पिता का नाम मखदूम याहिया मनेरी था। आज भी इनकी दरगाह मनेर में बड़ी दरगाह के नाम से मौजूद है।

मखदूम शफ़ुद्दीन के पिता मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा बारी दरगाह के नाम से जाना जाता है। फिरदौसी सिलसिले के अन्य प्रमुख संत अहमद चिरमपोश की दरगाह बिहारशरीफ के नजदीक अंबई में स्थित है। वे अध्यात्मिक गुरु शेख अलाउद्दीन चिरमपोश (भागलपुर) के शिष्य थे।

बिहार के प्रमुख सुहरावर्दी सिलसिले की दो प्रमुख उपशाखाएँ थीं—प्रथम फिरदौसिया एवं द्वितीय सत्तारिया सिलसिला। सत्तारिया संप्रदाय की शुरुआत अब्दुल्लाह सत्तार ने बिहार में की। बिहार प्रांत में कादरी एवं नक्शबंदी संप्रदाय का भी बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार हुआ। सूफी सिलसिले का कादरिया संप्रदाय बिहार में अपेक्षाकृत बाद में आया। अली शेर इस संप्रदाय के बिहार में पहले संत थे। उन्हें औरंगाबाद के कुटुंबा में दफनाया गया था। कादरी सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावी संत मखदूमशाह मुहम्मद मुन्नाम थे। उनका जन्म बिहारशरीफ के निकट पचना गाँव में हुआ था। उन्होंने पटना सिटी के मितन घाट मुहल्ले में मीर तकी मस्जिद का निर्माण कराया। नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत साहकाले का मकबरा पटना के पश्चिम दरवाजे में स्थित है। औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत बिहारशरीफ निवासी मुल्ला मोहन का शिष्य था। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत शेख फतह एवं शेख बरहान फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में बिहार आए।

इस प्रकार बिहार में विभिन्न सिलसिले के सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, जनसेवा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का उपदेश दिया। धर्मांधता, भेदभाव, ऊँच-नीच, घृणा आदि की उन्होंने निंदा की।

मध्यकालीन बिहार में शिक्षा

मध्यकालीन बिहार में परंपरागत ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती थी। टोला, पाठशाला एवं मंदिरों में हिंदुओं के शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। शिक्षक अपने घर पर भी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षकों के द्वारा व्याकरण, धर्मशास्त्र,

न्यायशास्त्र एवं ज्योतिषशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, हिंदी, बंगाली, उड़िया एवं उत्तर बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं को भी टोला में पढ़ाया जाता था। टोला के द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाना ज्यादा लोकप्रिय था। मुसलमानों को मकतब, मदरसा एवं खानकाहों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनकी शिक्षा का विषय मुख्य रूप से धार्मिक होता था। मकतब प्रायः प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे। मदरसा आज के महाविद्यालयों के समान था। बिहार में बिहारशरीफ, फुलवारीशरीफ, शेरघाटी, भागलपुर आदि में खानकाहों की स्थापना की गई थी।

दरभंगा राज के संस्थापक महेश ठाकुर के शिष्य रघुनंदन दास राय तर्कशास्त्र के महान् विद्वान् थे। अकबर ने उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला का क्षेत्र भेंट में दिया था।

मध्यकालीन बिहार का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र मिथिला था। यहाँ बिहार के अलावा बाहर के छात्रों को भी सामान्य शिक्षा के अलावा न्याय, तंत्र आदि विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। मिथिला के गणेश उपाध्याय ने 13वीं सदी में 'तत्त्वचिंतामणि' नामक पुस्तक की रचना की। मिथिला में ध्यौत परीक्षा प्रचलित थी। इसका प्रचलन दरभंगा महाराज के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत राजपंडितों के द्वारा शिक्षित छात्रों का साक्षात्कार लिया जाता था और महाराजा के समक्ष साहित्य एवं अन्य विषयों पर चाद-विवाद किया जाता था। दरभंगा राज के संस्थापक महेश ठाकुर के शिष्य रघुनंदन दास राय तर्कशास्त्र के महान् विद्वान् थे। अकबर ने उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला का क्षेत्र भेंट में दिया था।

शाहजहाँ के शासन काल में बिहार के विद्वानों का काफी सम्मान हुआ। ये विद्वान् फारसी, अरबी एवं संस्कृत भाषा तथा व्याकरण के थे। पटना के भवदेव मिर, जिन्होंने योग एवं वेदांत के ऊपर कई पुस्तकें लिखीं, को राजकुमार दारा शिकोह ने सम्मानित किया। पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ, मनेर आदि मध्यकालीन बिहार के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। शेख कबीर द्वारा लिखित 'अफसाना-ए-शासन' में एवं मुहम्मद सादिक एवं अब्दुल लतीफ ने अजीमाबाद (पटना) में हुई बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विषय में विस्तार से चर्चा की। राजा राममोहन राय फारसी भाषा का अध्ययन करने पटना आए थे। प्रसिद्ध ईरानी यात्री अहमद बहानी (1807 ई.) ने शैफ खान के मदरसे (पटना) में भ्रमण किया। बिहार के नायब नजिम राजा रामनारायण मौजू, जो प्रसिद्ध शायर शेख अली अजीन के शिष्य थे, ने फारसी भाषा में 'दीवान' की रचना की। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति महाराजा कल्याण सिंह ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक 'खुलासत-उत-तवारीख' की रचना की। 19वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांसिस बुकानन ने पटना का दौरा किया था। वहाबी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति मौलवी अहमदुल्लाह ने पटना में इस्लाह-अल-मुसलमीन नाम से एक मदरसे की स्थापना की।

मध्यकालीन बिहार की स्थापत्यकला

मध्यकालीन बिहार स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में हिंदू स्थापत्य कला के स्थान पर इस्लामी स्थापत्य कला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। अरब, अफगान एवं हिंदू शैली का मिश्रण ही इस्लामी स्थापत्य कला थी। इस्लामी वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता मीनार, मेहराब, गुंबद का निर्माण आदि प्रमुख था। इस्लाम धर्म में मूर्ति निर्माण निषिद्ध था, इस कारण मध्यकाल में मूर्तिकला का विकास नहीं हो सका।

मध्य काल में बिहार प्रायः दिल्ली सल्तनत, शर्की, लोदी, सूर एवं मुगल शासकों के अधीन रहा। इसलिए बिहार की वास्तुकला पर इन राजवंशों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। दिल्ली सल्तनत की शाही शैली का सुंदर नमूना 1353 ई. में निर्मित बिहारशरीफ के मलिक इब्राहीम का मकबरा है। इस शैली की अन्य इमारतों में

बिहारशरीफ के ही हजरत मुहम्मद सिबस्तानी का मकबरा, मलिक बयॉ का मकबरा तथा पटना में स्थित सांगी मस्जिद प्रमुख है। बिहार में 15वीं शताब्दी में वास्तुकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का प्रभाव रहा। शर्की शासन के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास अधिक हुआ। इस शैली की प्रमुख इमारत मुंगेर स्थित शाह नफी का मकबरा है।

सूर शैली या अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा है। 1545 ई. में निर्मित यह मकबरा अष्टकोणीय मकबरों की शृंखला में अंतिम माना जाता है। यह मकबरा हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक महान् तथा सुंदर नमूना है। पर्सी ब्राउन एवं कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। शेरशाह द्वारा बिहार के रोहतास में किले का निर्माण करवाया गया था। यह किला कैमूर पर्वत श्रेणी पर डेहरी से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रोहतासगढ़ किले के अंदर गणेश मंदिर, हाथी दरवाजा, हैगिंग हाउस, हथिया पोल, आईना महल, हब्श खान का मकबरा, जामी मस्जिद, दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम आदि स्थित हैं।

पूर्व मुगल कला शैली के अंतर्गत अकबर एवं जहाँगीर के शासन में बनी बिहार की इमारतें आती हैं। अकबरकालीन बने दो स्थापत्य के नमूने रोहतासगढ़ के इवास खान की मस्जिद एवं साकी सुल्तान का मकबरा प्रमुख हैं। जहाँगीर के काल में बनी इमारतों में मनेर स्थित मकदूम शाह दौलत का मकबरा प्रमुख है, जिसे छोटी दरगाह भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1617 ई. में लाल पत्थर से हुआ। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना फुलवारीशरीफ की सांगी मस्जिद है। उत्तर मुगल कला शैली के अंतर्गत भागलपुर के नजदीक चंपानगर में अवस्थित मकदूम साहब का मकबरा प्रमुख है। इस शैली की अन्य संरचनाओं में हाजीपुर की जामी मस्जिद, भागलपुर की मीर साहिब का टोला मस्जिद, पटना की शेरशाह मस्जिद, पटना के मदरसा घाट की मदरसा मस्जिद, मुनरुद्दौला का मकबरा इत्यादि प्रमुख हैं।

दिल्ली सल्तनत की शाही शैली का सुंदर नमूना 1353 ई. में निर्मित बिहारशरीफ के मलिक इब्राहिम का मकबरा है। इस शैली के अन्य इमारतों में बिहारशरीफ के ही हजरत मुहम्मद सिबस्तानी का मकबरा, मलिकबयॉ का मकबरा तथा पटना में स्थित सांगी मस्जिद प्रमुख है।

मध्यकालीन बिहार में कलात्मक हिंदू मंदिरों के निर्माण भी अनेक स्थलों पर किए गए। पटना के समीप वैकुंठपुर का शिवमंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, अपने अलंकृत गर्भगृह, दीवारों पर बने लघुचित्र इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने ही करवाया था। इस काल का एक प्रमुख मंदिर गणेश मंदिर भी है।

यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से यूरोपीय स्थापत्य शैली का प्रभाव भी बिहार पर पड़ा। हॉलैंड शैली से प्रभावित पटना समाहरणालय एवं पटना कॉलेज के भवन हैं। राजभवन, मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय आदि की इमारतों पर यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

तिथिक्रमावली

पूर्व मध्यकाल

750-1175 ई.—पाल वंश का शासन काल।

750-770 ई.—पाल वंश के संस्थापक, गोपाल का शासन काल, ओदंतपुरी विहार की स्थापना।

770-810 ई.—धर्मपाल का शासन काल, विक्रमशिला विहार की स्थापना।

810-855 ई.—देवपाल का शासन काल, पालकालीन सांस्कृतिक प्रगति का काल।

858-912 ई.—नारायणपाल का शासन काल।

912-936 ई.—राजपाल का शासन काल।

1095-1197 ई.—सेनवंश का बिहार में शासन काल, बौद्ध धर्म का हसकाल।

1097-1098 ई.—मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र में कर्णाट वंश का अभ्युदय।

1180 ई.—इमाम ताज फकीह का मनेर में आगमन।

मध्यकाल

1197-98 ई.—बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना अंतिम पाल शासक इंद्रधनुपाल पराजित।

1203-04 ई.—बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मणवटी (लखनौती) पर अधिकार, लक्ष्मण सेन पराजित, बंगाल में तुर्क सत्ता का विस्तार, बख्तियार खिलजी का कामरूप अभियान।

1290-1381 ई.—बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जीवनकाल।

1324-25 ई.—गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान, कर्णाट वंश का अंत, बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय, बिहारशरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना।

1359-60 ई.—फिरोजशाह का जाजनगर (उड़ीसा) अभियान, दक्षिण बिहार (झारखंड) में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई।

1504 ई.—सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन।

1528-1532 ई.—बिहार में नूहानी अफगानों का उत्कर्ष।

1529 ई.—घाघरा की लड़ाई में बाबर द्वारा नूहानी सरदार पराजित।

1532 ई.—देवरा (दौरा) की लड़ाई में हुमायूँ द्वारा नूहानी सरदार पराजित।

1536 ई.—सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर खाँ (शाह) द्वारा बंगाल का सुल्तान पराजित।

1539 ई.—चौसा की लड़ाई में शेरशाह द्वारा हुमायूँ पराजित, अफगानों के पुनरुत्थान आरंभ।

1540 ई.—बिलग्राम (कन्नौज) की लड़ाई में शेरशाह द्वारा हुमायूँ पुनः पराजित, शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार, सूर वंश की स्थापना।

1540-55 ई.—सूर वंश का शासन काल।

1540-45 ई.—शेरशाह का शासन काल।

1541 ई.—शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास।

- 1545 ई.—सहस्राराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण।
- 1556-1576 ई.—बिहार में करारानी अफगानों का शासन।
- 1574-76 ई.—बिहार पर अकबर का आक्रमण, दाऊद करारानी की हार, बिहार पर मुगलों का शासन आरंभ।
- 1580 ई.—मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार सूबे का गठन।
- 1585-1587 ई.—अंग्रेज यात्री रैल्फ फिच ईरानी यात्री मुल्ला तकीया का बिहार में भ्रमण।
- 1608 ई.—ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ की बिहार यात्रा।
- 1616 ई.—मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण।
- 1619 ई.—ईरानी यात्री मुहम्मद सादिक का बिहार में आगमन।
- 1621 ई.—राजकुमार परवेज की बिहार के सूबेदार पद पर नियुक्ति।
- 1623 ई.—शाहजहाँ का विद्रोह, बिहार पर अधिकार का प्रयास।
- 1651 ई.—पटना में अंग्रेजों की फैक्टरी (व्यापारिक केंद्र) की स्थापना।
- 1666 ई.—पटना में गुरु गोविंद सिंहजी का जन्म।
- 1665-66 ई.—फ्रांसीसी यात्री की बिहार यात्रा टर्वेनियर।
- 1670-71 ई.—अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा।
- 1702 ई.—राजकुमार अजीम बिहार का सूबेदार नियुक्त, पटना का नाम 'अजीमाबाद' पड़ा।
- 1713 ई.—मुगल सम्राट् फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक।
- 1733 ई.—बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित।
- 1734-40 ई.—अलीवर्दी खाँ बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत।
- 1740-48 ई.—हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत।
- 1748 ई.—बिहार में रूहेला अफगानों का विद्रोह, हैबत जंग की हत्या।
- 1751 ई.—बिहार पर मराठों का आक्रमण।
- 1757 ई.—प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय, सिराजूद्दौला का वध, मीरजाफर बंगाल का नवाब, राजा रामनारायण सिंह बिहार में नायब नाजिम नियुक्त।
- 1759-1760 ई.—राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान, तदोपरान्त अंग्रेजों के संरक्षण में पटना में उसका (शाह आलम-II) राज्याभिषेक।

1764 ई.—बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय।

1765 ई.—शाह आलम-II द्वारा इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान, लगान-वसूली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार।

1769 ई.—बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति।

1770 ई.—बिहार परिषद् (Council) का गठन, ब्रिटिश शासन का विकास, नोनिया समुदाय के विरोध का दमन, बिहार और बंगाल में भीषण अकाल।

1774 ई.—रेगुलेटिंग ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में Provincial Committee का गठन।

1781 ई.—पटना और निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों के विद्रोह, प्रथम संथाल विद्रोह।

1786 ई.—पटना में जॉन आगस्टस द्वारा गोलघर का निर्माण।

1789-94—तमाड़ विद्रोह।

1793 ई.—बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू।

1809-10 ई.—ईरानी यात्री बहबहानी का बिहार में भ्रमण।

1821 ई.—बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ।

1831-32 ई.—कोल विद्रोह।

1832-33 ई.—भूमिज विद्रोह।

1855-56 ई.—संथाल विद्रोह।



4. आधुनिक काल

(Modern Period)

यूरोपीय कंपनियों का आगमन
अंग्रेजी शासन की स्थापना
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन

यूरोपीय कंपनियों का आगमन

बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ। उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जिन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था। वे हुगली से ही नाव के माध्यम से पटना आया करते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनीमिट्टी के बरतन आदि लाते थे और वापसी में सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र ले जाते थे।

17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर शोरे का गोदाम स्थापित किया था। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ई. में डच फैक्टरी की स्थापना की। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। 1662 ई. में बंगाल में डच मामलों के प्रधान नथियास वैगडेंन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। डच यात्री ट्रैवरनि 21 दिसंबर, 1665 को पटना पहुँचा। उसके बाद उसने छपरा से यात्रा की। छपरा में उस समय शोरे का शुद्धीकरण किया जाता था। शोरे पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच कंपनियों के बीच हमेशा तनाव उत्पन्न होते रहते थे। 1848 ई. में विद्रोही अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्टरी को लूटा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। 1758 ई. में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। नवंबर, 1759 में वेदरा के निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथों पराजित हुए और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। वे किसी तरह से अपने चिनकूसा कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम को सुरक्षित रखने में सफल हो पाए।

सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ई. में डच फैक्टरी की स्थापना की। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी।

1780-81 ई. के बीच यूरोप में ब्रिटेन एवं हॉलैंड के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण बिहार में भी दोनों कंपनियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। 10 जुलाई, 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना डच मालगोदाम को जब्त कर लिया। छपरा एवं सिंधिया की डच फैक्टरियों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। 5 अगस्त, 1781 को पैट्रिक हिट्ले ने डच फैक्टरी की कमान मैक्सवेल से ग्रहण की। 8 अक्टूबर, 1784 को

डच कंपनी को गोदाम फिर से वापस दे दिया गया। पुनः 1795 ई. में फ्रैंको-डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया गया, लेकिन 1817 ई. में डच माल गोदामों को पुनः वापस कर दिया गया। अंततः 1824-25 ई. में डच व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया।

बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन

अंग्रेजों ने मार्च, 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख एम. जीयालॉ को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जीयालॉ 2 मई, 1757 को भागलपुर पहुँचा और 3 जून को पटना आया।

भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में 1664 ई. में की गई। मार्टिन ने 1674 ई. में पांडिचेरी की स्थापना की तथा शीघ्र ही उसने माही, कराइकल एवं दूसरी जगहों पर फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कुछ वर्षों के उपरांत फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रवेश किया एवं चंद्रनगर की स्थापना की। इसके तत्काल बाद 1734 ई. में उन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार में शोरा प्राप्त करना था। अपने प्रभुत्व एवं व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अंग्रेजों ने मार्च, 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख एम. जीयालॉ को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जीयालॉ 2 मई, 1757 को भागलपुर पहुँचा और 3 जून को पटना आया। पटना में बिहार के डिप्टी गवर्नर राजा राम नारायण ने उसका स्वागत किया तथा बैरक के निर्माण के लिए जगह प्रदान की। प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन बिहार के जनरल आयरकुट ने जीयालॉ को पटना से निष्कासित कर फ्रांसीसी माल गोदामों पर कब्जा कर लिया। 1761 ई. में पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। 1763 ई. में डैरिफ की संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले। 1793 ई. में लॉर्ड कार्नवालिस के समय भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई। धीरे-धीरे 1814 ई. तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियाँ लुप्तप्राय हो गईं।

बिहार में डेनिस कंपनी का आगमन

भारत में आनेवाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है। प्रायः 1774-75 ई. में पटना में डेनमार्क के कंपनी की फैक्टरी की स्थापना हुई। मई, 1775 में पटना की डेनिस फैक्टरी के प्रमुख जॉर्ज वर्नर ने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद् से फरमान की माँग की। डेनिस कंपनी भी मुख्य रूप से शोरे का व्यापार करती थी।

1801 ई. में ग्रेट ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हुए। पटना की डेनिस फैक्टरी एवं सेरामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 1802 ई. में आमियाँ की संधि हुई और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। 1845 ई. तक बिहार के सारे डेनिस माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए।

अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन

बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदामों की स्थापना को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं।

अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ई. में पटना के गुलजार बाग में की गई थी। कंपनी की रुचि अमवर्ती कैलिको वस्त्र एवं कच्चे रेशम से संबंधित व्यापार में थी। इसके अतिरिक्त वे शोरा तथा अफीम को भी व्यापार का अभिन्न अंग मानते थे। पटना के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे।

1664 ई. में जॉब चारनाक को पटना की अंग्रेजी फैक्टरी का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो 1680-81 तक इस पद पर बना रहा। बिहार के सूबेदार साइस्ता खान द्वारा 1680 ई. में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5 प्रतिशत कर लगा दिए जाने के कारण जॉब चारनाक ने 1686 ई. में हुगली शहर को लूट लिया। परिणामस्वरूप साइस्ता खान ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की समस्त संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, लेकिन 1690 ई. में एक समझौते के तहत अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आई। फरूखसियर के शासन काल में 1713 ई. में पटना फैक्टरी को बंद कर दिया गया, लेकिन उसने पुनः 1717 ई. में अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अतः पटना फैक्टरी को अंग्रेजों ने 1718 ई. में पुनः खोल दिया। नवाब अलीवर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्टरी 1750 ई. में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल ने प्रयास करके 1755 ई. में पटना फैक्टरी को पुनः शुरू कर दिया। 1757 ई. में प्लासी युद्ध एवं 1764 ई. के बक्सर युद्ध के फलस्वरूप बिहार ब्रिटिश आधिपत्य में पूर्णरूप से आ गया। बक्सर युद्ध के पश्चात् लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त, 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।

अंग्रेजी शासन की स्थापना

प्रारंभ से ही बिहार व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्यकाल में भी बिहार व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एडवर्ड टेरी, राल्फ फिट्ज, पीटर मुंडी, ट्रैवर आदि व्यापारियों ने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया। बंगाल के नवाब मुर्शिदा कुली खान एवं अलीवर्दी खान के शासन काल में विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने मुख्य रूप से बिहार में व्यापारिक गतिविधियों में अपने आपको लगाए रखा और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ दबी रहीं। 16 अक्टूबर, 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला द्वारा शौकतजंग पराजित हुआ। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से युद्ध का खतरा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ की। इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 23 जून, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तथा उसके पुत्र मीरन को बंगाल का उप-नवाब बनाया गया, लेकिन बिहार की वास्तविक सत्ता राजा रामनारायण के हाथों में आ गई। 1760 ई. में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना, लेकिन अंग्रेजों से उसका संबंध अधिक दिनों तक मधुर नहीं रह सका। मीर कासिम ने 1761 ई. में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का निर्माण किया। बिहार के नवाब दीवान रामनारायण से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसे अनुशासनहीनता के आरोप में मीर कासिम ने बंदी बनाना चाहा, लेकिन रामनारायण अंग्रेजों से जा मिला। मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर वैंसिटार्ट को पत्र लिखकर, उसे लौटाने की माँग की। वैंसिटार्ट ने रामनारायण को उसके हवाले कर दिया और उसने रामनारायण की हत्या करवा दी।

मीर कासिम ने 1761 ई. में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का निर्माण किया।

मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 'दत्तक' के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, जिससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से क्रुद्ध हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेजों के समर्थक सेठ हीराचंद एवं उसके भाई स्वरूपचंद को मुंगेर में नजरबंद कर दिया। पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। एलिस ने 24 जून, 1763 को पटना पर अधिकार कर लूटपाट की एवं अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। विवश होकर मीर कासिम ने अंग्रेज एजेंट एलिस के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की। एलिस को बंदी बनाकर मुंगेर ले आया। पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम किया और यह घटना 'पटना हत्याकांड' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस हत्याकांड के उपरांत मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध अवश्यभावी हो गया। 2 सितंबर, 1763 को बिहार के राजमहल के उदवानाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ। मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ नहीं आया और 4 दिसंबर, 1763 को कर्मनाशा नदी पार कर अवध राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया।

बक्सर की पराजय ने जहाँ मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्णरूप से अधिकार हो गया। मुगल सम्राट् ने तत्काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी।

अंग्रेजों ने मीरजाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित किया। अंग्रेजों ने पटना के कर्नलगंज और मारुफगंज की मंडियों पर अधिकार कर लिया। पूर्णिया के लकड़मंडी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और नवाब को वहाँ से होनेवाली 50 हजार रुपए वार्षिक आय से वंचित कर दिया। पटना की पराजय के बाद मीर कासिम अवध के नवाब बख्शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट् शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। मीर कासिम ने अवध के नवाब बख्शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट् शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ पटना की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजी सेना का प्रधान कर्नल घबरा गया। कलकत्ता काउंसिल ने हेक्टर मुनरो की सेनापति नियुक्त किया। मुनरो जुलाई, 1764 में पटना पहुँचा तथा रोहतास के किलेदार साहूमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। मुनरो सोन नदी पार कर बक्सर पहुँचा, जहाँ 22 अक्टूबर, 1764 को भारत की तीन प्रमुख ताकतों के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसका परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। बक्सर की पराजय ने जहाँ मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्णरूप से अधिकार हो गया। मुगल सम्राट् ने तत्काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी।

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन

जब कंपनी ने सन् 1767 में इस क्षेत्र में पदार्पण किया, तभी यहाँ असंतोष व्याप्त हो गया था। जनजातीय शैली वैसे भी कठिन थी और फिर ऊपर से प्राकृतिक अकालों एवं आपदाओं ने इनके सामने बड़े भीषण संकट पैदा कर दिए। आर्थिक कठिनाइयों और अन्न के अभाव ने इन जनजातियों को तोड़कर रख दिया। उस पर भी मुगलों, मराठों एवं स्थानीय जमींदारों ने इनका दमन व शोषण करके इन्हें विद्रोही बना दिया।

प्रशासकीय स्तर पर जनजातीय लोगों के हितों एवं अधिकारों का हनन तथा दमन किया जा रहा था। इसके साथ इन लोगों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर भी खतरा मँडराता दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के सभी कारणों ने

जनजातीय विद्रोह को जन्म दिया।

इन जनजातीय लोगों को अपनी संस्कृति, अधिकारों एवं स्वतंत्रता में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं था। अंग्रेजों के साथ आई उनकी दुरुह संस्कृति ही भारतीयों को पसंद नहीं थी, तो फिर जनजातीय लोग इसे कैसे सहन करते!

अंग्रेजों के आने से जनजातीय लोगों को अपनी पहचान व स्वतंत्रता खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी थी। 17वीं शताब्दी के अंत में जनजातीय विद्रोह शुरू हो गए थे, जबकि अंग्रेज यहाँ केवल दो दशक पहले ही आए थे। इन जनजातीय विद्रोहों में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का भी हाथ था। अंग्रेज किसी एक के हितैषी बनकर अन्य सबको शोषण की भट्ठी में झोंक देते थे। राजा, जमींदार, अधिकारी सभी जनजातीय प्रजा के लिए यमदूत सिद्ध हो गए थे। इन विद्रोहों के पीछे इन लोगों का स्वाभिमान स्पष्ट झलकता था। अंग्रेजी शासन में कुल 13 जनजातीय विद्रोह हुए, जिनमें से मुख्य विद्रोहों का वर्णन इस प्रकार है—

तमाड़ विद्रोह

सन् 1771 में अंग्रेजों ने छोटानागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था और यहाँ के राजाओं एवं जमींदारों को कंपनी का संरक्षण मिल चुका था, जिससे इन लोगों को प्रजा के शोषण की छूट मिल गई थी। जमींदारों ने किसानों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी थीं। इस शोषण नीति ने उराँव जनजाति के लोगों में विद्रोह की आग भड़का दी। इस जनजाति ने सन् 1789 में अपने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए और जमींदारों पर टूट पड़ी। सन् 1794 तक इन विद्रोहियों ने जमींदारों को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने अंग्रेज सरकार से अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई।

अंग्रेजों ने परिस्थिति को भाँपा और पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचल दिया। इससे कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ और कुछ समय तक शांति बनी रही। जब दुबारा इनकी जमीन को हड़पा जाने लगा तो यह विद्रोह व्यापक हो गया।

चेरो विद्रोह

यह आंदोलन सन् 1800 में चैरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया। यह विद्रोह तब अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध में हुआ, जब कंपनी ने कूटनीति से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया और उसके स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। कुछ समय बाद गोपाल राय कुछ विद्रोही चैरो सरदारों के साथ मिल गया, जिससे अंग्रेज रुष्ट हो गए। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने चूड़ामन को वहाँ का राजा बना दिया। चूड़ामन राय कोई भी कार्य अंग्रेजों की सलाह से ही करता था और इससे जनजातीय हित प्रभावित होते थे। इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और चैरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया। चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और इस विद्रोही दल पर टूट पड़ा। कर्नल जॉन्स ने इस विद्रोह को कुचलने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दो वर्षों तक चैरो विद्रोही अंग्रेजों और चूड़ामन राय को छकाते रहे। अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सन् 1802 में इस विद्रोही चैरो नेता को फाँसी दे दी गई और इसके बाद यह विद्रोह भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

‘हो’ विद्रोह

यह विद्रोह सन् 1821-22 छोटानागपुर के ‘हो’ लोगों ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया। जगन्नाथ सिंह के प्रति ‘हो’ लोग तटस्थ थे और इनका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। नागवंश के राजा ने इन पर एक-दो बार आक्रमण किया था, लेकिन सिंहभूम के राजा के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब बाद में

सिंहभूम के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप अपने ही 'हो' मित्रों के साथ वह दुर्व्यवहार करने लगा तो 'हो' लोग भडक उठे। मेजर रफसेज ने भी इन लोगों को अपने कई स्वार्थों में प्रयोग किया और इन्हें झूठे आश्वासन देकर बेवकूफ भी बनाया।

'हो' लोगों ने एकत्रित होकर इस सेना को तहस-नहस कर दिया। इससे रफसेज घबरा गया, इसलिए उसने अपनी सेना को गुटियालोर गाँव भेज दिया, जहाँ 'हो' लोगों की संख्या अधिक थी।

'हो' लोग जल्दी ही समझ गए थे कि उन्हें मूर्ख बनाकर उनके भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो रफसेज समझ गया कि वे लोग विद्रोही होते जा रहे हैं। उनके विद्रोह की झलक चारईबासा में एक वापसी दल को लूटने और कुछ लोगों की जान लेने से मिली। रफसेज ने तुरंत एक सेना की टुकड़ी 'हो' लोगों के विरुद्ध भेजी। 'हो' लोगों ने एकत्रित होकर इस सेना को तहस-नहस कर दिया। इससे रफसेज घबरा गया, इसलिए उसने अपनी सेना को गुटियालोर गाँव भेज दिया, जहाँ 'हो' लोगों की संख्या अधिक थी। अंग्रेजों ने गाँव में आग लगाने के साथ-साथ वहाँ बहुत तबाही मचाई। 'हो' लड़ाकों ने भी हथियार नहीं डाले और वे जी-जान से लड़ते रहे। रफसेज को हालात चिंताजनक लगने लगे, अतः उसने और सैनिक बुला लिये। एक महीने तक लगातार संघर्ष करने के बाद 'हो' विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार कुछ शर्तों और करों के साथ अंततः शांति स्थापित हो सकी।

कोल विद्रोह

यह व्यापक विद्रोह छोटानागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था, जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों के शोषण के खिलाफ उपजा था। अंग्रेज समर्थित जमींदार इन वर्गों, विशेषकर कृषकों, का ऐसा खून चूस रहे थे कि इन्हें भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। कितने ही अवांछित करों और जबरन वसूली ने इन लोगों को खून के आँसू रुला दिए थे। कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मनमाना कर वसूलने के लिए इन पर तरह-तरह के अत्याचार किए जाते तथा कर चुकाने की असमर्थता में इनकी जमीन 'दीकुओं' (बाहरी लोग) को दे दी जाती थी। जमींदार इनसे बेगार कराते थे। वे स्वयं पालकी में चलते और कहारों का कार्य आदिवासी लोग करते थे। इनके पशुओं की देखभाल भी आदिवासी ही करते थे।

कैथबर्ट ने कहा है, "इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गाँव-के-गाँव उजड़ गए। इस सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित की कोई बात सोचता हो और प्रशासनिक वर्ग अलग से इनका खून चूस रहा था। फलतः आबादी का ह्रास हो रहा था और लोग बस किसी प्रकार अपना जीवन-यापन कर रहे थे।"

'कोल विद्रोह' झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इसी विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की नींव रखी।

इसी संबंध में डब्ल्यू. डब्ल्यू. ब्लेट ने कहा है, "राजा की शासन व्यवस्था घोर निराशावादी और इन दबे वर्गों के प्रति शोचनीय थी। किसानों की जमीन इनसे जबरन छीनी जा रही थी और बाहरी लोगों को दी जा रही थी। इनकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का रवैया सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं था। इस लूट, दंड और उत्पीड़न ने कितनी ही जानें ले ली थीं।"

इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे नैतिक कारण थे, जिन्होंने इन आदिवासी लोगों के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी थी। अतः इन लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था और यह कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता था। मुंडा जनजाति ने बंदगाँव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई। इस सभा में लगभग सात कोल आदिवासी आए

और वहीं से यह भीषण विद्रोह आरंभ हुआ। इसकी चपेट में दीकू, अंग्रेज और उनके समर्थित जमींदार आए। विद्रोहियों ने गाँव-के-गाँव जला दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोह और इसके तात्कालिक कारण ने विद्रोह की आग को सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग और मानभूम तक के क्षेत्रों में प्रज्वलित कर दिया। उनके इस विद्रोह में लगभग 1,000 लोग मारे गए।

इस व्यापक विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने रामगढ़ में सेना एकत्रित की और बाहर से भी सेना बुलाई गई। विद्रोहियों का नेतृत्व बुद्धू भगत, सिंग राय और सूर्य मुंडा कर रहे थे। अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विल्किंसन के हाथों में थी। जब अंग्रेजी सेना का विद्रोहियों से सामना हुआ तो बहुत जन-धन की हानि हुई। बुद्धू भगत अपने डेढ़ सौ सहयोगियों के साथ मारा गया। यह विद्रोह लगभग पाँच साल तक चला, जिसमें मरनेवाले विद्रोहियों की संख्या अधिक रही, तब कंपनी को भी इसकी चिंता हुई।

कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जाँच-पड़ताल की और झारखंड की शासन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। बेहतर न्याय-व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय तक झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के ही सामान्य नियम लागू कर रखे थे, लेकिन अब परिस्थिति की जटिलता को देखकर कंपनी ने 'रेगुलेशन-XIII' नाम से एक नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया। एक और अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नान-रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र को जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन किया गया। इस व्यवस्था में विल्किंसन को पहला गवर्नर बनाया गया, जो पहले सेना में कैप्टन था और इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था। 'कोल विद्रोह' झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इसी विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की नींव रखी।

भूमिज विद्रोह

भूमिज विद्रोह को गंगानारायण हंगामा भी कहा जाता है। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था, जिसकी अगुआई बड़ाभूम के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगानारायण ने की थी। इस विद्रोह के पीछे कुछ राजनीतिक कारण तो थे ही, साथ ही मूल रूप से यह विद्रोह आदिवासी उत्पीड़न से उपजा था। बड़ाभूम की जागीर को गंगानारायण से उसके भाई माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा था। माधव सिंह दीवान था। उसने जनता का बहुत शोषण किया था। जब गंगानारायण ने उसका विरोध किया तो वह कंपनी सेना की शरण में जा पहुँचा। गंगानारायण ने भी हालात की गंभीरता को समझा और उसने उन जमींदारों से संपर्क किया, जो अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे। उनके साथ गंगानारायण को जनजातीय लोगों का भी समर्थन मिला, क्योंकि आदिवासी लोग भी इस व्यवस्था से बहुत निराश थे। कोल और 'हो' जाति के लोग तो बुरी तरह से नाराज थे। इस प्रकार गंगानारायण के नेतृत्व में एक संयुक्त विद्रोह की भूमिका बनी, जिसमें जनजातीय लोगों की भूमिका रही। सन् 1832 में ही जब कोल विद्रोह को दबाने के प्रयास चल रहे थे, उसी दौरान गंगानारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने 'भूमिज विद्रोह' की संज्ञा दी। शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और कंपनी सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैंडन और टिमर के नेतृत्व में निकल पड़ी। खरसावाँ का ठाकुर अंग्रेजों की ओर से लड़ा।

इस लड़ाई में गंगानारायण मारा गया और खरसावाँ के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार में भेज दिया। विद्रोह का दमन हो चुका था, लेकिन विल्किंसन को इस विद्रोह ने कुछ और सोचने पर विवश कर दिया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तुस्थिति समझाकर उनसे परामर्श किया और जंगल महाल

में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता बताई। रेगुलेशन-XIII के अंतर्गत जंगल महाल जिले को स्थगित कर इसकी दीवानी अदालत बंद कर दी गई। नई गठन नीति लागू हुई, जिसमें शेरगढ़, विष्णुपुर और सोनपहाड़ी को वर्द्धमान में शामिल कर लिया गया तथा शेष भागों को मिलाकर मानभूम को जिला बना दिया गया। इस जिले में झालदा, धनबाद, सुपुर, रायपुर, अंबिका नगर, बड़ाभूम और श्यामसुंदरपुर सहित कई मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसका तात्कालिक मुख्यालय मानबाजार बनाया गया, जिसे सन् 1838 में बदलकर पुरलिया ले जाया गया।

इस प्रकार 'भूमिज विद्रोह' भी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का एक कारण बना। अंग्रेज अधिकारी जान गए थे कि आदिवासी लोगों को न्याय-व्यवस्था की पारदर्शिता न मिलना और उनका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न रोज नए विद्रोह को जन्म देनेवाले कारण थे। प्रशासनिक व्यवस्था को गवर्नर के अधीन करके इस दिशा में सार्थक कदम उठाया गया था।

संथाल विद्रोह

वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बाकुड़ा के जमींदारों द्वारा सत्ताए गए संथाल 1790 ई. से ही संथाल परगना क्षेत्र, जिसे दामिन-ए-कोह कहा जाता था, में आकर बसने लगे। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित हुआ, क्योंकि इसने कंपनी और उसके समर्थित जमींदारों, सेवकों और अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि पहुँचाई थी। इस प्रकार विद्रोह के कारणों में कृषक उत्पीड़न प्रमुख था। संथाल जनजाति भी कृषि और वनों पर निर्भर थी, लेकिन जमींदारी प्रथा ने इन्हें इनकी ही भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज समर्थित जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे और साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना अधिक कर दिया था कि संथाल लोग इसे चुकाने में अक्षम थे। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के आवागमन ने इन संथालों को अपनी ही भूमि पर सिमटने को विवश और निर्धन कर दिया था। संथाल जीवन-निर्वाह के लिए साहूकारों व जमींदारों के शोषणचक्र में फँस रहे थे। ये लोग ऊँची ब्याज दर पर ऋण देते थे और फिर वसूली के नाम पर मानसिक एवं शारीरिक शोषण भी करते थे। न्याय-व्यवस्था भी इन्हीं संपन्न एवं समृद्ध शोषकों का साथ देती थी। इस उत्पीड़न जाल से बाहर निकलने का मार्ग संथालों के सामने न होने से ये लोग आत्महत्या कर रहे थे।

सन् 1832 में ही जब कोल विद्रोह को दबाने के प्रयास चल रहे थे, उसी दौरान गंगानारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने 'भूमिज विद्रोह' की संज्ञा दी।

ऐसी विकट स्थिति में तो साधारण लोग ईश्वर के अवतार की ही कामना करते हैं। ईश्वर भी ऐसे लोगों की पुकार अनसुनी नहीं करता, तभी तो संथालों के ऐसे घोर उत्पीड़न का विरोध करते सिद्धू-कान्हू नामक दो जवान सामने आए। इन दोनों ने दिन-रात एक करके संथालों में विद्रोह का साहस भरा और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया।

सन् 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडीह के चुनू माँझी के चार पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चाँद तथा भैरव के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली।

सन् 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडीह के चुनू माँझी के चार पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चाँद तथा भैरव के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली। सिद्धू-कान्हू ने लोगों में एक नई ऊर्जा व उत्साह भर दिया। उन्होंने एकजुट होकर अपनी भूमि से दीकुओं को चले जाने की

चेतावनी दी। इन दीकुओं में अंग्रेज और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी तथा जमींदार आदि थे। सरकारी आज्ञा न मानने, दामिन क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने और लगान न देने की घोषणा की गई। इसी बीच दरोगा महेशलाल दत्त की हत्या कर दी गई। चेतावनी देने के दो दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन-चुनकर मारना शुरू कर दिया। अंबर के जमींदार की हवेली जला दी गई। महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। अधिकारी और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे, फिर जो बाहरी व्यापारी थे, उनके मकान एवं दुकानों को तोड़ दिया गया। यह खुला सशस्त्र विद्रोह था, जो कहलगाँव से राजमहल तक फैल गया। यह विद्रोह 1856 में वीरभूम, बाँकुड़ा और हजारीबाग में भी फैल गया। यह देख कंपनी चिंतित हो गई और बातचीत के द्वारा संथालों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन धैर्य की सीमा पार करके उपजा संथालों का आक्रोश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। संथाल तो अपनी भूमि से अंग्रेजों और उनके समर्थकों को भगाने या समाप्त करने की शपथ ले चुके थे। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा। जहाँ भी कोई अंग्रेज दिखाई देता, उसे वहीं ढेर कर दिया जाता। संथाल साक्षात् कालबन गए थे। दुर्दांत होकर उन्होंने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला।

संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया। कंपनी ने सेना को खुली हूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने भी संथालों के प्रति बहुत बर्बरता दिखाई और उनके गाँव-के-गाँव जला दिए। अंग्रेजी सेना संथालों के नेताओं की धरपकड़ में दिन-रात एक करने लगी और इसमें उसे सफलता भी मिली। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए थे या फिर बंदी बना लिये गए थे। चाँद और भैरव गोलियों के शिकार हो वीरगति को प्राप्त हुए। सिद्धू और कान्हू पकड़े गए, उन्हें बरहेट में फाँसी दे दी गई। इस विद्रोह को फिर भी कुछ सफलता अवश्य मिली थी, क्योंकि संथालों ने अपने क्षेत्र से अधिकांश अंग्रेजों और उनके समर्थकों को या तो मार दिया था या भगा दिया था। जो शेष बचे भी थे, वे भी बहुत समय तक आतंक के साए में जीते रहे। इस विद्रोह के जनक सिद्धू-कान्हू वर्तमान झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए और आज भी उन्हें झारखंड के जननायक के रूप में याद किया जाता है। सिद्धू-कान्हू की गाथाएँ आज भी झारखंड के लोगों के लिए ओज एवं शक्ति की प्रेरणास्रोत हैं।

जनवरी 1856 ई. तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया। सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी।

इस संथाल विद्रोह के परिणामस्वरूप 30 नवंबर, 1856 ई. को विधिवत् संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एशली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया।

सरदारी आंदोलन

1850 ई. और उसके बाद इस क्षेत्र में अनेक आदिवासियों द्वारा ईसाई धर्म अपना लेने से भूमि की समस्या और बदतर हो गई। ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार-प्रसार के विरुद्ध जनजातीय सुधारवादी आंदोलन चले। इन्हीं में सरदारी आंदोलन सन् 1859 से 1881 के मध्य चला। इसका उल्लेख एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक 'द मुंडाज' में किया है। वास्तव में यह भूमि के लिए लड़ाई थी। इसका मूल उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। सामान्यतः यह आंदोलन तीन चरणों में पूर्ण हुआ।

खरवार आंदोलन

खरवार आंदोलन, जिसका नेतृत्व भागीरथ माँझी ने किया था, का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संचाल परगना था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इसीलिए मदिरा आदि का इसमें विरोध किया गया। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पणवाले सफाहोर कहलाए और उदासीन लोग 'बाबजिया' कहलाए। बेमन पूजकों को मेलबरागर कहा गया।

बिरसा मुंडा आंदोलन

यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता रहा है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं-मान्यताओं को सहेज रही थी। यह जनजाति छोटानागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी और इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियाँ नहीं बने थे। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करनेवाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार से बगावत पर उतरे। इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की परछाई का भी पड़ना था। कुछ आपसी मतभेद, जो हर जाति-जनजाति में पाए जाते हैं, मुंडा लोगों में भी रहते थे। इनका मेल-जोल हिंदुओं से भी था और इसी कारण कुछ मुंडा हिंदू परंपराओं का अनुसरण भी करने लगे थे। मतभेदों के कारण कुछ मुंडा ईसाई मिशनरियों की ओर भी चले गए, जैसा कि छोटानागपुर में जमींदार और राजाओं का शोषण-चक्र चल रहा था, तो ये लोग भी उसकी चपेट में आ गए थे। इनकी जमीन को हड़पा जा रहा था और इन पर करों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। फलतः ऋण का जाल भी इनको अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। न्याय-व्यवस्था तो बस नाममात्र के लिए रह गई थी और सबसे बड़ा झटका तो मुंडाओं को तब लगा, जब न तो हिंदू मित्रों ने और न ही ईसाई मिशनरियों ने उनकी कोई सहायता की, जिनके कहने पर ये लोग अपने पारंपरिक नियमों से भी दूर हो गए थे।

बिरसा मुंडा ने सन् 1895 तक लगभग छह हजार मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार ही माना जाने लगा।

मुंडा लोग इन सब बातों से पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतातुर थे। ऐसे समय में बिरसा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया। उसका यह कहना था कि वह ईश्वर की आज्ञा और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आजाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है। इस युवक की वाणी में ओज था और इसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्दी ही कुछ मुंडा युवक प्रभावित होकर उससे जुड़ गए। वह धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नवचेतना जाग्रत करता। इसी कारण वह छोटानागपुर क्षेत्र में देवदूत की तरह माना जाने लगा। उसके विचारों में लगभग सभी विषयों पर मनन करने की क्षमता थी। वह सभाएँ आयोजित कर लोगों को कुरीतियों से दूर रहने के लिए कहता, जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात कहता और साथ ही अपनी संगठन शक्ति का ज्ञान करने की बात कहता। उसके मित्रमंडल ने भी शीघ्र ही उसे लोगों के बीच ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया।

बिरसा मुंडा ने सन् 1895 तक लगभग छह हजार मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार ही माना जाने लगा। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजाति को नए ओज से भर दिया। उसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे

अंग्रेज सरकार का पूरी तरह दमन कर देना।

छोटानागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों से 'दीकुओं' को भगा देना।

स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना।

बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। उसने सभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्मयुद्ध में कूदने का आह्वान किया और योजना बनाकर साहूकारों, जमींदारों, मिशनरियों तथा दीकुओं आदि पर हमला कर दिया। हमला तो जोरदार था, लेकिन शासन-व्यवस्था ने इसे उतना सफल नहीं होने दिया, जितना सफल होने की बिरसा ने आशा की थी। उसे राँची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मुक्ति भी मिल गई और वह फिर से अपने दल में आ मिला।

अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 'मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था' को लागू किया गया।

इस बार बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को भली-भाँति सुदृढ़ रूप दिया और 25 दिसंबर, 1897 को, जब क्रिसमस का दिन था तथा ईसाई लोग इस दिन जश्न मनानेवाले थे, हमले के लिए चुना। इस हमले में अधिक-से-अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया। निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर हाहाकर मचा दिया और जश्न में डूबे ईसाइयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया, जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। यह एक बड़ा नरसंहार था, जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोरकर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ। चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई, तब कंपनी ने राँची से सेना भेजी और निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वहीं कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक सीखा साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 'मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था' को लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों के दिलों से प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सन् 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जबकि खूँटी को सन् 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे।

बिरसा आंदोलन सही मायनों में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जाग्रत करने के साथ ही इन्हें रूढ़ियों-अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा भी दी। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जाग्रत कर दिया था और आज भी उसे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है।

ताना भगत आंदोलन

यह आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जनमा था। यह भी एक बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। यह आंदोलन सन् 1914 में शुरू हुआ। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उराँव जनजाति की एक शाखा थी, जिसने कुडुख धर्म अपनाया था। इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और इनसे अधिकांशतः श्रमवाले कार्य ही कराए जाते थे।

सुबह से शाम तक भवन, सड़क आदि के निर्माण कार्यों के लिए ये लोग ईंट, पत्थर ढोते रहते और मजदूरी के नाम पर इन्हें कुछ विशेष नहीं मिलता था। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भाँति प्रयोग किया जाता था। इस आंदोलन के नायक के नाम पर 'जतरा भगत' नामक नौजवान को मान्यता मिली थी, जो अलौकिक सिद्धियों में रत रहता था। जनश्रुति के आधार पर इसी जतरा भगत को 'धर्मेश' नामक उराँव देवता ने दर्शन दिए थे और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी।

जतरा भगत ने 'धर्मेश' देवता का आदेश पाकर भूत-प्रेत की साधना का कार्य छोड़ दिया और निरामिष हो गया। उसने लोगों को अंधविश्वास में आस्था रखने से मना किया और आचरण में सात्विकता लाने का संदेश दिया, साथ ही उसने बेगार या कम मजदूरी पर काम करनेवालों को ऐसा काम न करने का आदेश दिया। लोगों में जल्दी ही वह बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग उसकी प्रत्येक बात को आत्मसात् करने लगे। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। इससे उराँव लोगों में रोष फैल गया। अंग्रेज इस आंदोलन से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार करने में जुट गए। परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़क उठी और एक सामाजिक जमजागरण व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबा दिया, फिर भी यह आंदोलन सामाजिक चेतना जगाने में सफल रहा।

इस प्रकार अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोहों ने कुछ हद तक बिहार के दबे-कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में आक्रामकता, बर्बरता, आक्रोश, शक्ति संगठन और नीतिगत कारण जैसे वे सभी तत्त्व मौजूद थे, जो विद्रोह को जन्म देते हैं। बिहार की तत्कालीन स्थिति दयनीय थी और विडंबना यह थी कि प्राकृतिक रूप से संपन्न इस क्षेत्र का शोषण और दोहन करने पहुँचे बाहरी लोगों ने यहाँ की मूल जनजातियों को लगभग बेदखल ही कर दिया था। शिक्षा से दूर और सुविधाओं से वंचित यह जनजातीय समाज शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उनके अपने पर्वों, रीतियों और अपने सामाजिक ताने-बाने में ही उनके लिए सभी खुशियाँ थीं। लगभग 300 वर्ष अस्थिरता, अराजकता, शोषण, दमन, अपमान और निर्धनता के साए में रहकर भी इन जनजातियों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा तो यह उनकी जिजीविषा ही है। इतने पर भी बिहार के लोगों ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया, जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता।

नोनिया विद्रोह

यह विद्रोह 1770 से 1800 ई. के बीच बिहार के शोरा उत्पादक क्षेत्रों हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। इस काल में बिहार शोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। शोरा का उत्पादन बारूद बनाने के लिए किया जाता था। शोरा उत्पादन करने का कार्य मुख्य रूप से नोनिया जाति द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश कंपनी और नोनियों के बीच आसामी मध्यस्थ का कार्य करते थे, जो नोनिया लोगों से कच्चा शोरा लेकर कारखानों को देते थे। आसामियों को ब्रिटिश कंपनियों द्वारा शोरे की एक-चौथाई रकम अग्रिम के रूप में मिलती थी। कल्मी शोरा के लिए 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा शोरा 1 से 4 आना प्रति मन आसामी कंपनी से लेते थे तथा नोनिया लोगों को 12, 14 या 5 आना प्रति मन देते थे, जबकि अन्य व्यापारी जो कंपनी से संबंधित नहीं थे, वे नोनिया लोगों को 3 रुपए प्रति मन शोरा देते थे। अतः कंपनी द्वारा नोनिया लोगों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, इसलिए गुप्त रूप से वे लोग व्यापारियों को शोरा बेचने लगे। इसकी जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को हुई, तब उसने नोनिया लोगों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की।

भारत में इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका जन्म 1776 ई. में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था।

वहाबी आंदोलन

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन में वहाबी आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल वहाब थे। इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को आरंभ किया। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका जन्म 1776 ई. में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेवार माना तथा अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत भारत को 'दार-उल-हरब' कहा और उसको समाप्त करके 'दार-उल-इस्लाम' को स्थापित करने की शपथ ली। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया।

1821 ई. में अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया, जहाँ विलायत अली, इनायत अली, मुहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन आदि लोग उसके संपर्क में आए तथा पटना को वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बाद में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम और निलहे साहबों, जमींदारों एवं साहूकारों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। पंजाब में मुसलमानों, कृषकों ने सिख जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। सैयद अहमद से प्रेरित होकर तीतू मीर ने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया।

1853 ई. में अंग्रेजी सेना वहाबियों के दमन के लिए सितना गई, जहाँ उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। 1858 ई. में पुनः अंग्रेजी सेना को सितना भेजा गया, जिसने वहाबियों को पराजित कर वहाँ से भगा दिया। पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली एवं इनायत अली ने किया। इनायत अली ने दक्षिण भारत में हैदराबाद को तथा विलायत अली ने उत्तर-पश्चिम में सितना को अपना केंद्र बनाया था।

1844 ई. में विलायत अली अपने 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जा रहे थे, लेकिन लाहौर में इन्हें गिरफ्तार कर पटना भेज दिया गया। 1851-52 ई. में ये उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत (वर्तमान पाकिस्तान) गए, जहाँ ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई।

1857 ई. के विद्रोह में वहाबी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विलायत अली एवं इनायत अली की मृत्यु के पश्चात् वहाबी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया। उसने 1861 ई. में मलका को अपना गढ़ बनाया। 1864 ई. में नेविल चेंबरलिन ने वहाबियों के नेता अहमदुल्ला को हराकर पोर्टब्लेयर जेल भेज दिया। वहाबी आंदोलन के अन्य नेताओं, जैसे—मुबारक अली, इब्राहीम मंडल, मुहम्मद इस्माइल, आमिर खान आदि को गिरफ्तार कर कठोर आजीवन कारावास की सजा की गई। 1868-69 आते-आते वहाबी आंदोलन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई और आंदोलन शिथिल पड़ गया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वहाबी आंदोलन का उदय धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन यह आगे चलकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। यह भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने एवं देश को स्वाधीन बनाने के लिए भारतीयों का विद्रोह था। वस्तुतः यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी जानेवाली लड़ाई थी।

लोटा विद्रोह

1857 ई. के विद्रोह के पूर्व ही 1856 ई. में मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। अंग्रेजी

शोषण एवं अत्याचार के कारण लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। इस समय कैदियों को जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अचानक निर्णय लिया और पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ किया। अतः कैदियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विद्रोह के जेल के बाहर भी फैलने की आशंका को देखकर पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया गया।

□

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

5. स्वतंत्रता आंदोलन

(Freedom Movement)

1857 ई. का विद्रोह

चंपारण सत्याग्रह

खिलाफत आंदोलन

असहयोग आंदोलन

सविनय अवज्ञा आंदोलन

भारत छोड़ो आंदोलन

आजाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की भूमिका

क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका

किसान आंदोलन

समाजवादी आंदोलन

ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास

1857 ई. का विद्रोह

अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे पशक्त जन आंदोलन का सामना 1857 ई. में करना पड़ा। राष्ट्रीय भावना के जागरण के पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की शृंखला में 1857 ई. का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह में बिहार ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार में यह आंदोलन 12 जून, 1857 को देवघर जिले के रोहिणी (वर्तमान में झारखंड) नामक गाँव से प्रारंभ हुआ। 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत तीन सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नार्मन लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डॉ. ग्रांट की हत्या कर दी। मेजर मैप मैकडोनाल्ड ने बड़ी कठोरता के साथ विद्रोह को दबाया एवं 16 जून, 1857 ई. को तीनों विद्रोही सैनिकों को फाँसी पर लटका दिया गया। 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया।

3 जुलाई, 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरुहट्टा मुहल्ला के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही मुगल सम्राट् बहादुर शाह का झंडा लिये पटना की सड़कों पर निकल पड़े, जिनका मुकाबला अंग्रेज अधिकारी लायल एवं उसके सैनिकों के साथ हुआ। पीर अली ने लायल को गोलियों से भून डाला। इसके पश्चात् पीर अली सहित लगभग 16

विद्रोहियों को गिरफ्तार कर फाँसी पर लटका दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही दानापुर की तीन बटालियनों में विद्रोह आरंभ हो गया।

बाबू कुँवर सिंह के सहयोगियों में उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरिकिशुन सिंह, जयकृष्ण सिंह तथा शाहाबाद के चार जमींदार नरहनन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह एवं विशेश्वर सिंह प्रमुख थे।

1857 ई. का विद्रोह पटना के अलावा सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट के वीर राजपूत जमींदार बाबू कुँवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। बाबू कुँवर सिंह के सहयोगियों में उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरिकिशुन सिंह, जयकृष्ण सिंह तथा शाहाबाद के चार जमींदार नरहनन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह एवं विशेश्वर सिंह प्रमुख थे। वीर कुँवर सिंह ने करीब 10 हजार सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया, जिसमें दानापुर छावनी से विद्रोह कर आए सैनिक भी सम्मिलित हो गए। दानापुर के करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डनबर के नेतृत्व में आरा भेजा गया, लेकिन 29-30 जुलाई को उन्हें पराजित होना पड़ा। बंगाल आर्टिलरी के मेजर विनसेंट आयर ने 2 अगस्त को बीवीगंज पर आक्रमण किया और अंग्रेज सैनिक को छुड़ाने में सफल हुआ। 12 अगस्त को उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। कुँवर सिंह ने नाना साहेब से मिलकर 26 मार्च, 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया तथा 23 अप्रैल, 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना की बुरी तरह पराजित किया। कुँवर सिंह स्वयं इस युद्ध में घायल हुए और दो दिन पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई। इस संघर्ष को अमर सिंह ने आगे बढ़ाया तथा शाहाबाद क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने में सफल रहे।

1857 ई. का विद्रोह मुजफ्फरपुर और गया क्षेत्र में भी व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। मुजफ्फरपुर से यूरोपीय लोगों ने पलायन करना शुरू किया। वहाँ का विद्रोह 'लोटा विद्रोह' के नाम से विख्यात हुआ, जिसे बाद में दबा दिया गया। गया में विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त कर दिया। नामदार खान के नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ। इस इलाके में मामा सिंह, हैदर अली खान, गुलाम अली खान, ननकू सिंह, फतह सिंह आदि ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 ई. का विद्रोह लगभग पूरे राज्य में फैल गया था। यद्यपि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता था।

महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। 1859 ई. तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार, बल्कि सारे देश में हो चुकी थी, लेकिन 1857 ई. के इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नई जन-चेतना को जन्म दिया।

कांग्रेस की स्थापना

कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के 1886 ई. के कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें मौलवी सैयद शफरुद्दीन, विशेश्वर सिंह, गुरुप्रसाद सेन, गजाधर प्रसाद, मौलवी अहसान, जयनारायण वाजपेयी, बलदेव राय, गोविंद चरण, पूर्णंदु नारायण सिन्हा, कुलदीप सहाय, ईश्वरी प्रसाद, तेज नारायण सिंह, परमेश्वर नारायण, शाह रजा हुसैन, शेख बारिश अली, किशोरी लाल हलधर आदि प्रमुख थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ई. में मद्रास में आयोजित किया गया था, उसमें

बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधि शालिग्राम सिंह एवं गुरु प्रसाद सेन ने हिस्सा लिया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ई. में पटना के बाँकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वाँ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना मजहरुल हक 1915 ई. में बंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे।

1916 ई. का 31वाँ कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल सम्मिलित हुए। उन्होंने गांधीजी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। चंपारण में नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था, जिससे किसानों का शोषण हो रहा था, अतः 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पारित किए गए—

1. पटना यूनिवर्सिटी बिल,
2. चंपारण के नील किसानों एवं उनकी रैयतों के संबंध की जाँच से संबंधित।

1922 ई. में कांग्रेस का 37वाँ अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा। चितरंजन दास इस विधेयक के पक्ष में नहीं थे।

1940 ई. में रामगढ़ (वर्तमान झारखंड) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वाँ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सुभाषचंद्र बोस ने एक सभा का आयोजन किया था।

होमरूल आंदोलन

बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 ई. में पूरे देश में 'होमरूल आंदोलन' की शुरुआत की गई, जिसका प्रभाव बिहार में भी व्यापक रूप से देखा गया। पटना के बाँकीपुर में 16 दिसंबर, 1916 को आयोजित एक सभा में होमरूल लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक तथा उपाध्यक्ष खान बहादुर सर्फराज हुसैन एवं राय बहादुर पूर्णंदु नारायण सिन्हा को बनाया गया। सचिव के रूप में वैद्यनाथ नारायण सिंह एवं चंद्रवंशी सहाय को नियुक्त किया गया। पहली सभा में होमरूल के सदस्य रहनेवालों में राजेंद्र प्रसाद, मुहम्मद आजम अली, एस.ए. समी, शंभूनारायण, हरिनारायण प्रसाद, ए.सेन, बी.बसु, परमेश्वर लाल तथा श्रीकृष्ण सिन्हा थे। 18 अप्रैल, 1918 को एनी बेसेंट पटना आईं, जिन्हें पूर्णंदु नारायण सिन्हा के भिखना पहाड़ी स्थित आवास पर रखा गया। चंपारण जिले को छोड़कर बिहार में सर्वत्र होमरूल का प्रचार हुआ। एनी बेसेंट ने दो बार स्वयं बिहार की यात्रा की तथा आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

चंपारण सत्याग्रह

1765 ई. में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बिहार और बंगाल की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इस समय बिहार का चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इस समय चंपारण बेतिया राज्य का हिस्सा था और यहाँ नील के 36 अंग्रेज ठेकेदार और 23 नील व्यापारी रह रहे थे। इस क्षेत्र में नील की खेती दो प्रकार से होती थी—

1. जीरात,
2. असामीवार।

जीरात कोठीवालों की कब्जेवाली जमीन होती थी, जिसमें किसान अपने हल-बैल की सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। असामीवार में कोठीवाले रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था कराते थे। 1867 ई. से पूर्व तक रैयतों को 1 बीघा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, लेकिन 1867 ई. में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है। अतः इसे तीनकठिया प्रणाली भी कहा गया। 'तीनकठिया' प्रणाली ही चंपारण के किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी। किसानों को 1867 ई. के पहले तक 6.50 रुपए प्रति एकड़ नील की खेती के लिए मिलता था, जिसे गोरले रिपोर्ट के आधार पर 1909 ई. से बढ़ाकर 13.50 रुपया कर दिया गया था।

पटना के बाँकीपुर में 16 दिसंबर, 1916 को आयोजित एक सभा में होमरूल लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक तथा उपाध्यक्ष खान बहादुर सर्फराज हुसैन एवं राय बहादुर पूर्णंद नारायण सिन्हा को बनाया गया।

यद्यपि चंपारण आंदोलन से पहले भी नील कृषकों ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1860 ई. में बंगाल के नील उत्पादकों ने हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। 1866 से 1888 के बीच बिहार के दरभंगा और चंपारण के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। 1889-90 में बंगाल के जैसोर क्षेत्र के नील उत्पादकों ने शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था।

1860 ई. में बंगाल के नील उत्पादकों ने हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। 1866 से 1888 के बीच बिहार के दरभंगा और चंपारण के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था।

चंपारण क्षेत्र में नील की खेती से किसानों के शोषण से संबंधित आवेदन सरकार को दिया जा चुका था। 14 अगस्त, 1907 को कोठी के रैयतों ने एक आवेदन चंपारण के कलेक्टर के पास भी दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः रैयतों ने कोठी के लिए नील बोना बंद कर दिया। इस कारण से 1908 ई. से कोठी ने किसानों से पानी के लिए 3 रुपए प्रति बीघा रकम वसूलना प्रारंभ कर दिया, जिसे 'पैन खर्च' कहा जाता है। पैन खर्च के अतिरिक्त भी कई प्रकार के कर किसानों पर लगा दिए गए, जिससे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इस समय लगाए गए अतिरिक्त कर निम्नलिखित थे—

1. **पैन खर्च**—यह नहर का पानी, जो सिंचाई के लिए दिया जाता था, के बदले लिया जानेवाला कर था, जो प्रति बीघा 3 रुपया लिया जाता था।
2. **सलामी**—यह भी प्रति बीघा 3 रुपया की दर से वसूला जाता था, जिसे तीनकठिया या लगान भी कहा जाता था।
3. **बाँध बेहरी**—यह प्रति 1 रुपया मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जानेवाला कर था, जो पैन खर्च की तरह सिंचाई के लिए लिया जाता था।
4. **बेठमाफी**—यह कृषकों से हल के बदले 3 रुपए सालाना लिया जानेवाला कर था।
5. **बपही-पुतही**—यह एक तरह का उत्तराधिकार कर था, जो रैयत के मर जाने के बाद जायदाद हस्तांतरण के लिए उसके वारिस से लिया जाता था।
6. **मड़वन**—यह लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था।
7. **सगौड़ा**—यह किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता था।
8. **कोल्हुआवन**—तेल अथवा ईख की पेराई के लिए कोल्हू रखनेवालों से 1 रुपए की दर से वसूल किया जाता था।

था।

9. चुल्हियावन—इस क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। अतः हल्दी को उबालने के लिए रखे जानेवाले चूल्हे पर प्रति चूल्हा 1 रुपया की दर से कर लिया जाता था।

10. बाटछपी—यह कर दूध और तेल बेचनेवाले दुकानदारों से प्रतिवर्ष 1 रुपया की दर से लिया जाता था।

11. बेचाई—अनाज बेचनेवाले दुकानदारों से 1 रुपए की दर से वार्षिक वसूला जानेवाला कर था।

12. हथियाही—कोठीवाले हाथी खरीदने के लिए किसानों से कर वसूलते थे, जिसे हथियाही कर कहा जाता था।

13. हावही—यह कर रैयतों को कोठीवालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था।

14. आमदी सलामी—कोई अधिकारी अथवा सरकारी व्यक्ति जब किसी गाँव में जाता था, तब रैयत को प्रति व्यक्ति 1 रुपए की दर से सलामी कर देना पड़ता था।

15. सरीदावन—यह कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था।

इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के कर आरोपित किए गए थे, जैसे—सिंगारहाट कर। यह कर उस स्थिति में वसूला जाता था, जब कोई स्त्री भ्रष्ट हो जाती थी और किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती थी, तब उस पुरुष से सजा के रूप में यह वसूला जाता था।

इस तरह चंपारण क्षेत्र में अनेक प्रकार के कर देने एवं नील की खेती करने से कृषकों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई थी। तीनकठिया प्रणाली के अंतर्गत पुलिस एवं अधिकारी भी किसानों का अत्यधिक शोषण कर रहे थे। वे नील व्यापारियों की मदद करते थे। इस अत्याचार से तंग आकर किसानों ने अनेक बार आंदोलन किया, लेकिन उन्हें दबा दिया गया।

1907-08 में निलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया। महेश नारायण ने बिहारी नामक समाचार-पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः बिहार के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को कांग्रेस एवं गांधीजी के समक्ष उठाने का कार्य शुरू किया। राजकुमार शुक्ल कानपुर में 'प्रताप' समाचार-पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से जाकर मिले और कृषक शोषण के बारे में बताया। 4 जनवरी, 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' में 'चंपारण में अँधेरा' नामक लेख का प्रकाशन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर ही राजकुमार शुक्ल गांधीजी से मिलने साबरमती आश्रम पहुँचे, लेकिन उनकी मुलाकात वहाँ गांधीजी से नहीं हो सकी।

दिसंबर, 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में ब्रज किशोर प्रसाद, हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, रामदयाल प्रसाद साहू, पीर मुहम्मद मुनिश और पं. राजकुमार शुक्ल ने भाग लिया। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या जानने के लिए गांधीजी से चंपारण आने का अनुरोध किया। राजकुमार शुक्ल का जन्म पश्चिमी चंपारण के चनपटिया बाजार के पास स्थित सतबरिया नामक गाँव में हुआ था, लेकिन उनका जीवन बेलवा कोठी के अंतर्गत मुरली भरहवा में व्यतीत हुआ। मुरली भरहवा कोठी में उनकी जमीन थी और वहाँ का नीलवर ए.सी. एम्मन था, जो निर्दयी एवं क्रूर था।

लखनऊ अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया और गांधीजी ने भी चंपारण आने के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण को स्वीकार किया। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 'राजकुमार शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने के लिए कृतसंकल्प थे।' गांधीजी ने कलकत्ता जाने के क्रम में 9 अप्रैल, 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए प्रस्थान किया था। गांधीजी ने इस समय राजकुमार शुक्ल

के संबंध में कहा, 'अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया।' गांधीजी सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहाँ आचार्य जे.बी. कृपलानी गांधीजी को अपने घर पर ले गए। 11 अप्रैल, 1917 को गांधीजी ने मुजफ्फरपुर में बिहार प्लैंटर्स एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मुलाकात की, लेकिन उसने गांधीजी को मदद करने से मना कर दिया। पुनः गांधीजी ने तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर एल.एफ. मौशेंड से मुलाकात की।

4 जनवरी, 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' में 'चंपारण में अंधेरा' नामक लेख का प्रकाशन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर ही राजकुमार शुक्ल गांधीजी से मिलने साबरमती आश्रम पहुँचे, लेकिन उनकी मुलाकात वहाँ गांधीजी से नहीं हो सकी।

जे.एम. विल्सन एवं चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने गांधीजी के मुजफ्फरपुर से चंपारण जाने पर रोक लगा दी, लेकिन गांधीजी रामनवमी प्रसाद के साथ 15 अप्रैल, 1917 को चंपारण (मोतिहारी) पहुँचे, जहाँ मोतिहारी के प्रमुख अधिवक्ता गौरव प्रसाद गांधीजी को अपने घर लेकर गए। गांधीजी ने चंपारण में सबसे पहले 16 अप्रैल को जसौली पट्टी का दौरा किया। इस समय वहाँ धारा-144 लागू थी। अतः गांधीजी को धारा-144 के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए अभियोग चलाया गया। गांधीजी को 100 रुपए जमानत देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। गांधीजी का मुचलका स्वयं मजिस्ट्रेट ने भरा और उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद गांधीजी बेतिया पहुँचे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। गांधीजी कुड़िया कोठी होते हुए राजकुमार शुक्ल के साथ बेलवा कोठी पहुँचे। इस क्रम में गांधीजी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। अतः सरकार ने आंदोलन के स्वर को नीचा करने के लिए 10 जून, 1917 को एक जाँच कमेटी नियुक्त की, जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। 4 अक्टूबर, 1917 को जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तथा सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 18 अक्टूबर, 1917 को प्रकाशित कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च, 1918 को चंपारण अधिनियम का निर्माण किया गया, जिस अधिनियम के द्वारा तीनकठिया प्रणाली का अंत कर दिया गया, रैयतों के लगान घटा दिए गए, अन्य कर को अवैध घोषित कर दिया गया।

इस तरह निलहों द्वारा चंपारण के किसानों पर किए जा रहे व्यापक अत्याचार का अंत हुआ, जिसमें गांधीजी के साथ-साथ सबसे बड़ी भूमिका राजकुमार शुक्ल ने निभाई। राजकुमार शुक्ल प्रारंभ से लेकर अंत तक इस आंदोलन में लड़ते रहे एवं 20 मई, 1929 को मोतिहारी में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह गांधीजी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्य एवं अहिंसा का सत्याग्रह सफल हुआ।

खिलाफत आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध 'खिलाफत आंदोलन' किया था। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और उन्होंने तुर्की साम्राज्य को आपस में बाँट लिया। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा का अपमान भी किया, जो उस समय इस्लाम जगत् का धार्मिक नेता माना जाता था। मित्र राष्ट्रों, विशेषकर ब्रिटिश सरकार, द्वारा की गई कार्रवाई से भारतीय मुसलमान भी आहत थे। अतः उन्होंने विरोधस्वरूप 'खिलाफत आंदोलन' छेड़ा। गांधीजी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर, 1919 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। शांति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर, 1919 को एक सभा हुई। इस सभा में हसन इमाम ने अध्यक्ष पद के लिए मौलाना शाह रसीदुल हक का नाम प्रस्तुत किया तथा राजेंद्र प्रसाद ने उसका अनुमोदन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में भी राँची में एक ऐसा ही प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें अंग्रेजों के साथ

असहयोग की बात की गई। 19 मार्च, 1920 को मुसलमानों ने पूरे बिहार में हड़ताल की। मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा एवं डालटनगंज में इसका व्यापक असर देखा गया। अप्रैल में 'खिलाफत आंदोलन' के शीर्ष नेता मौलाना शौकत अली का पटना में आगमन हुआ। उनकी सभाएँ बिहार के अनेक स्थलों पर आयोजित की गईं। 'खिलाफत आंदोलन' के समर्थकों में मौलाना मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मुहम्मद सफी, मौलाना नूरुल हसन, धरनीधर प्रसाद आदि प्रमुख थे।

देश में केवल गुजरात एवं बिहार ही दो ऐसे प्रांत थे, जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था।

असहयोग आंदोलन

मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बदले 'खिलाफत आंदोलन' चलाने का फैसला किया। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने हेतु 'असहयोग आंदोलन' चलाने का फैसला किया। 18-29 अगस्त, 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बारहवाँ अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू धरनीधर ने प्रस्तुत किया और मुंगेर के शाह मुहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान की गई तथा पूरे देश में 'असहयोग आंदोलन' चलाने का निर्णय लिया गया। देश में केवल गुजरात एवं बिहार ही दो ऐसे प्रांत थे, जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था। इस सम्मेलन में गांधीजी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यावहारिक योजना तैयार की गई तथा एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक तथा शाह मुहम्मद जुबैर थे।

सितंबर, 1920 ई. लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधीजी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 'असहयोग आंदोलन' को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत लघुपरिषदों के चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। परिणामस्वरूप मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरनीधर प्रसाद तथा मुहम्मद सफी ने परिषद् की उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, दीपनारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह इत्यादि ने अपनी वकालत छोड़ दी। छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। उत्तर बिहार के 'किसान आंदोलन' के नेता स्वामी विद्यानंद ने सरकारी नीतियों की आलोचना की। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मुहम्मद शेर और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी एवं मुहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया तथा बाद में अब्दुल बारी उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए। दिसंबर, 1920 में अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में गांधीजी के प्रभावस्वरूप 1921 ई. में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। 5 जनवरी, 1921 को गांधीजी की इच्छानुसार बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 6 फरवरी, 1921 को जब गांधीजी बिहार आए तो उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं प्रतिकुलपति के पदों पर क्रमशः मजहरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए। जुलाई, 1922 तक मुंगेर में ही केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। बाल गंगाधर तिलक के देहांत पर तिलक स्वराज कोश की स्थापना की गई। इसके लिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने एक तिलक स्वराज कोश समिति का गठन किया, जिसके संयोजक श्रीकृष्ण बाबू बनाए

गए। 1921 ई. के अंत तक भारत का क्रांतिकारी आंदोलन ऊँचे शिखर पर पहुँच चुका था। भारतीय जनता के साथ-साथ बिहार में भी आंदोलन का व्यापक असर देखा जा रहा था। ऐसे में आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने स्वयं युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। 22 दिसंबर, 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए, तब पूरे शहर में हड़ताल रही। बिहार छात्र सम्मेलन ने अपने 16वें अधिवेशन में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। विरोध की इस कार्रवाई में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार हुए तथा उन पर कठोर अत्याचार किया गया। इसका वर्णन मजहरुल हक ने अपने पत्र 'द मदर लैंड' में किया है।

5 फरवरी, 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में चौरी-चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी किसानों ने थाने पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया। महात्मा गांधी को इस घटना ने स्तब्ध कर दिया और उन्होंने 'असहयोग आंदोलन' को तत्काल वापस ले लिया। इस प्रकार भारत सहित बिहार में भी 'असहयोग आंदोलन' कमजोर पड़ गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

साइमन कमीशन की असफलता, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का बढ़ता अत्याचार, देशभर में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का आंदोलन जैसे अनेक कारणों ने 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधीजी द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया, जिनमें मुख्य थे—संपूर्ण मदिरा निषेध, भूमि लगान आधा हो, नमक कर का उन्मूलन, विनिमय की दर में कमी कर एक शिलिंग चार पेंस कर दी जाए, सेना संबंधी व्यय में 50 प्रतिशत की कटौती, विदेशी वस्त्र के आयात पर रोक, वेतन में कटौती, राजनीतिक बंदी की रिहाई, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस आदि। लॉर्ड इरविन ने गांधीजी की इन माँगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गांधीजी ने 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' प्रारंभ करने का निश्चय किया।

5 जनवरी, 1921 को गांधीजी की इच्छानुसार बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 6 फरवरी, 1921 को जब गांधीजी बिहार आए तो उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया।

12 मार्च, 1930 को गांधीजी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी-यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन के बाद लगभग 200 मील की लूपैदल यात्रा कर 6 अप्रैल, 1930 को दांडी पहुँचकर गांधीजी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। दांडी मार्च में गांधीजी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ 'कारो बाबू' ने भाग लिया। शीघ्र ही यह आंदोलन बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में आग की तरह फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत् नारायण लाल, दरभंगा में सत्य नारायण सिन्हा एवं चतुरानन दास, मुंगेर में श्रीकृष्ण सिंह और नंद कुमार सिंह, सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भरत मिश्र एवं श्री नारायण प्रसाद सिंह तथा मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर, रामनंदन सिंह जैसे लोगों ने किया।

दांडी मार्च में गांधीजी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ 'कारो बाबू' ने भाग लिया। शीघ्र ही यह आंदोलन बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में आग की तरह फैल गया।

'सविनय अवज्ञा आंदोलन' शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ा और ग्रामीणों ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। विदेशी वस्त्रों का दहन, शराब की दुकानों पर धरना तथा अन्य रचनात्मक कार्य इस

आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। छोटानागपुर के ताना भगतों ने 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में अहिंसात्मक रूप से बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकारी स्कूलों छोड़ दिए, सरकारी नौकरी से अनेक लोगों ने त्याग-पत्र दे दिया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी तथा अनेक लोगों ने सरकारी उपाधियों का त्याग कर आंदोलन का जहाँ एक ओर समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन का अंग्रेजी प्रशासन ने कठोरता के साथ दमन किया। बिहार में लगभग 13 हजार आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई तथा उन पर अनेक अत्याचार किए गए। 1930 ई. में इस आंदोलन के दौरान बढ़ती शहर पर आंदोलनकारियों ने अपना अधिकार कर लिया था।

4 मई, 1930 को गांधीजी गिरफ्तार किए गए तथा बिहार में श्रीकृष्ण सिंह सहित अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुलबारी को गंभीर चोटें आईं। 9 मई, 1930 को बिहार की कांग्रेस कमेटी ने अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' को स्वीकार किया। इस आंदोलन के दौरान बिहार में 'चौकीदारी कर बंदी आंदोलन' काफी लोकप्रिय हुआ। 'नमक आंदोलन' में पटना के 'नखासपिंड आंदोलन' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के नखासपिंड नामक स्थान को चुना गया तथा 'नखासपिंड चलो' का नारा दिया गया। पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय सत्याग्रहियों का जुलूस नखासपिंड की ओर रखाना हुआ। यह आंदोलन 16 अप्रैल से 21 अप्रैल, 1930 तक चला। इस समय एक और जुलूस रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में नखासपिंड की ओर जा रहा था। पटना के अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा था एवं उन्हें बंदी बनाया जा रहा था। कई स्थानों पर आंदोलनकारियों पर लाठी चलाई गई, जिसमें प्रो. अब्दुल बारी घायल हो गए। बेनीपुरीजी, रामनाथ और अंबिका कांत सिंह को गिरफ्तार कर छह-छह महीने की सजा दी गई। इसके विरोध में हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना के भवर-पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन राजेंद्र प्रसाद, अली इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था।

चौकीदार कर बंदी आंदोलन (1930 ई.) सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सीवान आदि जिलों में शुरू हुआ। इन जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया और चौकीदारों को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया। यह आंदोलन दरभंगा, पटना, शाहाबाद, चंपारण, मुंगेर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में भी फैल गया, जहाँ लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। 31 मई, 1930 को चौकीदारी कर के विरोध में भागलपुर के बिहपुर गाँव में स्वयंसेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, जिसे अवैध घोषित कर दिया गया और पुलिस द्वारा कांग्रेस आश्रम पर कब्जा कर लिया था गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने इसके विरोध में बिहपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिस पर पुलिस ने लाठी बरसाई। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी को पुलिस लाठी चार्ज में गंभीर चोटें आईं। 30 जून, 1930 को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया तथा 5 जुलाई, 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहपुर थाने के लगभग 130 चौकीदारों ने इस घटना के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया था।

9 मई, 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव से प्रेरित होकर छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र की माँग की। स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलने पर इन कैदियों ने कई दिनों तक नंगे रहने का निश्चय किया, जिसे नंगी हड़ताल (1930 ई.) के नाम से जाना जाता है। कैदियों के इस आचरण के आगे विवश होकर जेल प्रशासन को स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराने पड़े।

12 मार्च, 1931 में पटना में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की माँग की गई। 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह एवं उनके साथियों को फाँसी दिए जाने के कारण पटना सहित पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। 26 मार्च को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 28 दिसंबर, 1931 को महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर भारत लौटे और पुनः आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। 4 जनवरी, 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय, जगत् नारायण दास, मथुरा प्रसाद, प्रजापति मिश्र जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 जनवरी को श्रीकृष्ण सिंह, नामधारी सिंह, तेजस्वी प्रसाद एवं राम प्रसाद गुप्त को तथा 9 जनवरी को निरापण मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी को पूरे प्रांत में 'स्वाधीनता दिवस' मनाया गया।

1932 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैक डोनाल्ड ने भारत के हिंदू समाज में फूट डालने के उद्देश्य से सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया तथा आमरण अनशन शुरू किया। भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच इस विषय पर पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचाट को वापस ले लिया गया। हरिजनों के उत्थान के लिए गांधीजी ने 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की, जिसकी अनेक शाखाएँ बिहार में भी खोली गईं। बिहार के जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी जैसे नेताओं ने हरिजन सेवक संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' 1933 ई. के मध्य आते-आते प्रभावहीन होने लगा और उसको वापस लेने पर विचार किया जाने लगा। तदनुसार 18 मई, 1933 को बिहार में कांग्रेस ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया।

विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। बिहार में इस आंदोलन का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। 27 नवंबर, 1940 को बिहार में श्रीकृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही बने।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

1940 ई. में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वाँ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। बिहार में इस आंदोलन का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। 27 नवंबर, 1940 को बिहार में श्रीकृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही बने। इस सत्याग्रह में छोटानागपुर के ताना भगतों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 27 नवंबर को ही श्रीकृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी बिहार में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण बने, जिन्हें पटना सिटी में भाषण देते समय गिरफ्तार किया गया। गया में गौरशंकर सिंह ने तथा सिलाव में श्यामनारायण सिंह ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गया में कुछ महिलाएँ भी सत्याग्रह के आरोप में गिरफ्तार हुईं, जिनमें प्रियंवदा देवी, जगतरानी देवी, जानकी देवी आदि प्रमुख थीं।

भारत छोड़ो आंदोलन

1939 ई. में विभिन्न प्रांतों में 28 माह तक सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। यद्यपि 1940 ई. में व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा अपनी माँगों का पूरा करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें असफलता हाथ लगी थी। अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन पर यह दबाव डाला गया कि वह द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीयों का विश्वास जल्द से जल्द हासिल करे। 22 मार्च, 1942 को युद्धकाल में उत्पन्न परिस्थितियों को शांत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैंड फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन ब्रिटेन से भारत आया था, जिसे 'क्रिप्स मिशन' कहा जाता है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया

जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने 'क्रिप्स मिशन' के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह 'पोस्ट डेटेड चेक' है। पं. नेहरू ने भी इस समय कहा कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं।

8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब 'अगस्त क्रांति मैदान' कहते हैं, में बुलाया गया, जिसमें गांधीजी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आंदोलन' प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

इस प्रकार क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान की लगातार सफलता ने भारतीय जनमानस को एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने पर विवश किया। 14 जुलाई, 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और भारत से ब्रिटिश शासन का शीघ्र अंत करने का निर्णय लिया गया। 8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब 'अगस्त क्रांति मैदान' कहते हैं, में बुलाया गया, जिसमें गांधीजी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आंदोलन' प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा, "कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती, जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो।" 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। इस समय गांधीजी ने कहा कि यह अंतिम संघर्ष है—अंग्रेजो भारत छोड़ो। उन्होंने 'करो या मरो' का नारा दिया। यद्यपि इस आंदोलन के लिए सबसे अंत में जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए थे।

'भारत छोड़ो आंदोलन' में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश था। 31 जुलाई, 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा था। उसी दिन छात्रों एवं युवकों ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा कर राजेंद्र प्रसाद को अपना समर्थन दिया था। 8 अगस्त को महात्मा गांधी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। देखते ही देखते संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया। विरोध प्रदर्शन एवं सभाओं का कार्यक्रम तेजी से आरंभ हो गया। इस आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम 51 वर्ष तक की सजा दी गई तथा पूरे राज्य पर सामूहिक रूप से 40 लाख रुपए की वसूली जुर्माना के रूप में की गई।

पटना में 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर बाँकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। राज्य में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू कर दिया गया था। 10 अगस्त को पटना के कमिश्नर डब्ल्यू.जी. आर्चर के आदेश पर श्रीकृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर बाँकीपुर जेल में रखा गया। उस समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग-पत्र दिया था। 10 अगस्त को दानापुर में सीताराम केसरी और हरeram कृष्ण सिंह के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। पटना स्थित कदमकुआँ में महिला चरखा समिति की महिलाओं ने राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें जगत् नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी एवं सुंदरी देवी ने भी हिस्सा लिया। इसी दिन गांधी मैदान (बाँकीपुर मैदान) में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय भवन पर झंडा फहराया जाएगा। 11 अगस्त, 1942 को पटना के छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना जिला के कलेक्टर डब्ल्यू.जी. आर्चर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके कारण उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, रामगोविंद सिंह तथा जगपति कुमार शहीद हो गए।

11 अगस्त को शहीद होनेवाले प्रथम आंदोलनकारी रामानंद सिंह पटना जिला के धनरुआ थाना स्थित शहादत नगर ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह एवं माता का नाम श्रीमती अन्नतीया देवी था। ये 1942

ई. में पटना के राममोहन राय सेमिनरी में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत थे। शहीद उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जो रमणजी के नाम से भी जाने जाते हैं, का जन्म 4 अप्रैल, 1923 को सारण जिले के नरेंद्रपुर गाँव में हुआ था। 1942 ई. में ये पटना के राम मोहन राय सेमिनरी में 11वीं की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शहीद सतीश प्रसाद झा का जन्म भागलपुर जिले के खड़हरा गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगदीश प्रसाद झा और माता का नाम श्रीमती त्रिपुरा देवी था। ये पटना स्थित पटना कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शहीद जगपति कुमार का जन्म 1923 ई. में औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना के खराटी गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुखराज बहादुर और माता का नाम देवरानी कुँवर था। शहीद जगपति कुमार पटना के. बी.एन. कॉलेजिएट स्कूल में अध्ययन कर रहे थे।

शहीद देवीपद चौधरी का जन्म 16 अगस्त, 1928 को जमालपुर के सिलहट गाँव में हुआ था। इनके चाचा राकेश चंद्र चौधरी, जयशंकर चौधरी और योगेंद्र चंद्र चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार के एक अन्य सदस्य कालीपद चौधरी को थाने में आग लगाने के जुर्म में 2 वर्ष की सजा दी गई थी। देवीपद चौधरी पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे। वर्तमान में पटना मिलर हाई स्कूल का नाम इन्हीं के नाम पर देवीपद चौधरी हाई स्कूल है। देवीपद चौधरी और उनके पिता के ऊपर लिखी गई पुस्तक 'देशसेवक पिता और शहीद पुत्र' है। शहीद राजेंद्र सिंह का जन्म 5 दिसंबर, 1924 को सारण जिले के सोनपुर थाना के बनवारीचक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवनारायण सिंह तथा माता का नाम श्रीमती जीरादेवी था। ये पटना स्थित मिलर हाई स्कूल के छात्र थे। ये सदाकत आश्रम में रहनेवाले नथुनी शर्मा द्वारा स्वतंत्रता संबंधी कहानियाँ सुनते रहते थे, जिसके कारण इनके जीवन पर देश की स्वतंत्रता की छाप पड़ने लगी। शहीद रामगोविंद सिंह का जन्म 1925 ई. में पटना जिले के दशरथा गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम देवकीनंदन सिंह और माता का नाम श्रीमती राम कुँवर देवी था। ये पटना जिला स्थित पुनपुन हाई स्कूल के छात्र थे। इस स्कूल में स्वतंत्रता काल में महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार ख़ाँ जैसे नेता आए थे, जिनके दर्शन का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा था।

अंग्रेजों द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण कार्रवाई से संपूर्ण बिहार और अधिक आंदोलित हो उठा। 12 प्रस्ताव पारित कर सरकारी प्रतिष्ठानों को पूर्णरूप से ठप करने का आह्वान किया गया। अनेक स्थानों पर लोग हिंसक हो गए तथा ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को मार भगाया। 13 अगस्त को गया में श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री कैलाश राम एवं श्री मुई भी पुलिस की गोली के शिकार हुए। 16 अगस्त, 1942 को बक्सर जिला के डुमराव में आंदोलन के क्रम में कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, सुखारी कहार, साधुशरण अहीर एवं बालेश्वर दूबे की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई।

11 अगस्त को शहीद होनेवाले प्रथम आंदोलनकारी रामानंद सिंह पटना जिला के धनरुआ थाना स्थित शहादत नगर ग्राम के निवासी थे।

इस आंदोलन में सीवान जिला के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की गोली लगने से मृत्यु हो गई। फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा रानी ने थाना भवन पर झंडा फहरा दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म सीवान जिले के पचलखी गाँव में 1914 ई. में हुआ था। 1933 ई. से अपनी पत्नी तारा देवी के साथ महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में जाकर रहने लगे थे। वे 1936 ई. में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ चले गए, जहाँ सरकार की शोषणवादी नीतियों के खिलाफ जन-जागरण करने लगे, जिसके कारण फुलेना प्रसाद एवं उनकी पत्नी को जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद अगस्त, 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में महाराजगंज में 16 अगस्त को ध्वंसात्मक कमेटी गठित की गई थी, जिसने एक बड़े जुलूस का आयोजन किया था। जुलूस सरकारी चिह्नों की तोड़फोड़ करते हुए थाने पर झंडा

फहराने के लिए पहुँचा, जिसमें फुलेना प्रसाद की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस घटना का वर्णन उनकी पत्नी तारा देवी ने 'उनकी यादें' शीर्षक पुस्तक में किया है। श्री महेश्वर प्रसाद 15 अगस्त, 1942 को सारण जिले के सोनापुर रेलवे स्टेशन के पास गोली लगने से शहीद हो गए।

सीतामढ़ी के चैनपुर गाँव के श्री जुब्बा सहनी ने 15 अगस्त, 1942 को आंदोलनकारियों के साथ मीनापुर थाने पर हमला कर दिया तथा थानेदार बॉलर को भीड़ ने जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद जुब्बा सहनी को बॉलर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और मुजलफ्फरपुर में बनवारी लाल के साथ उन्हें फाँसी दे दी गई।

जुब्बा सहनी का जन्म 1906 ई. में चैनपुर गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम पाचू सहनी था। प्रारंभ में भिखनपुर चीनी मिल में मजदूरी का काम करते थे। चीनी मिल में अंग्रेज सुपरवाइजर से इनकी झड़प हो गई। अतः सुपरवाइजर को पीटने का आरोप लगाकर इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1932, 1934 और 1942 में इन्हें जेल जाना पड़ा था। इन्होंने गाँव-गाँव घूमकर 'नमक सत्याग्रह आंदोलन', शराब की दुकानों पर धरना, चौकीदारी टैक्स का विरोध विदेशी कपड़ों का बहिष्कार संबंधी अभियान चलाया। 1932 ई. में मुजफ्फरपुर में शराब की दुकान पर धरना देने के समय पुलिस ने इनपर लाठियों से प्रहार किया। उसी समय जब पं. जवाहरलाल नेहरू मुजफ्फरपुर आए, तब उन्होंने कहा था कि जुब्बा भाई, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सभी हैं, सारा भारत आपके साथ है। 'भारत छोड़ो आंदोलन' में जब इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया, तब इन्होंने 56 साथियों की प्राण-रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। 38 वर्ष की उम्र में 11 मार्च, 1944 को इन्हें फाँसी दे दी गई।

जुब्बा सहनी का जन्म 1906 ई. में चैनपुर गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम पाचू सहनी था। प्रारंभ में भिखनपुर चीनी मिल में मजदूरी का काम करते थे।

13 अगस्त को मुंगेर में 'आजाद हिंदुस्तान' नाम का एक लघु समाचार-पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सरकारी दमन का विरोध किया गया था। इसके जवाब में सरकार की तरफ से भी 26 अगस्त, 1942 से 'मुंगेर न्यूज' नामक अखबार निकाला जाने लगा, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करने लगी।

इस आंदोलन के दौरान हाजीपुर में श्री अमीर राय के पुत्र की गोली लगने से मृत्यु हो गई। 14 अगस्त, 1942 को मधुबनी में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू, गणेशी ठाकुर और नथुनी शाह शहीद हो गए। पूर्णिया में 27 अगस्त, 1942 को समाहरणालय पर झंडा फहराने का नेतृत्व योगेंद्र नारायण सिंह, परमेश्वर दास, शेख इसाहाक, मोती मंडल, सुखदेव भगत, कुताई साहू कर रहे थे। इस क्रम में ये सभी पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गए। इसी दिन कटिहार में एक जुलूस ने थाने का घेराव किया और रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया। इस घटना से आक्रोशित होकर सरकार ने भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें धुरव कुमार कुंडू, रामाशीष सिंह, बिहारी शाह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल, दामोदर सिंह और मुंशी शाह की मृत्यु हो गई। 29 अगस्त, 1942 को सहरसा में आंदोलनकारियों पर गोली चलने से छह युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन आंदोलनकारियों का नेतृत्व कालेश्वर मंडल कर रहे थे। सहरसा के नरियार गाँव के केदारनाथ तिवारी एवं एकाढ़ गाँव के धीरो राय की मृत्यु पुलिस की पिटाई के कारण भागलपुर जेल में हुई थी।

'भारत छोड़ो आंदोलन' में बिहार के समाजवादियों—जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गुलाबी सोनार, योगेंद्र शुक्ला, रामानंदन मिश्र, गंगाशरण सिंह तथा अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 ई. में ही जयप्रकाश नारायण

को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया था। 1942 ई. में ही 8 नवंबर को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद, शालिग्राम सिंह और रामानंद मिश्र जेल की दीवार लाँघकर भाग निकले। इन लोगों के साथ प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी भी हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे, जिन्होंने जेल से भागने में इन लोगों की मदद की। जयप्रकाश नारायण अपने सभी साथियों के साथ सबसे पहले गया पहुँचे। गया पहुँचने के क्रम में ततरा गाँव के लोगों ने इन लोगों को मदद पहुँचाई। गया के मानपुर होते हुए राजगीर के ओरैल गाँव पहुँचे। राजगीर से बनारस पहुँचे। बनारस से अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल की तराई में शरण ली। नेपाल में ही उन्होंने 'आजाद दस्ते' का निर्माण किया तथा भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आजाद दस्ते ने छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाई। आजाद दस्ता में युवकों को शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था तथा सरकारी इमारतों, संचार एवं रेल परिवहन के साधनों की तोड़-फोड़ एवं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए भेजा जाता था। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण अपने अंतिम चरण में यह आंदोलन समाजवादियों के हाथों में आ गया था, जिसके कारण इस आंदोलन में कृषक एवं मजदूर वर्गों की भागीदारी बढ़ी। 1943 ई. के अंत तक बिहार में हजारों गिरफ्तारियाँ हुईं।

'भारत छोड़ो आंदोलन' में बिहार के सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सेना का गठन भागलपुर जिले के तिलकपुर निवासी सियाराम सिंह द्वारा किया गया था। इस दल के प्रमुख सदस्य पार्थसारथी (खगड़िया व्यायामशाला में अनुदेशक), नित्यानंद सिंह (सेना की नौकरी से त्याग-पत्र दिया था) तथा बिंदेश्वरी सिंह (निशानेबाज) थे। दीना और भुवनेश्वर ठाकुर अस्त्र-शस्त्र जुटाने का काम किया करते थे। सियाराम दल एक गुप्त शस्त्र संगठन था, जो नौजवानों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देता था तथा जिसका उद्देश्य गाँव की जनता को संगठित कर ग्राम स्वराज की स्थापना करना था। सियाराम दल ने छापामार दस्ता तैयार कर छापामार प्रणाली को अपनाया तथा दो वर्षों तक आंदोलन को चलाया। इस दल के प्रमुख सियाराम सिंह ने उत्तरी-पूर्वी बिहार के अनेक जिलों का दौरा किया। जयप्रकाश नारायण की सलाह से 12 दिसंबर, 1942 को नेपाल में चतुरानन सिंह के घर पर एक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता शिव-शंकर प्रसाद मंडल ने की थी। 5 दिसंबर 1942 को सियाराम दल ने भागलपुर के बिहपुर में सभा का आयोजन कर शांति ब्रिगेड एवं सैनिक ब्रिगेड का गठन किया।

इस तरह 'भारत छोड़ो आंदोलन' अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता के जनक्रोध का परिणाम था। यह आंदोलन एक तरह से 'स्वतंत्रता आंदोलन' की समाप्ति का परिचायक भी था, क्योंकि इसके बाद स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए सत्ता हस्तांतरण के लिए वार्ताओं का दौर चला।

आजाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की भूमिका

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 15 फरवरी, 1942 तक जापान का सिंगापुर पर अधिकार हो चुका था। मित्र राष्ट्रों की स्थिति युद्ध में खराब हो रही थी। बहुत सारे भारतीयों को बंदी बना लिया गया था। इन भारतीय बंदी सैनिकों का सम्मेलन रासबिहारी बोस ने टोक्यो में 28 मार्च, 1942 को बुलाया, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के गठन का फैसला लिया गया। 23 जून, 1942 को रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक में भारतीय एकता लीग का गठन किया गया तथा सुभाषचंद्र बोस को जर्मनी से जापान बुलाने का निर्णय लिया गया। कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले INA के गठन का विचार दिया तथा उन्हें इसका कमांडर नियुक्त किया गया। 4 जुलाई, 1943 को सिंगापुर में सुभाषचंद्र बोस ने इसका नेतृत्व सँभाला।

कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले INA के गठन का विचार दिया तथा उन्हें इसका कमांडर नियुक्त

किया गया।

सिंगापुर में 21 अक्टूबर, 1943 को सुभाषचंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद नामक प्रांतीय सरकार का गठन किया तथा वहीं से रेडियो प्रसारण किया। इस प्रांतीय सरकार के मंत्रिमंडल में बिहार के आनंद मोहन सहाय जनरल सेक्रेटरी थे। आनंद मोहन सहाय का जन्म भागलपुर के जमींदार परिवार में 10 दिसंबर, 1898 ई. को हुआ था। इनके पिता का नाम लालमोहन सहाय था। भागलपुर से मैट्रिक एवं आई.एस-सी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उस समय देश में चल रहे 'असहयोग आंदोलन' के प्रभाव में आकर 1921 ई. में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तत्पश्चात् इन्होंने 1922 तक डॉ. राजेंद्र प्रसाद के निजी सचिव के रूप में कार्य किया।

1922 ई. के गया कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इनकी मुलाकात सुभाषचंद्र बोस से हुई। गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास के इस समय सुभाषचंद्र बोस निजी सचिव थे। नेताजी से मुलाकात के बाद 1922-25 ई. तक आनंद मोहन सहाय जापान में रहे। इस अवधि में ये क्रांतिकारी रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप के संपर्क में आए। रासबिहारी बोस दिल्ली में वायसराय पर बम फेंककर जापान चले गए थे। राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्वयुद्ध के समय अफगानिस्तान में प्रांतीय सरकार का गठन किया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वे कैद से भागकर जापान पहुँच गए थे। जापान में इस समय आनंद मोहन सहाय ने नागासाकी गुलाम नागरिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी गुलाम देशों के युवाओं को आंदोलन के लिए संगठित करने का निर्णय लिया गया तथा इस कार्य को करने की जिम्मेदारी आनंद मोहन को सौंपी गई। आनंद मोहन सहाय कई देशों से होते हुए व्यापारी के वेश में 1925 ई. में भारत पहुँचे तथा गांधीजी, पं. नेहरू, चितरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सुभाषचंद्र बोस से संपर्क साधा तथा अपनी योजना से अवगत करवाया। 1926 ई. में इनका विवाह चितरंजन दास की भानजी सती देवी से हुआ। 1927 ई. में पुनः जापान पहुँचकर 'वायस ऑफ इंडिया' नामक समाचार-पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के लोगों की स्थिति को उजागर करने का कार्य जापान में किया। इस समाचार की प्रति अंग्रेजी और जापानी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी। इसी समय जापान में आनंद मोहन सहाय ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जापान में कांग्रेस की शाखा स्थापित की तथा कोबे में भारतीयों के लिए एक गेस्ट हाउस स्थापित किया। इस समय सुभाषचंद्र बोस कलकत्ता में नजरबंद थे तथा उनसे मिलना मुश्किल था। अतः गोपनीय ढंग से सूचना पहुँचाने में इनका सहयोग नरगा (नथनगर, भागलपुर) निवासी मुबारक और मुरतजा नामक दो भाइयों ने किया, जो जहाज में खलासी का काम करते थे। 1939 ई. में जब आनंद मोहन सहाय जापान में थे, तभी द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो चुका था। वे विश्वयुद्ध के दौरान ही नजरबंदी से भागकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुँच चुके थे। जापान में आजाद हिंद फौज का गठन रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे, लेकिन आनंद मोहन सहाय के दबाव में सुभाषचंद्र बोस को जर्मनी से जापान बुलाकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया।

नेताजी से मुलाकात के बाद 1922-1925 ई. तक आनंद मोहन सहाय जापान में रहे। इस अवधि में ये क्रांतिकारी रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप के संपर्क में आए।

1943 ई. तक 'आजाद हिंद फौज' ने भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था और आनंद मोहन सहाय एवं सुभाषचंद्र बोस ने मिलकर 30 दिसंबर, 1943 को इस द्वीप पर झंडा लहराकर आजादी मनाई। इस समय आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून बन चुका था। युद्ध में धीरे-धीरे जापान की स्थिति कमजोर

होने लगी, रंगून को अंग्रेजी सेना घेर चुकी थी, जिससे लड़ने के लिए कर्नल चटर्जी, दोस्त मुहम्मद खान तथा आनंद मोहन सहाय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। आनंद मोहन सहाय युद्ध काल में ही चीन होते हुए वियतनाम पहुँचे, जहाँ के प्रमुख नेता हो-ची-मिन्ह से मुलाकात की। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद वियतनाम के साईगोन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1946 आजाद हिंद फौज के अन्य अधिकारियों, जिन पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था, के साथ इन्हें भी रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इनकी पत्नी सती देवी ने नाथ नगर में बालिका विद्यालय की स्थापना की तथा इन्होंने भागलपुर में सुंदरवती महिला महाविद्यालय स्थापित किया। 1950 ई. के बाद आनंद मोहन सहाय ने भारतीय विदेश सेवा में थाईलैंड, मॉरीशस आदि देशों में राजदूत के रूप में काम किया। 13 फरवरी, 1991 को इनका देहांत हो गया।

क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा

स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1858 से 1885 ई. के बीच का काल भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल है। 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद से 1905 ई. तक राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव रहा। प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलनों ने युवावर्ग को प्रभावित करने में सफलता नहीं प्राप्त की, जिससे युवावर्ग में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। इसी क्रम में 1905 ई. में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। जिससे युवावर्ग आक्रोशित हो गया और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का एक वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में उभरकर सामने आया। इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से बिहार भी अछूता न था। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय डॉ. ज्ञानेंद्रनाथ मिश्र, बाबाजी ठाकुर दास, केदारनाथ बनर्जी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी आदि को है। ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र का जन्म 1870 ई. में हुआ था। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी। बाद में इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से जाना जाने लगा। बाबाजी ठाकुर दासजी का जन्म गया में हुआ था। इन्होंने 1906-07 ई. में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने 'द मदर लैंड' नामक समाचार-पत्र का संपादन शुरू किया था।

बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल, 1908 को एक क्रांतिकारी घटना घटी, जिसमें खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किंसफोर्ड नामक जिला जज की हत्या का प्रयास किया। इन दोनों ने किंसफोर्ड की फिटन-कार पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से उस वाहन में बैठे बैरिस्टर प्रिंग्ले केनेडी की पत्नी तथा बेटी की मृत्यु हो गई। जज किंसफोर्ड 'स्वदेशी आंदोलन' के समय कलकत्ता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। उसने कई क्रांतिकारियों को सजा दी थी। 'स्वदेशी आंदोलन' के समय विप्लववादी दल के सदस्यों द्वारा लिये गए राजद्रोहात्मक लेख के कारण इसने दल के सदस्यों को कठोर दंड दिया था। अतः क्रांतिकारियों ने उसे मारने की योजना बनाई थी। इस योजना की सूचना मिलने पर सरकार ने किंसफोर्ड का स्थानांतरण कलकत्ता से मुजफ्फरपुर में जिला जज बनाकर कर दिया था। विप्लववादी दल के सदस्य खुदीराम बोस एवं प्रफुल्लचंद्र चाकी ने उसकी हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर में उसकी बग़ी पर बम फेंका था।

इस घटना के बाद प्रफुल्लचंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को समस्तीपुर के पुसा बैनी में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 11 अगस्त, 1908 को उन्हें फाँसी दे दी गई। खुदीराम बोस की ओर से श्री कालीदास बोस ने मुकदमा लड़ा था। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम उम्र में फाँसी की सजा पानेवाले क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर, 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1913 ई. में महंत भगवान दास की हत्या नानकशाह मंदिर, निभेज, शाहाबाद में कर दी गई। महंतदास ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका निभाई थी।

‘बंग-भंग आंदोलन’ के विरोध में कलकता एवं ढाका में क्रांतिकारियों द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अनुशीलन समिति का प्रभाव बिहार क्षेत्र में भी फैल चुका था। बिहार के भागलपुर में रेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य, नलिनी बागची आदि ने अनुशीलन समिति के प्रमुख नेताओं—सचींद्र सान्याल, रासबिहारी बोस आदि के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाया।

बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय डॉ. ज्ञानेंद्रनाथ मित्र, बाबाजी ठाकुर दास, केदारनाथ बनर्जी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी आदि को है।

बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में संन्यासी बैकुंठ शुक्ल एवं योगेंद्र शुक्ल का योगदान अविस्मरणीय है। बैकुंठ शुक्ल का जन्म वैशाली के जलालपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने का काम किया। ‘असहयोग आंदोलन’ में शामिल होने के कारण बैकुंठ शुक्ल को छह माह की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बननेवाले फार्णींद्र घोष को क्रांतिकारियों ने मारने का जिम्मा बैकुंठ शुक्ल को सौंपा था, जिसकी उन्होंने बेतिया में जाकर हत्या कर दी। हाजीपुर आने के क्रम में बैकुंठ शुक्ल को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोतिहारी जेल में रखा था। उन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई और फाँसी के लिए गया सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था, जहाँ 14 अप्रैल, 1934 को उन्हें फाँसी दे दी गई। फाँसी से पूर्व गया में बैकुंठ शुक्ल की मुलाकात पं. जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद से हुई थी।

योगेंद्र शुक्ल का जन्म वैशाली के जलालपुर गाँव में 1898 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नन्कू शुक्ल था। इनकी मुलाकात 1917 ई. में जे.बी. कृपलानी एवं प्रो. मलकानी से हुई, जो उस समय मुजफ्फरपुर के जी.बी.बी. कॉलेज के प्रोफेसर थे।

योगेंद्र शुक्ल का जन्म वैशाली के जलालपुर गाँव में 1898 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नन्कू शुक्ल था। इनकी मुलाकात 1917 ई. में जे.बी. कृपलानी एवं प्रो. मलकानी से हुई, जो उस समय मुजफ्फरपुर के जी.बी.बी. कॉलेज के प्रोफेसर थे। बिहार अनुशीलन समिति के फार्णींद्र नाथ सान्याल एवं सत्यदेव परिव्राजक के संपर्क में आने के बाद योगेंद्र शुक्ल क्रांतिकारी गतिविधियों में और सक्रिय हो गए। 1921 ई. में जब पिरस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी से मुलाकात होने के बाद श्री योगेंद्र शुक्ल ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी’ के प्रमुख सदस्य बने। 3 जुलाई, 1929 को मौलानिया राजनैतिक डकैती केस में श्री योगेंद्र शुक्ल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने जब लाहौर सेंट्रल जेल से सरदार भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई थी, उसमें योगेंद्र शुक्ल भी शामिल थे। 11 जून, 1930 को पुलिस ने सारण जिले के मलखाचक गाँव से श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया एवं 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जिस क्रम में इन्हें भागलपुर, हजारीबाग, कलकता और अंडमान की जेलों में रखा गया। 1933 में अंडमान जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की। 1942 ई. के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया एवं हजारीबाग जेल में रखा गया, जहाँ जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र एवं सूरज नारायण सिंह भी कैद थे। हजारीबाग जेल से ये सभी भागने में सफल हुए थे। ये 1948 ई. में प्रजा समाजवादी दल के उम्मीदवार के रूप में 5 वर्षों के लिए विधान परिषद् के सदस्य चुने गए थे। 19 नवंबर 1966 को इनकी मृत्यु हो गई।

1924 ई. के बाद से बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ गई थीं। मोतिहारी में 1928 ई. में बिहारी छात्र सम्मेलन

का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। 1929 ई. में पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र और एक इशतेहार की हजारों प्रतियाँ बाँटी गई थीं, जिसके लेखक ज्ञान साहा थे। ज्ञान साहा को सरकार ने अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी घोषित कर दिया था।

बिहार के क्रांतिकारी नेता बटुकेश्वर दत्त 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी' के सक्रिय सदस्य थे। इनका जन्म कानपुर में 1910 ई. में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि बिहार रहा है। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में सचिन सान्याल और सुरेश भट्टाचार्य जैसे क्रांतिकारियों से संपर्क में आने के कारण इनके अंदर भी क्रांति की ज्वाला उत्पन्न होने लगी। सचिन सान्याल और सुरेश भट्टाचार्य ने ही उस समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से इनकी मुलाकात करवाई। 1917 ई. के रूसी क्रांति से प्रेरित होकर इस समय भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी' का गठन किया गया था। इसके सदस्य के रूप में इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर बम फेंका। जिस समय इन दोनों ने बम फेंका, उस समय विधानसभा में दो काले कानूनों को पारित किया जा रहा था। इस घटना के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर लाला लाजपत राय पर लाठी बरसानेवाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का भी केस चलाया गया। भगत सिंह को फाँसी की सजा दी गई तथा बटुकेश्वर दत्त को अंडमान जेल (कालापानी) में कैद कर दिया गया। ये अंडमान जेल से 1938 ई. में रिहा हुए। 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में पुनः इन्हें बंदी बना लिया गया। इनकी मृत्यु स्वतंत्रता के बाद 20 जुलाई, 1965 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई।

बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में गया षड्यंत्र का प्रमुख स्थान है। इस षड्यंत्र का संबंध क्रांतिकारी नेता केशव प्रसाद सिन्हा से है। केशव प्रसाद का जन्म 7 जून, 1906 को इंजीनियर अयोध्या प्रसाद के घर हुआ था। केशव प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा गया के जिला स्कूल से प्राप्त की। पुनः पटना स्थित बी.एड. कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये मात्र 12 वर्ष की अवस्था में 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में शामिल होने के लिए पहुँच गए। रास्ते में उनकी मुलाकात मोतीलाल नेहरू से हुई। इन्हें 1928 ई. में पहली बार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक वर्ष के अंदर तीन बार गिरफ्तार हुए। 1924 ई. में कानपुर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से प्रभावित होकर केशव प्रसाद सिन्हा ने 1929 ई. में गया के टी. मॉडल स्कूल में युवक संघ की स्थापना की, जिसका संबंध सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। इसका उद्देश्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केशव प्रसाद ने गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ और रामशिला पहाड़ पर आग्नेयास्त्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तथा धन जुटाने के लिए सरकारी खजानों की लूट करने लगे। 1930 ई. में इंपीरियल मेल को लूटने की योजना, पामरगंज रेलवे स्टेशन पर डाकघर के कैश को लूटने की योजना, डालटनगंज में रेल-डकैती योजना, 1932 ई. में गया में मेरोडिथ और उनके सहयोगी की हत्या की योजना आदि गया षड्यंत्र कांड की प्रमुख गतिविधियाँ थीं। इन लोगों के आतंक से भयभीत होकर गया जेल के सुपरिंटेंडेंट मेजर बर्क ने जो जेल में बंद क्रांतिकारी महंथ भगवान दास पर अत्याचार कर रहा था, अप्रैल, 1931 में आत्महत्या कर ली। इस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र टेकारी राज की पहसी कोठी, जिसे 'सात आना राज' कोठी भी कहा जाता था, बना हुआ था। इस कोठी में क्रांतिकारियों की मदद बागेश्वरी शर्मा नामक व्यक्ति कर रहा था। 3 अगस्त, 1931 को पहसी कोठी पर पुलिस ने छापा मारा, जहाँ से कारतूस, आग्नेयास्त्र आदि बरामद किए गए। बंगाल के क्रांतिकारी नेता प्रभात चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने पर उनके पास से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने इस कोठी पर 16

जनवरी, 1933 को पुनः छापामारी की।

केशव प्रसाद का जन्म 7 जून, 1906 को इंजीनियर अयोध्या प्रसाद के घर में हुआ था। केशव प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा गया के जिला स्कूल से प्राप्त की। पुनः पटना स्थित बी.एड. कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये मात्र 12 वर्ष की अवस्था में 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में शामिल होने के लिए पहुँच गए।

21 जनवरी, 1933 को केशव प्रसाद और उनके 16 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गया जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। इन लोगों की ओर से पटना के बलदेव सहाय एवं कलकत्ता के देवकी नंदन सिन्हा एवं गया के अवधेश नंदन सहाय, लक्ष्मी नारायण सिन्हा तथा ध्यानचंद आदि अधिवक्ताओं ने मुकदमे की पैरवी की। इस केस में सितंबर, 1933 को केशव प्रसाद सिन्हा, श्यामचरण बथेवार एवं विश्वनाथ माथुर को साढ़े सात वर्ष की सजा दी गई तथा केशव प्रसाद सिन्हा को हजारीबाग सेंट्रल जेल में और पुनः कलकत्ता स्थित दमदम जेल में रखा गया। 1934 ई. में इन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया, जहाँ दीवारों पर अन्य क्रांतिकारियों के साथ इनका भी नाम अंकित है। 1937 ई. में रिहा होने के बाद 'भारत छोड़ो आंदोलन' में 13 अगस्त, 1942 को पुनः गिरफ्तार कर लिये गए। स्वतंत्रता के बाद गया में इन्होंने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की तथा 1952 ई. में विधायिका के सदस्य निर्वाचित हुए। 3 सितंबर, 1975 को इनका देहांत हो गया।

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़कर बिहार के एक और क्रांतिकारी नेता बसावन सिंह ने राष्ट्र को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 23 मार्च, 1909 को वैशाली के जलालपुर, सुभई गाँव में हुआ था। 1920 ई. में प्रारंभ किए गए 'असहयोग आंदोलन' में इन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा गांधीजी से हाजीपुर में मुलाकात भी की। 1925 ई. के बाद से बसावन सिंह 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी' के सक्रिय सदस्य बन गए। 1929 ई. के लाहौर पड़यंत्र के बाद बसावन सिंह भूमिगत हो गए, लेकिन 1930 ई. में इन्हें गिरफ्तार कर बाँकीपुर सेंट्रल जेल, पटना में इन्हें कैद कर दिया गया। ये गिरफ्तारी के तीसरे दिन जेल से भाग गए। पुनः सात दिन के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गया सेंट्रल जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के विरोध में गया सेंट्रल जेल में इन्होंने 57 दिन की भूख हड़ताल की थी। जून 1936 में इन्हें रिहा कर दिया गया। ये रिहा होने के बाद 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' में शामिल हो गए। सुभाषचंद्र बोस के संपर्क में आकर इन्होंने गया कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की। इन्होंने 1937 ई. में जपला में लेबर यूनियन तथा 1937 ई. में ही शिवनाथ बनर्जी के साथ मिलकर जमालपुर 'रेल वर्कशॉप कामगार यूनियन' का गठन किया। ये वर्ष 1936 ई. 'अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन' से जुड़े तथा पूर्वोक्त रेलवे यूनियन के अध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए। 1937 ई. में जयप्रकाश नारायण और बेनी प्रसाद के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और छह महीने की सजा सुनाई गई।

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़कर बिहार के एक और क्रांतिकारी नेता बसावन सिंह ने राष्ट्र को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 23 मार्च, 1909 को वैशाली के जलालपुर, सुभई गाँव में हुआ था।

बसावन सिंह समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं—आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, संपूर्णानंद, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर आमी, कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं एम.आर. मसानी जैसे नेताओं के संपर्क में रहे। 26 जनवरी, 1940 को इन्हें पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्रांतिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान एवं रावलपिंडी तक गए थे। इन्होंने

‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के समय 9 अगस्त, 1942 ई. को बंबई में आयोजित कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। इन्हें 8 जनवरी, 1943 को दिल्ली में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा 3 अप्रैल, 1946 को जेल से रिहा हुए। ये स्वतंत्रता के बाद भी समाजवादी एवं मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए थे एवं ‘हिंदू मजदूर सभा’ की स्थापना की थी। ये 1952 ई. में डेहरी ओन-सोन से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। 1952 से 1962 ई. तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया तथा 1962 से 1968 तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे। 1967 ई. में श्रम, योजना और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया तथा 7 अप्रैल, 1989 को इनका देहांत हो गया।

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका

‘राष्ट्रीय आंदोलन’ में बिहार के न केवल छात्र, युवा वर्ग, मजदूर, किसान आदि ने योगदान दिया, बल्कि बिहार की महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ‘चंपारण सत्याग्रह’ के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आंदोलन में निरंतर बढ़ती चली गई। 1919 ई. तक कस्तूरबा गांधी एवं उनके अनुयायी श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी आदि के नेतृत्व में ‘महिला आंदोलन’ एक संगठन का रूप ले चुका था।

‘असहयोग आंदोलन’ के समय 1921 ई. में सरला देवी के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था। उसी वर्ष श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी। ‘असहयोग आंदोलन’ के दौरान बिहार की महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया। चरखा समिति के निर्माण में प्रमुख भूमिका पटना की श्रीमती सी.सी. दास और श्रीमती उर्मिला देवी की थी। 1921 ई. में जब महात्मा गांधी बिहार के दौरे पर थे, तब उन्होंने देशबंधु स्मारक कोष के लिए धन संग्रह करने का कार्य शुरू किया था। इस कार्य में उनका सर्वाधिक सहयोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी ने किया था।

‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ के समय भी बिहार की महिलाओं ने ‘नमक कानून’ भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में श्रीमती शैलबाला राय ने संथाल परगना क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं को नमक बनाने के लिए प्रेरित किया। शाहाबाद जिले के श्री रामबहादुर की पत्नी ने सासाराम थाने में जाकर ‘नमक कानून’ का विरोध किया। हजारीबाग में आंदोलन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी एवं श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार कर छह महीने की सजा सुनाई गई। जुलाई, 1930 में श्रीमती मीरा देवी को सत्याग्रह करने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया था। पटना में महिला सत्याग्रहियों ने विदेशी वस्त्र की दुकानों पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन महिला संगठन द्वारा किया गया, जिसकी नेत्री श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी थीं। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए श्रीमती हसन इमाम उनकी पुत्री समी, श्रीमती सी.सी. दास एवं उनकी पुत्री गौरी दास ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन लोगों ने 3 अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। इन आंदोलनकारी महिलाओं से ही प्रभावित होकर मुंगेर की श्रीमती शाह मुहम्मद जुबैर भी आंदोलन में कूद पड़ीं। रामस्वरूप देवी ने ‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ में गाँव में घूम-घूमकर आंदोलन में भाग लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित किया। उन्हें 1931 ई. में गिरफ्तार कर भागलपुर की सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया था। इन्हें गांधी-इरविन समझौते के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। चंद्रावती देवी, जो गया की रहनेवाली थीं, ने ‘चौकीदारी कर’ के विरोध में आंदोलन किया। इसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

23 मार्च, 1931 को जब भगत सिंह को फाँसी दी गई, तब उसके विरोध में 30 मार्च, 1931 को आरा में कुसुम कुमारी देवी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया था तथा मंच से आह्वान किया, “नौजवानो, तुम पीछे क्यों हो, बिस्मिल, भगत सिंह, खुदी राम की तरह अपने को कुर्बान करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते, भगत सिंह की

चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और उसकी चिनगारियों को

प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ो।”

4 जनवरी, 1932 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अतः इसके विरोध में 4 जनवरी, 1933 को सारे देश में महात्मा गांधी के गिरफ्तारी दिवस के रूप में मनाया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इन कार्यक्रमों के कारण पटना शहर की सात महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी भी थीं। राजवंशी देवी डॉ. राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थीं। चंद्रावती देवी डिक्टेटर के नाम से प्रसिद्ध थीं। इन दोनों को 15 महीने की कैद की सजा दी गई थी।

1941 ई. में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इस सत्याग्रह में बिहार की कई महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसमें गया की प्रियंवदा देवी, जगत् रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार किया गया था।

1941 ई. में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इस सत्याग्रह में बिहार की कई महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसमें गया की प्रियंवदा देवी, जगत् रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार किया गया था। इन महिलाओं को चार-चार महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस ‘सत्याग्रह आंदोलन’ में दुमका की महादेवी केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 1942 ई. के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में बिहार में चरखा समिति की सदस्यों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। 9 अगस्त को पटना में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकला, जिसका नेतृत्व डॉ. राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी कर रही थीं। इसी तरह का एक बड़ा जुलूस 11 अगस्त, 1942 को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकाला गया था। उसी दिन सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया और 12 अगस्त को उन्हें भागलपुर जेल भेजा जा रहा था, लेकिन आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने उन्हें रास्ते से ही छुड़ा लिया। पुनः 14 अगस्त को एक जनसभा में भाषण देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

भागलपुर के बिहपुर गाँव में माया देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। भागलपुर के गोविंदपुर गाँव में ही श्री नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती को गोली मार दी गई। 15 अगस्त, 1942 को छपरा में शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इसी क्रम में सारण जिले के दिघवार प्रखंड के मलखाचक गाँव की शारदा एवं सरस्वती को तिरंगा फहराने के अपराध में मात्र 14 और 11 वर्ष की अवस्था में सजा दी गई। गया जिले के मुहम्मदपुर गाँव की प्यारी देवी को 1942 ई. के आंदोलन में गिरफ्तार कर गया के कैप जेल में भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में अनेक महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें वैशाली के किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीती देवी एवं वैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का वेश धारण कर आंदोलन के लिए लोगों को घूम-घूमकर प्रेरित किया। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी तारा देवी ने भी आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। घोड़मारा गाँव की विराजी मधियाइन एवं भोजपुर जिले के लशाढ़ी गाँव की अकली देवी पुलिस की गोली की शिकार हुई थीं।

बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उनका जन्म 1889 ई. में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवाग्राम नामक गाँव में हुआ था, लेकिन उन्होंने बिहार के किसानों की समस्याओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया।

किसान आंदोलन

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जहाँ एक ओर राष्ट्रवादियों एवं क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर देश के किसानों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीति से सर्वाधिक प्रभावित लोगों में किसान ही थे। ब्रिटिश विभाजनकारी नीतियों के कारण बिहार में किसानों की पंचमुखी वर्गीकरण की स्थिति थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अधिक से अधिक राजस्व की उगाही हेतु यहाँ के किसानों का अनेक स्तरों पर शोषण किया। जमींदारों, गुमाशतों, साहूकार-महाजनों आदि ने भी कृषकों का भरपूर दोहन किया। किसानों के संगठित शोषण के लिए 1793 ई. में ब्रिटिश कंपनी के लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, जो मूलतः जमींदारी प्रथा थी। इस प्रथा के तहत भू-राजस्व का 89 प्रतिशत हिस्सा कंपनी को और 11 प्रतिशत हिस्सा जमींदार को मिलता था। प्रारंभ से ही किसानों ने अपने शोषण एवं उत्पीड़न का विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया।

‘भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन’ में बिहार के कृषकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बड़े पैमाने पर बंगाल से निलहे बागान मालिकों ने बिहार में आकर किसानों को अपना शिकार बनाया। उनके खिलाफ किसानों ने 1866-67 ई. में पंडौल नामक स्थान पर विद्रोह किया। 1883-84 ई. में दरभंगा के राजा के खिलाफ कृषकों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत ‘चंपारण सत्याग्रह’ से मानी जाती है। 1917 ई. में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ‘चंपारण आंदोलन’ चलाया गया तथा लंबे समय से चली आ रही तीनकठिया पद्धति का अंत किया गया। ‘चंपारण आंदोलन’ से उत्साहित होकर स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी जिले में ‘किसान आंदोलन’ का नेतृत्व किया। 1922-23 ई. में मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर एवं श्रीकृष्ण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उनका जन्म 1889 ई. में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवाग्राम नामक गाँव में हुआ था, लेकिन उन्होंने बिहार के किसानों की समस्याओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। उनके बचपन का नाम नवरंग राय था। इन्होंने 1906 ई. में पत्नी की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया। ये 1892 ई. में बिहार में स्थापित भूमिहार ब्राह्मण महासभा के सक्रिय सदस्य बन गए और संगठन के माध्यम से किसान मजदूर नेता के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्होंने 1915 ई. में काशी से ‘भूमिहार ब्राह्मण’ नामक मासिक-पत्र निकालना शुरू किया, जिसमें ब्राह्मणों की जातिगत भावना का विरोध किया। उन्होंने ‘भूमिहार ब्राह्मण परिचय’ नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम बाद में ‘ब्रह्मर्षि वंश बिस्तर’ कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘ब्राह्मण की स्थिति’, ‘झूठा भय और मिथ्या अभिमान’ की रचना की। इन्होंने कर्मकांड एवं ज्योतिषशास्त्र से संबंधित ‘कर्मकलाप’ नाम पुस्तक की भी रचना की थी।

इन्होंने दिसंबर 1920 ई. में गांधीजी से प्रभावित होकर पटना में उनसे मुलाकात की एवं कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। इन्होंने पटना के पास बिहटा में स्थित सीताराम आश्रम को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया। वे 1924 ई. में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए तथा वापस लौटकर बक्सर क्षेत्र में कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया। इन गतिविधियों के साथ ही साथ वे किसानों के लिए संगठन बनाना चाहते थे, इसके लिए बिहटा में ‘पश्चिमी पटना किसान सभा’ नामक संस्था का गठन 4 मार्च, 1928 को किया, जो ‘किसान आंदोलन’ के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। मुजफ्फरपुर के राम दयालु सिंह एवं यमुना कार्यों के साथ मिलकर बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन का निर्णय लिया और सोनपुर मेले के अवसर पर 1929 ई. में इसका गठन किया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सचिव श्रीकृष्ण सिंह को नियुक्त किया गया। इस सभा में

यह भी निर्णय लिया गया कि राजनीतिक मामलों में 'किसान सभा' कांग्रेस की नीतियों का विरोध नहीं करेगी। 1929 ई. में बिहार में सरदार बल्लभ भाई पटेल का आगमन होने से एवं 1930 ई. में गांधीजी द्वारा 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' शुरू करने से किसान आंदोलन में और तीव्रता आ गई। 'नमक आंदोलन' में पटना जिला स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ने के अपराध में स्वामी सहजानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर छह माह की सजा सुनाई गई। इन्हें पहले बाँकीपुर जेल में और पुनः हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। ये सितंबर 1930 ई. में रिहा होने के बाद बिहटा के आश्रम में रहने लगे और किसान आंदोलन को सक्रिय करने का काम किया।

इस समय विश्वव्यापी मंदी का असर किसान आंदोलन पर भी पड़ रहा था, जिसका लाभ उठाकर जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 'यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी' का गठन किया, जिसके अध्यक्ष दरभंगा के महाराजा एवं सचिव शिवशंकर झा थे। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य किसान आंदोलन से अपने आपको सुरक्षित रखना था। 18 जून, 1933 को प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति में किसानों की समस्याओं को जानने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य यमुना कार्की, चंद नंदन शर्मा, युगल किशोर सिंह, बद्री नासयण सिंह, यदुनंदन शर्मा तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस समिति ने गया क्षेत्र के किसानों की समस्या को संगृहीत किया, जिसे 'गया के किसानों की करुण कहानी' नाम से सहजानंद सरस्वती ने पुस्तक का रूप दिया। 1934 ई. में पुरुषोत्तम दास टंडन ने सहजानंद सरस्वती को सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान सभा का गठन किया जाए। अंततः 1936 ई. में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामीजी के सभापतित्व में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने तथा महासचिव के पद पर एन.जी. रंगा की नियुक्ति की गई।

अंततः 1936 ई. में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामीजी के सभापतित्व में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने तथा महासचिव के पद पर एन.जी. रंगा की नियुक्ति की गई।

1937 ई. के चुनाव के बाद किसान सभा का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा और क्योंकि कांग्रेस जमींदारों से गठबंधन करने लगी थी। उनका मानना था कि कांग्रेस पूँजीपतियों, जमींदारों एवं महाजनों की रक्षक संस्था बनती जा रही है। अंततः स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कांग्रेस के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। 1940 ई. में इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। इस काल में इन्होंने 'दि अदर साइड ऑफ दि शिल्ड' तथा 'रेंट रीडक्शन इन बिहार—हाऊ इट वर्क्स' नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने नारा दिया 'डंडा हमारे पास है लगान कैसे लोगे'। 6 दिसंबर, 1948 को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 26 जून, 1950 ई. को इनका देहांत हो गया।

बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्तित्व शीलभद्र याजी थे। इनका जन्म पटना जिले के बख्तियारपुर में 22 मार्च, 1906 को हुआ था। इनके पिता का नाम पं. शिवटहल याजी एवं माता का नाम रेशमी देवी था। ये 'किसान सभा' के सक्रिय सदस्यों में से एक थे तथा 1941 ई. में इसके मंत्री भी रहे थे। अखिल भारतीय किसान सभा की इकाई का गठन स्वामी सहजानंद द्वारा सभी जिलों में किया गया था। पटना जिला किसान सभा का नेतृत्व शीलभद्र याजी को सौंपा गया था।

बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्तित्व शीलभद्र याजी थे। इनका जन्म पटना जिले के बख्तियारपुर में 22 मार्च, 1906 को हुआ था।

शीलभद्र याजी ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ल जैसे क्रांतिकारी नेताओं एवं आचार्य नरेंद्र देव,

जयप्रकाश नारायण एवं अच्युत पटवर्धन समाजवादी नेताओं आदि के साथ रहकर काम किया। जब 1928 ई. में कलकता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे, तब इनका संपर्क सुभाष चंद्र बोस से हुआ। 1930 ई. में 'असहयोग आंदोलन' के क्रम में पटना में गिरफ्तार हुए तथा बाँकीपुर सेंट्रल जेल में 8 महीने तक कैद रहे। 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के समय इन पर फॉर्बर्ड ब्लॉक की नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ा और इनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इन्होंने 1942 ई. में बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस से संपर्क स्थापित कर इन्होंने 'आजाद हिंद फौज' के गठन में उनका सहयोग किया। बंबई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संपर्क स्थापित करने के अपराध में संन्यासी के वेश में गिरफ्तार कर इनपर दिल्ली के लाल किले में 1944 ई. में मुकदमा चलाया गया। शीलभद्र याजी 1930 ई. से 1947 तक साढ़े सात साल विभिन्न जेलों में कैद रहे तथा ढाई वर्ष अज्ञातवास में बिताए। 28 जनवरी, 1966 को इनकी मृत्यु हो गई।

जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 ई. में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। इसके नेताओं ने स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाए जा रहे कृषक आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया। 1837 ई. के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई। इससे उत्साहित होकर अब्दुल बारी एवं रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे नेताओं ने नई सरकार के समक्ष जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद 1952 ई. में संवैधानिक रूप से जमींदारी को समाप्त किया जा सका, फिर भी भूमि पर सामाजिक रूप से ऊँची जाति के हिंदुओं का ही नियंत्रण स्थापित था। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में करीब 50 हजार किसानों ने विधानसभा का घेराव कर प्रधानमंत्री श्रीकृष्ण सिंह एवं कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध नारेबाजी की गई। मध्य बिहार में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बड़हिया नामक स्थान पर 'बकाशत आंदोलन' चलाया गया। यह आंदोलन शोषित तथा पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बकाशत भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का प्रयास था।

प्रारंभ में कृषक आंदोलन पटना, शाहाबाद, मुंगेर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में प्रारंभ हुआ, जो बाद में संपूर्ण बिहार में फैल गया। कांग्रेस ने जमींदारों के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई। श्रीकृष्ण सिंह एवं राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन किसान आंदोलन जारी रहा। यदुनंदन शर्मा ने गया में, रामानंदन मिश्र ने दरभंगा में, राहुल सांकृत्यायन ने छपरा में, यमुना कार्यों ने सारण में किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगे और वर्ग संघर्ष के आधार पर किसान आंदोलन को ले जाने का निर्णय किया। इसके कारण जयप्रकाश नारायण ने 'रेड किसान सभा' का गठन किया। समाजवादियों से अलग होने के कारण किसान आंदोलन कमजोर होने लगा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1930 के पश्चात् बिहार में कई महत्वपूर्ण कृषक आंदोलनों ने जन्म लिया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। कृषक आंदोलन के कारण ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार संबंधी अनेक कानून बनाए गए।

मजदूर आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद देश के अधिकतर कल-कारखानों एवं उद्योगों से बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छूटनी की जाने लगी तथा उनकी कार्य-दशा, स्थिति और भी चिंताजनक होने लगी थी। श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों तथा अन्य बुद्धिजीवियों द्वारा देश में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में श्रम आंदोलन की

शुरुआत हुई। प्रारंभ में यह आंदोलन सुधारवादी स्वरूप में था, जिसने बाद में राजनीतिक स्वरूप ले लिया। इसी समय रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविक क्रांति हुई, जिसका असर भारत में प्रबुद्ध एवं मजदूर वर्ग के ऊपर पड़ा।

1918 ई. में सर्वप्रथम मद्रास में वी.पी. वाडिया के नेतृत्व में मजदूरों ने विन्नी कॉटन मिल में अपने अधिकारों को लेकर हड़ताल की। इसी वर्ष जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने भी हड़ताल की तथा 1919 ई. में रौलेट ऐक्ट के विरोध में यहाँ लगभग 40 हजार मजदूरों ने हड़ताल की। इसके बाद 1922 एवं 1925 ई. में भी यहाँ हड़ताल हुई। 1925 ई. की हड़ताल गांधीजी के आश्वासन पर मजदूरों द्वारा समाप्त की गई।

1925 ई. में एम.एन. राय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में की तथा संघर्ष के आधार पर हक की प्राप्ति का सिद्धांत दिया। 1928 ई. में जमशेदपुर में देश की सबसे बड़ी हड़ताल (लगभग साढ़े तीन महीना) हुई, जिसका नेतृत्व श्रमिक नेता माणिक होमी कर रहे थे। सी.एफ. एंड्रयूज, एन.एम. जोशी तथा यमुनादास मेहता के प्रयास से भी यह हड़ताल समाप्त नहीं हुई। 18 अगस्त, 1928 को सुभाष चंद्र बोस तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक के बीच हुए समझौते से हड़ताल समाप्त हुई। श्रमिक नेता माणिक होमी द्वारा गठित 'जमशेदपुर लेबर फेडरेशन' को कंपनी की ओर से मान्यता प्रदान की गई। 1929 ई. में गोलमुरी के टिनप्लेट कंपनी के श्रमिकों ने भी कई बार हड़तालें कीं। यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस तथा राजेंद्र प्रसाद ने सहयोगियों के साथ कई बार दौरा किया।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया के कोयला खदान क्षेत्र में आयोजित सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण तथा अब्दुल बारी जैसे नेताओं ने 1934 ई. में की। इन नेताओं ने मजदूरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। 1937-38 ई. में बिहार में 11 बड़ी श्रमिक हड़तालें हुईं। रोहतास उद्योग डालमिया नगर, गया कॉटन मिल, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, मुसाबनी, सिंहभूम, इंडियन केबल कंपनी, गोलमुरी, जमशेदपुर, टाटा नगर फाउंड्री कंपनी, जमशेदपुर, जपला सीमेंट वर्क्स, टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर तथा अन्य कारखानों में हड़ताल हुई। अब्दुल बारी के नेतृत्व में 'टाटा वर्क्स यूनियन' नामक एक 'श्रमिक संघ' की स्थापना की गई। सत्य नारायण सिंह एवं योगेंद्र शुक्ल ने बेरमो में कोयला खदान के श्रमिकों को नेतृत्व प्रदान किया। दिसंबर, 1938 में बिहटा चीनी मिल की सभा को अब्दुल बारी एवं रामवृक्ष बेनीपुरी ने संबोधित किया तथा एक 'श्रमिक संघ' की स्थापना की। रियासत हुसैन एवं मेजर रायजीश ने 16 दिसंबर, 1939 को डेहरी में श्रमिकों की एक सभा की तथा श्रमिकों का संयुक्त मोर्चा बनाने पर बल दिया।

1925 ई. में एम.एन. राय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में की तथा संघर्ष के आधार पर हक की प्राप्ति का सिद्धांत दिया। 1928 ई. में जमशेदपुर में देश की सबसे बड़ी हड़ताल (लगभग साढ़े तीन महीना) हुई, जिसका नेतृत्व श्रमिक नेता माणिक होमी कर रहे थे।

एम.एन. राय तथा बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने जमशेदपुर में अपने संबोधन के दौरान श्रमिकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आह्वान किया। 18 फरवरी, 1940 को जमशेदपुर में दिए गए श्रमिकों के बीच भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर 9 महीने कड़ी कैद की सजा दी गई। इसके विरोध में पटना सहित कई स्थानों पर हड़तालें तथा धरना प्रदर्शन किया गया। 14 मार्च को सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया।

भारत लेबर पार्टी के संगठन सचिव नहारेण्डु दत्त मजूमदार एवं सत्य विमल सेन तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष, मुकुंद लाल सरकार पर भारत रक्षा कानून के तहत छोटानागपुर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध

लगा दिया गया। इसी कानून के अंतर्गत बिहार सरकार ने भारतीय लेबर पार्टी के सचिव शिशिर राय एवं संगठन समिति के सदस्य सत्य चक्रवर्ती को तथा बंगाल लेबर पार्टी के अध्यक्ष रहमान खान को बिहार आने से मना कर दिया गया।

1942 ई. की 'अगस्त क्रांति' के फलस्वरूप झरिया तथा कतरास में हड़तालें हुईं और जमशेदपुर में हजारों मजदूरों की सभा हुई।

1942 ई. की 'अगस्त क्रांति' के फलस्वरूप झरिया तथा कतरास में हड़तालें हुईं और जमशेदपुर में हजारों मजदूरों की सभा हुई। इस दौरान कटिहार पटसन मिल में भी हड़ताल रही। 13 अगस्त, 1942 को लगभग 10 हजार मजदूरों की एक भीड़ ने कटिहार के रजिस्ट्री ऑफिस पर आक्रमण कर लूट लिया। 10 जून, 1944 को बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक बैठक गिरिडीह में हुई, जिसमें 40 राज्य प्रतिनिधियों सहित लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। 16 जनवरी, 1947 के AITUC की केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु 18 मार्च, 1947 को पूरे भारत में 'माँग दिवस' मनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार बोकीपुर में सी.पी.आई. द्वारा 18 मार्च, 1947 को आम सभा का आयोजन ज्ञान विकास मैत्रा की अध्यक्षता में किया गया।

बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहायक सचिव हबीबुर्रहमान ने छात्र नेता कामता सिंह एवं ब्रज किशोर प्रसाद के साथ मिलकर परेड मैदान में 25 मार्च, 1947 को आम सभा की तथा पुलिसकर्मियों को भी हड़ताल पर जाने की सलाह दी। 26 मार्च, 1947 के जुलूस में 'खून का बदला खून से लेंगे', 'बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे' जैसे नारे लगाए गए। इसी प्रकार 12 अप्रैल, 1947 को AITUC से संबद्ध यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की तथा 'लाल झंडे की जय, इस बार शासन हम करेंगे', 'मजदूर राज्य कायम हो' जैसे नारे श्रमिकों द्वारा लगाए गए। 17-20 जून, 1947 तक सी.पी.आई. के नेतृत्व में पटना में विभिन्न मजदूर संगठनों का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में ज्ञान विकास मैत्रा तथा जगन्नाथ सरकार द्वारा कोयला एवं रेल उद्योग से जुड़े श्रमिकों को संबोधित किया गया। सी.पी.आई. के दो पार्टी सदस्य श्री केदार दास एवं निहाल सिंह को जमशेदपुर में निषेधाज्ञा तोड़ने एवं टिनप्लेट उद्योग तथा टिस्को में हड़ताल करवाने के कारण गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिहार में श्रमिक आंदोलन ने उदारवादी स्वरूप से प्रारंभ होकर एक सशक्त राजनीतिक स्वरूप धारण किया।

समाजवादी आंदोलन

कांग्रेस द्वारा 'असहयोग आंदोलन' को अचानक स्थगित करने तथा 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' की असफलता ने देश के युवाओं में हताशा भर दी थी। वे 'राष्ट्रीय आंदोलन' को लेकर विचलित होते दिखाई दे रहे थे। उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि कांग्रेस दक्षिणपंथी सामंतों के इशारे पर कार्य कर रही है। कांग्रेस पूर्णरूप से गैर-प्रगतिशील एवं रूढ़िवादी हो गई है। कांग्रेस में परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन लाना समय की माँग हो गई थी। कांग्रेस को प्रगतिशील बनाने के लिए देश के युवाओं के साथ बिहार के युवा भी व्याकुल थे। दूसरी ओर 1917 ई. की रूस की बोलशेविक क्रांति ने युवाओं को समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणास्रोत का कार्य किया था। इस तरह क्रांतिकारी समाजवादियों एवं अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलनों ने बिहार में समाजवादी विचारधारा को प्रसारित करने का कार्य किया।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम बिहार के युवाओं ने 1931 ई. में 'बिहार सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे—गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र

इत्यादि। इसकी बाद 1934 ई. में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की गई। इसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा नामक गाँव में हुआ था। इन्हें जे.पी. तथा 'लोकनायक' के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम हर्सुल दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूलरानी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना से ग्रहण की थी। 1920 ई. में इनका विवाह प्रभावती देवी के साथ हुआ था। प्रभावती देवी कई वर्षों तक कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही थीं। जयप्रकाश नारायण ने पहले पटना कॉलेज में नामांकन कराया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में 1922 ई. तक पढ़ाई की। 1922 ई. में अमेरिका उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए, जहाँ बर्कले विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1929 ई. में अमेरिका से भारत लौटे। इस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो चुका था तथा जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के भी संपर्क में भी आ चुके थे। 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' के दौरान सितंबर, 1932 में मद्रास में गिरफ्तार कर नासिक जेल में कैद कर दिया, जहाँ अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, एम.आर. मासानी, एम.एच. दंतेवाला, सी.के. नारायण स्वामी जैसे समाजवादी सोचवाले नेताओं के संपर्क में आए तथा इन्हीं लोगों से प्रभावित होकर 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की।

1934 ई. में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया, तब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ओर से विरोध किया। 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में इन्हें गिरफ्तार करके 9 माह की सजा दी गई तथा हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया। आंदोलन के दौरान ही योगेंद्र शुक्ल एवं अन्य सहयोगियों के साथ जेल से भाग गए तथा नेपाल क्षेत्र में भूमिगत होकर आंदोलन चलाया। इस समय इन्होंने 'आजाद हिंद दस्ता' का गठन किया था।

स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1957 ई. में राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन पुनः कांग्रेस की नीतियों के विरोध में एवं आपातकाल के दौरान राजनीति में सक्रिय हो गए। 1965 ई. में समाज-सेवा के क्षेत्र में 'मैग्सेसे पुरस्कार' से एवं 1998 ई. में मरणोपरांत 'भारतरत्न' से सम्मानित किया गया। इन्होंने 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल के विरोध में आंदोलन किया तथा 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया। 8 अक्टूबर, 1979 ई. को पटना में इनकी मृत्यु हो गई।

1934 ई. में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया, तब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ओर से विरोध किया।

भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विकास में अन्य लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें प्रमुख गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल बारी, रामानंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, अंबिकाकांत, फूलन प्रसाद वर्मा आदि थे। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने जहाँ एक ओर कांग्रेस को ब्रिटिश प्रशासन विरोधी बनाने में सहायता की, वहीं उसने श्रमिकों और किसानों में राजनीतिक चेतना जाग्रत करने का कार्य किया। 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' के नेताओं ने अभूतपूर्व राष्ट्रीयता का परिचय दिया। उन्होंने भूमिगत होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया गया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। समाजवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान रहा।

साम्यवादी आंदोलन

बिहार में साम्यवादी आंदोलन का भी अन्य आंदोलनों की तरह अपना विशेष महत्त्व है। इस आंदोलन ने बिहार में मुख्य रूप से कृषकों एवं श्रमिकों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1917 ई. की बोलशेविक क्रांति विश्व सहित बिहार के लोगों में भी जागृति लाने में सफल रही। बिहार में साम्यवादी विचारों का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार 1921 ई. में झरिया के कोयला मजदूरों के लिए सिंगार वेल्लू चेट्टियार ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में साम्यवादी विचारधारा से श्रमिकों को अवगत कराया। 1922 ई. में कांग्रेस के गया अधिवेशन में साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने अपने विचार व्यक्त किए। वे बिहार के मजदूरों, कृषकों तथा युवाओं को आकर्षित करने में सफल हुए।

1925 ई. में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कानपुर में की गई, लेकिन इसका प्रभाव बिहार के युवाओं पर भी पड़ा। वे साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इस आंदोलन के अभिन्न अंग बने। 1930 ई. में अनिल मैत्रा, सुनील मुखर्जी, रतन राय, विश्वनाथ माथुर जैसे साम्यवादी युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जेल से निकलने के बाद इन्होंने 20 अक्टूबर, 1932 को मुंगेर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार शाखा की स्थापना की। पार्टी के संस्थापकों में सुनील मुखर्जी, राहुल सांकृत्यायन, ज्ञान विकास मैत्रा, विनोद बिहारी मुखर्जी, अनिल मैत्रा आदि प्रमुख थे। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभानेवाले अन्य क्रांतिकारी नेताओं में अली अशरफ, कृष्णचंद्र चौधरी, चंद्रशेखर सिंह, गंगाधर दास, राजकुमार पुरवे, विश्वनाथ लाल, किशोरी प्रश्न सिंह, तेज नारायण झा, मुहम्मद सफी, जगन्नाथ सरकार आदि थे।

कार्यानंद शर्मा एवं राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में बिहार में 'बकाशत आंदोलन' चलाया गया, जो सीमांत किसानों की भूमि वापसी से संबंधित था।

कार्यानंद शर्मा एवं राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में बिहार में 'बकाशत आंदोलन' चलाया गया, जो सीमांत किसानों की भूमि वापसी से संबंधित था। केदार दास, चतुरानन मिश्र, फणींद्र नाथ दत्त, तेजा सिंह, मंगल सिंह जैसे युवाओं ने बिहार के कृषकों एवं मजदूरों के बीच अनेक प्रकार के संरचनात्मक कार्य किए तथा अनेक साम्यवादी श्रमिक संगठनों की स्थापना की। ब्रिटिश शासन ने साम्यवादी पार्टी को उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित कर दिया। फलस्वरूप साम्यवादी नेता भूमिगत होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान साम्यवादियों ने नाजी प्रशासन को परास्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रशासन को सहयोग किया। अतः भारत में जन आंदोलन को प्रभावी बनाने में तथा किसानों एवं मजदूरों को अधिकार के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित करने में साम्यवादियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास

आधुनिक शिक्षा

प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केंद्र रहा है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश ही नहीं, विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता था। देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 ई. से माना जाता है। देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड मैकाले योजना के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करनेवाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक

बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया। टिकारी के महाराजा मित्रजित सिंह, हथुआ के महाराजा छत्रधारी शाही, दरभंगा महाराजा रुद्र सिंह आदि ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की।

भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। 1835 ई. में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहारशरीफ तथा 1840 में भागलपुर में ऐसे ही विद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद पटना, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, देवघर, हजारीबाग आदि जगहों पर एक-एक जिला स्कूल की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। 1847 ई. में पटना में संत जोसेफ स्कूल तथा 1856 ई. में संत माइकल स्कूल की स्थापना की गई।

प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक प्रकार की भ्रातियाँ थीं, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया। 1861 ई. में बंगाल के शिक्षा निदेशक, डब्ल्यू.एस. एटकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समीक्षा की और कहा कि बिहारियों ने अज्ञानता एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण आधुनिक शिक्षा से अपने को दूर रखा, जिससे वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए।

1866 ई. में बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की। न्यायाधीश गिरीशचंद्र घोष ने पटना कॉलेज के प्राचार्य मैकिंडल के सहयोग से पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। राजमहल, भागलपुर तथा दरभंगा में महिला विद्यालय खोले गए। 1887 ई. में भागलपुर में तेजनारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की गई। 1889 ई. में कुल्हरिया के जमींदार विशेश्वर सिंह ने पटना में बी.एन. कॉलेज तथा 1897 ई. में राजा कमलेश्वरी प्रसाद अंग्रेजी उच्च विद्यालय एवं विक्टोरिया जुबली स्कूल को मिलाकर मुंगेर में डी.जे. कॉलेज की स्थापना की। 1899 ई. में हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुई।

1909 ई. में सैयद नवाब रिजवी ने बी.एन.आर. शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज, गुलजारबाग, पटना की स्थापना की तथा इसी वर्ष पटना लॉ कॉलेज की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर, 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। जे.जी. जेविंग्स को पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया। राम बहादुर इंदल सिंह ने 1920 ई. में नालंदा कॉलेज की स्थापना बिहारशरीफ में की। स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में 1927 ई. में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। 1938-39 में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, दरभंगा तथा राजेंद्र कॉलेज, छपरा की स्थापना से बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण सहायता मिली। पाश्चात्य शिक्षा को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 1938 ई. में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई।

निःसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार राज्य के सभी माँगों में धीरे-धीरे संभव हुआ। इससे लोगों में सामाजिक, राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ और पृथक् बिहार राज्य के निर्माण में आंदोलन का सूत्रपात हुआ।

तकनीकी शिक्षा

बिहार में आधुनिक तकनीकी शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत बाद में हुआ। कुछ तकनीकी शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अधिकतर संस्थानों की स्थापना पृथक् बिहार प्रांत गठन अर्थात् 1912 ई. के बाद ही हुई। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1863 ई. में स्थापित पटना महाविद्यालय की स्थापना से मानी जाती है। समस्तीपुर के पूसा में 1902 ई. में पशु प्रजनन तथा डेयरी फॉर्म की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ई. में कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना की, जो 1919 ई. से इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी गई। बिहार प्रांत के गठन के कुछ वर्ष बाद 1917 ई. में पटना विश्वविद्यालय तथा 1925 ई. में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बाद में पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सैयद इमदाद अली के द्वारा 1972 ई. में मुजफ्फरपुर में 'बिहार साइंटिफिक सोसाइटी' की स्थापना की गई। यह संस्था इंजीनियरिंग के अध्ययन हेतु काफी सहायक सिद्ध हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 ई. में पटना में एक 'सर्वे विद्यालय' की स्थापना की गई, जो आगे चलकर 'स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग' के नाम से जाना गया। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कालांतर में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्ष 2004 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भारत सरकार ने 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी' (NIT) का दर्जा प्रदान किया।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 ई. में पटना में एक 'सर्वे विद्यालय' की स्थापना की गई, जो आगे चलकर 'स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग' के नाम से जाना गया। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कालांतर में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वर्ष 1921 में बिहार विधानपरिषद् ने एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की। इसके फलस्वरूप 1926 ई. में पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल खोला गया। बिहार में कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1939 ई. में पटना में 'गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट ऐंड क्राफ्ट्स' की स्थापना की गई। बिहार में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना कॉलेज से पृथक् कर पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 ई. में की गई। बिहार के गवर्नर सर हेनरी मिलर द्वारा 1927 ई. में बिहार वेनरी स्कूल की स्थापना पटना में की गई, जो 1947 ई. में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। 1940 के दशक में दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई, जो बाद में दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल के रूप में विख्यात हुआ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई। वर्ष 2006 में इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु बी.आई.टी. एक्सपेंशन की शाखा पटना में स्थापित की गई। प्रबंधन संस्थान के रूप में वर्ष 2008 में पटना में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान तथा वर्ष 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों की स्थापना बिहार में अनेक स्थानों पर की गई। वर्ष 2008 में पटना में आई.आई.टी. की स्थापना की गई। इसी प्रकार वर्ष 2008 में दरभंगा, नालंदा एवं गया में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में बेतिया में तथा वर्ष 2010 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पटना में एम्स की स्थापना की गई।

वर्तमान समय में बिहार में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जा चुका है तथा इसके विकास हेतु अनेक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पटना में स्थापित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना बेगूसराय में की गई है। कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल से आरंभ आधुनिक तकनीकी शिक्षा का विकास वर्तमान समय में भी जारी है।

तिथि क्रमावली

आधुनिक काल

1857 ई. (12 जून)—रोहिणी (देवघर) में सिपाहियों का विद्रोह।

1857 ई. (3 जुलाई)—पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनता का विद्रोह।

- 1857 ई. (25 जुलाई)—दानापुर और आरा में विद्रोह, कुँवर सिंह का जगदीशपुर में विद्रोह।
- 1858 ई. (23 अप्रैल)—कुँवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट पराजित।
- 1858 ई.—ईस्ट इंडिया के शासन का अंत, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित।
- 1860 ई.—सरदारी लड़ाई।
- 1865 ई.—पटना के वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी।
- 1870 ई.—खरवार आंदोलन।
- 1895-1900 ई.—बिरसा मुंडा का आंदोलन।
- 1894 ई.—‘बिहार टाइम्स’ का प्रकाशन।
- 1906 ई.—बिहार के बंगाल से पृथक्करण की माँग प्रारंभ।
- 1908 ई.—मुजफ्फरपुर बम कांड, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार, बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन।
- 1911 ई. (12 सितंबर)—सम्राट् जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक् प्रांत बनाने की घोषणा।
- 1912 ई. (22 मार्च)—बिहार एवं उड़ीसा के बंगाल से पृथक्करण का प्रस्ताव स्वीकृत।
- 1912 ई. (1 अप्रैल)—बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत की स्थापना।
- 1912 ई.—बाँकीपुर, पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन, पं. नेहरू पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थित।
- 1912-13 ई.—बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान (खलीफा) के प्रति समर्थन प्रदर्शित।
- 1913-14 ई.—ताना भगत आंदोलन।
- 1916 ई.—पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, सर एडवर्ड प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में बिहार में ‘होम रूल आंदोलन’ का आरंभ।
- 1917 ई.—गांधीजी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना।
- 1919 ई.—बिहार में ‘खिलाफत आंदोलन’ का आरंभ, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन का आरंभ।
- 1919 ई.—1919 के अधिनियम (मांटैग्यू चेम्स फोर्ड सुधार) के अंतर्गत प्रांतों (बिहार सहित) द्वैध शासन का आरंभ, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना।
- 1920 ई.—बिहार में ‘असहयोग आंदोलन’ का आरंभ, मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना।
- 1921 ई. (6 फरवरी)—बिहार विद्यापीठ की स्थापना, कुलपति मौलाना मजरुलहक तथा प्राचार्य डॉ. राजेंद्र प्रसाद नियुक्त।
- 1921 ई.—ब्रिटिश युवराज (Prince of Wales) की बिहार-यात्रा।
- 1923 ई.—बिहार में स्वराज दल की स्थापना।

- 1925 ई.—पटना मेडिकल कॉलेज (Prince of Wales Medical College) की स्थापना।
- 1928 ई.—साइमन कमीशन का बिहार में आगमन।
- 1929 ई.—बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा 'बिहार प्रांतीय किसान सभा' का गठन।
- 1930 ई. (15 अप्रैल)—बिहार में 'नमक सत्याग्रह' प्रारंभ।
- 1931 ई.—बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना।
- 1934 ई. (7 अप्रैल)—पटना में गांधीजी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान।
- 1936 ई. (1 अप्रैल)—उड़ीसा अलग। बिहार प्रांत का पुनर्गठन, सर जेम्स डेविड सिफ्टन बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त, त्रिवेणी सभा की स्थापना।
- 1937 ई.—1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में चुनाव, कांग्रेस को बहुमत।
- 1937 ई. (7 जुलाई)—बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मुहम्मद यूनूस बिहार के पहले प्रधानमंत्री (Premier) नियुक्त।
- 1937 ई. (20 जुलाई)—श्रीकृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सरकार का गठन।
- 1938 ई.—अब्दुल कय्यूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना।
- 1940 ई.—फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन।
- 1942 ई.—'भारत छोड़ो आंदोलन', 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में सात छात्र शहीद।
- 1942-43 ई.—जयप्रकाश नारायण द्वारा 'आजाद दस्ते' का गठन।
- 1946 ई.—बिहार में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना।
- 1946-47 ई.—बिहार में हिंदू-मुस्लिम दंगे।
- 1947 ई. (15 अगस्त)—भारत स्वतंत्र, बिहार में जयराम दास दौलत राम राज्यपाल और श्रीकृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने।

स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख घटनाक्रम

- 1950 ई. (26 जनवरी)—बिहार प्रांत (Province) के स्थान पर राज्य बना।
- 1950 ई.—बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून लागू।
- 1952 ई.—बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस को बहुमत।
- 1961 ई.—श्रीकृष्ण सिंह का निधन, दीपनारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने।
- 1964 ई.—बरोनी में तेल-शोधक कारखाना स्थापित।
- 1967 ई.—पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित, संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन, महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री नियुक्त।
- 1974 ई.—जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 'संपूर्ण क्रांति आंदोलन' प्रारंभ, बिहार में छात्र आंदोलन।

1975 ई.—बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित।

1977 ई.—विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार।

2000 ई. (15 नवंबर)—बिहार का विभाजन, झारखंड राज्य की स्थापना।

2005 ई.—नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल (यूनाइटेड) एवं भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार।

2007 ई.—पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन।

2010 ई. (22 मार्च)—पहली बार बिहार दिवस का आयोजन।

2012 ई.—बिहार शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित।

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

6. पृथक् बिहार आंदोलन

(Bihar Separation Movement)

पाश्चात्य शिक्षा के कारण बिहार में भी बुद्धिजीवियों के वर्ग का उदय हुआ, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि पृथक् बिहार प्रांत के गठन के उपरांत ही बिहारियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। सर्वप्रथम 1876 ई. में मुंगेर से प्रकाशित 'मूर्ध-ए-सुलेमान' नामक पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक् आंदोलन की बात कही गई। इस पत्र ने माँग की कि बिहार में सरकारी नौकरियों में बंगालियों के स्थान पर बिहारियों की ही नियुक्ति की जाए। 22 जनवरी, 1877 को उर्दू पत्र 'कसीद' ने बिहार को बंगाल से पृथक् करने की जोरदार वकालत की। उसने कहा कि बंगाल और बिहार का साथ असंगत है, क्योंकि दोनों की परंपराएँ, रीति-रिवाज एवं व्यवहार भिन्न हैं। जहाँ बंगालियों को इससे लाभ हो रहा है, वहीं बिहारियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

1894 ई. में पृथक् बिहार संबंधी आंदोलन और अधिक तीव्र हुआ। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय वास्तव में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण को दिया जाता है। अन्य प्रमुख लोगों में नंद किशोर लाल, कृष्णा सहाय, अली इमाम, मौलाना शर्फुद्दीन, मौलाना मजहूरुल हक, दीपनारायण सिंह, परमेश्वर लाल महता आदि थे। महेश नारायण ने 'कायस्थ गजट' के माध्यम से 'बिहार पृथक् आंदोलन' की ठोस आधार प्रदान किया। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने बिहारियों के पिछड़ेपन पर विस्तृत प्रकाश डाला। दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से ही बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था।

1857 ई. की महान् क्रांति के बाद बंगाल के लोगों में पुनर्जागरण आया एवं उनमें भरपूर बौद्धिक विकास हुआ। बुद्धिजीवी बंगालियों ने ब्रिटिश शासन के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनानी शुरू की एवं धीरे-धीरे राष्ट्रवाद का बीज उगना प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार के लोगों ने इसे अपने अनुकूल नहीं माना एवं उन्हें कमजोर तथा सीमाबद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा। बंगाल को कमजोर करने के उद्देश्य से बिहारियों का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खुला समर्थन किया जाने लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैपबेल ने कहा कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान किया जाता, बिहार का विकास नहीं हो सकता। उसने पृथक् बिहार के निर्माण की वकालत की। आंग्ल-भारतीय समाचार पत्रों ने बंगाल-बिहार के मामले को जान-बूझकर तूल दिया तथा बिहारियों के मन में बंगालियों के प्रति द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की। इस कार्य में आंग्ल-भारतीय पत्र इंगलिशमैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1880 ई. में कैपबेल के उत्तराधिकारी ऐशले एडन ने बिहार का दौरा किया तथा बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की माँग की। ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने बिहार में मुसलमानों एवं कायस्थों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित किया। इन संस्थानों में मुंशी प्यारेलाल द्वारा स्थापित 'सदर अंजुमन-ए-हिंद' तथा इमाम अली द्वारा गठित 'साइंटिफिक सोसाइटी' प्रमुख थे।

सर्वप्रथम 1876 ई. में मुंगेर से प्रकाशित 'मूर्ध-ए-सुलेमान' नामक पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक् आंदोलन की बात कही गई।

सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा अन्य नेताओं ने बिहार में पूर्ण स्वायत्तशासी स्थानीय सरकार के गठन की माँग की। भाषा के आधार पर नए प्रांत के गठन ने जोर पकड़ा। वस्तुतः भाषा के आधार पर अलग प्रांत के गठन का यह भारत में पहला आंदोलन था।

उन्नीसवीं सदी का अंतिम दशक आते-आते बंगाल राष्ट्रवादियों तथा क्रांतिकारियों की शरणस्थली बन गया था। ब्रिटिश प्रशासन के लिए यह घोर चिंता का विषय था। वह क्रांतिकारियों को कमजोर करने के उद्देश्य से अतिशीघ्र बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अनुकूल परिस्थिति को ध्यान में रखकर ले. गवर्नर चार्ल्स इलियट तथा एलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक् बिहार के निर्माण हेतु स्मार-पत्र सौंपा, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अनुकूल परिस्थिति को ध्यान में रखकर ले. गवर्नर चार्ल्स इलियट तथा एलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक् बिहार के निर्माण हेतु स्मार-पत्र सौंपा, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

1903 ई. में भारत के गवर्नर जनरल ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। लार्ड कर्जन ने विलियम वार्ड की योजना को मूर्त रूप देने के लिए बंगाल के चटगाँव मंडल एवं ढाका तथा मैमनसिंह दो जिलों को आसाम में मिलाने की बात को स्वीकार किया। इसके फलस्वरूप गृह विभाग के सचिव हरबर्ट रिजले ने 3 दिसंबर, 1903 को बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया देशव्यापी हुई। पृथक् बिहार आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया। वे बंगाल से अलग बिहार प्रांत के पक्षधर थे, न कि बंगाल विभाजन के। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अपनी पुस्तक 'पार्टिशन ऑफ बंगाल—सेपरेशन ऑफ बिहार' में भी इस बात का उल्लेख किया है।

राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता के 'बिहारी क्लब' के सचिव थे। वे बिहारी छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पटना आकर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण जैसे नेताओं से मुलाकात की और विचार-विमर्श किया। फलतः 1906 ई. में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में डॉ. शर्फुद्दीन के सभापतित्व में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन निश्चित रूप से छात्रों एवं अन्य बिहारी बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने में सफल हुआ।

'बिहारी टाइम्स' नामक महेश नारायण की पत्रिका जुलाई, 1906 ई. से 'बिहारी' नाम से प्रकाशित होने लगी तथा यह पुनः नए कलेवर के साथ बिहार के लोगों के हितों से संबंधित मुद्दों के साथ प्रकाशित होने लगी। 1907 ई. में महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात् सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रह्मदेव नारायण, मजहरुल हक, अली इमाम, हसन इमाम, मुहम्मद फखरुद्दीन आदि लोगों ने पृथक् बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1908 ई. में इन नेताओं के प्रयास से अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में 'बिहार प्रादेशिक सम्मेलन' का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण शर्फुद्दीन को 1907 ई. में कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच में शामिल किया गया तथा 1908 ई. में अली इमाम स्टैंडिंग कौंसिल के पद पर बहाल किए गए। 1910 ई. में सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधान परिषद् की ओर से केंद्रीय विधान परिषद् के सदस्य चुने गए। उन्हीं के प्रयास से अली इमाम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य बनाए गए, जिससे पृथक् बिहार आंदोलन को और अधिक बल मिला।

सर अली इमाम ने गवर्नर जनरल को इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बंगाल विभाजन व्यावहारिक नहीं है। अतः उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इसके स्थान पर बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से

अलग कर उसे स्वतंत्र प्रांत का दर्जा देना व्यावहारिक होगा। गवर्नर जनरल को उनकी बात तर्कसंगत लगी। 1911 ई. में इंग्लैंड के सम्राट् जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए जाने की घोषणा की।

इस प्रकार 1 अप्रैल, 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का विधिवत् उद्घाटन हुआ। पटना बिहार प्रांत की राजधानी बना तथा सर चार्ल्स बेली को इस नए प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। उसकी कार्यकारी परिषद् में ई.ए. गेट, ई.वी. लेविंग तथा दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह को सदस्य बनाया गया।

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

7. वास्तुकला एवं चित्रकला

(Architecture and Painting)

मौर्यकला

पालकला

पटना कलम

मधुबनी चित्रकला

मंजूषा (मिथिला) शैली

मौर्यकला

भारतीय इतिहास में मौर्य काल भारतीय कला के प्रारंभ का समय रहा है। हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था। मौर्य-पूर्व युग में लकड़ी, मिट्टी और घास-फूस का कलात्मक वस्तु के निर्माण में उपयोग होता था, जिस कारण वे वस्तुएँ वर्तमान में प्राप्त नहीं हैं। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण ये कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गईं।

मौर्य काल में कला के दो रूप 'राजकीय अथवा दरबारी कला' एवं 'लोककला और मूर्तिकला' मिलते हैं।

राजकीय अथवा दरबारी कला

इसका सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट् चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हारार में प्राप्त राजप्रासाद है। इस सभा भवन के प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा भवन अनेक खंभोंवाला एक विशाल हॉल था। इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। यह सभा भवन 140 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा था। सम्राट् अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रासाद का विस्तार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इस प्रासाद को 'देव निर्मित महल' कहा था।

सम्राट् अशोक के समय के मौर्यकला के अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सम्राट् अशोक के समय की कलाकृतियों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) स्तंभ—स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। संभवतः ये 30 से 40 की संख्या में रहे होंगे। इनमें 15 सुरक्षित हैं। ये स्तंभ दो प्रकार के पाए गए हैं—

1. जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई हैं—इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया-नंदनगढ़, लौरिया-अरेराज, रामपुरवा, साँची, सारनाथ, लुंबिनी आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं।

2. सादे स्तंभ—इस प्रकार के स्तंभ रामपुरवा (बैल शीर्ष), बसाढ़, कोसय आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं।

ये सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल एवं एकात्मक हैं। ये स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए

हैं। प्रत्येक स्तंभ का भार 50 टन और अधिकतम लंबाई 50 फीट है। ये सभी स्तंभ अपने आपमें पूर्ण स्वतंत्र हैं एवं खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। इन सभी स्तंभों पर ऐसी चमकदार पॉलिश है कि आज भी लोगों को इनके धातु निर्मित होने का भ्रम कराता है। स्तंभ का मध्य भाग चुनार के लाल पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया है। स्तंभ के शीर्ष पर फलक के ऊपर विभिन्न पशु आकृतियाँ (हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि) मिलती हैं। इन स्तंभों में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ सर्वोत्तम है, जिसे भारत का राजकीय चिह्न घोषित किया गया। यह सिंह शीर्ष स्तंभ सात फीट ऊँचा है। इस पर चार भव्य सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट् अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं।

(ख) स्तूप—ये स्तूप ईट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते थे। इनका निर्माण बौद्ध और जैन धर्म के लोग किसी पवित्र स्थान पर स्मारकस्वरूप करते थे। सम्राट् अशोक स्वयं बड़े-बड़े स्तूपों का महान् निर्माता था। परंपरा अनुसार उसने 84 हजार स्तूप का निर्माण कराया था, जिसमें वर्तमान समय में काफी कम संख्या में बचे हैं। साँची के महान् स्तूप का निर्माण सम्राट् अशोक ने ही कराया था। इसके अतिरिक्त तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही कराया था।

(ग) पाषाण वेदिका—मौर्यकालीन स्तूप विहार वेदिकाओं से घिरे हुए होते हुए होते थे। इनमें से कुछ के भग्नावशेष मिले हैं। बोधगया एवं सारनाथ से अशोककालीन वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई में तीन वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जो चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने जाते हैं।

(घ) गुहा विहार—सम्राट् अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। इन सुंदर गुफाओं का एक समूह गया से 16 मील उत्तर बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में प्राप्त हुआ है। यहाँ प्राप्त गुफाओं में सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी गुफा प्रसिद्ध हैं। सुदामा गुफा का दूसरा नाम न्यग्रोध गुहा है, जो अशोक के राज्यारोहण के बारहवें वर्ष में निर्मित हुई थी। दशरथ के समय निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा भी काफी प्रसिद्ध है। नागार्जुनी समूह में प्राप्त गोपिका गुफा महत्त्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था। इन्हीं मौर्यकालीन गुफाओं का अनुकरण कर कालांतर में पश्चिमी भारत में अनेक चैत्यगृहों का निर्माण किया गया था।

लोककला एवं मूर्तिकला

मौर्यकाल में राजकीय दरबार से बाहर जनसाधारण के द्वारा कला का अद्भुत विकास हुआ, जिसे लोककला कहा गया है। मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोककला के प्रमाण हैं। यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाएँ लोककला का प्रमुख आधार थीं। इन सभी प्रतिमाओं पर चमकदार पॉलिश की गई थी। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामरगृहिणी मूर्ति मिली है, जिसे स्त्रीरत्न या यक्षी का नाम दिया गया है। बुलंदी बाग से एक नारी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो खड़ी एवं आकृति से लंबी है तथा गतिमान है। पटना में एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। परखम गाँव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति एवं बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन लोक-मूर्तिकला के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर, बसाढ़, कौसांबी, कुम्हार आदि अनेक स्थानों से विभिन्न पशु-पक्षियों तथा नर-नारियों की मृण मूर्तियाँ काफी संख्या में मिली हैं।

यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाएँ लोककला का प्रमुख आधार थीं। इन सभी प्रतिमाओं पर चमकदार पॉलिश की गई थी। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामरगृहिणी मूर्ति मिली है, जिसे स्त्रीरत्न या यक्षी का नाम दिया गया है।

मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पनाशक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक प्रविधि एवं रचनाशीलता में भी काफी समृद्ध थी।

मौर्योत्तर कला

शुंग और कुषाण काल में कला विकसित होती रही, लेकिन मौर्यकालीन कलात्मकता इस काल के नमूनों से प्रकट नहीं होती। गुप्त काल में वास्तुकला का विकास पुनः ज्यादा पैमाने पर हुआ एवं इसको सारनाथ के क्षेत्र में विकसित और मथुरा कला से प्रभावित शैली से प्रेरणा प्राप्त हुई। इसके नमूने रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, सुल्तानगंज, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए। गुप्त कला मथुरा शैली से प्रभावित थी एवं इसमें हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक झलकता है। भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त 7.5 फीट उँची बुद्ध की ताम्र मूर्ति गुप्त काल में निर्मित की गई प्रारंभ की रचनाओं में एक श्रेष्ठ रचना है। इस मूर्ति में पारदर्शक वस्त्र हैं, जो शरीर से चिपके हुए हैं। वर्तमान में एक मूर्ति इंग्लैंड के वर्निघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अलावा अनेक गुप्तकालीन मृण्मयी मूर्तियाँ मिली हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। गुप्तकालीन नारी सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति इन मूर्तियों से होती है। साँचे के प्रयोग से बौद्ध एवं पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी इस काल में निर्मित की जाती थीं।

कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की शैली का जनक धीमन और उसके पुत्र बिठपाल को माना जाता है। पालकालीन मूर्तिकला की शैली को मध्यकालीन मूर्तिकला की 'पूर्व शैली' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है।

पालकला

बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में पाल शासकों एवं तत्कालीन संतों के द्वारा पालकला का विकास 8वीं से 12वीं सदी के मध्य किया गया। पाल युग में पत्थर, काँसे एवं अष्टधातु की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ, जिसे पालकला का नाम दिया गया है। काँसे की प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में धीमन और उसके पुत्र बिठपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों नालंदा के निवासी थे। ये दोनों नवीं शताब्दी ई. के महान् पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे।

पालकला के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं—

स्थापत्य कला

स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल काल में अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर एवं दुर्गों का निर्माण हुआ। इस काल की स्थापत्य कला पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। विभिन्न महाविहारों में ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमापुर विहारों की स्थापना का श्रेय पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल को जाता है। ओदंतपुरी बौद्ध विहार, जो भारत का दूसरा प्राचीन बौद्ध विहार है, की स्थापना पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। यह शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार आदि में पाल शासकों का प्रमुख योगदान रहा है। इस काल में एक निश्चित योजना के तहत बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास का निर्माण कराया गया। विक्रमशिला महाविहार के अवशेष इस काल की स्थापत्य कला की विशिष्टता को स्पष्ट करते हैं। यहाँ ईंटों के बने हुए एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कहलगाँव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडप, सूरजगढ़ा, इंडपै, जयमंगलगढ़ इत्यादि पालकला के ज्वलंत एवं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इस काल की स्थापत्य कला पर बौद्ध धर्म एवं वैष्णव धर्म का प्रभाव स्पष्ट है।

मूर्तिकला

पाल युग में मूर्ति निर्माण कला का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में पत्थर, काँसे एवं अष्टधातु की प्रतिमाएँ निर्मित होने लगीं। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की शैली का जनक धीमन और उसके पुत्र बिठपाल को माना जाता है। पालकालीन मूर्तिकला की शैली को मध्यकालीन मूर्तिकला की 'पूर्व शैली' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इस काल की कांस्य प्रतिमाएँ साँचे में ढली होती थीं, जिसके नमूने नालंदा तथा कुर्किहार (गया के निकट) आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नालंदा से प्राप्त नमूने राजा देवपाल के समय के हैं, जबकि कुर्किहार से प्राप्त नमूने परवर्ती काल के हैं। इस काल की अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएँ मिली हैं। इस काल में हिंदू धर्म के देवी-देवताओं की मूर्ति का भी निर्माण हुआ है, जिसमें विष्णु, बलराम, सूर्य और गणेश की मूर्तियाँ हैं।

इस काल की प्रस्तर प्रतिमाएँ भी मिली हैं, जो कलात्मक सुंदरता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर संधाल परगना एवं मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए होंगे। इन मूर्तियों में केवल शरीर के सामनेवाले भाग को दिखाया गया है। इन मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता है। इन मूर्तियों की सुंदरता कलाकार की शिल्पगत परिपक्वता को दर्शाती है। इन मूर्तियों में मुख्यतः देवी-देवताओं का चित्रण किया गया है।

मृद्भांड कला

पालकला में मृद्भांड के सुंदर एवं कलात्मक रूपों का विकास हुआ है। इस कला का विकास मुख्यतः सजावट के लिए हुआ है। इस कला में मूर्तियाँ दीवारों पर बनाई जाती हैं। इस कला में मुख्यतः धार्मिक और सामान्य जीवन के दृश्य दिखते हैं। कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। उसने दाहिना पैर बाएँ पैर पर रखा हुआ है और शरीर झुका हुआ है। एक हाथ में आईना लिये हुए वह अपने रूप को निहार रही है तथा दूसरे हाथ की उँगलियों से अपनी माँग में सिंदूर भर रही है। चेहरे की सुंदरता और भोलापन उसके शारीरिक सौंदर्य का सफल चित्रण है। इसके शरीर को आभूषणों से ढककर उसकी सुंदरता को और आकर्षक बनाया गया है।

पटना कलम

मुगल साम्राज्य के पतन के काल में शाही दरबार में कलाकारों को प्रश्रय न मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा था। औरंगजेब द्वारा राज-दरबार से कला के विस्थापन के बाद विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय नवाब के यहाँ आश्रय लिया। इस कारण चित्रकला विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में विकसित हुई। इन्हीं में से एक पटना कलम या पटना शैली भी है। इस शैली का विकास 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक हुआ। कुछ विद्वान् इसे कंपनी काल में विकसित होने के आधार पर 'कंपनी शैली' भी कहते हैं।

पटना कलम का अस्तित्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रहा है। इस शैली के कलाकारों के पूर्वजों का इतिहास अस्पष्ट है, क्योंकि इसका कोई प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। पटना अजायबघर के पूर्व अध्यक्ष एवं कलाप्रेमी श्री पी.सी. मानुक एवं मिस्टर मिल्डर्ड आर्चर एवं पटना शैली के चित्रकारी के अंतिम उत्तराधिकारी प्रो. ईश्वरी प्रसाद वर्मा द्वारा दी गई सूचनाएँ को ही तथ्य मान लिया गया है।

पटना कलम में खनिज, रासायनिक और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। हाथीदाँत और अबरक पर बने चित्रों में रंगों के पहले बकरी के दूध का लेप भी लगाया जाता था।

पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग या पटना कलम मुर्शिदाबाद में विकसित होना एवं इसके प्रारंभिक कलाकारों का दिल्ली कलम में प्रशिक्षित होना, पटना कलम में किसी मूलभूत परिवर्तन नहीं होने का कारण है। हालाँकि इसके विकास में कुछ स्थानीय विशिष्टताओं का समावेश जरूर है। पटना कलम की चित्रकारी कागज, अबरक और हाथीदाँत पर की जाती थी। पटना संग्रहालय के संग्रह में सभी प्रकार के चित्रों का समावेश किया गया है। दरअसल यह शैली बाजारोन्मुख शैली थी। खरीदारों ने जिन विषयों पर चित्र माँगे, उस पर चित्र बनाए गए। मुगल शैली और दूसरी शैली से प्राप्त अन्य शैलियों से भिन्न यह शैली जनकला का उदाहरण बन सकी। विभिन्न रोजगारों से जुड़े भिंसी, चोबदार, दरबान, धोबी, नौकरानी, बढ़ई, लोहार, सोनार, कंघी-चूड़ी बनानेवाला, जरदोन, जुलाहा जैसे चरित्र पटना कलम में ज्यादातर दिखते हैं। पटना कलम में खनिज, रासायनिक और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। हाथीदाँत और अबरक पर बने चित्रों में रंगों के पहले बकरी के दूध का लेप भी लगाया जाता था। पटना कलम के चित्रकार गिलहरी, सूअर आदि के बालों से बने ब्रश का इस्तेमाल करते थे। वे अपने द्वारा तैयार हैंडमेड कागज, जिसे वे लेप लगाकर तैयार करते थे, का इस्तेमाल करते थे।

इस शैली पर मुगलशाही शैली और ब्रिटिश कला का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त इसमें स्थानीय विशिष्टताएँ भी परिलक्षित होती हैं। मुगल तत्त्व, यूरोपीय तत्त्व एवं स्थानीय भारतीय तत्त्व के सम्मिश्रण के कारण इस शैली की अपनी अलग विशेषताएँ हैं। पटना कलम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

लघु चित्र

पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज एवं कहीं-कहीं हाथीदाँत पर बनाया गया है। इस शैली के चित्रों का मुख्य विषय जन साधारण के सामान्य जीवन का चित्रांकन है। इस शैली के चित्रों में मुगल चित्रों की भव्यता का अभाव है। इस शैली के चित्रों में सामान्य रूप से लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, पालकी उठाए हुए कहार, मछली बेचती हुई औरत, खेत जोतता हुआ किसान, एक्का वाला, रंगरेज, लोहार, सुनार एवं साधु-संन्यासी को चित्रित किया गया है। इस शैली के कुछ चित्र चमड़ा, धातु तथा शीशे पर भी उकेरे गए हैं। इस शैली के चित्रों में चटख रंगों का प्रयोग नगण्य होता है।

इस शैली के चित्रों में सामान्य रूप से लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, पालकी उठाए हुए कहार, मछली बेचती हुई औरत, खेत जोतता हुआ किसान, एक्का वाला, रंगरेज, लोहार, सुनार एवं साधु-संन्यासी को चित्रित किया गया है।

सामान्य जन-जीवन का चित्रांकन

इस शैली के चित्रों में तत्कालीन बिहार के सामान्य जन-जीवन का चित्रांकन हुआ है। इस शैली के चित्रों के द्वारा परंपरागत भारतीय चित्र शैली को अभिव्यक्त किया गया है। इस शैली के चित्रों में श्रमिक वर्ग (कुली, नौकरानी, भिंसी, कहार, कसाई आदि), दस्तकारी वर्ग (बढ़ई, सोनार, रंगरेज, लोहार आदि), आवागमन के साधनों (बैलगाड़ी, पालकी, एक्का, हाथी, घोड़ा आदि), बाजार के दृश्यों (मिठाई की दुकान, मछली की दुकान, ताड़ी की दुकान, माँजे की दुकान आदि) का चित्रांकन प्रमुखता से हुआ है। इस शैली के चित्रों में मदरसा, पाठशाला, दाह-संस्कार, त्योहारों एवं साधु-संतों का भी चित्रांकन हुआ है।

बारीकी एवं अलंकरण की विशेषता

इस शैली के चित्रकारों को बारीकी एवं अलंकरण में सिद्धता हासिल थी। इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का

बारीक चित्रण कलाकार की पक्षियों के शरीर विज्ञान की गहन जानकारी का प्रमाण है। इस शैली में कहीं-कहीं कलाकारों की दबी हुई कल्पनाएँ अलंकरण के साथ मुखरित हो उठी हैं, जैसे—महादेव लाल द्वारा बनाया गया रागिनी गांधारी चित्र, माधोलाल द्वारा बनाया गया रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र, शिवलाल द्वारा बनाया गया मुस्लिम निकाह का चित्र तथा यमुना प्रसाद द्वारा बनाया गया बेगमों की शराबखोरी का चित्र महत्वपूर्ण हैं।

पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग

इस शैली के चित्रों में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है। पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का प्रयोग कलाकारों को महंगा पड़ता है, जिसकी पूर्ति करनेवाला कोई नहीं था। इस कारण कलाकारों ने इस शैली में कम खर्चीले प्रयोग करना ज्यादा उचित समझा। इस शैली के मनुष्य के चित्रों में ऊँची नाक, भारी भवें, गहरी आँखें, पतले चेहरे और घनी मूँछें दिखाई गई हैं।

रँगने की निजी शैली

इस शैली के चित्रकार अपनी तूलिका बनाने के लिए काफी परिश्रम करते थे। कलाकार गिलहरी की पूँछ अथवा ऊँट, सूअर, हिरण आदि के बालों को कबूतर या चील के पंखों में बाँधकर तूलिका बनाते थे। इस शैली में चित्रकारी में इस्तेमाल करने के लिए रंग फूल, फल, पत्थरों, धातुओं और मिट्टी से तैयार किए जाते थे। इस शैली में काशगरी मिट्टी और सीप को जलाकर सफेद रंग, हरताल और रामरस से पीला रंग, लाह सिंदूर, सिंगरफ और गेरू से लाल रंग, नीला और लाजूर पत्थर से नीला रंग और चिसग की कुलियों से काला रंग तैयार किया जाता था।

मुगल शैली से भिन्न शैली

इस शैली के चित्रों में मुगल शैली की भव्यता का अभाव है। इस शैली के चित्रों में सजीवता और सामान्य जीवन से घनिष्ठता सर्वप्रमुख विशेषता है। इस शैली में रंगों के उपयोग एवं छायांकन के तरीके में भी मुगल शैली से भिन्नता दिखाई पड़ती है।

महत्वपूर्ण कलाकार

प्रारंभिक कलाकारों में दो नाम नोहर और मनोहर के जाने जाते हैं, जो अकबर और जहाँगीर के दरबार में चित्रकारी करते थे। इस शैली के महत्वपूर्ण कलाकारों में सेवक राम का नाम आता है। इनका काल 1770 ई. से 1830 के बीच रहा है। इनके समकालीन चित्रकारों में हुलास लाल (1785 से 1865 ई.) का नाम भी महत्वपूर्ण है। इनके प्रसिद्ध चित्रों में हिंदू त्योहारों—होली और दीवाली—के चित्र हैं। इस शैली के अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिवदयाल लाल, शिवलाल साहिब, दक्षो बीबी, सोना बीबी, मुंशी महादेव लाल, गुरसहाय लाल आदि महत्वपूर्ण हैं। इस शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। इस शैली के पारखी राधामोहन बाबू को पोर्ट्रेट की सज्जना का आचार्य कहा जाता है। राधामोहन बाबू की मृत्यु 1997 ई. में हुई। पटना कलम शैली के संरक्षणदाताओं में अंग्रेज कमिश्नर टेलर, पटना के कलेक्टर डब्ल्यू.बी. आर्चर और उनकी पत्नी मिल्टेरेड आर्चर, पटना के वकील पी.सी. मानुक, सर चार्ल्स डी. आयली, राय सुल्तान बहादुर आदि प्रमुख थे। इस शैली के चित्रों का संग्रह खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पटना म्यूजियम में है।

महत्वपूर्ण चित्र

1. रागिनी गांधारी—यह चित्र महादेव लाल के द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में नायिका के विरह के

अवसाद का सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

2. **विरहिणी नायिका का वीणा लिये चित्र**—यह चित्र माधो लाल के द्वारा बनाया गया है। यह चित्र रागिनी तोड़ी पर आधारित है।

3. **मुस्लिम निकाह का चित्र**—यह चित्र शिवदयाल लाल के द्वारा बनाया गया है।

4. **बेगमों की शराबखोरी का चित्र**—यह चित्र यमुना प्रसाद के द्वारा बनाया गया है।

इस शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद का कार्यक्षेत्र कलकता था। इसी कारण रवींद्रनाथ टैगोर एवं अवनींद्र नाथ ठाकुर जैसे कलाकारों की शैली पर पटना शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है।

मधुबनी (मिथिला) चित्रकला

मधुबनी चित्रकला का इतिहास काफी पुराना है। कर्णाट वंशकालीन विद्यापति के समय में मिथिला की संस्कृति का सर्वाधिक विकास हुआ। इनके गीतों का प्रभाव यहाँ की चित्रकला पर भी पड़ा। इस प्रभाव से पहले यहाँ पर राम चित्रावली रची जाती थी। बाद में विद्यापति के गीतों के प्रभाव ने कृष्ण और शिव चित्रावली का सूत्रपात करवाया। वर्तमान समय में मिथिला की चित्रकला अनेक नई-पुरानी लोकमान्यताओं एवं परिकल्पनाओं के आधार पर रची जा रही है। यह एक लोककला है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी होती है। मधुबनी जिला मिथिला संस्कृति का हृदय स्थल रहा है। इस चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह चित्रकला मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिले के लोक-जीवन की कला है।

मधुबनी चित्रकला के दो प्रकार 'भित्तिचित्र' एवं 'अरिपन' (भूमिचित्र) हैं।

भित्तिचित्र

भित्ति चित्रणकला एक परिष्कृत अलंकरण कला है, जिसे स्त्रियाँ विभिन्न पर्व-त्योहारों एवं सामाजिक जीवन के संस्कारों के समय मुख्यतः खनिज रंगों के माध्यम से अपने घरों की पक्की सतह पर रचाती हैं। इसमें अलंकरण के गणितीय मापों के आधार पर बेलबूटे के साथ-साथ ईस्ट देवता एवं उनके पद्मचिह्न तथा मानव आकार का चित्रण किया जाता है। इनमें कभी-कभी तांत्रिक प्रतीकों और कथाचित्रों की भी रचना की जाती है। विभिन्न पर्व-त्योहारों के समय इनका स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है। इसके मुख्यतः दो रूप मिलते हैं—

गोस्नी घर की सजावट—इसमें धार्मिक महत्त्व के चित्र होते हैं। धार्मिक चित्रण में शिव-पार्वती, राम-सीता, विष्णु-लक्ष्मी, राधा-कृष्ण, दशावतार, दुर्गा-काली की प्रमुखता मिलती है। इन चित्रों के निर्माण में कायस्थ एवं ब्राह्मण परिवारों की महिलाओं की मुख्य भूमिका रहती है।

कोहबर घर की सजावट—मिथिला की चित्रकला में कोहबर का चित्रण या यहाँ की लोकभाषा में 'कोहबर लेखन' यहाँ के जन-जीवन के आत्मरूपों को गहरे अर्थों में समाए रखता है। यह चित्रांकन गुप्तकाल या मध्य युग में गुफाओं में किए जानेवाले यथार्थपरक चित्रणों से भिन्न है। कोहबर लेखन मिथिला की एक ज्यामितीय एवं तांत्रिक विधि की चित्रकला है, जिसमें अनेक रूपाकारों के विन्यास एवं प्रतीक चिह्नों का निरूपण किया जाता है। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है, जहाँ विवाह के समय कुलदेवता का स्थापन होता है। हिंदू विवाह पद्धति की इस स्थापना के साथ कुलदेवता के स्थापन स्थल की दीवार पर एक चतुर्भुजीय या आयताकार क्षेत्र में चित्रांकन एवं अलंकरण किए जाते हैं। ये लगभग 20 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में बनाए जाते हैं।

कोहबर लेखन मिथिला की एक ज्यामितीय एवं तांत्रिक विधि की चित्रकला है, जिसमें अनेक रूपाकारों के विन्यास एवं प्रतीक चिह्नों का निरूपण किया जाता है। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है,

जहाँ विवाह के समय कुलदेवता का स्थापन होता है।

कोहबर लेखन आरंभ करने से पहले स्त्रियाँ अपने कुलदेवता का स्मरण करती हैं एवं नवविवाहित जोड़े के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए रेखाकरण आरंभ करती हैं। इस प्रक्रिया से पूर्व दीवार पर शीप के कली-चूने से सफेदी की जाती है। बाद में गेरू या हल्दी के रंगों से रेखाकरण किया जाता है। कोहबर में प्रमुख रूप से बाँस, तोता, कमल का पत्ता, कछुआ, मछली आदि प्रतीकों को अंकित किया जाता है। इनमें बाँस पुरुष लिंग तथा वंश वृद्धि का प्रतीक है, तोता ज्ञान का, कमल का पत्ता स्त्री जननेंद्रिय का प्रतीक है। इसी प्रकार कछुए से वर-वधू के दीर्घायु होने एवं मछली से उनके पुत्रवान होने की कामना की जाती है।

अरिपन (भूमिचित्र)

अरिपन की परंपरा मिथिला पेंटिंग में काफी प्रचलित है। मिथिला में जनेऊ, मुंडन, विवाह आदि कर्मकांडी-संस्कारों के समय अरिपन की रचना तथा विभिन्न पर्व-त्योहारों में किए गए अरिपन को अनिवार्य रूप से महसूस किया जाता है। मिथिला की प्राचीन पोथियों से बात सामने आती है कि यहाँ अरिपन की प्रथा उत्तर-वैदिक युग से ही रही है। इसके बाद ब्राह्मण युग के कर्मकांडों में भी अरिपन की प्रधानता थी, जिसकी परंपरा आज भी देखी जाती है। विद्यापति के समय मिथिला की कुंवारी कन्याएँ अपने घर के तुलसी चौरा के पास प्रतिदिन अरिपन रचती थीं। इस रचना के साथ कुछ मनौतियाँ भी होती थीं।

मिथिला में विद्यापति के समय मुख्य रूप से अरिपन में कृष्णलीला चित्रांकित की जाती रही है। इसमें स्त्रियाँ चौरठ (चावल का आटा), सिंदूर, गेहूँ का आटा, गेरू तथा रामरस का विशेष प्रयोग करती हैं। इसमें मिथिला की संस्कृति परिलक्षित होती है। यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कृति के रूप में बढ़ती रही है। इसमें आँगन या चौखट के सामने बनाए जानेवाले चित्र होते हैं, इन चित्रों को बनाने में कूटे हुए चावल का पानी और रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों को उँगली से ही बनाया जाता है। इन चित्रों के 5 प्रकार पाए जाते हैं।

- (क) मनुष्य और पशु-पक्षियों को दर्शानेवाले चित्र,
- (ख) फल-फूल एवं वृक्षों के चित्र,
- (ग) तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र,
- (घ) देवी-देवताओं के चित्र,
- (ङ) स्वस्तिक, दीप आदि शुभ प्रतीकों के चित्र।

इस शैली में विभिन्न अवसरों से संबंधित प्रसंग में अरिपन के अलग-अलग रूप प्रचलित हैं, जैसे—अविवाहित कन्याओं के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए जानेवाले अरिपनों में ज्यामितीय आकार (त्रिकोणात्मक और आयताकार) का अधिक प्रयोग किया जाता है। विवाह एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर बनाए जानेवाले अरिपन में पत्तियों के आकार की अधिकता होती है।

शैलीगत विशेषताएँ

इस शैली में बनाए जानेवाले चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप ही बनाया जाता है। इस शैली के चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं। हाल के दिनों में कपड़े और कागज पर चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस शैली में आदमी के चित्र में शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव के स्थान पर उसके व्यवसाय, गुण एवं दार्शनिक पक्षों को गहनता के साथ दर्शाया जाता है। इसमें चित्र उँगलियों या बाँस की कूँची से बनाया जाता है। उन्नत शैली के अभाव में भी लोककल्पना की ऊँची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग

इन चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता है।

इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में व्यावसायिक दृष्टि से कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग होने लगा है। इस कला में उपयोग किए जानेवाले रंग वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। हरा, पीला, केसरिया, नारंगी आदि रंग मुख्यतया उपयोग किए जाते हैं। सेम के पत्ते से हरा, कुसुम के फूलों से लाल, पलास के फूलों से नारंगी, नील से नीला एवं काजल से काला रंग प्राप्त किया जाता है। इस कला में पीला रंग धरती, उजला रंग पानी, लाल रंग आग, काला रंग वायु एवं नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होता है।

प्रमुख केंद्र— इस कला के प्रमुख केंद्र मधुबनी, लहेरियासराय, भवानीपुर, सिमरी, राँची आदि हैं।

प्रमुख कलाकार— इस कला के प्रमुख कलाकार 'पद्मश्री' सीया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, जगदंबा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी हैं। इस कला की प्रदर्शनी विदेशों में भी आयोजित की जा रही है। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में लगाई जा चुकी है। मिथिला कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में एक प्रमुख जापानी व्यक्ति हासेगावा का नाम उल्लेखनीय है। जापान के तोकामांची शहर में हासेगावा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में मिथिला कला के दुर्लभ चित्रों को संकलित किया गया है। प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ऐरिक स्मिथ ने भी इस चित्रकला पर शोध-कार्य किया है। वर्तमान समय में इस शैली की चित्रकला को व्यापारोन्मुख एवं रोजगारपरक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पुरानी शैली में नवीनता को समावेशित किया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा मिथिला लोक-चित्रकला के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु मिथिला चित्रकला संस्थान, सौराठ (मधुबनी) की स्थापना की गई है।

मंजूषा शैली

अंग जनपद अर्थात् पुराने भागलपुर प्रमंडल के सिंह नक्षत्र में सदियों से मनाए जानेवाले एक लोक-त्योहार को बिहुला पूजा, बिसहरी पूजा या मनसा पूजा के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में कागज, सनई और शोला से निर्मित मंदिर की आकृति उपयोग में लाई जाती है। इसे ही मंजूषा कहा जाता है। आंचलिक भाषा में इसे मंजोसा कहते हैं।

मंजूषा चित्रकला जातिगत सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े समाज की देन है। यह कला आर्यों एवं अनार्यों के सदियों के संघर्ष एवं समन्वय से बनपी लोक-संस्कृति का परिणाम मानी जाती है। इसमें दबे-कुचले लोग अपने समाज के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए अपने देवी-देवताओं की प्रेरक छवियाँ गढ़ते नजर आते हैं।

हरा, पीला, केसरिया, नारंगी आदि रंग मुख्यतया उपयोग किए जाते हैं। सेम के पत्ते से हरा, कुसुम के फूलों से लाल, पलास के फूलों से नारंगी, नील से नीला एवं काजल से काला रंग प्राप्त किया जाता है।

वर्तमान में भागलपुर में त्योहार के वक्त पूजन में जो मंजूषा प्रयुक्त होती है, उस पर आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं। लोक-विश्वास के अनुसार मनसा यानी शिव की पाँच मानस पुत्रियाँ—मैना, भवानी, देवी, पद्मा और जया हैं। इनको बिसहरी कहा जाता है। लोककथा के अनुसार पाँचों बिसहरी बहनें अपनी इच्छा लेकर शिव के पास गईं। शिव ने कहा कि यदि पृथ्वी पर अन्यतम शिवभक्त चाँदो उन्हें पूजा दे देगा तो मृत्युलोक में उसकी पूजा होने लगेगी, पर चाँदो ने इन नाग कन्याओं को अपमानित कर दिया। तब क्रोधित बहनों ने उनके 6 पुत्रों को नाव सहित डुबो दिया। देवी बिसहरी की माया से चाँदो के सातवें पुत्र बाला लखींद्र का विवाह उज्जैनी के बासु सौदागर की बेटी बिहुला से हुआ। इससे पहले ही बिसहरी ने बिहुला की किसी भूल पर कुपित होकर उसे सुहागरात में ही विधवा

होने का श्राप दे दिया था। कथा के अनुसार बिहुला को सुहागरात के लिए पति के साथ विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए लोहे-बाँस के घर में कड़े पहरे में रखा गया, किंतु बाला को बिसहरी के कोपभाजन से कोई नहीं रोक पाया। पति की मृत्यु से दुःखी होकर बिहुला ने प्रण किया कि वह इंद्रालुपुरी जाकर अपने पति के प्राणों को लौटा लाएगी। इसके लिए विश्वकर्मा लोहार ने एक खास प्रकार की मंजूषा बनाई। लहसन माली ने इसे रंगों से सजाया। अपार कष्ट होने के बावजूद वह बाला को जीवित पाने में सफल हुई। फिर उसने चाँदो को विवश कर दिया कि वह मनसा बिसहरी को पूजा दे। आखिरकार बिसहरी की पूजा मृत्युलोक में प्रचलित हुई।

मंजूषा चित्रकला में इस कथा के पात्रों को अनेक प्रतीक चिह्नों, रेखाचित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। प्रकृति प्रेम का चित्रण इस कला को विशिष्टता प्रदान करता है। कथा का मुख्य पात्र चाँदो सौदागर हमेशा चाँद के साथ चित्रित किया जाता है।

मंजूषा चित्रकला में इस कथा के पात्रों को अनेक प्रतीक चिह्नों, रेखाचित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। प्रकृति प्रेम का चित्रण इस कला को विशिष्टता प्रदान करता है। कथा का मुख्य पात्र चाँदो सौदागर हमेशा चाँद के साथ चित्रित किया जाता है। इसमें मानव आकृति अंग्रेजी के एक्स आकार की होती है अर्थात् दायों पैर एवं बायाँ हाथ और उसी तरह बायाँ पैर और दायों हाथ अलग-अलग एक रेखिक होते हैं। मुखकृति एक आयामी और कपाल कानविहीन होते हैं। आँखें उस अनुपात में बड़ी होती हैं। पुरुष आकृतियों में मूँछ और शिखा अवश्य होती हैं। स्त्रियों के उरोज के उभार को दर्शाने के लिए वक्ररेखा का प्रयोग किया जाता है। पुरुष की गर्दन मोटी और स्त्रियों की अपेक्षाकृत पतली होती है। चित्र में साँप को रेखेखा और बिंदु से अंकित किया जाता है। लोक-कलाकार ज्यामितीय-बोध को छोड़कर प्रभाव-बोध पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस कला के चित्रों में स्त्री प्रायः पति के साथ चित्रित होती है। स्त्रियों के जूड़े बँधे रहते हैं। कथा की मुख्य पात्र बिसहरी, जो बाद में देवी के रूप में पूजित और प्रतिष्ठित हुई, हमेशा साँप के साथ चित्रित की जाती है।

इन कलाओं को आधुनिक बिहार में जिंदा रखने का श्रेय चक्रवती देवी एवं उनके पुरखों को जाता है। गरीबी और अभाव के बावजूद इनके अथक परिश्रम से यह कला वर्षों से जीवित है। चित्रकार शेखर ने इस कला पर मंजूषा शिल्प नाम से स्लाइड फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा। मंजूषा चित्रकला में आज भी असीम संभावनाएँ विद्यमान हैं।

□

8. लोक-संस्कृति (Folk Culture)

लोकगीत
लोकनृत्य
लोकनाट्य
जनजातीय संस्कृति

लोकगीत

बिहार के सांस्कृतिक परिवेश में लोकगीतों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में क्षेत्रीयता के आधार पर लोकगीतों की अपनी अलग ही पहचान है। प्रत्येक राज्य में लोकगीतों की अपनी परंपरा रही है। इन लोकगीतों में पर्व-त्योहार, शादी-विवाह, जन्म, मुंडन, जनेऊ आदि अवसरों पर गाए जानेवाले गीत होते हैं। इन गीतों में माधुर्यता और भावुकता का समावेश होता है। यहाँ भाषायी लोकगीतों में विविधता होते हुए भी संवेदनशीलता का अद्भुत रस है, जो छंद के आधार पर तो नहीं, लेकिन लय के आधार पर कर्णप्रिय होता है। अंगिका लोकगीत प्राकृतिक सौंदर्य का मनभावन वर्णन करते हैं तो मगही लोकगीत पारिवारिक संबंधों के आपसी व्यवहार; प्रेम द्वेष, विनोद आदि का वर्णन करते हैं। इनमें विरहयुक्त भी कुछ गीत गाए जाते हैं। बिहार में भोजपुरी गीतों ने जो स्थान बनाया है, वह संभवतः अन्य लोकगीतों के लिए संभव भी नहीं है। वर्तमान समय में भोजपुरी लोकगीत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। बिहार की लोकगीत संस्कृति को निम्न वर्गों में बाँटा गया है—

संस्कार गीत

प्रत्येक संस्कार के दो स्वरूप-शास्त्रीय एवं लौकिक देखने को मिलते हैं। संस्कार गीतों का संबंध लौकिक अनुष्ठानों से है। ये गीत सभी जातियों-जनजातियों में मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक सभी प्रमुख अवसरों पर गाए जाते हैं। जन्म, मुंडन, विवाह, गौना, द्विरागमन जैसे अवसरों पर गाए जानेवाले ये गीत उल्लास और हर्ष से भरे होते हैं। जन्म के समय सोहर, मुंडन के समय खेलौना और विवाह के समय विदाई आदि गीत यहाँ के समाज में सहज ही प्रचलित हैं। बिहार में मगही क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मुस्लिम संस्कारवाले गीत गाए जाते हैं।

बिहार में पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर 'सोहर' गाए जाते हैं। इन गीतों में पुत्र जन्म संबंधी उल्लास बधाई के भाव शामिल रहते हैं। भोजपुर और मगध क्षेत्र में इस अवसर पर पँवड़िया नाच होता है। पँवड़िया लोग बच्चे के जन्म की बधाई गीतों के द्वारा देते हैं और बधावा माँगते हैं। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाए जानेवाले सोहर एक विशेष राग, लय एवं छंद से आबद्ध रहते हैं, जिसे सोहरछंद के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास के द्वारा सोहरछंद की रचना पूर्वकाल में की गई है। सोहर लोकगीतों में तुक एवं पिंगल शास्त्र के नियमों का अभाव रहता है। इन गीतों की जाति में खेलौना गीत गाने का प्रचलन है। सोहर से खेलौना गीत में सिर्फ इतना अंतर रहता है कि सोहर पुत्र उत्पत्ति

के पहले वहीं खेलौना पुत्र जन्म के उपरांत गाए जाते हैं।

जन्मोत्सव के उपरांत मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह के विधि-विधानों में लोकगीतों का समावेश अभिन्न रूप से रहता है। पूरे संस्कार गीतों में सर्वाधिक गीतों की संख्या विवाह के गीतों की है। इन गीतों में शिव विवाह एवं राम विवाह के प्रसंग वर्णित रहते हैं। शिव विवाह के गीतों में शिव एवं पार्वती के आपस में वाद-विवाद एवं शिव की बरात का वर्णन रहता है। राम विवाह के गीतों में बरात सजाने, बरात प्रस्थान करने, द्वार पूजा, परिछावन, विवाह एवं कोहबर में प्रवेश करते हुए सखियों की ठिठोली का वर्णन रहता है। मिथिलांचल में इस अवसर पर 'सम्मरी गीत' गाने की प्रथा है। विवाह के समय जिस घर में कुलदेवता का पूजन होता है एवं जहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किया जाता है, उसे कोहबर कहते हैं एवं इससे संबंधित कोहबर गीत गाने का व्यापक रिवाज है।

बिहार में 'डोमकछ' एक नाट्य लोकसंगीत है, जिसका गायन विवाह के अवसरों पर वर पक्ष की स्त्रियों के सम्मिलित सहयोग से होता है।

बिहार में 'डोमकछ' एक नाट्य लोकसंगीत है, जिसका गायन विवाह के अवसरों पर वर पक्ष की स्त्रियों के सम्मिलित सहयोग से होता है। पूर्व में ग्रामीण समाज में लड़के की बरात जाने के बाद डोम-डोमिनियों द्वारा खेले जाने के कारण इसका नाम डोमकछ पड़ा। भिखारी ठाकुर की नाट्य रचनाओं में भी इस परंपरा के प्रसंग मिलते हैं। मिथिला में बेटा की विदाई के समय एक विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है, जो 'समदाउनि' के नाम से जाना जाता है। भोजपुर प्रदेश में इसे 'समदावन' एवं मगध क्षेत्र में 'समदेन' कहते हैं।

ऋतुगीत

इन गीतों में राज्य के मौसम के अनुसार गीत गाने की परंपरा है। ऋतु परिवर्तन होते ही गीत बदल जाते हैं। फगुआ, चैता, कजरी, हिंडोला, चतुर्मासा और बारहमासा आदि गीत इस गीत-परंपरा में गाए जाते हैं। इन गीतों में कजरी एक महत्वपूर्ण गीत शैली है। इसका उद्भव बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहरवा और दादरा की लय में तुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है। कजरी का ही एक रूप मिथिला में मलार नाम से प्रसिद्ध है। वर्षाकालीन लोकधुनों में सावन, झुला, हिंडोला प्रचलित है। इनमें सावन की धुनों का अब उपशास्त्रीय गेय विधा का ही रूप शेष रह गया है।

फाग या होली बसंत ऋतु का गीत है। यह मुख्यतया समूह में गाया जाता है। फाग गीतों में प्रेम एवं अनुराग तत्त्वों की प्रधानता होती है। बिहार में 'होरी' या 'जोगीड़ा' गाने की प्रथा है। होरी गाने में प्रायः पुरुषों की भागीदारी रहती है। इसमें हर्षोल्लास देखने में बनता है।

चैत्र मास में गाया जानेवाला शृंगारप्रधान विलंबित लय का चैता बिहार की विशिष्ट पहचान है। इनमें शृंगार के साथ करुण रस एवं मार्मिक व्यथाओं का समावेश होता है। यह लोकछंद युक्त होते हैं एवं इसका गायन एकल एवं सामूहिक दोनों रूपों में होता है। यह गीत तुमरी गायिकाओं में ज्यादा लोकप्रिय होकर एवं उनके द्वारा उपशास्त्रीय जामा में गाए जाने के कारण ज्यादा लोकप्रिय बन गया। चैता गायन का चलन मुख्यतः बिहार के मगही एवं भोजपुरी-भाषी क्षेत्र में पुरुषों में पाया जाता है। ढोलक एवं झाँझ पर गाया जानेवाला चैता 'घाटो' कहलाता है, जो मुख्यतः भोजपुर प्रदेश में गाया जाता है।

बारहमासा गीत ऋतुगीतों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें बारहों महीने का वर्णन रहता है। यह वस्तुतः वियोग का गीत है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका आदि बोलियों में इसका विस्तार हुआ है। इन गीतों का आरंभ आषाढ़ की पहली वर्षा से एवं अंत जेठ की तपती धूप में होता है। बारहमासा गीतों का लघु रूप चौमासा तथा

छहमासा गीत भी बिहार में गाए जाते हैं। चौमासों में आषाढ़ से आश्विन एवं सावन से कार्तिक तक इन गीतों का प्रचलन रहता है।

पर्वगीत

बिहार में अनेक पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, छठ, तीज, नागपंचमी, गोधन, निहुरा, मधुश्रावणी, रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि सभी त्योहारों पर राज्य में उल्लास छाया रहता है और स्त्री-पुरुष इन अवसरों पर पर्व गीत गाते हैं। छठ पर्व में सूर्य के स्वरूप, लृपूजा की सामग्रियों, पूजा का कठिन विधि-विधान, वंध्या एवं कोढ़ी की दुर्दशा के कारण सूर्य की उपासना का वर्णन छठ पर्व के लोकगीतों में समाहित रहता है। छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मिथिलांचल क्षेत्र में स्त्रीप्रधान नाट्यगीत 'सामा-चकेवा' विशेष रूप से गाए जाते हैं। इन गीतों का आयोजन मिथिला के अतिरिक्त मोतिहारी जैसे कुछ भोजपुरी-भाषी क्षेत्रों में भी होता है।

जाति संबंधी गीत

भारत की सामाजिक व्यवस्था में हर वर्ग एवं जातियों का विशेष महत्त्व है। गाँव में रहनेवाले प्रत्येक जातियों के लोकदेव हैं, जिनकी वीरतापूर्ण गाथाओं से युक्त लोकगीत जातीय गीतों की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक जाति का अलग-अलग गीत है, जो अलग-अलग विशिष्टताओं से युक्त है। अहीर, दुसाध, चमार, केहार, धोबी और लुहार सबके अपने-अपने गीत होते हैं। अहीरों द्वारा गाए जानेवाले गीत को बिरहा गीत के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 'लोरिकी' भी इसी जाति का गीत है।

पेशागीत

किसी भी कार्य के संपादन के समय जो गीत गाए जाते हैं, वे श्रम गीत, व्यवसाय गीत या क्रिया गीत की कोटि में आते हैं। बिहार में चक्की चलाकर आटा पीसने के समय स्त्रियों के द्वारा 'लगनी' गाई जाती है। इस गीत को जैतसार भी कहा जाता है। ग्रामीण नारियों में खोदा या गोदना पड़ाने का प्रचलन है। खोदा पाड़नेवाली स्त्री गोदना गोदने के साथ गीत भी गाती है, जिसे 'खोदा पाड़ने की गीत' कहते हैं। खेतों में धान रोपते समय कृषक मजदूरों द्वारा गाया जानेवाला गीत 'चौचर' कहलाता है। कहीं-कहीं इसका नाम 'रोपनी' गीत भी है।

बालक्रीड़ा गीत

बाल-जीवन से संबद्ध गीतों को बाल गीत या शिशु गीत कहते हैं। वह गीत, जो मनोरंजन के प्रयोजन से है, क्रीड़ा गीत है, जैसे—अटकन-मटकन, चोरा-मुक्की, अट्टा-पट्टा, कबड्डी गीत। सुलानेवाले शिशु गीत में लोरी तथा बच्चों के उबटन लगाने के गीत 'अपटोनी गीत' हैं। इसके अलावा कुछ गीत स्त्रियों द्वारा तब गाए जाते हैं, जब समूह में उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, इन गीतों में 'ओका-बोका तीन तड़ोका' पहाड़ी आदि गीत गाए जाते हैं।

भजन या श्रुति गीत

देवी-देवताओं की आराधना से संबद्ध गीत भजन या श्रुति गीत की श्रेणी में आते हैं। इन गीतों का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व के साथ-साथ मांगलिक महत्त्व भी है। इनमें ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। सगुण गीतों में गोसाउनि गीत, नचारी, महेशवाणी, कीर्तन, विष्णुपद, पराती, साझ, गंगा के गीत, शीतला के गीत, देवी के गीत प्रमुख हैं। निर्गुण गीतों का अलग से कोई गीत कोटि निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ लोक-भजनों के अंदर निर्गुण उपमानों को निर्देशित किया जाता है।

गाथा गीत

ये गीत भारतीय जनमानस के वीरता से सहज लगाव के कारण गाए जानेवाले गीत हैं। बुंदेलखंड में जिस प्रकार से आल्हा गाया जाता है, उसी प्रकार बिहार में वीर रस की गाथाओं को गीतबद्ध करने की परंपरा रही है। यह लोककथाओं के वीर नायकों की स्मृति में ओज, जोश और आक्रामक भावभंगिमा से गाए जानेवाले गीत हैं। कथा के अनुसार इनमें करुण, वात्सल्य और शृंगार रस का भी समावेश होता है, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है।

खेतों में धान रोपते समय कृषक मजदूरों द्वारा गाए जानेवाला गीत 'चोंचर' कहलाता है। कहीं-कहीं इसका नाम रोपनी गीत भी है।

बिहार में इन गाथागीतों के कुछ शीर्षक भी हैं, जो अधिकांश गाथा के नायक के नाम से संबंधित हैं—

नयका बंजारा— इस गाथा का नायक शोमयनिक नामक वैश्य-पुत्र है, जो अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता है। अपरिहार्य कारणों से पति को अपनी पत्नी से दूर होना पड़ता है और वियोग की घोर पीड़ा नायक-नायिका को दग्ध करती है। इसी कथा को आधार बनाकर गवैए प्रेम और वियोग को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यह कथा समूचे बिहार में कथा को मार्मिक रूप देते हुए गाई जाती है। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार इसमें स्थान और नायक का परिवर्तन होता है।

मीरायन— इस गाथा का घटनास्थल नुनजागढ़ नाम की रियासत है। इस रियासत पर डिहरी नगर का हरफूल आक्रमण करता है और इस युद्ध में वह अपने पुत्रों सहित मारा जाता है। हरफूल की पत्नी उस समय गर्भवती होती है, जिसे 'मीरा' नाम का पुत्र होता है। यही मीरा अपूर्व वीरता का परिचय देते हुए युवा होकर नुनजागढ़ को जीतकर अपने वंश का स्वप्न पूरा करता है और उसका गौरव बढ़ाता है। यह कथा अत्यंत लोकप्रिय है, जिसे समूचे बिहार में गाया जाता है। कहीं-कहीं इसे 'नुनजागढ़ की लड़ाई' के शीर्षक से भी गाया जाता है।

राजा हरिचन— यह गाथा जगत् में सत्य के पर्याय बने और धर्म के ध्वजवाहक रहे अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। बिहार में इस कथा के प्रादुर्भाव होने का मुख्य कारण यह है कि राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास यहाँ के रोहतासगढ़ का राजा रहा है। यद्यपि इस गाथा को बिहार में राजा मोरध्वज की घटना से जोड़ दिया गया है, जिसने अपने पुत्र की आर से चीर दिया था, फिर भी इसकी मार्मिकता और संवेदनशीलता अक्षुण्ण है। इसके गवैए संख्या में कई होते हैं, जो विभिन्न पात्रों के अनुसार अपना गीत गाते हैं। इस गीत के गानेवालों को 'नेटुआ' कहते हैं। इन गीतों में ऐसी मार्मिकता उत्पन्न कर दी जाती है कि श्रोता-समाज की आँखों में आँसू आ जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की यह गाथा अपने मार्मिक व संदेशपूर्ण ढंग से समाज में एक अनोखी भावना को जाग्रत करती है। इस गाथा की विशेषता यह है कि इसे सुननेवालों में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है।

लोरिकायन— यह एक वृहद गीत-गाथा है, जिसे लोरिक मनियार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है व इसे सारे बिहार में गाया जाता है। इसके गायकों में प्रायः अहीर जाति के लोग ही होते हैं। इस कथा का नायक लोरित भी अहीर जाति से ही था। यह गाथा बिहार में भाषाव्यापी है, जिसे मैथिली, मागधी और भोजपुरी में भी गाया जाता है। इसमें कथा के नायक के जीवन-संघर्षों का वर्णन है। लोरिक के परिवार से संबंधित इस कथा में जीवन और संबंधों के उतार-चढ़ाव को बड़ी सहज और ओजपूर्ण अभिव्यक्ति में गाया जाता है।

दीना भदरी— यह बिहार की सबसे निर्धन और विभीषिकापूर्ण जीवन जीनेवाली मुसहर जाति के दो भाइयों दीना और भदरी की करुण गाथा है। घोर अभाव और विपत्तियों में जीनेवाले इन दोनों भाइयों ने अपने वीरतापूर्वक कार्यों से कठिनाइयों का सामना किया है। जोगियानगर निवासी इन दोनों भाइयों की गाथा को पूरे बिहार में गाया जाता है।

नूनाचार— यह मिथिला क्षेत्र में पाई जानेवाली गीत-गाथा है, जिसका नायक राजा करनू है। राजा करनू अपने

मामा के कुटिल षड्यंत्रों का शिकार होकर घोर विपत्ति में पड़ जाता है, लेकिन वह अपनी वीरता और साहस से मामा के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके अपने वैभव को प्राप्त करता है। कथा के आरंभ में नायक की दयनीय दशा का मार्मिक वर्णन है, तो अंत में उसकी वीरता का ओजपूर्ण गायन भी है।

छतरी चौहान—यह गाथा मगही क्षेत्र में गाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो मैथिली की नूनाचार इसी से प्रेरित होकर परिवर्तित रूप में गाई गई है। इस गाथा में भी नायक छतरी चौहान अपने मामा से उसके अत्याचारों का बदला लेता है। संभवतः उपरोक्त दोनों गाथाएँ कृष्ण-कंस से विकसित हुई हैं। छतरी चौहान गाथा में वीर रस की प्रधानता है।

धुधली-घटमा—यह गाथा उपरोक्त गाथाओं का फैलाव प्रतीत होती है। नायक धुधली और उसका मामा घटमा उसके पात्र हैं, लेकिन इसमें मामाओं की संख्या सात है। नायक धुधली के पिता की हत्या मामाओं द्वारा कर दी जाती है, जिसका प्रतिशोध धुधली बड़ी वीरता से लेता है। यह गाथा चंपारण और दरभंगा में भिन्न-भिन्न शीर्षकों से गाई जाती है।

विजयमल—यह रोचक गाथा धुनधुनिया के राजा धुरमल सिंह के बेटे विजयमल की है। नाबालिग विजयमल का विवाह बावनगढ़ की राजकुमारी से तय कर दिया जाता है। राजा धुरमल सिंह बशत लेकर बावनगढ़ जाते हैं, जहाँ किसी बात पर लड़ाई छिड़ जाती है। विजयमल तो वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल जाता है, लेकिन राजा धुरमल सिंह और अनेक परिजन बंदी बना लिये जाते हैं। समय बीतता है और विजयमल युवा होता है। वह बावनगढ़ पर आक्रमण कर देता है और अदम्य वीरता का परिचय देते हुए अपने बंदी पिता तथा परिजनों को भी मुक्त कराकर अपनी पत्नी को भी साथ ले आता है। यह गाथा समूचे बिहार में वीर रस के साथ गाई जाती है।

सहलेस—यह लोककथा प्रेम रस और वीर रस दोनों में डूबी है, जिसमें नायिका के साहस और वीरता का वर्णन है। इसका नायक सहलेस नाम का एक नौजवान होता है, जो दौना नामक एक सुंदर मालिन कन्या से बहुत प्रेम करता है और मालिन कन्या भी उससे बहुत प्रेम करती है। कथा में त्रिकोण आ जाता है, जब एक अन्य युवक दौना से विवाह करना चाहता है, लेकिन सहलेस अवरोध बन जाता है, तब वह युवक सहलेस को चोरी के झूठे आरोप में फँसाकर कारागार भिजवा देता है। इसके बाद दौना किसी युक्ति और साहस से अपने प्रेमी सहलेस को निर्दोष सिद्ध करके उसको मुक्त कराती है, यही इस कथा की रोचकता है। प्रेम की विजय का इस गाथा में भाव-विभोर वर्णन है।

हिरनी-बिरनी—यह गाथा पोसन सिंह नामक एक व्यक्ति की है, जिसके चरित्र और पत्नी-प्रेम का सारे समाज में नाम है। उसके चरित्र को गिराने का प्रयास हिरनी-बिरनी नामक दो नटनी बहनें करती हैं, लेकिन पोसन सिंह अपने चरित्र पर अडिग रहता है। तब दोनों बहनें उसके पौरुष को ललकारती हैं और पोसन सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उन बहनों को पराजित कर देता है। अतः दोनों बहनें उसकी दासी बन जाती हैं। चरित्र, मर्यादा और साहस का गुणगान करती यह गीत-गाथा समूचे बिहार में बहुत प्रसिद्ध है।

कुँवर ब्रजभार—यह नाथपंथी शैली से प्रभावित गाथा है, जिसमें करुण रस और वीर रस की प्रधानता है। बिहार में इसे 'सोरही ब्रजभार' भी कहा जाता है। यह कथा एक युवराज के साहस की गाथा है, जो अपने अधिकारों को पाने के लिए अपने सामंती शत्रुओं से युक्तिपूर्ण युद्ध करता है और अंत में विजयी होता है। यह गाथा बिहार के सीमांत प्रदेशों में भी गाई जाती है।

राजा विक्रमादित्य—यह गाथा नृत्य-गाथा है, जो पखावज वाद्ययंत्र द्वारा गाई जाती है। नर्तक इस पर नृत्य करते हैं। यह गाथा कुंडिलपुर के राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है, जिसमें वात्सल्य, करुण और वीर रस का अच्छा

मिश्रण है।

अमर सिंह बरिया— यह वीर गाथा वीर रस से ओत-प्रोत है, जिसका नायक अमर सिंह बरिया नामक वीर एवं साहसी योद्धा है। यह तिरहुत का निवासी है। तिरहुत का राजा अपने अत्याचारों से प्रजा को बहुत सताता है। प्रजा की दयनीय दशा देखकर बरिया विद्रोह कर देता है और राजा से भिड़ जाता है। बरिया देवी कमला का परम उपासक है, जो देवी की कृपा से राजा को हराकर प्रजा के कष्ट दूर करता है।

विशिष्ट गीत

इसमें पीड़िया के गीत, पानी माँगने के गीत, झूमर-झूले के गीत, बिरहा, जोगा, साँपरानी आदि गीत गाए जाते हैं। बिहार की संस्कृति में लोकगायन की समृद्ध परंपरा है। विविध गीतों में झिंझिया के गीत, झरनी के गीत, मारी स्वतंत्रता का गीत, समाज-सुधार के गीत आदि आते हैं। भोजपुर अंचल के पूर्वी गीत, झूमर, विदेशिया, बढोहिया, मेलों का गीत एवं मिथिलांचल का तिरहुति, बटगमनी, नचारी, महेशवाणी, संदेश गीत, मंत्र गीत, आंदोलन गीत इस श्रेणी के गीत हैं।

महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति का युग लोकगीतों का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके अधिकांश गीत ऐतिहासिक परंपरा एवं लोक-व्यवहार के कारण लोकगीत की श्रेणी में आ गए हैं।

महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति का युग लोकगीतों का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके अधिकांश गीत ऐतिहासिक परंपरा एवं लोक-व्यवहार के कारण लोकगीत की श्रेणी में आ गए हैं। इसका प्रचार मिथिला के घर-घर में है। भोजपुरी-भाषी क्षेत्र छपरा के भिखारी ठाकुर ने लोक-गीतकार तथा गायक के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। बिहार प्रदेश के प्रमुख उल्लेखनीय गायकों में भरत सिंह भारती, विष्णु प्रसाद सिन्हा, शारदा सिन्हा, डॉ. शंकर प्रसाद, नंदकिशोर प्रसाद, शंभू राम, मोतीलाल मंजुल, विन्ध्यवासिनी देवी, ललिता झा, रेणुका सहाय, कविता चौधरी, ग्रेल कुजूर, उमाकांत कमल, अजित कुमार, अकेला और कुमुद अलबेला आदि लोकप्रिय हैं।

इन लोकगीतों की प्रस्तुति में स्थानीय वाद्ययंत्रों में हारमोनियम, ढोलक, खड़ताल, मँजीरा, बाँसुरी, नाल, घड़ा, खँजरी, सितार, मृदंग और सारंगी आदि प्रमुख हैं। क्षेत्रीय वाद्ययंत्रों और गीतों के अनुसार ढोल, ढोलक, ढोलकी, तबला, नगाड़ा, मँजीरा, शहनाई, डफली, डमरू, डुगडुगी तथा शंख आदि वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भजन, कीर्तन और धार्मिक गीतों में झाल, करताल एवं शंख का प्रयोग किया जाता है। राज्य में लोकगीतों में लोकनृत्यों का भी समावेश होता है, जिसमें नृत्य, गीत और वाद्य-स्वरों की त्रिवेणी से दर्शकों का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। इसके अलावा राज्य में लोकगीतों के साथ लोकनाट्यों की भी बड़ी समृद्ध परंपरा है।

लोकनृत्य

लोकनृत्यों का बिहार में बहुत महत्त्व है। यहाँ सभी प्रमुख अवसरों, जैसे—संस्कार, पर्व और मनोरंजन इत्यादि पर लोकनृत्यों का विहंगम दृश्य नजर आता है। नृत्यों से आपसी सौहार्द और एकता का भाव जाग्रत होता है। बिहार में स्त्री-पुरुष सभी मिलकर इस अवसर में सहभागी बनते हैं। राज्य के प्रमुख लोकनृत्यों में निम्नलिखित नृत्य उल्लेखनीय हैं—

करमा नृत्य

यह राज्य की आदिवासी जनजातियों में मुख्य रूप से प्रचलित है। इसे देखने के लिए गैर-आदिवासियों की भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फसलों की कटाई और बुआई के साथ 'करम देवता' को प्रसन्न करने के लिए गीतों को

नृत्य सहित गाया जाता है। यह स्त्री-पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे की कमर में हाथ डालकर लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। इसका मुख्य स्रोत झारखंड है।

छउ नृत्य

यह मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जानेवाला नृत्य है, जो युद्ध से संबंधित है। इसमें दो श्रेणियाँ होती हैं। इसमें नर्तक अपनी भाव-भंगिमाओं, ओजस्वी स्वर और पैरों की लयबद्ध धीमी-तीव्र थिरकन से वीर रस का भाव प्रदर्शित करता है। दूसरी श्रेणी में कालीभंग को रखा जाता है, जिसमें शृंगार रस की प्रधानता होती है। यह नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है।

झिंझिया नृत्य

यह प्रायः दुर्गापूजा के अवसर पर किया जानेवाला नृत्य है, जिसे स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें स्त्रियाँ गोल घेरे में खड़ी होकर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं। मुख्य नर्तकी अपने सिर पर एक घड़ा रखती है, जिसके ढक्कन पर एक दीपक जल रहा होता है। यहाँ राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा पर आधारित रचित गीत गाए जाते हैं। इसमें नर्तकियों के पैरों की लयबद्धता और थिरकन एक आकर्षक दृश्य उत्पन्न करती है।

विद्यापत नृत्य

इस नृत्य में मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए नर्तकों द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है। यह बिहार में मिथिला और पूर्णिया में अधिक प्रचलित है।

कठघोड़वा नृत्य

यह बिहार का अत्यंत रोचक लोकनृत्य है, जो झारखंड में भी समान रूप से प्रसिद्ध है। इस नृत्य में नर्तक अपनी पीठ से बाँस की खपच्चियों से बना घोड़े के आकार का ढाँचा बाँध लेता है, जो रंग-बिरंगे वस्त्रों से सजा होता है। वाद्ययंत्र बजानेवाले लय के साथ वाद्य बजाते हैं और उसी लय में कठघोड़वा नर्तक नृत्य करता है। नृत्य करनेवाले व उसके साथियों को उचित पारिश्रमिक भी मिलता है।

धोबिया नृत्य

यह बिहार के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है, जो कि उनके द्वारा अपने मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका सबसे अधिक प्रचलन भोजपुर जिले में है। इसमें नर्तक शृंगार रस से भरे हुए गीत वाद्ययंत्रों की ताल पर गाते हैं और आकर्षक नृत्य करते हैं।

पवड़िया नृत्य

यह विचित्र नृत्य है, जो किया तो पुरुषों के द्वारा जाता है, लेकिन वे होते स्त्री की वेशभूषा में हैं। स्त्रियों की घाघरा-चोली पहनकर और शृंगार करके हाथों में ढोल-झाँझ, मँजीरे लेकर पुरुष नर्तक सोहर और खेलौना गीत गाते हुए आकर्षक नृत्य करते हैं। यह नृत्य बच्चों के होने के अवसर पर किया जाता है।

जोगीड़ा नृत्य

यह ग्रामीण क्षेत्रों में होली के पर्व पर किया जानेवाला नृत्य है। इसमें ग्रामीण युवक-युवतियाँ एक-दूसरे को रंग-

अबीर लगाकर फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में हर्ष, उल्लास और युवा मस्ती की अधिकता रहती है।

झरनी नृत्य

यह बिहार के मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, जिसे मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें शोकगीतों के साथ नृत्य द्वारा अपने दुःख को व्यक्त किया जाता है।

करिया झूमर नृत्य

यह महिलाओं द्वारा किया जानेवाला नृत्य है, जो त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें महिलाएँ एक-दूसरे की कमर में हाथ डालकर घूम-घूमकर नृत्य करती हैं।

खीलडीन नृत्य

यह आतिथ्य नृत्य है, जो मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। प्रायः इस नृत्य को दक्ष और व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो अपनी आकर्षक मुद्राओं से अतिथियों से पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर लेती हैं।

अन्य नृत्य

गंगिया— महिलाओं द्वारा जिस नृत्य के माध्यम से गंगा स्तुति की जाती है, उसे गंगिया नृत्य कहा जाता है।

माँझी— नदियों में नाविकों द्वारा यह गीत नृत्य मुद्रा में गाया जाता है।

धो-धो रानी— छोटे-छोटे बच्चों का नृत्य, जिसमें एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ से लड़कियाँ गोल घेरा बनाकर घूमते हुए गीत गाती हैं।

गोंडिन— इसमें मछली बेचनेवाली तथा ग्राहकों का स्वाँग किया जाता है।

लौढ़ियारी— इसमें कृषक अपने घर पर पशुओं के साथ भाव-भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है।

धन-कटनी— फसल कट जाने के बाद किसान सपरिवार खुशियाँ मनाता हुआ गाता और नृत्य करता है।

बोलबै— यह भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र का नृत्य है, जिसमें महिलाएँ पति के परदेश जाते समय का चित्रण करती हैं।

घाँटो— ससुराल में गरीब बहन के घर भाई के आने की सूचना मिलने पर गाया जानेवाला यह विरह गीत नृत्य के साथ किया जाता है।

इन्नी-बिन्नी— अंगिका क्षेत्र का प्रमुख नृत्य, जिसमें पति-पत्नी प्रसंग पर महिलाएँ नृत्य करती हैं।

देवहर— इसे भगता नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नृत्य करनेवाला देवी-देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में नृत्य करता है।

बगुलो— उत्तर बिहार का नृत्य है, जिसमें ससुराल से रूठकर जानेवाली स्त्री के रास्ते में दूसरी स्त्री के साथ नोक-झोंक का चित्रण होता है।

कजरी— सावन महीने में गाई और खेली जानेवाली नृत्य नाटिका है।

बसंती— बसंत ऋतु के आगमन पर प्रायः महिलाओं द्वारा गीत के साथ किया जानेवाला नृत्य है।

इसके अलावा बिहार की लोक-संस्कृति में लगुई नृत्य शैली भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।

लोकनाट्य

बिहार में लोकगीत और लोकनृत्यों के साथ लोकनाट्यों की भी समृद्ध संस्कृति है। इन लोकनाट्यों का जनजीवन में काफी महत्त्व है। इन नाट्यों में अभिनय, संवाद, कथानक, गीत और नृत्यों आदि का बड़ा महत्त्व होता है। इन्हें सांस्कृतिक और मांगलिक अवसरों पर दक्ष कलाकारों द्वारा प्रायः रात्रि में कृत्रिम रोशनी में प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में रामलीला, कृष्णलीला, स्वाँग आदि का मंचन होता है, उसी प्रकार बिहार में लोकनाट्य मंचित किए जाते हैं। सभी नाट्यों में नृत्य और गीत संभाषणों के साथ चलते हैं। कई बार वृहद नाट्यों का मंचन किया जाता है, जिसकी उत्कृष्ट प्रस्तुति से दर्शक अंत तक बँधा रहता है। सहज, सरल और आसान भाषा का प्रयोग अशिक्षितों के भी समझने के उद्देश्य से इन नाटकों में किया जाता है। बिहार में प्रचलित लोकनाट्यों का वर्णन निम्न है—

जट-जटिन

यह लोकनाट्य एक जट और उसकी पत्नी (जटिन) के दांपत्य जीवन के सभी पहलुओं को बड़े ही मनोरंजक और भावपूर्ण ढंग से दिखाता है। इसकी प्रस्तुति श्रावण माह से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चाँदनी रात में महिलाओं द्वारा की जाती है। इसकी दर्शक भी अधिकांशतः महिलाएँ ही होती हैं। पुरुष भी इसका आनंद उठाने से स्वयं को नहीं रोक पाते। इसमें दो दल बनते हैं। एक दल जट का होता है और दूसरा दल जटिन का। जट दल की लड़कियाँ दूल्हे की पोशाक पहनती हैं तो जटिन दल की लड़कियों को आकर्षक साड़ी और कुमुदिनी के फूलों से सजाया जाता है। दोनों दल एक-दूसरे से पाँच-छह हाथ की दूरी पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो सहगान होता है, फिर उसके बाद अविनय प्रस्तुति होती है। जट दल दूल्हे को अपने पीछे बुला लेता है और जटिन दल दुल्हन को। आरंभ में एक दल गाना गाता हुआ दूसरे दल के पास आता है और उलटे पाँव लौट जाता है। फिर जटिन दल आगे बढ़ता है और कोर्निश के अंदाज में गाता है। इस नाट्य में बिहार के ग्रामीण परिवेश की झलक के साथ दांपत्य जीवन के प्रेम, क्रोध, अनबन, मान-सम्मान आदि सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों का सुंदर समावेश होता है। यह लोकनाट्य बिहार में सर्वत्र लोकप्रिय है।

अकुली-बंका

इस नाट्य का प्रस्तुति काल श्रावण माह से कार्तिक माह तक होता है। कहीं-कहीं यह समय-सीमा में न बँधकर शुक्ल पक्ष में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रमुख पात्र अंका, बंका और टिहुली आदि होते हैं। इस नाट्य की प्रस्तुति में कलाकारों द्वारा सहज और सजीव अभिनय से ग्रामीण परिवेश का अच्छा दर्शन देखने को मिलता है। इसमें भी क्षेत्रीय उपमाओं का प्रयोग किया जाता है।

सामा-चकेवा

यह नाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी से पूर्णिमा तक की चाँदनी रातों में आयोजित किया जाता है। इस नाट्य में सामा और चकेवा भाई-बहन हैं। इसके अन्य पत्रों में सतमइया, चुगला, बनतीतर, झाँसीकुत्ता, वृंदावन-मुँहटेढ़ी, ऐटलो-ऐंडली, बटदेखनी, ग्वालिन और हाथी आदि प्रमुख हैं। यह मुख्यतः कुँवारी कन्याओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके उपरोक्त सभी पात्र मिट्टी के बने होते हैं, जो श्रीकृष्ण की बाँसुरी बजाती मूर्ति के आसपास रख दिए जाते हैं। फिर लड़कियाँ रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर इन मिट्टी के पात्रों के गोल घेरे में खड़ी होकर राधा-कृष्ण की भाँति रास रचाती हैं। यह बहुत लोकप्रिय नाट्य है।

किरतनियाँ (नारदी)

यह भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य है। इसके मुख्य वाद्ययंत्र ढोलक, झाल और हारमोनियम होते हैं। इस नाट्य में कलाकारों द्वारा श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। इसमें कलाकार अभिनय के साथ कीर्तन भी करते हैं। इस नाट्य-मंचन से भक्तिभावना और ग्रामीण आस्था का सुस्पष्ट परिचय मिलता है।

डोमकच

इस नाट्य को नितान्त महिला-प्रधान कहना ही उचित होगा, क्योंकि यह पुरुषों की अनुपस्थिति में घर व आस-पड़ोस की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के पीछे एक कारण यह भी है कि पूर्व में जब घर या मुहल्ले के सभी पुरुष किसी विवाह में बराती बनकर चले जाते थे तो चोरों का प्रकोप बढ़ जाता था। अतः महिलाओं ने एकजुट रहने और रात भर जागते रहने के उद्देश्य से इस नाट्य को आरंभ किया, जो ग्रामीण अंचल में बस गया।

इस नाट्य की कोई विषयवस्तु तय नहीं होती। पूर्व में यह घर की नौकरानियों या महारियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब इसे घर की महिलाएँ स्वयं भी करने लगी हैं। इसमें मनोविनोद, हास-परिहास जैसे संवादों के साथ गीत और नृत्यों का भी समावेश होता है। महिलाएँ ही पुरुष-पात्रों की भूमिकाएँ करती हैं। इनमें जलुआ, डोमिन, दारोगा और अनारकली जैसे पात्र होते हैं। इस नाट्य में अश्लीलता का अधिक्य होने के कारण इसे खुले मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अधिकांश विवाहित महिलाएँ ही इसमें भाग लेती हैं।

विदेशिया

इस नाट्य के रचयिता बिहार के प्रसिद्ध लोककवि भिखारी ठाकुर हैं। इन्हें बिहार में कालिदास की भाँति माना जाता है। इस नाट्य का विकास लोकनाट्य परंपरा के आधार पर हुआ है। इसमें प्रत्येक कलाकार बहुआयामी होता है। नाटक में विभिन्न पात्रों का अभिनय करने के साथ वह मंच-निरीक्षण और मंच-वादक की भूमिका भी निभाता है। इस नाट्य में पुरुष ही महिलाओं की भूमिका करते हैं। दर्शकों को हँसाने के लिए जोकर या विदूषक भी होता है, जो एक कलाकार ही होता है। इसमें परबी, पवड़िया, नेटुआ, गोंड, पचड़ा, आल्हा और बारहमासा आदि का भी समावेश होता है। यह नाट्य बिहार की नाट्य विधा का बहुचर्चित और प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जिसका मंचन राष्ट्रीय प्रेक्षागृहों में भी किया जाता है।

उपरोक्त विवरण स्पष्ट करता है कि बिहार में लोक-संस्कृति का अच्छा स्थान है। इसे राज्य स्तर पर विकसित करने में यहाँ के ग्रामीण समाज की महती भूमिका रही है। बिहार में नाट्यकला को और भी विकसित करने तथा इससे राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत सी नाट्य संस्थाएँ कार्यरत हैं। इनमें भोजपुर मंच, यवनिका, दर्पण कलाकेंद्र, शिव सांस्कृतिक मंच, अक्षरा आर्ट्स, बिहार आर्ट थिएटर, जिला नाट्य परिषद् अभिनय कला मंदिर और निराला क्लब जैसी अनेक नाट्य संस्थाएँ और संगठन प्रयासों में लगे हुए हैं।

जनजातीय संस्कृति

बिहार की धरती पर लगभग सभी धर्मों, जातियों और जनजातियों के लोग निवास करते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की कुल संख्या 1,38,06,989 है। इनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,30,48,608 है, जिनमें 68,84,676 पुरुष और 62,63,932 महिलाएँ हैं। अनुसूचित जनजाति का अधिकांश भाग अब वर्तमान झारखंड में चले जाने से बिहार में इनकी कुल संख्या 7,58,381 रह गई है, जिनमें 3,93,144 पुरुष और 3,65,237 महिलाएँ हैं। राज्य में जनजाति समाज का वर्चस्व भले ही अत्यधिक कम हो गया हो, किंतु फिर भी

जनजातीय संस्कृति का बिहार में अपना अलग ही महत्त्व है।

इस नाट्य के रचयिता बिहार के प्रसिद्ध लोककवि भिखारी ठाकुर हैं। इन्हें बिहार में कालिदास की भाँति माना जाता है। इस नाट्य का विकास लोकनाट्य परंपरा के आधार पर हुआ है।

प्रमुख जनजातियाँ

आधुनिक बिहार में झारखंड के बनने के बाद जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गई, परंतु कुछ जनजातियाँ अभी भी हैं, जो बिहार की समृद्ध सामाजिक संस्कृति को अपनी प्राचीन संस्कृति से योगदान देती हैं। बिहार में पाए जानेवाली प्रमुख जनजातियाँ निम्नलिखित हैं—

गोंड

यह जनजाति बिहार के छपरा, चंपारण और रोहतास जिलों में पाई जाती है। प्रायः इनकी अपनी कोई बस्ती नहीं होती, जो कि सामान्यतः अन्य जनजातियों में पाई जाती है। ये लोग गैर-आदिवासियों के साथ रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है, परंतु अब ये लोग प्रायः स्थानीय भाषा में ही वार्तालाप करते हैं।

खोंड

यह कृषि कार्यों में मजदूरी करनेवाली जनजाति है, जो शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इनकी भाषा स्थानीय सदानी है, परंतु अब ये अधिकतर भोजपुरी का ही प्रयोग करने लगे हैं।

बेड़िया

इस जनजाति के लोग प्रायः बिखरकर रहनेवाले होते हैं, जो अधिकतर मुंगेर जिले में रहते हैं। ये भी किसान और मजदूर होते हैं तथा स्थानीय भाषा में ही वार्तालाप करते हैं।

उराँव

प्रोटोऑस्ट्रेलाइड और द्रविड परिवार से संबंध रखनेवाले उराँव जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं। बिहार और झारखंड विभाजन के बाद यह न्यून संख्या में बिहार में भी रहते हैं। रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भागलपुर और चंपारण जिलों में रहनेवाली यह जनजाति बोंगावाद, प्रकृतिवाद, हिंदूवाद और ईसाइयत के मिश्रित सिद्धांतों का पालन करती है। इनके आर्थिक जीवन में मिश्रित संरचना के दर्शन होते हैं।

संथाल

यह जनजाति भी संथाल पर्वत (झारखंड) की मूल जनजाति है, जो बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है। इन्हें भी प्रोटोऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी भाषा संथाली है, जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा-परिवार की है। इसके अतिरिक्त ये लोग बंगाली और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। सिंगबोंगा इनका पूज्य देवता है।

खैरवार

मुख्य रूप से झारखंड में निवास करनेवाली यह जनजाति बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में भी पाई जाती है। इनकी परंपरा में खैरघासों की पूजा करने का विधान है। इसी कारण इनका नाम खैरवार पड़ा। इस जनजाति के लोगों की भाषा मुंगरी है, परंतु अब ये लोग बिहार की स्थानीय भाषा का प्रयोग भी करने लगे हैं।

गोराइत

बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करनेवाली यह जनजाति प्रोटोऑस्ट्रेलाइड समूह की है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ये एकल परिवार पद्धति को अपनाते हैं। इनका विवाह स्वजातीय, परंतु भिन्न गोत्र में होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है।

चेरो

मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करनेवाली जनजाति चैरो के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं। अड़ियल, निर्भीक और स्वतंत्रता प्रेमी चैरो स्वयं को क्षत्रिय और चौहानवंशीय राजपूत मानते हैं। कुछ लोग तो अपने उपनाम के रूप में चंद्रवंशीय भी लिखने लगे हैं। इनकी धार्मिक प्रवृत्ति हिंदुओं से प्रभावित है।

कोरा

बिहार राज्य में जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों के कुछ हिस्सों में कोरा जनजाति निवास करती है। इनकी भाषा मुंडारी है। यह लोग सदानी और हिंदी भी बोल लेते हैं। इस जनजाति के लोग एकांत निवास के लिए पहाड़ों अथवा मैदानों में अपने घर बना लेते हैं। इनका सामान्य व्यवसाय कृषि है, परंतु ये लोग वन-उत्पाद और मजदूरी पर अधिक आश्रित हैं।

कोरवा

यह जनजाति अब भारत में ही कम रह गई है। बिहार में इस अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिले में निवास करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजातीय विवाह की परंपरा है। ये लोग अस्थायी और स्थानांतरित कृषि तथा शिकार से आजीविका चलाते हैं।

मुंडा

बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है, किंतु अब यह सदानी भी बोलने लगे हैं। ये भी स्थानांतरित कृषि पर निर्भर हैं। सिंगबोंगा को यह अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं, जो पृथ्वी से संबंधित है।

इस प्रकार बिहार के सामाजिक जीवन में मिश्रित सामाजिक संरचना दिखाई देती है। ये जनजातियाँ आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। इन लोगों तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सभी सुविधाएँ अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें भी विकास की मुख्यधारा से जोड़कर जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाए।

आदिवासी जनजातियाँ वास्तव में बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग हैं। इनका साहित्य और कला से गहरा संबंध रहा है। अब जनजातीय लोग बिहार में पूर्णतः स्थानीय हो गए हैं। पहाड़ों, जंगलों और विचित्र रीति-रिवाजों एवं परंपराओं से आबद्ध इनका जीवन प्रकृति के साथ इनके अनुभवों का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। इनमें कला और संगीत में स्वतंत्रता और आनंद का भाव समाया रहता है।

आदिवासी कला

आदिवासियों की कला उनके प्रसन्न मन से प्रकृति के सुंदर और सजीव चित्रण के अनुभवों का परिणाम है। इन्हें

भले ही आधुनिक विकास को देखकर आश्चर्य होता हो, परंतु इन्हें अपनी सरलता और तरलता में जो आनंद मिलता है, वह अकथनीय है। इनकी कला के दर्शन इनके घरों में त्योहारों, पर्वों एवं संस्कार आदि के अवसरों पर बनाए जानेवाली विशेष कलाकृतियों से होते हैं। इनके घरों पर रंगों से बने सुंदर पेड़-पौधे, पुष्प और अन्य प्राकृतिक आकृतियाँ तथा मिट्टी से बने इनके घरेलू बरतन आदि पर उकेरी गई अल्पनाएँ अद्भुत होती हैं।

आदिवासी स्त्रियों की दक्षता ऐसी होती है कि ज्यामितीय रेखाचित्रों में सामानांतर रेखाओं को सटीक ढंग से खींचना आश्चर्यचकित कर देता है। अधिकांश गृहसज्जा के कार्य कुँआरी कन्याओं द्वारा किए जाते हैं। नदियों से मिली सीपियों और कौड़ियों से यह आदिवासी स्त्रियाँ जो कंठहार बनाती हैं, वे दर्शनीय और कला का उत्कृष्ट नमूना होते हैं।

आदिवासी गीत-संगीत

आदिवासी गीत-संगीत में प्राकृतिक उल्लास का वर्णन होता है। इनके अधिकांश गीत नृत्य पर आधारित होते हैं। पक्षियों के राग-कलरव, नदी का कल-कल प्रवाह, फूलों के चटकीले रंग और झरनों का कर्णप्रिय मुधर प्रवाह इनके प्रेरणास्रोत बन जाते हैं। प्रत्येक मौसम में गाए जानेवाले गीतों का इनके पास प्रचुर भंडार होता है।

ऐसी मान्यता है कि हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए जाते समय अपने हाथों से किया था। इसकी मरम्मत राजा मानसिंह ने कराई थी। मुगलकाल में राजा रामनारायण ने इस मंदिर को एक व्यापक रूप दिया।

इन आदिवासियों के अपने प्रारंभिक वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें मृदंग, झाँझ, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि सम्मिलित हैं। अपनी पारंपरिक शैली में इनकी लय और ताल भले ही समझ में न आए, लेकिन भाव पूर्णतया जीवंत हो जाता है। जदुर, मगे, करमा, अडंदी, गोमा आदि गीत विभिन्न अवसरों पर प्रचुरता से गाए जाते हैं।

विवाह के शुभ अवसर पर अडंदी का नृत्य-गीत मधुर उल्लास की बहारों से सरोबार कर देता है। बसंत का जदुर मौसम के स्वागत में, हैरो गीत धान के रोपने के समय आदिवासी जनजातियों के गीत-संगीत की समृद्धता दिखाते हैं।

आदिवासी साहित्य

लोककथाओं, लोकोक्तियों और परंपरागत पीढ़ियों के इतिहास से संबंधित आदिवासी साहित्य जीवन की सभी दशाओं का अनुठा वर्णन करता है। इनकी कथाओं में रहस्य, रोमांच, उल्लास, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और तंत्र कथाओं के चरित्रों पर अगाध श्रद्धा एवं विश्वास जैसे भाव शामिल हैं। यह उनकी सहजता और सरलता है कि इन्हें पेड़, पत्थर, खेत-खलिहान आदि सभी में देवताओं का वास होने का विश्वास है, जो उनकी रक्षा करते हैं।

आधुनिक समाज इसे भले ही अंधविश्वास कहे, परंतु यह आस्था इनके जीवन का अभिन्न अंग है। इनके साहित्य में इस आस्था को बल देते रहने का प्रयास किया गया है। आदिवासी साहित्य की पहेलियाँ शोध का विषय हैं। बाल-साहित्य से इन लोगों में आरंभ से बालकों को जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान कराने की परंपरा रही है।

□

9. मेले एवं त्योहार (Fairs and Festivals)

प्रमुख मेले
महोत्सव
पर्व-त्योहार

प्रमुख मेले

बिहार की ग्रामीण संस्कृति की भव्य झाँकी यहाँ के मेलों में स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ के कुछ मेले तो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। धर्म एवं संस्कृति से जुड़े आयोजनों में बाजार की बनी हुई वस्तुएँ तो होती ही हैं, साथ ही साथ स्थानीय शिल्प कला का भी दर्शन होता है। क्षेत्रीय मेले, हाट व बाजार केवल व्यापारी का आयोजन ही नहीं होते, बल्कि उस क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन के भी दर्शन होते हैं। कुछ प्रमुख मेलों का वर्णन निम्न है—

सोनपुर मेला

विश्वविख्यात सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा नदी के किनारे कार्तिक मास में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले के साथ पौराणिक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। इसी स्थान पर हरि (विष्णु) और हर (शिव) का मंदिर है। इसलिए उस स्थान को हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए जाते समय अपने हाथों से किया था। इसकी मरम्मत राजा मानसिंह ने कराई थी। मुगलकाल में राजा रामनारायण ने इस मंदिर का एक व्यापक रूप दिया। इन दिनों छपरा जिला प्रशासन द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से हरिहर क्षेत्र मेला लगाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर लगभग एक मास तक चलता है।

सोनपुर मेले को लेकर कार्तिक पूर्णिमा से एक माह पूर्व ही तैयारी शुरू हो जाती है। देश भर के प्रमुख पशु विक्रेता अपने-अपने पशुओं को लेकर मेले में पहुँचते हैं। बिहार सरकार द्वारा कई प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं। इनके माध्यम से लोगों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्य, किसानों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा निर्मित अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई जाती है। किसानों को अन्य उपयोगी जानकारी भी दी जाती है।

सोनपुर मेले में हाथियों की बिक्री अधिक संख्या में होती है। हालाँकि प्रशासन द्वारा हाथियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन परोक्ष रूप से यह कार्य किसी-न-किसी रूप में होता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जानवर भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर सवा लाख का घोड़ा तथा हजारों रुपए के चूहे तक उपलब्ध रहते हैं। बिहार के लोगों के लिए पशुधन खरीदने का यह सबसे अच्छा अवसर होता है। जनसामान्य कोणहारा घाट पर स्नान कर हरिहरनाथ भगवान की पूजा करता है और अपने जीवनोपयोगी सामान खरीदता है।

सोनपुर मेले में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी चलती रहती हैं। मेले में साधुओं का भी जमघट लगा रहता है। समय-समय पर इनका मार्गदर्शन भी समाज को मिलता रहता है।

वैशाली का मेला

जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली में चैत्रमास की त्रयोदशी तिथि को यह मेला आयोजित होता है। इस मेले में देश भर के जैन अनुयायी सम्मिलित होते हैं। जैन आचार्य यहाँ बहुसिद्धांत संगोष्ठी और चिंतन समारोह आयोजित करते हैं। मेले में जैन धर्म से संबंधित साहित्य, चित्र व मूर्तियों के साथ-साथ अन्य वस्तुएँ भी मिलती हैं।

श्रावणी मेला

बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से लेकर देवघर (झारखंड) तक 105 किमी. लंबे क्षेत्र में श्रावणी मेले का आयोजन होता है। श्रावण और भाद्रपद में शिवभक्त सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल ही देवघर पहुँचते हैं। देवघर का प्रसिद्ध रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। लोग इन्हें वैद्यनाथधाम या बाबाधाम के नाम से भी जानते हैं। साल भर तीर्थयात्री देश के कोने-कोने से यहाँ पहुँचते हैं।

पितृपक्ष मेला

गया में यह मेला शारदीय नवरात्र से एक पखवाड़े पूर्व लगता है। पितृपक्ष में हिंदू अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनका श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दिवंगत आत्मा को तभी शांति मिलती है, जब उसका पिंडदान गया में करा दिया जाता है। वैसे तो गया में साल भर पिंडदान होता है, परंतु पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का विशेष महत्त्व है।

बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मेला

बक्सर जिले के ब्रह्मपुर नामक गाँव में शिवरात्रि व वैशाख महीने की बदी एकादशी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष में दो बार लगनेवाला यह मेला भी बड़ा पशु मेला है। इस मेले में देश भर से गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ऊँट आदि क्रय-विक्रय हेतु आते हैं। इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। बाबाब्रह्मेश्वर के मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक त्रिवेणी का यह मेला देश भर में प्रसिद्ध है।

मलमास मेला

मकर संक्रांति से एक माह पूर्व (14 दिसंबर से 14 जनवरी) तक हिंदू समाज कोई मांगलिक कार्य नहीं करता है। मकर संक्रांति के दिन इस दूषित मास का अंत होता है। इस अवसर पर राजगीर में एक भव्य मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन नश्वर शरीर का त्याग करनेवालों का पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन राजगीर के गरम कुंड में स्नान कर आबालवृद्ध नवजीवन प्राप्त करते हैं।

बेतिया मेला

प्रत्येक वर्ष दशहरे पर यह मेला बेतिया में आयोजित किया जाता है। लगभग 15-20 दिन तक आयोजित इस पशु

मेले में राज्य के हजारों लोग अपने-अपने पशुओं के क्रय-विक्रय के लिए यहाँ आते हैं।

सौराठ मेला

प्रत्येक वर्ष जेठ-आषाढ़ माह में 'सभागाछी' (मधुबनी जिला) में चलनेवाले इस मेले में अविवाहित वयस्क युवकों को विवाह हेतु प्रदर्शित किया जाता है। यह मेला विश्व में अपने अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है।

सिमरिया मेला

प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तो यह मेला बरौनी जंक्शन से 8 किमी. दूर दक्षिण-पूर्व में 'राजेंद्र पुल' के आसपास आयोजित किया जाता है। इस मेले का धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्त्व होता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर में गंगा नदी तट पर अवस्थित सिमरिया घाट पर सिमरिया मेला (कल्पवास मेला) का आयोजन होता है। इस मेले में भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल व भूटान से भी हजारों श्रद्धालु भक्त आते हैं। इस अवधि में भक्तजन फूस के घरों में रहते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर गंगा में स्नान करने पर सभी पाप धुल जाते हैं।

कोसी मेला

प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा पर कटिहार के निकट 'कोसी नदी' पर आयोजित इस मेले में श्रद्धालु जन पुण्य भी कमाते हैं और लकड़ी के सामान का क्रय-विक्रय भी करते हैं।

सबौर मेला

यह मेला कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भागलपुर जिले के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में लगाया जाता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन इस महाविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि की नवीनतम तकनीकों और खोजों की जानकारी किसानों को दी जाती है। यहाँ नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रचार भी किया जाता है।

माघी मेला

यह ऐतिहासिक मेला 1881 ई. से चलता आ रहा है, जो पूर्व में भव्य चौतवारनी मेले के नाम से प्रसिद्ध था। पावन गंगा नदी में संपूर्ण कोशी क्षेत्र के साथ-साथ नेपाल, भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र से भी लोग डुबकी लगाने आते हैं। धार्मिक तौर पर मनिहारी की उत्तरवाहिनी गंगा का अलग ही महत्त्व है, इसलिए नदी पार साहेबगंज, पाकुड़, दुमका (सभी झारखंड) से भी लोग खिंचे चले आते हैं। ऐतिहासिक महाभारत काल के समय भगवान श्रीकृष्ण के प्रवास स्थल रहे मनिहारी की इस धरती पर धार्मिक कृत्य करना एक अलग ही तीर्थ सा पावन लाभ प्रदान करता है।

लौरिया नंदन गढ़ मेला

प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में पूर्णिया जिले के 'गुलाबबाग' में इस 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है।

ककोलत मेला

प्रत्येक वर्ष मेष संक्रांति के अवसर पर नवादा जिले के 'ककोलत' नामक स्थान पर इस धार्मिक मेले का आयोजन छह दिनों तक किया जाता है। ककोलत में एक जल-प्रपात है। इस जल-प्रपात की ऊँचाई 160 फीट है। आसपास से हजारों की संख्या में लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं।

पुस्तक मेला

सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (सी.आर.डी.) की ओर से आयोजित पटना पुस्तक मेला प्रत्येक वर्ष प्रायः नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष 1985 ई. से लगातार पटना में आयोजित होता रहा है। 15 दिवसीय मेले में देशभर के प्रमुख प्रकाशक अपनी पुस्तकों को प्रदर्शित करते हैं। राज्य के पुस्तक-प्रेमी यहाँ आकर लाभान्वित होते हैं।

भागलपुर का पापहरणी मेला

मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित पापहरणी तालाब का अत्यंत धार्मिक महत्त्व है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं। लोकमान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। जगह-जगह जल रही आग का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा-अर्चना करते हैं। दही-चूड़ा और तिल के लड्डू विशेष रूप से खाए जाते हैं।

इन मेलों के अतिरिक्त बिहार में सिंहेश्वर का मेला, बाँसी मेला, हरदी मेला, काली पूजा मेला एवं सहोदरा के मेले भी आयोजित किए जाते हैं।

महोत्सव

इसके साथ बिहार में महोत्सवों का आयोजन सरकारी एवं निजी स्तर पर किया जाता है, जिनमें निम्न हैं—

राजगीर महोत्सव

राजगीर महोत्सव 28 दिसंबर, 2014 से 13 जनवरी, 2015 तक पूरी भव्यता के साथ मनाया गया है। इस महोत्सव का प्रथम बार आयोजन 1986 ई. में किया गया था। कतिपय कारणों से 1989 से 1994 तक इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका, पर 1995 से इसे पुनः प्रारंभ किया गया। ऐतिहासिक अजातशत्रु किला मैदान में आयोजित होनेवाला यह महोत्सव ऐतिहासिकता, प्राचीनता, परंपरा एवं आधुनिकता के समन्वय का प्रतीक बन गया है।

विक्रमशिला महोत्सव

शिक्षा जगत् में प्राचीन काल से अपनी वैश्विक पहचान रखनेवाले विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटकीय महत्त्व को देखते हुए बिहार सरकार ने वर्ष 2007 में तीन दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव (28-29 तथा 30 जनवरी) का आयोजन शुरू किया। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है।

धर्मपाल (786 से 820 ई.) द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की भाँति विश्व स्तरीय था। यह विश्वविद्यालय विश्व का दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय था। तिब्बती ग्रंथों में इसे श्रीमद्विक्रमशीलदेव महाविहार के नाम से जाना जाता है। 1203 ई. में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को किले के भ्रम में ध्वस्त कर दिया था।

मंदार महोत्सव

भागलपुर की सीमा से जुड़ा बाँका जिला मंदार पहाड़ होने की वजह काफी प्रसिद्ध है। इसी के समीप मंदार महोत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति पर लगनेवाला यह बिहार का महत्त्वपूर्ण मेला है और यह वही क्षेत्र

है, जहाँ मधु-कैटभ राक्षस का संहार कर भगवान विष्णु मधुसूदन कहलाए। पुराणों के अनुसार यह लड़ाई लगभग 10 हजार साल तक चली थी। दूसरी तरफ महाभारत में वर्णित है कि समुद्र मंथन में देव और दानवों की पराजय के प्रतीक के रूप में ही हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। विदित है कि समुद्र मंथन के दरम्यान मंदार को मथिनी बनाया गया था। मंदार पर्वत पर चढ़ने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ तराशकर बनाई गई हैं। मंदार पर्वत पर चढ़ने के साथ ही सीताकुंड मिलता है। पद्मश्री चितु टुडू का कहना है कि संथाली गीतों में भी मंदार की महिमा का वर्णन है। वहीं मंदार में जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य ने कैवल्य प्राप्त किया था। आज यहाँ विशाल पैमाने पर मकर संक्रांति के दिन से पाँच दिवसीय मंदार महोत्सव का आयोजन होता है।

चंपारण महोत्सव

चंपारण जिला प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यहाँ रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम होने का प्रमाण मिलता है, तो सम्राट अशोक का लाट (शिलालेख) आज भी अपनी समृद्धि का बयान करता है। यहाँ आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी देश-विदेश से आते हैं। भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते समय यहाँ केसरिया में ठहरे थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला राजनीतिक सत्याग्रह 1917 ई. में नील कृषकों की समस्या को लेकर चंपारण में प्रारंभ किया था। चंपारण के महत्त्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष तीन दिवसीय चंपारण महोत्सव का शुभारंभ होता है। यह महोत्सव केसरिया बच्चा सिंह कॉलेज के बगल में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इस अवसर पर चंपारण की संस्कृति, कला, परंपराओं तथा ऐतिहासिक गाथाओं का आयोजन किया जाता है।

वाणावर महोत्सव

पर्यटन के मानचित्र पर जहानाबाद जिले का गौरवशाली अतीत रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित वाणावर, जिसे इतिहास में बराबर के नाम से भी जाना जाता है, में प्रत्येक वर्ष दो दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वाणावर पहाड़ी समूह में प्रमुख रूप से वाणावर एवं नागार्जुनी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। वैसे तो इस पहाड़ी समूह में मूर्ति शिल्प, भित्तिचित्र एवं ललित कला के आकर्षक नमूने मिलते हैं, पर इस पहाड़ी समूहों का सर्वप्रमुख आकर्षण यहाँ की गुफाएँ हैं। महोत्सव के माध्यम से ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर को प्रसिद्धि मिली है। प्रसिद्ध लोमस ऋषि गुफा में उत्कीर्ण एक अभिलेख में इस पहाड़ी को गोरखागिरि भी कहा गया है।

तपोवन महोत्सव

यह महोत्सव मकर संक्रांति (14 जनवरी) के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो तीन दिवसीय होता है, साथ ही तीन साल पर आयोजित होनेवाला मलमास मेला भी यहाँ आयोजित होता है, जो लगातार एक माह तक चलता है। कहा जाता है कि धर्म, कामना और मोक्ष, तीनों की संगम-स्थली तपोवन है। यह स्थल राजगीर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर टेठारू गाँव के पास है। मनोरम पहाड़ियों से आच्छादित तपोवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है।

तपोवन की महत्ता और प्राचीनता का बुकानन, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेनसांग ने विस्तार से वर्णन किया है। महाकवि भास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'स्वप्नवासवदत्तम्' में तपोवन का रोचक वर्णन किया है। तीर्थस्थल तपोभूमि तपोवन में बिंबिसार काल में कश्यप ऋषि का आश्रम था। तपोवन में बुद्ध के पुत्र राहुल ने भी तप साधना की थी। तपोवन के इसी महत्त्व को लेकर 14 जनवरी, 2015 को मकर

संक्रांति के अवसर पर तपोवन महोत्सव का श्रीगणेश हुआ है।

वैशाली महोत्सव

वैशाली महावीर और बुद्ध, दोनों महापुरुषों की समयुगीन संस्कृति की युगपत् अभिव्यंजना करनेवाली ऐतिहासिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। वैशाली में प्रथमतः गणतंत्र का अंकुरण भी हुआ था। हालाँकि वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतया जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर पर ही पूर्णतया केंद्रित है। महावीर ने अपने बहुमूल्य जीवन के 30 वर्ष वैशाली में ही व्यतीत किए थे।

मिथिला महोत्सव

मिथिला की समृद्ध संस्कृति एवं मधुबनी की पेंटिंग को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मिथिला महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना भी की गई है, जो महोत्सव का आकर्षण केंद्र होता है।

पर्व-त्योहार

बिहार की लोकसंस्कृति गीत, संगीत और नृत्य-नाट्यों का महत्त्व यहाँ के पर्व एवं त्योहारों के कारण भी है। बिहार में राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा कुछ स्थानीय पर्व भी हैं, जो यहाँ के जनमानस को उल्लसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ त्योहारों की बड़ी धूम रहती है और बच्चे, युवा तथा बूढ़े सभी इसमें भाग लेते हैं। बिहार में कुछ पर्व ऐसे हैं, जिनमें घर के सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में नौकरी या व्यवसाय कर रहे बिहारी इन त्योहारों पर घर अवश्य जाते हैं। हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि जहाँ अन्य प्रदेशों में त्योहार मात्र अवकाश और औपचारिकता ही रह गए हैं, वहीं बिहार में इनका वही महत्त्व है, जो पहले से था। लोकसंस्कृति और भारतीय संस्कृति का साझा दर्शन करानेवाले पर्व एवं त्योहार निम्न हैं—

होली

हिंदू पंचांग के पहले महीने के पहले दिन का पर्व बिहार में अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, नास्तिकता पर आस्तिकता की जीत और अहंकार पर भगवद्भक्ति का प्रहार इस पर्व की मूल धारणा है। वैसे तो यह राष्ट्रीय त्योहार है और सारे देश में सौहार्द से मनाया जाता है, लेकिन बिहार में इसकी धूमधाम दर्शनीय होती है। फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन गाँव के लोग एक स्थान पर लकड़ियाँ और पुआल आदि को इकट्ठा कर उसके ढेर में रात्रि को आग लगा देते हैं, जहाँ आनेवाले लोगों को अन्न की कच्ची बालियाँ भूनकर आपस में बाँटी जाती हैं। प्रातः भोर होते ही बच्चे पिचकारियाँ आदि लेकर घर से निकल पड़ते हैं और एक-दूसरे पर रंग छिड़कते फिरते हैं। धीरे-धीरे बड़े लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इस तरह फगुआ गीतों की लहर उठने लगती है। हुरियारों की टोलियाँ गली-गली में गीत गाती हैं।

दोपहर में स्नान होता है, जिसके बाद पकवान खाए जाते हैं। तीसरे पहर में अबीर-गुलाल लगाने का उत्साह होता है। बड़ों का आदर-सम्मान करते हुए उनके चरण छुए जाते हैं। बड़े-बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर पर पुराने भेद-भाव, द्वेष, ईर्ष्या और झगड़े सभी भुला दिए जाते हैं। सब आपस में गले मिलते हैं। शाम के समय लोकगीत, लोकनृत्य और कहीं-कहीं लोकनाट्य भी होते हैं। आपसी भाईचारे को बढ़ाने का अवसर प्रदान

करनेवाला यह त्योहार जीवन में रंग भर देता है।

शिवरात्रि

फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की मान्यता भगवान शिव और पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में है। स्त्री-पुरुष व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं।

रामनवमी

भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जानेवाला यह त्योहार बिहार में बहुत प्राचीन समय से मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को इस उत्सव की धूम रहती है। दोपहर तक स्त्री-पुरुष व्रत रखते हैं और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। मंदिरों में कीर्तन, भजन और रामायण पाठ आदि होते हैं। घरों और मंदिरों पर हनुमानजी की ध्वजा फहराई जाती है। कहीं-कहीं ध्वजा-गाड़ी के साथ जुलूस भी निकाले जाते हैं। देर रात तक वातावरण राममय रहता है।

मकर संक्रांति

बिहार में 'तिल संक्रांति' के नाम से भी जाना जानेवाला यह त्योहार 14 जनवरी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में यह त्योहार धान की नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग नदी, जलकुंड और तालाबों में स्नान करते हैं। चूड़ा, दही और तिलकुट इस दिन के मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं। उस दिन शाम या अगले ही दिन खिचड़ी बनाकर खाने का भी रिवाज है।

वसंत पंचमी

बिहार में इसे विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करनेवाला पर्व मानकर मनाया जाता है। छात्र वर्ग इस दिन बहुत उत्साहित रहता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती की स्थापना और पूजा की जाती है। पूरे दिन इस पर्व की धूमधाम रहती है। छात्र एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं और बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद पाते हैं। अगले दिन प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है।

दुर्गा पूजा

यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जो दस दिन तक मनाया जाता है। आश्विन माह की सुदी प्रतिपदा से नवमी तक माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। इन्हें 'नवरात्र' भी कहते हैं और बहुत से लोग इन नौ दिनों तक व्रत भी रखते हैं। प्रत्येक दिन घरों व मंदिरों में पूजा-अर्चना की जाती है। दशमी के दिन मूर्ति-विसर्जन होता है और दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इन दस दिनों में बिहार का वातावरण दर्शनीय और आस्थामय होता है।

मधुश्रावणी

यह बिहार में श्रावण पक्ष की बदी पंचमी से सुदी तृतीया तक यहाँ की नवविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाता है। यह मधुश्रावणी व्रत होता है, जो नवविवाहिताओं द्वारा विवाह के प्रथम वर्ष में पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। करवाचौथ से मिलता-जुलता यह त्योहार भी बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार का समापन होने पर खीर-पूड़ी का भोज होता है और घरों में चने का वितरण किया जाता है।

दीपावली

कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जानेवाला यह त्योहार प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम लंका-विजय के पश्चात् अयोध्या लौटे थे और इसी प्रसन्नता में लोगों ने यह उत्सव मनाना शुरू किया था। बिहार में यह त्योहार धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियाँ आरंभ हो जाती हैं। घरों, कार्यालयों आदि की साफ-सफाई करके पुताई की जाती है और नई-नई तसवीरों से सजाया जाता है। इस अवसर पर लक्ष्मी और गणेश की तसवीरों को सजाया जाता है। इस अवसर पर लक्ष्मी और गणेश की तसवीरें अधिक खरीदी जाती हैं। इन दिनों बाजारों में बड़ी चहल-पहल होती है। मिट्टी के दीये, मोमबत्ती और आतिशबाजी आदि की जमकर खरीदारी की जाती है। शाम होते ही मिट्टी के दीये व मोमबत्तियाँ जला दी जाती हैं। रात को घरों में गणेश व लक्ष्मी का पूजन होता है। उल्लास से भरे इस त्योहार की छटा देखते ही बनती है।

गोवर्धन पूजा

दीपावली के अगले दिन अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा होती है। मंदिरों में अन्नकूट से पूड़ी व सब्जी बनाई जाती है, फिर इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस पर्व को गोधन भी कहा जाता है और इस दिन पशुधन का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन सभी पशुओं को नहलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उनके चारे की नाद को साफ किया जाता है और पुरानी रस्सियों को बदला जाता है। गोधन अर्थात् बैलों का इस दिन विशेष महत्त्व रहता है।

भैयादूज

यह गोवर्धन पूजा के अगले दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जानेवाला भावनापूर्ण त्योहार है। इस दिन वे अपने भाइयों को बजड़ी (चने या मूँग के पाँच दाने) और मिठाई खिलाती हैं तथा फिर भाई उन्हें नेगस्वरूप कुछ-न-कुछ भेंट अवश्य ही देते हैं। इस अवसर पर बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए सफल एवं दीर्घायु जीवन व्यतीत करने की कामना की जाती है।

चित्रगुप्त पूजा

यह कायस्थ समाज का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे 'दवात पूजा' के नाम से भी जाना जाता है। भैयादूज के अगले दिन चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। लोगों में इस दिन अपनी कलम, दवात और लेखन सामग्री की पूजा करने की परंपरा है।

अक्षय नवमी

यह मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जानेवाला धार्मिक पर्व है, जो कार्तिक सुदी नवमी को मनाया जाता है। इस दिन गाँव की महिलाएँ आँवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाती हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य वहाँ एकत्र होकर आँवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। फिर सभी लोग मिल-जुलकर भोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आँवले के वृक्ष में भगवान का वास होता है।

इंद्र पूजा

भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से कृष्ण पक्ष पंचमी तक मनाया जानेवाला यह त्योहार बिहार के मुख्य पर्वों

में से एक है। इन नौ दिनों में भगवान इंद्र की मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है। फिर अंतिम दिन उसका विसर्जन नदी या तालाब में कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र वर्षा करते हैं और अच्छी फसल देकर अपने भक्तों को समृद्ध करते हैं।

कोजगरा

यह मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्योहार है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश का विधिवत् पूजन किया जाता है। नवविवाहित जोड़ों के लिए इस त्योहार का विशेष महत्त्व है। पति द्वारा अपने दांपत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस दिन पूरी श्रद्धा से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है।

चौथचंद्र

मिथिलांचल का यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। यह महिला-प्रधान त्योहार है। इस दिन महिलाएँ उपवास रखती हैं। घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने की परंपरा है। शाम के समय घर में पूजा-आरती की जाती है और धार्मिक गीत व भजन गाए जाते हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्य हाथों में फल, दही, मलाई आदि लेकर चंद्रदर्शन करते हैं। इस पर्व के मुख्य पकवानों में खजूर, जो मैदा से बना होता है; पिड़किया, जो सूजी और दही का अद्भुत स्वादिष्ट मिश्रण है तथा सामर्थ्य के अनुसार फल व मेवे खाने की परंपरा है।

वट सावित्री

यह मिथिला क्षेत्र का आंचलिक पर्व है, जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह करवा चौथ और मधुश्रावणी व्रत का ही एक रूप है, जिसमें महिलाएँ उपवास रखकर वटवृक्ष की पूजा-अर्चना करती हैं। ये महिलाएँ समूह में नृत्य और गायन भी करती हैं। इनके गीतों में वटवृक्ष देवता से उनके पतियों के लिए अपने समान ही दीर्घायु की कामना की जाती है। वट सावित्री के बारे में यह पौराणिक मान्यता है कि सती सावित्री को इसी वटवृक्ष के नीचे आकर यमराज से तीन वर प्राप्त हुए थे। महिलाएँ इस वटवृक्ष की पूजा करती हैं, उसे हाथ के पंखे से हवा करती हैं और गीत गाते हुए उसके चारों ओर परिक्रमा करती हैं।

तीज

यह महिला-प्रधान त्योहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह भी पति की दीर्घायु की कामना रखनेवाला त्योहार है, जिसमें महिलाएँ दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को प्रथम तारे के दर्शन करने के बाद पति के चरण स्पर्श करके उनकी लंबी आयु की ईश्वर से कामना करते हुए व्रत का उद्घाटन करती हैं।

बुद्ध जयंती

भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव पर मनाया जानेवाला यह पर्व भी बौद्धों में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म की दोनों ही शाखा के अनुयायी इस दिन उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। वैशाख माह की पूर्णिमा के अवसर पर इस पर्व में आस्था और श्रद्धा का अनूठा भाव देखने को मिलता है। सारे बिहार में बौद्ध लोगों द्वारा धर्म-संदेश और मानवीय आदर्शों के प्रसार के लिए सभाएँ आयोजित की जाती हैं।

महावीर जयंती

जैन धर्म में इस पर्व को भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैत माह की सुदी त्रयोदशी

को सभी जैन अनुयायी धूमधाम और हर्षोल्लास से यह पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान महावीर की शिक्षा और संदेशों का भव्य वर्णन किया जाता है।

प्रकाशोत्सव (गुरु गोविंद सिंह जयंती)

प्रकाशपर्व के रूप में मनाया जानेवाला यह त्योहार पौष माह की सुदी सप्तमी को सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जन्मतिथि के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसके आगे पंचप्यारे गुरु के गुणगान में सबद गाते हुए चलते हैं। प्रकाशोत्सव सिखों के दसवें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना में हुआ था। इन्हें लोग सर्वसदानी भी कहते हैं। इनका बचपन का नाम बालगोविंद राय था। इन्हें बचपन में बाला प्रीतम के नाम से भी पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम गुरु तेगबहादुर तथा माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के पिता की इच्छा थी कि उनके अपने बेटे का नाम अपने पिता गुरु हरगोविंद राय के नाम पर हो। गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे संत थे, जिन्हें एक साथ सैनिक और संत कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था। 29 मार्च, 1676 को गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने और 1708 ई. तक इस पद पर बने रहे। वे सिखों की सैनिक संगति और खालसा के सृजन के लिए जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह केवल महान् खालसा के निर्माता ही नहीं, बल्कि एक महान् आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। वे जीवन भर अन्याय, अत्याचार और सामाजिक मतभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे।

श्री हरिमंदिरजी पटना साहिब का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है, जिस समय गुरु गोविंद सिंह का जन्म वर्तमान के तख्त श्री हरिमंदिरजी साहिब पटना साहिब में हुआ था, उस समय उनके पिता एवं सिखों के नौवें गुरु तेगबहादुरजी गुरु मिशन के प्रचार हेतु धुबरी, असम की यात्रा पर गए थे। जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, वहाँ सलिसराय जोहरी का आवास था, जो सिख ग्रंथ के संस्थापक गुरु नानक देवजी महाराज के भक्त थे। इस स्थल पर गुरु नानक भी पूर्व में आ चुके थे। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ छह साल तक अपना बचपन गुजारा। इनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में संगत (श्रद्धालु) आया करती थी। इसी स्थल पर माता गुजरीजी का कुआँ आज भी मौजूद है।

पटना हरिमंदिर साहिब में आज भी गुरु गोविंद सिंह की वह छोटी कृपाण है, जिसे वे बचपन में भी धारण करते थे। इसके अलावा आनेवाले संगत की उस लोहे की छोटी चकरी को, जिसे गुरु बचपन में अपने केशों में धारण करते थे तथा छोटा बघनक खंजर, जो कमर-कसा में धारण करते थे, को देखना नहीं भूलते हैं। गुरु तेग बहादुरजी महाराज जिस संदल लकड़ी के खड़ाऊँ पहना करते थे, उसे भी यहाँ रखा गया है, जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा से जुड़ा है।

अपने पुत्र के जन्म की खबर पाकर पिता गुरु तेगबहादुर सिंह असम से चलकर पटना पहुँचे थे। विश्व में दूसरे तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहिब से चार किमी. पहले एक बाग में रुके थे। कहा जाता है कि दो भाई नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श के इस फलदार बाग के माली से एक भूखे साधु ने खाने के लिए फल माँगा तो माली ने मालिक से पूछने के बाद ही देने की बात कही। इससे आक्रोशित साधु ने बाग सूख जाने का श्राप दे दिया। तब से यह बाग सूखा था। सिखों के नौवें गुरु तेगबहादुर सिंह के कदम पड़ते ही बाग फिर से हरा-भरा हो गया। नवाब की पत्नी को कोढ़ था। यहाँ के कुएँ के पानी से स्नान करते ही ठीक हो गया। बेऔलाद पत्नी की गोद भर गई। नवाब भाइयों ने अपने बाग को गुरु का बाग कह उन्हें समर्पित कर दिया। गुरु बाग परिसर में आज भी अनेक निशानियाँ

मौजूद हैं। गुरु का बाग परिसर में तेगबहादुर ने नीम की जिस दातुन को गाड़ा था, वह विशाल वृक्ष बन गई। आज भी नीम के उस पेड़ की डाल मौजूद है। देश-विदेश से मुरादें लेकर आनेवाले श्रद्धालु इसकी छाल और धूल प्रसादस्वरूप ले जाते हैं। गुरुजी का कड़ा, जिस इमली के पेड़ के नीचे गुरु जी बैठे थे, उसकी डाल, वरदान दिया हुआ कुआँ, साधु का कमंडल, आसन आदि सुरक्षित हैं।

मुहर्रम

यह इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम भी है। इस महीने की 10वीं तारीख को हजरत हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। शिया संप्रदाय में शोकदर्शन का भव्य और धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। शिया संप्रदाय में गरीब लोगों को भोजन भी कराया जाता है।

बकरीद

यह भी इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे 'ईद-उल-अजहा' के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्लामी पंचांग के अंतिम माह में मनाया जानेवाला पर्व है। यह पैगंबर इब्राहीम के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पशुबलि देने की प्रथा है। मुसलमानों की पवित्र हजयात्रा का समापन भी इस समय होता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति को मजबूत करनेवाले त्योहारों में से एक है।

ईद

यह मुस्लिम समाज का सबसे प्रमुख त्योहार है। यह पूरे माह तक चलनेवाला पर्व है। इसमें धार्मिक श्रद्धा और शुचिता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस महीने में, जो कि रमजान का होता है, सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं। पाँचों वक्त नमाज का नियम है। जैसे ही रमजान का महीना समाप्त होता है, ईद का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे 'ईद-उल-फितर' भी कहते हैं। ईद के दिन बहुत चहल-पहल रहती है। जगह-जगह मेले आयोजित होते हैं। नए वस्त्रों से सज्जित बच्चे व बड़े-बूढ़े एक-दूसरे के गले मिलते हैं। इस पवित्र दिन सेवई खाने व खिलाने का विशेष महत्त्व होता है।

क्रिसमस

यह ईसाई धर्म का सबसे भव्य और महत्त्वपूर्ण पर्व है, जो कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस की स्मृति में मनाया जानेवाला यह त्योहार बिहार में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन चर्च में सभी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और परमेश्वर से संसार में सुख-शांति की कामना करते हैं। इस अवसर पर लोग सांता क्लॉज का वेश धारण कर बच्चों को उपहार बाँटते हैं।

नागपंचमी

यह मिथिला और अंग प्रदेश में मनाया जानेवाला प्रमुख त्योहार है, जिसमें नागों की पूजा की जाती है। श्रवण माह की सुदी पंचमी को मनाया जानेवाला यह त्योहार कहीं-कहीं 'विषहरा' के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नागदेवता को दूध पिलाया जाता है और महिलाएँ घर के आँगन से द्वार तक नागदेवता का प्रतीक चिह्न बनाती हैं।

छठपूजा

यह इस राज्य के उन प्रमुख त्योहारों में से है, जिसके अवसर पर सुदूर कार्यरत राज्यवासी भी घर लौट आते हैं। यह भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनूठा पर्व है। इस दिन से एक दिन पहले ही व्रत का आरंभ हो जाता है, जिसे

‘खरना’ कहते हैं। यह व्रत 36 घंटे का कठिन निर्जल व्रत होता है। इसमें अस्त होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर एक टोकरी में अर्घ्य की वस्तुएँ रखकर अर्घ्य दिया जाता है। इस टोकरी को लेकर लोग भिक्षा माँगने की परंपरा का भी निर्वाह करते हैं। सूर्योदय के समय भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस पर्व की भव्यता देखते ही बनती है। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अमीर-गरीब और ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं रह जाता।

कृष्णाष्टमी

भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्णजन्म स्मृति के रूप में यह त्योहार सारे देश के साथ बिहार में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण में आस्था रखनेवाले लोग दिन भर उपवास रखते हैं और रात को चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देकर पारण करते हैं। इस दिन मंदिरों में बड़ी चहल-पहल रहती है। रात को लोग ‘सामा-चकेवा’ नाट्य की प्रस्तुति भी करते हैं।

रक्षाबंधन

श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्योहार सारे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक का यह त्योहार बड़ी प्रेम-भावना से भरा होता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बाँधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। इस दिन अधिकांश बहनें अपने भाई के घर जाती हैं।

जीतिया

आश्विन मास की कृष्णपक्षीय अष्टमी को यह व्रत पुत्रवती माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। कहीं-कहीं यह व्रत ‘अंगूठन’ विधि से भी रखा जाता है। इसमें महिलाएँ रात्रि के अंतिम प्रहर में घर के भीतरी द्वार पर बैठकर अपने बच्चों के साथ चूड़ा-दही खाती हैं।

बिहार राज्य में इनके अतिरिक्त भी अनेक क्षेत्रीय त्योहार हैं। इनमें ‘सामा-चकेवा’ भाई-बहन के प्रेम पर आधारित है तो ‘जूड़-सीतल’ में लोग बासी खाना और खिचड़ी खाते हैं। फिर मिट्टी-पानी घोलकर एक-दूसरे पर फेंकते हैं। ‘महालया’ त्योहार पितृपक्ष में 15 दिन तक मनाया जानेवाला त्योहार है, जिसमें गया जिले में विशाल मेला लगता है। दूर-दूर से पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग यहाँ आते हैं। अनंत चतुर्दशी को लोग भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी कृपा पाने की आकांक्षा में अपनी बाँह पर एक डोरा बाँधते हैं, जिसे ‘अनंत डोरा’ कहा जाता है। इस तरह पता चलता है कि बिहार की लोकसंस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्त्व है।



10. साहित्य एवं साहित्यकार

(Literature and Writer)

भाषा एवं साहित्य
पत्रकारिता
प्रमुख साहित्यकार

भाषा एवं साहित्य

हिंदी बिहार में अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। यह भारोपीय भाषा-परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। बिहार में बोली जानेवाली हिंदी भाषा में क्षेत्रीय विविधताएँ पाई जाती हैं। उत्तरी-पूर्वी बिहार में मैथिली, उत्तरी-पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भोजपुरी तथा दक्षिणी बिहार में मगही की प्रधानता है। यहाँ पर बोली जानेवाली सभी भाषाएँ हिंदी एवं उर्दू का मिश्रित रूप हैं। बिहार में बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में डॉ. जॉर्ज गियर्सन को जाना जाता है। बिहार में बोली जानेवाली भाषाओं का परिचय संक्षेप में निम्न है—

हिंदी

हिंदी की प्रतिष्ठा अकबर के शासन के 25वें वर्ष तक राजभाषा के रूप में कायम थी। 26वें वर्ष में टोडरमल के कारण हिंदी का प्रचलन बंद कर दिया गया एवं राजकाज की भाषा फारसी हो गई। 4 सितंबर, 1937 को वायसराय की व्यवस्थापित सभा में एक विधेयक रखा गया, जिससे बंगाल एवं उड़ीसा की अदालतों में बँगला और उड़िया में काम शुरू हो गया। बिहार की भाषा हिंदुस्तानी (उर्दू) मानी गई, जिससे बिहार की अदालतों में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बजाय उर्दू भाषा और फारसी लिपि कायम रखी गई। जनता को अभिव्यक्ति के माध्यम रूप में 19वीं सदी के पाँचवें और छठे दशकों में अखबार सुलभ हुआ, लेकिन वे सभी अखबार उर्दू के थे। उन्नीसवीं सदी का सातवाँ दशक बिहार में नवजागरण का काल है। बिहार का पहला हिंदी पत्र 'बिहार-बंधु' स्थानांतरित होकर पटना चला आया। इससे बिहार के हिंदी-भाषी प्रबुद्ध लोगों को पहली बार अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम मिला।

बिहार में कचहरियों में नागरी लिपि को मान्यता दिलाने, विद्यालयों में हिंदी का समावेश कराने तथा हिंदी के स्वतंत्र प्रचार-प्रसार के लिए जन आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के नेताओं में गोविंदचरण, रामदीन सिंह, 'बिहार-बंधु' के संपादक केशवराम भट्ट, अयोध्या प्रसाद खत्री, रामकृष्ण पांडेय प्रमुख थे। आंदोलन काल में आरा के जिलाधिकारी के पेशकार जंगलीलाल की भूमिका अदालतों में हिंदी की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। 11 सितंबर, 1875 से जनता को बिहार की कचहरियों में उर्दू के साथ-साथ हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में आवेदन पत्र देने की सुविधा प्राप्त हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने परिपत्र में बिहार प्रदेश की अदालतों को देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में काम करने का आदेश दिया। नागरी के साथ कैथी लिपि का भी प्रचलन

कचहरियों में हुआ। कैथी वस्तुतः बिहार के पटना और भागलपुर प्रमंडलों के ग्रामीण क्षेत्रों की लिपि थी। कैथी लिपि के प्रचलन से ही नागरी का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि जनता की भाषा हिंदी थी।

खड्गविलास प्रेस बिहार की पहली प्रेस थी, जिसने कैथी में पुस्तक छापी। अदालत में हिंदी के प्रचलन में इस प्रेस का सर्वाधिक व्यावहारिक योगदान था। बिहार में सर्वप्रथम 1860 ई. में 'राष्ट्रभाषा आंदोलन' प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नारा था—स्कूलों में हिंदी का स्थान हो, कचहरियों में हिंदी का प्रवेश हो। इस आंदोलन के फलस्वरूप बिहार के स्कूलों में 1870 ई. में हिंदी का प्रवेश हुआ। उन दिनों संयुक्त प्रांत के शिक्षा विभाग में राजा शिव प्रसाद का प्रभाव था। उनके द्वारा लिखित हिंदी की पाठ्य-पुस्तकें हिंदी प्रदेशों के प्रायः सभी स्कूलों में प्रचलन में आईं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में 'विद्यांकुर', 'आलसियों को कोड़ा', 'भूगोल-हस्तामलक', 'वीरसिंह-वृत्तांत' प्रमुख थे। खड्गविलास प्रेस ने हिंदी में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने में भरपूर सहयोग किया। इस प्रेस के संस्थापक बाबू रामदीन सिंह ने 'हिंदी गणित-बत्तीसी' की रचना की। हिंदी में स्वतंत्र एवं मौलिक पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण में खड्गविलास प्रेस को भूदेव मुखोपाध्याय, जॉर्ज ग्रियर्सन, मुंशी राधालाल माथुर, मुंशी रामप्रकाश लाल, मथुरा नाथ सिन्हा का भरपूर सहयोग मिला। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए चंडीप्रसाद सिंह ने 'वर्ण-विनोद' की रचना की। रामदीन सिंह ने हिंदी साहित्य (प्रथम भाग) का संकलन किया।

रामदीन सिंह की साहित्य-साधना से प्रभावित होकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र का 1884 ई. के मार्च के प्रथम सप्ताह में पटना आने का उल्लेख मिलता है। भारतेन्दुजी की एक-दो पुस्तकों को छोड़कर शेष पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन उत्तर प्रदेश की अन्य प्रेसों से किया जा चुका था। बाद में खड्गविलास प्रेस से इनकी कृतियों का पूर्णमुद्रण कराया जाने लगा। इनमें से 'सत्य हरिश्चंद्र नाटक' बिहार के स्कूलों में बहुत दिनों तक पाठ्यक्रम में था। उनके कुल 129 ग्रंथों का प्रकाशन 'ग्रंथावली' के रूप में किया गया। 1904 ई. में बाबू शिवनंदन सहाय ने 'सचित्र हरिश्चंद्र' नामक 500 पृष्ठों की पुस्तक लिखी। इसी समय बाबू राधाकृष्ण दास की पुस्तक 'हरिश्चंद्र की जीवनी' प्रकाशित हुई।

खड्गविलास प्रेस में 1870 से 1872 ई. के आसपास बंकिमचंद्र की दुर्गेश नंदिनी (बँगला उपन्यास) का हिंदी रूपांतरण 'कवि वचन सुधा' में प्रकाशित हुई। बाद में इनके प्रमुख उपन्यासों—'राज सिंह', 'राधारानी', 'इंदिरा', 'युगलांगुरीय', 'कपालकुंडला', 'कृष्णकांत का दान-पत्र', चंद्रशेखर देवी चौधरानी एवं रजनी का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त सूर्यपुरा के राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह, दरभंगा के पं. भुवनेश्वरी मिश्र, मुजफ्फरपुर के अयोध्या प्रसाद खत्री तथा देव के राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर आदि उस समय की महान् साहित्य विभूति रहे।

खड्गविलास प्रेस बिहार की पहली प्रेस थी, जिसने कैथी में पुस्तक छापी। अदालत में हिंदी के प्रचलन में इस प्रेस का सर्वाधिक व्यावहारिक योगदान था। बिहार में सर्वप्रथम 1860 ई. में राष्ट्रभाषा आंदोलन प्रारंभ हुआ।

हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग का प्रारंभ 19वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। बिहार के प्रमुख साहित्यकार—पं. रामावतार शर्मा, पं. चंद्रशेखर शास्त्री, राम लोचन शरण, डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल आदि अपनी कृतियों से बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हुए। आरंभिक उपन्यास लेखकों में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय, अवध नारायण प्रमुख हुए। प्रमुख कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, आर.सी. प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, रामगोपाल रुद्र, पं. रामदयाल पांडेय, कलेक्टर सिंह केसरी शामिल थे। इस काल के नाटकों, उपन्यासों, निबंधों, पद्यों में प्रमुखतः राष्ट्रीय चेतना का समावेश रहा। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हिंदी साहित्य आधुनिक भारत के नवनिर्माण को लेकर मुखर रूप से अभिव्यक्त रहा। इस कार्य में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बट्टीनाथ

वर्मा, पं. छवि नाथ पांडेय, मथुरा प्रसाद दीक्षित का योगदान प्रमुख रहा। आधुनिक समय में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, डॉ. कुमार विमल, आलोक धन्वा, डॉ. वचनदेव कुमार, डॉ. कुमार विमल आदि साहित्यकार बिहार में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्र भाषा परिषद् एवं बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

उर्दू

बिहार में मध्यकाल में मुस्लिमों के प्रवेश के साथ यहाँ की भाषाओं पर उर्दू का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ 'नक्शे पायदार' अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया। डॉ. अजीमउद्दीन अहमद ने अंग्रेजी कविता शैली सॉनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 'गुल-ए-नगमा' इनकी कविताओं का संकलन है। बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा के मुख्य प्रचारक के रूप में सुहेल अजीमाबादी को जाना जाता है, जबकि उर्दू साहित्य में शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में काजी अब्दुल वदीद को श्रेय प्राप्त है।

भोजपुरी के विकास में पूर्व में धरती दास एवं दरिया दास ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थीं। वर्तमान समय में महेंद्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर बाबू रघुवीर नाथ जैसे साहित्यकारों के कारण भोजपुरी को नई पहचान मिली है।

बिहार में उर्दू के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है। गालिब, मोमिन और जॉक जैसे प्रसिद्ध उर्दू शायरों के द्वारा उर्दू के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। अली मुहम्मद शाह की गजलों का संग्रह 'मैखाना-ए-इल्हाम', अजिमोद्दीन अहमद की कविताओं का संग्रह 'गुले-नगमा' बहुत प्रसिद्ध हुई। जीमल मर्जाहरी की कविताओं में दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। प्रो. कलीमुद्दीन अहमद उर्दू साहित्य में आलोचकों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में आते हैं। काजी अब्दुल वदीद उर्दू में शोध के वैज्ञानिक आधार को श्रेय देनेवाले रहे हैं। विख्यात कवि कलीम आजिज को उर्दू शायरी को नए रूप में सजाने के लिए 'पद्मश्री' सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब्दुल शमद के उपन्यास 'दो गज जमीन' को 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कहानीकारों में रिजवान अहमद, शौकत हयात, सफी जावेद, कवियों में जहिर सिद्दीकी, सुल्तान अख्तर, गद्य लेखकों में लुत्फूर रहमान, बहाव अशफ़ी आदि साहित्यकारों का उर्दू साहित्य के विकास में महान योगदान रहा है। राज्य में 1984 ई. में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। बिहार सरकार ने भी उर्दू अकादमी का गठन कर उर्दू के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भोजपुरी

बिहार के प्राचीन जिले भोजपुर के आधार पर भोजपुरी शब्द का निर्माण हुआ। पूर्ववर्ती आरा जिले के बक्सर सब-डिवीजन (जो अब अलग जिला है) में भोजपुर नाम के एक बड़े परगने को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। इन्होंने इस राजधानी का नाम अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा और इसके आसपास बोली जानेवाली भाषा भोजपुरी कहलाई। यह एक आर्य परिवार की भाषा है।

इस भाषा का इतिहास सातवीं सदी से शुरू होता है। यह मुख्यतः पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी अपनी शब्दावली के लिए मुख्यतः संस्कृत एवं हिंदी पर निर्भर है। इसके कुछ शब्द उर्दू से भी लिये गए हैं। इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा पूर्व में विश्व की अलग-अलग जगहों में रोजगार हेतु जाने के कारण तथा वहाँ बस जाने के कारण, वहाँ पर भोजपुरी का अच्छा प्रसार हुआ है। वर्तमान में

सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी, मॉरीशस आदि देशों में भोजपुरी बोलचाल की प्रमुख भाषा है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं।

बिहार में आरा, छपरा और चंपारण में मुख्यतः भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी के विकास में पूर्व में धरती दास एवं दरिया दास ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थीं। वर्तमान समय में महेंद्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर, बाबू रघुवीर नाथ जैसे साहित्यकारों के कारण भोजपुरी को नई पहचान मिली है।

मैथिली

मैथिली नेपाल की उपराष्ट्रीय भाषा है। यह मुख्यतः भारत में उत्तरी बिहार एवं नेपाल की तराई के इलाकों में बोली जाती है। पहले इसे मिथिलाक्षर या कैथी लिपि में लिखा जाता था, जो बँगला एवं असमिया लिपियों से मिलती थी, परंतु वर्तमान में यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। यह एक आर्य परिवार की भाषा है।

मैथिली का प्रथम प्रमाण रामायण से मिलता है। पूर्व में मिथिला नरेश राजा जनक की राजभाषा मैथिली थी। 700 ई. के आसपास इसमें रचनाएँ की जाने लगीं। दसवीं शताब्दी के आसपास ज्योतिश्वर ठाकुर ने मैथिली में 'वर्णरत्नाकर' की रचना की। विद्यापति मैथिली के सर्वाधिक चर्चित कवि हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 7-8 करोड़ लोग मैथिली बोलते हैं। 22 दिसंबर, 2003 को भारत सरकार द्वारा मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत की साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा 1965 से ही हासिल है।

बिहार में मुख्य रूप से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर प्रमंडलों में मैथिली बोली जाती है। विद्यापति के बाद गोविंद दास, चंदा झा, मनबोध, पं. सीताराम झा, जीवनाथ झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं।

मगही

मगही शब्द का विकास मागधी से हुआ है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा मगही थी। मगही बिहार में मुख्यतः पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली की शैली का जनक सुरेश दूबे को कहा जाता है। आधुनिक समय में लोकभाषा एवं लोकसाहित्य से संबंधित अध्ययन के परिणामस्वरूप मगही के प्राचीन परंपरागत लोकगीतों, लोककथाओं, लोकनाट्यों, मुहावरों आदि का संग्रह बहुत तीव्रता से किया जा रहा है। मगही में सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह का नाम आता है। प्रसिद्ध महाकाव्यों में हरिनाथ मिश्र का 'ललित रामायण', 'ललित भागवत', रामप्रसाद सिंह का 'लोहा मरद', योगेश्वर प्रसाद सिंह 'योगेश' का 'गौतम', योगेश पाठक का 'जरासंध' शामिल हैं। मगही उपन्यासों में जयनाथपति का 'सुनिता', 'फूलबहादुर', 'गदहनीत', राजेंद्र प्रसाद चौधेय का 'विसेसरा', चक्रधर शर्मा का 'हाय रे उ दिन', 'साकल्य', बाबूलाल मधुकर का 'रमतिया', रामचंदन का 'आदमी आउ देवता' आदि प्रमुख हैं। छोटूनारायण शर्मा का 'मगही के दो फूल', केशव प्रसाद वर्मा का 'सोना के सीता' मगही के प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। गोपाल रावत पिपाशा के 'आधी रात के बाद', रघुवीर प्रसाद समदर्शी के 'भस्मासुर', बाबूराम सिंह के 'लमगोड़ा' गंधारी के 'सराप' आदि प्रसिद्ध मगही नाटक हैं।

अंगिका

बिहार में मुख्यतः भागलपुर एवं मुंगेर जिले में बोली जानेवाली लोकभाषा अंगिका है। यह मैथिली की ही एक

उपबोली है। इसे भागलपुरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन अंग प्रदेश में बोली जाने के कारण यह भाषा अंगिका कहलाई। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। डॉ. तेज नारायण कुशवाहा ने अंगिका बोली का इतिहास लिखकर इस भाषा को लोकप्रिय बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। यह एक आर्य परिवार की भाषा है।

बिहार में सबसे पहले शाह कबीरुद्दीन अहमद ने 1850 ई. में सहसाराम में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस का नाम 'मुताहकोबरा' था।

पत्रकारिता

भारत में मुद्रण कला का आगमन 18वीं सदी के अंतिम दशक में हो चुका था। अक्षर प्रेस की स्थापना के साथ अखबारनवीसी का द्वार खुल चुका था। 1850 ई. के पहले देश के प्रमुख नगरों में प्रेस की स्थापना हो चुकी थी, किंतु तब तक बिहार इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा था। बिहार में सबसे पहले शाह कबीरुद्दीन अहमद ने 1850 ई. में सहसाराम में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस का नाम 'मुताहकोबरा' था। उस प्रेस से उर्दू की किताबें प्रकाशित होती थीं। अखबार जगत् के लिए बिहार में प्रथम प्रयास विलियम टेलर के नाम जाता है, जिन्होंने शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 सितंबर, 1856 को उर्दू साप्ताहिक 'अखबार-ए-बिहार' प्रकाशित कराया। इस दिशा में दूसरा प्रयास विद्यालय उपनिरीक्षक मुंशी सूरजमल और पटना नॉर्मल स्कूल के अधीक्षक राय सोहनाल ने 1860 ई. में 'अखबारे-अखियार' नामक अखबार प्रकाशित कराया। इन्हीं के द्वारा 1869 ई. में 'चश्म-ए-इल्म' नामक अखबार का प्रकाशन कराया गया।

बिहार में हिंदी पत्रकारिता के उद्भावक पं. मदनमोहन भट्ट थे। उन्होंने सन् 1872 ई. में कलकत्ता से हिंदी साप्ताहिक 'बिहार बंधु' का प्रकाशन आरंभ किया। इसका मुद्रण कलकत्ता के श्रीपूरन प्रकाश प्रेस से होता था। इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 ई. से पटना से होने लगा।

बिहार में हिंदी पत्रकारिता के उद्भावक पं. मदनमोहन भट्ट थे। उन्होंने सन् 1872 ई. में कलकत्ता से हिंदी साप्ताहिक 'बिहार बंधु' का प्रकाशन आरंभ किया। इसका मुद्रण कलकत्ता के श्रीपूरन प्रकाश प्रेस से होता था। इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 ई. से पटना से होने लगा। पटना में प्रकाशन आरंभ होने पर पं. केशवराम भट्ट का 'हिंदी-व्याकरण', 'विद्या की नींव' एवं दो नाटक 'सज्जाद संबल' और 'शमशाद शौसन' प्रकाशित हुए। इसके बाद बिहार में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दूसरा महाप्रयास खड़गविलास प्रेस की स्थापना थी। यह प्रेस रामदीन सिंह, रामचरित्र सिंह एवं साहब प्रसाद सिंह के संयुक्त प्रयास से 1880 ई. में स्थापित हुई। भारतेन्दु की समस्त कृतियों का संकलन 'भारतेन्दु ग्रंथावली' का प्रकाशन 6 खंडों में इसी प्रेस से हुआ।

प्रथम अंग्रेजी समाचार-पत्र 'द बिहार हेराल्ड' का प्रकाशन 1875 ई. में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। 1881 ई. में इंडियन क्रॉनिकल का संपादन पटना में शुरू हुआ। इसके बाद पटना से 'बिहार टाइम्स' का संपादन डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल तथा श्रीकृष्ण सहाय के द्वारा 1894 ई. में शुरू किया गया। इसी समय महेश्वर प्रसाद द्वारा 'द बिहारी' का प्रकाशन शुरू किया गया। 1912 से 1927 ई. तक 'द बिहारी' दैनिक समाचार-पत्र के रूप में प्रकाशित होता रहा। 'द सर्व लाइट' का प्रकाशन 1918 ई. में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। 1985 ई. में इसे बंद कर इसकी जगह 'हिंदुस्तान टाइम्स' के पटना संस्करण की शुरुआत की गई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यूनस के द्वारा 1914 से 1944 ई. तक 'पटना टाइम्स' का प्रकाशन किया जाता रहा। 'द इंडियन नेशन' का प्रकाशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा शुरू किया गया।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के पटना संस्करण का प्रकाशन मई 1986 से शुरू हुआ। 'द इंडियन नेशन' के हिंदी

संस्करण 'आर्यावर्त' का प्रकाशन दरभंगा से 1941 ई. में शुरू हुआ, जबकि 'द सर्च लाइट' का हिंदी संस्करण 'प्रदीप' नाम से 1947 ई. में शुरू हुआ। 1986 ई. में 'प्रदीप' के स्थान पर 'हिंदुस्तान' का प्रकाशन पटना से शुरू हुआ है। 'नवभारत टाइम्स' के पटना संस्करण की शुरुआत 1986 ई. में हुई, लेकिन 1995 ई. में इसे बंद कर दिया गया।

समाचार-पत्र/पत्रिकाएँ

हिंदी दैनिक

समाचार-पत्र का नाम : बिहार बंधु

स्थापना वर्ष : 1874

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : सर्व हितैषी

स्थापना वर्ष : 1880

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : आर्यावर्त

स्थापना वर्ष : 1941

प्रकाशन स्थल : दरभंगा

समाचार-पत्र का नाम : प्रदीप

स्थापना वर्ष : 1947

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : नवीन भारत

स्थापना वर्ष : 1948

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : विश्वमित्र

स्थापना वर्ष : 1948

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : जनशक्ति

स्थापना वर्ष : 1960

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : आत्मकथा

स्थापना वर्ष : 1970

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : आज

स्थापना वर्ष : 1979

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : बेगूसराय टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1981

प्रकाशन स्थल : बेगूसराय

समाचार-पत्र का नाम : पाटलिपुत्र टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1985

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : नवभारत टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : हिंदुस्तान

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : अमृत वर्षा

स्थापना वर्ष : 1987

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : मौर्य बिहार (संध्या)

स्थापना वर्ष : 1988

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : संध्या प्रहरी

स्थापना वर्ष : 1992

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : दैनिक जागरण

स्थापना वर्ष : 2000

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : दैनिक भास्कर

स्थापना वर्ष : 2013

प्रकाशन स्थल : पटना

अंग्रेजी दैनिक

समाचार-पत्र का नाम : सर्चलाइट

स्थापना वर्ष : 1918

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : हिंदुस्तान टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : टाइम्स ऑफ इंडिया

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम : इंडियन नेशन

स्थापना वर्ष : —

प्रकाशन स्थल : पटना

हिंदी पत्रिकाएँ

पत्रिका का नाम : बालक (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1926

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : क्षत्रिय पत्रिका (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1881

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : लक्ष्मी (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1903

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : युवक (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1926

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : भूखे (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1933

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : आरती (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1940

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : पारिजात (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1946

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : ज्योत्स्ना (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1948

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : अवंतिका (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1952

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : पाटल (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1952

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : जनमत (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1981

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : शिक्षा डाइजेस्ट

स्थापना वर्ष : 1984

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिका का नाम : अवकाश पाक्षिक

स्थापना वर्ष : 1979

प्रकाशन स्थल : पटना

प्रमुख साहित्यकार

सदल मिश्र

हिंदी के पहले गद्यकार, जिनकी गद्यशैली आगे चलकर हिंदी में स्वीकृत हुई, बिहार के इस महान् साहित्यकार का जन्म अनुमानतः 1767-1768 ई. में आरा जिले में हुआ था। इनकी रचनाओं में 'नासिकेतोपाख्यान' या 'चंद्रावती', 'रामचरित्र', 'फूलन्ह के बिछाने', 'सोनम के थंभ', 'चहुँदिसि', 'बरते थे', 'बाजने लगा', 'काँदती है', 'गाँछों', आदि प्रमुख हैं। सदल मिश्र की प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्त्व रखती है। इनकी मृत्यु 1847 ई. में हो गई।

अनिल कुमार मुखर्जी

14 जनवरी, 1916 को बंगलादेश में जन्म लेनेवाले अनिल कुमार मुखर्जी ने बिहार में देशी रंगमंच को थिएटर मूवमेंट के रूप में खड़ा करने का असाधारण प्रयास किया।

14 जनवरी, 1916 को बंगलादेश में जन्म लेनेवाले अनिल कुमार मुखर्जी ने बिहार में देशी रंगमंच को थिएटर मूवमेंट के रूप में खड़ा करने का असाधारण प्रयास किया। 16 दिसंबर, 1961 को पहली बार (पालकी) के मंचन के बाद उनकी यात्रा अबाध गति से आगे बढ़ते चली गई। इसी वर्ष उन्होंने बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना की, जो बाद के वर्षों में यूनेस्को के जाग्रत नाट्य संस्थान के केंद्र के रूप में परिवर्तित हुआ। बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। उनका लिखा हुआ नाटक 'विप्लवी' बहुत लोकप्रिय हुआ। 1970 ई. में उन्होंने बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना की। उन्होंने 70 से अधिक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटकों में 'विप्लवी', 'पालकी', 'कठघरे में कैद एक और इतिहास', 'ट्रायल ऑफ शेख मुजीबुर्रहमान', 'कठपुतली', 'अकेला', 'कांचन रंग', 'चिंदियों को झालर', 'डेथ ऑफ सेल्समेन', 'गोरों के इंतजार में' आदि प्रमुख हैं। उनका निधन 28 जून, 1991 को पटना में हुआ।

अनूप लाल मंडल

लगभग दो दर्जन उपन्यासों के रचयिता अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 'अभियान का पथ', 'आवारों की दुनिया', 'उत्तर पांडुलिपि', 'उत्तर पुरुष', 'केंद्र और परिधि', 'ज्योतिर्मयी', 'ज्वाला', 'तूफान और तिनके', 'दर्द की तस्वीरें', 'दस बीघा जमीन', 'निर्वासिता', 'रक्त और रंग', 'बुझने न पाए', 'मीमांसा', 'रूपरेखा', 'वे अभागे', 'समाज की वेदी पर', 'सविता', 'साकी' आदि प्रमुख हैं। प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू करनेवाले इस महान् साहित्यकार का जन्म सितंबर, 1896 में पूर्णिया जिले के समेली में हुआ था। इनके द्वारा लिखा हुआ संस्मरण 'गरीबी के दिन' इनके अपने जीवन के संघर्ष को व्यक्त करता है। 'मीमांसा' नामक उपन्यास के आधार पर 'बहुरानी' फिल्म का निर्माण हुआ। उनकी दो कहानियाँ 'मन की गाँठ' और 'एक प्राण अनेक उच्छ्वास' प्रसिद्ध हैं। उनका निधन 22 सितंबर, 1982 को पत्रिक गाँव समेली में हुआ।

अरुण कमल

'साहित्य अकादमी पुरस्कार', 'भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार', 'सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार', 'श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार', 'शमशेर सम्मान' एवं 'नागार्जुन पुरस्कार' से सम्मानित बिहार के इस महान् रचनाकार का जन्म रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी, 1954 को हुआ। इनके कविता संग्रह में 'अपनी केवल धार', 'सबूत', 'नए इलाके में', 'पुतली में संसार', 'मैं वो शंख महाशंख' आदि प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं में 'कविता और समय', 'गोलमौज' (आलोचना), 'कथोपकथन' (साक्षात्कार) बहुत प्रसिद्ध हुआ।

आरसी प्रसाद सिंह

बिहार की महानतम साहित्यिक विभूतियों में एक प्रकृति, जोश और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से ओत-प्रोत प्रखर कवि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड स्थित ऐरोत गाँव में 1911 ई. में हुआ था। इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी एक कविता 'आम का पेड़', 'बालक' नामक पत्रिका में छपी थी, जिससे इनको काफी प्रेरणा मिली। इनकी एक कविता 'जीवन का झरना' हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुई। 1938 में इनका एक काव्य संग्रह 'कलापी' प्रकाशित हुआ, जिसमें 1930 से 1938 ई. के बीच लिखी हुई इनकी सारी कविताएँ शामिल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में इस काव्य संग्रह का उल्लेख किया है। 1942 ई. में इनका काव्य संग्रह 'आरसी', दो कहानी संग्रह 'पंचपल्लव' एवं 'खोटा सिक्का' प्रकाशित

हुए। 1948 से 1951 ई. तक इन्होंने कोशी कॉलेज खगड़िया में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम किया। मैथिली साहित्य के लिए इन्हें 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इनके साहित्य में उत्तर-छायावाद के साथ-साथ प्रयोगवाद की झलक मिलती है। 1996 ई. में ये अपनी अमूल्य रचनाओं को इस संसार में एक प्रेरणास्रोत के रूप में छोड़कर दुनिया से चल बसे।

काशी प्रसाद जायसवाल

1924 ई. में अपनी एक रचना 'हिंदू पॉलिटी' से भारतीय इतिहास में क्रांति पैदा करनेवाले श्री काशी प्रसाद जायसवालजी का जन्म मूलतः झालदा (प. बंगाल) में 27 नवंबर, 1881 को हुआ, लेकिन इनकी कर्मभूमि पटना थी। 1930 ई. में इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक 'हिस्टरी ऑफ इंडिया' प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने पुराण, साहित्य, अभिलेख और सिक्कों के आधार पर कुषाणों के अंत एवं गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच नाग और वाकाटक साम्राज्य होने की पुष्टि की। बाद के दिनों में 1916 ई. में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद इन्होंने वकालत के पेशे को अपना लिया। ये पुरालिपि एवं प्राचीन मुद्रा के अच्छे ज्ञाता थे। 1915 ई. में स्थापित बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापकों में इनका एक नाम है। पटना संग्रहालय के वर्तमान स्वरूप की रूपरेखा इन्होंने ही तैयार की थी। 1917 ई. में इन्होंने पटना से 'पाटलिपुत्र' का संपादन किया। 1934 एवं 1936 ई. में ये भारतीय मुद्रा समिति के दो बार सभापति चुने गए। वे पहले भारतीय थे, जिन्हें मौर्य सिक्कों के विषय पर लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था।

कुमार विमल

हिंदी साहित्य में कवि, आलोचक, साहित्य-चिंतक के रूप में प्रसिद्ध डॉ. कुमार विमल का जन्म 12 अक्टूबर, 1931 को भागलपुर जिले के कालूचक में हुआ। इनका ज्यादातर समय डी.जे. कॉलेज, मुंगेर, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा एवं पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन के कार्य में व्यतीत हुआ। वे ग्यारह वर्षों तक बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़े रहे। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया। 1949 ई. में उनकी कविता संग्रह 'अंगार' प्रकाशित हुई। उनके कविता संग्रहों में 'ये संपुट सीपी के' (1972), 'ए अनंत अनुभव अमृत' (1975), 'सर्जना के स्वर' (1986), 'युग मानव बापू' (1987), 'एक राष्ट्र है—एक देश है' (1988), 'कविताएँ कुमार विमल की' (1994) और 'सागर माथा' (2002) महत्वपूर्ण हैं। इनके आलोचना ग्रंथों में 'अर्धनारीश्वर दिनकर', 'महादेवी वर्मा : एक मूल्यांकन', 'साहित्य विवेक', 'काव्यानुशीलन : आधुनिक-अत्याधुनिक', 'छायावाद का सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन', 'मूल्य और मीमांसा', 'आधुनिक हिंदी काव्य', 'चिंतन, मनन और विवेचन', 'आलोचना अनुशीलन', 'महादेवी का काव्य सौष्ठव', 'तीन शिखर कृतियाँ' प्रमुख हैं। इनका निधन 26 नवंबर, 2011 को हुआ।

केदारनाथ मिश्र प्रभात

बिहार हिंदी जगत् के राष्ट्रीय स्तर के यशस्वी महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभातजी का जन्म 11 सितंबर, 1907 को आरा में हुआ था। 1933 ई. में ये हजारीबाग स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में व्याख्याता नियुक्त हुए। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में 'तप्तगृह', 'कैकेई', 'कर्ण', 'प्रवीर', 'सर्गात', 'प्रभास कृष्ण', 'ऋतंबरा' आदि शामिल हैं। ऋतंबरा मूलतः मानवता की महिमा का महाकाव्य है। इसके अलावा इन्होंने 'सत्यं शिवं सुंदरम्' एवं 'पहिए की धुरी' नामक दो गद्य संग्रहों के माध्यम से अपने आपको एक कुशल निबंधकार के रूप में स्थापित किया। उत्तर

प्रदेश सरकार ने इन्हें दो काव्य संग्रह 'बैठो मेरे पास' और 'सेतुबंध' के लिए पुरस्कृत किया, जबकि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् में इन्हें 'बिहारी ग्रंथ लेखाकार पुरस्कार' एवं 'वयोवृद्ध साहित्यकार सम्मान' से नवाजा गया। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका 'महावीर' का संपादन भी किया। इनका निधन 2 अप्रैल, 1984 को पटना में हुआ।

गोपाल सिंह नेपाली

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने राष्ट्रीय गीतों से सामान्य जनमानस को 'स्वतंत्रता आंदोलन' में बढ़-चढ़कर भाग लेने को प्रेरित करनेवाले महान् कवि गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त, 1911 को बेतिया में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी। 'रागिनी', 'पक्षी', 'उमंग', 'नीलिमा', 'पंचमी' एवं 'नवीन' इनकी प्रारंभ की कुछ अप्रतिम रचनाएँ हैं। चीनी आक्रमण के समय इनके द्वारा लिखी गई 'हिमालय ने पुकारा' एक लोकप्रिय रचना है। अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन (1931) कलकत्ता में इनकी मुलाकात शिवपूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे महानुभावों से हुई। 17 अप्रैल, 1963 को भागलपुर में इनकी वाणी सदा के लिए मौन हो गई।

चतुर्भुज

उन्नीस ऐतिहासिक एवं सात पौराणिक नाटकों के रचयिता डॉ. चतुर्भुज का जन्म 15 जनवरी, 1928 को बिहारशरीफ में हुआ। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला नाटक 'मेघनाथ' लिखा। इसी वर्ष इनका एक और नाटक 'सिराजुद्दौला' प्रकाशित हुआ। इनके अन्य नाटकों में 'पाटलिपुत्र का राजकुमार', 'कलिंग विजय', 'भगवान बुद्ध', 'मीर कासिम', 'सिकंदर पोरस', 'मुद्राराक्षस', 'शिवाजी', 'बहादुरशाह', 'कंसबध', 'झाँसी की रानी', 'भीष्म प्रतिज्ञा', 'नूरजहाँ', 'कर्ण', 'वीर अभिमन्यु', 'अरावली का शेर', 'श्रीकृष्ण', 'कुँवर सिंह', 'पीरअली', 'रावण', 'मोर्चे पर', 'बाबू विरंची लाल', 'नदी का पानी' एवं 'टीपू सुलतान' शामिल हैं। 'समुद्र का पक्षी' तथा 'राजदर्शन' इनके दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'मीर कासिम' नाटक के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया। 'भगवान बुद्ध' एवं 'कलिंग विजय' नाटकों के लिए बौद्ध देशों से इन्हें प्रशस्ति पत्र मिले। इसके अलावा तीन समाजिक नाटक, एक हास्य व्यंग्य नाटक, दो एकाकी संग्रह, दो कहानी संग्रह, दो जीवनीयों और एक लेख संग्रह एक साथ 'चतुर्भुज रत्नावली' के नाम से प्रकाशित हुए। इनका निधन 2009 ई. में पटना में हो गया।

जानकी बल्लभ शास्त्री

सत्य, शील एवं सौंदर्य के महान् कवि आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म 25 जनवरी, 1916 को गया जिले के मैगरा ग्राम में हुआ। उनकी पहली कविता रूप-अरूप 1939 ई. में प्रकाशित हुई। हिंदी कविता में निराला की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति की चेतना एवं सौंदर्य की खूबसूरत व्याख्या की। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'कानन', 'अपर्णा', 'लीला कमल', 'बसंती' (सभी कहानी संग्रह), 'एक किरण सौ झड़ियाँ', 'दो तिनकों का घोंसला', 'अश्वघोष', 'कालिदास', 'चाणक्य' (सभी उपन्यास), 'स्मृति के वातायन', 'हंस बलाका', 'कर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र', 'नील मोहित', 'रोजनामचा', 'निराला के पत्र', 'एक असाहित्यिक की डायरी' (सभी संस्मरण), 'चलंतिका' (लघु कथा संग्रह), 'सुने कौन नगमा' (गजल संग्रह), 'अजंता की ओर' (यात्रा-वृत्तांत), 'हिंदी साहित्य को निराला की देन', 'मन की बात', 'मानस-चिंतन', 'साहित्य दर्शन', 'प्राच्य साहित्य', 'त्रयी' (सभी निबंध संग्रह), 'काफली' (संस्कृत काव्य संग्रह) शामिल हैं। 7 अप्रैल, 2011 को इनका

निधन हो गया।

देवकी नंदन खत्री

बिहार के महान् साहित्यकार देवकी नंदन खत्री का जन्म 18 जून, 1861 को मुजफ्फरपुर जिले के पूसा में हुआ था। 'चंद्रकांता', 'नरेंद्र मोहिनी', 'कुसुम कुमारी', 'चंद्रकांता संतति', 'भूतनाथ', 'वीरेंद्र वीर', 'गुप्त गोदान', 'काजल की कोठरी' आदि उनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। इनके द्वारा रचित 'चंद्रकांता संतति' एक अनुपम, रोचक उपन्यास है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। बाद के दिनों में इन्होंने बनारस में लहरी प्रेस की स्थापना की। इनका निधन 1913 ई. में हुआ।

देवेंद्र नाथ शर्मा

पटना एवं दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति पद की वर्षों तक शोभा बढ़ानेवाले हिंदी साहित्य के इस विद्वान् का जन्म 7 जुलाई, 1981 को गोपालगंज जिले के कृतपुरा गाँव में हुआ। बिहार स्वतंत्र अकादमी, बिहार हिंदी गंरथ अकादमी, बिहार, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तर प्रदेश की हिंदी समिति, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् और भारतीय हिंदी परिषद् जैसी संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने हिंदी की सेवा की। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 'राष्ट्रभाषा हिंदी : समस्याएँ और समाधान' (संदर्भ ग्रंथ), 'साहित्य की निबंधावली', 'ब्रजभाषा की विभूतियाँ', 'छायावाद और प्रगतिवाद', 'हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास', 'भक्तिकाल', 'अमर भारती', 'उपन्यास का शिल्प', 'रिचर्ड्स के आलोचना सिद्धांत' आदि शामिल हैं। इनका निधन 17 जनवरी, 1991 को पटना में हुआ।

नलिन विलोचन शर्मा

महान् कहानीकार, संपादक, आलोचक एवं कवि श्री नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी, 1916 को पटना सिटी भद्र घाट मुहल्ले में हुआ। 1942 ई. में जैन कॉलेज आरा में संस्कृत विभाग में संस्कृत के व्याख्याता बने। सितंबर, 1946 में इनकी नियुक्ति पटना कॉलेज के हिंदी विभाग में व्याख्याता के रूप में हुई। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में 'विष के दाँत', 'ये बीमार लोग', 'पहली घंटी', 'बरसाने की राधा', 'एक चाबुक पीछे' आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा 'पीढ़ियाँ', 'दुकान की रौनक', 'बिस्किट और पापड़', 'लाल कोठी', 'मुखबिर', 'पड़ोस की कोयल' आदि इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ हैं। अपनी कृति से ये बिहार के ही नहीं, बल्कि समस्त देश के गौरव पुरुष बन गए।

नागार्जुन

स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि कवि एवं आधुनिक कविता को जनवादी स्वर देनेवाले इस महान् साहित्यकार का जन्म 1911 ई. में दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम में हुआ। ये स्वभाव से प्रगतिशील, घुमक्कड़, फक्कड़ थे। परंपरा से विद्रोह, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था से विद्रोह इनकी कविताओं को बहुआयामी बनाता है। इन्होंने हिंदी के अलावा मैथिली में भी रचनाएँ कीं। ये मैथिली में 'यात्री' के नाम से लिखते थे। इनकी मैथिली कविताओं का संग्रह 'पत्रहीन नाम गाछ' को 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में इनकी प्रमुख कृतियों में 'युगधारा', 'सतरंगे पंखोंवाली', 'प्यासी पथराई आँखें', 'तालाब की मछलियाँ', 'चंदना', 'खिचड़ी', 'विप्लव देखा हमने', 'तुमने कहा था', 'पुरानी जूतियों का कोरस', 'हजार-हजार बाहोंवाली', 'पका है यह कटहल', 'अपने खेत में', 'मैं मिलिटरी का बूढ़ा घोड़ा' (कविता संग्रह), 'भस्मासुर और भूमिजा' (खंडकाव्य), 'रतिनाथ की चाची', 'बाबा बटेसर नाथ', 'दुःखमोचन', 'बलचनमा', 'वरुण के बेटे', 'नई पौध' (उपन्यास)

शामिल हैं। 'पारो' (मैथिली उपन्यास) भी इनकी एक अनुपम कृति है।

परेश सिन्हा

जे.पी. आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले बिहार के इस महान् कवि का जन्म 13 जनवरी, 1937 को फतुहौ अंचल के सिंगरियावाँ गाँव में हुआ। 1947 ई. में इनकी पहली कविता 'सुखाड़' प्रकाशित हुई। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में 'जबड़ों की छाँव में', 'उत्तर दो यक्ष', (कविता संग्रह), 'तीन तेरह लोग और नागफनी के फूल' (कहानी संग्रह), 'गांधी नहीं मरेगा', 'पुरुष छाया', 'मुर्दे', 'चेहरा-दर-चेहरा' एवं 'कटे हुए लोग' (नाटक) प्रमुख हैं। 'अँधेरे के विरुद्ध' एवं 'एक मुहिम यह भी' नामक दो टेली फिल्मों का भी निर्माण इन्होंने किया।

पोद्दार रामावतार अरुण

'पद्मश्री' अलंकरण से सम्मानित इस महापुरुष का जन्म 24 नवंबर, 1923 को समस्तीपुर के पेठिया गाछी मुहल्ले में हुआ। इनकी पहली कृति 'अरुणिमा' (महाकाव्य) 1941 ई. में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियों में 'शकुंतला की विदाई', 'विद्यापति सुर श्याम', 'विश्व मानव', 'कीशो', 'कालिदास', 'विदेह आम्रपाली', 'गोहया', 'अशोक पुत्र', 'वाणांवरी', 'कालदर्पण', 'कार्ल मार्क्स', 'कालचक्र', 'भगवान बुद्ध की आत्मकथा', 'गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा', 'नालंदा की आत्मकथा', 'बोलती रेखाएँ', 'अरुणायन', 'एक आत्मकथा' आदि शामिल हैं। इन्हें 'मीरा सम्मान', 'कालिदास सम्मान', 'फादर बुल्के सम्मान', 'महाकवि व्यास', 'साहित्य भूषण सम्मान', 'विद्यासागर सम्मान' से नवाजा गया।

फणीश्वर नाथ रेणु

बिहार के इस महान् आंचलिक उपन्यासकार का जन्म 4 मार्च, 1921 को अररिया जिले के औराही हिंगना गाँव में हुआ था। कथाशिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, जो कीचड़ और जंगल से सनी हुई है। साहित्य की दुनिया में बिहार जिन चंद लोगों के माध्यम से जाना जाता है, उनमें से एक प्रमुख नाम है—फणीश्वर नाथ रेणु। वह जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी सहयोगी रहे और आपातकाल में जेल की सजा काटी। भारत सरकार से इनके साहित्यिक योगदानों के लिए इन्हें 'पद्मश्री' की उपाधि मिली, लेकिन इन्होंने अत्याचारों के विरोध में उसे लौटा दिया। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में 'बटबाबा', 'पहलवान की ढोलक', 'गोत्रांता' प्रमुख हैं। उनकी प्रारंभिक दस कहानियाँ कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक 'विश्वमित्र' में छपीं। 1954 ई. में इनकी प्रसिद्ध रचना 'मैला आँचल' प्रकाशित हुई। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में 'परती-परिकथा' / 'रसप्रिय', 'तीसरी कसम' (कहानी), 'दीर्घतपा', 'कलंकमुक्ति', 'जुलूस', 'पलटू बाबू रोड' (उपन्यास), 'ठुमरी', 'अगिनखेर', 'आदिम रात्रि की महक', 'एक श्रावणी', 'दोपहर की धूप', 'अच्छे आदमी' (कहानी संग्रह), 'ऋण जल-धन जल', 'वन तुलसी गंध', 'श्रुत-अश्रुत पूर्व' (संस्मरण) 'नेपाली क्रांति कथा' (रिपोर्टाज) आदि प्रमुख हैं। 1966 में इनकी कहानी 'तीसरी कसम' पर गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाई। इनका निधन 11 अप्रैल, 1977 ई. को पी.एम.सी.एच. में इलाज के दौरान हुआ।

फादर कामिल बुल्के

बेल्जियम देश का अंग्रेज नागरिक, जिन्हें हिंदी भाषा में उनके योगदान के लिए 'पद्मभूषण' से अलंकृत किया गया हो और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि बिहार को ही बनाया था, ऐसे महान् साहित्यकार फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर, 1909 को बेल्जियम में हुआ। 1945 ई. में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए.

तथा 1947 ई. में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। 1950 ई. में उन्होंने राँची स्थित संत जेवियर कॉलेज में हिंदी विभाग में व्याख्याता के रूप में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। उनकी पहली रचना 'अंग्रेजी-हिंदी कोश' 1968 ई. में आई। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में 'रामकथा : उत्पत्ति और विकास', 'नील पक्षी' (फ्रेंच से अनुवाद), 'बाइबिल' (न्यूटेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद), 'मानस कौमुदी', 'प्रेरित चरित्र', 'पाठ-संग्रह' आदि शामिल हैं। 17 अगस्त, 1982 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज के दौरान निधन हो गया।

भिखारी ठाकुर

सामाजिक चेतना के लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ई. में सारण जिले के कुतुबपुर गाँव में हुआ था। बिना औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए इन्होंने बेमिसाल साहित्य की रचना की। उनके नाटक 'बेटी बियोग', 'राधे-श्याम बहार', 'विदेशिया', 'भाई-विरोध', 'गंगा-स्नान', 'विधवा-विलाप', 'बेटी-बेचवा', 'ननद-भौजाई', 'कलियुग प्रेम', 'गबर-घिचोर', 'पुत्र-वधू' समाज को नैतिकता का पाठ बयाँ करता है। उनके काव्य में शृंगार, करुणा, भक्ति और हास्य का मनोरम मिश्रण है। इन्हें 'भोजपुरी का शेक्सपियर' भी कहा जाता है।

मधुकर सिंह

2 जनवरी, 1934 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जन्मे मधुकर सिंह की कर्मभूमि भोजपुर रही। जीवन यापन के लिए आरा स्थित हरि प्रसाद जैन स्कूल में ढाई-तीन दशकों तक अध्यापक का कार्य किया। उनकी प्रमुख कृतियों में 'बाजत अनहद ढोल', 'माई', 'सीता-राम नमस्कार', 'उत्तरगाथा', 'अर्जुन जिंदा है', 'जंगली सूअर', 'सोनभद्र की राधा', 'प्रेमचंद्र', 'मैक्सिम गोर्की', 'लोककवि भिखारी ठाकुर' आदि प्रमुख हैं। उनका कहानी संग्रह 'भाई का जख्म', 'अग्नू कापर', 'पहला पाठ', 'पूरा सन्नाटा', 'माइकल जैक्सन की टोपी' आदि हैं। इन्हें बिहार सरकार द्वारा 'सर्वोच्च कथाकार सम्मान', 'फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान' एवं 'नई धारा रचना सम्मान' दिया गया।

मोहन लाल महतो 'वियोगी'

बिहार के इस कालजयी रचनाकार का जन्म 1 नवंबर, 1899 को गया में हुआ। इनकी अमरकृतियों में 'आर्यावर्त', 'निर्माण', 'एक तारा', 'निर्मल्य और कल्पना' (सभी महाकाव्य) प्रमुख हैं। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत महाकाव्य 'आर्यावर्त' मिताक्षरा छंद में लिखा गया। इनका पहला उपन्यास 'भाई-बहन', 1932 ई. में प्रकाशित हुआ। ये कार्टूनिस्ट भी थे। इनके प्रसिद्ध कार्टून 'माधुरी', 'मनोरमा', 'सरस्वती', 'सुधा' में प्रकाशित होते रहते थे। 1952 से 1962 ई. तक ये बिहार विधान परिषद् के मनोनीत सदस्य रहे। इनका निधन 7 फरवरी, 1990 को हुआ।

रघुवीर नारायण

प्रसिद्ध भोजपुरी काव्य 'बटोहिया' के रचयिता रघुवीर नारायण का जन्म सारण जिले के दहियावाँ में 30 अक्टूबर, 1884 को हुआ था। 1905 ई. में इन्होंने एक अंग्रेजी काव्य 'ए टेल ऑफ बिहार' की रचना की। 'बटोहिया' के अलावा उन्हें एक अन्य गीत 'भारत भवानी' से भी प्रसिद्धि मिली। इनकी अन्य काव्य कृतियों में 'रघुवीर पत्र पुष्प', 'रघुवीर रस रंग', 'निकुंज कला' और 'रघुवीर रस गंगा' शामिल हैं। जनवरी 1955 ई. में छपरा में इनका निधन हो गया।

राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह

सुविख्यात कथाकार राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म भोजपुर जिले में 10 सितंबर, 1890 को हुआ। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में 'राम-रहीम', 'पूरब और पश्चिम', 'चुंबन और चाँटा', 'सूरदास', 'संस्कार', 'पुरुष और नारी', 'अपनी-अपनी नजर', 'माया मिली न राम', 'मॉडर्न और सुंदर कौन' (उपन्यास) शामिल हैं। इनकी कहानियों में 'दरिद्र नारायण', 'देव और दानव', 'हवेली और झोंपड़ी', 'टूटा तारा', 'कुसुमांजलि' प्रसिद्ध हैं। 1950 ई. में पटना से इन्होंने 'नई धारा' पत्रिका का प्रकाशन शुरू कराया। 24 मार्च, 1971 ई. को इनका निधन हो गया।

रामजी मिश्र मनोहर

इस महान् साहित्यकार का जन्म 1927 ई. में पटना में हुआ। इन्होंने 1945 ई. में पटना से प्रकाशित 'आर्यावर्त' के संवाददाता के रूप में पत्रकार जीवन की शुरुआत की। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'दास्तान-ए-पाटलिपुत्र', 'बिहार में हिंदी पत्रकारिता का विकास', 'गुरु गोविंद सिंह एवं उनके पावन अस्त्र' तथा 'गुरु नानक' शामिल हैं। 29 अक्टूबर, 1998 को पटना के राजेंद्र नगर में इनका निधन हो गया।

रामधारी सिंह दिनकर

छायावादी कविताओं के दौर में एक मुक्त काव्य-लोक का निर्माण करनेवाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 11 सितंबर, 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। उनकी कविताओं में कविता को समाज में जन-जन तक पहुँचाने की क्षमता कूट-कूटकर भरी हुई थी। इनकी पहली पुस्तक 'प्रमाण-पत्र' इनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही प्रकाशित हो गई थी। वे मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। इनकी अमर कृतियों में 'रश्मिर्थी', 'उर्वशी', 'कुरुक्षेत्र', 'संस्कृति के चार अध्याय', 'रेणुका', 'इंदुगीत', 'हुंकार', 'सामधेनी', 'नीलकुसुम', 'सीपी और शंख', 'परशुराम की प्रतीक्षा' एवं 'हारे को हरिनाम' प्रमुख हैं। दिनकरजी की कविताओं में राष्ट्रप्रेम एवं शृंगार दोनों का अनुपम संयोग था। एक तरफ उनकी रचना 'कुरुक्षेत्र' है तो दूसरी तरफ 'उर्वशी'। वे यदि की जगह अगर, ज्ञात के स्थान पर मालूम शब्द का उपयोग करना पसंद करते थे। वे तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इनका निधन 2 अप्रैल, 1972 को हो गया।

रामवृक्ष बेनीपुरी

'कलम के सिपाही' रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ई. में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गाँव में हुआ था। ये 1930 से 1945 ई. के बीच स्वतंत्रता संग्राम में 12 बार जेल गए। इन्होंने प्रसिद्ध नाटक 'अंबपाली' का लेखन हजारीबाग सेंट्रल जेल में किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 'गेहूँ और गुलाब', 'माटी की मूरतें', 'पतितों के देश में', 'लालतारा', 'चिंता के फूल', 'कैदी की पत्नी', 'आंबपाली', 'सीता की माँ', 'संघमित्रा', 'अमर ज्योति', 'तथागत', 'सिंघल-विजय', 'शकुंतला', 'रामराज्य', 'नेत्रदान', 'गाँव के देवता', 'नया समाज', 'विजेता' आदि प्रमुख हैं। एक संपादक के रूप में उन्होंने 'तरुण भारत', 'युवक', 'किसान मित्र', 'बालक', 'लोक संग्रह', 'कर्मवीर', 'योगी', 'जनता', 'हिमालय', 'नई धारा', 'चुन्नू-मुन्नू' आदि साप्ताहिक, मासिक तथा अंशकालिक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। 1957 ई. में वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए।

रामशोभित प्रसाद सिंह

एक अच्छे उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार एवं कवि होने के साथ-साथ रामशोभित प्रसाद सिंह वस्तुतः एक पुस्तकालय विज्ञानी के रूप में विख्यात थे। इनका जन्म 10 जनवरी, 1936 को सारण जिले के अखिलपुर गाँव

में हुआ था। 1960 ई. में ये सिन्हा लाइब्रेरी से जुड़े। 1974 ई. से 1979 ई. तक इन्होंने मासिक पत्रिका 'पुस्तकालय' का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'उपन्यास समालोचना संदर्भ', 'नाटक समालोचना संदर्भ', 'काव्य समालोचना संदर्भ', 'हिंदी उपन्यास : प्रेमचंदोत्तर काल', 'राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, रघुवीर नारायण', 'बटोहिया के अमर गायक' 'पुस्तकालय संगठन एवं प्रशासन', 'पुस्तकालय विज्ञान की रूपरेखा' आदि प्रमुख हैं।

रामेश्वर सिंह कश्यप उर्फ 'लोहा सिंह'

इनका जन्म रोहतास जिले के सेमरा गाँव में 16 अगस्त, 1927 को हुआ था। हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में इन्होंने रचनाएँ लिखीं। भोजपुरी भाषा में लिखित 'लोहा सिंह' नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति है। इनका एक और हास्य नाटक 'तसलवा तोड़ का मोड़' भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों नाटकों का प्रसारण आकाशवाणी पटना द्वारा लंबे समय तक किया गया। इन्होंने 'कब होई ये गबनमा हमार' एवं 'सइयाँ से भइले मिलनवा' भोजपुरी फिल्मों के लिए पटकथा और गीत भी लिखे। 1991 ई. में इन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। हिंदी में 'अपराजेय निराला', 'नीलकंठ निराला' (काव्य), 'स्वर्णरेखा' (उपन्यास) इनकी प्रमुख रचना हैं। इनका निधन 20 अक्टूबर, 1992 को हो गया।

लक्ष्मी नारायण सुधांशु

इनका जन्म 15 दिसंबर, 1906 को पूर्णिया जिले के धमदाहा गाँव में हुआ। इनका पहला उपन्यास 'मातृप्रेम' प्रकाशित हुआ। 1962 ई. में वह बिहार विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इनका निधन 17 अप्रैल, 1974 को हुआ।

शिवपूजन सहाय

साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन करनेवाले महान् साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त, 1893 को हुआ। इन्होंने एक दर्जन से अधिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। ये कुछ दिनों तक छपरा के राजेंद्र कॉलेज में विभागाध्यक्ष थे, बाद में ये सुप्रसिद्ध साहित्यदेवी संस्था के निदेशक बनाए गए, जहाँ से इनकी समस्त रचनाएँ 'शिवपूजन ग्रंथावली' के नाम से चार खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'देहाती दुनिया', 'मतवाला माधुरी', 'गंगा', 'जागरण', 'हिमालय', 'साहित्य', 'वही दिन वही लोग', 'मेरा जीवन', 'स्मृति शेष', 'हिंदी भाषा और साहित्य' आदि शामिल हैं। 21 जनवरी, 1963 को इनका निधन हो गया।

विद्यापति

भारतीय साहित्य भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक एवं मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में विद्यापति जन-जन के विख्यात हैं। इनका जन्म संभवतः 1350 ई. में दरभंगा जिले के विसफी गाँव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'मैथिली भाषा की पदावली', 'पुरुष परीक्षा', 'भू परिक्रमा', 'कीर्तिलता', 'कीर्तिपताका', 'गोरक्ष विजय', 'मनीमंजरा' नाटिका प्रमुख हैं। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में इनकी प्रमुख रचनाओं में 'गंगावाक्यावली', 'दानवाक्यावली', 'वर्ष कृत्य', 'दुर्गा भक्ति तरंगिणी', 'शैवसर्वस्वसार', 'गयापत्तालक' एवं 'विभागसार पुराण' संग्रह प्रमुख हैं। ये सभी रचनाएँ संस्कृत भाषा में रचित हैं।

उदयराज सिंह

इनका जन्म 5 नवंबर, 1921 को सूर्यपुरा, रोहतास में हुआ। इन्होंने 'विकास' और 'सौरभ' नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'नवतारा', 'अधूरी नारी', 'रोहिनी', 'भूदानी सोनिया', 'कुहासा और आकृतियाँ' आदि प्रमुख हैं। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष उदयरज सिंह स्मृति पुरस्कार से साहित्यकार को सम्मानित किया गया।

राजकमल चौधरी

13 दिसंबर, 1929 को अपने ननिहाल रामपुर हवेली में जन्म लेनेवाले इस महान् साहित्यकार का पैत्रिक ग्राम महेषी, सहरसा है। इनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी में 'अग्नि स्नान', 'शहर था शहर नहीं था', 'नदी बहती थी', 'ताश के पत्तों का शहर', 'मछली मरी हुई' (उपन्यास), 'बीस रानियों के बाइस्कोप', 'एक अनार एक बीमार' (लघु उपन्यास), 'मुक्ति प्रसन्न', 'कंकावती', 'इस अकाल बेला में' (कविता संग्रह), 'मछली जाल', 'सामुद्रिक एवं अन्य कहानियाँ' (कहानी संग्रह) आदि शामिल हैं। मैथिली में इन्होंने 'आदि कथा', 'पाथरफूल', 'आंदोलन' (उपन्यास), 'स्वर्गंधा', 'कविता राजकमलक' (कविता संग्रह), 'एकटा चंपाकली', 'विषधर', 'कृति राजकमलक' (कहानी संग्रह) का लेखन किया।

मैनेजर पांडेय

सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडेय का जन्म 23 सितंबर, 1941 को गोपालगंज जिले के लोहटी गाँव में हुआ था। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में 'शब्द और कर्म', 'साहित्य और इतिहास-दृष्टि', 'साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका', 'भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य', 'अनभै साँचा', 'आलोचना की सामाजिकता', 'संकट के बावजूद', 'देश की बात' आदि प्रमुख हैं। इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा दिल्ली का 'साहित्यकार सम्मान', 'राष्ट्रीय दिनकर सम्मान', 'रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान सम्मान' आदि से सम्मानित किया जा चुका है।

रॉबिन शॉ

इनका पूरा नाम रॉबिन शॉ पुष्प है। 20 दिसंबर, 1936 को इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। ये एक कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं पटकथा लेखक के रूप में प्रख्यात हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'अन्याय को क्षमा', 'दुल्हन बाजार' (उपन्यास), 'अनिकुंड', 'घर कहाँ भाग गया' (कहानी संग्रह), 'सोने की कलमवाला हीरामन' (संस्मरण) शामिल हैं। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर, 2014 को बिहार की राजधानी पटना में हुई।

रवींद्र प्रभात

बिहार के इस महान् साहित्यकार का जन्म 5 अप्रैल, 1969 को बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में 'हमसफर', 'मत रौना रमजानी चाचा', 'स्मृति शेष', 'ताकि बचा रहे लोकतंत्र', 'प्रेम न हाट बिकाय', 'हिंदी ब्लॉगिंग अभिव्यक्ति की नई क्रांति', 'हिंदी ब्लॉगिंग का इतिहास' आदि शामिल हैं। इन्हें 'संवाद सम्मान 2009', 'सुजनश्री सम्मान 2011', 'हिंदी साहित्यश्री सम्मान 2011', 'बाबा नागार्जुन जन्मशती कथा सम्मान 2012', 'प्रबलेस चिट्ठाकारिता शिखर सम्मान' आदि से नवाजा जा चुका है।

सरस्वती प्रसाद

'नदी पुकारे सागर', 'एक थी तरु' जैसी प्रमुख रचनाओं की सृजनकर्ता सरस्वती प्रसाद का जन्म बिहार के आरा जिला में 28 अगस्त, 1932 को हुआ। ये स्वर्गीय महाकवि सुमित्रानंदन पंत की मानस-पुत्री थीं। 'कादंबिनी',

‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’, ‘नैन्सी’, ‘मूढ़ीवाला’, ‘प्रश्नों के आईने में’ भी इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएँ हैं। 19 सितंबर, 2013 को बिहार की यह महान् साहित्यकार हमारे बीच नहीं रहीं।

रश्मि प्रभा

स्वर्गीय महाकवि सुमित्रानंदन पंत की मानस-पुत्री श्रीमती सरस्वती प्रसाद की सुपुत्री रश्मि प्रभा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में 13 फरवरी, 1958 को हुआ। ‘शब्दों का रिश्ता’, ‘अनुत्तरित’, ‘अनमोल संचयन’, ‘अनुगूँज’ आदि इनके द्वारा लिखी गई बहुमूल्य रचनाएँ हैं। इसके अलावा ‘एथेंस का सत्यार्थी’, ‘राधा-मीरा और प्रेम’, ‘कवि पंत के साथ कुछ दूर’ आदि इनके द्वारा लिखित प्रमुख लेख हैं।

गंगा नाथ झा

हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली भाषा में दार्शनिक विषयों पर उत्तम रचनाएँ लिखनेवाले इस प्रख्यात लेखक का जन्म 1872 ई. बिहार में हुआ। पूर्वमीमांसा के प्रभाकर मत पर शोध-प्रबंध लिखकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद ये बनारस संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। 1923 ई. में इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाया गया। संस्कृत में ‘विज्ञान भिक्षु का योगसार संग्रह’, ‘बेला महात्म्य’, ‘भक्ति कल्लोलिनी’, ‘भावबोधिनी’, ‘प्रभाकर प्रदीप’, ‘हिंदी में न्यायप्रकाश’, ‘वैशेषिक दर्पण’, ‘कवि रहस्य’, ‘मैथिली में वेदांत दीपिका’, ‘अंग्रेजी में पूर्वमीमांसा ऑफ जैमिनी’, ‘फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन’, ‘शंकराचार्य ऐंड हिज वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री’ आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। 17 नवंबर, 1941 को इनका देहांत हो गया।

हरिमोहन झा

इनका जन्म वैशाली जिले के बाजितपुर गाँव में 1908 ई. में हुआ। धार्मिक ढकोसलों के खिलाफ इन्होंने अपनी लेखनी से कड़ा प्रहार किया है। उनकी रचनाओं में ‘कन्यादान’, ‘द्विरागमन’, ‘प्रणम्य देवता’, ‘रंगशाला’, ‘बाबाक संस्कार’, ‘चर्चरी एकादशी’, ‘खट्टर का काक तरंग’ और ‘जीवन-यात्रा’ प्रमुख हैं। इनकी रचनाएँ हिंदी एवं मैथिली दोनों भाषाओं में प्रमुखता से आईं। 1984 ई. में इनकी मृत्यु हो गई।

जगदीशचंद्र माथुर

बिहार में हिंदी रंगमंच को बहुआयामी आकार देनेवाले इस सांस्कृतिक व्यक्तित्व का जन्म 16 जुलाई, 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। इनके पूर्णकालिक नाटकों में ‘कोणार्क’, ‘शारदीया’, ‘पहला राजा’, ‘दशरथ नंदन और रघुकुल रीत’, ‘भोर का तारा’, ‘ओ मेरे सपने एवं मेरे शिष्ट’ जैसी रचनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में कार्य करते हुए विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों को नई गति दी।

साहित्य एवं साहित्यकार

क्रं. : 1

साहित्यकार : बाणभट्ट

प्रसिद्ध रचनाएँ : कादंबरी, हर्षचरितम्

क्रं. : 2

साहित्यकार : विष्णु शर्मा

प्रसिद्ध रचनाएँ : पंचतंत्र

क्रं. : 3

साहित्यकार : कौटिल्य

प्रसिद्ध रचनाएँ : अर्थशास्त्र

क्रं. : 4

साहित्यकार : अश्वघोष

प्रसिद्ध रचनाएँ : महायान श्रद्धोत्पाद संग्रह, बुद्धचरित, वज्र सूची

क्रं. : 5

साहित्यकार : आर्यभट्ट

प्रसिद्ध रचनाएँ : आर्यभट्टीयम्

क्रं. : 6

साहित्यकार : वात्स्यायन

प्रसिद्ध रचनाएँ : कामसूत्रम्

क्रं. : 7

साहित्यकार : मंडन मिश्र

प्रसिद्ध रचनाएँ : भाव विवेक, विधि विवेक

क्रं. : 8

साहित्यकार : विद्यापति

प्रसिद्ध रचनाएँ : पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, गौ-रक्षा विजय, भू-परिक्रमा

क्रं. : 9

साहित्यकार : मुल्ला दारुद

प्रसिद्ध रचनाएँ : चंदायन

क्रं. : 10

साहित्यकार : ज्योतिश्वर ठाकुर

प्रसिद्ध रचनाएँ : वर्णरत्नाकार, दर्शनरत्नाकर

क्रं. : 11

साहित्यकार : फणीश्वर नाथ रेणु

प्रसिद्ध रचनाएँ : मैला आँचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतपा

क्रं. : 12

साहित्यकार : रामधारी सिंह दिनकर

प्रसिद्ध रचनाएँ : प्राणभंग, उर्वशी, रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप-छाँव, कुरुक्षेत्र

क्रं. : 13

साहित्यकार : बाबा नागार्जुन

प्रसिद्ध रचनाएँ : बाबा बटेश्वरनाथ, हजार-हजार बाँहोंवाली, पारो, कुंभीपाक, तुमने कहा था

क्रं. : 14

साहित्यकार : देवकीनंदन खत्री

प्रसिद्ध रचनाएँ : चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नौलखा हार

क्रं. : 15

साहित्यकार : राहुल सांकृत्यायन

प्रसिद्ध रचनाएँ : बुद्धचर्या, विनयपिटक, धम्मपद, दर्शन-दिग्दर्शन

क्रं. : 16

साहित्यकार : शाह अजीमाबादी

प्रसिद्ध रचनाएँ : नक्शेपायदार

क्रं. : 17

साहित्यकार : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

प्रसिद्ध रचनाएँ : इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में

क्रं. : 18

साहित्यकार : केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

प्रसिद्ध रचनाएँ : ज्वाला, कैकयी, ऋतु वंश

क्रं. : 19

साहित्यकार : शिवसागर मिश्र

प्रसिद्ध रचनाएँ : दूब जनम छाई

क्रं. : 20

साहित्यकार : रामवृक्ष बेनीपुरी

प्रसिद्ध रचनाएँ : आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, संघमित्रा

क्रं. : 21

साहित्यकार : वाचस्पति मिश्र

प्रसिद्ध रचनाएँ : भाष्य भामति, ब्रह्मसिद्धि के टीकाकार



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

11. बिहार की विभूति

(Personalities of Bihar)

बिहार ने इतिहास काल से ही समय-समय पर संपूर्ण विश्व को प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। यह भूमि प्राचीन काल से ही विभूतियों से धनी रही है। प्राचीन काल के आर्यभट्ट से लेकर आधुनिक काल के आनंद तक; यहाँ के मनीषियों ने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान एवं अनुभव से प्रकाशित किया है। यहाँ की प्रसिद्ध विभूति निम्न हैं—

अनुग्रह नारायण सिंह

बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभानेवाले अनुग्रह नारायण सिंह ने 1917 ई. में गांधीजी चंपारण यात्रा के दौरान वहाँ के किसानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ गांधीजी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1922 ई. में गया में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य बनाए गए। 1928 ई. में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1935 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए। 1946 एवं 1952 ई. में इन्होंने श्रीकृष्ण सिंह की सरकार में वित्त, श्रम, कृषि आदि विभागों का दायित्व संभाला।

अब्दुल कयूम अंसारी

बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता को बनाए रखकर अंग्रेजों को माकूल जवाब देनेवाले अब्दुल कयूम अंसारी ने आजादी के बाद लगभग 17 वर्षों तक बिहार में लोक निर्माण मंत्री, जल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं पथ निर्माण मंत्री के रूप में बिहार की लोक-सेवा की। 1946 ई. में वे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साहित्य में गहरी रुचि रखनेवाली इस महान् विभूति ने 1934 ई. में 'मसखत', 1948 ई. में सुहेल अजीमाबादी के साथ मिलकर 'साथी' एवं 1952 ई. में मासिक 'तहजीब' का प्रकाशन किया। 1 जुलाई, 2005 को उनकी जन्मशती पर केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया।

अली इमाम

बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अली इमाम ने निभाई थी। 1910 ई. में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् के विधि सदस्य के रूप में इनका मनोनयन किया गया। इसी वर्ष इन्हें 'सर' की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1917 ई. में ये पटना हाईकोर्ट के जज मनोनीत किए गए।

आनंद कुमार

बिहार में गरीब एवं प्रतिभाशाली बच्चों को आई.आई.टी. में प्रवेश दिलाने के लिए इन्होंने सुपर 30 नाम से एक संस्थान बनाया। यहाँ पर समाज के अति निम्न वर्ग के बच्चों को भी हर वर्ष आई.आई.टी. परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। 2004 ई. में 30, 2005 ई. में 26, 2006 ई. में 28, 2007 में तो 30 में से 30 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। इनकी ख्याति अब देश के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर आदि देशों तक जा पहुँची।

आर.पी. शर्मा

पटना विश्वविद्यालय के टी.पी.एस. कॉलेज में दर्शनशास्त्र के व्याख्याता के रूप में कार्य प्रारंभ करनेवाले आर.पी. शर्मा ने बिहार के शिक्षा जगत् के लिए कई नवीनतम संस्थानों की नींव रखी। इन्होंने पटना में नया टोला में आर.पी.एस. कॉलेज, कदमकुआँ में आर.पी.एस. महिला महाविद्यालय, बेली रोड में आर.पी.एस. रेजिडेंशियल स्कूल, रघुनाथ बालिका उच्च विद्यालय एवं रंका देवी बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने 'कालजयी हनुमान', 'अंतर्गता', 'जीवन का उत्कर्ष', 'अध्ययन और चिंतन', 'शिक्षा, समस्या और समाधान' आदि पुस्तकों की रचना भी की।

कर्पूरी ठाकुर

बिहार की राजनीति के चाणक्य एवं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। 1952 में वे पहली बार विधायक बने। 1967 ई. में इन्हें मंत्रिमंडल में उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त एवं शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। 22 दिसंबर, 1970 को ये पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए। छह महीने बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 24 जून, 1977 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। 21 अप्रैल, 1978 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र दे दिया। इनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को समेटे हुए बीता।

किशोर कुणाल

किशोर कुणाल 1972 ई. में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित हुए। 30 अक्टूबर, 1983 को इन्होंने महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया। मंदिर के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। आज के समय में महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैसर संस्थान, महावीर नेत्रालय एवं महावीर वात्सल्य संस्थान का सफल संचालन किया जा रहा है। इस ट्रस्ट के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े और विशाल मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण जिले में किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में सूबे के अनेक मंदिरों एवं मठों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार किया।

कीर्ति आजाद

क्रिकेट के क्षेत्र में बिहार के सफल खिलाड़ी के रूप में कीर्ति आजाद को जाना जाता है। 1983 ई. के विश्वकप के दौरान भारतीय टीम का सदस्य रहते हुए इन्होंने सेमीफाइनल में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लैंड पर भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के पुत्र कीर्ति आजाद आज राजनीति में सक्रिय हैं।

के.बी. सहाय

बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में योगदान देनेवाले श्रीकृष्ण बल्लभ सहाय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी विषय में बिहार-उड़ीसा में प्रथम स्थान पाने के कारण उनका चयन आई.सी.एस. के लिए आसानी से हो गया, परंतु गांधीजी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए आई.सी.एस. का पद टुकरा दिया। 1963 से 1967 ई. तक वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हें बिहार में भूमि-सुधार का जनक माना जाता है। 1947 ई. में विधानसभा में ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए विधेयक लाए। इन्हीं के प्रयास से बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया।

खुदा बख्श खाँ

बिहार में ऑरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने का श्रेय खुदा बख्श खाँ को जाता है। इनके महान् प्रयासों को देखते हुए आज यह लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। यह लाइब्रेरी पटना नगर का गौरव है और इस शहर की पहचान है। अभी भी इस पुस्तकालय में बहुत प्राचीन समय की पांडुलिपि सुरक्षित रखी गई हैं।

चित्रगुप्त

हिंदी फिल्म जगत् में संगीत निर्देशक के रूप में मशहूर चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने लगभग तीन दर्जन फिल्मों में संगीत निर्देशन किया। इनके फिल्मी जीवन की शुरुआत 1957 ई. की हिट फिल्म 'भाभी' से हुई। इसके बाद 'बड़ा आदमी', 'अप्लम-चप्लम', 'जबक', 'गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो', 'मैं चुप रहूँगी' और 'मैं शादी करने चला' आदि फिल्मों में इनका संगीत बहुत मशहूर हुआ।

जगजीवन राम

बिहार में दलितों को सम्मान दिलाने हेतु आजीवन प्रयासरत रहनेवाले एवं स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की तरफ से सक्रिय भागीदारी निभानेवाले बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को शाहाबाद जिला के चंदवा गाँव में हुआ। 1929 ई. में इन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास संस्थान की स्थापना की। 1937 ई. में इन्होंने खेतिहर मजदूर सभा की स्थापना की। 2 सितंबर, 1946 को केंद्रीय अंतरिम मंत्रिमंडल में इन्होंने श्रम मंत्री के रूप में शपथ ली। 1977 ई. में आपातकाल की घोषणा के समय इन्होंने कांग्रेस से अपने को दूर कर लिया। नई सरकार में इन्हें उपप्रधानमंत्री का पद दिया गया। जीवन के अंतिम समय में ये एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए।

जगलाल चौधरी

जगलाल चौधरी आजादी की लड़ाई में अग्रणी योद्धा थे। डॉ. होते हुए इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने आपको पूरी तरह से आत्मसात् कर लिया। 1932 ई. में ये 'नमक सत्याग्रह' में शामिल हुए। 1937 ई. में ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। मंत्री पद संभालते ही मद्य निषेध लागू करने का प्रयास किया। 1938 ई. में शराबबंदी विधेयक पारित कराया। 1946 ई. में कांग्रेस मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 1951 ई. में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के निर्णय से मतभेद होने के कारण इन्होंने मंत्री पद त्याग दिया।

जयप्रकाश नारायण

बिहार समेत समस्त उत्तर भारत में राजनीति को नई दिशा देनेवाले बिहार की इस महान् विभूति का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा गाँव में 11 अक्टूबर, 1902 को हुआ। किशोरावस्था से ही पहले मार्क्सवादी विचारधारा और फिर समाजवाद की तरफ उन्मुख हो गए। 1930 ई. में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इन्हें मजदूर-किसान विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1932 ई. में कांग्रेस कार्यकारी महामंत्री बने। आजादी के बाद विनोबा भावे के साथ मिलकर 'भूदान आंदोलन' से जुड़े और अपना जीवन सर्वोदय के लिए लगा दिया। 1965 ई. में इन्हें 'मैगसेसे' पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1974 ई. में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। 1975 ई. में आपातकाल की घोषणा के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक 'जय प्रकाश' रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित हुई। 1999 ई. में इन्हें 'भारतरत्न' से नवाजा गया। इन्हें 'जेपी' एवं 'लोकनायक' के नाम से भी जाना जाता है। 8 अक्टूबर, 1979 को देश ने इस महान् क्रांतिकारी को सदा के लिए

खो दिया।

दशरथ माँझी

22 वर्षों के लंबे प्रयास से 360 फीट ऊँचाईवाली पहाड़ी को काटकर 30 फीट चौड़ी, 350 फीट लंबी सड़क का निर्माण करनेवाली बिहार की इस महान् विभूति ने अपने बुलंद हौसलों से घर, परिवार, जिले, राज्य और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। उनके इस कदम से गाँववालों की शहर से दूरी 50 किमी. से घटकर सिर्फ 8 किमी. रह गई। उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म 'माँझी द माउंटेनमैन', 2015 ई. में निर्देशक केतन मेहता द्वारा बनाई गई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ माँझी का चरित्र निभाया।

दुखन राम

दुखन राम पेशे से महान् नेत्र चिकित्सक थे। 1944 ई. में इन्हें चिकित्सा महाविद्यालय में नेत्र विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया। 1945 ई. में इन्हें 'राय साहब' की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1953 से 56 ई. के बीच पटना चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य पद को सुशोधित किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद एवं पंचम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के वे अवैतनिक नेत्र चिकित्सक रहे। 1962 ई. में उन्हें 'पद्म विभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1988 ई. में इन्हें 'बिहार रत्न' की उपाधि से विभूषित किया गया।

पवन कुमार

14 सितंबर, 1978 को जन्मे पवन कुमार आज देश के लोकप्रिय कार्टूनिस्ट हैं। पिछले 22 वर्षों के कैरियर में उनके 15 हजार से ज्यादा कार्टून पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 'नवभारत टाइम्स' से नियमित कार्टून प्रकाशन कराने से उन्हें बहुत कामयाबी हासिल हुई। उन्हें मिलनवाले सम्मानों में 'शंकर दयाल सिंह सम्मान', 'कलाकृति सम्मान', 'कलाश्री सम्मान', 'रोटरी अवार्ड', 'सुलभ इंटरनेशनल अवार्ड' एवं 'बेस्ट कार्टूनिस्ट ऑफ बिहार अवार्ड' शामिल हैं।

प्रकाश झा

भारतीय फिल्म जगत में जाने-माने निर्देशक के रूप में प्रकाश झा विख्यात हैं। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में 'गंगाजल', 'अपहरण', 'राजनीति', 'आरक्षण', 'हिप-हिप हुर्रे', 'दामुल', 'कथा माधोपुर की', 'परिणति', 'सोनल' आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा इन्होंने दूरदर्शन के महत्वपूर्ण धारावाहिक 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' एवं 'विद्रोह' का भी निर्देशन किया।

बटुकेश्वर दत्त

साइमन कमीशन का विरोध करनेवाले महान् स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत के जिम्मेदार पुलिस सहायक अधीक्षक जे.पी. सांडर्स की हत्या के लिए सेंट्रल एसेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को नियुक्त किया गया। 8 अप्रैल, 1929 को इन दोनों ने सेंट्रल एसेंबली में बम फेंका। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लंबे समय तक वे सक्रिय रहे। इन्हें कई बार जेल की सजा सुनाई गई। इसमें सेंट्रल एसेंबली बम कांड में आजीवन कालापानी की सजा भी शामिल है।

बाबू कुँवर सिंह

बाबू वीर कुँवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल, 1777 को भोजपुर जिले के जगदीशपुर गाँव में हुआ था। 49 वर्ष की

अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर की जमींदारी सँभाली। उन्होंने 1845 ई. से अंग्रेज सरकार के विरोध की योजना बनानी शुरू कर दी थी। इसमें उनके सहयोगी उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रथभंजन सिंह, निशांत सिंह, हरिकिशन सिंह एवं जयकृष्ण सिंह प्रमुख रूप से थे। 1857 ई. में बंगाल में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडेय ने गोली चलाकर सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप उसे फाँसी दे दी गई। इस कारण से सैनिकों में विद्रोह हो गया। बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों के साथ वीर कुँवर सिंह का पहले संपर्क बना हुआ था। वहाँ के सैनिकों ने वीर कुँवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 75 साल की उम्र में उन्होंने इस विद्रोह का सफल नेतृत्व किया।

बिंदेश्वर पाठक

1960-70 के दशक में एक सक्रिय सामाजिक प्रयास 'कमाऊ शौचालय और स्कैवेंजिंग प्रथा' को खत्म करने के लिए शुरू किया गया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के स्वच्छता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस क्रांति से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शून्य से पैंसठ प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में पंद्रह से तिरासी प्रतिशत तक स्वच्छ शौचालय का बनाने में सफलता मिली। यह आंदोलन डॉ. बिंदेश्वर पाठक के द्वारा 'सुलभ तकनीक आंदोलन' के नाम से शुरू किया गया था। अब तक इनके द्वारा भारत में कुल 12 लाख सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है, जबकि भारत सरकार ने सुलभ तकनीक को अपनाकर करीब पाँच करोड़ चालीस लाख शौचालय का निर्माण कराया है।

बिस्मिलाह खाँ

देश के चार विशिष्ट नागरिक सम्मान 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण' एवं 'पद्मश्री' हासिल करनेवाले महान् शहनाई वादक बिस्मिलाह खाँ का जन्म 21 मार्च, 1916 को बक्सर जिले के डुमराँव नगर में हुआ था। इनका असली नाम कमरुद्दीन खाँ था। सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था में ही उनका नाम भारत में मशहूर संगीतज्ञों में लिया जाने लगा। अप्रैल 1956 में इन्हें 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। 1961 ई. में 'पद्मश्री', 1968 ई. में 'पद्मभूषण', 1980 ई. में 'पद्मविभूषण', 2001 में 'भारतरत्न' सम्मान से इन्हें नवाजा गया। 15 अगस्त, 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन्हें शहनाई बजाने का मौका मिला था। 21 अगस्त, 2006 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।

बी.पी. मंडल

1978 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाँच सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया। इसका अध्यक्ष बी.पी. मंडल को बनाया गया। इस आयोग ने 1980 ई. में अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान में सीटें आरक्षित करने की अनुशंसा की। 1 फरवरी, 1968 से 22 मार्च, 1968 तक इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य मिला।

बी. मुखोपाध्याय

चिकित्सा जगत् में अपनी प्रतिभा दिखानेवाले डॉ. बी. मुखोपाध्याय ने प्रथम प्रयास में ही दिसंबर 1948 ई. में एम.सी.एच. (ऑर्थो) अच्छे अंकों से पास किया। 1949 से 1961 ई. तक पटना मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे। हड्डी टी.बी के इलाज के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने 1955 ई. में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्थापना की।

भोला पासवान शास्त्री

बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री को सादगी, निष्ठा के कारण राजनीति का संत कहा जाता था। 22 मार्च, 1968 से 29 जून, 1968 तक, 22 जून, 1969 से 4 जुलाई, 1969 तक एवं 2 जून, 1971 से 9 जनवरी, 1972 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे एक महान् स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने पूर्णिया से 'राष्ट्र संदेश' नामक एक हिंदी साप्ताहिक का संपादन किया।

मनोज तिवारी

बिहार के एक प्रतिभा-संपन्न गायक, फिल्म अभिनेता, टी.वी. एंकर एवं संगीत निर्देशक के रूप में ख्याति प्राप्त कर मनोज तिवारी ने बहुत कम उम्र में बिहार का नाम रोशन किया। इनकी पहली फिल्म भोजपुरी में 'ससुरा बड़ा पैसावाला' था। वर्तमान में ये दिल्ली से लोकसभा सदस्य हैं।

मनोज वाजपेयी

भारतीय फिल्म जगत् में 'राजनीति', 'एल.ओ.सी.', 'कारगिल', 'रोड', 'पिंजर', 'सत्या', 'शूल' और 'आरक्षण' जैसी सफलतम फिल्मों के नायक मनोज वाजपेयी बिहार के उभरते हुए कलाकार हैं। सर्वप्रथम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दूरदर्शन के धारावाहिक 'स्वाभिमान' से मिली। इसके अलावा 'द्रोह काल', 'बैंडिट क्वीन', 'दस्तक', 'जुबैदा' आदि कला-प्रधान फिल्मों में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई।

महेश नारायण

पृथक् बिहार प्रांत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा के साथ महेश नारायण को जाता है। 1906 ई. में इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर 'पार्टीशन ऑफ बंगाल' और 'सेपरेशन ऑफ बिहार' नामक पुस्तक लिखी। ये अपनी पत्रिका 'द बिहार टाइम्स' के माध्यम से भी बिहार पृथक्करण के लिए लेख लिखते रहते थे।

राजेंद्र प्रसाद

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, 1884 को सीवान जिले के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में प्रथम आनेवाले वे पहले बिहारी थे। कलकत्ता के सिटी कॉलेज एवं जी.वी.वी. कॉलेज, मुजफ्फरपुर में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। 1910 ई. में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर वे देशसेवा की ओर उन्मुख हुए। 1916 ई. में पटना हाईकोर्ट की स्थापना के बाद वहाँ से वकालत शुरू की। 1917 ई. में गांधीजी के साथ सक्रिय रूप से 'चंपारण सत्याग्रह' में भाग लिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए। 1934 ई. में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। इनकी अध्यक्षता में ही संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। 26 जनवरी, 1950, 10 मई, 1952, 13 मई, 1957 को इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 1962 ई. में इन्हें 'भारतरत्न' की उपाधि दी गई। 28 फरवरी, 1963 को इनका निधन हो गया।

रामचतुर मलिक

बिहार में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद-गायन को एक नई ऊँचाई तक ले जाने में रामचतुर मलिक का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्रुपद के साथ खयाल, ठुमरी, टप्पा और विद्यापति के पद भी वे बड़ी खूबसूरती से गाते थे। बिहार राज्य संगीत अकादमी ने 1953 ई. में उन्हें 'फेलोशिप' प्रदान की। 1970 ई. में उन्हें 'पद्मश्री' मिली। मध्य प्रदेश

सरकार ने उन्हें 1981 ई. में 'तानसेन पुरस्कार' से सम्मानित किया।

विंध्यवासिनी देवी

बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विंध्यवासिनी देवी बिहार में लोकगीतों को बहुत ऊँचे स्तर तक ले जानेवाली विख्यात कलाकार हैं। उनकी गायिकी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1945 ई. में हुआ। लड़कियों को पढ़ाने और संगीत सिखाने के दौरान उन्होंने 1949 ई. में विंध्यकला मंदिर की स्थापना की। 1948 ई. में आकाशवाणी के पटना केंद्र की शुरुआत होने पर वे 1979 ई. तक आकाशवाणी से जुड़ी रहीं। उन्होंने कई संगीत ग्रंथों की रचना की, जिनमें 'लोकसंगीत सागर', 'सोहर प्रकरण', 'वृहद कोश', 'लोक शब्द सागर' आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी गीत लेखन एवं संगीत निर्देशन का काम किया। 1974 ई. में उन्हें 'पद्मश्री' सम्मान से सम्मानित किया गया।

वीरचंद पटेल

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों में एक प्रमुख नाम वीरचंद पटेल का आता है। 'नमक सत्याग्रह' से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1939 ई. में हाजीपुर स्थानीय निकाय चुनाव में इन्हें अध्यक्ष चुना गया। 1941 ई. में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में भाग लेने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वे कई बार जेल गए। 1946 ई. में बिहार की अंतरिम सरकार के शिक्षा विभाग में इन्हें संसदीय सचिव बनाया गया। 1952 ई. में कृषि विभाग के उपमंत्री बनाए गए। 1957 ई. में इन्हें कृषि, स्वास्थ्य और खाद्य मंत्री बनाया गया। बाद में विनोदानंद झा मंत्रिमंडल में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली।

शत्रुघ्न सिन्हा

भारतीय फिल्म जगत् में 1970-80 के दशक में अपनी प्रतिभा से सभी को कायल कर देनेवाले महान् अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई, 1946 को पटना में हुआ। शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों में खलनायक के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने नायक, फिर राजनेता बनने तक का सफर तय किया। 'विश्वनाथ', 'कालीचरण', 'काला पत्थर', 'दोस्ताना', 'खामोश', 'आन', 'शान' आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं। अभी वर्तमान में ये पटना से लोकसभा सदस्य हैं।

शांति जैन

शांति जैन एक साथ एक अच्छी गायिका, कवयित्री, लेखिका एवं नारी सशक्तीकरण की अद्भुत मिसाल हैं। भोजपुरी लोकगीतों से ख्याति पानेवाली उनकी गायिकी में दुर्गा सप्तसती, सुंदरकांड, छठ, विवाह गीत, भजन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में गीतों की रचना की है। उन्हें 'राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' सहित अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

केदारनाथ प्रसाद

एक कुशल एकेडमिशियन, एक महान् द्रष्टा, एक प्रबुद्ध प्रशासक एवं शिक्षाशास्त्री डॉ. प्रसाद का जन्म बहड़वाड़ा (पू. चंपारण) में 1926 ई. में हुआ था। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष व पटना विश्वविद्यालय का कुलपति बनना इनकी उपलब्धियाँ थीं। 'स्टेरटजी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल ऐंड डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट'; 'ए केस स्टडी ऑफ बिहार', 'इकोनॉमी ऑफ ए बैकवर्ड रीजन इन ए बैकवर्ड इकोनॉमी', 'ए केस

स्टडी ऑफ बिहारियन रिलेशन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया' वाल्यूम-II आदि पुस्तकें इनके द्वारा रचित अमूल्य धरोहर हैं। डॉ. प्रसाद की कुछ अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में 'इंडियाज रूरल प्रॉब्लम्स', 'लेक्चर्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी', 'प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड', 'टेक्नोलॉजिक च्वाइस अंडर डेवलपमेंटल प्लानिंग' आदि प्रमुख हैं।

शारदा सिन्हा

बिहार की संस्कृति, संस्कार और परंपरा की प्रतिमूर्ति शारदा सिन्हा को मिट्टी से जुड़े लोक-कलाकार के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा शादी-ब्याह, गौना, छठ आदि के लिए गाए गए लोकगीत बिहार के विशेष अवसर पर जरूर सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भोजपुरी तथा हिंदी फिल्मों में भी गाना गाकर लोगों का मन जीत लिया है।

शेखर सुमन

हास्य-व्यंग्य से भरपूर पटकथा में शत प्रतिशत अपनी प्रतिभा दिखानेवाले शेखर सुमन बिहार के प्रमुख कलाकारों में से एक हैं। टेलीविजन पर उनके द्वारा 'देख भाई देख', 'रिपोर्टर', 'एक घंटे की थ्रिल', 'टी.वी. टॉक शो', 'मूवर्स ऐंड शेक्सर्स', 'पोल-खोल' आदि उनके द्वारा अभिनीत प्रमुख धारावाहिक हैं।

श्रीकांत ठाकुर विद्या अलंकार

पं. श्रीकांत ठाकुर विद्या अलंकार भारत के हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम है। 1926 ई. में इन्होंने राजेंद्र प्रसाद की सलाह पर हिंदी साप्ताहिक 'महावीर' के सहायक संपादक के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की। बाद में इन्होंने कलकत्ता एवं बंबई से प्रकाशित 'विश्वमित्र' में संपादन का कार्य किया। 1947 ई. में पटना से प्रकाशित 'प्रदीप' का संपादन शुरू किया, फिर वे 'आर्यावर्त' से जुड़े।

श्रीकृष्ण सिंह

आधुनिक बिहार के निर्माता श्रीकृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर, 1887 को नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड स्थित खनवा गाँव में हुआ था। 1916 ई. के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। तिलक के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'होमरूल आंदोलन' में उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 'चंपारण सत्याग्रह' में इन्होंने किसानों की ओर से मुकदमे की पैरवी की। 1929 ई. में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर इन्होंने किसान सभा का गठन किया। 1937 ई. में बिहार चुनाव के बाद इनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1939 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1946 ई. में ये फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। तब से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। 31 जनवरी, 1961 को इनका निधन हो गया।

संजय उपाध्याय

देश के प्रमुख रंगकर्मियों, नाट्य प्रशिक्षकों में पटना के संजय उपाध्याय का नाम आता है। उनके द्वारा निर्देशित नाटक 'बकरी' एवं 'विदेशिया' बहुत प्रसिद्ध हुए। श्रीराम सेंटर, नई दिल्ली का निदेशक बननेवाले वह पहले बिहारी थे। उनके चर्चित नाटकों में 'जसमा ओड़न', 'नल-दयमंती', 'खड़िया का घेरा', 'रुस्तम-सोहराब', 'श्री पेनी ओपेरा', 'मालविकाग्निमित्रम्', 'माटी गाड़ी', 'कहाँ गए मेरे उगना', 'दास्तान-ए-हब्बा' आदि प्रमुख हैं।

सच्चिदानंद सिन्हा

बंगाल से बिहार को पृथक् कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर, 1871 को आरा में हुआ था। उन्होंने अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई लंदन से की। उसके बाद वे ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। 1909 ई. में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें पृथक् बिहार प्रांत के गठन पर जोर दिया गया। 1924 ई. में उन्होंने अपनी पत्नी की याद में श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना की। 1936 ई. में उन्हें पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर-सरकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया।

सर गणेश दत्त

सर गणेश दत्त का जन्म 1868 ई. में नालंदा जिले में हुआ था। 1904 ई. में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद वहाँ से वकालत प्रारंभ की। 1921 ई. में वे बिहार उड़ीसा विधानपरिषद् के लिए निर्वाचित हुए। 1923 ई. में मंत्री चुने गए। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए अपने वेतन का अधिकांश भाग लोक-कल्याण में दान में दे दिया। उनकी आय का अधिकांश हिस्सा गरीब और योग्य छात्रों की छात्रवृत्ति में खर्च होता रहा। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए 4 लाख रुपये दिए। वर्तमान में भी उनके योगदान से बने हुए कई शिक्षण संस्थान बिहार में कार्यरत हैं।

सियाराम तिवारी

सियाराम तिवारी ध्रुपद गायन के सुप्रसिद्ध कलाकार थे। ध्रुपद धमार की ताल के ग्रह, अंश, मात्र, द्रुत, लघु, प्लुत, काक आदि के महाज्ञानी थे। वे संगीत नाटक अकादमी की सलाहकार समिति के रत्न सदस्य, प्रयाग संगीत समिति के सदस्य, आकाशवाणी दिल्ली और पटना के ऑडिशन बोर्ड के आजीवन सदस्य रहे। 1955 ई. में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 'स्वर्णपदक' प्रदान किया गया। 1971 ई. में इन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। 1998 ई. में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'तानसेन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

सी.पी. ठाकुर

बिहार में कालाजार से मुक्ति के लिए सफल इलाज ढूँढ़नेवाले सी.पी. ठाकुर बिहार के जाने-माने राजनेता एवं सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं। उनकी इस सफलता पर उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में 'डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट', 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन', 'गिलिंपसेज ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी', 'टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन', 'इंडिया अंडर अटल बिहारी वाजपेयी' आदि हैं। 1999 से 2004 ई. तक उन्होंने केंद्र में मंत्री पद की भी संभाला।

जगदेव प्रसाद

जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी, 1922 को बिहार के अरवल जिला अंतर्गत कुर्था प्रखंड के कुरहारी गाँव में हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता उपेंद्र नाथ वर्मा के संपर्क में आकर ये पार्टी की पत्रिका 'जनता' के संपादन से जुड़ गए। इन्होंने 1955 ई. में हैदराबाद से प्रकाशित साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र 'सिटिजन' एवं हिंदी साप्ताहिक 'उदय' का संपादन प्रारंभ किया। 1957 ई. में इन्होंने सासाराम लोकसभा क्षेत्र से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। 1962 ई. में ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए। 1968 ई. में इन्हें बिहार का सिंचाई एवं बिजली मंत्री बनाया गया। जनता की माँग पर 8 सितंबर, 1970 को ये पुनः सिंचाई एवं बिजली मंत्री

बने। 1974 ई. में 'जे.पी. आंदोलन' में इन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया। अपने कठिन श्रम-बल एवं कला-कौशल से इन्होंने सदैव समाजवाद को ऊँचाई प्रदान करने का कार्य किया। इनकी मृत्यु 5 सितंबर, 1974 को कुर्था प्रखंड परिसर में हो गई।

ललित नारायण मिश्र

ललित नारायण मिश्र का जन्म 2 फरवरी, 1923 को सहरसा जिला स्थित बसाउ-पट्टी में हुआ था। ये प्रथम, द्वितीय एवं पाँचवीं लोकसभा के लिए चुने गए; साथ ही साथ दो बार राज्यसभा के लिए चुने गए। केंद्र सरकार में इन्होंने योजना, श्रम एवं प्रशिक्षण, गृह, वित्त, रक्षा उत्पादन, विदेश व्यापार तथा रेल विभाग के मंत्री के रूप में देश की सेवा की। व्यापार मंत्री के रूप में भारत-नेपाल के संबंधों को एक नई ऊँचाई तक ले जाने का काम इन्होंने किया। इस दौरान नेपाल के साथ बाढ़ नियंत्रण एवं कोसी योजना में पश्चिमी नहर निर्माण हेतु भारत-नेपाल समझौता किया गया। अशोक पेपर मिल एवं मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना, मिथिला चित्रकला को दुनिया के समक्ष लाने, उत्तरी बिहार के सीमांचल इलाकों में रेलवे का जाल बिछाने का इनका कार्य अविस्मरणीय है। रेल मंत्री रहते हुए बिहार के समस्तीपुर में बड़ी रेलवे लाइन के उद्घाटन के क्रम में 2 जनवरी, 1975 को हुए बम विस्फोट में घायल हो जाने के कारण इनकी मृत्यु 3 जनवरी, 1975 को हो गई।

पीर अली

1857 ई. के स्वाधीनता संग्राम में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व करनेवाले स्वतंत्रता सेनानियों में एक प्रमुख नाम पीर अली का आता है। 1828 से 1888 ई. तक चलनेवाले इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर था। पटना के विलायत अली एवं इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। 1857 ई. में इस आंदोलन का नेतृत्व पीर अली ने किया था। बाद में अंग्रेजों के द्वारा बाँकीपुर मैदान में एक पेड़ पर लटकाकर इन्हें सरेआम फाँसी दे दी गई।

पं. रामानंद तिवारी

3 अप्रैल, 1946 को समूचे बिहार के स्तर पर सिपाहियों के एक संगठन 'बिहार पुलिस में एसोसिएशन' की स्थापना करनेवाले पं. रामानंद तिवारी स्वाधीनता संग्राम में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व करनेवाले एक प्रमुख सेनानी थे। सिपाहियों द्वारा सरकार का विरोध करनेवालों का अगुआ मानकर अंग्रेजी सरकार इनकी जान की दुश्मन बन गई। कदमकुआँ में इन पर फायरिंग की गई, जो कदमकुआँ गोलीकांड के नाम से प्रसिद्ध है। 29 मार्च, 1947 को इनकी गांधीजी के साथ लगभग 18 घंटों तक की बातचीत बिहार की प्रमुख घटनाओं में से एक है। प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी तथा जायज माँगों को लेकर हमेशा आंदोलन करनेवाले पं. रामानंद तिवारी की याद में राज्य सरकार प्रतिवर्ष 25 मार्च को उनकी जयंती के अवसर पर गांधी मैदान में उत्तर-पश्चिम कोने पर स्थित प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह आयोजित करती है।

सूरज नारायण सिंह

सूरज नारायण सिंह का जन्म 17 मई, 1906 को दरभंगा के नरपति नगर ग्राम में हुआ था। मात्र 22 वर्ष की उम्र में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। 1938 ई. में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में संचालित 'बकाशत आंदोलन' में सक्रिय योगदान देने के कारण इन्हें 27 माह की सजा हुई। इस दौरान हजारीबाग जेल में इन्होंने 20 दिन का अनशन किया। देवली कैप में जे.पी. के साथ 33 दिन का अनशन गांधीजी के हस्तक्षेप पर टूटा। 1942 ई. में दीपावली की अमावस रात (8 नवंबर) में 9:30 बजे रात में जयप्रकाश नारायण,

योगेंद्र शुक्ल, गुलाबचंद्र गुप्ता, रामनंदन मिश्र और शालिग्राम सिंह के साथ सूरज नारायण सिंह को सेंट्रल जेल की दीवार फाँदने में मात्र 6 मिनट लगे थे। 1962 ई. में मधुबनी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से ये पहली बार विधायक चुने गए। 1969 ई. में मई दिवस समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने मास्को की यात्रा की। बँगलादेश मुक्ति संघर्ष के सिलसिले में इन्होंने 1971 एवं 1972 ई. में बँगलादेश की यात्रा की। 15 अप्रैल, 1973 को मजदूरों के हितों के लिए आवाज उठाते हुए राँची पुलिस के हाथों बुरी तरह घायल होने पर 21 अप्रैल, 1973 को ये शहीद हो गए।

मंडन भारती

मंडन मिश्र मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं कुमारिल भट्ट के शिष्य एवं अनुयायी थे। उनकी पत्नी मंडन भारती थी। परम विदुषी भारती शंकराचार्य और अपने पति मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर निर्णायिका बनी थीं और शंकराचार्य से स्वयं शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित भी किया था। यह घटना 620-710 ई.पू. के बीच की मानी जाती है।

कुमारिल भट्ट

आचार्य कुमारिल भट्ट की गणना मिथिला के महान् पंडितों और ज्ञानियों में होती है। इनका काल छठी से नौवीं सदी के बीच माना जाता है। इन्होंने न्याय, मीमांसा, कर्म एवं ज्ञान से संबंधित अनेक सूत्रों का प्रतिपादन किया। इनके द्वारा धर्म एवं दर्शन पर दिए गए विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

उदयनाचार्य

उदयनाचार्य का जन्म मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले के केरिजन गाँव में हुआ था। ये न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन के प्राचीन परंपरा के श्रेष्ठ एवं अंतिम प्रतिनिधि विद्वान् थे। प्रतिभा एवं विद्या के धनी उदयनाचार्य से शिक्षा पाने के लिए दूर-दूर से शिक्षार्थी आते थे। इनके द्वारा रचित सात ग्रंथ 'न्याय परिशिष्ट', 'किरणबली', 'तात्पर्यपरिशुद्धि', 'आत्मतत्त्व विवेक', 'न्यायकुसुमाजलि', 'लक्षणावली' तथा 'कुसुमांजलिकारिका' तीन टीका के रूप में एवं चार निबंध के रूप में लिखे गए हैं।

आर्यभट्ट

गुप्तकाल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोलशास्त्री एवं दशमलव तथा शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट का जन्म पटना जिले में 476 ई. में माना जाता है। इनको प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं के साथ-साथ वेदों, उपनिषदों एवं दार्शनिक ग्रंथों का विद्वान् माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ 'आर्यभट्टीयम्' में सूर्य के स्थिर होने और गोलाकार पृथ्वी को उसके चारों ओर चक्कर लगाने की बात कही है। सूर्यग्रहण एवं चंद्रग्रहण के वैज्ञानिक कारण में ग्रहण राहु द्वारा सूर्य अथवा चंद्रमा के ग्रसने से नहीं, बल्कि पृथ्वी व चंद्रमा की पड़नेवाली छायाओं के कारण होता है, इसका ज्ञान दुनिया को आर्यभट्ट से ही मिला। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों से इनके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रहने की भी जानकारी मिलती है। स्वर एवं व्यंजनों की सहायता से बड़ी-बड़ी संख्याओं को संक्षेप में लिखने की विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई। उदाहरण के लिए 432,00,00 को लिखने के लिए उन्होंने ख्युष्ट शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने पाई (✓) का मान लगभग 3.1416 बताया। पृथ्वी की संरचना मिट्टी, जल, अग्नि एवं वायु से होने की बात इनके द्वारा दुनिया को बताई गई। डी.ई. स्मिथ जैसे गणितज्ञ के अनुसार आर्यभट्ट की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में 550 ई. में हुई थी।

पाणिनि

व्याकरण के प्रख्यात विद्वान् पाणिनि का जन्म पाकिस्तान में शालातुला में सिंधु नदी के तट पर 520 ई.पू. को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना 'अष्टाध्यायी' से इन्हें भाषा जगत् में व्याकरण के पुरोधा होने की प्रतिष्ठा मिली। 'अष्टाध्यायी' आठ विभागों में विभाजित है। संज्ञा, क्रिया, स्वर, व्यंजन, वाक्य की संरचना, संयुक्त संज्ञा आदि के विषय में इसमें बताया गया है। इसके अलावा शब्दों में प्रत्यय के लगने से नए शब्द की रचना जैसे वर्ष से वार्षिक, जिसमें इक् प्रत्यय लगा है, की जानकारी भी सर्वप्रथम दुनिया को इनके द्वारा मिली। 'अष्टाध्यायी' से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है।

याज्ञवल्क्य

महर्षि याज्ञवल्क्य विदेह राजा जनक के समकालीन थे। रामायण, महाभारत एवं अनेक पुराणों में उनके संबंध में विस्तार से प्रामाणिक वर्णन मिलता है। इन्होंने बाष्कल मुनि से ऋग्वेद, जैमिनी ऋषि से सामवेद, वैशंपायन ऋषि से यजुर्वेद तथा आरुणि ऋषि से अथर्ववेद का अध्ययन किया। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में एक नाम कण्व ऋषि का आता है, जिन्होंने गुरु के सान्निध्य में शुक्ल यजुर्वेद पर कण्वसंगीता एवं कण्वशाखा का प्रतिपादन किया।

गुरु गोविंद सिंह

गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के दसवें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर, 1662 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने देश, धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित करके सैनिक परिवेश में ढाला। सिखों के लिए 'पंच करार'—केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को इन्होंने अनिवार्य कर दिया। उन्होंने अपने धर्म, अपनी जन्मभूमि एवं स्वयं की रक्षा अपने द्वारा करने का संकल्प कराया। उनके दिया नारा 'सत् श्री अकाल' आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। इन्होंने अपने बाद सिख संप्रदाय में गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और इसकी जगह पर 'ग्रंथ साहिब' को ही सिखों का गुरु मानने की बात कही। 7 अक्टूबर, 1908 को इनका देहांत हो गया।

महेश नारायण

बिहार के निर्माण में पत्रकार के रूप में महेश नारायण का योगदान अविस्मरणीय है। इनका जन्म 1859 ई. में हुआ था। इन्होंने अपना कैरियर पत्रकारिता से शुरू किया। ये 'बिहार बिहारियों के लिए' की माँग को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर 'बिहार टाइम्स' नामक पत्रिका से जुड़े, फिर उसका संपादन किया। बंगाल से बिहार को अलग करने की माँग को लेकर प्रसिद्ध पुस्तक 'बंगाल का विभाजन' या 'बिहार का पृथक्कीकरण' इनके एवं सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई। 1907 ई. में बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई।

नंदकिशोर लाल

गया के टेकारी के लाल नंदकिशोर लाल का जन्म 1866 ई. में हुआ था। नंदकिशोर लाल टेकारी राज के प्रबंधन के साथ 1894 ई. में 'बिहार टाइम्स' पत्रिका के प्रधान प्रचारक बने। बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1915 ई. में बाँकीपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इनकी मृत्यु 1918 ई. में हुई।

परमेश्वर लाल

नंदकिशोर लाल के छोटे भाई परमेश्वर लाल का जन्म 1874 ई. में हुआ था। वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान इनका संपर्क दादा भाई नौरोजी से हुआ। उनके साथ इन्होंने पूरे लंदन का दौरा किया। लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए दादा भाई नौरोजी ने इन्हें उसका उपाध्यक्ष बनाया। भारत वापसी के पश्चात् कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय जनमानस के बीच राष्ट्रीयता के प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी। इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। इनकी मृत्यु 1919 ई. में हो गई।

कृष्ण सहाय

कृष्ण सहाय का जन्म पटना जिले के सोरमपुर गाँव में 1866 ई. में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। वकालत करने के बाद 1919 ई. में इन्होंने पटना के कमिश्नर सर आर्डले अर्ल को पटना लॉ कॉलेज की स्थापना में भरपूर सहयोग किया। वकालत के साथ-साथ बिहार के पृथक्कीकरण में इन्होंने डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। बिहार के पृथक्कीकरण के बाद ये 1913 ई. में बिहारोत्कल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए। 1919-21 के बीच इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासकीय परिषद् का सदस्य मनोनीत किया गया। 1921 ई. में इनकी अकस्मात् मृत्यु हो गई।

मौलाना मजहरुल हक

मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर, 1866 को पटना जिला के मनेर थाने के बाहपुरा नामक गाँव में हुआ था। 1888 ई. में इंग्लैंड जाकर वकालत की शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पर उन्होंने 'अंजुमन ए इस्लामिया' का गठन किया। 1891 ई. में स्वदेश वापस आने के बाद 1893 ई. में वे अवध के मुंसिफ के पद पर चुन लिये गए। 1896 ई. में इस पद को त्यागकर वे छपरा नगरपालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। 1906 ई. में उन्होंने हसन इमाम की मदद से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नामक पार्टी की स्थापना की। माल्टे मिंटो सुधार के तहत 1910 ई. में वे मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट पर केंद्रीय विधान परिषद् के सदस्य चुने गए। 1916 ई. के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के गठबंधन होने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1917 ई. के महात्मा गांधी के 'चंपारण सत्याग्रह' में इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1930 ई. में हो गई।

कलावती देवी

'पद्मश्री' कलावती देवी का जन्म अररिया जिले के रानीगंज में 1922 ई. में हुआ था। अत्यंत गरीबी में कड़ी मेहनत की बदौलत इन्होंने 1968 ई. में रानीगंज में एक बालिका मध्य विद्यालय बनवाया। महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया। कलावती देवी को 3 अप्रैल, 1976 को 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। 'पद्मश्री' मिलने के बाद 54 वर्ष की उम्र में वे खुद साक्षर हुईं। इनका निधन 23 नवंबर, 1988 को हो गया।

नंदलाल बोस

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, "वे सृजनात्मक कलाकार हैं और मैं नहीं हूँ। भगवान ने मुझे कला का विवेक दिया है, किंतु इसे रूपायित करने के लिए साधन नहीं दिए हैं, उनको दोनों का वरदान प्राप्त है।" गांधीजी का यह वक्तव्य भारतीय कला के महानायक नंदलाल बोस के लिए था। इनका जन्म हवेली खड़गपुर में 3 दिसंबर, 1882 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की इच्छा से उन्हें भारतीय संविधान की मूल प्रति को अलंकृत करने का

सुअवसर मिला। उन्होंने यह विशिष्ट कार्य विश्वरूप, गौरी, यमुना, पेरूमल, कृपाल सिंह और कला भवन के अन्य छात्रों की सहायता से संपादित किया। जीवन के अंतिम वर्षों में इन्हें 'डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स,' 'द एकेदमी ऑफ फाइन आर्ट्स सिल्वर जुबली मेडल', 'देशीकोत्तम', 'पद्मविभूषण', 'दादा भाई नौरोजी मेमोरियल प्राइज' प्राप्त हुए। 16 अप्रैल, 1966 को इनकी मृत्यु हो गई।

लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार के सहरसा जिलांतर्गत पँचगछिया गाँव के प्रख्यात संगीतकार लक्ष्मीनारायण सिंह स्वयं में एक संगीत संस्थान थे। इनका जन्म 1882 ई. में वहाँ के जमींदार प्रियव्रत नारायण सिंह के यहाँ हुआ था। इनके पितामह रुद्र नारायण सिंह मिथिलांचल के महान् संत लक्ष्मीनाथ गोसाई के समकालीन थे। 1928 ई. के लखनऊ संगीत समारोह में उनको निर्णायक मंडल के एकमात्र सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर उन्हें 'संगीत-मार्तंड' तथा 'संगीतर्षि' की उपाधि से विभूषित किया गया।

अमरनाथ झा

अंग्रेजी भाषा और साहित्य के आधिकारिक विद्वान् डॉ. झा हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बँगला तथा उर्दू भाषा साहित्य के भी ज्ञाता थे। इनका जन्म 25 फरवरी, 1897 को मधुबनी जिले के सरिबस पाही गाँव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे बी.ए. और एम.ए. के टॉपर रहे। बाद में वे वही पर ट्यूटर के पद पर कार्य करने लगे। वे मात्र 37 वर्ष की आयु में कला संकाय के अध्यक्ष तथा 41 वर्ष की आयु में कुलपति बनाए गए। 1953 ई. में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने लगभग 2 दर्जन पुस्तकों का संपादन किया। हिंदी में 'विचारधारा', अंग्रेजी में 'ओकेजनल एड्रेसेज' एवं 'शेक्सपीरियन कॉमेडी' उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। उन्हें नागरिक 'अलंकरण पद्मविभूषण' से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी, 1995 को उनका अवसान हो गया।

आनंदी प्रसाद बादल

आनंदी प्रसाद बादल का जन्म 1939 ई. में पूर्णिया जिले के श्रीपुर गाँव में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी रुचि नाट्य अभिनय के साथ-साथ दृश्य तैयार करने एवं मेकअप करने में थी। इन्होंने अपने गाँव में हिंदी नाट्य कला परिषद् की स्थापना की। 1959 ई. में ललित कला की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद राज्य खादी बोर्ड में इन्होंने कलाकार के पद पर अपनी सेवा देनी शुरू की। 1968 ई. तक जलरंग, पोस्टर रंग, माध्यम एवं टेंप्रा आदि पारंपरिक चित्र शैली में सर्जना की। नारी जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने चित्र फलक पर इन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया है। 'शांतिप्रेम', 'बेटी विदाई', 'प्रतिक्षा', 'चूरी हारिन', 'प्रकृति कन्या', 'भोलापन' आदि भाव इनकी कला में अक्सर शामिल रहते थे। इनके चित्रों में 'तीन रूप चार आँखें' काफी लोकप्रिय हुई।

पं. इंद्र किशोर मिश्र 'मल्लिक'

बेतिया घराने के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित मिश्र का जन्म 1 जनवरी, 1956 को बेतिया के बाजू छपरा गाँव में हुआ था। बेतिया घराने की गायन शैली को भारतीय ध्रुपद परंपरा में उच्च स्थान दिलाने में इनके कठिन रियाज एवं रचनात्मक प्रतिभा का विशेष योगदान है। ध्रुपद गायिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 'स्वामी हरिदास सम्मान' (बंबई), 'चंपारण विभूति' (मोतिहारी), 'कला संस्कृति सम्मान' लखनऊ, 'पं. चरित्र मल्लिक पुरस्कार' (बिहार सरकार) से सम्मानित किया गया।

ईश्वर चंद्र गुप्ता

बिहार का नाम चाक्षुष कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करनेवाले महान् मूर्तिकार ईश्वर चंद्र गुप्ता का जन्म 1 जून, 1947 को मधुबनी में हुआ था। धार्मिक आख्यान, आस्थाओं से भरपूर टेराकोटा माध्यम के इनके मूर्तिशिल्प 'सीता की खोज' को उत्तर प्रदेश ललित कलाकारिणी ने 1965 ई. में पुरस्कार दिया। 1967 ई. में इंडियन एकेडमिक ऑफ आर्ट अमृतसर एवं 1969 ई. में भारतीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ने पुरस्कृत किया। 1974 ई. में इनकी प्रतिभा को सम्मान देते हुए ब्रिटिश कौंसिल ने इन्हें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रदान की। मिथिला जनपद की भावपूर्ण लोक-गाथाओं के पात्रों को टेराकोटा माध्यम से चित्रित करने के कारण पूरी दुनिया में इन्हें प्रसिद्धि मिली।

ईश्वरी प्रसाद वर्मा

पटना कलम चित्र शैली के कुशल चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जन्म 1861 ई. में पटना सिटी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में हाथीदाँत पर बनाई गई मुखाकृति प्रमुख रहती थी। एक से दो इंच के गोल हाथीदाँत पर बनाई गई ये मुखाकृति अंग्रेजी महिलाओं को विशेष पसंद थी। ये मूलतः पटना कलम शैली के चित्रकार थे एवं सिल्क, हाथी दाँत तथा कागज के चित्रांकन करने में सिद्धहस्त थे।

कुमकुम

महान् अभिनेत्री कुमकुम का जन्म 1940 ई. में शेखपुरा जिला में हुआ था। फिल्मों में अपना भविष्य बनाने जेबुनिसा 1952 ई. में बंबई गई एवं फिल्म नगरी में अपने नए नाम कुमकुम के साथ प्रसिद्ध हो गई। इनकी पहली फिल्म सोहराब मोदी निर्देशित 'मिर्जा गालिब' थी। इस फिल्म में प्रदर्शित इनके नृत्य ने इनको दूसरी फिल्म 'आरपार' के प्रमुख गीत में नृत्य करने का मौका दिया, जिससे इनकी पहचान बननी शुरू हो गई। इनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय फिल्म 'मि. ऐंड मिसेज 55', 'कागज के फूल', 'प्यासा', 'आँखें', 'गीत', 'मदर इंडिया' आदि रहीं। 1973 ई. में इनकी अंतिम फिल्म 'जलते बदन' प्रदर्शित हुई।

उपेंद्र महारथी

'पद्मश्री' उपेंद्र महारथी का जन्म 1908 ई. में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में हुआ था। 1931 ई. में ललित कला में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा प्राप्त कर वे बिहार आए। 1956 ई. में बिहार सरकार ने इन्हें सहायक निदेशक, उद्योग के पद पर रखा। इस दौरान इनकी एक पुस्तक वेणुशिल्प प्रकाशित हुई। लोकचित्र शैली और हस्तशिल्प को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। जनजातीय कला और लोककला के उत्थान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1970 ई. में 'पद्मश्री' से विभूषित किया। 11 फरवरी, 1981 को इनकी मृत्यु हो गई।

कुमुद शर्मा

कुमुद शर्मा का जन्म 1926 ई. में पटना में हुआ था। पटना कलम और राजा रवि वर्मा के चित्रों की अनुकृति से इनकी कला यात्रा प्रारंभ होती है। इनकी पहली चित्र प्रदर्शनी 1966 ई. में श्रीधरानी आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में लगाई गई। इसके बाद इनकी चित्र प्रदर्शनियों का प्रदर्शन दिल्ली एवं बंबई में हर दो-तीन वर्ष पर किया जाता रहा। ये रत्नावली विद्या मंदिर की प्राचार्या थीं। बाल रंगमंच, रेडियो नाटक लेखन, बाल नाटकों का निर्देशन इन्होंने किया।

कृष्ण कुमार कश्यप

मिथिला पेंटिंग में देवनागरी ज्यामितीय आकृति के टीकाकार श्रीकृष्ण कुमार कश्यप देश-विदेश में इसका प्रशिक्षण चलाकर इसकी ख्याति विश्व में बढ़ानेवालों में से एक हैं। भारतीय विकास मंच के बैनर तले इनका प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी के अलावा इटली, फ्रांस तथा जिनेवा में भी चल रहा है। मिथिला चित्रकला पर इनकी पाँच पुस्तकें 'मिथिला चित्र शिक्षा' भाग-1, भाग-2, भाग-3, 'मिथिला अरिपन' एवं 'आखर' बहुत प्रसिद्ध हुई। बिहार सरकार ने इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सौराठ (मधुबनी) में मिथिला पेंटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की है।

गजेंद्र नारायण सिंह

'पद्मश्री' पं. गजेंद्र नारायण सिंह का जन्म 10 सितंबर, 1939 को बिहार की पावन धरती पर हुआ। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की परंपरा से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें 'सप्तक', 'स्वरगंगा', 'बिहार की संगीत परंपरा' प्रमुख हैं। 2007 में उन्हें 'पद्मश्री' तथा 2008 में 'बिहार रत्न' से सम्मानित किया गया।

जगदंबा देवी

जगदंबा देवी का जन्म 25 फरवरी, 1901 को मधुबनी जिले में हुआ। इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी दस जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित की गई। मिथिला लोक शैली में प्राकृतिक रंगों की सहायता से लोक चित्रकला गढ़ना इनकी पहचान का कारण है। लोक चित्रकला के लिए 1970 ई. में हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। 1975 ई. में 'पद्मश्री' से विभूषित किया गया। इनका निधन 8 जुलाई, 1984 को हुआ।

जयकांत मिश्र

पेशे से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहते हुए भी जयकांत मिश्र ने मैथिली साहित्य के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। मैथिली भाषा से संबंधित उनकी अंग्रेजी में 6 मौलिक एवं 3 संपादित पुस्तकें हैं। मैथिली साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन के लिए आधार ग्रंथ 'ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर' इनके द्वारा 1950 ई. में लिखी गई। साहित्य अकादमी ने 2000 ई. में उन्हें 'भाषा सम्मान' से सम्मानित किया।

प्यारे मोहन सहाय

प्यारे मोहन सहाय का जन्म 13 मई, 1927 को मुजफ्फरपुर में हुआ। पटना में इन्होंने पाटलिपुत्र कला मंदिर संस्था बनाई। उन्होंने दिल्ली आर्ट थिएटर एवं लिटिल थिएटर ग्रुप जैसे संस्थान से जुड़कर अभिनय किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंतिम सत्र में किए गए उनके द्वारा नाट्य अभिनय के लिए उन्हें 'किलोस्कर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। इन्होंने भोजपुरी फिल्म 'कब होइहें गबनमा हमार', हिंदी फिल्मी 'दामुल' में कार्य कर अपनी पहचान बनाई। धारावाहिकों में 'पहला पार्ट', 'मैला आँचल' इनके द्वारा अभिनीत प्रमुख धारावाहिक हैं।

महासुंदरी देवी

मिथिला लोकचित्र को विश्व प्रसिद्ध बनानेवालों में एक नाम महासुंदरी देवी का जन्म 16 अप्रैल, 1922 को मधुबनी जिले में हुआ। धागे को काले रंग में भिगोकर कागज पर खाका बनाना एवं धागा एक बार अँगुलियों की सीधी पकड़ से कागज पर गिराने से अद्भुत कलाकृति जन्म लेती है। ये कोहबर लेखन में निपुण हैं। मधुबनी स्टेशन की दीवारों पर, जयंती जनता एक्सप्रेस के डिब्बों पर, दिल्ली के राज्यसभा परिसर में मिथिला चित्र शैली का निर्माण इन्होंने किया। 1982 ई. में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 2007 ई. में बिहार सरकार के

द्वारा 'कला विभूति सम्मान', भारत सरकार के द्वारा 2008 ई. में 'गुरु सम्मान' तथा 2011 ई. में 'पद्मश्री' सम्मान से सम्मानित किया गया।

प्रभावती देवी

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अर्धांगिनी के रूप में सुपरिचित प्रभावती देवी अपने स्वतंत्र सशक्त व्यक्तित्व से भी धनी हैं। शादी के बाद जयप्रकाश नारायण के उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका जाने के दौरान ये गांधीजी के सान्निध्य में साबरमती आश्रम आ गई। स्वतंत्रता आंदोलन में अशिक्षा, बाल विवाह एवं परदा प्रथा का विरोध कर नारी समाज को जाग्रत करने का काम इन्होंने कस्तूरबा गांधी के साथ रहकर किया। दहेज के खिलाफ सक्रिय भागीदारी निभाते हुए उन्होंने 600 से अधिक शादियाँ बगैर दहेज के करवाईं। कैंसर का रोग होने के कारण उनका देहावसान 15 अप्रैल, 1973 को हो गया।

यशोदा देवी

मिथिला लोकचित्र शैली की प्रख्यात कलाकार श्रीमती यशोदा देवी का जन्म 2 जनवरी, 1944 को मधुबनी जिले में हुआ था। इन्हें 1982-83 में 'राज्य पुरस्कार', 1983 ई. में 'चित्रगुप्त सम्मान' तथा 1987 ई. में 'विद्यापति पुरस्कार' मिला। ये बिहार राज्य ललित कला अकादमी की सदस्य भी रहीं। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित मधुबनी पेंटिंग, महिला प्रशिक्षण शिविर में इन्होंने प्रशिक्षिका का कार्य किया। 3 नवंबर, 2007 को बीमारी की अवस्था में इनकी मौत हो गई।

योगेंद्र मिश्र

डॉ. योगेंद्र मिश्र बिहार की पावन भूमि वैशाली में जन्म लेकर भारतीय इतिहास लेखन में राज्य की पहचान बढ़ानेवाले एक अविस्मरणीय इतिहासकार हैं। डॉ. मिश्र पटना विश्वविद्यालय के असाधारण छात्र, अद्वितीय शिक्षक और विशिष्ट विभागाध्यक्ष रहे। उनके द्वारा लगभग 30 पुस्तकें, 50 शोध-पत्र, 27 जीवनियाँ, लगभग 100 रेडियो वार्ताएँ एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 60 इतिहास-विषयक लेख प्रकाशित किए गए हैं। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में 'अशोक', 'द हिंदूशाहीज ऑफ अफगानिस्तान ऐंड पंजाब', 'यूनिवर्सिटी ऑफ ओदंतपुरी', 'हिस्टरी ऑफ विदेह', 'वैशाली ऐंड इट्स रिमैस', 'श्वेतपुर की खोज' आदि प्रमुख हैं।

रामशरण शर्मा

बिहार के इस महान् इतिहासकार का जन्म 26 नवंबर, 1919 को बेगूसराय जिले के बरौनी फ्लैंग में हुआ था। 1958 ई. में ये पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने। 1973 ई. में दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बने। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 'शूद्रों का प्राचीन इतिहास', 'विश्व इतिहास की भूमिका', 'प्रारंभिक भारत का परिचय', 'भारत के प्राचीन नगरों का पतन', 'प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ', 'भारतीय सामंतवाद' आदि प्रमुख हैं। इनका इतिहास लेखन पुराकथा, पुरातत्त्व, नृतत्त्व विज्ञान, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के अद्भुत संयोग से समाहित रहता था। 20 अगस्त, 2011 को इनका निधन हो गया।

डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह

डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म भोजपुर जिले के बसंतपुर गाँव में हुआ था। 1962 ई. में इन्होंने नेतरहाट

आवासीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने के क्रम में वहाँ के प्राचार्य पी. नगेंद्र के द्वारा इनकी प्रतिभा को देखते हुए 1964 ई. में इनके लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करवाई गई। इन्हें मात्र 2 वर्षों में गणित में स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रो. जॉन एल. केली के पटना आने के क्रम में इनकी मुलाकात उनसे हुई। इनसे प्रभावित होकर प्रो. केली इन्हें अमेरिका ले गए। 1969 ई. में उन्होंने वहाँ पर पी-एच.डी. प्राप्त की। उनका यह शोध पैसेफिक जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स के वॉल्यूम 52, संख्या 2, वर्ष 1974 में संकलित है। इन्होंने 'अपोलो अभियान' के दौरान नासा के लिए भी काम किया, बाद में भारत आकर उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, आई.आई.टी. कानपुर तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंबई के लिए काम किया। बाद में ये मनोरोग से ग्रसित हो गए।

विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी

विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी का जन्म आरा जिले में 24 जनवरी, 1912 को हुआ था। 1962 ई. में पहली श्वेत-श्याम भोजपुरी फिल्म 'गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो' के निर्माण से उन्हें भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में 'सोलहो सिंगार करे दुल्हनिया' (भोजपुरी), 'रूठा न करो', 'गंगाधाम', 'गीतगंगा', 'ससुराल', 'तुलसी और घर जमाई' (सभी हिंदी) शामिल हैं। 13 जुलाई, 2000 को इनकी मृत्यु हो गई।

विश्वबंधु

विश्वबंधु का जन्म 23 नवंबर, 1930 को दानापुर में हुआ था। उन्होंने बिहार सहित भारत के संपूर्ण प्रांतों के लोकनृत्यों, लोकसंस्कृति, लोकगाथाओं एवं लोकपरंपराओं का गहन अध्ययन किया। वे कुछ समय तक भारतीय जन नाट्य संघ (इप्ता), पटना के मुख्य नर्तक के रूप में सक्रिय रहे। इप्ता के अंतर्गत उन्होंने भोजपुरी सभ्यता का विकास विषय के 17 गीतों पर लोकनृत्य का निर्देशन किया। इनके द्वारा सृजित नृत्य नाटिकाओं में 'मेघ मल्हार', 'अगहन के भोर', 'हिरण-हिरणी', 'ये भारत के गाँव', 'सामा-चकेवा' आदि प्रमुख हैं।

शाह अजीमाबादी

उर्दू शायरी में बिहार के नाम रोशन करनेवाले शाह अजीमाबादी का जन्म 1846 ई. में पटना में हुआ था। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही शायरी करनी शुरू कर दी थी। उनकी शायरी को उर्दू की कालजयी शायरी की फेहरिस्त में रखा जाता है। ये गजल लेखन के अलावा उर्दू की एक खास विधा मरसिया निगारी में भी सक्रिय रहे। इनकी मृत्यु 1927 ई. में हो गई।

शोभना नारायण

'संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड', 'पद्मश्री', 'इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड', 'राजीव स्मृति पुरस्कार' सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित शोभना नारायण बिहार की प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक हैं। 1968 से 1974 ई. के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकशास्त्र से स्नातक तथा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे सिविल सर्विस में आ गईं। नृत्य की शैली पर उन्होंने दर्जनों किताबें लिखीं। वे बेहद सफल प्रशासक, विख्यात कथक डांसर, एक आदर्श पत्नी एवं एक स्नेहमयी माँ के रूप में दुनिया के सामने सदा प्रस्तुत रही हैं।



12. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद (Education, Health and Sports)

शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान

प्रमुख संग्रहालय

स्वास्थ्य

खेल-कूद

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान

प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ के प्रमुख प्राचीन शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र थे। वर्तमान समय में बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 61.8 प्रतिशत साक्षरता के साथ राज्यों में अंतिम स्थान पर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 51.5 प्रतिशत है। 2001 एवं 2011 के बीच बिहार में साक्षरता दर में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इस दौरान पूरे देश में यह वृद्धि 10.9 प्रतिशत हुई। बिहार में कुल 51280 प्राथमिक विद्यालय, 28563 मध्य विद्यालय एवं 2938 माध्यमिक विद्यालय हैं। वर्तमान में कुल 17 विश्वविद्यालय, 262 अंगीभूत महाविद्यालय तथा 217 संबद्ध महाविद्यालय हैं।

विगत 5 वर्षों में बिहार सरकार द्वारा कुल 18457 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन किया गया है। शिक्षकों के नियोजन के फलस्वरूप वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 58:1 हो गया है। राज्य सरकार की हर ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना है। अभी तक 1292 ऐसे विद्यालय खोले जा चुके हैं। वर्ग 1 से 8 तक सभी छात्राओं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक दी जा रही हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 'संकल्प अभियान' की शुरुआत की गई है। मुस्लिम बच्चों के लिए तालिमी मरकज एवं महादलित बच्चों के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 40,000 कमरों तथा 20,000 खेल मैदानों का निर्माण किया गया है।

BSEDC की मदद से मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में मीना मंच का गठन बालिका सशक्तीकरण के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना की मदद से मध्य विद्यालय के बच्चों को बिहार घूमने का मौका मिल रहा है। अल्पसंख्यक समूह की बालिकाओं को सात ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण NIOS के सहयोग से हुनर कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जा रहा है। इस योजना में प्रति बालिका टूल किट खरीदने के

लिए औजार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 2500 रुपए प्रति बालिका देने का प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती 31 प्रखंडों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान ज्योति व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को 700 रुपए तथा कक्षा 3 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को 500 रुपए प्रतिवर्ष की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी 2500 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

हर साल 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षामंत्री स्व. मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर बिहार में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर सिमुलतला (जमुई जिला) में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई है। राज्य के समस्त इंजीनियरिंग कॉलेजों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पटना में आई.आई.टी., एम्स की स्थापना की गई है।

औपचारिक शिक्षा के विस्तार एवं विकास हेतु 1991 ई. में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की स्थापना की गई है, इसमें यूनिसेफ, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। राज्य में सेकंडरी स्कूलों का परीक्षा संचालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा इंटर स्तरीय कॉलेजों एवं स्कूलों के लिए बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् कर रहा है।

बिहार में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मौलाना मजहरुल हक ने मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत की। 1937 ई. में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1978 से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (NAEP) प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाना था। बिहार में भी इस कार्यक्रम को 1978 से ही लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना है। राज्य में 1988 ई. से केंद्र के सहयोग से साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का प्रारंभ मुजफ्फरपुर से किया गया था। वर्तमान समय में यह राज्य के सभी जिलों में लागू है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (National Literacy Mission) के अंतर्गत त्रिस्तरीय कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें कुल साक्षरता अभियान (TLC), साक्षरता पश्चात् कार्यक्रम (PLP) तथा निरंतर शिक्षा कार्यक्रम (CEP) शामिल हैं। कुल साक्षरता अभियान का प्रारंभ 1991 ई. में मधेपुरा से किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की तर्ज पर ही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री साक्षरता कार्यक्रम (MSK) प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य साक्षर बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनमें कौशल विकास करना है।

विद्यालयों में मीना मंच का गठन बालिका सशक्तीकरण के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना की मदद से मध्य विद्यालय के बच्चों को बिहार घूमने का मौका मिल रहा है।

राज्य में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने फरवरी, 2011 में बिहार मुक्त विद्यालयी एवं शिक्षण परीक्षा बोर्ड (BBOSS) का गठन किया है। इसके द्वारा वैसे छात्र-छात्राएँ, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और विद्यालय में नामांकन कराने में असमर्थ हैं, के लिए 12वीं कक्षा तक की दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बोर्ड के तहत कौशल विकास से संबंधित अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच हो, इसके लिए 2002 ई. में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 86वाँ संशोधन

कर शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 (A) में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अनुच्छेद-45 में जोड़ा गया है कि राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा, जब तक वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता है। मौलिक अधिकार में शिक्षा को शामिल करने के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन करते हुए अनुच्छेद-51 (A) में जोड़ा गया है कि 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य में साक्षरता दर में कमी का एक प्रमुख कारण छाजन दर (Drop out rate) का अधिक होना है। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 से 8 के बीच सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio—GER) बिहार में सबसे कम है। नामांकन दर कम होने के साथ-साथ छाजन दर भी राज्य में अधिक है। प्राथमिक विद्यालयों में यह 51 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर मात्र 29 प्रतिशत है। छाजन दर कम होने का प्रमुख कारण विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में भौतिक सुविधाओं, जैसे—भवन निर्माण, बेंच-डेस्क आदि की उपलब्धता पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा कारण, प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य की भी अधिकता रहती है।

प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच हो, इसके लिए 2002 ई. में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 86वाँ संशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 (A) में शामिल किया गया है,

8 सितंबर, 2009 को केंद्र सरकार द्वारा साक्षर भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। यह मूलतः राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का परिवर्तित रूप है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कुल व्यय का 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार 25 प्रतिशत व्यय करती है। इस योजना का मूल उद्देश्य 15 वर्ष के ऊपर के निरक्षर को साक्षर बनाना एवं महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाना है। वर्तमान समय में साक्षर भारत अभियान (MHRD) में साक्षरता दर बढ़ाने के साथ-साथ विधिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता तथा वित्तीय साक्षरता आदि को भी जोड़ा गया है। यह देश के 410 जिलों में चलाया जा रहा है, जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। इस अभियान के तहत 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत अक्षर ज्ञान के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार, भ्रूण हत्या रोकने संबंधी कानून, दहेज विरोधी कानून, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून आदि की भी जानकारी दी जाती है। चुनाव आयोग के सहयोग से मताधिकार संबंधी जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं। 25 जनवरी, 2011 से प्रतिवर्ष मतदान दिवस मनाया जाता है। मतदान दिवस का आधार वाक्य 'Proud to be a voter — Ready to Vote' है। इस अभियान के तहत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से 1000 मॉडल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 50 घंटे का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता को भी साक्षर भारत अभियान का अंग बनाया गया है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, पेंशन योजनाओं आदि से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। बिहार में साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2010 ई. से भोजपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिले से की गई थी। 2011 ई. में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।

महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए सितंबर, 2009 से ही अक्षर आँचल योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वयस्क शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य संपोषित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है। इस

योजना के तहत महादलित, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक बस्तियों में उत्थान केंद्र एवं तालीमी मरकज की स्थापना की गई है। इनमें टोला सेवक नियुक्त किए गए हैं।

इन प्रयासों के बावजूद प्रारंभ से 2011 ई. की जनगणना तक बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दरवाला राज्य है।

विश्वविद्यालय

क्र. सं. : 1

विश्वविद्यालय का नाम : पटना विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1917 ई.

क्र. सं. : 2

विश्वविद्यालय का नाम : बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1952 ई.

क्र. सं. : 3

विश्वविद्यालय का नाम : तिलकामाँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1960 ई.

क्र. सं. : 4

विश्वविद्यालय का नाम : के.एस.डी.एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1961 ई.

क्र. सं. : 5

विश्वविद्यालय का नाम : मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

स्थापना वर्ष : 1962 ई.

क्र. सं. : 6

विश्वविद्यालय का नाम : राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर

स्थापना वर्ष : 1970 ई.

क्र. सं. : 7

विश्वविद्यालय का नाम : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1972 ई.

क्र. सं. : 8

विश्वविद्यालय का नाम : नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1987 ई.

क्र. सं. : 9

विश्वविद्यालय का नाम : वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

स्थापना वर्ष : 1990 ई.

क्र. सं. : 10

विश्वविद्यालय का नाम : भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

स्थापना वर्ष : 1990 ई.

क्र. सं. : 11

विश्वविद्यालय का नाम : जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा

स्थापना वर्ष : 1990 ई.

क्र. सं. : 12

विश्वविद्यालय का नाम : मौलाना मजरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1998 ई.

क्र. सं. : 13

विश्वविद्यालय का नाम : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

स्थापना वर्ष : 2004 ई.

क्र. सं. : 14

विश्वविद्यालय का नाम : केंद्रीय बिहार विश्वविद्यालय, गया

स्थापना वर्ष : 2005 ई.

क्र. सं. : 15

विश्वविद्यालय का नाम : चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 2007 ई.

क्र. सं. : 16

विश्वविद्यालय का नाम : आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 2009 ई.

क्र. सं. : 17

विश्वविद्यालय का नाम : नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा

स्थापना वर्ष : 2009 ई.

इसके अलावा बिहार में दो डीम्ड विश्वविद्यालय बिहार योगा भारती, मुंगेर, नव नालंदा महाविहार, नालंदा भी स्थित हैं। नए स्थापित विश्वविद्यालय, जो अभी निर्माणाधीन हैं, में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा, किशनगंज शामिल हैं।

मेडिकल कॉलेज

क्र.सं. : 1

मेडिकल कॉलेज का नाम : पटना मेडिकल कॉलेज, पटना

स्थापना वर्ष : 1925 ई.

क्र.सं. : 2

मेडिकल कॉलेज का नाम : मेडिकल कॉलेज, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1947 ई.

क्र.सं. : 3

मेडिकल कॉलेज का नाम : ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज, गया

स्थापना वर्ष : 1969 ई.

क्र.सं. : 4

मेडिकल कॉलेज का नाम : नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना

स्थापना वर्ष : 1969 ई.

क्र.सं. : 5

मेडिकल कॉलेज का नाम : एस.के. मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1971 ई.

क्र.सं. : 6

मेडिकल कॉलेज का नाम : जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1971 ई.

क्र.सं. : 7

मेडिकल कॉलेज का नाम : इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 1983 ई.

क्र.सं. : 8

मेडिकल कॉलेज का नाम : जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा

स्थापना वर्ष : 2000 ई.

क्र.सं. : 9

मेडिकल कॉलेज का नाम : राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया

स्थापना वर्ष : 2009 ई.

क्र.सं. : 10

मेडिकल कॉलेज का नाम : अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 2012 ई.

इसके अलावा बिहार में दो निजी मेडिकल कॉलेज माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, किशनगंज (स्थापना वर्ष 2003 ई.), कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार (स्थापना वर्ष 2001 ई.), बुद्धा डेंटल कॉलेज, कंकड़बाग, पटना स्थित हैं। बिहार में डेंटल कॉलेजों में पटना डेंटल कॉलेज, पटना (स्थापना वर्ष 1974 ई.) तथा दरभंगा डेंटल कॉलेज, दरभंगा (स्थापना वर्ष 1990 ई.) शामिल हैं। पशु चिकित्सा कॉलेजों में फैकल्टी ऑफ वेनरी साइंस एवं एनिमल हसबैंड्री समस्तीपुर तथा वेनरी कॉलेज, पटना शामिल हैं। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, सोरण का निर्माण जारी है।

महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए सितंबर, 2009 ई. से ही अक्षर आंचल योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वयस्क शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है।

बिहार में आयुर्वेदिक कॉलेजों में यतींद्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय, राजकीय तिब्बती-यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कदमकुआँ, पटना, आयुर्वेदिक कॉलेज, मधुबनी, महारानी रामेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज, दरभंगा, वर्द्धमान महावीर आयुर्विज्ञान

संस्थान, पावापुरी, आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, कदमकुआँ, पटना शामिल हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेज

क्र.सं. : 1

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पूसा

स्थापना वर्ष : 1905 ई.

क्र.सं. : 2

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना

स्थापना वर्ष : 2008 ई.

क्र.सं. : 3

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना

स्थापना वर्ष : 2006 ई.

क्र.सं. : 4

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1954 ई.

क्र.सं. : 5

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सबौर, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1960 ई.

क्र.सं. : 6

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छपरा

स्थापना वर्ष : 2012 ई.

क्र.सं. : 7

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना जिसे 2004 ई. में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना का दर्जा मिला

स्थापना वर्ष : 1886 ई.

क्र.सं. : 8

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क ऐंड टेक्सटाइल, नाथ नगर, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1994 ई.

क्र.सं. : 9

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, पटना

स्थापना वर्ष : 1982 ई.

क्र.सं. : 10

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 2008 ई.

क्र.सं. : 11

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज, नालंदा

स्थापना वर्ष : 2008 ई.

क्र.सं. : 12

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : गया इंजीनियरिंग कॉलेज, गया

स्थापना वर्ष : 2008 ई.

इसके अलावा बिहार में कुछ निजी इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, जिनमें मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, पटना, आर.पी. शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना, वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दरभंगा, मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूर्णिया शामिल हैं।

प्रबंधन संस्थान

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1973 ई.

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐंड सोशल चेंज, पटना

स्थापना वर्ष : 1973 ई.

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पटना

स्थापना वर्ष : 1980 ई.

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 2008 ई.

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गया

स्थापना वर्ष : 2015 ई.

विधि महाविद्यालय

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : टी.एन.बी. कॉलेज

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : एस.के.जे. लॉ कॉलेज

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : ए.एम. कॉलेज

स्थान : गया

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : महाराजा लॉ कॉलेज

स्थान : आरा

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : पटना लॉ कॉलेज

स्थान : पटना

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : विदेह लॉ कॉलेज

स्थान : मधुबनी

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : लॉ कॉलेज

स्थान : समस्तीपुर

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : शिवानंद मंडल कॉलेज

स्थान : मधेपुरा

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : एम.एस. कॉलेज

स्थान : मोतिहारी

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

स्थान : पटना

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय)

स्थान : पटना

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : लीची अनुसंधान केंद्र

स्थान : मुसहरी,

क्र.सं. :

संस्थान का नाम :

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : दलहन अनुसंधान केंद्र

स्थान : मोकामा

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : मक्का अनुसंधान केंद्र

स्थान : बेगूसराय

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र

स्थान : पटना

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : आलू अनुसंधान संस्थान

स्थान : नालंदा

इसके अलावा बिहार में कृषि यंत्रीकरण अनुसंधान केंद्र, पान अनुसंधान केंद्र तथा मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

अन्य शिक्षण संस्थाएँ

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट ऐंड क्राफ्ट

स्थान : पटना

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स ऐंड क्राफ्ट

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : नव नालंदा महाविहार

स्थान : नालंदा

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : टी.वी. डिमॉन्स्ट्रेशन ऐंड ट्रेनिंग सेंटर

स्थान : पटना

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट

स्थान : कदमकुआँ, पटना

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : बिहार शोध संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : के.पी. जायसवाल शोध संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : डॉ. ए.एन. सिन्हा शोध संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : चित्र एवं मूर्तिकला विद्यालय

स्थान : पटना

क्र.सं. : 10

संस्थान का नाम : ए.एन. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 11

संस्थान का नाम : मदरसा इस्लामिक शमशुल हुदा

स्थान : पटना

क्र.सं. : 12

संस्थान का नाम : ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप ऐंड सोशल चेंज

स्थान : पटना

क्र.सं. : 13

संस्थान का नाम : मन्दार विद्यापीठ

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 14

संस्थान का नाम : मूक-बधिर विद्यालय

स्थान : पटना

क्र.सं. : 15

संस्थान का नाम : संस्कृत विद्यापीठ

स्थान : पटना

क्र.सं. : 16

संस्थान का नाम : नेत्रहीन छात्र विद्यालय

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 17

संस्थान का नाम : पटना नेत्रहीन विद्यालय

स्थान : कदमकुआँ, पटना

क्र.सं. : 18

संस्थान का नाम : जेवियर फायर सेफ्ट अकादमी, एसकेपुरी

स्थान : पटना

क्र.सं. : 19

संस्थान का नाम : बालिका विद्यापीठ

स्थान : लखीसराय

क्र.सं. : 20

संस्थान का नाम : भारतीय नृत्यकला मंदिर

स्थान : पटना

क्र.सं. : 21

संस्थान का नाम : दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट

स्थान : दरभंगा

क्र.सं. : 22

संस्थान का नाम : कृषि अनुसंधान केंद्र

स्थान : मीठापुर, पटना

क्र.सं. : 23

संस्थान का नाम : राजकीय संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला

स्थान : पटना

क्र.सं. : 24

संस्थान का नाम : फल अनुसंधान संस्थान

स्थान : सबौर

क्र.सं. : 25

संस्थान का नाम : सेंट्रल यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट

स्थान : पटना

क्र.सं. : 26

संस्थान का नाम : भारतीय नृत्यकला मंदिर

स्थान : पटना

प्रमुख पुस्तकालय

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : श्रीनंदन पुस्तकालय, छपरा

स्थापना वर्ष : 1935 ई.

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : प्रमंडलीय पुस्तकालय, सहरसा

स्थापना वर्ष : 1954 ई.

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : भगवान पुस्तकालय, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1913 ई.

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : खुदाबख्श लाइब्रेरी (द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी), पटना

स्थापना वर्ष : 1891 ई.

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : पब्लिक लाइब्रेरी, पूर्णिया

स्थापना वर्ष : 1952 ई.

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1919 ई.

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : प्रमंडलीय पुस्तकालय, गया

स्थापना वर्ष : 1955 ई.

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : गोपाल नारायण पुस्तकालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1912 ई.

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

स्थापना वर्ष : 1916 ई.

क्र.सं. : 10

संस्थान का नाम : श्री शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज, वैशाली

स्थापना वर्ष : 1914 ई.

क्र.सं. : 11

संस्थान का नाम : महंत रामशरण दास पुस्तकालय, समस्तीपुर

स्थापना वर्ष : 1939 ई.

क्र.सं. : 12

संस्थान का नाम : श्री हिंदी पुस्तकालय, सोहसराय, नालंदा

स्थापना वर्ष : 1924 ई.

क्र.सं. : 13

संस्थान का नाम : ज्ञान निकेतन पुस्तकालय, सीतामढ़ी

स्थापना वर्ष : 1946 ई.

क्र.सं. : 14

संस्थान का नाम : प्रभावती पुस्तकालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1973 ई.

क्र.सं. : 15

संस्थान का नाम : श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान व सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, पटना

स्थापना वर्ष : 1924 ई.

प्रमुख शैक्षणिक/शोध संस्थान

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : बिहार उर्दू अकादमी, पटना

स्थापना वर्ष : 1975 ई.

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : कला भवन, पूर्णिया

स्थापना वर्ष : 1955 ई.

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : प्राकृत जैनशास्त्र शोध संस्थान, वैशाली

स्थापना वर्ष : 1955 ई.

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : अरेबिक ऐंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना

स्थापना वर्ष : 1955 ई.

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1951 ई.

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना

स्थापना वर्ष : 1950 ई.

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

स्थापना वर्ष : 1950 ई.

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : मैथिली साहित्य परिषद्

स्थापना वर्ष : 1939 ई.

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, पटना

स्थापना वर्ष : 1919 ई.

क्र.सं. : 10

संस्थान का नाम : बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना

स्थापना वर्ष : 1915 ई.

क्र.सं. : 11

संस्थान का नाम : रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृत जेनेलॉजी ऐंड एहिम्शा, वैशाली

स्थापना वर्ष : 1955 ई.

क्र.सं. : 12

संस्थान का नाम : संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 1980 ई.

इसके अलावा राज्य में राजकीय पॉलिटेक्निक, बरौनी, भागलपुर, मधौरा (सारण), दरभंगा, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा स्थित हैं। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, पटना में तथा न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना में स्थित हैं। राज्य में

आई.टी.आई. दीघा (पटना), भागलपुर, नवादा, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, हाजीपुर, गया, डेहरीओनसोन, बक्सर, सीतामढ़ी, हथुआ, बेतिया, घोघरडीहा, वीरपुर, बेगूसराय, फारबिसगंज में स्थित हैं, जबकि महिला आई.टी.आई. सीवान, आरा, दरभंगा, दीघा (पटना), मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में स्थित हैं।

प्रमुख संग्रहालय

संग्रहालय मात्र सांस्कृतिक धरोहर के भंडार नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक पुनर्निर्माण का कार्य भी करते हैं। ये एक ऐसे जीवंत केंद्र हैं, जहाँ से सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्राप्त कर, उनका सच्चा अर्थ समझकर अपने नए जीवन में सदुपयोग किया जा सकता है। भारत में संग्रहालय की शुरुआत 1814 ई. में इंडिया म्यूजियम, कलकत्ता की स्थापना के साथ हुई। बिहार में संग्रहालय का बीजारोपण 1855 ई. में गया की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का था। बिहार के प्रमुख संग्रहालय निम्न हैं

पटना संग्रहालय

पटना संग्रहालय की विधिवत् स्थापना 1917 ई. में पटना उच्च न्यायालय के उत्तर भाग में की गई। बाबू शरदचंद्र राय इसके प्रथम संग्रहालयाध्यक्ष नियुक्त हुए। यहाँ पर पुराकाल से आधुनिक काल तक के अवशेष एवं

कलाकृतियाँ संगृहीत हैं। प्रस्तर, मृत्तिका, धातु प्रतिमाओं के साथ प्रागैतिहासिक सामग्रियाँ और मृद्भांड, प्राचीन काल से लेकर आधुनिकतम सिक्के, चित्रकला तथा अन्य कलात्मक सामग्रियों का अकूत भंडार यहाँ पर है।

चंद्रधारी संग्रहालय

मधुबनी के एक जमींदार श्री चंद्रधारी सिंह के व्यक्तिगत बहुमूल्य पुरावशेषों के संग्रह को लेकर बिहार सरकार ने दरभंगा में 1957 ई. में एक संग्रहालय की स्थापना की, जिसका नाम चंद्रधारी संग्रहालय रखा गया। इस संग्रहालय में लगभग 6 हजार पुरावशेष एवं कला सामग्रियाँ हैं, जिनमें मृण्मूर्ति, सिक्के, पेंटिंग के साथ-साथ धातु, काष्ठ, मिट्टी, हाथीदाँत की वस्तुएँ, विभिन्न प्रकार के मनके, पांडुलिपियाँ, प्राचीन शस्त्रास्त्र, फर्नीचर, बहुमूल्य पत्थर, सुवर्ण सामग्री, आभूषण, वस्त्र, वाद्य आदि प्रमुख हैं।

गया संग्रहालय

गया संग्रहालय की स्थापना गया निवासी श्री बलदेव प्रसाद के व्यक्तिगत संग्रह को लेकर 1952 ई. में की गई, जिसका अधिग्रहण 14 फरवरी, 1970 ई. में पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय, बिहार द्वारा किया गया। इस संग्रहालय में लगभग 500 पुरावशेषों एवं कला सामग्रियों का महत्वपूर्ण संग्रह है। पालकालीन पुरावशेष अद्वितीय हैं। पालकालीन प्रस्तर एवं कांस्य मूर्तियाँ तथा अन्य कला सामग्रियों के संग्रह के कारण गया संग्रहालय लोकप्रिय है।

नारद संग्रहालय, नवादा

1974 ई. में नवादा के जिलाधीश श्री एन.पी. सिंह के सद्प्रयासों से नारद संग्रहालय की स्थापना हुई। उसी वर्ष 15 अगस्त को पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय, बिहार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। यहाँ पर पालकालीन प्रस्तर शिल्प एवं 18-19वीं सदी की पांडुलिपियाँ संगृहीत हैं।

बाबू कुँवर सिंह संग्रहालय, जगदीशपुर

1972 ई. में बिहार सरकार द्वारा बाबू कुँवर सिंह की स्मृति में उन्हीं के घर में एक संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ पर कुछ चित्र, देस्तावेज तथा प्लास्टर से निर्मित मूर्ति संगृहीत हैं। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इस संग्रहालय में विजयोत्सव राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है।

भागलपुर संग्रहालय

1976 ई. में बिहार सरकार ने भागलपुर क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा को देखते हुए भागलपुर में एक बहुद्देशीय संग्रहालय की स्थापना की। इस संग्रहालय में प्रस्तर शिल्प, मृण्मूर्तियों का संग्रह है।

महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा

दरभंगा राजदरबार ने बिहार सरकार को लगभग 1600 कला वस्तुओं का उपहार देकर महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के नाम पर संग्रहालय खोलने का अनुरोध किया। मई, 1989 में बिहार सरकार द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ पर छोटी-बड़ी सामग्री के अतिरिक्त हाथीदाँत की दुर्लभ सामग्री सम्मिलित हैं।

रामचंद्र शाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर के श्री विजय कुमार शाही के लगभग 16000 पुरावशेषों एवं कला सामग्री का संग्रह कर राज्य

सरकार ने 1979 ई. में इनके पिता के नाम पर रामचंद्र शाही संग्रहालय की स्थापना की। यहाँ पर कई तरह दुर्लभ कला सामग्री का संग्रह है।

बेगूसराय संग्रहालय

1981 ई. में जी.डी. कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. ए. कुमार एवं डॉ. पीयूष गुप्ता के प्रयासों से बेगूसराय में एक संग्रहालय की स्थापना की गई। पालकालीन शिल्पों के संग्रह के लिए इस संग्रहालय को जाना जाता है।

मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ (मधुबनी)

विश्वविख्यात मधुबनी चित्रों एवं पांडुलिपियों का संग्रह करते हुए 1981 ई. में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य मिथिला चित्रकला एवं मिथिला संस्कृति को विश्वविख्यात करना है।

इसके अलावा बिहार में छपरा संग्रहालय, दीप नारायण सिंह संग्रहालय, वैशाली, गांधी स्मृति संग्रहालय, भित्तिहरवा, जननायक कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय भी प्रमुख हैं। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित संग्रहालयों के अतिरिक्त बिहार में केंद्र सरकार के संग्रहालय भी स्थित हैं। 1917 ई. में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, नालंदा की स्थापना उत्खनन से प्राप्त सामग्री के संरक्षण को रखकर की गई। वर्ष 1956 ई. में बोधगया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का निर्माण हुआ। इन सरकारी संग्रहालयों के अलावा कुछ गैर-सरकारी संग्रहालय बिहार में हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इनमें गांधी संग्रहालय, पटना, राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, सदाकत आश्रम, पटना, स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय, जहानाबाद, नागार्जुन संग्रहालय, जहानाबाद प्रमुख हैं। निजी संग्रहालयों में पटना सिटी का किला हाउस, पटना का फोक आर्ट म्यूजियम, आरा के जैन सिद्धांत भवन की आर्ट गैलरी आदि प्रमुख हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मानव विकास का प्रमुख घटक है। अतः यह सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के लिए इसका ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकरण, अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा, औषधि एवं उपकरण, कुशल एवं प्रशिक्षित चिकित्सक, देखरेख एवं रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा-संबंधी जरूरतों के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल, पोषणयुक्त भोजन भी गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को दो बड़े वर्गों में बाँटते हैं—रोधात्मक एवं उपचारात्मक। रोधात्मक सेवा में स्वच्छ वातावरण, पोषक भोजन, स्वच्छता, शौचालय सुविधा तथा शुद्ध पेयजल को शामिल करते हैं, जबकि उपचारात्मक सेवा में सभी प्रकार की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को शामिल करते हैं।

बिहार में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति हुई है। जीवन प्रत्याशा में, विशेषकर महिलाओं के जीवन प्रत्याशा में, सुधार आया है। नीचे की तालिका में 2006-10 ई. के बीच में एवं 2010-2014 के बीच में जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि को बिहार एवं भारत की स्थिति को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

बिहार एवं भारत की जीवन प्रत्याशा

राज्य/ भारत	2006-10			2010-14		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
बिहार	65.5	66.2	65.8	67.8	68.4	68.1
भारत	64.6	67.7	66.1	66.4	69.6	67.9

स्रोत : सेंपल पंजीकरण प्रणाली (SRS) कार्यालय,
रजिस्ट्रार जनरल, भारत

स्वास्थ्य सेवा का मापन अनेक संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जैसे—अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, पाँच वर्ष के अंदर मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, कुल उर्वरता दर, कुल प्रजनन दर आदि। अशोधित मृत्यु दर (CBR) बिहार में 2014 ई. में 25.9 प्रतिशत थी जो भारत की 21.0 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। शिशु मृत्यु दर (IMR) बिहार में 2011 में 44 प्रति हजार थी जो 2014 में घटकर 42 हो गई, जबकि इसी अवधि में भारत की शिशु मृत्यु दर बिहार के बराबर 44 थी, जो 2014 में घटकर 39 हो गई है। राज्य की कुल उर्वरता दर (TFR) 2011 में 3.6 प्रतिशत थी, जो 2014 में घटकर 3.2 प्रतिशत हुई, लेकिन इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.4 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत हो गई है। नीचे की तालिका में बिहार एवं भारत की चयनित स्वास्थ्य सूचकांक को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

बिहार एवं भारत का चयनित स्वरूप सूचकांक

	संकेतक	अशोधित जन्म दर	शिशु मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर	पाँच वर्ष के अंदर मृत्यु दर	नवजात मृत्यु दर	कुल उर्वरता दर	कुल प्रजनन दर
भारत								
2014	कुल	21.0	39	11	45	26	2.3	3.9
	ग्रामीण	22.7	43	12	51	30	2.5	4.0
	शहरी	17.4	26	6	28	15	1.8	3.5
2013	कुल	21.4	40	11	49	28	2.3	4.4
	ग्रामीण	22.9	44	12	55	31	2.5	4.5
	शहरी	17.3	27	6	29	15	1.8	4.2

बिहार								
2014	कुल	25.9	42	12	53	27	3.2	4.3
	ग्रामीण	26.9	43	13	54	29	3.3	4.4
	शहरी	19.9	37	9	43	13	2.4	3.9
2013	कुल	27.6	42	11	54	28	3.4	5.7
	ग्रामीण	28.3	42	12	46	29	3.5	5.7
	शहरी	21.5	33	8	37	11	2.5	4.9

स्रोत : कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल, भारत

राज्य में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा को तीन स्तर पर विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), उपकेंद्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (APHC) की व्यवस्था है। द्वितीय स्तर पर राज्य स्तर पर हॉस्पिटल एवं प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) स्थापित किया गया है, जबकि तृतीय स्तर शीर्ष स्तर पर विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाएँ, जिसमें (ICU) आधुनिक जाँच सुविधाएँ, विशेषज्ञ चिकित्सक को सम्मिलित किया गया है।

राज्य में 2011 में सरकारी अस्पतालों में आनेवाले मरीजों की औसत संख्या 9,317 प्रतिमाह थी, जो 2013 में बढ़कर 10,476 हो गई। यह वृद्धि 12 प्रतिशत है, जिसका मुख्य कारण अस्पतालों में उत्तम आधारभूत सुविधा, चिकित्साकर्मियों की संख्या में वृद्धि, उचित देखभाल आदि था, लेकिन 2014-15 में मरीजों की संख्या में कमी आई है।

वर्तमान समय में राज्य में 36 जिला अस्पताल, 55 अनुमंडल स्तरीय अस्पताल, 70 रेफरल अस्पताल, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9729 उपकेंद्र तथा 1350 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं। बिहार में 2015 ई. में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 11 स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के 9 अस्पताल को अनुमंडल स्तरीय अस्पताल तथा 130 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

बिहार में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना (संख्या में)

वर्ष	जिला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	स्वास्थ्य केंद्र				प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य केंद्र
				पी.एच.सी.	उपकेंद्र	ए.पी.एच.सी.	कुल	
2011	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2012	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2013	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2014	36	70	55	533	9729	1350	11612	11
2015	36	70	55	533	9729	1350	11612	11
2016	36	70	55	533	9729	1350	11612	11

स्रोत: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार सरकार

राज्य में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचनावाले तीन जिले जमुई, शेखपुरा एवं नवादा हैं, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण सबसे पीछे हैं। राज्य में 2015-16 में प्रतिदिन सर्वाधिक रोगियों की चिकित्सा क्रमशः पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं औरंगाबाद में की गई, जबकि सबसे कम रोगी क्रमशः शिवहर, नवादा एवं जमुई में चिकित्सा के लिए आए।

राज्य में चिकित्सा सेवा के विस्तार के लिए संस्थागत प्रयास किए गए हैं। 2005 ई. में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है, के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना (JSY) प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित करना है। राज्य में बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टी.टी. (Anti-Tetanus) बीसीजी,

ओपीवी, डीपीटी, पेंटा तथा मिजल्स आदि को शामिल किया गया है। 2016-17 में मिजल्स के टीकाकरण में बिहार ने 96 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया है।

2015-16 में राज्य में सर्वाधिक रोगियों की संख्या साँस से संबंधित बीमारियों (13.5 लाख), अज्ञात स्रोत का बुखार (10.3 लाख), डायरिया (5.1 लाख), पेचिश (2.8 लाख), आँतों का बुखार (2.6 लाख) थी। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कालाजार रिलीफ फंड के तहत प्रत्येक रोगी को 6600 रुपये स्वास्थ्य सुधार हेतु दिए जाने का प्रावधान है। 2015-16 में कालाजार रोगियों की संख्या में 29 प्रतिशत की कमी देखी गई है। राष्ट्रीय डी-वार्मिंग प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ 46 लाख 1-19 वर्ष के बच्चों को अलमेंडाजोल टेबलेट प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 73 शहरी (PHC) शुरू किया गया है। बिल ऐंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एवं राज्य के सरकार के बीच 5 वर्षों (2017-21) के लिए राज्य में स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आई.सी.डी.एस., कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इकरारनामा किया गया है। तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, भागलपुर को नेचुरोपैथी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत अवसर बढ़े, आगे पढ़े को ध्यान में रखकर जनरल नर्सिंग ऐंड मिडवाइफरी (GNM) संस्थान राज्य के 23 जिलों में अगले पाँच वर्षों में शुरू करने का लक्ष्य है। पी.पी.पी. मोड पर ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड (मेदांता, मुड़गाँव) के द्वारा जयप्रभा अस्पताल, पटना के परिसर में जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की गई है।

एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme)

राज्य में इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1972 को 3 प्रखंडों से की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या 1.91 करोड़, राज्य की कुल जनसंख्या का 18.3 प्रतिशत है। इस सेवा में पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवा, 3-6 वर्ष के उम्र समूह के बच्चों की प्री-स्कूली शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाता है। वर्तमान में बिहार के 38 जिलों में कुल 544 (ICDS) कार्यक्रम चल रहे हैं। इन 544 केंद्रों के अंतर्गत राज्य में कुल 91.6 हजार आँगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (SABLA)

राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 11-18 वर्ष की बालिकाओं की संख्या 83 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत है। इस योजना की शुरुआत नवंबर, 2010 में स्कूल से बाहर की बच्चियों पर ज्यादा ध्यान रखते हुए की गई। बच्चियों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, घरेलू कौशल, जीवन कौशल एवं व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा, इस योजना की प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। इसे देश के कुल 200 जिलों में, जिनमें से बिहार के 12 जिले—पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, बाँका, कटिहार एवं मुंगेर जिले में लागू किया गया। इसके तहत पूरक पोषण (600 किलो कैलोरी) एवं 18-20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के व्यय का अनुपात 60:40 है। यह योजना स्कूल से बाहर के 11-14 वर्ष के बीच की बच्चियों एवं 14-18 वर्ष के बीच की स्कूली बच्चियों के लिए वर्ष में 300 दिन के लिए लागू किया गया।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)

NFHS-4 के अनुसार मातृ कुपोषण और एनीमिया बिहार में बढ़ी चुनौती है। राज्य में गर्भवती महिलाओं में 30.4

प्रतिशत महिलाएँ कम शारीरिक भार सूचकांक (BMI) तथा 60.3 प्रतिशत एनीमिया से ग्रस्त हैं। गर्भवती और स्तनपान करानेवाली महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अक्टूबर, 2010 में पूर्णतया केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई। वर्तमान में यह योजना बिहार के दो जिलों—सहरसा एवं वैशाली में चल रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को 6000 रुपए प्रति दो किस्त में बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

पीने के पानी की आपूर्ति एवं स्वच्छता

बिहार में स्वास्थ्य की खराब स्थिति का मुख्य कारण है बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने के पानी की स्वच्छता की कमी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में केवल 4.4 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन का उपयोग किया जाता है तथा 89.6 प्रतिशत परिवार हैंडपंप/ट्यूबवेल/बोरवेल पानी पर निर्भर करते हैं। राज्य में कुल 76.9 प्रतिशत परिवार, शहरी क्षेत्रों में 31.1 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 82.4 प्रतिशत परिवारों के पास घर में शौचालय का अभाव है। भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को इस समस्या से निजात हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना शुरू की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2019 तक सभी घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार के द्वारा अपने सात निश्चय में हर घर, नल का जल तथा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, दो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ पानी हेतु चार योजनाएँ हैं, जिनमें से तीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा एक शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई है। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के तहत 2022 ई. तक देश के सभी घरों में 70 लीटर जल प्रति परिवार प्रतिदिन उपलब्ध कराने की योजना है।

खेल-कूद

1961 ई. में बिहार में खेल-कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद् का गठन किया गया। बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 31 जुलाई, 1986 को किया गया। राज्य में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, लांग टेनिस, हॉकी ज्यादातर खेला जाता है। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के साथ बिहार में लोकप्रिय हुई। बिहार में फुटबॉल की शुरुआत 1897 ई. में इंग्लिश शील्ड से हुई। यह शील्ड पटना एथलेटिक एसोसिएशन से संबंध रखती है। इसके अलावा चिका, सुई-धागा दौड़, आइस-पाइस, गुल्ली-डंडा, लँगड़ी, डेंगा-पानी, बोरा-दौड़ा आदि यहाँ के क्षेत्रीय खेल हैं।

खेल स्टेडियम

क्र.सं. : 1

खेल स्टेडियम : राजेंद्र स्टेडियम

स्थान : छपरा

क्र.सं. : 2

खेल स्टेडियम : सचिवालय इंडोर स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 3

खेल स्टेडियम : संजय गांधी मिनी स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 4

खेल स्टेडियम : हाजीपुर स्टेडियम

स्थान : हाजीपुर

क्र.सं. : 5

खेल स्टेडियम : खुदीराम बोस स्टेडियम

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 6

खेल स्टेडियम : सुब्रह्मण्यम स्टेडियम

स्थान : गया

क्र.सं. : 7

खेल स्टेडियम : वीर कुँवर सिंह पुलिस स्टेडियम

स्थान : आरा

क्र.सं. : 8

खेल स्टेडियम : मोइनुल हक स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 9

खेल स्टेडियम : जगजीवन राम स्टेडियम

स्थान : खगौल

क्र.सं. : 10

खेल स्टेडियम : इंदिरा गांधी स्टेडियम

स्थान : पूर्णिया

क्र.सं. : 11

खेल स्टेडियम : मिथिलेश स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 12

खेल स्टेडियम : रेलवे स्टेडियम

स्थान : हाजीपुर

क्र.सं. : 13

खेल स्टेडियम : डाक-तार मनोरंजन एवं इंडोर स्टेडियम

स्थान : पटना

खेल ट्रॉफी

क्र.सं. : 1

खेल : हॉकी

संबंधित ट्रॉफी : कजन्स कप, जयपाल सिंह कप

क्र.सं. : 2

खेल : फुटबॉल

संबंधित ट्रॉफी : मोईनुल हक ट्रॉफी, गवर्नर गोल्ड कप, रवि नेहा ट्रॉफी, अनुग्रह नारायण शील्ड, रवि मेहता ट्रॉफी, रिपब्लिक शील्ड, प्रेसिडेंट कप

क्र.सं. : 3

खेल : क्रिकेट

संबंधित ट्रॉफी : हेमंत ट्रॉफी, रंधीर वर्मा शील्ड

प्रमुख खिलाड़ी

क्र.सं. : 1

खेल : क्रिकेट

संबंधित खिलाड़ी : सबा करीम, कीर्ति आजाद, तिलक राज, सुब्रत बनर्जी, रमेश सक्सेना, शेखर सिन्हा, हरि किडवानी, केशव प्रसाद, अविनाश, राकेश शुक्ला, दलजीत सिंह, बलदेव गोसाई, रंधीर सिंह

क्र.सं. : 2

खेल : फुटबॉल

संबंधित खिलाड़ी : बदरी प्रसाद, पी.के. बनर्जी, विधानचंद्र मिश्र, अवधेश कुमार सिन्हा, सुबोध काजीवाल, शत्रुघ्न राय, विजय कुमार, चंद्रशेखर आजाद, मेवालाल, श्याम सुंदर, रवि रंजन, ललन दुबे, रामेश्वर लाल, अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ, चंदेश्वर प्रसाद

क्र.सं. : 3

खेल : हॉकी

संबंधित खिलाड़ी : एल.के. मिंज, जेम्स केरकेटा, हेलेन सोया, यासमनी सांगा, गोपाल मंगरा, जयपाल सिंह, राशि दुलारी, अमला गुड़िया, अमृत लकड़ा, पुष्पा टोपनो, सुवारे सांगा, अनमोल काइड, एस. डुंगडुंग, सुशीला टोपनो, प्रियंका कुमारी, विश्वासी

क्र.सं. : 4

खेल : निशानेबाजी

संबंधित खिलाड़ी : जगरनाथ मिश्र, जगरनाथ सिंह, के.के. झा, प्रणव सिन्हा, शेखर भगत, एस.के. राय चौधरी

क्र.सं. : 5

खेल : शतरंज

संबंधित खिलाड़ी : अंजना झा, योगेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, बी.के. श्रीवास्तव, बारूगीज कोसी, विशाल शरीण, पप्पूरमाणी, दिव्येंद्र बरुआ, संजीव कुमार, दोलन चंपा बोस

क्र.सं. : 6

खेल : टेनिस

संबंधित खिलाड़ी : दिनश मोहन, चंद्रभूषण, बीमुडे, नीशेसेन, सुरेंद्र कुमार, खोसू, सेन, शैल्य कुमार उपाध्याय

क्र.सं. : 7

खेल : बैडमिंटन

संबंधित खिलाड़ी : अली अकबर, सरोजिनी, कावेरी घोष, चितरंजन सिन्हा, बागु चटर्जी, राज कुमार मिश्र, मोहन आहूजा

क्र.सं. : 8

खेल : बेस बॉल

संबंधित खिलाड़ी : सुनील सिंह, अजय तिवारी, सुधांशु शेखर, स्मितापाल, एहसान अहमद

क्र.सं. : 9

खेल : ताइक्वांडो

संबंधित खिलाड़ी : सत्यजीत शाक्त, शालिनी श्रीवास्तव

क्र.सं. : 10

खेल : बिलियर्ड्स

संबंधित खिलाड़ी : कुमार आधानंद सिन्हा, कुमार तारानंद सिन्हा, कुमार श्यामानंद सिन्हा

क्र.सं. : 11

खेल : कैरम

संबंधित खिलाड़ी : रश्मि कुमारी, रंजन प्रकाश

क्र.सं. : 12

खेल : कराटे

संबंधित खिलाड़ी : नंदी प्रसाद, पिकी श्रीवास्तव

क्र.सं. : 13

खेल : एथलेटिक्स

संबंधित खिलाड़ी : सरोज लकड़ा, जगराज सिंह, समित्रा सवैया, शिवनाथ सिंह, जमील अंसारी, पुष्पा एक्का, अरविंद पन्ना, ओमपाल सिंह, अजमेर सिंह, इकबाल सिंह, बलविंद्र सिंह, बहादुर सिंह, मर्सी कुट्टन, अमिताभ राय, शिवनाथ सिंह

क्र.सं. : 14

खेल : सॉफ्टबॉल

संबंधित खिलाड़ी : प्राची शर्मा

क्र.सं. : 15

खेल : तीरंदाजी

संबंधित खिलाड़ी : राजिंदर गुइयाँ, पूर्णिमा महतो, निर्मल कुमार सिंह

क्र.सं. : 16

खेल : पोलवॉल्ट

संबंधित खिलाड़ी : सुंदर सिंह तानवर

क्र.सं. : 17

खेल : बास्केटबॉल

संबंधित खिलाड़ी : राजेश श्रीवास्तव, सुनील कुमार पांडा

क्र.सं. : 18

खेल : भारोत्तोलन

संबंधित खिलाड़ी : बुधवा उराँव, इंद्रजीत सिंह, रतन कुमार बसाक

क्र.सं. : 19

खेल : टेबल टेनिस

संबंधित खिलाड़ी : संजीव शंकर

बिहार में फुटबॉल रेफरी के रूप में ताहिर हुसैन, योगेंद्र पंडित, विजय कुमार सिन्हा, मानिक सेनगुप्ता, क्रिकेट अंपायर के रूप में गोरा बोस, के.बी. राव, एस.बी. रमणी, शलील दास, हिंदी कॉमेंटेटर के रूप में यू.के. सिन्हा, प्रेम कुमार, धर्मवीर सिंह, सुनील कुमार मुखर्जी, बद्री प्रसाद, शमीर सेनगुप्ता, विजय कुमार जमुआर, अंग्रेजी कॉमेंटेटर के रूप में जयंत चटर्जी, मोइनुल हक ने बहुत प्रसिद्धि पाई है।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

बिहार राज्य के अंतर्गत खेल के सर्वांगीण विकास, प्रसार के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय पटना में है। इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री बिहार होंगे। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष, आयुक्त-सह-सचिव, युवा कार्य, खेल एवं संस्कृति विभाग, निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण विभाग पदेन सदस्य होंगे। इसके सदस्य गणों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 5 संसद् सदस्य/विधानमंडल सदस्य (जिनमें कम-से-कम एक जनजाति क्षेत्र के होंगे), राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 7 खेल प्रवर्तक/खेल विकास से संबंधित मामलों की जानकारी रखनेवाले व्यक्ति (जिनमें कम-से-कम एक महिला होगी), बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन उत्कृष्ट खिलाड़ी (जिनमें कम-से-कम एक महिला होगी), राज्य सरकार के द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए मनोनीत राज्य के दो विश्वविद्यालयों के छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो खेल प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो पत्रकार, राज्य सरकार के द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए मनोनीत सात मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय खेल संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्राधिकरण के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे।

प्राधिकरण के लक्ष्य

1. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीति के आलोक में राज्य में खेलों के विकास, प्रसार एवं प्रचार के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना।
2. समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा अन्य निकायों द्वारा खेल-कूद के स्तरोन्नयन एवं खेल के प्रसार, प्रचार तथा विकास के निमित्त सौंपी गई योजनाओं को जारी रखना और उनका कार्यान्वयन करना।
3. नई संस्थाओं की स्थापना करना तथा नई एवं पूर्व से चल रही संस्थाओं को चलाना, प्रबंध करना और संचालन करना।
4. राज्य में खेल-कूद के विकास संबंधी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना।
5. राज्य सरकार तथा राज्यस्तरीय विभिन्न खेल संस्थाओं के बीच माध्यम के रूप में कार्य करना।
6. खेल प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविरों, प्रदर्शनी मैचों तथा अन्य खेल गतिविधियों का आयोजन, प्रायोजन तथा व्यवस्था स्वयं करना तथा ऐसे कार्यों के लिए अन्य संस्थाओं को सुविधाएँ एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
7. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए व्यवस्था करना, आर्थिक सहायता देना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8. विभिन्न खेलों में उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सुविधाओं की व्यवस्था करना।
9. राज्य में खेल अवस्थापना (Sports Infrastructure), खेल सुविधाओं, सहायक भवनों, खेल मैदानों, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल आदि के लिए योजना बनाना, उनका विकास करना, निर्माण करना, अधिग्रहण करना, प्रबंध करना, रखरखाव करना तथा उनका प्रयोग करना एवं अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुरूप उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुविधाएँ एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करना।
10. मोइनूल हक स्टेडियम, राजेंद्रनगर, पटना का नियंत्रण, विकास एवं देखरेख करना।
11. राज्य सरकार द्वारा खेल-कूद के प्रसार एवं खेल-कूद के उन्नयन के लिए चलाई जा रही या प्रस्तावित योजनाओं के प्रशासन का भार सौंपे जाने पर उनका कार्यान्वयन करना।
12. खेलों के विकास के लिए राज्य में सुविधाजनक स्थानों में खेल केंद्रों की स्थापना करना।
13. अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन तथा संचालन के लिए आयोजकों को तकनीकी तथा अन्य सहायता देना एवं खेल उपस्कर, खेल सुविधाएँ तथा विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
14. खिलाड़ियों, खेल पदाधिकारियों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कदम उठाना और सक्रिय अथवा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों तथा अधिकारियों (जिसमें प्रशिक्षक भी शामिल हैं) के लिए हितकारी योजना बनाना और उनका कार्यान्वयन करना।
15. खेल-कूद में विशिष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना, आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
16. खेल और इससे संबंधित विषयों पर संगोष्ठी/सम्मेलन इत्यादि आयोजित करना।

17. चल और अचल परिसंपत्तियों की खरीद अथवा स्वामित्व प्राप्त करना अथवा पट्टे पर या किराए पर लेना और ऐसी किसी भी चल-अचल परिसंपत्ति को बेचना, गिरवी रखना, हस्तांतरण करना अथवा अन्य निपटारा करना, परंतु ऐसी अचल परिसंपत्तियों के बारे में प्रत्येक कार्रवाई करने के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

18. ऐसी सभी कार्रवाई और कार्य करना, जिसे प्राधिकरण उपर्युक्त लक्ष्यों अथवा इनमें से किसी एक की प्राप्ति तथा विस्तार के लिए आवश्यक समझे।

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

13. स्थिति एवं उच्चावच

(Location and Relief)

भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक संरचना एवं उच्चावच

उच्चावच (भौतिक विशेषताएँ)

भौगोलिक प्रदेश

भौगोलिक स्थिति

बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर, 2000 को झारखंड के पृथक् होने के बाद आया है। आयताकार आकृतिवाला वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर (36,357 वर्ग मील) है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वाँ बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,31,04,637 है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24° 21' 10" से 27° 31' 15" उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 83° 19' 50" से 88° 17' 40" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस तरह बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 50 के बीच है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है।

बिहार की उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करनेवाले बिहार के 7 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हैं। बिहार की पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल स्थित है, जिससे स्पर्श करनेवाले बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार हैं। बिहार की दक्षिणी सीमा पर झारखंड स्थित है, जिससे स्पर्श करनेवाले बिहार के 7 जिले भागलपुर, बाँका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास हैं। बिहार की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है, जिससे स्पर्श करनेवाले बिहार के सर्वाधिक 8 जिले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हैं।



मानचित्र : बिहार की जिला प्रशासनिक इकाई

बिहार राज्य के 13 जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में गया एवं जमुई जिला तथा सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला स्थित है। पश्चिम में बिहार की सीमा कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूरब में किशनगंज तक विस्तृत है। संपूर्ण राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।

भौगोलिक संरचना एवं उच्चावच

- संरचना,
- उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई प्रदेश,
- गंगा का मैदान,
- दक्षिणी पठारी क्षेत्र।

संरचना

बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री-कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री-कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें धारवाड़ संरचना और विंध्यन संरचना के रूप में बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती हैं। दक्षिणी पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें बृहद पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अंग हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू-संचलन अल्पाइन में हुआ है। भौगर्भिक दृष्टिकोण से यह समय मध्यजीव कल्प (मेसोजोइक) का काल है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान चतुर्थ महाकल्प (प्लीस्टोसीन) में निर्मित हुआ है। इसका निर्माण आज भी जारी है तथा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी नवीन संरचना का विस्तार है। इस प्रकार बिहार के उच्चावच पर संरचना का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में चार प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं—

1. धारवाड़ चट्टान,

2. विंध्यन चट्टान,
3. टर्शियरी चट्टान,
4. क्वार्टरनरी चट्टान।

धारवाड़ चट्टान

प्री-कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिण-पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहारशरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में पाई जानेवाली पहाड़ियाँ छोटानागपुर पठार का ही अंग हैं। हिमालय पर्वत के निर्माण के समय मेसोजोइक काल में इस पर दबाव शक्ति का प्रभाव पड़ा, जिससे कई धँसान (भंरश) घाटियों का निर्माण हुआ। कालांतर में जलोढ़ के निक्षेपण से ये पहाड़ियाँ मुख्य पठार से अलग हो गईं। धारवाड़ चट्टानी क्रम में स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टान हैं, जो लंबे समय से अत्यधिक दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण रूपांतरित हो गई हैं। इन चट्टानों में अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है।

प्री-कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिण-पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहारशरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है।

विंध्यन चट्टान

विंध्यन चट्टान का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन युग में हुआ है। यह चट्टान बिहार के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। सोन घाटी में इन चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। इसमें कैमूर क्रम और सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में पायराइट खनिज पाया जाता है, जिससे गंधक निकलता है। जीवाश्मयुक्त इन चट्टानों में चूना-पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ-पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें लगभग क्षैतिज अवस्था में हैं। चट्टानों में जीवाश्म की अधिकता यह प्रमाणित करती है कि यह अतीत में समुद्री निक्षेप का क्षेत्र रहा है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं।

इस मैदान में जलोढ़ की गहराई 100 मीटर से 900 मीटर तथा अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक है। सर्वाधिक गहरे जलोढ़ का निक्षेप पटना के आसपास पाया जाता है।

टर्शियरी चट्टान

टर्शियरी चट्टान हिमालय की दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। इसके निर्माण का संबंध मेसोजोइक कल्प के मायोसीन और प्लायोसीन भूगर्भिक काल से है, जो हिमालय पर्वत के निर्माण के द्वितीय और तृतीय उत्थान से संबंधित है। इस श्रेणी में बालू पत्थर तथा बोल्टर क्ले चट्टानें पाई जाती हैं। निचले भाग में कांग्लोमेरेट चट्टान की प्रधानता है। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संचित है।

क्वार्टरनरी चट्टान

क्वार्टरनरी चट्टान गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है। गंगा का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा

अवसाद (निक्षेप) जमा करने से हुआ है।

हिमालय पर्वत का निर्माण भी टेथिस सागर के मलबे पर संपीडन शक्ति से हुआ है। संपीडन (दबाव) शक्ति द्वारा जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उसी समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल गर्त का निर्माण हुआ। इसी गर्त में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से तथा हिमालय से निकलनेवाली नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हुआ, जिससे विशाल गर्त ने मैदान का स्वरूप ग्रहण कर लिया।

मैदान का निर्माण जलोढ़, बालू-बजरी-पत्थर और कांग्लोमेरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। यह अत्यंत मंद ढालवाला मैदान है, जिसमें जलोढ़ की गहराई सभी जगहों पर समान नहीं है। इस मैदान में जलोढ़ की गहराई 100 मीटर से 900 मीटर तथा अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक है। सर्वाधिक गहरे जलोढ़ का निक्षेप पटना के आसपास पाया जाता है।

उच्चावच (भौतिक विशेषताएँ)

बिहार के उच्चावच में अनेक प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। बिहार में पर्वत, पठार और मैदान सभी प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं। यद्यपि अधिकांश भूभाग मैदानी है, लेकिन उत्तर में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र भूआकृतिक विविधता उत्पन्न करते हैं। बिहार की औसत ऊँचाई समुद्र तल से 173 फीट (53 मीटर) है। भौतिक बनावट और अध्ययन की सुविधा के आधार पर बिहार को तीन भौतिक (प्राकृतिक) प्रदेश में बाँटा गया है—

1. उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई प्रदेश उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश

पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा (उत्तरी-पश्चिमी बिहार) पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस पर्वतीय श्रेणी की औसत ऊँचाई 80 मीटर से 250 मीटर तक है। हिमालय से निकलनेवाली नदियों द्वारा इसे अनेक स्थानों पर काट-छाँट दिया गया है। इस शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को तीन उप-विभाग में बाँटा गया है—

- (i) रामनगर दून की पहाड़ी,
- (ii) हरहा घाटी या दून की घाटी,
- (iii) सोमेश्वर श्रेणी।

रामनगर दून की पहाड़ी

सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस पहाड़ी का सबसे ऊँचा भाग संतपुर है, जिसकी ऊँचाई 242 मीटर है।

हरहा घाटी या दून की घाटी

हरहा घाटी या दून की घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है, जो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। इस घाटी की लंबाई 21 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है।

सोमेश्वर श्रेणी

शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है।

तथा जिसका शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रा तक फैली इस श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। नदियों के तीव्र बहाव के कारण इस श्रेणी में अनेक दर्रा का निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, मरवात दर्रा आदि प्रमुख हैं। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात का मार्ग प्रदान करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला स्थित है, जिसकी ऊँचाई 880 मीटर है।

तराई प्रदेश

तराई प्रदेश गंगा मैदान के उत्तरी भाग में एवं शिवालिक श्रेणी के समानांतर दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तराई प्रदेश राज्य के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर पाया जाता है। इस प्रदेश में अधिक वर्षा (150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक) होने के कारण घने वन एवं दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी-पूर्वी तराई प्रदेश पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करनेवाला क्षेत्र है।

2. गंगा का मैदान

गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27 प्रतिशत है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर पठार तक फैला हुआ है। भौगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रगभीर (Foredeep) है। इस मैदान की औसत ऊँचाई समुद्र तल से 75 से 120 मीटर तक है। मैदान का निर्धारण 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा होता है। समोच्च रेखा (Contour line) वह रेखा है, जो समुद्र तल से समान ऊँचाईवाले स्थानों को मिलाकर खींची जाती है। इस मैदान का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यह ढाल अत्यंत मंद (5-6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर) है। यह मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है, जबकि पूरब की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है।

ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात का मार्ग प्रदान करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला स्थित है, जिसकी ऊँचाई 880 मीटर है।

बिहार का मैदान गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित है—

- (i) उत्तरी गंगा का मैदान,
- (ii) दक्षिणी गंगा का मैदान।

उत्तरी गंगा का मैदान

उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी उत्तरी सहायक नदियों—घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूरब की ओर है। यह मैदान नदियों द्वारा कई दोआब क्षेत्रों में बँटा हुआ है। दो नदियों के बीच स्थित भू-भाग को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इसमें घाघरा-गंडक दोआब, कोसी-गंडक दोआब, कोसी-महानंदा दोआब प्रमुख हैं। उत्तरी गंगा के मैदान का विस्तार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर जिले में है। इस मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त एवं विसर्पाकार गोखुर झील एवं चौर का निर्माण हुआ है। निर्माण प्रक्रिया के कारण उत्तरी गंगा मैदान में क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर उत्तरी गंगा के मैदान को कई उप-विभागों में बाँटा गया है—

दो नदियों के बीच स्थित भू-भाग को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इसमें घाघरा-गंडक दोआब, कोसी-गंडक दोआब, कोसी-महानंदा दोआब प्रमुख हैं।

- (i) उप-तराई क्षेत्र (भाबर क्षेत्र),
- (ii) बाँगर,
- (iii) खादर,
- (iv) चौर (मन)।

उप-तराई क्षेत्र (भाबर क्षेत्र)

उप-तराई या भाबर क्षेत्र तराई प्रदेश के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। यह उत्तरी बिहार के 7 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में 10 किलोमीटर चौड़ी संकीर्ण पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसमें कंकड़-बालू का निक्षेप पाया जाता है।

बाँगर

बाँगर क्षेत्र पुराना जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। यह क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में फैला हुआ है। इसका विस्तार मुख्यतः बिहार के उत्तरी-पश्चिमी मैदानी भागों में पाया जाता है।

खादर

खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी फैला जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ आने से नई मिट्टी का निक्षेप होता रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कायम रहती है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी मैदान में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूरब में कोसी नदी तक है।

चौर (मन)

उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भू-भाग पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि हैं।

चौर अथवा मन मूलतः गोखुर झील है, जिसका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन होने से हुआ है। ये मीठे एवं गहरे जल के प्रमुख स्रोत हैं। प्रमुख मन के उदाहरण पूर्वी चंपारण का टेटरिया मन, माधोपुर मन, पश्चिमी चंपारण का पिपरा मन, सिमरी मन, सरैया मन आदि हैं।

दक्षिणी गंगा का मैदान

दक्षिणी गंगा के मैदान का विस्तार दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश और गंगा नदी के मध्य है। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस मैदान का निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहनेवाली नदियों के निक्षेप से हुआ है। दक्षिणी मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होने का कारण गंगा नदी द्वारा प्राकृतिक कगार (बाँध) का निर्माण किया जाना है। पटना महानगर प्राकृतिक कगार पर बसा हुआ नगर है। प्राकृतिक कगार (बाँध) की ऊँचाई आसपास के भू-भाग से अधिक होने के कारण दक्षिणी बिहार की अधिकांश नदियाँ गंगा नदी में सीधे न मिलकर उसके समानांतर प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली 'पीनेट प्रवाह प्रणाली' कहलाती है। इन नदियों में पुनपुन, किऊल, फल्गु आदि हैं। फल्गु नदी गंगा में मिलने से पहले ही टाल क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। ये नदियाँ पठारी क्षेत्र से

प्रवाहित होकर आती हैं, इसलिए इनके निक्षेप में बालू की प्रधानता पाई जाती है।

प्राकृतिक कगार के दक्षिणी भाग में जलमग्न निम्न भू-भाग पाया जाता है, जिसे टाल या जल्ला क्षेत्र कहा जाता है। यह टाल क्षेत्र पटना से मोकामा तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। प्रमुख टाल के उदाहरण बड़हिया टाल, मोकामा टाल, सिंघोल टाल, मोर टाल आदि हैं।

3. दक्षिणी पठारी प्रदेश

दक्षिणी पठारी प्रदेश छोटानागपुर पठार का सीमांत है। इस प्रदेश में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें बहुलता से पाई जाती हैं। इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में मुंगेर एवं बाँका तक है। यह बिहार का प्राचीनतम भू-खंड है, जिसमें कैमूर या रोहतास का पठार, गया का दक्षिणी भाग, गिरियक की पहाड़ी, नवादा, बाँका एवं मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है।

कैमूर या रोहतास का पठार

कैमूर या रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर (मध्य प्रदेश) से प्रारंभ होकर रोहतास (बिहार) तक है। कैमूर पठार की सतह अपरदित एवं ऊबड़-खाबड़ है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊँचाई 300-450 मीटर के बीच है। इस पठार का सबसे ऊँचा भाग रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊँचाई 495 मीटर है। यह पठार छोटानागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। इस पठार में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है।

गया का पहाड़ी क्षेत्र

गया, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में अनेक पहाड़ी क्रम पाए जाते हैं। ये पहाड़ियाँ मैदानी भागों में विस्तृत हैं। इनमें जेठियन, हिंडाज की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी प्रमुख हैं। गया शहर के आसपास में रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी, ब्रह्मयोनि पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसी क्रम में जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं।

राजगीर-गिरियक पहाड़ी क्षेत्र

यह मुख्य रूप से नालंदा जिले में स्थित है। यह मूलतः गया की पहाड़ी शृंखला का ही विस्तार है। इन पहाड़ियों में वैभवगिरि, सोनगिरि, विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि तथा पीर की पहाड़ी प्रमुख हैं। इन पहाड़ियों में सबसे ऊँची पहाड़ी वैभवगिरि है, जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 380 मीटर है। इन पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट और स्लेट की प्रधानता है।

नवादा-मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र

नवादा-मुंगेर पहाड़ी क्रम दक्षिण में नवादा जिला से प्रारंभ होकर उत्तर में गंगा नदी तक फैला हुआ है, इसमें अनेक पहाड़ी शृंखला स्थित हैं, जिसमें खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी, सत पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी, चकाई पहाड़ी, बाकिया पहाड़ी प्रमुख हैं। खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है तथा इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है।

भौगोलिक प्रदेश

संरचना एवं उच्चावच की भिन्नता के आधार पर बिहार को तीन प्रमुख भौतिक विभाग शिवालिक पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदान एवं छोटानागपुर सीमांत पठारी प्रदेश में विभक्त किया गया है। प्राकृतिक विविधता, उच्चावच में असमानता, भूमि की विषमता, मिट्टी एवं वनस्पति की विविधता बिहार के विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन का आधार है। किसी विस्तृत क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी को समरूपता के आधार पर प्राप्त कर भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। इस दिशा में अनेक विद्वानों ने बिहार को अनेक भौगोलिक प्रदेशों में बाँटने का प्रयास किया है। भौगोलिक प्रदेश वह प्रदेश होता है, जहाँ जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, भूमि उपयोग प्रतिरूप, शस्य प्रारूप, अधिवास के प्रकार आदि भौतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों में एकरूपता पाई जाती है। प्राकृतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों की समानता के आधार पर प्रो. इनायत अहमद एवं प्रो. राम प्रवेश सिंह ने बिहार को 10 भौगोलिक प्रदेश में बाँटा है—

कैमूर पठार की सतह अपरदित एवं ऊबड़-खाबड़ है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊँचाई 300-450 मीटर के बीच है। इस पठार का सबसे ऊँचा भाग रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊँचाई 495 मीटर है।

1. तराई प्रदेश,
2. घाघरा-गंडक दोआब,
3. गंडक-कोसी दोआब,
4. कोसी-महानंदा दोआब,
5. कर्मनाशा-सोन दोआब,
6. सोन-किऊल दोआब,
7. पूरब-मध्य बिहार का मैदान,
8. गंगा दियारा क्षेत्र,
9. कैमूर पठार,
10. अभ्रक प्रदेश।

तराई प्रदेश

यह प्रदेश गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तरी-पश्चिमी एवं उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर-पश्चिम में शिवालिक की सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ियों पर 140 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं है। परंपरागत तरीकों के साथ-साथ नई तकनीक के द्वारा कृषि की जाती है। उत्तरी-पूर्वी तराई प्रदेश पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में है। यह प्रदेश बिहार में सबसे अधिक वर्षावाला क्षेत्र है। यहाँ 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कृषि के लिए यहाँ अच्छी भूमि है, जिसमें धान, जूट एवं गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। अधिक वर्षा के कारण यह प्रदेश दलदली एवं घने जंगल का क्षेत्र है। इस प्रदेश में ऊबड़-खाबड़ भूमि के कारण प्रकीर्ण बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं।

उत्तरी-पूर्वी तराई प्रदेश पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में है। यह प्रदेश बिहार में सबसे अधिक वर्षावाला क्षेत्र है। यहाँ 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है।

घाघरा-गंडक दोआब

यह प्रदेश 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षावाला मैदानी क्षेत्र है। सारण, सीवान और गोपालगंज जिले में विस्तृत यह

प्रदेश चौरस जलोढ़ मैदान है। यहाँ धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, तिलहन और दलहन आदि फसलों का उत्पादन होता है। कृषि की दृष्टि से समृद्ध इस प्रदेश में कृषि से जुड़े उद्योग भी हैं। गन्ने का उत्पादन अधिक होने से इस प्रदेश में चीनी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र गोपालगंज, छपरा, सीवान, मीरगंज, महारौरा आदि हैं।

गंडक-कोसी दोआब

इस प्रदेश में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय आदि जिले हैं। इस प्रदेश में उद्योगों की अधिकता है। चीनी उद्योग और फल प्रसंस्करण उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। दरभंगा—आम, मुजफ्फरपुर—लीची और हाजीपुर—केला की बागबानी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश की मुख्य फसल धान, मक्का, गन्ना, गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि हैं। गन्ना, तंबाकू और लाल मिर्च यहाँ की प्रमुख नगदी फसल हैं। चीनी उद्योग के केंद्र चनपटिया, सुगौली, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा आदि हैं। बरौनी इस प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ उर्वरक कारखाना, तेलशोधक कारखाना और ताप विद्युत केंद्र स्थित है। बरौनी एवं मुजफ्फरपुर में दुग्ध उद्योग का विकास हुआ है।

कोसी-महानंदा दोआब

इस प्रदेश में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया और सहरसा जिले आते हैं। यह प्रदेश बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कृषि, उद्योग और परिवहन आदि की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे कोसी और उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका लाती हैं। यद्यपि यहाँ कृषि की जाती है, लेकिन बाढ़ की संभावना के कारण खेती का भविष्य निश्चित नहीं होता। सरकार ने कोसी परियोजना द्वारा बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित कराने के प्रयास किए हैं।

कर्मनाशा-सोन दोआब

इस प्रदेश में भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले आते हैं। यह जलवायविक दृष्टि से कम वर्षावाला क्षेत्र है, लेकिन सोन नदी पर बैराज बनाकर व्यवस्थित नहर प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या है, जो कृषि पर आधारित है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, दलहन, तिलहन तथा आलू प्रमुख हैं। इस प्रदेश में कृषि-आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। इस प्रदेश में सर्वाधिक विकास चावल मिल का हुआ है।

सोन-किऊल दोआब

दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित यह दोआब प्रदेश निम्न वर्षा का क्षेत्र है, जहाँ अक्सर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, लखीसराय और नवादा जिले इस प्रदेश में आते हैं। अरवल और औरंगाबाद में पूर्वी सोन नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है। धान, गेहूँ, चना, मसूर, खेसारी आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रदेश में बिहारशरीफ और ओबरा में रेशमी वस्त्र उद्योग, गया के मानपुर में हथकरघा उद्योग और गलीचा उद्योग का विकास हुआ है। औरंगाबाद में सीमेंट उद्योग एवं खाद्य तेल उद्योग स्थापित किया गया है।

पूरब-मध्य बिहार का मैदान

इस प्रदेश में मुंगेर, बाँका और भागलपुर जिले आते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों का विकास बहुत कम हुआ है। कृषि और उद्योग के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। धान, तिलहन और दलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रदेश में सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। चंदन, किऊल एवं बरुआ नदी पर जलाशय का निर्माण कर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है। मुंगेर में बंदूक, तंबाकू एवं दुग्ध उद्योग तथा भागलपुर में सिल्क उद्योग का विकास हुआ है।

गंगा दियारा क्षेत्र

यह क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है और बाढ़ के बाद जो भूमि दिखाई देती है, उसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। यह नवीन जलोढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर कृषक अस्थायी अधिवासों (प्रकीर्ण बस्तियों) के सहारे खेती करते हैं। घास-फूस और बाँस से बने घर बाढ़ के आने से पहले ही हटा लिये जाते हैं। रबी फसल और सब्जियों की उपज के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ में नए दियारा क्षेत्र का निर्माण होता है।

कैमूर पठार

इसका विस्तार दक्षिण-पश्चिम बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में है। यह पठार विंध्य पर्वत का अंग है। यह पठारी क्षेत्र लगभग 350 मीटर ऊँचा है। इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य फसल धान, गेहूँ, जौ आदि हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पत्थर-आधारित उद्योग विकसित हुए हैं। कैमूर पठार में पायराइट्स एवं फॉस्फेट पाया जाता है। पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग अमझोर में तथा चूना पत्थर-आधारित सीमेंट उद्योग बंजारी में स्थापित है।

अभ्रक प्रदेश

यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले की अभ्रक पट्टी है, जिसका विस्तार बिहार के पठारी प्रदेशों—झाझा, जमुई, गया और नवादा के क्षेत्रों तक मिलता है। यहाँ अभ्रक बलथर मिट्टी में मिश्रित रूप में मिलता है। लकड़ी, तसर (सिल्क) और लोह का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। कृषि में धान, दलहन और तिलहन का उत्पादन होता है।

इस प्रकार बिहार के समस्त धरातलीय रूप को उपर्युक्त दस भागों में बाँटा गया है। समरूपता के आधार पर कुछ क्षेत्र समृद्ध और विकसित हैं तो कुछ क्षेत्र अति पिछड़े हैं। भूमि की भिन्नता से ऐसा होना स्वभाविक है, लेकिन मानव श्रम और तकनीकी से इस अंतर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।



14. अपवाह प्रणाली

(Drainage System)

नदियाँ

गरम जलकुंड

जलप्रपात

झील

आर्द्रभूमि क्षेत्र

नदियाँ

अपवाह तंत्र का तात्पर्य वैसे नदी तंत्र से है, जिसका निर्माण सतही जलधाराएँ, नदी, झील आदि द्वारा ढाल विशेष का अनुसरण करते हुए किया जाता है। बिहार की अपवाह प्रणाली का आधार गंगा नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह ने बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार के लगभग 90 प्रतिशत धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवाहन के द्वारा हुआ है।

बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 1009 मिलीमीटर (1009 सेंटीमीटर) है, जिसके कारण राज्य में साल भर बहनेवाली नदियों का संजाल बिछा हुआ है।

प्रवाह तंत्र और उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में बाँटा गया है—

- हिमालय प्रदेश की नदियाँ,
- पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियाँ।

उपर्युक्त दोनों वर्ग की नदियाँ मुख्य नदी गंगा में मिल जाती हैं। हिमालय प्रदेश की नदियाँ, जो हिमालय से निकलकर उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होती हैं, उत्तरी मैदान में सामानांतर एवं विसर्पाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं। ये नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। इस स्थानांतरण का मूल कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, जिसके कारण पश्चिमी तट पर अपरदन अधिक होता है। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कोसी है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य को सात नदी क्षेत्र में बाँटा गया है—

1. घाघरा-गंडक,
2. गंडक-बागमती,
3. बागमती-कोसी,
4. कोसी-महानंदा,
5. कर्मनाशा-सोन,
6. सोन-पुनपुन,

7. पुनपुन-सकरी,



गंगा नदी

गंगा नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15165 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद का गोमुख है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में गंगा, गंडक, सरयू (घाघरा) और कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। इसमें उत्तर दिशा से (बाएँ तट पर) घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला नदी आकर मिलती हैं, जबकि दक्षिण दिशा से (दाएँ तट पर) सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, किऊल आदि नदियाँ आकर मिलती हैं। प्रमुख नदियों में सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में सोन नदी दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में मनेर के पास आकर मिलती है। गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के साहेबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा अपने यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है।

घाघरा (सरयू नदी)

मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होनेवाली घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नाम्या है। इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी सारण जिले में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। इसे ऊपरी भाग में लखनदेई और करनाली के नाम से भी जाना जाता है।

भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15165 वर्ग किलोमीटर है।

गंडक

गंडक नदी सात धाराओं के मिलने से बनी है। सप्तगंडकी, कालीगंडक, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि कई नामों से जानी जानेवाली गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग (नेपाल एवं तिब्बत की सीमा) के मध्य से हुई है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी भैसालोटन (पश्चिमी चंपारण) के पास बिहार में प्रवेश करती

है। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला (सोनपुर पशु मेला) प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इस नदी को नेपाल में गंडक नारायणी या गंडकी नाम से जाना जाता है।

बूढ़ी गंडक

यह नदी गंडक के समानांतर उसके पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में बाँटती है। हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होनेवाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चउतरवा चौर से हुई है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारावाली नदी है, जिसका बहाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। यह गंडक नदी की परित्यक्त धारा है, जो मुख्य नदी के पश्चिम में खिसक जाने से प्रवाहित हुई हैं। बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि नगर स्थित हैं। बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियों में डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनउती, अंजानकोटे आदि हैं।

कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है तथा पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। कोसी नदी कुरसैला के पास गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है।

बागमती

बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती नदी है। बागमती की उत्पत्ति नेपाल में महाभारत श्रेणी से हुई है। यह नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में प्रवाहित होती है। बागमती की प्रमुख सहायक नदियों में लाल वकैया, मुरेंगी, लखनदेई, अधबारा, सिपरीधार, कोला और छोटी बागमती आदि हैं।

कमला

यह नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र से प्रभावित होती हुई बिहार में जयनगर (मधुबनी जिला) में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ— सोनी, ठोरी और भूतही बलान आदि हैं। बलान नदी इसमें पीपराघाट के निकट मिलती है। कमला नदी बिहार में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इनमें से अनेक का नाम कमला ही है। इसकी एक प्रमुख धारा कोसी से मिलती है, जबकि एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी में मिलती है।

कोसी

कोसी नेपाल में गोसाईं स्थान (सप्तकौशिकी) से निकलती है। अतः कोसी का मूल नाम भी कौशिकी है। कोसी नदी सात धाराओं के मिलने से बनी है। इन धाराओं का नाम इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रकोसी, लिच्छूकोसी, दूधकोसी, अरुणकोसी और तामूरकोसी है। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएँ मिलकर कोसी कहलाती हैं। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण 'बिहार का शोक' कहलाती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों में प्रवाहित होती है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है तथा पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। कोसी नदी कुरसैला के पास गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है।

महानंदा

यह उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होनेवाली पूरब की नदी है। कई स्थानों पर बिहार और बंगाल के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है। हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है।

पठारी प्रदेश की नदियों में प्रमुख नदी सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, उत्तरी कोयल, अजय, हरोहर, चंदन, बडुआ आदि हैं।

सोन

हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के निकट है। सोन के उद्गम के निकट से ही नर्मदा एवं महानदी भी निकलती हैं, जिससे अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण होता है। यह नदी भंरश घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होनेवाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी गोपद, रिहंद, कन्हर एवं उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर दक्षिण-पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई योजना निर्मित है। इस नदी पर प्रथम बाँध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। बाद में इस नदी पर इंदुपुरी बराज का निर्माण 1968 ई. में किया गया। आरा के पास कोईलवर में 1440 मीटर लंबा रेल-सह-सड़क पुल 1862 ई. में सोन नदी पर निर्मित किया गया, जो वर्तमान में अब्दुल बारी पुल के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। 1900 ई. में इस नदी पर डेहरी के पास नेहरू रेल पुल का निर्माण किया गया है।

फल्गु

यह नदी छोटानागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। बोधगया के पास इसमें मोहाने नामक नदी मिलती है। मोहाने के मिलने के बाद ही इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ये सभी नदियाँ मौसमी नदी हैं। निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृ पक्ष का मेला लगता है, जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। यह नदी अंतःसलिला या लीलाजन के नाम से भी जानी जाती है। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास यह नदी दो शाखाओं में बँट जाती है। आगे चलकर फल्गु नदी अनेक शाखाओं—भूतही, कररूआ, लोकायन, महत्तवाइन आदि में विभक्त हो जाती है।

पुनपुन

पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है, जो कीकट और बमागधी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी झारखंड के पलामू जिले के चौरहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। यह नदी बिहार के औरंगाबाद, अरवल तथा पटना जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दरधा, यमुना, मादर, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोबा और मोरहर पुनपुन की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।

अजय

अजय नदी जमुई जिले के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर बटबाड़ से निकलती है। यह नदी बिहार से झारखंड में

देवघर जिले में प्रवेश करती है। इसे अजयावती या अजमती नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पूरब एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर गंगा नदी में मिल जाती है।

निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृ पक्ष का मेला लगता है, जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। यह नदी अंतःसलिला या लीलाजन के नाम से भी जानी जाती है।

सकरी

सकरी नदी का उद्गम स्थल झारखंड में छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग (हजारीबाग पठार) है। यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है।

कर्मनाशा

कर्मनाशा का अर्थ होता है—कर्म का नाश करनेवाला। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों में सारोदाग (कैमूर) से निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है।

चानन नदी

इस नदी को पंचाने भी कहा जाता है। इसका मूल नाम पंचानन है, जो अपभ्रंशित होकर चानन कहलाने लगा। यह नदी पाँच धाराओं के मिलने से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा जाता है। इस नदी की प्रमुख धाराएँ—पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने आदि छोटानागपुर पठार से निकलती हैं। ये सारी धाराएँ राजगीर के पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिला के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती हैं।

क्यूल नदी

इसकी उत्पत्ति हजारीबाग के पठार से हुई है। यह बिहार में जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बर्नर, अंजन, हरोहर (हलाहल) आदि हैं। लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है।

बिहार की नदियों की लंबाई तथा जलग्रहण क्षेत्र तालिका

नदी : गंगा

कुल लंबाई (किमी.) : 2510

बिहार में लंबाई (किमी.) : 445

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 15,165

नदी : गंडक

कुल लंबाई (किमी.) : 630

बिहार में लंबाई (किमी.) : 260

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 4,188

नदी : घाघरा

कुल लंबाई (किमी.) : 1080

बिहार में लंबाई (किमी.) : 83

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,995

नदी : बूढ़ी गंडक

कुल लंबाई (किमी.) : 320

बिहार में लंबाई (किमी.) : 320

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 9,601

नदी : बागमती

कुल लंबाई (किमी.) : 597

बिहार में लंबाई (किमी.) : 394

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 6,500

नदी : कमला

कुल लंबाई (किमी.) : 328

बिहार में लंबाई (किमी.) : 120

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 4,488

नदी : कोसी

कुल लंबाई (किमी.) : 720

बिहार में लंबाई (किमी.) : 260

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 11,410

नदी : महानंदा

कुल लंबाई (किमी.) : 360

बिहार में लंबाई (किमी.) : 376

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 6,150

नदी : सोन

कुल लंबाई (किमी.) : 780

बिहार में लंबाई (किमी.) : 202

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 15,820

नदी : पुनपुन

कुल लंबाई (किमी.) : 200

बिहार में लंबाई (किमी.) : -

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 7,747

नदी : कर्मनाशा

कुल लंबाई (किमी.) : 192

बिहार में लंबाई (किमी.) : -

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : -

नदी : फल्गु

कुल लंबाई (किमी.) : 235

बिहार में लंबाई (किमी.) : -

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : -

नदी : अजय

कुल लंबाई (किमी.) : 288

बिहार में लंबाई (किमी.) : -

बिहार में जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी.) : -

बिहार की नदियाँ— उनके उद्गम स्थल एवं संगम/मुहाना

नदी : गंगा

उद्गम स्थल : गंगोत्तरी हिमनद का गोमुख (उत्तराखंड)

संगम/मुहाना : बंगाल की खाड़ी

नदी : गंडक

उद्गम स्थल : अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग के मध्य से

संगम/मुहाना : गंगा नदी (पटना के पास)

नदी : घाघरा (सरयू)

उद्गम स्थल : गुरला मंथाता चोटी के पास नां फा (नेपाल)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (छपरा के पास)

नदी : बूढ़ी गंडक

उद्गम स्थल : सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चऊतरवा चौर

संगम/मुहाना : गंगा नदी (खगड़िया के पास)

नदी : बागमती

उद्गम स्थल : महाभारत श्रेणी (नेपाल)

संगम/मुहाना : बूढ़ी गंडक

नदी : कमला

उद्गम स्थल : महाभारत श्रेणी (नेपाल)

संगम/मुहाना : कोसी

नदी : कोसी

उद्गम स्थल : गोसाईं स्थान (सप्तकौशिकी, नेपाल)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (कुरुसेला के पास)

नदी : महानंदा

उद्गम स्थल : महाभारत श्रेणी (नेपाल)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (मनिहारी, कटिहार के पास)

नदी : सोन

उद्गम स्थल : अमरकंटक चोटी (मध्य प्रदेश)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (दानापुर एवं मनेर के बीच)

नदी : पुनपुन

उद्गम स्थल : छोटानागपुर पठार (पलामू)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (फतुहा के पास)

नदी : कर्मनाशा

उद्गम स्थल : सारोदाग (कैमूर)

संगम/मुहाना : गंगा नदी

नदी : फल्गु

उद्गम स्थल : उत्तरी छोटानागपुर पठार (हजारीबाग)

संगम/मुहाना : टाल क्षेत्र

नदी : अजय

उद्गम स्थल : बटबाड़ (जमुई)

संगम/मुहाना : गंगा (पश्चिम बंगाल)

गरम जलकुंड

सदावाही एवं मौसमी नदियों के अतिरिक्त बिहार में जल के अन्य प्रमुख स्रोतों में गरम जल के सोते (कुंड), जलप्रपात, झील आदि हैं।

गया, नालंदा और मुंगेर क्षेत्र में गरम जल के अनेक सोते हैं। सोते प्राकृतिक जल के वैसे स्थल को कहा जाता है, जहाँ जल भूगर्भ से स्वतः बाहर आता है। यह भूगर्भिक गरम जल है, जो भूपर्पटी से निकलता है। इस जल का तापमान 300 सेंटीग्रेड से 700 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। गरम जल होने का कारण मृत ज्वालामुखी का मुख तथा रेडियो एक्टिव खनिज है। इस जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक आदि पाए जाते हैं। बिहार में गरम जल के प्रमुख केंद्र राजगीर तथा मुंगेर क्षेत्र हैं। इन जलकुंडों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ के जल का साल भर तापमान लगभग एक समान रहता है।

राजगीर में स्थित प्रमुख गरम जलकुंड सप्तधारा (सतधरवा), ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूमकुंड, नानककुंड, गोमुखकुंड आदि हैं। इनमें सर्वाधिक गरम जल ब्रह्मकुंड का है, जिसका तापमान 870 सेंटीग्रेड है, जबकि अन्य जलकुंड का तापमान 700 सेंटीग्रेड रहता है।

मुंगेर में स्थित गरम जलकुंड मूलतः खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ के प्रमुख जलकुंड-सीताकुंड, रामेश्वरकुंड, लक्ष्मणकुंड, ऋषिकुंड, जन्मकुंड, लक्ष्मीश्वरकुंड, भीमबाँध, शृंगारऋषिकुंड, भरारीकुंड, पंचतरकुंड

आदि हैं। इसमें लक्ष्मणकुंड का जल सर्वाधिक गरम (620 सेंटीग्रेड) है।

इसके अतिरिक्त गया में अग्निकुंड नामक गरम जल का कुंड पाया जाता है।

बिहार के प्रमुख जलकुंड

नाम : ब्रह्मकुंड

स्थान : राजगीर (बिहार का सबसे गरम जलकुंड)

नाम : सप्तधारा/सतधरवा

स्थान : राजगीर

नाम : सूर्यकुंड

स्थान : राजगीर

नाम : मखदूमकुंड

स्थान : राजगीर

नाम : नानककुंड

स्थान : राजगीर

नाम : गोमुखकुंड

स्थान : राजगीर

नाम : लक्ष्मणकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : सीताकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : रामेश्वरकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : ऋषिकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : जन्मकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : भीमबाँध

स्थान : मुंगेर

नाम : शृंगारऋषिकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : भरारीकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : पंचतरकुंड

स्थान : मुंगेर

नाम : अग्निकुंड

स्थान : गया

जलप्रपात

जलप्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं, जहाँ नदी पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र में तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है। जहाँ कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में रहती है, वहाँ मुलायम चट्टान का तेजी से अपरदन होता है, जबकि कठोर चट्टान यथावत् रहती है। उपर्युक्त परिस्थिति में जल तेजी से ऊपर से नीचे गिरने लगता है। बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्रों में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा आदि जिलों में पाया जाता है।

बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात ककोलत जलप्रपात ककोलत पहाड़ी (नवादा) में स्थित है। यह नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊँचाई 47 मीटर (160 फीट) है, लेकिन मुख्य प्रपात की ऊँचाई 24 मीटर (80 फीट) है। कोडरमा पठार से उतरनेवाली सात धाराओं के मिलने से ककोलत जलप्रपात बना है।

सूखलदरी जलप्रपात का निर्माण कनहर नदी द्वारा हुआ है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी, रोहतास में काव नदी पर धुआँकुंड जलप्रपात स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात (खादर कोह) रोहतास जिले के छानपापर नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊँचाई 90 मीटर (300 फीट) है। अन्य जलप्रपातों में भोजपुर जिले में फुलवरिया नदी पर जिआरखुंड जलप्रपात प्रमुख है।

बिहार के प्रमुख जलप्रपात की स्थिति

जलप्रपात का नाम : ककोलत

नदी : कोडरमा पठार से उतरनेवाली धारा

स्थान/जिला : ककोलत (नवादा)

जलप्रपात का नाम : सूखलदरी

नदी : कनहर

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : धुआँकुंड (30 मीटर)

नदी : काव, धोबा

स्थान/जिला : ताराचंडी (रोहतास)

जलप्रपात का नाम : दुर्गावती (खादर कोह) (80 मीटर)

नदी : दुर्गावती

स्थान/जिला : छानपापर (रोहतास)

जलप्रपात का नाम : जिआरखुंड

नदी : फुलवरिया

स्थान/जिला : जिआरखुंड (भोजपुर)

जलप्रपात का नाम : तमासीन

नदी : महाने

स्थान/जिला : -

जलप्रपात का नाम : खुआरी दाह (180 मीटर)

नदी : असाने

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : राकिम कुंड

नदी : गायघाट

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : ओखारीन कुंड (90 मीटर)

नदी : गोपथ

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : सुआरा (120 मीटर)

नदी : पूर्वी सुआरा

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : देवदारी (58 मीटर)

नदी : कर्मनाशा

स्थान/जिला : रोहतास पठार (रोहतास)

जलप्रपात का नाम : तेलहरकुंड (80 मीटर)

नदी : पश्चिम सुआरा

स्थान/जिला : रोहतास पठार (रोहतास)

झील

बिहार के मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झील पाई जाती हैं। उत्तरी बिहार के मैदान में निम्न ढाल के कारण नदी का वेग अत्यंत मंद हो जाता है। इस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को ढोने में असमर्थ होने लगती है। फलस्वरूप विसर्पाकार प्रवाह का निर्माण होने लगता है। विसर्पाकार प्रवाह एवं नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण हुआ है।

उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जानेवाली मुख्य झीलों में काँवर झील या कँवार ताल, कुशेश्वर स्थान झील, घोघा झील (घोघा चाप), सिमरी-बख्तियारपुर झील, उदयपुर झील आदि प्रमुख हैं। झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में ताल, चौर, मन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जलमग्न क्षेत्र आर्द्रभूमि (Wetland) कहलाते हैं। प्रमुख झील निम्नलिखित हैं—

काँवर झील

काँवर झील बेगूसराय के मंडौल गाँव में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। इस झील में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें हाइड्रा लेरिपिलाटा, पोटोमोगेनन, वेल्सनेरिया, लेप्टराल्स, निफसा, मिंफोलोड्स, सरपस वेटल्वेरिया आदि प्रमुख हैं। इस झील में जाड़े के दिनों (नवंबर से जनवरी) में साइबेरियाई क्षेत्र के प्रवासी पक्षी आते हैं। इस झील के पास शोध-कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन Bird Banding Station की स्थापना की गई है। प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के अनुसार लगभग 60 प्रजातीय पक्षी मध्य एशिया से जाड़े के दिनों में यहाँ आते हैं। उनके अनुसार लगभग 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। झील के क्षेत्रफल में लगातार कमी आ रही है, जो चिंता का विषय है। भारी मात्रा में अवसादीकरण तथा यूट्रोफिकेशन अर्थात् एल्गी एवं पौधे की मात्रा में वृद्धि होने से जल स्तर में कमी आ रही है। प्रो. अशोक घोष के अनुसार 1980 ई. तक यह झील प्रवासी पक्षी का बृहद प्रजनन क्षेत्र था, जिसमें अब लगातार कमी आ रही है।

कुशेश्वर स्थान झील

यह झील दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता-घटता रहता है। वर्षा काल में झील का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। वर्षा काल में कमला, करेह आदि

नदियों के जल-स्तर में वृद्धि होने से इस झील में जलापूर्ति होती है। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी पेलिकन डालमटिया तथा साइबेरियन क्रेन जाड़े के मौसम में प्रवास करते हैं। 1972 ई. में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है।

घोघा झील

यह झील कटिहार जिले के मनहारी में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। इस झील के आसपास कई छोटी-छोटी झीलें स्थित हैं। झील में जल का स्रोत मानसूनी वर्षा के साथ-साथ महानंदा नदी का जल भी है।

सिमरी-बख्तियारपुर झील

सहरसा जिले के सिमरी-बख्तियारपुर में स्थित इस झील का निर्माण कई छोटी-छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदिया, कुमीबी, गोबरा आदि प्रमुख झील हैं।

आर्द्रभूमि क्षेत्र (Wetlands)

वह भूमि, जहाँ पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन के सतह के पास है या जहाँ भूमि का भाग उथले पानी के द्वारा ढका रहता है, आर्द्रभूमि कहलाता है। आर्द्रभूमि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय रामसर (ईरान) सम्मेलन, जो 1971 ई. में आयोजित हुआ था, के अनुसार आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है, जो दलदल, दलदली भूपट्टी, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी होती है। स्थिर या बहते हुए, मीठे, खारे या नमक के पानी के क्षेत्र और समुद्री पानी के वे क्षेत्र, जो ज्वार में छह मीटर पानी में डूब जाते हैं अर्थात् पानी से संतृप्त भूभाग को आर्द्रभूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि या तो साल भर आर्द्र रहती है या मौसम विशेष में।

उत्तरी बिहार के मैदान में आर्द्रभूमि मूलरूप से मीठे जल के स्रोत के रूप में झील, मन, चौर, दियर आदि के रूप में पाई जाती है। भारत में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) के तहत 115 आर्द्रभूमि (Wetland) चिह्नित की गई है। इस कार्यक्रम के तहत 115 में तीन आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार में संरक्षित किए गए हैं—

1. काँवर, बेगूसराय,
2. बारिला, वैशाली,
3. कुशेश्वर स्थान, दरभंगा।

बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1971 में राज्य की तीन लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को आर्द्र निम्न भूमि के रूप में चिह्नित किया गया है। आर्द्रभूमि पर्यावरण एवं जैव विविधता के साथ-साथ आर्थिक एवं संसाधनात्मक महत्व भी रखती है, जैसे—मत्स्य पालन, मखाना एवं सिंघाड़ा का उत्पादन होता है। बाढ़ नियंत्रण में भी निम्नभूमि चौर, मन, दियर, झील आदि उपयोगी है, क्योंकि बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल इनमें संगृहीत होता है। बिहार की कुल आर्द्र निम्नभूमि का 21 प्रतिशत निजी स्वामित्व में तथा 79 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व में है।

बिहार राज्य में लगभग समस्त आर्द्रभूमि क्षेत्र प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। घनी आबादी के कारण ऐसे क्षेत्रों के विभिन्न स्वरूप पर मानवीय उपयोग का सघनतम दबाव बना रहता है। इन परिस्थितियों में आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु सभी संबद्ध विभागों से विभिन्न अवयवों पर ठोस एवं कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2010 को अवक्रमित करते हुए आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2016 को लागू किया गया है। बिहार राज्य आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की शक्तियाँ निम्नवत् होंगी एवं इसके द्वारा निम्नांकित कार्यों का संपादन किया जाएगा—

1. राज्य की आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं सतत विकास हेतु नीति निर्धारण तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को परामर्श देना।
2. राज्य की आर्द्रभूमियों की पहचान एवं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि (राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत) चिह्नित करने हेतु अनुशंसा करना।
3. आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमों, 2010 अथवा इन नियमों को प्रतिस्थापित करनेवाले आर्द्रभूमि संबंधी नियमों के अंतर्गत प्राधिकार को निर्दिष्ट कार्यों का संपादन करना।
4. राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंड के अनुसरण में विभिन्न विभागों की अधिकारिताओं के भीतर आर्द्रभूमियों की पहचान और वर्गीकरण संबंधी प्रेषित दस्तावेजों की समीक्षा कर अनुशंसा करना।
5. आर्द्रभूमियों की सीमा एवं जल ग्रहण क्षेत्र के बहुपक्षीय अधिकार संबंधी विवादों का हल।
6. आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन हेतु अन्य राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग।

बिहार की प्रमुख जल निमग्न (आर्द्र) भूमि (Wetland) (झील/चौर/मन/गोखुर झील)

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : काँवर झील

स्थिति : मँझौल

जिला : बेगूसराय

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : कुशेश्वर स्थान झील

स्थिति : कुशेश्वर स्थान

जिला : दरभंगा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : घोघा चाप झील

स्थिति : मनिहारी

जिला : कटिहार

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : सिमरी-बख्तियारपुर झील

स्थिति : सिमरी-बख्तियारपुर

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : उदयपुर झील

स्थिति : उदयपुर

जिला : पश्चिमी चंपारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : भुसारा मन

स्थिति : भुसारा

जिला : मुजफ्फरपुर

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : ब्रह्मपुरा मन

स्थिति : मुजफ्फरपुर

जिला : मुजफ्फरपुर

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : केसरिया चौर (खेतर)

स्थिति : मोतिहारी

जिला : पूर्वी चंपारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : चैता चौर

स्थिति : पिपरी पकरी

जिला : पश्चिमी चंपारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : मानसी चौर

स्थिति : फुलिया खार

जिला : खगड़िया

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : भरथुआ चौर

स्थिति : भरथुआ

जिला : मुजफ्फरपुर

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : भगवा चौर

स्थिति : बलुआ बाजार

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : बोरा चौर

स्थिति : खरकता ताल

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : परबा मुरली चौर

स्थिति : कुमार गेज

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : मुरादपुर चौर

स्थिति : मुरादपुर

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : हरिया चौर

स्थिति : अकीलपुर

जिला : सारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : राघोपुर

स्थिति : माजीपुर, मैनालिया, पैतिया

जिला : वैशाली



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

15. जलवायु एवं मिट्टी

(Soil and Climate)

जलवायु

वर्षा का वितरण

उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी

दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी

दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी

जलवायु

बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। यहाँ की जलवायु पर मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है, अतः यह मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु (Cwa) है। किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश का पड़ता है। अन्य कारकों में ऊँचाई, समुद्र से दूरी, वायु की दिशा, वन, समुद्री जलधारा, वर्षा की मात्रा, पर्वत की दिशा आदि हैं। इन कारकों को सम्मिलित रूप से Land Reforms कहते हैं। इन कारकों में बिहार की जलवायु को प्रभावित करनेवाले कारक अक्षांश, ऊँचाई, समुद्र से दूरी और वर्षा की मात्रा आदि हैं।

अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अतः संपूर्ण बिहार उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तरी-पश्चिमी भाग में गोपालगंज, सीवान, सारण आदि में अर्द्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है। राज्य के उत्तरी भाग में हिमालय की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आनेवाली वाष्पयुक्त वायु हिमालय पर्वत से टकराकर भारी वर्षा कराती है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मई-जून तथा अक्टूबर-नवंबर में बंगाल की खाड़ी से उठनेवाले चक्रवातों का भी राज्य की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जाड़े के दिनों में पछुवा विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का भी प्रभाव राज्य पर पड़ता है।

यद्यपि बिहार स्थलबद्ध राज्य है, जिस कारण यहाँ की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ना चाहिए था, लेकिन राज्य की जलवायु में वर्ष के अधिकांश समय नमी बनी रहती है। इसलिए बिहार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु न कहकर संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं।

विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने जलवायु वर्गीकरण में बिहार की जलवायु के लिए अलग-अलग संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में बिहार को (मानसूनी प्रकार एवं शुष्क जाड़ा), डडले स्टॉप एवं केंड्र्यू ने उपोष्ण जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में, ट्रिवार्था ने (उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र) तथा थॉर्नवेट ने वर्ग में रखा है।

बिहार में विभिन्न जलवायविक विशेषता के कारण तीन प्रकार की ऋतुएँ पाई जाती हैं—

1. ग्रीष्म ऋतु (मध्य मार्च से मध्य जून तक),
2. वर्षा ऋतु (मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक),
3. शीत एवं शरद ऋतु (मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक)।

ग्रीष्म ऋतु

ग्रीष्म ऋतु मार्च के महीने में प्रारंभ होती है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई आते-आते तापमान अधिक बढ़ जाता है। मई का माह सर्वाधिक गरम माह होता है। राज्य का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 35-45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तापमान में वृद्धि होने से मैदानी भाग निम्नभार का क्षेत्र बन जाता है। धूलभरी आँधी तेज गति से चलने लगती है। इस ऋतु में आर्द्रता में कमी आ जाती है। हवाएँ शुष्क एवं गरम होती हैं, जिसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। इस गरम एवं शुष्क वायु को 'लू' कहते हैं। यह गरम वायु मूलतः पंजाब, राजस्थान के मैदान के गरम होने से बननेवाले बृहत निम्न भारवाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इस मौसम में कभी-कभी बारिश भी होती है। मई-जून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है, जिससे राज्य के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। इस प्रकार के चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का सबसे गरम जिला गया रहता है।

वर्षा ऋतु

वर्षा ऋतु बिहार में मध्य जून से प्रारंभ होकर मध्य अक्टूबर तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होते-होते बिहार के मैदान में निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास हो जाता है। यह निम्न वायुदाब क्षेत्र मानसूनी गर्त का काम करने लगता है तथा मानसूनी वायु को आकर्षित कर वर्षा कराता है।

बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तरी पश्चिमी भाग में गोपालगंज, सीवान, सारण आदि में अर्द्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है।

बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। बिहार में मानसून का आगमन 10 जून तक हो जाता है तथा 15-20 जून तक पूरे बिहार में फैल जाता है। मानसून का आगमन सबसे पहले बिहार के उत्तर-पूर्वी हिस्से में किशनगंज में 10 जून तक होता है। किशनगंज बिहार का सर्वाधिक आर्द्र (वर्षा ग्रहण करनेवाला) जिला है। केवल जून से सितंबर के बीच पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे-जैसे मानसूनी वायु पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इस मौसम में वायु में आर्द्रता की मात्रा 80-90 प्रतिशत तक रहती है।

मानसूनी वायु का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर ऊपर उठने के कारण शिवालिक श्रेणी, तराई प्रदेश एवं उत्तरी मैदानों में अधिक वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी बिहार के मैदान में वर्षा कम होती है। मानसूनी वायु की एक शाखा छोटानागपुर पठार की ओर से प्रवेश करती है, जिससे सीमांत पठारी क्षेत्रों में वर्षा होती है।

अक्टूबर के मध्य तक बिहार से मानसून वापस लौटने लगता है, वायु विपरीत दिशा में वापस लौटने लगती है, जिसे मानसून का लौटना (Retreating of Monsoon) कहते हैं। इस समय मध्य अक्टूबर से नवंबर के बीच का काल, जिसमें मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम वायु हिमालय की दक्षिणी ठंडी वायु का स्वरूप ग्रहण करने लगती है। यह शरद ऋतु की स्थिति होती है।

शीत ऋतु

शीत ऋतु का प्रारंभ नवंबर के प्रारंभ से होता है। इस ऋतु की प्रमुख विशेषता—आसमान साफ एवं ठंडी वायु मंद गति से स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है अर्थात् प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। इस ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान 4-10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। पछुआ विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है। जनवरी में ठंड बढ़ने से पाला पड़ने लगता है, जिससे फसलों, विशेषकर आलू, को हानि पहुँचती है। जनवरी में तापमान अत्यंत कम हो जाने से शीतलहर चलने लगती है।

वर्षा का वितरण

बिहार में वर्षा का वितरण असमान है। असमान होने का मुख्य कारण उच्चावच में भिन्नता एवं समुद्र से बढ़ती दूरी है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100.9 सेंटीमीटर (1009 मिलीमीटर) होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 180 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तरी बिहार के मैदान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है।

दक्षिण बिहार के मैदान में उत्तर बिहार की तुलना में वर्षा कम होती है। दक्षिणी बिहार के नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिले कम वर्षा ग्रहण करनेवाले जिले हैं।

बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100.9 सेंटीमीटर (1009 मिलीमीटर) होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 180 सेंटीमीटर तक होती है।

ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के अतिरिक्त जाड़े में भी बिहार में वर्षा होती है। जनवरी-फरवरी में मैदानी क्षेत्रों में पछुआ विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक है। यह वर्षा शीतोष्ण चक्रवात से होती है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्यसागर में होती है। चक्रवातीय वायु आगे बढ़कर फारस की खाड़ी में नमी ग्रहण करती है तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत में प्रवेश कर वर्षा कराती है, जिसका प्रभाव बिहार तक पड़ता है।

जिलावार वार्षिक विवरण (वर्षा मिलीमीटर में)

क्रमांक : 1

जिला : पटना

2015 : 534.5

2016 (अक्टूबर तक) : 919.2

क्रमांक : 2

जिला : नालंदा

2015 : 671.9

2017 (अक्तूबर तक) : 1087.7

क्रमांक : 3

जिला : भोजपुर

2015 : 643

2018 (अक्तूबर तक) : 807.3

क्रमांक : 4

जिला : बक्सर

2015 : 747.6

2019 (अक्तूबर तक) : 941.6

क्रमांक : 5

जिला : रोहतास

2015 : 526.6

2020 (अक्तूबर तक) : 1041.1

क्रमांक : 6

जिला : कैमूर

2015 : 826

2021 (अक्तूबर तक) : 1194.5

क्रमांक : 7

जिला : गया

2015 : 738.3

2022 (अक्तूबर तक) : 1185.7

क्रमांक : 8

जिला : जहानाबाद

2015 : 591

2023 (अक्तूबर तक) : 1006.8

क्रमांक : 9

जिला : अरवल

2015 : 753.9

2024 (अक्तूबर तक) : 1236.3

क्रमांक : 10

जिला : नवादा

2015 : 630.1

2025 (अक्तूबर तक) : 914.8

क्रमांक : 11

जिला : औरंगाबाद

2015 : 949.1

2026 (अक्तूबर तक) : 1377.2

क्रमांक : 12

जिला : सारण

2015 : 473.6

2027 (अक्तूबर तक) : 626.5

क्रमांक : 13

जिला : सीवान

2015 : 655.9

2028 (अक्तूबर तक) : 844.2

क्रमांक : 14

जिला : गोपालगंज

2015 : 714.5

2029 (अक्तूबर तक) : 853.7

क्रमांक : 15

जिला : पश्चिमी चंपारण

2015 : 910.7

2030 (अक्तूबर तक) : 1083.1

क्रमांक : 16

जिला : पूर्वी चंपारण

2015 : 870.9

2031 (अक्तूबर तक) : 912.6

क्रमांक : 17

जिला : मुजफ्फरपुर

2015 : 467.9

2032 (अक्तूबर तक) : 679.5

क्रमांक : 18

जिला : सीतामढ़ी

2015 : 590.9

2033 (अक्तूबर तक) : 746.7

क्रमांक : 19

जिला : शिवहर

2015 : 777.7

2034 (अक्तूबर तक) : 965.7

क्रमांक : 20

जिला : वैशाली

2015 : 511.8

2035 (अक्टूबर तक) : 711.1

क्रमांक : 21

जिला : दरभंगा

2015 : 841.1

2036 (अक्टूबर तक) : 1036.4

क्रमांक : 22

जिला : मधुबनी

2015 : 705.3

2037 (अक्टूबर तक) : 1117.1

क्रमांक : 23

जिला : समस्तीपुर

2015 : 893.8

2038 (अक्टूबर तक) : 1058.6

क्रमांक : 24

जिला : बेगूसराय

2015 : 964.8

2039 (अक्टूबर तक) : 937.9

क्रमांक : 25

जिला : मुंगेर

2015 : 822

2040 (अक्टूबर तक) : 994.7

क्रमांक : 26

जिला : शेखपुरा

2015 : 794.1

2041 (अक्तूबर तक) : 1102.6

क्रमांक : 27

जिला : लखीसराय

2015 : 744.3

2042 (अक्तूबर तक) : 1065.5

क्रमांक : 28

जिला : जमुई

2015 : 798.4

2043 (अक्तूबर तक) : 1120.5

क्रमांक : 29

जिला : खगड़िया

2015 : 1047

2044 (अक्तूबर तक) : 767.2

क्रमांक : 30

जिला : भागलपुर

2015 : 1412

2045 (अक्तूबर तक) : 1132.8

क्रमांक : 31

जिला : बाँका

2015 : 719.9

2046 (अक्तूबर तक) : 1024.4

क्रमांक : 32

जिला : सहरसा

2015 : 957.5

2047 (अक्तूबर तक) : 1349.8

क्रमांक : 33

जिला : सुपौल

2015 : 674.3

2048 (अक्तूबर तक) : 1366.9

क्रमांक : 34

जिला : मधेपुरा

2015 : 857.7

2049 (अक्तूबर तक) : 1216.6

क्रमांक : 35

जिला : पूर्णिया

2015 : 822.8

2050 (अक्तूबर तक) : 1368.1

क्रमांक : 36

जिला : किशनगंज

2015 : 1654

2051 (अक्तूबर तक) : 2267

क्रमांक : 37

जिला : अररिया

2015 : 1014

2052 (अक्तूबर तक) : 1684.4

क्रमांक : 38

जिला : कटिहार

2015 : 933.1

2053 (अक्टूबर तक) : 973.5

क्रमांक :

जिला : बिहार

2015 : 795.9

2054 (अक्टूबर तक) : 1071.6

मिट्टी

मिट्टी ठोस भूपटल के ऊपरी असंगठित पदार्थों की परत है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने-फूटने से होता है। मिट्टी में चट्टानी कण, ह्यूमस, जल, वायु तथा सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। वास्तव में मिट्टी चट्टानों के अपभ्रंश और उनमें होनेवाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का परिणाम है। मिट्टी निर्माण में जल, आर्द्रता और तापमान जैसे जलवायविक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु एक गत्यात्मक कारक है, जो ऋतुक्षरण, ताप और वर्षा द्वारा मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

बिहार राज्य के 90 प्रतिशत धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदान में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार मूल चट्टान, भू-आकृति, भौतिक एवं रासायनिक संरचना है। कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी को मुख्यतः तीन वर्ग में बाँटा गया है—

1. उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी,
2. दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी,
3. दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी।

उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी

उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी (पश्चिमी चंपारण का पर्वतीय भाग) को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलनेवाली गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में वनीय या पर्वतीय मिट्टी का विकास हुआ है। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी को कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा चार उप-वर्गों में बाँटा गया है—

उप-हिमालय पर्वतपदीय मिट्टी

यह मिट्टी चंपारण के उत्तरी-पश्चिमी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की परत पतली होती है। यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। यह चिकनी मिट्टी है, जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने एवं मिट्टी का गठन हल्का होने से आर्द्रता (नमी) अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों (ह्यूमस) की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाई जानेवाली प्रमुख फसलें धान, मक्का, जौ आदि हैं।

तराई मिट्टी

उप-हिमालय पर्वतपदीय मिट्टी के दक्षिणी भागों में इस मिट्टी का विस्तार 3-8 किलोमीटर की पतली मिट्टी के

रूप में पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक है। पर्वतपदीय क्षेत्र में जल के सतत भूमि में रिसते रहने से इस मिट्टी को पर्याप्त आर्द्रता मिलती है। इस मिट्टी में कंकड़ के छोटे कण भी पाए जाते हैं तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा या पीला होता है। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है।

इस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसमें चूना और पोटाश की अधिकता होती है।

पुरानी जलोढ़ या बाँगर मिट्टी

पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में होता है, जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा-गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसमें चूना और पोटाश की अधिकता होती है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक होती है। इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी गन्ना कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि मिट्टी का कण मोटा होने के कारण तुलनात्मक रूप से नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग भूरा एवं सफेद होता है। इस मिट्टी में ऊपजाई जानेवाली अन्य फसल मक्का, ईख, धान, गेहूँ और तंबाकू है।

खादर मिट्टी

नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात् छोड़े गए अवसादों से निर्मित मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहा जाता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण खनिज तत्त्व होते हैं। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इसमें चीका (क्ले) की प्रधानता होती है। कहीं-कहीं बालू भी अधिक मात्रा में मिलती है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा की निचली घाटी में पाया जाता है। यह मिट्टी धान की कृषि के लिए उत्तम होती है। उत्तर-पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में जूट की कृषि होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है।

दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी

यह मिट्टी गंगा के दक्षिण मैदान में पाई जाती है। इसका विस्तार गंगा नदी तथा छोटानागपुर पठार के बीच है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। मिट्टी की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को चार उपवर्ग में बाँटा गया है—

कगारी मिट्टी

यह मिट्टी नदियों के किनारे तटबंध के रूप में पाई जाती है। गंगा नदी के दक्षिणी तट, सोन, किऊल, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे मोटी काँप के रूप में इस मिट्टी का विकास हुआ है। यह मिट्टी चूना-प्रधान मिट्टी है। इसका गठन हल्का एवं रंग भूरा होता है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि हैं।

टाल मिट्टी

टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है, जो वर्षा काल में जल-प्लावित रहता है। यह मिट्टी कगारी मिट्टी के दक्षिण बक्सर

से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह भूरे रंग की मोटे कणवाली मिट्टी है। यह मिट्टी दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

पुरानी जलोढ़/करैल-केवाल मिट्टी

इस मिट्टी का विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, उत्तरी गया, उत्तरी रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, पटना आदि में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है। इस मिट्टी में बालू, सिल्ट और चीका का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में क्षारीय और अम्लीय गुण काफी संतुलित रूप में पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में उपजाई जानेवाली प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, बाजरा, अरहर आदि हैं।

बलथर मिट्टी

यह मिट्टी छोटानागपुर पठार और गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कैमूर से भागलपुर तक 5 से 15 किलोमीटर तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसे लाल-पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के कंकड़ मिलते हैं और इसमें लाल रंग की अधिकता भी होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मिट्टी जल सोखने में सक्षम होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। अपरदन की अधिकता के कारण इस मिट्टी में कृषि की संभावना कम होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि की फसलें उपजाई जाती हैं।

दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी

दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्र में मुख्यतः लाल और पीले रंग की अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। सीमांत पठारी क्षेत्र की मिट्टी को दो उपवर्ग में बाँटा गया है—

कैमूर पहाड़ की लाल बालूका मिट्टी

यह मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के साथ लाल चीका और लेटेराइट के अंश पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण इस मिट्टी में जीवांश अधिक पाया जाता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में उपजाई जानेवाली मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मकई, महुआ आदि हैं।

लाल-पीली मिट्टी

इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण-पूरब बिहार के जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, बाँका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि चट्टानों के विखंडन से हुआ है। चट्टान में लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन आदि उपजाए जाते हैं।



16. वन एवं वन्य जीव-जंतु

(Forest and Wild Life)

वन

वन नीति

राज्य वन विकास अधिकरण

वन्य जीव-जंतु एवं संरक्षण

वन

बिहार मैदानी क्षेत्रफल वाला राज्य है। जनसंख्या का अधिक भार एवं कृषि भूमि के दबाव के कारण प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बिहार मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। अतः वनस्पति निर्धारण का प्रमुख कारक वर्षा की मात्रा है। शिवालिक श्रेणी एवं कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में वनस्पति को ऊँचाई भी प्रभावित करती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 6845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.21 प्रतिशत है।

वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार की प्राकृतिक वनस्पति को दो वर्ग में विभक्त किया जा सकता है—

आर्द्र पर्णपाती वन,

शुष्क पर्णपाती वन।

आर्द्र पर्णपाती वन—120 सेंमी. से अधिक वार्षिक वर्षावाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन को दो वर्ग में बाँटते हैं—

1. **सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन**—यह वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा 160 सेंमी. से अधिक होती है। उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर पाए जानेवाले इस वन के प्रमुख वृक्ष शाल (Sharea Robusta), शीशम, खैर, सेमल, तून आदि हैं। ऊँचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति का भी विकास हुआ है।

2. **तराई क्षेत्र का वन**—यह वन तराई क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में पाया जाता है। यह वन पूर्णिया, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज जिले में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। इस वन की प्रमुख वनस्पति बाँस, सवाई, घास, नरकट, झाड़, हाथी घास आदि हैं। इस प्रकार की वनस्पति निम्न दलदली भूमि में पाई जाती है। सहरसा तथा पूर्णिया के उतरी सीमांत क्षेत्रों में शाल वन की पट्टी पाई जाती है।

शुष्क पर्णपाती वन—120 सेंमी. से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। इसमें झाड़ी, घास तथा छोटे-छोटे पौधे विकसित हुए हैं। इस प्रकार की वनस्पति का विकास बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में हुआ है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई,

शेखपुरा एवं बाँका जिले के शुष्क पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्ष शीशम, महुआ, खैर, पलाश, आसन, आँवला, अमलतास, आबनूस आदि हैं।

बिहार में वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे तीन वर्ग में बाँटा गया है—

सुरक्षित वन (Reserve Forest),

आरक्षित वन (Protected Forest),

अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)।

सुरक्षित वन वह वन है, जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। आरक्षित वन वैसे वन को कहते हैं, जिसमें पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं चुनने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। अवर्गीकृत वन में पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाता है।

सुरक्षा की दृष्टि से वनों का प्रकार

वन का प्रकार : आरक्षित वन क्षेत्र

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 693

वन का प्रकार : संरक्षित वन क्षेत्र

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 5,779

वन का प्रकार : अवर्गीकृत वन क्षेत्र

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 452

वन का प्रकार : कुल

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 6845

बिहार में पाए जानेवाले कुल वन का, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2015 के अनुसार, 3.89 प्रतिशत खुले वन, 3.59 प्रतिशत सामान्य वन, 0.26 प्रतिशत अतिघन वन तथा 0.12 प्रतिशत झाड़ीदार वन पाया जाता है।

बिहार में जिलावार वनों के क्षेत्रफल एवं प्रतिशत को नीचे की तालिका में दिया गया है—

जिला : अररिया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,830

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 157

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.55

जिला : औरंगाबाद

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,305

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 1544

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.96

जिला : बाँका

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,019

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 232

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 7.68

जिला : कैमूर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,362

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 1102

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 32.6

जिला : बेगूसराय

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,918

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 84

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.33

जिला : भागलपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,570

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 64

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2.49

जिला : भोजपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,395

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 35

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.46

जिला : बक्सर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,703

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 10

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.59

जिला : दरभंगा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,279

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 134

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.88

जिला : गया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 4,976

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 607

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 12.2

जिला : गोपालगंज

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,033

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 5

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.25

जिला : जमुई

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,123

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 641

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 20.6

जिला : जहानाबाद

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 931

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 3

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.32

जिला : कटिहार

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,057

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 61

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2

जिला : खगड़िया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,486

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 21

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.41

जिला : किशनगंज

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,884

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 101

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.36

जिला : लखीसराय

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,228

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 201

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 14.8

जिला : मधेपुरा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,788

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 51

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2.85

जिला : मधुबनी

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,501

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 198

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.66

जिला : मुंगेर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,419

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 267

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 19.8

जिला : मुजफ्फरपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,172

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 142

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.48

जिला : नालंदा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,368

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 32

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.35

जिला : नवादा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,494

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 509

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 20.4

जिला : पश्चिमी चंपारण

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 5,228

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 899

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 17.2

जिला : पटना

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,202

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 25

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.78

जिला : पूर्वी चंपारण

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,968

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 156

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 3.93

जिला : पूर्णिया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,229

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 53

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.64

जिला : रोहतास

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 3,851

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 706

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 18.4

जिला : सहरसा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 1,896

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 32

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.9

जिला : समस्तीपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,904

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 156

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.37

जिला : सारण

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,641

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 53

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2.01

जिला : शेखपुरा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 689

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 1

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.16

जिला : शिवहर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 443

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 30

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.24

जिला : सीतामढ़ी

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,294

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 133

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 6.42

जिला : सीवान

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,219

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 7

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.32

जिला : सुपौल

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,425

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 132

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.43

जिला : वैशाली

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 2,036

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 92

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.52

जिला : अरवल

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 638

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 2

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.32

जिला : कुल

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) : 94,504

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) : 7288

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 7.27

स्रोत : वन विभाग, बिहार सरकार

वन संपदा

वनो से प्राप्त होनेवाले उत्पाद को वन संपदा कहते हैं। बिहार राज्य में वनों के अनेक प्रकार के प्रमुख एवं गौण उत्पाद प्राप्त होते हैं। राज्य में वन उत्पादों के एकत्रीकरण एवं विपणन का कार्य बिहार राज्य वन विकास निगम द्वारा किया जाता है।

मुख्य उत्पाद

वनो से प्राप्त होनेवाले मुख्य उत्पाद में केवल लकड़ियों को शामिल किया जाता है। बिहार में पाए जानेवाले प्रमुख वन उत्पाद निम्नलिखित हैं—

शाल—यह मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कीमती लकड़ी है, जो कठोर एवं टिकाऊ होती है। इसका उपयोग मकान, फर्श, फर्नीचर, रेल के डिब्बे एवं पटरियों के निर्माण आदि में किया जाता है। शाल के बीज का उपयोग तेल निकालने में भी किया जाता है।

शीशम—यह वृक्ष मुख्यतः बिहार के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। इसकी लकड़ी चिकनी और धारदार होती है। फर्नीचर उद्योग में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।

सेमल—सेमल की लकड़ी हल्की, मुलायम और सफेद होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग पैकिंग के लिए पेटी बनाने में तथा खिलौना निर्माण में किया जाता है। सेमल वृक्ष उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी रुई का उपयोग घरेलू एवं चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है।

तून—तून के वृक्ष बिहार के पहाड़ी ढालों पर पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत होने के कारण फर्नीचर, घरेलू सामान, खिलौना उद्योग आदि में उपयोग में लाई जाती है।

इसके अलावा आम, पीपल, नीम, बरगद, कटहल, बाँस आदि भी महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। आम के वृक्ष सर्वाधिक उत्तरी बिहार के दरभंगा, भागलपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। आम के वृक्ष से फल के साथ-साथ घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। पीपल एवं नीम के उत्पादों का उपयोग दवा निर्माण में किया जाता है।

गौण उत्पाद

बिहार में पाए जानेवाले गौण उत्पाद निम्नलिखित हैं—

1. **तसर/मलवरी/रिशम**—तसर का उत्पादन मुख्य रूप से भागलपुर जिले में होता है। भागलपुर जिले में अर्जुन

के वृक्ष पर पाले जानेवाले रेशम के कीड़ों से तसर का उत्पादन होता है।

2. **तेल उत्पादन**—कपास, लाह, महुआ आदि वृक्षों के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। इस तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है।

3. **लाह उत्पादन**—लाह का उत्पादन लेसिफर लक्का या लाह के कीड़े से होता है। झारखंड के सीमावर्ती जिलों में लाह उत्पादन होता है। लाह का कीड़ा कुसुम या पलास के वृक्षों पर पाला जाता है। इसका उपयोग चूड़ी एवं लहठी उद्योग में किया जाता है।

अन्य गौण उत्पादों में केंदू का पत्ता, गोंद, टेनिन, जड़ी-बूटी, बाँस, सबई घास आदि पाए जाते हैं। बाँस का मुख्य क्षेत्र तराई प्रदेश में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया आदि जिले हैं। सबई घास का उत्पादन भागलपुर जिले में होता है। सबई घास का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है।

वन उत्पाद पर आधारित उद्योग

वन उत्पादों पर आधारित राज्य में अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। इनमें सर्वाधिक मात्रा में लकड़ी चीरने (आरा मिल) का उद्योग है। अन्य प्रमुख उद्योग इस प्रकार हैं—

उद्योग : सिजीनींग एवं गत्ता उद्योग

केंद्र : समस्तीपुर, दरभंगा

उद्योग : पलाईवुड उद्योग

केंद्र : हाजीपुर, बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर

उद्योग : कत्था उद्योग

केंद्र : बेतिया

उद्योग : रेशम उद्योग

केंद्र : भागलपुर

वन नीति

स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 ई. में बनी थी। 1952 से 1980 के दशक आते-आते भारत में वनों का इतना विनाश हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नई वन नीति बनाना अनिवार्य हो गया। पूर्व की नीतियों का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना था। 1980 के दशक तक पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस समय तक यह महसूस किया जाने लगा कि वनों का संरक्षण राजस्व संग्रह के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक है, जैसे—मृदा और जल संरक्षण के लिए, जो परितंत्र को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं। इनमें स्थानीय निवासियों के लिए वनों से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 1988 ई. में नई वन नीति की घोषणा की गई।

बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.21 प्रतिशत हिस्सा वन है। इस दृष्टि से बिहार पूरी तरह से पर्यावरणीय असंतुलन की अवस्था में है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33.33 प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए। बिहार मूलतः मैदानी राज्य है, अतः राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल का 22 प्रतिशत हिस्से पर वन होना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.21 प्रतिशत हिस्सा वन है। इस दृष्टि से बिहार पूरी तरह से पर्यावरणीय असंतुलन की अवस्था में है। अतः वन विस्तार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

वानिकी कार्यक्रम

वानिकी कार्यक्रम के तहत निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. बंजर भूमि पर वन विकास हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चिह्नित किया गया है।
2. कुल परती भूमि के एक-तिहाई भाग पर वन विकास करना है।
3. सरकारी एवं निजी संस्थाओं के खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना है।
4. सार्वजनिक स्थलों, पथ आदि के किनारे वृक्षारोपण करना है।
5. सामाजिक वानिकी पर बल देना है।

हरियाली मिशन

हरियाली मिशन कृषि विकास योजना का एक घटक है। इसका उद्देश्य राज्य के 7.21 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र को 2017 ई. तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है अर्थात् 2012-17 ई. के बीच 4.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। हरियाली मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

1. 2017 ई. तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत हिस्से तक वन क्षेत्र का विकास करना है।
2. जलछाजन विकास के अंतर्गत 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट (कटे हुए) वन क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वासन कार्य किया जाना है।
3. कृषि वानिकी द्वारा किसानों के आय में वृद्धि करना है।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करनेवाले परिवारों को लगाए गए वृक्षों का पट्टा देकर जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करना है।
5. राज्य में वनोत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में सहायता किया जाना है।
6. वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुदृढ़ कर विस्तारित किया जाना एवं राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है।
7. राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।
8. तटबंधों, नहरों एवं सड़कों के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना है।

कृषि (अन्य प्रजाति) वानिकी योजना

हरियाली मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों के सहयोग से कृषि वानिकी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 3.6 करोड़ पॉलपलर के वृक्ष एवं 2.4 करोड़ अन्य प्रजातियों के वृक्ष अर्थात् कुल 6 करोड़ वृक्ष लगाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में शामिल किसानों को बरसात के मौसम में निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जाता है। पौधों की देखभाल के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी

जाती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को प्रथम वर्ष प्रति वृक्ष 15 रुपए, द्वितीय वर्ष प्रति वृक्ष 10 रुपए तथा तृतीय वर्ष प्रति वृक्ष 10 रुपए प्रदान किया जाता है। इस योजना में वृक्षारोपण 2 मीटर × 2 मीटर या 3 मीटर × 3 मीटर की दूरी पर किया जाता है।

कृषि वानिकी (पॉलपलर ई.टी.पी.) योजना

‘कृषि वानिकी योजना’ (पॉलपलर ई.टी.पी.) हरियाली मिशन, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार द्वारा उद्यमियों/ किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉलपलर पौधा रोपण के लिए है।

उद्देश्य—

किसानों के खेतों में पॉलपलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढीकरण।

वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना।

उपलब्धता

इस योजना में शामिल होनेवाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से पॉलपलर के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। पॉलपलर रोपण हेतु न्यूनतम 10 फीट ऊँचाई एवं 2.5 इंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

योजना में दिए जानेवाले लाभ

लाभुकों को पॉलपलर ई.टी.पी. रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण में दी जाती है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत ‘पॉलपलर पौधशाला’ योजना

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत पॉलपलर पौधशाला स्थापना योजना हरियाली मिशन द्वारा उद्यमियों/ किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉलपलर पौधशाला स्थापित करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना में शामिल होनेवाले लाभुकों/कृषकों को निःशुल्क पॉलपलर की कटिंग उपलब्ध कराई जाती है। इससे पॉलपलर के पौधे तैयार होते हैं, जिसे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीद लिया जाता है।

योजना का उद्देश्य

कम समय में अधिक से अधिक पौधा तैयार करना।

किसानों के खेतों में पॉलपलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।

ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

इस योजना में शामिल होनेवाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को विभाग के स्थानीय कार्यालय द्वारा स्थापित पॉलपलर पौधशाला से पॉलपलर कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। लाभुकों को 10000 (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराई जाती है।

हरियाली मिशन के तहत पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल 3 किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त 20 प्रतिशत की मार्च महीने में दी जाती है। द्वितीय किस्त 30 प्रतिशत की अक्टूबर महीने में दी जाती है। तृतीय किस्त 50 प्रतिशत की दिसंबर महीने में दी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 13-15 रुपए प्रति पौधा

निर्धारित की गई है।

कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉलपलर पौधों का रोपण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजातियों के लिए) योजना

वनों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। राज्य में कृषि वानिकी के लिए बड़े पैमाने पर पौधों की जरूरत होगी, जिसके लिए पौधों की आपूर्ति निजी पौधशाला से भी करने का प्रावधान किया गया है। कृषकों को पौधशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाता है। इसमें अलग-अलग प्रजातियों के पौधे तैयार होते हैं।

इस योजना का उद्देश्य अधिक-से-अधिक वृक्षारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

वृक्ष संरक्षण योजना

प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित पथ तट, नहर तट तथा बाँधों के तटबंध इत्यादि पर रोपित वृक्षों की ग्रामीणों की सहभागिता से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वृक्ष संरक्षण योजना लागू किए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थल से निकट के ग्रामीणों में से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 20 वृक्षों की इकाई बनाकर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित वन भूमि के अतिरिक्त पथ तट, नद तट, नदी तटबंध सहित सरकारी भूमि पर वर्ष 2005-06 एवं उसके बाद किए गए सभी वृक्षारोपणों पर यह योजना लागू है।

पर्यावरण एवं वन विभाग की पहल पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (ICFRE) द्वारा हलद्वानी, पंतनगर एवं झाँसी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

सामान्यतः 20 वृक्षों की एक इकाई वृक्षपाल (चयनित लाभुकों) को 30 वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी, लेकिन निर्धारित संख्या के इच्छुक योग्य आवेदनों के नहीं रहने पर एक से अधिक (अधिकतम 4) इकाई को आवंटित किया जाएगा।

30 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर वृक्षों के विदोहन के पश्चात् उपलब्ध प्राप्त काष्ठ (लकड़ी) पर वृक्षपाल का पूर्ण अधिकार होगा। इसके पूर्व वृक्षों के फल-फूल, टहनी, चारा इत्यादि का उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा ताकि वृक्ष की क्षति न हो। समय पर विदोहन के पश्चात् उसी भूमि पर वृक्षपाल द्वारा पुनः वृक्षारोपण किया जाएगा तथा सामान्य परिस्थिति में उसी लाभुक को अगले 30 वर्षों के लिए भी इकाई का आवंटन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना

विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में अवस्थित सभी मान्यताप्राप्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ इस योजना में शामिल किए जाते हैं।

मृदा एवं जल संरक्षण योजना

राज्य में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत विभिन्न संरचनाएँ बनाकर पहाड़ों पर मृदा का क्षरण होने से बचाव तथा पहाड़ों के ढालों पर जल का संचयन किया जाता है। इस योजना में नालंदा, मुंगेर, गया, बेतिया, बाँका, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद एवं रोहतास वन प्रमंडलों को शामिल किया गया है।

हरियाली मिशन के तहत राज्य में वानिकी शोध, जैसे—बीज संग्रहण, उपचार, अच्छे वृक्षों की पहचान, टिसू कल्चर लैब की स्थापना, डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट निर्माण, मृदा जाँच, विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का चयन, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विभागीय कार्यक्रमों एवं वानिकीकरण कार्यों की प्रचलित प्रक्रियाओं में परिवर्तन आदि विषय पर शोध-कार्य किए जाने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आई.सी.एफ.आर.ई. के साथ अनुबंध कर कृषि वानिकी की प्रजातियों, जैसे—पॉलपलर, शीशम, सैलिक्स, मेलिया, यूकेलिप्टस इत्यादि के ऊपर शोध कार्य किया जा रहा है।

पर्यावरण एवं वन विभाग की पहल पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (ICFRE) द्वारा हल्द्वानी, पंतनगर एवं झाँसी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को पौधशाला एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाए जानेवाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का मानक से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।

हर परिसर, हरा परिसर योजना

इस योजना में राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर, जैसे—स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थानों, कार्यालयों, क्लबों, समितियों एवं अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। एक संस्था या परिसर को न्यूनतम 50, अधिकतम 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। वितरित या रोपित पौधों पर चयनित संस्थाओं का ही संपूर्ण अधिकार होता है।

राज्य वन विकास अभिकरण

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार पर्यावरण संतुलन, मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य में वनों का विस्तार करना है। ग्रामीण लोगों द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वन क्षेत्रों में हो रहे ह्रास को बचाने तथा वन संसाधनों की वृद्धि करने की योजना है। वन विकास एवं नियोजन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अपनी निधि से सभी योजनाओं का कार्यान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य के प्राकृतिक वनों का आम लोगों की सहभागिता से संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था द्वारा वानिकी विकास, सुरक्षा एवं संवर्धन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत राज्य में 10 वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया गया है। वन विकास अभिकरणों द्वारा ग्राम स्तरीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं इको संरक्षित क्षेत्रों के लिए विकास समितियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्तमान में राज्य वन विकास अभिकरण के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है—

1. **राष्ट्रीय वनीकरण योजना (National Afforestation Programme—NAP)** इस योजना के तहत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा शत प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाता है।

2. **ग्रीन इंडिया मिशन (NAP)**—इस योजना में राज्य के चार चयनित क्षेत्रों के विकास के लिए बहुआयामी Perspective Plan तैयार किया गया है। ये चार क्षेत्र हैं—

अधौरा, कैमूर,
धरहरा, मुंगेर,
बाँका, बाँका,
इमामगंज, गया।

3. तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम—बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के तहत तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में 5100 लाख रुपए के खर्च से 8030 हेक्टेयर वन क्षेत्र में तसर खाद्य पौधे का वृक्षारोपण किया जाना है।

बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष 11 महत्त्वपूर्ण वन दिवसों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। ये वन दिवस निम्नलिखित हैं—

क्र. : 1

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व आर्द्र भूमि (Wetland) दिवस

तिथि : 2 फरवरी

क्र. : 2

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व वानिकी दिवस

तिथि : 21 मार्च

क्र. : 3

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

तिथि : द्वितीय सप्ताह (मई)

क्र. : 4

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व जैव विविधता दिवस

तिथि : 22 मई

क्र. : 5

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व पर्यावरण दिवस

तिथि : 5 जून

क्र. : 6

महत्त्वपूर्ण दिवस : वन महोत्सव

तिथि : जुलाई-सितंबर

क्र. : 7

महत्त्वपूर्ण दिवस : बिहार पृथ्वी दिवस

तिथि : 9 अगस्त

क्र. : 8

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व ओजोन दिवस

तिथि : 16 सितंबर

क्र. : 9

महत्त्वपूर्ण दिवस : वन्य प्राणी सप्ताह

तिथि : 02-09 अक्टूबर

क्र. : 10

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व पशु कल्याण दिवस

तिथि : 4 अक्टूबर

क्र. : 11

महत्त्वपूर्ण दिवस : डॉल्फिन दिवस

तिथि : 5 अक्टूबर

वन्य जीव-जंतु एवं संरक्षण

भारत में वन्य जीवन संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निर्देशन करनेवाला शीर्ष संस्थान भारतीय वन्य जीवन बोर्ड है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में लागू है। इस अधिनियम में वन्य जीवन के संरक्षण एवं विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके द्वारा दुर्लभ और खत्म होती जा रही प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगा दी गई है।

वर्तमान समय में बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 ई. में की गई थी।

वर्तमान समय में बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 ई. में की गई थी। इस उद्यान में बाघ, काला भालू, गैंडा, जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, तेंदुआ, हिरण आदि संरक्षित हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में स्थित है। यहाँ चीता, साँभर, तेंदुआ, हिरण, चीतल आदि पाए जाते हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या लगभग 240 से 500 के बीच है। भीमबाँध वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, साँभर, जंगली सूअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय आदि संरक्षित हैं।

विभिन्न अभयारण्य

राज्य सरकार ने वन्य जीव, जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 13 पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) निर्धारित किए हैं। पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के तहत वन्य प्राणी अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक का वन क्षेत्र शामिल किया गया है। ये पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

1. नागी बाँध पक्षी अभयारण्य, जमुई,
2. नकटी बाँध पक्षी अभयारण्य, जमुई,
3. वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण,
4. वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण,
5. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण,
6. कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा,
7. गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, गया,
8. भीमबाँध वन्य जीव अभयारण्य, मुंगेर,
9. विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी, भागलपुर,
10. उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण,
11. पंत वन्य जीव अभयारण्य, राजगीर, नालंदा,
12. बरेला झील पक्षी आश्रयणी, वैशाली,
13. कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी, कैमूर एवं रोहतास।

राज्य के वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कई अन्य कार्यक्रम चलाए गए हैं। बिहार में प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्रफल 6845 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कुल 3561 वर्ग किमी. के प्राकृतिक वन, 01 व्याघ्र आरक्ष, 01 गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी, 05 वन्य प्राणी आश्रयणी एवं 05 पक्षी आश्रयणी के रूप में अधिघोषित है। इनमें से तीन आश्रयणियाँ क्रमशः काँवर झील पक्षी आश्रयणी (काँवर ताल), कुशेश्वरस्थान पक्षी आश्रयणी एवं सलीम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पक्षी आश्रयणी (बरैला ताल) प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के विकास हेतु टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान की है। कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के विकास के लिए Integrated Development of Wildlife Habitat योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 110 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों के साथ-साथ इको-विकास के तहत अधौरा के दूरस्थ पठारी क्षेत्रों में ग्रामीणों के पशु संसाधन की उत्पादकता उन्नयन की एक Pilot Scheme प्रारंभ की जा रही है।

राजगीर में एक Zoo Safari स्थापित करने की योजना है, जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद् द्वारा किया जा चुका है। भीमबाँध वन्य प्राणी आश्रयणी, मुंगेर की प्रबंधन योजना का अंतिम प्रारूप विश्व वन्य जीव (WWF) द्वारा तैयार किया गया है, जिसको स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी तथा बरेला झील पक्षी आश्रयणी की प्रबंधन योजना बनाने का कार्य भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा किया गया है। पंत आश्रयणी, राजगीर की प्रबंधन योजना तैयार करने का कार्य TERI द्वारा किया जा रहा है। काँवर झील पक्षी आश्रयणी, बेगूसराय के अंतर्गत घोषित क्षेत्र में निजी स्वामित्व की भूमि भी सम्मिलित है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए पटना में 1916 लाख की राशि दी गई है, जिसमें 30 प्रतिशत भारत सरकार

का और 70 प्रतिशत बिहार सरकार का हिस्सा सम्मिलित है।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, जो राज्य का एकमात्र व्याघ्र आरक्ष्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 899.38 वर्ग किलोमीटर है। इस आरक्ष्य में बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, चीतल, साँभर इत्यादि वन्य प्राणी संरक्षित हैं। 2010 की गणना के अनुसार यहाँ बाघों की संख्या 8 थी। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कैमरा ट्रैप पद्धति से 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस अभयारण्य में 28 बाघ हैं। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन के उपरांत इसे 'बहुत अच्छे' आरक्ष्य की श्रेणी में रखा गया है।

संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना, जो 153 एकड़ में फैला है, में 100 प्रजातियों के 1180 वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। इस उद्यान में गैंडा प्रजनन एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र स्थापित है। इस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है।

राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन के उपरांत इसे 'बहुत अच्छे' आरक्ष्य की श्रेणी में रखा गया है।

वन्य जीवों से जानमाल की क्षति के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान एवं वन्यजीवों पर नियंत्रण—

प्रदेश में कृषि भूमि की कमी के कारण वन्य जीवों की स्थानीय निवासियों के साथ टकराव की स्थिति बनी रहती है, जिसके प्रशासन हेतु फसल एवं गृह हानि मुआवजा देने संबंधी निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अंतर्गत फसल हानि, जीव हानि, गृह हानि एवं मनुष्यों के प्राण हानि, अपंगता पर मुआवजा का निर्धारण राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जाने पर मुआवजे का भुगतान वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से किया जाता है। मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 60 हजार रुपए एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को 10 हजार रुपए मुआवजे का प्रावधान है।

राज्य के विभिन्न जिलों में नीलगाय के कारण फसलों की क्षति हो रही है। जिन किसानों की फसलों की क्षति हो रही है, उन्हें जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नीलगाय को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुँचाने पर किसानों को 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

□

17. कृषि

(Agriculture)

भूमि उपयोग प्रतिरूप
कृषि गहनता
कृषि संयोजन प्रदेश
कृषि प्रदेश
कृषि जलवायु प्रदेश
प्रमुख फसलें
पशुपालन एवं मत्स्यपालन
भूमि सुधार

बिहार कृषि-प्रधान राज्य है, जहाँ 86 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। समतल उपजाऊ मैदान, जलोढ़ दोमट मिट्टी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल संसाधन एवं मानव संसाधन की बहुलता ने कृषि क्षेत्र को राज्य अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। खनिज संसाधनों की कमी होने से आधारभूत उद्योगों के विकास की संभावना सीमित है। इसके कारण भी कृषि क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 6.6 प्रतिशत उत्पादन बिहार करता है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पादन का 22.9 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। बिहार में कुल कार्यकारी जनसंख्या का 77 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की विकास दर 6.02 प्रतिशत रहा है।

भूमि उपयोग प्रतिरूप

बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। बिहारवासियों की जीवन-शैली कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए राज्य में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विशेष महत्व है। भूमि प्रबंधन भूमि संसाधन के समुचित उपयोग के लिए अनिवार्य तत्त्व है। बिहार सूखा एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिवर्ष ग्रस्त रहनेवाला राज्य है। बिहार में जनसंख्या दबाव अधिक है, अतः भूमि संसाधन के सही उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि कर जनसंख्या का उचित भरण-पोषण किया जा सकता है। उचित भूमि प्रबंधन द्वारा ही बाढ़ एवं सूखे पर नियंत्रण के साथ-साथ बंजर भूमि का विकास भी संभव है।

बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, जिस पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। कृषि क्षेत्र में परंपरागत साधनों का प्रयोग होता रहा है। इस कारण बिहार में जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है।

बिहार में भूमि उपयोग प्रतिरूप के विकास पर कई कारकों का प्रभाव पड़ा है, जो निम्नलिखित हैं—

- (i) उच्चावच,
- (ii) जलवायु,
- (iii) वर्षा,
- (iv) मानवीय क्रिया-कलाप।

बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, जिस पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। कृषि क्षेत्र में परंपरागत साधनों का प्रयोग होता रहा है। इस कारण बिहार में जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है। उत्तर बिहार के मैदान में वर्षा की मात्रा अधिक होने एवं गंगा, गंडक, कोसी जैसी अनेक सदावाही नदियों के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है, जिसके कारण देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कृषि के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल अधिक है। जनसंख्या के दबाव के कारण विकास कार्य, जैसे—रेल, सड़क, उद्योग तथा अधिवासीय क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। अधिक जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है। इन कारणों से वनों की कटाई तीव्र गति से हुई है। वनों के अंतर्गत भूमि की मात्रा सीमित है। बिहार के कुल क्षेत्रफल के मात्र 7.21 प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है।

दक्षिण बिहार, विशेषकर सीमांत पठारी क्षेत्रों में पठारी, पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ भूमि के कारण कृषि भूमि का विस्तार कम हुआ है। इन क्षेत्रों में वन एवं चरागाह भूमि अधिक है। वर्षा की मात्रा कम होने से दक्षिणी भागों, विशेषकर औरंगाबाद, गया, नवादा जिले में बंजर भूमि अधिक है। दक्षिण-पश्चिम बिहार में सोन नहर सिंचाई योजना के विस्तार होने से कृषि भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

भूमि उपयोग प्रतिरूप (2013-14)

क्रं. : 1

नाम : वाल्मीकि नेशनल पार्क

जिला : पश्चिमी चंपारण

प्रकार : राष्ट्रीय पार्क

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 335.65

स्थापना : 1989

संरक्षित : बाघ, काला भालू, गेंडा, जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, तेंदुआ, हिरण

क्रं. : 2

नाम : बरेला, सलीम अली, जुब्बा साहनी वन्य जीव अभयारण्य

जिला : वैशाली

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 1.96

स्थापना : 1997

संरक्षित : चीता, साँभर, हिरण, भालू, कोयल, गौरैया, मैना, तोता,

क्रं. : 3

नाम : भीमबाँध वन्य जीव अभयारण्य

जिला : मुंगेर

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 681.9

स्थापना : 1976

संरक्षित : तेंदुआ, भालू, साँभर, जंगली सूअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर

क्रं. : 4

नाम : कैमूर वन्य जीव अभयारण्य

जिला : कैमूर

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 1784.73

स्थापना : 1979

संरक्षित : भालू, भेड़िया, चौसिंगा,

क्रं. : 5

नाम : राजगीर वन्य जीव अभयारण्य

जिला : नालंदा

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 35.84

स्थापना : 1978

संरक्षित : भेड़, गाय, भालू, बंदर

क्रं. : 6

नाम : उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य

जिला : पश्चिमी चंपारण

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 8.74

स्थापना : 1978

संरक्षित : चीता, साँभर, हिरण, भालू

क्रं. : 7

नाम : वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य

जिला : पश्चिमी चंपारण

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 899.38

स्थापना : 1976

संरक्षित : चीता, साँभर, चीतल, हिरण, भालू

क्रं. : 8

नाम : गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य

जिला : गया

प्रकार : वन्य जीव अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 259.48

स्थापना : 1971

संरक्षित : चीता, साँभर, तेंदुआ, हिरण, चीतल

क्रं. : 9

नाम : काँवरझील पक्षी अभयारण्य

जिला : बेगूसराय

प्रकार : पक्षी अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 63.11

स्थापना : 1989

संरक्षित : साइबेरियन क्रेन

क्रं. : 10

नाम : नागी डैम पक्षी अभयारण्य

जिला : जमुई

प्रकार : पक्षी अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 7.91

स्थापना : 1987

संरक्षित : कोयल, गौरैया, मैना, तोता

क्रं. : 11

नाम : नकटी डैम पक्षी अभयारण्य

जिला : जमुई

प्रकार : पक्षी अभयारण्य

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 3.32

स्थापना : 1987

संरक्षित : कोयल, गौरैया, मैना, तोता, गिलहरी

क्रं. : 12

नाम : संजय गांधी जैविक पार्क

जिला : पटना

प्रकार : चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 153

स्थापना : 1969

संरक्षित : गैंडा

क्रं. : 13

नाम : विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य

जिला : भागलपुर

प्रकार : जलीय जीव अभयारण्य (गंगा नदी)

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : 60 किलोमीटर लंबाई

स्थापना : 1990

संरक्षित : डॉल्फिन

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

राज्य का शुद्ध (निबल) बुआई क्षेत्रफल (Net Showing Area) 56.1 प्रतिशत है। राज्य के 5 जिलों में शुद्ध बुआई क्षेत्रफल 60 प्रतिशत से अधिक है। सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल एवं कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफलवाले जिलों को नीचे की तालिका में दिखाया गया है—वर्ष 2015-16

जिले का नाम : बक्सर

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 83

जिले का नाम : जमुई

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 15

जिले का नाम : भोजपुर

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 76

जिले का नाम : गया

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 26

जिले का नाम : सीवान

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 76

जिले का नाम : मुंगेर

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 31

जिले का नाम : गोपालगंज

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 73

जिले का नाम : लखीसराय

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 36

जिले का नाम : शेखपुरा

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 72

जिले का नाम : बाँका

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 39

जिले का नाम : बिहार

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में : 57

जिले का नाम : -

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत में :-

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

फसल गहनता (Crop Intensity)

सकल बोए गए क्षेत्र और शुद्ध कृषि कार्य में लाए गए क्षेत्र का अनुपात कृषि गहनता या फसल गहनता कहलाता है। कृषि गहनता का अध्ययन हमेशा प्रतिशत में किया जाता है। कृषि गहनता का मापन नीचे दिए गए सूत्र से किया जाता है—

$$IC = H/A \times 100$$

IC = फसलों की गहनता

H = सकल बोई गई भूमि

A = कृषि कार्य में लाई गई भूमि

उपर्युक्त सूत्र के आधार पर भारत को 5 कृषि गहनता क्षेत्र में बाँटा गया है, इसमें बिहार को उच्च गहनता क्षेत्र (70-130 प्रतिशत) में रखा गया है। इस वर्ग में 100-200 सेंमी. वर्षा वाला क्षेत्र सम्मिलित है। यह मूलतः दो फसली कृषि क्षेत्र है। वर्तमान में बिहार में कृषि गहनता 138 प्रतिशत (1.44) है। कृषि गहनता में वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है। कृषि गहनता को नीचे की तालिका में दिखाया गया है—

क्रं. : 1

वर्ग : सकल फसल क्षेत्र

क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) : 78.82

क्रं. : 2

वर्ग : एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र

क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) : 21.7

सर्वाधिक फसल गहनतावाले जिले सहरसा, शिवहर तथा अररिया हैं, जबकि सबसे कम फसल गहनतावाले जिले शेखपुरा, अरवल और मुंगेर हैं।

कृषि फसल प्रतिरूप

बिहार में कृषि फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहाँ खाद्यान्न फसल की बहुलता है। बिहार की कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल के 90 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न फसल के क्षेत्रफल में कमी आई है। दलहन उत्पादन के क्षेत्रफल में भी गिरावट आई है, जिससे दालों के उत्पादन में कमी आई है। दलहन उत्पादन के क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण सिंचाई सुविधा में विस्तार होने से अनाज उत्पादन के क्षेत्रफल में एवं नकदी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। बिहार के कृषि फसल प्रतिरूप को निम्न तालिका में दिखाया गया है—

राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल के 90 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न फसल के क्षेत्रफल में कमी आई है।

फसलवार क्षेत्रफल का प्रतिशत

	उप-कृषि जलवायु क्षेत्र		
	उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान क्षेत्र	उत्तर-पूर्व जलोढ़ मैदान क्षेत्र	दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान क्षेत्र
जिला	पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज	शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया
मिट्टी	बलुई दोमट	बलुई दोमट	दोमट, बलुई दोमट, क्ले
पीएच मान	6.5-8.4	6.5-7.8	6.8-8.0
कार्बनिक पदार्थ (प्रतिशत में)	0.2 1.0	0.2 1.0	0.5 1.0
नाइट्रोजन (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	150-350	150-300	200-400
फॉस्फोरस (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	5-50	10-35	10-100
पोटाश (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	100-300	150-250	150-350
वर्षा (मिलीमीटर में)	1040-1450	1200-1700	990-1300
अधिकतम ताप (डि.सें.)	36.6	33.8	37.1
न्यूनतम ताप (डि.सें.)	7.7	8.8	7.8

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार में कृषि फसल प्रतिरूप का विकास कृषि उप-जलवायु क्षेत्र के आधार पर हुआ है। बिहार के अलग-अलग कृषि उप-जलवायु जोन में प्रमुख फसल प्रतिरूप को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है—

फसल प्रतिरूप जोन

फसल प्रतिरूप जोन : जोन-I

फसल : धान-गेहूँ, धान-राई, धान-आलू, धान-मक्का, मक्का-गेहूँ, मक्का-आलू, मक्का-राई, धान-मसूर, धान-अलसी (तीसी)

प्रमुख जिले : पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय

फसल प्रतिरूप जोन : जोन-II

फसल : जूट-गेहूँ, जूट-आलू, जूट-उड़द, जूट-सरसों, धान-गेहूँ-मूँग, धान-तोरिया

प्रमुख जिले : पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज

फसल प्रतिरूप जोन : जोन-III

फसल : धान-गेहूँ, धान-चना, धान-मसूर, धान-राई

प्रमुख जिले : शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

कृषि संयोजन प्रदेश

कृषि या फसल संयोजन का तात्पर्य फसल के उस समूह से है, जो वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में उपजाया जाता है। कृषि या फसल संयोजन प्रदेश के निर्धारण में सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान् बिहार ने 1954 ई. में किया था। बाद में डोई ने 1959 में इसका प्रयोग किया था। इन दोनों विद्वानों ने सांख्यिकी के मानक विचलन विधि के आधार पर फसल संयोजन प्रदेश का निर्धारण किया था। बिहार में जिले को फसल संयोजन प्रदेश के अध्ययन की इकाई माना गया है। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष कितनी फसल कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती हैं, इसके आधार पर फसलों का क्रम निर्धारित कर फसल संयोजन प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए कम-से-कम एक प्रतिशत क्षेत्रफल पर बोई गई फसल को आधार बनाया जाता है। वर्तमान समय में इसके निर्धारण के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है।

बिहार में फसल संयोजन प्रदेश (फसल साहचर्य) का निर्धारण 10 फसलों के आधार पर हुआ है। इनमें चार दलहनी फसल खेसारी, मसूर, मूँग एवं चना है। तीन खाद्यान्न फसल धान, गेहूँ तथा मक्का, दो नकदी फसल जूट एवं गन्ना तथा एक सब्जी फसल आलू है।

भारतीय संदर्भ में भारत को छह कृषि संयोजन प्रदेशों में बाँटा गया है, जिसमें बिहार का अधिकांश भाग तीन फसली संयोजन प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत धान, गेहूँ और दलहन प्रमुख फसल हैं। सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ गेहूँ एवं असिंचित क्षेत्रों में दलहन का उत्पादन करता है। तीन फसली कृषि संयोजन प्रदेश का क्षेत्र सघन आबादी का क्षेत्र है, जिसके कारण खाद्यान्न फसल के उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है।

कृषि प्रदेश

कृषि के विकास एवं नियोजन की दृष्टि से कृषि प्रदेश का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह एक भौगोलिक प्रदेश है, जिसका निर्धारण समान प्रकार की जलवायविक दशा, मिट्टी के प्रकार, फसल प्रकार में समानता एवं संरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर होता है। कृषि प्रदेश का निर्धारण मुख्य आधार पर बोई गई भूमि के उपयोग पर निर्भर करता है।

बिहार में फसल संयोजन प्रदेश (फसल साहचर्य) का निर्धारण 10 फसलों के आधार पर हुआ है। इनमें चार दलहनी फसल खेसारी, मसूर, मूँग एवं चना है। तीन खाद्यान्न फसल धान, गेहूँ तथा मक्का, दो नकदी फसल जूट एवं गन्ना तथा एक सब्जी फसल आलू है।

बिहार में कृषि प्रदेश का वर्गीकरण अनुभवाश्रित एवं सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के आधार पर किया गया है। प्रो. परमेश्वर दयाल और अयोध्या प्रसाद ने कृषि प्रदेश के निर्धारण हेतु अनुभवाश्रित विधि का प्रयोग किया है। प्रो. दयाल ने इसके आधार पर अविभाजित बिहार को 57 कृषि प्रदेश में विभाजित किया था, जबकि अयोध्या प्रसाद ने बिहार को 5 कृषि प्रदेश में विभाजित किया है।

सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रो. इनायत अहमद ने 1959 ई. में बिहार को 12 कृषि प्रदेश में तथा

आर.एल. सिंह ने 7 कृषि प्रदेश में विभाजित किया है।

कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों की विविधता के आधार पर बिहार को चार कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ये चार कृषि प्रदेश निम्नलिखित हैं—

एक फसली कृषि प्रदेश

वैसे जिले जहाँ केवल एक फसल (धान) का ही उत्पादन किया जाता है, उसे एक फसली कृषि प्रदेश कहा जाता है। राज्य के मधुबनी जिले को इस श्रेणी में रखा गया है। हालाँकि यहाँ दलहन और तिलहन की खेती भी की जाती है, लेकिन इनकी खेती जिले के एक प्रतिशत से भी कम कृषि क्षेत्र पर की जाती है। जिले के ज्यादातर क्षेत्र पर धान की ही खेती होती है।

दो फसली कृषि प्रदेश

इसमें दो प्रमुख फसलें उपजाई जाती हैं। इसके अंतर्गत धान-गेहूँ, धान-मक्का, धान-जूट या गेहूँ-मक्का आदि फसल समूह को उपजाया जाता है। इन दो फसली कृषि क्षेत्रों में मैदानी कृषि क्षेत्र आते हैं। पूर्णिया जिले को दो फसली कृषि प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया है।

तीन फसली कृषि प्रदेश

जिन कृषि क्षेत्रों में तीन प्रमुख फसलों को शामिल किया जाता है, उसे तीन फसली कृषि प्रदेश की श्रेणी में रखा जाता है। इस कृषि प्रदेश में बिहार में धान के साथ गेहूँ, मक्का, जूट और खेसारी में से दो प्रमुख फसलें उपजाई जाती हैं। ये फसलें भिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के प्रकार और जलवायविक विशेषताओं के आधार पर बोई जाती हैं।

पूरे भारतवर्ष को 15 विभिन्न कृषि जलवायु जोन में बाँटा गया है। बिहार भारत के कृषि जलवायु जोन-4 में आता है। इस कृषि जलवायु जोन में मध्यवर्ती गंगा मैदान का प्रदेश आता है।

चार फसली कृषि प्रदेश

इस कृषि प्रदेश में चार फसलें बोई जाती हैं। भागलपुर के सभी क्षेत्रों में धान प्रमुख है, लेकिन मक्का, गेहूँ और खेसारी से यह चतुष्फसली होता है। सारण में भी धान मुख्य फसल के रूप में होता है और अन्य तीन फसलें भी क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर उपजाई जाती हैं।

बिहार कृषि जलवायु प्रदेश

पूरे भारतवर्ष को 15 विभिन्न कृषि जलवायु जोन में बाँटा गया है। बिहार भारत के कृषि जलवायु जोन-4 में आता है। इस कृषि जलवायु जोन में मध्यवर्ती गंगा मैदान का प्रदेश आता है। इसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। पुनः कृषि जलवायु जोन-4 को 6 उप-कृषि जलवायु क्षेत्र में बाँटा गया है। इसमें तीन उप-कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में तथा तीन उत्तर प्रदेश में हैं। बिहार के तीन उप-कृषि जलवायु क्षेत्र निम्न हैं—

उत्तर-पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के तेरह जिले शामिल किए गए हैं। यह उप-कृषि जलवायु क्षेत्र हिमालय पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा 1040-1450 मिलीमीटर है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं उपाद्र

है। इस क्षेत्र में खादर, बलुई दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टियाँ अम्लीय प्रकृति की हैं। इस प्रदेश के 70 प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रदेश की 42 प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि है।

उत्तर-पूर्व जलोढ़ मैदान का क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले शामिल किए गए हैं। यह कृषि जलवायु क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा 1200-1700 मिलीमीटर है। इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क उष्णार्द्र है। इस क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होता है। इस क्षेत्र की 44 प्रतिशत भूमि सिंचित है।

दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान का क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के सत्तरह जिले शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा 990-1300 मिलीमीटर है। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र की 75 प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि है। यह क्षेत्र सोन नहर सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को दो हिस्से में बाँटा जाता है, जो पहला—दक्षिण-पूर्वी जलोढ़ मैदान तथा दूसरा—दक्षिण-पश्चिमी जलोढ़ मैदान है। नीचे की तालिका में उप-कृषि जलवायु प्रदेश तथा उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है—

बिहार के उप-कृषि जलवायु क्षेत्र की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता

	उप-कृषि जलवायु क्षेत्र		
	उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान क्षेत्र	उत्तर-पूर्व जलोढ़ मैदान क्षेत्र	दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान क्षेत्र
जिला	पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, कटिहारा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज	शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया
मिट्टी	बलुई दोमट	बलुई दोमट	दोमट, बलुई दोमट, क्ले
पीएच मान	6.5-8.4	6.5-7.8	6.8-8.0
कार्बनिक पदार्थ (प्रतिशत में)	0.2-1.0	0.2-1.0	0.5-1.0
नइट्रोजन (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	150-350	150-300	200-400
फॉस्फोरस (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	5-50	10-35	10-100
पोटाश (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	100-300	150-250	150-350
वर्षा (मिलीमीटर में)	1040-1450	1200-1700	990-1300
अधिकतम ताप (डि.सें.)	36.6	33.8	37.1
न्यूनतम ताप (डि.सें.)	7.7	8.8	7.8

प्रमुख फसलें

समतल उपजाऊ जलोढ़ मैदान पर्याप्त जल संसाधन एवं कृषि के अनुकूल जलवायविक दशा के कारण बिहार

कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। भिन्न-भिन्न जलवायु क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की पाई जानेवाले मिट्टियों के कारण अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। राज्य में खाद्यान्न फसलों, जैसे—अनाज और दलहन के अतिरिक्त तिलहन, रेशेदार फसल, गन्ना, फल-सब्जी आदि का भी उत्पादन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार जैसे भूमि सुधार कार्य एवं संरचनात्मक सुधार, जिसमें सिंचाई सुविधा का विस्तार, उन्नत बीज का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण आदि शामिल हैं, के कारण फसलों का विसरण हुआ है एवं उत्पादन में विविधता आई है।

राज्य में खाद्यान्न फसलों, जैसे—अनाज और दलहन के अतिरिक्त तिलहन, रेशेदार फसल, गन्ना, फल-सब्जी आदि का भी उत्पादन किया जाता है।

राज्य के विभाजन के बाद खनिज संसाधन एवं उस पर आधारित उद्योग झारखंड में चले जाने से बिहार का जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि उत्पाद एवं पशुपालन है। कृषि कार्य के लिए उत्तरी बिहार का मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदानी भाग अनुकूल है। बिहार सघन कृषि का क्षेत्र है तथा जनसंख्या दबाव के कारण जीवनयापन में कृषि की प्रधानता है।

राज्य में मोटे तौर पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं—

1. खरीफ,
2. रबी,
3. जायद।

खरीफ

खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की फसलें—भदई तथा अगहनी उगाई जाती हैं। प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं दलहनी फसल अरहर, मूँग आदि हैं। खरीफ फसलों की बुआई जून-जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत कुछ वार्षिक फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे—गन्ना, जूट आदि।

रबी

रबी के अंतर्गत प्रमुख फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि हैं। रबी की बुआई अक्टूबर-नवंबर में तथा कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। इसके अंतर्गत तंबाकू, फल, सब्जी जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं।

जायद

जायद फसल नियमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च-जून के बीच में उगाई जाती है। इसमें मकई, ज्वार, हरा चारा, महुआ आदि उगाए जाते हैं।

उपर्युक्त खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

फसलों के प्रकार

फसल प्रकार : खरीफ (i) भदई (ii) अगहनी

बोने का समय : जून-जुलाई, जून, जुलाई

काटने का समय : अक्टूबर-नवंबर, अगस्त, नवंबर

प्रमुख फसल : चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, धान, गन्ना, सब्जी

फसल प्रकार : रबी

बोने का समय : अक्टूबर-नवंबर

काटने का समय : मार्च-अप्रैल

प्रमुख फसल : जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, खेसारी

फसल प्रकार : जायद

बोने का समय : अप्रैल

काटने का समय : जून

प्रमुख फसल : मक्का, ज्वार, सब्जी, हरा चारा, महुआ

प्रमुख फसल

बिहार की कृषि मानसून-आधारित है। सिंचाई साधनों का जल संसाधन की क्षमता के अनुपात में विकास नहीं हुआ है। बिहार मैदानी राज्य है, जनसंख्या बसाव अधिक है। अतः अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के कारण गहन जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है। राज्य की प्रमुख फसल चावल एवं दूसरी प्रमुख फसल गेहूँ है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन किया जाता है। नकदी फसलों में गन्ना, आलू, तंबाकू, जूट, लाल मिर्च आदि बिहार की प्रमुख फसलें हैं।

खाद्यान्न फसल (अनाज)

धान

बिहार की प्रमुख फसल धान है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। धान की आवश्यक सभी भौगोलिक दशाएँ बिहार में उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं—

न्यूनतम तापमान 160 सेंटीग्रेड, अधिकतम 270 सेंटीग्रेड तथा औसत तापमान 240 सेल्सियस,

औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर,

जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी,

अधिक मात्रा में श्रम की उपलब्धता।

बिहार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में चावल की दो तथा पूर्वी भाग में तीन फसलें तक उगाई जाती हैं। 80 प्रतिशत से अधिक भाग में अगहनी धान बोया जाता है, जबकि लगभग 3 प्रतिशत भाग में गरमा धान उगाया जाता है। पूर्णिया, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में बोरो धान उगाया जाता है। बोरो धान नवंबर-दिसंबर में बोया जाता है तथा जनवरी-फरवरी में काटा जाता है। बिहार में चावल उत्पादन करनेवाले प्रमुख जिले रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, जहानाबाद, अरवल,

भोजपुर, कैमूर आदि हैं। धान की प्रमुख किस्म प्रभात, साकेत, सीता, कनक, आई.आर.36, स्वर्णा सब-1 आदि बिहार में उगाई जाती हैं। धान में लगनेवाले प्रमुख कीट तना छेदक, मधुआ कीट, साँढ़ा कीट, बभनी कीट आदि हैं। सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला रोहतास है। 2015-16 में उत्पादन के आधार पर पहले तीन जिले रोहतास, औरंगाबाद और बाँका हैं, जबकि उत्पादकता के आधार पर प्रथम तीन जिले लखीसराय, शेखपुरा और रोहतास हैं।

गेहूँ

बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार में शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन होता है। बिहार में शीतकाल शुष्क होता है, अतः इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ इस प्रकार हैं—

जलोढ़ दोमट मिट्टी,
तापमान 140 सेंटीग्रेड से 180 सेंटीग्रेड,
वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर।

गेहूँ रबी फसल है, जो नवंबर-दिसंबर से बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ का उत्पादन करनेवाले प्रमुख जिले रोहतास, भभुआ, गया, दरभंगा, भोजपुर, सीवान, सारण, औरंगाबाद आदि हैं। सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करनेवाला जिला रोहतास है। 2015-16 में गेहूँ उत्पादन में प्रथम तीन जिले रोहतास, सीतामढ़ी और बक्सर हैं जबकि उत्पादकता के आधार पर प्रथम तीन जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी और भागलपुर हैं। बिहार की कुल कृषि भूमि के 29 प्रतिशत भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। यह बिहार के लगभग 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बोया जाता है। गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में सातवाँ है। गेहूँ की प्रमुख किस्में सी. 306, के. 9107, पी.बी.डब्ल्यू. 343, एच.डी. 2824 आदि बिहार में बोई जाती हैं। गेहूँ में लगनेवाले प्रमुख कीट एवं रोग दीमक (*Odontotermes Obesus*) माहू (लाही), भूरा हरदा, पीला हरदा, जुलसा रोग, कलिका रोग, अकड़ी रोग आदि हैं।

गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में सातवाँ है। गेहूँ की प्रमुख किस्में सी. 306, के. 9107, पी.बी.डब्ल्यू. 343, एच.डी.

2824 आदि बिहार में बोई जाती हैं।

मक्का

बिहार में मक्का चावल और गेहूँ के बाद तीसरे प्रमुख खाद्य फसल है। मक्के की खेती बिहार में खरीफ, रबी एवं गरमी सभी मौसमों में की जाती है। मक्का के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं—

तापमान 180 सेल्सियस से 270 सेल्सियस,
वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर,
भारी दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी।

इसकी बुआई जून-जुलाई में की जाती है तथा सितंबर-अक्तूबर में काटा जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा आदि हैं। 2015-16 ई. में कटिहार सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः भागलपुर और अररिया जिला हैं। उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम तीन जिले कटिहार, भागलपुर और दरभंगा हैं।

मक्का के बीज को 3-5 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर बोया जाता है तथा 5-6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।

मक्का के साथ कई क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें रबी के मौसम में मक्का के साथ आलू या मूली या मटर तथा खरीफ के मौसम में मक्का के साथ उड़द या लोबिया या अरहर की खेती की जाती है। वर्तमान समय में 'क्वालिटी प्रोटीन मक्का' की बीज शक्तिमान तैयार किया गया है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का में उच्च मात्रा में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन होता है। मक्का में लगनेवाला कीट एवं रोग कजरा कीट, धड़ छेदक, भुट्टा छिद्रक, पत्रलांछन (झुलसा), हरदा (त्नेज) आदि हैं।

जौ

जौ रबी फसल है, जो मुख्य रूप से असिंचित क्षेत्रों में बोया जाता है। जौ की खेती कम वर्षा तथा उष्ण जलवायु के क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख उत्पादक जिले पश्चिमी चंपारण, भभुआ, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, गया आदि हैं। जौ की खेती मिश्रित फसल के रूप में गेहूँ, चना, सरसों आदि के साथ की जाती है। जौ की प्रमुख किस्में रत्ना, के.125, आजाद, ज्योति आदि हैं।

पटना सबसे अधिक उत्पादन करनेवाला जिला है। अन्य दलहनी फसलों की तरह चना अपनी जड़ों में बननेवाली गाँठों में रहनेवाले बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है।

महुआ (रागी)

यह शुष्क जलवायु की फसल है। महुआ (रागी), ज्वार और बाजरा की तरह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह फसल बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। रागी के उत्पादन में बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है। सबसे बड़ा उत्पादक जिला दरभंगा है। इसके अतिरिक्त सुपौल, सारण, सहरसा, सीवान, मधेपुरा और गोपालगंज जिले में उत्पादन किया जाता है।

खाद्यान्न फसल (दलहन)

बिहार में उगाई जानेवाली प्रमुख दलहनी फसलें चना, अरहर, खेसारी, मसूर, मूँग, उड़द आदि हैं।

चना

चना बिहार की प्रमुख दलहनी रबी फसल है। इसके लिए केवाल एवं जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। चने का उत्पादन पटना, औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, गया, लखीसराय, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद आदि जिलों में किया जाता है। पटना सबसे अधिक उत्पादन करनेवाला जिला है। अन्य दलहनी फसलों की तरह चना अपनी जड़ों में बननेवाली गाँठों में रहनेवाले बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। चने की प्रमुख किस्में राजेंद्र चना, पूसा 256, आर.ए.यू. 52, बी.आर. 72 आदि हैं। राज्य में चने के साथ राई, सरसों, तीसी की मिश्रित कृषि भी की जाती है। चने में लगनेवाला प्रमुख कीट एवं रोग फली छेदक कीट, कजरा कीट, सेमीलूपर, उखड़ा रोग, स्टेमफिलियम ब्लाइट आदि हैं।

अरहर

अरहर को, जिसे बिहार में तुअर भी कहा जाता है, यह खरीफ फसल के साथ बोई जाती है, लेकिन रबी फसल के साथ काटी जाती है। यह बिहार की प्रमुख दलहन फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला क्रमशः गया, औरंगाबाद और भभुआ है। अरहर के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफलवाला जिला क्रमशः भभुआ, गया और पूर्वी

चंपारण हैं। यह बिहार के लगभग सभी जिलों में उगाई जाती है।

खेसारी

यह बिहार में बोई जानेवाली प्रमुख दलहनी रबी फसल है, लेकिन यह निम्न कोटि की दलहन फसल है। इसका उत्पादन करनेवाला सबसे बड़ा जिला क्रमशः पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद हैं। खेसारी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद में है। इसके उत्पादन के लिए केवाल एवं दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है।

मसूर

मसूर बिहार की प्रमुख दलहनी रबी फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला क्रमशः पटना, भभुआ आदि हैं। इसके अतिरिक्त गया, जहानाबाद में भी उगाई जाती है।

मूँग

मूँग दलहनी फसल है, जिसे गेहूँ की कटाई के बाद बोया जाता है। राज्य के कई हिस्सों में खरीफ फसल के समय जून-जुलाई में भी बोया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज आदि हैं।

बिहार में 2014-15 में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करनेवाले जिले क्रमशः पटना, औरंगाबाद और नालंदा हैं, जबकि उत्पादकता के आधार पर प्रथम तीन जिले कैमूर, पटना और दरभंगा हैं।

तिलहन

सरसों एवं राई

सरसों एवं राई बिहार की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसके तेल का उपयोग मुख्य रूप से भोजन में किया जाता है। यह बिहार के मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण हैं। सर्वाधिक उत्पादन करनेवाले जिले बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया आदि हैं।

तिल

बिहार में काले एवं सफेद रंगों के तिल का उत्पादन होता है। तिल के तेल का प्रयोग भोजन में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में तथा औषधि के रूप में किया जाता है। तिल का सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला सुपौल है तथा सुपौल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तिल की खेती भी की जाती है। अन्य उत्पादक जिले समस्तीपुर, भभुआ, नवादा, किशनगंज आदि हैं।

अरंडी

यह तिलहनी फसल है, लेकिन इसके तेल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग आग जलाने, साबुन उद्योग और चिकनाई (स्नेहक) के लिए किया जाता है। यह राज्य के सभी जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके पौधे मुख्य फसल के खेतों के किनारे लगा दिए जाते हैं। इसके लिए समतल या ऊँची-नीची कैसी भी भूमि उपयुक्त होती है।

गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर बिहार के मैदानों में किया जाता है। गन्ना का उत्पादन अधिक वर्षा एवं सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है।

नकदी फसल

राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में नकदी फसलों का विशेष महत्व है। ये फसलें प्रायः खेतों से ही बिक्री कर दी जाती हैं, जिससे कृषकों को सीधे लाभ पहुँचता है। इन व्यावसायिक फसलों में प्रमुख फसलें निम्नलिखित हैं—

गन्ना

यह राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। बिहार के प्रमुख चीनी उद्योग का आधार गन्ना है। गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर बिहार के मैदानों में किया जाता है। गन्ना का उत्पादन अधिक वर्षा एवं सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए आदर्श भौगोलिक परिस्थितियाँ राज्य में उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं—

चूनायुक्त दोमट मिट्टी,
औसत तापमान 260 सेंटीग्रेड,
औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर।

बिहार में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सोन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिले हैं। गन्ने की खेती गंडक, कोसी दोआब क्षेत्र में 10 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल पर की जाती है। राज्य की सकल 76 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में से 3 लाख हेक्टेयर (60 प्रतिशत) पर गन्ने की खेती की जाती है। 2015-16 में 181.75 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। गन्ना उत्पादकता दर इस अवधि में 68.97 टन प्रति हेक्टेयर थी।

राज्य के चार प्रमुख जिलों का गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

गन्ने का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता वर्ष 2015-16

	जिला क्रमानुसार			
क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर)	1. प. चंपारण 122.73 (46.6 प्रतिशत)	2. पू. चंपारण 43.3 (16.4 प्रतिशत)	3. गोपालगंज 25.98 (9.9 प्रतिशत)	4. सीतामढ़ी 14.64 (5.6 प्रतिशत)
उत्पादन (000 टन)	1. प. चंपारण 8529.69 (46.9 प्रतिशत)	2. पू. चंपारण 3431.91 (18.9 प्रतिशत)	3. गोपालगंज 1791.13 (9.9 प्रतिशत)	4. सीतामढ़ी 904.49 (5 प्रतिशत)
उत्पादकता (टन/हेक्टेयर)	1. नालंदा 98.23	2. पटना 90.11	3. अरवल 84.3	4. भोजपुर 81.32

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

जूट

जूट का उत्पादन अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी खेती उत्तरी-पूर्वी बाढ़ के मैदानों में की जाती है। इसे काटने के बाद जल के नीचे कुछ समय तक दबाकर रखा जाता है। उसके बाद तने से छाल उतार दिया जाता है, जो बाद में रेशे का रूप ग्रहण कर लेता है। बिहार में पूर्णिया एवं

कटिहार सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। इसके अतिरिक्त सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में उत्पादन किया जाता है। जूट का उपयोग पैकिंग उद्योग, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि के निर्माण में किया जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद भारत का दूसरा जूट उत्पादक राज्य है।

तंबाकू

देश में बिहार तंबाकू उत्पादन करनेवाला छठा बड़ा राज्य है। राज्य में तंबाकू का उत्पादन मुख्य रूप से गंडक नदी की घाटी में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले वैशाली, सीतामढ़ी, बेगूसराय, पूर्णिया और समस्तीपुर हैं। पूर्णिया में वर्जिनिया किस्म का तंबाकू भी उपजाया जाता है।

मिर्च

यह राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, जो अगहनी फसल की श्रेणी में आती है। यद्यपि यह सभी मौसम में उगाई जाती है। इसके उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली आदि हैं।

चाय

चाय का उत्पादन उत्तर-पूर्व बिहार में किशनगंज एवं पूर्णिया में किया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होने एवं ढलवाँ भूमि होने के कारण चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति है।

मेस्ता

यह रेशेदार फसल भी जूट की भाँति है। बिहार के मैदानी भागों में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। इसकी खेती के लिए अधिक वर्षावाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। उपजाऊभूमि में पैदा होनेवाली यह फसल पूर्णिया, सहरसा, पटना और दरभंगा आदि जिलों में उत्पादित की जाती है।

कृषि नवाचार

बिहार में पिछले कुछ दशकों में संरचनात्मक सुविधाओं, जैसे—सिंचाई सुविधा, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण आदि के कारण फसलों का विसरण हुआ है एवं उत्पादन में विविधता आई है। 2015-16 में राज्य में 51.95 लाख टन रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हुआ। उन्नत बीज, खाद्य एवं पानी को हरित क्रांति तकनीक कहा जाता है। नीचे की तालिका में राज्य में उर्वरक उपयोग को प्रदर्शित किया गया है।

उर्वरक खपत वर्ष 2015-16 (हजार टन में)

उर्वरक का प्रकार—यूरिया

खरीफ—954.2

रबी—1403.9

कुल—2358.1

उर्वरक का प्रकार—डी.ए.पी.

खरीफ— 186.4

रबी— 356.4

कुल— 542.8

उर्वरक का प्रकार— एस.एस.पी.

खरीफ— 47.6

रबी— 26.2

कुल— 73.7

उर्वरक का प्रकार— एम.ओ.पी.

खरीफ— 48.3

रबी— 105.5

कुल— 153.7

उर्वरक का प्रकार— अमोनियम सल्फेट

खरीफ— 2.6

रबी— 15.8

कुल— 18.4

उर्वरक का प्रकार— कॉम्प्लेक्स

खरीफ— 150.3

रबी— 201.6

कुल— 351.8

उर्वरक का प्रकार— एन (N)

खरीफ— 499.8

रबी— 749.9

कुल— 1249.8

उर्वरक का प्रकार—पी (P)

खरीफ— 128.1

रबी— 212.8

कुल— 340.9

उर्वरक का प्रकार—के (K)

खरीफ— 35.4

रबी— 70.7

कुल— 106.2

उर्वरक का प्रकार—कुल

खरीफ— 2052.6

रबी— 3142.7

कुल— 5195.3

उर्वरक का प्रकार—उर्वरक खपत (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में)

खरीफ— 160.4

रबी— 240.2

कुल— 201.1

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नए-नए प्रयोग एवं शोध के कारण भी उन्नत बीज एवं नई कृषि तकनीक का विकास हो रहा है, जिसके कारण भी खाद्यान्न के साथ-साथ अधिक आयवाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। सरकार ने कृषि रोड मैप-II में अपनी तकनीकी से उन्नत किस्म के अधिक उपज देनेवाले बीज के विकास पर बल दिया है। इस बीज को किसानों तक पहुँचाने के लिए 'किसान विकास शिविर' तथा 'कृषि सलाहकार' जैसी कृषि प्रसार सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसमें आर्टिमिसिया अन्नुआ, ढैंचा, हर्बल एवं औषधीय पौधे, जैविक खेती, मधु उत्पादन, मत्स्य पालन आदि मुख्य हैं। किसानों में जागरूकता उत्पन्न होने से फसल चक्र एवं वैज्ञानिक कृषि को अपनाया जा रहा है। बाँका, सारण, सीवान एवं जमुई में आर्टिमिसिया अन्नुआ की नर्सरी स्थापित की गई है। यह एक औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। यह मूल रूप से चीन का पौधा है।

भारत में लीची के कुल उत्पादन का आधा से अधिक बिहार में होता है। लीची बागबानी फसल है,

जिसके लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है।

राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एवं रासायनिक खाद के उपयोग को सीमित करने के लिए ढेंचा की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढेंचा का पौधा हरी खाद का प्रमुख स्रोत है। इससे निर्मित हरी खाद अधिक मात्रा में कार्बनिक अम्ल पैदा करती है, जिससे ऊसर, लवणीय व क्षारीय भूमि की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान की खेती के लिए ढेंचा से बनी हरी खाद अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इससे चावल में विटामिन-ए एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। ढेंचा की बुआई गेहूँ के बाद की जाती है, जो 50-55 दिन में तैयार हो जाता है। ढेंचा की फसल को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, जो हरी खाद का रूप ग्रहण कर लेती है। राज्य में औषधीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए National Mission on Medicinal Plant Year 2008-09 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अंतर्गत औषधीय पौधों के उत्पादन एवं उपयोग पर बल दिया जाता है। औषधीय पौधों में मेंथा, खस, तुलसी, पुदीना, जामारोसा, कलमेध, सर्पगंधा, सतालुवर, बुच, जट्रोपा आदि की कृषि की जा रही है। प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन हेतु बिहार में कृषि रोड मैप-2 में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत बर्मी के पोस्ट उत्पादन को माँग-आधारित बना दिया गया है, जिसमें 1000 टन वार्षिक उत्पादन करनेवाली व्यावसायिक इकाई के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

फल उत्पादन

बिहार की कृषि जलवायु संबंधी स्थितियाँ एवं जलोढ़ मिट्टी फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बिहार में उत्पन्न होनेवाले प्रमुख फलों में लीची, आम, केला, अमरुद, नीबू, अनन्नास, पपीता, आँवला आदि हैं। 2015-16 में फल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 2.85 लाख हेक्टेयर था तथा कुल उत्पादन 40.62 लाख टन हुआ।

भारत में लीची के कुल उत्पादन का आधा से अधिक बिहार में होता है। लीची बागबानी फसल है, जिसके लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। बिहार में लीची का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानों में मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर में किया जाता है। 2015-16 में राज्य के करीब 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान हैं। इसकी उत्पादकता दर 8.2 टन प्रति हेक्टेयर है। लीची में चीनी की मात्रा 10-15 प्रतिशत और प्रोटीन की मात्रा 1.1 प्रतिशत होती है। लीची की प्रमुख किस्में देशी, अर्लीबेदाना, शाही, मंदराजी (चायना), कसवा आदि हैं। इसमें शाही लीची सर्वाधिक प्रसिद्ध है।

आम के उत्पादन में बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बिहार में आम के अंतर्गत 2015-16 में लगभग 1 लाख 49 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है। आम की प्रमुख प्रजाति मालदह, आम्रपाली, रत्ना, मंजीरा, लैंगड़ा, दशहरी, सुकुल, सीपिया, शहद गुलाब, बांबे, जर्दालू आदि हैं। 2014-15 तथा 2015-16 में बिहार में प्रमुख फलों के उत्पादन को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

बिहार में फल उत्पादन (हजार टन में)

क्रमांक—1

फल—आम

2014-15—1272

2015-16—1465

क्रमांक—2

फल—अमरूद

2014-15—370

2015-16—370

क्रमांक—3

फल—केला

2014-15—1527

2015-16—1535

क्रमांक—4

फल—लीची

2014-15—198

2015-16—198

क्रमांक—5

फल—अनन्नास

2014-15—116

2015-16—116

क्रमांक—6

फल—पपीता

2014-15—43

2015-16—53

क्रमांक—7

फल—आँवला

2014-15—15

सब्जी उत्पादन

सब्जी के उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान प्रथम है। नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल है। वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल सब्जी का उत्पादन 142.84 लाख टन हुआ था। सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन आदि प्रमुख सब्जी हैं।

आलू की खेती रबी मौसम में शरद ऋतु में की जाती है। यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोया जाता है। बिहार में आलू की प्रमुख किस्में राजेंद्र आलू-3, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज, कुफरी बहार आदि बोई जाती हैं। आलू राज्य की प्रमुख सब्जी फसल है। दोमट, बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला नालंदा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर पटना और सारण हैं। प्याज के उत्पादन में नालंदा, पटना और कटिहार अग्रणी जिले हैं। गोभी का उत्पादन वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर आदि जिलों में किया जाता है। नीचे की तालिका में 2015-16 में बिहार में उत्पादित प्रमुख सब्जियों के उत्पादन को दर्शाया गया है—

बिहार में सब्जी उत्पादन (हजार टन में)

क्रमांक :1

सब्जी :आलू

2014-15 :6345.55

2015-16 :6345.52

क्रमांक :2

सब्जी :प्याज

2014-15 :1247.31

2015-16 :1247.34

क्रमांक :3

सब्जी :टमाटर

2014-15 :1046.44

2015-16 :1001.01

क्रमांक :4

सब्जी :गोभी

2014-15 :1003.55

2015-16 :1003.9

क्रमांक :5

सब्जी :बंदगोभी

2014-15 :695.33

2015-16 :719.81

क्रमांक :6

सब्जी :बैंगन

2014-15 :1141.57

2015-16 :1138.05

स्रोत : बिहार सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16

बिहार में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता

बिहार में कृषि के उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के कारण खाद्य एवं खाद्येतर दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख अनाज धान, गेहूँ, मक्का के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, फल एवं सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सहवर्ती क्षेत्रों, जैसे—पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन भी किया जाता है। 2014-15 में अनाजों का कुल उत्पादन 143.21 लाख टन तथा 2015-16 में 140.87 लाख टन हुआ। पिछले 5 वर्षों में अनाज के उत्पादन में 6.65 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण चावल के उत्पादन में उच्च वृद्धि का होना है। इस अवधि के दौरान गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दर 6.96 प्रतिशत रही है। 2012-15 के बीच चावल का औसत उत्पादकता 2386 किग्रा. प्रति हेक्टेयर, गेहूँ का 2436 किग्रा. प्रति हेक्टेयर और मक्का का 3816 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हुआ है।

बिहार में 2015-16 में धान का उत्पादन 68.02 लाख टन, गेहूँ का 47.36 लाख टन, दलहन का 4.2 लाख टन, तिलहन का 1.26 लाख टन तथा गन्ने का 119.14 लाख टन उत्पादन हुआ। बिहार के विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

बिहार में विभिन्न फसलों के उत्पादन करनेवाले प्रमुख जिले (2015-16)

फसल	जिला	उत्पादन (हजार टन में)	कुल उत्पादन (हजार टन में)
चावल	1. रोहतास 2. औरंगाबाद 3. बाँका	759.63 (11.2 प्रति.) 553.35 (8.1 प्रति.) 316.98 (4.7 प्रति.)	6802.22
गेहूँ	1. रोहतास 2. सीतामढ़ी 3. बक्सर	294.21 (6.2 प्रति.) 283.07 (6.0 प्रति.) 245.58 (5.2 प्रति.)	4736.45
मक्का	1. कटिहार 2. भागलपुर 3. अररिया	369.95 (14.5 प्रति.) 233.34 (9.3 प्रति.) 232.05 (9.2 प्रति.)	2517.10
चना	1. पटना 2. औरंगाबाद 3. नालंदा	100.27 654.3 558.9	58.55
मटर	1. खगड़िया 2. बेगूसराय 3. औरंगाबाद	144.6 125.3 106.4	17.94
मसूर	1. पटना 2. भभुआ 3. नालंदा	412.78 128.80 121.45	140.44
खेसारी	1. पटना 2. औरंगाबाद 3. जहानाबाद	175.73 121.26 617.6	50.99
मूँग	1. सुहरसा 2. मुजफ्फरपुर 3. दरभंगा	128.01 126.35 109.01	94.36

जौ	1. प. चंपारण	404.3	13.90
	2. भभुआ	142.4	
	3. औरंगाबाद	132.0	
बाजरा	1. बक्सर	330.2	4.64
	2. भोजपुर	287.0	
	3. सीवान	99.0	
ज्वार	1. बक्सर	790.0	1.71
	2. भोजपुर	434.0	
	3. पटना	200.0	
रागी	1. सुपौल	368.6	9.89
	2. मधुबनी	130.5	
	3. दरभंगा	908.0	
अरहर (तुअर)	1. गया	271.6	37.13
	2. औरंगाबाद	252.0	
	3. भभुआ	243.2	
उड़द	1. कटिहार	277.1	12.05
	2. खगड़िया	236.8	
	3. लखीसराय	185.2	

बिहार में विभिन्न फसलों के उत्पादकता प्रमुख जिले (2015-16)

फसल	जिला	उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में)	कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में)
चावल	1. लखीसराय	4271	2104
	2. शेखपुरा	3872	
	3. रोहतास	3863	
गेहूँ	1. पूर्णिया	3484	2244
	2. सीतामढ़ी	3216	
	3. भागलपुर	3094	
मक्का	1. कटिहार	8025	3571
	2. भागलपुर	5197	
	3. दरभंगा	4903	

चना	1. पटना	1582	986
	2. जहानाबाद	1376	
	3. शेखपुरा	1146	
मटर	1. गोपालगंज	1251	1053
	2. सीवान	1250	
	3. सारण	1250	
मसूर	1. भभुआ	2635	932
	2. पटना	1489	
	3. गोपालगंज	1459	
खेसारी	1. अरवल	1286	934
	2. जहानाबाद	1274	
	3. रोहतास	1235	
मूँग	1. दरभंगा	1290	615
	2. कटिहार	1156	
	3. किशनगंज	1133	
जौ	1. प. चंपारण	1901	1304
	2. पू. चंपारण	1709	
	3. वैशाली	1703	
बाजरा	1. मधेपुरा	1167	1133
	2. गया	1143	
	3. सीवान	1138	
ज्वार	1. भागलपुर	1111	1063
	2. पटना	1070	
	3. भोजपुर	1069	
रागी	1. सुपौल	2110	1429
	2. सहरसा	1980	
	3. सीतामढ़ी	1837	

अरहर	1. औरंगाबाद	2145	1577
	2. पटना	2111	
	3. वैशाली	2030	
उड़द	1. जहानाबाद	1000	833
	2. नालंदा	1000	
	3. मुजफ्फरपुर	1000	

बिहार में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं सर्वाधिक क्षेत्रफलवाले प्रमुख जिले (2015-16)

Downloaded From
http://t.me/Edu_Books
www.studymasterofficial.com

फसल	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
चावल	1. मधुबनी 2. रोहतास 3. पूर्वी चंपारण	204.78 193.28 196.66	3232.31
गेहूँ	1. रोहतास 2. पूर्वी चंपारण 3. बक्सर	131.58 121.13 90.52	2110.75
मक्का	1. समस्तीपुर 2. बेगूसराय 3. खगड़िया	63.59 56.5 55.24	704.96
चना	1. औरंगाबाद 2. पटना 3. नालंदा	7599 6338 5293	60002
मटर	1. खगड़िया 2. बेगूसराय 3. औरंगाबाद	1432 1241 1053	17142
मसूर	1. पटना 2. औरंगाबाद 3. नालंदा	27722 13612 12013	152912
खेसारी	1. औरंगाबाद 2. पटना 3. जहानाबाद	12126 10670 6176	60661

मूँग	1. मुजफ्फरपुर 2. सुपौल 3. सहरसा	24487 24108 19277	156699
जौ	1. पश्चिमी चंपारण 2. भधुआ 3. बक्सर	2127 1416 1398	12112
बाजरा	1. बक्सर 2. भोजपुर 3. सीवान	2912 253 87	3288
ज्वार	1. बक्सर 2. भोजपुर 3. पटना	740 406 187	1451
रागी	1. सुपौल 2. मधुबनी 3. दरभंगा	1743 1635 646	6678
अरहर	1. भधुआ 2. गया 3. पूर्वी चंपारण	1837 1702 1415	19851
उड़द	1. कटिहार 2. खगड़िया 3. भागलपुर	3028 2590 2177	15725

बिहार की प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र

फसल : चावल

उत्पादन क्षेत्र : रोहतास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अरवल, बक्सर

फसल : गेहूँ

उत्पादन क्षेत्र : रोहतास, गया, दरभंगा

फसल : मक्का

उत्पादन क्षेत्र : सारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर

फसल : जौ

उत्पादन क्षेत्र : पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया

फसल : महुआ/रागी

उत्पादन क्षेत्र : सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण

फसल : बाजरा

उत्पादन क्षेत्र : पटना, मुंगेर, गया

फसल : तीसी

उत्पादन क्षेत्र : पटना, भोजपुर, गया

फसल : राई, सरसों

उत्पादन क्षेत्र : पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा

फसल : तिल

उत्पादन क्षेत्र : पश्चिमी चंपारण, शाहाबाद

फसल : अरहर

उत्पादन क्षेत्र : दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर

फसल : चना

उत्पादन क्षेत्र : भोजपुर, बक्सर

फसल : मसूर

उत्पादन क्षेत्र : पटना, चंपारण, गया

फसल : खेसारी

उत्पादन क्षेत्र : पटना, गया, भोजपुर

फसल : गन्ना

उत्पादन क्षेत्र : चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर

फसल : जूट

उत्पादन क्षेत्र : पूर्णिया, कटिहार

फसल : तंबाकू

उत्पादन क्षेत्र : दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, सहरसा

फसल : आलू

उत्पादन क्षेत्र : पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर

फसल उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान

फसल : धान

स्थान : चौथा

फसल : गेहूँ

स्थान : छठा

फसल : तंबाकू

स्थान : तीसरा

फसल : जूट

स्थान : दूसरा

फसल : तिलहन

स्थान : सातवाँ

फसल : लीची

स्थान : प्रथम

फसल : आम

स्थान : प्रथम

फसल : जौ

स्थान : दूसरा

फसल : महुआ

स्थान : प्रथम

फसल : शहद

स्थान : प्रथम

फसल : मखाना

स्थान : प्रथम

फसल : मक्का

स्थान : तीसरा

पशुपालन एवं मत्स्यपालन

कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्यपालन, फल एवं पुष्पोत्पादन को भी शामिल किया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत पशु, भेड़, मुर्गी, सूअर, बकरी आदि का पालन बिहार में किया जाता है। पशुपालन राज्य में ग्रामीण आबादी की आय तथा रोजगार का प्रमुख साधन है। यह क्षेत्र कुल ग्रामीण आय में लगभग पाँचवें हिस्से का योगदान करता है। सीमांत कृषक, श्रमिकों तथा महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराता है। बिहार में 2012 की पशुगणना के अनुसार पशुधन की कुल संख्या 329.39 लाख है। पशुगणना प्रत्येक पाँच साल पर की जाती है। बिहार की अगली पशुगणना 2017 में की जाएगी। 2012 की पशुगणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन में 54 प्रतिशत दुधारू पशु हैं, जिसमें गायों की संख्या सर्वाधिक 122.32 लाख तथा भैंसों की संख्या 75.67 लाख है। बकरियों की कुल संख्या 111.49 लाख है। बकरी गरीब लोगों की आय का प्रमुख साधन है, इसलिए इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। राज्य में गाय और भैंस की सर्वाधिक संख्या वाले जिले पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, बाँका, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया हैं। बिहार के उत्तरी-पूर्वी भाग में बकरी, मुर्गी और बत्तखों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि बकरियों की सर्वाधिक संख्या वाले जिले पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार हैं।

नीचे की तालिका में 2007 और 2012 की पशुगणना के अनुसार बिहार में कुल पशुओं की संख्या को दर्शाया गया है।

पशुगणना 2007 एवं 2012 (हजार में)

पशु : गाय-बैल

2007 : 12408

2012 : 12232

पशु : भैंस-भैंसा

2007 : 6690

2012 : 7567

पशु : पाड़े-पाड़ियाँ

2007 : 2815

2012 : 3250

पशु : भेड़

2007 : 218

2012 : 232

पशु : बकरा-बकरी

2007 : 10167

2012 : 12154

पशु : सूअर

2007 : 632

2012 : 650

पशु : घोड़ा-घोड़ी

2007 : 51

2012 : 49

पशु : अन्य

2007 : 0

2012 : 55

पशु : कुल पशुधन

2007 : 30167

2012 : 32939

पशु : कुल पॉल्टो पक्षी

2007 : 11420

2012 : 12748

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशु संसाधन में अग्रणी जिले, 2012 की पशुगणना के अनुसार (हजार में)

पशु का नाम	जिला	संख्या (प्रतिशत)	कुल पशु
गाय	1. अररिया 2. गया 3. कटिहार 4. बाँका	678 (5.5) 654 (5.3) 605 (4.9) 552 (4.5)	12232
भैंस	1. मधेपुरा 2. मधुबनी 3. पूर्वी चंपारण 4. गया	820 (10.8) 380 (5.0) 340 (4.5) 314 (4.2)	7567
सूअर	1. भोजपुर 2. गया 3. पटना 4. जमुई	131 (20.2) 83 (12.8) 39 (5.9) 33 (5.0)	650
भेड़	1. कैमूर 2. औरंगाबाद 3. भोजपुर 4. सुपौल	43 (18.5) 25 (10.9) 19 (8.1) 16 (7.1)	232
बकरी	1. अररिया 2. पूर्वी चंपारण 3. भागलपुर 4. कटिहार	980 (8.1) 725 (6.0) 582 (4.8) 580 (4.7)	12154
पोल्डो प्रक्षी	1. कटिहार 2. मुजफ्फरपुर 3. शिवहर 4. किशनगंज	876 (6.9) 853 (6.7) 756 (5.9) 736 (5.8)	12748

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

बिहार में पशुपालन कार्य निम्न उद्देश्यों से किया जाता है—

कृषि कार्य में पशुओं के उपयोग हेतु।

दूध एवं दूध से संबंधित उत्पाद की प्राप्ति हेतु।

मांस एवं चमड़े की प्राप्ति हेतु।

पशुपालन क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले उत्पादों में दूध एवं दुग्ध पदार्थ, अंडा, मांस, मछली आदि हैं। बिहार में दूध का उत्पादन 2011-12 में 66.25 लाख टन था, जो 2015-16 में बढ़कर 82.88 लाख टन हो गया है। यह वृद्धि दर 2010-11 से 2015-16 के बीच 25.1 प्रतिशत है। 2011-12 में अंडों का उत्पादन 75.43 करोड़ था, जो 2015-16 में बढ़कर 100.21 करोड़ हो गया है। अंडा उत्पादन में इस कालखंड में वृद्धि दर 32.9 प्रतिशत रही।

बिहार में पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए पशु उपलब्ध कराने के साथ-साथ दूध उत्पादन करना है। पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद दूध है। दूध का उत्पादन 2015-16 में 82.88 लाख टन हुआ। राज्य में

दूध उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध है, जैसे—पशुपालन के अनुकूल जलवायु, जल, पर्याप्त मात्रा में चारा आदि। चारे के रूप में मक्का, ज्वार, बाजरा, जिनोरा, बरसेम घास आदि का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण दूध एवं उससे निर्मित उत्पादों की माँग भी अधिक है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1983 ई. में बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (कांफेड) की स्थापना की गई। यह राज्य में ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) कार्यक्रम का क्रियान्वयन करनेवाला अधिकरण है। दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कांफेड ने त्रिस्तरीय प्रतिरूप अपनाया है, जिसके तीन स्तर निम्न हैं—

पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद दूध है। दूध का उत्पादन 2015-16 में 82.88 लाख टन हुआ। राज्य में दूध उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध है, जैसे—पशुपालन के अनुकूल जलवायु, जल, पर्याप्त मात्रा में चारा आदि।

1. ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों की सहयोग समितियाँ।
2. जिला स्तर पर दुग्ध संघ।
3. राज्य स्तर पर दुग्ध महासंघ।

कांफेड गुजरात स्थित आनंद डेयरी के प्रतिरूप पर बिहार में भी दुग्ध उत्पाद को सुधा डेयरी के नाम से बाजार में विपणन करती है।

2015-16 ई. में 19.5 हजार दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियाँ संगठित हैं, जिसमें 14016 कार्यरत तथा 6042 पंजीकृत हैं। राज्य में 6 दुग्ध उत्पादक संघ और 3 दुग्ध परियोजना कार्यरत हैं, जिसमें से 1 राँची दुग्धशाला परियोजना झारखंड में स्थित है। राज्य के दुग्ध संघ एवं दुग्ध परियोजना को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

राज्य में दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियाँ एवं दैनिक दूध संग्रहण (2015-16)

संघ/परियोजना : वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 2490

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 307.73

संघ/परियोजना : देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1970

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 457.52

संघ/परियोजना : सिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1841

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 353.67

संघ/परियोजना : तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1904

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 191.55

संघ/परियोजना : शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 2432

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 258.29

संघ/परियोजना : विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1027

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 72.94

संघ/परियोजना : मगध दुग्ध परियोजना, गया

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1319

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 39.82

संघ/परियोजना : कोसी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 987

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 41.48

संघ/परियोजना : राँची, बोकारो, जमशेदपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 46

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 17.43

संघ/परियोजना : कुल

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 14016

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 1740.43

स्रोत : कांफेड, बिहार सरकार

इन दुग्ध संघों में दूध खरीद की वृद्धि दर सर्वाधिक 51.5 प्रतिशत कोसी दुग्धशाला परियोजना की है, जबकि दूसरे स्थान पर 44.8 प्रतिशत मगध दुग्ध परियोजना है। बिहार के बरौनी, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और आरा में दूध उत्पादक संयंत्र स्थापित हैं।

दुधारू पशुओं में गाय व भैंस प्रमुख हैं। राज्य में अच्छी नस्ल की गाय में जर्सी, ऑस्ट्रेलियाई, दोगली, साहीवाल, पंजाबी, गिर, सिंधी, थारपरकर, देवनी आदि हैं। भैंसों की मुख्य नस्लों में मथुरही, मुर्ग, भदावरी, जाफराबादी, सूरती, मेहसाना, नागपुरी, रोहतक आदि हैं।

मांस भोजन में प्रोटीन आपूर्ति का प्रमुख साधन है। मांस की प्राप्ति बकरी, भेड़, मुर्गी और सूअर से होती है।

बकरी का पालन बिहार में अररिया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बाँका, गोपालगंज आदि में मुख्य रूप से किया जाता है। भेड़ मांस के साथ-साथ ऊन उत्पादन का भी प्रमुख स्रोत है। भेड़ पालन बिहार में मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में किया जाता है। राज्य में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, सुपौल, गया, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, नालंदा आदि जिलों में हैं। मुर्गी पालन में भारत में बिहार का स्थान दूसरा है। मुर्गी पालन मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी-पूर्वी हिस्सों में मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सारण, गया में किया जाता है।

बिहार में मत्स्य उत्पादन

बिहार में जल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 273.3 हजार हेक्टेयर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है। अतः राज्य में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं। 2015-16 में 5.07 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जो अभी तक का सर्वाधिक है। राज्य में मछली उत्पादन में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण प्रमुख जिले हैं। मत्स्य बीज के उत्पादन में दरभंगा और मुजफ्फरपुर सबसे आगे हैं। राज्य में 129.37 लाख रुपए के व्यय से पटना के मीठापुर में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। फतुहा के सोनारू में मत्स्य बीज फार्म की स्थापना की जा रही है, जिस पर 99.68 लाख रुपए खर्च आएगा। मत्स्य पालकों की सुरक्षा के लिए 2011-12 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 3200 रुपए प्रति हेक्टेयर की किस्त तय की गई है, जिसकी आधी रकम लाभार्थी द्वारा तथा आधी रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। नीचे की तालिका में मछली एवं मत्स्य बीज उत्पादन करनेवाले जिलों को दर्शाया गया है—

मछली और मत्स्य बीज का उत्पादन करनेवाला प्रमुख जिला (2014-15)

क्र.— 1

जिला—दरभंगा

मछली उत्पादन (हजार टन)—6542.5

क्र.— 1

जिला—मधुबनी

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख)—42.3

क्र.— 2

जिला—मुजफ्फरपुर

मछली उत्पादन (हजार टन)—530

क्र.— 2

जिला—दरभंगा

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख)—38.67

क्र.—3

जिला—नालंदा

मछली उत्पादन (हजार टन)—290

क्र.—3

जिला—कटिहार

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख)—36.96

क्र.—4

जिला—भागलपुर

मछली उत्पादन (हजार टन)—207.9

क्र.—4

जिला—पूर्वी चंपारण

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख)—36.88

बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन

दूध (लाख टन)

2014-15—77.8

2015-16—82.88

अंडे (करोड़)

2014-15—98.5

2015-16—100.2

ऊन (लाख किलोग्राम)

2014-15—2.78

2015-16—2.4

मांस (लाख टन)

2014-15—2.94

2015-16—3.02

मछली (लाख टन)

2014-15—4.79

2015-16—5.07

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे—पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, चारे के बीज आदि का मुफ्त वितरण आदि अनेक योजनाएँ चलाई गई हैं। 2010-11 से राज्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी, दवाओं तथा उपकरणों से युक्त एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। 2010-11 में इस प्रकार के एंबुलेंस की संख्या 20 थी, जो 2011-12 में बढ़कर 50 हो गई है। राज्य सरकार ने पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बाँका में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के लिए भंडार गृह स्थापित किया है। राज्य में मांस उत्पादन को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वधशाला का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मशीनीकरण एवं आधुनिक सुविधाएँ, जैसे—कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, शीतभंडार गृह आदि माँग की तुलना में काफी कम हैं, जिसके कारण उत्पादकता कम है। पशुपालन संबंधी सेवाएँ, जो राज्य में विकसित की गई हैं, उसे नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

बिहार में पशुपालन संबंधी सेवाएँ (लाख में)

वर्ष : 2012-13

पशुओं की चिकित्सा : 28.24

टीकाकरण : 198.78

कृत्रिम गर्भाधान : 24.63

वर्ष : 2013-14

पशुओं की चिकित्सा : 25.12

टीकाकरण : 147.57

कृत्रिम गर्भाधान : 24.14

वर्ष : 2014-15

पशुओं की चिकित्सा : 32.99

टीकाकरण : 19.96

कृत्रिम गर्भाधान : 26.24

वर्ष : 2015-16

पशुओं की चिकित्सा : 33.89

टीकाकरण : 163.31

कृत्रिम गर्भाधान : 26.34

स्रोत : पुशपालन विभाग, बिहार सरकार

भूमि सुधार

भूमि सुधार कृषि विकास का प्रमुख कारक है। भूमि सुधार कार्यक्रम की सफलता पर ही कृषि के अन्य आगत (Input), जैसे—सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनीकरण आदि के प्रयोग की सफलता निर्भर करती है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम बनानेवाला देश का प्रथम राज्य है। राज्य में भूमि वितरण में असमानता बिहार की कृषि की मुख्य समस्या है। बिहार की 80 प्रतिशत से अधिक जोत इकाइयाँ 1 हेक्टेयर से कम की हैं। राज्य के अधिकांश कृषक सीमांत कृषक की श्रेणी में या भूमिहीन श्रमिक के रूप में हैं। बिहार में भूमि सुधार कार्यक्रम का इतिहास काफी पुराना है। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ई. में बिहार-बंगाल क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू की। कार्नवालिस द्वारा लागू व्यवस्था में अस्थायी भूमि प्रबंधन और कुछ भूमि पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसे खासमहल भी कहा जाता था। 1938 ई. में बिहार में कृषि आयकर कानून लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार में भूमि वितरण की असमानता को दूर करने के लिए कई अधिनियम एवं कानून बनाए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

भूमि सुधार अधिनियम, 1950, जिसमें जमींदारी उन्मूलन एवं बिचौलिए की समाप्ति संबंधी कानून बनाया गया।

1953 ई. में बिहार की समस्त भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्थापित किया गया।

बटाईदारी अधिनियम, 1957 लागू किया गया। इसे रियासत काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें 1 एकड़ से कम स्वामित्व वाले किसानों को बटाईदारीवाली भूमि पर स्थायी बटाईदारी अधिकार देने का कानून बनाया गया।

1961 में भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किया गया, जिसमें भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि का 20 एकड़ या असिंचित भूमि का 60 एकड़ तक जमीन रखने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में 1973, 1976 एवं 1982 ई. में संशोधन किया गया।

1986 ई. में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया है।

इन कानूनों के सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण आज भी भूमि वितरण में असमानता कायम है, जिससे कृषि

उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है। 2006 ई. में राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार आयोग का गठन डी. बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया, जिसका कार्य भूमि की सीमा निर्धारित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बंदोबस्ती व्यवस्था को लागू करने पर विचार-विमर्श करना था। इस आयोग ने 2006-07 में भूदान से संबंधित अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा। राज्य में भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन न होना भी एक बड़ी समस्या है, यद्यपि भू रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने का पायलट प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी सर्किल में प्रारंभ किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (NIC) के सहयोग से सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है।

बिहार के भूमि सुधार कार्य पर 1885 ई. के बिहार काश्तकारी अधिनियम के बटाईदारी व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ा है। 1885 ई. में यह व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई बटाईदार किसी जमीन को 12 साल से लगातार जोत रहा है, तब उस जमीन पर बटाईदार का अधिभोगाधिकार होगा। 1970 ई. में बिहार सरकार द्वारा बटाईदार कानून में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार कोई बटाईदार का उस जमीन पर कोई हक नहीं होगा, जिसका भूस्वामी 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित जमीन का अधिभोगाधिकार रखता हो या भूस्वामी अंधा, कोढ़ी, लकवाग्रस्त, पागल, विधवा या सैनिक में से कोई एक हो।

□

18. सिंचाई के साधन

(Sources of Irrigation)

सिंचाई के प्रमुख साधन

कोसी परियोजना

गंडक परियोजना

सोन परियोजना

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

इंद्रधनुषी क्रांति

पूर्वी क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, पटना

बिहार की कृषि मानसून-आधारित कृषि है। मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषता इसकी अनिश्चितता एवं वितरण में असमानता है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1009 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस वर्षा का अधिकांश भाग (लगभग 85 प्रतिशत) दक्षिण-पश्चिम मानसून से जून-सितंबर के बीच में ही हो जाता है। राज्य में वर्षा की मात्रा 990-1220 मिमी. के बीच होती है। इस तरह राज्य में लंबी अवधि तक शुष्क मौसम बना रहता है। शुष्क मौसम होने के कारण फसलों एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा की मात्रा और वितरण में भिन्नता के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ तथा कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद सिंचाई कार्य हेतु जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता है।

सिंचाई कृषिमूलक अर्थव्यवस्था को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराती है। यह कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। कृषि के अन्य आगत (Input), जैसे—उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक का प्रयोग आदि तथा कृषि उत्पादन को बढ़ानेवाली नई और आधुनिक तकनीकों की सफलता भी सिंचाई साधनों के विकास पर निर्भर करती है। बिहार में कृषि विकास के लिए मानसून की अनिश्चितता के कारण सिंचाई के साधनों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। राज्य में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वर्षा का वितरण असमान होने और जल संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में सिंचाई की अपर्याप्त उपलब्धता और जल संसाधनों के अकुशल उपयोग के कारण कृषि पिछड़ी अवस्था में रही है। अतः वर्तमान समय में सिंचाई सुविधाओं के विकास की दिशा में सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किया गया है, जिससे सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार हुआ है।

बिहार में सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। इसमें बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर, जबकि लघु सिंचाई की क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में मात्र 67.46 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की जा सकी है, जो कुल अनुमानित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर का मात्र

57.4 प्रतिशत है। इसमें भी कुल सृजित क्षमता 67.46 लाख हेक्टेयर में से मात्र 57.63 लाख हेक्टेयर का ही उपयोग किया जा रहा है, जो कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता का मात्र 49.0 प्रतिशत है। नीचे की तालिका में बिहार की कुल सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता को दर्शाया गया है—

सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

सिंचाई क्षमता का प्रकार : बृहद एवं मध्यम सिंचाई

कुल अनुमानित क्षमता : 53.53

सृजित क्षमता (2007-15) : 29.25

उपयोग में लाई गई क्षमता : 19.42

सिंचाई क्षमता का प्रकार : लघु सिंचाई

कुल अनुमानित क्षमता : 64.01

सृजित क्षमता (2007-15) : 38.21

उपयोग में लाई गई क्षमता : 38.21

सिंचाई क्षमता का प्रकार : कुल

कुल अनुमानित क्षमता : 117.54

सृजित क्षमता (2007-15) : 67.46

उपयोग में लाई गई क्षमता : 57.63

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने 2017-22 की अवधि के दौरान 59.51 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना बनाई है। राज्य में लघु सिंचाई की अनुमानित क्षमता लगभग 64.01 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 15.44 लाख हेक्टेयर भूतल सिंचाई क्षमता और 48.57 लाख हेक्टेयर भूजल सिंचाई क्षमता है। बिहार में लघु सिंचाई स्रोत से सिंचित क्षेत्रों को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

स्रोत : भूतल नहरें

2012-13 : 36315

2013-14 : 26086

2014-15 : 9310

स्रोत : तालाब (आहर-पड़न सहित)

2012-13 : 59407

2013-14 : 41591

2014-15 : 10930

स्रोत : नलकूप (निजी और सरकारी)

2012-13 : 161962

2013-14 : 64251

2014-15 : 16610

स्रोत : अन्य स्रोत

2012-13 : 24220

2013-14 : 9627

2014-15 : 2564

स्रोत : कुल

2012-13 : 281904

2013-14 : 141555

2014-15 : 38418

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

सिंचाई के प्रमुख साधन

बिहार में सिंचाई के चार प्रमुख साधन हैं—

नहर,

कुआँ,

नलकूप,

तालाब।

इसके अतिरिक्त आहर एवं पड़न विशेषकर दक्षिण बिहार के मैदान में सिंचाई के अन्य साधन हैं, जो सहभागी सिंचाई प्रबंधन के प्रमुख माध्यम हैं। स्वतंत्रता के समय कुआँ, तालाब, नहर, नलकूप एवं अन्य साधनों से होनेवाली सिंचाई क्रमशः 14.65 प्रतिशत, 11.05 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 19.58 प्रतिशत तथा 14.72 प्रतिशत था, लेकिन धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है। 2009-10 में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र 28.41 प्रतिशत तथा नलकूप से

53.46 प्रतिशत था।

नहर बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। बिहार में 11 प्रमुख नहरें एवं इनकी उप-शाखाएँ हैं, जो विभिन्न जिलों में फैली हैं। बिहार में दो प्रकार की नहरें हैं—

1. नित्यवाही नहरें, जो वर्ष भर जल भंडारण रखती हैं। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें नित्यवाही नहरें हैं, जो या तो सीधे नदियों से या उन पर बने बाँध के कृत्रिम जलाशयों से निकाली गई हैं।

2. मौसमी नहरें या अनित्यवाही नहरें, जो सीधे नदियों से तो निकाली गई हैं, लेकिन इनमें नदियों से वर्षा काल का अतिरिक्त जल प्रवाहित होता है। नित्यवाही नहरें मौसमी नहरों की तुलना में कृषि के लिए अधिक लाभदायी हैं।

सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिन्हें डीजल इंजन या विद्युत शक्ति द्वारा चलाया जाता है। बिहार में गंगा के मैदान की भौगोलिक बनावट पातालतोड़ कुआँ (Artigion Well) की तरह है, जिसमें भूमिगत जल कम गहराई पर पाया जाता है। यह नलकूप एवं ट्यूबवेल सिंचाई के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। आधुनिक युग के कुएँ कहे जानेवाले नलकूपों में 15 से 100 मीटर तक की गहराई तक खोखले पाइप डालकर पंप पद्धति से पानी खींचा जाता है। मानसून की असफलता और अनियमितता में यह सिंचाई का अच्छा विकल्प होने के कारण बिहार के लगभग सभी जिलों में अपनाई गई सिंचाई पद्धति है। राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने से नलकूप सिंचाई का तेजी से विस्तार हुआ है।

नहर बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। बिहार में 11 प्रमुख नहरें एवं इनकी उप-शाखाएँ हैं, जो विभिन्न जिलों में फैली हैं।

तालाबों द्वारा सिंचाई एक पुरानी पद्धति है, जो राज्य में लगभग सभी जिलों में अपनाई जाती है। तालाब प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें जल का भंडारण कर दिया जाता है, जो सिंचाई में उपयोग होता है। राज्य में गोपालगंज जिले में तालाबों से अधिक सिंचाई होती है।

इसके अतिरिक्त कुएँ प्राचीन समय से ही राज्य में सिंचाई का साधन रहे हैं। गंगा के मैदान में भू-जलस्तर पर्याप्त ऊँचाई पर है। कहीं-कहीं तो 10 फीट खोदने पर जल का स्रोत मिलने लगता है। राज्य में कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के कुएँ पाए जाते हैं। इनसे पानी निकालने के लिए ढेंकुली और रहट का प्रयोग किया जाता है, जो नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचता है। राज्य में सारण, सीवान, गोपालगंज आदि जिलों में कुआँ द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है।

सिंचाई का साधन : नलकूप

सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत : 53.46

सर्वाधिक सिंचित जिला : पटना, किशनगंज

सिंचाई का साधन : नहर

सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत : 28.41

सर्वाधिक सिंचित जिला : रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद

सिंचाई का साधन : तालाब

सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत : 3.22

सर्वाधिक सिंचित जिला : मधुबनी, गोपालगंज

सिंचाई का साधन : कुआँ

सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत : 0.54

सर्वाधिक सिंचित जिला : सारण, सीवान, गोपालगंज

सिंचाई का साधन : अन्य

सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत : 14.37

सर्वाधिक सिंचित जिला : --

राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिलों में क्रमशः अरवल, रोहतास, जमुई, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान आदि हैं। मध्यम श्रेणी के सिंचित जिले पटना, कैमूर, गया, औरंगाबाद, बाँका, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शिवहर आदि हैं, जबकि 50 प्रतिशत से कम सिंचित जिला सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी आदि हैं।

जिला एवं कृषि भूमि की सिंचाई (प्रतिशत में)

70 प्रति. से अधिक सिंचित

जिला का नाम : अरवल, रोहतास, जमुई, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान

50 प्रति. से 70 प्रति. के बीच

जिला का नाम : पटना, गया, बाँका, औरंगाबाद, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शिवहर

50% से कम सिंचित क्षेत्र

जिला का नाम : सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नवादा

सर्वाधिक सिंचित जिले का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

जिला : अरवल

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 86.85

जिला : रोहतास

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 83.07

जिला : जमुई

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 75.09

जिला : बक्सर

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 74.44

जिला : भोजपुर

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 74.14

जिला : गोपालगंज

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 71.65

जिला : सीवान

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 70.87

नहर सिंचाई

बिहार में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 28.41 प्रतिशत पर नहर से सिंचाई की जाती है। राज्य में दो प्रकार की नहरों से सिंचाई की जाती है—सदावाही नहरें एवं मौसमी नहरें। राज्य में जल संसाधन के समुचित उपयोग के लिए नहर सिंचाई के लिए दो प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई हैं—

बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना की नहरें,

सिंचाई नहर (कमांड क्षेत्र सिंचाई योजना)।

बिहार में प्रमुख बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित हैं—

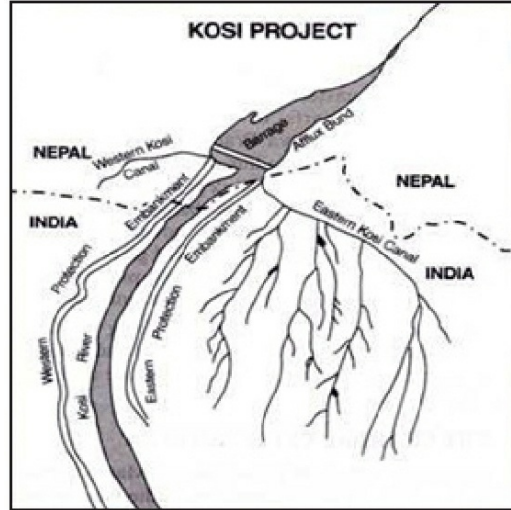
कोसी परियोजना,

गंडक परियोजना,

सोन घाटी परियोजना।

कोसी परियोजना

यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के निर्माण के लिए 1954 में नेपाल के साथ समझौता किया गया, जिसमें 1961 ई. में संशोधन किया गया। इसका निर्माण कार्य 1955 ई. में प्रारंभ किया गया था तथा 1963 ई. में बनकर तैयार हुई। इस परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मलेरिया उन्मूलन, भूमि संरक्षण आदि है। कोसी नदी चतरा गार्ज के पास पर्वत को काटकर मैदान में प्रवेश करती है। इस नदी पर अनेक बाँध एवं तटबंध निर्मित हैं, जिससे अनेक नहरें निकाली गई हैं। हनुमान नगर (नेपाल), जो बिहार की सीमा पर स्थित है, में कंक्रीट बाँध का निर्माण किया गया है। इस बाँध की लंबाई 1140 मीटर है।



कोसी परियोजना में दो प्रमुख नहर प्रणाली विकसित की गई है—

1. पूर्वी कोसी नहर प्रणाली,
2. पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली।

पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएँ हैं—

1. मुरलीगंज नहर, लंबाई—64 किलोमीटर,
2. जानकीनगर नहर, लंबाई—82 किलोमीटर,
3. पूर्णिया (बनमंखी) नहर, लंबाई—64 किलोमीटर,
4. अररिया नहर, लंबाई—52 किलोमीटर।

पूर्वी कोसी नहर प्रणाली—इसकी इन शाखाओं से नेपाल एवं बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पूर्वी कोसी नहर पर कटैया में 20 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। पूर्वी नहर प्रणाली से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।

पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली—इस नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। इस नहर से मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर प्रणाली से 3.25 लाख भूमि पर सिंचाई कार्य किया जाता है।

गंडक परियोजना

भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना का निर्माण किया गया है। 1959 ई. के समझौते के आधार पर नेपाल को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर (बिहार) में त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बाँध का निर्माण 1969-70 ई. में किया गया। बाँध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग नेपाल में है, इसलिए इसे त्रिवेणी नहर प्रणाली भी कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत दो मुख्य नहर का निर्माण किया गया है—

1. पूर्वी त्रिवेणी नहर,
2. पश्चिमी त्रिवेणी नहर।

पूर्वी त्रिवेणी नहर, जिसे तिरहुत नहर भी कहते हैं, की कुल लंबाई 293 किलोमीटर है। इस प्रणाली से 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर

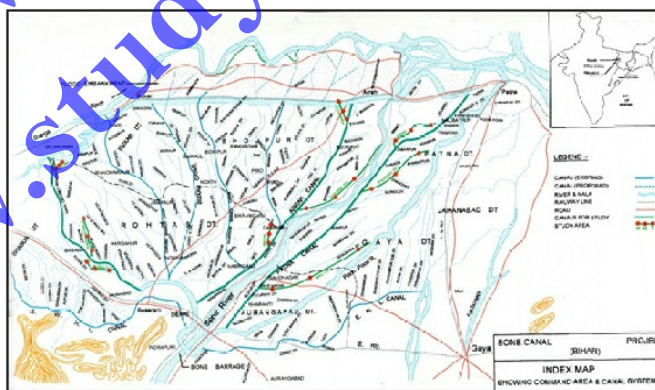
गंडक परियोजना के अंतर्गत दो और नहर पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर हैं, दोनों नहर नेपाल में स्थित हैं। पश्चिम नेपाल नहर पर ही नेपाल में सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित है, जबकि पूर्वी नहर पर वाल्मीकि नगर में जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इन दोनों जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 15-15 मेगावाट है।

बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ई. में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बाँध बनाकर किया गया था। इस बाँध की लंबाई 3801 मीटर तथा ऊँचाई 2.44 मीटर है। यह सिंचाई परियोजना बिहार के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र दक्षिणी-पश्चिमी बिहार को सिंचित करने के लिए बनाई गई थी, जिसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में यह क्षेत्र बिहार का अन्न भंडार बन चुका है। 1968 ई. में इंद्रपुरी में 14010 मीटर लंबे एक बैराज का निर्माण किया गया है। डेहरी के पास से सोन नदी से दो नहर निकाली गई हैं—

- पूर्वी सोन नहर जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है, यह बारून से निकलकर पटना तक जाती है। इस नहर से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर द्वारा औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना जिले में सिंचाई होती है।

पश्चिमी सोन नहर डेहरी के पास से निकलती है। इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर द्वारा लगभग 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। सोन नहर प्रणाली पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं—

1. डेहरी जल विद्युत केंद्र—6.6 मेगावाट,
2. बारून जल विद्युत केंद्र—3.3 मेगावाट।



बाणसागर जल विवाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच है। रबी के मौसम में सोन नहर सिंचाई पर आश्रित जिलों—कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद एवं गया में जल की कमी हो जाती है। इन जिलों को

6000-8000 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है, जबकि 3000-4000 क्यूसेक पानी ही उत्तर प्रदेश द्वारा सोन नदी में छोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश द्वारा सोन की सहायक रिहंद नदी पर बाँध बनाए जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश बिहार के साथ तय समझौते के तहत ही उत्तर प्रदेश 5000 क्यूसेक जल प्रवाह प्रतिदिन छोड़ेगा, जिसके आधार पर बिहार में 1967 ई. में डेहरी के पास सोन नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया तथा दो नहरों का निर्माण हुआ, लेकिन 1975 ई. के बाद से सोन के जल प्रवाह में कमी आने लगी और बिहार में सिंचाई की समस्या उत्पन्न होने लगी। मध्य प्रदेश में भी सोन नदी पर शहडोल जिले में जल विद्युत उत्पादन के लिए बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा गया।

इस समस्या के समाधान हेतु 1973 ई. में मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी से संबंधित जल बँटवारा समझौता किया गया। बाणसागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बाँध बनाकर किया गया है।

अतः इस समस्या के समाधान हेतु 1973 ई. में मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी से संबंधित जल बँटवारा समझौता किया गया। बाणसागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बाँध बनाकर किया गया है। इसका नामाकरण संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् बाणभट्ट के नाम पर हुआ है। इस बाँध का निर्माण कार्य 1978 ई. में प्रारंभ हुआ तथा 2006 ई. में पूरा हुआ। इस समझौते के अनुसार सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार को 7750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया। बिहार के 7750 लाख एकड़ फीट जल से 50 लाख एकड़ फीट जल सोन नहरों के लिए सुरक्षित रखा गया। समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उपलब्धता होगी तो तीनों राज्यों के हिस्से में जो कटौती होगी, उससे सोन नहरों के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। बाणसागर जलाशय की क्षमता 40 लाख एकड़ फीट की है, जिससे मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा तथा इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बाँटी गई थी। बिहार में इस परियोजना से 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग मध्य प्रदेश करता है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के हिस्से में सोन नदी की सहायक नदी कनहर से 250 लाख एकड़ फीट जल देने का प्रावधान था। बाण सागर समझौते के बावजूद बिहार को जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश बिहार के हिस्से के पानी को रोककर अपनी पनबिजली परियोजना को जल उपलब्ध कराते हैं। 1980 ई. में इस समस्या से निबटने के लिए सोन नदी आयोग का गठन हुआ था, पर आपसी मतभेद एवं केंद्र की उदासीनता के कारण 1987 ई. में इसे भंग कर दिया गया।

बहुद्देशीय परियोजना के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी विकास किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं

1. ढाका नहर—पूर्वी चंपारण ।
2. तेउर नहर—पूर्वी चंपारण में तेउर नदी पर।
3. कमला नहर—कमला नदी पर, दरभंगा-मधुबनी जिले में।
4. सकरी नहर—सकरी नदी पर, गया एवं मुंगेर जिले में।
5. यमुना नहर—यमुना नदी के बाईं ओर, जहानाबाद जिले में।

नलकूप

नलकूप सिंचाई का प्रारंभ बिहार के मैदानी भाग में 1930 ई. में हुआ। इसका सर्वाधिक विकास अररिया, गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, किशनगंज, शिवहर, नालंदा, जहानाबाद आदि जिलों में हुआ है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अररिया में की जाती है। नलकूप द्वारा सबसे कम सिंचाई रोहतास जिले में की जाती है, जिसका मूल कारण इस क्षेत्र में नहरी सिंचाई का विकास होना है।

राज्य सरकार द्वारा बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना नामक एक सब्सिडी आधारित योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के नलकूप लगाए जा रहे हैं—

1. छिछले नलकूप (70 मीटर गहरे),
2. मध्यम गहराईवाले नलकूप (70-100 मीटर गहरे)।

छिछले नलकूप के लिए अधिकतम 15000 रुपए और गहरे नलकूप के लिए 35000 रुपए दिए जा रहे हैं। निजी नलकूप को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाएँ—मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम और बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस) प्रारंभ की गई है।

बिहार में सिंचाई के अन्य स्रोतों में कुएँ, तालाब, पोखर, आहर, पड़न, चौर आदि हैं। तालाब द्वारा सिंचाई का कार्य मुख्य रूप से सीवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं गया जिलों में किया है, जबकि आहर और पड़न जैसे सिंचाई स्रोत का सर्वाधिक प्रयोग पटना, मुंगेर, दरभंगा और भोजपुर जिलों में किया जाता है। राज्य में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक प्रयोग 80 प्रतिशत धान एवं गेहूँ की कृषि के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अनेक सिंचाई परियोजनाएँ भी हैं, जिसमें दुर्गावती जलाशय योजना, ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, बरनाल जलाशय परियोजना प्रमुख हैं। दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर एवं रोहतास जिलों की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनाशा नदी में मिलती है। ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना किऊल नदी पर टहरी गाँव में बाँध बनाकर निर्मित की गई है। इससे लखीसराय एवं मुंगेर में सिंचाई होती है। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डाँग के पास रामनगर में बाँध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है।

सिंचाई के उद्देश्य से अनेक बाँध का निर्माण किया गया है। इन बाँधों में चंदन जलाशय बाँध चंदन नदी पर, भागलपुर में 1972 ई. तथा बड़ुआ जलाशय बाँध बड़ुआ नदी पर, भागलपुर में 1965 ई. में स्थापित किया गया है।

बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

क्र.	योजना का प्रकार	योजना का नाम	नदी	जिला/राज्य
1.	बहुद्देशीय योजना	1. सोन घाटी परियोजना	सोन	रोहतास, बिहार
		2. गंडक घाटी परियोजना	गंडक	बिहार, उत्तर प्रदेश
		3. कोसी घाटी परियोजना	कोसी	बिहार, नेपाल
2.	सिंचाई परियोजना	1. दुर्गावती जलाशय योजना	दुर्गावती	कैमूर एवं रोहतास
		2. ऊपरी किकल जलाशय योजना	किकल	लखीसराय एवं मुंगेर
		3. बागमती परियोजना	बागमती	सीतामढ़ी
		4. बरनाल जलाशय परियोजना	बरनाल	जमुई
		5. तेउर नहर योजना	तेउर	पूर्वी चंपारण
		6. कमला नहर योजना	कमला	दरभंगा, मधुबनी
		7. सकरी नहर योजना	सकरी	गया, मुंगेर
		8. चंदन जलाशय योजना	चंदन	भागलपुर
		9. बटुआ जलाशय	बटुआ	भागलपुर
3.	लघु सिंचाई की योजनाएँ	1. जमनिया पंप नहर योजना	-	-
		2. सम्मत बिगहा मोहर योजना	मोरहर	जहानाबाद
		3. कचनामा वीयर योजना		जहानाबाद
		4. मोर वीयर योजना		-
		5. सोलहडा वीयर योजना	यमुना	जहानाबाद
		6. सुगवे वीयर योजना	-	-
		7. लवाइच रामपुर बराज	दरधा	-
		8. नवागढ़ योजना	-	जहानाबाद
		9. सेसंबा वीयर योजना	-	जहानाबाद
		10. इसरवे चेक डैम	-	गया
		11. धौतौरा डैम	-	गया
		12. कदहर वीयर योजना	-	गया
		13. बछराजा वीयर योजना	-	मधुबनी

बिहार में जल संसाधन की बहुलता के बावजूद सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अतः जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोग हेतु नदियों के अंतर्संबंधन पर बल दिया जा रहा है। प्रमुख नदी अंतर्संबंधन योजना को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

बिहार में नदी अंतर्संबंधन योजना

नदियों का नाम : बूढ़ी गंडक-नून-वाया-गंगा

लाभ प्राप्त करनेवाले जिले : समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया

उपलब्धि : 1.26 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन

नदियों का नाम : सकरी-नाटा नदी

लाभ प्राप्त करनेवाले जिले : नवादा, नालंदा, शेखपुरा

उपलब्धि : 68 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन

नदियों का नाम : कोसी-मेची

लाभ प्राप्त करनेवाले जिले : अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया

उपलब्धि : 2.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन

उपर्युक्त योजनाओं में से सकरी-नाटा नदी को जोड़ने के लिए केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जबकि बूढ़ी गंडक-गंगा लिंक योजना एवं कोसी-मेची लिंक योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (NWDA) द्वारा केंद्रीय जल आयोग के पास भेजी गई है।

राज्य में सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (CADWM) के अंतर्गत 9 योजनाएँ कार्यरत हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार राज्य जल नीति, 2015 के अंतर्गत जल नियामक प्राधिकार की स्थापना की गई है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार बिहार को दो प्रकार से सहायता राशि प्रदान करती है। उत्तर बिहार की योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तथा शेष राज्य की योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं में पश्चिम कोसी नहर योजना, कोसी बराज योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, पुनपुन बराज योजना आदि की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन का कार्य शामिल है।

इंद्रधनुषी क्रांति

बिहार में कृषि विकास के लिए कृषि रोड मैप के अंतर्गत इंद्रधनुषी क्रांति प्रारंभ की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर द्वारा कृषि उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। बिहार में बिजली के उपभोग की तुलना में उत्पादन कम होने से बिजली की अनुपलब्धता सभी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग, व्यावसायिक उपयोग एवं कृषि सिंचाई के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा उपभोग का मात्र 5.83 प्रतिशत ही कृषि सिंचाई के लिए उपयोग हो पाता है, जो सर्वाधिक उपयोग करनेवाले राज्य हरियाणा के 38 प्रतिशत से बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत भी 20.3 प्रतिशत है, जो बिहार से बहुत अधिक है। बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 122.11 यूनिट है, जो राष्ट्रीय औसत 778.71 यूनिट की तुलना में काफी पीछे है। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को अलग करने का कार्य किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेडिकेटेड कृषि फीडर द्वारा एक निर्धारित अवधि में कृषि उपयोग हेतु सुनिश्चित बिजली उपलब्ध कराना है। कृषि के अतिरिक्त समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध कराना है।

नीचे की तालिका में बिहार में कृषि क्षेत्र हेतु ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता एवं उपलब्धता को दर्शाया गया है।

वर्ष : 2015-16

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 995

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 5957

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 5314

वर्ष : 2016-17

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 1476

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 6750

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 8032

वर्ष : 2017-18

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 1855

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 7597

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 8935

वर्ष : 2018-19

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 2191

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 8385

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

वर्ष : 2019-20

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 2637

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 9181

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

वर्ष : 2020-21

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 3190

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 9982

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

वर्ष : 2021-22

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 3852

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 10760

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

स्रोत : ई.पी.एस. का 17वाँ प्रतिवेदन

सिंचाई पंप सेटों को ऊर्जा उपलब्ध कराने एवं कृषि क्षेत्र के अन्य कार्यों हेतु ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने तथा समयबद्ध तरीके से नियोजित कराकर कृषि में अपेक्षित विकास एवं कृषि-आधारित उद्योगों का बढ़ावा देना इस इंद्रधनुषी क्रांति का लक्ष्य है। वर्तमान समय में ग्रामीण फीडर मिश्रित प्रकृति के हैं, जो कृषि के अलावा अन्य ग्रामीण उपयोगों के लिए विद्युत उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि सिंचाई में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए डेडिकेटेड फीडर की जरूरत है, जिससे सिंचाई पंपों को अलग से निर्धारित अवधि में विद्युत आपूर्ति संभव हो सकेगी तथा ग्रामीण एवं घरेलू उपभोक्ताओं को भी रोटेशन द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। योजना आयोग द्वारा जारी प्रपत्र 'Faster, Sustainable and More Inclusive Growth : An approach to the 25th Five Year Plan' के अनुसार कृषि फीडर अलग करने से देश में ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए भी 24×7 तीन फेज विद्युत आपूर्ति की जा सकती है।

योजना की मुख्य विशेषता

योजना के तीन मुख्य अंग हैं—

1. फीडरों को अलग किया जाना।
2. सिंचाई पंप सेटों के नजदीक उपयुक्त क्षमतावाले वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना।
3. लूपरिसंपत्ति की मैपिंग, संबंधित जी.पी.एस. सर्वे तथा वितरण नेटवर्क का समेकित रूप से सुधार एवं सुदृढीकरण।

डेडिकेटेड कृषि फीडर कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 55,925 किलोमीटर लाइन में 968 (11KV) नए फीडर का निर्माण एवं 19,29,000 पंप सेट को विद्युत आपूर्ति करने के लिए 1,46,269 वितरण ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है। इस योजना से होनेवाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

डेडिकेटेड कृषि फीडरों द्वारा कृषि क्षेत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होने से लोगों के जीवन स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

ऊर्जा खरीद लागत में कमी आएगी।

कृषि उपभोग हेतु बेहतर ऊर्जा का लेखांकन हो सकेगा।

वितरण उप-व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाएगा।

ए.टी. Average Transmission & Consumptions Loss में कमी आएगी।

आधारभूत संरचना का विकास कर व्यवस्था, सुदृढीकरण किया जाएगा।

ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु वोल्टेज प्रोफाइल बेहतर होगा।

अवैध विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत चोरी की संभावना में कमी आएगी।

डेडिकेटेड कृषि फीडर के क्रियान्वयन के लिए पटना जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया गया है। इसमें एकल रेखीय मानचित्र तैयार किया जाएगा, जो सभी आवश्यक सूचनाओं, जैसे—33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की अवस्थिति, कृषि उपभोक्ताओं की अवस्थिति एवं विद्युत मोटर की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। फीडर पृथक्कीकरण योजना के अंतर्गत राशि की अनुमानित आवश्यकता 2015-16 में 992.38 करोड़ तथा 2016-17 में 1130.79 करोड़ रुपए होगी। इस योजना के लिए 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजना में 8370.44 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी।

डेडिकेटेड फीडर के क्रियान्वयन के पश्चात् कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित बदलाव आने की संभावना है—
विद्युत आपूर्ति में निश्चितता।

निम्न लागत पर निश्चित विद्युत आपूर्ति।

प्रति कृषि उपभोक्ता द्वारा विद्युत खपत में वृद्धि।

ग्रामीण उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति।

ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तीव्रता।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा लेखांकन में पारदर्शिता।

निश्चित विद्युत आपूर्ति होने से डीजल-आधारित पंप सेटों में कमी।

कृषि हेतु डेडिकेटेड फीडर योजना के क्रियान्वयन हेतु तीन स्तरों पर रूपरेखा तैयार की गई है—वर्तमान स्थिति, योजना प्रारूप एवं क्रियान्वयन।

वर्तमान स्थिति	योजना प्रारूप	क्रियान्वयन
मौजूदा आधारभूत ग्रामीण विद्युत नेटवर्क का आकलन।	विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए तरीकों का अध्ययन।	पायलट प्रोजेक्ट हेतु पटना जिले का चयन।
मौजूदा नलकूपों एवं कृषि प्रक्षेत्रों की पहचान एवं आरेखन	समर्पित कृषि फीडर का टेक्नो-इकोनॉमिक नेटवर्क प्रारूप तैयार करना।	योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए रूपरेखा तैयार करना।
सिंचाई हेतु पंप सेटों के मौजूद एवं प्रस्तावित विद्युत भार का आकलन	संबंधित विद्युत उपकेंद्रों, 33 के.वी. लाइन एवं ग्रिड उपकेंद्रों का सुदृढीकरण	चरणबद्ध तरीके से योजना का क्रियान्वयन।
	BOQ एवं DPR तैयार करना।	
	योजना के सरल क्रियान्वयन हेतु उत्पन्न कठिनाइयों की पहचान करना एवं उनके निदान की रणनीति।	
	टर्न-की आधार पर योजना क्रियान्वयन हेतु एजेंसी का चयन।	

पूर्वी क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, पटना

11वीं पंचवर्षीय योजना में 22 फरवरी, 2001 को पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान परिसर (ICAR-RCER) की स्थापना पटना में की गई है। इसके दो अनुसंधान केंद्र दरभंगा एवं राँची में

स्थापित हैं। दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर भी इसके अंतर्गत कार्य करता है।

भारत का पूर्वी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में, यथा—कृषि अनुकूल जल एवं मिट्टी संसाधनों में समृद्ध है, लेकिन गरीबी उन्मूलन, विकास, जीवन स्तर ऊपर उठाने आदि में इस क्षमता का विकास नहीं किया गया है।

अतः इस परिसर की स्थापना पूर्वी क्षेत्र के कृषि विकास हेतु, भूमि एवं जल संसाधनों के प्रबंधन, फसल, बागबानी, जलीय फसलों, मछलीपालन, पशु एवं कुक्कुटपालन, कृषि प्रसंस्करण की स्थापना आदि से संबंधित शोध-कार्यों के लिए की गई है।

□

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

19. खनिज एवं उद्योग

(Minerals and Industry)

खनिज संपदा

उद्योग-धंधे

कृषि-आधारित उद्योग

खनिज-आधारित उद्योग

वन-आधारित उद्योग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

छठी आर्थिक गणना, 2013

उद्योग मित्र

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

बिहार के औद्योगिक प्रदेश

खनिज संपदा

किसी भी राज्य के विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य विभाजन (2000) के पूर्व बिहार में धात्विक एवं अधात्विक खनिज की बहुलता थी, लेकिन विभाजन के बाद इसका अधिकांश भाग झारखंड में चला गया। वर्तमान में उपलब्ध खनिज पदार्थों में पायराइट, चीनी-मिट्टी, अग्निसह मिट्टी, चूना-पत्थर, मैंगनीज, अभ्रक, एस्बेस्टस, शोरा आदि प्रमुख हैं। बिहार के पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में आर्कियन युग के शैल गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर तथा बाँका जिलों में पाए जाते हैं। राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी भागों में विंध्यन शैल समूह मिलते हैं। आर्कियन युग की चट्टानों में मूल रूप से धात्विक खनिज पाया जाता है, जबकि विंध्यन संरचना में अधात्विक खनिज पाया जाता है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज क्षेत्र का बहुत कम योगदान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2015-16 में इस क्षेत्र का मात्र 1.7 प्रतिशत योगदान था, जो मूल्य की दृष्टि से 685 करोड़ रुपया था। नीचे की तालिका में बिहार को खनिज से प्राप्त होनेवाले राजस्व को प्रदर्शित किया गया है—

बिहार को खनिज से प्राप्त राजस्व (लाख रुपए में)

स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16
1. बृहत खनिज	128.17	107.31	99.06
2. लघु खनिज, जिसमें			

ईट	3299.47	2659.09	4295.60
बालू	22666.27	50542.07	42806.32
पत्थर + क्रशर	1881.27	7516.90	11097.89
मोरम	21.41	0.45	56.38
मिट्टी	736.46	270.28	271.37
कार्य विभाग	26709.12	24074.52	36413.51
ट्रांजिट पास	41.10	42.35	40.74
अन्य	207.46	278.68	626.23
3. एरियर	1222.85	443.32	1392.90
कुल	56913.88	85934.97	97100.00

स्रोत : खनन एवं भूगर्भ विभाग, बिहार सरकार
बिहार में पाए जानेवाले प्रमुख खनिज संसाधन निम्नलिखित हैं—

मैंगनीज

मैंगनीज काले रंग की प्राकृतिक भस्म के रूप में धारवाड़ चट्टान संरचना के अवसादी शैलों में पाया जानेवाला एक धातुपूरक खनिज है। साइलोमौलीन और ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क होते हैं। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, ताँबे के साथ मिलाकर टरबाइन ब्लेड्स बनाने में होता है। राज्य में गया, मुंगेर एवं पटना जिलों में यह धातु पाई जाती है।

अभ्रक

राज्य में लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली अभ्रक पेटी का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से होकर झारखंड तक है। इसकी मोटाई 30 मीटर तक पाई गई है। अभ्रक अपने बड़े आकार में आर्थो-क्लॉज व टूरसलीन के साथ बिहार में मुंगेर, गया और भागलपुर जिलों में बड़े दानों के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत एवं ताप कुचालक उपकरणों के रूप में किया जाता है। रबड़ उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है।

पायराइट

भारतीय खनिज ब्यूरो के अनुसार देश का 95 प्रतिशत पायराइट का संचित भंडार एवं उत्पादन बिहार में होता है।

राज्य में मुख्यतः रोहतास जिले के ऊपरी विंध्य शैल समूह में यह खनिज पाया जाता है। रोहतास के अमझोर में 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लौह पायराइट पाया जाता है। मंदा, कुरियारी और कररिया में लगभग 40 करोड़ टन का पायराइट का निक्षेप है। यह खनिज गंधक का स्रोत है। इसका उपयोग सुपर फास्फेट, सल्फर एसिड, रेयोन, पेट्रोलियम शोधन, ठोस रबड़ व चीनी बनाने में किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा पायराइट फॉस्फेट ऐंड केमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.सी.एल.), एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना अमझोर में की गई है।

चीनीमिट्टी

ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के क्षय होने से चीनीमिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में पोटाश और सोडा का अभाव होने के कारण यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। इसका उपयोग सेरेमिक आइटम, तापसह भट्टियाँ, वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, औषधि, पेंट, कीटनाशक व सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। यह राज्य के भागलपुर, वैशाली एवं मुंगेर जिले में पाया जाता है।

अग्निसह मिट्टी

अवसादी शैलों से उत्पन्न इस प्रकार की मिट्टी उच्च ताप को सहनेवाली होती है। इसका उपयोग उच्चताप की भट्टियों, बॉयलर, अग्निसह उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। यह राज्य में मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिले में अधिकांशतः पाया जाता है।

चूना पत्थर

यह विंध्य शैलों में भारी जमाव के रूप में मिलता है। बहुपयोगी खनिज सीमेंट और लौह इस्पात का प्रमुख कच्चा माल है। चीनी उद्योग में इसकी आवश्यकता चीनी के शुद्धीकरण में होती है। राज्य में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर के पठार एवं मुंगेर से प्राप्त होता है। इस श्रेणी के चूना पत्थर से सीमेंट का निर्माण होता है। मध्यम व निम्न श्रेणी का चूना पत्थर इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग व भवन निर्माण सामग्री में प्रयोग किया जाता है। राज्य में इसकी सर्वाधिक खानें रोहतास के रामडीहरा, बौलिया और बंजारी आदि क्षेत्रों में हैं।

एस्बेस्टस

मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के संयोग से इस रेशेदार खनिज का निर्माण होता है। काइसोलाइट और एंफीबोल इसकी प्रमुख किस्में हैं। विद्युत् का प्रतिरोधक एवं उच्च ताप सहन क्षमता होने के कारण इसका प्रयोग अग्नि एवं विद्युत् के संपर्क में आनेवाले उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। रेल के डिब्बों, जहाजों, बॉयलरों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन कार्यों में इसी से बने कपड़े प्रयुक्त किए जाते हैं। राज्य के मुंगेर जिले में इसकी खानें पाई जाती हैं।

शोरा

सोडियम नाइट्रेट और पोटैशियम के रूप में पाया जानेवाला यह खनिज राज्य में प्रतिवर्ष 20000 टन उत्पादित किया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक निर्माण, काँच उद्योग और इस्पात को लचीला बनाने के लिए किया जाता है। राज्य में मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, गया एवं मुंगेर जिलों में यह खनिज पाया जाता है।

मोनोजाइट

पैगमेटाइट शिलाओं से प्राप्त होनेवाला यह खनिज थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और टैंटलम का मिश्रण है। राज्य

में यह गया एवं मुंगेर जिलों में मिलता है।

बेरीलियम

मिश्रित धातुओं के निर्माण में प्रयोग होनेवाला यह खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके उपयोग से स्प्रिंग उद्योग, वाल्व, जहाजों के कार्बोटर, फ्लूरोसेंट लैंप्स, नियोन साइन, साइक्लोट्रोन और विस्फोटक सामग्री का निर्माण किया जाता है। राज्य में यह गया जिले में पाया जाता है।

यूरेनियम

यह परमाणु खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यह पैग्माटाइट, पिचब्लेंडे एवं यूरेनियम के यौगिक के रूप में पाया जाता है। पैग्माटाइट किस्म का यूरेनियम गया जिले में अकबरी पहाड़ी की अबरक खानों में तथा नवादा जिले में पैग्माटाइट रंध्रों में पाया जाता है। धालभूम के सुंगरी में इसकी बहुत बड़ी खान है। मगध प्रमंडल में बाउंड्री फाल्ट में इसके विशाल भंडार होने का पता चला है।

सीसा तथा जस्ता

यह एक बहुपयोगी खनिज है, जो गैलेना खनिज संस्तर से प्राप्त होता है। यह भागलपुर में अल्प मात्रा में मिलता है।

क्वार्ट्ज एवं सिलिका बालू

यह खनिज राज्य के भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नवादा जिले में पाया जाता है।

क्वार्ट्जाइट

यह खनिज राज्य के लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिले में पाया जाता है।

टाल्क या सॉप स्टोन

यह खनिज मुंगेर जिले में पाया जाता है।

बॉक्साइट

यह खनिज राज्य के मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है।

फेल्सफार

यह खनिज राज्य के गया, जमुई और मुंगेर जिले में पाया जाता है।

सोना

यह बहुमूल्य खनिज राज्य के जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया, रानी पहाड़ी, वदमारिया, मरही पहाड़ी आदि क्षेत्रों में सोने का संचित भंडार है। स्वर्ण उत्खनन के लिए बिहार राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग (जी.एस.आई.) से अनुमति माँगी है। जी.एस.आई. द्वारा राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में सोना भंडार की पुष्टि की गई है।

राज्य में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर के पठार एवं मुंगेर से प्राप्त होता है। इस

श्रेणी के चूना-पत्थर से सीमेंट का निर्माण होता है।

ग्रेनाइट

यह खनिज राज्य के भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई जिलों में पाया जाता है।

लौह अयस्क

यह खनिज राज्य के भागलपुर, गया तथा जमुई जिले में पाया जाता है। भागलपुर में हेमेटाइट एवं गया तथा जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है।

कोयला

यह खनिज झारखंड के राजमहल क्षेत्र के निकटवर्ती भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में पाया जाता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग (GIS) के अनुसार 2012-13 में बिहार में 160 मिलियन टन कोयला भंडार मिलने का अनुमान रहा है।

इन खनिजों के अतिरिक्त बिहार में सोडियम लवण, गंधक, रेह, फेल्सफोर, बॉक्साइट, क्वाट्ज आदि खनिज भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जी.एस.आई. ने रोहतास के विंध्य समूह में हीरा, मुंगेर के खड़गपुर में सिलिका एवं बॉक्साइट, औरंगाबाद जिला के धनरास चकबंदा में ताँबा, टिन एवं टंगस्टन, जमुई जिला के माजोस प्रखंड में मैग्नेटाइट के भंडार का पता लगाया गया है।

बिहार के प्रमुख खनिज

खनिज : पायराइट

स्थान : अमझोर एवं बंजारी (रोहतास)

खनिज : बॉक्साइट

स्थान : खड़गपुर (मुंगेर), बंजारी (रोहतास)

खनिज : टिन

स्थान : देवराज एवं कुर्कखंड (गया)

खनिज : ग्रेफाइट

स्थान : सिमुलतल्ला (जमुई)

खनिज : अभ्रक

स्थान : गया, नवादा, जमुई, बाँका

खनिज : सेलखड़ी

स्थान : गया, मुंगेर, नवादा

खनिज : चीनीमिट्टी

स्थान : मुंगेर, भागलपुर

खनिज : ग्रेनाइट, एम्बेस्टस

स्थान : मुंगेर

खनिज : डोलोमाइट

स्थान : रोहतास

खनिज : स्लेट, सिलिका

स्थान : मुंगेर

खनिज : यूरेनियम

स्थान : गया, नवादा

खनिज : शोरा

स्थान : सारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर

खनिज : सोना

स्थान : मुंगेर

खनिज : फायर क्ले

स्थान : भागलपुर

खनिज : बेरीलियम

स्थान : नवादा

खनिज : पेट्रोलियम

स्थान : पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज

उद्योग-धंधे

एक ऐसा प्रक्रम, जिसमें कच्चे पदार्थ के स्वरूप को बदलकर अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। बिहार में विभाजन के बाद औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी रही है। इसका सबसे बड़ा कारण खनिज संसाधनों का अभाव है। उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक दशाएँ कच्चा माल, कुशल श्रम, पूँजी, तकनीक, परिवहन साधन, बाजार आदि हैं। इन कारकों की बिहार में कमी है। यहाँ औद्योगिक आधारभूत संरचना का अभाव है। कच्चे माल एवं शक्ति संसाधन की कमी के कारण

तथा कृषि योग्य मैदानी क्षेत्रफल की अधिकता के कारण बिहार मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। बिहार में कृषि के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन औद्योगिक संरचना के अभाव में कृषि-आधारित उद्योग का भी विकास नहीं हो पाया है।

बिहार में कृषि-आधारित संसाधनों के आधार पर चावल मिल, चीनी उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, दाल मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित उद्योग तथा वन-आधारित उद्योग सीमित मात्रा में स्थापित हुए हैं, परंतु इसके विकास की असीम संभावना है। बिहार के दक्षिणी पठारी भागों में सीमित मात्रा में खनिज संसाधन, जैसे—चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लुपायराइट आदि की उपलब्धता है, जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। बिहार इस प्रकार औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से असंतुलन की अवस्था में है। औद्योगिक श्रमिकों की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर बिहार का हिस्सा मात्र 5.2 प्रतिशत है। 2015-16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान मात्र 19 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 30 प्रतिशत से अधिक है। यह देश के कई राज्यों की तुलना में बहुत कम है।

नीचे की तालिका में बिहार की GSDP में द्वितीयक क्षेत्र के योगदान को अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया गया है—

राज्य : आंध्र प्रदेश

2014-15 : 26.5

2015-16 : 26.6

राज्य : ओडिशा

2014-15 : 29.6

2015-16 : 41.4

राज्य : बिहार

2014-15 : 17.9

2015-16 : 19

राज्य : तमिलनाडु

2014-15 : 34.9

2015-16 : 34.7

राज्य : गुजरात

2014-15 : 45

2015-16 : 45

राज्य : उत्तर प्रदेश

2014-15 : 28.1

2015-16 : 27.7

राज्य : झारखंड

2014-15 : 44.6

2015-16 : 43.7

राज्य : कर्नाटक

2014-15 : 28.1

2015-16 : 28

राज्य : मध्य प्रदेश

2014-15 : 27

2015-16 : 26.9

राज्य : भारत

2014-15 : 31.2

2015-16 : 31.3

स्रोत : वार्षिक सर्वे, उद्योग

बिहार न केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है, बल्कि औद्योगिक विकास के वितरण में भी क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। औद्योगिक इकाइयों का वितरण सभी जिलों में समान रूप से नहीं है। बड़े और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ सर्वाधिक पटना में स्थित हैं जबकि कोसी प्रमंडल में एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। वर्तमान में राज्य के 38 में से 10 जिले ऐसे हैं, जहाँ एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। नीचे की तालिका में प्रमंडलवार बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को दर्शाया गया है—

प्रमंडल का नाम : पटना

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 38.2

प्रमंडल का नाम : तिरहुत

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 21.6

प्रमंडल का नाम : मगध

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 7.9

प्रमंडल का नाम : दरभंगा

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 7.3

प्रमंडल का नाम : मुंगेर

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 6.9

प्रमंडल का नाम : पूर्णिया

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 6.9

प्रमंडल का नाम : सारण

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 5.4

प्रमंडल का नाम : भागलपुर

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 3.9

प्रमंडल का नाम : कोसी

बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 0

बिहार की औद्योगिक इकाइयों को आकार के आधार पर बृहत, मध्यम एवं लघु वर्ग में बाँट सकते हैं—

बड़े उद्योग

राज्य विभाजन के बाद अधिकांश बड़े उद्योग झारखंड में चले गए तथा बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना की कमी के कारण नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी बहुत धीमी गति से हुई है। बिहार के बड़े उद्योग, जैसे —सीमेंट, चीनी, जूट आदि समस्याओं से ग्रसित हैं।

लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योग

वर्तमान बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की अधिक संभावना है। बड़े उद्योग पूँजी-प्रधान होते हैं तथा रोजगार के कम अवसर उपलब्ध कराते हैं, जबकि लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम-प्रधान होते हैं। कम पूँजी में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। छोटे उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से ही जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है।

आगे की तालिका में बिहार एवं दूसरे राज्यों में स्थापित कारखानों की संख्या तथा उनमें उपलब्ध कराए गए रोजगार को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

राज्य में कारखानों एवं कर्मियों की संख्या वर्ष 2013-14

राज्य : आंध्र प्रदेश

संचालित कारखानों की संख्या : 12941

नियोजित कर्मियों की संख्या : 522057

राज्य : बिहार

संचालित कारखानों की संख्या : 3132

नियोजित कर्मियों की संख्या : 113594

राज्य : छत्तीसगढ़

संचालित कारखानों की संख्या : 2271

नियोजित कर्मियों की संख्या : 166236

राज्य : गुजरात

संचालित कारखानों की संख्या : 18069

नियोजित कर्मियों की संख्या : 1372669

राज्य : हरियाणा

संचालित कारखानों की संख्या : 5293

नियोजित कर्मियों की संख्या : 612419

राज्य : झारखंड

संचालित कारखानों की संख्या : 2347

नियोजित कर्मियों की संख्या : 187877

राज्य : कर्नाटक

संचालित कारखानों की संख्या : 10062

नियोजित कर्मियों की संख्या : 927392

राज्य : केरल

संचालित कारखानों की संख्या : 6143

नियोजित कर्मियों की संख्या : 351662

राज्य : मध्य प्रदेश

संचालित कारखानों की संख्या : 3437

नियोजित कर्मियों की संख्या : 322833

राज्य : महाराष्ट्र

संचालित कारखानों की संख्या : 23369

नियोजित कर्मियों की संख्या : 1886025

राज्य : ओडिशा

संचालित कारखानों की संख्या : 2399

नियोजित कर्मियों की संख्या : 260771

राज्य : पंजाब

संचालित कारखानों की संख्या : 10394

नियोजित कर्मियों की संख्या : 602818

राज्य : राजस्थान

संचालित कारखानों की संख्या : 7874

नियोजित कर्मियों की संख्या : 470078

राज्य : तमिलनाडु

संचालित कारखानों की संख्या : 28597

नियोजित कर्मियों की संख्या : 2046553

राज्य : उत्तर प्रदेश

संचालित कारखानों की संख्या : 12382

नियोजित कर्मियों की संख्या : 912206

राज्य : पश्चिम बंगाल

संचालित कारखानों की संख्या : 7895

नियोजित कर्मियों की संख्या : 645738

राज्य : भारत

संचालित कारखानों की संख्या : 185690

नियोजित कर्मियों की संख्या : 13538114

स्रोत : वार्षिक सर्वेक्षण, उद्योग

कृषि-आधारित उद्योग

बिहार में कृषि-आधारित प्रमुख उद्योगों में चीनी उद्योग, जलमिल उद्योग, वस्त्र उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, दाल मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित उद्योग हैं।

चीनी उद्योग

चीनी उद्योग बिहार का सबसे प्रमुख उद्योग रहा है। यह अशुद्ध कच्चे माल पर आधारित अर्थात् वजन ह्रास उद्योग है। बिहार में 100 टन गन्ने से लगभग 10 टन चीनी का उत्पादन होता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना बिहार में उत्तरी-पश्चिमी भाग एवं उत्तरी गंगा के मैदान में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मैदान, सिंचाई की सुविधा एवं अनुकूल जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श भौगोलिक स्थिति पैदा करती है। राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत है। बिहार में 2014-15 में 29 चीनी मिल हैं, जिसमें 19 मिल बंद हैं। ये सभी मिल निजी क्षेत्र में हैं। 2015-16 में 515 लाख टन ईख की पेराई हुई और 50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। बिहार राज्य चीनी निगम के अंतर्गत दो चीनी मिल हैं जिन्हें 2011 ई. में HPCL को लीज के आधार पर दिया गया है।

बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना डच कंपनी द्वारा 1841 ई. में करने का प्रयास किया गया था, लेकिन असफल रहा। अतः प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना 1903 ई. में मढ़ौरा (सारण) में हुई थी। चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र मढ़ौरा, चनपटिया, सुगौली, सकरी, बिहटा, गेरौल, मोतीपुर, वारसलीगंज आदि हैं। स्वतंत्रता के समय

1947 ई. में बिहार का देश में चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान था। बिहार भारत का 22.7 प्रतिशत चीनी उत्पादन करता था, जो वर्तमान में घटकर मात्र 2 प्रतिशत हो गया है। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 66 चीनी मिल इकाइयाँ थीं, जिसमें 33 बिहार में थीं, जबकि वर्तमान में देश में 386 चीनी मिल इकाई हैं, जिसमें बिहार में मात्र 29 हैं। इसमें भी अधिकांश बीमार अवस्था में हैं। 1974 ई. में बीमार चीनी उद्योग की इकाइयों के विकास के लिए बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी। 1976 ई. में 7 बीमार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें बनमंखी, गोरौल, रैयाम, वारसलीगंज, समस्तीपुर एवं गुरारू थीं। पुनः 1977 ई. में लोहट तथा सकरी, 1979 ई. में न्यू सीवान तथा 1980 ई. में मोतीपुर चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण किया गया।

बिहार में चीनी उद्योग का भौगोलिक वितरण

उत्तरी-पश्चिमी बिहार

यह कोसी नदी के पश्चिम में स्थित उत्तरी गंगा का मैदान है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में चीनी मिल की 21 इकाइयाँ स्थापित हैं।

दक्षिणी-पश्चिमी बिहार

इसमें रोहतास, भोजपुर, गया, नवादा व पटना जिले शामिल हैं। इनमें चीनी मिल की 8 इकाइयाँ स्थापित हैं।

बिहार में चीनी मिल स्थापित होने के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं—

उष्ण आर्द्र जलवायु, जो गन्ना कृषि के लिए अनुकूल है।

100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं नहर व नलकूप से सिंचाई की सुविधा।

बाढ़ से नवीकृत उपजाऊजलोढ़ मैदान का निर्माण।

राज्य में गन्ना का एकमात्र प्रमुख नकदी फसल होना।

विस्तृत बाजार एवं सघन श्रम की उपलब्धता।

सड़क एवं रेलमार्ग द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा होना।

बिहार के चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएँ

बिहार, जो स्वतंत्रता के समय देश का दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था, वर्तमान समय में मात्र 3 लाख टन उत्पादन कर रहा है। अधिकांश चीनी मिल इकाइयाँ रुग्णावस्था में हैं। बिहार के चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

अधिकांश इकाइयाँ पुरानी हैं जिनके कल-पुर्जे घिस गए हैं, जिससे लागत ऊँची होती है और निम्न गुणवत्ता का चीनी उत्पादन होता है। अतः माँग कम होती है, जिसके कारण लाभ और बचत कम होती है।

पूँजी की कमी है। बिहार में निम्न बचत दर, निम्न पूँजी निर्माण दर एवं ऊँचे ब्याज दर आदि के कारण पूँजी की समस्या उत्पन्न होती है। आधारभूत संरचना, जैसे—बिजली, सड़क, रेल वैन संचार आदि की कमी है।

निम्न गुणवत्ता वाले गन्ने का उत्पादन, जिससे चीनी की प्राप्ति कम होती है।

प्रतिकूल सरकारी नीतियाँ, जैसे—चीनी विपणन पर द्वैत मूल्य प्रणाली लागू है, जिसके कारण 1967 ई. से चीनी मिलों को 30-60 प्रतिशत चीनी सरकार को निम्न मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देनी पड़ती है।

गन्ने का उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य होने के कारण चीनी मिल इकाइयों को घाटा हो रहा है।

प्रतिकूल लाइसेंस नीति।

चीनी-गुड़ इकाइयों में प्रतिस्पर्धा है। कुटीर गुड़ उद्योग को सस्ते गन्ने और श्रमिक आपूर्ति व उच्च नकदी लाभ के कारण 40 प्रतिशत ईख की खपत गुड़ निर्माण में हो रही है, जिसके कारण चीनी उद्योग को घाटा हो रहा है।

बिहार में चीनी उद्योग विकास हेतु निम्न प्रयास करने की जरूरत है—

उन्नत प्रजाति की गन्ना के खेती को प्रोत्साहित करना है।

मशीन एवं कल-पुर्जों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

कृषकों के सहकारी इकाई पर बल देना होगा।

किसानों को नकद भुगतान करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं चीनी मिल दोनों के लिए आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकता है।

चीनी उद्योग पर आधारित अन्य उद्योग, जैसे—कागज, इथाइल अल्कोहल, औषधि आदि को बढ़ावा देने की जरूरत है।

चीनी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा भी कई कार्य किए जा रहे हैं, जैसे—बिहार राज्य चीनी निगम पर से प्रतिबंध हटाकर निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। 15 बंद पड़ी मिलों तथा 2 डिस्टिलरी इकाइयों का निजी लागत द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें 37 चीनी मिलों के निर्माण एवं पुनर्स्थापन से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए हैं। इन 37 इकाइयों में 27 नई चीनी मिलें, 8 पुरानी चीनी मिलें एवं 2 इथेनॉल उत्पादक इकाई का निर्माण किया जाना है।

राज्य में चीनी मिलों द्वारा उत्पादन (2015-16)

चीनी मिल का नाम : बगहा

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 74.91

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 7.44

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.9

चीनी मिल का नाम : हरिनगर

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 115.08

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 11.51

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

चीनी मिल का नाम : नरकटियागंज

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 75.84

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 7.58

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

चीनी मिल का नाम : मझौलिया

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 42.2

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 4.03

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.5

चीनी मिल का नाम : सासामुसा

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 12.8

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 1.16

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.1

चीनी मिल का नाम : गोपालगंज

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल ल में) : 33.03

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 3.3

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

चीनी मिल का नाम : सिधवलिया

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 45.84

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 4.3

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.4

चीनी मिल का नाम : रीगा

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 36.45

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 3.4

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.3

चीनी मिल का नाम : हसनपुर

पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में) : 31.13

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 3.19

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

कपड़ा उद्योग

बिहार में कपड़ा उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से हथकरघा, सिल्क और जूट प्रमुख उद्योग हैं। राज्य में सूती वस्त्र का विकास बहुत कम हुआ है, जिसका कारण सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल कपास का उत्पादन नहीं होना है। बिहार में मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र का विकास हुआ है। हथकरघा क्षेत्र में 1.32 लाख से अधिक बुनकर कार्य कर रहे हैं। राज्य में 1089 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत 15 हजार हथकरघा कार्यरत हैं। राज्य में 2 विपणन संगठन शीर्ष संगठन के रूप में कार्यरत हैं—

1. बिहार हथकरघा सहकारी संघ,
2. बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ।

इसके अंतर्गत छह क्षेत्रीय हथकरघा संघ नालंदा, सीतामढ़ी, सीवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में स्थित हैं। आई.एल. एंड एफ.एस. द्वारा राज्य में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 54 प्रतिशत बुनकरों के पास अपने हथकरघे थे और 46 प्रतिशत के पास भाड़े पर लिये गए हथकरघे थे। लगभग 62 प्रतिशत बुनकरों की आय का प्रमुख स्रोत बुनाई से प्राप्त आय है। राज्य में हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने और उनमें क्षमता वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा 8 संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान चाकंद (गया), अमरपुर (बाँका), ओबरा (औरंगाबाद), पटना शहर (पटना), बरान (भागलपुर), काको (जहानाबाद), झोंगानगर (नालंदा) और पूर्णिया शहर (पूर्णिया) में स्थित हैं। वर्तमान समय में हथकरघा उद्योग अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे—

कच्चे माल की कमी।

नई तकनीक द्वारा प्रशिक्षण का अभाव।

मूल्य निर्धारण का तार्किक नहीं होना।

ऋण सुविधा का उपलब्ध नहीं होना।

विपणन की समस्या।

सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना नामक एक योजना 2012-13 में आरंभ की गई है। इस योजना के तहत नए करघे खरीदने के लिए बुनकरों को 15,000 रुपए, माल खरीदने के लिए 5,000 रुपए तथा वर्क शेड बनाने के लिए 40,000 रुपए प्रति बुनकर उपलब्ध कराए जाते हैं।

राज्य में भागलपुर, गया और बाँका जिलों में 14,000 पावरलूम कार्यरत हैं। इन पावरलूम इकाइयों से स्टेपल चादर और सजावटी कपड़ों आदि का उत्पादन होता है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा भागलपुर के नाथनगर में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 120 पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

बिहार में हथकरघा के संकेंद्रणवाले जिले

जिला : भागलपुर

उत्पादन : सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े

जिला : बाँका

उत्पादन : तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े

जिला : गया

उत्पादन : रेशमी और सूती कपड़े

जिला : नालंदा

उत्पादन : सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ और सजावटी कपड़े

जिला : नवादा

उत्पादन : तसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान

जिला : दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी

उत्पादन : सूती कपड़ों के महीन थान, धोती, कपड़े

जिला : औरंगाबाद, रोहतास

उत्पादन : ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ

जिला : भभुआ

उत्पादन : ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ

जिला : पटना, सीवान

उत्पादन : सूती कपड़े, सजावटी कपड़े

जिला : पूर्णिया, कटिहार

उत्पादन : जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियाँ, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

रेशम उद्योग

बिहार में रेशम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। राज्य में भागलपुर सिल्क वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार में वस्त्र विकास के लिए 11 मलबरी, 6 तसर एवं 1 केस्टर केंद्र की स्थापना की गई है। पूरे राज्य में रेशम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 4 प्रादेशिक कार्यालय भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा जिलों में स्थापित किए गए हैं। भागलपुर में बिहार सिल्क एवं वस्त्र इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। 2012-13 ई. में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री तसर विकास योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत बाँका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और गया में तथा उत्तरी बिहार के जल जमाव वाले क्षेत्रों में अर्जुन और आसन के पेड़ लगाने की योजना है।

अर्जुन और तसर के पेड़ रेशम कीड़ापालन के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके लिए सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 170.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री तसर विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं—

10,200 हेक्टेयर में तसर कीटों के पालन हेतु पौधारोपण, रेशम मित्र के नेतृत्व में 408 स्वयं सहायता समूह का गठन।

रेशम धागा उत्पादन के लिए 55 स्वयं सहायता समूह का गठन।

काँकून बैंक की स्थापना।

2016-17 तक के लिए मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में मलबरी विकास के लिए 118.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत उत्पादित धागों का ब्रांड नाम 'कोशिकी' रखा गया है।

बिहार में रेशम उत्पादन (2015-16)

रेशम का प्रकार : मलबरी

वृक्षारोपण (हेक्टेयर में) : 136

कुल काकून उत्पादन : 202.56 (टन)

कच्चा रेशम (टन में) : 22.55

रेशम का प्रकार : तसर

वृक्षारोपण (हेक्टेयर में) : 2325

कुल काकून उत्पादन : 466.00 (लाख)

कच्चा रेशम (टन में) : 42

रेशम का प्रकार : अंडी

वृक्षारोपण (हेक्टेयर में) : 161

कुल काकून उत्पादन : 9.50 (टन)

कच्चा रेशम (टन में) : 7.6

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने एवं प्रशिक्षण हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना 1922 ई. में नाथनगर, भागलपुर में की गई थी। इस संस्थान में कंप्यूटर-आधारित डिजाइन (CAD) की एक इकाई स्थापित की जा रही है। किशनगंज और भागलपुर में मलबरी रीलिंग केंद्र स्थापित हैं, जिनमें मलबरी रेशम की रीलिंग और कताई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्तमान में राज्य में जूट के तीन उद्योग कार्यरत हैं। ये कारखाने कटिहार, पूर्णिया तथा दरभंगा में स्थापित हैं।

सूती वस्त्र

बिहार में कपड़े का उत्पादन और निर्यात प्राचीन काल से होता रहा है, लेकिन इसका स्वरूप विकेंद्रित एवं असंगठित रहा है। संगठित क्षेत्र में डुमराव एवं फुलवारीशरीफ में दो कारखाने स्थापित थे, लेकिन वर्तमान समय में बंद हैं। 1970 ई. में बिहार राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य निजी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करना था। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा उद्योग के रूप में मुख्य रूप से स्थापित है। भागलपुर और गया सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। गया शहर का मानपुर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है जहाँ लगभग 1000 पावरलूम स्थापित हैं। यहाँ चादर, गमछा, धोती, साड़ी आदि का उत्पादन होता है।

जूट उद्योग

जूट बिहार का प्रमुख कृषि-आधारित उद्योग है, जो रेशेदार फसल पटसन पर आधारित है। जूट का उत्पादन बिहार के पूर्वोत्तर जिलों—पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया आदि में होता है। स्वतंत्रता के समय बिहार में कटिहार, समस्तीपुर और पूर्णिया में जूट फैक्टरी स्थापित थी, लेकिन देश विभाजन के बाद जूट उत्पादक अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में चले जाने के कारण तथा कारखानों के आधुनिकीकरण एवं पूँजी के अभाव के कारण जूट उद्योग रुग्णावस्था में चला गया। कृत्रिम रेशों की माँग बढ़ने से भी जूट उद्योग की स्थिति दयनीय हो गई, लेकिन वर्तमान समय में जूट एवं उससे निर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ने के कारण इस उद्योग के विकास पर बल दिया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में जूट के तीन उद्योग कार्यरत हैं। ये कारखाने कटिहार, पूर्णिया तथा दरभंगा में स्थापित हैं। वर्तमान समय में जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के तहत पूर्णिया के मरंगा में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है।

खनिज आधारित उद्योग

सीमेंट उद्योग

बिहार के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग के विकास की असीम संभावना है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ही रोहतास के बंजारी एवं डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। बंजारी में 1937 ई. में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड (KC) की स्थापना की गई थी। औरंगाबाद में श्रीसीमेंट की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में डालमिया नगर कारखाना बंद है। डालमिया नगर कारखाना बंद होने का मूल कारण वित्तीय एवं प्रबंधकीय समस्या है। भुआ में इको सीमेंट की स्थापना की गई है। कच्चे माल की उपलब्धता के बाद भी इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास नहीं होने का कारण ऊर्जा की कमी है।

स्वतंत्रता के समय 1947 ई. में बिहार का देश में चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान था। बिहार भारत का 22.7 प्रतिशत चीनी उत्पादन करता था, जो वर्तमान में घटकर मात्र 2 प्रतिशत हो गया है।

क्रशर उद्योग

दक्षिणी बिहार का पहाड़ी-पठारी सीमांत क्षेत्र ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट आदि चट्टानों में धनी है। इस पर आधारित

कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर आदि जिलों में क्रशर उद्योग (पत्थर काटने का उद्योग) बृहत पैमाने पर विकसित हुआ है।

रासायनिक उद्योग

बिहार में खनिज पदार्थों की कमी के बावजूद बरौनी एक खनिज-आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में विकसित हुआ है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना, ताप ऊर्जा संयंत्र, उर्वरक कारखाना एवं उस पर आधारित कई छोटे-छोटे औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई, 1964 में की गई थी। इस कारखाने की स्थापना लागत 49.4 करोड़ रुपये थी। इस कारखाने की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी जो 1969 ई. में बढ़कर 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गई थी। यहाँ असम, नाइजीरिया, इराक एवं मलेशिया से कच्चा तेल आता है। बरौनी हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 ई. में की गई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट है। बरौनी में नाइट्रोजन उर्वरक-आधारित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का कारखाना स्थापित है। यहाँ कच्चे माल के रूप में नाफ था एवं जिप्सम का उपयोग कर अमोनियम सल्फेट तथा सुपर फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। रोहतास जिले के अमझोर नामक स्थान पर पायराइट्स-आधारित पायराइट्स फॉस्फेट ऐंड केमिकल लिमिटेड (PPCL) का कारखाना स्थापित है। इस कारखाने में पायराइट से गंधक एवं फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। बिहार इनसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 27 फरवरी, 1982 को राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पूर्णिया में की गई थी। इस कंपनी द्वारा आधारभूत रसायन का उत्पादन किया जाता था, जो वर्तमान में रुग्णावस्था में है।

जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना 8 फरवरी, 1862 ई. को की गई थी। यह भारत का प्रथम पूर्ण सुविधा आधारित वर्कशॉप था, जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के अधीन स्थापित किया गया था।

रेल कारखाना

बिहार में मोकामा (पटना) एवं जमालपुर (मुंगेर) में पहले से रेलवे से संबंधित उद्योग स्थापित हैं। मोकामा में भारत वैगन ऐंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप स्थापित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (BWEL) भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। यह ISO 9001:2008 प्रमाणित कंपनी है। 2008 ई. तक यह उपक्रम भारी उद्योग एवं सार्वजनिक विभाग के अंतर्गत था। 13 अगस्त, 2008 से इस पर रेल मंत्रालय का नियंत्रण है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना दिसंबर, 1978 में दो बीमार निजी कंपनी आर्थर बटलर कंपनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर तथा ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा को मिलाकर किया गया है। 1983-84 ई. में मुजफ्फरपुर के बेला स्थित एल.पी.जी. सिलेंडर का निर्माण करनेवाली कंपनी को इसमें मिला दिया गया। 1986 ई. से भारी उद्योग विभाग के तहत कार्यरत भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थापित इसकी इकाई द्वारा रेल वैगन का निर्माण किया जाता है।

जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना 8 फरवरी, 1862 को की गई थी। यह भारत का प्रथम पूर्ण सुविधा आधारित वर्कशॉप था, जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के अधीन स्थापित किया गया था।

मुंगेर में तंबाकू-आधारित ITC का सिगरेट कारखाना स्थापित है। मुंगेर में भारत की सबसे पुरानी टोबैको विनिर्माण इकाई की स्थापना 1905 ई. में राज इंटरप्राइजेज द्वारा की गई थी, जिसका बाद में

इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया।

राजगीर, नालंदा स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति 2001 ई. में मिली थी। राजगीर आयुध कारखाना अत्याधुनिक किस्म का BMCS (Bi-Modular Charge System) का निर्माण करनेवाला एशिया का पहला आधुनिक कारखाना है। BMCS तोप के गोले की मारक क्षमता को बढ़ाता है। बोफोर्स तोप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। हरनौत (नालंदा), बेला (सारण), मढ़ौरा (सारण) तथा मधेपुरा में रेलवे के नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। बेला (सारण जिले का दरियापुर प्रखंड) में रेल पहिया कारखाना की स्थापना 2004 ई. में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस कारखाने से उत्पादन 2014 ई. से प्रारंभ हुआ है। मधेपुरा में फ्रांस की कंपनी एल्सटोम एस.ए. एवं भारतीय रेलवे के संयुक्त उपक्रम के रूप में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इस कारखाने में 11 वर्ष की अवधि में 800 उच्च क्षमतावाले इंजन का उत्पादन किया जाएगा। हरनौत (नालंदा) में कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की स्थापना 2003 ई. में की गई है। सारण जिला के मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

शीशा उद्योग

दक्षिणी बिहार एवं झारखंड के पठारी क्षेत्रों से शीशा उत्पादन के लिए प्राप्त कच्चे माल, जैसे—बालू, सिलिका, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेरियम ऑक्साइड के आधार पर बिहार में शीशा उद्योग का विकास हुआ है। शीशा उद्योग के प्रमुख केंद्र पटना, दरभंगा और भागलपुर हैं।

सिगरेट एवं बीड़ी उद्योग

सिगरेट एवं बीड़ी के निर्माण के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में कच्चा पदार्थ उपलब्ध है। उत्तरी बिहार के मैदान में तंबाकू का उत्पादन होता है। उत्पादित वस्तुओं के लिए बिहार स्वयं एक बड़ा बाजार है। इस उद्योग का विकास बेगूसराय, जमुई, बिहारशरीफ, आरा, बेक्सर, दरभंगा आदि में हुआ है। मुंगेर में तंबाकू-आधारित ITC का सिगरेट कारखाना स्थापित है। मुंगेर में भारत की सबसे पुरानी टोबैको विनिर्माण इकाई की स्थापना 1905 ई. में राज इंटरप्राइजेज द्वारा की गई थी, जिसका बाद में इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इंडियन टोबैको कंपनी निजी क्षेत्र की 1910 ई. में स्थापित उपभोक्ता वस्तु बनानेवाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है।

इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा मुंगेर डेयरी प्लांट की स्थापना की गई है, जिसका उत्पाद 2015-16 से बाजार में उपलब्ध हो रहा है। मुंगेर में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता दो लाख लीटर प्रतिदिन है।

वन-आधारित उद्योग

बिहार में वन संसाधनों की कमी है, फिर भी प्राप्त वन संसाधनों के आधार पर अनेक मध्यम एवं छोटे उद्योग विकसित हुए हैं। इनमें लकड़ी चीरने का आरा उद्योग, कागज एवं गत्ता निर्माण, कत्था निर्माण, बाँस एवं बेंत पर आधारित उद्योग का विकास हुआ है।

आरा मिल का विकास बिहार के उत्तरी भागों में, विशेषकर तराई क्षेत्र में, हुआ है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और भागलपुर तथा दक्षिण बिहार में गया, नवादा, रोहतास आदि जिलों में आरा मिल का विकास हुआ है। वनों के ह्रास होने एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के कारण आरा मिलों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित करने की नीति बनाई गई है, जिससे इनकी संख्या में कमी आ रही है। बाँस उत्तर बिहार के तराई प्रदेश

एवं गया के उत्तरी भागों में पाई जानेवाली प्रमुख वनस्पति है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है। अतः इस पर लकड़ी-आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। बाँस को गरीबों की लकड़ी कहा जाता है।

राज्य में कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बाँस एवं सबई घास उपलब्ध हैं। अतः इस पर आधारित कुछ कारखानों का विकास राज्य में हुआ है। राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में वनों की अधिकता के कारण रोहतास के डालमिया नगर में कागज उद्योग की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या के कारण बंद है। इसके अतिरिक्त कागज का कारखाना ठाकुर पेपर मिल, समस्तीपुर में एवं अशोक पेपर मिल, दरभंगा में स्थापित किया गया।

कागज के इन कारखानों को बिहार वन विकास निगम द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन समय पर कच्चा माल न मिलने, श्रमिक-प्रबंधन समस्या, वित्तीय समस्या, मशीनों के आधुनिकीकरण की समस्या आदि के कारण ये कारखाने वर्तमान समय में बंद हैं। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में खैर वृक्ष की अधिकता के कारण कत्था का उत्पादन किया जाता है। कत्था-आधारित औद्योगिक इकाई बेतिया एवं गया में स्थापित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

बिहार कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की राज्य में विकास की असीम संभावना है। वर्ष 2015-16 में राज्य में 399 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित थे, जिसमें से 266 उद्योग (66.7 प्रतिशत) चालू अवस्था में थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मक्का, दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, मखाना एवं फल-आधारित हैं। इन इकाइयों में 45000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

नीचे की तालिका में राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रदर्शित किया गया है—

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विवरणी (वर्ष 2015-16)

उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	
	कुल	परिचालन
चावल मिल	174	115
गेहूँ मिल	44	33
मक्का प्रसंस्करण	41	29
ग्रामीण कृषि व्यवसाय केंद्र	52	37
शीतगृह	3	0
खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण	16	7
दूध प्रसंस्करण	9	6
मखाना प्रसंस्करण	4	2
शहद प्रसंस्करण	3	3
बिस्कुट निर्माण	10	8
खाद्य तेल उत्पादन	10	8

आइसक्रीम	6	4
अन्य परियोजना	25	14
फूड पार्क	2	0
कुल	399	266

स्रोत : उद्योग विभाग, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार सरकार

मखाने की खेती राज्य में व्यावसायिक स्तर पर उत्तरी बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि जिलों में आर्द्र भूमि (जलमग्न क्षेत्र) में की जाती है। मखाना प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है। दरभंगा में मखाना शोध संस्थान स्थापित है। राज्य में मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में लीची-आधारित, वैशाली में केला-आधारित, दरभंगा एवं भागलपुर में आम-आधारित, रोहतास एवं कैमूर में अमरूद-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की असीम संभावना है। इस दिशा में राज्य खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा अनेक योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. **समेकित विकास परियोजना**— इस परियोजना के द्वारा 40 प्रतिशत तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है।
2. **फूड पार्क योजना**— इसके तहत 30 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए तक निर्धारित है। बक्सर में एक फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।
3. **चावल मिलों के लिए आधुनिकीकरण योजना**— भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत स्थापित चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी देती है।
4. **शीतगृह योजना**— इस योजना के तहत 5-10 हजार टन क्षमतावाले शीतगृहों को 30 प्रतिशत सब्सिडी तथा 10 हजार टन से अधिक क्षमतावाले शीतगृहों को 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी राशि 5 करोड़ रुपए तक निर्धारित है।

चाय उद्योग

वर्तमान समय में लगभग 50 हजार एकड़ भूमि पर बिहार में चाय की खेती हो रही है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। किशनगंज का पोठिया, ठाकुरगंज और किशनगंज प्रमुख चाय उत्पाद क्षेत्र हैं। बिहार में प्रतिवर्ष 40 हजार टन से अधिक चाय उपजाई जाती है। किशनगंज में 7 चाय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित हैं। कच्चे माल की अधिकता के कारण और अधिक केंद्र स्थापित करने की संभावना है।

चमड़ा उद्योग

बिहार में भारत का 8 प्रतिशत गाय-बैल, 12.1 प्रतिशत बकरी, 4.2 प्रतिशत भैंस और 1.9 प्रतिशत भेड़ पाई जाती हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (CLRI) चेन्नई के अनुसार बिहार में पशुओं से 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। राज्य में खालों एवं चमड़ों के प्रमुख केंद्र पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार के पर्व और पूर्णिया में स्थित हैं।

छठी आर्थिक गणना, 2013

छठी आर्थिक गणना 2013 में की गई थी तथा इसका प्रकाशन 2016 ई. में किया गया। इस गणना के अनुसार

राज्य में 17.7 लाख आर्थिक इकाइयाँ स्थापित हैं, जो 2005 की पाँचवीं आर्थिक गणना की तुलना में 39.4 प्रतिशत वृद्धि दर को दर्शाती है। नीचे की तालिका में 2005 एवं 2013 की आर्थिक गणना को तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

		2005	2013	प्रतिशत वृद्धि
उद्यमों की संख्या	ग्रामीण	835	1200	43.7
	शहरी	389	507	30.3
	कुल	122	1707	39.4
अपने खाते के उद्यम	ग्रामीण	751	850	13.2
	शहरी	280	309	10.3
	कुल	1031	1159	12.4
उद्यम, किराए के श्रमिकों के साथ	ग्रामीण	240	350	46.1
	शहरी	164	198	20.9
	कुल	404	548	35.9
कृषि उद्यम	ग्रामीण	30	77	159.2
	शहरी	5	8	57.0
	कुल	35	85	144.0
गैर-कृषि उद्यम	ग्रामीण	806	1123	39.4
	शहरी	384	499	29.9
	कुल	1190	1622	36.3
नियोजित कर्मियों की संख्या	ग्रामीण	1405	2171	54.6
	शहरी	865	1073	24.0
	कुल	2270	3244	42.9

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

खादी एवं ग्रामोद्योग

अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) का गठन एक वैधानिक संस्था के रूप में किया गया है, जो खादी एवं इससे संबंधित उत्पादों का राष्ट्रीय नोडल अभिकरण है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का क्रियान्वयन किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना (SFRTI) के अंतर्गत नोडल अभिकरण के तौर पर कार्य करता है।

उद्योग मित्र

उद्योग मित्र की स्थापना 2004 ई. में सोसाइटी एक्ट, 1860 के अंतर्गत की गई है। यह पहले से स्थापित दो सोसाइटी—औद्योगिक डाटा बैंक तथा सिंगल विंडो सिस्टम का विलय कर स्थापित की गई है। औद्योगिक डाटा बैंक की स्थापना 1986 ई. में उद्योगों से संबंधित आँकड़ों एवं सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना भी 1986 ई. में उद्योग विभाग के कोषांग के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों की समस्याओं को दूर करना था। औद्योगिक डॉक्यूमेंटेशन तथा औद्योगिक विकास एवं प्रोत्साहन गतिविधियों से संबंधित क्रियाओं के लिए उपर्युक्त दोनों सोसाइटी को मिलाकर उद्योग मित्र का गठन किया गया है।

उद्योग मित्र के गठन का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है—

उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएँ सिंगल विंडो सिस्टम के तहत प्रदान करना।

बड़े, मध्यम तथा लघु आकार के उद्योगों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने में सहायता करना।

उद्योगों की स्थापना के लिए बियाडा के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराना तथा विभिन्न विभागों के बीच, जैसे— बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद एवं बिक्री कर विभाग आदि से संबंधित समस्याओं को दूर करना।

उद्यमी, परामर्शी, योजनाकार आदि को औद्योगिक सूचना एवं आँकड़ा उपलब्ध कराना।

उद्यमियों को आधारभूत संरचना, जैसे—ऊर्जा, जल, भूमि, शेड, परिवहन एवं संचार की सुविधाएँ तथा उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)

बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) की स्थापना बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1974 के सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। इस प्राधिकरण के गठन का मूल उद्देश्य निम्न है—

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना, जैसे—सड़क, पानी, ऊर्जा आदि की व्यवस्था करना।

राज्य में लागू औद्योगिक नीतियों के अनुरूप उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता एवं प्रोत्साहन देना।

राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा औद्योगिक नीति से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देना।

बियाडा का प्रधान कार्यालय पटना में स्थित है, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित शहरों में कार्यरत हैं—

1. पटना,
2. भागलपुर,
3. मुजफ्फरपुर एवं
4. दरभंगा।

राज्य में झारखंड विभाजन से पहले छह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर, बोकारो, राँची, पटना, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में स्थापित थे। बिहार की औद्योगिक कमिशनर कचहरी, पटना में कार्यरत है। बियाडा के अधीन चार क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 50 औद्योगिक क्षेत्र (IA)—औद्योगिक एस्टेट (IE), बृहद औद्योगिक

एस्टेट (LIA), विकास केंद्र (GC) एवं मेगा औद्योगिक पार्क (MIP) स्थित हैं।

राज्य के चारों औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन स्थित औद्योगिक क्षेत्र (IA), औद्योगिक एस्टेट (IE), बृहद औद्योगिक एस्टेट (LIA), विकास केंद्र (GC) एवं मेगा औद्योगिक पार्क (MIP) को नीचे की तालिका में दिखाया गया है—

बियाडा के अधीन औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट, बृहद औद्योगिक एस्टेट, विकास केंद्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क

क्षेत्रीय प्राधिकार		IA, IE, LIA, GC एवं MIP		भूमि दर (लाख प्रति एकड़)	खाली भूमि (एकड़ में)
पटना	1.	पाटलिपुत्र	IA	1105.00	0.20
	2.	फतुहा	IA	178.06	6.12
	3.	हाजीपुर	IA	304.62	1.13
	4.	हाजीपुर	EPIP	200.33	0.89
	5.	बिहारशरीफ	IE	135.00	3.19
	6.	नवादा	IA	75.00	1.04
	7.	गया	IA	53.55	0.23
	8.	जहानाबाद	IA	314.16	0.46
	9.	औरंगाबाद	GC	30.00	1.05
	10.	औरंगाबाद	IA	160.27	25.40
	11.	डेहरी	IA	181.00	7.23
	12.	बारूज	IA	100.00	1.72
	13.	विक्रमगंज	IA	355.00	0.07
	14.	बक्सर	GC	172.75	0.89
	15.	बिहिया	IA	350.25	11.23

	16.	गिद्धा	MIP	32.50	0.92
	17.	बिहटा	IA	134.44	0.00
	18.	बिहटा	IA	108.76	0.00
	19.	कोपाकला	IE	48.90	0.00
	20.	बरोनी	IE	39.78	0.33
दरभंगा	1.	बेला	IA	164.77	0.02
	2.	धरमपुर	IE	72.75	0.52
	3.	दोनार	GC	150.00	13.29
	4.	झंझारपुर	IE	411.50	0.74
	5.	खगड़िया	IA	25.00	0.00
	6.	मुरलीगंज	IE	210.00	1.60
	7.	पंडौल	IE	45.00	9.49
	8.	सहरसा	IE	400.00	0.00
	9.	समस्तीपुर	IA	21.90	0.40
	10.	उदाकिशनगंज	IE	175.00	3.75
मुजफ्फरपुर	1.	मुजफ्फरपुर	IA	162.50	29.66
	2.	मुजफ्फरपुर	IA	162.50	0.71
	3.	कुमारबाघ	IA	19.00	40.34
	4.	रामनगर	IA	178.33	4.59
	5.	सीतामढ़ी	IA	135.37	1.35
	6.	रक्सौल	IA	124.62	0.11
	7.	बेतिया	I, IE	149.04	0.06
	8.	सीवान	IE	110.97	0.00
भागलपुर	1.	बरारी	IA	255.00	2.50
	2.	मुंगेर	IA	363.44	0.97
	3.	सीताकुंड	GC	70.00	0.00
	4.	जमालपुर	GC	207.64	9.77
	5.	मरगा	IE	163.75	8.44
	6.	कहलगाँव	IE	36.41	0.00
	7.	लखीसराय	IA	67.50	0.04
	8.	पूर्णिया शहर	IA	173.33	0.40

	9.	भेदियाडांगी, किशनगंज	IE	28.50	0.00
	10.	फारबिसगंज	IA	31.07	2.75
	11.	कटिहार	IA	286.66	4.29
	12.	खगारा, किशनगंज	IA	206.00	0.00

बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उत्पाद

उद्योग : सूती वस्त्र

स्थान : भागलपुर, गया, औरंगाबाद, डुमराँव, बक्सर, फतुहा, फुलवारीशरीफ, सीवान, मुंगेर

उत्पाद : लुंगी, चादर, गमछा

उद्योग : कालीन

स्थान : ओबरा, दाउदनगर

उत्पाद : कालीन

उद्योग : रेशमी वस्त्र

स्थान : भागलपुर, गया, वैशाली

उत्पाद : रेशमी वस्त्र

उद्योग : ऊनी वस्त्र

स्थान : हाजीपुर

उत्पाद : ऊनी वस्त्र

उद्योग : तंबाकू

स्थान : मुंगेर

उत्पाद : सिगरेट

उद्योग : बीड़ी

स्थान : बिहारशरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया

उत्पाद : बीड़ी

उद्योग : कागज

स्थान : डालमिया नगर, समस्तीपुर, बगहा, बेगूसराय, पटना

उत्पाद : कागज

उद्योग : सीमेंट

स्थान : बंजारी, जपला, डालमियानगर, कल्याणपुर, बिहटा

उत्पाद : सीमेंट

उद्योग : इंजीनियरिंग

स्थान : मुजफ्फरपुर, मोकामा, जमालपुर

उत्पाद : रेलवे वैगन

उद्योग : उर्वरक

स्थान : बरौनी, अमझोर

उत्पाद : उर्वरक

उद्योग : तेलशोधन कारखाना

स्थान : बरौनी

उत्पाद : पेट्रोल एवं संबंधित उत्पाद

उद्योग : कीटनाशक

स्थान : पूर्णिया

उत्पाद : कीटनाशक

उद्योग : प्लास्टिक

स्थान : हाजीपुर

उत्पाद : पॉलीप्लास्ट

उद्योग : रासायनिक

स्थान : बरौनी, फतुहा

उत्पाद : केमिकल्स

उद्योग : बर्तन

स्थान : सीवान, बिहटा

उत्पाद : बर्तन

उद्योग : दियासलाई

स्थान : कटिहार

उत्पाद : दियासलाई

उद्योग : कंबल

स्थान : गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर

उत्पाद : कंबल

उद्योग : बंदूक

स्थान : मुंगेर

उत्पाद : बंदूक

उद्योग : शीशा

स्थान : पटना

उत्पाद : शीशा

उद्योग : प्लाईवुड

स्थान : हाजीपुर

उत्पाद : प्लाईवुड

उद्योग : चमड़ा

स्थान : मोकामा, दीघा, गया

उत्पाद : चमड़ा

उद्योग : खाद्य प्रसंस्करण

स्थान : हाजीपुर, उदयकिशुनगंज, बेगूसराय, शीतलपुर

उत्पाद : प्रसंस्करित एवं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ

बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम

स्थान : बरौनी

उद्योग का नाम : फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्थान : बरौनी

उद्योग का नाम : इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोकामा

उद्योग का नाम : भारत वैगन ऐंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

स्थान : बेला, छपरा

उद्योग का नाम : रेल पहिया कारखाना

स्थान : मढ़ौरा, छपरा

उद्योग का नाम : डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना (निर्माणाधीन)

स्थान : मधेपुरा

उद्योग का नाम : रेलवे विद्युत इंजन कारखाना (निर्माणाधीन)

स्थान : हरनौत

उद्योग का नाम : कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप

बिहार के औद्योगिक प्रदेश

जब अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रियाएँ किसी स्थान विशेष में केंद्रीकृत हो जाती हैं, तब उस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों की विविधता पाई जाती है। औद्योगिक प्रदेश का विकास कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, यातायात के साधन, पूँजी, कुशल श्रम की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। बिहार में खनिज संसाधनों की कमी है, यद्यपि दक्षिण-पश्चिम बिहार के पठारी भागों में चूना पत्थर और पायराइट जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिस पर आधारित उद्योग का विकास हुआ है, लेकिन बिहार में मुख्य रूप से कृषि एवं वन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। ये औद्योगिक केंद्र इतने बिखरे हैं कि उन्हें औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, फिर भी औद्योगिक प्रदेश जैसे हैं। बिहार के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इसे 6 औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं—

सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश

यह कैमूर के पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर, बालू पत्थर एवं वन संसाधन के आधार पर विकसित प्रदेश है। इस प्रदेश में डालमियानगर (रोहतास) में सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग तथा जपला (झारखंड) में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ, लेकिन वर्तमान समय में सीमेंट उद्योग एवं कागज उद्योग के कारखाने बंद हैं।

यह बिहार का सबसे समृद्ध औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ कई आधुनिक उद्योग स्थापित हैं। बरौनी में तेलशोधक कारखाना, रासायनिक खाद तथा ताप ऊर्जा निकाय स्थापित हैं।

गया-गुरारू औद्योगिक प्रदेश

यह मूलतः कृषि-आधारित औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें गया में सूती वस्त्र उद्योग, गुरारू में चीनी मिल आदि स्थापित हैं। गया का मानपुर हथकरघा उद्योग का केंद्र है। गुरारू की चीनी मिल वर्तमान में बंद है। गया के आसपास पहाड़ियों की उपलब्धता के कारण स्टोन क्रशिंग उद्योग का विकास हुआ है।

दक्षिण-पूर्व बिहार मैदान का औद्योगिक प्रदेश

इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान के पूर्वी भाग में लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में है। मुंगेर में बंदूक एवं सिगरेट उद्योग, जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप, भागलपुर एवं नाथनगर में रेशम उद्योग का विकास हुआ है।

दक्षिण-पश्चिम बिहार मैदान का औद्योगिक प्रदेश

इस औद्योगिक प्रदेश का विकास गंगा के दक्षिणी मैदान के पश्चिमी भाग में पटना, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में हुआ है। मोकामा में चमड़ा उद्योग, रेल डिब्बा तथा लघु लौह इकाई, बिहटा में चीनी उद्योग, दीघा (पटना) में चमड़ा उद्योग, फुलवारीशरीफ (पटना) में वस्त्र उद्योग तथा बक्सर में वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है।

बरौनी औद्योगिक प्रदेश

यह बिहार का सबसे समृद्ध औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ कई आधुनिक उद्योग स्थापित हैं। बरौनी में तेल शोधक कारखाना, रासायनिक खाद तथा ताप ऊर्जा निकाय स्थापित हैं। तेल शोधक कारखाने को कच्चा माल असम के तेल क्षेत्र से प्राप्त होता है। हल्दिया बंदरगाह एवं असम के तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा कच्चा तेल आता है। तेलशोधक कारखाना के उप-उत्पाद नेलुप्था पर आधारित रासायनिक उर्वरक का कारखाना स्थापित है। इसके अतिरिक्त बरौनी में पेट्रोकेमिकल्स एवं डेयरी उद्योग स्थापित हैं।

उत्तरी-पश्चिमी गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक प्रदेश

यह प्रदेश कृषि आधारित चीनी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण आदि जिलों में अनेक चीनी मिल स्थापित हैं, जिसमें मुख्य केंद्र मढ़ौरा, चनपटिया, महाराजगंज, गोपालगंज, पचरुखी, हथुआ आदि हैं।

इसके अतिरिक्त तराई क्षेत्र में चावल मिल का विकास हुआ है। चावल मिल का प्रमुख केंद्र नरकटियागंज, रक्सौल, बरगनिया, सीतामढ़ी, जयनगर, झंझारपुर, जोगबनी, फारबिसगंज आदि हैं।

□

20. आधारभूत संरचना

(Infrastructure)

परिवहन

संचार व्यवस्था

ऊर्जा

बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, 2011

परिवहन

परिवहन को अर्थव्यवस्था की धमनी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकसित होना अनिवार्य है। आधारभूत संरचना के तीन प्रमुख घटक हैं—परिवहन, संचार एवं ऊर्जा। इस अधिसंरचना के विकसित होने से तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता है, समाज के आर्थिक-सामाजिक विकास को बल मिलता है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। बिहार में आधारभूत संरचना के प्रमुख तत्व—सड़क, रेलमार्ग, नागरिक उड्डयन, डाक सुविधाएँ, ऊर्जा क्षेत्र आदि के विकास की गति धीमी रही है।

परिवहन के साधन

परिवहन के साधन के अंतर्गत सड़कमार्ग, रेलमार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग आदि को शामिल किया जाता है।

सड़क परिवहन

स्वतंत्रता के समय बिहार में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 2104 किलोमीटर थी, जो अन्य राज्य की तुलना में कम था। चौड़ाई के आधार पर राज्य में 4 प्रकार के उच्च पथ का विकास हुआ है—

- एक लेन की सड़क - चौड़ाई 3.75 मीटर
- मध्यवर्ती लेन की सड़क - चौड़ाई 5.50 मीटर
- दो लेन की सड़क - चौड़ाई 7 मीटर
- दो लेन से अधिक की सड़क - चौड़ाई 7 मीटर से अधिक।

बिहार में राष्ट्रीय राज्य राजपथ, जिला पथ एवं ग्रामीण पथ का विस्तार पाया जाता है। 2015 ई. में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर तथा राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 4253 किलोमीटर है, जबकि जिला मार्ग की लंबाई 10634 किलोमीटर है। बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर 4 अग्रणी जिले पटना, अरवल, जहानाबाद और सुपौल हैं, जबकि तीन सबसे कम लंबाई वाले जिले पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और कैमूर हैं। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की कुल लंबाई में सुपौल, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद आगे हैं, जबकि मुंगेर, वैशाली और पूर्वी चंपारण सबसे पिछड़े जिले हैं।

अखिल भारतीय स्तर पर सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 131.8 किलोमीटर है, जबकि बिहार

की 209.5 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यद्यपि देश में सर्वाधिक केरल में 476.2 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 348.9 किलोमीटर है, जिसमें बिहार काफी पीछे है। इसके बावजूद बिहार देश में तीसरे स्थान पर है।

प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई में अग्रणी जिले

जिले का नाम : पटना

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 36.5

जिले का नाम : अरवल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 35.4

जिले का नाम : जहानाबाद

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 35.4

जिले का नाम : सुपौल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 35.3

जिले का नाम : संपूर्ण बिहार

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 209.5

प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई में पिछड़े जिले

जिले का नाम : पश्चिमी चंपारण

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 10.7

जिले का नाम : मुंगेर

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 10.9

जिले का नाम : कैमूर

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 13.2

स्रोत : भारत की बुनियादी पथ सांख्यिकी, 2012-13

प्रति लाख आबादी पर बिहार में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 189.5 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 357.8 किलोमीटर से बहुत कम है। देश में उड़ीसा में 661.5 और केरल में 553.9 किलोमीटर है, जिससे बिहार का सड़क घनत्व बहुत कम है। इसे जिलों के आधार पर नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में अग्रणी जिले

जिले का नाम : सुपौल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 38

जिले का नाम : शेखपुरा

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 32.1

जिले का नाम : अरवल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 30.5

जिले का नाम : जहानाबाद

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 30.5

जिले का नाम : संपूर्ण बिहार

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 189.5

प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में पिछड़े जिले

जिले का नाम : मुंगेर

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 11.2

जिले का नाम : वैशाली

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 12

जिले का नाम : पूर्वी चंपारण

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 12.4

स्रोत : भारत की बुनियादी पथ सांख्यिकी, 2012-13

राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ वैसे पथ हैं, जो बिहार को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं। 2015 में बिहार में कुल 38 राष्ट्रीय उच्च पथ थे, जिनकी कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है। इनमें से 68 प्रतिशत राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई दो या दो से अधिक लेनवाली है तथा 32 प्रतिशत एक लेनवाली है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या एवं लंबाई (लंबाई किलोमीटर में)

क्र.सं. : 1

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 2

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : मोहनिया-सासाराम-औरंगाबाद-डोभी

बिहार में कुल लंबाई : 202

कुल लंबाई : 1465

क्र.सं. : 2

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 19

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : छपरा-हाजीपुर-पटना

बिहार में कुल लंबाई : 120

कुल लंबाई : 240

क्र.सं. : 3

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 28

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : बरौनी-मुजफ्फरपुर-गोपालगंज

बिहार में कुल लंबाई : 259

कुल लंबाई : 570

क्र.सं. : 4

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 28 A

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : पोपराकोठी-सगौली-स्वसौल

बिहार में कुल लंबाई : 68

कुल लंबाई : 68

क्र.सं. : 5

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 28 B

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : छपरा-बेतिया-बगहा

बिहार में कुल लंबाई : 121

कुल लंबाई : 121

क्र.सं. : 6

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 30

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : मोहनिया-आरा-पटना-बख्तियारपुर

बिहार में कुल लंबाई : 230

कुल लंबाई : 230

क्र.सं. : 7

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 30 A

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : फतुहा-चंडी-बाढ़

बिहार में कुल लंबाई : 65

कुल लंबाई : 65

क्र.सं. : 8

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 31

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : नवादा-बिहारशरीफ-मोकामा-बरौनी-बेगूसराय-खगड़िया-पूर्णिया-किशनगंज

बिहार में कुल लंबाई : 393

कुल लंबाई : 1125

क्र.सं. : 9

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 57

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज-अररिया

बिहार में कुल लंबाई : 310

कुल लंबाई : 310

क्र.सं. : 10

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 57A

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : फारबिसगंज-जोगबनी

बिहार में कुल लंबाई : 15

कुल लंबाई : 15

क्र.सं. : 11

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 77

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा

बिहार में कुल लंबाई : 142

कुल लंबाई : 142

क्र.सं. : 12

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 80

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : मोकामा-मुंगेर-भागलपुर

बिहार में कुल लंबाई : 200

कुल लंबाई : 310

क्र.सं. : 13

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 81

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : कटिहार-कोढ़ा

बिहार में कुल लंबाई : 45

कुल लंबाई : 100

क्र.सं. : 14

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 82

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : गया-बिहारशरीफ-मोकामा

बिहार में कुल लंबाई : 130

कुल लंबाई : 130

क्र.सं. : 15

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 83

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : पटना-जहानाबाद-गया-डोभी

बिहार में कुल लंबाई : 130

कुल लंबाई : 130

क्र.सं. : 16

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 84

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : आरा-बक्सर

बिहार में कुल लंबाई : 60

कुल लंबाई : 60

क्र.सं. : 17

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 85

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : छपरा-सीवान-गोपालगंज

बिहार में कुल लंबाई : 95

कुल लंबाई : 95

क्र.सं. : 18

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 98

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : पटना-औरंगाबाद-अंबा

बिहार में कुल लंबाई : 156

कुल लंबाई : 207

क्र.सं. : 19

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 101

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : छपरा-बनियापुर-मुहम्मदपुर

बिहार में कुल लंबाई : 60

कुल लंबाई : 60

क्र.सं. : 20

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 102

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर

बिहार में कुल लंबाई : 80

कुल लंबाई : 80

क्र.सं. : 21

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 103

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : हाजीपुर-जन्दाहा-मुसरीघरारी

बिहार में कुल लंबाई : 55

कुल लंबाई : 55

क्र.सं. : 22

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 104

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : जयनगर-शिवहर-सीतामढ़ी-सुरसंड

बिहार में कुल लंबाई : 160

कुल लंबाई : 160

क्र.सं. : 23

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 105

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : दरभंगा-औसी-जयनगर

बिहार में कुल लंबाई : 66

कुल लंबाई : 66

क्र.सं. : 24

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 106

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : वीरपुर-मधेपुरा-किशनगंज

बिहार में कुल लंबाई : 130

कुल लंबाई : 130

क्र.सं. : 25

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 107

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : महेशकुट-सिमरी बख्तियारपुर-सहरसा-मधेपुरा-बनमंखी-पूर्णिया

बिहार में कुल लंबाई : 145

कुल लंबाई : 145

क्र.सं. : 26

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 110

बिहार से गुजरनेवाले स्थान : अरवल-जहानाबाद-एकंगरसराय-बिहारशरीफ

बिहार में कुल लंबाई : 89

कुल लंबाई : 89

राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ देश की कुल लंबाई का 4.9 प्रतिशत है, जबकि राज्य देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। 2015 में राज्य में राज्य पथ की कुल लंबाई 4253 किलोमीटर है, जिसमें 65 प्रतिशत राज्य पथ दो लेनवाले, 20 प्रतिशत एक लेनवाले और 15 प्रतिशत मध्यवर्ती लेनवाले हैं। राज्य उच्चपथ राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय एवं बड़े नगरों-महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है। 2015 में जिला पथ की कुल लंबाई 10,634 किलोमीटर थी। जिला पथ राज्य पथ और राष्ट्रीय उच्च पथ को जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही जिलों के बीच मार्ग प्रदान करने का भी कार्य करता है।

बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ एवं जिला पथ की लंबाई को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

बिहार में सड़क की लंबाई (2015)

सड़क का प्रकार : राष्ट्रीय उच्च पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 4595

सड़क का प्रकार : राज्य पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 4253

सड़क का प्रकार : मुख्य जिला पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 10634

सड़क का प्रकार : ग्रामीण पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 50596

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

ग्रामीण पथ गाँवों के बीच एवं गाँव से प्रखंड मुख्यालय को जोड़नेवाली सड़कें होती हैं। ये पथ राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और मुख्य जिला पथ से गाँवों को जोड़ते हैं। राज्य में 2014-15 तक 50596.23 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण किया जा चुका है। राज्य में ग्रामीण पथों का निर्माण 8 प्रमुख योजनाओं के तहत किया जा रहा है, जिसमें 4 योजनाएँ वर्तमान में बंद हो चुकी हैं। इन योजनाओं का विवरण आगे की तालिका में दिया गया है

ग्रामीण पथ निर्माण की योजनाएँ

योजना का नाम : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 6706.18

योजना का नाम : आपकी सरकार आपके द्वार योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 738.06

योजना का नाम : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 4397.98

योजना का नाम : अनुसूचित जाति महादलित योजना हेतु विशेष घटक योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 760.42

योजना का नाम : नाबार्ड (RIDF) योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 2604.66

योजना का नाम : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 66.27

योजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 33540.8

योजना का नाम : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 7187.86

योजना का नाम : योग

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 50596.23

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

उपर्युक्त ग्रामीण पथ निर्माण योजनाओं में सर्वाधिक लंबाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 33540.8 किलोमीटर है, जो संपूर्ण ग्रामीण पथ का 66.3 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11 जिलों के 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँव एवं टोलों को सड़क से जोड़ना है, शेष 27 जिलों में 2013-14 ई. में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी।

वर्तमान समय में बिहार में राज्य पथों का विकास राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समझौते के तहत राज्य उच्च पथों के विकास के लिए दो अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। ये अभिकरण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और इस्कॉन इंटरनेशनल हैं। राष्ट्रीय सम विकास योजना का क्रियान्वयन 33 जिलों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तथा 5 जिलों में इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। राज्य में बिहार राज्य उच्च पथ परियोजना-2 के तहत एशियाई विकास बैंक द्वारा 9 परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें 7 पूरी हो चुकी हैं।

जिला पथों के निर्माण एवं मरम्मतकरण के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य योजना, नाबार्ड, केंद्रीय सड़क कोष, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र कोष, भारत-नेपाल सीमा पथ विकास कार्यक्रम आदि के द्वारा किया जाता है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं—

राज्य उच्च पथ संख्या : 68

परियोजना : शिवगंज-बैदराबाद

लंबाई (किलोमीटर में) : 82.25

राज्य उच्च पथ संख्या : 69

परियोजना : डुमरिया-रानी तालाब

लंबाई (किलोमीटर में) : 152.8

राज्य उच्च पथ संख्या : 70

परियोजना : गया-रजौली

लंबाई (किलोमीटर में) : 58.23

राज्य उच्च पथ संख्या : 71

परियोजना : जहानाबाद-इस्लामपुर

लंबाई (किलोमीटर में) : 85.2

राज्य उच्च पथ संख्या : 73

परियोजना : सीवान-शीतलपुर

लंबाई (किलोमीटर में) : 88

राज्य उच्च पथ संख्या : 74

परियोजना : हाजीपुर-केसरिया-अरेराज

लंबाई (किलोमीटर में) : 87.06

राज्य उच्च पथ संख्या : 75

परियोजना : दरभंगा-कमतौल-मधुवापुर

लंबाई (किलोमीटर में) : 46.75

राज्य उच्च पथ संख्या : 76

परियोजना : अररिया-सुपौल-भपटियाही

लंबाई (किलोमीटर में) : 121

राज्य उच्च पथ संख्या : 77

परियोजना : कुरसैला-रानीगंज-फारबिसगंज

लंबाई (किलोमीटर में) : 102.93

राज्य उच्च पथ संख्या :

परियोजना : योग

लंबाई (किलोमीटर में) : 824.22

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राज्य में सड़क विकास के लिए चेलाई जा रही योजनाओं में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित जिलों—अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई और जहानाबाद में 41 सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी कुल लंबाई 674.3 किलोमीटर है, जिसमें 71.8 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ, 68.1 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और 534.4 किलोमीटर मुख्य जिला पथ है।

राज्य में आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सड़क नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए पथदृष्टि 2020 तैयार किया गया है। पथदृष्टि 2020 के मुख्य उद्देश्य हैं—

पटना से सबसे दूरस्थ जिलों के बीच 5 घंटे में पहुँचने के लिए पथ संपर्क सुनिश्चित करना।

सभी राज्य उच्च पथों को दो लेनवाली सड़क में बदलना।

एक लेनवाले मुख्य जिला पथों को मध्यवर्ती लेनवाले पथों में बदलना।

सँकरे, पुराने और स्कू पाइल पुलों की जगह चौड़े आर.सी.सी. पुल का निर्माण करना।

राष्ट्रीय उच्चपथों के साथ सभी राज्य उच्च पथों का संपर्क सुनिश्चित करना।

व्यावसायिक केंद्र एवं पर्यटन केंद्र को पथ संपर्क सुनिश्चित करना।

राज्य में 2016 से 2020 के बीच निम्न पथ परियोजना एवं पुल परियोजनाओं को पूरा करने की कार्य-योजना बनाई गई है।

मुख्य पथ परियोजनाएँ—

1. नूरसराय-सिलाव पथ,
2. अनीसाबाद-औरंगाबाद-हरिहरगंज सड़क (NH 98),
3. डेहरी-नासरीगंज-विक्रमगंज-दिनारा पथ (SH 15),
4. दरभंगा-समस्तीपुर-सोभनग्राम पथ (SH 50, NH 57),
5. दिघवारा-भेलडी-अमनौर-तरैया-पानापुर-सेमारी मंदिर (SH 104)।

प्रमुख पुल परियोजनाएँ—

1. गंगा नदी पर आरा और छपरा को जोड़नेवाला चार लेन पुल।
2. गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़नेवाला रेल-सह-सड़क पुल।
3. गंडौल (सहरसा) और बिरौल (दरभंगा) के बीच पुल।
4. फल्गु नदी पर गया और मानपुर के बीच पुल।
5. गंडक नदी पर बेतिया और गोपालगंज के बीच पुल।
6. गंगा नदी पर कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच जोड़नेवाला छह लेन पुल।
7. गंगा नदी पर सुल्तानगंज (भागलपुर) और अगुवानीघाट (खगड़िया) के बीच पुल।
8. गंगा नदी पर बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच चार लेन पुल।
9. सोन नदी पर दाऊदनगर (औरंगाबाद) और नासरीगंज (रोहतास) के बीच पुल।
10. गंडक नदी पर बिशुनपुर (गोपालगंज) और चकिया-केसरिया-सतारघाट (पूर्वी चंपारण) रोड पुल।
11. कोसी नदी पर सहरसा में बलुआहा घाट पुल।

उपर्युक्त सड़क एवं पुल परियोजनाओं में 2018 ई. तक बख्तियारपुर-ताजपुर पुल, 2019 ई. तक सुल्तानगंज-अगुवानीघाट पुल और 2020 ई. तक कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का कार्य पूरा करने की योजना है।

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल—देश के सबसे लंबे सड़क-पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर होगा। इस पुल का निर्माण कार्य दक्षिण कोरिया की कंपनी डेबू एवं भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा करवाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 5000 करोड़ रुपया है, जिसमें 3000 करोड़ रुपया मनीला स्थित एशियन विकास बैंक (ADB) द्वारा तथा 2000 करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को साल भर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। 2015-16 तक 70 ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है, जबकि 25 लाख से ऊपर की योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड के माध्यम से होता है।

कच्ची दरगाह-बिदुपुरपुल—देश के सबसे लंबे सड़क-पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर होगा। इस पुल का निर्माण कार्य दक्षिण कोरिया की कंपनी डेबू एवं भारत की

बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एण्ड टूब्रो द्वारा करवाया जा रहा है।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNN) पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 11 जून, 1975 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में की गई है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य है—

पुल एवं सड़क का निर्माण।

पुलों का रखरखाव एवं मरम्मत।

टॉल संग्रहण।

इस कंपनी की कुल शेयर पूँजी 500 लाख रुपए की है। यह निगम 25 लाख रुपए से अधिक की लागत के पुलों का निर्माण करता है।

पथ परिवहन

बिहार जैसे विकासशील राज्य में पथ परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी माध्यम है। राज्य में पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1959 ई. में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम द्वारा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 2009-10 ई. से सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी. मोड) योजना प्रारंभ की गई है।

रेल परिवहन

बिहार का अधिकांश भूभाग मैदानी है। अतः रेल परिवहन के विकास के लिए अनुकूल है। अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण भी रेल बिहार में परिवहन का प्रमुख साधन है। बिहार के सभी बड़े शहर रेलमार्ग से जुड़े हुए हैं। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन का विकास हुआ है, जो इस प्रकार है—

गेज का नाम : ब्रॉड गेज

पटरियों के बीच दूरी : 1.67 मीटर

गेज का नाम : मीटर गेज

पटरियों के बीच दूरी : 1.0 मीटर

गेज का नाम : नैरो गेज

पटरियों के बीच दूरी : 0.76 एवं 0.61 मीटर

2015 में बिहार में रेल पटरी की कुल लंबाई 3598 किलोमीटर है, जबकि भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है। बिहार में कुल रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज का हिस्सा 84 प्रतिशत है, जबकि पूरे भारत में 87 प्रतिशत से कुछ कम है। बिहार में रेलमार्ग का घनत्व प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर 38 है, जबकि भारत का घनत्व 20 है। बिहार में प्रति हजार जनसंख्या पर रेलमार्ग की लंबाई 0.04 किलोमीटर है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति हजार जनसंख्या रेल घनत्व में गुजरात पहले स्थान पर है, जहाँ 0.09 प्रति हजार है। भारत में रेल घनत्व प्रति हजार जनसंख्या पर 0.05 है। नीचे की तालिका में रेलमार्ग की लंबाई एवं रेल घनत्व को प्रदर्शित किया गया है।

भारत के प्रमुख राज्यों में रेलमार्ग नेटवर्क

राज्य का नाम : बिहार

लंबाई (किलोमीटर में) : 3598

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 38

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.04

राज्य का नाम : गुजरात

लंबाई (किलोमीटर में) : 5257

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 27

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.09

राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश

लंबाई (किलोमीटर में) : 2459

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 31

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.08

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश

लंबाई (किलोमीटर में) : 4954

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 16

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.07

राज्य का नाम : राजस्थान

लंबाई (किलोमीटर में) : 5822

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 17

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.08

राज्य का नाम : पंजाब

लंबाई (किलोमीटर में) : 2155

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 43

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.08

राज्य का नाम : तमिलनाडु

लंबाई (किलोमीटर में) : 3943

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 30

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.06

राज्य का नाम : कर्नाटक

लंबाई (किलोमीटर में) : 3090

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 16

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

राज्य का नाम : छत्तीसगढ़

लंबाई (किलोमीटर में) : 1187

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 9

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

राज्य का नाम : हरियाणा

लंबाई (किलोमीटर में) : 1553

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 35

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.06

राज्य का नाम : झारखंड

लंबाई (किलोमीटर में) : 2040

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 26

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.06

राज्य का नाम : केरल

लंबाई (किलोमीटर में) : 1050

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 27

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.03

राज्य का नाम : महाराष्ट्र

लंबाई (किलोमीटर में) : 5602

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 18

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल

लंबाई (किलोमीटर में) : 4000

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 45

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.04

राज्य का नाम : भारत

लंबाई (किलोमीटर में) : 64600

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 20

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

स्रोत : अधिसंरचना सांख्यिकी, 2014 भारत सरकार

पूरे भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 16 रेलवे जोन में बाँटा गया है। बिहार में एक मात्र रेलवे जोन मध्य-पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। इस जोन का गठन 2002 ई. में किया गया था। इसके अतिरिक्त बिहार में चार रेल मंडल हैं।

बिहार में स्थित रेल मंडल निम्नलिखित हैं—

सोनपुर मंडल, मध्य-पूर्व रेलवे, हाजीपुर,

दानापुर मंडल मध्य-पूर्व रेलवे, हाजीपुर,

समस्तीपुर मंडल मध्य-पूर्व रेलवे, हाजीपुर,

कटिहार मंडल, उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे, गौहाटी।

इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे कलकता के मालदा डिवीजन के अंतर्गत बिहार का भागलपुर, जमालपुर का क्षेत्र आता है। उत्तरी-पूर्वी रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत वाराणसी रेल मंडल में बिहार का छपरा, सीवान, गोपालगंज आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

सोनपुर रेल मंडल का गठन 5 नवंबर, 1951 को पूर्व-मध्य रेलवे के अधीन हुआ था। 8 सितंबर, 1996 से यह पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर के अधीन कार्यरत है। इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन आते हैं। दानापुर रेलवे मंडल का गठन 1925 ई. में हुआ था। यह 1952 से 2002 ई. तक पूर्व रेलवे

कलकत्ता के अधीन था। 1952 ई. के पहले यह ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के नियंत्रण में था। 1 अक्टूबर, 2002 के बाद यह पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर के अधीन कार्यरत है। दानापुर मंडल के अंतर्गत पटना, बक्सर, आरा, मोकामा, जमुई, क्यूल, झांझा आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं। समस्तीपुर मंडल का गठन 1969 ई. में हुआ था। यह पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत प्रमुख रेलवे स्टेशन दरभंगा, समस्तीपुर, सगौली, बापू धाम मोतिहारी, मधुबनी, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, सहरसा आदि हैं। कटिहार डिवीजन का गठन 15 जनवरी, 1958 को हुआ था। यह उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के नियंत्रण में है। इसके अंतर्गत प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी (प. बंगाल) जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया आदि स्थित हैं।

बिहार से गुजरनेवाला कलकत्ता-मुगलसराय रेलमार्ग, जिसका निर्माण 1860-62 ई. में हुआ था, पटना होते हुए जाता है। यह बिहार की प्रथम रेल लाइन है। बिहार की रेलवे लाइन चार जोन में स्थित हैं—

1. मध्य-पूर्व रेलवे, हाजीपुर।
2. उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे, गौहाटी।
3. पूर्वोत्तर रेलवे, कलकत्ता।
4. उत्तरी-पूर्वी रेलवे, गोरखपुर।

उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे में पूर्णिया क्षेत्र, पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत भागलपुर का क्षेत्र, उत्तरी-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत छपरा क्षेत्र स्थित है, जबकि बिहार की अधिकांश रेल लाइन की लंबाई मध्य-पूर्व रेलवे, हाजीपुर के अंतर्गत आती है।

वायु परिवहन

देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में वायु परिवहन का विकास कम हुआ है, जिसका कारण आर्थिक पिछड़ापन, उद्योगीकरण एवं नगरीकरण का कम विकास होना है। यद्यपि राज्य में पटना, गया में राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा स्थापित है। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। बोधगया से श्रीलंका एवं बैंकॉक के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध है। राज्य की राजधानी पटना से काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, राँची तथा दिल्ली के लिए विमान सेवा उपलब्ध है। पटना में निर्मित हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर और बिहटा में भी हवाई अड्डा निर्मित किया गया है। बिहार में वायुमार्ग सेवा उपलब्ध करनेवाली प्रमुख सेवाएँ जेट एयरवेज, इंडिगो, इंडियन एयरलाइन्स आदि हैं। 2014-15 में बिहार से 11054 वायुयानों का आवागमन हुआ, जबकि यात्रियों की संख्या 12 लाख थी। इस अवधि में माल ढुलाई 5198 टन हुई।

2016 ई. में पटना से विभिन्न शहरों के लिए 20 जोड़ी हवाई उड़ानों की आवाजाही हुई, जिसे मार्च, 2017 से बढ़ाकर 32 किया जाएगा। इनमें इंडिगो, जेट एयरवेज, एयर एशिया और एयर इंडिया की फ्लाइटें शामिल हैं। वर्तमान में सर्वाधिक फ्लाइट इंडिगो की हैं। एयर एशिया मलेशिया की विमानन कंपनी है। बिहार में स्थित प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं—

क्र.सं. : 1

नाम : जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

स्थान : पटना

प्रकार : अंतर्राष्ट्रीय

क्र.सं. : 2

नाम : गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

स्थान : गया

प्रकार : अंतर्राष्ट्रीय

क्र.सं. : 3

नाम : भागलपुर हवाई अड्डा

स्थान : भागलपुर

प्रकार : घरेलू

क्र.सं. : 4

नाम : दरभंगा हवाई अड्डा

स्थान : दरभंगा

प्रकार : रक्षा

क्र.सं. : 5

नाम : जोगबनी हवाई अड्डा

स्थान : जोगबनी

प्रकार : घरेलू

क्र.सं. : 6

नाम : चूनापुर हवाई अड्डा

स्थान : पूर्णिया

प्रकार : रक्षा

जल परिवहन

जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता एवं प्रदूषणमुक्त परिवहन साधन है। यह भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। बिहार में जल परिवहन के लिए गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी,

सोन आदि नदियाँ उपलब्ध हैं। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, बिहार से होकर गुजरता है। इसकी स्थापना अक्टूबर, 1986 में हुई थी। लंबाई 1620 किलोमीटर है तथा इस पर एक स्थायी टर्मिनल पटना में भी स्थापित है, जबकि फ्लोटिंग टर्मिनल भागलपुर में है। गंगा नदी पर पटना के गायघाट में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन की स्थापना 27 अक्टूबर, 1986 ई. को की गई थी, जिसका मुख्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में है। यह जलमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में स्थित है।

कोसी, गंडक और सोन नदियों से निकाली गई नहरों को नौकागम्य बनाया गया है। बक्सर नहर तथा आरा नहर भी नौकागम्य हैं। बिहार में घाघरा में 100 किलोमीटर, कोसी में 200 किलोमीटर, गंडक में 240 किलोमीटर तथा सोन में 195 किलोमीटर में नौकायन का कार्य किया जाता है।

रज्जु मार्ग

बिहार में रज्जु मार्ग का निर्माण केवल राजगीर में किया गया है। यह बौद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ शांति स्तूप पर जाने के लिए इसका निर्माण किया गया है।

संचार व्यवस्था

राज्य में संचार के प्रमुख साधन दूरसंचार एवं डाक प्रणाली हैं। भारत दूरसंचार के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश बन गया है। बिहार में 2014-15 में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 661.69 लाख हो गई है। बिहार में लगभग 96 प्रतिशत टेलीफोन कनेक्शन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा संचालित हैं। बिहार में संचार के क्षेत्र में अनेक कंपनियाँ मोबाइल सेवा उपलब्ध करा रही हैं, जिसमें बी.एस.एन.एल., टेलीनॉर, रिलायंस जिओ, एयरटेल भारती, रिलायंस, वोडाफोन, टाटा इंडिकॉम, आइडिया, एयरसेल इत्यादि हैं। इन कंपनियों में दिसंबर, 2016 तक सर्वाधिक उपभोक्ता एयरटेल के 3,01,02,995 हैं। इसके बाद आइडिया के 1 करोड़ 20 लाख तथा टेलीनॉर के 1 करोड़ 1 लाख उपभोक्ता हैं। दिसंबर, 2016 तक बिहार में 8,22,56,864 उपभोक्ता मोबाइल सेवा जुड़े हैं। बिहार में प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोनो की संख्या अर्थात् दूरभाष घनत्व 2015 ई. में 51.17 है, लेकिन इस घनत्व में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असमानता है। शहरी दूरभाष घनत्व में बिहार देश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा के बाद 5वें स्थान पर है।

डाक प्रणाली

डाक संचार प्रणाली भारत की सबसे सशक्त संचार प्रणाली है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत में डाकघरों की कुल संख्या—1.55 लाख है, जिसमें 89.6 प्रतिशत (1.39 लाख) डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। 2014 ई. तक बिहार परिक्षेत्र (Circle) में 9064 डाकघर मौजूद थे, जिसमें 8591 (95 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में और 473 (5 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में स्थित था। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में डाकघरों की संख्या के मामले में बिहार पीछे है, क्योंकि देश के 6.2 प्रतिशत ग्रामीण डाकघर बिहार में हैं, जबकि 11.1 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या बिहार में रहती है। नवंबर, 2015 तक बिहार के 31 मुख्य डाकघरों और 99 उप-डाकघरों में कोर बैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है।

ऊर्जा

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऊर्जा क्षेत्र का विकसित होना अति आवश्यक है। बिहार में आर्थिक विकास में

तेजी लाने, रोजगार बढ़ाने, गरीबी दूर करने और अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र करने में ऊर्जा क्षेत्र अभी तक बाधक बना रहा है। बिहार में बिजली की उपलब्धता को उसकी माँग के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। बिहार में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 2014-15 में 203 किलोवाट घंटा है। राज्य सरकार ने 2018-19 तक सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली का कनेक्शन एवं 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक दृष्टिपत्र तैयार किया है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के सभी घटक उत्पादन, संचरण और वितरण को शामिल किया गया है। बिहार में अबाध बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक '24 × 7 फ्यूल कॉल सेंटर' की स्थापना की गई है।

बिहार में प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोनों की संख्या अर्थात् दूरभाष घनत्व 2015 ई. में 51.17 है, लेकिन इस घनत्व में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असमानता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 ई. में शुरू की गई है। इस योजना में पूर्व से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर दिया गया है।

बिहार में 2015 तक बिजली की उपलब्ध क्षमता 3704.63 मेगावाट थी। सरकार ने 2018-19 तक 6521.30 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य-योजना तैयार की है, जिसमें ऊर्जा के सभी स्रोतों के विकास पर बल दिया गया है। 2018-19 तक अतिरिक्त सृजित क्षमता में से 312 मेगावाट अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से और 6209.30 मेगावाट पारंपरिक स्रोत से उत्पन्न किया जाएगा। इस तरह 2018-19 तक बिहार में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 10226 मेगावाट होगी, जिसमें 9828 मेगावाट पारंपरिक स्रोत से और 398 मेगावाट अपारंपरिक स्रोत से उपलब्ध होगी। 2018-19 तक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित होने के बावजूद राज्य में अधिकतम माँग में जो 2015-16 में 15.02 प्रतिशत है, 2018-19 में 7.76 प्रतिशत की कमी बनी रहेगी।

विद्युत क्षेत्र में बिहार का संस्थागत ढाँचा

बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अप्रैल, 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद-5 के तहत किया गया था। विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत नवंबर, 2012 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को कोड 5 कंपनियों में बाँट दिया गया है, जो निम्न हैं—

1. बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (BSPHCL),
2. बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL),
3. बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड (BSPTCL),
4. दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (NBPDCCL),
5. उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)।

BSPHCL को अन्य चार कंपनियों के शेयरों का दायित्व सौंपा गया है तथा इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है। यह मुख्यतः एक निवेश कंपनी के रूप में कार्य करती है। यह अन्य कंपनियों की गतिविधियों का समन्वय और विवादों का निपटारा करने का कार्य करती है।

BSPGCL कंपनी विद्युत उत्पादन में लगी सहायक कंपनियों के बीच समन्वय का कार्य करती है। समन्वय एवं सुझाव की भूमिकाओं में उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा संबंधित सुविधाओं से संबंधित सारे मामले शामिल होते हैं।

BSPTCL यह कंपनी विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है और इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत-बोर्ड की संचरण-विषयक परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है।

NBPDCL और SBPDCL दोनों कंपनियाँ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, विशिष्ट पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम, राज्य योजना और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करती है।

राज्य में विद्युतीकरण कार्यक्रम

विद्युत वितरण एवं आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राज्य में केंद्र सरकार की तीन महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं—

1. समेकित विद्युत विकास योजना,
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,
3. विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)।

समेकित विद्युत विकास योजना दिसंबर, 2014 में शुरू किया गया है, जिसमें बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को सम्मिलित कर दिया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में शुरू की गई है। इस योजना में पूर्व से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है।

राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में सुधार के लिए 'सबके लिए 24 घंटे बिजली' नामक दस्तावेज जारी किया गया है। राज्य में मार्च, 2015 तक बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 3704.63 मेगावाट थी, जिसमें ताप विद्युत का हिस्सा 83.6 प्रतिशत था। नीचे की तालिका में राज्य में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न विद्युत को दर्शाया गया है।

विद्युत उत्पादन के स्रोत, मार्च, 2015

स्रोत : ताप विद्युत (कोयला आधारित)

उत्पादन (प्रतिशत में) : 83.6

उत्पादन (मेगावाट में) : 3094.1

स्रोत : जल विद्युत

उत्पादन (प्रतिशत में) : 14.12

उत्पादन (मेगावाट में) : 524.53

स्रोत : नवीकरणीय स्रोत

उत्पादन (प्रतिशत में) : 2.3

उत्पादन (मेगावाट में) : 86

स्रोत : कुल

उत्पादन (प्रतिशत में) : 100

उत्पादन (मेगावाट में) : 3704.63

बिहार में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। राज्य में केंद्र एवं राज्य दोनों की विद्युत उत्पादन इकाइयों से विद्युत उपलब्ध होती है, जिसे नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

विद्युत उत्पादन क्षमता, मार्च, 2015

स्वामित्व या निजी क्षेत्र : राज्य

ताप विद्युत (कोयला) (मेगावाट) : 220

जल विद्युत (मेगावाट) : 55

नवीकरणीय (मेगावाट) : 0

स्वामित्व या निजी क्षेत्र : निजी विद्युत उत्पादक

ताप विद्युत (कोयला) (मेगावाट) : 460

जल विद्युत (मेगावाट) : 0

नवीकरणीय (मेगावाट) : 86

स्वामित्व या निजी क्षेत्र : केंद्र

ताप विद्युत (कोयला) (मेगावाट) : 2414.1

जल विद्युत (मेगावाट) : 469.53

नवीकरणीय (मेगावाट) : 0

स्वामित्व या निजी क्षेत्र : योग

ताप विद्युत (कोयला) (मेगावाट) : 3094.1

जल विद्युत (मेगावाट) : 524.53

नवीकरणीय (मेगावाट) : 86

स्वामित्व या निजी क्षेत्र : कुल योग

ताप विद्युत (कोयला) (मेगावाट) : $3094.10 + 524.53 + 86 = 3704.63$

जल विद्युत (मेगावाट) :

नवीकरणीय (मेगावाट) :

बिहार में ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहलगाँव सुपर थर्मल पावर स्टेशन

कहलगाँव सुपर थर्मल पावर स्टेशन भागलपुर जिला में स्थित एन.टी.पी.सी. नियंत्रित ताप विद्युत उत्पादन इकाई है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 4×210 मेगावाट तथा 3×500 मेगावाट अर्थात् 2340 मेगावाट है। यहाँ कोयले की आपूर्ति इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड की राजमहल कोयला खान से होती है तथा जल की आपूर्ति का स्रोत गंगा नदी है।

नीचे की तालिका में कहलगाँव ताप विद्युत केंद्र की स्थापित इकाइयों की उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित किया गया है—

चरण : प्रथम

यूनिट : 1

स्थापित क्षमता (MW) : 210

स्थापना वर्ष : 1992

चरण : प्रथम

यूनिट : 2

स्थापित क्षमता (MW) : 210

स्थापना वर्ष : 1994

चरण : प्रथम

यूनिट : 3

स्थापित क्षमता (MW) : 210

स्थापना वर्ष : 1995

चरण : प्रथम

यूनिट : 4

स्थापित क्षमता (MW) : 210

स्थापना वर्ष : 1996

चरण : द्वितीय

यूनिट : 5

स्थापित क्षमता (MW) : 500

स्थापना वर्ष : 2007

चरण : द्वितीय

यूनिट : 6

स्थापित क्षमता (MW) : 500

स्थापना वर्ष : 2008

चरण : द्वितीय

यूनिट : 7

स्थापित क्षमता (MW) : 500

स्थापना वर्ष : 2009

बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन

यह पटना जिले के बाढ़ में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1999 ई. में शुरू हुआ तथा 2013 ई. से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। यहाँ 5×660 मेगावाट अर्थात् कुल 3,300 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित है। यह एन.टी.पी.सी. के नियंत्रणाधीन है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर का निर्माण प्रथम चरण (3×660 MW) रूसी कंपनी टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट (TPE) और दूसरे चरण 2×660 MW भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा किया गया है। इसके प्रथम चरण के कुल उत्पादन में 26 प्रतिशत (1183 मेगावाट) तथा द्वितीय चरण के कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत हिस्सा बिहार को मिलता है। द्वितीय चरण के उत्पादन में एन.टी.पी.सी. द्वारा सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल को भी हिस्सेदारी दी गई है। यह गंगा नदी द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 से हल्दिया बंदरगाह से जुड़ा हुआ है।

नीचे की तालिका में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित इकाइयों की उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित किया गया है—

चरण : प्रथम

यूनिट : 1

स्थापित क्षमता (MW) : 660

निर्माता कंपनी : टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट

चरण : प्रथम

यूनिट : 2

स्थापित क्षमता (MW) : 660

निर्माता कंपनी : टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट

चरण : प्रथम

यूनिट : 3

स्थापित क्षमता (MW) : 660

निर्माता कंपनी : टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट

चरण : द्वितीय

यूनिट : 4

स्थापित क्षमता (MW) : 660

निर्माता कंपनी : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

चरण : द्वितीय

यूनिट : 5

स्थापित क्षमता (MW) : 660

निर्माता कंपनी : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

चरण : कुल

यूनिट : 5

स्थापित क्षमता (MW) : 3300

निर्माता कंपनी :

ताप विद्युत केंद्र, बरौनी

यहाँ 7 इकाइयाँ स्थापित थीं, जिसमें 5 बंद हो चुकी हैं और 2 इकाइयों में 110-110 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ 250 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण-कार्य चल रहा है तथा इन इकाइयों के लिए कोल लिंकेज

और पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव पास हो चुका है।

कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL)

यह मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इसमें दोनों की अंशधारिता 65:35 के अनुपात में है। यहाँ 110-110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं तथा इसके विस्तार के लिए 195-195 मेगावाट की 2 नई इकाइयों का निर्माण कार्य भी जारी है।

कोसी जल विद्युत केंद्र (KHPS)

कोसी जल विद्युत केंद्र (कटैया), बीरपुर में 4.8-4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण 1970-78 के बीच में किया गया था। 2003 ई. में इस परियोजना को बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

उपर्युक्त विद्युत उत्पादन इकाइयों के अतिरिक्त वर्तमान समय में निम्नलिखित विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है—

नवीनगर ताप विद्युत परियोजना (चरण-1)

बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित इस विद्युत उत्पादन केंद्र में 660-660 मेगावाट की तीन इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इन इकाइयों के लिए कोल लिंकेज आवंटित कर दिया गया है।

बक्सर, भागलपुर और लखीसराय विद्युत परियोजना

बक्सर के चौसा में 660-660 मेगावाट की 2 ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया गया है। इसके अतिरिक्त 660 मेगावाट के दो-दो ग्रीनफील्ड ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा पीरपैंती, भागलपुर में और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कजरा, लखीसराय में विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी।

सुपर विद्युत परियोजना, बाँका

बाँका में 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बरहट और धुलियानाला कोयला ब्लॉक को आवंटित किया है। इस उत्पादन की 2000 मेगावाट बिजली बिहार को दी जाएगी।

बिहार की प्रमुख विद्युत उत्पादक इकाई (स्थापित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित)

ताप विद्युत परियोजना : कांटी ताप विद्युत परियोजना

स्थान : कांटी, मुजफ्फरपुर

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×110 , 2×195

ताप विद्युत परियोजना : बरौनी ताप विद्युत परियोजना

स्थान : बरौनी, बेगूसराय

उत्पादन क्षमता (MW) : $2 \times 110, 2 \times 150$

ताप विद्युत परियोजना : नवीनगर ताप विद्युत परियोजना

स्थान : नवीनगर, औरंगाबाद

उत्पादन क्षमता (MW) : 3×660

ताप विद्युत परियोजना : बक्सर ताप विद्युत परियोजना

स्थान : चौसा, बक्सर

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×660

ताप विद्युत परियोजना : पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना

स्थान : पीरपैंती, भागलपुर

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×660

ताप विद्युत परियोजना : कजरा ताप विद्युत परियोजना

स्थान : कजरा, लखीसराय

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×660

ताप विद्युत परियोजना : सुपर ताप विद्युत परियोजना

स्थान : बाँका

उत्पादन क्षमता (MW) : 4000

ताप विद्युत परियोजना : कहलगाँव, सुपर थर्मल पावर, स्टेशन

स्थान : भागलपुर

उत्पादन क्षमता (MW) : $4 \times 210, 3 \times 500$

ताप विद्युत परियोजना : बाढ़ सुपर थर्मल पावर

स्थान : बाढ़

उत्पादन क्षमता (MW) : $3 \times 660, 2 \times 660$

बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)

बिहार में अधिकांश विद्युत उत्पादन ताप विद्युत के रूप में होता है। कुल उत्पादन का मात्र 2.3 प्रतिशत

नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में होता है। अतः ताप विद्युत उत्पादन के अनुपात को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने ब्रेडा (BREDa) का गठन किया है, जो राज्य में बिजली उत्पादन के लिए गैर-परंपरागत स्रोतों का विकास एवं उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड

बिहार में जल संसाधन की अधिकता होने के बावजूद जल विद्युत उत्पादन का विकास बहुत कम हुआ है। कुल विद्युत उत्पादन का 2015 ई. में 14.12 प्रतिशत जल विद्युत के रूप में हुआ। अतः जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्तमान समय में राज्य में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ कार्यरत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 54.3 मेगावाट है।

बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, 2011

ऊर्जा की निरंतर बढ़ती आवश्यकता एवं पारंपरिक ऊर्जा के सीमित स्रोत को ध्यान में रखते हुए गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास अनिवार्य हो गया है। गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्धन हेतु बिहार सरकार द्वारा 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत-2003' लागू किया गया था, जो 2008 तक प्रभावी था। उसके बाद बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की असीम संभावना को देखते हुए एक नई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्धन हेतु नीति का निर्माण किया गया है। यह नीति 'बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, 2011' के नाम से लागू की गई है, जो 5 वर्षों के लिए अर्थात् 2016 तक के लिए प्रभावी है।

कार्यक्षेत्र

यह नीति बायोमास एवं बायोगैस-आधारित परियोजना-सह-परियोजनाओं, लघु, सूक्ष्म एवं पनबिजली परियोजनाओं, जिनकी उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट तक है, पवन ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना, नगरीय ठोस अपशिष्ट-आधारित परियोजना के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सभी प्रक्षेत्रों के संवर्धन हेतु लागू है। यह नीति किसी भी उद्योग, संस्था, निजी अभिकरण, फर्म कंपनी, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय या अन्य पंजीकृत संस्थाएँ जो नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाने एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयासरत है, उन पर भी लागू होगी।

भूमि

इस नीति के तहत परियोजना इकाई अपने स्तर पर निजी भूमि को सीधे भूस्वामियों से क्रय कर सकेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर सरकार पट्टे पर भूमि उपलब्ध करा सकेगी। इस नीति में कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि कार्य के लिए भी अनुमति दी गई है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिए गए आवेदन के मूल्यांकन एवं उसकी अनुशंसा के लिए बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी (BREDa) नोडल एजेंसी है। सूक्ष्म, लघु अथवा छोटी पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में नोडल एजेंसी का काम बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन (BHPC) को सौंपा गया है। परियोजना इकाई द्वारा उत्पादित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के कुल हिस्से के 25 प्रतिशत की

आपूर्ति बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड तथा वितरण को प्रस्तावित करेगा, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा वितरण बाध्य नहीं है।

जिस परियोजना इकाई द्वारा उत्पादित बिजली में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा लाइसेंसधारी को कम-से-कम 50 प्रतिशत, न्यूनतम 2 मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव देती है, उसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निकटतम ग्रिड तक उत्पादित विद्युत को ले जाने (Evacuation) के लिए मीटरिंग एवं सुरक्षा उपकरणों सहित संचरण प्रणाली परियोजना की पूँजीगत लागत के व्यय का खर्च दिया जाएगा। यह व्यय राशि बोर्ड को सरकार पुनः वापस कर देगी। उत्पादित बिजली का कम-से-कम 50 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 2 मेगावाट बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को नहीं देने पर पूरा खर्च परियोजना इकाई को वहन करना होगा।

परियोजना इकाई अपने उपयोग के बाद बची हुई उत्पादित विद्युत को अगर यह 1 मेगावाट से अधिक है, तब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ग्रिड को बेच सकती है।

□

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

21. जनसंख्या एवं अधिवास

(Population and Settlement)

जनसंख्या

जनसंख्या घनत्व एवं वितरण

जनसंख्या नीति

मानव विकास सूचकांक

ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास

जनसंख्या

संसाधन भूगोल के जनक जीमरमैन के अनुसार, मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। मानव संसाधन के विकास पर ही किसी देश अथवा राज्य का विकास निर्भर करता है। बिहार राज्य मानव संसाधन में सबसे धनी राज्य है। मानव संसाधन के साथ ही साथ बिहार मिट्टी एवं जल संसाधन में भी धनी है। अतः इन सभी संसाधनों का समुचित उपयोग कर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जा सकता है।

बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58 प्रतिशत है, अर्थात् कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। बिहार भारत का उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पटना की जनसंख्या 5838465 है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। इसकी जनसंख्या 636342 है। राज्य में सर्वाधिक घनत्व शिवहर जिले का 1880 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले का 848 है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ लिंगानुपात 1021 है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ लिंगानुपात 876 है। साक्षरता की दृष्टिकोण से सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, जहाँ साक्षरता दर 73.37 है, जबकि सबसे कम साक्षर जिले पूर्णिया की साक्षरता दर 51.08 प्रतिशत है।

जनसंख्या वृद्धि

भारत में जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ई. में हुआ था, लेकिन दसवर्षीय एवं व्यवस्थित जनगणना का प्रारंभ 1881 ई. में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। स्वतंत्रता के बाद जनगणना कार्य को संपन्न करने के लिए 1848 ई. में जनगणना अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, भारत में जनगणना संबंधी

अधिकार रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.07 प्रतिशत रही है। नीचे की तालिका में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार एवं अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है—

क्र.— 1

राज्य— उत्तर प्रदेश

जनसंख्या— 199812341

रैंक— 1

क्र.— 2

राज्य— महाराष्ट्र

जनसंख्या— 112374333

रैंक— 2

क्र.— 3

राज्य— बिहार

जनसंख्या— 104099452

रैंक— 3

क्र.— 4

राज्य— प. बंगाल

जनसंख्या— 91276115

रैंक— 4

क्र.— 5

राज्य— आंध्र प्रदेश

जनसंख्या— 84580777

रैंक— 5

क्र.— 6

राज्य— मध्य प्रदेश

जनसंख्या— 72626809

रैंक— 6

क्र.— 7

राज्य— तमिलनाडु

जनसंख्या— 72147030

रैंक— 7

क्र.— 8

राज्य— राजस्थान

जनसंख्या— 68548437

रैंक— 8

क्र.— 9

राज्य— कर्नाटक

जनसंख्या— 61095297

रैंक— 9

क्र.— 10

राज्य— गुजरात

जनसंख्या— 60439692

रैंक— 10

क्र.— 11

राज्य— ओडिशा

जनसंख्या— 41974218

रैंक— 11

क्र.— 12

राज्य— केरल

जनसंख्या— 33406061

रैंक— 12

क्र.— 13

राज्य— झारखंड

जनसंख्या— 32988134

रैंक— 13

क्र.— 14

राज्य— असम

जनसंख्या— 31205576

रैंक— 14

क्र.— 15

राज्य— पंजाब

जनसंख्या— 27743338

रैंक— 15

क्र.— 16

राज्य— छत्तीसगढ़

जनसंख्या— 25545198

रैंक— 16

क्र.— 17

राज्य— हरियाणा

जनसंख्या— 23351462

रैंक— 17

क्र.— 18

राज्य— जम्मू-कश्मीर

जनसंख्या— 12541302

रैंक— 18

क्र.— 19

राज्य— उत्तराखंड

जनसंख्या— 10086292

रैंक— 19

क्र.— 20

राज्य— हिमाचल प्रदेश

जनसंख्या— 6864602

रैंक— 20

क्र.— 21

राज्य— त्रिपुरा

जनसंख्या— 3673917

रैंक— 21

क्र.— 22

राज्य— मेघालय

जनसंख्या— 2966889

रैंक— 22

क्र.— 23

राज्य— मणिपुर

जनसंख्या— 2570390

रैंक— 23

क्र.— 24

राज्य— नागालैंड

जनसंख्या— 1978502

रैंक— 24

क्र.— 25

राज्य— गोवा

जनसंख्या— 1458545

रैंक— 25

क्र.— 26

राज्य— अरुणाचल प्रदेश

जनसंख्या— 1383727

रैंक— 26

क्र.— 27

राज्य— मिजोरम

जनसंख्या— 1097206

रैंक— 27

क्र.— 28

राज्य— सिक्किम

जनसंख्या— 610577

रैंक— 28

स्रोत : जनगणना, 2011

बिहार में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति बदलती रही है। 1901 से 1921 ई. के बीच जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई है। 1911 से 1921 ई. के दशक में महामारियों एवं अकाल के प्रभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.97 प्रतिशत) थी। 1921 एवं 1951 ई. के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई, जिसके कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित होने लगा। 1941 से 1951 ई. के बीच वृद्धि दर 10.58 प्रतिशत थी। 1951 ई. के बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि हुई है तथा 1991 से 2001 ई. के बीच वृद्धि दर सबसे तीव्र (28.62 प्रतिशत) रही है। इस वृद्धि का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से मृत्यु

दर पर नियंत्रण स्थापित हुआ है, जबकि आर्थिक पिछड़ेपन एवं शिक्षा में सुधार नहीं होने के कारण जन्म दर पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका।

2001 से 2011 ई. के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की प्रवृत्ति रही है तथा दशकीय वृद्धि दर 25.07 प्रतिशत रही है। 1901 से 2011 ई. तक के बिहार एवं भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को तुलनात्मक रूप से नीचे की तालिका में दिखाया गया है—

बिहार एवं भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की तुलना

(दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष— 1901-1911

बिहार की वृद्धि दर— 1.52

भारत की वृद्धि दर— 5.75

वर्ष— 1911-1921

बिहार की वृद्धि दर— -0.97

भारत की वृद्धि दर— -0.31

वर्ष— 1921-1931

बिहार की वृद्धि दर— 9.74

भारत की वृद्धि दर— 11

वर्ष— 1931-1941

बिहार की वृद्धि दर— 12.22

भारत की वृद्धि दर— 14.22

वर्ष— 1941-1951

बिहार की वृद्धि दर— 10.58

भारत की वृद्धि दर— 13.31

वर्ष— 1951-1961

बिहार की वृद्धि दर— 19.79

भारत की वृद्धि दर— 21.64

वर्ष— 1961-1971

बिहार की वृद्धि दर— 20.91

भारत की वृद्धि दर— 24.8

वर्ष— 1971-1981

बिहार की वृद्धि दर— 24.16

भारत की वृद्धि दर— 24.66

वर्ष— 1981-1991

बिहार की वृद्धि दर— 23.38

भारत की वृद्धि दर— 23.87

वर्ष— 1991-2001

बिहार की वृद्धि दर— 28.62

भारत की वृद्धि दर— 21.54

वर्ष— 2001-2011

बिहार की वृद्धि दर— 25.07

भारत की वृद्धि दर— 17.7

स्रोत : जनगणना, 2011

बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्ति विभिन्न दशकों में अलग-अलग रही है। राज्य के अंदर भी विभिन्न कारणों से वृद्धि दर में क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। कुछ जिलों में वृद्धि दर तीव्र रही है तो कुछ जिलों में कम रही है। 1901 से 2011 ई. के बीच उत्तर-पूर्व बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में वृद्धि दर 7.46 थी, जबकि नालंदा, पटना आदि जिलों में ऋणात्मक थी। 1911 से 1921 के दशक में जब पूरे देश में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, बिहार के कई जिलों, जैसे—अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार में 6.78 प्रतिशत की दर से जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जबकि भागलपुर एवं बाँका जिलों में वृद्धि दर -6.70 प्रतिशत हुई। मुंगेर, खगड़िया एवं लखीसराय जैसे जिलों में वृद्धि दर 4.91 प्रतिशत थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 से 1961 ई. के दशक में बिहार की औसत वृद्धि दर 19.79 प्रतिशत थी, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर सुपौल की 50.53 प्रतिशत, अररिया की 45.01 प्रतिशत थी। इन क्षेत्रों में वृद्धि दर तीव्र होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कोसी क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण एवं बँगलादेशी शरणार्थी का आकर बसना था। 1991 से 2001 के दशक में राज्य में सर्वाधिक तीव्र गति 28.62 प्रतिशत की दर से जनसंख्या वृद्धि हुई। इस दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर शिवहर में 36.61 प्रतिशत तथा पूर्णिया में 35.40 प्रतिशत हुई, जबकि सबसे कम वृद्धि दर शेखपुरा में 18.94 प्रतिशत एवं नालंदा में 18.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2001 से 2011 के दशक में बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.07 प्रतिशत है। सर्वाधिक वृद्धि

दर वाला जिला मधेपुरा है, जहाँ 30.65 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जबकि सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले गोपालगंज की वृद्धि दर 18.83 प्रतिशत है। नीचे की तालिका में राज्य के 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक एवं सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिलों को दर्शाया गया है—

2001-11 के दशकीय वृद्धि दर वाले जिले

(दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में)

जिला— मधेपुरा

सर्वाधिक वृद्धि दर— 30.65

जिला— गोपालगंज

न्यूनतम वृद्धि दर— 18.83

जिला— किशनगंज

सर्वाधिक वृद्धि दर— 30.44

जिला— दरभंगा

न्यूनतम वृद्धि दर— 19

जिला— अररिया

सर्वाधिक वृद्धि दर— 30

जिला— अरवल

न्यूनतम वृद्धि दर— 19.01

जिला— खगड़िया

सर्वाधिक वृद्धि दर— 29.46

जिला— मुंगेर

न्यूनतम वृद्धि दर— 19.45

जिला— पूर्वी चंपारण

सर्वाधिक वृद्धि दर— 28.89

जिला— रोहतास

न्यूनतम वृद्धि दर— 20.22

जनसंख्या घनत्व एवं वितरण

भारत की तरह ही बिहार में भी जनसंख्या वितरण में असमानता पाई जाती है। असमान वितरण का प्रमुख कारक स्थलाकृतिक विविधता, जलवायु, जल की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार एवं आर्थिक क्रियाएँ, जैसे—कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का विकास है। बिहार में कुछ जिलों में जनसंख्या का दबाव अधिक है तो कुछ जिलों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। पटना जिले में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.40 प्रतिशत है, जबकि जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 5.56 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में क्षेत्रफल की तुलना में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि भोजपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, सहरसा आदि जिलों में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर है। दक्षिणी बिहार के कुछ जिलों, जैसे—गया, रोहतास, कैमूर में भूमि की तुलना में जनसंख्या का दबाव कम है। कम जनसंख्या होने का मुख्य कारण इन जिलों के अधिकांश भू-भाग पर पहाड़ी, पठारी संरचना का पाया जाना है, जो मानव अधिवास के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न करती है।

जनसंख्या वितरण में असमानता के कारण जनसंख्या घनत्व में भी असमानता पाई जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करनेवाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका निर्धारण कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर होता है। बिहार में जनसंख्या घनत्व असमान होने का कारण प्राकृतिक एवं आर्थिक कारक हैं। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जो भारत के जनघनत्व 382 से काफी अधिक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में प्रथम है।

जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार को 3 भागों में बाँट सकते हैं—

सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले

इसके अंतर्गत शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, नालंदा, जहानाबाद, भागलपुर, भोजपुर, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया आदि बीस जिले सम्मिलित हैं, जिनका जन घनत्व बिहार के औसत जन घनत्व 1106 से अधिक है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसका जन घनत्व 1180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों में अधिक घनत्व होने का मूल कारण उपजाऊजलोढ़ मैदान एवं पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा उपलब्ध होना है, जो कृषि के लिए अनुकूल है।

मध्यम जन घनत्व वाले जिले

इसके अंतर्गत अरवल, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, अररिया, मुंगेर, शेखपुरा, सुपौल, किशनगंज, नवादा, गया, लखीसराय आदि बीस जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों का घनत्व 800 से 1100 के बीच है।

कम जन घनत्व वाले जिले

इसके अंतर्गत 800 से कम घनत्व वाले छह जिले सम्मिलित हैं, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बाँका, जमुई और कैमूर सम्मिलित हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले का 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

नीचे की तालिका में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अधिक एवं कम जन घनत्व वाले जिले को

दर्शाया गया है—

अधिक एवं कम जन घनत्व वाले जिले

जिला— शिवहर

अधिकतम जन घनत्व— 1880

जिला— कैमूर

न्यूनतम जन घनत्व— 488

जिला— पटना

अधिकतम जन घनत्व— 1803

जिला— जमुई

न्यूनतम जन घनत्व— 567

जिला— दरभंगा

अधिकतम जन घनत्व— 1721

जिला— बाँका

न्यूनतम जन घनत्व— 672

जिला— वैशाली

अधिकतम जन घनत्व— 1717

जिला— पश्चिमी चंपारण

न्यूनतम जन घनत्व— 750

जिला— बेगूसराय

अधिकतम जन घनत्व— 1540

जिला— औरंगाबाद

न्यूनतम जन घनत्व— 760

स्रोत : जनगणना, 2011

लिंगानुपात

किसी देश अथवा राज्य में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 1901 से 2011 तक की जनगणना में लिंगानुपात में परिवर्तन होता रहा है। 1901 में बिहार में लिंगानुपात 1061, 1911 में 1051 तथा 1921 में 1020 था। 1921 ई. तक स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी, लेकिन 1931 ई. में यह घटकर 995 हो गई। 1971 ई. के बाद स्थिति में गिरावट होने लगी तथा 2011 ई. में बिहार में लिंगानुपात 916 है, जो राष्ट्रीय औसत 940 से कम है। लिंगानुपात कम होने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या, सामाजिक-धार्मिक अंधविश्वास, अशिक्षा आदि हैं। हालाँकि वर्तमान समय में भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, बाल-विवाह पर प्रतिबंध तथा दहेज विरोधी अन्य कानून बनाए गए हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज (1015) है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर (879) है।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात में असमानता पाई जाती है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 927 तथा नगरीय क्षेत्र में 869 है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 946 जबकि नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात 900 है।

अधिक एवं कम लिंगानुपात वाले जिले

जिला—गोपालगंज

अधिक लिंगानुपात — 1015

जिला—मुंगेर

कम लिंगानुपात—876

जिला—सीवान

अधिक लिंगानुपात — 984

जिला—भागलपुर

कम लिंगानुपात—879

जिला—सारण

अधिक लिंगानुपात — 949

जिला—खगड़िया

कम लिंगानुपात—883

जिला—किशनगंज

अधिक लिंगानुपात — 946

जिला—शिवहर

कम लिंगानुपात—890

साक्षरता

भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति, जो किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना जानता हो, को साक्षर कहते हैं। 1971 की जनगणना तक सात वर्ष के स्थान पर चार वर्ष निर्धारित थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 73.39 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास (75.59 प्रतिशत) है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर पूर्णियाँ में 52.49 प्रतिशत है। राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर 61.83 प्रतिशत एवं नगरीय साक्षरता दर 78.75 प्रतिशत है। नीचे की तालिका में अधिक साक्षरता एवं कम साक्षरता वाले जिलों को दर्शाया गया है—

अधिक एवं कम साक्षरता वाले जिले

जिला : रोहतास

अधिक साक्षरता : 75.59

जिला : पूर्णिया

कम साक्षरता : 52.49

जिला : मुंगेर

अधिक साक्षरता : 73.3

जिला : सीतामढ़ी

कम साक्षरता : 53.53

जिला : भोजपुर

अधिक साक्षरता : 72.79

जिला : कटिहार

कम साक्षरता : 53.56

जिला : औरंगाबाद

अधिक साक्षरता : 72.77

जिला : मधेपुरा

कम साक्षरता : 53.78

जिला : पटना

अधिक साक्षरता : 72.47

जिला : सहरसा

कम साक्षरता : 54.57

स्रोत : जनगणना, 2011

ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, अतः अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 11.30 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जबकि 88.70 प्रतिशत गाँव में रहती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर (96.54 प्रतिशत) है, जबकि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पटना जिले में 56.52 प्रतिशत है। बाँका, सीतामढ़ी, कैमूर, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा आदि जिलों में 95 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है। पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, लखीसराय एवं गया में राज्य औसत से कम अर्थात् 88.70 से कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है।

बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण नगरीकरण में वृद्धि दर कम रही है। 2000 ई. में राज्य विभाजन के बाद नगरीकरण का स्तर और कम हुआ है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना में 43.48 प्रतिशत एवं मुंगेर में 28.30 प्रतिशत पाई जाती है।

नीचे की तालिका में अधिक नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों को प्रदर्शित किया गया है—

अधिक नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्यावाले जिले

जिला— समस्तीपुर

ग्रामीण— 96.54

जिला— पटना

नगरीय— 43.48

जिला— बाँका

ग्रामीण— 96.48

जिला— मुंगेर

नगरीय— 28.3

जिला— कैमूर

ग्रामीण— 95.98

जिला— भागलपुर

नगरीय— 19.97

जिला— शिवहर

ग्रामीण— 95.72

जिला— बेगूसराय

नगरीय— 19.19

जिला— सुपौल

ग्रामीण— 95.26

जिला— शेखपुरा

नगरीय— 17.14

स्रोत : जनगणना, 2011

राज्य में जनगणना विभाग की परिभाषा के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार 271 शहर थे। जनगणना शहरों को जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर छह वर्ग में विभाजित किया है। जनगणना शहरों को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

शहर का प्रकार— प्रथम वर्ग

जनसंख्या— 1 लाख से अधिक

संख्या— 20

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 52.62

शहर का प्रकार— द्वितीय वर्ग

जनसंख्या— 50000-99999

संख्या— 17

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 17.58

शहर का प्रकार— तृतीय वर्ग

जनसंख्या— 20000-49999

संख्या— 79

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 24.49

शहर का प्रकार—चतुर्थ वर्ग

जनसंख्या— 10000-19999

संख्या— 53

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 7.03

शहर का प्रकार—पंचम वर्ग

जनसंख्या— 5000-9999

संख्या— 29

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 1.79

शहर का प्रकार—षष्ठम वर्ग

जनसंख्या— 5000 से कम

संख्या— 5

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 0.18

शहर का प्रकार—कुल

जनसंख्या— -

संख्या— 211

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत— 100

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार

आयु संरचना

बिहार में 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का प्रतिशत 13.24 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 17.90 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 13.12 प्रतिशत से अधिक है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या में बालकों का हिस्सा 17.74 प्रतिशत एवं बालिकाओं का हिस्सा 18.07 प्रतिशत है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में 2001 में लिंगानुपात 942 था, जो 2011 में घटकर 935 हो गया है। इस वर्ग श्रेणी में सर्वाधिक लिंगानुपात 971 किशनगंज में, जबकि सबसे कम लिंगानुपात 904 वैशाली में है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले खगड़िया (21.33 प्रतिशत), किशनगंज और अररिया हैं। इस आयु वर्ग में बालकों की सर्वाधिक संख्या खगड़िया जिले में 20.63 प्रतिशत तथा सबसे कम जनसंख्या पटना जिले में 15.63 प्रतिशत है। बालिकाओं की सर्वाधिक संख्या सुपौल जिले में 23.4 प्रतिशत, जबकि सबसे कम जनसंख्या पटना जिले में 15.75

प्रतिशत है।

0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 18.55, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 14.35 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला खगड़िया है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या

बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या 14.56 प्रतिशत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला गया (29.6 प्रतिशत) है, जबकि सबसे कम जनसंख्या किशनगंज में 6.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 923 है तथा साक्षरता दर 28.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सीवान, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर है। साक्षरता की दृष्टि से मुंगेर में साक्षरता दर सर्वाधिक 42.6 प्रतिशत है, जबकि सबसे कम शिवहर में 16.9 प्रतिशत है।

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.9 प्रतिशत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कटिहार 5.9 प्रतिशत है। जमुई में 4.8 प्रतिशत, बाँका में 4.7 प्रतिशत, पूर्णिया में 4.4 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं। शिवहर, दरभंगा, खगड़िया, शेखपुरा एवं नालंदा जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात राज्य में 929 है तथा साक्षरता दर 28.2 प्रतिशत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज (1063) है तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पटना (726) है। सर्वाधिक साक्षरता दर बेगूसराय में 78.6 प्रतिशत है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर लखीसराय में 12.9 प्रतिशत है।

धार्मिक संरचना

बिहार में अनेक धार्मिक समूह पाए जाते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध प्रमुख हैं। बिहार की कुल जनसंख्या का 83.2 प्रतिशत हिंदू, 16.5 प्रतिशत मुस्लिम, 0.1 प्रतिशत ईसाई जनसंख्या पाई जाती है।

जनसंख्या संबंधी समस्या एवं समाधान

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 104099452 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.58 प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो देश में सर्वाधिक है। वार्षिक वृद्धि दर 2.57 प्रतिशत और दशकीय वृद्धि दर 25.07 प्रतिशत है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर का कारण मृत्यु दर पर स्वास्थ्य सुविधा एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण नियंत्रण स्थापित होना है, जबकि जन्म दर पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण वृद्धि दर तीव्र है। तीव्र वृद्धि दर एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे—

भोजन की समस्या,
कुपोषण की समस्या,
गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या,
पर्यावरणीय पतन की समस्या,
निम्न जीवन स्तर,
प्रति व्यक्ति निम्न आय,

निम्न उत्पादकता।

जनसंख्या नीति

भारत के साथ-साथ बिहार के लिए भी जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनेक आयोगों का गठन, कार्यक्रम एवं नीतियों को लागू किया गया है। 1948 ई. में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया है। 1978 ई. में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। 1984 ई. में स्वामिनाथन समिति का गठन किया गया। उपरोक्त नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 1999 ई. में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

2045 ई. तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आलोक में बिहार में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे—2045 ई. तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.1 के स्तर पर करना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम उपायों, जैसे—बंध्याकरण, गर्भनिरोधक साधनों की आपूर्ति एवं उनका प्रचार, आर्थिक सहायता, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को अधिक प्रभावशाली बनाना आदि पर विशेष बल दिया गया है।

जनसंख्या संबंधी प्रमुख सूचकांक

संकेतक— जनसंख्या

बिहार 2001—82,998,509

2011—10,40,99,452

भारत 2011—1,21,05,69,573

संकेतक— पुरुष

बिहार 2002—43,243,795

2011—5,42,71,857

भारत 2012—62,31,21,843

संकेतक— महिला

बिहार 2003—39,754,714

2011—4,98,21,295

भारत 2013—58,74,47,730

संकेतक— ग्रामीण

बिहार 2004— 74,316,709

2011— 9,23,41,436

भारत 2014— 83,34,63,448

संकेतक— नगरीय

बिहार 2005— 8,681,800

2011— 1,17,58,016

भारत 2015— 37,71,06,125

संकेतक— घनत्व

बिहार 2006— 881

2011— 1102

भारत 2016— 382

संकेतक— साक्षरता

बिहार 2007— 47

2011— 61.8

भारत 2017— 74.04

संकेतक— पुरुष साक्षरता

बिहार 2008— 59.68

2011— 71.2

भारत 2018— 82.14

संकेतक— महिला साक्षरता

बिहार 2009— 33.12

2011— 51.5

भारत 2019—65.46

संकेतक—लिंगानुपात

बिहार 2010—919

2011—916

भारत 2020—940

संकेतक—जनसंख्या (0-6 वर्ष)

बिहार 2011—16,806,063

2011—1,91,33,964

भारत 2021—16,44,78,150

संकेतक—लिंगानुपात (0-6 वर्ष)

बिहार 2012—942

2011—933

भारत 2022—914

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार

मानव विकास सूचकांक

मानव विकास सूचकांक किसी भी देश अथवा राज्य के स्वस्थ विकास को प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर स्थापित सम्मिश्रित सांख्यिकी है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिदिन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए 1990 ई. में की गई। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण के लिए तीन संकेतकों का प्रयोग किया गया है, जो निम्नलिखित हैं—

जीवन प्रत्याशा सूचकांक (LEI),

साक्षरता सूचकांक (EI),

प्रति व्यक्ति आय (II)।

2010 ई. में मानव विकास सूचकांक में असमानता सामंजस्य मानव विकास सूचकांक (IHDI—Inequality Adjusted Human Development Index) को भी सम्मिलित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा भी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। भारत में 2015 की (HDI) रिपोर्ट के अनुसार केरल पहले स्थान पर है, जबकि बिहार 21वें स्थान पर है। सूचकांक में अखिल भारतीय स्तर 0.6087 है। केरल का सूचकांक 0.7117 है, जबकि बिहार का सूचकांक

0.5361 है। इस प्रकार बिहार मानव विकास के दृष्टिकोण से काफी निचले स्तर पर है। मानव विकास सूचकांक का निम्न स्तर होने के प्रमुख कारण अशिक्षा, गरीबी, खराब स्वास्थ्य सुविधा, कुपोषण आदि हैं।

बिहार की जिलावार जनसंख्या संबंधी विशेषताएँ

जिला : पश्चिमी चंपारण

जनसंख्या : 3922780

पुरुष : 2057669

महिला : 1865111

ग्रामीण : 3528781

नगरीय : 393999

घनत्व : 750

लिंगानुपात : 906

साक्षरता : 58.06

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 753429

जिला : पूर्वी चंपारण

जनसंख्या : 5082868

पुरुष : 2674037

महिला : 2408831

ग्रामीण : 4683820

नगरीय : 399048

घनत्व : 1281

लिंगानुपात : 901

साक्षरता : 58.26

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 993569

जिला : शिवहर

जनसंख्या : 656916

पुरुष : 347614

महिला : 309302

ग्रामीण : 628821

नगरीय : 38095

घनत्व : 1882

लिंगानुपात : 890

साक्षरता : 56

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 124919

जिला : सीतामढ़ी

जनसंख्या : 3419622

पुरुष : 1800441

महिला : 1619181

ग्रामीण : 3228904

नगरीय : 190718

घनत्व : 1491

लिंगानुपात : 899

साक्षरता : 53.53

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 643851

जिला : मधुबनी

जनसंख्या : 4476044

पुरुष : 2324984

महिला : 2151060

ग्रामीण : 4311466

नगरीय : 164578

घनत्व : 1279

लिंगानुपात : 925

साक्षरता : 60.9

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 779360

जिला : सुपौल

जनसंख्या : 2228397

पुरुष : 1157815

महिला : 1070582

ग्रामीण : 2122869

नगरीय : 105528

घनत्व : 898

लिंगानुपात : 925

साक्षरता : 59.65

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 424411

जिला : अररिया

जनसंख्या : 2806200

पुरुष : 1460878

महिला : 1345322

ग्रामीण : 2637656

नगरीय : 168544

घनत्व : 992

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 55.1

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 564131

जिला : किशनगंज

जनसंख्या : 1690948

पुरुष : 868845

महिला : 222103

ग्रामीण : 1527249

नगरीय : 163699

घनत्व : 898

लिंगानुपात : 946

साक्षरता : 57.04

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 341943

जिला : पूर्णिया

जनसंख्या : 3273127

पुरुष : 1695829

महिला : 1577298

ग्रामीण : 2932527

नगरीय : 340600

घनत्व : 1014

लिंगानुपात : 930

साक्षरता : 52.49

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 644083

जिला : कटिहार

जनसंख्या : 3016149

पुरुष : 1601158

महिला : 1466991

ग्रामीण : 2794765

नगरीय : 273384

घनत्व : 1004

लिंगानुपात : 916

साक्षरता : 53.56

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 601745

जिला : मधेपुरा

जनसंख्या : 1994618

पुरुष : 1042373

महिला : 952245

ग्रामीण : 1906448

नगरीय : 18170

घनत्व : 1116

लिंगानुपात : 914

साक्षरता : 53.76

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 397468

जिला : सहरसा

जनसंख्या : 1897102

पुरुष : 995502

महिला : 901600

ग्रामीण : 1741927

नगरीय : 155175

घनत्व : 1125

लिंगानुपात : 906

साक्षरता : 54.57

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 377504

जिला : दरभंगा

जनसंख्या : 3921971

पुरुष : 2053043

महिला : 1868928

ग्रामीण : 3541846

नगरीय : 3180125

घनत्व : 1721

लिंगानुपात : 910

साक्षरता : 58.26

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 700942

जिला : मुजफ्फरपुर

जनसंख्या : 4778610

पुरुष : 2517500

महिला : 2261110

ग्रामीण : 4308714

नगरीय : 469896

घनत्व : 1506

लिंगानुपात : 898

साक्षरता : 65.68

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 817709

जिला : गोपालगंज

जनसंख्या : 2558037

पुरुष : 1269677

महिला : 1288360

ग्रामीण : 2396270

नगरीय : 161767

घनत्व : 1298

लिंगानुपात : 1015

साक्षरता : 67.04

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 437031

जिला : सीवान

जनसंख्या : 3318176

पुरुष : 1672121

महिला : 1646055

ग्रामीण : 3135865

नगरीय : 182311

घनत्व : 1495

लिंगानुपात : 984

साक्षरता : 71.59

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 532868

जिला : सारण

जनसंख्या : 3943098

पुरुष : 2023476

महिला : 1919622

ग्रामीण : 3591053

नगरीय : 352045

घनत्व : 1493

लिंगानुपात : 949

साक्षरता : 68.57

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 657316

जिला : वैशाली

जनसंख्या : 3495249

पुरुष : 1847058

महिला : 1648191

ग्रामीण : 3262715

नगरीय : 232534

घनत्व : 1717

लिंगानुपात : 892

साक्षरता : 68.56

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 591634

जिला : समस्तीपुर

जनसंख्या : 4254762

पुरुष : 2228432

महिला : 2026350

ग्रामीण : 4107725

नगरीय : 147057

घनत्व : 1465

लिंगानुपात : 909

साक्षरता : 63.81

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 784203

जिला : बेगूसराय

जनसंख्या : 2954367

पुरुष : 1560203

महिला : 1394164

ग्रामीण : 2387311

नगरीय : 567056

घनत्व : 1540

लिंगानुपात : 894

साक्षरता : 66.23

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 532382

जिला : खगड़िया

जनसंख्या : 1657599

पुरुष : 880065

महिला : 777534

ग्रामीण : 1570470

नगरीय : 87129

घनत्व : 1115

लिंगानुपात : 883

साक्षरता : 60.87

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 347028

जिला : भागलपुर

जनसंख्या : 3032226

पुरुष : 1614014

महिला : 1418212

ग्रामीण : 243226

नगरीय : 600100

घनत्व : 1180

लिंगानुपात : 879

साक्षरता : 64.96

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 532307

जिला : बाँका

जनसंख्या : 2029339

पुरुष : 1064307

महिला : 965032

ग्रामीण : 1957988

नगरीय : 73135

घनत्व : 672

लिंगानुपात : 907

साक्षरता : 60.12

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 362548

जिला : मुंगेर

जनसंख्या : 1359054

पुरुष : 723280

महिला : 635774

ग्रामीण : 974425

नगरीय : 384629

घनत्व : 959

लिंगानुपात : 879

साक्षरता : 73.3

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 221026

जिला : लखीसराय

जनसंख्या : 1000717

पुरुष : 526651

महिला : 474066

ग्रामीण : 8577751

नगरीय : 142966

घनत्व : 815

लिंगानुपात : 900

साक्षरता : 64.95

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 182234

जिला : शेखपुरा

जनसंख्या : 634927

पुरुष : 329593

महिला : 305334

ग्रामीण : 526132

नगरीय : 108795

घनत्व : 922

लिंगानुपात : 926

साक्षरता : 65.96

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 118228

जिला : नालंदा

जनसंख्या : 2872523

पुरुष : 1495577

महिला : 1376946

ग्रामीण : 2415034

नगरीय : 457489

घनत्व : 1220

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 66.41

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 501046

जिला : पटना

जनसंख्या : 5772804

पुरुष : 3051117

महिला : 2721687

ग्रामीण : 3262711

नगरीय : 2510093

घनत्व : 803

लिंगानुपात : 892

साक्षरता : 72.47

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 905708

जिला : भोजपुर

जनसंख्या : 2720155

पुरुष : 1431722

महिला : 1288433

ग्रामीण : 2331450

नगरीय : 388705

घनत्व : 1136

लिंगानुपात : 900

साक्षरता : 72.79

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 440847

जिला : बक्सर

जनसंख्या : 1707643

पुरुष : 888356

महिला : 819287

ग्रामीण : 1543476

नगरीय : 164167

घनत्व : 1003

लिंगानुपात : 922

साक्षरता : 71.77

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 286969

जिला : कैमूर

जनसंख्या : 1626900

पुरुष : 847784

महिला : 779116

ग्रामीण : 1561538

नगरीय : 65362

घनत्व : 488

लिंगानुपात : 919

साक्षरता : 71.01

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 291785

जिला : रोहतास

जनसंख्या : 2962593

पुरुष : 1547856

महिला : 1414737

ग्रामीण : 2535085

नगरीय : 427508

घनत्व : 763

लिंगानुपात : 914

साक्षरता : 75.59

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 493047

जिला : औरंगाबाद

जनसंख्या : 2511243

पुरुष : 1310867

महिला : 1200376

ग्रामीण : 2275761

नगरीय : 235482

घनत्व : 760

लिंगानुपात : 916

साक्षरता : 72.77

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 438065

जिला : गया

जनसंख्या : 4379383

पुरुष : 2266865

महिला : 2112518

ग्रामीण : 3803888

नगरीय : 575495

घनत्व : 880

लिंगानुपात : 936

साक्षरता : 66.35

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 762507

जिला : नवादा

जनसंख्या : 2216653

पुरुष : 1145123

महिला : 1071530

ग्रामीण : 2001120

नगरीय : 215533

घनत्व : 889

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 61.63

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 367231

जिला : जमुई

जनसंख्या : 1756078

पुरुष : 914368

महिला : 841710

ग्रामीण : 1611431

नगरीय : 144647

घनत्व : 567

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 62.16

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 313455

जिला : जहानाबाद

जनसंख्या : 1124176

पुरुष : 586202

महिला : 537974

ग्रामीण : 989816

नगरीय : 134360

घनत्व : 1206

लिंगानुपात : 918

साक्षरता : 68.27

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 193946

जिला : अरवल

जनसंख्या : 699563

पुरुष : 362945

महिला : 336618

ग्रामीण : 648094

नगरीय : 51469

घनत्व : 1099

लिंगानुपात : 927

साक्षरता : 69.54

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 123684

जिला : बिहार

जनसंख्या : 103804637

पुरुष : 54271857

महिला : 49821295

ग्रामीण : 92075028

नगरीय : 11729609

घनत्व : 1106

लिंगानुपात : 916

0-6 वर्ष की जनसंख्या :

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार

ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास

मानव बस्तियों का इतिहास प्राक्कालीन नवपाषाण युग से प्रारंभ होता है, जब कृषि कार्य के प्रारंभ होने से मानव जीवन में स्थायित्व आया। बिहार में नवपाषाणकालीन बस्तियों का प्रमाण सारण जिला के चिरांद से प्राप्त हुआ है। बिहार का अधिकांश भू-भाग गंगा घाटी के उपजाऊ मैदान में स्थित है, जिसके कारण कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। कृषि-प्रधान क्षेत्र होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता पाई जाती है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनसंख्या का 88.70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92,358.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रामीण बस्तियाँ फैली हैं। शेष भाग 1804.60 वर्ग किलोमीटर में नगरीय बस्तियाँ पाई जाती हैं।

मानव बस्ती का विकास आर्थिक क्रिया-कलाप तथा मानव के बसाव के आधार पर निर्भर करता है। इन आधारों पर दो प्रकार की बस्तियों का विकास हुआ है—

1. ग्रामीण बस्तियाँ (Rural Settlement),
2. नगरीय बस्तियाँ (Urban Settlement)।

भारत के जनगणना विभाग के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों को निम्न आधार पर विभाजित किया गया है

(i) **जनसंख्या**— 5000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है।

(ii) **कार्यकारी जनसंख्या**— कार्यकारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण बस्ती कहलाती है, जबकि 75 प्रतिशत से अधिक कार्यकारी जनसंख्या गैर-कृषि कार्य में संलग्न रहने पर नगरीय बस्ती कही जाती है। 14 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। 14 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं।

(iii) **घनत्व**— 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करनेवाली मानवीय बस्ती को नगरीय बस्ती कहते हैं, जबकि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम निवास करनेवाली मानवीय बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है।

यद्यपि बहुत सारी ऐसी ग्रामीण बस्तियाँ हैं, जिनकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक है, जबकि अनेक बस्तियों की जनसंख्या 5 हजार से कम है, फिर भी नगरीय बस्ती है, जिसका आधार कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत है। मानवीय अधिवासों के उद्गम एवं विकास पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों का पड़ता है। भौगोलिक कारकों में अनुकूल जलवायु, समतल एवं उपजाऊभूमि, चरागाह, पेयजल की सुविधा, यातायात की सुविधा आदि प्रमुख कारक हैं।

बहुत सारी ऐसी ग्रामीण बस्तियाँ हैं, जिनकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक है, जबकि अनेक बस्तियों की जनसंख्या 5 हजार से कम है, फिर भी नगरीय बस्ती है, जिसका आधार कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत है।

मानवीय कारकों में सामाजिक संगठनों, परंपराओं, मान्यताओं, रीति-रिवाजों आदि का मानवीय अधिवास के विकास, विस्तार एवं स्वरूप निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में आर्थिक क्रिया-कलापों में विविधता के कारण भी विशेषीकृत ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों का विकास हुआ है।

ग्रामीण बस्तियाँ

बिहार कृषि कार्य की प्रधानता वाला राज्य है, जिसके कारण ग्रामीण बस्ती एवं ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों में सघन और विरल दो प्रकार की बस्तियाँ विकसित हुई हैं।

सघन ग्रामीण बस्तियों के विकास को प्रभावित करनेवाले कारक

प्राकृतिक कारक

बिहार में सघन बस्तियों के विकास पर स्थलाकृतिक वितरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार की बस्तियाँ जलोढ़ मिट्टीयुक्त समतल मैदान में पाई जाती हैं। बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्रों में ऊँचे तटबंधों पर बाढ़ सुरक्षा के कारण सघन बस्ती का विकास हुआ है।

आर्थिक कारक

आर्थिक कारक में भूमि की उत्पादन क्षमता, यातायात की सुविधा, कृषि पद्धति, जमींदारी प्रथा आदि प्रमुख हैं। जिन क्षेत्रों में धान का उत्पादन अधिक होता है, वैसे क्षेत्रों में सघन बस्ती का विकास हुआ है।

सामाजिक एवं राजनैतिक कारक

सामाजिक कारक में जातिव्यवस्था, जातिगत भावना, धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक परंपरा बस्ती विकास को प्रभावित करती है।

विरल बस्तियों को प्रभावित करनेवाले प्रमुख कारक

प्राकृतिक कारक

प्राकृतिक कारक में विषम स्थलाकृतिक वितरण है, जिसके कारण बसाव स्थान के लिए उपयुक्त भूमि का अभाव होता है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है।

आर्थिक कारक

आर्थिक कारक में चकबंदी, भू-हदबंदी, कृषि का आधुनिकीकरण आदि के कारण बिखरी हुई प्रकीर्ण बस्ती का विकास हुआ है।

सामाजिक एवं राजनैतिक कारक

बिहार जैसे राज्य में रूढ़िगत सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास की प्रबलता के कारण बिखरी हुई बस्तियों का विकास हुआ है। जातिव्यवस्था की प्रबल प्रवृत्ति के कारण जातिगत टोलों के रूप में खंडित बस्तियों का विकास हुआ है।

ग्रामीण बस्तियों का वितरण प्रारूप

बिहार में स्थलाकृतिक भिन्नता, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। बस्ती के विकास, प्रकार, आंतरिक संरचना आदि के आधार पर कई प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ है।

ग्रामीण बस्तियों का प्रकार—

1. सघन बस्ती (Compact Settlement),
2. विरल (Dispersed Settlement)।

सघन बस्ती को सघनता के आधार पर निम्न भागों में बाँटते हैं—

सघन बस्ती (Compact Settlement)

सघन बस्ती का विकास वैसे स्थलों पर होता है, जहाँ गाँव में एक ही केंद्रीय बसाव स्थल होता है, जिसके चारों ओर बस्ती का विकास होता है। घर एक-दूसरे से सटे होते हैं, गलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी और संकीर्ण होती हैं। बिहार में इस प्रकार की बस्ती का विकास उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में ऊँचे टीलों अथवा कगारों पर हुआ है। कोसी, कमला, गंडक, गंगा आदि के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्ती मुख्य रूप से पाई जाती है।

अर्ध सघन बस्ती (Semi Compact Settlement)

अर्ध सघन बस्तियों में एक मुख्य बस्ती और कई टोले स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऐसे बस्ती के विकास पर सामाजिक जीवन एवं जमींदारी प्रथा का अधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार की बस्ती बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदानी भागों में पाई जाती है।

रेखीय सघन बस्ती (Elongated or Linear Compact Settlement)

रेखीय सघन बस्ती का विकास सड़क, नहर तथा नदी के कगारों पर हुआ है। नदी के कगारों एवं नहरों के किनारे इस प्रकार की बस्ती का विकास मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़वाले मैदानी क्षेत्रों में हुआ है, जबकि सड़कों के किनारे दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं।

विरल बस्तियाँ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रारूप में विकसित हुई हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की हैं—

खंडित बस्ती (Fragmented or Hamleted Settlement)

खंडित बस्ती का तात्पर्य है कि एक गाँव में कई छोटी-छोटी बस्तियाँ होती हैं, अर्थात् कई बसाव केंद्र विकसित हो जाते हैं। बिहार में जातिव्यवस्था के प्रभाव के कारण जातियों के नाम पर टोलों का विकास हुआ है। खंडित बस्ती मुख्य रूप से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में पाई जाती है।

अर्ध विरल बस्ती (Semi-Sprinkled Settlement)

अर्ध विरल बस्ती छोटे-छोटे टोलों एवं बिखरे हुए घरों के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की बस्ती में विकेंद्रीकरण की शक्ति कार्य करती है। अधिकांश घर पगडंडी अथवा संकीर्ण मार्ग पर बने होते हैं। इस प्रकार की बस्ती दक्षिणी बिहार के विषम स्थलाकृतिक क्षेत्रों में पाई जाती है।

विरल बस्ती (Dispersed Settlement)

बिखरी बस्तियों में घर अलग-अलग एवं दूर-दूर बने होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ सीमित कृषि योग्य भू-भाग वाले एवं ऊबड़-खाबड़ भू-भाग वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में इस प्रकार की बस्ती का विकास हुआ है।

रेखीय विरल बस्ती (Liner Dispersed Settlement)

रेखीय बिखरी बस्तियों का विकास विषम पटारी एवं जंगली क्षेत्रों में पगडंडियों के किनारे हुआ है।

नगरीय अधिवास

बिहार में नगरीकरण का प्रमाण उत्तर-वैदिक काल एवं महाजनपद काल से मिलना प्रारंभ होता है, जब पाटलिपुत्र, अंग, राजगृह आदि नगरों का विकास हुआ था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। बिहार में विभिन्न नदियों—गंगा, फल्गु, सरयू, सोन, गंडक आदि के किनारे पाटलिपुत्र, गया, भागलपुर, बक्सर आदि नगरों का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो चुका था। मध्यकाल में विशेषकर अफगान शासन काल में नगरीकरण को अधिक प्रभावी बनाया गया। शेरशाह ने पटना की स्थापना की। बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने पटना में अजीमाबाद नामक नया शहर स्थापित किया। ब्रिटिश काल में नियोजित नगरों का विकास किया गया, जैसे पश्चिमी पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियोजित किया गया।

शेरशाह ने पटना की स्थापना की। बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने पटना में अजीमाबाद नामक नया शहर स्थापित किया।

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मात्र 11.30 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरीकरण का स्तर कम होने का प्रमुख कारण अधिकांश भू-भाग का मैदानी होना है, जिसके कारण अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। बिहार में नगरीकरण का स्तर कम होने का अन्य कारण शिक्षा का स्तर निम्न होना, गरीबी, बेरोजगारी की स्तर उच्च होना और खनिज संसाधनों की कमी है। खनिज की कमी होने से औद्योगिकीकरण की दर काफी कम आदि है, जबकि औद्योगिकीकरण नगरीकरण को गति प्रदान करता है। 1901 ई. में बिहार में मात्र 4.70 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 11.30 प्रतिशत हो गई है। विभिन्न दशकों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

बिहार में नगरीकरण की प्रवृत्ति (1901-2011)

वर्ष— 1901

प्रतिशत में— 4.7

दशकीय वृद्धि दर—

वर्ष— 1911

प्रतिशत में— 4.72

दशकीय वृद्धि दर— 1.74

वर्ष— 1921

प्रतिशत में—4.6

दशकीय वृद्धि दर—8.17

वर्ष—1931

प्रतिशत में—4.8

दशकीय वृद्धि दर—22

वर्ष—1941

प्रतिशत में—5.4

दशकीय वृद्धि दर—33.66

वर्ष—1951

प्रतिशत में—6.8

दशकीय वृद्धि दर—38.14

वर्ष—1961

प्रतिशत में—8.4

दशकीय वृद्धि दर—49.03

वर्ष—1971

प्रतिशत में—10

दशकीय वृद्धि दर—43.44

वर्ष—1981

प्रतिशत में—12.72

दशकीय वृद्धि दर—53.63

वर्ष—1991

प्रतिशत में—13.17

दशकीय वृद्धि दर—30.69

वर्ष—2001

प्रतिशत में— 10.47

दशकीय वृद्धि दर— 22.49

वर्ष— 2011

प्रतिशत में— 11.3

दशकीय वृद्धि दर— 35.11

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार

1921 ई. तक बिहार में नगरीय वृद्धि दर मात्र 8.17 प्रतिशत प्रति दशक रही है, जो बहुत कम थी। कम होने का कारण 1911-21 के बीच आनेवाले अकाल और महामारी थी। 1921 के बाद वृद्धि दर काफी तीव्र हो गई। 1921-31 के दशक में 22 प्रतिशत थी। स्वतंत्रता के बाद 1951-61 के बीच वृद्धि दर 49.03 प्रतिशत तक पहुँच गई। सबसे तेज वृद्धि दर 1971-81 के बीच रही है, जो 53.63 प्रतिशत थी। 1981 में बिहार की नगरीय जनसंख्या का अनुपात 12.72 था जबकि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक 1991 की जनगणना में था, जो 13.17 प्रतिशत था। 1991 के बाद इस अनुपात में गिरावट आई है तथा 2011 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या 11.30 प्रतिशत है। 2001 से 2011 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर 35.11 प्रतिशत रही है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि बेगूसराय जिले में 426.89 प्रतिशत की हुई है। इस तीव्र वृद्धि का कारण इस जिले में अनेक औद्योगिक केंद्रों की स्थापना होना है। बेगूसराय के बाद पूर्वी चंपारण में 58.93 प्रतिशत, कैमूर में 56.46 प्रतिशत और नवादा में 55.68 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या में वृद्धि पिछले दशक में हुई है।

2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है तथा सबसे बड़ा नगर पटना ही है। राज्य के बड़े नगरों एवं उनकी जनसंख्या को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

जनगणना 2011 के अनुसार बड़े नगर

रैंक— 1

नगर— पटना

जनसंख्या— 2046652

रैंक— 2

नगर— गया

जनसंख्या— 470839

रैंक— 3

नगर— भागलपुर

जनसंख्या— 410210

रैंक— 4

नगर— मुजफ्फरपुर

जनसंख्या— 393724

रैंक— 5

नगर— पूर्णिया

जनसंख्या— 310817

रैंक— 6

नगर— दरभंगा

जनसंख्या— 306089

रैंक— 7

नगर— बिहारशरीफ

जनसंख्या— 296889

रैंक— 8

नगर— आरा

जनसंख्या— 261099

रैंक— 9

नगर— बेगूसराय

जनसंख्या— 251136

रैंक— 10

नगर— कटिहार

जनसंख्या— 240565

स्रोत : जनगणना, 2011

बिहार में वर्तमान में 12 नगर निगम हैं, जो इस प्रकार हैं—

क्रं. : 1

नाम : पटना

जनसंख्या (2001) : 1432209

वार्ड : 72

क्रं. : 2

नाम : मुजफ्फरपुर

जनसंख्या (2001) : 305525

वार्ड : 49

क्रं. : 3

नाम : बिहारशरीफ

जनसंख्या (2001) : 232071

वार्ड : 46

क्रं. : 4

नाम : आरा

जनसंख्या (2001) : 203380

वार्ड : 45

क्रं. : 5

नाम : गया

जनसंख्या (2001) : 389192

वार्ड : 53

क्रं. : 6

नाम : भागलपुर

जनसंख्या (2001) : 340767

वार्ड : 51

क्रं. : 7

नाम : दरभंगा

जनसंख्या (2001) : 267348

वार्ड : 48

क्रं. : 8

नाम : बेगूसराय

जनसंख्या (2001) : 93741

वार्ड : 36

क्रं. : 9

नाम : मुंगेर

जनसंख्या (2001) : 188050

वार्ड : 45

क्रं. : 10

नाम : पूर्णिया

जनसंख्या (2001) : 171687

वार्ड : 43

: क्रं. : 11

नाम : कटिहार

जनसंख्या (2001) : 190873

वार्ड : 60

: क्रं. : 12

नाम : छपरा

जनसंख्या (2001) : 212955

वार्ड : 44

उपर्युक्त 12 नगर निगम में से बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को 2009 ई. में नगर निगम का दर्जा दिया गया। छपरा को अगस्त, 2016 में नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है।



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

22. पर्यटन एवं पर्यटन स्थल

(Tourism and Tourist Places)

पर्यटन

पर्यटन नीति

पर्यटन स्थल

पर्यटन

टूरिज्म (Tourism) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Tornos से हुई है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1643 ई. में यात्रा के संदर्भ में किया गया था। पर्यटन आर्थिक क्रिया के साथ-साथ मनोरंजन की क्रिया भी है। पर्यटन एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा, धर्म आदि के साथ आनंद की अनुभूति करना है।

बिहार पर्यटन उद्योग के दृष्टिकोण से उपयुक्त राज्य है। प्राचीन काल से ही विद्वानों, सैलानियों एवं विदेशी यात्रियों को बिहार की भूमि आकर्षित करती रही है। राज्य में धर्म, अध्यात्म व संस्कृति के अनेक केंद्रों के साथ प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक तथा प्रकृति-प्रेमी आते रहते हैं। यहाँ की गौरवशाली परंपराएँ, समृद्ध संस्कृति और मेले-त्योहार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पर्यटन उद्योग से राज्य सरकार को आय की प्राप्ति होती है तथा लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। बिहार में इस उद्योग का संभावनाओं के बावजूद समुचित विकास नहीं हो सका है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के पर्यटन स्थल बहुतायत संख्या में अवस्थित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल में वैशाली, बोधगया, पटना, राजगीर, नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थल हैं। राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल में रोहतास, मुंगेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, बक्सर, सासाराम, मधुबनी, हाजीपुर और सुल्तानगंज जैसे स्थल हैं, जबकि स्थानीय स्तर के पर्यटन स्थल में राज्य में पिकनिक स्थल, प्राकृतिक झील-झरनें और धर्मस्थल आदि स्थित हैं।

बिहार में राज्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस उद्योग के विकास के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इन पर्यटन स्थलों को सरल व सहज परिवहन से जोड़ने के लिए फोर लेन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली-कलकत्ता सड़क मार्ग की व्यस्तता को देखते हुए बिहार में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजमार्ग के निकट औरंगाबाद और डोभी में पर्यटक निवासों को विकसित किया गया है।

बिहार पर्यटन के लोगो और टैगलाइन का निर्माण किया गया है। यह टैग लाइन 'ब्लिसफुल-बिहार' के नाम से जारी की गई है।

सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के लिए जानकी सर्किट, गांधी सर्किट और सूफी सर्किट का निर्माण किया गया है। सभी पर्यटन स्थलों और पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इन सब

व्यवस्थाओं से राज्य में सैलानियों की संख्या में वृद्धि भी देखी गई है। बौद्ध एवं जैन धर्म के साथ अन्य सभी धर्मों के समन्वय की भूमि बिहार रहा है। यहाँ इतिहास की दृष्टि से ऐसे कितने ही किले और स्मारक स्थल हैं, जो इतिहास-प्रेमियों के लिए उत्सुकता का माध्यम बने हैं। इन सबको सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया है।

पर्यटन नीति

बिहार ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलों की बहुलता के कारण पर्यटन के क्षेत्र में धनी राज्य है। यह स्थल घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिहार सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन नीति का निर्माण किया है। इस नीति के तहत गाइड, यात्रा आयोजन, होटल प्रबंधन, भोजन प्रबंधन आदि पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन को सुरक्षित एवं मित्रवत् बनाने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है। बिहार पर्यटन के लोगो और टैगलाइन का निर्माण किया गया है। यह टैग लाइन 'ब्लिसफुल-बिहार' के नाम से जारी की गई है। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता किया है, जिसमें केसरिया, मनेर और शेरशाह के मकबरे को प्रथम चरण में विकसित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मानचित्र तैयार किया गया है, जिसका नाम 'ए जर्नी थ्रू बिहार' रखा गया है। बिहार पर्यटन के विभिन्न स्थलों एवं सुविधाओं को जानने के उद्देश्य से www.bihartourism.gov.in नाम की वेबसाइट तैयार की गई है।

बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने 8 पर्यटक सर्किट को चिह्नित किया है, जो इस प्रकार हैं—

बुद्ध सर्किट—बोधगया (गया), राजगीर (नालंदा), नालंदा, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ (पूर्वी चंपारण), लौरिया-अरेराज (पूर्वी चंपारण), केसरिया (पूर्वी चंपारण), विक्रमशिला (भागलपुर), जहानाबाद।

सूफी सर्किट—मनेरशरीफ (पटना), खानकाह मुजीविया (पटना), मित्तन घाट (पटना), हाजीपुर करबला (वैशाली), हसनपुर (नालंदा), बीबी कमाल साहिब (जहानाबाद), बड़ी दरगाह (नालंदा), छोटी दरगाह (नालंदा)।

जैन सर्किट—वैशाली, राजगीर (नालंदा), पावापुरी (नालंदा), नाथनगर (भागलपुर), मंदार हिल (बाँका), चंपानगर (भागलपुर), कुंदलग्राम (नालंदा), समोसारण (नालंदा) एवं लछौर (जमुई)।

रामायण सर्किट—वाल्मीकि नगर (पश्चिमी चंपारण), प्रेतशिला (गया), अहल्या स्थान (दरभंगा), काको (जहानाबाद), सीताकुंड (सीतामढ़ी), सिंहेश्वर (सहरसा), रामशिला (गया), बक्सर, गिद्धेश्वर (जमुई)।

शिव-शक्ति सर्किट—शक्ति सर्किट में मुंडेश्वरी स्थान (कैमूर), चंडी स्थान (मुंगेर), उग्रतारा स्थान (महिबी, सहरसा), आर्मी (सारण), श्राव (गोपालगंज), ताराचंडी स्थान (रोहतास), बखोरापुर (भोजपुर), श्यामाकली (दरभंगा), भगवती स्थान (नयानगर, मधेपुरा), बड़ी पटनदेवी (पटना), छोटी पटनदेवी (पटना), मत्स्यगंधा रक्तकाली टेंपल (सहरसा), उच्चैठ (मधुबनी) शामिल हैं। शिव सर्किट में गुप्त धाम (कैमूर), बैजू धाम (गया), कोटेश्वर धाम (गया), सिंहेश्वर धाम (मधेपुरा), कुशेश्वर स्थान (दरभंगा), सिंहेश्वर स्थान (जहानाबाद), अजगैबीनाथ (सुल्तानगंज, भागलपुर), अशोक धाम (लखीसराय), गरीबनाथ (मुजफ्फरपुर), महेंद्रनाथ (सारण), ब्रह्मेश्वरनाथ (बक्सर) शामिल हैं।

सिख सर्किट—पटना साहिब (पटना सिटी, पटना), बाललीला साहब (पटना), गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा (गाय घाट, पटना), गुरु नानक कुंड (राजगीर नालंदा), आरा, कटिहार, गया, सासाराम, भागलपुर, गुरु का बाग (पटना सिटी, पटना), गुरुद्वारा पक्की संगत (मुंगेर), गुरुद्वारा हिंदी साहेब (दानापुर पटना)।

गांधी सर्किट—मोतिहारी (पूर्वी चंपारण), बेतिया (पश्चिमी चंपारण), भित्तिहरवा आश्रम (पश्चिमी चंपारण),

वृंदावन (पश्चिमी चंपारण), सदाकत आश्रम (पटना), गांधी संग्रहालय (पटना)।

प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट—राज्य के प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों को सम्मिलित किया गया है।

पर्यटन में संभावनाओं का क्षेत्र

बिहार में स्थित संरक्षित स्मारकों की सूची लंबी है। विश्व विरासत स्थल और अनेक स्थलों, जैसे—नालंदा के भग्नावशेष एवं विक्रमशिला विश्व विरासत स्थलों की क्षमता रखते हैं। ऐतिहासिक इमारतों को विशेष विरासत जोन के रूप में विकसित किया जा सकता है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी राज्य सरकारों के समन्वय से संग्रहालयों का उन्नयन और विकास किया जा रहा है, नव उद्घाटित बिहार संग्रहालय इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्य से शिल्पग्राम (क्राफ्ट विलेज) और हस्तशिल्प बाजार पर्यटक स्थलों के नजदीक प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए बिहार की कला तथा शिल्प ग्रामीण पर्यटन को विकसित किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप टेहटा (जहानाबाद), नेपुरा (नालंदा), रंती एवं जितवपुर (मधुबनी), पत्थरकट्टी (गया), नाथनगर (भागलपुर) इत्यादि कार्यरत गाँव को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। योगा और राजगीर तथा मुंगेर के सल्फरयुक्त जल गरम जल के झरनों को एक्वाथैरेपी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह बिहार का अधिकतम पर्यटन संभावना का क्षेत्र है। यह बिहार के सबसे अनोखे पर्यटनस्वरूप के रूप में विकसित हो सकता है।

पारिस्थितिक और वन्य जीव पर्यटन

संभावना योग्य पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य को एकीकृत कर पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चिह्नित पर्यटन स्थलों—राजगीर (नालंदा), भीमबाँध अभयारण्य (मुंगेर), कैमूर अभयारण्य (कैमूर), गौतमबुद्ध अभयारण्य (गया), नकटीधाम (जमुई), गोगाविल अभयारण्य (भागलपुर), काँवर झील (बेगूसराय), घोड़ाकटोरा झील (नालंदा), काकोलत झरना (नवादा), तेलहार झरना (रोहतास), गैंगेटिक डाल्फिन अभयारण्य (भागलपुर) एवं वाल्मीकि नेशनल पार्क (पश्चिमी चंपारण) को पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है। बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि के किनारे ऐतिहासिक स्थलों को जलमार्ग के सहारे विकसित करने के लिए संपूर्ण गंगा नदी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में तैयार किया जा सकता है। गंगा नदी में डाल्फिन को देखना पर्यटकों को आकर्षित करता है। विभिन्न प्रकार की जलीय क्रीड़ाओं, जैसे—रीवर राफ्टिंग, पारासेलिंग इत्यादि की भी पर्यटन का आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

बिहार में काफी संख्या में मेलों और महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, जैसे—सोनपुर मेला, छठ पर्व, सौराठ सभा, राजगीर महोत्सव और बौद्ध महोत्सव। ये मेले और महोत्सव समुचित सुविधा के विकास के उपरांत घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। बिहार के पर्यटन स्थलों पर फिल्म शूटिंग को सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

वर्तमान में चिह्नित पर्यटन केंद्र एवं सर्किट विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना एवं सेवा संबंधित निवेश के लिए अछूते पड़े हैं। इन चिह्नित सर्किट के अतिरिक्त राज्य में बहुत से भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से भविष्य में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निवेश के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे—परिवहन क्षेत्र में पर्यटन स्थल पर टैक्सी परिचालन, लगजरी कार एवं कोच बस का परिचालन, टूरिस्ट सर्किट पर

एयर टैक्सी एवं हेलीकॉप्टर सेवा, विशेष पर्यटन ट्रेन, नौका आदि। आवासन क्षेत्र में होटल, मोटल, रिसोर्ट गेस्ट हाउस आदि क्षेत्र हैं।

इस तरह बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं। जरूरत केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ विकसित करने की है। ग्रामीण टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत पर्यटन के दृष्टिकोण से देश में 10 प्रमुख राज्यों में 7वें स्थान पर है। अतः जरूरत है कि पर्यटन केंद्रों को अधिक आकर्षक, सुगम्य, सुरक्षित बनाया जाए।

राजगीर तथा मुंगेर के सल्फरयुक्त जल गरम जल के झरनों को एक्वाथेरैपी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वर्ष 2015 ई. में राज्य में 28.95 लाख पर्यटक आए, जिसमें 923 हजार पर्यटक विदेशी थे। वर्ष 2011 से 2015 ई. के बीच बिहार में आनेवाले पर्यटकों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नीचे की तालिका में बिहार के आनेवाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है—

बिहार आनेवाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015

(हजार में)

वर्ष : 2011

घरेलू : 18396

विदेशी : 972

कुल : 19368

वर्ष : 2012

घरेलू : 21446

विदेशी : 1097

कुल : 22543

वर्ष : 2013

घरेलू : 21588

विदेशी : 765

कुल : 22353

वर्ष : 2014

घरेलू : 22544

विदेशी : 829

कुल : 23373

वर्ष : 2015

घरेलू : 28029

विदेशी : 923

कुल : 28952

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

सरकार का प्रयास

प्राचीन महत्त्व के स्थल नालंदा महाविहार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कई संग्रहालयों का निर्माण राज्य की पुरातात्विक महत्त्व की चीजों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। मुंगेर संग्रहालय में आम व्यक्तियों के लिए चार दर्शकदीर्घा को खोला गया है। भागलपुर में एक नए संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पटना के संग्रहालय में तीन नई दीर्घा को दर्शकों के लिए खोला गया है। राज्य सरकार ने संग्रहालय पार्क की अवधारणा के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय पटना में तथा बोधगया स्थित पुरातात्विक स्थल ताराडीह में पार्क बनाने की योजना बनाई है। इसी तरह नालंदा के राजगीर में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म सिटी की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है तथा वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप-सह-सम्यक् दर्शन संग्रहालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 152.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में लगभग 15 स्थलों को पुरातात्विक महत्त्व के स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें निम्न स्थल शामिल हैं—

स्थल : जमालुद्दीन चक

जिले का नाम : पटना

स्थल : अल्धाना

जिले का नाम : नालंदा

स्थल : एकसारा

जिले का नाम : नालंदा

स्थल : पस्तान नवटोली

जिले का नाम : मधुबनी

स्थल : लोरिकडीह

जिले का नाम : दरभंगा

स्थल : राज परिसर

जिले का नाम : दरभंगा

स्थल : राजनगर

जिले का नाम : मधुबनी

स्थल : भौरंगगढ़ही

जिले का नाम : मधुबनी

स्थल : कालीमंदिर

जिले का नाम : गया

स्थल : उमगा

जिले का नाम : औरंगाबाद

स्थल : चक

जिले का नाम : दरभंगा

स्थल : महेशीया

जिले का नाम : सीतामढ़ी

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल

नालंदा

विश्व के प्राचीन ज्ञान केंद्रों में से नालंदा राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्रख्यात और दर्शनीय विहार रहा है। वर्तमान में चीन के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सड़क, रेल और वायुमार्ग से जुड़े इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को देखने देश-विदेश से लाखों यात्री बिहार आते हैं।

बड़ी दरगाह, नालंदा

नालंदा जिले में स्थित पीर पहाड़ी पर हजरत मलिक और शेख मखदूमशाह शरफुद्दीन की बड़ी दरगाह है। इसी के साथ हजरत बदरुद्दीन की छोटी दरगाह और जामा मस्जिद भी देश-विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

बिहारशरीफ

बिहारशरीफ वर्तमान समय में नालंदा जिले का मुख्यालय है। यहाँ मखदूम साहेब का दरगाह स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष उर्स (मेला) लगता है। बिहारशरीफ में मलिक इब्राहीम बयाँ का मकबरा भी स्थित है।

राजगीर (राजगृह)

राजगीर नालंदा जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। यह पाँच पहाड़ियों के बीच स्थित है। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश की राजधानी के रूप में बिंबिसार एवं अजातशत्रु ने इसे स्थापित किया था। राजगृह से ही भारत के सबसे प्राचीन स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। राजगृह की रत्नगिरि पहाड़ी पर ही जापान सरकार द्वारा विश्व का सबसे ऊँचा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है। शांति स्तूप पर पहुँचने के लिए रज्जु मार्ग का निर्माण किया गया है। राजगृह में जीविका भ्रमण, सोन भंडार, आम्रवन, वेनुवन, मनिआर मठ, मखदूम साहेब का हुजरा एवं गरम जल के अनेक कुंड स्थित हैं। वेनुवन को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को उपहार में दिया था। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

मखदूम कुंड, राजगीर

राजगीर में मखदूम कुंड मुसलमानों का अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ संत मखदूम शाह शेख शर्फुद्दीन का निवास स्थान है। यहाँ गरम जल का कुंड है, जो प्राकृतिक झरने से बना है। यहाँ के मखदूम कुंड में स्नान करने और खुदा की इबादत करने देश-विदेश से मुसलमान आते हैं।

विश्वशांति स्तूप, राजगीर

सन् 1969 ई. में भारत और जापान के सहयोग से बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार के लिए राजगीर में रत्नगिरि पर्वत शिखर पर भव्य एवं विशाल विश्वशांति स्तूप का निर्माण कराया गया है। इस स्तूप के वार्षिकोत्सव पर देश-विदेश से बौद्ध श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं।

कुंडग्राम वैशाली

भगवान महावीर का यह जन्मस्थान जैन धर्मावलंबियों के पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। यह पवित्र स्थान पटना से उत्तर लगभग 54 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में स्थित है।

पावापुरी, नालंदा

भगवान महावीर ने इसी स्थान पर 468 ई. पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर के निर्वाण स्थल पर एक तालाब का निर्माण किया गया है, जो कमल के आकार का है, जिसके बीच में जैन स्मारक बना हुआ है। यह जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम अपपुरी था। यह स्थान पटना से लगभग 92 किमी. नालंदा जिले में स्थित है।

गया

धार्मिक पर्यटन स्थलों में गया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश के हिंदू तीर्थयात्री अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं। लूफल्गु नदी के किनारे बसे इस प्रख्यात

धर्म-पर्यटन केंद्र में विष्णुपद मंदिर हिंदुओं का पूज्य तीर्थ है। इस मंदिर का नव-निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर के द्वारा कराया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीविष्णु के पाँव के निशान यहाँ पर हैं। यह मंदिर 30 मीटर ऊँचा है, जिसमें 8 खंभे हैं। इन खंभों पर चाँदी की परतें चढ़ाई गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पाँव के निशान हैं। गया के आस-पास और भी कई पर्यटन स्थल हैं। ब्रह्मयोनि पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी पर चढ़कर शहर का सुंदर दृश्य देखने हजारों यात्री आते हैं। मंगलागौरी मंदिर भी हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंदिर है। गया रेल, सड़क और वायुमार्ग से जुड़ा हुआ है।

चोवार का शिवमंदिर, गया

गया से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व टनकुप्पा प्रखंड में चोवार नामक स्थान पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस गाँव में खुदाई से प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियाँ एवं चाँदी के सिक्के मिले हैं।

ब्रह्मयोनि पहाड़ी

गया जिले में स्थित ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, जिस पर पहुँचने के लिए 440 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दंतकथाओं के अनुसार पहले फल्गु नदी इसी पर बहती थी, लेकिन देवी सीता के श्राप के प्रभाव से अब यह नदी पहाड़ी के नीचे से बहती है। इसी पहाड़ी पर माँ गौरी का एक मंदिर भी स्थित है।

यहाँ विश्व में प्रसिद्ध भारत का सबसे ऊँचा विश्वशांति स्तूप (125 मीटर) पर्यटन का प्रमुख केंद्र है।

बोधगया

बोधगया में भगवान बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया से 12 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी (निरंजना) के तट पर बसा बोधगया विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ दर्शनीय तिब्बती मठ है, जहाँ बौद्ध चक्र निरंतर चलता रहता है। यहीं पर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, चीन और बर्मा द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर हैं, जो मिश्रित वास्तुकला का दर्शन कराते हैं। बोधगया में ही महाबोधि मंदिर के बगल में चबूतरे के आकार का वज्रासन स्थित है, जिस पर बैठकर भगवान बुद्ध ने अंतरसाधना की थी। बिहार में यहाँ सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं।

महाबोधि मंदिर, बोधगया

यह प्रसिद्ध मंदिर गया शहर से 14 किलोमीटर दूर बोधगया में स्थित है। इस स्थान पर तीसरी सदी पूर्व सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में कुषाण शासक हुविष्क ने भव्य एवं विशाल मंदिर का रूप दिया। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है।

बोधिवृक्ष, बोधगया

महाबोधि मंदिर के परिसर में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जो मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित है। कहा जाता है बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधिवृक्ष है वह उस बोधिवृक्ष की पाँचवीं पीढ़ी है। मौर्य शासक अशोक की रानी तिष्यरक्षिता एवं शैव उपासक गौड़ का शासक शशांक द्वारा महाबोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था, जो आज भी पर्ण-पल्लवित है।

सूर्य मंदिर, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर के समीप 500 वर्ष पुराना यह मंदिर वास्तुशैली के लिए प्रसिद्ध है। 100 फीट ऊँचा यह मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की अपेक्षा पश्चिमोन्मुखी है। इस मंदिर का निर्माण उमगा के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने कराया था। छठ पर्व पर श्रद्धालु भगवान को अर्घ्य देने दूर-दूर से आते हैं।

वैशाली

प्राचीन काल से राजनीति का केंद्र रहा वैशाली का इतिहास वैभवपूर्ण रहा है। वैशाली का कुंडग्राम भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यही वैशाली ढाई हजार वर्ष पूर्व विश्व के प्रथम गणतंत्र की नगरी बनी थी। लिच्छवी शासकों ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की थी। महान् सम्राट् अशोक ने यहाँ सिंह-स्तंभ की स्थापना की थी। यहाँ विश्व में प्रसिद्ध भारत का सबसे ऊँचा विश्व शांति स्तूप (125 मीटर) पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। प्राचीन तालाबों, बावन पोखर मंदिर, बौद्ध स्तूप, हरि कटोरा मंदिर, अशोक की लाट और भगवान बुद्ध के अनेक प्रवचन स्थलों से वैशाली का पर्यटन महत्त्व बढ़ जाता है।

चौमुखी महादेव मंदिर, वैशाली

पटना से 54 किलोमीटर दूर यह मंदिर वैशाली जिले में स्थित है। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के चारों ओर दरवाजे हैं, इसलिए इसे चौमुखी महादेव मंदिर कहा जाता है।

हरिहर क्षेत्र मंदिर, सोनपुर, सारण

गंडक नदी तट पर स्थित पटना शहर से उत्तर में लगभग 36 किलोमीटर दूर यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीड़ित गज की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ग्राह का सिर चक्र से काट दिया था। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक माह का प्रसिद्ध सोनपुर का मेला इसी क्षेत्र में लगता है।

नेपाली मंदिर, हाजीपुर

गंगा और गंडक नदियों के पवित्र संगम स्थल पर स्थित यह मंदिर कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना है। इसके काष्ठ स्तंभों की छटा देखते ही बनती है, जिनमें अनेक देवताओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं।

चेचर

श्वेतपुर, कोटिग्राम, कुशपल्लव, विशालानगरी आदि नाम भी चेचर का रहा है। यह हाजीपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज 1978 ई. में डॉ. योगेंद्र मिश्र ने की थी।

पटना

पटना, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, मध्यकाल में अजीमाबाद आदि नामों से प्रसिद्ध रहा है, वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र की स्थापना पाटली नामक ग्राम में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में पाटलिपुत्र को पोलिबोथ्रा कहा है। मध्यकाल के अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया। पटना साहिब में दसवें एवं अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ई. में हुआ था, जहाँ वर्तमान में श्रीहर मंदिर साहिब गुरुद्वारा स्थापित है। पटना के अन्य ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष

कुम्हार में स्थित हैं। कुम्हार से मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं। इस राजप्रासाद का निर्माण उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र से मँगाए गए लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसमें लकड़ी के 80 खंभे बने हुए थे। कुम्हार से 3 किलोमीटर पश्चिम में मौर्यकाल में निर्मित अगमकुआँ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने शासक बनने से पूर्व अपने 99 भाइयों की हत्या कर उन्हें कुएँ में डाल दिया था। इसी स्थान पर शीतला देवी का मंदिर है। पटना स्थित धवलपुरा में शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद, शैफ खान द्वारा निर्मित मस्जिद और मदरसे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पटना सिटी में पादरी की हवेली स्थित है। यह रोमन कैथोलिक कला का प्रमाण है, जिसका निर्माण 1751 ई. में कपुचिन फादर्स द्वारा करवाया गया था।

अशोक राजपथ पर खुदाबख्श लाइब्रेरी स्थित है। यह राजपूत और मुगलकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। पुस्तकालय में मुख्य भवन के अतिरिक्त एक कर्जन वाचनालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1891 ई. में खुदाबख्श द्वारा की गई थी। अशोक राजपथ पर ही पत्थर की मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण 1621 ई. में जहाँगीर के पुत्र परवेज शाह द्वारा करवाया गया था। यहाँ अरबी, फारसी, उर्दू एवं अन्य भाषाओं से संबंधित पांडुलिपि, पुस्तकें, मध्यकालीन चित्रकला एवं कुरानशरीफ की प्रति सुरक्षित हैं। पटना में ही सचिवालय परिसर में शहीद स्मारक स्थित है, जिसमें 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में शहीद हुए 7 क्रांतिकारियों का स्मारक बना हुआ है। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ई. में की गई। यह मुगल एवं राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसमें प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति एवं अनेक पालकालीन अष्टधातु की मूर्तियाँ संगृहीत हैं।

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास गोलघर स्थित है, जिसका निर्माण अन्न भंडार के रूप में वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1786 ई. में कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा करवाया गया था। यह गोलघर 125 मीटर की परिधि में 29 मीटर ऊँचा बना हुआ है। पटना में स्थित अन्य दर्शनीय स्थलों में गांधी मैदान में निर्मित महात्मा गांधी की 40 फीट की कांस्य की प्रतिमा, संजय गांधी उद्यान, पीर अली पार्क, पटनदेवी मंदिर, कच्ची दरगाह, काली मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, इको पार्क, तारामंडल, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र, छज्जुबाग कोठी, कारगिल चौक, कमलदह आदि प्रमुख हैं।

अशोक राजपथ पर गंगा के तट पर स्थित पटना कॉलेज की स्थापना 1853 ई. में की गई थी। इस भवन का निर्माण डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में किया गया था। यह बिहार का प्राचीनतम और भारत का 5वाँ सबसे पुराना कॉलेज है।

पटना जिले में पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनेर फिरदौसी सूफी सिलसिला से संबंधित स्थल है। यहाँ सूफी संत पीर हजरत शर्फुद्दीन शाह मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह स्थित है। इनका मकबरा बड़ी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मकबरे के निकट ही शाह दौलत का भी मकबरा निर्मित है, जो छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। शाह दौलत याहिया मनेरी के शिष्य थे।

पटना में रामभक्त हनुमान के दो प्राचीन मंदिर हैं। पटना जंक्शन से सटे एक प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण दशक पूर्व हुआ है। यहाँ हजारों हनुमान भक्त प्रतिदिन पूजा-अर्चना करने आते हैं। दूसरा मंदिर पटना साहिब रेलवे स्टेशन के नजदीक बेगमपुर के 'जला' क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है, जिसे 'जल्ले का महावीर मंदिर' के नाम से प्रसिद्धि मिली। शीतला माता मंदिर, गुलजारबाग स्टेशन के पास प्राचीन कुआँ के पीछे स्थित है। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीतला माँ की पूजा-अर्चना करने आते हैं।

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास गोलघर स्थित है, जिसका निर्माण अन्न भंडार के रूप में वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1786 ई. में कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा करवाया गया था।

चैतन्य महाप्रभु मंदिर पटना सिटी में गायघाट क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पर

भक्त पूजा करने के साथ-साथ दुर्लभ साहित्यिक ग्रंथ, कृतियाँ, पांडुलिपियाँ एवं असंख्य ऐतिहासिक महत्त्व के चित्रों से परिचित होते हैं। पटना सिटी में अशोक राजपथ से सटा मच्छरहट्टा गली में माँ दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।

कालीस्थान मंदिर माता काली को समर्पित है, जो चौक क्षेत्र के मंगल तालाब के निकट पटना में स्थित है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है।

बड़ी पटनदेवी मंदिर, पटना

51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर पटना सिटी में महाराजगंज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर साल भर श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते रहते हैं।

छोटी पटनदेवी मंदिर, पटना

माता भगवती दुर्गा को समर्पित यह मंदिर पटना सिटी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पूजा-अर्चना करते हैं।

शिव मंदिर, बैकुंठपुर

भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर बैकुंठपुर (पटना) में गंगा तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है।

बिड़ला मंदिर, पटना

भारत के प्रतिष्ठित राजबलदेव दास जी बिड़ला द्वारा निर्माण किया हुआ यह मंदिर पटना के गांधी मैदान से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर सब्जीबाग क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण 1942 ई. में किया गया।

पत्थर की मस्जिद, पटना

पटना के सुल्तानगंज क्षेत्र में इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट् जहाँगीर के पुत्र शहजादा परवेज ने कराया था। इसे 'संगी मस्जिद' भी कहा जाता है। मुगल वास्तुकला का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। पटना में ही हाजीगंज क्षेत्र में शेरशाह सूरी के शासन काल में बनी एक मस्जिद है, जिसमें हजरत मुहम्मद शहंशाह सूफी की कब्र है।

उमानाथ का मंदिर

पटना जिले के बाढ़ में स्थित भगवान शिव का आठ सौ साल पुराना एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो उमानाथ के नाम से प्रसिद्ध है।

खानकाह, फुलवारीशरीफ

13वीं शताब्दी में हजरत मखदूमशाह द्वारा स्थापित यह स्थान इस्लाम धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ पैगंबर मुहम्मद की याद में उर्स शरीफ रबीउल-अव्वल के महीने में मनाया जाता है, जिसका आयोजन तीन दिनों तक होता है। देश-विदेश से इस्लाम धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं और पैगंबर मुहम्मद के पवित्र बाल का दर्शन करते हैं।

इमामबाड़ा, पटना सिटी

बुलंदीबाग के निकट निर्मित इमामबाड़ा मुस्लिम धर्मानुयायियों का पवित्र स्थल है। इसके अलावा गुनसर झील के पास शाह अरजानी का भव्य मकबरा भी है।

तख्त श्री हरमंदिर साहिब, पटना

तख्त श्री हरमंदिर साहिब, पटना शहर में स्थित सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। यह सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर, 1666 को हुआ था। यहाँ गुरु गोविंद सिंहजी से संबंधित बचपन का पगुरा, लोहे के चार तीर, तलवार, पादुका एवं अनेक वस्तुएँ सुरक्षित रखी गई हैं। यह स्थान सिख धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष पटना साहिब में प्रकाश पर्व मनाया जाता है।

गुरुद्वारा गायघाट, पटना

यह स्थान पटना जंक्शन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गायघाट के आलमगंज मुहल्ले में स्थित यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है। इस स्थान पर सन् 1509 ई. में गुरु नानकजी ठहरे थे। सन् 1666 ई. में सिखों के गुरु तेगबहादुर भी परिवार सहित यहाँ ठहरे थे।

गुरुद्वारा हाँद्री साहिब, दानापुर

दानापुर में स्थित यह गुरुद्वारा भव्यता और धार्मिकता का अद्भुत संगम है। गुरु गोविंद सिंह पटना से पंजाब जाने के दौरान यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे थे।

गुरु का बाग, पटना

यह पटना के हरमंदिर साहिब से 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में पटना-फतुहा मार्ग पर स्थित है। यहाँ गुरु तेगबहादुर बंगाल से लौटते समय अपने पुत्र गोविंद सिंह से मिले थे।

गुरुद्वारा गोविंद घाट, पटना सिटी

इस स्थान का संबंध गुरु गोविंद सिंहजी से रहा है। यह हरमंदिर साहिब से लगभग 200 मीटर हटकर गंगा नदी के किनारे स्थित है।

कमलदह, पटना

यहाँ जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के निकट कमलदह नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ जैन धर्मावलंबियों की भीड़ देखते ही बनती है।

सेंट जोसेफ चर्च, बाँकीपुर

यह चर्च अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बाँकीपुर, पटना में स्थित है। क्रिसमस के अवसर पर यहाँ इसाई धर्मावलंबियों की भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है।

भागलपुर

बिहार की सिल्क नगरी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में ही स्थित था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। प्राचीन अंग महाजनपद की

राजधानी भागलपुर में ही थी। यहाँ गंगा नदी के किनारे सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ का मंदिर स्थित है।

मंदारगिरि, भागलपुर

माता भगवती दुर्गा की प्रतिमा ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जो मंदारगिरि, भागलपुर में स्थित है। यह मंदिर लगभग 800 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। इस पर्वत का पौराणिक महत्त्व है तथा ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय मंदारगिरि पर्वत का इस्तेमाल किया गया था।

अजगैबीनाथ का मंदिर

भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर स्थित है। सावन माह में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा-अर्चना करने आते हैं।

चंपा

प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी चंपा बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में शामिल थी। इसका निर्माण महागोविंद ने करवाया था। इस नगर का नाम चंपा पृथुलाक्ष के पुत्र चंप के नाम पर पड़ा है। महाजातक कथाओं के अनुसार महात्मा बुद्ध कई बार चंपा आए थे। चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग ने भी चंपा की यात्रा की थी।

मुंगेर

गंगा नदी के तट पर स्थित मुंगेर प्राचीन समय में अंग महाजनपद का केंद्र था। आधुनिक युग के प्रारंभ में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने राजधानी के रूप में इसे विकसित किया था।

बिहार योगा भारती, गंगा दर्शन विश्व योगपीठ परिसर मुंगेर में स्थित है। यह स्थान पहले कर्ण चौरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ गुरुकुल प्रणाली पर आधारित योग की शिक्षा प्रदान की जाती है।

बिहार योगा भारती, गंगा दर्शन विश्व योगपीठ परिसर मुंगेर में स्थित है। यह स्थान पहले कर्ण चौरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ गुरुकुल प्रणाली पर आधारित योग की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह की योग संस्था की स्थापना सर्वप्रथम स्वामी शिवानंद सरस्वती ने ऋषिकेश योगा वेदांता फॉरेस्ट अकादमी के नाम से की थी। इन्हीं से प्रेरित होकर 1963 ई. में मुंगेर में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की। बाद में 1994 ई. में निरंजनानंद सरस्वती ने बिहार योगा भारती की स्थापना गंगादर्शन विश्व योगपीठ के परिसर में की।

चंडिका देवी मंदिर, मुंगेर

मुंगेर जिले में गंगा तट पर स्थित माँ चंडिका देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस स्थल पर माँ सती की दाईं आँख गिरी थी। यहाँ मुख्य मंदिर में सोने की गढ़ी आँख स्थापित है।

शृंग ऋषि

रामायणकालीन शृंग मुनि के नाम पर स्थित मुंगेर जिले से 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित पहाड़ है, जहाँ शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के खिलाफ 1766 ई. में अंग्रेज सैनिकों ने इसी क्षेत्र में विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह (White Mutiny) कहते हैं।

भुलनी धाम, रोहतास

यह मंदिर रोहतास जिले के विक्रमगंज के निकट भुलनी नामक गाँव में स्थित है। यह माता पार्वती के प्राचीन मंदिर के निकट है, जहाँ प्रतिवर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर माह में बड़ा भव्य तथा विशाल मेला लगता है।

गुप्तधाम, रोहतास

रोहतास में स्थित इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा गुप्तेश्वर नाथ के रूप में की जाती है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल एवं भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।

माँ ताराचंडी

सासाराम से 6 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी की गुफा में ताराचंडी माँ का मंदिर है। यह भी माँ दुर्गा की 51 शक्तिपीठों में से एक है।

सासाराम

सासाराम प्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी एवं उसके पिता हसन खान सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह मकबरा एक तालाब के मध्य अष्टकोणीय शैली (अफगान शैली) का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर

कैमूर जिले में भभुआ के समीप भगवान प्रखंड में एक पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी देवी का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है।

गिरिजा स्थान, मधुबनी

यह प्राचीन मंदिर मधुबनी जिले में फलुहर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ कुंवारी कन्याएँ माता पार्वती से अच्छा वर माँगने के लिए पूजा करने आती हैं।

सोमनाथ मंदिर

मधुबनी जिले में स्थित इस मंदिर में हर वर्ष एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर मैथिल ब्राह्मणों के विवाह संबंधी कार्य होते हैं।

छिन्नमस्तिका मंदिर, उच्चैठ

मधुबनी जिले में उच्चैठ नामक स्थान पर माँ दुर्गा का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में महाकवि कालिदास माँ काली की पूजा-अर्चना करते थे।

राम-जानकी मंदिर, सीतामढ़ी

पुरानी कथाओं के अनुसार बिहार की इसी धरती पर मिथिला नरेश जनक को ऋषि-मुनियों ने हलैष्टी यज्ञ कर अपने हाथों से हल चलाने का परामर्श दिया। हल चलाने पर हल के सिराउर से फूटे हुए घड़े से एक बालिका रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। हल के सिराउर से उत्पन्न होने के कारण बालिका का नाम सीता पड़ा। भूमि पुत्री सीता के नाम पर सीतामढ़ी जिले का नामकरण हुआ। कालांतर में यहाँ पर राम-जानकी का भव्य मंदिर स्थापित किया गया। आज यह मंदिर सैकड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।

अहिरौली मंदिर, बक्सर

बक्सर जिले में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर-पूर्व यह मंदिर स्थित है। इसका नामकरण गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पर किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष मकर-संक्रांति के दिन खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है।

बक्सर

बक्सर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह क्षेत्र कई ऐतिहासिक युद्धों का स्थल रहा है। यहाँ से पाषाणकाल के उपकरण मिले हैं। बक्सर जिले में ही स्थित चौसा के निकट 1539 ई. में युद्ध में शेरशाह ने हुमायूँ को पराजित किया था। 1764 ई. में मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था।

उग्रतारा मंदिर, सहरसा

सहरसा शहर से 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में महिषी नामक स्थान पर प्राचीन उग्रतारा मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य ने प्रकांड विद्वान् मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इसके बाद मंडन मिश्र की दूसरी पत्नी भारती देवी ने शंकराचार्य को परास्त किया। इसी स्थान पर प्रसिद्ध तारा पीठ है, जहाँ सती का वाम नेत्र गिरा था।

कपिलेश्वर स्थान

सुपौल जिला में कोसी नदी की एक शाखा खेरदहरा के किनारे बरुआरी एवं जगतपुर गाँव के बीच यह एक टीला पर स्थित स्थान है, जहाँ शिव मंदिर स्थित है।

सिंहेश्वर स्थान, मधेपुरा

ऐसी मान्यता है कि यह शिव मंदिर श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित किया गया था, जो मधेपुरा से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। यह करीब दो सौ वर्ष पुराना मंदिर है।

अरेराज का शिव मंदिर, मोतिहारी

भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर मोतिहारी जिला मुख्यालय के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।

केसरिया

केसरिया पूर्वी चंपारण में स्थित है। यहाँ से खुदाई में भगवान बुद्ध का स्तूप मिला है। केसरिया में स्थापित बौद्ध स्तूप की ऊँचाई 1042 फीट है। इसे राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है। इस स्थल की यात्रा चीनी यात्री फाहियान ने की थी।

रामपुरवा

पश्चिमी चंपारण में स्थित रामपुरवा से अशोककालीन स्तंभ लेख मिला है, जिसके शीर्ष पर सिंह और वृष की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस स्थान की खोज सर्वप्रथम क्लाइल ने 1899 ई. में की थी।

थावे, गोपालगंज

थावे नामक गाँव के निकट एक प्राचीन मंदिर है, जो माता दुर्गा को समर्पित है। इसकी एक सिद्धपीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चैत्र माह में यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

अंबिका मंदिर, आमी

छपरा जिले में आमी नामक स्थान पर माँ अंबिका भवानी का एक भव्य एवं प्राचीन मंदिर अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के अंगों को काटा था तो एक अंग यहाँ भी गिरा था। अतः इसे शक्तिपीठ कहा जाता है।

कुशेश्वर स्थान, समस्तीपुर

भगवान शिव का एक बहुत पुराना एवं भव्य मंदिर कुशेश्वर स्थान, समस्तीपुर में स्थित है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भव्य मेला लगता है।

अहल्या स्थान, दरभंगा

दरभंगा जिला सदर अनुमंडल के अंतर्गत अहियारी गाँव अहल्या स्थान के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से इसी स्थान पर राम ने अहल्या का उद्धार किया था। यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष दो बार बृहत मेला लगता है।

देकलु धाम, दरभंगा

दरभंगा जिले के बिरोल प्रखंड में स्थित भगवान शिव का विशाल मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य मेला लगता है।

कोटेश्वर नाथ का शिवमंदिर, जहानाबाद

यह अति प्राचीन शिव मंदिर मोरहर नदी के किनारे मेन गाँव में स्थित है। यहाँ शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है।

चामुंडा मंदिर, नवादा

नवादा-रोह-कौआकोल मार्ग पर रूपो गाँव में स्थित चामुंडा मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मान्यता है कि देवी सती का सिर यहीं कटकर गिरा था। 'मार्कण्डेय पुराण' के अनुसार चंड-मुंड के वध के बाद ही देवी दुर्गा चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई।

धीमेश्वर स्थान, पूर्णिया

पूर्णिया से पश्चिम बनमनखी प्रखंड के धीमेश्वर स्थान में छिन्नमस्तिका देवी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था।

नवलखा मंदिर, बेगूसराय

बेगूसराय स्थित विष्णुपुर में रामजानकी ठाकुरवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर 1953 ई. में महंत महावीर दासजी के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग दस वर्ष का समय लगा और नौ लाख रुपए का खर्च आया, इसलिए इसका नाम नवलखा मंदिर पड़ गया।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के द्वारा बिहार में सुरक्षित घोषित स्मारक

सुरक्षित स्मारक : पातालपुरी गुफा

ग्राम/स्थल : पथरघट्टा पहाड़ी

जिला : भागलपुर

क्रं. : 2

सुरक्षित स्मारक : शिलामूर्ति समूह

ग्राम/स्थल : पथरघट्टा पहाड़ी

जिला : भागलपुर

क्रं. : 3

सुरक्षित स्मारक : विक्रमशिला महाविहार के अवशेष

ग्राम/स्थल : अंतिचक, ओरियप

जिला : भागलपुर

क्रं. : 4

सुरक्षित स्मारक : शिला मंदिर

ग्राम/स्थल : कहलगाँव, विक्रमशिला महाविहार से सटा

जिला : भागलपुर

क्रं. : 5

सुरक्षित स्मारक : अशोककालीन प्रस्तर स्तंभ

ग्राम/स्थल : लौरिया अरेराज

जिला : पूर्वी चंपारण

क्रं. : 6

सुरक्षित स्मारक : अशोककालीन सिंह शीर्षयुक्त प्रस्तर स्तंभ

ग्राम/स्थल : लौरिया नंदनगढ़

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 7

सुरक्षित स्मारक : अशोककालीन दो प्रस्तर स्तंभ के अवशेष

ग्राम/स्थल : रामपुरवा

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 8

सुरक्षित स्मारक : वैदिक शवाधान स्थल पर का टीला

ग्राम/स्थल : मरहिया

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 9

सुरक्षित स्मारक : बौद्ध स्तूप

ग्राम/स्थल : ताजपुर (केसरिया)

जिला : पूर्वी चंपारण

क्रं. : 10

सुरक्षित स्मारक : किले के अवशेष, तालाब और अवशेष

ग्राम/स्थल : सागरडीह

जिला : पूर्वी चंपारण

क्रं. : 11

सुरक्षित स्मारक : किले के अवशेष

ग्राम/स्थल : चान की गढ़

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 12

सुरक्षित स्मारक : किले के अवशेष एवं स्तूप

ग्राम/स्थल : मरहिया

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 13

सुरक्षित स्मारक : वैदिक शवाधान टीला

ग्राम/स्थल : लौरिया नंदनगढ़

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 14

सुरक्षित स्मारक : वैदिक शवाधान टीला

ग्राम/स्थल : पकरी

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्रं. : 15

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन गढ़ अथवा किले का अवशेष

ग्राम/स्थल : बलिराजगढ़

जिला : मधुबनी

क्रं. : 16

सुरक्षित स्मारक : शोभानाथ पहाड़ी का प्राचीन टीला

ग्राम/स्थल : हसरा, जगदीशपुर

जिला : गया

क्रं. : 17

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन बौद्ध मूर्ति समूह

ग्राम/स्थल : घेजन

जिला : जहानाबाद

क्रं. : 18

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन बौद्ध एवं अन्य मूर्तियों का समूह

ग्राम/स्थल : गुनेरी गाँव

जिला : गया

क्रं. : 19

सुरक्षित स्मारक : सप्त गुफा समूह

ग्राम/स्थल : बराबर-नागार्जुनी पहाड़ी

जिला : जहानाबाद

क्रं. : 20

सुरक्षित स्मारक : शमशेर खाँ की मजार

ग्राम/स्थल : शमशेर नगर

जिला : औरंगाबाद

क्रं. : 21

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन गढ़

ग्राम/स्थल : कुर्किहार

जिला : गया

क्रं. : 22

सुरक्षित स्मारक : राजा विशाल का गढ़

ग्राम/स्थल : बसाढ़

जिला : वैशाली

क्रं. : 23

सुरक्षित स्मारक : जामा मस्जिद

ग्राम/स्थल : हाजीपुर

जिला : वैशाली

क्रं. : 24

सुरक्षित स्मारक : पुरातात्विक स्थल

ग्राम/स्थल : कुम्हारार

जिला : पटना

क्रं. : 25

सुरक्षित स्मारक : पुरातात्विक स्थल

ग्राम/स्थल : बुलंदीबाग

जिला : पटना

क्रं. : 26

सुरक्षित स्मारक : उत्खनित पुरातात्विक स्थल (स्तूप सहित)

ग्राम/स्थल : हरपुर बसंत

जिला : वैशाली

क्रं. : 27

सुरक्षित स्मारक : छोटी पहाड़ी का टीला

ग्राम/स्थल : छोटी पहाड़ी

जिला : पटना

क्रं. : 28

सुरक्षित स्मारक : पाँच टीले का समूह

ग्राम/स्थल : पहाड़ीडीह

जिला : पटना

क्रं. : 29

सुरक्षित स्मारक : मूर्तियों का समूह

ग्राम/स्थल : दतियाना

जिला : पटना

क्रं. : 30

सुरक्षित स्मारक : किले की दीवारें

ग्राम/स्थल : राजगृह

जिला : नालंदा

क्रं. : 31

सुरक्षित स्मारक : राजगृह के सभी पुरातात्विक स्थल स्मारक एवं मूर्तियाँ

ग्राम/स्थल : राजगृह

जिला : नालंदा

क्रं. : 32

सुरक्षित स्मारक : उत्खनित अवशेष

ग्राम/स्थल : नालंदा गाँव

जिला : नालंदा

क्रं. : 33

सुरक्षित स्मारक : मलिक इब्राहीम बर्याँ का मजार

ग्राम/स्थल : बिहारशरीफ

जिला : नालंदा

क्रं. : 34

सुरक्षित स्मारक : बुद्ध मूर्ति

ग्राम/स्थल : जगदीशपुर

जिला : नालंदा

क्रं. : 35

सुरक्षित स्मारक : मखदूम शाह दौलत मनेरी एवं इब्राहीम खान की मजार

ग्राम/स्थल : मनेर

जिला : पटना

क्रं. : 36

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन लकड़ी की बनी मौर्यकालीन दीवार के अवशेष

ग्राम/स्थल : संदलपुर

जिला : पटना

क्रं. : 37

सुरक्षित स्मारक : मीर अशरफ निर्मित जुम्मा मस्जिद

ग्राम/स्थल : पटना सिटी

जिला : पटना

क्रं. : 38

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन अवशेष

ग्राम/स्थल : घोर कटोरा

जिला : नालंदा

क्रं. : 39

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन तालाब

ग्राम/स्थल : मनेर

जिला : पटना

क्रं. : 40

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन नगर, प्राचीन भग्नावशेष एवं अन्य सभी प्राचीन स्थल

ग्राम/स्थल : माँझी

जिला : सारण

क्रं. : 41

सुरक्षित स्मारक : हसन शाह की मजार

ग्राम/स्थल : सासाराम नगर

जिला : रोहतास

क्रं. : 42

सुरक्षित स्मारक : शेरशाह सूरी की मजार

ग्राम/स्थल : सासाराम नगर

जिला : रोहतास

क्रं. : 43

सुरक्षित स्मारक : अशोक का शिलालेख

ग्राम/स्थल : आशिकपुर चंदन पीर पहाड़ी

जिला : रोहतास

क्रं. : 44

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन गढ़

ग्राम/स्थल : रोहतास पहाड़ी

जिला : रोहतास

क्रं. : 45

सुरक्षित स्मारक : बख्तियार खाँ की मजार

ग्राम/स्थल : मलिक सराय (चैनपुर)

जिला : भभुआ

क्रं. : 46

सुरक्षित स्मारक : मुंडेश्वरी का प्राचीन मंदिर

ग्राम/स्थल : पवरा (रामगढ़)

जिला : भभुआ

क्रं. : 47

सुरक्षित स्मारक : अशोक स्तंभ और स्तूप

ग्राम/स्थल : कोल्हुआ

जिला : मुजफ्फरपुर

क्रं. : 48

सुरक्षित स्मारक : शिव मंदिर

ग्राम/स्थल : कोंच

जिला : गया

क्रं. : 49

सुरक्षित स्मारक : एकाश्म स्तंभ

ग्राम/स्थल : लाट

जिला : जहानाबाद

क्रं. : 50

सुरक्षित स्मारक : नागरी लिपि में लिखा शिला-अभिलेख

ग्राम/स्थल : सासाराम नगर के ताराचंडी मंदिर के निकट

जिला : रोहतास

क्रं. : 51

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन टीला

ग्राम/स्थल : बक्सर नगर

जिला : बक्सर

क्रं. : 52

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन भग्नावशेष एवं मूर्तियाँ

ग्राम/स्थल : खिजरसराय के निकट कौआडोल

जिला : जहानाबाद

क्रं. : 53

सुरक्षित स्मारक : डॉ. राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर

ग्राम/स्थल : जीरादेई

जिला : सीवान

पुरातत्त्व निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारक

क्रं. : 1

सुरक्षित स्मारक : गोलघर

ग्राम/स्थल : पटना

जिला : पटना

क्रं. : 2

सुरक्षित स्मारक : अगमकुआँ

ग्राम/स्थल : गुलजारबाग

जिला : पटना

क्रं. : 3

सुरक्षित स्मारक : बेगू हजाम की मस्जिद

ग्राम/स्थल : पटना सिटी

जिला : पटना

क्रं. : 4

सुरक्षित स्मारक : जैन मंदिर

ग्राम/स्थल : कमलदह, गुलजारबाग

जिला : पटना

क्रं. : 5

सुरक्षित स्मारक : दोरूखी प्रतिमा

ग्राम/स्थल : कंकड़बाग

जिला : पटना

क्रं. : 6

सुरक्षित स्मारक : छोटी पटनदेवी

ग्राम/स्थल : पटना सिटी

जिला : पटना

क्रं. : 7

सुरक्षित स्मारक : शेरागढ़ किला

ग्राम/स्थल : सब्जी बाजार, सासाराम

जिला : रोहतास

क्रं. : 8

सुरक्षित स्मारक : अलावल खाँ का मकबरा

ग्राम/स्थल : सासाराम

जिला : रोहतास

क्रं. : 9

सुरक्षित स्मारक : सूर्य मंदिर

ग्राम/स्थल : महवारा, महिषी

जिला : सहरसा

क्रं. : 10

सुरक्षित स्मारक : कटरा गढ़

ग्राम/स्थल : मुजफ्फरपुर

जिला : मुजफ्फरपुर

क्रं. : 11

सुरक्षित स्मारक : नेपाली मंदिर

ग्राम/स्थल : हाजीपुर

जिला : वैशाली

क्रं. : 12

सुरक्षित स्मारक : खेरी (पुरातात्विक स्थल)

ग्राम/स्थल : शाहकुंड

जिला : भागलपुर

क्रं. : 13

सुरक्षित स्मारक : जलालगढ़ किला

ग्राम/स्थल : कसबा

जिला : पूर्णिया

क्रं. : 14

सुरक्षित स्मारक : आरा हाउस

ग्राम/स्थल : आरा

जिला : भोजपुर

क्रं. : 15

सुरक्षित स्मारक : चौसागढ़

ग्राम/स्थल : नरवतपुर

जिला : बक्सर

क्रं. : 16

सुरक्षित स्मारक : दाऊद खाँ का किला

ग्राम/स्थल : दाऊदनगर

जिला : औरंगाबाद

क्रं. : 17

सुरक्षित स्मारक : रामशिला पर्वत

ग्राम/स्थल : गया नगर

जिला : गया

क्रं. : 18

सुरक्षित स्मारक : विष्णुपद मंदिर

ग्राम/स्थल : गया नगर

जिला : गया

क्रं. : 19

सुरक्षित स्मारक : प्रेतशिला पर्वत

ग्राम/स्थल : बहादुर विगहा

जिला : गया

क्रं. : 20

सुरक्षित स्मारक : ब्रह्मयोनि पहाड़ी

ग्राम/स्थल : गया

जिला : गया

क्रं. : 21

सुरक्षित स्मारक : हजारीमल पुरानी धर्मशाला

ग्राम/स्थल : बेतिया

जिला : बेतिया



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

23. आपदा प्रबंधन

(Disaster Management)

बाढ़

सूखा

भूकंप

चक्रवात

अन्य आपदाएँ

आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015-30

ऐसी दुर्घटनाएँ, जो अचानक घटित हों और जिनसे जान-माल की व्यापक हानि हो, उसे आपदा कहते हैं। आपदा का तात्पर्य प्राकृतिक अथवा मानवजन्य कारणों से आनेवाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है, जो प्रभावित समुदाय को व्यापक हानि पहुँचाती है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थितियों के कारण बिहार बहुआपदा प्रभावित राज्य है।

प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, भूकंप, सूनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, आँधी तूफान आदि प्रमुख हैं, जबकि मानवजनित आपदाओं में युद्ध, वनों की कटाई, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रदूषण आदि प्रमुख हैं। प्राकृतिक आपदा एक स्वाभाविक परिणाम है, जो मनुष्य को प्रभावित करता है, जैसे—ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। मानवीय कारणों से निर्मित आपदा लापरवाही, भूल या व्यवस्था की असफलता से उत्पन्न होती है। मानव-निर्मित आपदा को तकनीकी या सामाजिक आपदा भी कहते हैं।

आपदाएँ प्रगति में बाधा डालती हैं एवं विकास संबंधी कार्यों को नष्ट करती हैं। इसलिए आपदाओं के घटित होने पर ही कार्रवाई करने के बजाय उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक बल दिया जा रहा है। भारत एवं बिहार राज्य में अलग-अलग तीव्रतावाली अनेक प्राकृतिक और मानवजन्य आपदाएँ आती रहती हैं। भारत में लगभग 58.6 प्रतिशत भू-भाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है, 12 प्रतिशत भू-भाग (40 मिलियन हेक्टेयर) बाढ़ प्रभावित तथा 7,516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में से लगभग 5,700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात एवं सूनामी संभावित क्षेत्र है। 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। मानव-जनित आपदाओं में रासायनिक, जैविक और नाभिकीय विकिरण आपदाओं की संभावना बनी रहती है। वर्तमान में आपदा जोखिम की तीव्रता का संबंध जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और

जलवायु परिवर्तन से भी है।

बिहार में अनेक प्रकार की आपदाएँ पाई जाती हैं। ये आपदाएँ प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार की हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का प्रमुख कारण भौगोलिक, भू-आकृति एवं मानवीय क्रिया-कलाप है। संपूर्ण बिहार किसी न किसी आपदा से ग्रसित है। भूकंप के प्रभाव के दृष्टिकोण से संपूर्ण राज्य प्रभावित है। 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जबकि 30 प्रतिशत से अधिक भूभाग सूखा प्रभावित है। आग की समस्या और चक्रवात का भी प्रभाव राज्य के कई हिस्सों पर पड़ता है। बिहार में प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में निम्नलिखित शामिल हैं—

बाढ़,

सूखा,

भूकंप,

चक्रवात।

बाढ़

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में एक है। उत्तर बिहार के संपूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिण बिहार का आंशिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। नदी का जल जब खतरे के निशान से ऊपर होता है या कृत्रिम कारणों से एक बड़ा भू-क्षेत्र जलप्लावित हो जाता है तो उसे बाढ़ की स्थिति कहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहाँ बाढ़ और सूखे की समस्या एक ही समय आती हैं। उत्तर बिहार के एक भाग में बाढ़ आती है तो दक्षिण बिहार में सूखा रहता है। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच के क्षेत्र में मानसूनी अनिश्चितता के कारण सूखे की स्थिति रहती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1986) के अनुसार बिहार में 65.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37 प्रतिशत और अविभाजित बिहार के 46 जिले में से 39 जिले) बाढ़ प्रभावित थे। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की 1986 ई. की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूखाग्रस्त था, जो राज्य के क्षेत्रफल का करीब 12 प्रतिशत है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (National Flood Commission) 2006 के अनुसार भारत में 400 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है, जिसमें 16.5 प्रतिशत क्षेत्र बिहार का है। बिहार सरकार जल प्रतिवेदन (1993-94) के अनुसार उत्तर बिहार का 76 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जिसका 25 प्रतिशत भाग केवल कोसी नदी द्वारा प्रभावित है। वर्ष 2013 ई. में राज्य में बाढ़ से 20 जिले के 126 प्रखंड प्रभावित हुए, जिससे 69 लाख आबादी प्रभावित हुई। इस प्रकार बिहार का करीब 50 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ और सूखे की समस्या से प्रभावित होता है। वर्तमान समय में राज्य के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 जिले अति बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, जबकि 13 जिले सामान्य प्रभावित जिलों की श्रेणी में शामिल हैं। नीचे की तालिका में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों को दर्शाया गया है—

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (National Flood Commission) 2006 के अनुसार भारत में 400 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है, जिसमें 16.5 प्रतिशत क्षेत्र

बिहार का है।

बाढ़ प्रभावित जिले

बाढ़ (28)	अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले (15)	पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर
	सामान्य प्रभावित जिले (13)	पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, 2015

बिहार में बाढ़ की विभीषिका प्रायः 4-6 सप्ताह (डेढ़ माह) के बीच होती है। भारत में असम के बाद बिहार देश का दूसरा सबसे लंबी अवधि तक बाढ़ग्रस्त रहनेवाला राज्य है। बाढ़ की स्थिति का मूल कारण मानसून की अनिश्चितता है। मानसूनी वर्षा 60 प्रतिशत तक कम या ज्यादा हो सकती है अर्थात् मानसून की विचलन दर 60 प्रतिशत तक है। इस प्रकार औसत से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानसूनी अनिश्चितता के अतिरिक्त बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं—

1. वनों का विनाश बाढ़ का प्रमुख कारण है। यह पठारी बिहार में तथा हिमालय पर्वतीय प्रदेश के जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई है। बिहार की अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं।

2. हिमालय पर्वतीय प्रदेश में भारी वर्षा के कारण नदियों में स्वाभाविक रूप से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

3. मैदानी बिहार की स्थलाकृति भी बाढ़ का कारण है। अति समतल भूमि में नदी का जल तेजी से बाहर की ओर फैलता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

4. निम्न ढाल पर नदियों के अपवाह के कारण तलीय निक्षेप होता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। विसर्प का निर्माण करनेवाली नदी बाढ़ की विभीषिका को गंभीर बना देती है।

5. नदी घाटी परियोजनाओं का दोषपूर्ण क्रियान्वयन होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। नेशनल फ्लड कमीशन, 1954 के अनुसार बिहार में 25 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था, जो 1986 में बढ़कर लगभग 65.5 लाख हेक्टेयर हो गया। गंडक और कोसी परियोजनाओं से बहुत सारी निम्न भूमि जलप्लावित हो जाती है। बिहार में औसतन 4-6 लाख हेक्टेयर खरीफ फसल और 2.4 से 3.6 लाख हेक्टेयर रबी फसल नदी घाटी परियोजनाओं के दोषपूर्ण कार्यान्वयन से प्रभावित होती है। कोसी बांध के निर्माण से 1.82 लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि स्थायी रूप से जलप्लावित हो गई।

6. कोसी को बिहार का शोक माना जाता है, लेकिन कोसी के अलावा अनेक नदियाँ छिपे रूप में आकस्मिक बाढ़ लाकर शोक का संदेश देती हैं। दक्षिण बिहार की नदियों में आकस्मिक बाढ़ आती रहती है। वनों की अंधाधुंध कटाई और अत्यधिक पशुचारण के कारण दक्षिण बिहार में वर्षा जल का सामान्य प्रवाह 7 प्रतिशत की जगह 13-14 प्रतिशत नदियों में होता है।

7. उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के मैदान में जलाशय से अचानक जल छोड़ने से बाढ़ आती है। यह जल मुख्यतः नहरों में छोड़ा जाता है। नहरों में सिल्ट जमा होने से उनका तल ऊपर हो गया है। इस कारण अधिक जल छोड़ने पर वे किनारे के क्षेत्रों को जलप्लावित कर देती हैं। चानन की सहायक मोरहनी नदी का जल छोड़ने से

बाँका, जमुई और भागलपुर जिले में 1995-96 में आकस्मिक बाढ़ आ गई थी।

8. कमजोर बाँध के टूटने और उसमें दरार पड़ने से नदी का पानी आकस्मिक रूप से बाढ़ लाकर भयंकर बरबादी करता है।

9. दक्षिण-पूर्वी बिहार के मैदानों में अनेक एनीकट (छोटे बाँध) हैं, जो बालू भर जाने से बिल्कुल नजर नहीं आते। परिणामतः बाढ़ का पानी तेजी से पूरे क्षेत्र को जलप्लावित करता है।

10. नगरीकरण के कारण भी प्राकृतिक जल स्रोत का क्षेत्र तालाब, नहर, नाले सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे वर्षा का जल नगरों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है।

बचाव की दिशा में कार्य

स्वतंत्रता के बाद बाढ़ से बचाव हेतु बहुद्देशीय नदी-घाटी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में बहुद्देशीय नदी-घाटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना से तटबंध निर्माण को प्राथमिकता मिली। छठी पंचवर्षीय योजना से जल निकासी की व्यवस्था की गई है। इसी योजना में बस्ती बचाने का कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में नदी किनारे की भूमि को ऊँचा किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण पर खर्च हुई राशि का 80 प्रतिशत पुराने तटबंध के रखरखाव पर खर्च हुई, शेष 20 प्रतिशत से नए कार्यक्रम लागू किए गए। 3600 किलोमीटर तटबंध बनाया गया है जो 1954 में मात्र 160 किलोमीटर था। भारत में 7 बाढ़ सूचना प्रसारण केंद्र हैं, जिसमें पटना भी एक है। सभी नदियों में खतरे के निशान लगाए गए हैं। देश में 100 केंद्रों पर बाढ़ सूचना केंद्र स्थापित करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। इन कार्यक्रमों से लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़मुक्त घोषित की गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई है। NDRF द्वारा बाढ़ग्रस्त जिलों में 200 सुरक्षित स्थान विकसित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित 10 जिलों में इमरजेंसी मैनेजर के पद सृजित किए गए हैं।

बिहार में बाढ़ रोकने के लिए अनेक तटबंध का निर्माण किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तटबंध इस प्रकार हैं—

- (i) गंगा के किनारे कोइलवर-बक्सर तटबंध,
- (ii) खगड़िया जिले में बदलाघाट-नगरपाड़ा तटबंध,
- (iii) तिनमुहानी-कुरसेला-खगड़िया तटबंध कोसी नदी पर,
- (iv) दरभंगा जिले का भूतही बलान तटबंध,
- (v) वैशाली जिले में हाजीपुर-बाजीपुर तटबंध।

अपवहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिण बिहार के कुछ जिलों; खासकर पलामू (वर्तमान झारखंड) में प्रमुखता से लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का लाभ भी मिला है। इस कार्यक्रम में नदी के उद्गम स्थल से मुहाने तक के संपूर्ण अपवहन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण का क्रमिक उपाय किया जाता है। इस कार्यक्रम का विस्तार हिमालयी नदियों पर लागू करने का सुझाव है, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण प्रभावी ढंग से हो सके। उत्तर बिहार से बहनेवाली महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल नेपाल है। अतः इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत-नेपाल वार्ता की आवश्यकता है।

देश में 100 केंद्रों पर बाढ़ सूचना केंद्र स्थापित करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। इन

कार्यक्रमों से लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़मुक्त घोषित की गई है।

उपाय एवं सुझाव

बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों को नई दिशा देने की आवश्यकता है। इस हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं

1. पेड़-पौधों का विनाश बाढ़ का सर्वप्रमुख कारण है। वानिकी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन बाढ़ नियंत्रण का कारगर उपाय है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण और वनों की कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

2. दक्षिण बिहार की पठारी असमतल भूमि एवं शिवालिक क्षेत्र में कंटूर फार्मिंग की आवश्यकता है। इससे वर्षा जल रुक-रुककर लुप्तवाहित होगा, जिससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी।

3. एनीकट (छोटे बाँध) और नहरों से सिल्ट निकालने का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, इससे नहरों के द्वारा आनेवाली आकस्मिक बाढ़ का नियंत्रण हो सकेगा।

4. बाढ़ की सूचना को विश्वासजनक और व्यापक करने की आवश्यकता है। प्रभावी सूचनातंत्र से बाढ़ से जानमाल की हानि कम-से-कम की जा सकती है।

5. बिहार में बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में बनेवाले घरों में मिट्टी की दीवारों के बदले कच्ची ईंटों की दीवार बनाने की आवश्यकता है। कच्ची ईंट की दीवार अधिक जल प्रतिरोधी होती है।

6. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सिंघाड़ा, मखाना और मछली-पालन को प्राथमिकता देनी चाहिए, इससे बाढ़ से होनेवाली हानि को लाभ में बदला जा सकता है। इन क्षेत्रों के निम्न आर्द्र भूमि इन उत्पादों के लिए अनुकूल है।

7. बाढ़ की परिस्थिति के अनुरूप धान की नई किस्म को उपजाया जाना चाहिए, जिसमें बाढ़ सहने की अधिक क्षमता हो।

8. खुले पुल एवं पुलिया का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिससे बाढ़ के समय में यातायात के साधन प्रभावित न हो सकें।

9. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाने की तीव्र और उपयुक्त प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन टीम खतरेवाली जगहों पर तैनात की जानी चाहिए।

सूखा

मानसून के महीनों में जब जून से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच लगातार 4 सप्ताह 5 सेंमी. या उससे कम वर्षा हो तो वैसी स्थिति को सूखा कहा जाता है।

भौगोलिक दृष्टि से बिहार सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि भूगोलवेत्ताओं के अनुसार 50 सेंमी. से कम वर्षा वाला क्षेत्र सूखे की निश्चित संभावनावाला क्षेत्र होता है। बिहार में प्रत्येक क्षेत्र की वर्षा इससे अधिक होती है, लेकिन 50-150 सेंमी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी सूखे की संभावना रहती है। बिहार के पश्चिमी मध्यवर्ती भाग सीवान, गोपालगंज में वर्षा 150 सेंमी. से अधिक है, लेकिन इसमें भी सूखे की संभावना रहती है यद्यपि बारंबारता कम है। अनुभवाश्रित अध्ययन के अनुसार बिहार में 4 वर्षों में 1 वर्ष सूखे की स्थिति होती है। बिहार एक ऐसा संक्रमण की स्थिति वाला राज्य है, जहाँ बाढ़ और सूखा एक ही समय में आता है। 1987 ई. में उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति थी तो दक्षिणी बिहार सूखे की चपेट में था। 1966-67 में पूरा बिहार अकाल प्रभावित क्षेत्र था। 2013 ई. में अनियमित एवं अल्प वर्षा के कारण राज्य के 38 में से 33 जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया

गया था। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 38 जिलों में से 13 जिले सूखा प्रभावित हैं, जिसमें 5 जिले अतिसूखा प्रभावित, 3 जिले सूखा प्रभावित और 5 जिले आंशिक रूप से सूखा प्रभावित हैं। राज्य के सूखा प्रभावित जिलों को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

सूखा	अति प्रभावित जिला	गया, नवादा, जमुई, नालंदा, लखीसराय
	प्रभावित जिला	जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद
	आंशिक प्रभावित जिला	कैमूर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, बाँका

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

प्रो. इनायत अहमद और डी.के. सिंह की पुस्तक 'रीजनल प्लानिंग इन इंडिया' के अंक-1 के अनुसार बिहार के लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्रों में सूखे की संभावना रहती है। बिहार में सूखे के 2 प्रमुख कारण हैं, पहला—समुद्र से बढ़ती दूरी के कारण महाद्वीपीयता का जलवायु पर पड़नेवाले प्रभाव के फलस्वरूप कम वर्षा होना। दूसरा—मानसून अपने आप में अनिश्चित है। अलनीनो के प्रभाव के कारण भी मानसूनी सूखे की समस्या उत्पन्न होती है। मानसून की विचलन दर 60 प्रतिशत तक होती है। अन्य कारणों में वनों का विनाश प्रमुख है। बिहार में वन क्षेत्रफल मात्र 7.21 प्रतिशत है, जबकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 33 प्रतिशत होना चाहिए। वनों की कमी के कारण वर्षा की मात्रा में कमी आई है, जिसका प्रभाव सतही एवं भूमिगत जल स्तर दोनों पर पड़ा है। वनों की कमी के कारण नमी रखने की क्षमता में कमी हो गई है। मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन होने से सतही चट्टान अत्यधिक गरम हो जाती है, जिससे निचले वायुमंडल में सापेक्षिक आद्रता में कमी हो जाती है। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप बिहार के 20 प्रतिशत क्षेत्र सूखे से प्रभावित होते हैं। सूखे से प्रभावित जिले—कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद आदि हैं। सूखे से मुख्य रूप से खाद्य संकट, पशुओं के लिए चारे की समस्या और पेयजल की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसका लघुप्रतिकूल प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सूखे के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आई है।

सूखे से निपटने के लिए किए गए उपाय

बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना इस दिशा में प्रथम प्रयास है। राज्य की सबसे प्राचीन परियोजना सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण 1874 ई. में किया गया था। इससे रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर आदि जिले में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। यह राज्य के सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था है, जिसके कारण यह क्षेत्र वर्तमान बिहार का अन्न भंडार बन चुका है। राज्य में गंडक परियोजना का लाभ वैसे क्षेत्रों को मिला है, जो अकसर सूखे से प्रभावित होते थे। कोसी सिंचाई सुविधा का विकास कर सूखे से निपटा जा सका है। झारखंड में कोयलकारो परियोजना निर्माणाधीन है, जिससे औरंगाबाद जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।

चाँदन-बरुआ-किऊल कमांड एरिया प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है, जिससे जमुई, दक्षिणी मुंगेर, बाँका एवं शेखपुरा जिलों को लाभ होता है। यह प्रोजेक्ट मुख्यतः खड़ी फसलों को बचाने के लिए है।

राज्य में गंडक परियोजना का लाभ वैसे क्षेत्रों को मिला है, जो अकसर सूखे से प्रभावित होते थे। कोसी सिंचाई सुविधा का विकास कर सूखे से निपटा जा सका है।

सूखे से निपटने के लिए लघु सिंचाई परियोजना का विकास तीव्र गति से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमतावाली योजनाएँ आती हैं। 1967 ई. के सूखे के बाद बिहार ने अनेक लघु परियोजनाओं को विकसित किया है। इन परियोजनाओं के विकास के लिए 1967 ई. में ही बिहार सरकार ने लघु सिंचाई विभाग बनाया है।

1987 ई. में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई है, जिसके अनुसार खड़ी फसल को बचाने के लिए रेलवे लाइन या सड़क के किनारों के गड्ढों या तालाबों के पानी का प्रयोग किया जा सकता है। एनिकट (छोटे बाँध) की सिल्ट को हटाया गया है। कोसी क्षेत्र में बाँस बोरिंग और डीजल पंप सेट को प्राथमिकता दी गई है। आई.आर.डी.पी. योजना के अंतर्गत बोरिंग और डीजल पंप सेट खरीदने के लिए कृषकों को सहायता दी जाती है।

केंद्र सरकार के सहयोग से सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973 ई. से चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य जल का संरक्षण, वन का विकास और पशुपालन का विकास है। यह प्रोग्राम बिहार के कई जिलों में चलाया जा रहा है।

विश्व बैंक द्वारा संपोषित पठारी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें भी सिंचाई साधन का विकास, वानिकी और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है।

वर्तमान में वर्षा-आधारित कृषि के अंतर्गत जल प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसमें नए बीजों का प्रयोग, वानिकी, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास तथा छिड़काव एवं ड्रिप सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है। जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय जल उपलब्धता के अनुरूप ही फसल उपजाई जाती है। इससे मौसमी सूखे के बावजूद कृषि संबंधी सूखे की संभावना में कमी आती है, जैसे— धान के असफल होने पर मक्का की कृषि। सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाटर सेट प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जाती है। इस कार्यक्रम में 25 प्रतिशत राशि इन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यय की जाती है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं—

1. कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों का सुदृढीकरण का काम किया जा रहा है। बिहार में कोसी बाढ़ मुक्ति परियोजना (कोसी-I) के तहत संजय धार, हैया धार और बोचहा धार का सुदृढीकरण किया गया है। बिहार में कोसी बेसिन विकास परियोजना (कोसी-II) के अंतर्गत 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है।
2. बागमती बाढ़ प्रबंधन के दूसरे चरण में 57 किलोमीटर लंबे नए तटबंधों का निर्माण किया जा चुका है।
3. बागमती प्रबंधन योजना के तहत 105 किलोमीटर और 50 किलोमीटर लंबे दो खंडों को और ऊँचा और सुदृढ किया गया है।
4. सूखे की समस्या को दूर करने के लिए 8 सिंचाई योजनाओं को पूरा किया गया है। ये योजनाएँ बछराजा वीयर योजना, कचनाना वीयर योजना, नवागढ़ योजना, सम्मत बीघा वीयर योजना, सेसंबा वीयर योजना, इसरवे चेक डैम, भेटौरा डैम और कदहर वीयर योजना हैं।

भूकंप

भूकंप के दृष्टिकोण से संपूर्ण बिहार भूकंप प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। बिहार की स्थिति दो भू-प्लेट-भारतीय प्लेट और चीनी प्लेट के बीच होने के कारण भौगर्भिक हलचल की संभावना बनी रहती है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य का 15.2 प्रतिशत हिस्सा जोन-V में, 63.7 प्रतिशत जोन-IV में तथा 21 प्रतिशत हिस्सा जोन-III के अंतर्गत आता है।

जोन-V भूकंप की दृष्टि से अति उच्च संवेदनशील क्षेत्र है, जबकि जोन-IV उच्च भूकंप प्रभावित और जोन-III सामान्य भूकंप प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। नीचे की तालिका में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार भूकंप प्रभावित जोन को जिले के आधार पर दर्शाया गया है—

भूकंप प्रभावित जोन के अंतर्गत सम्मिलित जिले

जोन : जोन-V

भूकंप की तीव्रता (MSK) : I

जिला का नाम : पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, शिवहर

जोन : जोन-IV

भूकंप की तीव्रता (MSK) : IV

जिला का नाम : पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, पटना, नालंदा

जोन : जोन-III

भूकंप की तीव्रता (MSK) : VII

जिला का नाम : गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नवादा तथा जमुई और बाँका का दक्षिणी भाग आंशिक रूप से

बिहार में आनेवाले भूकंप का मूल कारण प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonic) है। अभी तक बिहार में आए प्रमुख भूकंप को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है—

क्र.सं. : 1

वर्ष : 26 अगस्त, 1838

प्रभावित क्षेत्र : बिहार, नेपाल

क्र.सं. : 2

वर्ष : 15 जनवरी, 1934

प्रभावित क्षेत्र : नेपाल, बिहार (पूर्णिया, चंपारण, मुंगेर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज)

क्र.सं. : 3

वर्ष : 25 अप्रैल, 2015

प्रभावित क्षेत्र : बिहार, नेपाल

क्र.सं. : 4

वर्ष : 5 दिसंबर, 2015

प्रभावित क्षेत्र : बिहार नेपाल

चक्रवात

मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से बिहार का उत्तरी-पूर्वी भाग एवं दक्षिणी-पश्चिमी भाग का कुछ हिस्सा प्रभावित होता है। प्रभावित जिलों में पूर्णिया तथा किशनगंज प्रमुख जिले हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति मई-जून तथा अक्टूबर-नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में तूफान के रूप में होती है। अक्टूबर-नवंबर में बिहार की प्रमुख खरीफ फसल धान के तैयार होने का समय होता है। अतः चक्रवात का इस समय सर्वाधिक प्रभाव धान की फसल पर पड़ता है तथा हजारों एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तर-पूर्व बिहार में मई, 2016 में आए चक्रवात से भारी जान-माल का नुकसान हुआ। इस चक्रवात से राज्य के 18 जिले प्रभावित हुए, जिसमें मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर सर्वाधिक प्रभावित हुए। राज्य में इस चक्रवात से 42 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। चक्रवात से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा 12235.03 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।

अन्य आपदाएँ

अन्य आपदाओं में ओलावृष्टि, वज्रपात, शीतलहर एवं मानवजनित दुर्घटनाएँ शामिल हैं। दिसंबर एवं जनवरी माह में राज्य में शीतलहर का प्रकोप रहता है, जिससे ठंड के कारण प्रतिवर्ष अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा रबी फसल को भी काफी नुकसान पहुँचता है। बिहार में पर्व-त्योहार एवं मेलों के समय भारी भीड़ होने से अक्सर भगदड़ एवं नाव दुर्घटना के कारण जान-माल को क्षति पहुँचती है, जैसे—बिहार में 3 अक्टूबर, 2016 को दरभंगा के बिरौल में कमला नदी में नाव के पलटने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह पटना के छज्जू घाट पर जनवरी, 2017 में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के समय गंगा नदी में नाव पलटने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई।

आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत योजना निर्माण, संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, जो इस प्रकार है—

- (i) किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम करना।
- (ii) किसी आपदा के जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का न्यूनीकरण करना।
- (iii) अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण करना।
- (iv) किसी आपदा से निपटने की तैयारी करना।
- (v) किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्रवाई करना।
- (vi) किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आकलन करना।
- (vii) फँसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत प्रदान करना।
- (viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य करना।

आपदा प्रबंधन की सतत प्रक्रिया में छह तत्त्व शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत आपदा पूर्व चरण में रोकथाम की तैयारी करना तथा आपदा के बाद के चरण में कार्रवाई, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति को बहाल करना है।

आपदा प्रबंधन की तीन प्रमुख अवस्थाएँ हैं—

आपदा पूर्व अवस्था।

आपदा के समय की अवस्था।

आपदा-उपरांत अवस्था।

आपदा पूर्व अवस्था में आपदा की तैयारी, आपदा निवारण, आपदा निरोध को शामिल करते हैं। आपदा की तैयारी में निम्न बातों को शामिल किया जाता है—

आपदा तैयारी का स्तर एवं प्रकृति,

आपदा शोध,

आपदा पुर्वानुमान,

आपदा चेतावनी तंत्र,

आपदा शिक्षा।

आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करना, आपदाग्रस्त क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों एवं राहत कैंपों में पहुँचाना एवं भोजन, जल, दवाई की समुचित आपूर्ति करना आदि शामिल हैं।

आपदा उपरांत अवस्था में राहत कार्य, पुनर्वास, आपदा पुनर्निर्माण एवं सामान्य जीवन बहाली को शामिल करते हैं। राहत कार्य में निम्न बातों को शामिल किया जाता है—

सामाजिक प्रतिक्रिया,

राहत कार्य में सहभागिता,

राहत सामग्री,

राहत कार्य का क्रियान्वयन।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, 9 जनवरी, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम में 11 अध्याय और 79 धारा हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन से संबंधित इस अधिनियम को 23 दिसंबर, 2005 को लागू किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एक संस्थागत ढाँचा विकसित किया गया है। इसके तहत (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), (2) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), (3) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-3 (1) के तहत 27 नवंबर, 2006 को किया गया, जिसके 9 सदस्य होते हैं। यह प्राधिकरण गृह विभाग के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपदा प्रबंधन के लिए संबंधित नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश देने तथा आपदा आने के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा

मानवजन्य आपदाओं से निपटने के लिए, विशेषकर रासायनिक, जैविक, और नाभिकीय विकिरण आपात स्थितियों के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने, प्रशिक्षण और तैयारी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए भी उत्तरदायी है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-14 (1) के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-8 में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। यह भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा गठित होता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-14 (1) के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इस प्राधिकरण का कार्य राज्य आपदा हेतु नीति निर्माण करना, राज्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना आदि है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) NDMA द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, राज्य योजना के विभिन्न विभागों के बीच कार्यान्वयन का समन्वय करता है।

राज्य कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की तरह ही राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। बिहार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-22 (2)(g) के अधीन बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के समन्वयन एवं निर्देशन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ आपदा प्रबंधन विभाग का नोडल विभाग होता है तथा आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव या प्रधान सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-30(2)(xvi) के अधीन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़ आपदा के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। आपदा प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण जिला पदाधिकारी के हाथों में होता, जो सरकार की नीतियों के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश के आलोक में कार्रवाई करता है। इस तरह जिला पदाधिकारी घटना कमांडर के रूप में कार्य करता है। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी घटना कमांड टीम का गठन किया गया है, जो अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है।

स्थानीय आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन के स्थानीय प्राधिकरण में पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला और कैंटोनमेंट बोर्ड तथा नगर योजना प्राधिकरण को शामिल किया जाता है, जो आपदा के समय नागरिक सेवाओं एवं अन्य सेवाओं को संचालित और नियंत्रित करते हैं। ये स्थानीय निकाय आपदा से निपटने के लिए अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच क्षमता निर्माण करने का कार्य सुनिश्चित करते हैं, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करते हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्लान

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-23(1) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disaster Management Plan) का वर्णन है। आपदा प्रबंधन योजना का दायित्व राज्य कार्यकारिणी समिति का होता है। बिहार सरकार ने 2005 के अधिनियम के तहत 2014 ई. में SDMP का गठन किया है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) के दो भाग हैं—

डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट,

डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट।

डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण एवं तैयारी को शामिल किया जाता है। डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट के अंतर्गत रिस्पोन्स एवं रिलीफ, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन तथा Built Back Better को शामिल किया जाता है।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015-30

बिहार सरकार ने आपदा से होनेवाले जोखिम को कम करने के लिए रोडमैप, 2015-30 तैयार किया है। 14-18 मार्च, 2015 को जापान के सेंडई शहर में तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 190 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 2015 से 2030 ई. तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु चार प्राथमिकताएँ एवं सात लक्ष्य निर्धारित किए गए थे—

प्राथमिकताएँ—

आपदा जोखिम की समझ विकसित करना,
आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थानों का सुदृढीकरण,
आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश,
प्रभावी रिस्पोन्स के लिए पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन तथा पूर्व से बेहतर पुनर्वासन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण।
रोडमैप 2015-30 में निर्धारित सात लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

1. वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में लगातार कमी लाना।
2. वर्ष 2030 तक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में कमी लाना।
3. वैश्विक समग्र घरेलू उत्पादन की तुलना में आपदाओं से होनेवाली आर्थिक क्षति को वर्ष 2030 तक कम करना।
4. आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं की क्षति को कम करना तथा उनमें लचीलेपन का विकास करना।
5. राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति से युक्त देशों की संख्या में वृद्धि।
6. विकसित देशों को आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रमों में पर्याप्त एवं सतत सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
7. पूर्व चेतावनी तंत्र, आपदा जोखिम सूचनाओं एवं जोखिम मूल्यांकन की उपलब्धता तथा उन तक आम लोगों की पहुँच बढ़ाना।

सैंडई में हुए विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन की प्राथमिकता और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015-30 तैयार किया गया है। इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों, आपदा न्यूनीकरण के साझेदारों, विशेषज्ञों एवं नैसर्गिक समाज के साथ मिलकर मई, 2015 में प्रथम बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के समापन सत्र में सुरक्षित बिहार बनाने के दृष्टिकोण से बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा को Patna Declaration-2015 के माध्यम से अंगीकार किया गया है तथा बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015-30 को तैयार किया गया है।

14-18 मार्च, 2015 ई. को जापान के सैंडई शहर में तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 190 देशों ने भाग लिया था।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015-30 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

1. रोड मैप, 2015-30 में चार लक्ष्य रखे गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानक क्षति को मूलाधार (Base Line) आँकड़ों की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।

वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना।

वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना।

वर्ष 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होनेवाली क्षति में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी।

2. रोड मैप 2015-30 को 9 भागों में बाँटा गया है। इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2020 तक अल्पकालीन, 2025 तक मध्यकालीन तथा 2030 तक दीर्घकालीन उपायों को शामिल किया गया है। इसमें शामिल क्रियाकलाप को 5 भागों में बाँटा गया है, जैसे—सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित शहर, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ एवं सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ।

3. सुरक्षित ग्राम का अर्थ है—आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गाँव की योजनाओं में शामिल किया जाना, गाँवों में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन तथा उनके माध्यम से ग्रामीणों में आपदा जोखिम का विश्लेषण, संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीणों में छोटी आपदाओं (L1 स्तर की) से ग्राम स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।

4. सुरक्षित शहर से तात्पर्य है—आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को शहर की योजनाओं में शामिल किया जाना, शहरी सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन तथा उनके माध्यम से नागर समाज में आपदा जोखिम का विश्लेषण, संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा इन क्रिया-कलापों के माध्यम से शहरवासियों में छोटी आपदाओं (L1 स्तर की) से शहर स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।

5. सुरक्षित बुनियादी सेवा में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित सेवाओं को आपदा प्रतिरोधक बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के समय उपाय करना। इसके लिए आपदा जोखिमों की पहचान कर संबंधित विभागों का क्षमता विकास या निर्माण करना एवं लचीली तथा आपदा प्रतिरोधक योजनाओं को तैयार किया जाना है।

6. रोड मैप 2015-30 में आपदा प्रबंधन विभाग में Roadmap Implementation Support Unit (RISU) की स्थापना का उल्लेख किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव है। रोड मैप 2015-2030 को 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।

एक प्रभावशाली आपदा प्रबंधन सरकार की जिम्मेवारी होती है। बिहार सरकार द्वारा 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि में बाढ़ एवं चक्रवात से निपटने के लिए दी गई राशि को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया है

Programmes : Relief & Rescue Instruments

2013-14 : 761

2014-15 : 1397.8

2015-16 : 0

Programmes : Supply of Dry Food

2013-14 : 29357

2014-15 : 12200.3

2015-16 : 6115.3

Programmes : Cash Dole Assistance

2013-14 : 18792.9

2014-15 : 9945.3

2015-16 : 5266.8

Programmes : Clothes & Utensils Distribution

2013-14 : 109.1

2014-15 : 334

2015-16 : 7615.5

Programmes : Supply of Drinking Water

2013-14 : 41.8

2014-15 : -

2015-16 : 24.1

Programmes : Repair of Road & Bridges

2013-14 : 280.2

2014-15 : -

2015-16 : 14.5

Programmes : Evacuation Operation

2013-14 : 3712.8

2014-15 : 1830.3

2015-16 : 1660.6

Programmes : Repair of Public Buildings

2013-14 : 103.1

2014-15 : 471.3

2015-16 : 4441.7

Programmes : Agriculture Inputs

2013-14 : 12116.2

2014-15 : 3981.6

2015-16 : 100670.8

Programmes : Repair of Boats

2013-14 : 713.5

2014-15 : 633

2015-16 : 541.4

Programmes : Repair of Embankments and Irrigation System

2013-14 : -

2014-15 : 500

2015-16 : 1416.2

Programmes : Human Medicines

2013-14 : -

2014-15 : -

2015-16 : 0

Programmes : Assistance for Flood Accidents

2013-14 : 349.6

2014-15 : 363.4

2015-16 : 287.4

Programmes : Assistance of Natural Calamity Accidents (except flood)

2013-14 : -

2014-15 : -

2015-16 : 831.1

Programmes : Total

2013-14 : 66337.1

2014-15 : 31657

2015-16 : 128885.5

Source : Department of Diaster Management, GoB



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

24. राज व्यवस्था

(Political System)

राजनैतिक व्यवस्था

राज्यपाल

राज्य विधानमंडल

राज्य मंत्रिपरिषद् एवं मुख्यमंत्री

महाधिवक्ता

लोकायुक्त

प्रमुख आयोग

राजनैतिक व्यवस्था

बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का अध्याय 22 मार्च, 1912 की उद्घोषणा के साथ हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में 29 अक्टूबर, 1920 से हुई एवं बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एवं प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ। 1 अप्रैल, 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक् राज्य बनाए गए। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधानसभा एवं विधानपरिषद् के लिए क्रमशः 152 तथा 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 ई. में हुआ। विधानसभा की 152 सीटों में 70 सामान्य नागरिकों, 18 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुसलमानों, 4 महिलाओं, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र, जैसे—व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए सुरक्षित थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 98 सीटें एवं मुस्लिम लीग ने 20 सीटें प्राप्त कीं। श्रीकृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर सरकार की राजनीतिक स्वायत्तता की मांग श्रीकृष्ण सिंह ने तत्कालीन गवर्नर से की। गवर्नर के नकारात्मक रवैए से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से मना कर दिया। इस बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के मो. यूनस के नेतृत्व में मार्च, 1937 में बनाई गई, लेकिन मो. यूनस का मंत्रिमंडल न ही विधानसभा की कोई बैठक बुला सका, न ही सदस्यों के शपथ की तिथि तय कर सका। इसी दौरान कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच बनी सहमति के बाद 20 जुलाई, 1937 को बिहार में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। 23 जुलाई, 1937 को श्री रामदयालु सिंह को अध्यक्ष तथा प्रो. श्री अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। द्वितीय

विश्वयुद्ध में बिना सहमति के भारत को शामिल करने के फैसले के विरोध में 31 अक्टूबर, 1939 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया एवं राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई।

1946 ई. में पुनः चुनाव हुआ एवं अप्रैल, 1946 में श्रीकृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण किया। इस विधानसभा से भारत के संविधान सभा के लिए कुल 39 सदस्य निर्वाचित हुए। इनमें डॉ. सरोजिनी नायडू, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्री जगजीवन राम एवं श्री तजझुल हुसैन प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव 1952 ई. में संपन्न हुआ, इस समय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 331 (330 निर्वाचित एवं 1 मनोनीत) निर्धारित की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद श्रीकृष्ण सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार सँभाला।

15 नवंबर, 2000 को बिहार का विभाजन हुआ। बिहार के कुल 56 जिलों में से 18 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया। विभाजन के बाद राज्य में कुल 38 जिले रह गए। अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 54, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 22, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 324 एवं विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या 96 थी। झारखंड के गठन के बाद बिहार में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 40, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 16, बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 एवं बिहार विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या 75 है।

राज्यपाल

बिहार की राज्य सरकार 3 इकाइयों में बँटी है—कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान तथा कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक में किया गया है। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, फिर भी वह मंत्रिपरिषद् की राय से कार्य करता है। भारत में सामान्यतः एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 का 1956 में किया गया संशोधन किसी एक व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है।

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। 23 जुलाई, 1937 ई. को श्री रामदयालु सिंह को अध्यक्ष तथा प्रोफेसर श्री अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया।

योग्यताएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएँ निर्धारित हैं, जो इस प्रकार हैं

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।
3. वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो।
4. वह भारतीय संसद् या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति, जो भारतीय संसद् या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो, को राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त करते हों, तो उन्हें अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र देना जरूरी होता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उसे निःशुल्क आवास, भत्ते और अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के वेतन, अधिकारों एवं सुविधाओं को उसकी पदावधि तक कम नहीं करने का प्रावधान है।

राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है।

राज्यपाल के अधिकार

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राज्यपाल को कार्यपालिका, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में विवेकाधिकार भी प्राप्त है।

(क) कार्यपालिका संबंधी अधिकार

राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं।

विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन राज्यपाल ही करते हैं।

विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उनकी नियुक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोगों में से की जाती है।

राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।

(ख) वैधानिक अधिकार

राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन विधानमंडल के दो लगातार अधिवेशन में पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि एवं दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

राज्यपाल विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

राज्यपाल को धन विधेयक और अनुदान माँगों की सिफारिश करने का अधिकार है।

विधानमंडल में संदेश भेजने एवं अभिभाषण करने का अधिकार भी राज्यपाल को है।

विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, अधिनियमों को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावी किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 213 से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और उसके इस अधिकार के प्रयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार का जारी किया गया अध्यादेश केवल 6 माह तक प्रभावी रहता है। 6 माह की अवधि पूर्ण होने के पहले अगर राज्य विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश को 6 माह की अवधि के समापन के पूर्व विधानसभा से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

राज्य लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल

इन रिपोर्टों को विधानमंडल के सामने रखते हैं।

विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी किसी विवाद में अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है, परंतु निर्णय लेने में राज्यपाल को चुनाव आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है।

विधानपरिषद् के सभापति या उप-सभापति का पद रिक्त होने पर विधानपरिषद् के किसी भी सदस्य को विधानपरिषद् की अध्यक्षता करने का राज्यपाल के द्वारा आदेश दिया जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 (1) से राज्यपाल को देश में बाहरी आक्रमण या सैनिक विद्रोह की स्थिति में राज्य में आपातकाल लागू करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 356 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं।

(ग) वित्तीय अधिकार

राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बाद पेश किया जाता है।

राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करते हैं।

राज्यपाल विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

राज्यपाल को अनुदान माँगों की सिफारिश करने का अधिकार है।

(घ) न्यायिक अधिकार

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति राज्यपाल करते हैं।

राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को कम या माफ कर सकते हैं।

राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को उनकी नियुक्ति में राज्यपाल से सलाह लेने का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 (1) में प्रावधान है।

(ङ) विवेकाधिकार

राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जानेवाले संदेश में स्वविवेक का प्रयोग करते हैं।

राज्य विधानमंडल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद् (विधानपरिषद् होने की स्थिति में) होगी। अनुच्छेद 169 के अनुसार भारतीय संसद् किसी भी राज्य के लिए विधानपरिषद् की स्थापना या उसकी समाप्ति के लिए नियम बना सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा उक्त प्रस्ताव के लिए दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। वर्तमान में सात राज्यों—उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विधानपरिषद् की व्यवस्था है। बिहार विधानमंडल में दो सदन—विधानसभा (निम्न सदन) एवं विधानपरिषद् (ऊपरी सदन) शामिल हैं।

विधानपरिषद्

उड़ीसा-बिहार विधानपरिषद् 7 फरवरी, 1921 को अस्तित्व में आई। इसके प्रथम सभापति सर वाल्टर मांडे थे। बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधानपरिषद् का गठन 28 मार्च, 1936 को किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधानपरिषद् के गठन का उल्लेख है। संविधान के अनुसार विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई भाग से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कम-से-कम 40 सदस्य होने अनिवार्य हैं (अपवादस्वरूप जम्मू-कश्मीर विधानपरिषद् की कुल सदस्य संख्या 36 है)। बिहार विधानपरिषद् में सदस्यों की कुल संख्या झारखंड बनने के पहले 96 थी, परंतु वर्तमान में सदस्य संख्या 75 है। यह एक स्थायी सदन है, जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

वर्तमान में सात राज्यों— उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विधानपरिषद् की व्यवस्था है।

विधानपरिषद् का सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। किसी एक वर्ष में इसका कम-से-कम दो सत्र होना आवश्यक है एवं एक सत्र के अंतिम दिन तथा दूसरे सत्र के प्रथम दिन के बीच 6 महीने से ज्यादा का समयांतर नहीं होना चाहिए।

विधानपरिषद् के एक-तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिका, जिला परिषद् आदि के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। एक-तिहाई सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं कॉलेजों में कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव रखनेवाले अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य बिहार के वैसे निवासी, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हों एवं जिन्होंने स्नातक की उपाधि कम-से-कम तीन वर्ष पहले प्राप्त कर ली हो, के द्वारा चुने जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में राज्य के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं।

विधानपरिषद् का अधिवेशन आरंभ होने के लिए इसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग या कम-से-कम 10 सदस्य (जो भी ज्यादा हो) का होना आवश्यक है। विधानपरिषद् के सदस्यों को सदन में वक्तव्य देने की पूर्ण स्वतंत्रता है एवं उनके द्वारा दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। विधानपरिषद् के सदस्यों को सदन का सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच में दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। विधानपरिषद् का सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। एक वर्ष में इसका कम-से-कम दो सत्र होना आवश्यक है एवं एक सत्र के अंतिम दिन तथा दूसरे सत्र के प्रथम दिन के बीच 6 महीने से ज्यादा का समयांतर नहीं होना चाहिए।

विधानपरिषद् सदस्य बनने की योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो एवं कम-से-कम 30 वर्ष की उम्र का हो।
2. उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो।
3. वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो।
4. वह पागल या दिवालिया न हो।
5. चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण उसे विधानपरिषद् सदस्य चुने जाने के अधिकार से वंचित न कर दिया गया हो।

विधानपरिषद् का कार्य

वित्तीय कार्य

राज्य के वित्त मामलों की वास्तविक शक्तियाँ विधानसभा के पास होती हैं। कोई भी धन विधेयक को पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को विधानपरिषद् में पेश किया जाता है। विधानपरिषद् इस विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि 14 दिनों की अवधि तक विधानपरिषद् संबंधित विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे या कोई संशोधन की सिफारिश करे तो संबंधित विधानसभा को यह अधिकार है कि उस संशोधन को माने या न माने एवं विधेयक दोनों सदन से पारित समझा जाता है।

विधायी कार्य

विधानपरिषद् में साधारण विधेयकों को पेश किया जा सकता है, लेकिन विधेयक को राज्यपाल के पास भेज जाने से पहले आवश्यक है कि उसे विधानसभा द्वारा पारित किया जाए। अगर कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो, परंतु विधानपरिषद् में उस पर कोई गतिरोध हो तो विधानपरिषद् उस विधेयक को नामंजूर कर सकती है, बदल सकती है या तीन महीने तक रोककर रख सकती है। इसके बाद यदि विधानसभा इस विधेयक को विधानपरिषद् के किए गए संशोधन के साथ या उसके बिना अगर पारित कर देती है तो विधेयक दुबारा विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है। इस बार यदि विधानपरिषद् विधेयक को पुनः मंजूरी न दे या ज्यादा से ज्यादा एक महीने तक रोककर रखे, तब भी यह विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा।

संवैधानिक अधिकार

भारत के संविधान के किसी संशोधन में विधानपरिषद् विधानसभा के साथ मिलकर भाग लेती है अगर वह संशोधन विधेयक संबंधित राज्य के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता हो। राज्य का मंत्रिमंडल केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानपरिषद् मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती है।

विधानपरिषद् के सभापति एवं उप-सभापति

विधानपरिषद् के सभापति एवं उप-सभापति का चुनाव संबंधित विधानपरिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सभापति या उप-सभापति को सदस्यों के द्वारा कम-से-कम 14 दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।

विधानसभा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 से संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 होनी चाहिए, लेकिन भारत में सिक्किम (32), गोवा (40), अरुणाचल प्रदेश (40), मिजोरम (40) विधानसभा सदस्यों वाले राज्य हैं, जो इसके अपवाद हैं। राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। बिहार में झारखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित थी, जो बिहार विभाजन के बाद 243 रह गई। इसमें 242 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर तथा 1 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।

विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्य में आपातस्थिति लागू होने पर संसद् के द्वारा इसकी अवधि छह माह तक बढ़ाई जा सकती है। एक बार में इसका कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 (1) में वर्णित है। किसी दल का बहुमत नहीं होने पर या सरकार के बहुमत खो देने की स्थिति में राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का कार्यकाल पहले भी खत्म किया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, परंतु विधानसभा के दो अधिवेशन के बीच में ज्यादा से ज्यादा छह महीने का अंतर होना चाहिए। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

बिहार में झारखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित थी, जो बिहार विभाजन के बाद 243 रह गई। इसमें 242 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर तथा 1 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।

विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो एवं कम-से-कम 25 वर्ष की उम्र का हो।
2. वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो।
3. वह दिवालिया या पागल न हो।

विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित है। इनका चुनाव संबंधित विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की भाँति विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही चलाने का अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम-से-कम 14 दिन की पूर्व सूचना से विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार

1. वह राज्यपाल का संदेश विधानसभा को तथा विधानसभा का निर्णय राज्यपाल को देता है।
2. किसी विधेयक में अगर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर न हो तो अध्यक्ष मत विभाजन में भाग नहीं लेता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष विधेयक के लिए निर्णायक मत देता है।
3. कोई विधेयक दोनों सदन में पास हो जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करता है।
4. विधानसभा अध्यक्ष किसी भी दल के प्रति निष्पक्ष होता है।

विधानसभा सदस्यों का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 194 के अनुसार किसी विधानसभा सदस्य (विधायक) को सदन में अपनी बात अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से रखने का अधिकार है। सदन में विधायकों द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जा सकता। विधायकों को सदन के अधिवेशन के आरंभ होने के 40 दिन पहले और अधिवेशन की समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मुकदमों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

विधानसभा सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उस राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या स्थापित विधानपरिषद् की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास करके भारतीय संसद् को उस पर विचार करने के लिए भेजा जा सकता है।

विधानसभा के कार्य

विधायी कार्य

विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कोई भी साधारण विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद विधानपरिषद् में पेश किया जाता है। विधानपरिषद् उसे पास कर सकती है या उसमें कोई संशोधन ला सकती है या उसे तीन महीने तक रोक सकती है। विधानसभा के द्वारा उस विधेयक को दुबारा पारित कराने के बाद विधेयक पुनः विधानपरिषद् में पेश किया जाता है। इस बार विधानपरिषद् पुनः इसमें कोई संशोधन ला सकती है या उसे एक महीने तक रोक सकती है। इसके बाद वह विधेयक संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विधानसभा की इच्छा के अनुसार पास माना जाता है।

वित्तीय कार्य

धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है। एक बार धन विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधानपरिषद् में उसे पेश किया जाता है। विधानपरिषद् उस पर अगले 14 दिनों के अंदर कोई कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। उसके बाद विधानपरिषद् के किए गए किसी संशोधन को विधानसभा द्वारा मानना अनिवार्य नहीं है। विधानसभा संशोधन को मानकर या बिना माने उसे पास कर सकती है। इसके बाद यह राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल को धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

संवैधानिक कार्य

संविधान संशोधन करने में भारतीय संसद् को कुछ अनुच्छेद के अंदर संशोधन करने के लिए देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार विधानपरिषद् के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। विधानसभा के सदस्य विधानपरिषद् के 1/3 सदस्य को चुनते हैं। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। विधानसभा का मंत्रिपरिषद् पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद् विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध विधानसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधानसभा सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उस राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या स्थापित विधानपरिषद् की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास करके भारतीय संसद् को उस पर विचार करने के लिए भेजा जा सकता है। राज्य की विधानसभा किसी भी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड दे सकती है।

राज्य मंत्रिपरिषद् एवं मुख्यमंत्री

संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में सन्निहित हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् को प्राप्त हैं।

मंत्रिपरिषद् का गठन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद् के प्रधान 'मुख्यमंत्री' की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य की विधानसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का प्रावधान है, परंतु अगर विधानसभा में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि बहुमतवाला दल किसी ऐसे व्यक्ति को नेता चुनता है, जो विधायक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले छह माह के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। मंत्रिपरिषद् के शेष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगर मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य मंत्री बनने के समय राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे भी अगले छह माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता पाना मंत्री बने रहने के लिए अनिवार्य है।

संविधान संशोधन अधिनियम (91वाँ) 2003 से राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या (मुख्यमंत्री सहित) विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, किंतु इसकी न्यूनतम संख्या 12 होगी। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रियों का मासिक वेतन एवं भत्ता समय-समय पर विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। सभी मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

संविधान संशोधन अधिनियम (91वाँ) 2003 से राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या (मुख्यमंत्री सहित) विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, किंतु इसकी न्यूनतम संख्या 12 होगी।

मंत्रिपरिषद् का कार्य

राज्य मंत्रिपरिषद् संघ की मंत्रिपरिषद् की तरह विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्यों का संपादन करती है। राज्य मंत्रिपरिषद् राज्य प्रशासन का केंद्र एवं विधानमंडल की पथ प्रदर्शक है। मंत्रिपरिषद् कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच कड़ी का काम करती है। विधानसभा के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में उसकी व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यक्रम मंत्रिपरिषद् के द्वारा तैयार किए जाते हैं। विधेयकों की विधानसभा में प्रस्तुति के संदर्भ में कोई भी निर्णय इसी के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल के सदस्य होने के कारण मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। विधानमंडल के सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री को देना पड़ता है। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने से पहले मंत्रिपरिषद् बजट को स्वीकृत करती है। विभिन्न मदों में व्यय की जानेवाली राशि का निर्धारण, राज्य की जनता पर किसी भी प्रकार के कर का आरोपण, स्थानीय संस्थाओं को दी जानेवाली अनुदान की राशि का निर्धारण आदि मंत्रिपरिषद् के महत्वपूर्ण कार्य हैं। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना राज्य मंत्रिपरिषद् की जिम्मेवारी है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है।

कार्यकाल

संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद् से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने हेतु राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह से काम करना होता है। सामान्यतः विधानसभा में सरकार को जब तक बहुमत प्राप्त रहता है, मंत्रिमंडल बना रहता है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग-पत्र देते हों तो मंत्रिपरिषद् स्वतः विघटित हो जाती है।

राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने पर, देश पर बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य मंत्रिपरिषद् का अंत किया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही राज्य मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल भी स्वतः समाप्त हो जाता है।

राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्यमंत्री एवं राज्यमंत्री निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री के कार्य

राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य प्रशासन पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्यमंत्री एवं राज्यमंत्री का निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करते हैं। समय-समय पर मंत्रिपरिषद् का पुनर्गठन मुख्यमंत्री की सलाह से किया जा सकता है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद् के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी का कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को एवं राज्यपाल की कोई सलाह मंत्रिपरिषद् को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। राज्य विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री को माना जाता है।

महाधिवक्ता

प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का अधिकारी होता है (अनुच्छेद 165)। राज्य में महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता के समान ही योग्यता निर्धारित है, परंतु उनकी उम्र संबंधी योग्यता का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। महाधिवक्ता की पदावधि राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, विधिक प्रकृति के कर्तव्य को करना, जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हों, संविधान या अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त कोई विधिक कार्य का निर्वहन करना, महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। राज्य के विधानमंडल या उसकी किसी समिति, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में हो, में भाग लेने या अपनी बात रखने का अधिकार महाधिवक्ता को है, किंतु वह विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही में मतदान का अधिकारी नहीं है।

लोकायुक्त

लोकायुक्त भारत में राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचाररोधी एक संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित ऑंबड्समैन (Ombudsman) की तर्ज पर किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा सोहनी बने, जिनका कार्यकाल 28 मई, 1971 ई. से 27 मई, 1978 तक रहा। अभी तक बिहार में कुल सात लोकायुक्त हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2013 पर 1 जनवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार लोकायुक्त के निम्न प्रमुख कार्य हैं—

1. कुशासन की वजह से न्याय एवं परेशानी से संबंधित नागरिकों की शिकायतों की जाँच करना।
2. सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या ईमानदारी में कमी के आरोपों की जाँच करना। शिकायतों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य की जानकारी राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना से दी जा सकती है।

3. भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, अधिकारियों और प्रस्तावों की जाँच का पर्यवेक्षण करना।

4. राज्यपाल की इच्छा से किसी भी कार्यवाही की जाँच करना।

लोकायुक्त को उनके कार्यों के प्रदर्शन पर वार्षिक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा या विधानपरिषद् सदस्य एवं राज्य सरकार के अधिकारी के खिलाफ जाँच करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।

बिहार के लोकायुक्तों का विवरण

क्र.सं. : 1

नाम : न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा सोहनी

कार्यकाल : 28.05.1971 से 27.05.1978

क्र.सं. : 2

नाम : न्यायमूर्ति श्यामनंदन प्रसाद सिंह

कार्यकाल : 08.06.1978 से 07.06.1983

क्र.सं. : 3

नाम : न्यायमूर्ति त्रिवेणी सहाय मिश्र

कार्यकाल : 18.01.1986 से 17.01.1991

क्र.सं. : 4

नाम : न्यायमूर्ति सैयद सरवार अली

कार्यकाल : 07.02.1991 से 06.02.1996

क्र.सं. : 5

नाम : न्यायमूर्ति नर्वदेश्वर पांडेय

कार्यकाल : 08.06.2001 से 07.06.2006

क्र.सं. : 6

नाम : न्यायमूर्ति रामनंदन प्रसाद

कार्यकाल : 25.07.2006 से 24.08.2011

क्र.सं. : 7

नाम : न्यायमूर्ति सी.एम. प्रसाद

कार्यकाल : 25.08.2011 से 24.08.2016

क्र.सं. : 8

नाम : न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा

कार्यकाल : 14.02.2017 से -----

प्रमुख आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) में वर्णित राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायतों के चुनाव का सफल संचालन कराने हेतु एक संवैधानिक संस्था है। इसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव का सफल संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु सारे प्रावधान राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से पदच्युत करने में लागू होते हैं।

बिहार मानवाधिकार आयोग

राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी, 2000 को की गई थी। 26 जून, 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के आलोक में अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसकी स्वायत्तता अन्य बातों के अलावा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति में, उनके निश्चित कार्यकाल एवं अधिनियम की धारा-23 में उपबंधित विधिक गारंटी तथा धारा-33 में वर्णित वित्तीय स्वतंत्रता में है। भारत के किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को ही आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा सोहनी बने, जिनका कार्यकाल 28 मई, 1971 ई. से 27 मई, 1978 ई. तक रहा। अभी तक बिहार में कुल सात लोकायुक्त हुए हैं।

राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन, पुलिस उत्पीड़न, अभिरक्षा (Custodial) मृत्यु, मुठभेड़ में मृत्यु, पुलिस, अन्य पदाधिकारी या लोक सेवक द्वारा व्यक्तियों को परेशान करने संबंधित मामलों में आयोग संज्ञान लेता है। इसके अलावा अन्य सिविल, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों, जिनमें रिमांड होम या कारागारों की दशा, मजदूर वर्ग की दशा, दहेज मृत्यु या दहेज की माँग, बलात्कार, हत्या, लैंगिक प्रताड़ना, महिलाओं पर अत्याचार एवं अप्रतिष्ठा, बाल मजदूर और बँधुआ मजदूर, बाल विवाह, समुचित शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित करना, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, समुचित स्वच्छता की दशाएँ आदि मामलों में आयोग उचित दिशा-निर्देश दे सकता है। राज्य में वैसे कानून, जिसमें मानवाधिकार के हनन की कोई प्रवृत्ति सामने आती हो, उस पर आयोग अपना विचार देता है।

राज्य महिला आयोग

राज्य में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके कल्याण एवं राज्य सरकार की समस्त कार्यक्रमों की निगरानी हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। महिला अधिकारों हेतु ज्ञानवर्धन कराने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न तरीके के कार्यशालाओं का आयोजन आयोग करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त सात गैर-सरकारी महिलाओं का मनोनयन उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सात सदस्यों में एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक पिछड़ी जाति, एक विधि एवं विधान का अनुभव रखनेवाली, एक किसी स्वयंसेवी संस्था का अनुभव रखनेवाली एवं एक समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभवी महिला का मनोनयन किए जाने का प्रावधान है। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित या अधिकतम 3 वर्ष का होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं—

1. विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण एवं जाँच करना।
2. महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग के काम-काज का एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास पेश करना।
3. राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन में अनुशंसा करना।
4. राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लाना।
5. महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने एवं उनके संरक्षण, समानता तथा विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित की गई विधियों के क्रियान्वयन विषय पर शिकायतों की जाँच करना या स्वप्रेरणा से ध्यान देना।

बिहार लोक सेवा आयोग

भारत संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल, 1949 को अपने कार्यरूप में आया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की उम्र (जो पहले हो) होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

बिहार राज्य के अधिनियम संख्या-7/2002 के द्वारा वेतनमान 6500 से 10500 (पंचम वेतन आयोग) के नीचे के वर्ग 3 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके गठन के साथ ही विद्यालय सेवा बोर्ड का इसमें विलय कर दिया गया। इसमें अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का पद सृजित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तरीय अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा वर्ग-1 के विभिन्न पदाधिकारियों का सदस्य के रूप में राज्य सरकार मनोनयन करती है।



25. प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative System)

प्रमंडलीय प्रशासन

जिला प्रशासन

अनुमंडल प्रशासन

प्रखंड प्रशासन

जिलों की विवरणी

बिहार राज्य का 1912 ई. में उदय होने के बाद राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई। 1936 में उड़ीसा तथा 2000 में झारखंड विभाजन के पश्चात् वर्तमान बिहार की प्रशासनिक रूपरेखा नए रूप में सामने आई है। वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल 44 विभाग हैं। इन सभी विभागों का कार्य राज्यपाल द्वारा संपादित होता है। मंत्री अपने विभाग का प्रधान होता है। वह अपनी सहायता के लिए एक सरकारी और एक गैर-सरकारी सचिव रख सकता है। उसके अन्य सहायकों में निजी सहायक एवं टंकक आदि होते हैं। सचिव के अतिरिक्त उसके सहायकों में विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव, अपर सचिव एवं निबंधक होते हैं। विभागों में पद वृद्धि वित्त विभाग की सहमति से होती है।

इन सभी विभागों के कार्यों के अध्ययन एवं निरीक्षण आदि के लिए राज्य में मुख्यमंत्री की सहायता के लिए सचिवालय होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रमुख बनाया जाता है, जिसके अधीनस्थ सहायक उप सचिव, अपर सचिव एवं अन्य सचिव होते हैं। सचिवालय के मुख्य सचिव को लोक सेवाओं का अध्यक्ष कहा जाता है। वह सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने का केंद्रबिंदु होता है। मंत्रिपरिषद् का मुख्य सलाहकार होने के नाते मुख्य सचिव सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है। यही मुख्य सचिव अन्य विभागों के सचिवों की संलेख सूचियाँ मुख्यमंत्री को पेश करता है और जनसंपर्क अधिकारी की प्रमुख भूमिका में केंद्र व अन्य राज्यों की सरकारों के साथ अपने राज्य की सरकार की वार्ता का सेतु बनता है।

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् को सचिवीय सहायता देना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर अधिकृत रूप से अग्रसारित करना, विभागीय नीतियों के प्रस्ताव और क्रियान्वयन में परामर्श देना, अत्यंत आवश्यक अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना, राज्यपाल के संदेशों और अभिभाषणों को तैयार करना, विभागीय मंत्रियों के प्रस्तावों पर निर्णय संबंधी कार्रवाई करना, वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय बजट तैयार करना, वित्त संकट के समय आनेवाले सुझावों एवं समाधानों पर परामर्श देना, वेतन, नियुक्ति और पदोन्नति के नियम बनाना, स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदि के बारे में कार्रवाई करना, विभागीय क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट बनाना आदि सचिवालय का मुख्य कार्य है। इसके अलावा सरकारी राजस्व वसूली को सुनिश्चित करना, विभागीय कार्यों के

सुचारु क्रियान्वयन के लिए नीति व अनुदेश बनाना, प्रशिक्षण के लिए पदाधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण नीति तय करना, आवश्यकतानुसार विभिन्न आयोगों का गठन करना, केंद्र व राज्य द्वारा विभागों को दी जानेवाली राशि का सामयिक एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करना भी सचिवालय का मुख्य कार्य है।

बिहार में वर्तमान (2016) में कुल 38 जिले हैं। जिले में प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। इसे विभिन्न पदरूपों में अपना कार्यभार सँभालना होता है।

राज्य का प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को पाँच स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है, जो राज्य में सरकारी नीतियों, नियमों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। पाँच स्तरों पर वर्गीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड स्तरीय प्रशासन एवं ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशासन सम्मिलित हैं।

प्रमंडलीय प्रशासन

राज्य में नौ प्रमंडल हैं, जिनके प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। ये आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय और अनुभवी अधिकारी होते हैं। आयुक्त के कार्यों में जिलाधिकारियों के विधि-विकास कार्यों में पर्यवेक्षक की भूमिका और न्यायालयों के कार्य आदि होते हैं। आयुक्त के सहायक अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के सचिव के अलावा एक उप-निदेशक (खाद्य), उप-निदेशक (पंचायती राज) और अपर जिला दंडाधिकारी (फ्लाइंग स्क्वाड) के रूप में होते हैं।

जिला प्रशासन

बिहार में वर्तमान (2016) में कुल 38 जिले हैं। जिले में प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। इसे विभिन्न पदरूपों में अपना कार्यभार सँभालना होता है।

भू-राजस्व वसूली, कैनाल एवं अन्य शुल्कों की वसूली, विभिन्न राजकीय ऋणों की वसूली, राष्ट्रीय विपदाओं का मूल्यांकन और उनमें सहायता कार्य, स्टॉप ऐक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन, सामान्य एवं विशेष भूमि अर्जन का कार्य, जमींदारी बॉण्ड्स का भुगतान, भू-अभिलेखों का समुचित रखरखाव, भूमि पंजीकरण का कार्य, सांख्यिकी संबंधी रिकॉर्ड रखना कलेक्टर के रूप में जिलाधिकारी का प्रमुख कार्य है।

राज्य सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन करना, जिला कोषागार का प्रबंध करना, प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं नागरिकता संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत करना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, सैनिकों और भूमिहीनों के लिए भूमि-बंदोबस्त संबंधी कार्य करना, जिला समाहरणालय में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के पेंशन संबंधी मामलों का निष्पादन करना, जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता और नियमित बैठकों का आयोजन करना, केंद्र अथवा राज्य के मंत्रियों के जिले में आगमन पर सुरक्षा प्रबंध करना, जिला स्तर के सभी अधिकारियों पर बजट नियंत्रण रखना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के जिला भ्रमण दौरों पर सुरक्षा प्रबंध करना जिलाधिकारी के रूप में प्रमुख कार्य हैं। सामान्य नागरिकों की शिकायतें सुनकर आवश्यक कार्रवाई करना, जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा पदाधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, जिले में मूलभूत सुविधाओं का आपूर्ति संबंधी पर्यवेक्षण करना, अनुमंडल/प्रखंड/ग्राम्य स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और उन्हें अवकाश देने संबंधी कार्य करना आदि भी जिलाधिकारी के अन्य प्रमुख कार्य हैं।

पर्व, त्योहार और विशेष व्यक्ति की सुरक्षा में दंडाधिकारी की तैनाती करना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को प्रमाण-पत्र देना, अशांति, हिंसा और दंगों की स्थिति में सेना का प्रभावित क्षेत्र में फ्लैग मार्च कराना, बिगड़ती न्याय-व्यवस्था के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना, कर्फ्यू लगाना आदि, अधीनस्थ कार्यपालक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना, जेलों का औचक अथवा पूर्व निरीक्षण करना, बंदियों को व्यवहार के आधार पर श्रेणी देना अथवा पेरोल पर छोड़ना, अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपना, जिला अंतर्गत सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करना, आपदा, दुर्घटना, उग्रवादी गतिविधियों में पीड़ितों को मुआवजा देना, जिला स्तर के विभिन्न चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराना, जिले में मनोरंजन संस्थाओं से मनोरंजन कर लागू करके वसूलना, जिले की मतदाता सूची को अद्यतन कराना, संसदीय/विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्सौंपन कराना, जनगणना संबंधी कार्य पूर्ण कराना आदि जिलाधिकारी का दंडाधिकारी के रूप में प्रमुख कार्य हैं।

पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक से, वन विभाग के वन पदाधिकारी से, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी से, सहकारी विभाग के सहायक निबंधक से, कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी से, खनन विभाग के सहायक खनन पदाधिकारी से, चिकित्सा विभाग के सिविल सर्जन से, निबंधन विभाग के सहायक निबंधक से, उद्योग विभाग के जिला उद्योग पदाधिकारी से, उत्पाद विभाग के अधीक्षक से, आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वयन करना जिलाधिकारी का प्रमुख दायित्व है।

इस प्रकार जिलाधिकारी जिले का प्रमुख होता है, जो अपनी पूर्ण क्षमता और अधिकारों के साथ जिले के नागरिकों और राज्य सरकार के बीच सुविधा-सेतु का कार्य करता है।

अनुमंडल प्रशासन

बिहार में वर्तमान (2016) में 102 अनुमंडल हैं। जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन में अनुमंडल प्रशासन आता है, जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.एम.) होता है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है। बिहार के अनुमंडल प्रशासन में दोनों प्रकार के पदाधिकारी हैं। ये पदाधिकारी भी अपने क्षेत्र में जिलाधिकारी की भाँति ही कई भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। राजस्व, विधि और न्याय संबंधी कार्यों में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। इसके साथ ही ये विकास संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करने का कार्य भी करते हैं।

बिहार में वर्तमान (2016) में 102 अनुमंडल हैं। जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन में अनुमंडल प्रशासन आता है, जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.एम.) होता है।

ये पदाधिकारी कृषि और भूमि संबंधी राजस्व वसूलने और अंचलाधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य करते हैं। अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्तियों का कार्य करते हैं। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस पर नियंत्रण और आदेश जारी करते हैं। क्षेत्र में शस्त्र आवेदनों पर अनुशंसा के साथ शस्त्रों का वार्षिक निरीक्षण भी करते हैं, साथ ही क्षेत्र में आनेवाले जिला/राज्य/केंद्र के विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं।

प्रखंड प्रशासन

बिहार में वर्तमान (2016) में 534 प्रखंड हैं। जिला प्रशासन की दूसरी सीढ़ी प्रखंड प्रशासन है, जिसमें अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आदि पदनामित पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं। इनमें अंचलाधिकारी और

प्रखंड विकास अधिकारी के पद और कार्य प्रमुख होते हैं।

अंचलाधिकारी एवं उसके कार्य

अंचलाधिकारी का पद राज्य प्रशासनिक सेवा अथवा अन्य सेवाओं से प्रोन्नत हुए पदाधिकारी को दिया जाता है। भू-राजस्व, भू-अभिलेख, विधि व्यवस्था का संधारण करना, चुनाव, जनगणना, कृषि सांख्यिकी, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करना, पर्व-त्योहारों में शांति-व्यवस्था, सौहार्द बनाने और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना, राज्य में आदिवासियों के भूमि-संबंधी अधिकारों की सुरक्षा करना, समाज कल्याण के सभी कार्यों का संपादन करना, आपदा, दुर्घटना, दंगा-पीड़ित लोगों के मुआवजे का आकलन और मुआवजा देने का कार्य करना आदि अंचल के अंतर्गत आनेवाले ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रमुख कार्य हैं।

प्रखंड विकास अधिकारी एवं उसके कार्य

यह राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा राज्य कृषि सेवा के अधिकारियों को सौंपा जानेवाला पद है। यह अधिकारी प्रखंड के सभी विभागों के अधिकारियों के बीच सहयोगी और समन्वयक की भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार संबंधी आवेदनों की अनुशंसा करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना इसके प्रमुख कार्य हैं।

बिहार के प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल

प्रमंडल : 1. पटना

जिला : 1. पटना

अनुमंडल : 1. पटना सदर, 2. दानापुर, 3. बाढ़, 4. पटना सिटी, 5. मसौढ़ी, 6. पालीगंज

प्रमंडल : 1. पटना

जिला : 2. नालंदा

अनुमंडल : 1. बिहारशरीफ सदर, 2. हिलसा, 3. राजगीर

प्रमंडल : 1. पटना

जिला : 3. रोहतास

अनुमंडल : 1. सासाराम सदर, 2. विक्रमगंज, 3. डेहरी

प्रमंडल : 1. पटना

जिला : 4. भभुआ (कैमूर)

अनुमंडल : 1. भभुआ सदर, 2. मोहनिया

प्रमंडल : 1. पटना

जिला : 5. भोजपुर (आरा)

अनुमंडल : 1. आरा सदर, 2. जगदीशपुर, 3. पीरो

प्रमंडल : 1. पटना

जिला : 6. बक्सर

अनुमंडल : 1. बक्सर सदर, 2. डुमराँव

प्रमंडल : 2. मगध

जिला : 1. गया

अनुमंडल : 1. गया सदर, 2. शेरघाटी, 3. टेकारी, 4. नीमचक, 5. बथानी

प्रमंडल : 2. मगध

जिला : 2. जहानाबाद

अनुमंडल : 1. जहानाबाद सदर

प्रमंडल : 2. मगध

जिला : 3. अरवल

अनुमंडल : 1. अरवल सदर

प्रमंडल : 2. मगध

जिला : 4. नवादा

अनुमंडल : 1. नवादा सदर, 2. रजौली

प्रमंडल : 2. मगध

जिला : 5. औरंगाबाद

अनुमंडल : 1. औरंगाबाद सदर, 2. दाऊदनगर

प्रमंडल : 3. सारण (छपरा)

जिला : 1. सारण (छपरा)

अनुमंडल : 1. छपरा सदर, 2. मढ़ौरा, 3. सोनपुर

प्रमंडल : 3. सारण (छपरा)

जिला : 2. सीवान

अनुमंडल : 1. सीवान सदर, 2. महाराजगंज

प्रमंडल : 3. सारण (छपरा)

जिला : 3. गोपालगंज

अनुमंडल : 1. गोपालगंज सदर, 2. हथुआ

प्रमंडल : 4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)

जिला : 1. मुजफ्फरपुर

अनुमंडल : 1. मुजफ्फरपुर पूर्व, 2. मुजफ्फरपुर पश्चिम

प्रमंडल : 4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)

जिला : 2. सीतामढ़ी

अनुमंडल : 1. सीतामढ़ी सदर, 2. पुपरी, 3. बेलसंड

प्रमंडल : 4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)

जिला : 3. शिवहर

अनुमंडल : 1. शिवहर सदर

प्रमंडल : 4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)

जिला : 4. प. चंपारण (बेतिया)

अनुमंडल : 1. बेतिया, 2. बगहा, 3. नरकटियागंज

प्रमंडल : 4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)

जिला : 5. पू. चंपारण

अनुमंडल : 1. मोतिहारी सदर, 2. अरेराज, 3. चकिया, 4. पकड़ीदयाल, 5. रक्सौल, 6. सिकहरना

प्रमंडल : 4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)

जिला : 6. वैशाली

अनुमंडल : 1. हाजीपुर, 2. महुआ, 3. महनार

प्रमंडल : 5. दरभंगा

जिला : 1. दरभंगा

अनुमंडल : 1. दरभंगा सदर, 2. बेनीपुर, 3. बिरौल

प्रमंडल : 5. दरभंगा

जिला : 2. मधुबनी

अनुमंडल : 1. मधुबनी सदर, 2. जयनगर, 3. बेनीपट्टी, 4. झंझारपुर, 5. फुलपरास

प्रमंडल : 5. दरभंगा

जिला : 3. समस्तीपुर

अनुमंडल : 1. समस्तीपुर सदर, 2. दलसिंहसराय, 3. पटोरी 4. रोसड़ा

प्रमंडल : 6. कोसी (सहरसा)

जिला : 1. सहरसा

अनुमंडल : 1. सहरसा, 2. सिमरी बख्तियारपुर

प्रमंडल : 6. कोसी (सहरसा)

जिला : 2. सुपौल

अनुमंडल : 1. वीरपुर, 2. निमली, 3. सुपौल, 4. त्रिवेणीगंज

प्रमंडल : 6. कोसी (सहरसा)

जिला : 3. मधेपुरा

अनुमंडल : 1. मधेपुरा, 2. उदाकिशुनगंज

प्रमंडल : 7. पूर्णिया

जिला : 1. पूर्णिया

अनुमंडल : 1. पूर्णिया सदर, 2. बनमनखी, 3. वायसी, 4. धमदाहा

प्रमंडल : 7. पूर्णिया

जिला : 2. अररिया

अनुमंडल : 1. अररिया सदर, 2. फारबिसगंज

प्रमंडल : 7. पूर्णिया

जिला : 3. किशनगंज

अनुमंडल : 1. किशनगंज

प्रमंडल : 7. पूर्णिया

जिला : 4. कटिहार

अनुमंडल : 1. कटिहार सदर, 2. बारसोई, 3. मनहारी

प्रमंडल : 8. भागलपुर

जिला : 1. भागलपुर

अनुमंडल : 1. भागलपुर सदर, 2. कहलगाँव, 3. नवगछिया

प्रमंडल : 8. भागलपुर

जिला : 2. बाँका

अनुमंडल : 1. बाँका सदर

प्रमंडल : 9. मुंगेर

जिला : 1. मुंगेर

अनुमंडल : 1. मुंगेर, 2. हवेली खडगपुर, 3. तारापुर

प्रमंडल : 9. मुंगेर

जिला : 2. लखीसराय

अनुमंडल : 1. लखीसराय

प्रमंडल : 9. मुंगेर

जिला : 3. जमुई

अनुमंडल : 1. जमुई

प्रमंडल : 9. मुंगेर

जिला : 4. खगड़िया

अनुमंडल : 1. खगड़िया, 2. गोगरी

प्रमंडल : 9. मुंगेर

जिला : 5. शेखपुरा

अनुमंडल : 1. शेखपुरा

प्रमंडल : 9. मुंगेर

जिला : 6. बेगूसराय

अनुमंडल : 1. बेगूसराय, 2. तेघड़ा, 3. बलिया 4. मँझौली 5. बखड़ी

जिलों की विवरणी

इस प्रकार राज्य में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल एवं 38 जिले हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार है—

पटना

पटना राज्य की राजधानी है, जिसकी जनसंख्या 57,72,804 है और इसका क्षेत्रफल 3,202 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले के सीमावर्ती जिलों में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद हैं। पटना प्रमंडल का मुख्यालय भी पटना में ही है। बाढ़, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज, पटना सिटी एवं पटना सदर इसके अनुमंडल हैं। इस जिले में कुल पुरुष जनसंख्या 30,51,117 एवं महिला जनसंख्या 27,21,687 निवास करती हैं। जिले का जनसंख्या घनत्व 1,803 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 892 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष है। जिले की साक्षरता दर 72.47 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.23 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 63.72 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की कुल संख्या 22 है। यहाँ पर चीनी उद्योग, जूता उद्योग एवं बिस्कुट उद्योग का विकास प्रमुखता से हुआ है। जिले की प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, मटर, आलू, प्याज व सब्जियाँ हैं।

नालंदा

नालंदा जिला पटना प्रमंडल का एक प्रमुख जिला है, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ में है। इस जिले का गठन 1972 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2,367 वर्ग किलोमीटर है। पटना, जहानाबाद, गया और नवादा इसके सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में प्रखंडों की कुल संख्या 19 है। जिले की कुल जनसंख्या 28,72,523 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 14,95,577 एवं महिलाओं की जनसंख्या 13,76,946 है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 1,220 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लैंगिक अनुपात 921/1000 है। जिले की कुल साक्षरता दर 66.41 प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.71 प्रतिशत है और महिलाओं की साक्षरता दर 54.76 प्रतिशत है। इस जिले में फल्गु और मोहनी नदी बहती हैं। कृषि उत्पादन में धान, आलू, प्याज आदि प्रमुख हैं। उद्योगों में हथकरघा उद्योग प्रमुख है।

रोहतास

पटना प्रमंडल में स्थित इस जिले का क्षेत्रफल 3851 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय सासाराम है। इस जिले का गठन 1972 ई. में किया गया। इस जिले के सीमावर्ती जिलों में बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, औरंगाबाद हैं। इस जिले के तीन अनुमंडल सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी हैं। इसका जिला मुख्यालय सासाराम है। यहाँ पर 19 प्रखंड हैं। इस जिले की कुल आबादी 29,62,593 है। इसमें 15,47,856 पुरुष और 14,14,737

महिलाएँ हैं। जिले का जनसंख्या घनत्व 763 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। इस जिले का लिंगानुपात 914/1000 है। यहाँ की साक्षरता दर 73.37 प्रतिशत है। सोन और काव नदियों से सिंचित यह जिला कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है। धान और गेहूँ के उत्पादन में राज्य में इस जिले का प्रमुख स्थान है। यहाँ के उद्योग-धंधों में सीमेंट उद्योग, गंधक उद्योग, कागज उद्योग प्रमुख हैं। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा वास्तुशैली का एक अद्भुत उदाहरण है।

भभुआ (कैमूर)

पटना प्रमंडल में अवस्थित यह जिला एक पठारी जिला है। इस जिले का गठन 1991 ई. में किया गया। इस जिले का क्षेत्रफल 3,362 वर्ग किलोमीटर है। रोहतास और बक्सर जिलों की सीमा से लगे इस जिले की अर्द्धचंद्राकार सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। इस जिले में दो अनुमंडल भभुआ और मोहनिया हैं। 11 प्रखंडोंवाले इस जिले की कुल जनसंख्या 16,26,900 है, जिसमें 8,47,784 पुरुष और 7,79,116 महिलाएँ हैं। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 488 है। यहाँ का लैंगिक अनुपात 919 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हैं। यहाँ की साक्षरता दर 69.34 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 85.29 प्रतिशत और महिला साक्षरता 59.56 प्रतिशत है। पठारों से निकली कर्मनाशा और दुर्गावती नदियों से सिंचित इस जिले के क्षेत्रों में धान, मक्का, गेहूँ और गन्ने की फसलें पैदा की जाती हैं।

भोजपुर (आरा)

पटना प्रमंडल के इस जिले का गठन 1992 ई. में किया गया। इसका मुख्यालय आरा है। इस जिले का क्षेत्रफल 2395 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जनसंख्या 27,20,155 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1136 है। इस जिले का लिंगानुपात 900 महिला प्रति 1000 पुरुष है। इस जिले की साक्षरता दर 72.79 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81.74 एवं महिला साक्षरता दर 58.03 प्रतिशत है। पटना, अरवल, रोहतास, बक्सर एवं सारण इस जिले के सीमावर्ती जिले हैं।

बक्सर

बक्सर जिले का गठन 11 मार्च, 1991 को किया गया। इस जिले का क्षेत्रफल 1703 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 17,07,643 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1003 है। इस जिले का लिंगानुपात 922 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हैं। यहाँ की कुल साक्षरता दर 71.77 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.72 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 58.63 प्रतिशत है। इस जिले की सीमा से भोजपुर, रोहतास, कैमूर जिले की सीमा लगती है। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का एवं गन्ने का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। इस जिले में सोन, गंगा, कर्मनाशा नदियों का प्रवाह है। यहाँ वस्त्र उद्योग, दरी उद्योग और कंबल उद्योग आदि प्रमुख उद्योग हैं।

गया

बौद्ध धर्म के तीर्थों और हिंदू धर्म के आस्था वाले इस जिले का गठन 1865 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर एवं इसकी जनसंख्या 43,79,383 है। इसके सीमावर्ती जिले नवादा, नालंदा, जहानाबाद एवं औरंगाबाद हैं। इस जिले के प्रखंडों की कुल संख्या 26 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 880 है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुष पर 936 महिलाओं का अनुपात है। इस जिले की साक्षरता दर 66.35 प्रतिशत है, जबकि पुरुष दर 80.11 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 59.71 प्रतिशत है। यहाँ पर फल्गु नदी प्रवाहित होती है। धान, गेहूँ, आलू एवं मसूर यहाँ की खाद्य फसल है। उद्योग-धंधों में यहाँ पर चीनी उद्योग प्रमुख है।

जहानाबाद

मगध प्रमंडल के इस जिले का गठन 1986 ई. में किया गया है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 931 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 11,24,176 है। कुल जनसंख्या घनत्व 1206 है। यहाँ का महिला-पुरुष लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। इस जिले की साक्षरता दर 68.27 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 77.60 एवं महिला साक्षरता दर 55.01 प्रतिशत है। पटना, नालंदा, रोहतास एवं भोजपुर इस जिले के पड़ोसी जिले हैं। धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, गन्ना, मक्का यहाँ की प्रमुख फसल हैं। फल्गु, दरधा, यमुनिया नदियाँ इस जिले से प्रवाहित होती हैं।

अरवल

अरवल जिले का गठन 1999 ई. में हुआ। इस जिले का क्षेत्रफल 638 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 6,99,563 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1099 है। इस जिले का लिंगानुपात 927 है। पुरुष साक्षरता दर 79.06 प्रतिशत, महिला साक्षरता दर 54.86 प्रतिशत है। जहानाबाद, गया, नवादा, पटना जिले इसके सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में प्रखंडों की कुल संख्या 5 है। धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मक्का यहाँ की प्रमुख फसल हैं। फल्गु नदी इस जिले से होकर प्रवाहित होती है।

नवादा

नवादा जिले का क्षेत्रफल 2494 वर्ग किलोमीटर एवं इसकी कुल जनसंख्या 22,16,653 है। इसमें पुरुष जनसंख्या 11,45,123 एवं महिला जनसंख्या 10,71,530 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 889 है। यहाँ का लिंगानुपात 921 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है। इस जिले की कुल साक्षरता दर 61.63 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 69.98 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 48.86 प्रतिशत है। गया, नालंदा, शेखपुरा एवं जमुई इसके सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में सकरी नदी प्रवाहित होती है। धान, गेहूँ, आलू, मसूर यहाँ की प्रमुख फसल हैं। बीड़ी उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है।

औरंगाबाद

औरंगाबाद जिले का गठन मगध प्रमंडल में 1973 ई. में किया गया। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 3305 वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या 25,11,243 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 13,10,867 एवं महिलाओं की जनसंख्या 12,00,376 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 760 है। इस जिले का लिंगानुपात 916 है। यहाँ की साक्षरता दर 72.77 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.11 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 59.71 प्रतिशत है। गया, जहानाबाद, अरवल एवं रोहतास यहाँ के सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में कुल 11 प्रखंड हैं। धान, गेहूँ, मसूर यहाँ की प्रमुख फसल हैं। कार्पेट एवं ब्लैकेट उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। इस जिले से ओरंगा और मोरहर नदियाँ बहती हैं।

सारण (छपरा)

सारण जिला को छपरा के नाम से भी जाना जाता है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय इसी जिले में है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2641 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 39,43,098 है। इस जिले की कुल पुरुष जनसंख्या 20,23,476 एवं कुल महिला जनसंख्या 19,19,622 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1493 है। इस जिले का लिंगानुपात 949 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है। यहाँ की साक्षरता दर 68.57 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.03 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 54.42 प्रतिशत है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, सीवान,

गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जिले की सीमा सारण जिले की सीमा से लगती है। इस जिले के प्रखंडों की कुल संख्या 20 है। धान, गेहूँ, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल हैं। गंगा, घाघरा एवं गंडक इस जिले से होकर प्रवाहित होनेवाली नदियाँ हैं।

सीवान

1972 ई. में गठित सारण प्रमंडल के इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2219 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 33,18,176 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1495 है। यहाँ का लिंगानुपात 984 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है। सारण एवं गोपालगंज इस जिले के सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में कुल प्रखंडों की संख्या 19 है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 71.59 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.23 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 58.66 प्रतिशत है। चीनी मिल, पीतल एवं हथकरघा उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। दाहा एवं झरही यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। धान, गेहूँ एवं गन्ना इस जिले की प्रमुख फसलें हैं।

गोपालगंज

सारण प्रमंडल में गोपालगंज जिले का गठन 1973 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2033 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 25,58,037 है। यहाँ पर कुल पुरुष जनसंख्या 12,69,677 एवं महिला जनसंख्या 12,88,307 है। इस जिले का लैंगिक अनुपात 1015 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1298 है। सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण एवं प. चंपारण इस जिले के पड़ोसी जिले हैं। गोपालगंज जिले में कुल 14 प्रखंड हैं। धान, गेहूँ, मक्का यहाँ की प्रमुख फसल हैं। खाद्य, तेल मिल एवं चीनी मिल यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ की कुल साक्षरता दर 67.04 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.51 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 54.81 प्रतिशत है।

मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर जिले का गठन 1875 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 3172 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 47,78,610 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1506 एवं लिंगानुपात 898 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है। सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण एवं पूर्वी चंपारण इसके सीमावर्ती जिले हैं। यहाँ पर प्रखंडों की कुल संख्या 16 है। धान, गेहूँ, मक्का, लीची, आम यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले की साक्षरता दर 65.68 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 71.28 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 54.67 प्रतिशत है। चीनी मिल, थर्मल पावर स्टेशन, दवा उद्योग, बैगन फैक्टरी के उद्योग-धंधे इस जिले में अवस्थित हैं। बागमती, बूढ़ी गंडक इस जिले से प्रभावित होनेवाली प्रमुख नदियाँ हैं।

सीतामढ़ी

सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी धार्मिक दृष्टि से बिहार में श्रद्धा और आस्था का प्रमुख स्थान रखनेवाला एक जिला है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 2294 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 34,19,622 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1491 एवं लिंगानुपात 899 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष है। शिवहर, पू. चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, तिलहन, ईख और तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस जिले की साक्षरता दर 52.04 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 53.53 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 42.41 प्रतिशत है। चीनी मिल एवं चावल एवं तेल मिल, डिस्टिलरी प्लांट के उद्योग इस जिले में अवस्थित हैं।

शिवहर

शिवहर जिले का गठन 1994 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 6,56,916 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 है। यहाँ का लिंगानुपात 890 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चंपारण इसके सीमावर्ती जिले हैं। यहाँ पर प्रखंडों की कुल संख्या 5 है। धान, गेहूँ, गन्ना यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले की साक्षरता दर 56.00 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 61.31 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 45.26 प्रतिशत है।

पश्चिमी चंपारण

बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण का कुल क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 39,22,780 है। इस जिले का जिला मुख्यालय बेतिया है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 753 है। गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, गन्ना यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से होकर गंडक नदी प्रवाहित होती है। इस जिले की साक्षरता दर 58.06 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 65.59 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 44.69 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 906 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

पूर्वी चंपारण

पूर्वी चंपारण का कुल क्षेत्रफल 3968 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 50,82,868 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1281 है। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, जूट, गन्ना यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से होकर गंडक एवं शिकरहना नदी प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर चीनी मिल एवं बटन उद्योग के कारखाने स्थित हैं। इस जिले की साक्षरता दर 58.26 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 65.34 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 45.12 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 901 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हैं।

वैशाली

वैशाली जिले का गठन 1972 ई. में किया गया। इसका मुख्यालय हाजीपुर है। वैशाली का कुल क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 34,95,249 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1717 है। पटना, समस्तीपुर, सारण एवं मुजफ्फरपुर इसके सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में प्रखंडों की कुल संख्या 16 है। धान, मक्का, मसूर, गेहूँ, केला यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से होकर गंगा और गंडक नदी प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर चीनी मिल, गुल एवं जर्दा उद्योग के कारखाने स्थित हैं। इस जिले की साक्षरता दर 68.56 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 75.41 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 56.73 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 892 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

दरभंगा

दरभंगा जिले का गठन 1875 ई. में किया गया। इसका मुख्यालय दरभंगा है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 39,21,971 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1721 है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर इसके सीमावर्ती जिले हैं। इस जिले में प्रखंडों की कुल संख्या 18 है। धान, मखाना यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से होकर कमला और बलान नदी प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर चीनी मिल, कागज मिल, हथकरघा उद्योग, जूट एवं बीड़ी उद्योग के कारखाने स्थित हैं। इस जिले की साक्षरता दर

58.26 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 66.83 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 45.24 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 910 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

मधुबनी

मधुबनी का कुल क्षेत्रफल 3501 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 44,76,044 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1279 है। सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा एवं सुपौल इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान एवं मखाना यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से कमला, भूतही और बलान नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर चीनी मिल, खादी उद्योग, सूत करघा उद्योग, मिथिला पेंटिंग के कारखाने स्थित हैं। इस जिले की साक्षरता दर 60.90 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 46.16 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 925 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

समस्तीपुर

समस्तीपुर का कुल क्षेत्रफल 2904 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 42,54,762 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1465 है। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया एवं बेगूसराय इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, मक्का, मिर्च एवं तंबाकू यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से बूढ़ी गंडक, कोसी और बलान नदी प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर चीनी मिल, कागज उद्योग, जूट, सूत करघा उद्योग एवं मिथिला पेंटिंग के कारखाने स्थित हैं। इस जिले की साक्षरता दर 63.81 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 71.25 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 51.51 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 909 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

सहरसा

सहरसा जिले का गठन 1954 ई. में किया गया। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा जिले में स्थित है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1896 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 18,97,102 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1125 है। मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा एवं खगड़िया इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, मक्का, जूट एवं मखाना यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से कोसी नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर जूट एवं बीड़ी के कारखाने स्थित हैं। इस जिले की साक्षरता दर 54.57 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 63.56 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 41.68 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 906 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

सुपौल

सुपौल जिले का गठन 1991 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2425 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 22,28,397 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 898 है। मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा एवं अररिया इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, मक्का, गेहूँ एवं केला यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से होकर कोसी नदी प्रवाहित होती है। इस जिले की साक्षरता दर 59.65 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 69.62 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 44.74 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 925 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

मधेपुरा

सुपौल जिले का गठन 1981 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1788 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 19,94,618 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1116 है। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा एवं अररिया इसके

सीमावर्ती जिले हैं। धान एवं जूट यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से कोसी और कोरनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 53.76 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 61.77 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 41.74 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 914 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

पूर्णिया

इस जिले का कुल क्षेत्रफल 3229 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 32,73,127 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1014 है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा एवं अररिया इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ एवं जूट यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ जूट उद्योग का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से कोसी और महानंदा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 52.49 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 59.6 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 42.34 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 6 है। इस जिले का लिंगानुपात 920 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

अररिया

अररिया जिले का गठन 1990 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2830 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 28,06,200 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 992 है। पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल एवं मधेपुरा इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, मक्का एवं जूट यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ जूट उद्योग का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से होकर कोसी, सुलरा, काली और कोली नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 55.10 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 62.30 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 43.93 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 9 है। इस जिले का लिंगानुपात 921 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

किशनगंज

किशनगंज जिले का गठन 1990 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 16,90,948 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 898 है। पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, मक्का एवं जूट यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ जूट उद्योग का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से होकर महानंदा नदी प्रवाहित होती है। इस जिले की साक्षरता दर 57.04 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 63.66 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 46.76 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 7 है। इस जिले का लिंगानुपात 946 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

कटिहार

कटिहार जिले का गठन 1973 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 3,057 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 30,16,149 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1004 है। किशनगंज, पूर्णिया एवं भागलपुर इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान एवं जूट यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ कागज मिल एवं जूट उद्योग का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से होकर गंगा और महानंदा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 53.56 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 59.36 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 44.39 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 16 है। इस जिले का लिंगानुपात 916 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

भागलपुर

इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2,570 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 32,32,226 है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 1180 है। बाँका, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ एवं मसूर यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ रेशम, थर्मल पावर, चीनी उद्योग, शराब उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना अवस्थित हैं। इस जिले से गंगा और कोसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 64.96 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 54.89 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 16 है। इस जिले का लिंगानुपात 879 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

बाँका

बाँका जिले का गठन 1991 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 3,019 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 20,29,339 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 672 है। भागलपुर, मुंगेर एवं जमुई इसके सीमावर्ती जिले हैं। गन्ना, धान, गेहूँ यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ चीनी उद्योग का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से होकर चानन, बेलहरनी, बरूआ, ओरहनी और छीर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 60.12 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 67.62 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 47.66 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 11 है। इस जिले का लिंगानुपात 907 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

मुंगेर

मुंगेर जिले का गठन 1832 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,419 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 13,59,054 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 959 है। खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बाँका एवं भागलपुर इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, मसूर यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ बंदूक उद्योग का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से होकर गंगा, मोहनी, इराहर और किऊल नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 73.30 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 77.74 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 62.08 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 09 है। इस जिले का लिंगानुपात 879 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

लखीसराय

लखीसराय जिले का गठन 1994 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,228 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 10,00,717 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 815 है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा एवं नालंदा इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, मसूर यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। यहाँ बालू उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस जिले से होकर गंगा और किऊल नदी प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 64.95 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 71.26 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 52.57 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 900 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

जमुई

जमुई जिले का गठन 1991 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 3,123 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 17,56,078 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 567 है। नवादा, शेखपुरा, लखीसराय एवं मुंगेर इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, मसूर यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से होकर अजय नदी प्रवाहित होती है। इस जिले की साक्षरता दर 62.16 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 71.24 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 47.28 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 921 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

खगड़िया

खगड़िया जिले का गठन 1980 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,486 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 16,57,599 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1115 है। समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा एवं दरभंगा इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, मक्का, जूट यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले से गंगा, कोसी, गंडक एवं बागमती नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 60.87 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 65.25 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 49.56 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 07 है। इस जिले का लिंगानुपात 883 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

शेखपुरा

शेखपुरा जिले का गठन 1994 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 689 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 6,34,927 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 922 है। लखीसराय, जमुई, नालंदा एवं नवादा इसके सीमावर्ती जिले हैं। धान, गेहूँ, मसूर यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले की साक्षरता दर 65.96 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 73.56 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 53.40 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 926 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।

बेगूसराय

बेगूसराय जिले का गठन 1972 ई. में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,918 वर्ग किलोमीटर एवं कुल जनसंख्या 29,54,367 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1540 है। पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर एवं लखीसराय इसके सीमावर्ती जिले हैं। गेहूँ, मक्का, मिर्च, अरहर, मसूर यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस जिले में तेलशोधक, ताप विद्युत, खाद का कारखाना अवस्थित है। इस जिले से गंगा, गंडक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 66.23 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 71.58 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 55.21 प्रतिशत है। इस जिले में प्रखंडों की संख्या 18 है। इस जिले का लिंगानुपात 894 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है।



26. न्यायपालिका (Judiciary)

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अधीनस्थ न्यायालय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, या एक बड़ी जनसंख्यावाले किसी राज्य के लिए एक से ज्यादा उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना भारतीय संसद् का विशेषाधिकार है। राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है। इसके नीचे जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, नगर सिविल और सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुंसिफ और अन्य मजिस्ट्रेट आते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा समय-समय पर की जाती है। देश में न्यायाधीशों की कुल संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय (स्वीकृत पद 160) है। बिहार में उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 30 है। इसकी स्थापना 3 फरवरी, 1916 को पटना में की गई।

योग्यताएँ

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. कम-से-कम दस वर्षों तक भारत में न्यायिक पद पर रह चुका हो।
3. किसी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में सेवा दे चुका हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। स्वयं द्वारा त्याग-पत्र देने या संसद् के दोनों सदन में कदाचार अथवा असमर्थता के आरोप पर महाभियोग लाकर एवं उसे दोनों सदन में अलग-अलग उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से और कुल सदस्यों के बहुमत से पारित करने पर या राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किए जाने पर या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इन्हें राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में विभिन्न उपबंध संविधान के अनुच्छेद 233 से 236 तक उल्लिखित हैं।

राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला अदालत होती है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय को निम्नलिखित पाँच प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार है— (क) बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, (ख) परमादेश लेख, (ग) प्रतिषेध लेख, (घ) अधिकार पृच्छा लेख, (ङ.) उत्प्रेषण लेख।

तलाक, वसीयत, जल, सेना विभाग, न्यायालय का अपमान, कंपनी कानून आदि से संबंधित अभियोग भी उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी मुकदमों में उच्च न्यायालय अपील सुन सकता है, जिसमें 5000 या उससे अधिक रकम या संपत्ति का प्रश्न हो।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय सुन सकता है, जिसमें अपराधी को चार वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए कैद की सजा दी गई है।

जिला एवं सेशन जज के द्वारा हत्या के मुकदमे में मृत्यु दंड की सजा उच्च न्यायालय की बगैर पुष्टि के मान्य नहीं होती।

संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। संसद् तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो, लेकिन उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के विरुद्ध स्वेच्छा से अपील ले सकता है।

उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही का विवरण माँग सकता है। किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में किसी मुकदमे को स्थानांतरित कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा से संबंधित नियम निर्धारित कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय

उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में विभिन्न उपबंध संविधान के अनुच्छेद 233 से 236 तक उल्लिखित हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होती है। संबंधित जिले के अपील संबंधी क्षेत्राधिकार उस जिला अदालत के होते हैं। अतिरिक्त जिला अदालत, कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, द्वितीय श्रेणी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, रेलवे के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत आदि जिला अदालत के अधीन काम करती हैं। जिला अदालत मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों से आई अपील का निपटारा करती है। अधीनस्थ न्यायालयों में एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश, संयुक्त न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश की अदालतें सम्मिलित होती हैं। अधीनस्थ

न्यायालय की दूसरे श्रेणी के न्यायालय मुंसिफ न्यायाधीश या दीवानी न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में होना या कम-से-कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव रखना अनिवार्य है।

मुख्य न्यायाधीशों की सूची

क्र. - 1

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति डेविड ऐजरा रियूबेन

कब से : 01.06.1952

कब तक : 02.09.1953

क्र. - 2

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर सैयद जाफर इमाम

कब से : 03.09.1953

कब तक : 10.01.1955

क्र. - 3

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सुधांशु कुमार दास

कब से : 10.01.1955

कब तक : 30.04.1956

क्र. - 4

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति विद्यानाथीयर रामास्वामी

कब से : 30.04.1956

कब तक : 04.01.1965

क्र. - 5

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति रामास्वामी लक्ष्मी नरसिंहन

कब से : 04.01.1965

कब तक : 02.08.1968

क्र. - 6

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्र

कब से : 09.11.1968

कब तक : 05.09.1970

क्र. - 7

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा

कब से : 05.09.1970

कब तक : 29.09.1972

क्र. - 8

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति नंदलाल ऊंटवालिया

कब से : 29.09.1972

कब तक : 03.10.1974

क्र. - 9

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद सिंह

कब से : 03.10.1974

कब तक : 01.05.1976

क्र. - 10

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह

कब से : 19.07.1976

कब तक : 12.03.1983

क्र. - 11

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह संधावालिया

कब से : 29.11.1983

कब तक : 27.07.1987

क्र. - 12

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद झा

कब से : 02.01.1988

कब तक : 01.05.1988

क्र. - 13

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन

कब से : 01.05.1988

कब तक : 01.05.1989

क्र. - 14

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सुशील कुमार झा

कब से : 19.10.1989

कब तक : 23.10.1989

क्र. - 15

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति गंगाधर गणेश सोनी

कब से : 24.10.1989

कब तक : 17.12.1990

क्र. - 16

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति विमल चंद्र प्रसाद

कब से : 18.03.1991

कब तक : 21.10.1994

क्र. - 17

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति कृष्ण स्वामी सुंदर परिपूर्णन

कब से : 24.10.1994

कब तक : 11.06.1994

क्र. - 18

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी

कब से : 19.09.1994

कब तक : 06.03.1995

क्र. - 19

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति गोविंद वल्लभ पटनायक

कब से : 19.05.1995

कब तक : 11.09.1995

क्र. - 20

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति देवींद्र प्रताप बाधवा

कब से : 29.09.1995

कब तक : 21.03.1997

क्र. - 21

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति बृजमोहन लाल

कब से : 09.07.1997

कब तक : 06.10.1999

क्र. - 22

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति रवि स्वरूप धवन

कब से : 25.01.2000

कब तक : 22.07.2004

क्र. - 23

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति जे.एन. भट्ट

कब से : 18.07.2005

कब तक : 16.10.2007

क्र. - 24

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति राजेश वालिया

कब से : 05.01.2008

कब तक : 30.03.2008

क्र. - 25

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा

कब से : 13.05.2008

कब तक : दिसंबर, 2008

क्र. - 26

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति जे.वी. कोशी

कब से : मार्च, 2009

कब तक : 13.05.2009

क्र. - 27

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति प्रफुल्ल कुमार मिश्रा

कब से : 12.08.2009

कब तक : 17.09.2009

क्र. - 28

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति दीपक कुमार मिश्रा

कब से : 23.12.2009

कब तक : 24.05.2010

क्र. - 29

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति रेखा एम. दोशित

कब से : 21.06.2010

कब तक : 12.12.2014

क्र. - 30

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति लिंगाला नरसिन्हा रेड्डी

कब से : 02.01.2015

कब तक : 01.08.2015

क्र. - 31

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी

कब से : 03.08.2015

कब तक : 29.10.2016

क्र. - 32

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

कब से : 29.10.2016

कब तक : -----



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

27. स्थानीय स्वशासन (Local Government)

ग्राम पंचायत
पंचायत समिति
जिला परिषद्
नगरीय स्वशासन

ग्रामीण स्तर पर स्वशासन

भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ 1957 में केंद्र सरकार द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में हुआ था। त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 1978 में पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति ने इस प्रणाली का मूल्यांकन करके अपना प्रतिवेदन दिया। समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पंचायतों को द्विस्तरीय बनाने की थी। 1985 में योजना आयोग ने जी.वी.के.राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करना था। इस आयोग ने पंचायत प्रणाली में सुधार कर उसे सशक्त बनाने के सुझाव दिए। एक वर्ष बाद 1986 में डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की। 1988 में संसदीय परामर्श समिति की एक उप-समिति ने, जिसके अध्यक्ष पी.के. थुंगन थे, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की।

बिहार सरकार ने सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 पारित किया, जिसको 17 फरवरी, 1962 को कानून का दर्जा दे दिया गया। इस अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के लिए तीन इकाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् का निर्माण किया गया। इस अधिनियम से वर्ष 1952, 1955, 1958, 1965, 1972 एवं 1978 में पंचायत चुनाव कराए गए, लेकिन विधिक समर्थन के अभाव में ऐसी निर्वाचित ग्राम पंचायतें स्वायत्तता की दृष्टि से विफल रहीं।

वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़कर लागू की गई है। इस संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का स्तर शामिल है।

ग्राम पंचायत

भारतीय संसद् द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1992 के पारित किए जाने पर बिहार सरकार ने

वर्ष 2006 में बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया।

ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। भारतीय संसद् द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1992 के पारित किए जाने पर बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया। इस व्यवस्था से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। बिहार में ग्राम पंचायत के छह अंग—ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल एवं ग्राम कचहरी होते हैं। प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन से पाँच वर्ष तक की अवधि तक कार्य करती है। यदि पंचायत पहले विघटित कर दी गई है तो विघटन की तारीख से छह माह के भीतर निर्वाचन करा लेने का प्रावधान है। समय-पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही गठित की जाती है। यदि अवशिष्ट अवधि छह माह से कम हो तो निर्वाचन कराना अपरिहार्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 243(च) से राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की अर्हता रखनेवाले सभी व्यक्ति पंचायत का सदस्य होने के लिए योग्यताधारी होंगे, लेकिन उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) से हर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की सभी कोटियों में एकल पद सहित सभी पदों पर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान (वर्ष 2016) में कुल पंचायतों एवं कुल ग्राम कचहरियों की संख्या 8398 है।

ग्राम पंचायत की विधायिका ग्राम सभा होती है। गाँवों में रहनेवाले सभी 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के नागरिक इसके सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में कम-से-कम दो बैठकें अनिवार्य रूप से होनी जरूरी हैं। ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंधित कार्यों की स्वीकृति, वार्षिक बजट, लेखा-जोखा की स्वीकृति, कर संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी समिति होती है, जिसका प्रधान मुखिया होता है। मुखिया के अलावा कार्यकारिणी समिति में आठ सदस्य होते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। ग्रामीण स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण, कार्यकारिणी समिति के सुझाव पर जुर्माना लगाना एवं कुछ क्षेत्रों में नए कर लगाना आदि मुखिया के मुख्य कार्य हैं। मुखिया का चुनाव ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपने में से एक सदस्य को उप-मुखिया के रूप में नामित करते हैं। मुखिया की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उप-मुखिया द्वारा किया जाता है, लेकिन उप-मुखिया छह महीने से अधिक मुखिया के रूप में लगातार कार्य नहीं कर सकता।

प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी पंचायत सेवक के रूप में कार्य करता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के मुखिया के सचिव के रूप में कार्यों का संचालन करता है।

ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में ग्राम पंचायत ही एक संस्था है, जिसको न्याय करने की शक्ति प्राप्त है। ग्राम पंचायत के कार्यों के निष्पादन के लिए पंचों सहित सरपंच चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल भी पाँच वर्षों का होता है। मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता।

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन, 11वीं अनुसूची से दिए गए विषयों, जैसे—भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्यपालन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं को बनाना एवं उनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य है। संविधान की 11वीं अनुसूची में राज्य

विधानमंडल एवं पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन उसी प्रकार किया गया है जैसे संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच है। राज्य विधि द्वारा किसी पंचायत को कर, शुल्क, पथकर आदि का उदग्रहण करने, उनका संग्रह करने और उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा संगृहीत कर, शुल्क आदि भी पंचायतों को दिए जा सकते हैं। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान भी दिया जा सकता है।

राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करती है, जो पंचायत वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। राज्य के द्वारा उद्गृहीत करों का राज्य एवं पंचायत के बीच वितरण, कौन से कर शुल्क, पथकर आदि पंचायत को समुनिदेशित किए जाएँगे, का निर्धारण, पंचायतों के लिए सहायता अनुदान, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई निर्देश से संबंधित सुझाव पंचायत वित्त आयोग राज्य सरकार को देता है।

पंचायत समिति

संविधान की 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन उसी प्रकार किया गया है जैसे संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच है।

पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई है। इसके चार प्रमुख अंग पंचायत समिति, प्रमुख एवं उप प्रमुख, स्थायी समिति तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव पंचायत चुनाव के दौरान ही किया जाता है। प्रत्येक पाँच हजार की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, वह प्रखंड जिस विधानसभा क्षेत्र में है, उसके विधायक, जिस लोकसभा क्षेत्र में है, उसके सांसद भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समिति में भी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रत्येक श्रेणी का 50 प्रतिशत उसी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होता है। चुने हुए सदस्य अपने में एक प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन पाँच वर्षों के लिए करते हैं। प्रत्येक प्रखंड में राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति करती है। वह पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी तथा सचिव होता है। पंचायत समिति के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर तीन समितियों के गठन की व्यवस्था है। वर्तमान में कुल पंचायत समितियों की संख्या 534 है।

पंचायत समिति को राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या जिला परिषद् से प्राप्त अनुदान, सरकार की पूर्वानुमति से लिया गया ऋण या समिति के द्वारा एकत्रित पथ कर या विभिन्न प्रकार के कर से आय प्राप्त होती है। सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार तथा उसे जिला परिषद् में प्रस्तुत करना, समिति का वार्षिक बजट बनाना, सरकार या जिला परिषद् के द्वारा दिए गए कार्यों का निष्पादन, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत का कार्य करना आदि पंचायत समिति के मुख्य कार्य हैं।

जिला परिषद्

पंचायती राज प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था जिला परिषद् होती है। इसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायत समितियाँ आती हैं। जिला परिषद् के चार प्रमुख अंग होते हैं—जिला परिषद्, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्थायी समितियाँ तथा जिला विकास पदाधिकारी। जिला परिषद् में जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, संबंधित

विधानसभा और लोकसभा के सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले में पूर्णतः या अंशतः हो, राज्य विधानपरिषद् और राज्यसभा के वे सभी सदस्य, जो उस जिले के रहनेवाले हों एवं प्रति पचास हजार की आबादी पर एक सदस्य, जो निर्वाचित होते हैं, सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद् का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है, जिनका निर्वाचन जिला परिषद् के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से पाँच वर्षों के लिए करते हैं। वर्तमान (2016) में सभी 38 जिलों के लिए कुल 38 जिला परिषद् कार्य कर रही हैं।

इसमें राज्य सरकार के द्वारा उस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षित स्थान प्रत्येक अलग-अलग चुनाव में क्रमवार बदलते रहते हैं।

जिला परिषद् अध्यक्ष राज्य सरकार और संबंधित जिले के बीच विकास से संबंधित कार्यों की कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष जिला परिषद् के सचिव के कार्यों का प्रतिवेदन जिलाधिकारी के पास भेजना, प्रखंडों एवं पंचायत समितियों के कार्यों की निगरानी करना भी अध्यक्ष का महत्वपूर्ण कार्य है। जिला विकास आयुक्त जिला परिषद् का सचिव होता है। सचिव जिला परिषद् का प्रमुख परामर्शदाता तथा सभी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करनेवाला पदाधिकारी होता है।

ग्रामीण हाटों और बाजारों का अधिग्रहण एवं उनका रक्षण, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करना, संकट के समय राहत हेतु उपाय करना, जिला स्तर पर तैयार की गई विकास योजनाओं का समन्वयन, एक प्रखंड से अधिक में होनेवाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि जिला परिषद् के प्रमुख कार्य हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दर से घाट कर, बिजली शुल्क, नाव व सवारी पंजीयन पर शुल्क, तीर्थ स्थानों एवं मेलों में सफाई व्यवस्था पर शुल्क, मेला आदि के लिए लगाया गया शुल्क, जल शुल्क, सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान आदि के द्वारा जिला परिषद् अपने कार्यों के निष्पादन हेतु धन इकट्ठा करती है।

नगरीय स्वायत्त शासन

भारत में संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा भाग 8(क) को स्थापित करते हुए नगरीय भारत के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएँ व्यवस्थापित की गई हैं। इसके पहले नगरपालिका समितियाँ और नगर निगम अस्तित्व में थे। अनुच्छेद 243(थ) के अनुसार तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ हो सकती हैं—

1. ग्रामीण स्तर से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत।
2. छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर परिषद्।
3. बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

इसके अलावा कोई ऐसा नगर क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नगर स्थापित करने का लक्ष्य हो या औद्योगिक नगर घोषित किया जा चुका हो, के लिए एक नगरीय स्वायत्त शासन की स्थापना की जा सकती है।

नगरपालिका में निर्वाचित पार्षदों की संख्या उस शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित वार्डों के अनुसार होती है। विभिन्न श्रेणी की नगरपालिकाओं में सभी पार्षद संसद् एवं राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित स्थानों को छोड़कर, उस नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें राज्य सरकार के द्वारा उस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षित स्थान प्रत्येक अलग-अलग चुनाव में क्रमवार बदलते रहते हैं। चुनाव के बाद गठित नगरपालिका किसी कारण पहले भंग न की गई हो तो अगले पाँच वर्षों तक यह कार्य करती

रहती है।

प्रत्येक नगरपालिका को उस नगर क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है। नगर निगम के लिए 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर के लिए अधिकतम वार्ड पार्षदों की संख्या 75 एवं न्यूनतम 67, 5 लाख से ऊपर तथा 10 लाख से नीचे जनसंख्या वाले नगर के लिए अधिकतम 67 एवं न्यूनतम 57, 2 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों के लिए अधिकतम 57 एवं न्यूनतम 45 पार्षदों का निर्धारण किया गया है। नगर परिषद् के लिए 1.5 लाख से ऊपर तथा 2 लाख से नीचे जनसंख्या वाले नगर के लिए वार्ड पार्षदों की संख्या 45 एवं न्यूनतम 42, 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख से नीचे जनसंख्या वाले नगर के लिए अधिकतम 42 एवं न्यूनतम 37, 40 हजार से ऊपर और 1 लाख से नीचे जनसंख्या वाले नगर के लिए अधिकतम 37 एवं न्यूनतम 25 वार्ड पार्षदों का निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 एवं न्यूनतम 10 वार्ड पार्षदों का प्रावधान है।

नगरपालिका के वार्ड पार्षद बनने के लिए निम्न योग्यताएँ निर्धारित हैं—

कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो।

न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र का हो।

राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए योग्य हो।

नगरपालिका के कर का बकाया उस पर न हो।

दो या दो से कम संतान हों।

वर्तमान में कुल नगर निगम की संख्या 12 है, जिसमें भागलपुर, दरभंगा, गया, नालंदा, मुंगेर, कटिहार, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया एवं छपरा नगर निगम शामिल हैं।

वर्तमान में कुल नगर निगम की संख्या 12 है, जिसमें भागलपुर, दरभंगा, गया, नालंदा, मुंगेर, कटिहार, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया एवं छपरा नगर निगम शामिल हैं। नगर निगम, स्थायी समिति, महापौर एवं उप-महापौर तथा नगर आयुक्त, नगर निगम के चार अंग हैं। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत दर्जन भर नगर निगमों के अध्यक्ष पद में आरक्षण तय कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें पटना, आरा, बिहारशरीफ, भागलपुर (पिछड़ा वर्ग) तथा दरभंगा नगर निगम शामिल हैं। वहीं 5 नगर निगमों—मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार एवं छपरा में मुख्य पार्षद पद को अनारक्षित रखा गया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम को पिछड़ा वर्ग तथा गया नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। महापौर एवं उप-महापौर तथा सात अन्य पार्षदों को मिलाकर नगर निगम की कोई स्थायी समिति बनती है। नगर आयुक्त महापौर के प्रधान सचिव का कार्य करते हैं। नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा के कोई अधिकारी बनते हैं। इसके अलावा नगर निगम में नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, महालेखाकार के वरीय लेखा या बिहार वित्त सेवा या बिहार लेखा सेवा से कोई अधिकारी, नगर आंतरिक अंकेक्षक; मुख्य नगर अभियंता, मुख्य नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगर वास्तुविद्, नगर विधि पदाधिकारी, नगर सचिव, तीन अपर नगर आयुक्त आदि पदाधिकारी काम करते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ई. में हुई थी। वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 67 है।

वर्तमान में बिहार की कुल नगर परिषदों की संख्या 42 तथा कुल नगर पंचायत की संख्या 86 है। नगर निगम के पार्षद होने के लिए सभी योग्यताएँ नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के पार्षद के लिए भी जरूरी हैं। नगर परिषद्,

स्थायी समिति, नगर सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् के अंग हैं। नगर पंचायत, स्थायी समिति, नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत के विभिन्न अंग हैं। नगर सभापति, नगर उप-सभापति एवं पाँच पार्षदों को मिलाकर स्थायी समिति का गठन किया जाता है। नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष और तीन अन्य पार्षदों को मिलाकर नगर पंचायत में एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है।

नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के चुनाव के बाद होनेवाली पहली बैठक में पार्षदों के द्वारा अपने में से मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद का चुनाव किया जाता है। मुख्य पार्षद अपने पद से प्रमंडलीय आयुक्त के नामित आवेदन के जरिए त्याग-पत्र दे सकता है। पार्षदों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर पार्षदों की पूर्ण संख्या के बहुमत से मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकता है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता, नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगर सचिव, नगरपालिका आंतरिक अंकेक्षक आदि नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के पदाधिकारी होते हैं। नगर निगम के मुख्य पार्षद को महापौर तथा उप-मुख्य पार्षद को उप-महापौर के नाम से जाना जाता है। नगर परिषद् के मुख्य पार्षद को नगर सभापति एवं उप-मुख्य पार्षद को नगर उप-सभापति के नाम से जाना जाता है। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को नगर अध्यक्ष एवं उप-मुख्य पार्षद को नगर उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर सभापति तथा नगर अध्यक्ष के मुख्य सचिव का कार्य करते हैं।

नगर में जल आपूर्ति, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट, गंदी बस्ती उन्नयन, सड़कों, फुटपाथों, पुलों आदि का निर्माण एवं संरक्षण, वृक्षारोपण, परिवहन प्रणाली, बाजार, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का उपाय करना आदि नगरपालिका के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चिह्नित कार्य भी नगर पालिका की कार्य-सूची में रहते हैं।

□

28. प्रमुख आर्थिक संकेतक

(Main Economic Indicators)

जनसांख्यिकी (Demographic Profile)

राज्य घरेलू उत्पाद (State Domestic Product)

बिहार में आर्थिक संरचना (Bihar Economic Structure)

बिहार में क्षेत्रीय विषमता (Regional Disparity in Bihar)

बिहार राजकोषीय नीति (Bihar Fiscal Policy)

वर्तमान दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था का विकासमूलक प्रदर्शन निरंतर जारी है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सर्वाधिक है। विकास संबंधी यह प्रदर्शन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की निम्न वृद्धि दर की पृष्ठभूमि में और भी अधिक सराहनीय है। बिहार राज्य ने अपने अधिक विकासमूलक व्यय के जरिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचानेवाले बृहत् आर्थिक अवरोधों से राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने से बचा लिया है। राज्य सरकार ने न केवल अपनी आर्थिक वृद्धि दर को अधिक रखा, बल्कि अपने समावेशी विकास के लक्ष्य को भी पूरा करने में सफल रही है। यह आर्थिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर एवं जनसंख्या के निचले पायदान को लाभ पहुँचानेवाले अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण संभव हुई है।

2011-12 से 2015-16 के बीच राज्य सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.6 प्रतिशत प्राप्त हुई, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इस उच्च वृद्धि दर के कारण गरीबी उन्मूलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किया जानेवाला विकासमूलक व्यय विकासमूलक प्रदर्शन का प्रधान कारण रहा है, परंतु इस विकासमूलक प्रदर्शन को प्राप्त करने के समय इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों से कोई समझौता न किया जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने अपने उद्देश्यों में राजस्व अधिशेष को बनाए रखना, सकल राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखना तथा अपने बकाया ऋणों को निश्चित स्तर पर रखने को प्रमुखता से स्थान दिया है। वर्ष 2016-17 में भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा गया, जिससे निकट भविष्य में अपने विकासमूलक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। 2011-12 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के लिए आधार वर्ष के रूप में अपनाया गया है। राज्य सरकार ने भी 2011-12 को अपने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अपनाया है और इस आधार पर की गई गणना के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच राज्य सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.6 प्रतिशत प्राप्त हुई, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इस उच्च वृद्धि दर के कारण गरीबी उन्मूलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2004-05 में गरीबी का स्तर 54.4 प्रतिशत था, वह घटकर 2011-12 में

33.7 प्रतिशत हो गया। गरीबी की गणना के अगले चक्र में इसमें और कमी होने की संभावना है। राज्य सरकार अपना ध्यान सात निश्चयों के माध्यम से बिहार की विकास पर केंद्रित कर रही है। युवाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तीकरण, सभी को बिजली, पानी, सड़क, शौचालय तथा उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा; ये सरकार के निश्चय हैं।

वर्तमान समय में बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करने पर निम्नलिखित आर्थिक संकेतक प्राप्त होते हैं—

जनसांख्यिकी

(Demographic Profile)

किसी भी क्षेत्र के जनसांख्यिकीय आँकड़े उस क्षेत्र की वर्तमान दशा और दिशा का वर्णन करते हैं। यह वर्णन उसकी वर्तमान और भविष्य की आशाओं और अपेक्षाओं को जन्म देता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो पूरे देश की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। बिहार के जनसंख्या संबंधी आँकड़ों को देखने पर यह बात स्पष्ट होती है कि देश की तुलना में बिहार की जनसंख्या से संबंधी आँकड़े काफी भिन्न हैं। बिहार में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1 प्रतिशत थी, जबकि संपूर्ण देश की दशकीय वृद्धि दर 17.6 प्रतिशत थी।

इस जनसंख्या वृद्धि को देखकर यह कहा जा सकता है कि बिहार जनसांख्यिकी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह जनसांख्यिकी संक्रमण देश के अन्य राज्यों में पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। जनसंख्या घनत्व देश के अन्य राज्यों की जनसंख्या घनत्व की तुलना में काफी अधिक है। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, वहीं भारत का जनसंख्या घनत्व मात्र 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या घनत्व का अधिक होना इस बात को प्रकट करता है कि बिहार पर जनसंख्या का ऐसा बृहत दबाव है, जो विकास एवं कल्याण पर बृहत मात्रा में प्रभाव डालता है। बिहार में शहरीकरण की दर मात्र 11.3 प्रतिशत है, जो देश के औसत 31.2 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच बिहार में शहरीकरण के स्तर में वृद्धि मात्र 0.8 प्रतिशत हुई, जबकि इसी समय में पूरे देश में शहरीकरण की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत थी।

भारत और बिहार की जनसांख्यिकी विवरणी 2001 और 2011 की

जनसांख्यिकी सूचक - जनसंख्या (करोड़)

बिहार : 2001 - 8.29

बिहार : 2011 - 10.41

भारत : 2001 - 102.87

भारत : 2011 - 121.06

जनसांख्यिकी सूचक - लिंगानुपात (महिला प्रति हजार पुरुष)

बिहार : 2001 - 919

बिहार : 2011 - 918

भारत : 2001 - 933

भारत : 2011 - 943

जनसांख्यिकी सूचक - बाल लिंगानुपात

बिहार : 2001 - 942

बिहार : 2011 - 935

भारत : 2001 - 927

भारत : 2011 - 919

जनसांख्यिकी सूचक - घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)

बिहार : 2001 - 880

बिहार : 2011 - 1106

भारत : 2001 - 325

भारत : 2011 - 382

जनसांख्यिकी सूचक - शहरीकरण (प्रतिशत)

बिहार : 2001 - 10.5

बिहार : 2011 - 11.3

भारत : 2001 - 27.8

भारत : 2011 - 31.2

जनसांख्यिकी सूचक - दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

बिहार : 2001 - 28.6

बिहार : 2011 - 25.1

भारत : 2001 - 21.5

भारत : 2011 - 17.6

स्रोत : जनगणना, 2001 तथा 2011

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में बिहार के विभिन्न जिलों के बीच काफी अंतर है। जहाँ कुछ जिले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ जिलों की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार में लिंगानुपात 918 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 935 है। बिहार राज्य के लिए यह उत्साहवर्धक है कि बाल लिंगानुपात में जहाँ राष्ट्रीय औसत 919 है, वहीं बिहार का बाल लिंगानुपात 942 है। यह इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में लिंगानुपात के आँकड़े में सुधार होगा। विभिन्न जिलों के बीच लिंगानुपात में काफी अंतर है। जहाँ गोपालगंज में लिंगानुपात 1021 है, वहीं मुंगेर में सबसे कम 876 है। राज्य के 38 में से 10 जिलों में जनसंख्या घनत्व 1400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर से अधिक है, जो अत्यधिक जनसंख्या दबाव को प्रदर्शित करता है।

राज्य घरेलू उत्पाद

(State Domestic Product)

बिहार राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद; दोनों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। दोनों का अनुमान स्थिर कीमत तथा वर्तमान कीमत पर अनुमानित किया जाता है। 2011-12 से लेकर 2014-16 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान की गणना की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के योगदान के आधार पर गणना की गई है, जो निम्न है—

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर

क्र.	वस्तु	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	कृषि एवं पशुपालन, खनिज एवं काष्ठ उत्पादन, मत्स्य उद्योग	5.8	2.2
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	42.5	42.6
	प्राथमिक क्षेत्र	6.0	-2.0

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर

क्र.	वस्तु	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	विनिर्माण	23.5	17.7
2.	विद्युत, जलापूर्ति, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	-2.6	15.2
3.	निर्माण	8.6	2.1
	द्वितीयक क्षेत्र	12.6	8.4

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर

क्र.	वस्तु	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	परिवहन, भंडारण, संचार	20.3	12.6
2.	वित्तीय सेवाएँ	9.0	6.3
3.	रियल स्टेट, आवास स्वामित्व, व्यवसायिक सेवाएँ	9.8	3.6
4.	लोक प्रशासन	13.2	4.5
5.	अन्य सेवाएँ	22.8	12.6
	तृतीयक क्षेत्र	17.0	10.4

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर

क्र.	क्षेत्र	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	प्राथमिक क्षेत्र	6.0	2.0
2.	द्वितीयक क्षेत्र	12.6	8.4
3.	तृतीयक क्षेत्र	17.0	10.4
4.	कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमत पर	13.5	7.1
5.	वस्तुओं पर कर	23.9	17.4
6.	वस्तुओं पर सहायता	19.8	13.5
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.0	7.6

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर कीमत पर 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है, जैसे—विनिर्माण में 17.7 प्रतिशत, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति में 15.2 प्रतिशत, व्यापार, होटल तथा रेस्तराँ में 14.6 प्रतिशत, परिवहन, भंडारण और संचार में 12.6 प्रतिशत एवं मत्स्यपालन आदि में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

बिहार में सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2011-12 की स्थिर कीमत पर 2015-16 में 3.27 लाख करोड़ है तथा प्रति व्यक्ति आय 29,190 रुपए है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर 2015-16 में 4.14 लाख करोड़ है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 36,964 रुपए है। पिछले दशक में बिहार की आय में निरंतर स्थिर कीमत पर वृद्धि हुई है, जो 2004-05 से 2014-15 के बीच में 10.1 प्रतिशत और 2011 से 2015-16 के बीच राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत की है।

विभिन्न राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना स्थिर कीमत 2011-12 के आधार पर

राज्य	प्रति व्यक्ति आय (रुपए में)				
	2011 12	2012 13	2013 14	2014 15	2015 16
बिहार	21750	22201	22776	25400	26801
झारखंड	41254	44176	43779	48550	54140
मध्य प्रदेश	38550	41251	42686	44518	47820
उड़ीसा	47019	48335	49908	52516	55116
उत्तर प्रदेश	32002	32746	34079	35694	38234
भारत	63460	65664	68867	72889	77435

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार
बिहार प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से निचले स्तर पर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के औसत का 2011-12 में 34 प्रतिशत था, वह 2015-16 में 35 प्रतिशत हो गया है। बिहार प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से अभी भी बहुत नीचे है, क्योंकि बिहार में जनसंख्या अधिक है।

बिहार में आर्थिक संरचना

(Bihar Economic Structure)

बिहार में विकास हो रहा है, इसका प्रमाण है कि बिहार की आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में धीरे-धीरे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है तथा द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हो रही है। जहाँ 2011-12 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू राज्य उत्पाद में 25.2 प्रतिशत था, वह 2015-16 में घटकर 18.3 प्रतिशत हो गया, वहीं द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 18.3 प्रतिशत था, उसमें मामूली रूप से गिरावट होकर 18.1 प्रतिशत हो गया। तृतीयक क्षेत्र का योगदान, जो 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 54.3 प्रतिशत था, वह बढ़कर 2015-16 में 59.9 प्रतिशत हो गया। जैसे-जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, उस अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से विकसित राज्य माना जाता है, परंतु बिहार की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनका मुख्य कार्य कृषि एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान घटने का मुख्य

प्रभाव इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों पर पड़ेगा। इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की आय में गिरावट होगी और गरीबी बढ़ेगी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान घटने का मुख्य प्रभाव इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों पर पड़ेगा। इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की आय में गिरावट होगी और गरीबी बढ़ेगी।

क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान स्थिर कीमत, 2011-12 के आधार पर

क्रं. - 1

क्षेत्र : प्राथमिक क्षेत्र

2011-12 : 25.2

2015-16 : 18.3

क्रं. - 2

क्षेत्र : द्वितीयक क्षेत्र

2011-12 : 18.3

2015-16 : 18.1

क्रं. - 3

क्षेत्र : तृतीयक क्षेत्र

2011-12 : 54.3

2015-16 : 59.9

क्रं. - 4

क्षेत्र : कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन (आधार मूल्य पर)

2011-12 : 97.8

2015-16 : 96.3

क्रं. - 5

क्षेत्र : वस्तुओं पर कर

2011-12 : 6.9

2015-16 : 10

क्रं. - 6

क्षेत्र : वस्तुओं पर सब्सिडी

2011-12 : 4.7

2015-16 : 6.3

क्रं. - 7

क्षेत्र : सकल घरेलू राज्य उत्पाद

2011-12 : 100

2015-16 : 100

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

बिहार में क्षेत्रीय विषमता

(Regional Disparity in Bihar)

पूरे भारत में जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में विषमता पाई जाती है, उसी प्रकार बिहार में भी आय में विषमता पाई जाती है। विभिन्न जिलों के बीच भी आर्थिक विषमता पाई जाती है। वर्ष 2011-12 के अनुसार पटना, मुंगेर और बेगूसराय बिहार के सर्वाधिक विकसित जिलों की श्रेणी में हैं, वहीं मधेपुरा, सुपौल और शिवहर सबसे गरीब जिले हैं। पटना राज्य की राजधानी है, इसे छोड़ भी दे तो मुंगेर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से तीन गुनी अधिक आनी है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जिन जिलों में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की खपत अधिक है, वे जिले आर्थिक रूप से संपन्न जिले हैं। इन सूचकों के लिहाज से पटना सबसे समृद्ध जिला है। जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत हिस्से की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में उसका हिस्सा अधिक है। पटना जिला पेट्रोल का 14.6 प्रतिशत, डीजल का 10.2 प्रतिशत और रसोई गैस का 16.3 प्रतिशत खर्च करता है। अन्य मापदंड के अनुसार जिन जिलों में डाकघरों और लोक भविष्य निधि में रखी गई लघु बचत की राशि अधिक है, वे जिले आर्थिक रूप से संपन्न माने जाते हैं। इस मापदंड के अनुसार समृद्ध जिले पटना, सारण और नालंदा हैं। दूसरी ओर इस मापदंड के आधार पर पिछड़े जिले पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया हैं।

बिहार के अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से समृद्ध और पिछड़े जिले

मापदंड - प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद

आर्थिक रूप से समृद्ध तीन जिले : पटना, मुंगेर, बेगूसराय

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शिवहर, सुपौल, मधेपुरा

मापदंड - पेट्रोल

आर्थिक रूप से समृद्ध तीन जिले : पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शिवहर, अरवल, शेखपुरा

मापदंड - डीजल

आर्थिक रूप से समृद्ध तीन जिले : पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शिवहर, अरवल, शेखपुरा

मापदंड - एल.पी.जी.

आर्थिक रूप से समृद्ध तीन जिले : पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शेखपुरा, शिवहर, अरवल

मापदंड - लघु बचत

आर्थिक रूप से समृद्ध तीन जिले : पटना, सारण, नालंदा

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

बिहार राजकोषीय नीति

(Bihar Fiscal Policy)

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 लागू किया गया। इस नीति के आलोक में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था और इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखना था। वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक रखा जाना था। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मंदी के कारण राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2009-10 में 4 प्रतिशत तथा 2010-11 में 3.5 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2012-13 एवं आनेवाले वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3 प्रतिशत रखा गया। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2016 में अपेक्षित संशोधन किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक रखा जा सकता है, अगर राज्य का ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है तो 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता (Flexibility) प्राप्त होगी और ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्राप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की अधिसीमा माना गया, जबकि वर्ष 2016-17 से राज्य को

राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तक की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है, ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है, ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। समावेशी विकास के लक्ष्य को नीति का आधार बनाते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। राज्य सरकार के प्रयासों से आर्थिक विकास में सुधार हुआ है, साथ ही आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। बजट अनुमान के अनुसार राज्य के राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 7.64 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। करेतर राजस्व में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 21.92 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य का राजस्व बचत वर्ष 2016-17 की बजट अनुमान 14649.46 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 14555.59 करोड़ रुपए अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में 16014.26 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 18112.00 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अंतर्गत है।

राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

क्र. - 1

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत

2013-14 : 1.87

2014-15 : 1.45

2015-16 : 2.57

2016-17 : बजट अनुमान - 2.62

2017-18 : लक्ष्य - 2.3

2018-19 : लक्ष्य - 2.08

2019-20 : लक्ष्य - 1.88

क्र. - 2

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा

2013-14 : 2.43

2014-15 : 2.78

2015-16 : 2.48

2016-17 : बजट अनुमान - 2.87

2017-18 : लक्ष्य - 2.87

2018-19 : लक्ष्य - 3

2019-20 : लक्ष्य - 3

क्र. - 3

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व

2013-14 : 15.94

2014-15 : 14.35

2015-16 : 15.26

2016-17 : बजट अनुमान - 15.76

2017-18 : लक्ष्य - 15.4

2018-19 : लक्ष्य - 15.24

2019-20 : लक्ष्य - 15.09

क्र. - 4

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण

2013-14 : 18.7

2014-15 : 18.54

2015-16 : 18.23

2016-17 : बजट अनुमान - 18.97

2017-18 : लक्ष्य - 19.78

2018-19 : लक्ष्य - 20.03

2019-20 : लक्ष्य - 20.25

स्रोत : बिहार बजट, 2017-18

भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-18 से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार का भी निर्णय है कि जी.एस.टी. अधिनियम को राज्य में लागू किया जाए। आगामी वर्ष के लिए बिहार सरकार ने अपनी राजकोषीय नीति में कुछ नीतिगत सिद्धांतों को अपनाया है, जो निम्न हैं—

1. **व्यय नीति**—स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक योजना व्यय में वृद्धि करना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अधिक-से-अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना।

2. **परिणाम बजट**—सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शानेवाली विवरणी 'परिणाम बजट' की पहल वर्ष 2006-07 में की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 के लिए भी परिणाम बजट प्रस्तुत किया गया।

3. **जेंडर बजट**—महिलाओं के उत्थान के प्रति सरकार वचनबद्ध है। जेंडर बजट के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित करनेवाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेंडर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. **बाल कल्याण बजट**—राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है। बाल कल्याण बजट के अंतर्गत बच्चों की कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जानेवाली राशि का ब्योरा अंकित किया जाता है। बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है। 2017-18 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया।

5. **उपलब्धि प्रतिवेदन**—वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गई है। उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है, जिससे व्यय के उपरांत समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय व्यवहारों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून-जुलाई माह में होनेवाले विधानमंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

6. **ऋण एवं आकस्मिक दायित्व**—वर्ष 2004-05 से राज्य में निरंतर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। पूँजीनिवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुए भी पूँजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकती है। आंतरिक ऋण एवं केंद्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2016 तक इस निक्षेप निधि में 3457.64 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है।

□

29. गरीबी

(Poverty)

गरीबी की धारणा

बिहार में गरीबी

गरीबी की धारणा

बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसलिए गरीबी राज्य की एक प्रमुख समस्या है। गरीबी मूलतः वंचन (deprivation) से संबंधित है। राज्य की जनसंख्या का बड़ा भाग गरीब है, क्योंकि वे जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं—भोजन तथा कपड़े की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में गरीबी की अवधारणा को दो प्रकार से देख सकते हैं— (क) परंपरागत या आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण तथा (ख) बहुआयामीय दृष्टिकोण (Multidimensional approach)। बहुआयामीय दृष्टिकोण में गरीबी निर्धारित करनेवाले अधिक चरों को लेते हैं। इस बहुआयामीय दृष्टिकोण के अनुसार दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं— (i) तेंदुलकर कमेटी दृष्टिकोण; (ii) मानव विकास सूचकांक (HDI) 2010 में प्रतिपादित बहुआयामीय गरीबी निर्देशांक (MPI)।

सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए दो विधियाँ हैं—लारेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक। 1905 ई. में मैक्स ओ लारेंज ने लारेंज वक्र विधि का प्रतिपादन किया, जबकि गिनी गुणांक को 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोरेडो गिनी ने प्रतिपादित किया है।

बिहार की गरीबी को दो रूपों में देखा जा सकता है—सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) तथा निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न आय वर्गों के बीच आय संबंधी अनुमान लिये जाते हैं तथा जनसंख्या के निचले 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत आय समूह की तुलना ऊपरी 5 से 10 प्रतिशत आय समूह से की जाती है। इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक गरीबी को प्रकट करता है। सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए दो विधियाँ हैं—लारेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक। 1905 ई. में मैक्स ओ लारेंज ने लारेंज वक्र विधि का प्रतिपादन किया, जबकि गिनी गुणांक को 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोरेडो गिनी ने प्रतिपादित किया है। सापेक्ष गरीबी की अवधारणा राज्य में प्रचलित आय विषमता को प्रकट करती है। लारेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। निरपेक्ष समता रेखा मानक रेखा है। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर (income difference) की माप करती है। यह वास्तविक लारेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। राज्य में निरपेक्ष गरीबी का मापन भी किया जाता है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग F.A.O. (Food Agriculture Organization) के प्रथम महानिदेशक आर. वायड ने 1945 ई. में किया। इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस

मापदंड के नीचे हैं। मापदंड के नीचे के लोगों को गरीब कहा जाता है। इस विधि को हेड काउंट विधि (Head count method) या सिर गणना विधि कहा जाता है। इसमें उन सिरों को गिना जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। निर्धनता रेखा को परिभाषित करने में हम सामान्यतया दो बातें देखते हैं—

- (i) किसी व्यक्ति के लिए पोषाहार के न्यूनतम स्तर का निर्धारण, तथा
- (ii) न्यूनतम पोषाहार की लागत का निर्धारण, जो वास्तव में किया जानेवाला आवश्यक न्यूनतम उपभोग व्यय होगा एवं जिससे कम व्यय करनेवाला व्यक्ति गरीब कहलाता है।

भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी के अनुपात के संबंध में योजना आयोग के माप तथा दृष्टिकोण को ही स्वीकार करते हैं। बिहार में हर दूसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या को स्वच्छ पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। जो गरीबी रेखा से ऊपर भी हैं, उनके ऊपर हमेशा यह खतरा मँडराता रहता है कि यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं तो वे भी गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। 1990 ई. के उपरांत कृषि की व्यापार शर्तों में सुधार, कृषि विकास दर में वृद्धि तथा कृषि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से कृषि की व्यावसायिक लाभदायकता तो जरूर बढ़ी, परंतु साथ ही साथ कमजोर वर्ग के उपभोग स्तर में गिरावट की स्थिति भी देखी गई है।

बिहार में गरीबी का प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, चाहे वह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो या प्रति व्यक्ति उपभोग की अवस्था हो। सामाजिक क्षेत्रों में अल्प वजन के नवजात बच्चे, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, लिंगभेद आधारित वितरण राज्य में गंभीर आर्थिक असमानता तथा गरीबी की दशा की ओर इशारा करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, निम्न आर्थिक विकास दर, निम्न रोजगार के अवसर तथा निम्न राज्य सकल घरेलू उत्पाद, निम्न उत्पाद के अवसरों तथा निम्न स्तर के प्राकृतिक संसाधनों ने राज्य में गरीबी की रेखा को बढ़ाया है। बिहार में 1983-84 ई. में 62.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 25 वर्षों के विकास के बाद भी 2004-05 में राज्य के 41.4 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 27.5 प्रतिशत का है।

भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया। योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण तथा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया। पाँचवीं योजना के दौरान 1977 में योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण माँग के पूर्वानुमान के लिए एक कार्यदल गठित किया। इस कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक तैयार किया गया। इस कार्यदल ने 1958 की भारतीय चिकित्सा शोध परिषद् की न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2435 कैलोरी (लगभग 2400) या 20 रुपया प्रतिमाह आय तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2095 कैलोरी (लगभग 2100 कैलोरी) या 25 रुपया प्रतिमाह आय की संस्तुति की। कार्यदल का यह न्यूनतम कैलोरी दृष्टिकोण जनसंख्या की आयु संरचना, लैंगिक संरचना, श्रम कार्य का स्वभाव तथा इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की संस्तुति पर आधारित है। गरीबी की माप की इस प्रणाली को भोजन ऊर्जा प्रणाली (Food Entry Method) कहते हैं।

सातवें वित्त आयोग ने विस्तारित गरीबी रेखा (Augmented Poverty Line) की धारणा प्रतिपादित की, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक निजी व्यय तथा शिक्षा प्रशासन आदि पर मासिक सार्वजनिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रो. डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता की माप के लिए समिति के सुझावों को आधार माना गया। इस विशेषज्ञ दल के अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग-अलग निर्धनता रेखा का

निर्धारण किया गया है। समिति के अनुसार, “प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार इसके अनुसार इस समय 35 गरीबी रेखाएँ हैं, जो शुरू में 28 थीं।” इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग-अलग मूल्य सूचकांकों की बात की, जो इस प्रकार हैं—

(क) **ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा**— इसके लिए लकड़ावाला विशेषज्ञ दल ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI for Agriculture workers) का सुझाव दिया है।

(ख) **शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा**— लकड़ावाला समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI for Industrial workers) और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया है।

गरीबी के बहुआयामीय दृष्टिकोण में विभिन्न चरों को लिया जाता है, जो न केवल जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं या जो केवल जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की संतुष्टि से होते हैं। इनमें उन चरों को भी लेते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता (Quality of life) को प्रभावित करते हैं। ‘सुरेश तेंदुलकर’ कमेटी के अनुसार, गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं—शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुँच के आधार पर होगा। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब गरीबी का निर्धारण आधारभूत आवश्यकताओं के वंचन (deprivation) के आधार पर होगा।

गरीबी रेखा भिन्न राज्यों में कीमतों में अंतर के कारण अलग-अलग होती है। योजना आयोग द्वारा गठित तेंदुलकर समिति की अवधारणा पर आधारित गरीबी रेखा का निर्धारण बिहार तथा अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2004 तथा 2011-12 में किया गया है। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1 हजार रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया। इस प्रकार यदि 5 व्यक्तियों का परिवार माना जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपभोग व्यय 4080 रुपए प्रति माह प्रति परिवार तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 5 हजार रुपए प्रति माह प्रति परिवार निर्धारित होगा। योजना आयोग द्वारा सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसने जुलाई, 2013 में एक अनुमान प्रस्तुत किया, जो एन.एस.एस. के 68वें चक्र से प्राप्त पारिवारिक उपयोग व्यय सर्वे 2011-12 के आँकड़ों पर आधारित है। इसके अनुसार नई गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र में 33.33 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः से व्यक्त होगी। अखिल भारतीय स्तर पर अनुमोदित गरीबी 21.82 प्रतिशत है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 25.70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 13.70 प्रतिशत है, जबकि 2004-05 में अखिल भारतीय स्तर पर 37.2 प्रतिशत थी।

बिहार में गरीबी

सतत तथा समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था के वाहकों को चाहिए कि गरीबी के दुष्चक्र पर काबू पाया जाए। बिहार और भारत के लिए तेंदुलकर समिति द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर वर्ष 2004-05 में बिहार में 54.4 प्रतिशत संयुक्त गरीबी थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 55.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 43.7 प्रतिशत गरीबी थी। वहीं भारत में ग्रामीण गरीबी 42 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी 25.5 प्रतिशत थी और भारत में संयुक्त गरीबी 37.2 प्रतिशत थी। 2004-05 में बिहार में गरीबी भारत की अपेक्षा काफी अधिक है। बिहार में 2011-12 का गरीबी अनुपात ग्रामीण परिवारों के लिए 34.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के लिए 31.2 प्रतिशत है, जिसमें समग्र गरीबी अनुपात 33.7 प्रतिशत है। 2004-05 और 2011-12 के बीच बिहार में गरीबी अनुपात में 20.7 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 15.3 प्रतिशत की कमी हुई है। बिहार और भारत, दोनों में

शहरी गरीबी की अपेक्षा ग्रामीण गरीबी में तेजी से कमी हुई है, परंतु जहाँ ग्रामीण गरीबी में बिहार में 21.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, वहीं शहरी क्षेत्र में 12.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

अखिल भारतीय तथा बिहार में गरीबी अनुपात में अंतर

क्षेत्र		1993-94	1999-2000	2004-05	2011-12	गरीबी में कमी 2004-05 तथा 2011-12 के बीच में
बिहार	ग्रामीण	58.02	44.3	55.7	34.1	21.6
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5
	संयुक्त	55.0	42.6	54.4	33.7	20.7
भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1
	शहरी	32.1	23.6	25.7	13.7	12.0
	संयुक्त	36.0	26.1	37.2	21.2	15.3

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

बिहार और भारत, दोनों में शहरी गरीबी की अपेक्षा ग्रामीण गरीबी में तेजी से कमी हुई है। हालाँकि देश की जनसंख्या में बिहार का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन गरीबी से ग्रस्त आबादी में इसका हिस्सा काफी अधिक 13.3 प्रतिशत है। योजना आयोग द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के आधार पर बिहार सरकार ने गरीबी रेखा की गणना की, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 778 रुपए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 923 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया गया। इस प्रकार 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग व्यय प्रति परिवार 3890 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 4615 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है।

अखिल भारतीय तथा बिहार में गरीबी रेखा

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय (रुपए में)			
	बिहार		अखिल भारतीय	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
2004-05	433	526	447	579
2011-12	778	923	816	1000

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

गरीबी को प्रकट करने का अन्य सूचक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संगृहीत औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है। NSSO के 66वें चक्र से पता चलता है कि 2011-12 में भारत में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 1287 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1477 रुपया है, वहीं बिहार इस सूचक में ग्रामीण क्षेत्रों में 970 रु. मासिक प्रति व्यक्ति व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 1397 रुपया प्रति व्यक्ति के साथ निम्न स्तर पर है। बिहार की यह स्थिति देश के अन्य राज्यों में सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय संपूर्ण भारत के औसत का मात्र तीन-

चौथाई है। शहरी क्षेत्रों के मामले में स्थिति और भी निराशाजनक है। बिहार की शहरी गरीबी संपूर्ण भारत के औसत से दुगुना से भी अधिक है।

शहरी गरीबी बहुआयामी होती है, जो वंचना और जोखिमों के सम्मिलित रूपों से संबंधित होती है। ज्यों-ज्यों दुनिया उत्तरोत्तर और शहरीकृत होती जा रही है, गरीबी भी शहरी चरित्र लेती जा रही है। शहरी गरीबी शहरी गरीबों के लिए पानी, स्वच्छता आश्रय और जीविका जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में कमी के रूप में व्यक्त होती है। दूसरे यह उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जा रहा है कि यह वंचना स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण से भी संबंधित है।

बिहार ने विकास दर की तीव्र और गरीबों के द्वारा क्रय करने की क्षमता के मामले में प्रभावी प्रगति की है। कुल गणना अनुपात (Head Count Ratio) के माध्यम से मापी जानीवाली समग्र गरीबी में 2004-05 के 54.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत रह गई। गरीबों की संख्या भी इस अवधि में 4.02 करोड़ से घटकर 3.77 करोड़ रह गई है। अभी भी शहरी क्षेत्रों में गरीबी ऊँचे स्तर पर है और यह राज्य की विकास नीति के लिए चिंता की बात है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बावजूद तथा प्राथमिक क्षेत्र के घटक को शामिल करके भी शहरी गरीबों की संख्या का लगातार बढ़ना जारी है और कुल आबादी में उनका हिस्सा 2004-05 के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 7.1 प्रतिशत हो गया।

गरीबी का सबसे व्यापक परिणाम मलिनबस्ती के रूप में दिखाई देता है। मलिनबस्ती बसावटें सामाजिक बहिष्करण के सर्वाधिक गंभीर आयाम को प्रकट करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मलिनबस्ती की आबादी 12.4 लाख है, जो बिहार की कुल शहरी आबादी का 10.5 प्रतिशत है। वर्ष 2001 और 2011 के बीच बिहार की मलिनबस्ती जनसंख्या दूनी से भी बढ़कर 2001 के 5.2 लाख से 2011 में 12.4 लाख हो गई है। जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार मलिनबस्तियाँ आमतौर पर बड़े शहरों तक सीमित शहरी परिघटना है, जबकि बिहार में सर्वाधिक मलिनबस्ती आबादी की बड़ी संख्या 20 हजार से 1 लाख के बीच आबादीवाले शहरों में है। बिहार में मलिन बस्तियों की उपस्थितिवाले शहरों की संख्या में 2001 से 2011 के बीच काफी वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की मलिनबस्तियों की स्थिति काफी दयनीय एवं बुरी है।

समिति के अनुसार, “प्रत्येक राज्य में निधनता रेखा भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार इसके अनुसार इस समय 35 गरीबी रेखाएँ हैं, जो शुरू में 28 थीं।”

बिहार की औसत प्रतिव्यक्ति आय तथा यहाँ के गरीबों के अनुपात से ही बिहार की बदतर हालत का तथा समस्या की गंभीरता का पूरा आकलन नहीं हो सकता है। सही आकलन के लिए राज्य को दूसरे आयामों में भी देखना पड़ेगा। पहला-गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों की सिर्फ संख्या और अनुपात दूसरे प्रांतों से अधिक ही नहीं है, बल्कि इनकी संख्या बिहार में लगातार बढ़ती ही जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों की संख्या 60 और 70 के दशक में अन्य राज्यों में जहाँ कम हुई है, बिहार में इसके अनुपात में कोई अंतर नहीं आया। बादवाले दशकों में बिहार में गरीबों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

कुल गणना अनुपात (Head Count Ratio) के माध्यम से मापी जानीवाली समग्र गरीबी में 2004-05 के 54.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत रह गई।

दूसरा बिहार की गरीबी मूलतः ग्रामीण है। शहरों की गरीबी ग्रामीण गरीबी का ही विस्तृत रूप है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। वर्गीय दृष्टिकोण से

देखने पर भूमिहीनों की 50 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि के कार्य करनेवाले मजदूरों का 77 प्रतिशत और भू-मालिकों का 42 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करता है। यह अखिल भारतीय आँकड़ों की तुलना में अधिक है। यदि बिहार की गरीबी का जातीय दायरे में विश्लेषण करें तो अनुसूचित जाति की 79 प्रतिशत और जनजाति की 73 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार की बढ़ती गरीबी का सामाजिक जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।

प्रमुख राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे स्थित परिवारों की संख्या और प्रतिशत (2011-12)

	ग्रामीण		शहरी		योग		पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा
	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	लड़कियों की संख्या (लाख)	
आंध्र प्रदेश	10.96	61.80	5.81	16.98	9.20	78.78	2.9
बिहार	34.06	320.40	31.23	37.75	33.74	358.15	13.3
छत्तीसगढ़	44.61	88.90	24.75	15.22	39.93	104.11	3.9
गुजरात	21.54	75.35	10.14	24.88	16.63	102.23	3.8
हरियाणा	11.64	19.42	10.28	9.41	11.16	28.83	1.1
झारखंड	40.84	104.09	24.83	20.24	36.96	124.33	4.6
कर्नाटक	24.53	92.80	15.25	36.96	20.91	129.76	4.8
केरल	9.14	15.48	4.97	8.46	7.05	23.95	0.9
मध्य प्रदेश	35.74	190.95	21.00	43.10	31.65	234.06	8.7
महाराष्ट्र	24.22	150.56	9.12	47.36	17.35	197.92	7.3
उड़ीसा	35.69	126.14	17.29	12.39	32.59	138.53	5.1
पंजाब	7.66	13.35	9.24	9.82	8.26	23.18	0.9
राजस्थान	16.05	84.12	10.69	18.73	14.71	102.92	3.8
तमिलनाडु	15.83	59.25	6.54	23.40	11.28	82.63	3.1
उत्तर प्रदेश	30.40	479.35	26.06	118.84	29.43	598.19	22.2
पश्चिम बंगाल	22.52	141.14	14.66	43.83	19.98	184.98	6.9
भारत	25.70	2166.58	13.70	531.25	21.92	2697.83	100.00

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार



30. बेरोजगारी

(Unemployment)

बेरोजगारी के प्रकार

बेरोजगारी का आधार

किसी भी अर्थव्यवस्था में चाहे वह विकसित हो या विकासशील, रोजगार की समस्या एक मूलभूत आर्थिक समस्या है। बेरोजगारी या रोजगार की कमी का स्वरूप इन अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग होता है। बेरोजगारी शब्द का उल्लेख होते ही जॉन मेनार्ड कींस नामक अर्थशास्त्री का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। उन्होंने 1930 की विश्वमंदी में गंभीर बेरोजगारी से ग्रस्त विकसित अर्थव्यवस्थाओं को बाहर निकलने के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कींस ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लायमेंट इंटरेस्ट ऐंड मनी' में रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकसित देशों में पाई जानेवाली बेरोजगारी की समस्या माँगजन्य होती है, परंतु विकासशील देशों जैसे भारत में पाई जानेवाली बेरोजगारी की समस्या पूर्णजन्य होती है। बेरोजगारी की समस्या से तात्पर्य यह है कि रोजगार के अभाव में कोई व्यक्ति, जो बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। वे सभी लोग जो काम चाहते हैं, उन्हें यदि चालू बराबर मजदूरी पर काम मिल जाए तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी। 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन को हम स्टैंडर्ड वर्ष (Standard Year) कहते हैं। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले छठी योजना में रोजगार नापने के लिए किया गया। इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है, तो उसे हम पूर्ण रोजगार में कहेंगे।

बेरोजगारी के प्रकार

विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है—

चक्रीय बेरोजगारी

ऐसी बेरोजगारी, जो समग्र माँग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और माँग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं।

घर्षणजनित बेरोजगारी

किसी व्यक्ति के एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने की स्थिति में अगर दोनों रोजगारों के बीच बेरोजगारी की स्थिति रहती है, तो ऐसी अस्थायी स्वभाववाली बेरोजगारी को घर्षणजनित बेरोजगारी कहा जाता है।

विकासशील तथा अल्पविकसित देशों में बेरोजगारी संरचनात्मक (Structural) होती है। यह समग्र माँग की कमी के कारण नहीं होती है। इन देशों में पाई जानेवाली बेरोजगारी को हम दो रूपों में बाँट सकते हैं।

शहरी बेरोजगारी दो प्रकार की है—

औद्योगिक श्रमिकों में पाई जानेवाली बेरोजगारी

औद्योगिक श्रमिकों में पाई जानेवाली बेरोजगारी मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कम दर के कारण है।

शिक्षित बेरोजगारी

शिक्षित बेरोजगारी ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जिसका व्यावसायिक पहलू कमजोर माँग और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का न होना है तथा दूसरी ओर रोजगार सृजन के अवसरों में निम्न वृद्धि है।

ग्रामीण बेरोजगारी दो प्रकार की है—

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)

यह बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्य में खेतों की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय रोजगार प्राप्त होता है, परंतु शेष समय रोजगार नहीं प्राप्त होता है अर्थात् वर्ष के कुछ महीने रोजगार तो मिलता है, परंतु शेष महीने बेरोजगारी रहती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।

प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन को हम स्टैंडर्ड वर्ष (Standard Year) कहते हैं। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले छठी योजना में रोजगार नापने के लिए किया गया। इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है, तो उसे हम पूर्ण रोजगार में कहेंगे।

यह बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कृषि में उत्पादन के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को यदि कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। ऐसे श्रमिकों का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। भारतीय कृषि तथा बिहार की कृषि में यह सबसे विचित्र गंभीर समस्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमती जॉन राबिंसन ने 1936 में किया। इसका प्रयोग मंदी के समय अधिक उत्पादक कार्य से कम उत्पादक कार्य की ओर श्रमिकों के चक्रीय हस्तांतरण के लिए किया। रेगनर नक्स ने इसे 'अदृश्य बचत संभावना' तथा पूँजी निर्माण के रूप में देखा, क्योंकि यदि ऐसे श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से निकालकर अन्य निर्माण कार्यों में लगाया जाए, जैसे—सड़क, पुल, औद्योगिक क्षेत्र आदि, तो बिना कुल उत्पादन में किसी कमी के पूँजी स्टॉक में वृद्धि की जा सकेगी। श्री अमर्त्य सेन ने इसे मानवीय श्रम घंटों के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया है। वकील तथा ब्रह्मनंद ने वेन गुड्स मॉडल में इस श्रम अतिरेक के उत्पादक प्रयोग पर विचार किया है। शुल्ज तथा कुरिहारा इस धारणा के प्रमुख आलोचक हैं।

बेरोजगारी का आधार

हम किन परिस्थितियों के आधार पर कहेंगे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है? प्रो. राजकृष्ण ने बेरोजगारी को परिभाषित करने के लिए चार कसौटियों का निर्धारण किया है—

समय के आधार पर

यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में इष्टतम पूर्ण रोजगारीय घंटे या दिन से कम कार्य करता है।

आय के आधार पर

यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम स्तर से कम आय प्राप्त करता है।

इच्छुकता के आधार पर

यदि कोई व्यक्ति वर्तमान कार्य से अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक है।

निष्पादन के आधार पर (Performance Criterion)

यदि किसी श्रमिक को कार्य से बाहर करने पर भी कुल उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़े तो उसे निष्पादन के आधार पर बेरोजगारी कहते हैं।

योजना आयोग ने भगवती आयोग का गठन 1973 में किया, जिसने बेरोजगारी की माप के लिए 3 धारणाओं का प्रतिपादन किया, जो निम्न हैं—

(i) सामान्य स्थिति (Usual Status)—सामान्य स्थिति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 183 दिनों तक कार्य नहीं मिलता है तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहेंगे। सामान्य बेरोजगारी दर को 'क्रॉनिक बेरोजगारी' दर कहते हैं।

(ii) चालू साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status)—चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को समीक्षा दिन के ठीक पूर्व के सप्ताह या 7 दिनों में किसी व्यक्ति की कार्य स्थिति प्रदर्शित करना, यदि किसी ने समीक्षा सप्ताह में 1 घंटा भी कार्य नहीं किया हो तो उसे चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी कहेंगे।

(iii) चालू दैनिक स्थिति (Current Daily Status)—यह किसी व्यक्ति के समीक्षा दिन के पूर्व के 7 दिनों में प्रत्येक दिन की कार्य स्थिति प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 घंटा से कम कार्य करता है तो उसे चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी कहेंगे। यदि उसने 1 घंटे से अधिक पर 4 घंटे से कम कार्य किया तो उसे आधे दिन का कार्यरत मानेंगे।

जहाँ सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर तथा साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर, व्यक्ति दरें (Personal rate) हैं, वहीं चालू दैनिक स्टेटस समय दर प्रदर्शित करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू दैनिक स्थिति को ही देश में रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया गया है।

भारत में बेरोजगारी की कमी कभी भी आर्थिक नीतियों के केंद्र में नहीं आई है। आर्थिक नियोजन के प्रारंभ से ही बेरोजगारी की समस्या विद्यमान थी, परंतु प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार को विकास के लक्ष्य के रूप में नहीं रखा गया और यह माना गया कि आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार स्वतः सृजित हो जाएगा। 1956 ई. में बेरोजगारों की संख्या 50 लाख थी, जो 1973-74 ई. में बढ़कर 1 करोड़ हो गई। बेरोजगारी की समस्या ने एक विकराल रूप ग्रहण कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप पाँचवीं योजना में रोजगारपरक कार्यनीति को स्वीकार किया गया। इस समस्या के समाधान के लिए छठी योजना में IRDP, NREP, TRYSEM, RLEGP जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए गए। छठी योजना के बाद सभी योजनाओं में 'गरीबी तथा रोजगार' को विशेष महत्त्व दिया गया। ग्यारहवीं योजना में 2006 ई. को निश्चित रोजगार की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी ऐक्ट लागू किया

गया।

भारत में बेरोजगारी की कमी कभी भी आर्थिक नीतियों के केंद्र में नहीं आई है। आर्थिक नियोजन के प्रारंभ से ही बेरोजगारी की समस्या विद्यमान थी, परंतु प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार को विकास के लक्ष्य के रूप में नहीं रखा गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रम-प्रधान विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की रोजगार की उच्च संभाव्यता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई तथा कौशल विकास पर रोजगार सृजन में बाधक होने के कारण, विशेष बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह उम्मीद की गई कि योजनावधि में 50 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाएगा, जो कौशल विकास पर आधारित होगा। इन सब प्रयासों के बावजूद चिंता का कारण यह है कि रोजगार की वार्षिक विकास दर 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के 2.8 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2004-05 से 2011-12 की अवधि में 0.5 प्रतिशत रह गई है।

भारत में बेरोजगारी की दर (प्रतिशत) में

सामान्य स्थिति (US) 1999-2000 : 2.2

2004-05 : 2.3

2009-10 : 2

2011-12 : 2.2

चालू दैनिक स्थिति (CDS) 1999-2000 : 7.3

2004-05 : 8.2

2009-10 : 6.6

2011-12 : 5.6

बाद में रोजगार की प्राप्ति को एक कानूनी अधिकार का दर्जा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी ऐक्ट लागू किया गया।

संगठित क्षेत्र, सम्मिलित रूप से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि 2010-11 में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2011-12 में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के लिए वार्षिक वृद्धि दर 2010 से 2011 में 5.6 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। संगठित क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं का हिस्सा तीन वर्षों के लिए 20 प्रतिशत था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने तदनु रूप टाइप यूज सर्वे के लिए गतिविधियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण (NCATUS) का परीक्षण करने के लिए वर्ष 2013 में बिहार और गुजरात में प्रायोगिक टाइम यूज सर्वे (TUS) करवाया है। सभी राज्यों में प्रायोगिक टाइम यूज सर्वे करवाए जाने का निर्णय इस प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महिला-पुरुष केंद्रित नीतियाँ तैयार करने के लिए तथा महिलाओं एवं पुरुषों के कार्य को स्पष्टता से दर्शाने के लिए टाइम यूज सर्वे एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय साधन है।

15-29 साल के उम्र वर्ग में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 13 प्रतिशत है, जबकि बिहार में यह 17 प्रतिशत है। वर्ष 2013 के अंत तक बिहार में सिर्फ 3345 उद्योग थे, जो देश भर के कुल उद्योगों का मात्र 1.5 प्रतिशत है, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यह 7 प्रतिशत है। बिहार सरकार ने राज्य के योग्य और कुशल बेरोजगार नौजवानों को विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने के लिए मदद करने के उद्देश्य से बिहार राज्य समुद्रपारीय नियोजन ब्यूरो का गठन किया है।

बिहार की बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि गैर-कृषि क्षेत्र को विकसित किया जाए एवं कृषि उद्योग, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन आदि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पर्याप्त रूप से विकास किया जाए।

बिहार की बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि गैर-कृषि क्षेत्र को विकसित किया जाए एवं कृषि उद्योग, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन आदि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पर्याप्त रूप से विकास किया जाए। घरेलू उद्योगों को भी इसी तरह प्रोत्साहित किया जाए, ताकि अधिक-से-अधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को इनसे जोड़कर गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है।

बिहार राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की रणनीति का मुख्य पक्ष कृषि विकास एवं इससे जुड़े उद्योगों के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। जिस राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या लगभग ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहाँ कृषि पर आधारित उद्योगों को विकसित किया जाना आवश्यक होगा। बिहार राज्य की आर्थिक बदहाली तथा बेरोजगारी की विकट स्थिति का कारण मानव-निर्मित है। बिहार विभाजन के बाद जरूरत है कि एक नए परिवेश की, विकास की नई दिशा की एवं वैज्ञानिक सोच की, जो बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर कर सके एवं जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

□

31. केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ

(Central and State Sponsored Schemes)

केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ
राज्य-प्रायोजित योजनाएँ

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन (जीविका)

बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत अप्रैल 2013 से हुई है। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत की है। यह योजना ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रमुख योजना है। इसका लक्ष्य बेहतर सेवाओं की उपलब्धता और स्वरोजगार के अवसरों के लिए ऋण प्राप्त करने में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए एवं स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के निर्माण के जरिए ग्रामीण गरीबों की जीविका स्थिति में सुधार लाकर उनका सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण करना है। बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के समग्र ढाँचे के तहत काम कर रही है और जीविका योजना का क्रियान्वयन कर रही है। अक्टूबर 2016-17 तक जीविका के द्वारा 7098 लाख परिवारों के बीच 5.57 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। 32,431 ग्रामीण संगठन का निर्माण तथा 365 संकुलों का संगठन विकसित किया गया है। अक्टूबर 2016 तक 3.03 लाख स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ दिया गया और बैंकों के माध्यम से 2113 करोड़ रुपए का कुल ऋण उपलब्ध कराया गया है।

जीविका की प्रगति

मद - गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या

2011-12 : 55704

2012-13 : 91785

2013-14 : 157157

2014-15 : 365150

2015-16 : 470220

2016-17 अक्टूबर तक : 557337

मद - ग्रामीण संगठनों की संख्या

2011-12 : 3476

2012-13 : 5069

2013-14 : 7452

2014-15 : 14363

2015-16 : 31229

2016-17 अक्टूबर तक : 32431

मद - बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या

2011-12 : 25621

2012-13 : 55624

2013-14 : 64812

2014-15 : 121181

2015-16 : 221261

2016-17 अक्टूबर तक : 303078

मद - बैंक ऋण (करोड़ रु.)

2011-12 : 123

2012-13 : 278

2013-14 : 379

2014-15 : 659

2015-16 : 1300

2016-17 अक्टूबर तक : 2113

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

बिहार में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में हैं। इन गतिविधियों में धान की खेती करनेवाले किसान, गेहूँ सघनीकरण प्रणाली अपनानेवाले किसान, सब्जी की खेती करनेवाले, किचन-गार्डन में, पुदीना के तेल उत्पादन में, मुर्गीपालन, दूध उत्पादन, गैर-कृषि कार्य, कौशल प्रशिक्षण इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों तथा कौशल प्रशिक्षण के कारण परिणामस्वरूप 1.28 लाख युवाओं को विभिन्न कौशलों की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 93.2 हजार लोग स्वरोजगार या सवैतनिक रोजगार पाने में भी सफल रहे हैं। इन स्वयं सहायता समूहों की एक अन्य गतिविधि खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेपों या स्वास्थ्य जोखिम हस्तक्षेपों में भाग लेना है। वे सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण देखरेख की जरूरतें पूरी करनेवाले अन्नपूर्णा केंद्र भी चलाते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा)

आधार मजदूरी का पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में होगा। इस योजना के समानांतर कोई दूसरी योजना नहीं है, जो रोजगार पाने को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करते हैं। यह एक माँग-प्रेरित योजना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (NREGA) नरेगा सितंबर, 2005 में संसद् से पारित किया गया तथा 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापाली से इसकी शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, साथ ही प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। शुरू में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई, जिसे 2007-08 के बजट में 330 जिलों में कर दिया गया। वर्तमान में यह देश के सभी 687 जिलों में लागू है। यह योजना रोजगार सृजन करनेवाली पहली योजना है, साथ ही संसद् के द्वारा पारित ऐक्ट द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्राप्त करने की गारंटी के साथ कानूनन अधिकार प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम-से-कम एक प्रौढ़ सदस्य को कम-से-कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसमें कम-से-कम एक-तिहाई स्त्रियाँ होंगी। इसके तहत दिया गया रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा, जिसके लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी देय होगी तथा जिसका भुगतान कार्य किए जाने के 07 दिन के भीतर देय होगी, यदि कोई श्रमिक रोजगार के लिए आवेदन देता है तो उसे आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य होगा। यह रोजगार श्रमिक के निवास से 5 किलोमीटर के अंदर प्रदान किया जाएगा अन्यथा 5 किलोमीटर के दायरे से यदि बाहर रोजगार प्रदान किया जाता है तो श्रमिक को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। यदि इस समय-सीमा के भीतर श्रमिक को रोजगार नहीं प्राप्त होता है तो श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता देय होगा, जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के एक-तिहाई से कम नहीं होगा। ग्राम पंचायत इस योजना की क्रियान्वयन इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई है। महेंद्र देव कमेटी के द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित मजदूरी आधार के रूप में ली जाएगी, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), ग्रामीण मुद्रा स्फीति सूचकांक के संदर्भ में वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। आधार मजदूरी का पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में होगा। इस योजना के समानांतर कोई दूसरी योजना नहीं है, जो रोजगार पाने को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करती है। यह एक माँग-प्रेरित योजना है।

बिहार में मनरेगा योजना ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में असमान भूमि वितरण के कारण रोजगार संबंधी असुरक्षा की समस्या पर गंभीर चोट करती है। यह योजना ग्रामीण समाज के लाभ के लिहाज से सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भी विकसित की गई है। इससे आपदाजनित प्रवास में कमी

आने की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुगुणक प्रभाव होने की आशा है। जीविका संबंधी सुरक्षा और सामाजिक संरक्षा पर अपने प्रभाव के कारण मनरेगा समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

बिहार में मनरेगा का प्रदर्शन

वर्ष - जारी जॉब कार्ड की संख्या (लाख)

2011-12 : 133.82

2012-13 : 133.49

2013-14 : 131.87

2014-15 : 131.22

2015-16 : 131.6

वर्ष - रोजगार पानेवाले परिवारों की संख्या (लाख/प्रतिशत)

2011-12 : 26.8

2012-13 : 24.66

2013-14 : 20.59

2014-15 : 10.36

2015-16 : 15.1

वर्ष -

2011-12 : -20.1

2012-13 : -18.5

2013-14 : -15.6

2014-15 : -7.9

2015-16 : -11.5

वर्ष - 100 दिन रोजगार पानेवाले परिवारों की संख्या

2011-12 : 1.38

2012-13 : 1.57

2013-14 : 1.23

2014-15 : 0.31

2015-16 : 0.6

वर्ष -

2011-12 : -5.1

2012-13 : -6.3

2013-14 : -6

2014-15 : -3

2015-16 : -4

वर्ष - रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस)

2011-12 : 866.38

2012-13 : 965.41

2013-14 : 862.21

2014-15 : 352.73

2015-16 : 683.7

वर्ष - कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा

2011-12 : 28.2

2012-13 : 29.9

2013-14 : 35

2014-15 : 37.3

2015-16 : 40.8

वर्ष - प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस)

2011-12 : 32.3

2012-13 : 39.2

2013-14 : 41.9

2014-15 : 34.1

2015-16 : 45.2

वर्ष - पूरे हुए कार्यों की संख्या

2011-12 : 54589

2012-13 : 64846

2013-14 : 104832

2014-15 : 114425

2015-16 : 196647

वर्ष - धनराशि का उपयोग (प्रतिशत)

2011-12 : 65

2012-13 : 82.9

2013-14 : 81.8

2014-15 : 74.4

2015-16 : 99.9

वर्ष - खुले खातों की संख्या (लाख)

2011-12 : 107.55

2012-13 : 110.7

2013-14 : 110.98

2014-15 : 49.3

2015-16 : 34.2

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार में जॉब कार्ड की संख्या की बात करें तो इसमें 2011-12 से 2015-16 के बीच की अवधि में काफी

वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में इसकी संख्या 131.6 लाख थी, लेकिन इस अवधि में रोजगार पानेवालों की संख्या साल-दर-साल घटती जा रही है। जहाँ 2011-12 में रोजगार की संख्या 26.8 लाख थी, वह 2015-16 में घटकर 15.1 लाख हो गई। महिला श्रमिकों के लाभ के हिसाब से 2011-12 से 2015-16 के बीच कुल रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 25 प्रतिशत से अधिक रहा है। वर्ष 2015-16 में इनका प्रतिशत 40.8 प्रतिशत रहा, जो इन सभी वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर था।

मनरेगा के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे—जल संरक्षण, सूखा अवरोधन, सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य, सिंचाई सुविधा का प्रावधान, पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव, ग्रामीण संपर्क पथ एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित कार्य।

बिहार में मनरेगा के द्वारा किए गए कार्य

वर्ष/श्रेणी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जल संरक्षण	11424 (13.7)	6059 (11.1)	7009 (10.8)	6879 (6.6)	1937(1.7)	3307 (4.5)
सूखा अवरोधन	6609 (7.9)	5360 (9.8)	16246 (25.1)	29121 (27.8)	17963 (15.7)	39046 (53.4)
सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य	7368 (8.8)	4605 (8.4)	4335 (6.7)	5618 (5.4)	1429 (1.2)	3428 (4.7)
सिंचाई सुविधा का प्रावधान	1841 (2.2)	1902 (3.5)	1813 (2.8)	3210 (3.1)	4029 (3.5)	0 (0.0)
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	7650 (9.1)	5065 (9.3)	6828 (10.5)	2428 (2.3)	592 (0.5)	924 (1.3)
भूमि विकास	4674 (5.6)	3229 (5.9)	4090 (6.3)	7654 (7.3)	2761 (2.4)	6456 (8.8)
बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव	5072 (6.1)	2554 (4.7)	2265 (3.5)	1318 (1.3)	273 (0.2)	575 (0.8)
ग्रामीण संपर्क पथ	38955 (46.6)	25521 (46.8)	22056 (34.0)	28631 (27.3)	9410 (8.2)	17861 (24.4)
कोई अन्य गतिविधि	0 (0.0)	294 (0.5)	204 (0.3)	19973 (19.1)	76031 (66.4)	1586 (2.2)
पूरे हुए कार्यों की संख्या	83593 (100.0)	54589 (100.0)	64846 (100.0)	104832 (100.0)	114425 (100.0)	73183 (100.0)

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूखा अवरोधन पर विशेष बल दिया गया। कुल मनरेगा कार्यों का 53.4 प्रतिशत सूखा अवरोध पर किया गया। उसके बाद ग्रामीण संपर्क पथ के निर्माण पर खर्च किया गया। कुल व्यय का 24.4 प्रतिशत

ग्रामीण संपर्क पथ के निर्माण पर खर्च किया गया।

वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक 6.12 लाख जॉब कार्ड पूर्वी चंपारण में जारी किए गए। उसके बाद 5.94 लाख मुजफ्फरपुर में तथा वैशाली एवं गया में 5.36 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए।

मनरेगा के प्रदर्शन में विभिन्न जिलों में काफी अंतर है। वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक 6.12 लाख जॉब कार्ड पूर्वी चंपारण में जारी किए गए। उसके बाद 5.94 लाख मुजफ्फरपुर में तथा वैशाली एवं गया में 5.36 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए। वहीं शिवहर में 0.84 लाख, अरवल में 0.97 लाख जॉब कार्ड और शेखपुरा में 0.98 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए। जॉब कार्ड पानेवाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 12 प्रतिशत था। रोजगार माँगनेवाले परिवारों का प्रतिशत शिवहर में सबसे अधिक 36.9 प्रतिशत था। उसके बाद जमुई में 26.7 प्रतिशत। सबसे कम रोजगार माँगनेवाले परिवारों का प्रतिशत मुजफ्फरपुर में 6.6 प्रतिशत था। रोजगार माँगनेवालों का 100 दिन को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में 12.0 प्रतिशत के साथ जहानाबाद पहले स्थान पर था। उसके बाद बक्सर 8.7 प्रतिशत और मुंगेर 5.8 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी बेगूसराय (53.8), गया (53.6) और खगड़िया (53.5) में हुई, जिनमें से प्रत्येक में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी हुई। वहीं 30 प्रतिशत से कम महिलाओं की भागीदारी सारण (21.2 प्रतिशत), रोहतास (25.2 प्रतिशत) और सीवान (26.4 प्रतिशत) में हुई। वर्ष 2015-16 में सृजित कुल रोजगार के मामले में भी जिलों के बीच भारी अंतर है। वर्ष 2015-16 में धनराशि के उपयोग के मामले में सर्वोत्तम जिला जमुई (98.13 प्रतिशत), नवादा (98.1 प्रतिशत), शेखपुरा (90.0 प्रतिशत) तथा मधेपुरा (96.0 प्रतिशत) हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

इस योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई तथा 1999-2000 में इसका पुनर्गठन किया गया। यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है।

नवंबर, 2016 को इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना 1985-86 से ग्रामीण विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण इस लक्ष्य के साथ किया गया है कि वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बैधुआ श्रम से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। इस योजना के तहत कुल स्वीकृत राशि का 3 प्रतिशत दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया गया है। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए मुफ्त में मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई तथा 1999-2000 में इसका पुनर्गठन किया गया। यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत योजना राशि अप्रैल, 2010 से मैदानी क्षेत्र के लिए 35,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दी गई, जिसे पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया है तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 38,500 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया था, जिसे अब 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना व्यय का संचालन केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40 के तहत किया जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता के लिए आश्रय नागरिकों की एक बुनियादी जरूरत है। किसी गृहविहीन व्यक्ति के सिर के ऊपर छत उपलब्ध हो जाना उसके लिए अनिवार्य संपत्ति बन जाता है और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। अतः आवास संबंधी जरूरतें; विशेषकर ग्रामीण गरीबों की आवश्यकता पूरी करना सरकार के गरीबी निवारण संबंधी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति

(आँकड़े लाख में)

(आँकड़े लाख में)

वर्ष	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	आवासों का निर्माण पूरा		धनराशि उपयोग का प्रतिशत
		योग	अज्ञा एवं अज्ञा	
2010-11	7.59	5.29 (69.8)	2.60 (49.1)	66.4
2011-12	7.37	4.50 (61.1)	2.00 (44.5)	68.0
2012-13	8.36	8.40 (100.4)	3.72 (44.3)	75.9
2013-14	6.06	6.95 (114.8)	3.12 (51.6)	66.4
2014-15	2.75	4.99 (181.5)	2.48 (90.2)	66.2
2015-16	2.33	0.49 (21.0)	0.12 (5.2)	54.6

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना

भारत सरकार के स्वच्छता मिशन को बिहार में अपलीजामा पहनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' योजना की शुरुआत 27 सितंबर, 2016 को की गई। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' के तहत किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए राज्य के प्रत्येक घर में बिना किसी भेदभाव के शौचालय की व्यवस्था की जाएगी तथा लोगों को इसके उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालयविहीन परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन (JNNURM)

शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिए दिसंबर, 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य अधोसंरचना का सृजन तथा शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के 4 घटक हैं—

1. **अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड गवर्नेंस (UIG)**— शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सफाई, सीवरेज तथा सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने हेतु इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम पर सात वर्षों में 31500 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा।

2. **इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल ऐंड मीडियम टाउन (UIDSSMT)**— इस कार्यक्रम पर 11400 रुपए का बजटीय आवंटन है। इस कार्यक्रम के तहत 767 परियोजनाएँ संचालित हैं।

3. **शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (BSUP)**— देश के 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवासन और आधारभूत संरचना मुहैया कराने के लिए इसे किया गया है। इस घटक पर 7 वर्षों में 16356 करोड़ रुपया आवंटित है।

4. **एकीकृत आवासन एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (Integrated Housing and Slum**

Development Programme, IHSDP)— यह कार्यक्रम उन शहरों में लागू किया जाएगा, जहाँ शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (BSUP) संचालित नहीं है। इस पर 7 वर्षों में 23184 करोड़ रुपया आवंटित है।

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन (JNNURN) ने देश के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास में अद्वितीय योगदान दिया है।

अटल पुनरुज्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत)

यह योजना जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन (JNNURM) को समाप्त कर 29 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई। यह योजना शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवेज सुविधा तथा प्रबंध, सार्वजनिक यातायात सुविधा तथा जनोपयोगी उपयोगिताओं के सृजन से संबंधित है। इस योजना के तहत कम-से-कम 1 लाख जनसंख्या वाले बिहार के 25 नगर स्थानीय निकाय जलापूर्ति, मल-जल निकासी, वर्षा जल निकासी, पार्कों और हरित क्षेत्रों के नगर विकास तथा नगर परिवहन के लिए राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। ये नगर स्थानीय निकाय हैं—पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छपरा, दानापुर, सहरसा, हाजीपुर, सासाराम, डेहरी, सीवान, बेतिया, मोतिहारी, बगहा, किशनगंज, जमालपुर, जहानाबाद, बक्सर और औरंगाबाद। 10 लाख तक की जनसंख्या वाले इन निकायों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में और पटना के लिए 30:70 के अनुपात में होगा। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 2015-16 में 6642.00 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार को समर्पित करने के लिए कार्य-योजना का राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना अति आवश्यक है।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इस मिशन के तहत भारत में अगले 5 वर्षों में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना है। इस कार्यक्रम के लिए हर शहर को हर वर्ष 100 करोड़ रुपया मिलेगा और राज्य सरकार इस मकसद से मैचिंग अनुदान देगी। इन 100 शहरों का चुनाव विशेष रूप से तैयार किए गए प्रतिस्पर्धा सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण की प्रतिस्पर्धा के अंत में बिहार से बिहारशरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर 100 शहरों की सूची में स्थान बनाने में सफल रहे और उनमें से प्रत्येक को स्मार्ट सिटी कार्य योजना तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। स्मार्ट सिटी की सफलता के लिए वांछित कार्य प्रगति पर है। प्रतिस्पर्धा के दूसरे चरण में 100 स्मार्ट सिटी योजनाएँ वित्त पोषण के लिए पात्र बनेंगी, जिनमें से 20 शहरों को 2015-16 के लिए चुना गया है। स्मार्ट सिटी शहर में बुद्धिमत्तापूर्ण समाधानों और नगर योजना संबंधी हस्तक्षेपों के जरिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के मकसद से योजना तैयार की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन

पहले चरण की प्रतिस्पर्धा के अंत में बिहार से बिहारशरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर 100 शहरों की सूची में स्थान बनाने में सफल रहे और उनमें से प्रत्येक को स्मार्ट सिटी कार्य योजना तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

केंद्र सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस और तरल कचरा निपटान प्रणालियों सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुँच का मार्ग प्रशस्त करने, ग्राम स्वच्छता और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने

के लिए की गई है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाया जाना है। केंद्र सरकार की यह फ्लैगशिप योजना है।

बिहार में इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य करने का लक्ष्य है—

1. **खुले में शौच की समाप्ति के लिए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण**— इस योजना का उद्देश्य बिहार में 2015-16 में 141 शहरी स्थानीय निकायों के 1.27 शहरी परिवारों तक पहुँचने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से हर परिवार को कुल 12,000 रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 4,000 रुपये तथा राज्य सरकार 8,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार ने अभी तक बिहार के लिए 37.72 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। पूर्ववर्ती समेकित निम्न लागत स्वच्छता कार्यक्रम की बची हुई 22.49 करोड़ रुपये की रकम को इस योजना में हस्तान्तरित किया जाएगा।

2. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रचलनों में सुधार**— राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रचलनों में सुधार के लिए 117.39 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इस धनराशि से घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपकरण खरीदने, लैंडफिल साइट के लिए जमीन खरीदने/विकसित करने, कंपोस्ट/ अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण के संयंत्रों की स्थापना, नालियों की सफाई और सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए आवश्यक जनशक्ति की नियुक्ति की जाएगी।

3. **सामुदायिक शौचालयों का निर्माण**— राज्य सरकार यह मानती है कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सामुदायिक शौचालयों का होना आवश्यक है। बिहार में 141 शहरी स्थानीय निकायों में 6881 इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य है। इन पर अनुमानित 5.30 लाख रुपये प्रति इकाई व्यय करने का निर्णय है, जिसमें 40 प्रतिशत केंद्र सरकार का अंशदान होगा। राज्य सरकार प्रति इकाई 70,667 रुपये का अनुदान देगी और शेष व्यय लाभार्थी के द्वारा किया जाएगा।

केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के लिए लक्षित है, जिसका लक्ष्य नदी की सफाई और पुनर्जीवन है। इस योजना में बिहार के 32 शहरों को चिह्नित किया गया है।

4. **सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण**— स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए। हर शहर में रोज काम करने के लिए आनेवाले लोगों सहित लगभग 5 प्रतिशत अस्थिर जनसंख्या होती है। इस जनसंख्या की स्वच्छता संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए बिहार में हर 600 अस्थिर जनसंख्या पर एक सार्वजनिक शौचालय निर्माण प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रांश और राज्यांश के मामले में कोई मानक नहीं है। इसके लिए नगर स्थानीय निकायों में से सार्वजनिक-निजी साझेदारी की संभावना तलाशने की आशा की गई है। राज्य सरकार का अनुमान है कि हर इकाई के निर्माण पर 14 लाख रुपये व्यय होंगे। प्रस्ताव है कि तीन दीवारों पर विज्ञापन के अधिकार और उपयोग शुल्क के संग्रहण की भी स्वीकृति होगी। नगर स्थानीय निकायों को इस कार्य के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

नमामि गंगे योजना

केंद्र सरकार ने 7 जुलाई, 2016 को फ्लैगशिप योजना के तहत नमामि गंगे योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए अगले 5 साल में 20 हजार करोड़ रुपये व्यय करेगी। 1985 से चल रही गंगा कल्याण योजना समाप्त करके उससे चार गुनी अधिक

राशि से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना की शुरुआत वाराणसी और हरिद्वार से एक साथ 231 परियोजनाओं के साथ हुई। हरिद्वार में इसकी शुरुआत उमा भारती व नितिन गडकरी तथा वाराणसी में रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने की। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसका बेसिन 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 468.7 बिलियन मीट्रिक पानी साल भर में प्रवाहित होता है, जो देश के कुल जल स्रोत का 25.2 प्रतिशत भाग है। इस नदी के बेसिन में लगभग 45 करोड़ आबादी रहती है।

केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के लिए लक्षित है, जिसका लक्ष्य नदी की सफाई और पुनर्जीवन है। इस योजना में बिहार के 32 शहरों को चिह्नित किया गया है। इन शहरों में सीवरों का अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी घाटी विकास, शवदाहगृहों, धोबी घाटों और सामुदायिक शौचालयों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बिहार में नमामि गंगा योजना के तहत निम्नलिखित परियोजना संचालित की जानी है—

बिहार में नमामि गंगे योजना का विवरण

क्षेत्र	2014-15		2015-16	
	शहरों की संख्या	अनुमानित परियोजना व्यय (करोड़ रु.)	शहरों की संख्या	अनुमानित परियोजना व्यय (करोड़ रु.)
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	17	538.19	17	617.17
मल-जलवाही नेटवर्क	14	2950.66	17	3416.67
मल जल शोधन संयंत्र सहित नालियों का अवरोधन और दिशा परिवर्तन	16	1707.97	15	1097.43
नदी घाट विकास	8	1250.21	8	1264.28
शवदाहगृह	11	85.58	11	85.58
धोबी घाट और सामुदायिक शौचालय	11	88.79	11	88.71
	योग	6621.33	योग	6569.84

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य में चार मल-जल निकासी परियोजनाओं (बक्सर, हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर) और पटना नदी घाट विकास परियोजनाओं को वर्ष 2010 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। मल-जल निकासी परियोजना पर व्यय 441.86 करोड़ रुपया और पटना नदी घाट विकास परियोजना पर व्यय 250 करोड़ रुपया है। चूंकि इन योजनाओं का प्रभाव सिर्फ नदी पर न पड़कर पूरे शहर पर पड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब इन परियोजनाओं का वित्त पोषण नमामि गंगा योजना की जगह नगर वित्त विभाग के जरिए करने का

प्रस्ताव किया है।

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना स्लम डेवलपर्स तथा शहरी गरीबों से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2011 से की गई थी। यह 'संपूर्ण शहर सभी स्लम' (Whole City All Slum) मूल मंत्र पर आधारित है। इस योजना में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम स्लम निवासियों को काश्तकारी अधिकार प्रदान करना तथा द्वितीय शहरी गरीबों को ऋण मुहैया कराने के लिए क्रेडिट मॉर्गेज फंड का सृजन। बिहार में इस योजना के तहत सभी 38 जिला मुख्यालयों को चुना गया है और 27 शहरों में 29 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं। इन मलिन बस्ती मुक्तनगर कार्य योजनाओं को राज्य स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति ने प्रटना, दरभंगा, कटिहार और पूर्णिया के लिए विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन के लिए 7 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बिहार में राजीव आवास योजना के तहत प्रगति

मूचक →	कुल आच्छादित शहर	कुल स्वीकृत योजनाएँ	कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयाँ	कुल परियोजना व्यय	कुल केंद्रांश	कुल राज्यांश	विमुक्त केंद्रांश	विमुक्त राज्यांश
संख्या रकम →	5	7	11,276	45,455.40 लाख	29,771.86 लाख	15,693.51 लाख	11,450.73 लाख	3,464.60 लाख

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

बिहार में यह योजना वैशाली और सहरसा, इन दो जिलों में चल रही है। वर्ष 2014-15 में इस योजना से 1.05 लाख महिलाएँ लाभान्वित हुईं।

शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु लक्षित अनेक कार्यक्रमों को 2015 में आरंभ किए गए 'सबके लिए आवास' कार्यक्रम के तहत समाहित कर दिया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी को 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली पक्की आवासीय इकाई उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 87.46 करोड़ रुपया आवंटित किया है। प्रति लाभार्थी केंद्रांश 1.50 लाख रुपया है और राज्य सरकार प्रति लाभार्थी 50,000 रुपए का अंशदान करेगी।

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना—सबला

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना की शुरुआत नवंबर, 2010 में की गई। इस योजना का केंद्रबिंदु शिक्षा से वंचित लड़कियाँ थीं। प्रायः यह देखा जाता है कि अनेक किशोरियाँ समय पूर्व ही स्कूल छोड़ देती हैं, कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं के मामले में भेद-भाव की शिकार होती हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किशोरियाँ स्वास्थ्य संबंधी मोर्चे पर भी काफी चुनौतियों का सामना करती हैं। जैसे गर्भवती होना, मातृ मृत्यु का जोखिम, शिशु मृत्यु, यौन संक्रमित रोग, जननांगों का संक्रमण, एच.आई.वी. से संक्रमित होना शामिल है। इन सबके लिए जरूरी है कि किशोरियाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आदत डालें। 11-18 वर्ष की किशोरियों की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से चलनेवाली यह योजना देश की लगभग 953.5 लाख और बिहार की 83.00 लाख

किशोरियों के लिए है। यह पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। आँगनवाड़ी केंद्रों पर किशोरियों को 'सूखा राशन' या गरम पके राशन की मात्रा 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देनेवाले पूरक पोषाहार और 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सेवा वर्ष में 300 दिनों के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2011-12 में सबला कार्यक्रम का आरंभ 12 जिलों में किया गया था—पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, बाँका और सीतामढ़ी। वर्ष 2014-15 में इस योजना से 18.20 लाख किशोरियाँ लाभान्वित हुईं।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2010 में पायलट प्रोग्राम के रूप में हुई और वर्तमान में यह देश के 53 चुनिंदा जिलों में चलाई जा रही है। मातृ अल्पपोषण देश में एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि एक-तिहाई से अधिक माताएँ निम्न शारीरिक मात्रा सूचकांक (BMI) वाली हैं। यह केंद्र के द्वारा संचालित योजना है, जिसमें केंद्र का शत प्रतिशत योगदान है। वर्तमान में लाभार्थियों को बैंक खातों या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दो किस्तों में 6000 रुपए का भुगतान किया जाता है। पहली किस्त का भुगतान गर्भावस्था की तीसरी तिमाही अर्थात् सातवें से नौवें महीने के बीच किया जाता है और विशेष शर्तें पूरी करने पर दूसरी किस्त का प्रसव के छह महीने बाद भुगतान किया जाता है। यह योजना उन माताओं पर लागू होती है, जो 19 वर्ष या उसके ऊपर की उम्र की हैं तथा यह पहले दो जीवित प्रसवों तक है। बिहार में यह योजना वैशाली और सहरसा, इन दो जिलों में चल रही है। वर्ष 2014-15 में इस योजना से 1.05 लाख महिलाएँ लाभान्वित हुईं।

समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

समेकित बाल विकास योजना का शुभारंभ 1975 ई. में किया गया। यह योजना अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार के 33 प्रखंडों में शुरू की गई थी। यह योजना केंद्र-प्रायोजित है, जिसके माध्यम से छह सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है—माताओं को पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएँ, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा तीन से छह वर्ष के बच्चों की अनौपचारिक विद्यालय—पूर्व शिक्षा। समेकित बाल विकास योजना के लक्ष्य समूह को आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह सेवा पहुँचाई जाती है। इस कार्यक्रम के लाभार्थी 0-6 वर्ष उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और शिशुवती माताएँ हैं। योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- (क) 0-6 वर्ष के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार।
- (ख) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।
- (ग) बच्चों की मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- (घ) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय हासिल करना।

(च) बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा के जरिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0-6 वर्ष के 1.91 करोड़ बच्चे हैं, जो कुल आबादी का 18.3 प्रतिशत है। ये बच्चे बिहार राज्य के भावी मानव संसाधन हैं। इसलिए समेकित बाल विकास योजना का राज्य में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के सभी 38 जिलों के 554 परियोजना कार्यालयों में यह योजना चल रही है। 0-6 वर्ष के उम्र के 1.91 करोड़ बच्चों तथा 60.3 लाख गर्भवती और शिशुवती महिलाओं की आवश्यकता पूरी करने के

लिए कुल 91.6 हजार आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना पर बजट प्रावधान में निरंतर वृद्धि हो रही है और 2010-11 के 880.24 करोड़ रुपया से 2014-15 में 2238.31 करोड़ रुपया हो गया, जो 24.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि व्यक्त करता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0-6 वर्ष के 1.91 करोड़ बच्चे हैं, जो कुल आबादी का 18.3 प्रतिशत है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान को भारत सरकार ने 2001 में लागू किया। यह अभियान गरीबी तथा शिक्षा के बीच पाए जानेवाले उच्च सहसंबंध या गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्त्व के रूप में लेने के कारण तथा साथ ही शिक्षा को प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए शुरू किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को 8वीं तक संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा अधिकार अधिनियम की क्रियान्वित करने के लिए नियत की गई योजना है। यह केंद्र सरकार का प्लैगशिप कार्यक्रम है।

इस योजना का उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से ग्रस्त समूह के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने और अपनी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 6-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों का मूल अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे को 2014-15 में संशोधित किया गया, इसके तहत वंचित तबकों के बच्चों के निजी विद्यालयों में न्यूनतम 25 प्रतिशत नामांकन के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षा की सुविधा से रहित वास स्थलों में नए विद्यालय खोलने और अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल और विद्यालय सुधार अनुदानों के जरिए विद्यालयों की विद्यमान अधिसंरचनाओं के सुदृढीकरण का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों की अपर्याप्त संख्यावाले विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराना, सघन प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का विकास और संकुल प्रखंड तथा जिला स्तर पर अकादमिक समर्थन ढाँचे के सुदृढीकरण के जरिए वर्तमान शिक्षकों की क्षमता का भी उन्नयन किया जाता है।

बिहार में 6-14 वर्ष उम्रवाले 2.6 करोड़ बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान का संचालन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के माध्यम से किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत 46.1 प्रतिशत से कम और लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत 21.6 प्रतिशत से अधिक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु संचालित एक अन्य योजना है। इस योजना को अप्रैल 2007 से सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। वर्ष 2014-15 में बिहार शिक्षा परियोजना हेतु स्वीकृत 7,044.83 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 47.9 प्रतिशत का व्यय किया गया, जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत कम है।

मध्याह्न भोजन योजना

विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त, 1995 से शुरू की गई है। यह योजना न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू

प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तरों में सुधार लाना है। आरंभ में इसका आच्छादन प्राथमिक शिक्षा (1-5) के बच्चों तक था। वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम को संशोधित कर उच्च प्राथमिक समूह (कक्षा 6 से 8) के बच्चों तक कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों की दो ज्वलंत समस्याएँ—भूख और शिक्षा से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से ग्रस्त समूह के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने और अपनी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2010-11 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 55.5 प्रतिशत था, जो 2014-15 में बढ़कर 65.9 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 2010-11 में योजना का आच्छादन 48.6 प्रतिशत था, जो 2014-15 में 61.1 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 में 17 जिलों में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत 65.9 प्रतिशत से अधिक था, जबकि उसके पिछले वर्ष उनकी संख्या 20 थी। 6 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन 70 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें सीवान में 79.3 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 76.0 प्रतिशत, पटना में 74.9 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 73.9 प्रतिशत, सारण में 70.8 प्रतिशत और दरभंगा में 70.1 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2014-15 में मध्याह्न भोजन आच्छादन से सबसे कम आच्छादित पूर्णिया था, जिसका प्रतिशत 54.8 था। उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत 61.1 प्रतिशत से अधिक था, जबकि 2013-14 में ऐसे जिलों की संख्या 19 थी। आच्छादन के रूप में 3 सर्वोत्तम जिले थे—पूर्वी चंपारण (78.1 प्रतिशत), सीतामढ़ी (75.5 प्रतिशत) और शिवहर (73.4 प्रतिशत)। उच्च प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन से सबसे कम आच्छादित जिला मधेपुरा था, जहाँ आच्छादन 24.4 प्रतिशत था। राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों के बाद भी मध्याह्न भोजन का आच्छादन बढ़ा तो है, परंतु वांछित लक्ष्य हासिल करने से काफी दूर है। राज्य सरकार को शत प्रतिशत वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करे।

स्मार्ट शहर मिशन योजना

स्मार्ट शहर मिशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 25 जून, 2015 को किया गया था तथा तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 25 जून, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा पुणे शहर की स्मार्ट सिटी योजना की 14 परियोजनाओं के प्रारंभ के साथ इस मिशन के क्रियान्वयन मोड का आरंभ किया गया। इस मिशन के तहत देश के कुल 100 चयनित शहरों को 'स्मार्ट शहर' के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इस मिशन हेतु चयनित हर शहर को अगले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस मिशन के तहत मई, 2016 में बिहार के भागलपुर जिले तथा झारखंड के राँची शहर को अन्य जिलों के साथ शामिल किया गया है।

स्मार्ट गंगा सिटी योजना

13 अगस्त, 2016 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेकैया नायडू द्वारा संयुक्त रूप से, 10 शहरों में 'स्मार्ट गंगा सिटी योजना' का शुभारंभ किया गया। ये शहर हैं—हरिद्वार एवं ऋषिकेश (उत्तराखंड), मथुरा-वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), साहेबगंज (झारखंड) और बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)। इस योजना के तहत इन शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में हाइब्रिड एन्यूटी मोड के आधार पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों तथा उन्नत जल

निकासी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

वर्ष 2009-10 से लागू इस योजना में बी.पी.एल. परिवार के 40 से 79 वर्ष की सभी विधवाओं को 600 रुपए प्रतिमाह (300 रुपए केंद्रांश तथा 300 रुपए राज्यांश) लूपेंशन दी जाती है। नवंबर, 2011 तक इस योजना से लाभान्वित विधवा महिलाओं की कुल संख्या लगभग 3.20 लाख थी। इस योजना को 15 अगस्त, 2001 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। लाभार्थी अपने प्रखंड कार्यालय में अपना आवेदन जमा करता है, जिसके बाद निश्चित समय में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति दी जाती है। पेंशन की राशि डाकघर में लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 1995 को की गई। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के मुखिया, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 64 वर्ष तक हो और उनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई हो तो उनके आश्रित को 20,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है। बिहार सरकार में भी यह योजना लागू है। आवेदन-पत्र मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (हृदय)

हृदय योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी, 2015 में की गई। इस योजना के अंतर्गत देश के 12 शहरों को सुरक्षित व संरक्षित करने का उद्देश्य है। ये शहर अमृतसर, वाराणसी, गया, पुरी, अजमेर, मथुरा, द्वारका, बदानी, केलानकन्नी, काँचीपुरम, वारांगल और अमरावती हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहरों को सुरक्षित व संरक्षित करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार को भी बढ़ाना है।

राष्ट्रीय बागबानी मिशन

राष्ट्रीय बागबानी मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से बिहार में भी यह योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य कृषि जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्य नीतियों के माध्यम से बागबानी मिशन में समग्र विकास करना है, इसके अंतर्गत तकनीकी संवर्धन, प्रबंधन एवं विपणन शामिल हैं। साथ ही उत्पादन में वृद्धि, पोषण, सुरक्षा में सुधार और कृषि परिवारों की आय वृद्धि में करना शामिल है। बिहार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए राज्य के 23 जिलों को चिह्नित किया गया है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला बागबानी विकास समिति का गठन किया गया है। ये जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बाँका, मुंगेर, पटना, गया, नालंदा, जमुई, खगड़िया, औरंगाबाद, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी तथा रोहतास हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1999 में रबी फसल से लागू किया। बिहार राज्य ने इस योजना को वर्ष 2000 में खरीफ फसल से प्रारंभ किया। इस योजना के तहत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त करनेवाले कृषकों का बीमा अनिवार्य रूप से तथा गैर-ऋण कृषकों का बीमा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है। कृषि ऋण की संपूर्ण राशि का बीमा किया जाता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल—धान, मकई, जूट एवं मिर्च तथा रबी फसल—गेहूँ, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर एवं गन्ने को सम्मिलित किया गया है। धान एवं गेहूँ की फसल के लिए बीमा की इकाई अंचल स्तर पर तथा अन्य फसल के लिए बीमा की इकाई जिला स्तर पर निर्धारित है। ऋणी कृषक हेतु बीमा कराने का समय खरीफ फसल के लिए अप्रैल से सितंबर माह तक तथा रबी फसल के लिए अक्टूबर से मार्च तक निर्धारित है, जबकि गैर-ऋणी कृषक हेतु खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई तक तथा रबी फसल के लिए 31 सितंबर तक निर्धारित है। लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए प्रीमियम की राशि में 10 प्रतिशत का अनुदान केंद्र एवं राज्य सरकार बराबर के अंशदान से बीमा कंपनी को भुगतान करती हैं। बीमा कंपनी द्वारा फसल क्षति का आकलन करने के पश्चात् खाद्यान्न के लिए प्राप्त प्रीमियम की 100 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम की राशि 150 प्रतिशत तक की क्षति-पूर्ति की राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाएगी। केंद्रांश एवं राज्यांश की राशि के साथ क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी के द्वारा संबंधित बैंकों को भुगतान की जाती है तथा बैंकों द्वारा कृषकों के बचत खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाता है। किसी भी स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाता है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

मौसम-आधारित फसल बीमा योजना भारत सरकार, बिहार सरकार एवं Agriculture Insurance Company of India Ltd. द्वारा संचालित की जाती है। मौसम की विषमताओं द्वारा उपज की संभावित क्षति से मुक्ति के लिए यह योजना शुरू की गई है। बजाज एलियाज जर्नल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बिहार में वर्ष 2014 से खरीफ फसल में बीमा का कार्य भोजपुर, बक्सर, सीवान, अरवल जिले में शुरू किया। इस योजना के लिए राज्य के कुल 13 जिले—जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण चयनित हैं। इन जिलों में बीमा का प्रसार 11 फसलों—गेहूँ, मक्का, चना, मसूर, राई, सरसों, अरहर, आलू एवं प्याज, बैंगन एवं टमाटर के लिए अधिसूचित है। लीची के लिए 5 जिलों—मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा एवं खगड़िया का चयन किया गया गया है। केला के लिए 8 जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी का चयन किया गया है।

महिला सामाख्या कार्यक्रम

यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। बिहार में इसका संचालन वर्ष 1992 ई. से महिला सामाख्या सोसाइटी के अधीन किया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक इस कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से निचले पायदान पर रह रहे महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना है। अप्रैल, 2006 में बिहार महिला सामाख्या सोसाइटी के नाम से महिला सामाख्या को स्वायत्तता प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम का संचालन 14 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 9 से 14 वर्ष की किशोरी बालिका, जो विद्यालय से वंचित हैं, उन्हें 3 घंटे तक जगजगी केंद्र में पढ़ाया जाता है।

हुनर

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हुनर परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम साक्षर एवं अधिकतम 8 कक्षा तक की दक्षता रखनेवाले 11 से 14 वर्ष की आयुवाले अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार के स्वास्थ्य संस्थान, 'बिहार मुक्त विद्यालय, शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड' मीठापुर पटना के माध्यम से दक्षता एवं कौशल वर्धन का प्रशिक्षण उनके घर के निकटतम अध्ययन केंद्र में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को सभी जिलों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रखंडों में चलाया जा रहा है।

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा संपोषित है, को बिहार सरकार ने 1 जुलाई, 2006 से राज्य में लागू किया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रसव के बाद महिलाओं को 1400 रु. तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपया उपलब्ध कराया जाता है। यदि प्रसव ग्रामीण क्षेत्र में घर पर होता है और महिला बी.पी.एल. में है तो उसे 500 रु. की सहायता दी जाती है। आशा कार्यकर्ता को 600 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में 200 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।

महिला समृद्धि योजना

केंद्र सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 2008-09 से की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को व्यवसाय के लिए 25000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है, जिसमें 10000 रुपए अनुदान के रूप में तथा शेष 15000 रुपए ऋण के रूप में होता है, जिस पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित है। ऋण की वसूली 36 महीने में बराबर किस्तों में की जाती है।

महिला स्वधारा योजना

महिला स्वधारा योजना केंद्र सरकार के द्वारा 12 जुलाई, 2001 से राज्य के संसाधनों का प्रयोग करते हुए चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य परित्यक्त महिलाएँ, जेल से मुक्त एवं परिवार के सहयोग से वंचित महिलाओं, प्राकृतिक विपदा की शिकार महिलाओं, खरीद-फरोख्त की शिकार बनी महिलाओं, उग्रवादी हिंसा की शिकार महिलाओं, मानसिक असंतुलन एवं विकलांग महिलाओं का उत्थान करना है। इन पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास हेतु जमीन क्रय के लिए वित्तीय सहायता, भवन निर्माण हेतु सहायता, भवन प्रबंधन हेतु सहायता, भोजन-वस्त्र के लिए सहायता एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना को त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से चलाया जाता है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बिहार सरकार द्वारा 2007-08 से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर 39 वर्ष आयु तक के सभी वर्ग की विधवा महिलाओं, जो बी.पी.एल. परिवार के अंतर्गत आती हैं अथवा उनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपए से कम हो, उन्हें 400 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने का प्रावधान है।

पत्रकार कल्याण निधि योजना

पत्रकार कल्याण निधि योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2000-01 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत ड्यूटी के दौरान पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अथवा गंभीर चोटों के कारण विकलांग होने पर कार्यरत पत्रकार को सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही समाचार-पत्र कर्मचारी सेवाशर्त और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वह पत्रकार, जो क्षेत्र में कर्तव्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, के आश्रित को अनुदान दिया जाता है।

अन्नपूर्णा योजना (श्वेत राशनकार्ड)

अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत बिहार राज्य में 1 अप्रैल, 2001 से हुई। यह योजना शत प्रतिशत केंद्र-प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में वृद्ध पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, परंतु उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तो ऐसे वृद्धों को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में वर्तमान में 1,42,518 अनाश्रय वृद्धों को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल मुफ्त आपूर्ति की जा रही है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, 2015

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई, 2015 को पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के सभी परिवारों को वर्ष 2022 तक अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत 76 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएँ हैं, जिसमें केंद्र सरकार 63 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। बिहार के लिए इस योजना में 8 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

राज्य-प्रायोजित योजनाएँ

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए अपने सात निश्चयों के अंतर्गत प्रथम निश्चय 'आर्थिक हल युवाओं को बल' के तहत इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2016 को की गई।

बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए अपने सात निश्चयों के अंतर्गत प्रथम निश्चय 'आर्थिक हल युवाओं को बल' के तहत इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2016 को की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के बारहवीं पास विद्यार्थी, जो उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों, जैसे—बी.ए./बी.एससी./इंजीनियरिंग/एम.बी.बी.एस./प्रबंधन/विधि आदि में प्रवेश लेना चाहते हैं, को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा बैंकों से ब्याज सहित डिफॉल्ट की राशि की शत प्रतिशत गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना में विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान की फीस के साथ-साथ हॉस्टल की फीस, हॉस्टल नहीं मिलने की स्थिति में उनके रहने, जीवन-यापन एवं पाठ्य-सामग्री का भी व्यय वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत पाँच लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का सांकेतिक लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के कारण आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा, साथ ही इससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर की प्रतिशत में भी सुधार होगा।

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं

उन्हें सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से सहायता भत्ता दो वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह योजना, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। इस योजना के तहत सहायक भत्ता प्राप्त करनेवाले बेरोजगार युवाओं को भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 18.17 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

कुशल युवा कार्यक्रम

विकसित बिहार के सात निश्चय के माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर, 2016 को कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 15-25 वर्ष के युवा, जो मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं, को भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल 80 घंटे, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान 120 घंटे एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण 40 घंटे का होगा। इस प्रकार यह योजना कुल 240 घंटे की होगी। यह योजना बिहार सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जहाँ हिंदी एवं अंग्रेजी संवाद कला, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में छात्रों को एक समान प्रशिक्षण देने के लिए श्रम विभाग ने महाराष्ट्र की कंपनी M.K.C.L. (Maharashtra Knowledge Corporation Limited) से समझौता किया है।

मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना

बिहार राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अबाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा सभी परिवारों को विद्युत संबद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 15 नवंबर, 2016 को शुरू की गई। 'हर घर बिजली लगातार' के नारे के साथ यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार अपने संसाधनों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक मीटर के साथ विद्युत संबद्ध प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार ने 1387 विद्युत संपर्कविहीन गाँवों की पहचान की है। प्रथम वर्ष में इन गाँवों में से 447 गाँवों को तथा द्वितीय वर्ष में 940 गाँवों में विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। द्वितीय वर्ष के लिए लक्षित 940 गाँवों में से 212 गाँव एवं 7 टोलों को अक्षय ऊर्जा से विद्युत संपर्कता प्रदान की जाएगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना पर परिव्यय 1897.50 करोड़ रुपए आकलित है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

राज्य सरकार ने प्रत्येक नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घर में पीने का साफ-स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर, 2016 को किया गया है। इस योजना के तहत

राज्य के गैर-गुणवत्ता प्रभावित 5013 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी। जल की इस आवश्यकता की पूर्ति बोरिंग, समर्सिबल पंप, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस योजना में व्यय को 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाली राशि एवं राज्य योजना मद की राशि का अभिसरण कर दिया जाएगा। इस योजना पर अगले तीन वर्षों में तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 को सम्मिलित करते हुए व्यय 8373.54 करोड़ का अनुमानित है। इस योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना

आगामी 5 वर्षों में लगभग 12500 किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने का लक्ष्य है, जिस पर लगभग 9939 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर, 2016 को की गई। यह योजना ऐसे क्षेत्रों में शुरू की जाएगी, जहाँ के जल में आयरन, फ्लोराइड या आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। राज्य की 2411 ग्राम पंचायतों के सभी 22261 गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा। फ्लोराइड प्रभावित 500 बसावटों में 'हर घर नल का जल' योजना की शुरुआत कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना की शुरुआत 27 सितंबर, 2016 से की गई है। यह योजना उन क्षेत्रों में शुरू की गई है, जहाँ के जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक इत्यादि की मात्रा नहीं पाई जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले 1683 चिह्नित ग्राम पंचायतों के सभी परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद से 543.6 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2016 के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 15253 वार्डों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना

बिहार राज्य सरकार के द्वारा शहरों में हर घर में स्वच्छ जल पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 27 सितंबर, 2016 को की गई। इस योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य के 140 नगर निकायों में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है। इस योजना की शुरुआत कम जनसंख्या वाले नगर निकायों से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से सभी नगर निकायों को आच्छादित करने की है। प्रथम चरण में योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कम जनसंख्यावाले नगर निकायों के 1438 वार्डों में 1519.16 करोड़ की लागत से 4.83 लाख घरों में गृह जल संयोजन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना

बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक घर तक पक्की सड़कों तथा पक्की नालियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया

गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत 28 अक्टूबर, 2016 से की गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सभी जिलों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों में एवं 11 जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले को एकल बारहमासी संपर्कता प्रदान की जा रही है। शेष 27 जिलों के लिए 500 से कम, परंतु 250 से अधिक आबादी वाले लोगों को सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु ग्रामीण संपर्क योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े एवं अनुसूचित जाति की बहुलतावाले जिलों को जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने 33461 संपर्कविहीन बसावटों को चिह्नित किया है। आगामी 5 वर्षों में लगभग 12500 किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने का लक्ष्य है, जिस पर लगभग 9939 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2500 किलोमीटर सड़क बनाकर 2386 ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छता प्रदान करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों की गलियों एवं नालियों को पक्का करने का निर्णय लिया है। इस योजना का प्रारंभ 28 अक्टूबर, 2016 को किया गया। सामुदायिक सहभागिता से राज्य के सभी लोगों को पक्की नाली एवं गली वर्ष 2019-20 तक उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना पर लगभग 14249.58 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। इस योजना व्यय की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाली राशि तथा राज्य योजना मद की राशि से की जाएगी। योजना का चयन वार्डसभा एवं ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। योजना प्राथमिकता के निर्धारण हेतु वार्डों की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की जनसंख्या, बाहुल्यता एवं तत्पश्चात् वार्डों की जनसंख्या को दृष्टि में रखा जाएगा। इनके क्रियान्वयन हेतु वार्डों को प्राथमिक इकाई माना जाएगा। योजना का क्रियान्वयन वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में 'वार्ड विकास समिति' गठित कर ग्राम पंचायतों के द्वारा कराए जाने की व्यवस्था है। आगामी 4 वर्षों में सभी 8391 ग्राम पंचायतों के 114733 वार्डों को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3053 करोड़ रुपया इस योजना मद में व्यय करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना

बिहार सरकार ने शहरों की सभी नाली एवं गलियों का पक्कीकरण करने हेतु 28 अक्टूबर, 2016 को मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में सभी 140 नगर निकायों के 3323 वार्डों को चरणबद्ध तरीके से आच्छादित किया जाएगा। इस लक्ष्य को 2016-17 में 15 प्रतिशत, 2017-18 में 20 प्रतिशत, 2018-19 में 30 प्रतिशत एवं 2019-20 में 35 प्रतिशत पूरा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर 140 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

नगर अधिसंरचना एवं अभिशासन कार्यक्रम (UIG)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में दो कार्यक्रम चल रहे हैं—पटना नगर संकुल (पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ) और बोधगया। इस घटक के तहत पटना, दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ में जलापूर्ति परियोजनाओं और ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं तथा बोधगया में जलापूर्ति और मल-जल निकासी परियोजना के लिए कुल 75,608 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन परियोजनाओं में से खगौल जलापूर्ति परियोजना पूरी हो

गई है और फुलवारीशरीफ परियोजना अंतिम चरण में है।

लघु एवं मध्यम नगर नागर अधिसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

इस योजना के तहत बिहार में कुल 11 योजना स्वीकृत हुई हैं, जिस पर कुल व्यय 2006-07 से 2008-09 के बीच 26,113.56 लाख रुपए है। इसके तहत फतुहा में सड़क और नाली निर्माण (759.00 लाख), मुरलीगंज में सड़क और नाली निर्माण (1144.00 लाख), नरकटियागंज में सड़क और नाली निर्माण (4713.00 लाख), रोसड़ा में सड़क और नाली निर्माण (2921.32 लाख), बरबीघा में सड़क और नाली निर्माण (1573.00 लाख), भभुआ में सड़क और नाली निर्माण (1088.00 लाख), बख्तियारपुर में सड़क और नाली निर्माण (511.00 लाख), लालगंज में सड़क और नाली निर्माण (1263.00 लाख), चकिया में सड़क और नाली निर्माण (1285.00 लाख), मुजफ्फरपुर में जलापूर्ति योजना (9872.25 लाख), आरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (983.99 लाख) पर व्यय किया जाएगा।

नगर सुधार समर्थन कार्यक्रम (स्पर)

नगर स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्ती अधिसंरचना निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन मलिन बस्तियों में सामुदायिक संस्थाओं द्वारा तैयार योजनाओं के आधार पर किया जा रहा है।

बिहार राज्य के 28 सबसे बड़े शहरी स्थानीय निकायों में नगर सुधार करने हेतु यूनाइटेड किंगडम का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग नगर सुधार समर्थन कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शहरों की 1,402 मलिन बस्तियों में बुनियादी अधिसंरचना को विकसित करने का प्रावधान है। 402 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से उपलब्ध कराई जानेवाली अधिसंरचनाओं में आंतरिक पक्की सड़कों, नालियाँ, व्यक्तिगत शौचालय, चाँपाकल और सोलर स्ट्रीट लाइट सम्मिलित हैं। इन व्ययों में 90 करोड़ रुपए की सहायता यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के हैं और शेष राज्य सरकार की। नगर स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्ती अधिसंरचना निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन मलिन बस्तियों में सामुदायिक संस्थाओं द्वारा तैयार योजनाओं के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना का केंद्रबिंदु समुदाय आधारित निर्माण का है। इन मलिन बस्तियों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर 20,000 प्रति इकाई का व्यय लगभग 50,000 शौचालयों का निर्माण किया जाना है। शौचालय निर्माण केंद्रबिंदु होने के कारण अन्य बुनियादी अधिसंरचनाओं के प्रावधानों के मामले में प्रगति अपेक्षाकृत मंद है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 10 करोड़ तक की लागत की पुल-पुलिया का निर्माण एवं जीर्णाद्धार किया जाएगा। योजना की संचालन समिति में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नामित मंत्री अध्यक्ष, जिला परिषद् के अध्यक्ष सदस्य और जिला पदाधिकारी सचिव होते हैं।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति करनेवाले को उनकी वृत्ति से अलग कर उनका पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत भिक्षुओं एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, आश्रयगृह तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए State society for rehabilitation of ultra poor नामक संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था अत्यंत गरीब, निःशक्त व्यक्ति एवं भिखारियों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करती है। भिखारियों के सर्वेक्षण

के लिए गैर-सरकारी संस्था 'मेधा' कार्य कर रही है। जिलास्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी 'मेधा' संस्था द्वारा किए गए भिखारियों के सर्वेक्षण की जाँच पर आगे की कार्रवाई करती है। इस कमेटी के सदस्य गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, निःशक्त व्यक्ति तथा जिला मजिस्ट्रेट होते हैं।

निःशक्त एवं भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए 3 स्टेप मॉडल निर्धारित किया गया है—सुझाव एवं पुनर्वास, कौशल विकास तथा स्वरोजगार।

भिक्षावृत्ति करनेवाले व्यक्तियों एवं अत्यंत गरीब तथा निःशक्त व्यक्तियों के चिकित्सकीय सुविधा हेतु पटना में एक अस्पताल को नोडल अस्पताल के रूप में चिह्नित किया गया है, जहाँ इनका समुचित इलाज किया जाता है। इस प्रकार की सुविधाएँ राज्य के अन्य जिलों में भी संचालित करने की योजना है।

बाल-विवाह निषेध योजना

बाल-विवाह की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल-विवाह निषेध योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, किशोर-किशोरियों को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल-विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 किसी भी ऐसे विवाह को कानूनी विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता, जो विवाह की कानूनी आयु से पूर्व किया गया हो। विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार महिला विकास निगम का योगदान काफी महत्वपूर्ण है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके आश्रित परिवार को अंत्येष्टि क्रिया के लिए 1500 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में मृतक का आश्रित मुखिया के पास तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर के पास आवेदन करता है। इसके उपरांत उन्हें नकद के रूप में 1500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 500-999 जनसंख्या आबादी वाले सभी संपर्कविहीन गाँवों तथा टोलों को चरणबद्ध रूप से बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा ई-निविदा के माध्यम से किया जाएगा। राज्य बजट से ग्रामीण कार्य विभाग को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग इस राशि को अनुदान के रूप में पूर्व में गठित ग्रामीण पथ विकास एजेंसी को उपलब्ध कराएगा, जो ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमंडलों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन करेगा। प्राथमिकता के आधार पर स्थानों का चयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मात्र एकल सड़क संपर्क व्यवस्था रहेगी। अगर पूर्व में सड़क बनी हो तो नई सड़क का निर्माण इस योजना के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत निर्मित होनेवाले पथों के वार्षिक रखरखाव हेतु ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना

बिहार में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना राज्य के सभी पथों में पड़नेवाले पुलों के बीच नए पुलों का निर्माण के लिए चलाई गई है। इसके अंतर्गत पुराने एवं क्षतिग्रस्त पुलों का प्रतिस्थापन, पतले पुलों का चौड़ीकरण, निर्मित पुलों के सुदृढीकरण करना तथा ऐसे पथों पर जो अधिसूचित नहीं हैं, परंतु ग्राम पंचायत की संपर्कता के लिए पुल का निर्माण आवश्यक है, वहाँ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 10 करोड़ तक की लागत की पुल-पुलिया का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा। योजना की संचालन समिति में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नामित मंत्री अध्यक्ष, जिला परिषद् के अध्यक्ष सदस्य और जिला पदाधिकारी सचिव होते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत या 25 लाख रुपए से कम वाली योजनाओं का निर्माण जिला स्तर पर जिला अधिकारी के माध्यम से कार्यान्वयन और शेष 67 प्रतिशत अर्थात् 25 लाख रुपए से ऊपर की राशि की योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा कराया जाता है। योजनाओं का चयन प्रत्येक जिले में पथ निर्माण विभाग, ग्राम अभियंत्रण संगठन के द्वारा अपने पथों पर जहाँ पुल दिए जा सकेंगे, उसकी सूची संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा ग्रामीण पथ तथा पंचायतों की संपर्कता हेतु आवश्यक पुल एवं पुलिया की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एकत्रित की जाएगी। जो पुल एवं पुलिया किसी नहर, नाला पर नहीं बनाए जाने हैं तो उसका निर्माण एन.आई.ई.पी. (NIEP) अथवा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा कराया जाएगा। सभी निर्माण कार्य चयनित एजेंसी के द्वारा निविदा के माध्यम से तथा 10 करोड़ तक की परियोजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार और विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया का आवंटन देय होगा।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में किया गया। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार को सौंपा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। इस योजना के लिए परियोजनाओं का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। इस समिति के सदस्य जिले के सभी सदस्य होंगे तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम 3 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी सचिव और जिला योजना पदाधिकारी संयोजक होंगे। इस समिति के आमंत्रित सदस्य—उप-विकास आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस समिति की बैठक में किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति या रिक्तता के कारण बैठक की कार्यवाही में बाधा नहीं होगी। इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित कार्य किया जाएगा—

- (i) भवनहीन पंचायत भवनों का निर्माण।
- (ii) भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्र का निर्माण।
- (iii) गोदाम का निर्माण।
- (iv) गली एवं नाली का निर्माण।
- (v) सामुदायिक भवन एवं सार्वजनिक तालाबों में घाट का निर्माण।
- (vi) हाट एवं मेला स्थानों का विकास।

(vii) कला मंच एवं खेल के मैदान का निर्माण।

(viii) सार्वजनिक चबूतरे का निर्माण।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार और विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए का आवंटन देय होगा। ऐसे विधानपरिषद् के सदस्य का क्षेत्र, जो कई जिलों में विस्तारित है, की जिलावार अनुशंसा के आलोक में आवंटित राशि का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। यदि जिलावार अनुशंसा प्रतिवर्ष 15 जून तक प्राप्त नहीं हो पाती है, तो निर्वाचन क्षेत्र में आनेवाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार विभाजित राशि के अनुरूप आवंटन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक का आवंटन किया जा सकेगा। ऐसे विधानपरिषद् सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, राज्य के किसी एक जिले को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे। यदि 15 जून तक चयन नहीं कर पाते हैं, तो जिस जिले के मतदाता सूची में उनका नाम होगा, वहाँ प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया जाएगा। कार्यों की अनुशंसा प्रत्येक विधानमंडल सदस्य विधानमंडल के पत्र शीर्ष पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर करके भेजेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अभियंत्रण संभाग गठित है। इस योजना के अंतर्गत राशि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को आवंटित की जाएगी।

शताब्दी अन्न कलश योजना

शताब्दी अन्न कलश योजना की शुरुआत भुखमरी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए की गई है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति भुखमरी का शिकार है, तो उसे एक सप्ताह के लिए 10 किलो अनाज तथा अल्पवयस्क होने पर 7 किलो अनाज निकटतम जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से मुफ्त में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अनाज बाँटने का अधिकार मुखिया, सरपंच, पंच तथा वार्ड सदस्य को दिया गया है। जिला अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह से अधिक सप्ताहों के लिए अनाज उपलब्ध कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने वर्ष 2008-09 में किया है। इस योजना का उद्देश्य नई प्रजाति के बीज को एक ही बार में सभी गाँवों में किसानों तक पहुँचाना है। प्रत्येक पंचायत के प्रति राजस्व गाँव के दो-दो किसानों को आधार मानकर प्रति किसान 6 किलो धान, 20 किलो गेहूँ, 8 किलो चना और चार 4 किलो मसूर के बीज 90 फीसदी अनुदान पर एक समारोह आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किया जाता है, साथ में जैविक खाद मुफ्त में प्रदान की जाती है। किसानों का चयन पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार द्वारा किया जाता है।

बीज ग्राम योजना

बीज ग्राम योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों के माध्यम से गाँव में ही बेहतर किस्म के बीज का उत्पादन कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक-एक गाँव का चयन किया जाता है। चयन किए गए गाँव के सभी किसानों को आवश्यकता के अनुसार धान, गेहूँ या दलहन के उन्नत प्रजाति के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाते हैं। गाँव का चयन जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। चयनित गाँव में 25 एकड़ रकबा होना आवश्यक है। इससे कम होने पर पड़ोस के गाँव को शामिल किया जाता है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना (हरियाली)

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा 2013 ई. में की गई। इसे हरियाली मिशन भी कहा जाता है। इस योजना का संचालन पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य उद्यमियों एवं कृषकों के माध्यम से पौधशाला स्थापना कर अलग-अलग प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता के बृहत मात्रा में पौधे तैयार करना है, जिससे वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस योजना से किसानों तथा उद्यमियों को आय के साथ-साथ रोजगार का भी अवसर उत्पन्न होगा। इसके अंतर्गत सागवान, सेमल, गम्हार, महोगनी, अमलतास, महुआ, नीम, शीशम, बाँस इत्यादि वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की अपने नाम से जमीन होनी चाहिए।

गन्ना विकास कार्यक्रम

गन्ना विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2012-13 में बिहार सरकार द्वारा की गई। कृषि रोड मैप के द्वारा गन्ना विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई। गन्ने की खेती करनेवाले किसानों को इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जो किसान गन्ना का प्रमाणित बीज उत्पादन करते हैं, उन्हें 50 रु. प्रति क्विंटल प्रोत्साहन अनुदान चीनी मिल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बीज उत्पादन करनेवाले चीनी मिलों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि बीज का निबंधन, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी के द्वारा किया गया हो। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ के द्वारा प्रजनन बीज उत्पादन करने पर 25000 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा बुआई हेतु प्रशिक्षण, हार्वेस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करना इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी।

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य के सबसे पिछड़े 20 जिलों में 7 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत हर महीने की 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए, बच्चों को 7 बीमारियों से बचाव के लिए सात टीके लगाए जाते हैं।

युक्ति योजना

युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा 23 अप्रैल, 2011 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाएँ सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क गर्भपात संबंधी सेवाएँ ले सकती हैं। यह योजना बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा चलाई जा रही है।

जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना

इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा 1 मई, 2012 को की गई। इसका संचालन करने की जिम्मेदारी नई दिल्ली की संस्था 'जैस स्टूडियो ऑन व्हील' को दी गई। इस वातानुकूलित एक्सप्रेस से गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना है। इसका टोल फ्री नं.-102 है।

परवरिश योजना

परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2014 ई. में की गई। इस योजना का उद्देश्य अनाथ

एवं वंचित बच्चों का पालन-पोषण समुदाय के स्तर पर ही सुनिश्चित करना है। एच.आई.वी. एवं कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चे तथा एच.आई.वी. एवं कुष्ठ से पीड़ित माता-पिता के बच्चे इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

इस योजना की शुरुआत लिंगानुपात को बढ़ाने, जन्म निबंधन के प्रोत्साहन तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से बिहार में की गई। इस योजना का संचालन 7 जुलाई, 2008 से किया जा रहा है। इस योजना का लाभ बी.पी.एल. परिवारों में 22 नवंबर, 2007 के बाद जन्म लेनेवाली कन्या संतानों को दिया जाता है, जिनका निबंधन उनके जन्म के एक वर्ष के अंदर हुआ हो। लाभ के रूप में राज्य सरकार द्वारा यू.टी.आई. एम.एफ. के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेंस फंड में 2000 रुपए की राशि निवेश की जाती है। वर्ष 2014 से यह राशि आई.डी.बी.आई. एवं यूको बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा की जाती है। योजना का लाभ एक परिवार की दो जीवित कन्या संतानों तक ही सीमित है। योजना का लाभ अपने निकटतम आँगनबाड़ी केंद्र से आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा 22 नवंबर, 2007 से की गई। 18 वर्ष से ऊपर की बालिका एवं 21 वर्ष से अधिक बालक के वैधपूर्ण विवाह एवं निबंधित विवाह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में करने पर विवाहित बालिका को विवाह के समय या विवाह के पश्चात् 10 हजार रुपए का चेक या डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है। इस योजना का लाभ वैसे परिवार को ही प्राप्त होगा, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपए से अधिक न हो।

स्वयं सक्षम योजना

इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए की गई। यदि वह लेख-परीक्षा, फैशन डिजाइनिंग, कोचिंग सेंटर, हस्तशिल्प, प्रिंटिंग प्रेस, इंजीनियरिंग, वकालत, आर्किटेक्चर, होटल प्रबंधन इत्यादि प्रशिक्षण या डिग्री हासिल किया हो तो उसे सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का ऋण 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं के लिए ही उपलब्ध है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आय 40 हजार और शहरी क्षेत्र में 55 हजार से अधिक वार्षिक आय न हो। ऋण वापसी की समय सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक है।

थारू अनुसूचित जनजाति विकास योजना

थारू अनुसूचित जनजाति के विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में वर्ष 2003 में सम्मिलित किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जो थारू जाति के विकास के लिए विशेष रूप से कार्य करती है। इसके तहत मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 बालक एवं 5 बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ-साथ समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना पश्चिमी चंपारण (बेतिया) जिले में की गई है।

स्टूडेंट्स गाइडेंस सेंटर योजना

इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में की गई। इसका क्रियान्वयन चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के द्वारा किया जाता है, जिसकी वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण

विभाग बिहार सरकार करती है। इस योजना का उद्देश्य बिहार में निवास करनेवाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को, जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रुपये से कम है, कैट एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का निःशुल्क दिवाकालीन प्रशिक्षण देना है। इन छात्रों को 75 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए 100 अनुसूचित जाति एवं 20 अनुसूचित जनजाति के छात्रों का चयन किया जाता है।

मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना

इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा 2012-13 में की गई। राज्य के करीब 22 लाख महादलित परिवारों को मनरेगा के तहत प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत महादलित परिवारों के लिए एक खास कैम्प लगाकर जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। इसके बाद काम माँगनेवाले को 15 दिन के अंदर मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत काम करनेवाले लोगों को भुगतान भी तुरंत कर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना

इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2009-10 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग-1 से 5 तक के सभी महादलित छात्र-छात्राओं के लिए की गई। इस योजना के तहत 500 रुपये पोशाक, जूता इत्यादि क्रय हेतु नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसका वितरण पंचायत स्तरीय शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में छात्र-छात्राओं को किया जाता है।

दशरथ माँझी कौशल विकास योजना

दशरथ माँझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य महादलित युवकों एवं युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। इस योजना की शुरुआत जून, 2013 में की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न कोर्स एवं ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे—कंप्यूटर एकाउंटिंग टैली, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हाइवेयर ऐंड नेटवर्किंग, नर्सिंग, सिक्यूरिटी गार्ड इत्यादि।

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना

इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2008-09 में बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक, कामगार व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम-से-कम 50 हजार रुपये का ऋण साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से यह प्रशिक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हाजीपुर और रेमंड पटना में दिया जा रहा है।

बिहार गृहस्थल योजना

बिहार गृहस्थल योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2010-11 में की गई। इस योजना के अंतर्गत पिछड़े, अति पिछड़े, एस.टी., एस.सी. जाति वर्ग के भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल भूमि खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 20000 रुपये दिए जाते हैं।

बिहार किरासन तेल कूपन योजना

बिहार में किरासिन तेल कूपन योजना की शुरुआत जून, 2008 में पूर्णरूप से की गई। राज्य में किरासिन तेल की कालाबाजारी एवं गरीबों को किरासिन तेल नहीं मिलने की शिकायतें हमेशा प्राप्त होती हैं। इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.75 लीटर की दर से एवं शहरी क्षेत्र के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.25 लीटर की दर से एक वर्ष हेतु नीले रंग के 12 कूपन निर्गत किए जाते हैं। राशन कूपन की तरह ही उपभोक्ता द्वारा राशन कार्ड एवं कूपन दुकानदार को देने पर निर्धारित दर एवं मात्रा में किरासिन तेल की आपूर्ति की जा रही है।

आओ बिहार योजना

इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.75 लीटर की दर से एवं शहरी क्षेत्र के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.25 लीटर की दर से एक वर्ष हेतु नीले रंग के 12 कूपन निर्गत किए जाते हैं।

यह योजना राज्य के निवासियों के लिए शुरू की गई है। यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह 2 एकड़ या उससे अधिक भूमि का स्वामी है तथा अपनी जमीन उद्योग अथवा संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं, तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके लिए भूधारी को अपनी जमीन का विक्रय मूल्य बताना होगा। विक्रय मूल्य का निर्धारण भूधारी अपने स्वविवेक से करेंगे तथा इस संबंध में उन्हें Undertaking देनी होगी कि निबंधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि तक के लिए यह विक्रय दर मान्य होगी। राज्य की नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा भू-अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही समस्याओं को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना बनाई है, जिसे 'आओ बिहार' नाम दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जमीन की मिल्कियत तथा विवाद मुक्त होने की जाँच कर अंतिम रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रथम चरण में इसकी सूचना बियाडा को भेजी जाएगी तथा बियाडा द्वारा इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सूचना अपलोड करने के पश्चात् राज्य सरकार विज्ञापनों के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य की विभिन्न जगहों में पंजीकृत एवं विवादमुक्त भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध है। यदि वे निवेश करने के इच्छुक हैं, तो संबंधित भूधारी से विवादमुक्त भूमि क्रय कर सकते हैं। यदि वे पंजीकृत जमीनों पर निवेश करते हैं, तो औद्योगिक नीति के आलोक में उन्हें स्टॉप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत की निर्धारित छूट मिलेगी एवं नीति में जो अन्य लाभ हैं, वे भी मिलेंगे।

इस प्रकार सरकार की भूमिका संपर्क सूत्र की होगी, ताकि निवेशकों को जमीन क्रय करने में कठिनाई न हो, साथ ही भूधारी को अपनी इच्छानुसार विक्रय मूल्य भी मिले। इस योजना में अपनी भागीदारी दर्ज कर राज्य के विकास में लोग अपना योगदान दे सकते हैं।

जन वितरण प्रणाली हेतु सामर्थ्य योजना

सामर्थ्य योजना की शुरुआत जन वितरण प्रणाली के कार्य करनेवाले विक्रेताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान हो सकें। वर्तमान में जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को 2-3 माह के खाद्यान्न की अग्रिम राशि जमा करनी पड़ती है। यदि उठाव की स्थिति अधिकतम हो, फिर भी कम-से-कम दो माहों के आवंटित खाद्यान्नों के विरुद्ध अग्रिम राशि जमा करना आवश्यक हो जाता है। बहुत सारे जनवितरण प्रणाली विक्रेता आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। उनकी आर्थिक कमजोरी के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न होती

हैं, जैसे—राशि जमा करने के लिए उनके द्वारा अधिक ब्याज पर राशि ली जाती है, जिसके कारण उनके वास्तविक लाभ का ह्रास होता है। राशि के अभाव में उनके द्वारा खाद्यान्न के विरुद्ध राशि जमा करने में कठिनाई होती है, जिससे शत प्रतिशत राशि जमा नहीं की जाती है। राशि के अभाव में ऐसे जनवितरण प्रणाली दुकानदार, दलालों तथा बिचौलियों के चंगुल में फँस जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों में या तो खाद्यान्न का उठाव कम हो जाता है या कालाबाजारी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इन सारी परिस्थितियों में उपभोक्ता लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार ग्रामीण बैंक से वार्ता की गई एवं समन्वय स्थापित कर सभी विक्रेताओं को कम-से-कम तत्काल आर्थिक मदद के रूप में 50 हजार रुपए का कैश क्रेडिट दिलवाया गया। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा अभियान चलाकर कुल 532 जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को 2,89,00,000 रुपए का कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया गया।

केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाएँ

कार्यक्रम : प्रथम योजना

वर्ष : 1952

उद्देश्य : देश/राष्ट्र का समग्र विकास

कार्यक्रम : लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO)

वर्ष : 1954

उद्देश्य : नए उद्योगों के विकास हेतु

कार्यक्रम : सघन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP)

वर्ष : 1960-61

उद्देश्य : कृषकों को बीज, उर्वरक, औजार और ऋण उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (IAAP)

वर्ष : 1964-65

उद्देश्य : विशिष्ट फसलों का विकास

कार्यक्रम : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

वर्ष : 1969

उद्देश्य : कृषि एवं उद्योगों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था

कार्यक्रम : विभेदीकरण ब्याज दर योजना

वर्ष : 1972

उद्देश्य : समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर 4 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

वर्ष : 1974-75

उद्देश्य : बड़ी एवं छोटी योजनाओं हेतु सिंचाई की व्यवस्था

कार्यक्रम : बीस सूत्रीय कार्यक्रम

वर्ष : 1975

उद्देश्य : गरीबी उन्मूलन एवं रहन-सहन उच्चीकरण

कार्यक्रम : मरुभूमि विकास कार्यक्रम

वर्ष : 1977-78

उद्देश्य : मरुभूमि विस्तार प्रक्रिया नियंत्रण एवं पर्यावरण संतुलन

कार्यक्रम : काम के बदले अनाज कार्यक्रम

वर्ष : 1977-78

उद्देश्य : विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना

कार्यक्रम : ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)

वर्ष : 15 अगस्त, 1979

उद्देश्य : ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)

वर्ष : 2 अक्टूबर, 1980

उद्देश्य : ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)

वर्ष : 1980

उद्देश्य : ग्रामीण निर्धनों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम : ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)

वर्ष : 1982

उद्देश्य : BPL ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)

वर्ष : 15 अगस्त, 1983

उद्देश्य : भूमिहीन कृषकों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु

कार्यक्रम : लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (CAPART)

वर्ष : 1 सितंबर, 1986

उद्देश्य : ग्रामीण समृद्धि हेतु सहायता। 28 दिसंबर, 2004 से इसका नाम बदलकर 'गंगोत्तरी' कर दिया गया है।

कार्यक्रम : शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम (SEPUP)

वर्ष : 1986

उद्देश्य : स्वरोजगार हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद

कार्यक्रम : नेहरू रोजगार योजना (NRY)

वर्ष : अक्टूबर, 1989

उद्देश्य : नगरीय बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु

कार्यक्रम : जवाहर रोजगार योजना (JRY)

वर्ष : अप्रैल, 1989

उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु

कार्यक्रम : रोजगार आश्वासन योजना

वर्ष : 2 अक्टूबर, 1993

उद्देश्य : रोजगार उपलब्ध कराने हेतु

कार्यक्रम : प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना (PMRY)

वर्ष : 2 अक्टूबर, 1993

उद्देश्य : शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करना

कार्यक्रम : राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

वर्ष : 1995

उद्देश्य : 19 वर्ष से अधिक की BPL गर्भवती महिलाओं को 300 रुपए की वित्तीय सहायता

कार्यक्रम : वृद्धावस्था पेंशन योजना

वर्ष : 1995

उद्देश्य : 65 वर्ष या अधिक आयु के असहाय वृद्धों को 200 रुपया मासिक पेंशन

कार्यक्रम : संगम योजना

वर्ष : 1996

उद्देश्य : विकलांगों के कल्याण हेतु

कार्यक्रम : कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

वर्ष : 15 अगस्त, 1997

उद्देश्य : कम महिला साक्षरतावाले जिलों में बालिका विद्यालय की स्थापना

कार्यक्रम : गंगा कल्याण योजना (GKY)

वर्ष : 1997-98

उद्देश्य : भूतल जल एवं भूमिगत जल की निकासी एवं रखरखाव हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

कार्यक्रम : स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

वर्ष : 1 दिसंबर, 1997

उद्देश्य : शहरी क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना। शहरी गरीबी निवारण कार्य। गरीबों हेतु शहरी बेसिक सेवा।

कार्यक्रम : जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

वर्ष : 1 अप्रैल, 1999

उद्देश्य : ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधारना और लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : अन्नपूर्णा योजना

वर्ष : 19 मार्च, 1999

उद्देश्य : वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज

कार्यक्रम : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY)

वर्ष : 1999

उद्देश्य : सहायता प्राप्त गरीब व्यक्ति को 3 वर्ष में BPL के ऊपर लाना। इसमें छह कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया। (i) IRDP, (ii) TRYSEM, (iii) DWCRA, (iv) SITRA, (v) MWS, (vi) GKY

कार्यक्रम : जनश्री बीमा

वर्ष : 10 अगस्त, 2000

उद्देश्य : BPL लोगों को बीमा सुरक्षा कवच देना

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

वर्ष : 2000

उद्देश्य : गाँवों का समग्र विकास

कार्यक्रम : अंत्योदय योजना

वर्ष : 2000

उद्देश्य : BPL परिवारों के सर्वाधिक गरीबों को अनाज 2 रुपए प्रति किलो, 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : आश्रय बीमा योजना

वर्ष : जून, 2001

उद्देश्य : रोजगार छूटे कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना

कार्यक्रम : संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)

वर्ष : 25 दिसंबर, 2001

उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन

कार्यक्रम : वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना

वर्ष : 2001 दिसंबर

उद्देश्य : शहरी स्लम आबादी को स्वच्छ आवास उपलब्ध कराने हेतु

कार्यक्रम : सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष : 2000-01

उद्देश्य : 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक आठवीं तक की निःशुल्क एवं गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा

उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : खाद्यान्न बैंक योजना

वर्ष : 2001

उद्देश्य : घोषित ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना

कार्यक्रम : महिला स्वयं सिद्धि योजना

वर्ष : 12 जुलाई, 2001

उद्देश्य : महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण/योजना में इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना का विलय

कार्यक्रम : स्वजल धारा योजना

वर्ष : 25 दिसंबर, 2002

उद्देश्य : ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुएँ, बावड़ी व हैंडपंप लगाने की सुविधा उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : निर्मल भारत योजना

वर्ष : 15 अगस्त, 2002

उद्देश्य : मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष : 25 दिसंबर, 2000

उद्देश्य : 100 प्रतिशत केंद्रीय स्कीम, 500 से अधिक जनसंख्यावाले गाँवों को जोड़ना

कार्यक्रम : जनरक्षा बीमा योजना

वर्ष : 2002-03

उद्देश्य : 1 रुपए प्रतिदिन भुगतान से चयनित व्यक्ति का निर्धारित अस्पताल में 30 हजार रुपए तक का उपचार

कार्यक्रम : जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना

वर्ष : 2002-03

उद्देश्य : देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों व जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु

कार्यक्रम : ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम (PURA)

वर्ष : 15 अगस्त, 2003

उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत सुविधा उपलब्ध कराना

कार्यक्रम : जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन

वर्ष : 3 दिसंबर, 2005

उद्देश्य : शहरी अवस्थापना विकास

कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान

वर्ष : 12 अप्रैल, 2005

उद्देश्य : प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना

कार्यक्रम : भारत निर्माण योजना

वर्ष : 16 दिसंबर, 2005

उद्देश्य : ग्रामीण अवस्थापना, सर्वांगीण तथा व्यापक विकास योजना

कार्यक्रम : आम आदमी बीमा योजना

वर्ष : 2 अक्टूबर, 2007

उद्देश्य : भूमिरहित ग्रामीण परिवार के मुखिया या आय अर्जक को बीमा लाभ

कार्यक्रम : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

वर्ष : 1 अक्टूबर, 2007

उद्देश्य : व्यक्ति की बीमा योजना। बी.पी.एल. परिवार के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देना।

कार्यक्रम : सबला योजना

वर्ष : 19 नवंबर, 2010

उद्देश्य : किशोरी सशक्तीकरण की केंद्रीय योजना, देश के 200 जिलों में लागू किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित योजना

कार्यक्रम : स्वावलंबन

वर्ष : 27 सितंबर, 2010

उद्देश्य : असंगठित क्षेत्र के लिए नई पेंशन योजना

कार्यक्रम : राजीव गांधी स्कीम फार ऐडोलेसेंट गर्ल्स

वर्ष : 1 अप्रैल, 2010

उद्देश्य : ICDS द्वारा क्रियान्वित

कार्यक्रम : महिला कृषि सशक्तीकरण योजना

वर्ष : 1 अप्रैल, 2010

उद्देश्य : राष्ट्रीय आजीविका मिशन का एक उपभाग

कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

वर्ष : 2009-10

उद्देश्य : SGSY का नया नाम

कार्यक्रम : राजीव आवास योजना (RAY)

वर्ष : 2009-10

उद्देश्य : गंदी बस्तियों (स्लम) से मुक्ति से संबंधित

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

वर्ष : 2009-10

उद्देश्य : अनुसूचित जातिबहुल ग्राम विकास योजना

कार्यक्रम : महिला किसान सशक्तीकरण योजना

वर्ष : 2010-11

उद्देश्य : ग्रामीण किसान महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

कार्यक्रम : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

वर्ष : 2006

उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अधिकार देना। नरेगा 2 अक्टूबर, 2009 को नए नाम मनरेगा से शुरू

कार्यक्रम : PGSY II

वर्ष : 2013

उद्देश्य : कुछ चयनित राज्यों के लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए।

कार्यक्रम : निर्भय फंड

वर्ष : 2013

उद्देश्य : —

कार्यक्रम : मिशन इंद्रधनुष

वर्ष : 25 दिसंबर, 2014

उद्देश्य : टीकाकरण से वंचित बच्चों को सात टीका निरोध रोगों से प्रतिरक्षित करना।

कार्यक्रम : स्वच्छ भारत मिशन

वर्ष : 2 अक्टूबर, 2014

उद्देश्य : 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना।

कार्यक्रम : पहल

वर्ष : 15 नवंबर, 2016

उद्देश्य : एल.पी.जी. के लिए डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर (DBTL) स्कीम। इसके अंतर्गत एल.पी.जी. पर दी जानेवाली सब्सिडी, बैंक खाते में जमा होगी।

कार्यक्रम : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम (BBBP)

वर्ष : 22 जनवरी, 2015

उद्देश्य : बालिकाओं की उत्तरजीविता और संरक्षण तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। शिशु लिंग अनुपात को नियंत्रित करना।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)

वर्ष : 28 अगस्त, 2014

उद्देश्य : 26 जनवरी, 2015 तक 10 करोड़ बैंक खाते खोलने का संशोधित लक्ष्य। खाताधारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा स्वतः उपलब्ध होगा।

कार्यक्रम : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

वर्ष : 2013

उद्देश्य : सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। एन.आर.एस.एम. तथा एन.यू. एच.एम. इसके दो उप-मिशन। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर तथा 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले जिला मुख्यालय NUHM में तथा कम जनसंख्या वाले NRHM में शामिल।

कार्यक्रम : नई मंजिल

वर्ष : 2014-15

उद्देश्य : बीच में पढ़ाई छोड़ देनेवाले अल्पसंख्यकों के शिक्षा और कौशल विकास की योजना।

कार्यक्रम : मानस तथा साइबर ग्राम

वर्ष : —

उद्देश्य : अल्पसंख्यक युवाओं की उद्यमिता एवं कौशल विकास।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

वर्ष : मार्च, 2006

उद्देश्य : स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करना। राज्यों में मेडिकल एजुकेशन की कमी को दूर करना।

कार्यक्रम : राष्ट्रीय आजीविका मिशन

उद्देश्य : सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना, निर्धनता दूर करना।

कार्यक्रम : नई रोशनी

वर्ष : 2014-15

उद्देश्य : महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण।

कार्यक्रम : मातृत्व सहयोग योजना (MSY)

वर्ष : 2014

उद्देश्य : पूर्व की इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का पुनर्गठित रूप।

कार्यक्रम : जनबंधु कल्याण योजना

वर्ष : 2014-15

उद्देश्य : अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र की स्कीम। 100 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से शुरू।

कार्यक्रम : इ-वीसा

वर्ष : 2014-15 (बजट में प्रस्तावित)

उद्देश्य : पर्यटन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवेल ऑथराइजेशन बीमा करने का प्रस्ताव।

कार्यक्रम : श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन

वर्ष : 2014-15

उद्देश्य : 21 फरवरी, 2016 से लागू ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधाएँ मुहैया करवाना।

कार्यक्रम : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

वर्ष : 2014-15

उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराना। योजना में केंद्र सरकार द्वारा 75600 करोड़ रुपए का प्रावधान। वर्तमान में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर प्रारंभ।

कार्यक्रम : वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

वर्ष : 15 अगस्त, 2014

उद्देश्य : योजना केवल 1 वर्ष के लिए (15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015) फिर से चलाई गई पेंशन योजना है।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष : 2014-15

उद्देश्य : इस योजना का प्रारंभ एन.डी.ए. के कार्यकाल में। इस योजना को फिर से अधिक शक्तिशाली रूप में बजट में शुरू किया गया है।

कार्यक्रम : —

वर्ष : पुनर्प्रारंभ

उद्देश्य : —

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

वर्ष : 9 मई, 2015

उद्देश्य : वार्षिक प्रीमियम 12 रुपया। जनधन जमा खाते से स्वतः हस्तांतरण, दुर्घटना बीमा योजना है। मृत्यु पर बीमित व्यक्ति के आश्रित को 2 लाख रुपया प्राप्त होगा।

कार्यक्रम : अटल पेंशन योजना

वर्ष : 9 मई, 2015

उद्देश्य : इसमें पेंशन का निर्धारण बीमा धारक द्वारा दी जानेवाली प्रीमियम की राशि पर निर्भर। 5 वर्षों तक प्रीमियम का 50 प्रतिशत या 1000 रुपया, जो दोनों में कम हो, सरकार द्वारा देय।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

वर्ष : 9 मई, 2015

उद्देश्य : 330 रुपया प्रति वर्ष का अंशदान जीवन बीमा, 18-50 वर्ष के लिए अनुमान्य, मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख रुपया प्राप्त।

कार्यक्रम : स्टैंड अप इंडिया

वर्ष : 5 अप्रैल, 2016

उद्देश्य : नवोदित उद्यमियों को बढ़ावा देने से संबंधित योजना।

कार्यक्रम : ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

वर्ष : 14 अप्रैल, 2016

उद्देश्य : पंचायती राज को मजबूत बनाने, सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास तथा किसानों की प्रगति से जुड़ी योजना।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष : 25 अप्रैल, 2016

उद्देश्य : पंचायती राज को मजबूत बनाने, सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास तथा किसानों की प्रगति से जुड़ी योजना।

कार्यक्रम : स्टैंड इंडिया लोन स्कीम

वर्ष : 5 अप्रैल, 2016

उद्देश्य : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना।

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

वर्ष : 1 मई, 2016

उद्देश्य : बी.पी.एल. परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया कराने की योजना

कार्यक्रम : राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्ष : 2014

उद्देश्य : NHM के अंतर्गत 2014 में शुरू योजना, जिसका उद्देश्य व्यापक स्वास्थ्य केयर मुहैया कराना है।

कार्यक्रम : सांसद आदर्श ग्राम योजना

वर्ष : 11 अक्टूबर, 2014

उद्देश्य : जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू, जो मुख्यतया गाँवों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद मार्च, 2019 तक तीन गाँव तथा 2024 तक 5 गाँव विकसित करेगा।



Downloaded From
http://t.me/Edu_Books
www.studymasterofficial.com

32. वित्तीय प्रणाली (Financial System)

बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना

व्यावसायिक बैंक

राज्य सहकारी बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

निजी व्यावसायिक बैंक

वित्तीय संस्थाएँ

भारत में वित्तीय प्रणाली से आशय संस्थाओं (Institutions), विलेखों (Instruments) तथा बाजारों के समुच्चय से है, जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उनके कुशलतम तथा अनुकूलतम प्रयोग की ओर गतिशीलन में भूमिका अदा करता है। सामान्यतः घरेलू या पारिवारिक क्षेत्र में बचत का आधिक्य होता है, वित्त बाजार घरेलू क्षेत्र से बचत आधिक्य को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की ओर गतिशीलन करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो प्रमुख अंग हैं—पूँजी बाजार (Capital Market) तथा मुद्रा बाजार (Money Market)। पूँजी बाजार से आशय उस बाजार से है, जहाँ वित्तीय प्रपत्र खरीदे तथा बेचे जाते हैं, जबकि मुद्रा बाजार वह बाजार है, जहाँ अल्पकालीन स्वभाव की मौद्रिक संपत्तियों या प्रतिभूतियों (सामान्यतः एक वर्ष से कम अवधि की) में खरीद एवं बिक्री होती है। इस बाजार में ऐसी संपत्तियों का क्रय तथा विक्रय होता है, जो मुद्रा के नजदीकी स्थानापन्न हैं। मुद्रा बाजार को दो भागों में बाँटा जाता है—संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार वह बाजार है, जो रिजर्व बैंक द्वारा क्रमबद्ध ढंग से संचालित तथा नियंत्रित होता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संगठित मुद्रा बाजार के शीर्ष पर स्थित है, जो मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है तथा ऋण की लागत तथा इसकी उपलब्धता को नियंत्रित करता है। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का प्रभाव मुद्रा बाजार पर पड़ता है। रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग हैं। संगठित मुद्रा बाजार के साथ-साथ असंगठित मुद्रा क्षेत्र का भी विस्तार है, जिसे देशी बैंकर्स कहा जाता है। बैंकिंग क्षेत्र के तीव्र विस्तार के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों की इन साहूकारों पर आश्रितता कम करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का विकास किया जा रहा है, जिससे इन साहूकारों से मुक्ति मिल सके।

भारत में बैंकों का विकास 1786 ई. से माना जा सकता है, जब जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 ई. में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ई. में बैंक ऑफ बंबई, 1843 ई. में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की थी, जिसे संयुक्त रूप से प्रेसीडेंसी बैंक कहा जाता था। इसी क्रम में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1870 ई., इलाहाबाद बैंक 1865 ई., पंजाब नेशनल बैंक 1894 ई. की स्थापना की गई। 1921 में सभी प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक बना दिया गया, जो कि यूरोपीय शेयरधारकों के द्वारा संचालित किया जाता था। 1935

में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय लाहौर में था।

बिहार में मार्च, 2016 तक व्यावसायिक बैंकों की कुल 6,661 शाखाएँ हैं, जिनकी 55 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जबकि वर्ष 2011 में यह 60 प्रतिशत थीं।

बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना

बैंकों का वर्गीकरण—बैंकों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है—

1. वाणिज्यिक बैंक,
2. सहकारी बैंक।

वाणिज्यिक बैंकों को दो भागों में विभक्त किया जाता है—

1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,
2. गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित रूपों में बाँटा जा सकता है—

1. सार्वजनिक बैंक,
2. निजी बैंक,
3. विदेशी बैंक,
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

गैर-अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ सम्मिलित होती हैं।

बिहार में बैंकिंग ढाँचा उपलब्ध है। पूँजी बाजार की लगभग अनुपस्थिति के कारण राज्य में पूँजी वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों पर निर्भर है। इसलिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को प्रभावित करनेवाली राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिस्थिति बिहार के बैंकों को भी प्रभावित करती है।

व्यावसायिक बैंक

बिहार में मार्च, 2016 तक व्यावसायिक बैंकों की कुल 6,661 शाखाएँ हैं, जिनकी 55 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जबकि वर्ष 2011 में यह 60 प्रतिशत थीं। वर्ष 2013-14 में अप्रत्याशित रूप से 638 शाखा खुलने के बाद वर्ष 2014-15 में मात्र 389 तथा 2015-16 में 364 नई शाखाएँ खोली गईं। इन 364 शाखाओं में 44 शाखाएँ (12 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में एवं 224 शाखाएँ (62 प्रतिशत) अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में और 96 शाखाएँ (26 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में खोली गईं। वर्ष 2015-16 में शाखाओं को खोलने की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत है, जो पूर्व के वर्षों 2014-15 में 6.6 प्रतिशत तथा 2013-14 में रिकॉर्ड स्तर के रूप में 12.1 प्रतिशत थी। बिहार में वर्ष 2015 तक निजी अराष्ट्रीयकृत बैंकों की 221 शाखाएँ शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में और मात्र 18 शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थीं। इसका मुख्य कारण था शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक क्रयशक्ति का होना। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न क्रयशक्ति होने के कारण इन बैंकों को लाभ कम प्राप्त होता है।

बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का वितरण वर्ष 2011 से 2016 के बीच

वर्ष (मार्च का अंत)	कुल	वृद्धि दर	शाखाओं का वितरण प्रतिशत के रूप में			
			ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	कुल
2011	4549	9.0	60.4	21.5	18.1	100.0
2012	4860	6.8	59.6	22.0	18.4	100.0

2013	5270	8.4	59.6	21.8	18.6	100.0
2014	5908	12.1	58.7	23.0	18.3	100.0
2015	6297	6.6	57.9	23.1	19.0	100.0
2016	6661	5.8	55.4	25.2	19.4	100.0

स्रोत : राज्य स्तर बैंकर्स समिति

बिहार में मार्च के अंत तक निजी, अराष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 301 है, जिसमें 281 शहरी क्षेत्रों में तथा 20 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। मार्च, 2016 तक बिहार में देश की कुल शाखाओं का 4.8 प्रतिशत शाखाएँ स्थित हैं, लेकिन बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। विभिन्न राज्यों के बीच बैंक की शाखाओं की संख्या में अंतर है। बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में शाखाओं की संख्या कम है।

विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएँ जून, 2016 तक

राज्य : बिहार

कुल शाखा : 6661

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 5.2

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 8.6

राज्य : झारखंड

कुल शाखा : 2691

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 2.1

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 2.7

राज्य : मध्य प्रदेश

कुल शाखा : 5815

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 4.8

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 2.8

राज्य : उड़ीसा

कुल शाखा : 4280

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 3.4

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 6

राज्य : उत्तर प्रदेश

कुल शाखा : 15275

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 12.1

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 16.5

राज्य : पश्चिम बंगाल

कुल शाखा : 7073

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 5.6

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 3.5

राज्य : कर्नाटक

कुल शाखा : 9002

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 7.2

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 5

राज्य : गुजरात

कुल शाखा : 6965

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 5.5

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 5

स्रोत : रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया

बिहार में मार्च, 2014 तक बैंकों में कार्य करनेवाले कर्मियों की कुल संख्या 42,201 थी। मार्च, 2015 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 44643 कर्मी कार्यरत थे।

बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में 2014-15 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की तुलना में 26,376 करोड़ रुपए (13.9 प्रतिशत) की बेहतरीन वृद्धि हुई, साथ ही 2014-15 में ऋण प्रदान करने में 10400 करोड़

रुपए की वृद्धि हुई, जो 16.7 प्रतिशत है। यह वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि दर 25.6 प्रतिशत की तुलना में कम है। बिहार में वर्ष 2014-15 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा 1.0 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया अर्थात् देश के कुल बैंक ऋण में बिहार के कुल बैंक ऋण का हिस्सा 1 प्रतिशत के पास है। बिहार में वर्ष 2014-15 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 32.8 प्रतिशत है, जो इस वर्ष में देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम था, जहाँ तमिलनाडु में (121.8 प्रतिशत), राजस्थान (87.1 प्रतिशत), महाराष्ट्र (89.8 प्रतिशत) था। इसी वर्ष में राष्ट्रीय औसत 79.0 प्रतिशत के लगभग था। राज्यस्तरीय बैंक समिति के आँकड़ों के अनुसार सितंबर, 2016 तक बिहार के सभी बैंकों में कुल जमा 2,38,384 करोड़ रुपए था और कुल ऋण 99,454 करोड़ रुपया था अर्थात् ऋण-जमा अनुपात 41.7 प्रतिशत था, जो 2011-12 में 36.7 प्रतिशत से काफी अधिक है।

बिहार में सभी बैंकों में साख-जमा अनुपात

वर्ष : 2005-06

जमा (करोड़ रु.) : 46134

ऋण (करोड़ रु.) : 14808

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 32.1

वर्ष : 2006-07

जमा (करोड़ रु.) : 56342

ऋण (करोड़ रु.) : 19048

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 33.81

वर्ष : 2007-08

जमा (करोड़ रु.) : 68244

ऋण (करोड़ रु.) : 22077

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 32.35

वर्ष : 2008-09

जमा (करोड़ रु.) : 83048

ऋण (करोड़ रु.) : 24051

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 28.96

वर्ष : 2009-10

जमा (करोड़ रु.) : 98588

ऋण (करोड़ रु.) : 31679

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 32.13

वर्ष : 2010-11

जमा (करोड़ रु.) : 113909

ऋण (करोड़ रु.) : 38723

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 33.9

वर्ष : 2011-12

जमा (करोड़ रु.) : 138163

ऋण (करोड़ रु.) : 50704

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 36.7

वर्ष : 2012-13

जमा (करोड़ रु.) : 161036

ऋण (करोड़ रु.) : 65364

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 40.59

वर्ष : 2013-14

जमा (करोड़ रु.) : 183458

ऋण (करोड़ रु.) : 85334

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 46.51

वर्ष : 2014-15

जमा (करोड़ रु.) : 211302

ऋण (करोड़ रु.) : 100261

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 47.45

वर्ष : 2015-16

जमा (करोड़ रु.) : 220667

ऋण (करोड़ रु.) : 104004

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 47.13

वर्ष : 2016-17

जमा (करोड़ रु.) : 238384

ऋण (करोड़ रु.) : 99454

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 41.7

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति, (सितंबर 2016 तक)

बिहार में वर्ष 2014-15 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 32.8 प्रतिशत है, जो इस वर्ष में देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम था, जहाँ तमिलनाडु में (121.8 प्रतिशत), राजस्थान (87.1 प्रतिशत), महाराष्ट्र (89.8 प्रतिशत) था।

बिहार राज्य में निम्न ऋण-जमा अनुपात होने के कारण विकास गतिविधियाँ धीमी हैं। राज्य के लगभग 42 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात को लगभग 79 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने पर राज्य में लगभग 98,400 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ जाता है। यह राशि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को अतिवांछित बल प्रदान कर सकती है। ऋण का कम वितरण यह प्रदर्शित करता है कि या तो औद्योगिक गतिविधियाँ अवरुद्ध हैं या उद्यमियों को ऋण संबंधी जरूरतों की पूर्ति निजी ऋणदाता अभिकरणों के उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों के जरिए हो रहा है, जो उनका लाभ हड़प जा रहे हैं। यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिए स्वाभाविक रूप से एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा यह पहले से ही अभावग्रस्त राज्य से पूँजी के पलायन को भी सूचित करता है। ऋण-जमा अनुपातों में सुधार ऋणों की माँग पर निर्भर करेगा, जो स्वयं अधिसंरचना की उपलब्धता, बाजार, उद्यमिता कौशल और व्यावसायिक वातावरण जैसे अन्य कारकों पर निर्भर है, जिनमें से अनेक मामलों में बिहार पिछड़ी अवस्था में है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात बहुत सराहनीय नहीं है। बिहार में सितंबर, 2015 में अग्रणी (लीड) बैंकों के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऋण-जमा अनुपात 30.8 प्रतिशत था। अन्य अग्रणी (लीड) बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 43.1 प्रतिशत, केनरा बैंक 44.7 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 34.5 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक 40.8 प्रतिशत तथा बैंक ऑफ बड़ौदा 41.2 प्रतिशत है। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात कॉरपोरेशन बैंक 89.3 प्रतिशत है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर 79.7 प्रतिशत और इंडियन ओवरसीज बैंक का 73.3 प्रतिशत है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 930

2010-11 : 31.2

2011-12 : 26.5

2012-13 : 35.7

2013-14 : 37.5

2014-15 : 40

2015-16 (सितंबर, 2015) : 30.8

बैंक : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 440

2010-11 : 33.9

2011-12 : 37.3

2012-13 : 41.1

2013-14 : 37.2

2014-15 : 33

2015-16 (सितंबर, 2015) : 34.5

बैंक : पंजाब नेशनल बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 559

2010-11 : 33.1

2011-12 : 30.5

2012-13 : 37.1

2013-14 : 40.6

2014-15 : 41.9

2015-16 (सितंबर, 2015) : 40.8

बैंक : कैनरा बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 227

2010-11 : 39.4

2011-12 : 39.1

2012-13 : 42.8

2013-14 : 40.2

2014-15 : 43.7

2015-16 (सितंबर, 2015) : 44.7

बैंक : यूको बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 230

2010-11 : 28.9

2011-12 : 36.3

2012-13 : 36.6

2013-14 : 39.3

2014-15 : 40.7

2015-16 (सितंबर, 2015) : 46

बैंक : बैंक ऑफ बड़ोदा

शाखाओं की संख्या 2016 में : 236

2010-11 : 33.6

2011-12 : 25.1

2012-13 : 35.8

2013-14 : 34.8

2014-15 : 41.6

2015-16 (सितंबर, 2015) : 41.2

बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 153

2010-11 : 36.8

2011-12 : 22.3

2012-13 : 36

2013-14 : 41.1

2014-15 : 42.1

2015-16 (सितंबर, 2015) : 43.1

बैंक : बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 335

2010-11 : 35

2011-12 : 37.5

2012-13 : 38.5

2013-14 : 38.5

2014-15 : 40.3

2015-16 (सितंबर, 2015) : 40.7

बैंक : इलाहाबाद बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 237

2010-11 : 30.5

2011-12 : 34.2

2012-13 : 41.4

2013-14 : 41.8

2014-15 : 42.8

2015-16 (सितंबर, 2015) : 40.9

बैंक : आंध्रा बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 43

2010-11 : 21.4

2011-12 : 23.3

2012-13 : 14.5

2013-14 : 16.8

2014-15 : 20.7

2015-16 (सितंबर, 2015) : 49.1

बैंक : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

शाखाओं की संख्या 2016 में : 13

2010-11 : 17.2

2011-12 : 7.9

2012-13 : 8

2013-14 : 32.5

2014-15 : 67.4

2015-16 (सितंबर, 2015) : 69

बैंक : कॉरपोरेशन बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 41

2010-11 : 75

2011-12 : 20.4

2012-13 : 57.4

2013-14 : 89.2

2014-15 : 72

2015-16 (सितंबर, 2015) : 89.3

बैंक : देना बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 44

2010-11 : 9.5

2011-12 : 41.9

2012-13 : 31.1

2013-14 : 30.3

2014-15 : 33.1

2015-16 (सितंबर, 2015) : 41.1

बैंक : इंडियन बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 59

2010-11 : 32.3

2011-12 : 21.6

2012-13 : 60.6

2013-14 : 68.8

2014-15 : 79.4

2015-16 (सितंबर, 2015) : 79.2

बैंक : इंडियन ओवरसीज बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 61

2010-11 : 17.8

2011-12 : 36.8

2012-13 : 50.2

2013-14 : 60

2014-15 : 73

2015-16 (सितंबर, 2015) : 73.3

बैंक : ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

शाखाओं की संख्या 2016 में : 49

2010-11 : 30.4

2011-12 : 42.7

2012-13 : 45.1

2013-14 : 39.9

2014-15 : 47.3

2015-16 (सितंबर, 2015) : 50.5

बैंक : पंजाब एंड सिंध बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 12

2010-11 : 11.1

2011-12 : 10.8

2012-13 : 11.2

2013-14 : 108.7

2014-15 : 21.8

2015-16 (सितंबर, 2015) : 24.7

बैंक : सिंडिकेट बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 57

2010-11 : 39.9

2011-12 : 41.4

2012-13 : 40.1

2013-14 : 40.9

2014-15 : 41

2015-16 (सितंबर, 2015) : 27.3

बैंक : यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 92

2010-11 : 39.9

2011-12 : 41.4

2012-13 : 40.1

2013-14 : 40.9

2014-15 : 41

2015-16 (सितंबर, 2015) : 27.3

बैंक : विजया बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 34

2010-11 : 21.9

2011-12 : 22.8

2012-13 : 25.7

2013-14 : 29.2

2014-15 : 41.4

2015-16 (सितंबर, 2015) : 44.6

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ बी. ऍंड जे.

शाखाओं की संख्या 2016 में : 18

2010-11 : 41.3

2011-12 : 43.2

2012-13 : 81.2

2013-14 : 92.1

2014-15 : 92.3

2015-16 (सितंबर, 2015) : 79.7

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

शाखाओं की संख्या 2016 में : 3

2010-11 : 63.3

2011-12 : 55.3

2012-13 : 58.7

2013-14 : 46.3

2014-15 : 49.7

2015-16 (सितंबर, 2015) : 46.6

बैंक : —

शाखाओं की संख्या 2016 में : 3873

2010-11 : 34.9

2011-12 : 40.6

2012-13 : 40.7

2013-14 : 41.9

2014-15 : 43

2015-16 (सितंबर, 2015) : 41.7

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

सहकारी बैंक

बिहार राज्य में वर्ष 2015 में कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 12 और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 312 है। वर्ष 2015 में सहकारी बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 324 है, जबकि इसके पूर्व के वर्षों क्रमशः 2012 में 295 तथा 2013 में 323 तथा 2014 में 288 थी।

राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएँ 31 मार्च, 2015

राज्य	राज्य सहकारी बैंक			जिला केंद्रीय सहकारी बैंक			कुल		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
बिहार	12	11	12	311	277	312	323	288	324
झारखंड	-	5	-	122	95	122	122	100	122
उड़ीसा	15	14	15	339	315	338	354	329	353
मध्य प्रदेश	25	25	25	856	838	856	881	863	881
उत्तर प्रदेश	29	29	29	1385	1336	1394	1414	1365	1423
गुजरात	03	07	10	1247	1234	1313	1250	1241	1323
महाराष्ट्र	53	53	48	3710	3721	3750	3763	3774	3798
भारत	1081	1059	1131	13655	13246	14060	14711	14305	15191

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लिमिटेड

बिहार में सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात अन्य बैंकों की तुलना में सबसे ज्यादा है। सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 58.9 प्रतिशत है, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 53.9 प्रतिशत और वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 36.8 प्रतिशत है।

विभिन्न सहकारी बैंकों में जमा-ऋण तथा जमा अनुपात 2015-16 में निम्न है—

बैंक - सहकारी बैंक

क्षेत्र : ग्रामीण

जमा (Deposits) (लाख में) : 94000

ऋण (Credits) (लाख में) : 69100

ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) : 73.5

निवेश (Investment) (करोड़ में) : —

बैंक - सहकारी बैंक

क्षेत्र : अर्द्ध-शहरी

जमा (Deposits) (लाख में) : 90300

ऋण (Credits) (लाख में) : 53700

ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) : 59.5

निवेश (Investment) (करोड़ में) : —

बैंक - सहकारी बैंक

क्षेत्र : शहरी

जमा (Deposits) (लाख में) : 76569

ऋण (Credits) (लाख में) : 30768

ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) : 40.2

निवेश (Investment) (करोड़ में) : —

बैंक - सहकारी बैंक

क्षेत्र : कुल

जमा (Deposits) (लाख में) : 260869

ऋण (Credits) (लाख में) : 153568

ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) : 58.9

निवेश (Investment) (करोड़ में) : 4373

स्रोत : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स)

बिहार राज्य में मार्च, 2015 तक 8463 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ हैं, जो संपूर्ण भारत के पैक्स का 9.1 प्रतिशत है, लेकिन जमा और ऋण ग्रहण के मामले में बिहार के पैक्स अन्य राज्यों से पीछे हैं। इन कुल 8463 पैक्सों में से 3962 पैक्स घाटे में चल रहे हैं, जिनका कुल घाटा 1 करोड़ रुपया है। 1180 पैक्स ने केवल 6 करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित किया है। सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में जमा केवल 175 करोड़ रुपया था और उन पर कुल बकाया ऋण 501 करोड़ रुपए का था।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का तुलनात्मक अध्ययन

	पैक्स की संख्या	जमा (करोड़ रु.)	ऋण ग्रहण (करोड़ रु.)	बकाया ऋण एवं अधिम (करोड़ रु.)		लाभ वाले पैक्स		घाटे वाले पैक्स	
				कृषि	गैर-कृषि	संख्या	रकम (करोड़ रु.)	संख्या	रकम (करोड़ रु.)
बिहार	8463	175	501	अनु.	अनु.	1180	6	3962	1
उड़ीसा	2701	1182	14657	2739	80	645	26	2028	350
गुजरात	8605	765	8886	9160	206	6038	92	1818	45
भारत	93042	81895	212429	61376	49679	43327	11052	37662	9118

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB)

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कमजोर संसाधन आधार, उनका अकुशल प्रबंधन और उनके सदस्यों की भागीदारी का निम्न स्तर पैक्स के जरिए ऋण बढ़ाने के मामले में प्रमुख बाधक है। नाबार्ड ने पैक्सों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पैक्स की क्षमता अपने सदस्यों की ऋण संबंधी जरूरतें अंशतः पूरी करने तक ही सीमित है। उनके काम-काज और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपने सदस्यों को सहायक सेवाएँ उपलब्ध करानेवाला और गतिविधियों के विविधीकरण में मददगार बहु-सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए।

राज्य सहकारी बैंक

बिहार में राज्य सहकारी बैंकों के ऋण वसूली के प्रतिशत में वस्तुतः काफी गिरावट आई है, जो जून, 2013 के 55 प्रतिशत से घटकर जून, 2015 में मात्र 22 प्रतिशत रह गया। बिहार में कुल बकाया ऋणों में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 2015 में 12.2 प्रतिशत था, जो 2014 में 12.4 प्रतिशत और 2013 में 13 प्रतिशत था।

बिहार में राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

लाभ/हानि (करोड़ रुपए)				अनिष्पादित परिसंपत्तियाँ बकाया ऋणों के प्रतिशत में				वसूली (प्रतिशत) अंतिम जून तक			
2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
45.88	39.50	241.20	65.52	10.25	15.05	12.58	12.4	65.00	54.76	25.08	22.5

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आर.जी. सरेया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर, 1975 को की गई है।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आर.जी. सरेया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर, 1975 को की गई है। बिहार में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रख्यापन के जरिए अस्तित्व में आया। केंद्र

सरकार, बिहार सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50, 15 और 35 के अनुपात में धारित अंशवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार के कृषि एवं ग्रामीण ऋण के लिए बहु-अभिकरण पहुँच उपलब्ध कराते हैं। बिहार में वर्ष 2014 तक ग्रामीण बैंकों की कुल 1,889 शाखाएँ थीं, जो सितंबर 2015 में 2,058 तथा सितंबर 2016 में 2,092 हो गई। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में 1032 शाखाएँ उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हैं, जो कुल ग्रामीण बैंकों का 50 प्रतिशत से अधिक है।

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या

बैंक	शाखाओं की संख्या			
	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	योग
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	258	97	15	370
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	579	78	33	690
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	759	236	37	1032
कुल योग	1596	411	85	2092

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति (सितंबर, 2016 तक)

बिहार में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। ये सभी ग्रामीण बैंक किसी विशेष क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। सितंबर, 2016 में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 73.2 प्रतिशत रहा है, वहीं मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात सबसे कम 41.0 प्रतिशत रहा है। सितंबर, 2015 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र ऋण-जमा अनुपात 53.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2016 में 53.9 प्रतिशत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपातों में कोई विशेष अंतर नहीं था।

विभिन्न क्षेत्रीय बैंकों का ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश-सह-ऋण-जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऋण-जमा अनुपात					निवेश सह ऋण-जमा अनुपात				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	42.40	42.52	43.36	41.0	41.0	42.42	42.52	43.36	41.0	41.0
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50.92	72.11	75.35	71.6	73.2	50.52	79.33	83.48	79.6	80.8
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51.80	55.30	56.79	57.8	55.7	51.80	55.30	56.79	57.8	55.7
औसत	48.51	53.56	54.92	53.9	53.3	48.51	51.70	56.19	55.2	54.5

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

निजी व्यावसायिक बैंक

बिहार में निजी व्यावसायिक बैंक की भी शाखाएँ उपलब्ध हैं। राज्य में वर्ष 2015-16 में 10 निजी बैंकों की 281 शाखाएँ हैं, जबकि पूर्व के वर्ष 2014-15 में 239 शाखाएँ अवस्थित थीं और 2013-14 में उनकी संख्या 205 थी। वर्ष 2015-16 में ऋण-जमा अनुपात इन बैंकों का 17.6 से लेकर 59.4 प्रतिशत के बीच है, जबकि समग्र रूप से इन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात मार्च, 2016 में 49.0 प्रतिशत है। एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और इंडसइंड बैंक की 20 ग्रामीण शाखा अवस्थित हैं। शेष सभी निजी बैंकों की सभी शाखाएँ शहरी या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

बिहार में निजी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात वर्ष 2015-16 में

बैंक	ग्रामीण			शहरी एवं अर्द्ध शहरी			ऋण जमा अनुपात
	शाखाओं की संख्या	जमा (लाख में)	ऋण (लाख में)	शाखाओं की संख्या	जमा (लाख में)	ऋण (लाख में)	
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	3	168417	8437	76	167133	157870	49.6
फेडरल बैंक	0	0	0	8	24207	4270	17.6
एक्सिस बैंक	9	7100	990	64	390808	160516	40.6
एच.डी.एफ.सी. बैंक	3	2445	1096	87	395851	231311	58.4
कर्नाटक बैंक	0	0	0	1	2397	597	24.9
कोटक महिंद्रा बैंक	0	0	0	12	36184	21492	59.4

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

वित्तीय संस्थाएँ

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना श्री बी. शिवारामन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुति के आधार पर 12 जुलाई, 1982 को की गई। नाबार्ड का गठन कृषि, कृषि-आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं के पुनर्वित्त के पोषण के जरिए ऋण प्रवाह के सुगमीकरण के लिए किया गया है। यह ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के कार्य-कलाप का समन्वय भी करता है और उन्हें प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है। यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान में कमी को पूरा करने के लिए निर्मित ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष का प्रबंधन भी करता है। नाबार्ड राज्य सरकारों को सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल छाजन प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीत गृह तथा ग्रामीण अधिसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषित चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ—कृषि यंत्रीकरण, स्वयं सहायता समूह, दुग्धशाला और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र थीं।

बिहार में वर्ष 2015-16 में 6778 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई, जो वर्ष 2014-15 की 7655 करोड़ रुपए की तुलना में कम थी। बिहार में 3219.7 करोड़ रु. के कुल पुनर्वित्त पोषण निवेश में कृषि यंत्रीकरण का 5.1 प्रतिशत, स्वयं सहायता समूह का 2.9 प्रतिशत, दुग्धशाला का 10.4 प्रतिशत, लघु सिंचाई का 1.3 प्रतिशत और गैर-कृषि क्षेत्र का 2.1 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2015-16 में बिहार में पुनर्वित्त पोषण का स्तर 2014-15 की अपेक्षा 1.5 गुणा बढ़ गया।

क्षेत्र : लघु सिंचाई

2010-11 : 39.38

2011-12 : 32.72

2012-13 : 46.57

2013-14 : 17.89

2014-15 : 25.25

2015-16 : 43.44

क्षेत्र : कृषि यंत्रीकरण

2010-11 : 81.92

2011-12 : 97.76

2012-13 : 250.84

2013-14 : 67.27

2014-15 : 295.6

2015-16 : 164.77

क्षेत्र : दुग्धशाला

2010-11 : 92.56

2011-12 : 70.62

2012-13 : -

2013-14 : 31.11

2014-15 : 104.59

2015-16 : 333.68

क्षेत्र : स्वयं सहायता समूह

2010-11 : 40.57

2011-12 : 43.66

2012-13 : -

2013-14 : 63.38

2014-15 : 114.24

2015-16 : 92.15

क्षेत्र : गैर-कृषि क्षेत्र

2010-11 : 22.84

2011-12 : 97.8

2012-13 : 53.56

2013-14 : 21.26

2014-15 : 298.06

2015-16 : 67.88

क्षेत्र : अन्य

2010-11 : 8.72

2011-12 : 33.98

2012-13 : 170.46

2013-14 : 169.73

2014-15 : 1319.3

2015-16 : 25.17

क्षेत्र : योग

2010-11 : 285.99

2011-12 : 376.54

2012-13 : 521.43

2013-14 : 370.64

2014-15 : 2157.36

2015-16 : 3219.66

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (Rural Infrastructure Development Fund—RIDF)

केंद्र सरकार के द्वारा 1995-96 में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्ववाले निगमों की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। इस कोष के द्वारा कम ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। इस कोष का प्रबंधन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंक कृषि क्षेत्र हेतु ऋण उपलब्ध कराने में पीछे रह जाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए इस कोष की स्थापना की गई है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है—

1. राज्य सरकार द्वारा पहले से किए गए निष्फल निवेश को सफल बनाना।
2. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना।
4. राज्य की आर्थिक संपदा को बढ़ावा देना।
5. गाँव और बाजार केंद्रों में सड़क संपर्क में सुधार करना।

6. शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
वर्तमान समय में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष लगभग 36 गतिविधियों में शामिल है, जिसे तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

1. कृषि एवं संबंधित क्षेत्र,
2. सामाजिक क्षेत्र,
3. ग्रामीण सड़क संपर्क।

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों को परियोजना व्यय की 95 प्रतिशत तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह ऋण पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक क्षेत्रों के लिए 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए 85 प्रतिशत है। ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए यह ऋण सीमा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए 80 प्रतिशत है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के द्वारा मार्च, 2015 में बिहार के लिए 9735 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया, जिसमें 7586 करोड़ रुपया का समवितरण किया गया और 6419 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया अर्थात् उपयोग का प्रतिशत 84.6 प्रतिशत है।

बिहार में सूक्ष्म वित्त (Micro Finance in Bihar)

गरीब परिवारों के लिए ऋण सहायता की अनुपलब्धता गरीबी को बनाए रखती है। समाज के असुरक्षित और कमजोर लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की किफायती खर्च पर उपलब्धता के मामले में सूक्ष्म वित्त गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। इस पृष्ठभूमि में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। मार्च, 2016 में भारत में 79 लाख स्वयं सहायता समूह मौजूद थे, जो बैंकिंग व्यवस्था के साथ औपचारिक रूप से जुड़े थे और उनकी बचत की राशि लगभग 13691 करोड़ रुपए थी, जबकि इसके पूर्व वर्ष मार्च, 2015 में 11060 करोड़ रुपए थी। बैंकों द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों को 2015-16 में 37287 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। दूसरे शब्दों में स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम अभी तक पहुँच और बैंक सुविधा से रहित ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेश के लिए सबसे पसंदीदा और सक्षम मॉडल बन गया है।

बिहार में मार्च, 2016 तक 2.7 लाख स्वयं सहायता समूह थे, जो देश का 3.5 प्रतिशत है। स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत 360 करोड़ रुपए की है, जबकि बैंकों के द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों को 2015-16 में 611 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। देश के अन्य राज्यों की तुलना में स्वयं सहायता समूह की प्रगति धीमी है, जहाँ अन्य राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की बैंकों से संबद्धता की प्रगति काफी अधिक है। स्वयं सहायता समूह को बैंकों के साथ संबद्ध करने में कुछ प्रमुख अवरोध जैसे प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की अनुपस्थिति और हितधारियों के बीच स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण प्रदान के लाभ के बारे में जागरूकता की कमी है। बिहार में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति ने भी अन्य राज्यों में स्वयं सहायता समूह की सफलता में योगदान करनेवाले कुछ प्रमुख कारकों की पहचान की थी। यह कारक बिहार में अनुपस्थित थे, जैसे—ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति और उनकी शिक्षा, पेशेवर ढंग से संचालित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की उपलब्धता, सुगम नियामक ढाँचे, सरकारी सहायता तथा स्वयं सहायता समूह के जरिए सरकारी सहायता को दिशाबद्ध करना। राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन को विराट् रूप देने के लिए आवश्यक है कि उपरोक्त कारकों को बढ़ावा दिया जाए।



33. नीतियाँ (Policies)

औद्योगिक नीति

बिहार स्टार्टअप, नीति, 2016

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011

बिहार विज्ञापन नीति, 2016

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015

बिहार मद्य नषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016

औद्योगिक नीति

औद्योगिकीकरण तथा औद्योगिक विकास को अधिकांशतः आर्थिक विकास का सूचक तथा इंजन माना जाता है। कृषि क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का विकास औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहाँ एक ओर रोजगार तथा आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में माँग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है। औद्योगिक विकास किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्नांकित रूपों में सहायक होता है—

1. अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन तथा इस प्रकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान के द्वारा। जैसा कि सर्वमान्य है कि कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन अधिक होता है।
2. कृषि क्षेत्र के श्रमाधिक्य तथा उत्पाद आधिक्य, जिसमें उद्योगों के प्रयोग में आनेवाला कच्चा माल सम्मिलित है, को प्रयोग में लाकर तथा कृषि तथा सेवा क्षेत्र के लिए आवश्यक आगत, जैसे—उर्वरक, मशीन आदि व्यवस्था के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
3. अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में सहायक होना।
4. निर्यात संवर्धन में भूमिका अदा करना।

उद्योगीकरण से आशय उत्पादन तथा निवेश के ढाँचे में उद्योग की बहुलता से है, जिससे राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) तथा श्रम शक्ति के प्रयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ सके।

औद्योगिक नीति राज्य की समष्टिगत आर्थिक नीति का क्रियात्मक पहलू है। सरकार की औद्योगिक नीति जहाँ राज्य के औद्योगिक विकास की कार्य-योजना प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर यह स्पष्ट करती है कि इस कार्य-

योजना की रणनीति क्या होगी या औद्योगिक विकास में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी तथा औद्योगिक विकास में विदेशी पूँजी तथा विदेशी उद्यमियों की क्या स्थिति होगी? औद्योगिक नीति वस्तुतः राज्य के औद्योगिक विकास के हर पहलू पर प्रकाश डालनेवाला राज्य का आर्थिक संविधान (Economic Constitution) है। औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन समष्टि आर्थिक नीति में हुए परिवर्तन की प्रतिलिपि है।

बिहार राज्य को उद्योगों से भरा हुआ एक नया स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। यहाँ नए-नए उद्योग लगाने तथा राज्य की रुग्ण एवं बंद इकाई को यथासंभव पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार में अनुकूल वातावरण बनाना होगा। इसी क्रम में विभिन्न औद्योगिक नीतियों का निर्णय लिया गया और औद्योगिक नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो, जिससे राज्य में संतुलित आर्थिक विकास हो, पर विचार हुआ। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न नीतियों की घोषणा की गई है, जो निम्न हैं—

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006

बिहार सरकार ने औद्योगिक नीति, 2003 के समीक्षोपरांत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 को तैयार किया। बिहार उद्योग संघ, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग संघ आदि और संबंधित सरकारी विभागों के साथ विचार-विमर्श कर इस औद्योगिक नीति को तैयार किया गया। इस नीति को तैयार करने में विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों को भी ध्यान में रखा गया।

इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में उत्पादन के पूर्व स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क तथा उत्पादन के बाद परियोजना प्रतिवेदन, भूखंड/शेड, तकनीकी जानकारी शुल्क, कैप्टिव पावर जनरेशन/डीजल जनरेटिंग सेट/गुणवत्ता प्रमाणन, वैंट लगजरी कर, विद्युत शुल्क, संपरिवर्तन शुल्क, मंडी कर आदि पर अनुदान एवं सुविधा देने का प्रावधान है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के लागू होने से आशा की जाती है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी एवं नियोजन के साथ-साथ त्वरित आर्थिक विकास होगा।

कार्यनीति

(i) राज्य में उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ताकि निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश का प्रवाह हो।

(ii) बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम, 2006—राज्य के सर्वांगीण विकास एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए त्वरित निपटान प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति एवं प्रमाण-पत्रों का निष्पादन किए जाने एवं साथ ही बिहार राज्य के निवेशकों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देने के उद्देश्य से संबंधित विषय या अन्य संबंधित विषयवस्तु के लिए बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है।

(iii) बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006—राज्य की भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण, निर्माण, परिसंचालन रखरखाव आदि से संबंधित विषयों के सर्वांगीण अधिनियम का प्रावधान, प्रशासनिक प्रक्रियात्मक विलंब कम करने एवं परियोजना जोखिम चिह्नित करने के लिए बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है।

- (iv) कारखाने के निरीक्षण को सरल करने के लिए स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी।
- (v) श्रम कानून की जटिलता के कारण उद्योग के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे श्रम कानून को सरल एवं विकासोन्मुख बनाया जाएगा।
- (vi) मानव संसाधन का इस प्रकार विकास किया जाएगा, जिससे उच्च कोटि की उद्यमिता का सृजन एवं प्रोत्साहन हो। इसके अतिरिक्त विद्यमान विभिन्न संस्थानों का सुदृढीकरण किया जाएगा, ताकि कुशलता का उन्नयन हो सके।
- (vii) लैंड बैंक—उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में लैंड बैंक का सृजन किया जाएगा। इस बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (viii) लघु, सूक्ष्म, कुटीर उद्योग तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विपणन की व्यवस्था की जाएगी।
- (ix) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधा के सृजन हेतु उद्योग क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ाना तथा निजी क्षेत्र के पूँजी निवेश को आमंत्रित करना एवं इस परियोजनाओं पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करना।
- (x) आधारभूत संरचना का विकास।
- (xi) रुग्ण एवं बंद इकाइयों की रुग्णता की पहचान कर समयबद्ध आवश्यक उपाय करना तथा जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली विकसित कर रुग्णता को रोकने का प्रयास करना।
- (xii) हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम तथा ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की प्रोत्साहन संबंधी सुविधाएँ

बिहार राज्य में आर्थिक विकास में गति लाने एवं औद्योगिक विकास में पूँजी निवेश में बढ़ावा देने हेतु राज्य के उद्योगों को निम्न प्रोत्साहन प्राप्त है—

उत्पादन के पूर्व सुविधाएँ

औद्योगिक भूखंड/शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होनेवाले उद्योगों आदि के लीज/बिक्री/अंतरण पर लगनेवाले स्टांप ड्यूटी/पंजीकरण से सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्योगों को शत प्रतिशत छूट होगी। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी एवं तदोपरांत की जानेवाले लीज या विक्रय या अंतरण पर स्टांप ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क की छूट देय नहीं होगी।

उत्पादन के बाद दी जानेवाली सुविधाएँ

औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 75 हजार रुपया की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि उपयुक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्योग विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी परामर्शी फर्म द्वारा बनाई गई हो। प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद देय होगा।

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क/ फूड पार्क/एग्रो एक्सपोर्ट जोन द्वारा आवंटित भूखंड/शेड के मूल्यों पर सभी पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन या अनुदान देय होगा। ये सुविधाएँ या रियायतें औद्योगिक इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद देय होंगी। लघु, सूक्ष्म इकाइयों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 7.50 लाख रुपए तथा सभी बृहत या मध्यम या मेगा इकाइयों को 25 प्रतिशत या अधिकतम 15

लाख रुपए तक देय होगी।

यदि कोई उद्यमी किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र या प्रयोगशाला अथवा संस्था से अपने उद्योग के स्थापित करने या बढ़ाने हेतु तकनीकी जानकारी प्राप्त करता है तो उस संस्थान को या संगठन को शुल्क रूप में ली गई राशि का 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में अथवा अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सुविधा इकाई के उत्पादन के बाद देय होगी।

कैप्टिव पावर जेनरेशन या डीजल जेनरेटिंग की स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का 50 प्रतिशत उद्योग को अनुदान के रूप में देय होगा। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यह सुविधा इकाई के उत्पादन में आने के बाद देय होगी।

नई औद्योगिक इकाइयों को स्वयं के उपयोग हेतु डीजल जेनरेटिंग शेड एवं कैप्टिव पावर इकाइयों से उत्पादित एवं उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विद्युत शुल्क की अदेयता से विमुक्ति प्रदान की जाएगी।

वैट की प्रतिपूर्ति की सुविधा या प्रोत्साहन लघु या मध्यम या बृहत उद्योगों को देय होगा। पात्र औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा एक पासबुक निर्गत की जाएगी, जिसमें वाणिज्य कर विभाग को बिहार वैट की मद में भुगतान किए गए करों का ब्योरा होगा, जिसे वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट-III में अंकित किया जाएगा। उद्योग निदेशक औद्योगिक इकाइयों को सत्यापित प्रपत्र के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्राधिकृत होंगे। लगजरी टैक्स, मंडी कर एवं विद्युत शुल्क में सात वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट एवं विद्युत संपरिवर्तन में 100 प्रतिशत की छूट भी प्राप्त होगी। विषम परिस्थितियों में कार्यरत इकाइयों को स्वीकृत वैट राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के खाते में जमा वैट की राशि की 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति लगातार 5 वर्षों की अवधि तक अनुमान्य होगी।

उद्योग पुनर्वास नीति के तहत रुग्ण एवं बंद उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार एवं बिहार उद्योग संघ के सहयोग से एक कॉरपस निधि की व्यवस्था की जाएगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा विकलांग उद्यमियों को अनुदान या छूट या प्रतिपूर्ति के रूप में इस नीति में निर्धारित सीमा से 5 प्रतिशत अधिक छूट अनुमान्य होगी। उन उद्यमियों को, जो लघु एवं अति लघु उद्योग लगाते हैं, 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष टर्नओवर तक के वैट के रूप में सरकार के खाते में जमा राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए देय होगी।

बिहार में निबंधित लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केंद्रीय बिक्री कर मात्र 1 प्रतिशत देय होगा।

औद्योगिक रुग्णता

औद्योगिक रुग्णता औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूँजी का अवरुद्ध होना, राजस्व की हानि एवं परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएँ, जिससे रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास हो सके। सरकार इस संबंध में हमेशा चिंतित भी रहती है और उसे रोकने एवं पुनर्वास करने के लिए विभिन्न कदमों को उठाती है।

बिहार में निबंधित लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केंद्रीय बिक्री कर मात्र 1 प्रतिशत देय होगा।

लघु उद्योग के पुनर्वास हेतु सरकार उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थान गठित करेगी। इसके सदस्य बैंक, वित्तीय संस्थान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग संघ के प्रतिनिधिगण, सरकारी तंत्र एवं विशेषज्ञ होंगे। इस कमेटी को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी, जिससे यह समिति अनुमोदित पुनर्वास पैकेज को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सके। रिजर्व बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी (SIDBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार रुग्ण एवं लघु इकाइयों की पहचान की जाएगी। उनके पुनर्वास हेतु उपयुक्त पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन किया जाएगा। जिन इकाइयों का पुनर्वास हो रहा है, उन्हें प्रत्येक वर्ष रुग्णता प्रमाण-पत्र नहीं लेना होगा। राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था द्वारा पहचान की गई रुग्ण इकाइयों को पुनर्वास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार छूट एवं रियायत मिलेगी। यह छूट एवं रियायत एक निश्चित सीमा के अंदर ही देने पर विचार किया जाएगा। रुग्ण एवं बंद इकाइयाँ, जिन्होंने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति का लाभ उठाया है, तब भी पुनः दूसरी बार उस रुग्ण एवं बंद इकाई को इस नीति के अंतर्गत लाभ मिलेगा, परंतु उन्हें सुविधा उतनी ही राशि की प्राप्त होगी, जो नई नीति के अनुसार प्रस्तावित और पूर्व में प्राप्त राशि का अंतर होगा। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी उद्योग की राज्य में इकाइयाँ स्थापित करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

बृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र में रुग्णता को दूर करने के लिए उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम तथा बैंक की अंतरसंस्थानिक समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना के अंतर्गत चुनी गई रियायतें एवं सुविधाएँ उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ एवं सरकार की अनुमति हेतु रखी जाएँगी।

विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करनेवाली इकाइयों को सुविधा

ऐसी विद्यमान इकाइयाँ, जो अपनी क्षमता का विस्तार या विशाखन या आधुनिकीकरण करती हैं तो इन्क्रीमेंटल उत्पादन पर ऐसी इकाइयों को कंठिका-2 में वर्णित नई इकाइयों को देय सुविधा प्राप्त होगी।

गुणवत्ता प्रमाणन पर प्रोत्साहन

राज्य में लघु उद्योग इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार करने के दृष्टिकोण से आई.एस.ओ. मानक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से प्रमाणन प्राप्त करने के क्रम में हुए व्यय की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी मिशन

राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए आई.टी. मिशन चलाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नवत् होगा

- (i) आर्थिक विकास,
- (ii) मानव संसाधन का विकास,
- (iii) सरल, प्रभावी एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना,
- (iv) उन्नत संचार व्यवस्था।

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण ऐक्ट, भारत सरकार के

मार्गदर्शन के अनुसार ही प्रभावी होगा। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की अनुसूची-1 में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को शामिल किया गया है। इसे भी अधिनियम की धारा-7, 8 एवं 12(1) के अनुसार छूट प्राप्त होगी। इसके द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों के खोलने एवं बंद करने के समय में, बिक्री के समय में एवं साप्ताहिक अवकाश में छूट प्रदान की जाएगी। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-66 के अनुसार महिलाओं की कार्य अवधि को सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों के लिए शिथिल किया जा सकेगा। इसके द्वारा महिलाएँ इन प्रतिष्ठानों में 6 बजे सुबह से 7 बजे संध्या तक कार्य करने की जगह 5 बजे सुबह से 10 बजे रात्रि तक कार्य कर सकेंगी। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 की धारा-87 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को अधिनियम की अनुसूची में एक स्वतंत्र नियोजन के रूप में जोड़ा जाएगा तथा इसके अंतर्गत कामगारों को अलग से वर्गीकृत किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी उद्योग की राज्य में इकाइयाँ स्थापित करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

हथकरघा प्रक्षेत्र

इस नीति के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को विद्युत टैरिफ में 75 पैसे प्रति यूनिट का विद्युत अनुदान प्रदान किया जाएगा। बुनकरों के लिए कार्यशाला सह आवास योजना प्रदान की जाएगी। अपनी निजी जमीन नहीं होने पर सरकारी शेड का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर विकास परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध सारी सुविधा बुनकरों को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना से डिजाइन इत्यादि में आवश्यक सुधार, गुणवत्ता का उन्नयन तथा विपणन में सहायता बुनकरों को मिल सकेगी। पटना में एक अर्बन हाट की स्थापना की जाएगी, जिसमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प सामग्री की बिक्री की व्यवस्था होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट, बिहारशरीफ तथा डार्ई एवं फिनिशिंग प्लांट, दरभंगा के पुनर्जीवन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को डार्ई, फिनिशिंग एवं प्रोसेसिंग के लिए सुविधा मिलेगी। हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति एवं सूदमाफी की योजना का कार्यान्वयन होगा।

आरक्षण

सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करनेवाली इकाइयों को वर्तमान नीति के अनुसार मिलनेवाली सुविधा से 10 प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अनुश्रवण एवं समीक्षा

एक महीने के अंदर सभी संबंधित विभाग एवं संगठन इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु यथावश्यक अधिसूचनाएँ निर्गत करेंगे। राज्य सरकार द्वारा उसका समुचित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार द्वारा इस नीति की मध्यावर्ती समीक्षा की जा सके।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में मिलनेवाली प्रोत्साहन या अनुदान या सुविधा नई औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी, जो दिनांक 01.04.2006 से 5 वर्षों के बीच व्यावसायिक उत्पादन में आएँगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011

बिहार में सार्वभौमिक औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन के मद्देनजर एवं राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित किए जाने के साथ-साथ राज्य के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवन एवं विस्तारण के लिए

समुचित माहौल एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया कि नई औद्योगिक नीति बनाई जाए, जिसमें राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास को तथा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में उद्योगों का योगदान हो सके।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के निर्माण के लिए राज्य के प्रमुख औद्योगिक संघों, यथा—बिहार उद्योग संघ, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग भारती, हाजीपुर उद्योग संघ आदि विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित सरकारी विभागों के साथ विचार-विमर्श एवं सुझाव प्राप्त किए गए। प्राप्त विचारों को समेकित करते हुए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 तैयार की गई। इस नीति में अन्य राज्यों की नीतियों का भी ध्यान रखा गया।

प्रस्तावित नीति के अंतर्गत उत्पादन के पूर्व स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में शत प्रतिशत छूट, औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान, वैट की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की राशि में प्रवेश कर को सम्मिलित किए जाने, कैप्टिव पावर जेनरेशन या डीजल जेनरेटिंग शेड पर विद्यमान इकाइयों पर भी प्रोत्साहन एवं गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, तकनीकी जानकारी शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणन पर छूट, विद्युत शुल्क इत्यादि पर अनुदान या छूट आदि कई प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के लागू होने से आशा की जाती है कि राज्य के विकास में काफी वृद्धि होगी तथा नियोजन के साथ त्वरित औद्योगिक विकास होगा, साथ ही बिहार के सभी नागरिकों के समग्र विकास में उद्योगों की सकारात्मक भूमिका होगी।

इस नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य-नीति अपनाई जाएगी—

(i) लैंड बैंक की स्थापना की जाएगी, जो उद्योगों की स्थापना में अहम भूमिका निभाएगा। उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में लैंड बैंक की स्थापना की कार्यवाई की जाएगी, जिसके माध्यम से आवश्यकतानुसार विभिन्न उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता हो सकेगी।

(ii) राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, ताकि राज्य में अधिक-से-अधिक देशी-विदेशी पूँजी निवेश आकर्षित हो सके।

(iii) लघु एवं सूक्ष्म ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम आदि उद्योगों को विकसित करते हुए इनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन की व्यवस्था करना।

(iv) रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु ससमय रुग्णता के कारणों की पहचान कर समय पर आवश्यक उपाय करना, ताकि इकाई को रुग्ण होने से रोका जा सके तथा इसके लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली विकसित कर रुग्णता को यथासंभव रोकने का प्रयास करना।

(v) राज्य सरकार द्वारा कारगर सिंगल विंडो सिस्टम परियोजनाओं को उपलब्ध कराना तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ, यथा—सड़क, पानी एवं अबाधित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(vi) औद्योगिक प्रांगणों या क्षेत्रों में सामान्य उत्प्रेरक उपचार (Common Effluent Treatment) की व्यवस्था किया जाना।

(vii) बियाडा द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, ताकि नए, मध्यम एवं बृहत उद्योगों की स्थापना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो।

(viii) राज्य सरकार का निम्नांकित क्षेत्रों में मुख्य फोकस होगा—

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,

- (ख) कृषि आधारित उद्योग,
- (ग) पर्यटन संबंधी उद्योग,
- (घ) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल,
- (ङ) उच्च तकनीकी अध्ययन संस्थान,
- (च) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग,
- (छ) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग,
- (ज) वस्त्र उद्योग,
- (झ) ऊर्जा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य के उद्योगों को दिए जानेवाले विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं छूट

बिहार राज्य में औद्योगिक विकास में गति लाने एवं औद्योगिक विकास में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन एवं छूट की निम्नांकित सुविधाएँ प्राप्त होंगी—

उत्पादन पूर्व

औद्योगिक भूखंड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होनेवाले उद्योगों आदि के लीज, बिक्री, अंतरण पर लगनेवाले स्टंप ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क से सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्योगों को शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी। वैसी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनके द्वारा इकाई का विस्तार अथवा विशाखन (Diversification) किया जाता है तथा उनकी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो तो उनको भी मात्र विस्तारीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि पर ही यह सुविधा प्राप्त होगी। किसी कारणवश अगर उपरोक्त छूट इकाई द्वारा नहीं प्राप्त की जाती है और भूमि का क्रय कर लिया जाता है तो उत्पादन के बाद उपयुक्त स्टंप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।

उत्पादन के बाद

नई उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निम्नांकित प्रोत्साहन औद्योगिक इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् दिया जाएगा—

(i) व्यावसायिक उत्पादन के बाद दी जानेवाली विभिन्न प्रतिपूर्तियों के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन प्रोत्साहन, भूखंड पर दिया जानेवाला प्रोत्साहन, तकनीकी जानकारी शुल्क पर आधारित सहायता, पूँजीगत अनुदान आदि पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो भी प्रोत्साहन लिया जाएगा, उसकी कुल अधिकतम सीमा 6 करोड़ रुपए होगी।

(ii) औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार की गई परियोजना पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 2 लाख रुपए प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि परियोजना प्रतिवेदन उद्योग विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी परामर्शी कंसलटेन्सी द्वारा बनाया गया हो। यदि परियोजना प्रतिवेदन कार्बन क्रेडिट तैयार करने हेतु बनाया जाता है तथा इकाई को कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है तो परामर्शी शुल्क के 50 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क/फूड पार्क/एग्रो स्पोर्ट जोन द्वारा आवंटित भूखंड या शेड के मूल्यों पर तथा सरकारी भूमि अथवा निजी रूप से स्थापित औद्योगिक प्रांगण या पार्क की आवंटित भूमि पर निवेश पर सूक्ष्म, लघु इकाइयों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपए तक तथा सभी

बृहत, मध्यम, मेगा इकाइयों को 25 प्रतिशत या अधिकतम 30 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त होगा।

(iii) यदि कोई उद्यमी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त अथवा राज्य स्तर पर मान्यताप्राप्त संस्थान से अपने उद्योग को स्थापित करने या बढ़ाने हेतु तकनीकी जानकारी प्राप्त करता है तो उसे उपयुक्त संस्थान अथवा संगठन द्वारा शुल्क रूप में ली गई राशि का 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में अथवा अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) कैप्टिव पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग शेड के प्लांट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का 50 प्रतिशत उद्योग को अनुदान देय होगा। इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(v) गैर-पारंपरिक स्रोतों से उत्पादन करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय राशि का 60 प्रतिशत अनुदान उद्योग को देय होगा। इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह सुविधा विद्यमान इकाइयों को भी देय होगी।

(vi) वर्तमान में कार्यरत इकाइयों तथा नई इकाइयों को Monthly Minimum Charges/Minimum Base Energy Charge/Demand/Billing Demand अथवा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश में वर्णित किसी अन्य नाम से शुल्क से छूट नई औद्योगिक नीति के प्रभावी होने की तिथि से दी जाएगी। यह सुविधा 5 वर्षों के लिए देय होगी।

(vii) नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए होगी। नई बृहत औद्योगिक इकाइयों को प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए होगी। पूँजीगत अनुदान इस नीति के प्रभावी होने की तिथि के बाद उत्पादन में आए उद्योगों द्वारा प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश पर ही लागू होगा तथा यह सुविधा संबंधित औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के पश्चात् ही देय होगी। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत पूँजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अतः उन्हें पूँजीगत अनुदान देय नहीं होगा।

(viii) राज्य में लघु उद्योग इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार करने के दृष्टिकोण से आई.एस.ओ. मानक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से प्रमाणन प्राप्त करने के क्रम में हुए व्यय के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(ix) यदि किसी इकाई का मॉर्गेज दस्तावेज पहली बार निबंधित कराया जाता है तो उस पर लगनेवाले निबंधन शुल्क अथवा देय शुल्क की अधिसीमा निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में निबंधन, उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

कर संबंधित सुविधाएँ (वैट एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)

यह सुविधा नई सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्योगों को देय होगी। पात्र औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा एक पासबुक निर्गत की जाएगी, जिसमें वाणिज्य कर विभाग को बिहार वैट के मद में भुगतान किए गए करों का ब्योरा रहेगा। पात्र औद्योगिक इकाइयों को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, बियाडा द्वारा पासबुक निर्गत की जाएगी, जो इकाई द्वारा उत्पादन में रहने एवं इकाई द्वारा जमा की गई वैट राशि का सत्यापन करेगी।

नई इकाइयों के लिए सरकार के खाते में जमा की गई स्वीकृत वैट की राशि के विरुद्ध 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सभी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत देय है, परंतु ब्रेवरीज एवं डिस्टिलरी उद्योग की नई इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति मात्र 25 प्रतिशत की

अधिसीमा तक की जाएगी, जो 10 वर्षों के लिए होगी एवं पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत तक ही देय होगी।

नई औद्योगिक इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन करने के पश्चात् लगजरी टैक्स तथा विद्युत शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी तथा भूमि संपरिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन में आने के बाद वैट के अंतर्गत आउटपुट टैक्स से प्रवेश कर की राशि सामंजित होने की स्थिति में प्रवेश कर मद में भुगतान की गई राशि को वैट की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित किया जाएगा। यह सुविधा कार्यरत इकाइयों को भी देय होगी तथा उपरोक्त सभी प्रकार की इकाइयों को इस नीति के प्रभाव में आने की बाद ही देय होगी। प्रवेश कर मद में अलग से यदि किसी छूट का निर्णय होता है तो तत्संबंधी अधिसूचना समय-समय पर वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी। नई औद्योगिक इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन करने के पश्चात् लगजरी टैक्स तथा विद्युत शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी तथा भूमि संपरिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत वैट राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के खाते में जमा वैट/प्रवेश कर की राशि की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति लगातार 5 वर्षों की अवधि तक ही अनुमान्य होगी। कार्यरत इकाइयों द्वारा विस्तार किए जाने पर उनको भी विस्तारित भाग तक यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। यह सुविधा पूर्व से कार्यरत चीनी मिलों को भी मिलेगी, बशर्ते कि इस प्रकार की सुविधा उन्हें गन्ना प्रोत्साहन नीति के तहत नहीं प्राप्त हुई हो।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केंद्रीय बिक्री कर 1 प्रतिशत देय होगा।

अन्य विशेष सुविधाएँ

रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार एवं उद्योग संघों द्वारा एवं अन्य के सहयोग से उद्योग पुनर्वास निधि की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से रुग्ण, लघु एवं मध्यम इकाइयों, जिनका पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया गया हो, को कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्त उद्यमियों को इस नीति में निर्धारित सीमा से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान अनुमान्य होगा। इस श्रेणी के उद्यमी यदि लघु एवं अतिलघु उद्योग लगाते हैं, तो 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष बैलेंस शीट के अनुसार बिक्री से प्राप्त आय तक के लिए वैट के रूप में सरकार के खाते में जमा राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए की जाएगी। यह छूट या अनुदान उन्हीं प्रतिष्ठानों को देय होगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्त श्रेणियों के उद्यमियों के पूर्ण स्वामित्व में होगा।

किसी औद्योगिक इकाई द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात् अगर कम-से-कम 100 प्रत्यक्ष नियोजन सृजित किया जाता हो तो उनके नियोजन की तिथि से 1 वर्ष तक उनके नए कर्मचारियों को ई.पी.एफ. की राशि इकाई द्वारा भुगतान की जाएगी। उसके समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

बृहत उद्योगों को प्राथमिकता देने हेतु तथा राज्य में विभिन्न प्रकार के पूँजी निवेश को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से 500 करोड़ से अधिक निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अंतर्गत प्राप्त सभी सुविधाओं के अलावा पूँजीगत अनुदान 20 प्रतिशत देय होगा, परंतु इसकी अधिसीमा 5 करोड़ के स्थान पर 30 करोड़ रुपए होगी।

औद्योगिक रुग्णता

औद्योगिक रुग्णता औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का ही एक अंग है। रुग्ण इकाई का अर्थ ऐसी इकाई से है, जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद् द्वारा निबंधित हो। उस इकाई को सहायता एवं अनुदान बी.आई.एफ.आर. द्वारा प्रचारित डी.आर.एस. (Draft Rehabilitation Scheme) में अंकित कट ऑफ डेट से देय होगा। जिन रुग्ण इकाइयों ने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति का लाभ उठाया है, उसे पुनः दूसरी बार भी इस नीति के अंतर्गत लाभ मिलेगा। अगर कोई रुग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ उठाना चाहती है तो उसे पूर्व में रुग्ण इकाइयों के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि की मात्रा तथा अब नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि में जो अंतर होगा, मात्र वही राशि देय होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पुनर्वास हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय शीर्ष संस्था होगी, जबकि बृहत क्षेत्र के लिए उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो इस क्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखनेवाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से मिलनेवाली प्रोत्साहन, अनुदान, सुविधा उन्हीं नई औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी, जो दिनांक 01.07.2011 की तिथि से 5 वर्षों के अंदर व्यावसायिक उत्पादन में आएँगी। इस नीति के तहत किसी भी प्रावधान की व्याख्या एवं समाधान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसके सदस्य उद्योग निदेशक, निदेशक, तकनीकी विकास, वाणिज्य कर विभाग एवं विद्युत बोर्ड के प्रतिनिधि तथा संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक होंगे।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

बिहार एक कृषि-प्रधान राज्य है, परंतु समावेशीय आर्थिक विकास के लिए द्वितीय प्रक्षेत्र अर्थात् उद्योगों का विकास आवश्यक है। राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं तथा 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 इसी को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति आधारभूत संरचना पर ध्यान केंद्रित करना, प्रगतिशील तकनीक पर विशेष बल देते हुए भविष्य में विकास के मुख्य प्रक्षेत्रों को वरीयता प्रदान करना, कौशल विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँचाना है। इस प्रकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए समेकित पहल है तथा इसमें बिहार आनेवाले निवेशकों के लाभों के लिए विस्तृत प्रावधान है।

बिहार भारत के तीव्र विकास कर रहे राज्यों में से एक है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि में बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 10.5 प्रतिशत की दर से निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक वृद्धि की गति एवं पैमाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यापक घरेलू सुधार कार्यक्रम का परिणाम रहा है। इसमें सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण बात कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी में सुधार एवं सरकारी व्यय के साथ सार्वजनिक निवेश के सुधार में परिवर्तन रहा है। इन सभी परिवर्तनों ने राज्य में निवेश एवं अधिक-से-अधिक उद्योग प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए समेकित पहल है तथा

इसमें बिहार आनेवाले निवेशकों के लाभों के लिए विस्तृत प्रावधान है।

बिहार के पूर्व में कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह स्थित हैं, जिससे बंदरगाहों के उपयोग एवं विशाल बाजार की सुविधा उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों से कच्चे माल की उपलब्धता का भी लाभ राज्य को प्राप्त होता है। बिहार एक कृषि-प्रधान राज्य है। यह सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं फल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 1009 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, जिससे जमीनी और सतही जल का स्तर दोनों अच्छा है। राज्य की प्रमुख नदियों में गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और महानंदा हैं। राज्य में औद्योगिक श्रम बृहत मात्रा में उपलब्ध है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, स्वास्थ्य आदि राज्य में तेजी से बढ़ते उद्योगों में से कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। राज्य में कृषि उपस्कर एवं छोटे मशीन विनिर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा आदि क्षेत्रों के विकास के लिए भी योजनाएँ मौजूद हैं।

बिहार अपने बुनियादी ढाँचे को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों को पटना की राजधानी से जोड़ने का संकल्प लिया है। राज्य ने 'बिहार सड़क संसाधन सुरक्षा नीति, 2013' को अपनाया है, ताकि बढ़ते सड़क नेटवर्क के बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 4253 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा डबल लेन सड़कों का है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे बिहार के कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद एवं गया से गुजरता है, जिससे राज्य के अंदर एवं दूसरे राज्यों, जैसे—उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बाजार एवं माँग के आधार पर उत्पादों को भेजना सुलभ हो जाता है। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए संबद्धता भी प्रदान करता है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर भी बिहार राज्य से होकर गुजरते हैं। यह बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के साथ जोड़ता है, जो राज्य में उद्योगों के निवेश के लिए बेहतर है। इससे काफी कम परिवहन लागत पर निर्मित उत्पादों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाहों तक परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है।

राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है, जिसके तहत वर्ष 2016-17 तक 1330 मेगावाट, वर्ष 2017-18 तक 3310 मेगावाट तथा 2021-22 तक 7220 मेगावाट बिजली की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जो राज्य के लिए पर्याप्त होगी। ऊर्जा विभाग द्वारा अपनी परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए बिहार राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के तहत देश की प्रतिष्ठित कंपनियों, यथा—नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एवं नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत राज्य में अवस्थित बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं, जैसे—नवीनगर स्टेज-1, बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय तथा बाँका के विभिन्न चरणों को प्रारंभ किया जाना है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत राज्य की बिजली की आवश्यकता पूर्ण होगी, साथ ही केंद्रीय सेक्टर से ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आत्मनिर्भर होगा।

राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उद्योग तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती माँग को पूरा किए जाने के क्रम में 1500 करोड़ रुपये के निधिकोष के माध्यम से लैंड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये किया गया। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमि बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस मद में बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को 1650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के तहत चमड़ा, छोटी मशीनरी, प्लास्टिक कपड़े, जूट वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिए जाने एवं विशेष क्लस्टर तथा लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

बिहार राज्य में निवेश की सुविधा एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यप्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिससे राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुछ मूलभूत सुधार के उपाय किए गए हैं, जैसे—शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन, विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकल एकीकृत प्रणाली, उद्योगों के जोखिम के आधार पर निरीक्षण, अनुपालन प्रणाली, विभिन्न श्रम कानूनों/समकालिक संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान। इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगिकीकरण के साथ रोजगार सृजन और समग्र विकास होगा।

दृष्टि, मिशन एवं रणनीति

दृष्टि—संतुलित क्षेत्रीय एवं सतत विकास की प्राप्ति हेतु राज्य की तुलनात्मक खूबियों को बढ़ाकर एवं नियोजन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाकर बिहार को सबसे अधिक अधिमान्यता वाला राज्य के रूप में स्थापित करना।

मिशन—औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 का निम्नलिखित उद्देश्य है—

- (i) 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करना।
- (ii) राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं मेक इन इंडिया पहल के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।
- (iii) सभी आर्थिक प्रक्षेत्रों में कुल मिलकर 5 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किया जाना।
- (iv) 15 हजार करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश आकर्षित किया जाना।
- (v) राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च स्तर की आधारभूत संरचना का निर्माण करना।
- (vi) निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक समरूप कर क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन को दूर करना।
- (vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगों, वृद्ध, विधवाओं, एसिड हमले के पीड़ितों, उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना।
- (viii) राज्य सरकार के 'सात निश्चय' के अंतर्गत 1.50 करोड़ कुशल युवाओं की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों का कौशल विकास सुनिश्चित किया जाना।
- (ix) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना एवं जीरो इफेक्ट उत्पादन कार्यशैली को अपनाया जाना।

रणनीति—औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 में निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई है—

- (i) निवेशकों को प्रोत्साहित करना, जो कृषि उत्पाद विशेषकर (फलों, सब्जियों एवं फसलों) में मूल्यवृद्धि करते हैं तथा कृषकों की आमदनी को खाद्य फसलों के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण द्वारा बढ़ोतरी करते हैं।
- (iii) हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए बड़े बाजार की तलाश कर कारीगरों के परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाना।

(iii) बिहार को कुशल श्रम के स्रोत के रूप में अधिमान्यता दिलाने हेतु कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जाना। कुशल श्रम का देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अत्यधिक कमी का पूर्वानुमान है।

(iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उपक्रमों को उनकी सीमित भूमि की आवश्यकता तथा प्रति इकाई पूँजी, ऊर्जा, अधिक श्रम शक्ति की क्षमता के आधार पर अधिमान्यता प्रदान किया जाना।

(v) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र में क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित किया जाना।

(vi) स्थानीय उत्पाद, स्थानीय कौशल एवं स्थानीय खपत-आधारित उद्योगों पर जोर देना।

(vii) कम ऊर्जा खपत एवं कम प्रदूषणवाले उद्योगों को अधिमान्यता प्रदान करना।

(viii) प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता-औद्योगिक कॉरिडोर (ए.के.आई.सी.) के अंतर्गत प्रस्तावित समेकित उत्पादन, क्लस्टर अंतर्गत बृहत प्रक्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य सरकार इकाइयों की स्थापना हेतु समुचित भूमि की तलाश में निवेशकों को सहायता प्रदान करेगी, जबकि उनसे यह अपेक्षा होगी कि इन निरूपित क्षेत्रों के बाहर इकाइयाँ अपने स्तर से भूमि प्राप्त कर सकेंगी।

(ix) हेरिटेज पर्यटन के विकास के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाना, जिसके लिए राज्य बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करता है।

(x) नई सुविधाओं के विकास और विद्यमान सुविधाओं की सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में प्रबंधन में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना।

(xi) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में आनेवाले निवेशों में आपूर्ति के लिए आनुषंगिक इकाइयों का विकास करना।

(xii) निवेशकों के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में पेश आ रही समस्याओं/कठिनाइयों को मात्र एक मंच से दूर करने के लिए उद्योग संवाद पोर्टल की स्थापना किया जाना।

नीति की सीमाएँ— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति निम्न शर्तों के साथ राज्य की सभी नई इकाइयों पर लागू होगी—

(i) किसी भी वस्तु का उत्पादन करनेवाली इकाई, जिसमें उत्पादन कार्य के परिणामस्वरूप मूल्यवर्धन नहीं होता है, इस नीति के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी। वैसी इकाइयाँ जो मात्र व्यापारिक कार्यकलापों में संलग्न हैं, वे इस नीति के दायरे में नहीं आएँगी।

(ii) वैसे सभी व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाइयाँ, जो सरकार, राज्य या केंद्र द्वारा कभी काली सूची में डाल दी गई हों, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं होंगी।

(iii) व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाइयाँ, जो पूर्व में कभी भी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए डिफॉल्टर घोषित कर दी गई हैं तथा उनके विरुद्ध राज्य सरकार का कोई बकाया हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

(iv) किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा व्यापार के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता है।

(v) यह नीति विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए मान्य है, परंतु केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा अकेले अथवा निजी भागीदारी में किए गए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए अनुमान्य नहीं है।

प्राथमिकता का क्षेत्र—बिहार में कुछ प्रक्षेत्रों, जैसे—खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, पर्यटन आदि में प्राकृतिक फायदे हैं और राज्य सरकार अधिकतम रोजगार सृजन सुनिश्चित करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु इनसे प्राप्त होनेवाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगी, जो निम्न हैं—

(i) **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र**— बिहार कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण मानव के उपयोग हेतु प्रसंस्कृत की जानेवाली कच्ची सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति करनेवाला बृहत कृषि पशु उत्पादन आधार है। इन प्राकृतिक साधनों के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण का स्तर काफी निम्न है और एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार प्रदान करते हुए राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण स्तर को विकसित करने की भरपूर संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक टिकाऊ अवसर प्रदान करता है और इस राज्य के औद्योगिकीकरण अभियान में अग्रणी भूमिका अदा करने की संभावना प्रदान करता है। प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख क्षेत्रों के प्रमुख उत्पाद और इसके रणनीतिक फायदे इस प्रकार हैं—

प्रमुख कृषि उत्पाद : खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन

रणनीतिक फायदे : (क) विगत 5 वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2014 के दौरान राज्य में अनाजों का उत्पादन स्तर वार्षिक तौर पर 5.65 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में राज्य का अनाज उत्पादन 143.21 लाख टन था, जो देश में सबसे अधिक है।

(ख) हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं—चावल : 82.41 लाख टन, गेहूँ : 35.70 लाख टन, मक्का : 24.78 लाख टन, दाल : 4.28 लाख टन तथा तिलहन : 1.27 लाख टन।

(ग) बिहार में मक्का की उत्पादकता देश के सभी राज्यों से अधिक है।

प्रमुख कृषि उत्पाद : फल (आम, अमरूद, लीची तथा केला) और सब्जी (आलू, बंदगोभी, फूलगोभी, ओकरा)

रणनीतिक फायदे : (क) सब्जियों के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान पहला है।

(ख) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं—आलू : 63.46 लाख टन, प्याज : 12.47 लाख टन, फूलगोभी : 10.3 लाख टन, टमाटर : 10.46 लाख टन। अन्य सब्जियाँ, जैसे—बंदगोभी, भिंडी, गाजर और मटर का भी उत्पादन होता है, जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

(ग) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण फल हैं—केला : 15.27 लाख टन, आम : 12.72 लाख टन, अमरूद : 3.7 लाख टन एवं लीची : 1.98 लाख टन।

(घ) राज्य अपनी लीची पैदावार हेतु भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विख्यात है और यहाँ पल्प, जूस, पल्प स्लैब, नेक्टार, जैम, जेली इत्यादि हेतु इकाई स्थापित करने की बृहत संभावना है।

प्रमुख कृषि उत्पाद : मखाना/मूँगफली

रणनीतिक फायदे : (क) मखाना/मूँगफली राज्य की एक विशेष उपज है, जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों में किया जा सकता है तथा इसका समुचित विपणन कर अच्छे दाम में बेचा जा सकता है।

प्रमुख कृषि उत्पाद : पशु उत्पाद (दूध, मांस, मछली, अंडे, शहद)

रणनीतिक फायदे : (क) राज्य में कुल पशुधन जनसंख्या 329.38 लाख है और इसके काफी बढ़ने की उम्मीद है।

(ख) कुल पशुधन की आबादी लगभग 52 प्रतिशत दुधारू पशुओं की है, जिसमें गाय 122.31 लाख, बकरी 121.53 लाख और भैंस 75.67 लाख हैं।

(ग) 79.172 लाख टन प्रतिदिन के औसत उत्पादन के साथ दूध राज्य के सबसे महत्वपूर्ण भोजन उत्पादों में से एक है और इसके प्रसंस्करण के बहुत बड़े अवसर हैं।

(घ) भैंस, बकरी और मुर्गी की बड़ी आबादी राज्य में मांस प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।

(ङ) राज्य में 1071000 हेक्टेयर अथवा 267000 एकड़ जलक्षेत्र है। इसमें तालाब (95000 हेक्टेयर), आक्सबो लेक (9000 हेक्टेयर), रिजर्वेयर्स (26000 हेक्टेयर) एवं वेट लैंड (9.41 लाख हेक्टेयर) है। राज्य में नदियों की कुल लंबाई 3200 किमी. है। राज्य की विशाल जल संपदा ताजा मछली के प्रसंस्करण की सुविधाओं/इकाइयों के लिए लाभप्रद संभावना प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 में राज्य में विभिन्न जल स्रोतों से औसत मछली उत्पादन 5 लाख टन वार्षिक था।

(च) बिहार देश में शहद के 4 सबसे बड़े उत्पादकों में एक है और प्रतिवर्ष शहद का लगभग 6500 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। शहद आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक होता जा रहा है और पौष्टिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। कम निवेश की आवश्यकता और अधिक राजस्व क्षमता की वजह से संभावित पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच इसकी पहली पसंद होने की संभावना है।

(ii) **पर्यटन प्रक्षेत्र**— समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों को देखते हुए बिहार में पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर संभावना है। संसार के दो महान धर्म—बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की जन्मस्थली होने के कारण बिहार पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। बिहार हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत पर्यटन का आधार हो सकती है। यह नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालयों की भूमि है। संसार के विभिन्न देशों से विद्यार्थियों के माध्यम से सुदूर और विस्तृत क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ है। इन दो प्राचीन विश्वविद्यालयों के अवशेष—प्राचीन वस्तुएँ और कलाकृतियाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य भर में अलग-अलग परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक वन्य जीवन इन पर्यटनीय उत्पादों की धनी बनाते हैं। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए राज्य के द्वारा विभिन्न पर्यटक क्षेत्र निम्नवत् हैं—

पर्यटन प्रक्षेत्र : आध्यात्मिकता

हमारे सामरिक लाभ : बिहार में पर्यटन के लिए पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक रुचि के स्थानों पर जाकर यात्रियों के भ्रमण के अच्छे आसार हैं। इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ चिह्नित पर्यटन सर्किट निम्न प्रकार हैं—

1. बुद्ध सर्किट—बोधगया (गया), राजगीर (नालंदा), नालंदा, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ (पूर्वी चंपारण), लौरिया अरेराज (पूर्वी चंपारण), केसरिया (पूर्वी चंपारण), विक्रमशिला (भागलपुर), जहानाबाद।
2. सूफी सर्किट—मनेरशरीफ (पटना), खानकाह मुजीविया (पटना), मित्तन घाट (पटना), हाजीपुर करबला (वैशाली), हसनपुर (नालंदा), बीबी कमाल साहिब (जहानाबाद), बड़ी दरगाह (नालंदा), छोटी दरगाह (नालंदा)।
3. जैन सर्किट—वैशाली, राजगीर (नालंदा), पावापुरी (नालंदा), नाथनगर (भागलपुर), मंदार हिल (बाँका), चंपानगर

(भागलपुर) कुंदलग्राम (नालंदा), समोसारण (नालंदा) एवं लछौर (जमुई)।

4. रामायण सर्किट—वाल्मीकि नगर (पश्चिमी चंपारण), प्रेतशिला (गया), अहल्या स्थान (दरभंगा), सीतामढ़ी काको (जहानाबाद), सीताकुंड (सीतामढ़ी), सिंहेश्वर (सहरसा), रामशिला (गया), बक्सर, गिद्धेश्वर (जमुई)।

5. शक्ति सर्किट—मुंडेश्वरी स्थान (कैमूर), चंडी स्थान (मुंगेर), उग्रतारा स्थान (महिषी, सहरसा), आमि (सारण), थावे (गोपालगंज), ताराचंडी स्थान (रोहतास), बखोरापुर (भोजपुर), श्यामाकली (दरभंगा), भगवती स्थान (नयानगर, मधेपुरा), बड़ी पटनदेवी (पटना), छोटी पटनदेवी (पटना), मत्स्यगंधा रक्तकाली टेंपल (सहरसा), उच्चैठ (मधुबनी)।

6. सिख सर्किट—पटना साहिब (पटना सिटी, पटना), बाललीला साहब (पटना), गुरु तेगबहादुर गुरुद्वारा (गया घाट, पटना), गुरु नानक कुंड (राजगीर नालंदा), आरा, कटिहार, गया एवं सासाराम, भागलपुर, गुरु का बाग (पटना सिटी, पटना), गुरुद्वारा पक्की संगत (मुंगेर), गुरुद्वारा हिंदी साहेब (दानापुर पटना)।

7. गांधी सर्किट—मोतिहारी (पूर्वी चंपारण), बेतिया (पश्चिमी चंपारण), भित्तिहरवा आश्रम (पश्चिमी चंपारण), वृंदावन (पश्चिमी चंपारण), सदाकत आश्रम (पटना), गांधी संग्रहालय (पटना)।

8. शिव सर्किट—गुप्तधाम (कैमूर), बैजूधाम (गया), कोटेश्वर धाम (गया), सिद्धेश्वर धाम (मधेपुरा), कुशेश्वर स्थान (दरभंगा), सिंहेश्वर स्थान (जहानाबाद), अजगैबीनाथ (सुल्तानगंज, भागलपुर), अशोकधाम (लखीसराय), गरीबनाथ (मुजफ्फरपुर), महेंद्रनाथ (सारण), ब्रह्मेश्वरनाथ (बक्सर)।

9. मंदार एवं अंग सर्किट—मुंगेर, भागलपुर एवं बाँका।

10. काँवरिया रूट—सुल्तानगंज (भागलपुर) से बाँका।

पर्यटन प्रक्षेत्र : संस्कृति और विरासत

हमारे सामरिक लाभ : ● बिहार में विस्तृत संरक्षित स्मारकों की उपस्थिति है। विश्व विरासत स्थल और अनेक स्थलों जैसे नालंदा के भग्नावशेष एवं विक्रमशिला (संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालय) जो विश्व विरासत स्थलों की क्षमता रखते हैं।

● संरचनाओं की मौलिकता को बनाए रखते हुए ऐतिहासिक इमारतों को परिवर्तित इमारतों के साथ विशेष विरासत जोन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

● हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी राज्य सरकारों के समन्वय से संग्रहालयों का उन्नयन और विकास, नव उद्घाटित बिहार संग्रहालय एक महत्वपूर्ण आकर्षण है।

● बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्य से शिल्पग्राम (क्राफ्ट विलेज) और हस्तशिल्प बाजार पर्यटक स्थलों के नजदीक प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पर्यटन प्रक्षेत्र : ग्रामीण/गाँव

हमारे सामरिक लाभ : ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए बिहार के

कला तथा शिल्प के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। उदाहरणस्वरूप टेहटा (जहानाबाद), नेपुरा (नालंदा), रंती एवं जितवपुर (मधुबनी), पत्थरकट्टी (गया), नाथनगर (भागलपुर) इत्यादि कार्यरत गाँव ग्रामीण पर्यटन के विकास के रूप में लक्षित किए जा सकते हैं।

पर्यटन प्रक्षेत्र : कल्याण

हमारे सामरिक लाभ : योगा और राजगीर तथा मुंगेर के सल्फर जल, गरम जल के झरनों को एक्वाथैरेपी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह बिहार की अनोखी पर्यटन संभावना हो सकते हैं। यह बिहार का सबसे अनोखा पर्यटन—मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक हर आयाम से समग्र चिकित्सा और व्यक्ति के कायाकल्प का पेशकश उत्पाद हो सकता है।

पर्यटन प्रक्षेत्र : पारिस्थितिकी

हमारे सामरिक लाभ : संभावना योग्य पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने हेतु वन्यजीव अभयारण्य को एकीकृत कर पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चिह्नित पर्यटन स्थलों में से कुछ हैं—राजगीर (नालंदा), भीमबाँध अभयारण्य (मुंगेर), कैमूर अभयारण्य (कैमूर), गौतमबुद्ध अभयारण्य (गया), नकटीधाम (जमुई), गोगाविल अभयारण्य (भागलपुर), काँवर झील (बेगूसराय), योड़ाकटोरा झील (नालंदा), काकोलत झरना (नवादा), तेलहार झरना (रोहतास), गैंगेटिक डाल्फिन अभयारण्य (भागलपुर) एवं वाल्मीकि नेशनल पार्क (पश्चिमी चंपारण)।

पर्यटन प्रक्षेत्र : और वन्य जीवन

हमारे सामरिक लाभ :

पर्यटन प्रक्षेत्र : गंगा आधारित

हमारे सामरिक लाभ : पटना, भागलपुर इत्यादि के किनारे ऐतिहासिक स्थलों को जलमार्ग के सहारे विकसित करने के लिए गंगा एक अद्वितीय पर्यटक उत्पाद हो सकती है।

डॉल्फिन को देखना राज्य के लिए एक दूसरा अद्वितीय पर्यटक उद्यम है, जिसे सुदृढ़ किया जा सकता है।

पर्यटन प्रक्षेत्र : साहसिक

हमारे सामरिक लाभ : विभिन्न प्रकार के जलीय, जैसे—रीवर राफ्टिंग, पारासेलिंग इत्यादि को अधिक आर्थिक अवसर के रूप में विकसित किया जा सकता है।

पर्यटन प्रक्षेत्र : मेला एवं महोत्सव

हमारे सामरिक लाभ : बिहार के पास अद्वितीय घटनाएँ—मेला और महोत्सव हैं, जैसे—सोनपुर मेला, छठ पर्व, सौराठ सभा, राजगीर महोत्सव और बौद्ध महोत्सव। समुचित सुविधा के विकास के उपरांत घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।

पर्यटन प्रक्षेत्र : सिनेमा

हमारे सामरिक लाभ : बिहार के पर्यटन स्थलों पर फिल्म शूटिंग को सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन के साथ प्रासंगिक सरकारी अधिसूचना के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पर्यटन प्रक्षेत्र : व्यंजन-आधारित

हमारे सामरिक लाभ : राज्य की पाक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बिहार के व्यंजन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

फूड फेस्टिवल के आयोजन के माध्यम से राज्य के अद्वितीय व्यंजन, जैसे—खाजा, लाई, बेलग्रामी, तिलकुट, लिट्टी-चोखा, सत्तू और मखाना के उत्पाद आर्थिक अवसर उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं।

वर्तमान में चिह्नित उत्पाद एवं सर्किट विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचना एवं सेवा से संबंधित निवेश के लिए अछूते पड़े हैं। इन चिह्नित सर्किट के अतिरिक्त राज्य में बहुत से भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से भविष्य में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निवेश के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे—परिवहन क्षेत्र में पर्यटन स्थल पर टैक्सी परिचालन, लगजरी कार एवं कोच बस का परिचालन, टूरिस्ट सर्किट पर एयर टैक्सी एवं हेलीकॉप्टर सेवा, विशेष पर्यटन ट्रेन, नौका आदि। आवासन क्षेत्र में होटल, मोटल, रिसोर्ट गेस्ट हाउस।

(i) **लघु यंत्र विनिर्माण क्षेत्र**—बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, परंतु कृषि की उच्च लागत और फसलों की उत्पादकता का निम्न स्तर एक सतत समस्या बनी रही है। सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ उच्च उपज देनेवाले बीज का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरक एवं खेती की बेहतर तकनीक

का उपयोग, आधुनिक कृषि संयंत्र कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वोत्तम स्तर के यंत्रों का प्रयोग कर कम लागत पर कृषि को लाभकारी बनाना एवं उसके प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा करना अनिवार्य है।

वर्तमान समय में कृषि में यंत्रों का प्रयोग काफी बढ़ा है। बिहार में कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकीकरण एक अभिन्न हिस्सा है। राज्य सरकार पावर टीलर्स, ट्रैक्टर, ओसावन मशीन, पावर थ्रसर पर केंद्र संपोषित योजनांतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन देता है। विद्युतीकरण में हुई वृद्धि के फलस्वरूप कृषि यंत्र पंप के उपयोग में वृद्धि हुई है। राज्य में कृषि यंत्र का बाजार उच्च वृद्धि दर के साथ हो रहा है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बिहार सरकार द्वारा कृषि से जुड़े लघु संयंत्र निर्माण को प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा है।

(iv) **सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र**—वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सूचना तकनीक और सूचना तकनीक-आधारित सेवा, उद्योग हार्डवेयर का क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करनेवाला उद्योग है। इसके वर्ष 2020 तक लगभग 2.4 ट्रिलियन यू.एस.डी. तक पहुँचने की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का महत्व केवल अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी उद्योग का अंग हो गए हैं। यह कृषि, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, ऊर्जा, दूरसंचार, ग्रामीण विकास क्षेत्र में भी वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। यह अनेक उद्यमों तथा स्टार्टअप के लिए असीम संभावना रखता है। राज्य में शिक्षित युवा, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता इस क्षेत्र में निवेश के लिए लाभप्रद है। राज्य सरकार द्वारा बिहटा (पटना) तथा राजगीर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र—

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में चिह्नित निवेश के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत् हैं—

क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ

निवेश के अवसर :

- सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, सॉफ्टवेयर तथा सेवाएँ।
- सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर तथा सेवाएँ।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, बैंक ऑफिस, ऑपरेशन, बिजनेस प्रोसेसिंग आउट सोर्स (बी.पी.ओ.)/ नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग (के.पी.ओ.), कॉल सेंटर, डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट एनीमेशन इत्यादि।

क्षेत्र : इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण

निवेश के अवसर :

- कंप्यूटर्स
- कंप्यूटर बाह्य तथा अन्य ऑफिस उपकरण
- सर्वर और स्टोरेज डिवाइस
- नेटवर्किंग
- ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स
- मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स

- इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स

क्षेत्र : अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

निवेश के अवसर :

- मोबाइल, डी.टी.एच. टेलीविजन, रेडियो एवं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स

क्षेत्र : विद्युत उपकरण

निवेश के अवसर :

- मोटर्स, पंप, फैन, उपभोक्ता वस्तुएँ यू.पी.एस. इत्यादि

(v) **टेक्सटाइल प्रक्षेत्र**— टेक्सटाइल क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र का योगदान औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत तथा देश की निर्यात आय में 13 प्रतिशत है। कपड़ा उद्योग भारतवर्ष में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। यह प्रत्यक्ष तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। बिहार में घरेलू वस्त्र उद्योग और दूसरे मूल्य संवर्धन क्रियाकलाप के लिए प्रचुर संभावनाएँ हैं। बिहार में वस्त्र उद्योग में सिल्क महत्वपूर्ण उत्पाद है। बिहार का भागलपुर जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केंद्र रहा है। भागलपुर का तसर सिल्क बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है, जिसमें लाभकारी मूल्य प्रदाता की संभावना है। वर्ष 2014-15 में बिहार में लगभग 60 टन सिल्क का उत्पादन हुआ है। राज्य में जूट दूसरा फाइबर उत्पाद है। वर्ष 2014-15 में बिहार में लगभग 1420 हजार टन जूट का उत्पादन हुआ। बिहार में 14000 पावरलूम मुख्य रूप से भागलपुर, गया और बाँका जिले में अवस्थित हैं। इनके मुख्य उत्पाद सूती चादर, बेडशीट इत्यादि हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर, भागलपुर में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 120 पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार में करीब 1 लाख बुनकर हैं, जिनकी जीविका का साधन धागों एवं वस्त्र निर्माण से जुड़ा हुआ है।

क्षेत्र : रेशा उत्पादन/स्पिनिंग बुनाई/निटिंग/प्रसंस्करण

निवेश के अवसर :

- सूती/जूट/सिल्क/ केला एवं अन्य प्राकृतिक रेशा उत्पादन
- मानव निर्मित धागों एवं फिलामेंट का उत्पादन
- यार्न स्पिनिंग
- पावरलूम एवं बुनाई
- यार्न एवं कपड़ा प्रसंस्करण

क्षेत्र : पोशाक एवं घरेलू टेक्सटाइल का उत्पादन

निवेश के अवसर :

- बुनी हुई पोशाक का निर्माण
- होजियरी आइटम का निर्माण

(c) साड़ी

(d) दरी एवं अन्य घरेलू टेक्सटाइल

क्षेत्र : टेक्निकल टेक्सटाइल का निर्माण

निवेश के अवसर :

निम्नांकित कोटि में से कोई आइटम का निर्माण—

(a) एग्रोटेक (कृषि, उद्यान एवं वानिकी इत्यादि)

(b) बिल्डटेक (भवन एवं निर्माण इत्यादि)

(c) क्लोथटेक (जूते एवं वस्त्र की तकनीकी वस्तुएँ इत्यादि)

(d) जियोटेक (जियो टेक्सटाइल एवं सिविल इंजीनियरिंग इत्यादि)

(e) होमटेक (कंपोनेंट ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाइल तथा फ्लोर कवरींग इत्यादि)

(f) इंडटेक (फिल्ट्रेशन, क्लिनिंग तथा अन्य औद्योगिक उपयोग इत्यादि)

(g) मेडिटेक (हाइजीन तथा मेडिकल इत्यादि)

(h) मोबाइलटेक (ऑटोमोबाइल, शिपिंग, रेलवे तथा एयरो स्पेस इत्यादि)

(i) औयकोटेक (वातावरण सुरक्षा इत्यादि)

(j) पैकटेक (पैकेजिंग इत्यादि)

(k) प्रोटेक (व्यक्तिगत तथा संपत्ति सुरक्षा इत्यादि)

(l) स्पोर्टटेक (स्पोर्ट ऐंड लीजर इत्यादि)

(vi) **प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र**—प्लास्टिक एवं रबर एक बहुपयोगी उत्पाद है, जिसका उपयोग दूसरे उत्पाद की पैकेजिंग, हॉस्पिटलों में जीवन रक्षक उपकरणों की पैकेजिंग में किया जाता है। त्वरित वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा बढ़ते हुए उपभोक्ताओं के कारण अत्यधिक बदलाव आया है तथा घरेलू उत्पाद पर प्लास्टिक उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर मिला है। बिहार की अधिकांश आबादी कृषि कार्य में लगी है। औद्योगिक आकलन के अनुसार 35 से 40 प्रतिशत भारत में उत्पादित खाद्य उत्पाद आधारभूत संरचना में कमी तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में कमी के कारण बर्बाद होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में होता है, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जीवनकाल में सुरक्षित रहती है। यह प्रक्षेत्र प्लास्टिक की माँग में वृद्धि के कारण अग्रणी वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक घर को जलापूर्ति से जोड़ने से संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्रम में जलापूर्ति के वितरण हेतु प्लास्टिक पाइप की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु उत्पाद,

पैकेजिंग तथा खाद्य पदार्थ के भंडारण हेतु उत्पाद, जलापूर्ति हेतु उत्पाद, विद्युत फिटिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, चिकित्सा आपूर्ति, भवन निर्माण, स्पोर्ट्स एवं अवकाश, प्लास्टिक टेस्टिंग आदि प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र का प्राथमिकता का क्षेत्र है।

(vii) **अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र**—वर्तमान में राज्य मुख्यतः विद्युत उत्पादन के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 203 किलोवाट घंटा है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। बिहार में विद्युत क्षेत्र में 669 मेगावाट का घाटा है, जिसकी पूर्ति मुख्य रूप से केंद्रीय जेनरेशन स्टेशनों से होती है। राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास को देखते हुए, विद्युत के महत्त्व को महसूस करती है और इस कमी को कम करने के लिए बड़े पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने हेतु कदम उठाए गए हैं, जो मुख्य रूप से परंपरागत स्रोत पर निर्भर है। बिहार में ग्रामीण ऊर्जा की संभावना 12.559 गीगावाट की है। अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र की प्राथमिकता का क्षेत्र निम्न है—

प्रक्षेत्र : सोलर पावर

निवेश के अवसर :

सोलर-फोटोवोल्टाइज और सोलर थर्मल पावर जेनरेशन सोलर हाइब्रिड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में सोलर का उपयोग।

प्रक्षेत्र : बायोमास

निवेश के अवसर :

बायोमास और बायोगैस प्रोजेक्ट, बायोमास हाइब्रिड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बायोमास का उपयोग।

प्रक्षेत्र : हाइड्रल पावर

निवेश के अवसर :

छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट (25 मेगावाट तक)

प्रक्षेत्र : अन्य

निवेश के अवसर :

शुगर एवं अन्य उद्योगों में कोजेनरेशन वेस्ट-आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना नगरपालिका और औद्योगिक वेस्ट सहित/विंड पावर परियोजना ग्रामीण ऊर्जा मॉड्यूलर प्रोडक्ट विनिर्माण।

(viii) **हेल्थकेयर प्रक्षेत्र**—बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। राज्य के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संकेतक के अनुसार शिशु मृत्यु दर 42, मातृ मृत्यु दर 219, कुल प्रजनन दर 3.5 है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक है। यह राज्य के निम्न स्वास्थ्य स्तर को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य सुविधा पर पहले से ही अत्यधिक बोझ है, जो वर्तमान समय में पूरी जनसंख्या की हेल्थकेयर की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता है। हेल्थकेयर के समीक्षोपरांत इस प्रक्षेत्र में आधारभूत संरचना में कमी को निम्नवत् दर्शाया गया है—

प्रकरण : मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल

आवश्यकता : 40

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 9

कमी : 31

प्रकरण : जिला अस्पताल

आवश्यकता : 38

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 36

कमी : 2

प्रकरण : अनुमंडलीय अस्पताल

आवश्यकता : 212

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 44

कमी : 168

प्रकरण : रेफरल हॉस्पिटल

आवश्यकता : 70

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 57

कमी : 13

प्रकरण : सामुदायिक हेल्थ सेंटर

आवश्यकता : 838

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 0

कमी : 838

प्रकरण : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

आवश्यकता : 3,314

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 533

कमी : 2,781

प्रकरण : अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

आवश्यकता : 2,787

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 1,350

कमी : 1,437

प्रकरण : उप-स्वास्थ्य केंद्र

आवश्यकता : 20,997

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 9,729

कमी : 11,268

(ix) **चमड़ा प्रक्षेत्र**— भारत में चमड़ा प्रक्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। इसीलिए बिहार भी चमड़ा प्रक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और रोजगार उत्पादन में वृद्धि और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहता है। बिहार में चमड़ा प्रक्षेत्र में निवेश की विशाल संभावनाएँ हैं। यहाँ कच्चे माल के साथ-साथ कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रम संसाधन की भी उपलब्धता है। यह संभावित निवेशकों को तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धी, दोनों को लाभ का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन के रणनीतिक लाभ के कारण इस प्रकार हैं—

प्रमुख घटक : कच्ची खाल एवं खाल की उपलब्धता

बिहार को रणनीतिक लाभ :

(क) बिहार में देश की कुल गोजातीय जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत है। 2012 के पशुधन की गणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन की संख्या 329.38 लाख थी। गणना के अनुसार गाय की संख्या 122.31 लाख, भैंस की संख्या 75.67 लाख, बकरी की संख्या 121.53 लाख है। बिहार देश की कुल बकरी की आबादी में तीसरे स्थान पर है, जो लगभग 12 प्रतिशत है। 2017 की पशुगणना में बिहार के आँकड़ों की स्थिति में काफी सुधार होगा।

(ख) केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (सी.एल.आर.आई.) द्वारा किए गए हाल के सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सालाना 2.64 मिलियन गोजातीय कच्ची खाल तथा 5.09 मिलियन गोजातीय खाल पैदा करता है। राज्य अच्छी गुणवत्ता की बकरी की खाल, गाय की खाल और भैंस के बछड़े की खाल के लिए जाना जाता है। बकरी की खाल छोटे आकार की होने के कारण बच्चों के अच्छी गुणवत्ता वाली चमड़ों के उत्पाद बनाने हेतु सबसे उत्तम कच्चा माल है। इन उत्पादों को ज्यादातर निर्यात किया जाता है।

(ग) एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जिले से 3 ट्रकों में भरकर लगभग 7-8 हजार अदद बकरी की खाल एवं 2-3 हजार अदद गौ खाल अन्य स्थानों को भेजी जाती है। राज्य में अवस्थित चमड़ों की इकाइयों द्वारा

अधिकतर कच्चा माल कोलकाता, कानपुर और चेन्नई भेजा जाता है, जिससे बिहार लाभ से वंचित रह जाता है।

प्रमुख घटक : श्रम की उपलब्धता

बिहार को रणनीतिक लाभ :

(क) चमड़ा उद्योग एक अत्यधिक श्रम-आधारित उद्योग है। इस उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक लघु, कुटीर और कारीगर क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, इनमें से अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र के हैं। इन असंगठित लघु, कुटीर इकाइयों की मुख्य ताकत समाज के कमजोर वर्गों से सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता की वजह से है। इस प्रक्षेत्र में प्रमुख रूप से महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।

(ख) बिहार की बड़ी आबादी एवं बढ़ती जनसंख्या ही देश का सबसे बड़ा श्रम आधार भी है।

(ग) वर्तमान में राज्य के पटना, गया, नालंदा/बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में कारीगरी द्वारा चमड़ों के जूते निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध कुशल श्रम को आसानी से चमड़ों की इकाइयों में नियोजित किया जा सकता है।

प्रमुख घटक : घरेलू बाजार की उपलब्धता

बिहार को रणनीतिक लाभ :

चमड़ा प्रक्षेत्र अंतर्गत उत्पादित लगभग सभी वस्तुएँ दैनिक उपयोग की वस्तुएँ होती हैं। इस प्रकार इन उत्पादों की खपत की दर बहुत अधिक है। बिहार राज्य के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी इस तरह के उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीय बाजार/माँग पैदा करती है। बड़े बाजार के आस-पास स्थित चमड़े की इकाई तत्काल दोनों पैमाने और लागत में कमी का लाभ ले सकती हैं।

चमड़ा क्षेत्र की प्राथमिकताएँ

चमड़ा उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से वैसी इकाइयाँ आती हैं, जो अर्द्धनिर्मित चमड़े और चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन में शामिल होती हैं। राज्य सरकार कच्चे माल के प्रसंस्करण से तैयार सामान के निर्माण से संबंधित सूची को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र में चमड़े के उत्पादों का निर्माण, जैसे—चमड़े के जूते, चमड़े की चप्पल, चमड़े के कपड़ों का निर्माण, कार और फर्नीचर के सामान के लिए, भंडारण के लिए और व्यवसाय विकास सेवाओं में प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं।

(x) **तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र**—बिहार में तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं। वर्तमान समय में 13 विश्वविद्यालय के साथ 262 सरकारी महाविद्यालय और 231 स्थानीय निकाय के महाविद्यालय बिहार सरकार से संबद्धता प्राप्त हैं। यद्यपि तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या सीमित है और मात्र 10 अभियंत्रण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं। बिहार में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की कमी के कारण राज्य के लाखों छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयी शिक्षण प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों, जैसे—दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान पलायन करते हैं। यह राज्य को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने के अवसर से विमुक्त करता है। राज्य के 38 जिलों में से 25 जिले शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2017 तक 30 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रक्षेत्र में यह बहुत

बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा। राज्य को उच्चतर शिक्षा में नामांकन के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए राज्य में 373 स्नातक महाविद्यालय, 236 अभियंत्रण महाविद्यालय, 139 चिकित्सा महाविद्यालय, 253 शिक्षण महाविद्यालय और 163 पॉलिटेक्निक संस्थानों की आवश्यकता है। बिहार में गरीबी रेखा की उच्च दर के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश परिवार अपने बच्चों को बिहार से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु भेजते हैं और राज्य से बाहर जाने के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ को वहन करना पड़ता है। इसलिए यदि राज्य में अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित होते हैं, तो संस्थानों की अधिक आवश्यकता के कारण उनके फलने-फूलने के पर्याप्त अवसर हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र राज्य में रोजगार सृजन में भी मदद करेगा, क्योंकि अधिकतर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से शैक्षणिक टाउनशिप का विकास होगा, जिससे उसमें रहनेवाले लोगों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र में बृहत मात्रा में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। तकनीकी शिक्षा में अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना तथा कौशल विकास के क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरण के साथ प्रशिक्षण प्रदान करनेवाले तकनीकी कौशल विकास केंद्रों की स्थापना में निवेश की असीम संभावनाएँ हैं।

(xi) **व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय**— राज्य सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं अत्यधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के क्रम में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में व्यापार के सरलीकरण में सुधार के लिए एवं औद्योगिक इकाइयों के परेशानी मुक्त प्रवेश एवं संचालन के लिए वर्तमान में उपलब्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत एवं सरलीकरण पर जोर देने की एक सूची तैयार की गई है।

व्यवसाय को सुगम बनाने में सूचनाओं की उपलब्धता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार ने उद्योग संवाद पोर्टल की स्थापना की है, जो www.udog.bihar.gov.in है। यह पोर्टल निवेशकों के लिए एकल मंच प्रदान करता है। पोर्टल सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों, सूचनाओं, अधिसूचनाओं की जानकारी प्रदान करता है। निवेशकों के लिए विभिन्न अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किए जाने से संबंधित सभी नियमों का विवरण उपलब्ध है। उद्योग संवाद पोर्टल पर निवेशकों के शिकायत निवारण के लिए एकल मंच उपलब्ध करता है। यह मंच सीधे प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से संपर्क करने का विकल्प प्रदान करता है।

व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने श्रम संबंधी कई सुधार किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण श्रम सुधार निम्न हैं—

(a) फैक्टरी अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस नवीकरण के लिए ऑन-लाइन आवेदन।

(b) आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा लाइसेंस निर्गत करने हेतु स्पष्ट समय-सीमा को अनिवार्य करने के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र और अन्य लाइसेंस ऑन-लाइन प्राप्त करने की सुविधा।

(c) विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के लिए एकल संयुक्त निरीक्षण और एकल वार्षिक रिटर्न की सुविधा।

(d) पंजीकृत एवं लाइसेंसप्राप्त इकाइयों के ऑन-लाइन सत्यापन की सुविधा।

(e) सुस्पष्ट परिभाषित निरीक्षण प्रक्रिया।

कर संबंधित सुधार— व्यापार को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर सुधारों को अपनाया गया है, जो निम्न हैं—

(a) मूल्यवर्धित कर, पेशेवर टैक्स, इंट्री टैक्स, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर संबंधी ऑन-लाइन आवेदन की सुविधा।

(b) आवेदन ट्रैकिंग सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समय-सीमा को अनिवार्य किया जाना।

(c) पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की ऑन-लाइन सुविधा।

(d) निबंधित तथा अस्वीकृत विक्रेता के ऑन-लाइन सत्यापन की सुविधा।

(e) 60 दिनों के अंदर विक्रेता के खाते में व्यय की वापसी।

पर्यावरण संबंधी सुधार—राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण में सुधार हेतु कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जो निम्न हैं—

(a) वायु एवं जल अधिनियम के तहत स्थापित करने के लिए सहमति (Consent to establish) एवं संचालित करने के लिए सहमति (Consent to operate) के लिए ऑन-लाइन सहमति प्रबंधन प्रणाली (azardous waste rules) के तहत प्राधिकरण।

(b) ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों को Consent to establish एवं Consent to operate प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से छूट।

(c) Consent to operate (CTO) की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाना।

(d) अनुपालन निरीक्षण की आवश्यकता को कम करना—ग्रीन 5 वर्षों में एक बार, ऑरेंज 3 वर्षों में एक बार एवं रेड प्रत्येक वर्ष में एक बार।

भावी दिशाएँ (Way Forward)—औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में समय सीमाएँ एवं पारदर्शी तरीके से निवेशकों को आवश्यक वैधानिक अनापत्ति और स्वीकृति उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच सुगम प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। बिहार में व्यवसाय को सुगम तरीके से चलाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाँगे—

(i) **एकल खिड़की शोधन प्रणाली (Single Window Clearance System)—**एकल खिड़की शोधन प्रणाली के माध्यम से वैधानिक संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके एक नई एवं सरल प्रक्रिया लाई जाएगी। ऑन-लाइन तंत्र के माध्यम से अनुदान के ऑन-लाइन आवेदन, समायोजन एवं प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) **समान आवेदन-पत्र की व्यवस्था—**अनापत्ति निर्गत करनेवाले सभी अभिकरणों के साथ समन्वय बनाने के लिए एक समान आवेदन-पत्र को लाया जाएगा। समान आवेदन-पत्र वेब आधारित होगा और धीरे-धीरे इसे भारत सरकार के इ-विज पोर्टल के साथ संबद्ध किया जाएगा, ताकि संभावित निवेशक इस स्रोत से सभी प्रकार की अनापत्ति प्राप्त कर सकें।

(iii) **प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी का प्रावधान—**उद्योग विभाग प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी को सूचीबद्ध करेगा, जो सक्षम समिति को निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्णय लेने के साथ-साथ निगरानी और प्रगति से अवगत कराने हेतु तकनीकी सहायता के साथ सचिवीय सेवा उपलब्ध कराएगी। निवेशकों के निवेश प्रस्ताव का सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी एकल संपर्क बिंदु होगा।

(iv) **बिगडा अधिनियम में संशोधन—**बिहार सरकार वर्तमान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की समीक्षा करेगी तथा औद्योगिक क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु इसके विधिक ढाँचे को और सुदृढ़ करने हेतु इसमें संशोधन करेगी।

(v) **बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत उद्योग से संबंधित सेवाओं का**

आच्छादन—समयबद्ध निष्पादन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निवेश से संबंधित अतिरिक्त सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 की परिधि में लाया जाएगा।

(vi) **स्वप्रमाणन की व्यवस्था**—एकल खिड़की प्रणाली में स्वप्रमाणन का प्रावधान किया जाएगा। इन इकाइयों के उत्पादन प्रारंभ होने के बाद, अधिकृत प्राधिकारी औचक निरीक्षण कर सकते हैं।

(vii) **कानून एवं प्रावधान का युक्तीकरण**—राज्य में श्रम कानून के अनुपालन को ज्यादा व्यावहारिक बनाया गया है, फिर भी इसके अनुपालन को यथासंभव सरल बनाने के लिए औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर समीक्षा की जाएगी।

(viii) **अनुश्रवण एवं परिवाद समाधान प्रणाली**—इस नीति में लोक शिकायत से संबंधित विषय को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की परिधि में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग वर्तमान में वेब आधारित प्रणाली को सुदृढ़ करेगा, जहाँ सुझाव और शिकायतों को सीधे औद्योगिक विकास आयुक्त या प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को संबोधित करते हुए भेजा जा सकता है।

औद्योगिक निवेश हेतु आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण

विकसित औद्योगिक भूखंड, गुणवत्तायुक्त बिजली, दक्ष परिवहन प्रणाली आदि सहित उच्चस्तरीय गुणवत्ता की आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करना इस नीति के प्रमुख केन्द्रबिंदु हैं। राज्य में व्यवसाय और उद्योग के विकास के लिए यह आधारभूत कुंजी है, राज्य में वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं—

मद उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण

औद्योगिक भूमि (क) भूक्षेत्र के हिसाब से बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है। यहाँ भूमि की स्थलाकृति प्रकृति के कारण भारतवर्ष के अन्य राज्यों की अपेक्षा कुल भूमि का अनुपात कृषि उपयोग हेतु अधिक है। राज्य के संपूर्ण भूक्षेत्र का लगभग 57 प्रतिशत भूक्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और राज्य की आबादी को आवास एवं अन्य उपयोग हेतु भूखंड की आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि की व्यवस्था करना या खुली भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करना सरकार के लिए चुनौती है।

(ख) बिहार में इकाइयों को भूमि/औद्योगिक भूखंड आवंटित कराने के लिए बियाडा प्रमुख अभिकरण है। बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में हैं। वर्तमान समय में 50 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू-संपदा/बृहत औद्योगिक भूखंड/विकास केंद्र/ मेगा औद्योगिक पार्क बियाडा के अधीन हैं।

(ग) दिसंबर, 2015 तक बियाडा ने कुल 5851 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें 3324 एकड़ भूमि विभिन्न निवेशकों को आवंटित की गई है। आधारभूत संरचना आदि के लिए भूमि को स्वीकृत किए जाने के बाद 182 एकड़ भूमि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त है। बियाडा द्वारा विशेषतः विनिर्माण इकाइयों हेतु भू-खंड आवंटित किए जाते हैं।

(घ) बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं, यथा—सड़क, बिजली, पानी एवं नाली आदि की व्यवस्था को विकसित कर भूखंड का आवंटन करती है। दिसंबर, 2015 तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1544 इकाइयाँ कार्यरत अवस्था में हैं।

(ङ) राज्य सरकार के द्वारा राज्य में निम्नांकित पार्क की स्वीकृति दी गई है, जहाँ पर विकसित भूखंड आवंटन

हेतु उपलब्ध है—

1. **प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क**—यह पार्क खगड़िया जिला में स्थापित हो रहा है। यह 98 एकड़ में फैला हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इस पार्क के चालू हो जाने की संभावना है।

2. **पुनरासर जूट पार्क**—यह देश का एकमात्र जूट पार्क है। यह पूर्णिया जिले में अवस्थित है। यह 44.30 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में यह पार्क चालू है।

3. **आई.टी., आइटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क**—राज्य सरकार के द्वारा राजगीर में 100 एकड़ और बिहटा (पटना) में 25 एकड़ भूखंड आई.टी., आइटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क के लिए अंकित किया गया है।

4. **लेदर क्लस्टर**—11 एकड़ भूखंड में विस्तृत यह मुजफ्फरपुर में अवस्थित है।

5. **गार्मेंट निर्माण पार्क**—25 एकड़ भूखंड में विस्तृत यह बिहटा (पटना) में अवस्थित है।

औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु इन सभी पार्कों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना उपलब्ध है।

ऊर्जा (क) मार्च, 2015 में बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता 3704.63 मेगावाट थी। इसमें से 83.5 प्रतिशत कोयला-आधारित थर्मल पावर से, 14.12 प्रतिशत हाइड्रो पावर से और शेष 2.3 प्रतिशत गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से है।

(ख) स्वामित्व के हिसाब से केंद्रीय प्रक्षेत्र का हिस्सा 77.9 प्रतिशत, निजी क्षेत्र/PPP का 14.7 प्रतिशत और राज्य प्रक्षेत्र का 7.4 प्रतिशत हिस्सा है।

(ग) राज्य सरकार ने लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि हेतु ऊर्जा क्रय का करार किया है ताकि राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एक समस्या के रूप में नहीं रहे। ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि के फलस्वरूप बिहार में प्रतिव्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़कर वर्ष 2012-13 में 154 KWH से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 203 KWH हो गई है। यह दो वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, जो देश के सभी राज्यों से अधिकतम है।

(घ) राज्य में 13 लघु जलीय विद्युत परियोजनाएँ वर्तमान में चालू हैं, जिनकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है। वर्तमान में बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन राज्य में और अधिक लघु जलीय परियोजना की संभावना की तलाश में जुटा है। 17 योजनाओं में संभावना तलाशी का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) बिहार सरकार ने राज्य में ऊर्जा क्रय हेतु ओपेन एक्सेस की अनुमति प्रदान की है। ग्रिड से संबद्ध सोलर रूफटॉप, फोटोवोल्टाइक प्रणाली से नेट मीटरिंग व्यवस्था की अनुमति दी गई है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं। कैप्टिव उपयोग, ग्रुप कैप्टिव उपयोग और तृतीय पक्ष को बिक्री हेतु सोलर ऊर्जा के संग्रहण के प्रावधान के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है।

सड़क (क) वर्तमान में बिहार में लगभग 2.26 लाख किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4595 किलोमीटर है। राष्ट्रीय उच्चपथ का लगभग 68 प्रतिशत दोहरीकरण और बहुपथ का है, जबकि 32 प्रतिशत एकल एवं इंटरमीडिएट लेन सड़क है।

(ख) बिहार में राजमार्ग की लंबाई लगभग 4253 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत डबल लेन, 20 प्रतिशत सिंगल लेन और 15 प्रतिशत इंटरमीडिएट लेनवाली सड़क है।

(ग) राज्य में जिला स्तरीय सड़क का बड़ा जाल है। प्रधान जिला सड़क की लंबाई लगभग 10,634 किलोमीटर है, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग (54 प्रतिशत) की चौड़ाई 3.75 मीटर है। प्रधान जिला सड़कों में से 4897 किलोमीटर को इंटरमीडिएट या 02 लेन की चौड़ाईवाली सड़क में तब्दील कर दिया गया है। वैसे सड़क, जिन्हें

चौड़ा किया जाना है, उसमें सतह समतलीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार प्रधान जिला सड़क के 5175 किलोमीटर को इंटरमीडिएट लेन के लिए न्यूनतम मापदंड 5.50 मीटर की चौड़ाईवाले सड़क में उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है।

(घ) वर्तमान में राज्य में लगभग 2.07 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क है। सभी ग्रामीण सड़कों को धीरे-धीरे विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत पक्की सड़क में उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।

रेलवे (क) बिहार में रेलवे का 3,638.73 किलोमीटर का सघन तंत्र है। राज्य के सभी जिले रेल तंत्र से अच्छी तरह से जुड़े हैं। राज्य के अधिकांश जिले देश के मुख्य शहरों से रेल तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

(ख) राज्य के अंदर दो मुख्य रेल पथ गुजरते हैं—

I. दिल्ली-गोहाटी रेल पथ वाया छपरा-बरौनी-कटिहार

II. दिल्ली-कोलकाता रेल पथ वाया आरा, बक्सर, पटना, गैंड कॉर्ड पथ वाया गया सहित।

(ग) बिहार में हाजीपुर पूर्व-मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैले 5230 ट्रेक किलोमीटर तथा 3624 रूट किलोमीटर के विस्तृत तंत्र पर नियंत्रण करता है।

(घ) अभी हाल-फिलहाल में रुपए 7000 करोड़ की लागत वाली रेल-सह-सड़क पुल की 3 बड़ी परियोजनाएँ चालू हुई हैं। ये रेल-सह-सड़क पुल राज्य के अंदर परिवहन सुविधाओं में काफी सहयोगी साबित होंगे।

(ङ) राज्य में पटना मेट्रो रेल परियोजना का भी क्रियान्वयन गति पर है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है एवं इस पर सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी गई है।

हवाई मार्ग (क) बिहार के पटना में एक घरेलू हवाई अड्डा और बाधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और राँची के लिए कई घरेलू हवाई उड़ानें हैं।

(ख) बिहार में हवाई उड़ान की संख्या बढ़कर 2014-15 में 11054 हो गई है। विगत दो वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 10.5 लाख से 12 लाख हो गई और माल ढुलाई भी 4849 टन से 5198 टन तक बढ़ी है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 में आधारभूत संरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उपाय

राज्य में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत प्रभावी अवधि में सरकार के द्वारा निम्नांकित उपाय प्रस्तावित हैं—

1. **रिक्त औद्योगिक भूखंड का आवंटन प्राथमिक क्षेत्रवाली परियोजनाओं को**—बियाड़ा भविष्य में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त भूखंड, जो लगभग 182 एकड़ है, को अर्हताप्राप्त परियोजनाओं को आवंटित करना सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बियाड़ा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त रिक्त भूखंड विनिर्माण करनेवाली इकाइयों को आवंटित किया जाएगा। सरकार औद्योगिक पार्कों में उत्पादन करनेवाली इकाइयों को भूखंड का आवंटन करने में सहायता प्रदान करेगी।

बियाड़ा राज्य के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ऐसा अनुमान है कि कुल 5 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण और उसका विकास बियाड़ा द्वारा इस नीति के तहत प्रभावी अवधि में किया जाएगा। इसके लिए भूमि बैंक से सरकारी भूमि

को बियाडा को संबद्ध और हस्तांतरित किया जाएगा। नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त बजट का उपबंध किया जाएगा। बियाडा के द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत भूखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को आवंटित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के लिए आवंटित 25 प्रतिशत भूखंड में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए तथा 25 प्रतिशत मध्यम इकाइयों की स्थापना के लिए होंगे, साथ ही सरकार वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में से रुग्ण एवं बंद इकाइयों से भूमि को वापस लेने का पूरा प्रयास करेगी। बियाडा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'एकमुश्त भुगतान' की प्रक्रिया लागू कर सकता है। भूमि की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 'आओ बिहार योजना' शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनके पास 2 एकड़ या अधिक भूमि का स्वामित्व है और अपनी भूमि को उद्योग या संस्थान की स्थापना के लिए बिक्री करना चाहता है, अपनी भूमि का विवरण 'आओ बिहार' पोर्टल पर सूचीबद्ध करा सकता है।

राज्य सरकार अपने तंत्र के माध्यम से सहायक के रूप में उद्यमी को भूमि के स्वामित्व के सत्यापन में सहायता करेगी, ताकि क्रेता भूमि क्रय कर सके। निर्यात-आधारित औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन एवं नष्ट होनेवाले कृषि उत्पाद को राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन के लिए पटना एवं गया में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य के दो स्थानों फतुहा एवं बिहटा में कंटेनर फ्रेट टर्मिनल की स्थापना का प्रयास करेगी। भारत सरकार के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का विकास प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर से राज्य के तीन जिले गया, जमुई और बाँका होकर गुजरेंगे। बिहार सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करेगी।

गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि—बिहार में वर्तमान समय में 4 नई विद्युत उत्पादन इकाइयों का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर बिहार की केंद्रीय क्षेत्रफल विद्युत की निर्भरता में कमी आएगी।

(i) **नवीनगर स्टेज-1 प्लांट**—यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस विद्युत परियोजना के लिए प्रति इकाई 660 मेगावाट क्षमता वाली 3 इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ii) **बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय की विद्युत परियोजनाएँ**—चौसा में प्रति इकाई 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ इकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा NHPC और NTPC के साथ भी प्रति इकाई 660 मेगावाट 2 थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए समझौता संपन्न किया गया। पीरपैंती की इकाई का निर्माण NHPC द्वारा, जबकि कजरा (लखीसराय) का निर्माण NTPC द्वारा किया जाएगा।

(iii) **अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट**—बाँका में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके लिए 2500 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

(iv) **मथौली हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट, पश्चिमी चंपारण**—इस विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर है। इसकी क्षमता 800 किलोवाट है।

राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। सभी उद्योग, जो 132/220 के.वी.ए. फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को बिजली की कटौती से मुक्त किया जाएगा, जब तक कि ग्रिड की सुरक्षा के लिए वैसा करना आवश्यक न हो। 33/11 के.वी.ए. सबस्टेशनों के सभी फीडर, जिनके ऊपर 75 प्रतिशत से अधिक विद्युत भाग है, औद्योगिक फीडर के रूप में जाने जाएँगे तथा विद्युत

कटौती से विमुक्त होंगे।

राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत ओपेन एक्सेस पॉलिसी के अंतर्गत विद्युत उपभोग की अनुमति होगी। इन बड़े विद्युत उपभोक्ताओं को, जिनका 1 मेगावाट या अधिक विद्युत लोड है, खुले बाजार से सस्ती दर पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान करेगी। यह उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर विद्युत खरीदने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सहायक होगा।

गैस पाइपलाइन की स्थापना

स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एक गैस ग्रिड स्थापित किया जाएगा। राज्य में औद्योगिक और घरेलू माँग के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँगे। राज्य में गैस पाइपलाइन तंत्र की स्थापना हेतु बिहार सरकार, आई.ओ.सी. (IOC) तथा बिहार सरकार एवं गेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गेल की प्रमुख गैस पाइपलाइन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिला होकर गुजरेगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टरों को प्रोत्साहन (सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना)

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित क्लस्टरों के विकास के महत्त्व को समझती है तथा इसके विकास के लिए समुचित प्रयास करने पर विश्वास करती है। राज्य में अनेक कार्यरत एवं संभावनायुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विद्यमान हैं, जो निम्न हैं—

1. ब्रास और ब्रॉणज यूटेंसिल उद्योग क्लस्टर, परेब, जिला-पटना।
2. सी.एफ.एल. और लीड बल्ब, पटना सिटी, जिला-पटना।
3. लेदर फुटवीयर, पटना सिटी, जिला-पटना।
4. मखाना, चार जिलों में (दरभंगा मुख्य केंद्र)/दरभंगा।
5. चर्म उत्पाद क्लस्टर, जिला-सारण (छपरा)।
6. अगरबत्ती निर्माण क्लस्टर, जिला-गया।
7. लहठी (लाह) क्लस्टर, जिला-मुजफ्फरपुर।
8. लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला-मुजफ्फरपुर।
9. ब्रास और जर्मन सिल्वर यूटेंसिल क्लस्टर, जिला-पश्चिमी चंपारण।
10. चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला-पूर्वी चंपारण।
11. चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला-लखीसराय।
12. पीतल ब्रास एल्वाय यूटेंसिल क्लस्टर, जिला-वैशाली।
13. लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला-नालंदा।
14. रेडिमेड परिधान क्लस्टर, पटना सिटी, जिला-पटना।
15. सिलाव का खाजा क्लस्टर, जिला-नालंदा।
16. मीठा और नमकीन खाजा क्लस्टर, जिला-मधेपुरा।
17. बाँस-आधारित सामग्रियों का निर्माण क्लस्टर, जिला-मधेपुरा।
18. हथकरघा और खादी (पोस्ट प्रोसेसिंग) क्लस्टर।

19. हस्तशिल्प क्लस्टर।

20. लघु संयंत्र एवं मशीनरी निर्माण क्लस्टर औरंगाबाद, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)।

उपरोक्त सभी क्लस्टरों में पर्याप्त सुविधा का अभाव है। ये तकनीकी दृष्टि से भी कमजोर हैं। इन क्लस्टरों में तकनीकी और कौशल उन्नयन से इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना नाम की एक विशेष योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई है।

निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहन

बिहार सरकार ने निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में 'निजी औद्योगिक पार्क की नीति' लागू की है। यह नीति वर्तमान औद्योगिक नीति के अभिन्न हिस्से के रूप में होगी और सरकार कुछ संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ वर्तमान नीति अवधि में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगी। यह प्रोत्साहन निम्न प्रकार का होगा—

(i) कोई भी व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी ऐक्ट या सोसाइटी ऐक्ट के तहत पंजीकृत संस्था निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकती है। पार्क को भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

(ii) निजी औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा तथा आई.टी. पार्क के लिए 3 एकड़ पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि प्रवर्तक के पूर्णरूपेण स्वामित्व में होगी और किसी भी तरह के ऋणभार से मुक्त होगा। यह प्रवर्तक के द्वारा लीज पर नहीं ली जानी चाहिए।

(iii) भूमि का 20 प्रतिशत सामान्य प्रयोग आधारभूत संरचना का विकास एवं हरित क्षेत्र तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iv) औद्योगिक पार्क में कम-से-कम 5 स्वतंत्र उत्पादन इकाई होनी चाहिए।

(v) इस औद्योगिक पार्क में आवासीय इकाई नहीं निर्मित होगी तथा औद्योगिक पार्क को रियल एस्टेट परियोजना में परिवर्तित नहीं करेंगे। सभी निजी औद्योगिक पार्क औद्योगिक भूमि के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे।

(vi) निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखंड का दर प्रवर्तक निर्धारित करेंगे।

(vii) पार्क की आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रवर्तक एक निधि की व्यवस्था करेंगे, जिसे विकास रिजर्व फंड के रूप में जाना जाएगा। प्रवर्तक भूखंड के आवंटन में प्राप्त राशि में 5 प्रतिशत एवं प्रतिवर्ष सूद लाभ से 10 प्रतिशत इस विकास रिजर्व फंड में योगदान देंगे।

(viii) निजी औद्योगिक पार्क 10 प्रतिशत अथवा सर्वाधिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से स्वीकृत परियोजना के 30 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान के पात्र होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी। प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेष निजी औद्योगिक पार्क को स्वीकृत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी, तक दिया जा सकता है।

राज्य सरकार उद्यमियों को औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु एक अनुकूल वातावरण एवं आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्यमियों को प्रोत्साहन के निम्न पैकेज प्रदान किए जाएंगे—

प्रोत्साहन के प्रकार : प्रतिपूर्ति स्टॉप शुल्क/पंजीकरण

मुख्य विशेषताएँ :

(क) सरकार द्वारा IDA/BIADA को भूमि आवंटन में कोई स्टॉप ड्यूटी देय नहीं होगी।

(ख) वैसे सभी नई इकाइयाँ, जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अथवा इसके बाहर स्थापित होती हैं, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् औद्योगिक भूमि/शेड की लीज/बिक्री/ हस्तांतरण पर लगनेवाली स्टॉप ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय होगी। पंजीकरण शुल्क एवं स्टॉप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति केवल पहली बार के लिए स्वीकृत की जाएगी। लीज/पट्टा/बिक्री/हस्तांतरण के बाद के चरणों में यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह प्रोत्साहन केवल नई इकाइयों के लिए अनुमान्य होगा।

(ग) इकाई द्वारा वांछित भूमि का पूर्ण विवरण DPR में तथा वैसे बैंक या वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्णित होगा।

प्रोत्साहन के प्रकार : भूमि संपरिवर्तन शुल्क

मुख्य विशेषताएँ :

(क) कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में संपरिवर्तन के लिए लगाए गए भूमि संपरिवर्तन शुल्क/भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु लगाए गए शुल्क को इकाई के व्यावसायिक उत्पादन में आने के पश्चात् शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

प्रोत्साहन के प्रकार : ब्याज अनुदान

मुख्य विशेषताएँ :

(क) वैसे सारी उपयुक्त इकाइयाँ, जिसे किसी बैंक के द्वारा या RBI सेबी के पंजीकृत वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण प्राप्त है, को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा।

(ख) ब्याज अनुदान हेतु ब्याज दर 10 प्रतिशत या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज की दर, जो भी कम हो, होगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत की ब्याज दर अनुदान अनुमान्य होगा।

(ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुदान की समस्त सीमा स्वीकृत परियोजना लागत की 30 प्रतिशत होगी। अप्राथमिकता वाले क्षेत्र में इस अनुदान की सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 होगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी।

(घ) इस अनुदान राशि की विमुक्ति किस्तों में की जाएगी। विमुक्ति की किस्त संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान, जिसके द्वारा इकाई को अवधि ऋण प्रदान किया गया है, के द्वारा पुनः भुगतान की किस्तों से जुड़ा होगा। इकाई के प्रवर्तकों के द्वारा किसी भी प्रकार के अंशदान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ङ) अगर प्रवर्तक इकाई के लिए कोई सावधि ऋण नहीं लेते हैं तो वे अनुदान की राशि के पात्र नहीं होंगे।

प्रोत्साहन के प्रकार : कर से संबंधित अनुदान

मुख्य विशेषताएँ :

(क) सभी नई इकाइयाँ कर संबंधी लाभ की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं—

(i) **अप्राथमिक क्षेत्र**— स्वीकृत परियोजना लागत का 70 प्रतिशत,

(ii) **प्राथमिकता क्षेत्र**— स्वीकृत परियोजना लागत का 100 प्रतिशत।

(ख) सभी नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को स्वीकृत परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर में छूट दी जाएगी।

(ग) वैसी सभी इकाइयाँ, जो सौर और अक्षय ऊर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु कार्यरत हैं, को स्वीकृत परियोजना लागत का अतिरिक्त 30 प्रतिशत कर का लाभ दिया जाएगा।

(घ) सभी नई इकाइयाँ राज्य सरकार के खाते में दी गई VAT/CST प्रवेश करके व्यावसायिक उत्पादन में आने की तिथि से पाँच वर्ष तक 80 प्रतिशत पूर्तिपूर्ति की हकदार होंगी (इकाई द्वारा व्यापार से संबंधित करों को छोड़कर)। VAT/CST प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति सिर्फ उत्पादन देयता कर के विरुद्ध Input Tax Credit के समायोजन के बाद शुद्ध देय कर पर लागू होगी।

(ङ) भारत सरकार पूरे देश में समरूप माल एवं सेवा कर (GST) लागू करने की प्रक्रिया में है, अगर ऐसा होता है तो इस नीति के तहत VAT/CST में स्वीकृत प्रोत्साहन के लाभ को राज्य सरकार द्वारा GST व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

(च) सभी नई इकाइयाँ व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के पाँच वर्ष तक स्व कार्य हेतु विद्युत उत्पादन या BSPHCL की आपूर्ति ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क पर शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी। विद्युत शुल्क में छूट उन इकाइयों पर लागू नहीं होगी, जो उत्पादित बिजली को BSPHCL के अलावा किसी दूसरी इकाई को आपूर्ति करती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। इनके द्वारा किसी नई इकाई की स्थापना करने पर 11.5 प्रतिशत ब्याज दर या सावधि ऋण की वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, वह लागू होगी। ब्याज अनुदान की कुल रकम अनुमोदित परियोजना लागत की 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र) तथा 17.25 प्रतिशत (गैर-प्राथमिक क्षेत्र) होगी। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 11.5 करोड़ रुपये होगी। वैट, सी.एस.टी. (CST), प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा गैर-प्राथमिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजना लागत 80.5 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजना लागत की 11.5 प्रतिशत होगी। इन उद्यमियों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

औद्योगिक पुनर्वास निधि

रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार, उद्योग संघों एवं अन्य के सहयोग से एक कॉरपस निधि (CORPUS FUND) की स्थापना की जाएगी। यह कॉरपस निधि रुग्ण, लघु एवं मध्यम

औद्योगिक इकाइयों, जिनका पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया गया हो, को संभावित कम-से-कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

यह नीति निर्गत की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। नीति के क्रियान्वयन के क्रम में किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी शब्द की व्याख्या विवाद के सभी मामलों का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त या प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा लिया जाएगा। यह निर्णय सभी संबंधित विभागों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

बिहार स्टार्टअप नीति, 2016

आधारभूत संरचना को मजबूत करने एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति, 2016 का निर्माण किया है। बिहार सरकार राज्य के आर्थिक वातावरण में सुधार तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नवीकरण के प्रोत्साहन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के द्वारा स्टार्टअप से अधिकार देने तक यह क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार को जनसंख्या में युवा के उच्च अनुपात के कारण जनसांख्यिकी का लाभ प्राप्त है। उनके लिए उत्पादक आर्थिक अंशदान हेतु नियोजन के अवसर सीमित हैं। रोजगार की उपलब्धता युवाओं के लिए प्रगति के द्वार खोलती है। वर्तमान शैक्षिक तंत्र की रूपरेखा भी राज्य में उद्यमिता के महत्त्व को सीमित करती है। इस स्टार्टअप की विशेषता यह है कि तीव्र गति से पैमाना बनाने और विश्व स्तरीय भागीदार बनने की योग्यता है। व्यावसायिक वातावरण उसके समर्थक हो जाते हैं। बिहार को स्वयं विश्व स्तर के पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्राप्त है। संसाधन और महत्वाकांक्षा राज्य में निश्चित रूप से उपलब्ध हैं। स्टार्टअप की नई लहर इस सामाजिक-आर्थिक कायापलट को पूरा करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। बिहार में नवीकरण के महत्त्व को जाग्रत करने के लिए प्रेरक एवं अनुकूल स्टार्टअप की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार का उद्देश्य इस नीति-संरचना के साथ-साथ निजी भागीदारी से बिहार में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वत्र विकास करना है। अतः बिहार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद को तेज करते हुए हजारों-हजार रोजगार सृजन करने, बुद्धि अपक्षय की प्रक्रिया का प्रतिकार करने और आर्थिक प्रगति की अगली लहर को पुनर्जीवित करने में योगदान देना है। बिहार सरकार राज्य में एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करेगी, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका निधि उपलब्धता, प्रोत्साहन और नीति समर्थन हेतु उपकरणिय होगी। राज्य 500 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल का प्रावधान करेगा। इसके क्रियान्वयन के लिए एक न्यास स्थापित किया जाएगा, जो इसके क्रियान्वयन संबंधी सभी कार्यों को करेगा।

सरकार का उद्देश्य इस नीति-संरचना के साथ-साथ निजी भागीदारी से बिहार में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वत्र विकास करना है।

स्टार्टअप से अभिप्रेत है कि बिहार में समावेशित और निबंधित कोई अस्तित्व, जिसका वार्षिक लेन-देन पाँच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और जो प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नए उत्पादों की वाणिज्यीकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रहा हो, परंतु यह अस्तित्व इस नीति के अधीन आगे लाभ प्राप्त करेगा, यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका वार्षिक लेन-देन 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो और जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, यह समावेशन या निबंधन की तिथि से पाँच वर्ष पूरा न कर लिया हो। यदि धोखाधड़ी के किसी आरोप में कंपनी दोषी पाई जाती है अथवा कंपनी इस नीति के अधीन लाभ पाने के लिए किसी तरह की मिथ्या घोषणा करती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे उपलब्ध कराई गई सभी वित्तीय सहायता वसूली जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। यदि स्टार्टअप के रूप में मान्यता एक बार समाप्त हो जाती है तो सरकार जिसके माध्यम से अपनी पूँजी निवेश करती है, स्टार्टअप से अपनी पूँजी बहिर्गमन न्यास द्वारा स्टार्टअप में करने हेतु पात्र होगी और चैनल बनाकर निवेश के लिए बहिर्गमन हेतु मार्गदर्शन का निर्माण किया जाएगा।

स्टार्टअप नीति के माध्यम से उद्यमी समृद्ध बिहार अभियान के तहत जागरूकता फैलाना और स्टार्टअप के लिए नेटवर्किंग को सरल बनाने का प्रयास करेंगे।

स्टार्टअप नीति के माध्यम से उद्यमी समृद्ध बिहार अभियान के तहत जागरूकता फैलाना और स्टार्टअप के लिए नेटवर्किंग को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। बिहार में जो जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में पर्याप्त मात्रा में युवा वर्ग प्राप्त है, उसका आर्थिक योगदान में अवसर सीमित है। भारत में युवाओं का विकास उस समाज में होता है, जहाँ जीवनवृत्ति के विकल्प के रूप में उद्यमिता को नहीं देखा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा तंत्र की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है, जिसमें उद्यमिता पर सीमित जोर दिया जाता है। स्टार्टअप श्रेयधारकों की सहभागिता से सरकार राज्य स्तर पर उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार जागरूकता अभियान चलाएगी, सफल स्थानीय स्टार्टअप को मान्यता देगी और उसे प्रोत्साहित करेगी। राज्य स्तर पर चुनौती तथा व्यावसायिक योजना प्रतियोगिता का आयोजन करेगी।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनियामक वातावरण को समर्थ करना, क्योंकि कोई भी व्यवसाय आरंभ करने के पूर्व विभागीय अनुमोदन एवं क्लियरेंस के विभिन्न चरण होते हैं। अधिकतर स्टार्टअप इन जटिल नीतियों और विनियामक ढाँचे से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके कारण उनके नियमित प्रचलन में बाधा हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि विनियामक अनुपालनों की दंडात्मक कार्रवाइयों को कम करे और अगले चरण की आर्थिक वृद्धि में इनसे संबंधित जागरूकता एवं सहायता उपलब्ध कराए, साथ-ही-साथ सरकार निरीक्षण कम करके एवं स्वप्रमाणन को बढ़ावा देकर व्यवसाय करने की सहूलियत में वृद्धि करे। स्टार्टअप को पाँच वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों के अधीन प्रचालन अनुज्ञप्ति तथा निबंधन से छूट होगी। हालाँकि यदि स्टार्टअप द्वारा ऐसा व्यवसाय या कार्य किया जाता है, जिसमें जीवन का खतरा अथवा सुरक्षा का भय हो, तो उसे कानूनी लाइसेंस लेने की अनिवार्यता होगी और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति पर आनेवाले खर्च का वहन सरकार करेगी।

सरकारी विनियामक एजेंसियों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए निरीक्षण से स्टार्टअप कंपनियों को छूट प्राप्त होगी, जब तक कि जीवन और सुरक्षा पर खतरा का भय न हो। यदि किसी भी इकाई का निरीक्षण करना हो तो जिला पदाधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है।

स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में स्पंदन करने की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थान नवीकरण संस्कृति को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता का परिचय कराने एवं शिक्षा देने हेतु एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराते हैं, इससे सरकार एवं छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना सृजित करने के लिए शिक्षा में सुधार को मान्यता मिलती है। बिहार में युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार निम्नलिखित हस्तक्षेपों को सरल बनाएगी एवं अनुशंसा करेगी—

(i) विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में उद्यमिता मॉड्यूल अंतःस्थापित करना। शैक्षिक संस्थानों को बृहत रूप में ओपन ऑन-लाइन कोर्स को वैकल्पिक विषय के रूप में परिचय कराने की सलाह दी जाएगी। इंटरनशिप और अप्रेंटिसशिप अनिवार्य करना।

(ii) छात्रों को उद्यमिता में लगाने हेतु मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए शिक्षा संस्थानों को उद्यमिता सहायता केंद्र बनाने में मदद की जाएगी।

(iii) छात्रों के बीच व्यवसाय नवीकरण विचार प्रतियोगिता का आयोजन करना।

(iv) उद्यमिता विकास कोषांग के माध्यम से 20 सामाजिक नवप्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन में अनुदान दिया जाएगा।

स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन केंद्र को सरल बनाना

स्टार्टअप की सफलता के लिए इनक्यूबेशन केंद्र का होना आवश्यक है। इनसे सुगमता, परामर्शदाता, नेटवर्क

बाजार, नेटवर्क, भौतिक आधारभूत संरचना आदि तक सुगमता होती है। भौतिक आधारभूत संरचना के सृजन के लिए सामान्यतः बड़ी मात्रा में पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त निजी राज्य समर्पित इन क्यूबेटरों को अधिकतम रूप से 2 लाख की दर से तथा इनक्यूबेटिंग खर्च के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेबी निबंधित वैकल्पिक निवेश निधि से बिहार-आधारित स्टार्टअप में प्राप्त निवेश के 2 प्रतिशत की दर से इनक्यूबेटरों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार, भारत सरकार और बहुपक्षीय दानदाता एजेंसियों से उगाही की गई निधि पर 1:1 आधारित अनुदान नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध कराएगी।

स्टार्टअप के लिए राज्य समर्थित मेजबान संस्थाओं की सूची निम्न है—

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), पटना।
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), पटना।
3. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
4. पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पटना।
5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एन.आई.एफ.टी.), पटना।
6. बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना।
7. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी (सीपेट), बिहार।
8. उपेंद्र महारथी इंस्टीट्यूट, पटना।
9. चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना।
10. टूल रूम ऐंड ट्रेनिंग सेंटर, पटना।
11. बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर।
12. एपैरैल ट्रेनिंग ऐंड डिजाइन सेंटर, पटना।

राज्य सरकार उपरोक्त संस्थाओं के अलावा समय-समय पर इस नीति के अधीन कई संस्थाओं को राज्य समर्थित संस्था घोषित करेगी। स्टार्टअप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित साझा आधारभूत संरचना शामिल होगी—

1. साथ-साथ काम करने के लिए जगह,
2. शोध एवं विकास प्रयोगशाला, घन कोष्ठिका, सभागार आदि जैसी साझी सुविधाओं की उपलब्धि,
3. उच्चगति क्षमतावाला प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि जैसे साझा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर,
4. कॉमन, खाता-बही, तकनीकी, पेटेंट, निवेश बैंकिंग आदि जैसी साझी सेवाएँ,
5. व्यक्तिगत उपयोग हेतु कक्ष एवं छात्रावास, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप के लिए सामुदायिक आयोजन एवं प्रोत्साहन समर्थन,
6. कॉमन सुविधा केंद्र (माल गोदाम, भंडारगृह, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला)।

सरकार द्वारा निजी सरकारी भागीदारी के माध्यम से संयुक्त आधारभूत संरचना स्थल का निर्माण किया जाएगा। यह स्टार्टअप के तीन वर्षों की अवधि के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा।

सांस्थिक ढाँचा

स्टार्टअप नीति को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए न्यास किसी कंपनी में निवेश का अनुभववाले पेशेवर व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। न्यास की संरचना निम्नलिखित होगी—

1. निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ अन्यथा विकास आयुक्त—अध्यक्ष

2. सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति होने तक—सदस्य
3. प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग—सदस्य
4. प्रधान सचिव, वित्त—सदस्य
5. प्रधान सचिव, योजना—सदस्य
6. प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—सदस्य
7. सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होनेवाले दो प्रधान सचिव/सचिव—दो सदस्य
8. निदेशक, आई.आई.टी., पटना, निदेशक, एन.आई.आई.टी., पटना—तीन सदस्य
9. उद्यमिता को प्रोत्साहित करनेवाले संघों, संगठनों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि—तीन सदस्य
10. विशेष आमंत्रित सदस्य (विषय/सेक्टर विशेषज्ञ)—दो सदस्य
11. निधि प्रबंधकों के प्रतिनिधि—दो सदस्य।

सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति

स्टार्टअप द्वारा अपेक्षित सभी वैधानिक लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर सरल बनाए जाएंगे। इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधिगण सदस्य होंगे।

न्यास की भूमिका

न्यास स्टार्टअप नीति की नोडल एजेंसी है। इसलिए न्यास की भूमिका एवं कर्तव्य काफी विस्तृत हो जाते हैं, जो निम्न हैं—

1. बिहार के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का प्रबंधन।
2. उद्यमिता विकास इकाई और उद्यमिता सहायता केंद्रों की सहायता पहुँचाना।
3. स्टार्टअप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का सृजन और प्रबंधन करना।
4. शिक्षा में उद्यमिता प्रोत्साहित करने हेतु सुधारों की अनुशंसा करना।
5. स्टार्टअप के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए अपने हिसाब से तालिका का निर्माण करना, ताकि गुणवत्ता के आधार स्टार्टअप की परख, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेंच मार्किंग द्वारा, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता को लीक पर लाने हेतु व्यवसायकृत इंडेक्स का सृजन करना।
6. स्टार्टअप बिहार मुख्य पोर्टल की स्थापना, प्रचालन और प्रबंधन करना।
7. राज्य सरकार की अन्य नीतियों के साथ नीति का संरेखण या पंक्तिबद्धता।
8. आवश्यकतानुसार इस नीति में संशोधन या उपांतरण करना।
9. इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के अन्य विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना।
10. स्टार्टअप को निधि सहायता देने के लिए आशावादी नीतियों का सृजन करने हेतु सरकारी एजेंसी और सेबी आदि जैसी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के साथ संपर्क (लाइजन) करना।
11. विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के साथ, स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता हेतु संपर्क (लाइजन) करना।
12. स्टार्टअप द्वारा बिहार में स्थापना और प्रचालन के दौरान आनेवाली किसी कठिनाई का निराकरण करना।
13. इस नीति की वार्षिक समीक्षा करना।

14. इस नीति का संपूर्ण मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन करना।
15. स्टार्टअप के लिए राज्य में नया बाजार चिह्नित करना एवं उसका विकास करना।
16. निधि प्रबंधक की नियुक्ति।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011

विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं में तीव्र गति से विकास हो रहा है। पूर्व के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता से सभी परिचित हैं। वर्तमान में अपतटीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व बाजार का लगभग 65 प्रतिशत एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में विश्व बाजार के 46 प्रतिशत हिस्से पर भारत का आधिपत्य है। इस क्षेत्र में प्रगति की अपार संभावनाएँ हैं और यह भारत में रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका प्रदान कर सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का प्रभाव अधिकांशतः कुछ राज्यों में प्राप्त हुआ है। देश का शेष भाग इसके विकास से अछूता रहा है। बिहार भी इसके विकास से वंचित रहा है। राज्य सरकार की प्रबल आकांक्षा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देकर उसका तीव्र गति से विकास किया जाए, जिससे बिहार के लोग अपने द्वार पर ही बेहतर नागरिक सुविधाओं तथा आर्थिक संवृद्धि का लाभ उठा सकें।

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं के निर्यात में विकास के साथ-साथ राज्य में बेहतर नागरिक सुविधाओं को पहुँचाने के लिए इस नीति में निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा—

1. राज्य में ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास एवं व्यापक प्रसार के लिए प्रयासरत रहना।
2. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना का विकास करना, जिससे कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुविधा प्राप्त हो तथा ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के बीच डिजिटल अंतराल को कम किया जा सके।
3. बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवा उद्योगों में निवेश हेतु आकर्षक केंद्र बनाना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्य बनाना।

उद्देश्य

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विजन, 2015 को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य को अपनाए जाने की आवश्यकता है—

1. **मानव एवं बौद्धिक पूँजी संसाधन को विकसित करना**—विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित कर विद्यार्थियों को कंप्यूटर के प्रति साक्षर करना एवं रोजगार के लायक युवाओं को समुचित प्रशिक्षण देकर सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाना।
2. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवा उद्योगों में पूँजी निवेश को आकर्षित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना।
3. सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना में निवेश कर विश्वस्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना विकसित करना।
4. **ई-अभिशासन**—राष्ट्रीय अभिशासन प्रोग्राम (National e-governance plan) के माध्यम से राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ई-शासन हेतु उठाए जानेवाले कदमों को प्रोत्साहन देकर अधिकतम सरकारी विभागों एवं नागरिक सेवाओं को पारस्परिक ऑन-लाइन मोड में लाना।
5. **निवेश**—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने हेतु निजी उद्योगों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं

सूचना प्रौद्योगिकी संबंध सेवा उद्योगों में निवेश के लिए प्रेरित करना।

6. **आर्थिक वातावरण**—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध सेवा उद्योगों के लिए सरकार द्वारा संभावनाएँ बढ़ाकर व्यवसाय हेतु वातावरण तैयार करना।

7. **कानून**—सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध सेवा उद्योगों के बेहतर प्रशासन हेतु समुचित कानूनी ढाँचा तैयार करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट और ट्रेड मार्क के अनुचित एवं अवैध इस्तेमाल को रोकना।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति का वर्गीकरण

तीव्र विकास एवं सरलीकरण के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—

- (i) उद्योगों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति।
- (ii) शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति।
- (iii) सरकार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति।
- (iv) नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति।

उद्योगों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक नीति—सभी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संबंध सेवा एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों को औद्योगिकी प्रोत्साहन नीति, 2011 में दिए गए प्रोत्साहन के लिए योग्य समझा जाएगा।

1. **उत्पादन-पूर्व की सुविधाएँ**—आई.टी., आई.टी.ई.एस. एवं ई.एच.एम. इकाई, जो औद्योगिक क्षेत्र, शेड, आई.टी. पार्क में या इनसे बाहर स्थापित होगी, उनको स्टॉप शुल्क एवं भूमि के पट्टा, विक्रय, हस्तांतरण में लगनेवाले पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह सुविधा केवल प्रथम बार ही प्राप्त होगी तथा बाद में भूमि के पट्टा/विक्रय/हस्तांतरण के लिए यह सुविधा नहीं प्राप्त होगी अर्थात् यह सुविधा केवल नई इकाइयों के लिए वैध होगी। वैसी इकाइयाँ जो पहले से स्थापित हैं तथा अपनी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करती हैं तथा पूर्व में स्टॉप शुल्क या पंजीकरण शुल्क में छूट की सुविधा नहीं प्राप्त की हैं, उन्हें भी यह सुविधा विस्तार के लिए इस्तेमाल की जानेवाली भूमि पर प्राप्त होगी। वैसी इकाइयाँ, जो इस छूट की सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाती हैं, को यह सुविधा उत्पादन के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगी।

2. **उत्पादन के बाद मिलनेवाली सुविधाएँ**—उत्पादन करने के बाद इकाइयों को प्रतिपूर्ति के रूप में मिलनेवाली सुविधाओं, जैसे—परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन, भूमि क्रय के लिए प्रोत्साहन, तकनीकी ज्ञान के लिए वित्तीय सहायता, पूँजी सब्सिडी इत्यादि की अधिकतम सीमा 600 लाख होगी। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध इकाइयों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में आनेवाले व्यय का 50 प्रतिशत व्यय, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए होगी, प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। बशर्ते परियोजना रिपोर्ट किसी आई.टी. विभाग द्वारा मान्य कंपनी द्वारा बनाई गई हो। वैसी परियोजना रिपोर्ट, जो कार्बन क्रेडिट लेने के लिए हो, को बनाने में आनेवाले व्यय का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा, बशर्ते कार्बन क्रेडिट प्राप्त हो।

तकनीक को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता

उद्योगपति, जो किसी भी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च केंद्र या प्रयोगशाला अथवा संस्थान से अपनी कंपनी

को विस्तारित करने के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको शुल्क में किए गए खर्च का 30 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपए तक प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा।

गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रोत्साहन

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से गुणवत्ता प्रमाणीकरण में आनेवाले शुल्क पर व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में वापस किया जाएगा। यह लाभ कोई भी इकाई केवल एक बार ही प्राप्त कर सकेगी। सरकार व्यय का 75 प्रतिशत वापस करेगी, यदि सॉफ्टवेयर कंपनी आई.एस.ओ. या एस.ई.आई. या सी.एम.एम. लेवल 2 और एस.टी.ओ.टी. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करती है।

भूमि के लिए प्रोत्साहन

सभी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा एवं ई.एच.एम. इकाइयों, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अभिकरण या निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क या फूड पार्क या किसी भी राज्य एवं आई.टी. पार्क में आवंटित भूमि के मूल्य पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु एवं छोटी इकाइयों के लिए 50 प्रतिशत या 15 लाख का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा, जबकि सभी बड़ी, मझोली एवं मेगा इकाइयों को भूमि लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 30 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार जहाँ भी संभव होगा, इन इकाइयों के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान कर आरक्षित करेगी।

कैप्टिव विद्युत उत्पादन में लगनेवाले प्लांट तथा मशीन पर प्रोत्साहन या अनुदान

कैप्टिव विद्युत उत्पादन या डीजल जेनरेटर सेट को स्थापित करने में लगनेवाला प्लांट तथा मशीन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान योग्य होगा। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मौजूदा इकाइयाँ भी अनुदान के लिए योग्य होंगी। यह अनुदान औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्री के समूह को बिजली आपूर्ति निर्मित स्पेशल परपस वेहिकल को भी मिलेगा, बशर्ते स्पेशल परपस वेहिकल के ज्यादातर सदस्य उस औद्योगिक क्षेत्र या समूह से हों। गैर-पारंपरिक स्रोत से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लांट तथा मशीन स्थापित करने में होनेवाले व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलेगा।

पूँजी निवेश पर सब्सिडी

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण एवं सॉफ्टवेयर नेटवर्क उपक्रम पर होनेवाले पूँजी निवेश की 20 प्रतिशत राशि प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। यह प्रतिपूर्ति अधिकतम 75 लाख रुपए तक प्राप्त होगी।

प्रवेश कर पर लाभ

उत्पादन के बाद की स्थिति में नई सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा इकाइयों को उत्पादन कर, प्रवेश कर के रूप में समायोजित करने की स्थिति में प्रवेश कर पर दी गई राशि, वैट की राशि की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति में शामिल होगी।

वैट की प्रतिपूर्ति

उद्योगों को पासबुक पर सुविधा दी जाएगी। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा उद्योगों द्वारा दिए जा रहे वैट की संबंधित जानकारी वाणिज्य कर विभाग द्वारा रखी तथा सत्यापित की जाएगी। नए उद्योग 10 वर्षों तक राज्य सरकार में जमा होनेवाली 80 प्रतिशत वैट राशि की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

प्रतिपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत होगी।

विद्युत शुल्क, रूपांतरण शुल्क एवं विलासिता कर में छूट

नई सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा एवं ई.एच.एम. इकाइयाँ वाणिज्य उत्पादन में आने के बाद निम्नलिखित लाभ के लिए पात्र होंगी—

- (i) विलासिता कर में 100 प्रतिशत छूट की हकदार 7 वर्षों तक के लिए होंगी।
- (ii) विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट की हकदार 7 वर्षों तक के लिए होंगी।
- (iii) भूमि रूपांतरण शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।

रोजगार सृजन अनुदान संबंधी प्रोत्साहन

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है। कक्षा-5 से 6 तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। वर्तमान समय में राज्य के 619 माध्यमिक स्कूलों में इसका फायदा उठाया जा रहा है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 के क्रियान्वयन के बाद सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा एवं ई.एच.एम. इकाइयों द्वारा 100 व्यक्तियों के नियोजन के बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित उद्योग प्रोत्साहन राशि के हकदार हो जाएँगे। प्रोत्साहन राशि नए नियोजन के 1 वर्ष की ई.पी.एफ. राशि के बराबर होगी।

सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना

राज्य में संवर्धन बोर्ड सभी लंबित मंजूरीयों के निष्पादन एवं राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी इकाई स्थापित करने एवं आदेश देने हेतु सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूती देने के लिए एस्काट सेवा की शुरुआत की जाएगी, जो उद्यमियों को अनुमोदन के पूर्व एवं उसके बाद की गतिविधियों में सहायता करेगी।

वैधानिक प्रावधानों से संबंधित विशेष प्रोत्साहन

इस नीति के अंतर्गत स्वतः प्रमाणीकरण का एक प्रावधान बनाया जाएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों को प्राप्त होगा। इनका प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही प्रभावी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवा एवं ई.एच.एम. इकाइयों को निम्न कानूनों के तहत रजिस्टर तथा फॉर्म रखने के लिए स्वतः प्रमाण-पत्र देने की अनुमति होगी। मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वर्कर भुगतान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ग्रेच्युटी ऐक्ट, मातृत्व अवकाश अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, जल एवं प्रदूषण अधिनियम, रोजगार विनियम अधिनियम, कंपनी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम एवं संविदा श्रम अधिनियम कानूनों से छूट प्राप्त होगी। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध एवं ई.एच.एम. इकाइयों को श्रम कानून के प्रावधानों में छूट दी जाएगी तथा वे प्रतिदिन तीन पालियों में 24x7 कार्य कर सकेंगे।

साइबर अपराध एवं साइबर अधिनियम

सरकार राज्य में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवा कंपनियों के संचालन हेतु उच्च कोटि की सूचना प्रदान करेगी। डाटा सुरक्षा का उल्लंघन, दस्तावेजों की गोपनीयता का उल्लंघन एवं इकरारनामे को

घोषित न किए जाने जैसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए सरकार पटना में साइबर अपराध का पता लगाने हेतु एक सेल का गठन करेगी।

शिक्षा हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है। कक्षा-5 से 6 तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। वर्तमान समय में राज्य के 619 माध्यमिक स्कूलों में इसका फायदा उठाया जा रहा है। 3-5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इसे कुल 1000 स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति के तत्वावधान में प्रत्येक जिले में कंप्यूटर साक्षरता देने हेतु 5 आई.टी. प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है। इनमें बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु अल्पावधि का सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र सरकार से कई प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को ICT या स्कूल परियोजना के माध्यम से कवर किया जाएगा। राज्य सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 10 प्रतिशत शिक्षकों को गहन कंप्यूटर प्रशिक्षण देगी तथा अन्य सभी विद्यालयों के 2-5 शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी। विद्यालय एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु सरकार ज्ञान साझेदारों का पता लगाएगी। सरकारी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी विषयों में प्रवेश हेतु लड़कियों तथा विभिन्न रूप से सक्षम लोगों को विशेष तरजीह दी जाएगी। बिहार सरकार विभिन्न प्रकार के सक्षम लोगों के लिए विशेष बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने पर विचार करेगी।

महाविद्यालय स्तर पर प्रौद्योगिकी वर्धक लर्निंग (National Programme on Technology Enhanced Learning-NTPEL) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 400 इ-पाठ्यक्रम, आई.आई.टी. और आई.आई.एस. (Indian Institute of Science) बंगलौर द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इस सामग्री को इंटरैक्टिव आभासी कक्षा के तहत व्याख्यान और कनेक्टिविटी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों तक सूचना एवं संचार द्वारा पहुँचाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों और संगठक कॉलेजों में भी कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 14 विश्वविद्यालय को चिह्नित किया गया है। शेष कॉलेजों या विश्वविद्यालयों को अगले चरण में जोड़ा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्वानों और शोधकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राज्य के छात्रों को डॉक्टरल और डॉक्टरल अनुसंधान के पश्चात् प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बिहार नॉलेज सोसाइटी

सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए तथा ज्ञान-आधारित समाज की स्थापना के लिए राज्य सरकार बिहार नॉलेज सोसाइटी की स्थापना करेगी। बिहार नॉलेज सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार 5 नए सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जिलों में खोलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कंप्यूटर साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अल्पावधि पाठ्यक्रम का संचालन बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षण केंद्रों को सरकार द्वारा अनुदान तथा रियायतें दी जाएँगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना

बिहार नॉलेज सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार 5 नए सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जिलों में खोलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना राज्य में स्थापित तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्रों के तौर पर स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (Technical Education Quality Improvement Programme) की मदद से की जाएगी। प्रत्येक उत्कृष्ट केंद्र अपने नजदीक आई.टी.आई. और डिप्लोमा कॉलेजों को स्थापित करेगा। 46 कॉलेजों का चयन उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा।

जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एवं अरेबिक भाषा के प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त माहौल तैयार किया जाएगा। विदेशी भाषा के प्रशिक्षण के माध्यम से इन भाषावाले देशों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोर्स, प्रशिक्षण एवं वाणिज्य तथा अन्य क्षेत्रों में स्नातक छात्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मानव संसाधन के प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के जुड़े हुए ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए कार्य करेगा। राज्य सरकार द्वारा ई.डी.आई. और एस.एम.ई. ज्ञान केंद्र की स्थापना ज्ञान कौशल के विकास के लिए की जाएगी।

सरकारी सेवाओं हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा है कि ग्रामीण स्तर तक सचिवालय का संपर्क स्थापित किया जाए। एन.ई.जी.पी. को आधारभूत संरचना के तहत बी.एस. वैन का राज्य एवं जिला मुख्यालय के बीच 4 एम.बी.पी.एस. तथा जिला मुख्यालय के बीच 2 एम.बी.पी.एस. का कनेक्शन देने का लक्ष्य है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार राज्य के विभागों के अधीन बैंडविड्थ की जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा और सभी विभागीय कार्यालयों को क्षैतिज कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार सभी निदेशालयों को भी उनके संबंधित कार्यालयों से इसी तरह की संप्रेषण सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा उच्च क्षमता, विश्वसनीय एवं सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी हेतु आधारभूत संरचना की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में स्टेट डाटा सेंटर एवं स्टेट पोर्टल का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।

सभी विभागों के लिए यह योजना है कि सभी सरकारी आदेश, योजना, निविदा इत्यादि को सामान्य वेब पोर्टल पर रखा जाए। नागरिकों को विभिन्न विभागों के दस्तावेजों को ऑन-लाइन की सुविधा प्रदान की जाए।

राज्य सरकार वातावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझती है और हरित सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए निम्नलिखित तरीके से प्रतिबद्ध है—

- (i) सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर की रिसाइक्लिंग और कार्बन क्रेडिट हासिल करनेवाली परियोजना रिपोर्ट के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए इ-कचरे को कम करना।
- (ii) राज्य के बिजली संकट को कम करने के लिए सौर, पवन आदि अक्षय ऊर्जा के संसाधनों का अधिक प्रयोग करना।
- (iii) ऊर्जा कुशल आई.टी. हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या नेटवर्क संरचना के लिए प्रोत्साहित करना।
- (iv) भवन या लैंड स्केप में एकीकरण को प्रोत्साहित करना।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सृजन 1 अप्रैल, 2007 से किया, जो सूचना एवं संचार तकनीक नीति का कार्यान्वयन एवं राज्य में कंप्यूटीकरण करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है। जिला स्तर पर इ-शासन सोसाइटी गठित की जाएगी, जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। इसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि, तकनीकी सलाहकार आदि शामिल होंगे, जो जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संचालन एवं निगरानी करेंगे। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड निजी एजेंसियों के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करेगा। यह सरकारी विभागों की सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा करेगा, योजना तैयार करेगा तथा इन विभागों या संगठनों में इ-शासन लागू करने हेतु आवश्यक एजेंसी या ऑपरेटर को जुटाने में मदद करेगा, परियोजनाओं की देखरेख एवं उनका मूल्यांकन एवं उसका अध्ययन करेगा।

राज्य इ-शासन परियोजना स्टियरिंग समिति का गठन किया जाएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की शीर्ष समूह होगी, जिसका गठन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य को दृष्टि, नीति एवं दिशा देने के लिए किया गया है। इस समिति में राज्य सरकार के संबद्ध विभागीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े राज्य एवं राज्य के बाहर के विशेषज्ञ रहेंगे, जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री बिहार द्वारा किया जाएगा। सभी विभाग नियमित आधार पर इस समिति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के निष्पादन पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

राज्य इ-शासन परियोजना शीर्ष समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी को रणनीतिक दिशा देने एवं संबंधित निर्णय लेने हेतु किया गया। सभी विभागों को नियमित रूप से इस समिति को सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं के निष्पादन पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस शीर्ष समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं—

मुख्य सचिव—अध्यक्ष

विकास आयुक्त—उपाध्यक्ष

प्रधान सचिव, वित्त विभाग—सदस्य

प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग—सदस्य

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग—सदस्य

प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी—सदस्य

एस.आई.ओ. एन.आई.सी. —सदस्य

तकनीकी परामर्शदाता—सदस्य

बिहार सरकार द्वारा राज्य के वर्ग-1 से 3 तक के पदाधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नति और उन्नयन के लिए कंप्यूटर कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। बिहार सरकार कंप्यूटर के क्षेत्र में उच्चतम तकनीक के 'इनक्यूबेशन केंद्र' बनाने का प्रयास कर रही है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमियों को लागत के आधार पर जरूरी सुविधाएँ व अनुभवी सलाह प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम निजी-सामाजिक भागीदारी पर विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार इ-प्रमाण पत्र की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रमाण-पत्र की महत्ता को मान्यता देगी। सार्वजनिक पुस्तकालय और सभी विभागों के डाटा रिकॉर्ड के लिए डिजिटलाइजेशन के महत्त्व को मान्यता देगी। यह कार्यक्रम डाटा की गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा। सभी विभागों के कर्मचारियों की जानकारी, नागरिकों से संबंधित जानकारी, वित्तीय जानकारी इत्यादि का

डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का योगदान कर पुस्तकालय स्थापित करेगा, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पर रुझान, बाजार, सूचना एवं अनुसंधान संबंधी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार किसी विशेष दिन को चिह्नित कर सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाएगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करेगी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विख्यात गैर-सरकारी नेताओं को शामिल किया जाएगा। बिहार सरकार का लक्ष्य 2016 तक सभी विभागों को पेपरलेस करने का रहा है।

नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

राज्य सरकार बी.एस.एन.एल. के साथ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेगी। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से सभी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

राज्य के नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ पहुँचे, इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य की सभी 8463 पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य के पोर्टल द्वारा सरकार विभागों, योजनाओं, आदेश, निविदाएँ एवं नोटिस से संबंधित जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराएगी। शिकायतों की सुनवाई एवं प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों का प्रकाशन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नागरिकों के लिए इ-लिटरेसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सभी सरकारी पोर्टलों और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हिंदी एवं उर्दू के प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस्तेमाल हेतु पायलट परियोजना आरंभ करने हेतु प्रयासरत रहेगी, जो बहुआयामी तरीकों पर आधारित होगी तथा जिसमें वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं का भी समावेश रहेगा। विकासात्मक विपणन एवं ग्रामीण कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित सभी महत्वपूर्ण आधारभूत परिसंपत्तियों के नक्शा आकलन की कार्रवाई की जाएगी तथा इसका संयोजन विविध सूचना प्रणाली के साथ किया जाएगा। उक्त सूचना का उपयोग विभिन्न विभागों के द्वारा परियोजनाओं का दूरगामी सूत्रण एवं अनुश्रवण में किया जाएगा। किसानों की सहायता के लिए विभिन्न जलवायु तत्त्व, जैसे—वर्षा जल की उपलब्धता एवं मिट्टी की उर्वरक दशा पर डाटा बेस तैयार करना, भूमि उपयोग प्रबंधन, कृषि कार्य तथा लोक स्वास्थ्य हेतु डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली तथा कृषि विस्तार एवं अन्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के क्षेत्र में शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु मल्टीमीडिया सुविधा प्रदान करेगी। राज्य सरकार बी.एस.एन.एल. के साथ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेगी। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से सभी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस डाटाबेस को राज्य में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बाँटा जाएगा। इस संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति की योजना अगले 3 वर्षों में 1 लाख रोजगार योग्य युवाओं को आई.टी. के क्षेत्र में उपलब्ध कराने की है, साथ ही अगले 3 वर्षों में इससे 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे।

व्यापार एवं सामाजिक आधारभूत संरचना सुधार प्रौद्योगिकी नीति

आधारभूत संरचना की समुचित उपलब्धता व्यापारिक गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु दूसरा जरूरी तत्त्व है। इन जरूरतों को पूरा करने हेतु बिहार में व्यापारिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण निवेश की

आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवा उद्योग के परिप्रेक्ष्य में व्यापारिक गतिविधियों हेतु मुख्य बुनियादी आवश्यकताओं में संचार, विश्वस्तरीय कार्यालयों हेतु समुचित स्थान, जहाँ नियमित बिजली, पानी की व्यवस्था हो तथा जो वायुमार्ग से जुड़ा हो, आवश्यक तत्व हैं। अन्य तत्वों में घरेलू रियल एस्टेट, रिटेल एवं हॉस्पिटैलिटी आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य योजनाएँ संचालित की जाएँगी—

1. **वायुमार्ग संपर्क**—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवाओं को अनुकूल बनाने हेतु वायुमार्ग संपर्क अति आवश्यक है। पटना एवं गया का संपर्क राष्ट्रीय और विश्व के चुने हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से बढ़ाया जाएगा। देश के विभिन्न शहरों के बीच निजी कंपनियों द्वारा एयर टैक्सी के संचालन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. **सड़क संपर्क**—हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को सूचना प्रौद्योगिकी पार्क से जोड़ने हेतु संपर्क सड़क का निर्माण किया जाएगा, ताकि अल्प समय में पहुँचा जा सके। सड़क नेटवर्क के विकास करने हेतु मूल्यवर्धित सेवा, जैसे—अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, होटल, रेस्तराँ, पेट्रोल पंप, आकस्मिक सेवा इत्यादि भी विकसित की जाएगी।

3. **विद्युत आपूर्ति**—सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नई विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देकर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। वैसी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयाँ, जो अपना कैप्टिव पावर प्लांट विकसित करेंगी, उन्हें सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. **विश्वसनीय संप्रेषण लिंक**—राज्य सरकार सभी सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों हेतु विश्वसनीय टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को उच्च शक्ति का टेलीकॉम संप्रेषण लिंक लगाने हेतु प्रोत्साहित करेगी। चुने हुए स्थानों में वेस्ट स्टेशन तथा नेटवर्क उपक्रम लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्टिक फाइबर बिछाने तथा टावर लगाने के सही तरीके सुनिश्चित करने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित की जाएगी।

5. **घरेलू रियल एस्टेट**—निजी क्षेत्रों को उच्च कोटि का आवासीय परिसर निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें पर्याप्त खुली जगह, खेल का मैदान तथा पार्किंग उपलब्ध हों। सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों के आस-पास कर्मचारियों एवं उनके परिवार के रहने हेतु घरेलू इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

6. **रिटेल एवं मनोरंजन हेतु केंद्र**—बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, कैफे, आधुनिक रेस्तराँ, आधुनिक सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स खोलने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये सुविधाएँ सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के कर्मचारियों की मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने हेतु होंगी।

बिहार विज्ञापन नीति, 2016

बिहार कार्यपालिका नियमावली तथा बिहार विज्ञापन नीति, 2008 में विद्यमान विज्ञापन नीति के उपबंधों एवं नियमों को अवक्रमित करते हुए सूचना एवं जन-संपर्क बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 को दिनांक 12.09.2016 को लागू किया गया।

सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थापना एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने संबंधी कार्यक्रमों का विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जाना, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सोसाइटी/एजेंसी गठित कर नवीन तकनीक के माध्यम से दायित्वों का निर्वहन करना, विज्ञापनों को लक्षित वर्ग तक प्रभावकारी ढंग से पहुँचाना, सरकारी विज्ञापनों हेतु पात्रता निर्धारित करना आदि इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं।

इस नीति में प्रेस और पुस्तक अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत समाचार-पत्र, समाचार-पत्र के रूप में परिभाषित है। डी.ए.वी.पी. का अर्थ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय है। नीति में विज्ञापन से अभिप्रेत है सूचना एवं जनसंपर्क द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों एवं सरकारी उपक्रमों से प्राप्त होनेवाला विज्ञापन, कार्यक्रम एवं उपलब्धि के लोक शिक्षण एवं लोक संवाद संबंधी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार/जगरूकता/अभियान से संबंधित विज्ञापन सामग्री का निर्माण एवं विभिन्न माध्यमों से प्रचार कार्य। वर्गीकृत विज्ञापन का अर्थ नियुक्ति, निविदा, नीलामी, नोटिस एवं अन्य घोषणाएँ, जो एक विशेष शीर्षक के तहत समाचार-पत्रों में प्रकाशित हों।

इस नीति के अनुसार सरकारी विज्ञापन का निर्गम समाचार-पत्र, पत्रिका तथा अन्य विभिन्न माध्यमों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। किसी समाचार-पत्र द्वारा जान-बूझकर गलत सूचना देने, प्रकाशन में अनियमितता बरतने, शीर्षक में परिवर्तन करने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के विज्ञापन को दो या दो से अधिक बार प्रकाशित नहीं करने की स्थिति में विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर उसे विभाग द्वारा 12 महीने तक के लिए तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा सकेगा।

निर्धारित पात्रता रखनेवाले प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों को स्वीकृत सूची में शामिल करने हेतु एक विज्ञापन प्राधिकृत समिति होगी, जो आवश्यकता, व्यावहारिकता एवं राज्यहित को ध्यान में रखते हुए आवेदन देनेवाले विभिन्न माध्यमों की स्वीकृत सूची में सूचीबद्ध करने हेतु अनुशंसा कर सकेगी। प्रचार-प्रसार के माध्यमों के लिए दर निर्धारण करने हेतु एक दर निर्धारण समिति होगी, जो विज्ञापन के लक्षित वर्ग तक पहुँच, प्राथमिकता, आवश्यकता, उद्देश्यों की प्राप्ति एवं डी.ए.वी.पी. दर आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यहित एवं लोकहित में दर निर्धारण की अनुशंसा करेगी। निर्धारित विभागीय दर अधिकतम 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा। इस समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होंगे।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ग्लोबल विज्ञापन देने हेतु विज्ञापन सामग्री को निमित्त समाचार-पत्र को 40 दिन पूर्व सुलभ कराया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्गत आदेश में अंकित तिथि को विज्ञापन का प्रकाशन करना होगा। विज्ञापन सामग्री प्राप्ति के बाद विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन हेतु समाचार-पत्रों का चयन किया जाएगा। विज्ञापन की इस नीति का सम्यक् क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विज्ञापन नियमावली बना सकेगा।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011

राज्य की आम जनता को नियत समय-सीमा के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'बिहार लोक सेवाओं' का अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को एक निश्चित समय में सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। लोक सेवकों को सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए अधिनियम में समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र आदि को आसानी से उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है।

अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के लिए समर्पित किए गए किसी आवेदन के अधीन आवेदन माना जाएगा तथा दिए गए आवेदन के आलोक में निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उचित कार्रवाई लोक सेवकों के द्वारा की जाएगी। लोक सेवक आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन आवेदन की अस्वीकृति की दशा में कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा-5 की उप-धारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के 30 दिनों के अंदर या नियत समय सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था। अपीलीय प्राधिकार अपील को नामंजूर कर सकता है या लोक सेवक को सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उस पर दंड भी आरोपित कर सकता है।

अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से यदि अपीलकर्ता संतुष्ट न हो तो वह आदेश किए जाने की तिथि से 60 दिनों के अंदर पुनरावलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा। पुनरावलोकन प्राधिकार 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी द्वितीय अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था। किसी अपील का विनिश्चय करते समय अपीलीय प्राधिकार तथा पुनरावलोकन प्राधिकार को लोक सेवकों एवं अपीलकर्ता की सुनवाई के मामले में वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय किसी सिविल कोर्ट को होती हैं।

जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नाम निर्दिष्ट लोक सेवक बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहा या विलंब से सेवा उपलब्ध कराई हो, तो वह अधिनियम की निर्धारित दर से दंड का आरोपी होगा। दंड अधिरोपित लोक सेवक को सुनवाई का या अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा। जहाँ पुनरावलोकन प्राधिकार की राय हो कि अपीलीय प्राधिकार बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, नियत समय-सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह अपीलीय प्राधिकार पर समय-समय पर विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार पर कोई दंड अधिरोपित किए जाने के पूर्व अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010

कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों में उपयोग के लिए तथा उससे संबद्ध एवं अनुषंगी मामलों को विनियमित करने हेतु बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 15 धाराएँ हैं। यह अधिनियम बिहार म्यूनिसिपल अधिनियम,

2007 या उसके किसी भाग के तहत नगर क्षेत्र के रूप में गठित या कैटोनमेंट के तहत पड़नेवाले किसी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण बिहार राज्य में विस्तारित होगा। इस अधिनियम का विस्तार वही होगा जैसा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में उपबंधित है, अर्थात् यह अधिनियम किसी हद तक कृषि भूमि समाहित करते हुए ऐसे क्षेत्रफल पर लागू नहीं होगा, जिसे मास्टर प्लान के प्रकाशन के द्वारा या अन्य किसी विधि से व्यावसायिक, औद्योगिक या नगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

इस अधिनियम के अंतर्गत समाहर्ता एवं सक्षम प्राधिकार को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 'समाहर्ता' से तात्पर्य है जिला समाहर्ता, जिसकी अधिकारिता में संपरिवर्तन के लिए आवेदित कृषि भूमि अवस्थित है तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन जिला समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग तथा कृतियों का अनुपालन करनेवाली सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित है। 'सक्षम प्राधिकार' से अभिप्रेत है अनुमंडल पदाधिकारी, जिसकी अधिकारिता में संबंधित कृषि भूमि या उसका भाग अवस्थित हो। अनुमंडल पदाधिकारी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित भूमि के संबंध में कृषि प्रयोजन से गैर-कृषि प्रयोजन में भूमि के उपयोग के लिए आदेश देने के लिए सक्षम होंगे। अधिनियम में 'बाजार मूल्य से अभिप्रेत भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अधीन समाहर्ता द्वारा यथा अवधारित कृषि भूमि के मूल्य से है।

अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना राज्य में कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग नहीं किया जाएगा। गैर-कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के ऐसे संपरिवर्तन के लिए आवेदन धारा-4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट संपरिवर्तन फीस सहित विहित प्रपत्र में दिया जाएगा। संपरिवर्तन के लिए आवेदित अनुमति आवेदन प्राप्त होने की तिथि या अंतर राशि की प्राप्ति की तिथि, जो बाद में हो, के नब्बे दिनों के अंदर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा पूर्णतः या अंशतः या तो निर्गत की जाएगी अथवा अस्वीकृत की जाएगी, परंतु ऐसे आवेदनों की अस्वीकृत करने की स्थिति में अस्वीकृत के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा-8 के तहत कतिपय भूमि एवं भूमि उपयोग में संपरिवर्तन की अनुमति अनपेक्षित होगी, जो निम्न है—

(क) राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि।

(ख) स्थानीय प्राधिकार के स्वामित्व की भूमि, जिनका उपयोग सामुदायिक प्रयोजनों के लिए हो रहा हो, जब तक उनका व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो।

(ग) धार्मिक, सामाजिक एवं दातव्य प्रयोजनों से उपयोग में लाई जानेवाली भूमि, जब तक व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो।

(घ) एक एकड़ से कम पारंपरिक पेशायुक्त सूक्ष्म गृह उद्योग के लिए उपयोग में लाई गई भूमि।

(ङ) छोटी दुकानों के लिए उपयोग में लाई जानेवाली 5 सौ वर्ग फीट से कम भूमि।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रयोजनों के उपयोग में लाई गई भूमि।

(छ) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-23 (2) में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग।

इस अधिनियम में अपील एवं पुनरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के 60 दिनों के अंदर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपीलार्थी आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश के तीस दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण मामला दायर किया जा सकता है। इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार समय-समय पर अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है। बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों

के लिए संपरिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 विधेयक पारित किया गया। जिसे राज्यपाल ने 25 दिसंबर, 2012 को अनुमति प्रदान कर अधिनियमित किया। इस संशोधन अधिनियम के तहत बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-8 के खंड (छह) के बाद संशोधन कर एक नया खंड (ज) जोड़ा गया, जिसमें सौर ऊर्जा के लिए उपयोग की भूमि को संपरिवर्तन की अनुमति अनपेक्षित करने का प्रावधान किया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015

राज्य की जनता को निश्चित समय-सीमा के अंदर लोक शिकायतों के निवारण का अधिकार एवं उनसे सशक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु इस अधिनियम को 28 अगस्त, 2015 को लागू किया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा इस नीति से समय-समय पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकार, राज्य प्राधिकार तथा नियत समय सीमा को अधिसूचित किया जा सकेगा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन दायर किए गए किसी परिवाद की सुनवाई का अवसर पक्षकारों को नियत समय सीमा के अंदर देगा। जनता की शिकायत का प्रभावी तरीके से निराकरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं संबंधित केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो, या जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, नियत समय-सीमा की समाप्ति से या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, लेकिन प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों की कालावधि की अपील ग्रहण कर सकेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकार एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई एवं निराकरण का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकार प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के अंदर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी, लेकिन द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ज्यादा-से-ज्यादा 45 दिनों की कालावधि की अपील ग्रहण कर सकेगा।

कोई व्यथित व्यक्ति सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियत समय-सीमा के अंदर आदेश का पालन नहीं करता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एक निर्दिष्ट समयावधि (ज्यादा-से-ज्यादा 30 दिन) के अंदर परिवादी को सुनवाई एवं निराकरण का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित होकर नियत समय अवधि (60 दिन) के अंदर राज्य सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकार के समक्ष उस आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकार ज्यादा से ज्यादा 75 दिनों की कालावधि के आवेदन को ग्रहण करेगा।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के संगत कोई कार्यवाई कर सकेगी, लेकिन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश जारी करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, 2 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया है।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी मदों अथवा वस्तुओं अथवा रासायनिक घटक, जो अल्कोहल के प्रतिस्थानी के तौर पर प्रयुक्त हो सकता है, को मादक द्रव्य घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार की अधिसूचना से उत्पाद आयुक्त की नियुक्ति हो सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा। जिले का कलेक्टर अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में पूर्ण मद्यनिषेध और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने और इस अधिनियम के प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। जिले में पुलिस अधीक्षक पूर्ण मद्यनिषेध सुनिश्चित करने में कलेक्टर की सहायता करेगा।

कोई व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा, परंतु राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी शराब या मादक द्रव्यों को बनाने, सम्मिश्रित करने, मिश्रण करने, बोतलबंदी करने, भंडारित करने, आयात करने और निर्यात करने की मौजूदा अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने की अनुमति दे सकेगी। राज्य सरकार किसी उत्पाद शुल्क योग्य मादक द्रव्य वस्तुओं अथवा अंतिम उत्पादों को ढोनेवाले वाहनों पर समुचित प्रतिबंध लगा सकेगी।

बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, 2 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया है।

जो कोई इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी स्थान में शराब अथवा मादक द्रव्य का उपयोग करता है या नशे में अथवा मदहोश की अवस्था में पाया जाता है, उसको कम-से-कम पाँच वर्षों का कारावास, जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माना, जो कम-से-कम एक लाख रुपए का होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। कोई इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी स्थान में शराब पीकर और नशे की अवस्था में किसी स्थान पर उपद्रव करता है, जिसमें उसका अपना घर एवं परिसर शामिल है, या नशे की अनुमति देता है, या अपने स्वयं के घर अथवा परिसर में नशेड़ियों को जमा होने की अनुमति देता है, को कम-से-कम दस वर्षों का कारावास, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकेगा और जुर्माने जो कम-से-कम एक लाख रुपए का होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

यदि कोई रसायनज्ञ, औषधि विक्रेता, भैषजिक अथवा औषधालय का रक्षक किसी व्यक्ति को अपने कारोबारी परिसर में राज्य सरकार द्वारा घोषित मादक द्रव्यों को औषधीय प्रयोजनों के लिए, जो प्रामाणिक रूप से औषधीय गुणों से युक्त नहीं है, के उपभोग की अनुमति देता है, तो वह कम-से-कम आठ वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने, जो कम-से-कम एक लाख रुपए तक होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

कोई मीडिया, जिसमें फिल्म एवं टेलीविजन शामिल है अथवा किसी सामाजिक मंच से कोई प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करनेवाली किसी चीज का मुद्रण करता है, प्रकाशित करता है, अथवा विज्ञापन देता है तो वह कम-से-कम तीन वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर पाँच वर्षों

तक किया सकेगा अथवा जुर्माने से जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए किया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते समय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी स्थान पर विक्रित शराब के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति हुई है तो वह विनिर्माता अथवा विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम-से-कम चार लाख रुपए अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को दो लाख रुपए अथवा किसी अन्य पारिणामिक चोट खानेवाले व्यक्ति को बीस हजार रुपए भुगतान करने का आदेश देगा।

इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत अथवा निर्गत अनुज्ञप्ति अथवा परमिट का धारक होने पर अथवा ऐसे धारक के नियोजन में रहने पर अगर किसी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा परमिट के कागजात माँग किए जाने पर परमिट प्रस्तुत करने में असफल हो या परमिट की शर्तों का उल्लंघन करता हो, को कम-से-कम एक लाख रुपए के जुर्माने, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। अगर अपने परिसरों के निरीक्षण के दौरान सहयोग नहीं करता हो अथवा विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हो तो जुर्माने के रूप में कम-से-कम एक लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। दंड न देने की स्थिति में प्रतिदिन उत्तरवर्ती विलंब के लिए दस हजार रुपए प्रतिदिन ज्यादा जुर्माना देय होगा।

कोई व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क व्यक्ति अथवा किसी महिला को शराब अथवा कोई मादक द्रव्य को छुपाने, बिक्री करने, रखने, परिवहन करने अथवा वितरण करने के प्रयोजन से नियोजित करता है तो वह कम-से-कम दस वर्षों के कारावास से, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकेगा तथा जुर्माने से जो कम-से-कम एक लाख रुपए होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए तक किया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति अठारह वर्ष से कम के किसी अवयस्क या किसी महिला को किसी मादक द्रव्य अथवा शराब को कब्जे में रखने, भंडारित करने, वितरित करने, विक्रय करने, क्रय करने, परिवहन करने अथवा उपभोग करने के लिए धमकाता है, फुसलाता है, प्रलोभन देता है अथवा बढ़ावा देता है अथवा धमकाने, फुसलाने, प्रलोभन देने अथवा बढ़ावा देने की चेष्टा करता है, वह कम-से-कम आठ वर्षों के कारावास से, जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम-से-कम एक लाख रुपए होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

कोई व्यक्ति, जो किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी अथवा अपने सरकारी कर्तव्य के निष्पादन में लगे किसी अन्य पदाधिकारी पर हमला करता है अथवा हमला करने की धमकी देता है अथवा बाधा उत्पन्न करता है अथवा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो वह कम-से-कम आठ वर्षों के कारावास से, जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से जो कम-से-कम एक लाख रुपए होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपए किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

यदि कोई उत्पाद पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति शक करने के समुचित आधार के बिना परेशान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के उपयोग का बहाना बनाकर किसी बंद स्थल में प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश कराता है या तलाशी कराता है तो वह कारावास का भागी होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माना, जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों का भागी होगा।

यदि कलेक्टर को किसी उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या अन्यथा के प्रतिवेदन से समाधान हो जाता है कि कोई गाँव या शहर विशेष या किसी गाँव या शहर के किसी भीतर का इलाका या उस गाँव या शहर में रह

रहा कोई समूह/समुदाय विशेष इस अधिनियम के उपबंधों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है, तब कलेक्टर आदेश द्वारा ऐसे इलाके में रहनेवाले ऐसे जनसमूह पर यथोचित सामूहिक जुर्माना लगा सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार यदि लोकहित में आवश्यक समझती है तो इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों या उनमें से किसी अपराध पर विचारण के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे। इस धारा के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, इसके निर्गत होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

□

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

34. आर्थिक सर्वेक्षण : 2016-17

(Economic Survey : 2016-17)

बिहार सरकार ने 26 फरवरी, 2016 को विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 प्रस्तुत किया, इसके अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में निरंतरता, वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य की वार्षिक वृद्धि दर 10.52 प्रतिशत रही। यह वार्षिक वृद्धि देश के सभी प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है। वर्तमान दशक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन और सरकार के नीतिगत पहलुओं के मुख्य बिंदुओं तथा अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से लेकर मध्यावधि संभावनाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था के अवलोकन संबंधी आरंभिक अध्याय के अलावा इस सर्वेक्षण में 9 और अध्याय हैं—राज्य की वित्त व्यवस्था, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, अधिसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बैंकिंग सहवर्ती क्षेत्र तथा मानव विकास।

बिहार की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक परिवर्तन हुए हैं। राज्य ने जहाँ अपने राजकोषीय दायित्वों को पूरा किया है, वहीं विकास संबंधी गतिविधियों को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

बिहार में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हर वर्ष औसतन 995 मिलीमीटर वर्षा होती है। वर्ष 2001 से 2015 के बीच में वार्षिक वर्षापात 2010 के 678 मिलीमीटर से लेकर 2007 के 1506 मिलीमीटर के बीच रहा है। यहाँ लगभग 85 प्रतिशत वर्षापात दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। राज्य की औसत वर्षा कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त होती है। हालाँकि वर्षापात में साल-दर-साल परिवर्तन होने के कारण बाढ़ एवं सूखा की समस्या भी उत्पन्न होती है। अन्य राज्यों की तुलना में कृषि भूमि का प्रयोग ज्यादा होता है। खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल हाल के वर्षों में कमी के बावजूद 90 प्रतिशत से अधिक है। बिहार में अनाजों का कुल उत्पादन 140.9 लाख टन अनुमानित है। बिहार में धान का 68.0 लाख टन, गेहूँ का 47.4 लाख टन, मक्का का 25.2 लाख टन, दलहन का 4.2 लाख टन, तिलहन का 1.3 लाख टन, रेशेदार फसलों का 16.3 लाख टन और गन्ने का 119.1 लाख टन होता है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र है, जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार और आय का अवसर उपलब्ध कराता है। दूध का उत्पादन 2011-12 के 66.25 लाख टन से बढ़कर 2015-16 में 82.88 लाख टन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.1 प्रतिशत की वृद्धि है। अंडों के उत्पादन में 2011-12 की तुलना में 32.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मछली का उत्पादन 2004-05 के 2.67 लाख टन से बढ़कर 5.07 लाख टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया।

उद्यमिता क्षेत्र

बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था का विकास जहाँ 7.6 प्रतिशत की दर से हुआ, वहीं द्वितीयक क्षेत्र का

विकास 8.4 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का विकास 10.4 प्रतिशत की दर से हुआ।

किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास उद्यम क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था का विकास जहाँ 7.6 प्रतिशत की दर से हुआ, वहीं द्वितीयक क्षेत्र का विकास 8.4 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का विकास 10.4 प्रतिशत की दर से हुआ। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत के औद्योगिक क्षेत्र की तरह ही पर्याप्त मात्रा में असमानता पाई जाती है और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा क्षेत्र में असमानता मौजूद है। राज्य में 2013 में 17.07 लाख आर्थिक उद्यमी थे, जिनकी संख्या 2005 में 12.25 लाख थी। यह 2005 की तुलना में 39.4 प्रतिशत की वृद्धि को चिह्नित करता है। बिहार में कृषि-आधारित उद्योगों में अनाज-आधारित उद्योगों की बहुलता है। वर्ष 2015-16 में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या 399 थी, जिनमें से 266 अर्थात् 66.7 प्रतिशत चालू थे। अगस्त 2016 तक कुछ और उद्योगों के शुरू होने से उनकी संख्या 407 हो गई, जिनमें से 278 अर्थात् 68.3 प्रतिशत चालू थे। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुल 48.4 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त है।

बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 2014-15 में 18.4 हजार थी, जो 6.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2015-16 में बढ़कर 19.5 हजार हो गई। दूध की कुल दैनिक खरीद में 5 वर्षों के दौरान 13.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार वृद्धि दर्ज हुई।

बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के कारण राज्य में पर्यटन की काफी अच्छी संभावना है। वर्ष 2015 में 28.95 लाख पर्यटक बिहार में आए, जिनमें से 9.23 लाख पर्यटक विदेशी थे। बिहार आनेवाले पर्यटकों की संख्या स्थिर बनी हुई है, परंतु इसे काफी बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2011 से 2015 के बीच घरेलू पर्यटकों की संख्या में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है।

बिहार में 3 लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती होती है, जो कृषि कार्य हेतु प्रयोग में की गई भूमि का 6 प्रतिशत है। बिहार में 9 चीनी मिल की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई और 2 नई चीनी मिल को बिहार राज्य शुगर कॉरपोरेशन ने HPCL को 2011 में दीर्घावधि के लिए पट्टे पर प्रदान की है। 2015-16 में 515 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई और 50 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ।

राज्य सरकार ने 15 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 को बनाया है, जिससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्य-नीति है—आधारभूत संरचना का विकास, आधारभूत क्षेत्रों में उच्च स्तर की तकनीक का प्रयोग, आधुनिक संरचनात्मक प्रोत्साहन सुविधा, क्षेत्रीय संतुलित विकास एवं कौशल विकास।

आधारभूत संरचना

बिहार में आधारभूत संरचना का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। सड़कों और पुलों के निवेश में वृद्धि की गई है। सड़क क्षेत्र पर निवेश 2007-08 के 2,696 करोड़ रुपये से तिगुना बढ़ाकर 2016-17 में 7,696 करोड़ रुपये हो गया है, जो 10 प्रतिशत से भी अधिक वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। वर्ष 2015-16 में सड़कों पर व्यय तथा राज्य सरकार की आर्थिक सेवाओं पर व्यय में 16.4 प्रतिशत, विकासमूलक व्यय में 7.7 प्रतिशत और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत हिस्सा था। बिहार में वर्ष 2016 तक 40 राष्ट्रीय उच्च

पथ थे, जिनकी कुल लंबाई 4,621 किलोमीटर है। इसमें से 72.4 प्रतिशत हिस्सा दो या दो से अधिक लेनवाली सड़कों का है। बिहार में राज्य उच्च पथों की कुल लंबाई 4,253 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 67.8 प्रतिशत दो लेनवाले, 13.5 प्रतिशत मध्यवर्ती लेनवाले और 18.2 प्रतिशत एक लेनवाले थे।

राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 11,054 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 54 प्रतिशत एक लेनवाले हैं। ग्रामीण संपर्क पथ का निर्माण वर्ष 2016 में 60,503 किलोमीटर किया गया, जिस पर 31,589 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत कुल 1068 ब्रिज का निर्माण पिछले दशक में किया गया। इसके अलावा 583 बृहत बड़े एवं लघु स्तर के ब्रिज का निर्माण अन्य योजनाओं के माध्यम से किया गया। बृहत ब्रिज का निर्माण सोन नदी पर अरवल और शहार (भोजपुर) के बीच, गंडक नदी पर गोपालगंज और बेतिया के बीच, गंडक नदी पर ही धनहा और रतवल के बीच, पश्चिमी चंपारण में, कोसी नदी पर विजयघाट नवगछिया, भागलपुर में, छह लेन का पुल फल्गु नदी पर गया में, फलाई ओवर शेखपुरा से जगदेव पथ, पटना में, चिरैयाटाँड़ से गांधी मैदान तक, पटना में किया गया।

बिहार में राज्य उच्च पथों की कुल लंबाई 4,253 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 67.8 प्रतिशत दो लेनवाले, 13.5 प्रतिशत मध्यवर्ती लेनवाले और 18.2 प्रतिशत एक लेनवाले थे।

राज्य में निबंधित मोटर वाहनों की संख्या पिछले पाँच वर्षों (2010-15) में तेजी से 15.4 प्रतिशत तक की वार्षिक दर से बढ़ी है। निबंधित मोटर वाहनों की संख्या के दृष्टिकोण से बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे तीव्र वृद्धिवाला राज्य है। बिहार में दूरसंचार क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हुआ है। टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2001 के 9.7 लाख से असाधारण रूप से बढ़कर 2016 में 748 लाख हो गई। वर्तमान वर्षों में बिहार में दूरभाष घनत्व 2001 के 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 54.3 प्रतिशत हो गया।

बिहार में सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जिसमें बृहत, मध्यम और लघु सिंचाई सम्मिलित है। सृजित सिंचाई क्षमता 68.90 लाख हेक्टेयर है, जो अधिकतम सिंचाई क्षमता का 58.6 प्रतिशत है। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 56.66 लाख हेक्टेयर है, जो सृजित सिंचाई क्षमता का 82.2 प्रतिशत है और अधिकतम सिंचाई क्षमता का 48.2 प्रतिशत है।

हवाई यातायात सेवा किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्ष 2010-11 तक हवाई यातायात की संख्या 9,547 थी, जो बढ़कर 2015-16 में 18,744 हो गई। यात्रियों की संख्या 2010-11 के 8.39 लाख से बढ़कर 2015-16 में 15.9 लाख हो गई। वहीं हवाई यातायात ढुलाई 2004-05 के 3.2 हजार टन से बढ़कर 2015-16 में 4.41 हजार टन हो गया। बिहार में डाकघर सेवा का बृहत नेटवर्क उपलब्ध है। मार्च, 2015 तक 9,067 डाकघर थे, जिसमें से 8,591 डाकघर अर्थात् 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 476 अर्थात् 5 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। अखिल भारतीय डाकघर सेवा में बिहार का शेयर 6.2 प्रतिशत है।

ऊर्जा क्षेत्र

बिहार में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2011-12 के 1712 मेगावाट से बढ़कर 2016-17 में 3769 मेगावाट हो गया, जो पिछले 6 वर्षों में लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि को सूचित करता है। वर्ष 2012-13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी बरकरार रही थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर लगभग 16 प्रतिशत हो गई, जिसके कारण बिजली की उपलब्धता 6-8 घंटे से बढ़कर 14-16 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10-12 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे शहरी क्षेत्र में हो गई। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 2012-13 के 145 किलोवाट प्रति घंटे से

बढ़कर 2015-16 में 258 किलोवाट प्रति घंटे हो गई। यह पिछले तीन वर्षों में 78 प्रतिशत की वृद्धि को प्रकट करती है। बिहार में परंपरागत ऊर्जा से 5418 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा अपरंपरागत क्षेत्र से 171 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसे बढ़कार 2018-19 में 8,925 मेगावाट करने का लक्ष्य है, जिसमें 8,220 मेगावाट परंपरागत क्षेत्र से, 705 मेगावाट अपरंपरागत क्षेत्र से करने का लक्ष्य है। बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद 2011-12 की 1196.6 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2015-16 में 2167.7 करोड़ यूनिट हो गई। बिजली की खरीद बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। लागत वसूली 2011-12 के 70 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 91 प्रतिशत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटा 31 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत पर आ गया।

बिहार में परंपरागत ऊर्जा से 5418 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा अपरंपरागत क्षेत्र से 171 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसे बढ़कार 2018-19 में 8,925 मेगावाट करने का लक्ष्य है

राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण के तहत कुल 23,757 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, जबकि लक्ष्य 24,771 गाँवों के विद्युतीकरण का था।

ग्रामीण विकास

बिहार में गरीबी अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, परंतु वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच गरीबी अनुपात में 20.7 प्रतिशत की कमी हुई है, जहाँ 2004-05 में 54.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत हो गया। यह बिहार के लिए उत्साहवर्धक है, साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में 21.6 प्रतिशत की कमी आई, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह कमी 12.5 प्रतिशत की थी। जीविका के माध्यम से गरीबी निवारण को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। 'जीविका' के माध्यम से अक्टूबर 2016 तक 70.98 लाख परिवारों के 5.57 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। राज्य में 32,423 ग्राम संगठनों और 365 संकुल स्तरीय संघों का गठन किया गया। इसी अवधि में 3.03 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा गया और बैंकों के माध्यम से 2113 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने में सफल हुए।

मनरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रम करनेवाले वयस्क सदस्योंवाले ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण श्रमिकों की जीविका संबंधी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में कुल 683.7 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजन हुआ।

गरीबी को दूर करने में जनवितरण प्रणाली एक प्रमुख साधन है, जो राज्य के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बिहार में वर्ष 2016 तक 42,059 जनवितरण प्रणाली के दुकानदार थे। इन दुकानदारों में सभी सामाजिक समूहों का हिस्सा रहा है, जिसमें पिछड़ी जातियाँ 29.3 प्रतिशत, सामान्य जातियाँ 19.4 प्रतिशत, अनुसूचित जातियाँ 16.4 प्रतिशत और पूर्व सैनिक 10.6 प्रतिशत हैं।

नगर विकास

राज्य सरकार हाल के वर्षों में नगर विकास पर पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। वर्ष 2015-16 में आवास पर राज्य सरकार का कुल व्यय 3,134 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2010-11 में 1,290 करोड़ रुपए अर्थात् 2010-11 की तुलना में 2015-16 में नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार ने 21.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की। राज्य सरकार राज्य के 28 सबसे बड़े नगरों-शहरों की नगरपालिकाओं की वित्त व्यवस्था के आँकड़े संगृहीत कर रही है।

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र का विकास किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्यकता है। बिहार में मार्च, 2016 तक व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाएँ 6,661 थीं, जिसमें से 55 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। जून, 2016 तक देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा मात्र 4.8 प्रतिशत था, जबकि देश की जनसंख्या में राज्य का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है। बिहार में कुल जमा राशि में 2013-14 की तुलना में 2014-15 में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 26,376 करोड़ रुपया है, परंतु देश के कुल बैंक ऋण में बिहार का हिस्सा लगभग 1 प्रतिशत है, जो काफी निम्न स्तर का है। बिहार में वर्ष 2016 में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 41.7 प्रतिशत है, जो 2011-12 में 36.7 प्रतिशत था। राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में प्राथमिकतावाले क्षेत्रों के अग्रिमों का हिस्सा 76 प्रतिशत था। इन कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा 52 प्रतिशत था। 2015-16 में कुल वितरित ऋण में कृषि का हिस्सा 52 प्रतिशत था, वहीं लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा मात्र 16 प्रतिशत था।

मानव विकास

मानव विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार ने विकास व्यय में तीव्र वृद्धि की है। अपने कुल व्यय का 35 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर व्यय कर रही है। हालाँकि बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय 16.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर व्यय 17.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सरकारी अस्पतालों में पहुँचनेवाले रोगियों की औसत मासिक संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि बेहतर आधारभूत संरचना सुविधाओं के कारण संभव हुई है। संस्थागत प्रसवों की संख्या 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। बिहार में साक्षरता दर वर्ष 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों में 3.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

रोजगार के अवसरों के विकास और राज्य सरकार के साते में से एक निश्चय 'आर्थिक हल युवाओं का बल' का लक्ष्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर, 2016 को कौशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। कौशल विकास की गुंजाइश बढ़ाने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 149 पाठ्यक्रम चुने गए हैं और राज्य सरकार के 15 विभागों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजकीय वित्त व्यवस्था

बिहार में वर्ष 2016 तक 42,059 जनवितरण प्रणाली के दुकानदार थे। इन दुकानदारों में सभी सामाजिक समूहों का हिस्सा रहा है, जिसमें पिछड़ी जातियाँ 29.3 प्रतिशत, सामान्य जातियाँ 19.4 प्रतिशत, अनुसूचित जातियाँ 16.4 प्रतिशत और पूर्व सैनिक 10.6 प्रतिशत हैं।

बिहार सरकार की राजकोषीय प्रबंधन नीतियों के सफल संचालन के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष 2011-12 के 4,820 करोड़ रुपए से बढ़कर 2015-16 में 12,507 करोड़ रुपए हो गया है। यह पूर्व के सभी वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। इसके कारण राज्य सरकार के लिए पूँजीगत व्यय में 5,800 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि करने की गुंजाइश बनी है। वर्ष 2015-16 में बकाया लोकऋण 88,829 करोड़ रुपया था, जो ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का 21.5 प्रतिशत है, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से नीचे है। राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात जो 2011-12 में 9.3 प्रतिशत था, वह घटकर 2015-16 में 8.5 प्रतिशत रह गया, परंतु 14वें वित्त आयोग द्वारा अधिकतम ऊपरी सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। वर्ष 2015-16 में

राजस्व व्यय में 2014-15 की तुलना में 11,046 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 2015-16 के राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं पर 4,230 करोड़ रुपया अर्थात् 38 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 5,251 करोड़ रुपया अर्थात् 48 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं पर 4,564 करोड़ रुपया अर्थात् 14 प्रतिशत व्यय किया गया। वर्ष 2015-16 में पूँजीगत परिव्यय सहित कुल विकासमूलक व्यय 78,077 करोड़ रुपए का था, जो 2014-15 के कुल व्यय का 68 प्रतिशत की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत है। राज्य सरकार राजस्व लेखा और पूँजीगत लेखा दोनों में विकास व्यय की उच्च वृद्धि दर बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक

क) सुस्थिरता (Sustainability)

सूचक—वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.)

2011-12 : — 9987

2012-13 : — 14128

2013-14 : — 16242

2014-15 : — 15484

2015-16 : — 26027

2016-17 BE : — 26984

सूचक : — ब्याज अनुपात (प्रतिशत)

2011-12 : — 9.13

2012-13 : — 8.67

2013-14 : — 9.26

2014-15 : — 9.82

2015-16 : — 8.57

2016-17 BE : — 8.67

सूचक : — सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की कर प्राप्ति उत्फुल्लता (Buoyancy)

2011-12 : — 1.3

2012-13 : — 2

2013-14 : — 1.9

2014-15 : — 0.2

2015-16 : — 2.1

2016-17 BE : — 1.2

सूचक : — सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्ति की उत्फुल्लता (Buoyancy)

2011-12 : — -0.5

2012-13 : — 1.9

2013-14 : — 2.9

2014-15 : — 0

2015-16 : — 3.8

2016-17 BE : — 0.6

सूचक : — बकाया ऋण में वृद्धि (प्रतिशत)

2011-12 : — 7.8

2012-13 : — 12.7

2013-14 : — 11.8

2014-15 : — 16

2015-16 : — 19.1

2016-17 BE : — 19.3

सूचक : — कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (प्रतिशत)

2011-12 : — 15.2

2012-13 : — 16.1

2013-14 : — 15.7

2014-15 : — 13.8

2015-16 : — 22.6

2016-17 BE : — 29.6

सूचक : — राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (प्रतिशत)

2011-12 : — 24.4

2012-13 : — 28.8

2013-14 : — 23.7

2014-15 : — 3.7

2015-16 : — 23.9

2016-17 BE : — 16.1

सूचक : — सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (प्रतिशत)

2011-12 : — 21.4

2012-13 : — 14.3

2013-14 : — 12.3

2014-15 : — 17.9

2015-16 : — 10.6

2016-17 BE : — 14

ख) लचीलापन (Flexibility)

सूचक : पूँजीगत अदायगी/पूँजीगत ऋणग्रहण (प्रतिशत)

2011-12 : 72.9

2012-13 : 54

2013-14 : 39.6

2014-15 : 28.6

2015-16 : 25.8

2016-17 BE : 21.9

सूचक : कुल का प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)

2011-12 : 16.4

2012-13 : 17.1

2013-14 : 17.3

2014-15 : 15.4

2015-16 : 18

2016-17 BE : 18.7

सूचक : पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्ति (प्रतिशत)

2011-12 : 133.1

2012-13 : 100.1

2013-14 : 141.1

2014-15 : 117.8

2015-16 : 130.2

2016-17 BE : 141.5

सूचक : राज्य की अपनी कर प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)

2011-12 : 5.1

2012-13 : 5.8

2013-14 : 6.3

2014-15 : 5.5

2015-16 : 6.2

2016-17 BE : 6.3

सूचक : राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)

2011-12 : 0.4

2012-13 : 0.4

2013-14 : 0.5

2014-15 : 0.4

2015-16 : 0.5

2016-17 BE : 0.5

सूचक : बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)

2011-12 : 20.63

2012-13 : 20.35

2013-14 : 20.27

2014-15 : 19.94

2015-16 : 21.48

2016-17 BE : 22.49

ग) सुभेद्यता (Vulnerability) सूचक : राजस्व घाटा (करोड़ रु.)

2011-12 : -4820

2012-13 : -5101

2013-14 : -6441

2014-15 : -5847

2015-16 : -12507

2016-17 BE : -14649

सूचक : राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)

2011-12 : 5915

2012-13 : 6545

2013-14 : 8352

2014-15 : 11179

2015-16 : 12062

2016-17 BE : 16014

सूचक : प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)

2011-12 : 1611

2012-13 : 2117

2013-14 : 2893

2014-15 : 5050

2015-16 : 4964

2016-17 BE : 7835

सूचक : प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)

2011-12 : 27.2

2012-13 : 32.3

2013-14 : 34.6

2014-15 : 45.2

2015-16 : 41.2

2016-17 BE : 48.9

सूचक : राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)

2011-12 : -81.5

2012-13 : -77.9

2013-14 : -77.1

2014-15 : -52.3

2015-16 : -103.7

2016-17 BE : -91.5



Downloaded From
http://t.me/Edu_Books
www.studymasterofficial.com

35. बजट : 2017-18

(Budget : 2017-18)

वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट विधानसभा में 27 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1951 से लागू योजना एवं गैर-योजना के अलग-अलग वर्गीकरण को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया गया है। फलतः राज्य सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना एवं गैर-योजना मद का विलय कर बजट लेखा कोड को राजस्व एवं पूँजीगत श्रेणी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार के व्यय का वर्गीकरण स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, राज्य स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम एवं केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में किया जाएगा।

बजट 2017-18 का दस्तावेज सिर्फ विभागों के स्तर पर किए गए चिंतन के आधार पर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें वित्त विभाग की वेबसाइट, समाचार-पत्रों और प्रमंडलीय स्तरों पर अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है। 4 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री के विचार-विमर्श एवं माननीय मुख्यमंत्री के बहुमूल्य सुझावों को शामिल कर बजट तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में विकास, गरीबी उन्मूलन तथा वित्तीय स्थायित्व को प्राथमिकता दी गई है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न हैं—

1. राज्य सरकार ने विगत 5 वर्षों में राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व आधिक्य 12,507.16 करोड़ रुपए रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन (GSDP) का 2.57 प्रतिशत है।
2. वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा 12,061.58 करोड़ रुपए रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन (GSDP) का 2.48 प्रतिशत था।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पादन (GSDP) का 23.92 प्रतिशत रहा।

राज्य सरकार ने महिलाओं को और अधिकार देने के लिए सेवा संवर्गों में उनके लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। सामाजिक एवं आर्थिक समन्वय का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अप्रैल, 2016 से राज्य में पूर्ण नशाबंदी लागू है। इसे लागू करने में सरकार से अधिक जनसहयोग की भूमिका है। नशाबंदी के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनके रहन-सहन, परिवार में सद्भाव, अपराध के आँकड़ों में उल्लेखनीय कमी तथा आपसी सौहार्द देखने को मिल रहा है।

पिछले वर्ष के बजट के कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में कई पहल (Initiatives) किए गए हैं—

1. राज्य सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इससे बुनकर व अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी संख्या में जीविका उपलब्ध कराई जा सकती है। विभिन्न जिलों में उत्पादन और विपणन सुविधाओं और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा।

2. अल्पसंख्यकबाहुल्य क्षेत्र में उनके जीविका से संबंधित स्थितियों में सुधार हेतु राज्य सरकार के द्वारा उन गाँवों में बहुक्षेत्रीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ये केंद्र अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक केंद्रों का भी कार्य करेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर होगी।

4. कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रभावकारी स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।

5. राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि 5 हजार से अधिक आबादी पर बैंकों की शाखाएँ खोली जाएँ, बैंकों की शाखाओं में वृद्धि की जाए, ताकि ऋण प्रदान करने में सुविधा हो। व्यापारियों, दुकानों, होटल, पेट्रोल पंप आदि में अभियान चलाकर P.O.S. (Point of Sale) समर्थ मशीनें लगाई जाएँगी, जिससे अप्रत्यक्ष कर की चोरी को रोका जा सके।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागवार विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की योजना है।

वित्त विभाग

वर्ष 2016-17 में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 540556 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2017-18 में 632180 करोड़ रुपया अनुमानित है। वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा GSDP का 2.48 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 में 2.87 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा GSDP का 2.87 प्रतिशत अनुमानित है, जो बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित अधिसीमा के अनुरूप है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रवृत्त है, जिसके अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा अधिकतम 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2014-15 में कुल सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का 24.62 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 23.92 प्रतिशत रह गया है।

Grow Bihar Project के तहत राज्य सरकार के कुल 8 विभागों को शामिल कर इनके विकास संसाधन, संभावना एवं परिसंपत्तियों के निर्माण पर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु DFID द्वारा राज्य सरकार से मिलकर यह परियोजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार तथा 'Bill and Melinda Gates Foundation' के बीच स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, समेकित बाल विकास परियोजना, कृषि, ग्रामीण विकास (जीविका) तथा वित्तीय समावेशन के प्रक्षेत्र में सहयोग हेतु वर्ष 2016-21 तक पारस्परिक सहयोग संबंधी ज्ञापन (Memorandum of Co-operation) एवं अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 के अंतर्गत बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (BIRSAC) को रिमोट सेंसिंग एवं GIS Services के क्षेत्र में नोडल एजेंसी एवं राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है। राज्य के 35 जिलों में कोषागार भवन का निर्माण कराया गया है तथा 2 जिलों भोजपुर एवं सीवान में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक इकाई में 41 नए अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई है। ऑडिट ऐक्ट एवं ऑडिट मैनुअल तैयार कर लिया गया है और संवर्गीय नियमावली अनुमोदन की प्रक्रिया में

है। वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आलोक में मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन की इकाई का पुनर्गठन आंतरिक अंकेक्षण निदेशालय के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के अंकेक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय समायोजन योजना अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएँ गाँवों में उपलब्ध कराने हेतु Banking Correspondent (BC)/Business Facilitator (BF) के 12916 एजेंट की बहाली की गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सचर कमेटी की सिफारिशों के आलोक में राज्य के अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2016 में उत्तीर्ण 1,23,129 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है तथा इस योजना अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक (बंगलाभाषी) छात्र-छात्राओं को भी मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई है। मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजनांतर्गत प्रत्येक मुस्लिम परित्यक्ता महिला लाभार्थी को एकमुश्त 10 हजार रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से अब तक कुल 12 हजार मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने एवं उद्यमीय तकनीकी कौशल के स्तर में सुधार के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है।

वर्ष 2012-13 से लागू 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना' के तहत बेरोजगार युवकों को 5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। वर्ष 2011-12 से लागू 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना' के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME, Tool Room and Training Center, Patna) भारत सरकार की संस्था द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 186 प्रशिक्षणार्थियों को 8 विभिन्न ट्रेडों में तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (CIPET) द्वारा 111 प्रशिक्षुओं को प्लास्टिक तकनीकी के 4 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेमेंड लिमिटेड कंपनी, पटना द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टेलरिंग कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सामाजिक एवं आर्थिक समन्वय का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण नशाबंदी लागू है। इसे लागू करने में सरकार से अधिक जनसहयोग की भूमिका है।

राज्य कोचिंग अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बैंक, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु पटना और अररिया केंद्रों पर 60-60 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में प्रखंड स्तर पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य उर्दू अकादमी, अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार, बिहार राज्य हज समिति, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्य कराए जा रहे हैं।

सुशासन के कार्यक्रम (वर्ष 2015-20) के अंतर्गत पूरी दृढ़ता एवं संकल्प के साथ सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाए रखना अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने का कार्य किया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना के पुनर्निर्माण हेतु 35.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा GSDP का 2.87 प्रतिशत अनुमानित है, जो बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित अधिसीमा के अनुरूप है।

केंद्र प्रायोजित बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (Multi Sectoral Development Programme-MSDP) योजनांतर्गत राज्य के चिह्नित 20 जिलों में 75 अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड एवं 8 शहर हैं। अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 612 इकाई निर्माण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इस योजनांतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों में 'सद्भाव मंडप' अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की जीविका संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए राज्य सरकार उन गाँवों में बहुक्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित कर रही है। ये केंद्र अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक केंद्र का भी काम करेंगे।

कृषि विभाग

कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2008 में पहली बार कृषि रोड मैप बनाया गया तथा वर्ष 2012-13 में 2012 से 2017 तक के लिए द्वितीय कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए श्रीविधि से धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु तथा सीमांत किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्र पैडी ट्रांसप्लान्टर तथा पैडी ड्रम सीडर को बढ़ावा देने एवं जीरो-टिलेज विधि से गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने, कस्टम हायरिंग केंद्र (कृषि यंत्र बैंक) का विस्तार करने एवं प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 362 प्रखंडों में इ-किसान भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

राज्य सरकार कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा 6000 रुपए प्रतिवर्ष पुस्तक आदि खरीदने के लिए सहायता दे रही है। जल संरक्षण योजनांतर्गत 255 विभिन्न आकार की संरचनाओं का निर्माण, 22 पक्का चेक डैम का निर्माण, 8 सामुदायिक तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य के 14 जिलों में वर्ष 2016-17 में अब तक 4169 तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 786 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस प्रकार 7299 एकड़ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18,730 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की गई है। 107 किसानों को गोबर गैस की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2017-18 में बागबानी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नए बाग की स्थापना तथा पुराने बागों के जीर्णोद्धार के लिए किसानों को सहायता दिए जाने तथा मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक सब्जी की खेती आदि को प्रोत्साहित किए जाने हेतु किसानों के

बीच टिशू कल्चर, केले के 50 लाख जी-9 प्रभेद के टिशू कल्चर पौधे, अनुदानित दर पर एवं 50 हजार मधुमक्खी बक्से उपलब्ध कराए जाएँगे। बागबानी फसलों के अंतर्गत औषधि एवं सुगंधित पौधे, फूलों की खेती तथा मसाले की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इंडो-इजराइल प्रोजेक्ट के तहत राज्य में उद्यानिक फसलों की उत्कृष्ट उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रत्यक्षण के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के उद्देश्य से चंडी (नालंदा) एवं देसरी (वैशाली) में क्रमशः सब्जी एवं फल के एक-एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।

पथ निर्माण विभाग

राज्य सरकार नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों के रखरखाव के प्रति दृढ़ संकल्पित है। वर्ष 2016-17 में दिसंबर माह तक 2232 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों (NH) का राज्य निधि से, 2104 किलोमीटर राज्य उच्च पथों (SH) का राष्ट्रीय समविकास योजनांतर्गत 1072 किलोमीटर SH का एशियाई विकास बैंक (ADB) संपोषित योजनांतर्गत एवं राज्य योजना से 845 किलोमीटर सड़क उन्नयन का कार्य पूर्ण किया गया। 13675 किलोमीटर बृहत जिला पथों का चौड़ीकरण/उन्नयन/नवीकरण कार्य भी पूर्ण किया गया है।

महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण हेतु एक समर्पित महात्मा गांधी सेतु प्रमंडल का पुनर्मंडन किया गया है। भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना एवं 6-लेन गंगा ब्रिज (कच्ची दरगाह-बिदुपुर) में भू-अर्जन की कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति लाते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक संपोषित योजना (NHIP) के अंतर्गत NH-104 (शिवहर-सीतामढ़ी-जयनगर-नरहरिया), NH-106 (वीरपुर-बिहपुर), NH-30A (फतुहा-हरनौत-बाढ़) एवं NH-98 (अनिशाबाद-औरंगाबाद-हरिहरगंज) के कुल 509 किलोमीटर के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत अब तक 3143.02 करोड़ रुपये लागत की 5034 योजनाएँ पूर्ण हुई हैं। ए.डी.बी.—संपोषित योजनांतर्गत सीवान-सिसवन (SH-89), बागी-बरबिगहा (SH-83) एवं सरैया-मोतीपुर (SH-86) का कार्य पूर्ण किया गया है।

भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एवं खगड़िया जिले के अगुवानी घाट के बीच गंगा नदी पर पुल, औरंगाबाद जिलांतर्गत दाऊदनगर एवं रोहतास जिला अंतर्गत नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल, पटना शहर स्थित मीठापुर आर.ओ.बी. से स्टेशन होते हुए चिरैयाटाँड़ ऊपरी पुल विस्तारीकरण कार्य, पटना शहर के बेलीरोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच फ्लाईओवर, पटना शहर के मीठापुर ऊपरी पुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) ऊपरी पुल (भाया आर. ब्लॉक जंक्शन) के बीच फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति लपर है। गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज, 3160 करोड़ रुपये) एवं पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कॉरिडोर (1231 करोड़ रुपये) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा के समानांतर पश्चिमी चंपारण जिला के NH-28B के गोबरहिया ग्राम (मदनपुर के समीप) से आरंभ होकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज जिले के पश्चिम बंगाल राज्य सीमा पर गलगलिया तक 2552.86 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत कुल 552.293 किलोमीटर पथांश का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जन निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर-ताजपुर (समस्तीपुर) के बीच 1602.74 करोड़ रुपये लागत से गंगा नदी पर पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। JICA संपोषित योजनांतर्गत गया-

हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहारशरीफ खंड (NH-82) का कार्य 1408.85 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है।

ग्रामीण कार्य विभाग

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन क्षेत्रों में उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण करने के लिए राज्य के 250 या उससे अधिक आबादीवाले सभी संपर्करहित बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु नए पथों के निर्माण के साथ-साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार दृढ संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अन्य राज्य योजना सहित) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में दिसंबर, 2016 तक 1655.22 करोड़ रुपए के व्यय पर 2314 किलोमीटर सड़कों का कालीकरण कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य में 4169 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण पथों के निर्माण में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी (Innovative Technology) का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे सड़कों का नियमित तथा आउटपुट-आधारित अनुरक्षण करने हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनांतर्गत 7650 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 7459 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

जल संसाधन विभाग

कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए श्रीविधि से धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु तथा सीमांत किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

जल संसाधन विभाग बृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित कर खेतों में पानी पहुँचाने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को पूरा कर बाढ़ से जान-माल को सुरक्षित करने हेतु दृढ संकल्पित है। मार्च, 2016 तक राज्य में 29.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। बेहतर नहर संचालन के द्वारा वर्ष 2016-17 में 19.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रदान की गई है। नदी जोड़ योजना के तहत कोसी-मेची लिंक योजना पर केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के 2.10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। भागलपुर जिले के चंदन नदी के किनारे लगभग 101.23 किलोमीटर के नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं महानदी तथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

लघु जल संसाधन विभाग

विभाग के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर तक कमांड क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः परंपरागत सतही सिंचाई योजना (आहर-पड़न/तालाब), भूगर्भ जल-आधारित नलकूप योजना तथा वीयर एवं उद्ववह सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6281 निजी नलकूप किसानों द्वारा अधिष्ठापित किया गया है, जिससे 16100 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।

भूगर्भ जलमापी योजनांतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक तकनीक (Telemetry System) आधारित 571 ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेबल रिकॉर्डर की अधिष्ठापना की जा रही है, जिससे प्रत्येक 3 घंटे पर भूगर्भ जल स्तर का आँकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा। अब तक 146 Telemetry

अधिष्ठापित की जा चुकी हैं।

राज्य में सतही सिंचाई एवं नलकूप से संबंधित योजनाओं में RIDF तथा राज्य योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। त्वरित सिंचाई लाभ योजना (AIBP) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार के 4 जिले भभुआ, रोहतास, नवादा एवं सीतामढ़ी में कुल 47 अदद नई योजनाओं की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। इन्हें वर्ष 2017-18 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इनके पूर्ण होने पर 18462 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

आपदा प्रबंधन विभाग

विभाग का मुख्य कार्य राज्य में आनेवाली प्राकृतिक एवं गैर-प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना एवं उनसे होनेवाली क्षति का न्यूनीकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना है, साथ ही विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करना तथा आपदा की स्थिति में बचाव और राहत वितरण कार्य तत्काल एवं पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है।

सेंडई फ्रेम वर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 तैयार करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु पटना, भोजपुर, सुपौल, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर जिले के दियारा क्षेत्रों की पंचायतों में प्रति पंचायत 50 व्यक्तियों का चयन कर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में अब तक कुल 9500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भूकंप से बचाव एवं जागरूकता हेतु सचिवालय भवनों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। वर्ष 2016 में बाढ़ के दौरान प्रभावित 31 जिलों में बचाव एवं राहत, आबादी निष्क्रमण तथा आवागमन को सुचारु रूप से चलाने के लिए 4573 देशी नावों/मोटरबोटों का परिचालन किया गया। आबादी के निष्क्रमण के दौरान नावों/मोटरबोटों, राहत शिविरों एवं अस्पतालों में जन्म लेनेवाले प्रत्येक नवजात बालक के लिए 10,000 रुपए एवं प्रत्येक नवजात बालिका के लिए 15,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से भुगतान किया गया। बाढ़ से मरनेवाले 254 व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान 24 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था की गई।

वर्ष 2016 में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित अनुदान मान दर के अनुरूप वस्त्र की क्षति हेतु 1800 रुपए, बर्तन, घरेलू सामान की क्षति हेतु 2000 रुपए, नकद अनुदान हेतु 3000 रुपए एवं मुफ्त खाद्यान्न के बदले 3000 रुपए प्रति परिवार देने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्राकृत आपदाओं— नौका दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, पानी में डूबने, शीतलहर के प्रकोप, अग्निकांड इत्यादि से मरनेवाले व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान 24 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था की गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016' अधिसूचित किया गया है, जिससे पशु संसाधनों का विकास तीव्र गति से होगा। राज्य में 300 नए प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना कर निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा, अत्याधुनिक मशीन एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। 1.56 करोड़ रुपए की लागत पर फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना का सुदृढीकरण तथा कृत्रिम गर्भधान कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु BLDA, पटना को राशि उपलब्ध कराई गई है। 10 चयनित गौशालाओं को (अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति गौशाला) मॉडल गौशाला के रूप में विकसित

करने हेतु अनुदान की स्वीकृति दी गई है।

मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सेटलाइट के माध्यम से भौगोलिक सूचना तंत्र एवं डाटाबेस के सुदृढीकरण की योजना है। केंद्रीय योजनांतर्गत 'नीली क्रांति-समेकित मत्स्य विकास प्रबंधन योजना' राज्य में संचालित है।

समेकित मुर्गी विकास योजनांतर्गत राज्य में कुक्कुट के विकास हेतु लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना की जा रही है। इवियन इन्फ्लुएंजा रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण का कार्य, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी पालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा (पूर्णिया) का सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है। 1.74 करोड़ रुपए की लागत पर एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना एवं 4.31 करोड़ रुपए की लागत पर राष्ट्रीय पशुधन, स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है।

NCDC से प्राप्त ऋण की राशि से कॉम्पेड, पटना द्वारा दुग्ध संघों/डेयरी इकाइयों में दुग्ध संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध पाउडर संयंत्र/आइस्क्रीम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 1750 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केंद्र की स्थापना की जा रही है। मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सेटलाइट के माध्यम से भौगोलिक सूचना तंत्र एवं डाटाबेस के सुदृढीकरण की योजना है। केंद्रीय योजनांतर्गत 'नीली क्रांति-समेकित मत्स्य विकास प्रबंधन योजना' राज्य में संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 315 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना कर पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सुलभ बनाने, समेकित मुर्गी विकास योजना का संपूर्ण राज्य में क्रियान्वयन तथा पी.पी.पी. मोड पर निजी क्षेत्रों में बृहत पैमाने पर ब्रायलर/लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करने, समेकित बकरी विकास योजना का संपूर्ण राज्य में क्रियान्वयन तथा निजी क्षेत्र में पी.पी.पी. मोड पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना करने की योजना है।

सहकारिता विभाग

राज्य में खरीफ मौसम में अधिक धान की प्राप्ति हेतु धान उत्पादन करनेवाले किसानों के लिए 150 क्विंटल तथा दूसरे की भूमि पर धान उत्पादन करनेवाले किसानों के लिए 50 क्विंटल अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कृषकों को अगली फसल लगाने के निमित्त प्रोत्साहित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2016-17 के खरीफ मौसम में कुल 14,63,118 किसानों का फसल बीमा किया गया है। अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण के तहत वर्ष 2016-17 के खरीफ मौसम के लिए 278.59 करोड़ रुपए एवं रबी ऋण के रूप में 17.19 करोड़ रुपए दिसंबर, 2016 तक वितरित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2016-17 में दिसंबर, 2016 तक 5,368 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है।

राज्य में खरीफ मौसम में अधिक धान की प्राप्ति हेतु धान उत्पादन करनेवाले किसानों के लिए 150 क्विंटल तथा दूसरे की भूमि पर धान उत्पादन करनेवाले किसानों के लिए 50 क्विंटल अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। गुणवत्ता अधिप्राप्ति के लिए कृषकों का ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन, कृषकों के भुगतान के लिए RTGS/NEFT की व्यवस्था एवं दैनिक अनुश्रवण के लिए मोबाइल एप तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के अंतर्गत 2016-17 में 90 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 27 चावल मिल-सह-गैसीफायर का निर्माण किया जा चुका है एवं 144 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अंतर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाई की जा रही है। 27 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियों का निबंधन किया जा चुका है। सहकारी समितियों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व आरक्षित किया गया है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

राज्य में संपूर्ण भू-भाग के वर्तमान 12.88 प्रतिशत वृक्षाच्छादन को वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा हरियाली मिशन नामक एकमात्र महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना में पटना तथा अन्य प्रमुख शहरों में आगम-निर्गम पथ तक वन रोपण एवं 'हर परिसर, हरा परिसर' योजनांतर्गत वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉपलर) के अंतर्गत पौधशालाओं से कुल 108.70 लाख पौधे एवं मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अंतर्गत अन्य प्रजाति के 112.20 लाख पौधे किसानों द्वारा उगाने का लक्ष्य है। 50.12 लाख अन्य प्रजाति के पौधे उगाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

शिक्षा विभाग

राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, साथ ही बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए सभी वंचित वर्गों को स्कूल पहुँचाने, नामांकन में वृद्धि लाने, नए प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने एवं लड़के-लड़कियों के बीच शिक्षा की खाई को लुप्त करने के लिए अनेक नवाचारी कदम उठाए गए हैं। इससे स्कूलों से वंचित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आई है और स्कूलों में लड़कियों की विशेषकर उपस्थिति बढ़ी है। 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय लाने में राज्य द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। वर्तमान में लगभग 1 प्रतिशत से कम बच्चे ही विद्यालय से बाहर रह गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक 21,419 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरुद्ध 21,252 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। 19,604 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 9वीं कक्षा में नामांकित 14,01,292 छात्र-छात्राओं को साइकिल के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत 9-12 तक में नामांकित 12,50,315 छात्राओं को पोशाक हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 5,097 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायत में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक 2,158 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। विश्व संपोषित Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Programme के अंतर्गत 33 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं 250 प्रशिक्षण केंद्रों पर ICT (Information and Communication Technology) की व्यवस्था की गई है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में संशोधन करते हुए तीन नए विश्वविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में निजी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7 के साथ LOI निर्गत किया जा चुका है तथा शेष 4 प्रस्तावों पर कार्यवाई की जा रही है।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अंतर्गत 12वीं

कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी, जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर, 2016 से कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है। भूमिहीन एवं भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों को पोषक क्षेत्र के अन्य भवनयुक्त विद्यालयों के साथ इकाई सहित सामंजित किया जाएगा। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित छात्र एवं शिक्षक अनुपात के सापेक्ष नियोजन इकाई के अंतर्गत शिक्षकों का समंजन करते हुए पदस्थापन किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पटना में प्रस्तावित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी तथा दरभंगा में तारामंडल-सह-विज्ञान संग्रहालय का निर्माण एवं विकास कार्य किया जा रहा है।

राज्य सरकार का निश्चय 'अवसर बढ़े, आगे पढ़ें' के तहत प्रत्येक जिले में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तकनीकी संस्थान स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर NIT, पटना के लिए मेगा औद्योगिक पार्क के अंतर्गत मौजा सिकंदरपुर में चिह्नित 125 एकड़ भूमि के आवंटन हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को राशि उपलब्ध कराई गई है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर के परिसर में उपलब्ध 50 एकड़ भूमि पर IIIT (Indian Institute of Information Technology) की स्थापना की गई।

केंद्र सरकार की सहायता से बोधगया में भारत सरकार के उपक्रम नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से सब-रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 2.50 करोड़ रुपये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता को उपलब्ध कराए गए हैं। पटना में प्रस्तावित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी तथा दरभंगा में तारामंडल-सह-विज्ञान संग्रहालय का निर्माण एवं विकास कार्य किया जा रहा है। इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर तारामंडल में नए प्रोजेक्शन सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है।

स्वास्थ्य विभाग

कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को Albendazole दवा प्रदान की जा रही है एवं वर्ष 2017 में कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया।

राज्य सरकार जनता को बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधाएँ सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्यवाई की जा रही है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत DIEC (District Early Intervention Center) के तहत कुल 12 प्रकार के पदों पर नियोजन किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य संपादन के लिए Mobile CUG Sim उपलब्ध कराया गया है, जो बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ही राज्य में प्रजनन दर में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2013 में जहाँ प्रजनन दर (SRS) 3.4 थी, वहीं वर्ष 2014 में यह घटकर 3.2 हो गई।

पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन, जो गत वर्ष 82 प्रतिशत था, बढ़कर वर्तमान में 84 प्रतिशत हो गया है। पोलियो से दोहरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) का शुभारंभ किया गया है। नियमित

टीकाकरण को और बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य के 17 जिलों में एक नया टीका PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) का वर्ष 2017 में शुभारंभ कर टीकाकरण तालिका में शामिल किए जाने की योजना है। कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को Albendazole दवा प्रदान की जा रही है एवं वर्ष 2017 में कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसंबर, 2016 तक 0-18 वर्ष के 1,10,37,842 बच्चों की स्वास्थ्य जाँच कर स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया। पूर्ण शराबबंदी कार्यक्रम के तहत सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित जिला अस्पतालों एवं तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में एक-एक वातानुकूलित नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करते हुए इन नशा मुक्ति केंद्रों में जनवरी, 2017 तक 9,276 मरीजों को उपचारित किया गया है। लोक निजी भागीदारी योजना के तहत ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड (मेदांता), गुड़गाँव द्वारा पटना के जयप्रभा अस्पताल परिसर में जयप्रभा मेदांता अतिविशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जा रहा है।

जननी एवं शिशु के स्वास्थ्यवर्धन हेतु राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा 2 सदर अस्पतालों— मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी में 104 करोड़ रुपये की लागत से 100 शय्या वाले MCH Wing के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा फरवरी, 2016 से प्रारंभ की गई है। ISIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहटा के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा MOU किया गया है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में 120 करोड़ रुपये की लागत पर स्टेट कैन्सर सेंटर की स्थापना की जा रही है। सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में आधुनिक सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

‘मुख्यमंत्री चाँपाकल योजना’ अंतर्गत बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत 5 चाँपाकल तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वार्ड 3, नगर परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वार्ड 2 तथा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वार्ड 1 की दर से नए चाँपाकलों का निर्माण और बिहार विधानपरिषद् के सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चाँपाकलों के निर्माण हेतु विगत वर्षों में स्वीकृत योजनांतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 11,280 चाँपाकल लगाए गए हैं।

विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखंड में सतही जल आधारित चेरिया बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति योजना प्रारंभ की गई तथा नवादा जिले के रजौली प्रखंड के फ्लोराइड से प्रभावित 90 ग्रामों/टोलों में फुलवरिया बाँध के सतही जल पर आधारित रजौली बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के च

नपटिया एवं मँझौली प्रखंड के 13 टोलों में भूगर्भीय जल आधारित घोघाघाट बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति लक्ष्य पर है।

ऊर्जा विभाग

अक्टूबर, 2015 में राज्य में पीक लोड पर 3459 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति होती थी, जो अक्टूबर, 2016 में बढ़कर 3769 मेगावाट हो गई है। कांटी थर्मल पावर स्टेशन की 2 नई इकाइयों (2 × 195 MW) के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य जारी है, जिसे मार्च 2017 तक चालू करने का लक्ष्य है। बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार योजना के तहत 250 मेगावाट की 2 नई इकाइयों का कार्य निर्माणाधीन है, जिन्हें नवंबर, 2017 तक पूरा

करने का लक्ष्य है। नवीनगर स्टेज-1 में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है। बाँका में 106 अल्ट्रा मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

वर्तमान में राज्य में ग्रिड सब-स्टेशनों की संख्या 106 हो गई है, जिसके फलस्वरूप संचरण प्रणाली की पावर Evacuation क्षमता करीब 6816 मेगावाट हो गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पिछले एक वर्ष में 392 अदद अविद्युतीकृत ग्रामों को ऊर्जान्वित किया गया है। राज्य में Android Mobile के माध्यम से स्पोर्ट बिलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है एवं इसे पूरे राज्य में मार्च, 2017 तक लागू किया जाना था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम' के अंतर्गत 1000 अदद सोलर पंप का अधिष्ठापन कार्य कराया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग

जीविका के अंतर्गत 5.80 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन कर 4.10 लाख समूहों का बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 177 रुपए दी जा रही है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर 167 रुपए से अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 6466.47 लाख रुपए की अंतर राशि का वहन अपने खजाने से किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन राज्य में किया जा रहा है। पूर्व के 4.88 लाख अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया है, जिस पर 400.58 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। जीविका के अंतर्गत 5.80 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन कर 4.10 लाख समूहों का बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण कर रोजगार उपलब्ध कराया गया। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP) जीविका-2 का कार्यान्वयन अगस्त 2016 से किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का क्रियान्वयन 131 प्रखंडों में किया जा रहा है। 2 अक्टूबर, 2019 तक राज्य को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित किए जाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज विभाग

'बाह्य संपोषित योजना (EAP)' के अंतर्गत ऋण एवं राज्य अंश के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि क्रमशः 150 करोड़ रुपए एवं 64.29 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के 12 जिलों—पटना, नालंदा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी में बिहार सरकार द्वारा पूर्व के स्वीकृत डिजाइन के अनुसार 330 पंचायत सरकारी भवनों का निर्माण कराया जाएगा।

योजना एवं विकास विभाग

योजना एवं विकास विभाग के द्वारा 20-25 वर्ष के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों को 2 वर्ष तक प्रत्येक माह 1000 रुपए की स्वयं सहायता भत्ता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में आरंभ की गई। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91,677 आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती या शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान

किया जा रहा है।

महादलित विकास योजनांतर्गत वास भूमिरहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 3 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की जा रही है। बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वास भूमिरहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 लागू की गई है। यह नीति लागू करनेवाला बिहार देश में पहला राज्य है। बिहार राज्य के 30 जिलों में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है एवं शेष जिलों का दिसंबर, 2017 तक करने का लक्ष्य है। राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑन-लाइन आपूर्ति बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में कुल 534 अंचल कार्यालयों में से 305 अंचलों में डाटा केंद्र-सह-आधुनिक अभिलेखाकार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना शहर में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण की योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे दिसंबर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण योजना के तहत 10 बस स्टैंड का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजनांतर्गत राज्य के सभी 11 नगर निगम 1 लाख से अधिक आबादीवाले, 15 नगर परिषद् एवं बोधगया नगर पार्क विकास योजना का कार्यान्वयन नगर निकाय द्वारा एवं जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल परिषद् द्वारा किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना राज्य के गंगा नदी तट पर अवस्थित शहर बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं सीवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पटना में गंगा नदी तट के विकास योजना अंतर्गत 20 गंगा घाटों को विकसित करने का कार्य BUIDCO द्वारा किया जा रहा है। JhNURM शहरी परियोजना के अधीन फेज-2 के अंतर्गत 13 शहर समूहों के लिए 270 बसों का क्रय लागत व्यय से BUIDCO

द्वारा उपलब्ध कराया गया तथा BSRTC को परिचालन हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है। 16960 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय पर पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया। DAY-NULM स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन 34500 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत सबके लिए आवास (शहरी) योजना वर्ष 2015-22 के दौरान सभी शहरी क्षेत्र के परिवारों को विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास प्रदान करने की योजना राज्य के सभी 140 नगर निकायों में लागू की गई है।

समाज कल्याण विभाग

पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91,677 आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती या शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। किशोरियों के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) के अंतर्गत 12 जिलों में 20 लाख किशोरी बालिकाओं को लाभ देने का लक्ष्य था। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन सहित 2 जिलों—वैशाली एवं सहरसा—में संचालित है। राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिला विकास निगम की स्थापना की गई है। राज्य के सभी जिलों में महिला विकास निगम के जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना की जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 विशेष विद्यालयों, जिसमें 3 नेत्रहीन एवं 5 मूक-बधिर का संचालन दरभंगा, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर में किया जा रहा है। विकलांगजनों को सभी सरकारी नियोजन में 3 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। वृद्धों के

पुनर्वास के लिए ओल्ड एज होम का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के 5 जिलों—पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं भागलपुर में किया जा रहा है। एड्स कंट्रोल सोसाइटी की सहायता से बिहार के एड्स पीड़ितों को 1500 रुपए प्रतिमाह की सहायता प्रदान करने हेतु बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिला के थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 बालक तथा 5 बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 560 शय्या वाले 6 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों—बक्सर, चौतरबा (पश्चिमी चंपारण), पोखरैरा (मुजफ्फरपुर), रामनगर (मधुबनी), महकार (गया) एवं कुदरा (भभुआ) में नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए 7 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों—पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा में संचालित की जा रही है। इन केंद्रों में 1000 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संपोषित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर संचालित किया जा रहा है।

उद्योग विभाग

स्टार्टअप पॉलिसी, 2016 के तहत 500 करोड़ रुपए कॉरपस फंड की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। उपेंद्र महारथी सिल्क अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के परिसर में नवनिर्मित पटना हाट का शुभारंभ किया गया है। ताड़ के पेड़ के उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं नीरा से बननेवाले उत्पादों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना एवं संचालन हेतु कॉम्पेड को जिम्मेदारी दी गई है। मेगा फूड पार्क योजनांतर्गत मेसर्स जे.वी.एल. मेगा फूड पार्क, रोहतास तथा मेसर्स प्रिस्टीन फूड पार्क, मानसी (खगड़िया) के परियोजना कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु केंद्र सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या भारत नेट योजना का संचालन राज्य में किया जा रहा है। राज्य के 350 प्रखंडों की 502 पंचायतों में अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इ-शासन योजना के द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं विभागों में कंप्यूटराइजेशन एवं इ-गवर्नेंस का कार्य किया जा रहा है।

श्रम संसाधन विभाग

स्टार्टअप पॉलिसी, 2016 के तहत 500 करोड़ रुपए कॉरपस फंड की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। उपेंद्र महारथी सिल्क अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के परिसर में नवनिर्मित पटना हाट का शुभारंभ किया गया है।

राज्य में CLTS (Child Labour Tracking System) नामक सॉफ्टवेयर लांच किया गया है। प्रत्येक विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण दिनांक 01.12.2016 के प्रभाव से किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी 737 रुपए प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के

लिए 227 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सभी जिलों में धावा दल का गठन किया गया है। राज्य के 2 नियोजनालयों अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना एवं मुजफ्फरपुर में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किया गया है। प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर में मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की जा रही है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, कटिहार, दरभंगा, गया, सीतामढ़ी एवं फारबिसगंज का चयन कर सेंटर ऑफ एक्सेलेन्सी के रूप में विकसित किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा (छपरा) को मॉडल आई.टी.आई. के रूप में विकसित करने की कार्यवाई चल रही है। वर्तमान में 23 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। राज्य के 96 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से Boot पद्धति में एक-एक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है।

गृह विभाग

अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता, 2016 के लिए बी.एम.पी. पटना परिसर में मल्टीप्लेक्स इंडोर स्टेडियम एवं जिम भवन तथा खेल उपकरणों के क्रय की स्वीकृति दी गई है। गृह रक्षावाहिनी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र के आधारभूत संरचना के निर्माण की कार्यवाई की जा रही है।

विधि विभाग

1 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करनेवाले राज्यों में बिहार अग्रणी राज्य है।

बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया एवं तेगड़ा अनुमंडल में तथा सारण जिलांतर्गत सोनपुर अनुमंडल में अवर न्यायाधीश एवं मुंसिफ के न्यायालय का गठन किया गया है। अदालतगंज पटना में उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु क्रमशः 98 एवं 132 इकाई आवासीय कमरों हेतु बहुमंजिले आवासीय भवन फेज-1 निर्माण के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। व्यवहार न्यायालय, खगाड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा एवं औरंगाबाद में ए.डी.आर. भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। बिहार राज्य न्यायिक अकादमिक प्रशिक्षण संस्थान, गायघाट, पटना में न्यायिक सेवा के कुल 1008 पदाधिकारियों तथा व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत 600 कर्मचारियों को न्यायिक प्रशिक्षण दिया गया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करनेवाले राज्यों में बिहार अग्रणी राज्य है। ग्रामीण क्षेत्र के 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत कुल 871.16 लाख जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 8.57 करोड़ लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम एवं विकेंद्रीकृत धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति व्यवस्था लागू है। खरीफ विपणन मौसम, 2016-17 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म के लिए 1470 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिप्राप्ति की जा रही है।

पर्यटन विभाग

वर्ष 2017-18 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा विविध कार्य किए जाने हैं, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। राजगीर के घोड़ा कटोरा में भगवान् बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का

अधिष्ठापन किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार गांधीघाट पटना में संचालित गंगा महाआरती वर्ष 2011 से संचालित की जा रही है। जनवरी, 2013 से गोलघर परिसर में प्रत्येक संध्या साउंड एवं लाइट लेजर-शो संचालित किया जा रहा है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

श्रावणी मेला, 2016 के अवसर पर सुल्तानगंज (भागलपुर), अवरखा (बाँका), कमरसार (मुंगेर) एवं भगवानपुर (वैशाली) में कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना के पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। मिथिला लोक चित्रकला के सर्वेक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु मिथिला चित्रकला संस्थान, सौराठ (मधुबनी) में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में फिल्म निर्माण के प्रोत्साहन हेतु 'बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति' तैयार की जा रही है। फिल्म के विकास हेतु फिल्म सिटी का निर्माण राजगीर, नालंदा में कराया जाना है, जिसके लिए 20 एकड़ भूमि को चिह्नित किया जाना है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों को व्यापक रूप से संरक्षित एवं विकसित किया जा रहा है। जिन स्थलों के सर्वेक्षण एवं स्थल विकास के लिए कार्य किए गए हैं, उनमें बट्टेश्वर स्थान (गणिनाथ), बिसहर स्थान (वैशाली), मॉरिशन भवन एवं संबद्ध परिसर (पटना), नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा (बेगूसराय), रहसुभगत का मंदिर (गोपालगंज), सैयद इब्राहीम हुसैन मकबरा (भागलपुर), कोटेश्वर धाम, मेनग्राम (गया) जैसे स्थल हैं।

इस वर्ष केंद्रीय सुरक्षित स्मारक तथा पुरास्थल प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म का निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यताप्राप्त 6 आधिकारिक भाषाओं में कराया जा रहा है। 'चंपारण सत्याग्रह' के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति, पटना द्वारा 'हेरिटेज वॉक' का आयोजन कराया जा रहा है। राजा भोज का किला एवं नवरत्नगढ़ (बक्सर) को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित पुरास्थल एवं स्मारक घोषित किया गया है। वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के निर्माण के लिए 72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी के पैतृक गाँव सिताबदियारा, सारण में स्मृति भवन एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2017-18 में मोईनुलहक स्टेडियम राजेंद्र नगर, पटना में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण तथा राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेड स्पोर्ट्स अकादमी तथा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने की योजना है।

सामान्य प्रशासन विभाग

शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने की ठोस, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से गुड गवर्नेंस की दिशा में सरकार द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून, 2016 को पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू किया गया। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता, पोती, ज्ञाती एवं नतिनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सचिवालय अनुदेश के स्थान पर नया 'Secretariat Manual of Office Procedure' बनाया जाएगा।

विमान पत्तन प्राधिकरण

पटना हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु 11.37 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना को बदलने

के आधार पर स्थानांतरण का निर्णय लिया गया है। बिहार सैन्य हवाई अड्डा से विमानों के संयुक्त परिचालन एवं सिविल एन्वलेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क सौंपने का निर्णय लिया गया है।

खान एवं भूतत्त्व विभाग

वर्ष 2017-18 में मोईनुलहक स्टेडियम राजेंद्र नगर, पटना में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण तथा राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेड स्पोर्ट्स अकादमी तथा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने की योजना है।

खनिज परिवहन हेतु इ-चालान लागू करने के लिए एन.आई.सी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है एवं ट्रायल बेसिस पर प्रत्येक जिले में एक बालूघाट चिह्नित कर इसे लागू किया गया है। ईट-भट्टों से प्राप्त राजस्व पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखने हेतु Geo-Mapping Application का प्रयोग करते हुए मोबाइल एप विकसित किया गया है। बिहार राज्य के 5 जिलों—गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं बाँका में कुल 42 पत्थर खनन पट्टों की लोक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती की गई है।

परिवहन विभाग

राज्य के सभी जिलों के जिले परिवहन कार्यालय-सह-परिवहन सुविधा केंद्रों का भवन का निर्माण किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य में ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पटना, बिहटा तथा फतुहा में कंप्यूटराइज वे-ब्रिज का अधिष्ठापन किया गया है। मथुरा में धर्मकाँटा का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है। 'वे-ब्रिज' के क्रियाशील होने से ओवर लोडिंग पर अंकुश लगेगा।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

मद्यनिषेध नीति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में आपराधिक घटनाओं—हत्या में 28.3 प्रतिशत, बलात्कार में 10.17 प्रतिशत, महिला उत्पीड़न में 2.3 प्रतिशत एवं दलित उत्पीड़न में 14.8 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य में 1 अप्रैल, 2016 से देशी शराब, मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण, खरीद-बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार की शराबबंदी नीति को बृहत रूप देते हुए 5 अप्रैल, 2016 से विदेशी शराब का थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपभोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मद्यनिषेध नीति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में आपराधिक घटनाओं—हत्या में 28.3 प्रतिशत, बलात्कार में 10.17 प्रतिशत, महिला उत्पीड़न में 2.3 प्रतिशत एवं दलित उत्पीड़न में 14.8 प्रतिशत की कमी आई है। अवैध शराब की खरीद-बिक्री एवं उपयोग को रोकने के लिए 2 अक्टूबर, 2016 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 को लागू किया गया। सरकारी स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता पैदा करने के लिए 21 जनवरी, 2017 को ऐतिहासिक मानव शृंखला बनाई गई। आम नागरिकों की सहायता हेतु राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में 'मे आई हेल्प यू बूथ' स्थापित किए गए। वित्त विभाग की सहायता से आर.बी.आई. के द्वारा उपलब्ध कराए गए बेव पोर्टल इ-कुबेर के माध्यम से विलेख निबंधन की राशि सीधे सरकार के खाते में जमा करने का ट्रायल दानापुर निबंधन कार्यालय में किया गया।

वाणिज्य कर विभाग

राज्य के सुपौल जिले के व्यवसायियों को सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से सुपौल में वाणिज्य कर का नया अंचल कार्यालय स्थापित किया गया है। भामाशाह सम्मान योजना के तहत राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायियों को सम्मानित किया जाना है। राज्य के निबंधित व्यवसायियों के लिए दुर्घटना, मृत्यु अनुदान योजना, 2014 लागू है, जिसके अधीन निबंधित व्यवसायियों की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके वैध आश्रितों को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना है।

निर्वाचन विभाग

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'इथिकल वोटिंग' के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर एवं मतदान केंद्र स्तर पर सप्तम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2017 को मनाया गया।

गन्ना उद्योग विभाग

बिहार राज्य चीनी निगम की 15 बंद इकाइयों एवं 2 डिस्टिलरियों के पुनर्जीवन हेतु किए गए कार्य के अंतर्गत लौरिया एवं सुगौली में नई मिलें स्थापित हुई हैं। बिहटा में ड्राई पोर्ट का निर्माण हुआ है। समस्तीपुर में जूट एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, रैयाम में चीनी मिल की स्थापना तथा सकरी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग डिस्टिलरी एवं डेयरी उद्योग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

विभागवार योजना व्यय की राशि एवं कुल व्यय के प्रतिशत के वितरण का विवरण

क्र. : 1

विभाग का नाम : शिक्षा विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 1421788.77

कुल व्यय का प्रतिशत : 17.93

क्र. : 2

विभाग का नाम : ग्रामीण विकास विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 972546.55

कुल व्यय का प्रतिशत : 12.26

क्र. : 3

विभाग का नाम : ग्रामीण कार्य विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 851686.31

कुल व्यय का प्रतिशत : 10.74

क्र. : 4

विभाग का नाम : ऊर्जा विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 679559.53

कुल व्यय का प्रतिशत : 8.57

क्र. : 5

विभाग का नाम : पथ निर्माण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 570339

कुल व्यय का प्रतिशत : 7.19

क्र. : 6

विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 489901.04

कुल व्यय का प्रतिशत : 6.18

क्र. : 7

विभाग का नाम : स्वास्थ्य विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 356741.64

कुल व्यय का प्रतिशत : 4.5

क्र. : 8

विभाग का नाम : जल संसाधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 283417.43

कुल व्यय का प्रतिशत : 3.57

क्र. : 9

विभाग का नाम : नगर विकास एवं आवास विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 273461.06

कुल व्यय का प्रतिशत : 3.45

क्र. : 10

विभाग का नाम : पंचायती राज विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 258921

कुल व्यय का प्रतिशत : 3.26

क्र. : 11

विभाग का नाम : कृषि विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 234281.57

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.95

क्र. : 12

विभाग का नाम : योजना एवं विकास विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 211045.7

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.66

क्र. : 13

विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 200989.33

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.53

क्र. : 14

विभाग का नाम : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 162163.36

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.04

क्र. : 15

विभाग का नाम : पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 158008.64

कुल व्यय का प्रतिशत : 1.99

क्र. : 16

विभाग का नाम : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 152563.85

कुल व्यय का प्रतिशत : 1.92

क्र. : 17

विभाग का नाम : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 88866.81

कुल व्यय का प्रतिशत : 1.12

क्र. : 18

विभाग का नाम : उद्योग विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 77187.8

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.97

क्र. : 19

विभाग का नाम : श्रम संसाधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 58117.67

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.73

क्र. : 20

विभाग का नाम : गृह विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 52979.27

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.67

क्र. : 21

विभाग का नाम : सहकारिता विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 49670.19

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.63

क्र. : 22

विभाग का नाम : लघु जल संसाधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 39530.14

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.5

क्र. : 23

विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 37324.55

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.47

क्र. : 24

विभाग का नाम : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 34096.35

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.43

क्र. : 25

विभाग का नाम : पशु एवं मत्स्य विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 30494.81

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.38

क्र. : 26

विभाग का नाम : विधि विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 27500

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.35

क्र. : 27

विभाग का नाम : भवन निर्माण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 24843.52

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.31

क्र. : 28

विभाग का नाम : विमानपत्तन प्राधिकरण

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 22771.14

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.29

क्र. : 29

विभाग का नाम : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 22529.02

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.28

क्र. : 30

विभाग का नाम : पर्यावरण एवं वन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 17846.38

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.23

क्र. : 31

विभाग का नाम : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 15666.05

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.2

क्र. : 32

विभाग का नाम : सामान्य प्रशासन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 11852.52

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.15

क्र. : 33

विभाग का नाम : गन्ना उद्योग विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 10184.27

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.13

क्र. : 34

विभाग का नाम : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 9012.29

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.11

क्र. : 35

विभाग का नाम : पर्यटन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 9101.21

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.11

क्र. : 36

विभाग का नाम : वित्त विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 7000

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.09

क्र. : 37

विभाग का नाम : आपदा प्रबंधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 5125.5

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.06

क्र. : 38

विभाग का नाम : परिवहन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 1487.17

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.02

क्र. : 39

विभाग का नाम : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 461.79

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.01

क्र. : 40

विभाग का नाम : वाणिज्य कर विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 603.77

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.01

कुल योग : योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 7931667

कुल व्यय का प्रतिशत : 100

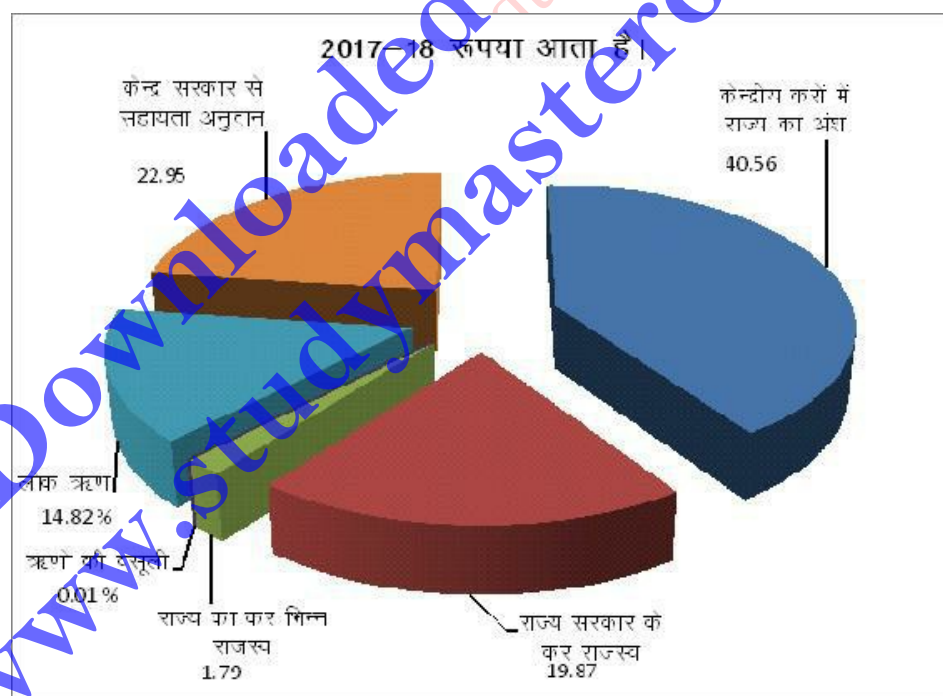
सेवाओं से संबंधित आय-व्यय 2017-18 एक दृष्टि में (राशि करोड़ रुपए में)

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

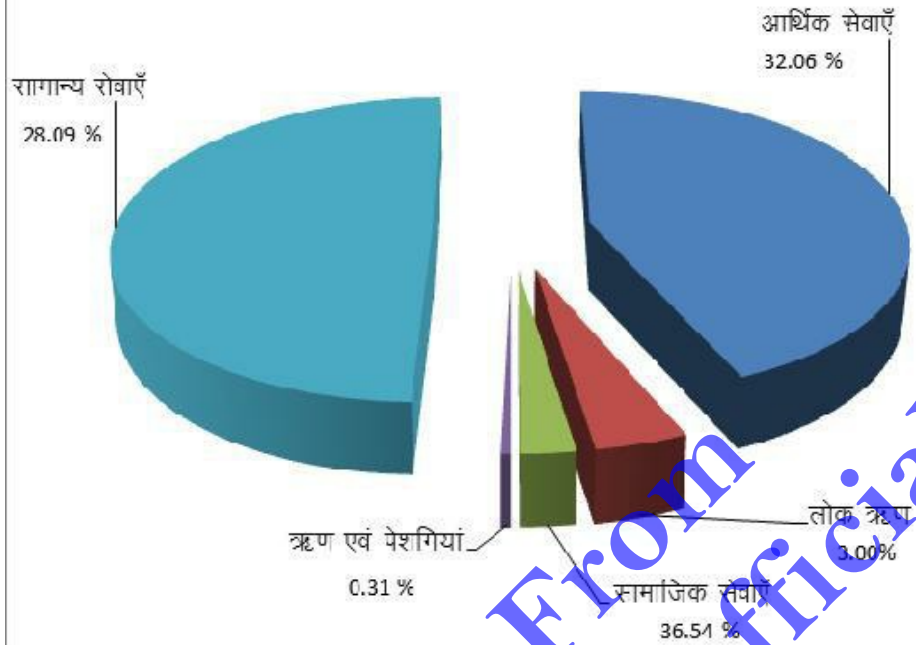
विषय	2015-16 वास्तविकी		2016-17 बजट अनुमान		2016-17 पुनरीक्षित अनुमान		2017-18 बजट अनुमान	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I आय के स्रोत								
1. केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	48922.68	42.72	58359.72	40.01	58880.59	40.05	65326.34	40.57
2. राज्य का कर राजस्व	25449.18	22.22	29730.27	20.38	27896.67	18.97	32001.12	19.87
3. राज्य का कर भिन्न राजस्व	2185.64	1.91	2356.11	1.62	2384.38	1.62	2874.96	1.79
4. केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	19565.60	17.08	34142.14	23.41	38375.74	26.10	36956.00	22.95
5. लोक ऋण								
(क) राज्य सरकार के अतिरिक्त ऋण	17565.04	15.34	19299.37	13.23	17514.11	11.91	21702.61	13.48
(ख) केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा ऋण	817.97	0.71	1955.55	1.34	9955.55	1.33	2160.07	1.34
6. (क) ऋणों की वृद्धि	18.50	0.02	17.86	0.01	18.68	0.01	18.00	0.01
(ख) अंतरराज्यीय परिशोधन								
(ग) वाकस्मिकता निधि का अंतरण								
कुल	114524.61	100.00	145862.54	100.00	147025.92	100.00	161039.09	100.00
II व्यय के शीर्ष								
क) सामान्य सेवाएँ (जोड़ 1 से 3 तक)	31589.93	28.12	39144.52	27.05	39763.30	25.77	44969.55	28.09

1. शिक्षण, राजकीय एवं प्रशासनिक सेवाएँ	12149.42	10.32	14118.28	9.76	14447.03	9.36	14836.55	9.27
2. व्याज अदायगी एवं और ऋण परिशोधन	7589.55	6.76	8740.94	6.04	9030.91	5.85	10255.36	6.41
3. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	11850.36	10.55	16285.30	11.25	16285.35	10.55	19877.64	12.42
ख) सामाजिक सेवाएँ (जोड़ 1 से 4 तक)	38683.52	34.44	51070.66	35.30	57648.51	37.35	68492.31	36.54
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19155.14	17.35	22822.53	15.77	24073.34	15.60	26394.37	16.49
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4571.32	4.07	7717.55	5.33	7776.40	5.01	6534.82	4.08
3. जल आपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	4517.85	4.02	7328.87	5.07	11325.64	7.34	13147.52	8.21
4. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा अन्य	10439.21	9.29	13201.71	9.12	14473.14	9.36	12415.26	7.76
ग) आर्थिक सेवाएँ (जोड़ 1 से 5 तक)	37304.89	33.21	49827.66	34.44	51996.40	33.69	15331.82	32.07
1. ऋण, सहकारिता जाँचों तथा संबद्ध सेवाएँ	4119.93	3.67	4275.68	2.95	4475.94	2.90	4376.37	2.73
2. ग्रामीण विकास	12934.12	11.51	16874.17	11.66	17373.73	11.26	21019.06	13.13
3. मின்चार्ज, वाह, नियंत्रण और ऊर्जा	11781.40	10.49	16777.14	14.59	18090.77	11.72	14962.81	9.35
4. उद्योग एवं खनिज	1230.14	1.10	3074.59	0.74	1170.56	0.76	1126.08	0.70
5. परिवहन और सामान्य आर्थिक सेवाएँ	7239.31	6.44	10896.08	7.48	10885.39	7.05	9847.49	6.15
घ) सुरक्षा अनुदान और अंशदान	4.21	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00
1. लोक ऋण (जोड़ क और ख)	4124.85	3.67	4074.39	2.82	4259.59	2.76	4797.28	3.00
(क) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	3422.74	3.05	3269.45	2.26	3454.66	2.24	3846.25	2.40
(ख) केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा आवास	702.12	0.63	804.94	0.56	804.94	0.52	951.03	0.59

2. (क) वृहत् एवं पेशगीर्ण	621.23	0.55	574.06	0.40	654.68	0.42	489.75	0.31
(ख) अंतरराष्ट्रीय परिशोधन								
(ग) आकास्मिकता निधि का अंतरण								
कुल	112328.03	100.00	144696.27	100.00	154327.47	100.00	160085.69	100.00
समेकित निधि में वृद्धि (+)/घाटा (-)	2196.58		1166.27		-7301.54		953.39	
लोक लेखा में प्राप्तियाँ	284011.46		22139.67		22139.67		29927.48	
लोक लेखा व्यय	285994.41		23374.74		23374.74		32027.48	
लोक लेखा में वृद्धि (+)/घाटा (-)	550.81		1235.07		1235.07		1500.00	
समेकित निधि + आकास्मिकता निधि - लोक लेखा में वृद्धि	41.62		-68.60		-21603.65		148.43	
आय रोकड़ शेष	-89.06		50.00		124.56		1000.00	
अंत रोकड़ शेष	124.56		-19.60		-8412.05		-146.61	



2017-18 रूपया जाता है।



36. राज्य विभाजन का प्रभाव

(Effect of State Partition)

बिहार का वर्तमान राजनैतिक स्वरूप कई चरणों से गुजरते हुए 15 नवंबर, 2000 को नए रूप में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल, 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत गठित हुए। 1 अप्रैल, 1936 को बिहार से ओडिशा को अलग किया गया। स्वतंत्रता के समय बिहार को 'ए' श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1953 ई. में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 ई. में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की राजनैतिक सीमा का पुनर्गठन किया गया। बिहार के मानभूम, पुरुलिया, पूर्णिया एवं किशनगंज का कुछ भाग पश्चिम बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। पुनः 15 नवंबर, 2000 को बिहार को विभाजित कर झारखंड नामक नए राज्य का गठन किया गया।

झारखंड को बिहार से विभाजित करने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, यद्यपि 1989-90 में केंद्र सरकार ने 4 राज्यों—उड़ीसा, बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाकों को मिलाकर राज्य बनाने के लिए विचार करने हेतु 'झारखंड मामलों पर समिति' का गठन किया था, जिसने यह कहते हुए कि इससे क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद को बल मिलेगा तथा क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, झारखंड निर्माण की माँग को नकार दिया था। अतः जनजातीय जनसंख्या का ध्यान में रखते हुए ही अंततः 1995 ई. में 'झारखंड स्वशासी क्षेत्र परिषद्' का गठन किया गया। अंततः 15 नवंबर, 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक् कर दिया गया।

बिहार विभाजन के प्रभाव को समझने के लिए विभाजन के पूर्व की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है। अविभाजित बिहार का क्षेत्रफल 1,73,476 वर्ग किलोमीटर था। विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर रह गया, जो कुल क्षेत्रफल का 54 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत (8.2 करोड़) बिहार के पास रह गया। बिहार के 56 जिलों में से 18 जिलों को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया। अविभाजित बिहार की 324 विधानसभा सीटों में से 243 बिहार में रह गईं एवं 81 सीटें झारखंड में चली गईं। लोकसभा की 54 सीटों में 40 सीटें एवं विधानपरिषद् की 96 सीटों में से 75 सीटें बिहार में रहीं। चूँकि झारखंड में विधानपरिषद् की व्यवस्था नहीं है, अतः जब तक शेष विधान पार्षदों की कार्यावधि समाप्त नहीं हो गई, तब तक उन पार्षदों का दायित्व बिहार पर ही रखा गया।

विभाजन का प्रभाव सर्वाधिक आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। राज्य के बड़े औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद आदि झारखंड में चले गए। खनिज संसाधन, जिसके लिए बिहार देश में सबसे धनी राज्यों में एक था, विभाजन के बाद प्रमुख खनिज क्षेत्र धनबाद, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि झारखंड में चले गए। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 23,605 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र झारखंड में चला गया। इस प्रकार प्रमुख संसाधन, खनिज एवं वन तथा बड़े औद्योगिक केंद्र के झारखंड में चले जाने से बिहार मूलतः कृषि-प्रधान राज्य बनकर रह गया है।

मात्र एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बरौनी, जहाँ तेलशोधन उद्योग, ताप ऊर्जा केंद्र एवं रासायनिक उर्वरक उद्योग

स्थापित हैं, बिहार में रह गया। उद्योग के नाम पर बिहार में चीनी उद्योग, जिसमें अधिकांशतः बीमार अथवा बंद हैं तथा डालमियानगर जैसे कागज एवं सीमेंट के बंद कारखाने ही रह गए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में ऊर्जा उत्पादन का बहुत कम हिस्सा बिहार को मिला। अविभाजित बिहार में स्थापित कुल विद्युत निर्माण क्षमता का 64 प्रतिशत झारखंड को, जबकि मात्र 36 प्रतिशत बिहार को मिला। बिहार में विभाजन के समय बरौनी एवं काँटी ताप विद्युत संयंत्र जो रुग्ण अवस्था में थे, बिहार के हिस्से में आए थे। राज्य विभाजन के बाद कुल वन संसाधन का मात्र 21 प्रतिशत बिहार के पास तथा कुल खनिज संपदा का 6 प्रतिशत बिहार के हिस्से में मिला है। विभाजन के पूर्व बिहार में नगरीकरण का स्तर 13.14 प्रतिशत था, वह विभाजन के बाद घटकर 10.76 प्रतिशत रह गया है। विभाजन के बाद राज्य का अधिकांश हिस्सा बाढ़ प्रभावित अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में है, जिसके कारण राज्य की आय का अधिकांश हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में खर्च हो जाता है।

राज्य के विभाजन का प्रभाव परिसंपत्तियों के बँटवारे एवं राजस्व विभाजन पर भी पड़ा है। इसके कारण शेष बिहार पर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। झारखंड बिहार राज्य के कुल राजस्व में विभाजन के पूर्व 37.76 प्रतिशत का योगदान देता था। केंद्रीय कर में राज्य के कुल केंद्रीय कर का झारखंड क्षेत्र का हिस्सा 48.36 प्रतिशत था। इस तरह संसाधनों की कमी बिहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विभाजन के बाद झारखंड क्षेत्र का विकास शेष बिहार की तुलना में अधिक हुआ है, जबकि शेष बिहार में इसकी गति धीमी रही है। 1990-91 में जहाँ अविभाजित बिहार का GSDP 26,71,661 लाख रुपए था तथा प्रति व्यक्ति आय 3119 रुपए थी, जिसमें झारखंड क्षेत्र में पड़नेवाले भाग का GSDP 10,47,824 लाख रुपए एवं प्रति व्यक्ति आय 4,827 रुपए तथा शेष बिहार क्षेत्र में पड़नेवाले भाग का GSDP 16,23,837 लाख रुपए एवं प्रति व्यक्ति आय 2539 रुपए रह गई। यह आँकड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात के दृष्टिकोण से असंतुलन की स्थिति को स्पष्ट करता है।

विभाजन के बाद बिहार को एक गंभीर संकट परिसंपत्तियों के बँटवारे से संबंधित झेलना पड़ा है। संयुक्त बिहार का बिहार राज्य विद्युत निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बड़े औद्योगिक केंद्र, बड़े उद्योगों पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग एवं अन्य लोक संस्थाओं की अधिकांश इकाइयाँ झारखंड क्षेत्र में स्थित होने से परिसंपत्तियों के बँटवारे में शेष बिहार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

विभाजन के कारण राज्य की सामाजिक संरचना पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। विभाजन के पूर्व राज्य में जनजातीय क्षेत्र की बहुलता थी। अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ केंद्र द्वारा संचालित होती थीं, जिससे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। विभाजन के पश्चात् अधिकतर जनजातीय क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण राजस्व भी झारखंड के हिस्से में चला गया, जिसका प्रभाव बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा। विभाजन के पश्चात् गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करनेवाले अधिकतर परिवारों की संख्या बिहार में रह गई, जिससे आर्थिक बोझ में वृद्धि हुई एवं विकास कार्य प्रभावित हुआ।

□

37. विशेष राज्य के दर्जे की माँग एवं विशेष पैकेज, 2015

(Demand of Special Status and Special Package)

बिहार मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था-प्रधान राज्य है। यहाँ की 80 प्रतिशत आबादी कृषि एवं कृषि सहवर्ती क्षेत्रों पर आश्रित है। संसाधनों की घोर कमी के कारण यह राज्य भारत के सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी में है। राज्य में आधारभूत संरचना, यथा—ऊर्जा की कमी, परिवहन एवं संचार व्यवस्था का कम विकसित होना तथा निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी आदि राज्य के विकास के प्रमुख बाधक तत्त्व हैं। राज्य में खनिज एवं वन संसाधन की कमी है। 2000 ई. के बाद से इसका अधिकांश हिस्सा झारखंड क्षेत्र में चला गया, जबकि जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा (75 प्रतिशत) बिहार में रह गया है। बिहार में यद्यपि जल एवं भूमि संसाधन की अधिकता है, लेकिन भारी वर्षा एवं अनेक नदियों के तीव्र प्रवाह के कारण बाढ़ की स्थिति डेढ़ से दो माह तक बनी रहती है।

इन परिस्थितियों में बिहार के विकास के लिए अधिक-से-अधिक केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की माँग लगातार बिहार द्वारा की जाती रही है। इसके लिए बिहार सरकार बिहार विधानसभा से 4 अप्रैल, 2006 को सर्वसम्मति से विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा संबंधी प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज चुकी है, जिसमें केंद्र से यह माँग की गई है कि जिन पिछड़ेपन के आधारों पर देश के अन्य 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, उन्हीं आधारों पर बिहार को भी यह दर्जा प्रदान किया जाए।

यद्यपि विशेष राज्य के दर्जे के लिए संविधान में अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) ने देश के सीमावर्ती राज्य, पर्वतीय-पठारी राज्य, जनजातीय जनसंख्यावाले राज्य अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े राज्यों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए विशेष राज्य के प्रावधान का मानदंड निर्धारित किया है। इसी प्रावधान के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय योजना आयोग की अनुषंगी संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर देने का निर्णय लिया जाता है। यद्यपि विशेष दर्जे के राज्य के लिए कोई संवैधानिक मानदंड निर्धारित नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर एक शपथ-पत्र में 4 आधार का उल्लेख किया गया है, जो निम्न हैं—

- भौगोलिक विलगाव वाले क्षेत्र।
- अगम्यता वाले क्षेत्र।
- संसाधनों की कमी वाले क्षेत्र।
- आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र।

विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार द्वारा विशेष

सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के राज्य को केंद्रीय सहायता का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में एवं 30 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में देश में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त है। बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा राज्य है। आधारभूत संरचना में ऊर्जा की कमी तथा ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को कोल लिंकेज की समस्या है, प्राकृतिक आपदा बाढ़ की गंभीर समस्या है। गरीबी एवं बेरोजगारी की उच्च दर, उग्रवाद की समस्या, शैक्षिक स्तर में ह्रास आदि बिहार को विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं। अतः बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि संसाधनों की कमी एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटते हुए विकास की गति को तीव्र करना तभी संभव है, जब विशेष सहायता केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के संदर्भ में योजना आयोग एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड में पिछड़ेपन को आधार नहीं बनाया गया है। पिछड़ेपन का पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को हमेशा नकारा जाता रहा है, लेकिन बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की माँग को लगातार उठाए जाने के कारण प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अध्यक्षता में पिछड़ेपन को विशेष राज्य के दर्जे का मानदंड निर्धारित करने के लिए समिति का गठन मई 2013 में किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन 26 सितंबर, 2013 को सौंपा। इस समिति में बिहार के अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता भी शामिल थे। इस समिति की सिफारिश में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का निर्माण कर राज्यों के पिछड़ेपन मापने का आधार बनाने की बात कही गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निर्माण में निम्न घटकों को शामिल करने की बात समिति द्वारा कही गई है—

- प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च।
- शिक्षा का स्तर।
- स्वास्थ्य (शिशु मृत्यु दर शामिल)।
- घरेलू सुविधाएँ (पेयजल, शौचालय)।
- गरीबी का स्तर।
- महिला साक्षरता।
- अनुसूचित जाति और जनजाति का जनसंख्या में प्रतिशत।
- नगरीकरण की दर।
- वित्तीय समावेशन तथा परिवहन संपर्क सुविधा।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण UNDP एवं ऑक्सफोर्ड पावर्टी तथा ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से 2010 ई. में किया गया है। इसमें 100 विकासशील देशों को सम्मिलित कर सूचकांक का निर्माण किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर को शामिल किया गया है, जिसमें निम्न संकेतक शामिल हैं—

आयाम (Dimension) : स्वास्थ्य

संकेतक (Indicators) : (i) बाल मृत्यु दर (ii) पोषण

आयाम (Dimension) : शिक्षा

संकेतक (Indicators) : (i) विद्यालय में अध्ययन का वर्ष (ii) विद्यालय में उपस्थिति

आयाम (Dimension) : जीवन स्तर

संकेतक (Indicators) : (i) भोजन बनाने में ईंधन उपयोग (ii) शौचालय (iii) जल (iv) विद्युत (v) घर की स्थिति (vi) संपत्ति

बहुआयामी गरीबी सूचकांक के निर्धारण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है—

$$MPI = H \times A$$

यहाँ H से तात्पर्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत रहनेवाले लोगों का प्रतिशत तथा A का तात्पर्य बहुआयामी सूचकांक के बाहर रहनेवाले औसत गरीबी तीव्रता से है।

MPI के आधार पर भारत के राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वैसे राज्य, जिनका सूचकांक 0.6 या उससे अधिक है, उन्हें न्यूनतम विकसित राज्य की श्रेणी में रखा गया है तथा कहा गया है कि ऐसे राज्य को ही विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार इसी श्रेणी में है, क्योंकि बिहार का सूचकांक 12.04 है। 0.4 से 0.6 के बीच स्थित राज्य को कम विकसित तथा 0.4 से कम सूचकांक वाले राज्य को सापेक्षिक रूप से विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक के आधार पर भारत का सबसे विकसित राज्य गोवा है, जिसका सूचकांक 0.3 है। रघुराम राजन समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि इस सूचकांक को प्रति 5 वर्ष पर अद्यतन किया जाए एवं प्रति 10 वर्ष पर इसके सूचकांक तथा MPI निर्धारण सूत्र को पुनःनिर्धारित किया जाए। इस प्रतिवेदन के अनुसार सभी राज्यों को केंद्रीय वित्त सहायता की 0.3 प्रतिशत राशि स्थिर आवंटन के रूप में देने की बात कही गई है। नीचे की तालिका में राजन समिति, योजना आयोग, वित्त आयोग एवं विकास सूचकांक के आधार पर बिहार एवं देश के अन्य राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है—

राज्यों के बीच आवंटन प्रतिशत की तुलना

राज्य : आंध्र प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.52

राजन समिति : 6.85

योजना आयोग : 7.34

वित्त आयोग : 6.61

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.73

राजन समिति : 0.97

योजना आयोग : 1.56

वित्त आयोग : 0.5

राज्य : असम

विकास सूचकांक : 0.71

राजन समिति : 3.05

योजना आयोग : 4.93

वित्त आयोग : 3.31

राज्य : बिहार

विकास सूचकांक : 0.76

राजन समिति : 12.04

योजना आयोग : 7.42

वित्त आयोग : 10.06

राज्य : छत्तीसगढ़

विकास सूचकांक : 0.75

राजन समिति : 3.7

योजना आयोग : 3.14

वित्त आयोग : 2.43

राज्य : गोवा

विकास सूचकांक : 0.05

राजन समिति : 0.3

योजना आयोग : 0.15

वित्त आयोग : 0.23

राज्य : गुजरात

विकास सूचकांक : 0.49

राजन समिति : 3.69

योजना आयोग : 3.05

वित्त आयोग : 3.12

राज्य : हरियाणा

विकास सूचकांक : 0.4

राजन समिति : 1.33

योजना आयोग : 1.36

वित्त आयोग : 1.11

राज्य : हिमाचल प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.4

राजन समिति : 0.67

योजना आयोग : 2.04

वित्त आयोग : 1.54

राज्य : जम्मू और कश्मीर

विकास सूचकांक : 0.5

राजन समिति : 1.83

योजना आयोग : 4.92

वित्त आयोग : 2.51

राज्य : झारखंड

विकास सूचकांक : 0.75

राजन समिति : 3.38

योजना आयोग : 2.96

वित्त आयोग : 2.77

राज्य : कर्नाटक

विकास सूचकांक : 0.45

राजन समिति : 3.73

योजना आयोग : 4.13

वित्त आयोग : 4.39

राज्य : केरल

विकास सूचकांक : 0.09

राजन समिति : 0.38

योजना आयोग : 1.95

वित्त आयोग : 2.45

राज्य : मध्य प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.76

राजन समिति : 9.56

योजना आयोग : 6.91

वित्त आयोग : 6.72

राज्य : महाराष्ट्र

विकास सूचकांक : 0.35

राजन समिति : 3.94

योजना आयोग : 6.64

वित्त आयोग : 5.28

राज्य : मणिपुर

विकास सूचकांक : 0.57

राजन समिति : 0.5

योजना आयोग : 1.39

वित्त आयोग : 0.8

राज्य : मेघालय

विकास सूचकांक : 0.69

राजन समिति : 0.65

योजना आयोग : 1.11

वित्त आयोग : 0.51

राज्य : मिजोरम

विकास सूचकांक : 0.49

राजन समिति : 0.4

योजना आयोग : 1.09

वित्त आयोग : 0.5

राज्य : नागालैंड

विकास सूचकांक : 0.55

राजन समिति : 0.45

योजना आयोग : 0.13

वित्त आयोग : 0.84

राज्य : ओडिशा

विकास सूचकांक : 0.8

राजन समिति : 6.53

योजना आयोग : 4.62

वित्त आयोग : 4.83

राज्य : पंजाब

विकास सूचकांक : 0.35

राजन समिति : 1.07

योजना आयोग : 1.26

वित्त आयोग : 1.45

राज्य : राजस्थान

विकास सूचकांक : 0.63

राजन समिति : 8.42

योजना आयोग : 4.79

वित्त आयोग : 5.84

राज्य : सिक्किम

विकास सूचकांक : 0.43

राजन समिति : 0.35

योजना आयोग : 0.67

वित्त आयोग : 0.35

राज्य : तमिलनाडु

विकास सूचकांक : 0.34

राजन समिति : 2.51

योजना आयोग : 4.46

वित्त आयोग : 5.01

राज्य : त्रिपुरा

विकास सूचकांक : 0.47

राजन समिति : 0.52

योजना आयोग : 1.78

वित्त आयोग : 0.81

राज्य : उत्तर प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.64

राजन समिति : 16.41

योजना आयोग : 10.09

वित्त आयोग : 18.16

राज्य : उत्तराखंड

विकास सूचकांक : 0.38

राजन समिति : 0.79

योजना आयोग : 1.9

वित्त आयोग : 1.15

राज्य : पश्चिम बंगाल

विकास सूचकांक : 0.55

राजन समिति : 5.5

योजना आयोग : 6.93

वित्त आयोग : 6.72

राज्य :

विकास सूचकांक : कुल

राजन समिति : 100

योजना आयोग : 100

वित्त आयोग : 100

Source : Committee for Evolving a Composite Development Index of Status report, PRS

विशेष पैकेज, 2015

बिहार में असीमित क्षमता है और यह पूरे देश को मजबूती प्रदान कर सकता है। भारत पूर्णरूप से तभी विकसित होगा, जब भारत के पूर्वी भाग का विकास होगा। इसलिए बिहार का विकास केंद्र सरकार के एजेंडे के रूप में शामिल है। विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक पैकेज को स्वीकृति दी। इस पैकेज में यह ध्यान रखा गया है कि सहायता के सारे स्रोत बिहार को आनेवाले वर्षों में स्वावलंबी बनाने में मदद करें। समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए उसकी युवा पीढ़ी का स्वावलंबन होना अतिआवश्यक है, साथ ही साथ समाज के वर्तमान के पालनकर्ता की आय को बढ़ाना भी आनेवाली पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने में मदद करता है। इस पूरे पैकेज में युवा वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करना और किसान, जो कि वर्तमान बिहार के पालनकर्ता हैं, की आय को बढ़ाने का मुख्य बिंदु बनाया गया है। विशेष पैकेज, 2015 में किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए यह घोषणा की गई है कि कृषि मंत्रालय को अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यह किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मनुष्य और उत्पाद का आवागमन जहाँ सरल तरीके से हो, विकास पहले उसी क्षेत्र का होता है। पैकेज में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, महत्वपूर्ण नदियों पर पुल का काम तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 54,713 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण, कोसी और सोन नदी के ऊपर पुल का निर्माण, धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शामिल हैं।

भंडारण और यातायात सुविधा के अभाव के कारण किसान अपने उत्पाद को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस पैकेज में अनाज भंडारण क्षमता में विकास के लिए 814 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़क के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 22,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु 13,820 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रेलवे के विकास के लिए 8109 करोड़ रुपये की लागत पर 676 किलोमीटर का दोहरीकरण/तिहरीकरण की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है तथा 761 करोड़ रुपये की लागत पर 574 किलोमीटर के विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है। इस तरह रेलवे के क्षेत्र में कुल 8870 करोड़ रुपये का प्रावधान इस पैकेज में है। मोकामा में गंगा नदी के ऊपर रेल व रोड पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिया गया है।

विशेष पैकेज, 2015 में किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए यह घोषणा की गई है कि कृषि मंत्रालय को अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।

पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन के विस्तार में बिहार के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर में 110 करोड़ रुपये की लागत से एक नए एल.पी.जी. प्लांट की स्थापना की जाएगी।

बिहार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों को वायुमार्ग से देश और विदेश में संपर्क हेतु पटना में नए एयरपोर्ट तथा गया, पूर्णिया और रक्सौल के एयरपोर्ट के विकास के लिए 2700 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल फोन की उत्तम सुविधा के लिए 1 हजार नए बी.टी.एस. टावर्स को स्थापित करने का प्रावधान है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल फोन की सुविधा में मदद मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चर क्लस्टर की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के दो केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। दो नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्र, मुजफ्फरपुर और बक्सर में स्थापित करने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ पटना के वर्तमान केंद्र के विकास का भी प्रावधान है।

बिहार के किसानों की जटिल समस्या उनकी उत्पादकता का कम होना है। नए अनुसंधान और विकास तथा लैब फार्म को बढ़ावा देने के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। मत्स्यपालन, जल प्रबंधन, खेती के यंत्रीकरण और गुणवत्तावाले बीजों के उत्पादन के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत कृषि पर शोध के लिए राष्ट्रीय संस्था का प्रावधान है।

युवा वर्ग को उत्तम शिक्षा और कौशल विकास करने के लिए 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के अंतर्गत 1 लाख युवक-युवतियों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य में बड़े स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसकी कुल लागत 1250 करोड़ रुपए की होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भागलपुर के निकट ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जगह एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, साथ ही साथ बोधगया में एक नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना का प्रावधान है। पटना, गया और भागलपुर में 3 चिकित्सा महाविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस पैकेज में ऊर्जा के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण की व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है। बक्सर में 1300 मेगावाट के नए विद्युत उत्पादन केंद्र का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ गाँव-गाँव में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना में राज्य के लिए 5,880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेतों में पर्याप्त और घरों में निरंतर बिजली देने का है। हर गाँव में दो अलग-अलग लाइनों की व्यवस्था की जाएगी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत शहरों में निरंतर बिजली देने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य के लिए किया गया है।

बिहार राज्य में गैस की आपूर्ति के लिए जगदीशपुर-हल्दिया लाइन के लिए 2,300 करोड़ रुपए की लागत से 617 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाने का प्रावधान किया गया है। पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन के विस्तार में बिहार के लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर में 110 करोड़ रुपए की लागत से एक नए एल.पी.जी. प्लांट की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य में स्थित बरौनी रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 मिलियन टन से 9 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रावधान इस पैकेज में है तथा बरौनी में ही एक पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना का प्रावधान है। रक्सौल से नेपाल में अमलेसगंज तक पेट्रोल-डीजल पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। बिहार के युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से वैशाली, बोधगया, चंपारण, विक्रमशिला, सुल्तानगंज, पटना इत्यादि जगहों पर हेरिटेज टूरिस्ट सर्किल के विकास का प्रावधान किया गया है।

राज्य में युवा वर्ग को अधिक-से-अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए औद्योगिक यूनिट्स की स्थापना हो, यह सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन कर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट और मशीनरी की लागत में 15 प्रतिशत की राशि के बराबर टैक्स में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया गया है। यह कटौती 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के बीच हुए निवेश पर लागू होगी। इसके साथ ही नए प्लांट और मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि तक पिछड़े क्षेत्रों में निवेश की 15 प्रतिशत राशि Depreciation Allowance के तौर पर पहले वर्ष में दी जाएगी। बिहार में लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए से विभिन्न परियोजनाएँ लागू करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत बाँका में 4000 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट

निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 20 हजार करोड़ रुपए की लागत पर प्रस्तावित है।



Downloaded From
www.studymasterofficial.com

38. नक्सलवाद

(Naxalism)

नक्सलवाद एक विचारधारा है, जिसके अनुसार समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग अपने अधिकारों की माँग को लेकर उग्र एवं हिंसक गतिविधियों को संचालित करने लगते हैं। यह विचारधारा मार्क्स, लेनिन और माओ-त्से-तुंग जैसे साम्यवादियों के विचारों से प्रेरित है। 'नक्सलवादी आंदोलन' की शुरुआत भारत में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित नक्सलबाड़ी गाँव से चारू मजूमदार के नेतृत्व में 1967 ई. में हुई। पाँच सौ वर्ग किलोमीटर में फैला पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी इलाका 3 पुलिस थानों—नक्सलबाड़ी, खाड़ीबड़ी और फाँसीदेवा के अधीन था। यहाँ की आबादी में ज्यादातर आदिवासी थे, जो संथाल, उराँव, मुंडा और राजवंशी समुदायों से आते थे। चारू मजूमदार ने सिलीगुड़ी के एक जमींदार परिवार से संबंधित होने के बावजूद 1937-38 ई. में बीड़ी मजदूरों को संगठित करने में अपना योगदान दिया। बाद में सी.पी.आई. में सम्मिलित होकर 1967 ई. में कान्हू सान्याल के साथ सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ-त्से-तुंग के उस विचार से प्रभावित थे, जिसके अनुसार भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीति जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र एवं कृषि तंत्र पर कब्जा हो गया है तथा जिसे केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है।

राज्य के 38 जिलों में 15 से अधिक जिले जमुई, कैमूर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, गया एवं रोहतास इसकी चपेट में हैं।

1970-80 के दशक से बिहार इस समस्या से प्रभावित रहा है। सर्वप्रथम बिहार में वैचारिक स्तर पर फैलाव शुरू हुआ। किसान-मजदूर समर्थित साम्यवादी विचारधारावाली राजनैतिक पार्टियों को चुनावों में अधिक मत प्राप्त होने लगे। इससे इनकी विचारधारा का प्रभाव भूमिहीन, किसानों एवं मजदूरों पर पड़ा। इनके समर्थकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ये भूमिहीन किसान-मजदूर संगठित होने लगे, जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसी का लाभ उठाकर नक्सलवाद जैसा अतिवादी विचार इस क्षेत्र में फैलने लगा। राज्य के 38 जिलों में 15 से अधिक जिले जमुई, कैमूर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, गया एवं रोहतास इसकी चपेट में हैं। बिहार में नक्सलवाद आगे चलकर जातीय संघर्ष के नए रूप में अवतरित हो गया। 1980 से लेकर 2010 तक बिहार में विभिन्न सामूहिक नरसंहार की घटनाएँ घटित हुईं। सामूहिक नरसंहार की पहली घटना पूर्णिया जिले के रूपसपुर गाँव में घटी, जहाँ भूपतियों ने 14 आदिवासियों की हत्या कर दी। 1979 ई. में पटना के बेलछी में 11 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई। 1980 ई. में पारसबिगहा में 11 तथा पिपरा में 14 लोग मारे गए। 1985 ई. में नरसंहार की 3 घटनाएँ कैथी बिगहा में 11, बाँडी में 15, लक्ष्मीपुर में 12 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। 1986 ई. में अरवल में 22, केसारा में 11, गैनी में 12, दरमियाँ में 11 लोग इसकी चपेट में आ गए। 1987 ई. में औरंगाबाद के दलेलचक बगेरा में एक जाति विशेष के 54 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। 1988 ई. में जहानाबाद के मोनही नगवाँ में 21 तथा टमूहा खगड़ी में 11 लोग मारे गए। 1989 ई. में

धनवार बिहटा में 21 तथा रोहतास जिला के केसरी में 10 लोगों की हत्या कर दी गई। 1991 ई. में मलवरिया में 14, तीस खोख में 14, दवसहियारा में 15 लोग सामूहिक नरसंहार के शिकार बने। 1992 ई. में गया के बारा में 34, 1996 ई. में नरकटिया में 19 तथा भोजपुर के बथानी टोला में 22 लोगों की मौत हो गई। 1997 ई. हैबसपुर में 10, दानापुर में 10, जहानाबाद के अमकोदर में 10 तथा पटना के जलपुरा में 11 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गई।

1 दिसंबर, 1997 को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में 62 दलितों की हत्या कर दी गई, जिसमें मरनेवाले अधिकांशतः महिला एवं बच्चे थे। 10 जनवरी, 1998 को वामपंथी उग्रवादियों द्वारा बाथे हत्याकांड का बदला रामपुर चौसा में 9 रणवीर सेना समर्थकों की हत्या से लिया गया। 1999 ई. में जहानाबाद के शंकर बिगहा में 23 दलितों की हत्या कर दी गई। इसी साल जहानाबाद के सेनारी गाँव में एम.सी.सी. के द्वारा 38 लोगों की हत्या कर दी गई।

सामूहिक नरसंहार की इन घटनाओं के कारण जाति-आधारित अनेक सशस्त्र निजी सेनाओं के गठन की प्रक्रिया को बल मिला, जिसके पीछे अपनी जाति की सुरक्षा के साथ-साथ वर्चस्व स्थापित करना भी प्रमुख उद्देश्य था। वामपंथी संगठनों, जिन्होंने नक्सलवादी आंदोलन को राज्य में फैलाने का कार्य किया, में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम.एल.), पार्टी यूनिटी, एम.सी.सी. समर्थित लाल सेना, पार्टी यूनिटी समर्थित लाल स्क्वाड प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश के पीपुल्सवार गुरप से संबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का भी प्रभाव क्षेत्र चंपारण, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद जिलों में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद तथा सीवान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम.एल.) गया, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं रोहतास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव रखती है। इन वामपंथी संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि को कम करने के लिए राज्य में भूस्वामियों द्वारा अलग-अलग नाम की निजी सेनाओं का गठन किया गया। इनमें रणवीर सेना 1994 ई. में समृद्ध किसानों द्वारा, सनलाइट सेना 1989 ई. में मुस्लिम एवं राजपूत भूस्वामियों द्वारा, लौरिक सेना 1985 ई. में यादव भूस्वामियों द्वारा, ब्रह्मर्षि सेना 1981 ई. में भूमिहार जाति द्वारा, भूमि सेना 1979 ई. में मध्यम कृषकों द्वारा, कुँवर सेना 1978 ई. राजपूत समृद्ध कृषकों द्वारा गठित की गई।

बिहार में उग्रवाद के प्रमुख कारणों में भूमि का असमान वितरण, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, भूमिहीन श्रमिकों को कम मजदूरी, बिहार के गाँवों का अपेक्षाकृत कम विकसित होना आदि शामिल हैं। राज्य में 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ पर छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा है। इन कृषकों के पास औसतन एक एकड़ से भी कम की जोत है। राज्य में भूमिहीन श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलना यहाँ पर नक्सलवादी संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण है। राज्य में 'भूदान आंदोलन' से प्राप्त भूमि या तो बंजर है या बड़े भूस्वामियों द्वारा पुनः कब्जे में ले ली गई है। राज्य की ज्यादातर गैर-मजदूर जमीनों पर भूस्वामियों का कब्जा है।

इसके अलावा विगत कुछ वर्षों में नक्सली संगठनों के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी भवनों, जैसे—स्कूलों, सामुदायिक भवनों, रेलवे स्टेशनों एवं रेल लाइनों को निशाना बनाया जा रहा है। कैमूर-रोहतास क्षेत्र में 'पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी' नामक माओवादी संगठन सक्रिय है। सरकार के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए 'कंबाइन फोर्स फॉर रेजुलेट एक्शन फोर्स' (कोबरा) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को सुरक्षा देने के साथ-साथ इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना रहा है।

राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक जिले में एक हथियारबंद दस्ते का गठन क्विक रেসपांस टीम के नाम से हुआ है। पुलिस बल में सुधार, भूमि सुधार आयोग का गठन, सैप की स्थापना आदि प्रयास इसके प्रभाव को कम करने में कारगर साबित हुआ है। प्रत्येक जिले में एक मॉडल थाना बनाने का निर्णय लिया गया है। नक्सल-प्रभावित इलाकों में समेकित एवं त्वरित विकास हेतु राज्य सरकार ने 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ 21 जनवरी, 2006 को जहानाबाद जिले से किया है। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम 8 जिलों के 25 प्रखंडों की 65 पंचायतों में लागू है। इन क्षेत्रों में सरकार की तरफ से बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संगठित अपराध एवं नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावकारी कार्रवाई करने हेतु मार्च, 2006 में सैप (स्पेशल ऑक्जीलरी पुलिस) का गठन किया गया। वर्तमान में कुल कार्यरत सैप बलों की संख्या लगभग 6500 है। सभी 38 जिलों में महिला पुलिस थाना की स्थापना की गई है।

'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ 21 जनवरी, 2006 को जहानाबाद जिले से किया है। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम 8 जिलों के 25 प्रखंडों की 65 पंचायतों में लागू है।

एकीकृत कार्य योजना के तहत वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 11 जिलों, यथा—अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, मुंगेर, कैमूर, प. चंपारण एवं सीतामढ़ी जिलों में ज्यादा तेजी से योजनाओं को पूर्ण करने पर ध्यान दिया जा रहा है। वामपंथ उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए विशेष आधारभूत संरचना योजनांतर्गत विशेष कार्यबल के उन्नयन हेतु इन क्षेत्रों में पुलिस भवन के निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को अधिकृत किया गया है। निगम को उपलब्ध राशि से विशेष बलों के प्रशिक्षण केंद्र, आवास, बैरक, वाच टॉवर, हेलीपैड, मैगजीन रूम एवं मोर्चा इत्यादि कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

नक्सल समस्या के समाधान हेतु राज्य में व्यापक एवं समेकित योजना बनाने की दिशा में स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) का गठन 2000 ई. में किया गया है। इसके आकार में विस्तार एवं क्षमता में वृद्धि से उग्रवादियों एवं संगठित अपराधिक गिरोहों के विरुद्ध अभियान तीव्र हुआ है। वर्तमान में इसकी कुल 33 चीता इकाइयाँ कार्यरत हैं। विशेष कार्य बल के अंतर्गत कुल 11 बम निरोधक दस्ते कार्यरत हैं। इनमें 09 दस्ते बिहार सैन्य पुलिस की विभिन्न वाहिनियों में तथा विशेष शाखाओं में पदस्थापित किए गए हैं। पटना जिला बल एवं रेल जिला बल पटना में एक-एक बम निरोधक दस्ता उपलब्ध कराया गया है। इनके उन्नयन हेतु विशेष आधारभूत संरचना योजना के अंतर्गत एस.टी.एफ. प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण बोधगया में किया जा रहा है।

बिहार पुलिस के श्वान-दस्ता उत्क्रमण का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी रेल जिलों सहित पुलिस जिलों में श्वान-दस्ता (Dog Squad) गठित किया जाएगा, जिसमें दो ट्रैकर, दो स्नीफर एवं आठ हैंडलर श्वान होंगे। इसके अतिरिक्त प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर पर भी सुरक्षित श्वान-दस्ते का प्रावधान किया गया है। श्वान-दस्तों के लिए प्रत्येक जिले में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में 'कौशल विकास' शुरू किया गया है। इसके तहत जमुई, औरंगाबाद, अरवल, गया, रोहतास एवं जहानाबाद में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं दो-दो कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है।

राज्य में वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण-सह-पुनर्वासन योजना के संबंध में नई नीति का निर्धारण किया गया है। उच्चस्तरीय वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण करने पर तात्कालिक सहायता के रूप में 250000 रुपए एवं

मध्यम/निम्नस्तरीय वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 150000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पित हथियारों, विस्फोटकों के लिए अलग से विभिन्न प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। आत्मसमर्पित उग्रवादियों की रुचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के दौरान उग्रवादियों को 4000 रुपए देय मासिक भत्ता (अधिकतम 36 माह तक) का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 270 आत्मसमर्पित उग्रवादियों के पुनर्वासन हेतु 1.4 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। उग्रवादी/आतंकवादी/जातीय हिंसा इत्यादि में मारे गए आश्रितों को मुआवजा राशि पूर्व निर्धारित एक लाख रुपए से बढ़ाकर सितंबर, 2014 से 5 लाख रुपए का निर्धारण किया गया है। उग्रवादी हिंसा या हिंसक गतिविधियों में मारे जानेवाले गृह रक्षक के आश्रितों को 10 लाख रुपए की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत अनुग्रह अनुदान का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के समेकित प्रयास से राज्य में नक्सली एवं उग्रवादी घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी आई है। वर्ष 2016 में कुल 393 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे कुल 133 हथियार, 2672 कारतूस, 37,486 डेटोनैटर, 81 बारूदी सुरंग एवं 4,34,600 लेवी की रकम बरामद की गई। एन.सी.आर.बी. द्वारा वर्ष 2015 के प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार भा.द.वि. के तहत दर्ज संज्ञेय अपराधों की औसत दर (अपराध की संख्या प्रति एक लाख की जनसंख्या पर) 234.2 है। बिहार राज्य की अपराध दर 171.6 है। केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ समेकित रूप से प्रयास करते हुए बिहार में नक्सलवादी वारदातों में कमी लाई गई है।

□

39. बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन एवं विकास की संभावनाएँ

(Economic Backwardness of Bihar and Possibilities of Development)

बिहार में आर्थिक पिछड़ापन

बिहार में आर्थिक विपन्नता श्रमशक्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों के कम अनुपात में उपयोग द्वारा समझी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति तकनीकों में विकास के अभाव तथा कुछ अवरोधक तत्वों के कारण होती है, जो अर्थव्यवस्था में स्फूर्त शक्तियों को उभरने में रुकावट बनाते हैं। बिहार राज्य निम्न आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग दीनता (Destitution) की अवस्था में रह रहा है। बिहार में निर्धनता का रोग तीव्र होने के साथ चिर स्थायी भी है। इसके साथ ही राज्य में अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। निर्धनता का कारण उत्पादन और सामाजिक संगठन के पुराने और प्रचलित तरीकों का व्यवहार है। अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्षण इसका प्राथमिक उत्पादनशील (Primary Producing) होना है अर्थात् कार्यकारी जनसंख्या (Working Population) का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा रहता है और राजकीय आय में कृषि के योगदान का अंश बहुत बड़ा है, साथ ही जन्म और मृत्यु की ऊँची दर राज्य की मुख्य समस्या है। जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु स्वास्थ्य सुविधाओं और उत्तम सफाई व्यवस्था के प्रसार एवं निरोधात्मक तथा उपचारात्मक औषधियों के प्रयोग के कारण जनसंख्या कम होने लगती है। बिहार में श्रम प्रचुर तत्व (Abundant Factors) होता है, परिणामतः समस्त कार्यकारी जनसंख्या को लाभकर रोजगार दिलाना बहुत कठिन है। राज्य की बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक (Structural) है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पूँजी की कमी है, जिसके कारण कुल श्रम शक्ति का उपयोग करने हेतु पर्याप्त उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन में संलग्न श्रमिकों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक है। इस प्रकार निर्वाह क्षेत्र अर्थात् कृषि में श्रम का सीमांत उत्पादन नगण्य, शून्य अथवा नकारात्मक है। अतः कृषि में अदृश्य अथवा गुप्त बेरोजगारी (Disguised Unemployment) विद्यमान है। मानव संसाधन की स्थिति राज्य में निम्न स्तर की है। उच्च स्तर के मानव संसाधन के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाओं और समाज कल्याण पर किया गया व्यय उच्च होना चाहिए। इन सभी कारणों पर विचार करने के उपरान्त राज्य के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण प्रकट होते हैं—

1. **निम्न प्रति व्यक्ति आय**—किसी भी अर्थव्यवस्था के विकसित होने की परिचायक उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय होती है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था की परिचायक है, वहीं निम्न प्रति व्यक्ति आय

उसके पिछड़ेपन को प्रकट करती है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी निम्न है। स्थिर कीमत वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 26,801 रुपए है, जबकि अन्य राज्य, जैसे—झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 54,140 रुपए, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 47,820 रुपए, उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 55,116 रुपए है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 77,435 रुपए है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी नीचे है और भारत की तुलना में उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग एक-तिहाई है।

2. व्यावसायिक ढाँचे का प्राथमिक उत्पादनशील होना—पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं का आधारभूत लक्षण इसका प्राथमिक उत्पादनशील होना होता है एवं उत्पादन के ढाँचे में कच्चे माल तथा खाद्य उत्पादन का प्रधान होना होता है। बिहार की कार्यकारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा रहता है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अंश बहुत बड़ा होता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.3 प्रतिशत है, जबकि बिहार की कार्यकारी जनसंख्या का 76 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा हुआ है। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक होना उसके पिछड़ेपन का परिचायक है।

3. कृषि क्षेत्र का बदहाल होना—बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यह बिहार की अर्थव्यवस्था की गतिशीलता एवं रोजगार प्रदान करता है, परंतु बिहार की कृषि पिछड़ी हुई है। भूमि सुधार के न होने तथा हरित क्रांति के प्रभावों से अछूता रहने के कारण बिहार में उत्पादन का स्तर कृषि क्षेत्र में निम्न स्तर का है। बिहार में अधिकांश किसान छोटे या सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। कुल भूमि के 21 प्रतिशत जोत योग्य भूमि केवल 2 प्रतिशत व्यक्तियों के पास है। बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2779 किलोग्राम है, वहीं पंजाब में 3484 किलोग्राम है। राज्य में कुल जोत की मात्रा 49 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है, जिसके कारण बिहार की कृषि पिछड़ी अवस्था में है, क्योंकि सिंचाई कृषि का महत्वपूर्ण साधन है।

4. बाढ़ की समस्या—बिहार की कुल भूमि का 73.06 प्रतिशत अर्थात् दो-तिहाई भाग बाढ़ से ग्रसित है। बिहार में बाढ़ नेपाल से निकलनेवाली नदियों के कारण आती है। प्रत्येक वर्ष कम या अधिक मात्रा में बाढ़ आने के कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। फसल, मकान, मवेशी, सड़कों का क्षतिग्रस्त होना सामान्य स्थिति है। बिहार के कुल 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से प्रभावित है। देश के कुल बाढ़-प्रभावित क्षेत्र का 17.2 प्रतिशत हिस्सा बिहार में है। भारत में हुई बाढ़ों से क्षति का लगभग 12 प्रतिशत बिहार में होता है। कुल जनसंख्या, जो बाढ़ से प्रभावित होती है, का 21 प्रतिशत हिस्सा बिहार में निवास करती है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों पर विचार करते हुए 'नोबेल पुरस्कार' विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ से आए बेरोजगारी एवं क्रयशक्ति में ह्रास ही बांग्लादेश की दरिद्रता एवं अकाल के आधारभूत कारण हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बाढ़ से आई बेरोजगारी, आर्थिक क्षति एवं बदहाली है।

5. ऊर्जा का अभाव—ऊर्जा आर्थिक विकास का आधार है। जिस राज्य में ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग उच्च होगा, वह राज्य उसी स्तर में विकसित होगा। कृषि हो या उद्योग, किसी भी क्षेत्र का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। बिहार में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता न्यून है। मार्च, 2015 तक बिहार में विद्युत उत्पादन की कुल मात्रा 3704.63 मेगावाट थी, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।

6. औद्योगिक पिछड़ापन—बिहार राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। स्वतंत्रता के समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे था, लेकिन सरकार की नीतियों के अभाव एवं सरकारी

कार्य-प्रणाली के कारण बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य बन गया। बिहार के विभाजन के बाद सभी प्रमुख उद्योग झारखंड में चले गए और बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य बन गया। बिहार में उपलब्ध उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की स्थिति में हैं। राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 28 है, जिसमें 11 चीनी मिलें ही चालू स्थिति में हैं। बिहार राज्य के 7 जिलों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं है।

7. निम्न स्तर की आधारभूत संरचना—यदि कृषि और उद्योग को अर्थव्यवस्था की काया समझा जाता है तो परिवहन और संचार उसकी नसें हैं, जो व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गतिविधि में सहायता करती हैं। परिवहन प्रणाली वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार का विस्तार करती है। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने का उत्पादन श्रम-विभाजन द्वारा संभव हो सकता है। परिवहन विकास से दूर-दराज के इलाके और संसाधन उत्पादन के लिए खुल जाते हैं। किसी क्षेत्र में कृषि, वन और खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु उसका विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक वे सुदूर और पहुँच के बाहर रहेंगे। पिछड़े क्षेत्रों को अधिक विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़कर परिवहन प्रणाली संसाधनों का बेहतर और पूर्ण प्रयोग करने में सहायता देती है। परिवहन सुविधाओं के विस्तार से प्रत्यक्षतः औद्योगिकीकरण में सहायता मिलती है। बिहार में परिवहन सुविधाओं की स्थिति निम्न स्तर की है। सड़क, रेल एवं वायु यातायात की सुविधा पिछड़ी अवस्था में है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई 4595 किलोमीटर है, जबकि राज्य पथ की लंबाई 4253 किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। बिहार राज्य में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 3598 किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में निम्न है। बिहार में रेल घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर मात्र 38 है, जबकि पंजाब में 43 है। प्रति हजार जनसंख्या के आधार पर रेल घनत्व बिहार में मात्र 0.04 किलोमीटर है, वहीं पंजाब में 0.08 किलोमीटर है।

8. वित्तीय संस्थाओं का कम होना—बिहार में वित्तीय संस्थाओं का विकास अन्य राज्यों की तुलना में नहीं हो पाया है। बिहार के विभाजन के बाद साख प्रवाह में और गिरावट हो गई। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 2,092 शाखाएँ हैं तथा बिहार में राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल शाखाएँ 324 हैं। बिहार में ऋण-जमा अनुपात 41.7 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखा 6661 हैं, जो देश की कुल शाखाओं का 5.2 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में 12.1 प्रतिशत है। वित्तीय संस्थाओं का निम्न स्तर होने के कारण उद्योग एवं कृषि कार्यों के लिए ऋण की उपलब्धता नहीं हो पाती है और यह बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है।

9. निम्न आर्थिक विकास दर—बिहार में कृषि एवं उद्योग की बदहाली का असर उसके आर्थिक विकास पर पड़ा है। बिहार के विभाजन के बाद उद्योग झारखंड में चले गए, जिसके परिणामस्वरूप बिहार लगभग उद्योगविहीन हो गया। ऐसी स्थिति में बिहार को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि वह कृषि क्षेत्र पर फोकस करे, परंतु सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यों का प्रभाव कृषि पर नकारात्मक पड़ा। वर्तमान दशक में सरकार के द्वारा कृषि पर ध्यान देने एवं अन्य नीतियों के कारण आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्यकालिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत हुई, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत हुई। वर्ष 2015-16 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3.27 लाख करोड़ रुपए और वर्तमान मूल्य पर 4.14 लाख करोड़ रुपए है।

इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के मूलभूत कारणों पर विचार करने के बाद यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि बिहार में विकास की संभावनाएँ नहीं हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि विकास की सभी संभावनाएँ मौजूद हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा समग्र विकास किया जा रहा

है। कृषि क्षेत्र में बदहाली को दूर करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति एवं औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 की घोषणा की गई है। आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र में विभिन्न बिजली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। सात निश्चय के माध्यम से बिहार राज्य में समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बिहार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86 प्रतिशत है तथा जनसंख्या 10,31,04,637 है, यह देश का तीसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उर्वर भूमि, सदाबाही नदी एवं मानव संसाधन की प्रचुरता के बावजूद इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग न होने के कारण बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है। यद्यपि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनेवाले प्रमुख प्राकृतिक संसाधन खनिज की अनुपलब्धता है। राज्य विभाजन के बाद से स्थिति और दयनीय हो गई। आय के साधन का अभाव एवं पूँजी निर्माण की दर निम्न होने से बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में और पिछड़ता चला गया है तथा बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल हो गया है। ऐसा इसलिए माना गया कि बिहार में न केवल प्रति व्यक्ति आय कम है, बल्कि इसकी आर्थिक समृद्धि और विकास की दर भी बहुत धीमी रही है। 1990-91 से 2002-03 तक अन्य बीमारू राज्यों में अगर आर्थिक वृद्धि दर बहुत धीमी थी तो बिहार में यह नकारात्मक थी। बिहार में इस समय जी.डी.पी. में गिरावट दर्ज की जा रही थी।

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा समग्र विकास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बदहाली को दूर करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति एवं औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 की घोषणा की गई है।

खनिज एवं वन संसाधन के अभाव के बावजूद बिहार में जल संसाधन, मिट्टी संसाधन एवं मानव संसाधन की अकूत उपलब्धता बिहार को देश का सर्वाधिक संभावना वाला राज्य बनाता है। बिहार में विश्व की सबसे उर्वर समतल गंगा का जलोढ़ मैदान उपलब्ध है, जिस पर सदाबाही नदियों का जाल कृषि विकास के लिए सबसे अनुकूलतम भौगोलिक परिस्थिति उत्पन्न करता है। किसी भी संसाधन का अनुकूलतम उपयोग कर विकास की गति को तीव्र करने का कार्य मानव संसाधन द्वारा संभव होता है तथा बिहार इस दृष्टिकोण से भी धनी राज्य है।

इन संभावनाओं के बावजूद आधारभूत संरचना का विकास न होना राज्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक रहा है। राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करनेवाले कई कारक हैं, जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। राज्य को अपने संसाधनों के आधार पर सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर विकास की रणनीति तय करनी होगी। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास की रणनीति अपनानी होगी। राज्य में सामंतवादी एवं सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए विकास पर बल देना होगा। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करने में क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए विकास के सूक्ष्म दृष्टिकोण अर्थात् सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल देना होगा।

राज्य में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसको दूर करने के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएँ लागू की गई हैं। जरूरत है इन योजनाओं का निरंतर मूल्यांकन एवं निगरानी करने की।

राज्य सरकार बिहार आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को दूर कर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्तमान समय में अनेक तरह के प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने क्षेत्रीय संसाधनों के

आधार पर विकास की रणनीति अपनाई है। प्रशासनिक सुधार एवं विधि-व्यवस्था में सुधार लाकर राज्य के विकास के लिए सबसे आवश्यक शर्त पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह के कदम उठा रही है। इसके तहत इ-प्रशासन, भ्रष्टाचार एवं अपराध पर नियंत्रण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, एस.टी.एफ. एवं सैफ का गठन किया है। औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2016 में नई नीति का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा बिहार में निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। कृषि विकास एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार पर बल दिया जा रहा है। राज्य की एक प्रमुख सामाजिक समस्या भूमि विवाद है, जिसके कारण ही नक्सलवाद एवं वर्ग संघर्ष की स्थिति 1980 से 2000 के दशक तक राज्य में गंभीर रूप धारण किए हुए रही, जिसके कारण बिहार में विकास की अवधारणा अवरुद्ध रही।

2010 के दशक से सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के कारण स्थिति में परिवर्तन हुआ है। 2004-05 से 2009-10 के बीच आर्थिक वृद्धि दर न केवल तीव्र हुई है, बल्कि देश में सबसे तेज गति से बढ़नेवाले राज्यों की वृद्धि दर की श्रेणी में आते हुए 11 प्रतिशत तक पहुँच गई है। यद्यपि साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, बाल मृत्यु दर, गरीबी दर आदि में राज्य अभी भी पिछले पायदान पर कायम है। शैक्षिक दृष्टि से बिहार भारत में 35वें स्थान पर है। सरकार ने राज्य को विकास की पटरी पर लौटाने के लिए संस्थागत क्षेत्रों में सुधार की पहल की है। विधि-व्यवस्था एवं प्रशासनिक तंत्र में सुधार पर बल दिया गया है। नीति निर्धारण कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में पारदर्शिता पर बल देने की जरूरत है। वर्ष 2005 में राज्य के प्रशासन को सुधारने के लिए राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है, जिसने विभागों की संख्या कम करने की सिफारिश की है, जिसके आधार पर ही इसकी संख्या 47 से घटाकर 44 कर दी गई है।

राज्य में इ-प्रशासन पर बल दिया गया है तथा सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2007 ई. में सूचना तकनीकी विभाग को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। राज्य में संचार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लोक निजी भागीदारी के तहत बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, जिससे सभी जिलों एवं प्रखंड कार्यालयों को जोड़ा गया है। प्रत्येक पंचायत एवं व्यक्ति तक इ-प्रशासन की पहुँच हो, इसके लिए वसुधा केंद्र की स्थापना की गई है। 2005 ई. में भारतीय भ्रष्टाचार अध्ययन में बिहार को 20 राज्यों में सबसे नीचे स्थान मिला अर्थात् बिहार में भ्रष्टाचार ने एक संगठित उद्योग का रूप ग्रहण कर लिया था। अतः इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। इसमें 2009 ई. में स्पेशल कोर्ट ऐक्ट पारित किया गया। इस ऐक्ट के तहत आय से अधिक संपत्ति रखनेवाले व्यक्तियों पर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। 2011 ई. से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फंड का दुरुपयोग होने के कारण उसे बंद कर उसके स्थान पर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आम लोगों की प्रशासन तक पहुँच हो एवं आसानी से नियत समय-सीमा पर सेवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 को लागू किया गया है।

राज्य में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसको दूर करने के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएँ लागू की गई हैं। जरूरत है इन योजनाओं का निरंतर मूल्यांकन एवं निगरानी करने की। इसके लिए राज्य में आम लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता राज्य के विकास में प्रमुख बाधक रही है। राज्य में अधिकतर पूँजी निवेश केंद्रीय मदद अथवा परियोजना-आधारित निवेश के रूप में हुआ है, जिसके कारण राज्य अपनी प्राथमिकताएँ तय करने में असमर्थ रहा है। बिहार में खनिज संसाधन की कमी है, जबकि कृषि विकास की असीम संभावना है। अतः राज्य के

विकास की प्राथमिकताओं में कृषि को महत्त्व देते हुए नीति बनाने की जरूरत है। बिहार फल एवं सब्जी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। फलों में आम, केला, लीची, मखाना, पपीता, अमरूद राज्य के प्रमुख उत्पाद हैं। फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कर उनके मूल्यवर्धन में वृद्धि की जा सकती है, जिससे न केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आम एवं मखाना पर आधारित उद्योग दरभंगा में, लीची पर आधारित उद्योग मुजफ्फरपुर में एवं केला पर आधारित उद्योग हाजीपुर में स्थापित करने की जरूरत है। इसी तरह स्थानीय संसाधनों, जैसे—पत्थर तोड़ने एवं उससे संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना दक्षिणी बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई आदि जिलों में की जा सकती है। उत्तर बिहार में बड़ी-बड़ी जलमग्न भूमि (आर्द्रभूमि) स्थित है, जिसका विकास मत्स्यपालन और जल कृषि के साथ-साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे न केवल राज्य की आय में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होंगे।

बिहार में मानव संसाधन की अधिकता है। इसका कौशल-वर्धन कर रोजगारपरक बनाने की जरूरत है। इसके लिए बिहार को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने की जरूरत है। राज्य में तकनीकी संस्थान की कमी के कारण प्रति वर्ष हजारों की संख्या में छात्र दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं करोड़ों की राशि उन राज्यों में खर्च करते हैं। अतः राज्य के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाकर न केवल इस भारी राशि के बाह्य प्रवाह को रोका जा सकता है, बल्कि दूसरे राज्यों के छात्रों को भी शिक्षण के लिए आकर्षित किया जा सकता है।

राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास की असीम संभावना है। राज्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थलों में धनी है। इन पर्यटक स्थलों को आधारभूत सुविधा अर्थात् उच्च किस्म की सड़क, विद्युत एवं अन्य भौतिक तथा मनोरंजन की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर और पर्यटक सर्किट विकसित कर राज्य में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। राज्य में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों को जोड़कर बौद्ध सर्किट, जैन से संबंधित स्थानों को जोड़कर जैन सर्किट आदि के विकास का कार्य किया जा रहा है। राज्य में अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल, जैसे—बोधगया, राजगीर, वैशाली, वाल्मीकि नगर आदि स्थित हैं।

□

40. सुशासन एवं सात निश्चय

(Good Governance and Seven Nishchaya)

स्वतंत्रता के बाद से बिहार देश के तीव्र गति से आर्थिक विकास करनेवाले राज्यों में शामिल था। कृषि विकास और औद्योगिक विकास दर में बिहार अग्रणी राज्यों में से एक था। पहले चार पंचवर्षीय योजनाकाल में बिहार में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का विकास किया गया, जिसके कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। दक्षिण बिहार में खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ उत्तर बिहार में कृषि-आधारित मुख्यतः चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग का विकास हुआ, लेकिन 1980 के दशक के बाद से विकास की गति अवरुद्ध होती चली गई। राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव, भ्रष्टाचार, अपराध में वृद्धि, राजनीति का अपराधीकरण जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकसित होने से कृषि और उद्योग के विकास पर विपरीत असर पड़ने लगा। राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा। वर्ष 1990 से वर्ष 2000 के दशक तक आते-आते स्थिति और भयावह हो गई तथा बिहार भारत के बीमारू (BIMARU) राज्यों में शामिल हो गया।

विकास को अवरुद्ध करती अनिश्चितता की स्थिति में 2005 ई. में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ एवं नई सरकार सत्तारूढ़ हुई और बिहार के विकास की संभावना पुनः जाग्रत होने लगी। नई सरकार ने राज्य को अपराधमुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया तथा सुशासन का नारा दिया। राज्य में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर सुशासन का राज्य स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि राज्य की ज्वलंत समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, अपराध पर नियंत्रण करना, नक्सलवाद की समस्या को दूर करना, जातीय विद्वेष को दूर करना, राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना आदि आवश्यक माना गया। उपर्युक्त बातों को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए निम्न प्रयास किए हैं—

- विधि व्यवस्था में सुधार।
- नक्सलवाद एवं उससे संबंधित जातीय तनाव को दूर करने का प्रयास।
- शैक्षिक वातावरण में सुधार।
- निम्न वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं को धरातल पर उतारना।
- राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने का प्रयास।
- महिला सशक्तीकरण पर बल।
- राज्य में सूचना का अधिकार।
- राज्य में लोक सेवा अधिकार कानून को लागू करना।
- लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू करना।

- भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करना।
- स्वास्थ्य सेवा में सुधार।
- मद्यनिषेध लागू करना।
- सात निश्चय।

विधि व्यवस्था में सुधार हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए STF (स्पेशल टास्क फोर्स) एवं SAF (स्पेशल ऑक्जुलियरी फोर्स) का गठन किया गया है। अपराधियों पर मुकदमा चलाकर त्वरित दंड की व्यवस्था के लिए फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था की गई है। फास्ट ट्रैक अदालत का गठन वर्ष 2000 ई. में केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसकी अवधि बढ़ाकर 2011 ई. तक कर दी गई, लेकिन बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपने संसाधनों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को जारी रखा है। मार्च, 2015 तक बिहार में 179 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थे, जो देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक हैं। राजधानी पुलिस ने जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए 'पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम' तथा 'डायल पावर' नामक योजना की शुरुआत की है। बिहार देश का प्रथम राज्य है, जहाँ कारा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं उन्नयन के उद्देश्य से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत Prison Enterprise Resource and Planning System विकसित किया गया है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया लैब का गठन किया गया है।

STF (स्पेशल टास्क फोर्स) का गठन बिहार सरकार द्वारा 2003 ई. में किया गया है, यह राज्य में अपराध नियंत्रण का प्रमुख अंग बन चुकी है। 2003 ई. में स्पेशल टास्क फोर्स का 15 स्क्वाड का गठन किया गया था, जिसकी संख्या वर्तमान में 25 है। 2005 ई. में SAF का गठन सेवानिवृत्त सैनिकों को शामिल कर किया गया। इसका गठन मुख्य रूप से नक्सली एवं आपराधिक तत्त्वों को नियंत्रित करने लिए किया गया है, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। राज्य के सभी 38 जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की जा चुकी है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान पुलिस बटालियन के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

नक्सलवाद की समस्या का प्रारंभ पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान से 1960 के दशक में हुआ। बिहार में इसका विस्तार 1980 ई. के दशक में तेज गति से हुआ। नक्सलवाद के कारण सामाजिक तनाव चरम पर पहुँच गया तथा अनेक जातीय नरसंहार की घटनाएँ घटीं, जिससे राज्य के विकास की सभी योजनाएँ लगभग बंद सी हो गई। नक्सल प्रभावित जिलों में कानून-व्यवस्था में सुधार एवं विकास की योजनाओं को तीव्रता से लागू कर इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।

राजधानी पुलिस ने जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए 'पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम' तथा 'डायल पावर' नामक योजना की शुरुआत की है।

शैक्षिक वातावरण में सुधार के लिए संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार का प्रयास किया गया है। इसमें विद्यालय भवन का निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना आदि का क्रियान्वयन किया गया है, जिससे पिछले दशक में साक्षरता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। लोगों को स्व-शिक्षा मॉड्यूल्स के माध्यम से कंप्यूटर तथा इंटरनेट सिखाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में डिजिटल साक्षरता के लिए 'दिशा' नामक मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ की गई है। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 'अक्षर आँचल योजना' राज्य में चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से बच्चों को जोड़ने के उद्देश्य से विद्यालय चलो केंद्र, प्रयास केंद्र, मकतब-मदरसा नवाचारी केंद्र, तालीमी मरकज केंद्र, उत्थान केंद्र, उत्प्रेरण केंद्र आदि संचालित

किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा सभी अनुमंडलों में ITI संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

निम्न वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं को लागू कर धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। महादलित योजना के द्वारा समाज के सबसे दबे-कुचले वर्ग को ऊपर उठाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया है। बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इनमें दशरथ माँझी कौशल विकास योजना का उद्देश्य महादलित युवक एवं युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना है, जिससे उनका आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हो सके। महादलित विकास के लिए लागू सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर एक-एक विकास मित्र का चयन किया जाता है, जिसमें 52 प्रतिशत महादलित वर्ग की महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित हैं। अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, महादलित शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना, सामुदायिक भवन एवं कॉल सेंटर की स्थापना योजना, महादलित आवास-भूमि योजना, महादलित जलापूर्ति योजना को लागू किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा।

राज्य की कुल आबादी का 48 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। राज्य के विकास की एक अनिवार्य शर्त महिला सशक्तीकरण है।

राज्य की कुल आबादी का 48 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। राज्य के विकास की एक अनिवार्य शर्त महिला सशक्तीकरण है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। 2011 ई. की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात 918 है। राज्य का आर्थिक, सामाजिक एवं समावेशी विकास महिला सशक्तीकरण के बिना संभव नहीं है। इस दिशा में मुख्यमंत्री जरी सुरक्षा योजना, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन, अक्षर आँचल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। सरकार ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015 को लागू किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य में 'हुनर योजना' चलाई जा रही है।

सरकार ने पंचायत स्तर पर चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। 1 अप्रैल, 2016 से राज्य सरकार की सभी प्रकार की नौकरियों में 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। घरेलू हिंसा कानून का पालन हो तथा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जाए, इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या, जो सामाजिक और कानूनी अपराध है, को रोकना तथा बालिका भ्रूण हत्या पर नियंत्रण स्थापित कर लिंगानुपात को संतुलित करना है।

राज्य प्रशासन को पारदर्शी बनाने एवं सबकी पहुँच प्रशासन तक हो, इसके लिए सूचना का अधिकार, लोक सेवा अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिनियम आदि को लागू किया गया है। सूचना का अधिकार कानून को बिहार सरकार द्वारा 2006 ई. से लागू किया गया है। इस कानून के तहत 29 जनवरी, 2007 से टेलीफोन के माध्यम से भी सूचना माँगने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे 'जानकारी कॉल सेंटर' कहा गया है। बिहार लोक सेवाओं

का अधिकार अधिनियम, 2011 में यह व्यवस्था की गई है कि आम जनता को लोक सेवक समय-सीमा के अंदर सेवा उपलब्ध कराएँ। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 में नियत समय-सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार आम जनता को दिया गया है। इसके अंतर्गत मूल रूप से जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र आदि को आसानी से उपलब्ध कराना अधिनियम का उद्देश्य है।

बिहार में 5 जून, 2016 से लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की गई है। इसमें शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गई है, जिसके पास कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यों से संबंधित अपनी शिकायत लिखित, टेलीफोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकता है। शिकायतकर्ता के आवेदन स्वीकार होने के 60 दिनों के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करना अनिवार्य है।

बिहार में मद्यनिषेध

बिहार सरकार द्वारा राज्य में शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसकी चतुर्दिक सराहना हो रही है। इस कार्यक्रम से समाज में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है, जो आनेवाले दिनों में शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नया द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने सरकार गठन के उपरांत इस दिशा में नई पहल प्रारंभ की और शपथ (20 नवंबर, 2015) लेने के महज 6 दिन बाद ही 26 नवंबर, 2015 को मद्यनिषेध दिवस पर उन्होंने शराबबंदी का ऐलान किया। 30 मार्च, 2016 को बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से शराबबंदी विधेयक पास हुआ। 1 अप्रैल, 2016 से देशी शराब की बंदी और 5 अप्रैल, 2016 से राज्य में देशी-विदेशी शराब सहित पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। 5 अप्रैल, 2016 से बिहार में देशी-विदेशी शराब के थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। मद्यनिषेध से संबंधित कानून 1991 ई. में भी पारित किया गया था, जो केवल ताड़ी के प्रयोग से जुड़ा हुआ था।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने तथा उसके सफल क्रियान्वयन हेतु कड़े कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। मिलावटी शराब पीने से किसी की यदि मृत्यु होती है तो वैसी शराब बनाने अथवा बेचनेवाले को मृत्युदंड मिलेगा तथा गंभीर क्षति अथवा अपंग होने की स्थिति में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अवैध शराब व्यापार, खरीद-बिक्री, परिवहन इत्यादि करने पर, औद्योगिक उपयोग वाली स्पिरिट को पिलाने पर, नकली अथवा देशी शराब को विदेशी बताकर पिलाने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम उम्र कैद के साथ 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने अथवा पीकर हंगामा करने, शराब दुकान अथवा अपने परिसर/घर में ही शराबियों का जमावड़ा लगाकर हुड़दंग करने पर 5 साल तथा अधिकतम 10 साल की सजा सहित आर्थिक दंड अधिरोपित होगा। होमियोपैथी, आयुर्वेदिक अथवा अंग्रेजी दवाओं की दुकानों पर शराब पीने/पिलाने की स्थिति में पीनेवाले पर आर्थिक दंड सहित 5-7 साल की सजा एवं पिलानेवाले पर आर्थिक दंड सहित 8-10 साल की सजा क्रियान्वित होगी। बच्चों को शराब पिलाने पर पिलानेवाले को 7-10 साल की सजा और आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था है। महिलाओं एवं बच्चों को शराब व्यवसाय में लगाने पर 5-7 साल की सजा सहित 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने तथा उसके सफल क्रियान्वयन हेतु कड़े कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। मिलावटी शराब पीने से किसी की यदि मृत्यु होती है तो वैसी शराब बनाने अथवा बेचनेवाले को

मृत्युदंड मिलेगा तथा गंभीर क्षति अथवा अपंग होने की स्थिति में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त सामान एवं संपत्ति, यथा—घर, दुकान एवं परिसर को भी सील कर जब्त कर लिया जाना कानूनी प्रावधान में है। इस पर लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार ने जनता के हित में जहरीली शराब से होनेवाली मृत्यु पर तुरंत संबंधित समाहर्ता द्वारा 4 लाख रुपया भुगतान का प्रावधान मरनेवाले के परिवार हेतु किया है तथा गंभीर रूप से घायल हो जाने पर 20 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

सात निश्चय

मार्च, 2015 में 'बिहार दिवस' के अवसर पर राज्य सरकार ने सात निश्चय का निर्णय लिया है। वर्ष 2015-20 के काल में सुशासन के कार्यक्रम को विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी बनाने के लिए बिहार सरकार सात निश्चय को क्रियान्वित कर रही है। ये सात निश्चय निम्नलिखित हैं—

1. **आर्थिक हल एवं युवाओं का बल**—युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगारपरक एवं कुशल बनाने के लिए यह निश्चय लागू किया गया है। इस निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ किया गया है।
2. **आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार**—यह कार्य-योजना महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। इसके तहत 20 जनवरी, 2016 से सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
3. **हर घर बिजली**—15 नवंबर, 2016 से सभी घरों को 24×7 बिजली उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा दिसंबर, 2020 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया है।
4. **हर घर नल का जल**—सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 27 सितंबर, 2016 से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना शुरू की गई है।
5. **घर तक पक्की गली-नालियाँ**—इस योजना के तहत राज्य के सभी सड़कविहीन गाँव एवं टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है, साथ ही गाँवों एवं शहरों में गली-नाली का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 28 अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना प्रारंभ की गई है।
6. **शौचालय निर्माण घर का निर्माण**—इस योजना के तहत हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बिहार को स्वस्थ और स्वच्छ बनाया जा सके एवं खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। 27 सितंबर, 2016 से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना प्रारंभ की गई है।
7. **अवसर बढ़े, आगे पढ़ें**—राज्य में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने लिए इस निश्चय के अंतर्गत अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जी.एन.एम. स्कूल, पैरा मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सभी अनुमंडल में ए.एन.एम. स्कूल तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्कूल एवं राज्य में पाँच नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

□

41. बिहार दिवस

(Bihar Diwas)

बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाने की परंपरा 2010 ई. से प्रारंभ की गई, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार पटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में 22 मार्च, 2010 को प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ किया। इसके बाद से प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि 22 मार्च, 1912 को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को बिहार से अलग करने का गजट प्रकाशित किया गया तथा 1 अप्रैल, 1912 को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर, 1911 को गई थी, जिस दिन भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाई गई थी। नवगठित बिहार प्रांत के प्रथम राज्यपाल सर चार्ल्स स्टूर्वर्ट बेले को एवं उप-राज्यपाल के.सी.एस.आई. को नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त हुए थे।

बिहार दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। वर्तमान समय में भारत के कई शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। 22 मार्च, 2016 को यू.एस.ए., ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, कतर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, मॉरीशस तथा यू.ए.ई. में बिहार दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के बाहर एवं दूसरे देशों में बिहार फाउंडेशन नामक संस्था द्वारा किया जाता है। बिहार फाउंडेशन राज्य सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम है, जो आप्रवासी बिहारियों को राज्य के विकास के लिए निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

सातवें बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि नारी सशक्तीकरण से ही हमारा समाज मजबूत होगा। नारी में जो बड़ी शक्ति और ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल समाज एवं राज्य के विकास के लिए होना चाहिए और इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्राओं को पोशाक एवं साइकिल दी जा रही है। पंचायत एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया। ऐसा करनेवाला बिहार पहला राज्य बना। शिक्षक नियोजन में भी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, महिला सिपाही व सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति में 35 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 'अक्षर आँचल' योजना चलाई जा रही है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह 'जीविका' की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य है। इसमें 1.10 करोड़ महिलाएँ तथा उनका परिवार जुड़ जाएगा। साइकिल योजना के कारण 9वीं कक्षा में पढ़नेवाली लड़कियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है और वे भविष्य के सपनों की उड़ान भरने लगी हैं।

22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि 22 मार्च, 1912 ई. को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को बिहार से अलग करने का गजट प्रकाशित किया गया तथा 1 अप्रैल, 1912 ई. को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर बेहतर हुई है। साक्षरता दर में वृद्धि बिहार में सर्वाधिक रही है। 2021 तक बिहार साक्षरता दर में शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल होना चाहता है। इसके लिए अनेक योजनाएँ चल रही हैं और आगे भी जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है। बिहार दिवस का संकल्प बिहार में सद्भावना स्थापित करना है, ताकि हमारा बिहार गौरव के उच्च शिखर पर पहुँचे। इसके लिए सुशासन के साथ 'सात निश्चय कार्यक्रम' राज्य में प्रभावशाली तरीके से संचालित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है—न्याय के साथ, सबका विकास।

गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन से संबंधित अनेक गतिविधियाँ संचालित की गईं। पर्यटन निगम द्वारा व्यंजन मेला का आयोजन था, तो बिहार ललित कला अकादमी की ओर से चित्रकला प्रदर्शनी। आपदा प्रबंधन विभाग आग, भूकंप, बाढ़, चक्रवात तथा अन्य आपदाओं की जानकारी सुलभ करा रहा था। इसके अलावा उन्नत खेती के तरीके, आधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को दिए जानेवाले अनुदान की जानकारी सहित छोटे-बड़े बच्चों के लिए क्विज, बाल संसद, मार्शल आर्ट, कराटे, चित्रकारी, क्राफ्ट तथा स्वास्थ्य बीमा योजना, आधार कार्ड, सिक्की एवं बाँस कला, महिला स्वयं सहायता समूह, मधुबनी पेंटिंग एवं बिहार की धरोहरों के संबंध में नई-नई जानकारी के साथ-साथ विद्युत कंपनी द्वारा आम जनों की सुविधा हेतु जानकारी देने की भी व्यवस्था सुदृढ़ थी। सूचना जनसंपर्क विभाग की विकासात्मक चित्र प्रदर्शनी बढ़ते एवं बदलते बिहार की तस्वीर पेश कर रही थी, वहीं अभिलेखागार उद्योग एवं अन्य विभागों की प्रदर्शनियाँ क्रमानुक्रम से विकासगाथा का गायन कर रही थीं। कहीं लिट्टी-चोखा की व्यवस्था तो कहीं अन्य बिहारी व्यंजनों की। दिल्ली से लेकर विदेशों तक बिहार दिवस और अवसर विशेष पर बिहारी व्यंजनों की धूम रही।

बिहार सरकार अपने स्वर्णिम अतीत से लोगों को जाग्रत करने के लिए 22 मार्च, 2010 से प्रतिवर्ष बिहार दिवस का आयोजन करती आ रही है। इसका उद्देश्य बिहार के लोगों में स्वाभिमान को जाग्रत करना है। इससे संस्कृति, परंपरा एवं अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता के भाव जगेंगे। बिहार विदेहराज जनक, विश्वामित्र, चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती रहा है। महान विद्वानों, दार्शनिकों, चिंतकों और साहित्यकारों का संबंध बिहार से रहा है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से यह भूमि अत्यंत वैभवशाली रही है। मौर्य वंश के महान शासक सम्राट् अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला था तथा शेरशाह शूरी भी बिहार के थे। यह भगवान् बुद्ध, भगवान् महावीर तथा गुरु गोविंद सिंह की पवित्र धरती है। यहाँ सूफी संतों की वाणी भी गूँजी। 3 प्राचीन विश्वविद्यालयों में नालंदा और विक्रमशिला बिहार में ही थे। बिहार की गाथा की जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम होगी।

बिहार दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है— बिहारियों के बीच भावनात्मक लगाव को विकसित करना तथा बिहार राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करना। इस आयोजन के द्वारा प्राचीन बिहार की ऐतिहासिक समृद्धि तथा राज्य के संसाधनों एवं विकास की परिस्थितियों को आकर्षक रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, जिससे राज्य की नकारात्मक छवि को दूर किया जा सके। इसके माध्यम से राज्य एवं देश के बाहर रह रहे बिहारी उद्योगपतियों, आप्रवासी बिहारियों एवं अन्य उद्योगपतियों में बिहार के प्रति आकर्षण पैदा करना, ताकि राज्य में अधिक-से-अधिक पूँजी निवेश किया जा सके।

'बिहार दिवस' के आयोजन से बिहारी सभ्यता-संस्कृति एवं गौरवगाथा की चर्चा से हमारी नई पीढ़ी शिक्षित एवं सुसंस्कृत होगी। कालक्रम में बिहार का नाम और इसकी सांस्कृतिक खुशबू सात समंदर पार पहुँचेगी और बिहार का सर्वांगीण विकास संभव होगा।

42. समसामयिकी (Current Affairs)

350वाँ प्रकाशोत्सव

प्रकाशोत्सव सिखों के दसवें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इनका जन्म 26 दिसंबर, 1666 को पटना साहिब में हुआ था। तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहिब में 10वें तथा अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश गुरुपर्व (जन्मोत्सव) का आयोजन 31 दिसंबर, 2016 से 5 जनवरी, 2017 तक किया गया। इस प्रकाश उत्सव में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर पटना को मिनी पंजाब का रूप दिया गया था। गांधी मैदान में बने पंडाल को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आकृति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने इस महोत्सव के लिए तीन दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया था। इस समारोह में देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा आदि देशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रकाशोत्सव में पहुँचे। समारोह में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल तथा अनेक गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से लगभग 32 देशों में एक साथ किया गया। पटना के अलावा लखनऊ, जालंधर, कोलकाता, भोपाल तथा अन्य स्टेशनों से भी इसका प्रसारण किया गया।

अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा आदि देशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रकाशोत्सव में पहुँचे। समारोह में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल तथा अनेक गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया।

गांधी मैदान में भक्ति गीत एवं कीर्तन के आयोजन के साथ लंगर की भी व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई। गुरु महाराज की जीवनी एवं उन पर आधारित कीर्तन का आयोजन किया गया। पटना साहिब को सतरंगी रोशनियों से सजाया गया। देश-विदेश से पहुँचे श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए गांधी मैदान, बाईपास एवं कंगन घाट में अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया गया था। इन तीनों टेंट सिटी की सुरक्षा के लिए लगभग 9000 जवानों की तैनाती की गई थी। प्रकाशोत्सव में आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए 26 दिसंबर से 15 जनवरी तक पटना घाट से पटना जंक्शन के बीच 7 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए पटना साहिब स्टेशन के पास अस्थायी थाने का निर्माण किया गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सहयोग के लिए अकाल तख्त प्रबंधन समिति ने लोगों की अनेक समितियाँ गठित की थीं। निगरानी के लिए 85 वाचटावर, CCTV एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने सुरक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखकर लगभग 1200 दंडाधिकारियों, 1300 पुलिस पदाधिकारियों एवं 13000 जवानों की नियुक्ति की थी।

प्रकाशोत्सव में आनेवाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न स्थलों पर 70

हेल्प-डेस्क काम कर रहे थे। स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैनात पुलिसकर्मियों को हैंडहेल्ड मास्क, वायनाकुलर, ड्रेगनलाइट से लैस किया गया था तथा एन.डी.आर.एफ. एवं एस.डी.आर.एफ. की तैनाती की गई थी। प्रकाशोत्सव को आकर्षक एवं यादगार बनाने के लिए आए हुए श्रद्धालुओं को मनोरंजन के साथ बिहार की संस्कृति से भी परिचित कराया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन

6 अक्टूबर, 2016 को 36 देशों के बौद्ध धर्मावलंबियों ने बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव के समापन सत्र पर दुनिया को शांति का संदेश दिया। महाबोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्मावलंबियों ने इसके लिए सामूहिक साधना की। बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत 3 अक्टूबर, 2016 को सारनाथ में, 4 अक्टूबर, 2016 को वाराणसी में तथा 5 अक्टूबर, 2016 को राजगीर में हुई।

नव नालंदा महाविहार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर, 2006 को नव नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य इसे प्राचीन नालंदा विहारों की तरह उच्च अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करना है। 17 जुलाई, 2016 को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नव नालंदा महाविहार को लेकर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. पाली त्रिपिटक के 41 खंडों का फिर से मुद्रण।
2. मास्टर जुआन जैंग के अवशेषों को जुआन जैंग स्मृति परिसर में लाना।
3. चालू शैक्षिक सत्र में ऑन-लाइन प्रवेश आवेदन।
4. शोध पत्रिका का प्रकाशन।
5. नव नालंदा महाविहार के शैक्षिक कैलेंडर का संकलन।
6. नव नालंदा महाविहार में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना।
7. नव नालंदा महाविहार के सभी तीन परिसरों में सौर प्रणाली की स्थापना।

12वीं इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का शुभारंभ

राज्य के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने महाबोधि वृक्ष के नीचे 12वीं इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस पूजा सम्मेलन में 13 देशों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान् बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक में है। बोधगया में इसे संरक्षित करने के लिए विगत 12 वर्षों से इस प्रकार की पूजा का आयोजन किया जा रहा है।

नालंदा विश्वविद्यालय विश्व धरोहर में शामिल

यूनेस्को ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। नालंदा का अवशेष बिहार की दूसरी और देश की 33वीं धरोहर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। गया के महाबोधि मंदिर को पहले ही इसमें शामिल कर लिया गया है।

लोक शिकायत निवारण कानून, 2015

5 जून, 2016 को राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 लागू किया गया। आम

जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने की ठोस, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने संपूर्ण क्रांति दिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस को यह कानून लागू किया। जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई एवं उसके निवारण के अवसर का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। किसी शिकायत पर की गई कार्रवाई अथवा पारित निर्णय की सूचना भी प्राप्त करने का उन्हें वैधानिक अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है, जहाँ आम लोगों को उनके परिवार पर सुनवाई के साथ-साथ इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या परितोष माँगने हेतु परिवार दायर करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसी किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा का फायदा पहुँचाने में विफल रहने पर अथवा विलंब होने पर भी परिवार दायर किया जा सकता है। राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक ढाँचा विकसित करने हेतु राज्य के सभी 101 अनुमंडलों, सभी 38 जिला मुख्यालयों के साथ सभी 44 विभागों के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों का पद सृजित किया है और इन पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुभवी अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। परिवार प्राप्त करने के लिए सभी विभाग, जिला एवं अनुमंडलों में लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। शिकायतों की प्राप्ति के लिए सूचना भवन में राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र का भी निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति डाक द्वारा ऑन-लाइन वेब पोर्टल <http://lokshikayat.bihar.gov.in> अथवा ई-मेल infolokshikayat-bih@gov.in से भी परिवार दर्ज करा सकता है। परिवार दर्ज कराने तथा दर्ज कराए गए परिवार पर कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए टॉल फ्री नंबरवाले कॉल सेंटर 1800 3456284 पर कॉल की जा सकती है।

पटना मेट्रो रेल सेवा

महानगरीय व्यवस्था में सार्वजनिक आवागमन हेतु मेट्रो रेल सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव के आलोक में पटना मेट्रो रेल सेवा पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस पर लगभग 16960 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा एस.पी.वी. मॉडल में योजना का कार्यान्वयन होगा। योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव JICA एवं ADB को भेजने हेतु सैद्धांतिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

पटना मेट्रो रेल सेवा तदनुसार ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर में 1A एवं 1B की योजना है। 1A के तहत मेट्रो का विस्तार दानापुर से मीठापुर तक वाया बेली रोड एवं पटना रेलवे स्टेशन होगा। 1B अर्थात् दीघा लिंक मेट्रो कॉरिडोर दीघा घाट से पटना उच्च न्यायालय/विकास भवन तक विस्तृत होगा। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.9 किलोमीटर होगी, जिसमें 14 स्टेशन होंगे।

5 जून, 2016 को राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 लागू किया गया। आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।

प्रस्ताव के मुताबिक नॉर्थ-साउथ मेट्रो कॉरिडोर के तहत कॉरिडोर-II, कॉरिडोर-III तथा कॉरिडोर-IV होगा। कॉरिडोर-II में पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड वाया गांधी मैदान, पी.एम.सी.एच., राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन तक मेट्रो रेल होगी। कॉरिडोर-III मीठापुर बाईपास चौक से दीदारगंज तथा कॉरिडोर-IV मीठापुर बाईपास चौक से फुलवारीशरीफ/एम्स तक विस्तृत होगा। इसकी कुल लंबाई 14.02 किलोमीटर होगी, जिसमें कुल 12 स्टेशन होंगे।

बिहार में बाल श्रम ट्रेकिंग सिस्टम

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के उचित पुनर्वास हेतु 12 जून, 2016 को बाल श्रम ट्रेकिंग सिस्टम (CLTS) का उद्घाटन किया। इसके तहत मुख्यमंत्री राहत कोष से बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से उनके खाते में सहायता के रूप में 25 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार शीर्ष पर

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने व्यापार सुधार एवं एक्शन प्लान के आधार पर जून, 2016 में भारत के विभिन्न राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी किया, जिसमें बिहार शीर्ष पर रहा। वर्ष 2015 में बिहार का स्थान छठा था।

बिहार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू

समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के समाज कल्याण मंत्री ने 27 अक्टूबर, 2016 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इससे विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन तथा आँगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के ए.एन.एम. के मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते से होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव, 2015

- 16वीं बिहार विधानसभा के लिए सभी 243 सीटों पर आम चुनाव पाँच चरणों में अक्टूबर-नवंबर 2015 में संपन्न हुआ, जिसमें 56.8 प्रतिशत मतदान हुआ।
- चुनाव में महागठबंधन [जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस] को 178 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिसमें जनता दल (यू) को 71, राष्ट्रीय जनता दल को 80 तथा कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली।
- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को 58 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 53, लोक जनशक्ति पार्टी को 02, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 02 तथा हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 01 सीट पर जीत हासिल हुई।
- राजधानी पटना के गांधी मैदान में दिनांक 20.11.2015 को महागठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने श्री नीतीश कुमार को 35वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

बिंदेश्वर पाठक स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त

रेल मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर, 2016 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक भारतीय संस्था है, जो मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, कचरा प्रबंधन आदि में योगदान दे रही है।

मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, 2015

यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ बिहार में वर्ष 2015 में किया गया। इस मिशन के प्रथम चरण में राज्य के वैसे जिलों को चिह्नित किया गया है, जिनमें देश के कुल टीकारहित या आंशिक रूप से

प्रतिरक्षित बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चे रहते हैं। इसमें बिहार के 14 जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, पटना, गया, जमुई एवं बेगूसराय आते हैं। इस कार्यक्रम में सात बीमारियों—यक्ष्मा, पोलियो, गलघोंटू, काली खाँसी, टेटनस, हेपेटाइटिस-बी एवं खसरा से बचाव के टीके दिए जाते हैं। अभियान के दौरान 0-2 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। वर्तमान समय में बिहार के संपूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 69.9 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली

न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने 15 मार्च, 2017 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

संतोष यादव और शशि सुमन बने चुनाव आयोग के स्टेट आईकॉन

चुनाव आयोग ने महिला पर्वतारोही संतोष यादव व संगीतकार शशि सुमन को बिहार विधानसभा चुनाव, 2015 में मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आईकॉन बनाया। विदित है कि संतोष विश्व की पहली महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दो बार एवरेस्ट (वर्ष 1992 एवं वर्ष 1993 ई. में) पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। वर्ष 2000 में उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया है। संतोष यादव हरियाणा की मूल निवासी हैं तथा उनका विवाह बिहार के मुंगेर जिले में हुआ है। शशि सुमन गया के मूल निवासी हैं और फिल्म जगत में संगीतकार हैं।

बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए उनके घर शौचालय का होना अनिवार्य

बिहार राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख अशोक कुमार चौहान ने 4 जनवरी, 2016 को पंचायत चुनाव, 2016 को ध्यान में रखते हुए घोषणा की कि प्रत्येक पंचायत चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय का होना अनिवार्य होगा।

सोनपुर रेलवे स्टेशन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना

18 अक्टूबर, 2016 को सोनपुर के मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने सोनपुर रेलवे स्टेशन को देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन घोषित किया है।

ऑपरेशन सफाया

बिहार एवं झारखंड पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ सीमावर्ती जिलों के जंगलों व पहाड़ियों में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की है। इस कार्रवाई का नाम 'ऑपरेशन सफाया' दिया गया है।

नीरा प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने 5 अप्रैल, 2016 से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। इसके साथ ही वर्ष 1991 की अधिसूचना को लागू किए जाने के साथ ताड़ के उत्पाद नीरा को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

'दिशा' मोबाइल एप

दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 10 अगस्त, 2015 को बिहार में डिजिटल साक्षरता के लिए 'दिशा' नाम से मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ की है। इस एप का उद्देश्य लोगों को स्व-शिक्षा मॉड्यूल के माध्यम से कंप्यूटर एवं इंटरनेट सिखाना है।

नेशनल लीडरशिप अवार्ड

प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार को लक्ष्मीपत-सिंघानिया-आई.आई.एम., लखनऊ नेशनल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में संपन्न विशेष कार्यक्रम में आनंद कुमार को यह पुरस्कार केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। यह सम्मान पूर्व में विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी, इन्फोसिस के प्रमुख डॉ. एन.आर. नारायण मूर्ति, टाटा समूह के रतन टाटा एवं राजीव बजाज को मिल चुका है।

बिहार कला पुरस्कार

18 अक्टूबर, 2016 को बिहार कला दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के लिए बिहार राज्य कला पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत दिए जानेवाले पुरस्कार निम्नलिखित हैं—

- राधामोहन पुरस्कार— शैलेंद्र कुमार एवं विनोद कुमार।
- युवा पुरस्कार— इंद्रदेव भारती एवं मोहम्मद सुलेमान।
- राष्ट्रीय सम्मान— प्रेम कुमार मल्लिक (इलाहाबाद), विमान सुंदरम (दिल्ली), सी.एल. दास (पटना) तथा हिम्मत शाह।
- लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार — डॉ. शंकर प्रसाद (पटना), जयनारायण सिंह (पटना), नागेंद्र मोहिनी (पटना) एवं बाबा दाय (पूर्णिया)।

पटना पायरेट्स ने जयपुर पिंग पैंथर्स को हराकर दूसरी बार प्रो-कबड्डी ट्रॉफी जीती

पटना पायरेट्स ने 31 जुलाई, 2016 को जयपुर पिंग पैंथर्स को हराकर दूसरी बार प्रो-कबड्डी खिताब जीता। हैदराबाद के गाचीबोल्ली इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में पटना पायरेट्स ने जयपुर पिंग पैंथर्स को 37-29 अंक से पराजित किया। पटना की टीम को 1 करोड़ रुपए मिले, जबकि जयपुर को 50 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया।

के. वीरामणि पुरस्कार, 2015

बिहार विधान परिषद् के एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय के लिए दिए जानेवाले 'के. वीरामणि पुरस्कार', 2015 से सम्मानित किया गया। अमेरिका की पेरियार इंटरनेशनल संस्था द्वारा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 'वीरामणि पुरस्कार' दिया जाता है।

परिवार नियोजन में बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परिवार नियोजन शाखा द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय समिति में बिहार को बंध्याकरण के क्षेत्र में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आदर्श दंपती योजना के तहत बड़ी संख्या में युगलों को परिवार नियोजन के प्रति प्रेरित करने के लिए जहानाबाद जिले के काको

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा कार्यकर्ता मंजू कुमारी और बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रसव के बाद कॉपर-टी लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु बेगूसराय जिले के भगवान् प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा कार्यकर्ता सविता कुमारी को पुरस्कृत किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुताबिक राष्ट्रीय समिति में परिवार नियोजन अभियान के नए स्लोगन 'जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ' को मंजूर किया गया।

राज्य एवं राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त होनेवाले प्रमुख पुरस्कार

राज्य एवं राज्य के मुख्यमंत्री को विगत कुछ वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अनेक प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2007 में बिहार के मुख्यमंत्री को सी.एन.एन., आई.बी.एन. और एच.टी. मीडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2008 में भी सी.एन.एन. एवं आई.बी.एन. द्वारा राजनीति के क्षेत्र में 'इंडियन ऑफ द ईयर, 2008', वर्ष 2007-08 के लिए उत्कृष्ट लोक प्रशासन का प्रधानमंत्री पुरस्कार मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है। बिहार को राज्य के निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग में लागू 'स्कोर इ-रजिस्ट्रेशन इन बिहार परियोजना' हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ। एन.डी.टी.वी. द्वारा वर्ष 2009 में राजनीति के क्षेत्र में मुख्यमंत्री को 'इंडियन ऑफ द ईयर, 2009' का पुरस्कार दिया गया तथा वर्ष 2009 में ही 'पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप पुरस्कार, 2009' प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में भी राज्य को 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र' पुरस्कार से नवाजा गया। राज्य में 'जानकारी कॉल सेंटर' की स्थापना के लिए इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन डिजिटल इनक्लूजन, 2009 में 'इ-गवर्नेंस' का पुरस्कार दिया गया।

निरंतर पुरस्कार प्राप्त करने की शृंखला में बिहार ने फॉर्ब्स इंडिया में स्मार्टर, बोल्डर, स्ट्रांगर, बेरवर, टफर, वाइजर एवं बेटर पर्सन ऑफ दि ईयर का भी सम्मान अपने खाते में डाला है। इसके अलावा 'स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2010' सहित देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से कृषि के क्षेत्र में हुए विकास और उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु दो पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

रवींद्र कुमार सिन्हा, पद्मश्री पुरस्कार, 2016 से सम्मानित

वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बिहार के प्रख्यात वन्य प्राणी संरक्षक श्री रवींद्र कुमार सिन्हा को वर्ष 2016 के 'पद्मश्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड

10वें 'एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड' में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु मनोज वाजपेयी का चयन किया गया। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म 'अलीगढ़' में उनकी प्रोफेसर 'सिरास' की भूमिका के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पूर्व भी वर्ष 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए भी नामांकन प्राप्त किया था।

मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2016

साहित्यकार श्याम दरिहरे को उनके कथा-संग्रह 'बड़की काकी एट हॉटमेल डॉट कॉम' के लिए 'मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार' प्रदान किया गया है। यह कथा संग्रह वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें 18 कहानियाँ हैं। श्री श्याम दरिहरे का वर्ष 2006 में 'सरसों में भूत', वर्ष 2013 में 'गंगा नहाना बाकी है', वर्ष 2014 में 'घुरि आउ मान्या' एवं वर्ष 2016 में 'क्षमा करब हे महाकवि' नामक कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ। वर्ष 2004 में उन्होंने धर्मवीर भारती की 'कनुप्रिया' का मैथिली में अनुवाद किया। बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी रहे श्री दरिहरे

मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल के बरहा गाँव के मूल निवासी हैं। हजारीबाग से डिविजनल कमांडेंट के पद से रिटायर हुए दरिहरे श्याम चंद्र झा के नाम से भी जाने जाते हैं।

अन्य

- 10 अप्रैल, 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल (यू) का पहली बार अध्यक्ष चुना गया है।
- जनवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने भारत के 24 शहरों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूची (AQI) जारी की है। इस सूची में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) प्रथम, मुजफ्फरपुर (बिहार) द्वितीय, फरीदाबाद (हरियाणा) तीसरे तथा पटना (बिहार) चौथे स्थान पर है।
- पुनास गाँव समस्तीपुर की निवासी शिंजनी कुमार को कैशलेस ट्रांसजेक्शन की प्रमुख कंपनी पेटीएम की CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गोपा सबरवाल के इस्तीफे के पश्चात् सीनियर डीन डॉ. पंकज मोहन को कुलपति का प्रभार दिया गया है।
- विदेशी मुद्रा से जुड़े आँकड़ों को साझा करने हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय ने (DGFT) और सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रगति मैदान, नई दिल्ली में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन पर पुरस्कार समारोह में बिहार पवेलियन को स्वच्छ भारत अभियान की श्रेणी में 'स्वर्ण पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- बिहार उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई, 2016 को सासाराम संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। पासवान पर शपथ-पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप है। उन्होंने लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी।
- केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 7 नवंबर, 2016 को एस.के. सिन्हा को खुफिया ब्यूरो (IB) एजेंसी के विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री सिन्हा भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं।
- 64वीं राष्ट्रीय महिला कबड्डी का शुभारंभ पाटलिपुत्र खेल परिसर में 27 नवंबर, 2016 को हुआ।
- 14 जून, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उपकरण निर्मात्री कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 195 मेगावाट की एक थर्मल पावर यूनिट की स्थापना की है।
- दिसंबर, 2016 में नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होनेवाले 'नोबेल शांति पुरस्कार' समारोह में शरद सागर को आमंत्रित किया गया। श्री सागर बिहार के सीवान के जीरादेई के मूल निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
- इस्तांबुल सत्र के दौरान सर्वप्रथम 15 जुलाई, 2016 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में विश्व के 9 नए स्थल सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें बिहार राज्य स्थित ऐतिहासिक नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को शामिल किया गया है।
- मधेपुरा में 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (रेल इंजन) के उत्पादन हेतु फ्रांस के एल्स्टॉम (Alstom) और भारतीय रेलवे के बीच संयुक्त उपक्रम पर शेयर होल्डिंग करार 25 जनवरी, 2016 को फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइज आलांदे की भारत-यात्रा के दौरान किया गया।
- 24 जून, 2016 को एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बिहार में 9.8 किलोमीटर लंबाई वाले भारत के सबसे लंबे नदी-पुल के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। यह पुल प्रदेश के उत्तरी एवं

दक्षिणी भागों के साथ ही नेपाल को भी महत्वपूर्ण परिवहन लिंक प्रदान करेगा।

- 25 अक्टूबर, 2016 को राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यालय अरण्य भवन में देश के पहले इ-फोरेस्ट मंडी पोर्टल की शुरुआत की।
- राज्यसभा के पूर्व सदस्य तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व हरियाणा के पूर्व राज्यपाल डॉ. अखलाकुर रहमान किदवाई का 24 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में निधन हो गया।
- असम तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा का 17 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में निधन हो गया। श्री सिन्हा पटना के नौबतपुर स्थित खजूरी ग्राम के निवासी थे। उन्हें वीरता के लिए 'परम विशिष्ट सेवा पदक' से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- 1 अप्रैल, 2016 से राज्य में देशी तथा मसालेदार शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। 5 अप्रैल, 2016 से बिहार में राज्य सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। गुजरात, नागालैंड तथा मिजोरम के बाद बिहार पूर्ण शराबबंदी लागू करनेवाला देश का चौथा राज्य है।
- 12 मार्च, 2016 को पटना उच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए।
- 20 जनवरी, 2016 को बिहार में आरक्षित एवं गैर-आरक्षित दोनों वर्ग में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है।
- अक्टूबर, 2016 में भारत के महापंजीयक द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के तहत किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर राज्यस्तरीय जीवन प्रत्याशा संबंधी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जहाँ भारत में जन्म पर जीवन प्रत्याशा 67.9 वर्ष है, वहीं बिहार में यह 68.1 वर्ष है।
- प्रधानमंत्री द्वारा 24 अक्टूबर, 2016 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रारंभ की गई 'ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना' के तहत पटना शहर को गैस आपूर्ति की जाएगी, साथ ही इस परियोजना से बरौनी उर्वरक संयंत्र को भी गैस की आपूर्ति की जाएगी।
- प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून, 2015 को प्रारंभ की गई 'स्मार्ट सिटी योजना' के तहत मई 2016 में प्रकाशित सूची अंतर्गत बिहार के भागलपुर, बिहारशरीफ एवं मुजफ्फरपुर शहर को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- 'स्मार्ट गंगा सिटी योजना' की शुरुआत 13 अगस्त, 2016 को की गई है। यह योजना केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा केंद्रीय शहरी विकास विभाग की संयुक्त योजना है। यह योजना देश के 10 शहरों में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत पटना शहर को सम्मिलित किया गया है।
- 1 सितंबर, 2016 को केंद्र सरकार ने बिहार में गंगा नदी में सिल्ट (गाद) का अध्ययन करने हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्य ए.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
- 1 अक्टूबर, 2016 को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू और निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा गुटखा की बिक्री रोकने के लिए आदेश जारी किया है।
- बिहार विधानसभा द्वारा 16 अगस्त, 2016 को जी.एस.टी. संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया। असम के बाद जी.एस.टी. पर 122वें संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करनेवाला बिहार देश का दूसरा राज्य है।
- 11 जून, 2016 को बापूधाम मोतिहारी से नई दिल्ली के बीच चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ की गई है। इस ट्रेन सेवा को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया है।
- 11 जून, 2016 को केंद्र सरकार ने पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत 'रामायण एवं कृष्ण परिक्रमा मार्ग' को मंजूरी प्रदान की। रामायण परिक्रमा मार्ग (सर्किट) में 6 राज्यों के कुल 11 पर्यटन स्थल को

शामिल किया गया है, जिनमें बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर तथा दरभंगा शामिल हैं।

- 13 जुलाई, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बरौनी स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार की स्वीकृति दी गई है।

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 3 अगस्त, 2016 को 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन हेतु मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी गई है। उन्नयन कार्यक्रमों में मौजूदा विभाग व सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक/ट्रामा सेंटर आदि को मजबूत बनाना है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए उन्नयन की लागत 200 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के 120 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार के 80 करोड़ रुपये सम्मिलित होंगे। इस कार्य को अगले 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। उन्नयन के दौरान किए जानेवाले बदलावों के लिए सभी हितधारकों से भी परामर्श लिया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भागलपुर तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गया को उन्नयन की मंजूरी प्रदान की गई है।

- बिहार दिवस (22 मार्च) के अवसर पर बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015 का सूत्रण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

- पंचायत के बाद नगर निकाय के चुनाव में 50 प्रतिशत, शिक्षक नियोजन में 50 प्रतिशत, सिपाही एवं सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति में 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।

- महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 'अक्षर आंचल योजना' चलाई जा रही है।

- बाढ़ में 660 × 3 मेगावाट की इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मार्च, 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना का शिलान्यास किया था।

- काँटी में एन.टी.पी.सी. के साथ काँटी विद्युत आपूर्ति का विस्तारीकरण एवं शुद्धीकरण किया जा रहा है।

- राज्य सरकार ने बरौनी में 500 मेगावाट की नई तापीय विद्युत परियोजना प्रारंभ की है। इसी प्रकार नवीनगर में 660 × 3 मेगावाट की नई इकाई स्थापित की जा रही है।

- निजी क्षेत्र में चौसा, पीरपैंती तथा कजरा में 1320 × 2 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना भारत सरकार के द्वारा स्थापित की जा रही है।

- राज्य सरकार ने ट्रांसफॉर्मर बदलने की नीति अपनाई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदलने का प्रावधान है।

- खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए मुरादा कालेज, सुल्तानगंज में स्टेडियम का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है।

- एन.डी.आर.एफ. की एक बटालियन बिहार में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, साथ ही साथ बिहटा में एस.डी.आर.एफ. बटालियन भी स्थापित की जाएगी।

- वर्तमान में बिहार का हरित आवरण 13 प्रतिशत है, उसे 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।

- पटना उच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के शताब्दी समारोह का आयोजन वर्ष 2016 में किया। इसकी आधारशिला 1 दिसंबर, 1913 को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा रखी गई थी। इसके निर्माण का ठेका मार्टिन ऐंड बर्न्स कंपनी का था। 1 मार्च, 1916 को पटना उच्च न्यायालय ने नए भवन में विधिवत् रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। अंग्रेज सी. राइट की देखरेख में बना यह भवन अंग्रेजी की गोथिक और भारतीय वास्तुकला की मिसाल है।

- बाबू वीर कुँवर सिंह विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सबौर प्रखंड के अंतर्गत जीरो माइल चौक भागलपुर में बाबू वीर कुँवर सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस अष्टधातु की मूर्ति को ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय ने तैयार किया है।
- बिहारशरीफ में टेट्रापैक प्लांट का निर्माण कराया गया है, जिसके माध्यम से दुग्ध को छह माह तक बचाकर रखा जा सकता है। बिहारशरीफ (4 लाख लीटर) तथा डेहरी ओन सोन (1 लाख लीटर) में डेयरी प्लांट स्थापित किया गया है।
- वर्तमान समय में राज्य में कॉम्पेड के अंतर्गत 8 दुग्ध संघ एवं 5 अन्य इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनमें 3 डेयरी एवं 1 पशु आहार कारखाना झारखंड राज्य में अवस्थित है।
- बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट कॉम्पेड की आधुनिक इकाई है तथा यहाँ से सुधा के नए उत्पाद डेयरी व्हाइटनर, टेट्रापैक एवं इलेक्स्टर दूध का उत्पादन किया जाता है।
- पटना एवं मुजफ्फरपुर स्थित पशु आहार कारखाना 'सुधा पशु आहार' का निर्माण कर दुग्ध समितियों को पशु आहार की आपूर्ति की जाती है।
- किशनगंज में अनन्नास की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसको देखते हुए यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि चंपारण में एक राष्ट्रीय स्तर का गन्ना अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा।
- 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसलों की बरबादी की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कृषकों को अनुदान की व्यवस्था की गई है।
- राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से पंचायत भवनों के निर्माण के लिए बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना प्रारंभ की है।
- कृषि यंत्र निर्माता इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अनुसार पूर्व उत्पादन सुविधाओं के अंतर्गत स्टॉप ड्यूटी एवं पंजीकरण में छूट/प्रतिपूर्ति, भूमि संपर्किर्तन शुल्क में छूट एवं उत्पादन पश्चात् सुविधा/छूट के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन प्रोत्साहन, भूखंड शेड पर दी जानेवाली सुविधाएँ, तकनीकी जानकारी शुल्क पर सहायता, कैप्टिव पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट पर अनुदान, विद्युत उत्पादन के मद में Monthly Minimum Charge / Demand / Billing Charge में छूट, वैट एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति, केंद्रीय बिक्री कर, विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रोत्साहन देय होगा।
- सवर्ण आयोग का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री नरेशचंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में किया गया है। आयोग द्वारा राज्य की उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण हेतु एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) नामक संस्था का चयन करते हुए सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है।
- राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सवर्ण जातियों के परिवार से आनेवाले छात्र, जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए या उससे कम है और जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, वैसे छात्रों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पटना समेत 17 जिलों में ऑन-लाइन बिजली कनेक्शन देने की शुरुआत की है।
- कृषि फीडरों के निर्माण के लिए पटना जिले का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। पटना जिले के

नौबतपुर प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है।

- राज्य सरकार ने दूसरी हरित क्रांति के दौरान खेती के लिए निर्बाध बिजली उपलब्ध कराए जाने को लेकर अलग से कृषि फीडर के निर्माण का काम प्रारंभ करने की योजना बनाई है। इन फीडरों का टेक्नो-इकोनॉमिक तरीके से निर्माण होगा, जिससे कृषि भू-भाग में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सकेगी।

- राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यटन विकास के लिए कार्यान्वयन समिति का गठन किया है, जिसमें पर्यटन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय पर बल दिया जाएगा।

- प्रारंभ में राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन महिला विकास निगम के द्वारा या राज्य स्तर पर डी.आर.डी.ए. के माध्यम से किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसका गठन किया जा रहा है, जिसे 'जीविका' के नाम से जाना जाता है।

- नागरिकों को नियम अनुसार समय-सीमा में उत्तरदायित्व पारदर्शिता के साथ लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2011 से बिहार लोक सेवा का अधिनियम, 2011 लागू किया गया।

- 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जिलों के 25 प्रखंडों की 65 पंचायतों में यह कार्यक्रम प्रथम चरण में लागू किया गया है।

- गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समूह-ग एवं घ के पदों पर सीधी नियुक्ति में गृह रक्षकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।

- 'जे.पी. सेनानी सम्मान योजना' के अंतर्गत पेंशन में बढ़ोतरी की गई है तथा जे.पी. सेनानी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

- देश में पहली बार आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, पटना में ई.आर.पी. प्रणाली की शुरुआत की गई है, साथ ही साथ बिहार राज्य की 55 काराओं में कार्यों को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने हेतु कारा ई.आर.पी. प्रणाली विकसित की गई है।

- राज्य के 38 जिलों एवं 57 अनुमंडलों में अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी थानों को मिस्ट टेक्नोलॉजी के एक-एक अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से कार्रवाई की जा रही है।

- प्रतिवर्ष 4 जुलाई को 'विद्यालय सुरक्षा जागरूकता दिवस' के रूप में मनाने तथा उसी दिन राज्य के सभी विद्यालयों में प्रतिवर्ष मॉक ड्रिल का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

- वर्ष 2005 में जहाँ राज्य की शिशु मृत्यु दर 61 एवं मातृत्व मृत्यु दर 312 थी, वहीं घटकर वर्तमान में यह क्रमशः 42 एवं 208 हो गई है।

- वर्ष 2005 में 18.6 प्रतिशत नियमित टीकाकरण का आच्छादन बढ़कर वर्तमान में 78 प्रतिशत हो गया, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

- वर्ष 2005 में राज्य में कुल प्रजनन दर 4.3 थी, जो घटकर वर्तमान में 3.4 हो गई है।

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो नए कार्यक्रम 'नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम' तथा 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' प्रारंभ किए गए हैं। इनके माध्यम से स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

- राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से बच्चों को जोड़ने के उद्देश्य से विद्यालय चलो केंद्र, प्रयास केंद्र, मकतब मदरसा नवाचारी केंद्र, तालीमी मरकज केंद्र, उत्थान केंद्र तथा उत्प्रेरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

- मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अंतर्गत वर्ग-1 से 8 तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध

कराई जा रही है।

- पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग में 1.5 लाख रुपए से कम आयवाले परिवार के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 8-12 वर्ग तक की नामांकित छात्राओं को प्रति छात्रा 150 रुपए की राशि सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 'हुनर योजना' चलाई जा रही है।
- प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जिले में पॉलीटेक्निक और सभी अनुमंडल में आई.टी.आई. संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य के 9 प्रमंडलों में से 6 प्रमंडलों में सरकारी क्षेत्र में कुल-7 अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित एवं संचालित हैं। मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय एवं मुंगेर, पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार, तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी एवं पटना प्रमंडल के रोहतास जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाई की जा रही है।
- पटना में साइंस सिटी की स्थापना तथा दरभंगा में तारामंडल-सह-विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य के 28 जिले, जहाँ पॉलीटेक्निक संस्थान नहीं हैं, में नए पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य के सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि 15 लाख रुपए या उससे कम है, से संबंधित अंचल स्तर पर वर्षवार कुल कार्यों का 50 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के सवेदकों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
- सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करनेवाले नगर निकायों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से 'मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना' लागू की गई है। योजनांतर्गत प्रतिवर्ष एक नगर निगम, दो नगर परिषदों एवं दो नगर पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना है। पुरस्कार की यह राशि क्रमशः 5 करोड़, 3 करोड़ तथा 1 करोड़ होगी।
- पटना में अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय 'बुद्ध स्मृति पार्क' का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, लेजर-शो आदि की स्थापना की जा रही है।
- राज्यकर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव जी.एस. कंग की अध्यक्षता में राज्य वेतन आयोग का गठन किया है। यह आयोग राज्य सरकार को तीन माह में रिपोर्ट सौंपेगा।
- राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आश्रयणी हेतु प्रबंध योजना का निर्माण किया जा रहा है।
- दलितों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने हेतु बिहार महादलित विकास योजना के द्वारा भूमि क्रय कर अथवा सरकारी भूमि आवंटित की जाती है।
- राज्य में सभी सर्वे मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑन-लाइन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया है।

- जुलाई, 2012 से माह के प्रत्येक 5वें सोमवार को 'उद्यमी पंचायत' आयोजित की जा रही है।
- राज्य से लैंगिक असमानता, संरचनात्मक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर करने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक महिलाओं की न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने हेतु मार्च, 2015 से 'बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015' लागू की गई है।
- राज्य के सभी 38 जिलों में महिला पुलिस थाना की स्थापना की जा चुकी है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्वाभिमान पुलिस बटालियन के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।
- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई है।
- 'जननी बाल सुरक्षा योजना' के तहत संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में सरकारी अस्पतालों में प्रसव हेतु मात्र 4 प्रतिशत महिलाएँ आया करती थीं, जो वर्तमान में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।
- राज्य के 38 जिलों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई है।
- बच्चों के कल्याण से संबंधित राज्य की एक प्रमुख योजना 'परवरिश' संचालित की जा रही है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है।
- युवक-युवतियों में कौशल विकास हेतु 'दशरथ माँझी कौशल विकास योजना' वर्ष 2011-12 से प्रारंभ हुई है।
- विकलांगजनों के कल्याणार्थ वर्ष 2011-12 से 'सबल योजना' शुरू की गई है।
- 'वृद्धजन नीति' को वर्ष 2012 में लागू किया गया है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सभी जिलों में 'भरण-पोषण प्राधिकार' का गठन किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राज्य में 1 फरवरी, 2014 से लागू है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिहार संग्रहालय की स्थापना बेली रोड पटना में की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याणार्थ 'बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना' संचालित की जा रही है।
- चाँपाकल की खराबी या जलापूर्ति योजना बाधित होने की स्थिति में 'नीर-निर्मल सेवा' के अंतर्गत शिकायत कर लाभ उठाया जा सकता है। इसका टॉल फ्री नंबर—1800-1231121 है।
- राज्य सरकार निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के पद पर रहते हुए कोई भी आपराधिक या प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उनके परिजनों को सरकार 5 लाख रुपए की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में देगी।
- केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने का निर्णय लिया है।
- मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाटलिपुत्र आर्ट कल्चर एवं स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित बिहार कप की विजेता टीम जम्मू-कश्मीर बैंक को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री द्वारा विजेता टीम को बिहार कप की ट्रॉफी के साथ-साथ 1 लाख रुपए का चेक पारितोषिक के रूप में दिया गया। उप-विजेता टीम आर्मी शिलांग को उप-विजेता ट्रॉफी एवं 50 हजार रुपए का चेक बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रदान किया गया।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य योजनांतर्गत पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वैशाली (हाजीपुर), पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में एक-एक नए प्राक् प्रशिक्षण केंद्र के संचालन हेतु तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से संचालित पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर एवं मधेपुरा में प्रत्येक प्राक् परीक्षा इस्लामिया हॉल पटना वक्फ स्टेट संख्या 2146 के पुनर्निर्माण

हेतु 3518 लाख रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना जिलांतर्गत फतुहा नगर पंचायत को नगरपरिषद् घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने दीघा आई.टी.आई. में अंग्रेजी संवाद प्रशिक्षण व कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से राज्य के प्रतिभागियों को अंग्रेजी ज्ञान व उसके प्रयोग से कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य सरकार ने रबी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 30 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। 1 एकड़ फसल की सिंचाई के लिए 10 लीटर तक डीजल पर अनुदान किसान ले सकते हैं।
- बाँकीपुर जेल परिसर में निर्मित 'बुद्ध स्मृति पार्क' का उद्घाटन वर्ष 2013 में बौद्ध गुरु पावन दलाईलामा ने किया।
- नालंदा जिले के सुभाष उच्च विद्यालय, इस्लामपुर के प्रांगण में ए.एन.एम. स्कूल स्थापित किया गया है।
- राजगीर के रमणीक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल घोड़ा कटोरा झील का सौंदर्यीकरण वन एवं पर्यावरण तथा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के ज्ञान को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को रोजगारोन्मुखी सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवसाय एवं उद्योग जगत् के उपयोगी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर प्रमाणक सर्टिफिकेट देने तथा आम लोगों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में 'बिहार नॉलेज सोसाइटी' (बी.के.एस.) का गठन किया गया है।
- बिहटा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है।
- ज्ञान सिटी परियोजना के अंतर्गत राज्य में बियाड़ा के द्वारा बिहटा में उपलब्ध कराए गए स्थल पर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित किए जाने की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
- बिहार सरकार ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार महिलाओं के लिए वर्ष 2008 में जेंडर बजट पेश किया।
- वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर UNO में अपनी बात रखने के लिए 11 बच्चों का चयन हुआ था, जिनमें बिहार की पूनम एवं नाजिया आफरीन का भी चयन हुआ था।
- पटना के राजेंद्र नगर में मोईनुलहक स्टेडियम के नजदीक 15 एकड़ भूमि में आधुनिक साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है।
- 1500 साल पहले खलोगशास्त्री आर्यभट्ट ने खगोल, तारेगना टॉप से ग्रहों के बारे में दुनिया को जानकारी दी थी।
- गरीबी रेखा से नीचे या पीले कार्डधारी मरीजों व दुर्घटना की स्थिति में स्वास्थ्य संस्थानों तक मुफ्त एंबुलेंस सेवा के लिए 'एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा' का शुभारंभ वर्ष 2013 में किया गया।
- राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार (SHSB), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (BEPC) तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था डिवर्म दि वर्ल्ड (Deworm the World) के द्वारा 30 अगस्त, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर संयुक्त हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पूरे राज्य में 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय स्वास्थ्य के अंतर्गत कृमि से मुक्त करने हेतु एलबेंडाजोल दवा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है। यहाँ 1 फरवरी, 2014 से प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों, यथा—पटना, नालंदा, गोपालगंज एवं पूर्णिया के एक-एक पंचायतों में

खाद्य सुरक्षा लागू की गई।

- नालंदा डेयरी परिसर बिहारशरीफ में बिहार के प्रथम पूर्णतः स्वचालित डेयरी एवं प्रथम टेद्रा पैक प्लांट नालंदा डेयरी का उद्घाटन वर्ष 2014 में किया गया।
- 'राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार' भारत का पहला ISO 9001:2008 प्रमाणित NRHM संस्थान है।
- 'आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम' 21 जनवरी, 2006 को सिकरिया पंचायत, जहानाबाद से प्रारंभ किया गया।
- अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ ई. स्टिंगलिट्ज ने सिकरिया पंचायत का भ्रमण कर सिकरिया मॉडल की काफी प्रशंसा की एवं उग्रवाद उन्मूलन तथा विकास की रोशनी गाँव-गाँव तक फैलाने में इसे काफी प्रभावकारी बताया।
- राज्यपाल ने बिहार राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के रूप में श्री विजय कुमार वर्मा को वर्ष 2014 में पद की शपथ दिलाई।
- बिहार मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गए एक अहम फैसले के तहत 'बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014' के स्वरूप/संरचना और इसकी अंतर्निहित शर्तों के संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
- हाजीपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं डेहरी ओनसोन में दूध पाउडर प्लांट स्थापित किया गया है, जबकि इन जिलों के अतिरिक्त दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, गया तथा बरौनी में डेयरी प्लांट स्थापित किया गया है।
- खगड़िया एवं बिहिया (आरा) में पशु आहार प्लांट स्थापित किया गया है।
- बिहार देश का प्रथम राज्य है, जहाँ कारा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं उन्नयन के उद्देश्य से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत Prison Enterprise Resource and Planning System विकसित किया गया है।
- पश्चिमी चंपारण जिलांतर्गत बगहा-रतवल घाट-धनहा पथ पर पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का उद्घाटन किया गया है। इस पुल का नाम गौतम बुद्ध सेतु रखा गया है।
- जिन पंचायतों के सभी घरों में शौचालय का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, उसे राज्य सरकार द्वारा 'निर्मल पंचायत' घोषित किया जाएगा तथा उस पंचायत को इनाम के रूप में 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जिन प्रखंडों की शत प्रतिशत पंचायतों में शौचालय निर्माण हो जाएगा, उन्हें भी 'निर्मल प्रखंड' घोषित करते हुए 25 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
- वर्तमान में बिहार मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस बिलाल नज्की हैं।
- केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 16वीं लोकसभा निर्वाचन, 2014 से लोकसभा चुनाव में उतरनेवाले उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि बढ़ा दी है। नामांकन करने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 12 हजार 500 रुपये जमानत के रूप में निर्धारित किए गए हैं।
- 26 सितंबर, 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाताओं को नकारात्मक वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। Peoples Union for Civil Liberties ने 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर कहा था कि जो मतदाता ई.वी.एम. में सूचीबद्ध किसी को वोट नहीं देना चाहते, उन्हें नकारात्मक वोट का अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार मिलने के साथ भारत विश्व का ऐसा 14वाँ देश बन गया है, जहाँ नकारात्मक मतदान का अधिकार मतदाताओं को प्रदान किया गया है।
- राज्य सरकार ने रबी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल पर अनुदान देने की घोषणा की है। 1

लीटर डीजल पर 30 रुपए का अनुदान किसानों को मिलेगा। 1 एकड़ फसल की सिंचाई के लिए 10 लीटर तक डीजल पर अनुदान किसान ले सकते हैं। यह अनुदान किसान अधिकतम तीन बार प्राप्त कर सकते हैं।

- राज्य सरकार द्वारा एक से अधिक जगहों पर खेतों में पटसन के लिए किसानों को ग्रीपेड सिम दिए जाने की घोषणा की गई है।

- राजधानी पुलिस ने जनता से सीधे जुड़ने की कवायद में दूसरा सार्थक कदम उठाया है। 'पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम' के बाद 'डायल पावर' नामक योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत शहर में चिह्नित स्थानों पर डायल-100 (पुलिस कंट्रोल रूम) के स्पेशल बूथ लगाए जाएंगे, जिससे आपातस्थिति में पुलिस से संपर्क करने में लोगों को सहूलियत होगी।

- वर्ष 2005 के विधानसभा निर्वाचन एवं सरकार के गठन के पश्चात् 'न्याय के साथ विकास' पर आधारित साझा कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए आगामी 5 वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त राज्य सरकार ने 'सुशासन के कार्यक्रम 2015-20' तैयार कर इसे संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है।

- भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ का देश की 100 स्मार्ट सिटीयों में चयन किया गया है।

- मंत्रिपरिषद् ने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि पटना महानगर मास्टर प्लान, 2031 के अनुसार, पटना लगभग 1150 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित होगा और इसमें दानापुर, खगौल, शैयदपुर, फुलवारीशरीफ, बिहटा तथा फतुहा शामिल होंगे।

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य योजनांतर्गत पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में एक-एक नए प्राक् प्रशिक्षण केंद्र के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से संचालित पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सारण, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर एवं मधेपुरा में प्रत्येक प्राक् परीक्षा इस्लामिया हॉल पटना वक्फ स्टेट की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

- नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना जिलातर्गत फतुहा नगर पंचायत को नगर परिषद् घोषित करने की स्वीकृति दी गई है।

- भारतीय रेल ने मालगाड़ियों पर सामान लदे ट्रकों को ले जाने और सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए 'रो-रो (रोल-ऑन-रोल-ऑफ) सेवा' की शुरुआत बिहार के दीघा रेल ब्रिज पर की गई है।

- बिहार कैबिनेट ने बिहार में सभी स्तर की न्यायिक सेवाओं में 50 प्रतिशत पदों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किया है।

- बिहार के ईशान किशन को बांग्लादेश में होनेवाले आई.सी.सी. अंडर-19 विश्वकप के लिए भारतीय जूनियर टीम का कप्तान बनाया गया था। विकेटकीपर और बाएँ हाथ के बल्लेबाज ईशान नवादा जिले के रहनेवाले हैं और वर्तमान में झारखंड से खेलते हैं।

- देश में साइबर अपराध के बढ़ते चरण को देखते हुए राज्य की आर्थिक अपराध इकाई को इस दिशा में सचेष्ट एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से मुख्यालय एवं जिला स्तर पर 'साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया लैब' का गठन किया गया है।

- राज्य में 21 अप्रैल, 2016 को 'प्रथम सिविल सेवा दिवस' का आयोजन किया गया।

- DFID संपोषित Grow Bihar Project के तहत विकास, संसाधन, संभावना एवं परिसंपत्तियों के निर्माण पर

तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु DFID द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर Grow Bihar Project प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत उद्योग विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शामिल किया गया है।

- मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अपरिहार्यता को ध्यान में रखकर सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 38 जिलों एवं 12 अनुमंडलों में कुल 50 AWS (Automatic Weather Station) स्थापित किए जाएंगे।

- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में संशोधन करते हुए दो नए विश्वविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में पूर्णिया प्रमंडल के चार जिलों यथा—पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया के सभी महाविद्यालय शामिल होंगे तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत पटना एवं नालंदा जिले के सभी महाविद्यालय शामिल होंगे।

- वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालंदा में State of the Art चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है।

- बिहार राज्य की नर्सिंगकर्मी श्रीमती पुष्पा कुमारी, ए.एन.एम. रेफरल अस्पताल रानीगंज, अररिया को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 मई, 2016 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 'National Florence Nightingale Nurses Award', 2016 से सम्मानित किया गया।

- वर्ष 2015-16 में महिला बंध्याकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने 'तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, भागलपुर' को उच्च स्तरीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

- नमामि गंगे योजना (NGRBA) के तहत राज्य के गंगा नदी तट पर अवस्थित शहर बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

- राजकीय नालंदा में एक सूचना प्रौद्योगिकी शहर (I.T. City), निर्माण का निर्णय लिया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा मुंगेर में 'वाणिकी महाविद्यालय' की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- 'आत्मा' (ATMA—Agriculture Technology Management Agency) योजनांतर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों, यथा—उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी आदि में उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किसान पुरस्कार योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- कृषि विज्ञान केंद्र, हरनौत (नालंदा) को वर्ष 2016 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान (जोनल) प्राप्त हुआ है।

- कृषि विज्ञान केंद्र, मौझी (सारण) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, जोन-II के 'सर्वोत्तम कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

- वर्तमान समय में बिहार मीठा जल मछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है।

- विभागीय योजना एवं प्रसार तंत्र के माध्यम से वर्तमान में बिहार में कुल 117 मत्स्य बीज हैचरी स्थापित हैं। इनमें 101 मत्स्य बीज हैचरी क्रियाशील हैं।

- मत्स्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु पटना में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, मीठापुर (पटना) में स्थापित किया गया है।

- पहली बार राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय पटना में खोला गया है, ताकि बीमा दावे का यथाशीघ्र भुगतान, मत्स्य प्रशिक्षण कार्य आदि किया जा सके।
- राज्य में एक पृथक् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 'बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016' को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- बिहार में वनरक्षी एवं वनपाल के प्रशिक्षण हेतु गया जिले में जापान की संस्था JICA के सहयोग से राज्य वाणिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।
- बोधगया के पास पिपरघट्टी में 23 हेक्टेयर क्षेत्र में एक जैव-विविधता उद्यान 'बुद्ध वाटिका' का विकास किया जा रहा है।
- नालंदा खँडहर के समीप रुक्मिणी स्थान के पास भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण शाखा द्वारा किए जा रहे उत्खनन में भगवान् बुद्ध की करीब डेढ़ फीट ऊँची प्रतिमा मिली है। उत्खनन में गुप्तकाल एवं पालकाल के अवशेष मिले हैं।
- बिहार के दरभंगा निवासी भावना कंठ को भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के सतना जिले की अवनी चतुर्वेदी तथा राजस्थान के झुनझुनू जिले की मोहना सिंह को भी शामिल किया गया है।

□

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

43. सांख्यिकी उपस्थापन (Statistical Presentation)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर

क्र.	वस्तु	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	कृषि एवं पशुपालन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन, मत्स्य उद्योग	5.8	2.2
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	42.5	42.6
	प्राथमिक क्षेत्र	6.0	-2.0

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर

क्र.	वस्तु	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	विनिर्माण	23.5	17.7
2.	विद्युत, जलामति, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	-2.6	15.2
3.	निर्माण	8.6	2.1
	द्वितीयक क्षेत्र	12.6	8.4

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर

क्र.	वस्तु	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1.	परिवहन, भंडारण, संचार	20.3	12.6

2.	वित्तीय सेवाएँ	9.0	6.3
3.	रियल स्टेट, आवास स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएँ	9.8	3.6
4.	लोक प्रशासन	13.2	4.5
5.	अन्य सेवाएँ	22.8	12.6
	तृतीयक क्षेत्र	17.0	10.4

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर

क्र.	क्षेत्र	2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान कीमत	स्थिर कीमत
1	प्राथमिक क्षेत्र	6.0	2.0
2	द्वितीय क्षेत्र	12.6	8.4
3	तृतीय क्षेत्र	17.0	10.4
4	कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमत पर	13.5	7.1
5	वस्तुओं पर कर	23.9	17.4
6	वस्तुओं पर सहायता	19.8	13.5
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.0	7.6

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

विभिन्न राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना स्थिर कीमत 2011-12 के आधार पर

प्रति व्यक्ति आय (रुपए में)

राज्य : बिहार

2011-12 : 21750

2012-13 : 22201

2013-14 : 22776

2014-15 : 25400

2015-16 : 26801

राज्य : झारखंड

2011-12 : 41254

2012-13 : 44176

2013-14 : 43779

2014-15 : 48550

2015-16 : 54140

राज्य : मध्य प्रदेश

2011-12 : 38550

2012-13 : 41251

2013-14 : 42686

2014-15 : 44518

2015-16 : 47820

राज्य : उड़ीसा

2011-12 : 47019

2012-13 : 48335

2013-14 : 49908

2014-15 : 52516

2015-16 : 55116

राज्य : उत्तर प्रदेश

2011-12 : 32002

2012-13 : 32746

2013-14 : 34079

2014-15 : 35694

2015-16 : 38234

राज्य : भारत

2011-12 : 63460

2012-13 : 65664

2013-14 : 68867

2014-15 : 72889

2015-16 : 77435

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान स्थिर कीमत, 2011-12 के आधार पर

क्षेत्र : प्राथमिक क्षेत्र

2011-12 : 25.2

2015-16 : 18.3

क्षेत्र : द्वितीयक क्षेत्र

2011-12 : 18.3

2015-16 : 18.1

क्षेत्र : तृतीयक क्षेत्र

2011-12 : 54.3

2015-16 : 59.9

क्षेत्र : कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन (आधार मूल्य पर)

2011-12 : 97.8

2015-16 : 96.3

क्षेत्र : वस्तुओं पर कर

2011-12 : 6.9

2015-16 : 10

क्षेत्र : वस्तुओं पर सब्सिडी

2011-12 : 4.7

2015-16 : 6.3

क्षेत्र : सकल घरेलू राज्य उत्पाद

2011-12 : 100

2015-16 : 100

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

मद : सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व बचत

2013-14 : 1.87

2014-15 : 1.45

2015-16 : 2.57

2016-17 बजट अनुमान : 2.62

2017-18 लक्ष्य : 2.3

2018-19 लक्ष्य : 2.08

2019-20 लक्ष्य : 1.88

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा

2013-14 : 2.43

2014-15 : 2.78

2015-16 : 2.48

2016-17 बजट अनुमान : 2.87

2017-18 लक्ष्य : 2.87

2018-19 लक्ष्य : 3

2019-20 लक्ष्य : 3

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व

2013-14 : 15.94

2014-15 : 14.35

2015-16 : 15.26

2016-17 बजट अनुमान : 15.76

2017-18 लक्ष्य : 15.4

2018-19 लक्ष्य : 15.24

2019-20 लक्ष्य : 15.09

मद : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण

2013-14 : 18.7

2014-15 : 18.54

2015-16 : 18.23

2016-17 बजट अनुमान : 18.97

2017-18 लक्ष्य : 19.78

2018-19 लक्ष्य : 20.03

2019-20 लक्ष्य : 20.25

स्रोत : बिहार बजट 2017-18

अखिल भारतीय तथा बिहार में गरीबी अनुपात में अंतर

क्षेत्र	1993-94	1999-2000	2004-05	2011-12	गरीबी में कमी 2004-05 तथा 2011-12 के बीच में	
बिहार	ग्रामीण	58.02	44.3	55.7	34.1	21.6
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5
	संयुक्त	55.0	42.6	54.4	33.7	20.7

भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1
	शहरी	32.1	23.6	25.7	13.7	12.0
	संयुक्त	36.0	26.1	37.2	21.2	15.3

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

अखिल भारतीय तथा बिहार में गरीबी रेखा

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रुपए में)			
	बिहार		अखिल भारतीय	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
2004-05	433	526	447	579
2011-12	778	923	816	1000

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

प्रमुख राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे स्थित परिवारों की संख्या और प्रतिशत, 2011-12

शहर : आंध्र प्रदेश

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.96

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 61.8

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 5.81

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 16.98

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.2

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 78.78

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 2.9

शहर : बिहार

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 34.06

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 320.4

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 31.23

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 37.75

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 33.74

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 358.15

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 13.3

शहर : छत्तीसगढ़

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 44.61

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 88.9

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.75

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 15.22

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 39.93

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 104.11

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.9

शहर : गुजरात

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 21.54

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 75.35

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.14

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 26.88

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 16.63

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 102.23

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.8

शहर : हरियाणा

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 11.64

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 19.42

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.28

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 9.41

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 11.16

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 28.83

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 1.1

शहर : झारखंड

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 40.84

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 104.09

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.83

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 20.24

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 36.96

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 124.33

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 4.6

शहर : कर्नाटक

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.53

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 92.8

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 15.25

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 36.96

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 20.91

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 129.76

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 4.8

शहर : केरल

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.14

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 15.48

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 4.97

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 8.46

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 7.05

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 23.95

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 0.9

शहर : मध्य प्रदेश

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 35.74

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 190.95

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 21

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 43.1

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 31.65

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 234.06

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 8.7

शहर : महाराष्ट्र

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.22

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 150.56

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.12

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 47.36

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 17.35

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 197.92

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 7.3

शहर : उड़ीसा

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 35.69

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 126.14

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 17.29

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 12.39

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 32.59

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 138.53

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 5.1

शहर : पंजाब

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 7.66

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 13.35

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.24

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 9.82

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 8.26

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 23.18

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 0.9

शहर : राजस्थान

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 16.05

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 84.19

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.69

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 18.73

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 14.71

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 102.92

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.8

शहर : तमिलनाडु

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 15.83
ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 59.23
शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 6.54
शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 23.4
योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 11.28
योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 82.63
पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.1
शहर : उत्तर प्रदेश
ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 30.4
ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 479.35
शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 26.06
शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 118.84
योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 29.43
योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 598.19
पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 22.2
शहर : पश्चिम बंगाल
ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 22.52
ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 141.14
शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 14.66
शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 43.83
योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 19.98
योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 184.98
पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 6.9

शहर : भारत

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 25.7

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 2166.58

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 13.7

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 531.25

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 21.92

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 2697.83

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 100

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

जीविका की प्रगति

मद : गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या

2011-12 : 55704

2012-13 : 91785

2013-14 : 157157

2014-15 : 365150

2015-16 : 470220

2016-17 अक्टूबर तक : 557337

मद : ग्रामीण संगठनों की संख्या

2011-12 : 3476

2012-13 : 5069

2013-14 : 7452

2014-15 : 14363

2015-16 : 31229

2016-17 अक्टूबर तक : 32431

मद : बैंकों के साथ ऋण -संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या

2011-12 : 25621

2012-13 : 55624

2013-14 : 64812

2014-15 : 121181

2015-16 : 221261

2016-17 अक्टूबर तक : 303078

मद : बैंक ऋण (करोड़ रु.)

2011-12 : 123

2012-13 : 278

2013-14 : 379

2014-15 : 659

2015-16 : 1300

2016-17 अक्टूबर तक : 2113

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

बिहार में मनरेगा के द्वारा किए गए कार्य

वर्ष/श्रेणी : जल संरक्षण

2010-11 : 1142 (13.7)

2011-12 : 605 (11.1)

2012-13 : 700 (10.8)

2013-14 : 687 (6.6)

2014-15 : 193 (1.7)

2015-16 : 330 (4.5)

वर्ष/श्रेणी : सूखा अवरोधन

2010-11 : 660 (7.9)

2011-12 : 536 (9.8)

2012-13 : 1624 (25.1)

2013-14 : 2912 (27.8)

2014-15 : 1796 (15.7)

2015-16 : 3904 (53.4)

वर्ष/श्रेणी : सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य

2010-11 : 736 (8.8)

2011-12 : 460 (8.4)

2012-13 : 433 (6.7)

2013-14 : 561 (5.4)

2014-15 : 142 (1.2)

2015-16 : 342 (4.7)

वर्ष/श्रेणी : सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान

2010-11 : 184 (2.2)

2011-12 : 190 (3.5)

2012-13 : 181 (2.8)

2013-14 : 321 (3.1)

2014-15 : 402 (3.5)

2015-16 : 0

वर्ष/श्रेणी : पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार

2010-11 : 765 (9.1)

2011-12 : 506 (9.3)

2012-13 : 682 (10.5)

2013-14 : 242 (2.3)

2014-15 : 59 (0.5)

2015-16 : 92 (1.3)

वर्ष/श्रेणी : भूमि विकास

2010-11 : 467 (5.6)

2011-12 : 322 (5.9)

2012-13 : 409 (6.3)

2013-14 : 765 (7.3)

2014-15 : 276 (2.4)

2015-16 : 645 (8.8)

वर्ष/श्रेणी : बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव

2010-11 : 507 (6.1)

2011-12 : 255 (4.7)

2012-13 : 226 (3.5)

2013-14 : 131 (1.3)

2014-15 : 27 (0.2)

2015-16 : 57 (0.8)

वर्ष/श्रेणी : ग्रामीण संपर्क पथ

2010-11 : 3895 (46.6)

2011-12 : 2552 (46.8)

2012-13 : 2205 (34.0)

2013-14 : 2863 (27.3)

2014-15 : 941 (8.2)

2015-16 : 1786 (24.4)

वर्ष/श्रेणी : कोई अन्य गतिविधि

2010-11 : 0

2011-12 : 29 (0.5)

2012-13 : 20 (0.3)

2013-14 : 1997 (19.1)

2014-15 : 7603 (66.4)

2015-16 : 158 (2.2)

वर्ष/श्रेणी : पूरे हुए कार्यों की संख्या

2010-11 : 8359 (100.0)

2011-12 : 5458 (100.0)

2012-13 : 6484 (100.0)

2013-14 : 10483 (100.0)

2014-15 : 11442 (100.0)

2015-16 : 7318 (100.0)

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति (आँकड़े लाख में)

वर्ष : 2010-11

वार्षिक भौतिक लक्ष्य : 7.59

आवासों का निर्माण पूरा (योग) : 5.29 (69.8)

आवासों का निर्माण पूरा (अजा एवं अजजा) : 2.60 (49.1)

धनराशि उपयोग का प्रतिशत : 66.4

वर्ष : 2011-12

वार्षिक भौतिक लक्ष्य : 7.37

आवासों का निर्माण पूरा (योग) : 4.50 (61.1)

आवासों का निर्माण पूरा (अजा एवं अजजा) : 2.00 (44.5)

धनराशि उपयोग का प्रतिशत : 68

वर्ष : 2012-13

वार्षिक भौतिक लक्ष्य : 8.36

आवासों का निर्माण पूरा (योग) : 8.40 (100.4)

आवासों का निर्माण पूरा (अजा एवं अजजा) : 3.72 (44.3)

धनराशि उपयोग का प्रतिशत : 75.9

वर्ष : 2013-14

वार्षिक भौतिक लक्ष्य : 6.06

आवासों का निर्माण पूरा (योग) : 6.95 (114.8)

आवासों का निर्माण पूरा (अजा एवं अजजा) : 3.12 (51.6)

धनराशि उपयोग का प्रतिशत : 66.4

वर्ष : 2014-15

वार्षिक भौतिक लक्ष्य : 2.75

आवासों का निर्माण पूरा (योग) : 4.99 (181.5)

आवासों का निर्माण पूरा (अजा एवं अजजा) : 2.48 (90.2)

धनराशि उपयोग का प्रतिशत : 66.2

वर्ष : 2015-16

वार्षिक भौतिक लक्ष्य : 2.33

आवासों का निर्माण पूरा (योग) : 0.49 (21.0)

आवासों का निर्माण पूरा (अजा एवं अजजा) : 0.12 (5.2)

धनराशि उपयोग का प्रतिशत : 54.6

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार में नमामि गंगे योजना का विवरण

क्षेत्र	2014-15		2015-16	
	शहरों की संख्या	अनुमानित परियोजना व्यय (करोड़ रु.)	शहरों की संख्या (करोड़ रु.)	अनुमानित परियोजना व्यय (करोड़ रु.)
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	17	538.19	17	617.17
मल जलवाही नेटवर्क	14	2950.66	17	3416.67
मल-जल शोधन संयंत्र सहित नालियों का अवरोधन और दिशा परिवर्तन	16	1707.97	15	1097.43
नदी घाट विकास	8	1250.21	8	1264.28
शवदाहगृह	11	85.58	11	85.58
धोबी घाट और सामुदायिक शौचालय	11	88.79	11	88.71
	योग	6621.33	योग	6569.84

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

बिहार में राजीव आवास योजना के तहत प्रगति

सूचक → : संख्या रकम →

कुल आच्छादित शहर : 5

कुल स्वीकृत योजनाएँ : 7

कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयाँ : 11,276

कुल परियोजना व्यय : 45,465.40 लाख

कुल केंद्रांश : 29,771.86 लाख

कुल राज्यांश : 15693.51 लाख

विमुक्त केंद्रांश : 11450.73 लाख

विमुक्त राज्यांश : 3,464.60 लाख

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

प्रमुख राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे स्थित परिवारों की संख्या और प्रतिशत, 2011-12

शहर : आंध्र प्रदेश

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.96

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 61.8

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 5.81

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 16.98

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.2

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 78.78

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 2.9

शहर : बिहार

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 34.06

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 320.4

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 31.23

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 37.75

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 33.74

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 358.15

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 13.3

शहर : छत्तीसगढ़

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 44.61

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 88.9

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.75

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 15.22

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 39.93

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 104.11

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.9

शहर : गुजरात

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 21.54

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 75.35

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.14

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 26.88

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 16.63

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 102.23

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.8

शहर : हरियाणा

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 11.64

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 19.42

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.28

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 9.41

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 11.16

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 28.83

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 1.1

शहर : झारखंड

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 40.84

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 104.09

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.83

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 20.24

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 36.96

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 124.33

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 4.6

शहर : कर्नाटक

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.53

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 92.8

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 15.25

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 36.96

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 20.91

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 129.76

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 4.8

शहर : केरल

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.14

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 15.48

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 4.97

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 8.46

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 7.05

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 23.95

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 0.9

शहर : मध्य प्रदेश

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 35.74

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 190.95

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 21

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 43.1

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 31.65

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 234.06

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 8.7

शहर : महाराष्ट्र

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 24.22

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 150.56

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.12

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 47.36

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 17.35

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 197.92

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 7.3

शहर : उड़ीसा

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 35.69

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 126.14

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 17.29

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 12.39

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 32.59

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 138.53

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 5.1

शहर : पंजाब

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 7.66

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 13.35

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 9.24

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 9.82

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 8.26

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 23.18

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 0.9

शहर : राजस्थान

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 16.05

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 84.19

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 10.69

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 18.73

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 14.71

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 102.92

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.8

शहर : तमिलनाडु

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 15.83

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 59.23

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 6.54

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 23.4

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 11.28

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 82.63

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 3.1

शहर : उत्तर प्रदेश

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 30.4

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 479.35

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 26.06

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 118.84

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 29.43

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 598.19

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 22.2

शहर : पश्चिम बंगाल

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 22.52

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 141.14

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 14.66

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 43.83

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 19.98

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 184.98

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 6.9

शहर : भारत

ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत : 25.7

ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 2166.58

शहर व्यक्तियों का प्रतिशत : 13.7

शहर व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 531.25

योग व्यक्तियों का प्रतिशत : 21.92

योग व्यक्तियों की संख्या (लाख) : 2697.83

पूरे भारत के गरीबों में राज्य का हिस्सा : 100

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का वितरण वर्ष 2011 से 2016 के बीच

वर्ष (मार्चात)	कुल	वृद्धि दर	शाखाओं का वितरण प्रतिशत के रूप में			
			ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	कुल
2011	4549	9.0	60.4	21.5	18.1	100.0
2012	4860	6.8	59.6	22.0	18.4	100.0
2013	5270	8.4	59.6	21.8	18.6	100.0
2014	5908	12.1	58.7	23.0	18.3	100.0
2015	6297	6.6	57.9	23.1	19.0	100.0
2016	6661	5.8	55.4	25.2	19.4	100.0

स्रोत : राज्य स्तर बैंकर्स समिति

विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएँ जून, 2016 तक

राज्य : बिहार

कुल शाखा : 6661

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 5.2

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 8.6

राज्य : झारखंड

कुल शाखा : 2691

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 2.1

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 2.7

राज्य : मध्य प्रदेश

कुल शाखा : 5815

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 4.8

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 2.8

राज्य : उड़ीसा

कुल शाखा : 4280

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 3.4

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 6

राज्य : उत्तर प्रदेश

कुल शाखा : 15275

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 12.1

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 16.5

राज्य : पश्चिम बंगाल

कुल शाखा : 7073

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 5.6

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 3.5

राज्य : कर्नाटक

कुल शाखा : 9002

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 7.2

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 5

राज्य : गुजरात

कुल शाखा : 6965

देश की कुल शाखाओं का प्रतिशत : 5.5

देश की जनसंख्या का प्रतिशत : 5

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

बिहार में सभी बैंकों में साख-जमा अनुपात

वर्ष : 2005-06

जमा (करोड़ रु.) : 46134

ऋण (करोड़ रु.) : 14808

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 32.1

वर्ष : 2006-07

जमा (करोड़ रु.) : 56342

ऋण (करोड़ रु.) : 19048

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 33.81

वर्ष : 2007-08

जमा (करोड़ रु.) : 68244

ऋण (करोड़ रु.) : 22077

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 32.35

वर्ष : 2008-09

जमा (करोड़ रु.) : 83048

ऋण (करोड़ रु.) : 24051

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 28.96

वर्ष : 2009-10

जमा (करोड़ रु.) : 98588

ऋण (करोड़ रु.) : 31679

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 32.13

वर्ष : 2010-11

जमा (करोड़ रु.) : 113909

ऋण (करोड़ रु.) : 38723

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 33.9

वर्ष : 2011-12

जमा (करोड़ रु.) : 138163

ऋण (करोड़ रु.) : 50704

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 36.7

वर्ष : 2012-13

जमा (करोड़ रु.) : 161036

ऋण (करोड़ रु.) : 65364

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 40.59

वर्ष : 2013-14

जमा (करोड़ रु.) : 183458

ऋण (करोड़ रु.) : 85334

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 46.51

वर्ष : 2014-15

जमा (करोड़ रु.) : 211302

ऋण (करोड़ रु.) : 100261

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 47.45

वर्ष : 2015-16

जमा (करोड़ रु.) : 220667

ऋण (करोड़ रु.) : 104004

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 47.13

वर्ष : 2016-17

जमा (करोड़ रु.) : 238384

ऋण (करोड़ रु.) : 99454

ऋण-जमा (करोड़ रु.) : 41.7

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंक समिति (सितंबर, 2016 तक)

बिहार में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 930

2010-11 : 31.2

2011-12 : 26.5

2012-13 : 35.7

2013-14 : 37.5

2014-15 : 40

2015 -16 (सितंबर 2015) : 30.8

बैंक : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 440

2010-11 : 33.9

2011-12 : 37.3

2012-13 : 41.1

2013-14 : 37.2

2014-15 : 33

2016 -16 (सितंबर 2015) : 34.5

बैंक : पंजाब नेशनल बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 559

2010-11 : 33.1

2011-12 : 30.5

2012-13 : 37.1

2013-14 : 40.6

2014-15 : 41.9

2017 -16 (सितंबर 2015) : 40.8

बैंक : केनरा बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 227

2010-11 : 39.4

2011-12 : 39.1

2012-13 : 42.8

2013-14 : 40.2

2014-15 : 43.7

2018 -16 (सितंबर 2015) : 44.7

बैंक : यूको बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 230

2010-11 : 28.9

2011-12 : 36.3

2012-13 : 36.6

2013-14 : 39.3

2014-15 : 40.7

2019 -16 (सितंबर 2015) : 46

बैंक : बैंक ऑफ बड़ोदा

शाखाओं की संख्या 2016 में : 236

2010-11 : 33.6

2011-12 : 25.1

2012-13 : 35.8

2013-14 : 34.8

2014-15 : 41.6

2020 -16 (सितंबर 2015) : 41.2

बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 153

2010-11 : 36.8

2011-12 : 22.3

2012-13 : 36

2013-14 : 41.1

2014-15 : 42.1

2021 -16 (सितंबर 2015) : 43.1

बैंक : बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 335

2010-11 : 35

2011-12 : 37.5

2012-13 : 38.5

2013-14 : 38.5

2014-15 : 40.3

2022 -16 (सितंबर 2015) : 40.7

बैंक : इलाहाबाद बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 237

2010-11 : 30.5

2011-12 : 34.2

2012-13 : 41.4

2013-14 : 41.8

2014-15 : 42.8

2023 -16 (सितंबर 2015) : 40.9

बैंक : आंध्रा बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 43

2010-11 : 21.4

2011-12 : 23.3

2012-13 : 14.5

2013-14 : 16.8

2014-15 : 20.7

2014-15 (सितंबर 2015) : 49.1

बैंक : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

शाखाओं की संख्या 2016 में : 13

2010-11 : 17.2

2011-12 : 7.9

2012-13 : 8

2013-14 : 32.5

2014-15 : 67.4

2014-15 (सितंबर 2015) : 69

बैंक : कॉर्पोरेशन बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 41

2010-11 : 75

2011-12 : 20.4

2012-13 : 57.4

2013-14 : 89.2

2014-15 : 72

2026 -16 (सितंबर 2015) : 89.3

बैंक : देना बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 44

2010-11 : 9.5

2011-12 : 41.9

2012-13 : 31.1

2013-14 : 30.3

2014-15 : 33.1

2027 -16 (सितंबर 2015) : 41.1

बैंक : इंडियन बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 59

2010-11 : 32.3

2011-12 : 21.6

2012-13 : 60.6

2013-14 : 68.8

2014-15 : 79.4

2028 -16 (सितंबर 2015) : 79.2

बैंक : इंडियन ओवरसीज बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 61

2010-11 : 17.8

2011-12 : 36.8

2012-13 : 50.2

2013-14 : 60

2014-15 : 73

2029 -16 (सितंबर 2015) : 73.3

बैंक : ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

शाखाओं की संख्या 2016 में : 49

2010-11 : 30.4

2011-12 : 42.7

2012-13 : 45.1

2013-14 : 39.9

2014-15 : 47.3

2030 -16 (सितंबर 2015) : 50.5

बैंक : पंजाब एंड सिंध बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 12

2010-11 : 11.1

2011-12 : 10.8

2012-13 : 112

2013-14 : 108.7

2014-15 : 21.8

2031 -16 (सितंबर 2015) : 24.7

बैंक : सिंडीकेट बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 57

2010-11 : 39.9

2011-12 : 41.4

2012-13 : 40.1

2013-14 : 40.9

2014-15 : 41

2032 -16 (सितंबर 2015) : 27.3

बैंक : यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

शाखाओं की संख्या 2016 में : 92

2010-11 : 39.9

2011-12 : 41.4

2012-13 : 40.1

2013-14 : 40.9

2014-15 : 41

2033 -16 (सितंबर 2015) : 27.3

बैंक : विजया बैंक

शाखाओं की संख्या 2016 में : 34

2010-11 : 21.9

2011-12 : 22.8

2012-13 : 25.7

2013-14 : 29.2

2014-15 : 41.4

2034 -16 (सितंबर 2015) : 44.6

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ बी.एंड जे.

शाखाओं की संख्या 2016 में : 18

2010-11 : 41.3

2011-12 : 43.2

2012-13 : 81.2

2013-14 : 92.1

2014-15 : 92.3

2035 -16 (सितंबर 2015) : 79.7

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

शाखाओं की संख्या 2016 में : 3

2010-11 : 63.3

2011-12 : 55.3

2012-13 : 58.7

2013-14 : 46.3

2014-15 : 49.7

2036 -16 (सितंबर 2015) : 46.6

शाखाओं की संख्या 2016 में कुल : 3873

2010-11 : 34.9

2011-12 : 40.6

2012-13 : 40.7

2013-14 : 41.9

2014-15 : 43

2037 -16 (सितंबर 2015) : 41.7

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंक से समिति

राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएँ 31 मार्च, 2015

राज्य	राज्य सहकारी बैंक			जिला केंद्रीय सहकारी बैंक			कुल		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
बिहार	12	11	12	311	277	312	323	288	324
झारखंड	-	5	-	122	95	122	122	100	122
उड़ीसा	15	14	15	339	315	338	354	329	353
मध्य प्रदेश	25	25	25	856	838	856	881	863	881
उत्तर प्रदेश	29	29	29	1385	1336	1394	1414	1365	1423
गुजरात	33	37	40	1247	1234	1313	1250	1241	1323
महाराष्ट्र	53	53	48	3710	3721	3750	3763	3774	3798
भारत	1381	1059	1131	13655	13246	14060	14711	14305	15191

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लिमिटेड

विभिन्न सहकारी बैंकों में जमा ऋण तथा जमा अनुपात, 2015-16

बैंक	क्षेत्र	जमा (Deposits) (लाख में)	ऋण (Credits) (लाख में)	ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio)	निवेश (Investment) (करोड़ में)
सहकारी बैंक	ग्रामीण	94000	69100	73.5	
	अर्द्ध-शहरी	90300	53700	59.5	-
	शहरी	76569	30768	40.2	-
	कुल	260869	153568	58.9	4373

स्रोत : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स)

	पैक्स की संख्या	जमा (करोड़ रु.)	ऋण ग्रहण (करोड़ रु.)	बकाया ऋण एवं अग्रिम (करोड़ रु.)		लाभवाले पैक्स		घाटेवाले पैक्स	
				कृषि	गैर-कृषि	संख्या	रकम (करोड़ रु.)	संख्या	रकम (करोड़ रु.)
बिहार	8463	175	501	अनु.	अनु.	1180	6	3962	1
उड़ीसा	2701	1182	14657	2739	80	645	26	2028	353
गुजरात	8605	765	8886	9160	206	6038	92	1818	45
भारत	93042	81895	212429	61376	49679	43327	11052	37662	9118

स्रोत: राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB)

बिहार में राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

लाभ/हानि (करोड़ रुपए)				अनिष्पादित परिसंपत्तियों बकाया ऋणों के प्रतिशत में				वसूली (प्रतिशत) अंतिम चून तक			
2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
45.88	59.50	241.20	63.52	10.25	15.08	12.38	12.4	65.00	54.76	25.08	22.5

स्रोत: राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB)

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या

बैंक	शाखाओं की संख्या			
	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	योग
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	258	97	15	370
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	579	78	33	690
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	759	236	37	1032
कुल योग	1596	411	85	2092

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति (सितंबर, 2016 तक)

विभिन्न क्षेत्रीय बैंकों का ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश-सह-ऋण-जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 42.4

ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 42.52

ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 43.36

ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 41

ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 41

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 42.42

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 42.52

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 43.36

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 41

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 41

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 50.92

ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 72.11

ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 75.35

ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 71.6

ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 73.2

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 50.52

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 79.33

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 83.48

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 79.6

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 80.8

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 51.8

ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 55.3

ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 56.79

ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 57.8

ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 55.7

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 51.8

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 55.3

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 56.79

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 57.8

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 55.7

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योग

ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 48.51

ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 53.56

ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 54.92

ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 53.9

ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 53.3

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2012-13 : 48.51

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2013-14 : 54.7

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2014-15 : 56.19

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2015-16 : 55.2

निवेश-सह ऋण-जमा अनुपात 2016-17 : 54.5

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार में निजी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात वर्ष 2015-16 में

बैंक	ग्रामीण			शहरी एवं अर्द्ध-शहरी			ऋण-जमा अनुपात
	शाखाओं की संख्या	जमा (लाख में)	ऋण (लाख में)	शाखाओं की संख्या	जमा (लाख में)	ऋण (लाख में)	
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	3	168417	8437	76	167133	157870	49.6
फेडरल बैंक	0	0	0	8	24207	4270	17.6
एक्सिस बैंक	9	7100	990	64	390808	160516	40.6
एच.डी.एफ.सी. बैंक	3	2445	1096	87	395851	231311	58.4

कनारक बैंक	0	0	0	1	2397	597	24.9
कोटक महिंद्रा बैंक	0	0	0	12	36184	21492	59.4

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

बिहार में पुनर्वित्तपोषण का स्तर 2014-15 एवं 2015-16

क्षेत्र : लघु सिंचाई

2010-11 : 39.38

2011-12 : 32.72

2012-13 : 46.57

2013-14 : 17.89

2014-15 : 25.25

2015-16 : 43.44

क्षेत्र : कृषि यंत्रीकरण

2010-11 : 81.92

2011-12 : 97.76

2012-13 : 250.84

2013-14 : 67.27

2014-15 : 295.6

2015-16 : 164.77

क्षेत्र : दुग्धशाला

2010-11 : 92.56

2011-12 : 70.62

2012-13 : —

2013-14 : 31.11

2014-15 : 104.59

2015-16 : 333.68

क्षेत्र : स्वयं सहायता समूह

2010-11 : 40.57

2011-12 : 43.66

2012-13 : —

2013-14 : 63.38

2014-15 : 114.24

2015-16 : 92.15

क्षेत्र : गैर-कृषि क्षेत्र

2010-11 : 22.84

2011-12 : 97.8

2012-13 : 53.56

2013-14 : 21.26

2014-15 : 298.06

2015-16 : 67.88

क्षेत्र : अन्य

2010-11 : 8.72

2011-12 : 33.98

2012-13 : 170.46

2013-14 : 169.73

2014-15 : 1319.3

2015-16 : 25.17

क्षेत्र : योग

2010-11 : 285.99

2011-12 : 376.54

2012-13 : 521.43

2013-14 : 370.64

2014-15 : 2157.36

2015-16 : 3219.66

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

बिहार में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना

(संख्या में)

वर्ष	ज़िला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	स्वास्थ्य केंद्र				प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य केंद्र
				पी.एच.सी.	उपकेंद्र	ए.पी.एच.सी.	कुल	
2011	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2012	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2013	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2014	36	70	55	533	9729	1350	11612	11
2015	36	70	55	533	9729	1350	11612	11
2016	36	70	55	533	9729	1350	11612	11

स्रोत: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार सरकार

हेल्थकेयर प्रक्षेत्र

कुल : मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल

आवश्यकता : 40

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 9

कर्मि : 31

कुल : जिला अस्पताल

आवश्यकता : 38

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 36

कर्मि : 2

कुल : अनुमंडलीय अस्पताल

आवश्यकता : 212

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 44

कर्मि : 168

कुल : रेफरल हॉस्पिटल

आवश्यकता : 70

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 57

कर्मि : 13

कुल : सामुदायिक हेल्थ सेंटर

आवश्यकता : 838

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 0

कर्मि : 838

कुल : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

आवश्यकता : 3,314

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 533

कर्मि : 2,781

कुल : अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

आवश्यकता : 2,787

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 1,350

कर्मि : 1,437

कुल : उप-स्वास्थ्य केंद्र

आवश्यकता : 20,997

वर्तमान स्थिति (कार्यरत) : 9,729

कर्मि : 11,268

राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक

सूचक : (क) सुस्थिरता (Sustainability)

2011-12 : —

2012-13 : —

2013-14 : —

2014-15 : —

2015-16 : —

2016-17 BE : —

सूचक : वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.)

2011-12 : 9987

2012-13 : 14128

2013-14 : 16242

2014-15 : 15484

2015-16 : 26027

2016-17 BE : 26984

सूचक : ब्याज अनुपात (लुप्रतिशत)

2011-12 : 9.13

2012-13 : 8.67

2013-14 : 9.26

2014-15 : 9.82

2015-16 : 8.57

2016-17 BE : 8.67

सूचक : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्ति की उत्फुल्लता

2011-12 : 1.3

2012-13 : 2

2013-14 : 1.9

2014-15 : 0.2

2015-16 : 2.1

2016-17 BE : 1.2

सूचक : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति की उत्फुल्लता

2011-12 : -0.5

2012-13 : 1.9

2013-14 : 2.9

2014-15 : 0

2015-16 : 3.8

2016-17 BE : 0.6

सूचक : बकाया ऋण में वृद्धि (लक्षप्रतिशत)

2011-12 : 7.8

2012-13 : 12.7

2013-14 : 11.8

2014-15 : 16

2015-16 : 19.1

2016-17 BE : 19.3

सूचक : कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (लक्षप्रतिशत)

2011-12 : 15.2

2012-13 : 16.1

2013-14 : 15.7

2014-15 : 13.8

2015-16 : 22.6

2016-17 BE : 29.6

सूचक : राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (लप्रतिशत)

2011-12 : 24.4

2012-13 : 28.8

2013-14 : 23.7

2014-15 : 3.7

2015-16 : 23.9

2016-17 BE : 16.1

सूचक : सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (लप्रतिशत)

2011-12 : 21.4

2012-13 : 14.3

2013-14 : 12.3

2014-15 : 17.9

2015-16 : 10.6

2016-17 BE : 14

सूचक : (ख) लचीलापन (Flexibility)

2011-12 : —

2012-13 : —

2013-14 : —

2014-15 : —

2015-16 : —

2016-17 BE : —

सूचक : पूँजीगत अदायगी/पूँजीगत ऋणग्रहण (लप्रतिशत)

2011-12 : 72.9

2012-13 : 54

2013-14 : 39.6

2014-15 : 28.6

2015-16 : 25.8

2016-17 BE : 21.9

सूचक : कुल का प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लप्रतिशत)

2011-12 : 16.4

2012-13 : 17.1

2013-14 : 17.3

2014-15 : 15.4

2015-16 : 18

2016-17 BE : 18.7

सूचक : पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्ति (लप्रतिशत)

2011-12 : 133.1

2012-13 : 100.1

2013-14 : 141.1

2014-15 : 117.8

2015-16 : 130.2

2016-17 BE : 141.5

सूचक : राज्य की अपनी कर प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लप्रतिशत)

2011-12 : 5.1

2012-13 : 5.8

2013-14 : 6.3

2014-15 : 5.5

2015-16 : 6.2

2016-17 BE : 6.3

सूचक : राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लप्रतिशत)

2011-12 : 0.4

2012-13 : 0.4

2013-14 : 0.5

2014-15 : 0.4

2015-16 : 0.5

2016-17 BE : 0.5

सूचक : बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लप्रतिशत)

2011-12 : 20.63

2012-13 : 20.35

2013-14 : 20.27

2014-15 : 19.94

2015-16 : 21.48

2016-17 BE : 22.49

सूचक : (ग) सुभेद्यता (Vulnerability)

2011-12 : —

2012-13 : —

2013-14 : —

2014-15 : —

2015-16 : —

2016-17 BE : —

सूचक : राजस्व घाटा (करोड़ रु.)

2011-12 : -4820

2012-13 : -5101

2013-14 : -6441

2014-15 : -5847

2015-16 : -12507

2016-17 BE : -14649

सूचक : राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)

2011-12 : 5915

2012-13 : 6545

2013-14 : 8352

2014-15 : 11179

2015-16 : 12062

2016-17 BE : 16014

सूचक : प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)

2011-12 : 1611

2012-13 : 2117

2013-14 : 2893

2014-15 : 5050

2015-16 : 4964

2016-17 BE : 7835

सूचक : प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा (लृप्रतिशत)

2011-12 : 27.2

2012-13 : 32.3

2013-14 : 34.6

2014-15 : 45.2

2015-16 : 41.2

2016-17 BE : 48.9

सूचक : राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (लृप्रतिशत)

2011-12 : -81.5

2012-13 : -77.9

2013-14 : -77.1

2014-15 : -52.3

2015-16 : -103.7

2016-17 BE : -91.5

विभागवार योजना व्यय की राशि एवं कुल व्यय के प्रतिशत के वितरण का विवरण

विभाग का नाम : शिक्षा विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 1421788.77

कुल व्यय का प्रतिशत : 17.93

विभाग का नाम : ग्रामीण विकास विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 972546.55

कुल व्यय का प्रतिशत : 12.26

विभाग का नाम : ग्रामीण कार्य विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 851686.31

कुल व्यय का प्रतिशत : 10.74

विभाग का नाम : ऊर्जा विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 679559.53

कुल व्यय का प्रतिशत : 8.57

विभाग का नाम : पथ निर्माण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 570339

कुल व्यय का प्रतिशत : 7.19

विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 489901.04

कुल व्यय का प्रतिशत : 6.18

विभाग का नाम : स्वास्थ्य विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 356741.64

कुल व्यय का प्रतिशत : 4.5

विभाग का नाम : जल संसाधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 283417.43

कुल व्यय का प्रतिशत : 3.57

विभाग का नाम : नगर विकास एवं आवास विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 273461.06

कुल व्यय का प्रतिशत : 3.45

विभाग का नाम : पंचायती राज विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 258921

कुल व्यय का प्रतिशत : 3.26

विभाग का नाम : कृषि विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 234281.57

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.95

विभाग का नाम : योजना एवं विकास विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 211045.7

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.66

विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 200989.33

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.53

विभाग का नाम : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 162163.36

कुल व्यय का प्रतिशत : 2.04

विभाग का नाम : पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 158008.64

कुल व्यय का प्रतिशत : 1.99

विभाग का नाम : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 152563.85

कुल व्यय का प्रतिशत : 1.92

विभाग का नाम : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 88866.81

कुल व्यय का प्रतिशत : 1.12

विभाग का नाम : उद्योग विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 77187.8

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.97

विभाग का नाम : श्रम संसाधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 58117.67

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.73

विभाग का नाम : गृह विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 52979.27

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.67

विभाग का नाम : सहकारिता विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 49670.19

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.63

विभाग का नाम : लघु जल संसाधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 39530.14

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.5

विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 37324.55

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.47

विभाग का नाम : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 34096.35

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.43

विभाग का नाम : पशु एवं मत्स्य विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 30494.81

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.38

विभाग का नाम : विधि विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 27500

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.35

विभाग का नाम : भवन निर्माण विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 24843.52

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.31

विभाग का नाम : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 22771.14

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.29

विभाग का नाम : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 22529.02

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.28

विभाग का नाम : पर्यावरण एवं वन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 17846.38

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.23

विभाग का नाम : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 15666.05

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.2

विभाग का नाम : सामान्य प्रशासन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 11852.52

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.15

विभाग का नाम : गन्ना उद्योग विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 10184.27

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.13

विभाग का नाम : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 9012.29

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.11

विभाग का नाम : पर्यटन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 9101.21

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.11

विभाग का नाम : वित्त विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 7000

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.09

विभाग का नाम : आपदा प्रबंधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 5125.5

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.06

विभाग का नाम : परिवहन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 1487.17

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.02

विभाग का नाम : मद्यविषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 461.79

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.01

विभाग का नाम : वाणिज्य कर विभाग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 603.77

कुल व्यय का प्रतिशत : 0.01

विभाग का नाम : कुल योग

योजना व्यय की राशि (लाख रु. में) : 7931667

कुल व्यय का प्रतिशत : 100

सेवाओं से संबंधित आय-व्यय 2017-2018 एक दृष्टि में (राशि करोड़ रुपए में)

सेवाओं से संबंधित आय-व्यय 2017-2018 एक दृष्टि में (राशि करोड़ रुपए में)

विषय	2015-16 वास्तविकी		2016-17 बजट अनुमान		2016-17 पुनरीक्षित अनुमान		2017-18 बजट अनुमान	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I आय के स्रोत								
1. केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	48922.68	42.72	58359.72	40.01	58880.59	40.05	65326.34	40.57
2. राज्य का कर राजस्व	25449.18	22.22	29730.27	20.38	27896.67	18.97	32001.12	19.67
3. राज्य का कर भिन्न राजस्व	2185.64	1.91	2358.11	1.62	2384.38	1.63	2874.96	1.79
4. केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	19565.60	17.08	34142.14	23.41	38375.74	26.10	36956.00	22.95
5. लोक ऋण								
(क) राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	17565.04	15.34	18239.37	13.03	17514.11	11.91	21702.61	13.48
(ख) केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा ऋण	817.97	0.71	1955.55	1.34	9955.55	1.33	2160.07	1.34
6. (क) ऋणों की वृद्धि	18.50	0.02	17.38	0.01	18.86	0.01	18.00	0.01
(ख) अंतरराष्ट्रीय परिसोधन								
(ग) आकस्मिकता निधि का अंतरण								
कुल	114524.61	100.00	145862.54	100.00	147025.92	100.00	161039.09	100.00

II व्यय के शीर्ष								
(क) सामान्य सेवाएँ (जोड़ 1 से 3 तक)	31589.33	28.12	39144.52	27.05	39763.30	25.77	44969.55	28.09
1. निधान, राजकोषीय एवं प्रशासनिक सेवाएँ	12149.42	10.82	14118.28	9.76	14447.03	9.36	14836.55	9.27
2. व्याज अदायगियाँ और ऋण परिशोधन	7589.55	6.78	8742.94	6.04	9050.91	5.85	10255.36	6.41
3. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	11850.36	10.55	16285.30	11.25	16285.36	10.55	19877.64	12.12
(ख) सामाजिक सेवाएँ (जोड़ 1 से 4 तक)	38683.52	34.44	51070.66	35.30	57648.51	37.35	58492.31	36.54
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19155.14	17.05	22822.53	15.77	24073.34	15.60	26304.37	16.49
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4571.32	4.07	7717.55	5.33	7776.40	5.04	6334.82	4.08
3. जल आपूर्ति, सफाई आवास और शहरी विकास	4517.85	4.02	7328.87	5.07	11325.64	7.34	13147.86	8.21
4. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा अन्य	10439.21	9.29	13201.71	9.12	14473.14	9.38	12415.26	7.76

(ग) वार्षिक सेवाएँ (जोड़ 1 से 5 तक)	37304.89	33.21	49827.66	34.44	51996.40	33.69	15331.82	32.07
1. कृषि, सहकारिता वाणिज्यी तथा संबद्ध सेवाएँ	4119.83	3.67	4275.68	2.95	4475.94	2.90	4376.37	2.73
2. ग्रामीण विकास	12934.12	11.51	16874.17	11.66	17373.73	11.26	21019.06	13.13
3. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा	11781.40	10.49	16777.14	11.59	18090.77	11.72	14962.81	9.36
4. उद्योग एवं खनिज	1230.14	1.10	1074.59	0.74	1170.56	0.76	1136.08	0.70
5. परिवहन और सामान्य वार्षिक सेवाएँ	7239.31	6.44	10826.08	7.48	10885.39	7.05	9847.49	6.15
(घ) सहायता अनुदान और अंशदान	4.21	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00
1. लोक ऋण (जोड़ क और ख)	4124.83	3.67	4074.39	2.82	4139.89	2.76	4233.28	3.00
(क) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	3422.74	3.05	3269.45	2.26	3454.66	2.24	3846.25	2.40
(ख) केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	702.12	0.63	804.94	0.56	804.94	0.52	951.03	0.59
2. (क) ऋण एवं पेशागिर्या	621.23	0.55	574.86	0.40	654.68	0.42	489.75	0.31

(ख) अंतरराज्यीय परिशोधन								
(ग) आकस्मिकता निधि का अंतरण								
कुल	142328.03	100.00	14696.27	100.00	154327.47	100.00	160085.69	100.00
समेकित निधि में वृद्धि (+)/घात (-)	2196.58		1166.27		7301.54		953.39	
लोक लेखा में प्राप्तियाँ	284011.46		22139.67		22139.67		27927.48	
लोक लेखा व्यय	285934.41		23374.74		23374.74		32027.48	
लोक लेखा में वृद्धि (+)/घात (-)	50.81		-1235.07		-1235.07		-2100.00	
समेकित निधि आकस्मिकता निधि + लोक लेखा में वृद्धि	41.82		-68.80		-21303.85		48.43	
आदि रोकड़ शेष	-89.06		50.00		124.56		1000.00	
अंत रोकड़ शेष	124.86		-18.80		-8412.05		-146.61	

राजन समिति, योजना आयोग, वित्त आयोग एवं विकास सूचकांक के आधार पर

बिहार एवं देश के अन्य राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन

राज्य : आंध्र प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.52

राजन समिति : 6.85

योजना आयोग : 7.34

वित्त आयोग : 6.61

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.73

राजन समिति : 0.97

योजना आयोग : 1.56

वित्त आयोग : 0.5

राज्य : असम

विकास सूचकांक : 0.71

राजन समिति : 3.05

योजना आयोग : 4.93

वित्त आयोग : 3.31

राज्य : बिहार

विकास सूचकांक : 0.76

राजन समिति : 12.04

योजना आयोग : 7.42

वित्त आयोग : 10.06

राज्य : छत्तीसगढ़

विकास सूचकांक : 0.75

राजन समिति : 3.7

योजना आयोग : 3.14

वित्त आयोग : 2.43

राज्य : गोवा

विकास सूचकांक : 0.05

राजन समिति : 0.3

योजना आयोग : 0.15

वित्त आयोग : 0.23

राज्य : गुजरात

विकास सूचकांक : 0.49

राजन समिति : 3.69

योजना आयोग : 3.05

वित्त आयोग : 3.12

राज्य : हरियाणा

विकास सूचकांक : 0.4

राजन समिति : 1.33

योजना आयोग : 1.36

वित्त आयोग : 1.11

राज्य : हिमाचल प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.4

राजन समिति : 0.67

योजना आयोग : 2.04

वित्त आयोग : 1.54

राज्य : जम्मू और कश्मीर

विकास सूचकांक : 0.5

राजन समिति : 1.83

योजना आयोग : 4.92

वित्त आयोग : 2.51

राज्य : झारखंड

विकास सूचकांक : 0.75

राजन समिति : 3.38

योजना आयोग : 2.96

वित्त आयोग : 2.77

राज्य : कर्नाटक

विकास सूचकांक : 0.45

राजन समिति : 3.73

योजना आयोग : 4.13

वित्त आयोग : 4.39

राज्य : केरल

विकास सूचकांक : 0.09

राजन समिति : 0.38

योजना आयोग : 1.95

वित्त आयोग : 2.45

राज्य : मध्य प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.76

राजन समिति : 9.56

योजना आयोग : 6.91

वित्त आयोग : 6.72

राज्य : महाराष्ट्र

विकास सूचकांक : 0.35

राजन समिति : 3.94

योजना आयोग : 6.64

वित्त आयोग : 5.28

राज्य : मणिपुर

विकास सूचकांक : 0.57

राजन समिति : 0.5

योजना आयोग : 1.39

वित्त आयोग : 0.8

राज्य : मेघालय

विकास सूचकांक : 0.69

राजन समिति : 0.65

योजना आयोग : 1.11

वित्त आयोग : 0.51

राज्य : मिजोरम

विकास सूचकांक : 0.49

राजन समिति : 0.4

योजना आयोग : 1.09

वित्त आयोग : 0.5

राज्य : नागालैंड

विकास सूचकांक : 0.55

राजन समिति : 0.45

योजना आयोग : 0.13

वित्त आयोग : 0.84

राज्य : ओडिशा

विकास सूचकांक : 0.8

राजन समिति : 6.53

योजना आयोग : 4.62

वित्त आयोग : 4.83

राज्य : पंजाब

विकास सूचकांक : 0.35

राजन समिति : 1.07

योजना आयोग : 1.26

वित्त आयोग : 1.45

राज्य : राजस्थान

विकास सूचकांक : 0.63

राजन समिति : 8.42

योजना आयोग : 4.79

वित्त आयोग : 5.84

राज्य : सिक्किम

विकास सूचकांक : 0.43

राजन समिति : 0.35

योजना आयोग : 0.67

वित्त आयोग : 0.35

राज्य : तमिलनाडु

विकास सूचकांक : 0.34

राजन समिति : 2.51

योजना आयोग : 4.46

वित्त आयोग : 5.01

राज्य : त्रिपुरा

विकास सूचकांक : 0.47

राजन समिति : 0.52

योजना आयोग : 1.78

वित्त आयोग : 0.81

राज्य : उत्तर प्रदेश

विकास सूचकांक : 0.64

राजन समिति : 16.41

योजना आयोग : 10.09

वित्त आयोग : 18.16

राज्य : उत्तराखण्ड

विकास सूचकांक : 0.38

राजन समिति : 0.79

योजना आयोग : 1.9

वित्त आयोग : 1.15

राज्य : पश्चिम बंगाल

विकास सूचकांक : 0.55

राजन समिति : 5.5

योजना आयोग : 6.93

वित्त आयोग : 6.72

राज्य : —

विकास सूचकांक : कुल

राजन समिति : 100

योजना आयोग : 100

वित्त आयोग : 100

Source : Committee for Evolving a Composite Development Index of Status report, PRS

बिहार की GSDP में द्वितीयक क्षेत्र के योगदान का अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन

राज्य : आंध्र प्रदेश

2014-15 : 26.5

2015-16 : 26.6

राज्य : बिहार

2014-15 : 17.9

2015-16 : 19

राज्य : गुजरात

2014-15 : 45

2015-16 : 45

राज्य : झारखंड

2014-15 : 44.6

2015-16 : 43.7

राज्य : मध्य प्रदेश

2014-15 : 27

2015-16 : 26.9

राज्य : ओडिशा

2014-15 : 29.6

2015-16 : 41.4

राज्य : तमिलनाडु

2014-15 : 34.9

2015-16 : 34.7

राज्य : उत्तर प्रदेश

2014-15 : 28.1

2015-16 : 27.7

राज्य : कर्नाटक

2014-15 : 28.1

2015-16 : 28

राज्य : भारत

2014-15 : 31.2

2015-16 : 31.3

स्रोत : वार्षिक सर्वे, उद्योग

बिहार में प्रमंडलवार बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ

प्रमंडल का नाम : पटना

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 38.2

प्रमंडल का नाम : तिरहुत

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 21.6

प्रमंडल का नाम : मगध

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 7.9

प्रमंडल का नाम : दरभंगा

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 7.3

प्रमंडल का नाम : मुंगेर

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 6.9

प्रमंडल का नाम : पूर्णिया

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 6.9

प्रमंडल का नाम : सारण

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 5.4

प्रमंडल का नाम : भागलपुर

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 3.9

प्रमंडल का नाम : कोसी

बड़े एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (प्रतिशत में) : 0

राज्य में कारखाने एवं कर्मियों की संख्या वर्ष, 2013-14

राज्य : आंध्र प्रदेश

संचालित कारखानों की संख्या : 12941

नियोजित कर्मियों की संख्या : 522057

राज्य : बिहार

संचालित कारखानों की संख्या : 3132

नियोजित कर्मियों की संख्या : 113594

राज्य : छत्तीसगढ़

संचालित कारखानों की संख्या : 2271

नियोजित कर्मियों की संख्या : 166236

राज्य : गुजरात

संचालित कारखानों की संख्या : 18069

नियोजित कर्मियों की संख्या : 1372669

राज्य : हरियाणा

संचालित कारखानों की संख्या : 5293

नियोजित कर्मियों की संख्या : 612419

राज्य : झारखंड

संचालित कारखानों की संख्या : 2347

नियोजित कर्मियों की संख्या : 187877

राज्य : कर्नाटक

संचालित कारखानों की संख्या : 10062

नियोजित कर्मियों की संख्या : 927392

राज्य : केरल

संचालित कारखानों की संख्या : 6143

नियोजित कर्मियों की संख्या : 351662

राज्य : मध्य प्रदेश

संचालित कारखानों की संख्या : 3437

नियोजित कर्मियों की संख्या : 322833

राज्य : महाराष्ट्र

संचालित कारखानों की संख्या : 23369

नियोजित कर्मियों की संख्या : 1886025

राज्य : ओडिशा

संचालित कारखानों की संख्या : 2399

नियोजित कर्मियों की संख्या : 260771

राज्य : पंजाब

संचालित कारखानों की संख्या : 10394

नियोजित कर्मियों की संख्या : 602818

राज्य : राजस्थान

संचालित कारखानों की संख्या : 7874

नियोजित कर्मियों की संख्या : 470078

राज्य : तमिलनाडु

संचालित कारखानों की संख्या : 28597

नियोजित कर्मियों की संख्या : 2046553

राज्य : उत्तर प्रदेश

संचालित कारखानों की संख्या : 12382

नियोजित कर्मियों की संख्या : 912206

राज्य : पश्चिम बंगाल

संचालित कारखानों की संख्या : 7895

नियोजित कर्मियों की संख्या : 645738

राज्य : भारत

संचालित कारखानों की संख्या : 185690

नियोजित कर्मियों की संख्या : 1E+07

स्रोत : वार्षिक सर्वेक्षण, उद्योग

राज्य में चीनी मिलों द्वारा उत्पादन (2015-16)

चीनी मिल का नाम : बगहा

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 74.91

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 7.44

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.9

चीनी मिल का नाम : हरिनगर

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 115.08

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 11.51

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

चीनी मिल का नाम : नरकटियागंज

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 75.84

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 7.58

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

चीनी मिल का नाम : मझौलिया

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 42.2

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 4.03

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.5

चीनी मिल का नाम : सासामुसा

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 12.8

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 1.16

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.1

चीनी मिल का नाम : गोपालगंज

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 33.03

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 3.3

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10

चीनी मिल का नाम : सिधवलिया

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 45.84

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 4.3

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.4

चीनी मिल का नाम : रीगा

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 36.45

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 3.4

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.3

चीनी मिल का नाम : हसनपुर

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 31.13

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 3.19

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 10.2

नई चीनी मिलें

चीनी मिल का नाम : लौरिया

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 27.22

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 2.58

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.5

चीनी मिल का नाम : सुगौली

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 20.73

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 1.84

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 8.9

चीनी मिल का नाम : कुल

पेरी गई ईख (लाख क्विंटल में) : 515.23

उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल) : 50.33

चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत में) : 9.8

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

बिहार में रेशम उत्पादन (2015-16)

रेशम का प्रकार : मलबरी

वृक्षारोपण (हेक्टेयर में) : 136

कुल काकून उत्पादन : 202.56 (टन)

कच्चा रेशम (टन में) : 22.55

रेशम का प्रकार : तसर

वृक्षारोपण (हेक्टेयर में) : 2325

कुल काकून उत्पादन : 466.00 (लाख)

कच्चा रेशम (टन में) : 42

रेशम का प्रकार : अंडी

वृक्षारोपण (हेक्टेयर में) : 161

कुल काकून उत्पादन : 9.50 (टन)

कच्चा रेशम (टन में) : 7.6

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विवरणी (2015-16)

उद्योग का प्रकार : चावल मिल

इकाइयों की संख्या (कुल) : 174

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 115

उद्योग का प्रकार : गेहूँ मिल

इकाइयों की संख्या (कुल) : 44

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 33

उद्योग का प्रकार : मक्का प्रसंस्करण

इकाइयों की संख्या (कुल) : 41

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 29

उद्योग का प्रकार : ग्रामीण कृषि व्यवसाय केंद्र

इकाइयों की संख्या (कुल) : 52

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 37

उद्योग का प्रकार : शीतगृह

इकाइयों की संख्या (कुल) : 3

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 0

उद्योग का प्रकार : खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण

इकाइयों की संख्या (कुल) : 16

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 7

उद्योग का प्रकार : दूध प्रसंस्करण

इकाइयों की संख्या (कुल) : 9

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 6

उद्योग का प्रकार : मखाना प्रसंस्करण

इकाइयों की संख्या (कुल) : 4

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 2

उद्योग का प्रकार : शहद प्रसंस्करण

इकाइयों की संख्या (कुल) : 3

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 3

उद्योग का प्रकार : बिस्कुट निर्माण

इकाइयों की संख्या (कुल) : 10

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 8

उद्योग का प्रकार : खाद्य तेल उत्पादन

इकाइयों की संख्या (कुल) : 10

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 8

उद्योग का प्रकार : आइसक्रीम

इकाइयों की संख्या (कुल) : 6

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 4

उद्योग का प्रकार : अन्य परियोजना

इकाइयों की संख्या (कुल) : 25

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 14

उद्योग का प्रकार : फूड पार्क

इकाइयों की संख्या (कुल) : 2

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 0

उद्योग का प्रकार : कुल

इकाइयों की संख्या (कुल) : 399

इकाइयों की संख्या (परिचालन) : 266

स्रोत : उद्योग विभाग, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार सरकार

2005 एवं 2013 की आर्थिक गणना

		2005	2013	प्रतिशत वृद्धि
उद्यमों की संख्या	ग्रामीण	835	1200	43.7
	शहरी	389	507	30.3
	कुल	1225	1707	39.4
अपने खाते के उद्यम	ग्रामीण	751	850	13.2
	शहरी	280	309	10.3
	कुल	1031	1159	12.4
उद्यम, किसानों के श्रमिकों के साथ	ग्रामीण	240	350	46.1
	शहरी	164	198	20.9
	कुल	404	549	35.9

कृषि उद्यम	ग्रामीण	30	77	159.2
	शहरी	5	8	57.0
	कुल	35	85	144.0
गैर-कृषि उद्यम	ग्रामीण	806	1123	39.4
	शहरी	384	499	29.9
	कुल	1190	1622	36.3
नियोजित कर्मियों की संख्या	ग्रामीण	1405	2171	54.6
	शहरी	865	1073	24.0
	कुल	2270	3244	42.9

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बियाडा के अधीन औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट, बृहत औद्योगिक एस्टेट, विकास केंद्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : पाटलिपुत्र (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 1105

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.2

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : फतुहा (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 178.06

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 6.12

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : हाजीपुर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 304.62

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 1.13

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : हाजीपुर (EPIP)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 200.33

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.89

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बिहारशरीफ (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 435

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 2.19

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : नवादा (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 75

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 1.04

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : गया (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 53.55

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.23

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : जहानाबाद (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 314.16

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.46

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : औरंगाबाद (GC)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 30

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 1.05

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : औरंगाबाद (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 160.27

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 25.4

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : डेहरी (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 181

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 7.23

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बारून (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 100

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 1.72

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : विक्रमगंज (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 355

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.07

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बक्सर (GC)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 172.75

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.89

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बिहिया (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 350.25

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 11.23

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : गिद्धा (MIP)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 32.5

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.92

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बिहटा (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 134.44

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बिहटा (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 108.76

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : कोपाकला (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 48.9

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (पटना)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बरौनी (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 39.78

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.33

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बेला (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 164.77

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.02

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : धरमपुर (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 72.75

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.52

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : दोनार (GC)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 150

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 13.29

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : झंझारपुर (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 411.5

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.74

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : खगड़िया (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 25

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : मुरलीगंज (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 210

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 1.6

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : पंडौल (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 45

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 9.49

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : सहरसा (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 400

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : समस्तीपुर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 21.9

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.1

क्षेत्रीय प्राधिकार (दरभंगा)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : उदाकिशनगंज (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 175

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 3.75

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजफ्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : मुजफ्फरपुर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 162.5

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 29.66

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजफ्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : मुजफ्फरपुर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 162.5

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.71

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजफ्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : कुमारबाघ (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 19

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 40.34

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजफ्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : रामनगर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 178.33

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 4.59

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजप्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : सीतामढ़ी (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 235.37

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 1.35

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजप्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : रक्सौल (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 124.62

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.11

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजप्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बेतिया (LIE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 149.04

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.06

क्षेत्रीय प्राधिकार (मुजप्फरपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : सिवान (E)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 110.97

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : बरारी (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 255

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 2.5

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : मुंगेर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 363.44

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.97

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : सीताकुंड (GC)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 70

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : जमालपुर (GC)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 207.64

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 9.77

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : मरंगा (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 163.75

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 8.44

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : कहलगाँव (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 36.41

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : लखीसराय (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 67.5

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.04

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : पूर्णिया शहर (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 173.33

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0.4

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : भेदियाडांगी, किशनगंज (IE)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 28.5

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : फारबिसगंज (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 31.07

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 2.75

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : कटिहार (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 286.66

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 4.29

क्षेत्रीय प्राधिकार (भागलपुर)

IA, IE, LIA, GC एवं MIP : खगारा, किशनगंज (IA)

भूमि दर (लाख प्रति एकड़) : 206

खाली भूमि (लाख प्रति एकड़) : 0

प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई में अग्रणी जिले

जिले का नाम : पटना

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 36.5

जिले का नाम : अरवल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 35.4

जिले का नाम : जहानाबाद

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 35.4

जिले का नाम : सुपौल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 35.3

जिले का नाम : संपूर्ण बिहार

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 209.5

प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई में पिछड़े जिले

जिले का नाम : पश्चिमी चंपारण

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 10.7

जिले का नाम : मुंगेर

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 10.9

जिले का नाम : कैमूर

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 13.2

स्रोत : भारत की बुनियादी पथ सांख्यिकी, 2012-13

प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में अग्रणी जिले

जिले का नाम : सुपौल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 38

जिले का नाम : शेखपुरा

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 32.1

जिले का नाम : अरवल

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 30.5

जिले का नाम : जहानाबाद

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 30.5

जिले का नाम : संपूर्ण बिहार

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 189.5

प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में पिछड़े जिले

जिले का नाम : मुंगेर

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 11.2

जिले का नाम : वैशाली

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 12

जिले का नाम : पूर्वी चंपारण

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 12.4

स्रोत : भारत की बुनियादी पथ सांख्यिकी, 2012-13

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या एवं लंबाई (लंबाई किलोमीटर में)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 2

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : मोहनिया-सासाराम-औरंगाबाद-डोभी

बिहार में कुल लंबाई : 202

कुल लंबाई : 1465

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 19

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : छपरा-हाजीपुर-पटना

बिहार में कुल लंबाई : 120

कुल लंबाई : 240

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 28

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : बरौनी-मुजफ्फरपुर-गोपालगंज

बिहार में कुल लंबाई : 259

कुल लंबाई : 570

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 28A

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : पीपरा कोठी-सगौली-रक्सौल

बिहार में कुल लंबाई : 68

कुल लंबाई : 68

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 28B

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : छपरा-बेतिया-बगहा

बिहार में कुल लंबाई : 121

कुल लंबाई : 121

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 30

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : मोहनिया-आरा-पटना-बख्तियारपुर

बिहार में कुल लंबाई : 230

कुल लंबाई : 230

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 30A

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : फतुहां-चंडी-बाढ़

बिहार में कुल लंबाई : 65

कुल लंबाई : 65

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 31

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : नवादा-बिहारशरीफ-मोकामा-बसौनी-बेगूसराय-खगडिया-पूर्णिया-किशनगंज

बिहार में कुल लंबाई : 393

कुल लंबाई : 1125

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 57

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज-अररिया

बिहार में कुल लंबाई : 310

कुल लंबाई : 310

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 57A

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : फारबिसगंज-जोगबनी

बिहार में कुल लंबाई : 15

कुल लंबाई : 15

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 77

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा

बिहार में कुल लंबाई : 142

कुल लंबाई : 142

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 80

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : मोकामा-मुंगेर-भागलपुर

बिहार में कुल लंबाई : 200

कुल लंबाई : 310

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 81

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : कटिहार-कोढ़ा

बिहार में कुल लंबाई : 45

कुल लंबाई : 100

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 82

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : गया-बिहारशरीफ-मोकामा

बिहार में कुल लंबाई : 130

कुल लंबाई : 130

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 83

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : पटना-जहानाबाद-गया-डोभी

बिहार में कुल लंबाई : 130

कुल लंबाई : 130

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 84

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : आरा-बक्सर

बिहार में कुल लंबाई : 60

कुल लंबाई : 60

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 85

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : छपरा-सीवान-गोपालगंज

बिहार में कुल लंबाई : 95

कुल लंबाई : 95

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 98

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : पटना-औरंगाबाद-अम्बा

बिहार में कुल लंबाई : 156

कुल लंबाई : 207

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 101

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : छपरा-बनियापुर-मोहम्मदपुर

बिहार में कुल लंबाई : 60

कुल लंबाई : 60

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 102

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर

बिहार में कुल लंबाई : 80

कुल लंबाई : 80

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 103

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : हाजीपुर-जन्दाहा-मुसरीघरारी

बिहार में कुल लंबाई : 55

कुल लंबाई : 55

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 104

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : जयनगर-शिवहर-सीतामढ़ी-सुरसंड

बिहार में कुल लंबाई : 160

कुल लंबाई : 160

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 105

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : दरभंगा-औसी-जयनगर

बिहार में कुल लंबाई : 66

कुल लंबाई : 66

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 106

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : वीरपुर-मधेपुरा-किशनगंज

बिहार में कुल लंबाई : 130

कुल लंबाई : 130

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 107

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : महेशकुट-सिमरी बख्तियारपुर-सहरसा-मधेपुरा-बनमंखी-पूर्णिया

बिहार में कुल लंबाई : 145

कुल लंबाई : 145

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 110

बिहार से गुजरनेवाले मार्ग : अरवल-जहानाबाद-एकंगरसराय-बिहारशरीफ

बिहार में कुल लंबाई : 89

कुल लंबाई : 89

बिहार में सड़कों की लंबाई (2015)

सड़क का प्रकार : राष्ट्रीय उच्चपथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 4595

सड़क का प्रकार : राज्य पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 4253

सड़क का प्रकार : मुख्य जिला पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 10634

सड़क का प्रकार : ग्रामीण पथ

सड़क की लंबाई (किलोमीटर में) : 50596

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

ग्रामीण पथ निर्माण की योजनाएँ

योजना का नाम : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 6706.18

योजना का नाम : आपकी सरकार आपके द्वार योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 738.06

योजना का नाम : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 4397.98

योजना का नाम : अनुसूचित जाति महादलित योजना हेतु विशेष घटक योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 760.42

योजना का नाम : नाबार्ड (Rural Infrastructure Development Fund) योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 2604.66

योजना का नाम : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 66.27

योजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 33540.8

योजना का नाम : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

सड़क निर्माण (किलोमीटर में) : 7187.86

सड़क निर्माण (किलोमीटर में योग : 50596.23

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

राज्य उच्चपथ संख्या : 68

परियोजना : शिवगंज-बैदराबाद

लंबाई (किलोमीटर में) : 82.25

राज्य उच्चपथ संख्या : 69

परियोजना : डुमरिया-रानी तालाब

लंबाई (किलोमीटर में) : 152.8

राज्य उच्चपथ संख्या : 70

परियोजना : गया-रजौली

लंबाई (किलोमीटर में) : 58.23

राज्य उच्चपथ संख्या : 71

परियोजना : जहानाबाद-इस्लामपुर

लंबाई (किलोमीटर में) : 85.2

राज्य उच्चपथ संख्या : 73

परियोजना : सीवान-शीतलपुर

लंबाई (किलोमीटर में) : 88

राज्य उच्चपथ संख्या : 74

परियोजना : हाजीपुर-केसरिया-अरेराज

लंबाई (किलोमीटर में) : 87.06

राज्य उच्चपथ संख्या : 75

परियोजना : दरभंगा-कमतौल-मधुवापुर

लंबाई (किलोमीटर में) : 46.75

राज्य उच्चपथ संख्या : 76

परियोजना : अररिया-सुपौल-भपटियाही

लंबाई (किलोमीटर में) : 121

राज्य उच्चपथ संख्या : 77

परियोजना : कुरसैला-रानीगंज-फारबिसगंज

लंबाई (किलोमीटर में) : 102.93

लंबाई (किलोमीटर में) योग : 824.22

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

भारत के प्रमुख राज्यों में रेलमार्ग नेटवर्क

राज्य का नाम : बिहार

लंबाई (किलोमीटर में) : 3598

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 38

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.04

राज्य का नाम : गुजरात

लंबाई (किलोमीटर में) : 5257

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 27

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.09

राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश

लंबाई (किलोमीटर में) : 2459

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 31

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.08

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश

लंबाई (किलोमीटर में) : 4954

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 16

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.07

राज्य का नाम : राजस्थान

लंबाई (किलोमीटर में) : 5822

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 17

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.08

राज्य का नाम : पंजाब

लंबाई (किलोमीटर में) : 2155

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 43

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.08

राज्य का नाम : तमिलनाडु

लंबाई (किलोमीटर में) : 3943

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 30

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.06

राज्य का नाम : कर्नाटक

लंबाई (किलोमीटर में) : 3090

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 16

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

राज्य का नाम : छत्तीसगढ़

लंबाई (किलोमीटर में) : 1187

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 9

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

राज्य का नाम : हरियाणा

लंबाई (किलोमीटर में) : 1553

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 35

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.06

राज्य का नाम : झारखंड

लंबाई (किलोमीटर में) : 2040

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 26

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.06

राज्य का नाम : केरल

लंबाई (किलोमीटर में) : 1050

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 27

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.03

राज्य का नाम : महाराष्ट्र

लंबाई (किलोमीटर में) : 5602

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 18

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल

लंबाई (किलोमीटर में) : 4000

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 45

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.04

राज्य का नाम : भारत

लंबाई (किलोमीटर में) : 64600

रेल घनत्व (प्रति हजार वर्ग किलोमीटर) : 20

रेल घनत्व (प्रति हजार जनसंख्या) : 0.05

स्रोत : अधिसूचना सांख्यिकी, 2014, भारत सरकार

विद्युत उत्पादन के स्रोत, मार्च, 2015

स्रोत : ताप विद्युत (कोयला आधारित)

उत्पादन (प्रतिशत में) : 83.6

उत्पादन (मेगावाट में) : 3094.1

स्रोत : जल विद्युत

उत्पादन (प्रतिशत में) : 14.12

उत्पादन (मेगावाट में) : 524.53

स्रोत : नवीकरणीय स्रोत

उत्पादन (प्रतिशत में) : 2.3

उत्पादन (मेगावाट में) : 86

योग उत्पादन (प्रतिशत में) : 100

योग उत्पादन (मेगावाट में) : 3704.63

विद्युत उत्पादन क्षमता, मार्च, 2015

स्वामित्व या क्षेत्र : राज्य

ताप विद्युत (कोयला) : 220

जल विद्युत : 55

नवीकरणीय : 0

स्वामित्व या क्षेत्र : निजी विद्युत उत्पादक

ताप विद्युत (कोयला) : 460

जल विद्युत : 0

नवीकरणीय : 86

स्वामित्व या क्षेत्र : केंद्र

ताप विद्युत (कोयला) : 2414.1

जल विद्युत : 469.53

नवीकरणीय : 0

ताप विद्युत (कोयला) योग : 3094.1

जल विद्युत योग : 524.53

नवीकरणीय योग : 524.53

कुल योग : $3094.10 + 524.53 + 86 = 3704.63$

बिहार की प्रमुख विद्युत उत्पादक इकाई (स्थापित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित)

ताप विद्युत परियोजना : कांटी ताप विद्युत परियोजना

स्थान : कांटी, मुजफ्फरपुर

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×110 , 2×195

ताप विद्युत परियोजना : बरौनी ताप विद्युत परियोजना

स्थान : बरौनी, बेगूसराय

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×110 , 2×250

ताप विद्युत परियोजना : नवीनगर ताप विद्युत परियोजना

स्थान : नवीनगर, औरंगाबाद

उत्पादन क्षमता (MW) : 3×660

ताप विद्युत परियोजना : बक्सर ताप विद्युत परियोजना

स्थान : चौसा, बक्सर

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×660

ताप विद्युत परियोजना : पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना

स्थान : पीरपैंती, भागलपुर

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×660

ताप विद्युत परियोजना : कजरा ताप विद्युत परियोजना

स्थान : कजरा, लखीसराय

उत्पादन क्षमता (MW) : 2×660

ताप विद्युत परियोजना : सुपर ताप विद्युत परियोजना

स्थान : बाँका

उत्पादन क्षमता (MW) : 4000

बिहार आनेवाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 (हजार में)

वर्ष : 2011

घरेलू : 18396

विदेशी : 972

कुल : 19368

वर्ष : 2012

घरेलू : 21446

विदेशी : 1097

कुल : 22543

वर्ष : 2013

घरेलू : 21588

विदेशी : 765

कुल : 22353

वर्ष : 2014

घरेलू : 22544

विदेशी : 829

कुल : 23373

वर्ष : 2015

घरेलू : 28029

विदेशी : 923

कुल : 28952

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार द्वारा 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि में बाढ़ एवं चक्रवात से निपटने के लिए दी गई राशि

Programmes : Relif & Rescue instruments

2013-14 : 761

2014-15 : 1397.8

2015-16 : 0

Programmes : Supply of Dry Food

2013-14 : 29357

2014-15 : 12200.3

2015-16 : 6115.3

Programmes : Cash Dole Assistance

2013-14 : 18792.9

2014-15 : 9945.3

2015-16 : 5266.8

Programmes : Clothes & Utensils Distribution

2013-14 : 109.1

2014-15 : 334

2015-16 : 7615.5

Programmes : Supply of Drinking Water

2013-14 : 41.8

2014-15 : -

2015-16 : 24.1

Programmes : Repair of Road & Bridges

2013-14 : 280.2

2014-15 : -

2015-16 : 14.5

Programmes : Evacuation Operation

2013-14 : 3712.8

2014-15 : 1830.3

2015-16 : 1660.6

Programmes : Repair of Public Buildings

2013-14 : 103.1

2014-15 : 471.3

2015-16 : 4441.7

Programmes : Agriculture Inputs

2013-14 : 12116.2

2014-15 : 3981.6

2015-16 : 100671

Programmes : Repair of Boats

2013-14 : 713.5

2014-15 : 633

2015-16 : 541.4

Programmes : Repair of Embankments and Irrigation system

2013-14 : -

2014-15 : 500

2015-16 : 1416.2

Programmes : Human Medicines

2013-14 : -

2014-15 : -

2015-16 : 0

Programmes : Assistance for Flood Accidents

2013-14 : 349.6

2014-15 : 363.4

2015-16 : 287.4

Programmes : Assistance of Natural Calamity Accidents (except flood)

2013-14 : -

2014-15 : -

2015-16 : 831.1

Total 2013-14 : 66337.1

Total 2014-15 : 66337.1

Total 2015-16 : 128885.5

Source : Department of Disaster Management, GoB

जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या

राज्य : उत्तर प्रदेश

जनसंख्या : 199812341

रैंक : 1

राज्य : महाराष्ट्र

जनसंख्या : 112374333

रैंक : 2

राज्य : बिहार

जनसंख्या : 104099452

रैंक : 3

राज्य : प. बंगाल

जनसंख्या : 91276115

रैंक : 4

राज्य : आंध्र प्रदेश

जनसंख्या : 84580777

रैंक : 5

राज्य : मध्य प्रदेश

जनसंख्या : 72626809

रैंक : 6

राज्य : तमिलनाडु

जनसंख्या : 72147030

रैंक : 7

राज्य : राजस्थान

जनसंख्या : 68548437

रैंक : 8

राज्य : कर्नाटक

जनसंख्या : 61095297

रैंक : 9

राज्य : गुजरात

जनसंख्या : 60439692

रैंक : 10

राज्य : ओडिशा

जनसंख्या : 41974218

रैंक : 11

राज्य : केरल

जनसंख्या : 33406061

रैंक : 12

राज्य : झारखंड

जनसंख्या : 32988134

रैंक : 13

राज्य : असम

जनसंख्या : 31205576

रैंक : 14

राज्य : पंजाब

जनसंख्या : 27743338

रैंक : 15

राज्य : छत्तीसगढ़

जनसंख्या : 25545198

रैंक : 16

राज्य : हरियाणा

जनसंख्या : 23351462

रैंक : 17

राज्य : जम्मू-कश्मीर

जनसंख्या : 12541302

रैंक : 18

राज्य : उत्तराखंड

जनसंख्या : 10086292

रैंक : 19

राज्य : हिमाचल प्रदेश

जनसंख्या : 6864602

रैंक : 20

राज्य : त्रिपुरा

जनसंख्या : 3673917

रैंक : 21

राज्य : मेघालय

जनसंख्या : 2966889

रैंक : 22

राज्य : मणिपुर

जनसंख्या : 2570390

रैंक : 23

राज्य : नागालैंड

जनसंख्या : 1978502

रैंक : 24

राज्य : गोवा

जनसंख्या : 1458545

रैंक : 25

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

जनसंख्या : 1383727

रैंक : 26

राज्य : मिजोरम

जनसंख्या : 1097206

रैंक : 27

राज्य : सिक्किम

जनसंख्या : 610577

रैंक : 28

बिहार एवं भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का तुलना (दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष : 1901-1911

बिहार की वृद्धि दर : 1.52

भारत की वृद्धि दर : 5.75

वर्ष : 1911-1921

बिहार की वृद्धि दर : -0.97

भारत की वृद्धि दर : -0.31

वर्ष : 1921-1931

बिहार की वृद्धि दर : 9.74

भारत की वृद्धि दर : 11

वर्ष : 1931-1941

बिहार की वृद्धि दर : 12.22

भारत की वृद्धि दर : 14.22

वर्ष : 1941-1951

बिहार की वृद्धि दर : 10.58

भारत की वृद्धि दर : 13.31

वर्ष : 1951-1961

बिहार की वृद्धि दर : 19.79

भारत की वृद्धि दर : 21.64

वर्ष : 1961-1971

बिहार की वृद्धि दर : 20.91

भारत की वृद्धि दर : 24.8

वर्ष : 1971-1981

बिहार की वृद्धि दर : 24.16

भारत की वृद्धि दर : 24.66

वर्ष : 1981-1991

बिहार की वृद्धि दर : 23.38

भारत की वृद्धि दर : 23.87

वर्ष : 1991-2001

बिहार की वृद्धि दर : 28.62

भारत की वृद्धि दर : 21.54

वर्ष : 2001-2011

बिहार की वृद्धि दर : 25.07

भारत की वृद्धि दर : 17.7

2001-11 के दशकीय वृद्धि दर वाले जिले (दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में)

जिला : मधेपुरा

सर्वाधिक वृद्धि दर : 30.65

जिला : गोपालगंज

न्यूनतम वृद्धि दर : 18.83

जिला : किशनगंज

सर्वाधिक वृद्धि दर : 30.44

जिला : दरभंगा

न्यूनतम वृद्धि दर : 19

जिला : अररिया

सर्वाधिक वृद्धि दर : 30

जिला : अरवल

न्यूनतम वृद्धि दर : 19.01

जिला : खगड़िया

सर्वाधिक वृद्धि दर : 29.46

जिला : मुंगेर

न्यूनतम वृद्धि दर : 19.45

जिला : पूर्वी चंपारण

सर्वाधिक वृद्धि दर : 28.89

जिला : रोहतास

न्यूनतम वृद्धि दर : 20.22

अधिक एवं कम जन घनत्व वाले जिले

जिला : शिवहर

अधिकतम जन घनत्व : 1882

जिला : कैमूर

न्यूनतम जन घनत्व : 488

जिला : पटना

अधिकतम जन घनत्व : 1803

जिला : जमुई

न्यूनतम जन घनत्व : 567

जिला : दरभंगा

अधिकतम जन घनत्व : 1721

जिला : बाँका

न्यूनतम जन घनत्व : 672

जिला : वैशाली

अधिकतम जन घनत्व : 1717

जिला : पश्चिमी चंपारण

न्यूनतम जन घनत्व : 750

जिला : बेगूसराय

अधिकतम जन घनत्व : 1540

जिला : औरंगाबाद

न्यूनतम जन घनत्व : 760

अधिक एवं कम लिंगानुपात वाले जिले

जिला : गोपालगंज

अधिक लिंगानुपात : 1015

जिला : मुंगेर

कम लिंगानुपात : 876

जिला : सीवान

अधिक लिंगानुपात : 984

जिला : भागलपुर

कम लिंगानुपात : 879

जिला : सारण

अधिक लिंगानुपात : 949

जिला : खगड़िया

कम लिंगानुपात : 883

जिला : किशनगंज

अधिक लिंगानुपात : 946

जिला : शिवहर

कम लिंगानुपात : 890

अधिक एवं कम साक्षरता वाले जिले

जिला : रोहतास

अधिक साक्षरता : 75.59

जिला : पूर्णिया

कम साक्षरता : 52.49

जिला : मुंगेर

अधिक साक्षरता : 73.3

जिला : सीतामढ़ी

कम साक्षरता : 53.53

जिला : भोजपुर

अधिक साक्षरता : 72.79

जिला : कटिहार

कम साक्षरता : 53.56

जिला : औरंगाबाद

अधिक साक्षरता : 72.77

जिला : मधेपुरा

कम साक्षरता : 53.78

जिला : पटना

अधिक साक्षरता : 72.47

जिला : सहरसा

कम साक्षरता : 54.57

अधिक नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले

जिला : समस्तीपुर

ग्रामीण : 96.54

जिला : पटना

नगरीय : 43.48

जिला : बाँका

ग्रामीण : 96.48

जिला : मुंगेर

नगरीय : 28.3

जिला : कैमूर

ग्रामीण : 95.98

जिला : भागलपुर

नगरीय : 19.97

जिला : शिवहर

ग्रामीण : 95.72

जिला : बेगूसराय

नगरीय : 19.19

जिला : सुपौल

ग्रामीण : 95.26

जिला : शेखपुरा

नगरीय : 17.14

बिहार की 2011 की जनगणना पर आधारित नगरों का वर्गीकरण

शहर का प्रकार : प्रथम वर्ग

जनसंख्या : 1 लाख से अधिक

संख्या : 20

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 52.62

शहर का प्रकार : द्वितीय वर्ग

जनसंख्या : 50000-99999

संख्या : 17

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 17.58

शहर का प्रकार : तृतीय वर्ग

जनसंख्या : 20000-49999

संख्या : 79

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 24.49

शहर का प्रकार : चतुर्थ वर्ग

जनसंख्या : 10000-19999

संख्या : 53

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 7.03

शहर का प्रकार : पंचम वर्ग

जनसंख्या : 5000-9999

संख्या : 29

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 1.79

शहर का प्रकार : षष्ठम वर्ग

जनसंख्या : 5000 से कम

संख्या : 5

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 0.18

कुल संख्या : 211

कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत : 100

जनसंख्या संबंधी प्रमुख सूचकांक

संकेतक : जनसंख्या

बिहार (2001) : 82,998,509

बिहार (2011) : 10,40,99,452

भारत (2011) : 1,21,05,69,573

संकेतक : पुरुष

बिहार (2001) : 43,243,795

बिहार (2011) : 5,42,71,857

भारत (2011) : 62,31,21,843

संकेतक : महिला

बिहार (2001) : 39,754,714

बिहार (2011) : 4,98,21,295

भारत (2011) : 58,74,47,730

संकेतक : ग्रामीण

बिहार (2001) : 74,316,709

बिहार (2011) : 9,23,41,436

भारत (2011) : 83,34,63,448

संकेतक : नगरीय

बिहार (2001) : 8,681,800

बिहार (2011) : 1,17,58,016

भारत (2011) : 37,71,06,125

संकेतक : घनत्व

बिहार (2001) : 881

बिहार (2011) : 1102

भारत (2011) : 382

संकेतक : साक्षरता

बिहार (2001) : 47

बिहार (2011) : 61.8

भारत (2011) : 82.14

संकेतक : पुरुष साक्षरता

बिहार (2001) : 59.68

बिहार (2011) : 71.2

भारत (2011) : 82.14

संकेतक : महिला साक्षरता

बिहार (2001) : 33.12

बिहार (2011) : 51.5

भारत (2011) : 65.46

संकेतक : लिंगानुपात

बिहार (2001) : 919

बिहार (2011) : 916

भारत (2011) : 940

संकेतक : जनसंख्या (0-6 वर्ष)

बिहार (2001) : 16,806,063

बिहार (2011) : 1,91,33,964

भारत (2011) : 16,44,78,150

संकेतक : लिंगानुपात (0-6 वर्ष)

बिहार (2001) : 942

बिहार (2011) : 933

भारत (2011) : ~vy

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार

बिहार की जिलेवार जनसंख्या संबंधी विशेषताएँ

जिला : पश्चिमी चंपारण

जनसंख्या : 3922780

पुरुष : 2057669

महिला : 1865111

ग्रामीण : 3528781

नगरीय : 393999

घनत्व : 750

लिंगानुपात : 906

साक्षरता : 58.06

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 753429

जिला : पूर्वी चंपारण

जनसंख्या : 5082868

पुरुष : 2674037

महिला : 2408831

ग्रामीण : 4683820

नगरीय : 399048

घनत्व : 1281

लिंगानुपात : 901

साक्षरता : 58.26

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 993569

जिला : शिवहर

जनसंख्या : 656916

पुरुष : 347614

महिला : 309302

ग्रामीण : 628821

नगरीय : 38095

घनत्व : 1882

लिंगानुपात : 890

साक्षरता : 56

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 124919

जिला : सीतामढ़ी

जनसंख्या : 3419622

पुरुष : 1800441

महिला : 1619181

ग्रामीण : 3228904

नगरीय : 190718

घनत्व : 1491

लिंगानुपात : 899

साक्षरता : 53.53

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 643851

जिला : मधुबनी

जनसंख्या : 4476044

पुरुष : 2324984

महिला : 2151060

ग्रामीण : 4311466

नगरीय : 164578

घनत्व : 1279

लिंगानुपात : 925

साक्षरता : 60.9

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 779360

जिला : सुपौल

जनसंख्या : 2228397

पुरुष : 1157815

महिला : 1070582

ग्रामीण : 2122869

नगरीय : 105528

घनत्व : 898

लिंगानुपात : 925

साक्षरता : 59.65

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 424411

जिला : अररिया

जनसंख्या : 2806200

पुरुष : 1460878

महिला : 1345322

ग्रामीण : 2637656

नगरीय : 168544

घनत्व : 992

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 55.1

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 564131

जिला : किशनगंज

जनसंख्या : 1690948

पुरुष : 868845

महिला : 222103

ग्रामीण : 1527249

नगरीय : 163699

घनत्व : 898

लिंगानुपात : 946

साक्षरता : 57.04

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 341943

जिला : पूर्णिया

जनसंख्या : 3273127

पुरुष : 1695829

महिला : 1577298

ग्रामीण : 2932527

नगरीय : 340600

घनत्व : 1014

लिंगानुपात : 930

साक्षरता : 52.49

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 644083

जिला : कटिहार

जनसंख्या : 3016149

पुरुष : 1601158

महिला : 1466991

ग्रामीण : 2794765

नगरीय : 273384

घनत्व : 1004

लिंगानुपात : 916

साक्षरता : 53.56

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 601745

जिला : मधेपुरा

जनसंख्या : 1994618

पुरुष : 1042373

महिला : 952245

ग्रामीण : 1906448

नगरीय : 18170

घनत्व : 1116

लिंगानुपात : 914

साक्षरता : 53.76

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 397468

जिला : सहरसा

जनसंख्या : 1897102

पुरुष : 995502

महिला : 901600

ग्रामीण : 1741927

नगरीय : 155175

घनत्व : 1125

लिंगानुपात : 906

साक्षरता : 54.57

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 377504

जिला : दरभंगा

जनसंख्या : 3921971

पुरुष : 2053043

महिला : 1868928

ग्रामीण : 3541846

नगरीय : 3180125

घनत्व : 1721

लिंगानुपात : 910

साक्षरता : 58.26

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 700942

जिला : मुजफ्फरपुर

जनसंख्या : 4778610

पुरुष : 2517500

महिला : 2261110

ग्रामीण : 4308714

नगरीय : 469896

घनत्व : 1506

लिंगानुपात : 898

साक्षरता : 65.68

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 817709

जिला : गोपालगंज

जनसंख्या : 2558037

पुरुष : 1269677

महिला : 1288360

ग्रामीण : 2396270

नगरीय : 161767

घनत्व : 1298

लिंगानुपात : 1015

साक्षरता : 67.04

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 437031

जिला : सीवान

जनसंख्या : 3318176

पुरुष : 1672121

महिला : 1646055

ग्रामीण : 3135865

नगरीय : 182311

घनत्व : 1495

लिंगानुपात : 984

साक्षरता : 71.59

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 532868

जिला : सारण

जनसंख्या : 3943098

पुरुष : 2023476

महिला : 1919622

ग्रामीण : 3591053

नगरीय : 352045

घनत्व : 1493

लिंगानुपात : 949

साक्षरता : 68.57

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 657316

जिला : वैशाली

जनसंख्या : 3495249

पुरुष : 1847058

महिला : 1648191

ग्रामीण : 3262715

नगरीय : 232534

घनत्व : 1717

लिंगानुपात : 892

साक्षरता : 68.56

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 591634

जिला : समस्तीपुर

जनसंख्या : 4254762

पुरुष : 2228432

महिला : 2026350

ग्रामीण : 4107725

नगरीय : 147057

घनत्व : 1465

लिंगानुपात : 909

साक्षरता : 63.81

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 784203

जिला : बेगूसराय

जनसंख्या : 2954367

पुरुष : 1560203

महिला : 1394164

ग्रामीण : 2387311

नगरीय : 567056

घनत्व : 1540

लिंगानुपात : 894

साक्षरता : 66.23

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 532382

जिला : खगड़िया

जनसंख्या : 1657599

पुरुष : 880065

महिला : 777534

ग्रामीण : 1570470

नगरीय : 87129

घनत्व : 1115

लिंगानुपात : 883

साक्षरता : 60.87

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 347028

जिला : भागलपुर

जनसंख्या : 3032226

पुरुष : 1614014

महिला : 1418212

ग्रामीण : 243226

नगरीय : 600100

घनत्व : 1180

लिंगानुपात : 879

साक्षरता : 64.96

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 532307

जिला : बाँका

जनसंख्या : 2029339

पुरुष : 1064307

महिला : 965032

ग्रामीण : 1957988

नगरीय : 73135

घनत्व : 672

लिंगानुपात : 907

साक्षरता : 60.12

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 362548

जिला : मुंगेर

जनसंख्या : 1359054

पुरुष : 723280

महिला : 635774

ग्रामीण : 974425

नगरीय : 384629

घनत्व : 959

लिंगानुपात : 879

साक्षरता : 73.3

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 221026

जिला : लखीसराय

जनसंख्या : 1000717

पुरुष : 526651

महिला : 474066

ग्रामीण : 8577751

नगरीय : 142966

घनत्व : 815

लिंगानुपात : 900

साक्षरता : 64.95

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 182234

जिला : शेखपुरा

जनसंख्या : 634927

पुरुष : 329593

महिला : 305334

ग्रामीण : 526132

नगरीय : 108795

घनत्व : 922

लिंगानुपात : 926

साक्षरता : 65.96

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 118228

जिला : नालंदा

जनसंख्या : 2872523

पुरुष : 1495577

महिला : 1376946

ग्रामीण : 2415034

नगरीय : 457489

घनत्व : 1220

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 66.41

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 501046

जिला : पटना

जनसंख्या : 5772804

पुरुष : 3051117

महिला : 2721687

ग्रामीण : 3262711

नगरीय : 2510093

घनत्व : 803

लिंगानुपात : 892

साक्षरता : 72.47

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 905708

जिला : भोजपुर

जनसंख्या : 2720155

पुरुष : 1431722

महिला : 1288433

ग्रामीण : 2331450

नगरीय : 388705

घनत्व : 1136

लिंगानुपात : 900

साक्षरता : 72.79

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 440847

जिला : बक्सर

जनसंख्या : 1707643

पुरुष : 888356

महिला : 819287

ग्रामीण : 1543476

नगरीय : 164167

घनत्व : 1003

लिंगानुपात : 922

साक्षरता : 71.77

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 286969

जिला : कैमूर

जनसंख्या : 1626900

पुरुष : 847784

महिला : 779116

ग्रामीण : 1561538

नगरीय : 65362

घनत्व : 488

लिंगानुपात : 919

साक्षरता : 71.01

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 291785

जिला : रोहतास

जनसंख्या : 2962593

पुरुष : 1547856

महिला : 1414737

ग्रामीण : 2535085

नगरीय : 427508

घनत्व : 763

लिंगानुपात : 914

साक्षरता : 75.59

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 493047

जिला : औरंगाबाद

जनसंख्या : 2511243

पुरुष : 1310867

महिला : 1200376

ग्रामीण : 2275761

नगरीय : 235482

घनत्व : 760

लिंगानुपात : 916

साक्षरता : 72.77

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 438065

जिला : गया

जनसंख्या : 4379383

पुरुष : 2266865

महिला : 2112518

ग्रामीण : 3803888

नगरीय : 575495

घनत्व : 880

लिंगानुपात : 936

साक्षरता : 66.35

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 762507

जिला : नवादा

जनसंख्या : 2216653

पुरुष : 1145123

महिला : 1071530

ग्रामीण : 2001120

नगरीय : 215533

घनत्व : 889

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 61.63

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 367231

जिला : जमुई

जनसंख्या : 1756078

पुरुष : 914368

महिला : 841710

ग्रामीण : 1611431

नगरीय : 144647

घनत्व : 567

लिंगानुपात : 921

साक्षरता : 62.16

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 313455

जिला : जहानाबाद

जनसंख्या : 1124176

पुरुष : 586202

महिला : 537974

ग्रामीण : 989816

नगरीय : 134360

घनत्व : 1206

लिंगानुपात : 918

साक्षरता : 68.27

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 193946

जिला : अरवल

जनसंख्या : 699563

पुरुष : 362945

महिला : 336618

ग्रामीण : 648094

नगरीय : 51469

घनत्व : 1099

लिंगानुपात : 927

साक्षरता : 69.54

0-6 वर्ष की जनसंख्या : 123684

जिला : बिहार

जनसंख्या : 1.04E+08

पुरुष : —

महिला : —

ग्रामीण : 92075028

नगरीय : 11729609

घनत्व : 1106

लिंगानुपात : 916

साक्षरता : 63.82

0-6 वर्ष की जनसंख्या : —

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार, 2011

बिहार में नगरीकरण की प्रवृत्ति (1901-2011)

वर्ष : 1901

प्रतिशत में : 4.7

दशकीय वृद्धि दर : -

वर्ष : 1911

प्रतिशत में : 4.72

दशकीय वृद्धि दर : 1.74

वर्ष : 1921

प्रतिशत में : 4.6

दशकीय वृद्धि दर : 8.17

वर्ष : 1931

प्रतिशत में : 4.8

दशकीय वृद्धि दर : 22

वर्ष : 1941

प्रतिशत में : 5.4

दशकीय वृद्धि दर : 33.66

वर्ष : 1951

प्रतिशत में : 6.8

दशकीय वृद्धि दर : 38.14

वर्ष : 1961

प्रतिशत में : 8.4

दशकीय वृद्धि दर : 49.03

वर्ष : 1971

प्रतिशत में : 10

दशकीय वृद्धि दर : 43.44

वर्ष : 1981

प्रतिशत में : 12.72

दशकीय वृद्धि दर : 53.63

वर्ष : 1991

प्रतिशत में : 13.17

दशकीय वृद्धि दर : 30.69

वर्ष : 2001

प्रतिशत में : 10.47

दशकीय वृद्धि दर : 22.49

वर्ष : 2011

प्रतिशत में : 11.3

दशकीय वृद्धि दर : 35.11

स्रोत : जनगणना विभाग, भारत सरकार

जनगणना 2011 के अनुसार बड़े नगर

रैंक : 1

नगर : पटना

जनसंख्या : 2046652

रैंक : 2

नगर : गया

जनसंख्या : 470839

रैंक : 3

नगर : भागलपुर

जनसंख्या : 410210

रैंक : 4

नगर : मुजफ्फरपुर

जनसंख्या : 393724

रैंक : 5

नगर : पूर्णिया

जनसंख्या : 310817

रैंक : 6

नगर : दरभंगा

जनसंख्या : 306089

रैंक : 7

नगर : बिहारशरीफ

जनसंख्या : 296889

रैंक : 8

नगर : आरा

जनसंख्या : 261099

रैंक : 9

नगर : बेगूसराय

जनसंख्या : 251136

रैंक : 10

नगर : कटिहार

जनसंख्या : 240565

स्रोत : जनगणना, 2011

बिहार में वर्तमान में 12 नगर निगम

नाम : पटना

जनसंख्या (2001) : 1432209

वार्ड : 72

नाम : मुजफ्फरपुर

जनसंख्या (2001) : 305525

वार्ड : 49

नाम : बिहारशरीफ

जनसंख्या (2001) : 232071

वार्ड : 46

नाम : आरा

जनसंख्या (2001) : 203380

वार्ड : 45

नाम : गया

जनसंख्या (2001) : 389192

वार्ड : 53

नाम : भागलपुर

जनसंख्या (2001) : 340767

वार्ड : 51

नाम : दरभंगा

जनसंख्या (2001) : 267348

वार्ड : 48

नाम : बेगूसराय

जनसंख्या (2001) : 93741

वार्ड : 36

नाम : मुंगेर

जनसंख्या (2001) : 188050

वार्ड : 45

नाम : पूर्णिया

जनसंख्या (2001) : 171687

वार्ड : 43

नाम : कटिहार

जनसंख्या (2001) : 190873

वार्ड : 60

नाम : छपरा

जनसंख्या (2001) : 212955

वार्ड : 44

भारत और बिहार की जनसांख्यिकी विवरणी 2001 और 2011

जनसांख्यिकी सूचक : जनसंख्या (करोड़)

बिहार (2001) : 8.29

बिहार (2011) : 10.41

भारत (2001) :

102.87

भारत (2011) : 121.06

जनसांख्यिकी सूचक : लिंग अनुपात (महिला प्रति हजार पुरुष)

बिहार (2001) : 919

बिहार (2011) : 918

भारत (2001) :

933

भारत (2011) : 943

जनसांख्यिकी सूचक : बाल लिंग अनुपात

बिहार (2001) : 942

बिहार (2011) : 935

भारत (2001) :

927

भारत (2011) : 919

जनसांख्यिकी सूचक : घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)

बिहार (2001) : 880

बिहार (2011) : 1106

भारत (2001) :

325

भारत (2011) : 382

जनसांख्यिकी सूचक : शहरीकरण (प्रतिशत)

बिहार (2001) : 10.5

बिहार (2011) : 11.3

भारत (2001) :

27.8

भारत (2011) : 31.2

जनसांख्यिकी सूचक : दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

बिहार (2001) : 28.6

बिहार (2011) : 25.1

भारत (2001) :

21.5

भारत (2011) : 17.6

जनसांख्यिकी सूचक : जिलों की संख्या

बिहार (2001) : 37

बिहार (2011) : 38

भारत (2001) :

593

भारत (2011) : 640

जनसांख्यिकी सूचक : विकास प्रखंडों की संख्या

बिहार (2001) : 533

बिहार (2011) : 534

भारत (2001) :

5463

भारत (2011) : 5924

जनसांख्यिकी सूचक : (वैधानिक/जनगणना) शहरों की संख्या

बिहार (2001) : 130

बिहार (2011) : 199

भारत (2001) :

5161

भारत (2011) : 7935

जनसांख्यिकी सूचक : गाँवों की संख्या

बिहार (2001) : 45098

बिहार (2011) : 39073

भारत (2001) : 638596

भारत (2011) : 597369

स्रोत : जनगणना, 2001 तथा 2011

जन्म पर जीवन प्रत्याशा

राज्य/भारत : बिहार

2006-10 (पुरुष) : 65.5

2006-10 (महिला) : 66.2

2006-10 (कुल) : 65.8

2010-14 (पुरुष) : 67.8

2010-14 (महिला) : 68.4

2010-14 (कुल) : 68.1

राज्य/भारत : भारत

2006-10 (पुरुष) : 64.6

2006-10 (महिला) : 67.7

2006-10 (कुल) : 66.1

2010-14 (पुरुष) : 66.4

2010-14 (महिला) : 69.6

2010-14 (कुल) : 67.9

स्रोत : सेंपल पंजीकरण प्रणाली (SRS) कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल, भारत

बिहार एवं भारत का चयनित स्वरूप सूचकांक

	संकेतक	अशोधित जन्म दर	शिशु मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर	पाँच वर्ष के अंदर मृत्यु दर	नवजात मृत्यु दर	कुल उर्वरता दर	कुल प्रजनन दर
भारत								
2014	कुल	21.0	39	11	45	26	2.3	3.9
	ग्रामीण	22.7	43	12	51	30	2.5	4.0
	शहरी	17.4	26	6	28	15	1.8	3.5
2013	कुल	21.4	40	11	49	28	2.3	4.4
	ग्रामीण	22.9	44	12	55	31	2.5	4.5
	शहरी	17.3	27	6	29	15	1.8	4.2

बिहार								
2014	कुल	25.9	42	12	53	27	3.2	4.3
	ग्रामीण	26.9	43	13	54	29	3.3	4.4
	शहरी	19.9	37	9	43	13	2.4	3.9
2013	कुल	27.6	42	11	54	28	3.4	5.7
	ग्रामीण	28.3	42	12	46	29	3.5	5.7
	शहरी	21.5	33	8	37	11	2.5	4.9

स्रोत : कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल, भारत

जिलावार वर्षा का वार्षिक विवरण (वर्षा मिलीमीटर में)

जिला : पटना

2015 : 534.5

2016 (अक्तूबर तक) : 919.2

जिला : नालंदा

2015 : 671.9

2017 (अक्तूबर तक) : 1087.7

जिला : भोजपुर

2015 : 643

2018 (अक्तूबर तक) : 807.3

जिला : बक्सर

2015 : 747.6

2019 (अक्तूबर तक) : 941.6

जिला : रोहतास

2015 : 526.6

2020 (अक्तूबर तक) : 1041.1

जिला : कैमूर

2015 : 826

2021 (अक्तूबर तक) : 1194.5

जिला : गया

2015 : 738.3

2022 (अक्तूबर तक) : 1185.7

जिला : जहानाबाद

2015 : 591

2023 (अक्तूबर तक) : 1006.8

जिला : अरवल

2015 : 753.9

2024 (अक्तूबर तक) : 1236.3

जिला : नवादा

2015 : 630.1

2025 (अक्तूबर तक) : 914.8

जिला : औरंगाबाद

2015 : 949.1

2026 (अक्तूबर तक) : 1377.2

जिला : सारण

2015 : 473.6

2027 (अक्तूबर तक) : 626.5

जिला : सीवान

2015 : 655.9

2028 (अक्तूबर तक) : 844.2

जिला : गोपालगंज

2015 : 714.5

2029 (अक्तूबर तक) : 853.7

जिला : पश्चिमी चंपारण

2015 : 910.7

2030 (अक्तूबर तक) : 1083.1

जिला : पूर्वी चंपारण

2015 : 870.9

2031 (अक्तूबर तक) : 912.6

जिला : मुजफ्फरपुर

2015 : 467.9

2032 (अक्तूबर तक) : 679.5

जिला : सीतामढ़ी

2015 : 590.9

2033 (अक्तूबर तक) : 746.7

जिला : शिवहर

2015 : 777.7

2034 (अक्तूबर तक) : 965.7

जिला : वैशाली

2015 : 511.8

2035 (अक्तूबर तक) : 711.1

जिला : दरभंगा

2015 : 841.1

2036 (अक्तूबर तक) : 1036.4

जिला : मधुबनी

2015 : 705.3

2037 (अक्तूबर तक) : 1117.1

जिला : समस्तीपुर

2015 : 893.8

2038 (अक्तूबर तक) : 1058.6

जिला : बेगूसराय

2015 : 964.8

2039 (अक्तूबर तक) : 937.9

जिला : मुंगेर

2015 : 822

2040 (अक्तूबर तक) : 994.7

जिला : शेखपुरा

2015 : 794.1

2041 (अक्तूबर तक) : 1102.6

जिला : लखीसराय

2015 : 744.3

2042 (अक्तूबर तक) : 1065.5

जिला : जमुई

2015 : 798.4

2043 (अक्तूबर तक) : 1120.5

जिला : खगड़िया

2015 : 1047

2044 (अक्तूबर तक) : 767.2

जिला : भागलपुर

2015 : 1411.5

2045 (अक्तूबर तक) : 1132.8

जिला : बाँका

2015 : 719.9

2046 (अक्तूबर तक) : 1024.4

जिला : सहरसा

2015 : 957.5

2047 (अक्तूबर तक) : 1349.8

जिला : सुपौल

2015 : 674.3

2048 (अक्तूबर तक) : 1366.9

जिला : मधेपुरा

2015 : 857.7

2049 (अक्तूबर तक) : 1216.6

जिला : पूर्णिया

2015 : 822.8

2050 (अक्तूबर तक) : 1368.1

जिला : किशनगंज

2015 : 1654.4

2051 (अक्तूबर तक) : 2267

जिला : अररिया

2015 : 1014.4

2052 (अक्तूबर तक) : 1684.4

जिला : कटिहार

2015 : 933.1

2053 (अक्तूबर तक) : 973.5

जिला : बिहार

2015 : 795.9

2054 (अक्तूबर तक) : 1071.6

सुरक्षा की दृष्टि से वनों का प्रकार

वन का प्रकार : आरक्षित वन क्षेत्र

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 693

वन का प्रकार : संरक्षित वन क्षेत्र

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 5,779

वन का प्रकार : अवर्गीकृत वन क्षेत्र

क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 452

योग : क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : 6845

बिहार में जिलावार वनों का क्षेत्रफल एवं प्रतिशत

जिला : अररिया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,830

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 157

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.55

जिला : औरंगाबाद

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,305

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 1544

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.96

जिला : बाँका

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,019

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 232

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 7.68

जिला : कैमूर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,362

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 1102

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 32.59

जिला : बेगूसराय

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,918

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 84

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.33

जिला : भागलपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,570

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 64

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2.49

जिला : भोजपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,395

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 35

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.46

जिला : बक्सर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,703

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 10

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.59

जिला : दरभंगा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,279

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 134

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.88

जिला : गया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 4,976

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 607

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 12.2

जिला : गोपालगंज

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,033

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 5

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.25

जिला : जमुई

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,123

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 641

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 20.63

जिला : जहानाबाद

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 931

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 3

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.32

जिला : कटिहार

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,057

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 61

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2

जिला : खगड़िया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,486

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 21

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.41

जिला : किशनगंज

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,884

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 101

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.36

जिला : लखीसराय

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,228

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 201

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 14.82

जिला : मधेपुरा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,788

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 51

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2.85

जिला : मधुबनी

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,501

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 198

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.66

जिला : मुंगेर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,419

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 267

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 19.82

जिला : मुजफ्फरपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,172

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 142

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.48

जिला : नालंदा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,368

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 32

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.35

जिला : नवादा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,494

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 509

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 20.41

जिला : पश्चिमी चंपारण

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 5,228

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 899

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 17.2

जिला : पटना

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,202

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 25

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.78

जिला : पूर्वी चंपारण

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,968

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 156

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 3.93

जिला : पूर्णिया

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,229

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 53

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.64

जिला : रोहतास

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 3,851

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 706

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 18.42

जिला : सहरसा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 1,896

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 32

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 1.9

जिला : समस्तीपुर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,904

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 156

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.37

जिला : सारण

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,641

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 53

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 2.01

जिला : शेखपुरा

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 689

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 1

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.16

जिला : शिवहर

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 443

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 30

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.24

जिला : सीतामढ़ी

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,294

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 133

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 6.42

जिला : सीवान

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,219

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 7

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.32

जिला : सुपौल

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,425

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 132

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 5.43

जिला : वैशाली

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 2,036

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 92

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 4.52

जिला : अरवल

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 638

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 2

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 0.32

जिला : कुल

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 94,504

कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 7288

प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 7.27

योग : भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) : 94,504

योग : कुल वन क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) : 7288

योग : प्रतिशत (जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का) : 7.27

स्रोत : वन विभाग, बिहार सरकार

भूमि उपयोग प्रतिरूप (2013-14)

भूमि उपयोग : भौगोलिक क्षेत्रफल

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 9359.57

प्रतिशत : 100 प्रति.

भूमि उपयोग : (1) वन

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 621.64

प्रतिशत : 6.6 प्रति.

भूमि उपयोग : (2) बंजर एवं अकृष्य भूमि

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 431.72

प्रतिशत : 4.6 प्रति.

भूमि उपयोग : (3) कृषि-भिन्न उपयोगवाली भूमि

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 1712.29

प्रतिशत : 18.3 प्रति.

भूमि उपयोग : भूमि क्षेत्र

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 1356.8

प्रतिशत : 14.5 प्रति.

भूमि उपयोग : जल क्षेत्र

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 355.49

प्रतिशत : 3.8 प्रति.

भूमि उपयोग : (4) कृष्य ऊसर भूमि

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 44.89

प्रतिशत : 0.5 प्रति.

भूमि उपयोग : (5) स्थायी चरागाह

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 15.47

प्रतिशत : 0.2 प्रति.

भूमि उपयोग : (6) बागानी भूमि

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 247.36

प्रतिशत : 2.6 प्रति.

भूमि उपयोग : (7) परती भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर)

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 120.49

प्रतिशत : 1.3 प्रति.

भूमि उपयोग : (8) वर्तमान परती

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 913.49

प्रतिशत : 9.8 प्रति.

भूमि उपयोग : कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 4107.32

प्रतिशत : 43.9 प्रति.

भूमि उपयोग : निवल बुआई क्षेत्रफल

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 5252.25

प्रतिशत : 56.1 प्रति.

भूमि उपयोग : सकल बुआई क्षेत्रफल

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : 7580.14

प्रतिशत : 83.00 प्रति.

भूमि उपयोग : फसल बुआई गहनता

क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में) : -

प्रतिशत : 1.44

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल एवं कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल वाले जिले वर्ष 2015-16

जिला का नाम : बक्सर

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 82.7

जिला का नाम : जमुई

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 14.9

जिला का नाम : भाजपुर

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 75.7

जिला का नाम : गया

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 26.1

जिला का नाम : सीवान

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 76.1

जिला का नाम : मुंगेर

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 31.1

जिला का नाम : गोपालगंज

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 72.6

जिला का नाम : लखीसराय

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 36.3

जिला का नाम : शेखपुरा

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 72

जिला का नाम : बाँका

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 39.1

जिला का नाम : बिहार

सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : 57

जिला का नाम : -

कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल (प्रति. में) : -

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार में कृषि गहनता

वर्ग : सकल फसल क्षेत्र

क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) : 78.82

वर्ग : एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र

क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में) : 21.7

फसलवार क्षेत्रफल का प्रतिशत

फसलें : खाद्यान्न (अनाज + दलहन)

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 93.01

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 93.02

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 92.89

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 93.25

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 93.27

फसलें : अनाज

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 85.73

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 85.9

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 85.8

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 86.16

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 86.18

फसलें : दलहन

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 7.28

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 7.11

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 7.08

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 7.09

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 7.07

फसलें : तिलहन

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 1.85

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 1.59

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 1.74

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 1.63

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 1.69

फसलें : रेशेदार फसल

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 2.11

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 1.94

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 1.71

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 1.56

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 1.58

फसलें : ईख

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 3.03

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 3.46

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 3.66

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 3.51

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 3.46

फसलें : कुल क्षेत्रफल

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 100

कुल योग :

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2011-12) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2012-13) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2013-14) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2014-15) : 100

क्षेत्रफल का प्रतिशत (2015-16) : 100

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार के उप-कृषि जलवायु क्षेत्र की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता

	उप कृषि जलवायु क्षेत्र		
	उत्तरी-पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र	उत्तरी-पूर्वी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र	दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र
जिला	पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज	शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, चक्सर, धनुषा, अरवल, मुटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया
मिट्टी	बलुई दोमट	बलुई दोमट	दोमट, बलुई दोमट, क्ले

पी.एच मान	6.5-8.4	6.5-7.8	6.8-8.0
कार्बनिक पदार्थ (प्रतिशत में)	0.2-1.0	0.2-1.0	0.5-1.0
नाइट्रोजन (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	150-350	150-300	200-400
फॉस्फोरस (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	5-30	10-35	10-100
पोटाश (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)	100-300	150-250	150-350
वर्षा (मिलीमीटर में)	1040-1450	1200-1700	990-1300
अधिकतम ताप (डि. सें.)	36.6	33.8	37.1
न्यूनतम ताप (डि. सें.)	7.7	8.8	7.8

गन्ना का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता का वर्ष 2015-16

क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर)

1. प. चंपारण
2. पू. चंपारण
3. गोपालगंज

4. सीतामढ़ी

क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर)

122.73 (46.6 प्रति.)

43.3 (16.4प्रति.)

25.98 (9.9प्रति.)

14.64 (5.6प्रति.)

उत्पादन (000 टन)

1. प. चंपारण

2. पू. चंपारण

3. गोपालगंज

4. सीतामढ़ी

उत्पादन (000 टन)

8529.69 (46.9प्रति.)

3431.91 (18.9प्रति.)

1791.13 (9.9प्रति.)

904.49 (5प्रति.)

उत्पादकता (टन/हेक्टेयर)

1. नालंदा

2. पटना

3. अरवल

4. भोजपुर

उत्पादकता(टन/हेक्टेयर)

98.23

90.11

84.3

81.32

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

उर्वरक खपत वर्ष 2015-16 (हजार टन में)

उर्वरक का प्रकार : यूरिया

खरीफ : 954.2

रबी : 1403.9

कुल : 2358.1

उर्वरक का प्रकार : डी.ए.पी.

खरीफ : 186.4

रबी : 356.4

कुल : 542.8

उर्वरक का प्रकार : एस.एस.पी.

खरीफ : 47.6

रबी : 26.2

कुल : 73.7

उर्वरक का प्रकार : एम.ओ.पी.

खरीफ : 48.3

रबी : 105.5

कुल : 153.7

उर्वरक का प्रकार : अमोनियम सल्फेट

खरीफ : 2.6

रबी : 15.8

कुल : 18.4

उर्वरक का प्रकार : कॉम्प्लेक्स

खरीफ : 150.3

रबी : 201.6

कुल : 351.8

उर्वरक का प्रकार : एन (N)

खरीफ : 499.8

रबी : 749.9

कुल : 1249.8

उर्वरक का प्रकार : पी (P)

खरीफ : 128.1

रबी : 212.8

कुल : 340.9

उर्वरक का प्रकार : के (K)

खरीफ : 35.4

रबी : 70.7

कुल : 106.2

उर्वरक का प्रकार : कुल

खरीफ : 2052.6

रबी : 3142.7

कुल : 5195.3

उर्वरक का प्रकार : उर्वरक खपत (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में)

खरीफ : 160.4

रबी : 240.2

कुल : 201.1

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार में फल उत्पादन (हजार टन में)

फल : आम

2014-15 : 1272

2015-16 : 1465

फल : अमरूद

2014-15 : 370

2015-16 : 370

फल : केला

2014-15 : 1527

2015-16 : 1535

फल : लीची

2014-15 : 198

2015-16 : 198

फल : अनन्नास

2014-15 : 116

2015-16 : 116

फल : पपीता

2014-15 : 43

2015-16 : 53

फल : आँवला

2014-15 : 15

2015-16 : 13

स्रोत : बिहार सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17

बिहार में सब्जी उत्पादन (हजार टन में)

सब्जी : आलू

2014-15 : 6345.55

2015-16 : 6345.52

सब्जी : प्याज

2014-15 : 1247.31

2015-16 : 1247.34

सब्जी : टमाटर

2014-15 : 1046.44

2015-16 : 1001.01

सब्जी : गोभी

2014-15 : 1003.55

2015-16 : 1003.9

सब्जी : बंदगोभी

2014-15 : 695.33

2015-16 : 719.81

सब्जी : बैंगन

2014-15 : 1141.57

2015-16 : 1138.05

स्रोत : बिहार सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16

बिहार में विभिन्न फसलों के उत्पादन करनेवाले प्रमुख जिले (2015-16)

फसल : चावल

जिला : 1. सेहतास 2. औरंगाबाद 3. बाँका

उत्पादन (हजार टन में) : 759.63 (11.2 प्रति.) 553.35 (8.1 प्रति.) 316.98 (4.7 प्रति.)

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 6802.22

फसल : गेहूँ

जिला : 1. रोहतास 2. सीतामढ़ी 3. बक्सर

उत्पादन (हजार टन में) : 294.21 (6.2 प्रति.), 283.07 (6.0 प्रति.), 245.58 (5.2 प्रति.)

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 4736.45

फसल : मक्का

जिला : 1. कटिहार 2. भागलपुर 3. अररिया

उत्पादन (हजार टन में) : 369.95 (14.5 प्रति.), 233.34 (9.3 प्रति.), 232.05 (9.2 प्रति.)

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 2517.1

फसल : चना

जिला : 1. पटना 2. औरंगाबाद 3. नालंदा

उत्पादन (हजार टन में) : 100.27, 654.3, 558.9

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 58.55

फसल : मटर

जिला : 1. खगड़िया 2. बेगूसराय 3. औरंगाबाद

उत्पादन (हजार टन में) : 144.6, 125.3, 106.4

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 17.94

फसल : मसूर

जिला : 1. पटना 2. भभुआ 3. नालंदा

उत्पादन (हजार टन में) : 412.78, 128.80, 121.45

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 140.44

फसल : खेसारी

जिला : 1. पटना 2. औरंगाबाद 3. जहानाबाद

उत्पादन (हजार टन में) : 175.73, 121.26, 617.6

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 50.99

फसल : मूँग

जिला : 1. सहरसा 2. मुजफ्फरपुर 3. दरभंगा

उत्पादन (हजार टन में) : 128.01, 126.35, 109.01

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 94.36

फसल : जौ

जिला : 1. प. चंपारण 2. भभुआ 3. औरंगाबाद

उत्पादन (हजार टन में) : 404.3, 142.4, 132.0

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 13.9

फसल : बाजरा

जिला : 1. बक्सर 2. भोजपुर 3. सीवान

उत्पादन (हजार टन में) : 330.2, 287.0, 99.0

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 4.64

फसल : ज्वार

जिला : 1. बक्सर 2. भोजपुर 3. पटना

उत्पादन (हजार टन में) : 790.0, 434.0, 200.0

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 1.71

फसल : रागी

जिला : 1. सुपौल 2. मधुबनी 3. दरभंगा

उत्पादन (हजार टन में) : 368.6, 130.5, 908.0

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 9.89

फसल : अरहर (तुअर)

जिला : 1. गया 2. औरंगाबाद 3. भभुआ

उत्पादन (हजार टन में) : 271.6, 252.0, 243.2

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 37.13

फसल : उड़द

जिला : 1. कटिहार 2. खगड़िया 3. लखीसराय

उत्पादन (हजार टन में) : 277.1, 236.8 185.2

कुल उत्पादन (हजार टन में) : 12.05

बिहार में विभिन्न फसलों के उत्पादकता वाले प्रमुख जिले (2015-16)

फसल : चावल

जिला : 1. लखीसराय, 2. शेखपुरा, 3. रोहतास

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 4271, 3872, 3863

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 2104

फसल : गेहूँ

जिला : 1. पूर्णिया, 2. सीतामढ़ी, 3. भागलपुर

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 3484, 3216, 3094

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 2244

फसल : मक्का

जिला : 1. कटिहार, 2. भागलपुर, 3. दरभंगा

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 8025, 5197, 4903

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 3571

फसल : चना

जिला : 1. पटना, 2. जहानाबाद, 3. शेखपुरा

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1582, 1376, 1146

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 986

फसल : मटर

जिला : 1. गोपालगंज, 2. सीवान, 3. सारण

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1251, 1250, 1250

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1053

फसल : मसूर

जिला : 1. भभुआ, 2. पटना, 3. गोपालगंज

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 2635, 1489, 1459

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 932

फसल : खेसारी

जिला : 1. अरवल, 2. जहानाबाद, 3. रोहतास

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1286, 1274, 1235

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 934

फसल : मूँग

जिला : 1. दरभंगा, 2. कटिहार, 3. किशनगंज

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1290, 1156, 1133

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 615

फसल : जौ

जिला : 1. प. चंपारण, 2. पू. चंपारण, 3. वैशाली

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1901, 1709, 1703

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1304

फसल : बाजरा

जिला : 1. मधेपुरा, 2. गया, 3. सीवान

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1167, 1143, 1138

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1133

फसल : ज्वार

जिला : 1. भागलपुर, 2. पटना, 3. भोजपुर

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1111, 1070, 1069

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1063

फसल : रागी

जिला : 1. सुपौल, 2. सहरसा, 3. सीतामढ़ी

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 2110, 1980, 1837

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1429

फसल : अरहर

जिला : 1. औरंगाबाद, 2. पटना, 3. वैशाली

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 2145, 2111, 2030

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1577

फसल : उड़द

जिला : 1. जहानाबाद, 2. नालंदा, 3. मुजफ्फरपुर

उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 1000, 1000, 1000

कुल उत्पादकता (किलो/हेक्टे. टन में) : 833

बिहार में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले (2015-16)

फसल : चावल

जिला : 1. मधुबनी 2. रोहतास 3. पूर्वी चंपारण

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 204.78 193.28 196.66

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 3232.31

फसल : गेहूँ

जिला : 1. रोहतास 2. पूर्वी चंपारण 3. बक्सर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 131.58 121.13 90.52

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 2110.75

फसल : मक्का

जिला : 1. समस्तीपुर 2. बेगूसराय 3. खगड़िया

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 63.59 56.5 55.24

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 704.96

फसल : चना

जिला : 1. औरंगाबाद 2. पटना 3. नालंदा

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 7599 6338 5293

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 60002

फसल : मटर

जिला : 1. खगड़िया 2. बेगूसराय 3. औरंगाबाद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 1432 1241 1053

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 17142

फसल : मसूर

जिला : 1. पटना 2. औरंगाबाद 3. नालंदा

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 27722 13612 12013

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 152912

फसल : खेसारी

जिला : 1. औरंगाबाद 2. पटना 3. जहानाबाद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 12126 10670 6176

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 60661

फसल : मूँग

जिला : 1. मुजफ्फरपुर 2. सुपौल 3. सहरसा

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 24487 24108 19277

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 156699

फसल : जौ

जिला : 1. पश्चिमी चंपारण 2. भभुआ 3. बक्सर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 2127 1416 1398

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 12112

फसल : बाजरा

जिला : 1. बक्सर 2. भोजपुर 3. सीवान

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 2912 253 87

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 3288

फसल : ज्वार

जिला : 1. बक्सर 2. भोजपुर 3. पटना

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 740 406 187

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 1451

फसल : रागी

जिला : 1. सुपौल 2. मधुबनी 3. दरभंगा

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 1743 1635 646

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 6678

फसल : अरहर

जिला : 1. भभुआ 2. गया 3. पूर्वी चंपारण

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 1837 1702 1415

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 19851

फसल : उड़द

जिला : 1. कटिहार 2. खगड़िया 3. भागलपुर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 3028 2590 2177

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : 15725

पशुगणना, 2007 एवं 2012 (हजार में)

पशु : गाय-बैल

2015 : 12408

2012 : 12232

पशु : भैंस-भैंसा

2016 : 6690

2013 : 7567

पशु : पाड़े-पाड़ियाँ

2017 : 2815

2014 : 3250

पशु : भेड़

2018 : 218

2015 : 232

पशु : बकरा-बकरी

2019 : 10167

2016 : 12154

पशु : सूअर

2020 : 632

2017 : 650

पशु : घोड़ा-घोड़ी

2021 : 51

2018 : 49

पशु : अन्य

2022 : 0

2019 : 55

पशु : कुल पशुधन

2023 : 30167

2020 : 32939

पशु : कुल पॉल्टो पक्षी

2024 : 11420

2021 : 12748

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशु संसाधन में अग्रणी जिले, 2012 की पशुगणना के अनुसार (हजार में)

पशु का नाम : गाय

जिला : 1. अररिया 2. गया 3. कटिहार 4. बाँका

संख्या (प्रतिशत) : 678 (5.5) 654 (5.3) 605 (4.9) 552 (4.5)

कुल पशु : 12232

पशु का नाम : भैंस

जिला : 1. मधेपुरा 2. मधुबनी 3. पूर्वी चंपारण 4. गया

संख्या (प्रतिशत) : 820 (10.8) 380 (5.0) 340 (4.5) 314 (4.2)

कुल पशु : 7567

पशु का नाम : सूअर

जिला : 1. भोजपुर 2. गया 3. पटना 4. जमुई

संख्या (प्रतिशत) : 131 (20.2) 83 (12.8) 39 (5.9) 33 (5.0)

कुल पशु : 650

पशु का नाम : भेड़

जिला : 1. कैमूर 2. औरंगाबाद 3. भोजपुर 4. सुपौल

संख्या (प्रतिशत) : 43 (18.5) 25 (10.9) 19 (8.1) 16 (7.1)

कुल पशु : 232

पशु का नाम : बकरी

जिला : 1. अररिया 2. पूर्वी चंपारण 3. भागलपुर 4. कटिहार

संख्या (प्रतिशत) : 980 (8.1) 725 (6.0) 582 (4.8) 580 (4.7)

कुल पशु : 12154

पशु का नाम : पॉल्टो पक्षी

जिला : 1. कटिहार 2. मुजफ्फरपुर 3. शिवहर 4. किशनगंज

संख्या (प्रतिशत) : 876 (6.9) 853 (6.7) 756 (5.9) 736 (5.8)

कुल पशु : 12748

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

राज्य में दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियाँ एवं दैनिक दूध संग्रहण (2015-16)

संघ/परियोजना : वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 2490

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 307.73

संघ/परियोजना : देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1970

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 457.52

संघ/परियोजना : मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1841

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 353.67

संघ/परियोजना : तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1904

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 191.55

संघ/परियोजना : शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 2432

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 258.29

संघ/परियोजना : विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1027

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 72.94

संघ/परियोजना : मगध दुग्ध परियोजना, गया

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 1319

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 39.82

संघ/परियोजना : कोसी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 987

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 41.48

संघ/परियोजना : राँची, बोकारो, जमशेदपुर

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 46

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 17.43

संघ/परियोजना : कुल

सहयोग समितियों की संख्या (कार्यशील) : 14016

दैनिक दूध संग्रहण (हजार किलोग्राम में) : 1740.4

स्रोत : कॉम्पेड, बिहार सरकार

मछली और मत्स्य बीज का उत्पादन करनेवाला प्रमुख जिला (2014-15)

जिला : दरभंगा

मछली उत्पादन (हजार टन) : 6542.5

जिला : मुजफ्फरपुर

मछली उत्पादन (हजार टन) : 530

जिला : नालंदा

मछली उत्पादन (हजार टन) : 290

जिला : भागलपुर

मछली उत्पादन (हजार टन) : 207.9

जिला : मधुबनी

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख) : 42.3

जिला : दरभंगा

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख) : 38.67

जिला : कटिहार

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख) : 36.96

जिला : पूर्वी चंपारण

मत्स्य बीज उत्पादन (लाख) : 36.88

बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन

दूध (लाख टन)

2014-15 : 77.75

2015-16 : 82.88

अंडे (करोड़)

2014-15 : 98.45

2015-16 : 100.21

ऊन (लाख किलोग्राम)

2014-15 : 2.78

2015-16 : 2.4

मांस (लाख टन)

2014-15 : 2.94

2015-16 : 3.02

मछली (लाख टन)

2014-15 : 4.79

2015-16 : 5.07

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

बिहार में पशुपालन संबंधी सेवाएँ (लाख में)

वर्ष : 2012-13

पशुओं की चिकित्सा : 28.24

टीकाकरण : 198.78

कृत्रिम गर्भाधान : 24.63

वर्ष : 2013-14

पशुओं की चिकित्सा : 25.12

टीकाकरण : 147.57

कृत्रिम गर्भाधान : 24.14

वर्ष : 2014-15

पशुओं की चिकित्सा : 32.99

टीकाकरण : 19.96

कृत्रिम गर्भाधान : 26.24

वर्ष : 2015-16

पशुओं की चिकित्सा : 33.89

टीकाकरण : 163.31

कृत्रिम गर्भाधान : 26.34

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

सिंचाई क्षमता का प्रकार : बृहत एवं मध्यम सिंचाई

कुल अनुमानित क्षमता : 53.53

सृजित क्षमता (2007-15) : 29.25

उपयोग में लाई गई क्षमता : 19.42

सिंचाई क्षमता का प्रकार : लघु सिंचाई

कुल अनुमानित क्षमता : 64.01

सृजित क्षमता (2007-15) : 38.21

उपयोग में लाई गई क्षमता : 38.21

योग : कुल अनुमानित क्षमता : 177.54

योग : सृजित क्षमता (2007-15) : 67.46

योग : उपयोग में लाई गई क्षमता : 57.63

लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार में लघु सिंचाई स्रोत से सिंचित क्षेत्र

स्रोत : भूतल नहरें

2012-13 : 36315

2013-14 : 26086

2014-15 : 9310

स्रोत : तालाब (आहार-पड़न सहित)

2012-13 : 59407

2013-14 : 41591

2014-15 : 10930

स्रोत : नलकूल (निजी और सरकारी)

2012-13 : 161962

2013-14 : 64251

2014-15 : 16610

स्रोत : अन्य स्रोत

2012-13 : 24220

2013-14 : 9627

2014-15 : 2564

2012-13 (कुल योग) : 281904

2013-14 (कुल योग) : 141555

2014-15 (कुल योग) : 38418

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

जिला एवं कृषि भूमि की सिंचाई (प्रतिशत में)

सिंचाई का प्रतिशत : 70 प्रति. से अधिक सिंचित

जिला का नाम : अरवल, रोहतास, जमुई, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान

सिंचाई का प्रतिशत : 50 प्रति. से 70 प्रति. के बीच

जिला का नाम : पटना, गया, बाँका, औरंगाबाद, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शिवहर

सिंचाई का प्रतिशत : 50 प्रति. से कम सिंचित क्षेत्र

जिला का नाम : सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नवादा

सर्वाधिक सिंचित जिले का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

जिला : अरवल

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 86.85

जिला : रोहतास

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 83.07

जिला : जमुई

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 75.09

जिला : बक्सर

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 74.44

जिला : भोजपुर

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 74.14

जिला : गोपालगंज

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 71.65

जिला : सीवान

सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र : 70.87

बिहार में कृषि क्षेत्र हेतु ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता एवं उपलब्धता

वर्ष : 2015-16

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 995

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 5957

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 5314

वर्ष : 2016-17

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 1476

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 6750

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 8032

वर्ष : 2017-18

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 1855

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 7597

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 8935

वर्ष : 2018-19

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 2191

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 8385

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

वर्ष : 2019-20

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 2637

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 9181

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

वर्ष : 2020-21

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 3190

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 9982

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

वर्ष : 2021-22

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 3852

विद्युत की कुल अनुमानित माँग (मेगावाट में) : 10760

विद्युत की अनुमानित उपलब्धता (मेगावाट में) : 9314

स्रोत : ई.पी.एस. का 17वाँ प्रतिवेदन

बिहार को खनिज से प्राप्त राजस्व (लाख रु. में)

स्रोत : 1. बृहत खनिज

2013-14 : 128.17

2014-15 : 107.31

2015-16 : 99.06

स्रोत : 2. लघु खनिज, जिसमें—

2013-14 : —

2014-15 : —

2015-16 : —

स्रोत : ईट

2013-14 : 3299.47

2014-15 : 2659.09

2015-16 : 4295.6

स्रोत : बालू

2013-14 : 22666.3

2014-15 : 50542.1

2015-16 : 42806.3

स्रोत : पत्थर + क्रशर

2013-14 : 1881.27

2014-15 : 7516.9

2015-16 : 11097.9

स्रोत : मोरम

2013-14 : 21.41

2014-15 : 0.45

2015-16 : 56.38

स्रोत : मिट्टी

2013-14 : 736.46

2014-15 : 270.28

2015-16 : 271.37

स्रोत : कार्य विभाग

2013-14 : 26709.1

2014-15 : 24074.5

2015-16 : 36413.5

स्रोत : ट्रांजिट पास

2013-14 : 41.1

2014-15 : 42.35

2015-16 : 40.74

स्रोत : अन्य

2013-14 : 207.46

2014-15 : 278.68

2015-16 : 626.23

स्रोत : 3. एरियर

2013-14 : 1222.85

2014-15 : 443.32

2015-16 : 1392.9

2013-14 (कुल योग) : 56913.88

2014-15 (कुल योग) : 85934.97

2015-16 (कुल योग) : 97100

स्रोत : खनन एवं भूगर्भ विभाग, बिहार सरकार



44. प्रश्नावली सेट

(Questionnaire Set)

प्रश्नावली

1. एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था?
— 1 अप्रैल, 1912
2. एकपीरा चौर कहाँ अवस्थित है?
— किशनपुर
3. क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है?
— 13वाँ
4. एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है?
— काँवर झील, बेगूसराय
5. धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था?
— केशव
6. एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है?
— कार्तिक पूर्णिमा, सोनपुर
7. बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है?
— बेला, दरियापुर, सारण
8. पालयुगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिठपाल कहाँ के निवासी थे?
— नालंदा
9. मार्च, 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी?
— 661
10. धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल के पाए गए हैं?
— बुद्ध काल (छठी सदी ई.पू.)
11. रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था?
— उर्जयंत पर्वत (गुजरात)
12. खादर (जलोढ़) मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है?

— नाइट्रोजन

13. झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

— 16

14. युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई?

— 23 अप्रैल, 2011

15. 'नव नालंदा महाविहार' किसके लिए प्रसिद्ध है?

— पाली अनुसंधान संस्थान

16. यूनानियों ने किसे 'अमित्रचेट्स' या 'अमित्रघात' अर्थात् शत्रुओं का नाश करनेवाला कहा है?

— बिंदुसार

17. यूनानी राजदूत एवं 'इंडिका' का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था?

— चंद्रगुप्त मौर्य

18. घोघा झील कहाँ स्थित है?

— मनहारी, कटिहार

19. 'खरवार आंदोलन' का नेतृत्व किसने किया था?

— भागीरथ माँझी

20. सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था?

— चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त द्वारा

21. खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है?

— भोजपुर (शाहाबाद)

22. खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी?

— 5 अक्टूबर, 1891

23. बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

— 40

24. 'बिहारी बाबू' के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है?

— शत्रुघ्न सिन्हा

25. 18-29 अगस्त, 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बारहवाँ अधिवेशन कहाँ हुआ था?

— भागलपुर

26. 'सभी मनुष्य मेरी संतान हैं' यह कथन किस शासक का है?

— अशोक

27. 'छांदोग्य दसपद्धति' नामक पुस्तक की रचना किसने की थी?

— वीरेश्वर ठाकुर

28. पटना स्थित 'पत्थर की मस्जिद' को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

— संगी मस्जिद

29. भारत वैगन ऐंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है?

— मोकामा (पटना)

30. गुप्त राजा जिसने 'विक्रमादित्य' की पदवी ग्रहण की थी, वह कौन था?

— चंद्रगुप्त द्वितीय

31. ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्णव्यवस्था का उल्लेख हुआ है?

— दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में

32. धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था?

— देवपाल

33. धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था?

— चक्रायुद्ध

34. अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान (Rolling Plan) की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?

— गुन्नार मिर्डल

35. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है?

— 63.82 प्रतिशत

36. 15वीं सदी में कौन-सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था?

— जौनपुर

37. 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया?

— कुंवर सिंह

38. झारखंड में निर्माणाधीन कोयल-कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा?

— औरंगाबाद

39. भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है?

— मार्च, 1950

40. बिहार राज्य खादी प्रामोद्योग की स्थापना कब हुई?

— 1956 ई.

41. 1050 ई.पू. के आस-पास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है?

— अतरंजीखेड़ा (उत्तर प्रदेश)

42. तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, 14-18 मार्च, 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था?

— जापान के सेंडई शहर

43. झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?

— 75

44. 16 अप्रैल, 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था?

— नखासपिंड

45. 1758 ई. में किस कंपनी ने बिहार में शोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था?

— अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी

46. “विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए” यह कहाँ वर्णित है?

— वृहदारण्यक उपनिषद्

47. 18-29 अगस्त, 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?

— राजेंद्र प्रसाद

48. 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था?

— वहाबी आंदोलन का

49. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है?

— 11.30 प्रतिशत

50. 1857 ई. के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुँवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया?

— अमर सिंह

51. 1857 ई. में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी?

— दरभंगा, डुमराव और हथुआ

52. बरौनी तेलशोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है?

— नहरकटिया, असम

53. झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?

— 243

54. धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे?

— धर्मपाल और देवपाल

55. 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?

— लॉर्ड कैनिंग

56. किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है?

— पायराइट

57. किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था?

— बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885

58. 1899-1900 में ‘मुंडा आंदोलन’ के नेता कौन थे?

— बिरसा मुंडा

59. 1908 ई. के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई?

— खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था पर

60. 1916 ई. लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे?

— राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद

61. 1921 में गांधीजी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी?

— बिहार विद्यापीठ

62. 1922 ई. में चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वाँ अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था?

— गया

63. एन.टी.पी.सी. के नियंत्रणाधीन कहलगाँव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है?

— भागलपुर

64. 1934 ई. में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई?

— भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी

65. 1935 के अधिनियम से बिहार में विधानपरिषद् एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी?

— 30 एवं 152

66. बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है?

— गया

67. पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर-सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था?

— सच्चिदानंद सिन्हा

68. 1940 ई. में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वाँ अधिवेशन हुआ?

— रामगढ़, झारखंड

69. 'भारत छोड़ो आंदोलन' में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था?

— बाँकीपुर जेल

70. 11 अगस्त, 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था?

— पटना

71. 1946 ई. में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था?

— श्री कृष्ण सिंह

72. अंतरिम सरकार में डॉ. राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे?

— खाद्य एवं कृषि

73. आजादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए?

— डॉ. राजेंद्र प्रसाद

74. बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी?

— 331

75. किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही?

— 1991-2001 (28.62 प्रतिशत)

76. 20 जुलाई, 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया?

— प्रो. अब्दुल बारी

77. 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है?

— गोपालगंज (18.33 प्रतिशत)

78. 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है?

— मधेपुरा (30.65 प्रतिशत)

79. बिहार के बजट 2017-18 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है?

— 2.8 प्रतिशत

80. बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है?

— झारखंड

81. कटैया (सुपौल) जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है?

— कोसी

82. अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना?

— 493 ई.पू.

83. बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?

— 1860 ई.

84. बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है?

— त्रिपिटक

85. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है?

— 10,40,99,452

86. बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनानेवाले नदी समूह का नाम है?

— कर्मनाशा, गंडक और घाघरा

87. 1855 में संधालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था?

— मेजर बरो

88. खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है?

— रोहतास

89. बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी?

— पाल युग

90. राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रधान कौन होता है?

— मुख्यमंत्री

91. बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?

— गाजी इब्तिहार

92. प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था?

— 483 ई.पू., राजगृह

93. बौद्ध धर्म में दुःख के कारणों को क्या कहा गया है?

— प्रतीत्य समुत्पाद

94. कलिंग युद्ध कब हुआ था?

— 261 ई.पू.

95. काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ था?

— प्रसेनजित

96. मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

— 5 वर्ष

97. महावीर की माता का क्या नाम था?

— त्रिशला (विदेहदत्ता)

98. चंद्रभारी संग्रहालय, दरभंगा की स्थापना कब हुई थी?

— 1957 ई.

99. कर्णाट वंश का अंतिम शासक कौन था?

— हरिसिंह

100. कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है?

— पुनपुन

101. मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था?

— विवित

102. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है?

— पुरुष (73.39 प्रतिशत) तथा महिला (53.33 प्रतिशत)

103. मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया?

- 1908 ई.
104. मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई?
- 2008-09
105. मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था?
- बिंबिसार
106. बिहार की यात्रा करनेवाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था?
- मेगास्थनीज
107. बिहार की सबसे बड़ी बहूद्देशीय परियोजना कौन सी है?
- गंडक परियोजना
108. बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई?
- 1904 ई., मरहौरा में
109. बिहार का कौन सा जिला नाइलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
- मुंगेर
110. बिहार के प्रमुख समाचार-पत्र 'बिहारी' के संपादक थे?
- बाबू महेश्वर प्रसाद
111. बसाढ़ से प्राप्त मुहर में ध्रुवस्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है?
- चंद्रगुप्त द्वितीय
112. बिहार में प्राकृत एवं जैनशास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
- पटना
113. 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्यावाला जिला कौन है?
- समस्तीपुर (96.54 प्रतिशत)
114. बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है?
- गन्ना
115. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है?
- 916
116. 2015-16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान हैं?
- 32,000 हेक्टेयर
117. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता-पिता किनके शिष्य थे?
- पार्श्वनाथ
118. 27 नवंबर, 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने?
- श्रीकृष्ण सिंह

119. 322 ई.पू. में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंदवंश को समाप्त किया था?
— चंद्रगुप्त मौर्य
120. 350वें प्रकाश गुरुपर्व (गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव) का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया?
— 31 दिसंबर, 2016 से 5 जनवरी, 2017
121. 4 जनवरी, 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था?
— चंपारण में अंधेरा
122. 483 ई.पू. में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं?
— सुभद्र
123. 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर क्या है?
— 935
124. 6 अगस्त, 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था?
— नारायण सिंह और सुखलाल सिंह
125. 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
— सम्मेद पर्वत
126. इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था?
— 1203 ई. में
127. बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हैं?
— राबड़ी देवी
128. मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
— अथर्ववेद
129. 1857 की क्रांति के नेता कुँवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी?
— 9 मई, 1858
130. इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी?
— हरिषेण
131. बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करते हैं?
— सीवान
132. इलतुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था?
— मलिक जानी
133. शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात् कौन मगध की गद्दी पर बैठा था?
— कालाशोक (काकर्ण)

134. ई.पू. छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?

— वैशाली

135. प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे?

— बेनीपट्टी (मधुबनी)

136. 1905 ई. में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी?

— स्वदेशी आंदोलन

137. बंगाल से बिहार को पृथक् कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव एसेंबली के सदस्य कब बने?

— 1920 ई.

138. बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी?

— अलीमर्दान खिलजी ने, 1206 ई. में

139. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है?

— 25.07 प्रतिशत

140. बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था?

— 1203-04 ई.

141. बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग के उपरान्त सर्वप्रथम कहाँ गए थे?

— अलारकलाम के आश्रम (वैशाली)

142. बिहार में टिन खनिज किस जिले में मिलता है?

— गया

143. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है?

— 53.33 प्रतिशत

144. मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था?

— ई.पू. छठी शताब्दी

145. प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है?

— पटना संग्रहालय से

146. 'बहारिस्ताने गैबी' किसकी रचना है?

— मिर्जा नाथन

147. प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है?

— पटना

148. बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है?

— नालंदा विश्वविद्यालय

149. बरौनी तेलशोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था?

— 1966 ई.

150. बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार-पत्र कौन था?

— द बिहार हेराल्ड

151. बरौनी तेलशोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी?

— सोवियत संघ एवं रोमानिया

152. मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था?

— कलिंग

153. बाँका जिले के बाँसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है?

— आदित्यसेन

154. 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है?

— 17.90 प्रतिशत

155. बाँकीपुर, पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?

— रघुनाथ नरसिंह मधोलकर

156. वर्ष 2017-18 के बिहार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कितना अनुमानित है?

— 632180 करोड़

157. बाँकीपुर, पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे?

— मौलाना मजरुल हक

158. बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

— बक्सर

159. बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है?

— जलोढ़ मिट्टी

160. प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च (पादरी की हवेली) का निर्माण कब हुआ था?

— 1751 ई. में

161. बौद्ध धर्म में अशाक को दीक्षित करनेवाला विद्वान् कौन था?

— उपगुप्त या मोग्गलिपुत्रतिस्स

162. बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है?

— 7.21 प्रतिशत

163. बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित की थी?

— लखनौती

164. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है?
— ग्रामीण (88.70 प्रतिशत) तथा नगरीय (11.30 प्रतिशत)
165. बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है?
— अनीश्वरवादी
166. किस जिले को वर्मी कम्पोस्ट का जिला माना जाता है?
— बेगूसराय
167. बिहार के किस स्थान पर भगवान् बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था?
— बोधगया
168. सितंबर, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था?
— फणीन्द्रनाथ घोष
169. बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य थी?
— 15 वर्ष
170. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है?
— 8.58 प्रतिशत
171. बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में कौन-कौन से ग्रंथ आते हैं?
— सुत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधम्मपिटक
172. कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है?
— पटना
173. कुँवर सिंह कहाँ के राजा थे?
— जगदीशपुर, भोजपुर
174. कौन सा नाट्य जट-जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है?
— भकुलीबंका
175. बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है?
— कृषि
176. बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है?
— गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर
177. गांधीजी का 'चंपारण सत्याग्रह' किससे जुड़ा था?
— तीनकठिया
178. बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था?
— ईस्ट इंडिया रेलवे

179. 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्ववाला जिला कौन है?
— शिवहर (1180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर)
180. बसाढ़ से किसकी मुहर प्राप्त हुई है?
— महादेवी धुरवस्वामिनी
181. बुद्ध की मृत्यु दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावा में किस सुनार के घर सूअर का मांस खाने से हुई थी?
— चुंद
182. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्चस्तर के अधिकारियों को क्या कहा गया है?
— तीर्थ
183. बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति, 2016 का गठन कब किया गया?
— 12 सितंबर, 2016
184. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई?
— 2 अक्टूबर, 2016
185. चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
— 563 ई.पू.
186. वर्ष 2017-18 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया?
— अब्दुल बारी सिद्दीकी
187. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी?
— पटना
188. मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोककथा पर आधारित है?
— बिहुला विषहरी
189. बुद्ध को ज्ञान-प्राप्ति के लिए राजगृह में कौन गुरु मिले?
— रुद्रक रामपुत्र
190. महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था?
— जमालि
191. बिहार के कौन-कौन जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं?
— भागलपुर, बाँका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास
192. मौर्य काल में युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता था?
— नवाध्यक्ष
193. कलकता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आनेवाले पहले बिहारी कौन थे?
— डॉ. राजेंद्र प्रसाद
194. बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

— श्रीकृष्ण सिंह

195. बिहार में वर्ष 2016-17 में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात कितना है?

— 41.7 प्रतिशत

196. बुद्ध ने अपने पाँच साथियों कौण्डिन्य, अज, अस्सिग, वप्पा और भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी?

— उरुबेला वन

197. बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था?

— वैशाली

198. बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

— बेतिया

199. वर्ष 2015-16 में बिहार में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है?

— 5.8 प्रतिशत

200. बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है?

— उर्दू

201. बेगूसराय के खोदाबंदपुर में किसकी पहल पर चूरी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई?

— डॉ. आर.के. सोहाने

202. राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग-पत्र दिया था?

— 1942 ई.

203. सितंबर, 2015 में बिहार में सबसे कम ऋण-जमा अनुपातवाला जिला कौन है?

— सीवान (26.6 प्रतिशत)

204. ब्रह्मयोनि पहाड़ी कहाँ स्थित है?

— गया जिले में

205. मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?

— बृहद्रथ

206. कर्णाट वंश का संस्थापक कौन था?

— नान्यदेव

207. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है?

— 0.9 प्रतिशत

208. कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पॉलपलर पौधों का रोपण किया जाएगा?

— 360.9 लाख

209. कृषि, पशुपालन, व्यापार-वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में क्या कहा गया है?

— वार्ता

210. कंक्रीट बाँध हनुमान नगर (नेपाल), जो बिहार की सीमा पर स्थित है, की लंबाई कितनी है?

— 1140 मीटर

211. ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

— नवादा

212. सितंबर, 2016 तक बिहार में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपातवाला जिला कौन है?

— कैमूर (68.7 प्रतिशत)

213. बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है?

— भारतीय स्टेट बैंक

214. कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है?

— चौसा के उत्तर में

215. बड़गाँव, जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला है, की खोज किसने की थी?

— कनिंघम

216. बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं?

— 3

217. कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष लड़ा गया था?

— 8वें

218. मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था?

— सेतुबंध

219. 'कीर्तिलता' किसकी रचना है?

— विद्यापति

220. 'करो या मरो' का संबंध किस आंदोलन से है?

— भारत छोड़ो आंदोलन

221. कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है?

— धीमन और उसके पुत्र बिठपाल

222. मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था?

— अटावी बल

223. काँवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है?

— गंडक नदी

224. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई?

— 1934 में

225. बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था?

—अण्ण दीपो भव

226. काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राजा बना?

— 412 ई.पू.

227. मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था?

—क्षेत्रक

228. काँवर झील कहाँ अवस्थित है?

—मझौल

229. कोई विधेयक दोनों सदन में पास हो जाने के बाद किसके द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है?

—विधानसभा अध्यक्ष

230. कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है?

— 15

231. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?

—राजनीतिक नीतियाँ

232. बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी?

— 483 ई.पू.

233. कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है?

—करुवाकी

234. अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जि संघ में फूट डाल दी थी?

—वस्कार

235. मौर्य काल में चाँदी के सिक्के को क्या कहा जाता था?

—पण या कार्षापण

236. कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था?

— 1953 में

237. बौद्ध संघ में शामिल होनेवाली प्रथम स्त्री कौन थी?

—माता प्रजापति गौतमी

238. कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?

—सप्तकौशिकी

239. कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है, जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है?

— भाब्रु शिलालेख

240. बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है?

— ब्राह्मी

241. कौन सी नदी कीकट और बमागधी के नाम से भी जानी जाती है?

— पुनपुन नदी

242. महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था?

— महाकश्यप

243. बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के को क्या गया है?

— निष्क

244. वर्ष 2014-15 में पूरे देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा रकम में बिहार का हिस्सा कितना था?

— 2.4 प्रतिशत

245. महावीर के पिता का क्या नाम था?

— सिद्धार्थ

246. मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में किस वस्तु का व्यापक उपयोग हुआ?

— पाषाण

247. कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है?

— आत्म दमन

248. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की दर क्या है?

— ग्रामीण (927) तथा शहरी (869)

249. मौर्य काल में रेशम कहाँ से मँगाई जाती थी?

— चीन

250. बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी, महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था?

— बौद्ध

251. पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

— डेविड ऐजरा रियूबेन

252. 'मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना' का संचालन बिहार में कब से किया जा रहा है?

— 7 जुलाई, 2008

253. बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?

— 1962 ई. में

254. मौर्य काल में 'बलि' क्या था?

— भूराजस्व

255. वर्ष 2017-18 के बिहार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कितना अनुमानित है?

— 632180 करोड़

256. बोधगया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है?

— पद्मासन की मुद्रा

257. कुँवर सेना का गठन कब हुआ था?

— 1978 ई.

258. कुर्कीहार किसका दूसरा नाम है?

— कुम्हार

259. महावीर का विवाह किससे हुआ था?

— कुंडियन गोत्र की यशोदा से

260. कैकेयी प्रक्रिया की रचना किसने की थी?

— केदारनाथ मिश्र (प्रधान)

261. केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी?

— होटगाँव

262. वह स्तंभ लेख कौन सा है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है?

— मस्की का लघु शिलालेख

263. कैवल्य का अर्थ क्या होता है?

— सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करनेवाला

264. केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है?

— पटना

265. कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा गया है?

— त्रिपक्षीय संघर्ष

266. मार्च, 2015 के अंत में देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा कितना था?

— 1.1 प्रतिशत

267. बुद्ध ने किस स्थान पर प्रव्रज्या (संन्यास) धारण की?

— अनुविन

268. मार्च, 2015 के अंत में देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा कितना था?

— 1.1 प्रतिशत

269. मार्च, 2015 के अंत में देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा कितना था?
— 1.1 प्रतिशत

270. कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है?
— राजतरंगिणी

271. बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है?
— जोन-IV

272. बिहार में किसके नेतृत्व में बड़हिया नामक स्थान पर 'बकाशत आंदोलन' चलाया गया था?
— कार्यानंद शर्मा

273. मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ है?
— चतुर्थ महाकल्प (प्लीस्टोसीन)

274. बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं?
— महापरिनिर्वाण

275. मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
— चंद्रगुप्त मौर्य

276. संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं?
— मुख्यमंत्री

277. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपातवाला जिला कौन है?
— मुंगेर (879)

278. मंत्रिपरिषद् का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है?
— मुख्य सचिव

279. मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्यमंत्री, राज्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री का निर्धारण किस के द्वारा किया जाता है?
— मुख्यमंत्री

280. मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
— राज्यपाल

281. मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है?
— अंग प्रदेश (भागलपुर)

282. महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था, वह कौन सा स्थान था?
— नालंदा महाविहार

283. महिला सामाख्या कार्यक्रम का संचालन वर्ष 1992 ई. से किसके अधीन किया जा रहा है?

— महिला सामाख्या सोसाइटी

284. मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी?

— गिरिव्रज (राजगीर)

285. महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1001 ई. में किस पर आक्रमण किया था?

— उद्भांडपुर के हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल

286. मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?

— पाटलिपुत्र

287. महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर किस वंश की स्थापना की?

— नंद वंश

288. बिहार में मार्च, 2015 के अंत तक राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है?

— 324

289. नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था?

— घनानंद

290. कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था?

— तुरुष्कदंड

291. महावीर की मृत्यु 468 ई.पू. में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी?

— पावापुरी

292. बरौनी तेलशोधक कारखाना किस जिले में स्थित है?

— बेगूसराय

293. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपातवाला जिला कौन है?

— गोपालगंज (1015)

294. महावीर की माता किनकी बहन थी?

— लिच्छवी के राजा चेटक

295. बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है?

— खुद्दक निकाय

296. मौर्य काल में कर की दर क्या थी?

— 1/6 भाग

297. कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है?

— दरभंगा

298. बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करनेवाला जिला कौन सा है?

— पूर्णिया

299. बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दवबर्नाक का लेख तथा शाहपुर (पटना) एवं मंदर (बाँका) से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है?

— परवर्ती गुप्त वंश

300. मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था?

— 315 ई.पू.

301. सुगौली चीनी मिल किस जिले में स्थित है?

— पूर्वी चंपारण

302. महावीर के बचपन का नाम क्या था?

— वर्धमान

303. कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है?

— अभिधम्मपिटक

304. बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी?

— 1974 ई.

305. बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्रदान किया गया?

— 15 नवंबर, 2000 को

306. त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की हुई थी?

— गुर्जर प्रतिहार

307. मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक् करती थी?

— चंपा नदी

308. सितंबर, 2016 तक बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएँ कितनी थीं?

— 2092

309. बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी?

— 22 मार्च, 1912

310. 2013 के मार्च के अंत में बिहार राज्य में अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाओं की प्रति कार्यालय औसत जनसंख्या कितनी है?

— 22491

311. मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई?

— 2013

312. जून, 2016 में संपूर्ण भारत के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था?

— 6.0 प्रतिशत

313. मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था?

— दुर्ग

314. बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है?

— किशनगंज 180 सेंटीमीटर

315. 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था?

— पटना

316. बिहार में मार्च, 2016 के अंत तक व्यावसायिक बैंकों की कितनी प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थीं?

— 55 प्रतिशत

317. गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है?

— फल्गु नदी

318. महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह (किसान आंदोलन) बिहार में किस स्थान पर किया था?

— चंपारण

319. महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी?

— मल्ल गणराज्य

320. बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?

— छपरा

321. महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खाँ का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

— 21 मार्च, 1916, डुमराँव नगर (बक्सर जिला)

322. कौन नदी बिहार का शोक कहलाती है?

— कोसी नदी

323. महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खाँ का असली नाम क्या था?

— कमरुद्दीन खाँ

324. महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है?

— समस्तीपुर

325. मीर कासिम ने 1761 ई. में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर ली थी?

— मुंगेर

326. 'मीरतुल अहवाल' किसकी रचना है?

— मुल्ला बहबहानी

327. बुद्ध ने किस नदी के किनारे प्रव्रज्या (संन्यास) धारण किया?

— अनोमा

328. मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की 'इंडिका' में है, जिसमें

नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण है?

— छह समितियों का

329. मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती थी?

— पण

330. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वे कौन-कौन से राज्य हैं, जिनकी आबादी बिहार से अधिक है?

— उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र

331. मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करनेवाला अधिकारी क्या कहलाता था?

— नायक

332. बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी?

— सारनाथ

333. कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था?

— तीसरा

334. मौर्य काल में 'अस्त्र-शस्त्र' का रखरखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था?

— आयुधागाराध्यक्ष

335. बिहार में पटना उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया?

— 3 फरवरी, 1916

336. बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?

— सुल्तानगंज, भागलपुर

337. मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था?

— भृतक

338. बिहार में अरेबिक ऐंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?

— पटना

339. मुख्यमंत्री प्रामोण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई?

— 27 सितंबर, 2016

340. 'मछली बेचती हुई औरत' के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है?

— पटना कलम

341. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है?

— 73.39 प्रतिशत

342. कलिंग की राजधानी कहाँ थी?

— तोसाली

343. 'टानाभगत आंदोलन' कब प्रारंभ हुआ था?

— 1914 ई.

344. वर्ष 2016 के मार्च के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी?

— 661

345. मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई?

— 15 नवंबर, 2016

346. द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?

— वैशाली

347. मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?

— इंडिका

348. मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करनेवाली विधवाएँ क्या कहलाती थीं?

— क्षंदवासिनी

349. मगध सम्राट् चंद्रगुप्त का राजप्रासाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है?

— पाटलिपुत्र स्थित कुम्हारार

350. बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाणयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं?

— चिरांद

351. कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

— कटिहार

352. मौर्य काल में ताँबे के सिक्के को क्या कहा जाता था?

— मासक एवं काकर्णा

353. मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है?

— बिहारशरीफ

354. भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?

— भिखारी ठाकुर

355. मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था?

— 10 प्रतिशत

356. बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी?

— 1931 ई.

357. बिहार में कुल कितने राजस्व गाँव हैं?

— 44867

358. महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था?

— सारनाथ

359. मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे?

— ईरान

360. बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे?

— हर्यक वंश

361. महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था?

— वृहद्रथ वंश

362. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए?

— तीन बार

363. ब्रह्मणी सेना का गठन कब हुआ था?

— 1981 ई.

364. बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया?

— वर्ष 2003

365. झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है?

— दुर्गापूजा

366. महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था?

— पावापुरी (नालंदा)

367. बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?

— न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा

368. मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है?

— गूढपुरुष

369. मोहरम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोकनृत्य को क्या कहते हैं?

— झरनी नृत्य

370. मानसी चौर कहाँ अवस्थित है?

— फुलिया खार, खगड़िया

371. रामधारी सिंह 'दिनकर' की पहली पुस्तक का नाम क्या था?

— प्रमाण मंत्र

372. मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा-9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है?

— 2500 रु.

373. बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था?

— मुजफ्फरपुर

374. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की जा रही है?

— 22 नवंबर, 2007

375. कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है?

— करमा

376. 'कैकेयी' और 'ऋतुवंश' महाकाव्य किसके द्वारा रचित है?

— केदारनाथ मिश्र प्रभात

377. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है?

— 10 हजार रुपए

378. मौर्य काल में स्थायी सेना को क्या कहा जाता था?

— मौल

379. मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है?

— हर घर बिजली लगातार

380. महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है?

— नालंदा

381. मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को और किस नाम से जाना जाता है?

— हरियाली मिशन

382. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है?

— मुंगेर (28.30 प्रतिशत)

383. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई?

— 27 सितंबर, 2016

384. मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई?

— 28 अक्टूबर, 2016 को

385. मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात् बेगार को क्या कहा जाता था?

— विष्टि

386. 2011 ई. में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है?

— 44 प्रति हजार

387. भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करनेवाला राज्य कौन है?

— राजस्थान

388. अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के शैलों में होती है?

— आग्नेय शैलों

389. मुंगेर का बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था?

— बकाशत भूमि की वापसी की माँग

390. मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है?

— शिवलाल

391. मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था?

— लोटा विद्रोह

392. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है?

— पूर्णिया (52.49 प्रतिशत)

393. डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष 'बिहार लॉ' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया?

— 1916 ई.

394. 'सूर्य सिद्धांत' नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं?

— आर्यभट्ट

395. मुगलकाल में बिहार आनेवाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था?

— मुल्ला तकिया

396. मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था?

— राष्ट्र

397. राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है?

— मीठापुर, पटना

398. मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि 'विद्यापति' का जन्म कहाँ हुआ था?

— विसफी (दरभंगा)

399. महावीर को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?

— साल वृक्ष के नीचे (जुंभिका ग्राम ऋजुपालिका नदी)

400. मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में पाटलिपुत्र को क्या कहा है?

— पोलिबोथ्रा

401. मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करनेवाली स्त्रियाँ क्या कहलाती थीं?

— रूपाजीवा

402. मजहरुत हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

— 1866 ई. में बाहपुरा गाँव, मनेर (पटना)

403. मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है?

— मकदूम शाह दौलत

404. मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है?

— बौद्ध मठ

405. प्रसिद्ध विद्वान् मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था?

— भारती

406. बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में 'बसातीनुल उन्स' एक मूल्यवान स्रोत है?

— तिरहुत

407. मलिक इब्राहीम बयॉ का मकबरा कहाँ स्थित है?

— बिहारशरीफ

408. जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई?

— नौवीं पंचवर्षीय योजना

409. बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन है?

— बिहारबंधु

410. कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

— 1899 ई., बेनीपुर (मुजफ्फरपुर)

411. अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया?

— 25 दिसंबर, 2000

412. नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया?

— 2 अक्टूबर, 2009

413. मगध के किस शासक के समय 326 ई.पू. में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था?

— घनानंद

414. कोसी नदी का मूल नाम क्या है?

— कौशिकी

415. मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में था?

— बिंबिसार

416. जे.पी. आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है?

— बिहार

417. मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था?

— 4 प्रतिशत

418. बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था?

— मगध

419. मगध सम्राट् चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं?

420. बिहार में नीतीश कुमार कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं?

— चार बार

421. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है?

— रोहतास (75.59 प्रतिशत)

422. मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था?

— महापद्मनंद

423. महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं?

— जैनी

424. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

— 22 प्रतिशत

425. 'मगही बोली' शैली का जनक किसे कहा जाता है?

— सुरेश दुबे

426. मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

— राजगीर

427. द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?

— सर्वकामी

428. बिहार में बरौनी तेलशोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई?

— द्वितीय

429. द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था?

— कालाशोक

430. त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था?

— धर्मपाल

431. त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीन वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करनेवाला वंश कौन था?

— पाल वंश

432. महावीर की जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है?

— वैशाली

433. त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था?

— पाँच चरण

434. किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया?

— दसवीं पंचवर्षीय योजना

435. बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था?

— तक्षशिला

436. मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई?

— 322 ई.पू.

437. बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता?

— अंग

438. बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किससे विवाह कर दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था?

— कोशला देवी (कोसल के राजा प्रसेनजित की बहन)

439. बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था?

— प्रद्योतसेन

440. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कृषि विकास दर कितनी संभावित है?

— 7 प्रतिशत

441. बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक् राज्य कब बनाए गए?

— 1 अप्रैल, 1936

442. बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था?

— नायब नाजिम

443. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में विद्युत उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है?

— 11 हजार 650 मेगावाट

444. मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?

— घनानंद

445. बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ?

— मार्च, 1929

446. बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थीं?

— मंजूषा शैली

447. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है?

— पटना (43.48 प्रतिशत)

448. बिहार की 1981-91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी?

— 23.54 प्रतिशत

449. प्रथम शासक माना किसे माना जाता है, जिसने स्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था?

— बिंबिसार

450. बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी?

— वैशाख पूर्णिमा

451. बिहार की बहुद्देशीय परियोजना 'कोसी परियोजना' का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ एवं किस वर्ष बनकर तैयार हुई?

— 1955 एवं 1963 ई.

452. बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है?

— 2012-17 ई.

453. बिहार में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया है?

— 12.12 प्रतिशत

454. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है?

— 13,36,573

455. 'बेगमों की शराबखोरी' चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है?

— यमुना प्रसाद

456. बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है?

— कन्यादान

457. 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्ववाला जिला कौन है?

— कैमूर (488 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर)

458. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है?

— 1,65,67,325

459. बिहार की प्रमुख नदी कौन है?

— गंगा

460. प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं?

— चंपारण

461. कौन सी जनजाति अपने को चंद्रवंशी भी मानती है?

— चैरो

462. मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था?

— अजातशत्रु

463. बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश बसा है?

— नेपाल

464. बिहार की साक्षरता दर कितनी है?

— 63.82

465. बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन है?

— सोमेश्वर किला

466. बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊँचाई कितनी है?

— 880 मीटर

467. बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?

— 362 किमी.

468. बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है?

— 483 किमी.

469. बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है?

— 25.7 प्रतिशत

470. बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है?

— 1106 व्यक्ति

471. बिहार के जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है?

— पहला

472. बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना को किस वर्ष NIT का दर्जा मिला?

— 2004

473. बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई?

— 1986

474. बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है?

— 8.6 प्रतिशत

475. बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है

— छठा

476. बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है?

— मानसूनी जलवायु

477. इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है?

— पूर्णिया

478. बिहार की जलवायु किस प्रकार की है?

— आर्द्र उपोष्ण जलवायु

479. 'हेमंत ट्रॉफी' का संबंध किस खेल से है?

— क्रिकेट

480. राज्य की औसत ऊँचाई समुद्र तल से कितनी है?

— 173 फीट (53 मीटर)

481. 'अमरनाथ झा पुरस्कार' का संबंध किस क्षेत्र से है?

— बाल साहित्य

482. बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है?

— नालंदा विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ

483. भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी?

— 1860 ई.

484. बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है?

— भाभुआ

485. राज्य का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफलवाला है?

— शेखपुरा

486. 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्यावाला जिला कौन है?

— पटना (56.52 प्रतिशत)

487. बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था?

— 1937 ई.

488. 'डॉ. प्रियर्सन पुरस्कार' किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?

— बिहार की लोकभाषाओं में लिखित पुस्तकों पर

489. मगध सम्राट् चंद्रगुप्त के राजप्रासाद की लंबाई-चौड़ाई कितनी है?

— 140 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा

490. 'मंडन मिश्र पुरस्कार' किस विधा में दिया जाता है?

— धर्म एवं दर्शन

491. बिहार लॉन टेनिस परिषद् का गठन किस वर्ष हुआ?

— 1912 ई.

492. पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे?

— 1970 ई.

493. मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है?

— ऋग्वेद

494. संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है?

— पटना

495. बिहार का पहला हिंदी समाचार-पत्र 'बिहारबंधु' कब शुरू हुआ?

— 1874 ई.

496. बिहार के पहला उर्दू दैनिक का नाम क्या था?

— नूरुल अन्वार

497. बिहार का पहला उर्दू दैनिक 'नूरुल अन्वार' कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था?

— 1876 ई., आरा

498. राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है?

— कोठिया

499. बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था?

— अलीवर्दी खान

500. बिहार में वर्ष 2015-16 में कुल लोकऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है?

— 23.92 प्रतिशत

501. बरौनी तेलशोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी?

— 1964 ई.

502. बिहार का राजकीय पशु कौन है?

— गौर

503. बिहार में मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजनांतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है?

— 10,000 रुपया

504. बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

— गया

505. बिहार का सबसे बड़ा पन-बिजलीघर कौन सा है?

— डगमारा

506. गैस बनाने में कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है?

— केनेल कोयला

507. बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करनेवाला क्षेत्र कौन है?

— तराई प्रदेश

508. वर्ष 2013-14 से लागू 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना' के तहत बेरोजगार युवकों को कितने प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है?

— 5 प्रतिशत

509. बिहार का औसत तापमान कितना है?

— 320 सेंटीग्रेट

510. बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?

— शतपथ ब्राह्मण

511. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है?

—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग

512. बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है?

—लगभग 83°19'50" से 88° 17'40"

513. बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया?

—2008 ई.

514. कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को प्रतिमाह कितने का स्टैण्डर्ड प्रदान किया जाएगा?

—2000 रु.

515. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), पटना की स्थापना कब हुई

—2008 ई.

516. बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है?

—तीसरा

517. बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है?

—24° 21' 10" से 27° 31' 15" उत्तरी अक्षांश

518. पौधरोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन दो जिलों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की गई है?

—चंडी (नालंदा) एवं देशरी (वैशाली)

519. प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था?

—मगध प्रदेश

520. बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ?

—1934 में

521. सेंडई फ्रेम वर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 तैयार करनेवाला पहला राज्य कौन सा है?

—बिहार

522. 'बिहार कोकिला' के नाम से विख्यात विन्ध्यवासिनी देवी की गायिकी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब हुआ था?

—1945 ई.

523. आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के कार्यान्वयन हेतु किस संस्था से एम.ओ.यू. किया गया है?

—Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC), Bangkok, Thailand

524. मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्ववाली भूमि को क्या कहा जाता था?

—सीता

525. बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आई थी?

— पुर्तगाली

526. बिहार के महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ 'रेणु' का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

— 4 मार्च, 1921, औराही हिंगना (अररिया)

527. 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर कौन राज्य है?

— बिहार

528. बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं?

— विद्यापति

529. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना की स्थापना कब हुई?

— 2012 ई.

530. बिहार के कौन-कौन जिले नेपाल से स्पर्श करते हैं?

— पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज

531. बुद्ध के जन्म के समय किस भविष्यवक्ता ने राजा सुयोधन से कहा था कि यह बालक संन्यासी बनेगा?

— कालदेवल

532. बिहार के कौन-कौन जिले पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं?

— रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण

533. बिहार के कौन-कौन जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं?

— किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार

534. बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे?

— पूर्णिया और मानभूम

535. बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है?

— 3.9 प्रतिशत

536. बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?

— कपिलवस्तु (वर्तमान पिपरहवा) के लुंबिनी गाँव के आम्रकुंज में

537. बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं?

— 7.27 प्रतिशत

538. बिहार के कुल 56 जिलों में से कितने जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया?

— 18 जिलों

539. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कितने किसानों को बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया?

— 5368

540. बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन हैं?

— 6845 वर्ग किलोमीटर

541. भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला खानें अवस्थित हैं?

— झारखंड

542. बिहार की कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है?

— 42

543. बिहार के महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

— 18 जून, 1861, पूसा (मुजफ्फरपुर)

544. राज्य में संपूर्ण भू-भाग के वर्तमान 12.88 प्रतिशत वृक्षाच्छादन को वर्ष 2017 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है?

— 15 प्रतिशत

545. हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना किससे संबंधित है?

— वृक्षाच्छादन

546. बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं?

— औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में

547. बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर-घर गाए जाते थे?

— महाकवि विद्यापति

548. Enhancing Teacher Effectiveness Programme किस संस्था द्वारा संपोषित है?

— विश्वबैंक

549. बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा?

— स्त्रियाँ एवं शूद्र

550. बिहार के किस जिले के कुछ भाग को वर्ष 1956 ई. में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया?

— किशनगंज और पुरुलिया

551. किस जिले में 'डोलामाइट' खनिज पाया जाता है?

— भोजपुर

552. इलुतुमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था?

— मलिक जानी

553. राज्य के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करते हैं?

— किशनगंज

554. अफीम की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में की जाती है?

— मुंगेर

555. गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया है?

— भागलपुर

556. राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है?

— रक्सौल

557. बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए?

— योगेंद्र शुक्ल

558. भारत के उत्तरी-पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है?

— भारतीय खनिज का हृदयस्थल

559. देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है?

— पटना

560. ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है?

— पटना

561. बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है?

— दीघनिकाय

562. भगवान् बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था?

— बोधगया

563. भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं, क्या कहलाती हैं?

— अधिकेंद्र

564. राज्य के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया?

— डॉ. राजेंद्र प्रसाद

565. 1912 ई. में बाँकीपुर, पटना में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे?

— सच्चिदानंद सिन्हा

566. डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है?

— पटना

567. बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक पत्रिका 'बालक' प्रकाशित हुआ था?

— पटना

568. उत्तर प्रदेश को स्पर्श करनेवाले बिहार के कितने जिले हैं?

— 8

569. पश्चिम बंगाल को स्पर्श करनेवाले बिहार के कितने जिले हैं?

— 3

570. झारखंड को स्पर्श करनेवाले बिहार के कितने जिले हैं?

—7

571. नेपाल को स्पर्श करनेवाले बिहार के कितने जिले हैं?

—7

572. अंग महाजनपद में वर्तमान में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं?

— भागलपुर एवं मुंगेर

573. पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?

— बाँगर

574. बिहार का प्राचीन इतिहास जानने का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है?

— अथर्ववेद

575. उड़ीसा से अलग बिहार विधानपरिषद् का गठन कब किया गया?

— 28 मार्च, 1936

576. भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम बिहार की किस साहित्यिक रचना में मिलती है?

— शतपथ ब्राह्मण

577. किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी?

— वज्जि

578. बिहार में पूर्ण प्रतिरक्षण (Immunization) का आच्छादन कितना प्रतिशत है?

— 84 प्रतिशत

579. पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था?

— मगध

580. प्रमुख समाचार-पत्र 'बिहारी' के संपादक कौन थे?

— बाबू महेश्वर प्रसाद

581. बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल (1937-1939), में वित्त मंत्री कौन थे?

— अनुग्रह नारायण सिंह

582. अंग्रेजी समाचार-पत्र 'द बिहार हेराल्ड' का प्रकाशन कब शुरू किया गया था?

— 1875 ई.

583. ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किस नेता ने पद ग्रहण किया था?

— सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा

584. लोक निजी भागीदारी योजना के तहत ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड (मेदांता) गुड़गाँव द्वारा किस अस्पताल की स्थापना की जा रही है?

— जयप्रभा मेदांता अतिविशिष्ट अस्पताल, पटना

585. बिहार के किस अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा फरवरी, 2016 में प्रारंभ की गई?

—इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

586. राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होनेवाला समाचार-पत्र कौन सा है?

—अमृत बाजार पत्रिका

587. विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है?

—बिहार

588. सितंबर, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेनेवाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या था?

—फणींद्रनाथ धीष

589. बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बाँटती है?

—बूढ़ी गंडक

590. मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है?

—अंग

591. पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है?

—राजेंद्र मेनन

592. बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है?

—गया

593. बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन हैं?

—पी.के. ठाकुर

594. स्टेट कैसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है?

—इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

595. बिहार के आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं?

—पूर्व प्रस्तर युग

596. गया जिले के अपसद से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है?

—परवर्ती गुप्तवंश

597. बोधगया में 'मगध विश्वविद्यालय' की स्थापना कब हुई थी?

—1962 ई. में

598. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 को कब से लागू किया गया है?

—2 अक्टूबर, 2016

599. हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है?

—मध्य-पूर्व रेलवे

600. मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था?

- तक्षशिला
601. बिहार में इंटरनेशनल ट्रेक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्टरी कहाँ स्थापित की गई है?
— फतुहा
602. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
— 1961 ई.
603. राज्य में 'बिहारबंधु' समाचार-पत्र कब प्रारंभ हुआ था?
— 1874 ई. में
604. टिन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है?
— गया
605. बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो बंजारों को बोधगया में अपना शिष्य बनाया था?
— तपस और भल्लिक
606. हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है?
— गंडक
607. पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
— 1915 ई. में
608. 'फाग-राग' गीतों की रचना बिहार में किसने की थी?
— नवलकिशोर सिंह ने
609. जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में अवस्थित है?
— पटना
610. बिहार में अग्नि-सह-मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है?
— भागलपुर
611. राज्य में अभ्रक कहाँ पाया जाता है?
— गया
612. मौर्य काल में नकद लिया जानेवाला नमक कौन क्या था?
— हिरण्य
613. गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?
— 1970 ई.
614. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ?
— 1972 ई. में
615. धान का सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला कौन है?
— रोहतास

616. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी?

— 1959 ई.

617. बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है?

— गया

618. बिहार में 'किसान सभा' के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी?

— 4 मार्च, 1928

619. आधार कार्यक्रम किससे संबंधित है?

— भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु

620. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है?

— पश्चिमी चंपारण

621. भारतीय-अफ्रीकन प्लेन के संगम पर भारत का कौन सा राज्य स्थित है?

— गुजरात

622. बिहार में 1857 ई. का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था?

— 12 जून, 1857

623. मनरेगा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2015-16 में न्यूनतम मजदूरी कितनी दी जा रही है?

— 177 रुपया

624. राज्य में 1938 ई. में सर्वप्रथम शराबबंदी विधेयक पारित कराने में किनका महत्वपूर्ण योगदान था?

— डॉ. जगलाल चौधरी (तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री)

625. बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका-11 का कार्यान्वयन कब से किया जा रहा है?

— अगस्त, 2016

626. वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या कितनी है?

— 329.39 लाख

627. बिहार में स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है?

— बाबूधाम मोतिहारी

628. बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है?

— मुंगेर

629. बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे?

— महामाया प्रसाद सिन्हा

630. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्यावाला जिला कौन है?

— पटना

631. बिहार में 'बोली विशेषज्ञ' के रूप में किसे जाना जाता है?

— डॉ. जॉर्ज गियर्सन

632. बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवानेवाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करनेवाले पुरातत्त्ववेत्ता कौन थे?

— कनिंघम

633. बुद्ध की ताम्रमूर्ति बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी?

— सुल्तानगंज (भागलपुर) से

634. राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है?

— बंगाल की खाड़ी

635. तेलशोधक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है?

— बरौनी

636. राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है?

— रोहतास

637. बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था?

— 1912 ई., बाँकीपुर, पटना

638. ब्राह्मसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी?

— पटना

639. बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है?

— उष्ण मानसूनी

640. राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने का लक्ष्य कब तक है?

— 2 अक्टूबर, 2019

641. किस नृत्य का आयोजन जन्मोत्सव पर किया जाता है?

— पवडिया

642. आतिश दीपांकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे?

— विक्रमशिला विश्वविद्यालय

643. बिहार में जिला परिषद् की कुल संख्या कितनी है?

— 38

644. राज्य में कुल कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है?

— 3.9 प्रतिशत

645. पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान कहाँ स्थित है?

— नव नालंदा महाविहार, नालंदा

646. बिहार में कुल कितने जिले हैं?

647. मौर्य प्रशासन में स्थानिक क्या था?

— जिला प्रशासक

648. राज्य में 2015-16 में कुल कितनी दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियाँ संगठित हैं?

— 19.5 हजार

649. बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है?

— 47.0 प्रतिशत

650. ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस जिले में है?

— वैशाली

651. बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है?

— 534

652. बिहार की पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों की संख्या कितनी है?

— 8398

653. बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है?

— 12

654. राज्य में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है?

— 86

655. राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 2015-16 में कितनी है?

— 5400 किमी.

656. कला भवन राज्य के किस जिले में स्थित है?

— पूर्णिया

657. बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है?

— एकीकृत समुदाय

658. मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई है?

— 2015-16

659. बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी?

— 3 जनवरी, 2000

660. बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन है?

— कोसी

661. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कब प्रारंभ की गई?

— 2 अक्टूबर, 2016

662. उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है?

— दीघा (पटना)

663. मगध विश्वविद्यालय राज्य में कहाँ स्थित है?

— बोधगया

664. जे.वी.एल. मेगा फूड पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है?

— रोहतास

665. भागलपुर जिला स्थित बिहपुर किस आंदोलन से संबंधित है?

— भारत छोड़ो आंदोलन

666. बिहार में किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है?

— भोजपुर

667. मेसर्स प्रिस्टिन फूड पार्क राज्य में कहाँ स्थित है?

— मानसिंह (खगड़िया)

668. बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया?

— श्रावस्ती

669. गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है?

— मुजफ्फरपुर

670. बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं?

— पाटिलपुत्र

671. बिहार में किस स्थान से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं?

— चिराँद (सारण)

672. राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया?

— 2001 ई.

673. बिहार राज्य न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है?

— गायघाट, पटना

674. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया?

— 1 फरवरी, 2014

675. बिहारशरीफ का प्राचीन नाम क्या था?

— उदंतपुरी

676. बिहार में किसान तेल कूपन योजना की शुरुआत पूर्णरूप से कब की गई?

— जून, 2008

677. 'फाग राग' का सृजन किसने किया था?

— महाराजा नवलकिशोर सिंह

678. बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था?

— 1912 ई.

679. बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं?

— 28

680. शेरशाह का अंतिम अभियान कौन था?

— कालिंजर

681. बिहार में कितने प्रमंडल हैं?

— 9

682. बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं?

— 12

683. बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया?

— 1949 ई.

684. राज्य में कितने प्रखंड हैं?

— 534

685. काले चमकीले मृद्भांड बिहार के किस स्थानों से प्राप्त हुए थे?

— बक्सर व चिराँद से

686. शिक्षा दिवस राज्य में कब मनाया जाता है।

— 11 नवंबर

687. मौर्य वंश के पश्चात् किस वंश का राज्य स्थापित हुआ?

— शुंग वंश

688. प्रसिद्ध गुप्‍तेश्‍वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है?

— कैमूर की पहाड़ियों में

689. राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

— राज्यपाल

690. गंगा नदी पर स्थित 'महात्मा गांधी सेतु' की लंबाई कितनी है?

— 5.575 किमी.

691. राज्य की विधानपरिषद् के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है?

— 1/6 सदस्य

692. बिहार में स्थित प्राचीन काल में 'नालंदा विश्वविद्यालय' में भाषा का माध्यम क्या था?

— पाली

693. बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद आठ राज्यों का एक संघ था?

— वज्जि

694. बुद्धकालीन 16 महाजनपदों के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है?

— दीघनिकाय

695. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है?

— फाह्यान व ह्वेनसांग के विवरण से

696. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई?

— 1916 ई.

697. सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है?

— लखीसराय

698. दिलावरपुर में किस वस्तु का कारखाना स्थित है?

— सिगरेट

699. पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है?

— अनुच्छेद 243(घ)

700. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था?

— 1986 ई. में

701. राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है?

— अनुच्छेद 165

702. तिलका माँझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है?

— भागलपुर

703. बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जानेवाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है?

— राष्ट्रीय जलमार्ग-1

704. होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ स्थित है?

— हाजीपुर

705. होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है?

— जोगीड़ा

706. बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है?

— के.बी. सहाय

707. पॉलिटैक्निक इंस्टीट्यूट की संख्या राज्य में कितनी है?

708. बिहार में निजी कूरियर डाकसेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया?

— 1991 ई.

709. बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था?

— 19 जून, 2002 को

710. बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र किस जिले में स्थापित हुआ था?

— पटना

711. किस वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 लागू किया गया?

— 12वाँ वित्त आयोग

712. बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी?

— 1860 ई. में

713. पुरातात्विक संग्रहालय, नालंदा की स्थापना कब की गई थी?

— 1917 ई. में

714. पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?

— 1917 ई. में

715. गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ?

— 2002 ई. में

716. बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है?

— 40000 ई.पू.

717. बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था?

— सरदार वल्लभ भाई पटेल

718. बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?

— 1903 ई. में, मधौरा (सारण)

719. बिहार में प्रति हजार जनसंख्या पर रेलमार्ग की लंबाई कितनी है?

— 0.04 किलोमीटर

720. बिहार में प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है?

— 6845 वर्ग किलोमीटर

721. 1 जुलाई को किनके जन्मदिवस को राज्य में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है?

— डॉ. विधानचंद्र राय

722. श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई?

- 20 जुलाई, 1937
723. बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है?
- 1913 किलोमीटर
724. बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 की लंबाई कितने किमी. है?
- 210 किमी.
725. बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया?
- 1964 ई., सोवियत रूस
726. बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथ देश की कुल उच्चपथ लंबाई का कितना प्रतिशत है?
- 4.9 प्रतिशत
727. रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था?
- शेरशाह
728. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर की स्थापना कब हुई?
- 1970
729. शोरा उत्पादक क्षेत्र सरेया और माँझी राज्य के किस जिले में स्थित हैं?
- सारण
730. कहलगाँव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई?
- 1972 ई.
731. शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
- सासाराम
732. बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है?
- सोन कैनाल
733. बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था?
- 1934 ई. में
734. श्रीखंडा पन बिजली परियोजना बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है?
- रोहतास
735. बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है?
- मुंगेर (876)
736. नवीनगर ताप विद्युतगृह बिहार के किस जिले में स्थित है?
- औरंगाबाद
737. बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है?
- कैमूर जिला (848)

738. बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है?

— शेखपुरा

739. बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी?

— 1850 ई.

740. बिहार में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन था?

— मुताहकोबरा

741. मौर्य काल में चाँदी के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?

— आहत

742. बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन रहा है?

— फिरदौसी

743. बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है?

— डालमियानगर

744. किन तीन जिलों से बिहार में साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2010 ई. में की गई थी?

— भोजपुर, खगड़िया और बेगूसराय

745. जनगणना विभाग के अनुसार राज्य में सांविधिक शहरों की संख्या कितनी है?

— 139

746. सावना वनस्पति बिहार में कहाँ पाई जाती है?

— पश्चिमी चंपारण

747. राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है?

— 1,04,689 किमी.

748. सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है?

— गया

749. बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?

— मधेपुरा

750. बिहार राज्य विद्युत परिषद् का गठन किस वर्ष किया गया?

— 1958 ई.

751. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई?

— 1966 ई.

752. बिहार में सर्वाधिक पुरुष-साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?

— रोहतास

753. बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है?

—रोहतास (73.37 प्रतिशत)

754. बरौनी तेलशोधक कारखाने को देश के किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है?

—नहरकटिया (असम)

755. दूरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है?

—पूर्णिया

756. बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्रवाला जिला कौन सा है?

—रोहतास

757. राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है?

—शिवहर जिला (1880 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर)

758. बिहार में सर्वाधिक जनसंख्यावाला जिला कौन सा है?

—पटना

759. महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था?

—जमाली

760. सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है?

—बेगूसराय (426.89 प्रतिशत)

761. बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी?

—इलाहाबाद बैंक

762. नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग मिल बिहार के किस जिले में स्थित है?

—कटिहार

763. बिहार में सर्वप्रथम शराबबंदी विधेयक कब पारित किया गया था?

—1938 ई.

764. राज्य का प्रथम लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया था?

—न्यायमूर्ति श्रीधर बासुदेवा सोहनी

765. बिहार में उद्योगों का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है?

—पटना

766. उत्तर भारत में उपनिषद् काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था?

—विदेह

767. लोहट, रीगा तथा हसनपुर किस उद्योग से जुड़े स्थान हैं?

—चीनी

768. बिहार की औद्योगिक नीति, 2011 कितने समय तक प्रभावी रहेगी?

—5 वर्ष

769. महावीर की पुत्री का नाम क्या था?

— प्रियदर्शना

770. बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना किस विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था?

— डर्चों के द्वारा

771. पटना उच्च न्यायालय में 2015-16 में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है?

— 30

772. बिहार में उत्पादन की दृष्टि से धान के बाद दूसरी फसल कौन सी है?

— गेहूँ

773. बिहार में National Mission on Medicinal Plant कब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है?

— वर्ष 2008 से

774. राज्य में छठी आर्थिक गणना का प्रकाशन कब किया गया?

— 2016 ई.

775. दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है?

— मैथिली

776. राजपुर नहर किस नहर की एक शाखा है?

— पूर्वी कोसी नहर

777. बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (कॉम्पेड) की स्थापना कब की गई?

— 1983 ई.

778. दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है?

— रोहतास

779. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है?

— 918

780. बिहार में वर्ष 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की विकास दर कितने प्रतिशत रही है?

— 6.02 प्रतिशत

781. वर्ष 2015-16 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना था?

— 12,061.58 करोड़ रुपए

782. कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई?

— 1965 ई.

783. सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है?

— गंडक नदी

784. वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में वनों को कितने वर्ग में बाँटा गया है?

— 3

785. बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है?

— जमुई

786. चीनीमिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन-कौन हैं?

— भागलपुर व मुंगेर

787. बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है?

— आरा

788. बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में है?

— भागलपुर

789. बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है?

— काबर पक्षी विहार

790. बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था?

— 1203 ई. में

791. पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है?

— बख्तियार खिलजी

792. जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है?

— छपरा

793. जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है?

— 1921

794. बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?

— सहरसा

795. बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?

— कटिहार

796. 'अमृत वर्षा' समाचार-पत्र का प्रकाशन राज्य में किस वर्ष प्रारंभ हुआ?

— 1987 ई.

797. 'द सर्व लाइट' के प्रथम संपादक कौन थे?

— सैयद हैदर हुसैन

798. बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है?

— विश्व बैंक

799. दसलक्षण पर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है?

— बौद्ध

800. मौर्य काल में किस मुद्रा पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी?

— आहत

801. बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई हैं?

— मुंगेर एवं नालंदा

802. बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है?

— 1009 मिलीमीटर (109 सेंटीमीटर)

803. बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी?

— खुदा बख्श खाँ

804. मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था?

— उपवास

805. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन कब हुआ था?

— 1996 ई.

806. अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था?

— सच्चिदानंद सिन्हा ने

807. गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?

— 1952 में

808. राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है?

— वैशाख पूर्णिमा

809. बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?

— सोन

810. बिहार में गरम जल का प्रमुख केंद्र कहाँ है?

— राजगीर तथा मुंगेर क्षेत्र

811. बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है?

— 39073

812. संगीत से संबंधित 'नगमत असफी' नाम की किताब किसने लिखी थी?

— मशहूर गायक रजाशाह

813. सिद्धेश्वर मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है?

— शिवरात्रि

814. बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है?

— विवाह के अवसर पर

815. पटना पुस्तक मेले का आयोजन कब से किया जाता है?

— 1971 ई.

816. गोपाष्टमी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है?

— खगड़िया

817. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं?

— 38

818. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं?

— 2

819. सौराठ में शादी-विवाह से संबंधित मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है?

— ज्येष्ठ-आषाढ़

820. सहोदरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है?

— प. चंपारण

821. गया का पितृपक्ष मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है?

— आश्विन

822. जिउतिया का पर्व बिहार में किस दिन मनाया जाता है?

— आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी

823. जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल गुनावाजी बिहार के किस जिले में स्थित है?

— नवादा

824. मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई?

— 2012-13

825. गोलघर का निर्माण कब कराया गया?

— 1785 ई.

826. बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी?

— मजहरुल हक

827. बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे?

— मजहरुल हक

828. मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है?

— शाह दौलत

829. बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया था?

— 1936 ई.में.

830. बिहार हाँकी संघ का गठन कब किया गया था?

— 1986 ई.में.

831. मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है?

— राजगीर

832. कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था?

— शैव

833. बिहार पर्यटन की टैग लाइन क्या है?

— ब्लिसफुल बिहार

834. सर्वप्रथम बिहार पर विजय पानेवाला मुस्लिम शासक कौन था?

— मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी

835. बिहार पर गहड़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है?

— मनेर तामपत्र से

836. पटना के पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?

— परवेज

837. बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन बनाए गए?

— श्रीकृष्ण बाबू

838. बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ?

— मार्च, 1929

839. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

— 1950 ई.

840. 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है?

— समस्तीपुर (96.54 प्रतिशत)

841. जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है?

— राजगीर

842. बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है?

— उत्तर प्रदेश

843. बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?

— 1956 ई. में

844. बिहार राज्य की सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना कौन है?

— सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट

845. बिहार राज्य का सर्वाधिक गरम जिला कौन सा है?

— गया

846. राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है?

— 22.9 प्रतिशत

847. उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को 'सत्येन मित्रा साक्षरता' पुरस्कार के लिए चुना गया?

— मुजफ्फरपुर

848. 'सर्वहितैषी' समाचार-पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता था?

— पटना

849. 'द सर्च लाइट' का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ?

— 1918 ई.

850. बिहार राज्य के कितने जिले ऐसे हैं, जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं?

— 13 जिले

851. बिहार राज्य के कितने प्रतिशत धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है?

— 90 प्रतिशत

852. मगही बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है?

— ईशान

853. माघी मेले का प्रारंभ कब से हुआ है?

— 1881 ई.

854. संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

— 1992 ई.

855. महावीर स्वामी का संबंध किस संघ से था?

— वज्जि संघ

856. राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई (2015-16 में) कितनी है?

— 4595

857. जेवियरर्स फायर्स सेफ्टी एकेडमी की शाखा किस जिले में स्थापित है?

— पटना

858. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की स्थापना किस वर्ष हुई है?

— 1950 ई.

859. बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है?

— सदाबहार वन

860. प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान किस जिले में स्थित हैं?

- वैशाली
861. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है?
- पटना
862. बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना कब शुरू की गई?
- 2006 ई.
863. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐंड क्राफ्ट राज्य के किस जिले में स्थित है?
- पटना
864. बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है?
- रोहतास
865. राज्य फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
- भागलपुर
866. चंद्रभारी संग्रहालय, दरभंगा की स्थापना कब हुई थी?
- 1957 ई.
867. सिमरतला आवासीय विद्यालय की स्थापना किस विद्यालय की तर्ज पर की गई है?
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय
868. गांधी संग्रहालय राज्य के किस जिले में स्थित है?
- पटना
869. बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब हुई?
- अप्रैल, 2013
870. राज्य में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है?
- मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना
871. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- मुख्यमंत्री
872. राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब की गई थी?
- 1970 ई.
873. बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है?
- अथर्ववेद
874. बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है?
- वर्ष 1999 को
875. पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था?
- उत्तर वैदिक काल में

876. बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

— 22 मार्च

877. बुद्ध की शिष्या बननेवाली मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी?

— क्षेमा

878. राज्य में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है?

— 50 प्रतिशत

879. बिहार सरकार के द्वारा 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' योजना की शुरुआत कब की गई?

— 27 सितंबर, 2016

880. पर्यटन विभाग, बिहार सरकार ने कितने पर्यटक सर्किट को चिह्नित किया है?

— 8

881. बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था?

— 8 मार्च, 2011 को

882. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) का गठन कब किया है?

— 2014 ई.

883. बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की?

— 2 अक्टूबर, 2016

884. बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया?

— वर्ष 2006

885. राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 को कानून का दर्जा कब दिया गया?

— 17 फरवरी, 1962

886. चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई?

— 2008 ई.

887. बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?

— जयप्रकाश नारायण

888. मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई कर के रूप में उपज का कितना भाग लिया जाता था?

— 1/5 से 1/3 भाग

889. बिहार से गुजरनेवाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है?

— राष्ट्रीय राजमार्ग 31

890. बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषी अभिलेख का संबंध किस शासक से है?

— शेरशाह

891. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

— 1991 ई.

892. बिहार से प्राप्त पाषाण उपकरण किस प्रकार के हैं?

— आशुलियन

893. चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है?

— राजनीति शास्त्र

894. बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा फ्रांस के सहयोग से किस स्थान पर पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है?

— श्रीखंडा में

895. बुद्ध के गृह त्याग (महाभिनिष्क्रमण) की घटना किस दिन हुई थी?

— आषाढ़ पूर्णिमा

896. खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म के धान के लिए कैसे प्रति क्विंटल की दर से अधिप्राप्ति की जा रही है?

— 1470 रुपए

897. बिहार में भगवान् बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कहाँ किया जा रहा है?

— घोड़ा कटोरा, राजगीर

898. बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है?

— पटना में

899. मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है?

— सौराठ, मधुबनी

900. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को कब लागू किया गया?

— 5 जून, 2016

901. राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को राज्य सरकार की सेवाओं की नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है?

— 22 प्रतिशत

902. वित्तीय वर्ष 2017-18 में सचिवालय अनुदेश के स्थान पर नया क्या बनाया गया है?

— Secretariat Manual of office Procedure

903. बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है?

— मोतिहारी

904. भारत के 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर कर दिए हैं, यह किससे संबंधित है?

— गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST)

905. आधुनिक चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है?

— औरंगाबाद

906. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 कब से लागू किया गया है

— 2 अक्टूबर, 2016

907. ऑन-लाइन पेमेंट प्रोत्साहित करने के लिए स्टॉप ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है?

— एक प्रतिशत

908. राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यावसायिकों को सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है?

— भामा शाह सम्मान योजना

909. वर्ष 2015-16 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय इसी वर्ष में राष्ट्रीय औसत का लगभग कितना प्रतिशत है?

— 35 प्रतिशत

910. 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है?

— 19.0 प्रतिशत

911. 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है?

— 18.8 प्रतिशत

912. 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है?

— 62.2 प्रतिशत

913. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व अधिशेष कितने करोड़ रुपए का है?

— 12.507

914. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

— दिसंबर, 1966 में

915. 2016-17 में अनाजों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है?

— 140.9 लाख टन

916. 2015-16 में दूध का उत्पादन कितने लाख टन हुआ है?

— 82.88 लाख टन

917. 2016-17 में बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था का विकास कितना प्रतिशत है?

— 7.6 प्रतिशत

918. 2016-17 में बिहार में द्वितीयक क्षेत्र का विकास दर कितना प्रतिशत है?

— 8.4 प्रतिशत

919. 2016-17 में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर कितने प्रतिशत रही है?

— 10.4 प्रतिशत

920. अगस्त, 2016 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है?
— 407
921. वर्ष 2015 में कितने पर्यटक बिहार में आए?
— 28.95 लाख
922. कॉम्पेड की स्थापना कब हुई थी?
— 1983
923. तसर विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी?
— 2012-13
924. जूट पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है?
— मारगा, पूर्णिया
925. सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
— चेन्नई
926. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है?
— 15 प्रतिशत
927. खनन एवं उत्खनन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है?
— 1.7 प्रतिशत
928. फिल्म सिटी निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है?
— राजगीर
929. विश्व बैंक की किस संस्था को 'उदार ऋण प्रदान करनेवाली खिड़की' कहा जाता है?
— अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
930. भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
— अनुच्छेद 280
931. भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट (HDR) कब जारी की गई थी?
— अप्रैल, 2002
932. भारत में राष्ट्रीय आय समंजकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?
— केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO)
933. द्वीप विकास प्राधिकरण (Island Development Authority) का अध्यक्ष कौन होता है?
— प्रधानमंत्री
934. बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है?
— देवास
935. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर

की गई थी?

— शिवरामन

936. 'पॉलिटिक्स ऑफ चरखा' नामक पुस्तक किसने लिखी थी?

— जे.बी. कृपलानी

937. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी?

— 1988

938. 'कपार्ट' (Council for Advancement of People Action and Rural Technology – CAPART) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

— नई दिल्ली में

939. भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है?

— रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

940. बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया गया?

— मोतिहारी

941. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?

— 'E-Z' पे-कार्ड

942. 'E-Z' पे-कार्ड योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई?

— 26 मार्च, 2011

943. राज्य की 15-35 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?

— मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना

944. बिहार में 'नारी शक्ति योजना' की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई है?

— 2008-09

945. 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' किसकी सुप्रसिद्ध कृति है?

— ई.एफ. सुमाखर

946. भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है?

— प्रकाश चंद्र महालनोबिस को

947. राष्ट्रीय नियोजन में 'रोलिंग प्लान' की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी?

— जनता सरकार के द्वारा

948. बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लगाया गया था?

— 29 जून, 1968 से 26 फरवरी, 1969 तक

949. बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है?

— 7 बार

950. संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है?

— अनुच्छेद 110

951. आय वितरण में असमानता को किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है?

— लॉरेंज वक्र

952. 'गरीबी हटाओ' का नारा पहली बार किस योजना का अंग बना?

— पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

953. ऐसी बेरोजगारी, जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखते हैं, परंतु जिनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या कहलाती है?

— प्रच्छन्न बेरोजगारी

954. नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है?

— 12 जुलाई, 1982, मुंबई में है।

955. ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है?

— नाबार्ड (NABARD)

956. वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं?

— 2

957. मधेपुरा (बिहार) में 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया गया है?

— फ्रांस

958. यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है?

— सांस्कृतिक वर्ग

959. आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज किसने की है?

— फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन ने 1811-12 में

960. महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया, गया को सांस्कृतिक वर्ग में यूनेस्को की विश्वविख्यात सूची में कब सम्मिलित किया गया?

— 2002 में

961. नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया?

— 2016 में

962. बरौनी स्थित उर्वरक इकाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनरुद्धार के लिए किसे दिया गया?

— हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HFCL)

963. देश में प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है?

— बिहार

964. स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया है?

— भागलपुर

965. राज्य सरकार के कुल व्यय का कितना प्रतिशत विकासात्मक व्यय है?

— 70 प्रतिशत

966. वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार का विकासात्मक व्यय कितने करोड़ रुपए का है?

— 78,077 करोड़

967. 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर कितना है?

— 20.7 प्रतिशत

968. वित्तीय वर्ष 2014-15 में कर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात बिहार में कितना है?

— 5.5 प्रतिशत

969. वर्ष 2016-17 में बिहार के कर राजस्व में सबसे अधिक 5.5 प्रतिशत हिस्सा किस कर का है?

— बिक्री या व्यापार कर

970. बिक्री कर का अंश कुल कर में कितने प्रतिशत का है?

— 47.2 प्रतिशत

971. नफेड (NAFED) की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है?

— कृषि उपजों के विपणन के लिए

972. 'पर्यावरण सुरक्षा ऐक्ट' (Environment Protection Act-EPA) कब लागू हुआ?

— वर्ष 1986

973. 'राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिकरण ऐक्ट' (National Environment Tribunal Act.-NETA) कब अस्तित्व में आया?

— वर्ष 1986

974. मूल्य-सूचकांक का उद्देश्य किसके परिवर्तन को नापना है?

— मुद्रा की क्रय शक्ति के

975. भारत में बीमा कारोबार के विनियमन करनेवाली नियामक संस्था कौन है?

— इरडा (IRDA)

976. स्मार्ट गंगा सिटी योजना के अंतर्गत बिहार का कौन सा शहर सम्मिलित हुआ है?

— पटना

977. 1 सितंबर, 2016 को केंद्र सरकार ने बिहार में गंगा नदी में सिल्ट (गाद) का अध्ययन करते हुए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है?

— ए.के. सिन्हा समिति

978. दलहन संकट से निपटने के लिए 12 जुलाई, 2016 को किसकी अध्यक्षता में किसकी समिति गठित की गई है?

— अरविंद सुब्रह्मण्यम समिति

979. वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की पूर्ण समीक्षा एवं सुझाव हेतु 17 जुलाई, 2016 को किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई?

— एन.के. सिंह समिति

980. क्रिकेट प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं हितों के टकराव पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति कौन हैं

— आर.एम. लोढ़ा समिति

981. अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितने-कितने किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है?

— 35 किग्रा.

982. भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है?

— मिश्रित

983. बंद अर्थव्यवस्था (Closed economy) कौन सी अर्थव्यवस्था है?

— जिसमें न तो निर्यात, न आयात

984. बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या कितनी है?

— 42059

985. मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है?

— महबूब-उल-हक

986. मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा बनाया गया है?

— यू.एन.डी.पी. (UNDP)

987. किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है?

— उद्यमों का स्वामित्व

988. जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है?

— बढ़ता जाता है

989. 'ड्रेन का सिद्धांत' (The theory of Drain) किसने प्रतिपादित किया था?

— दादा भाई नौरोजी

990. हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है?

— राष्ट्रीय आय से

991. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा?

— वृद्धि

992. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना कब हुई?

— 1956 में

993. नई मुद्रा यूरो (EURO) किस वर्ष में प्रारंभ की गई?

— 1999 में

994. बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व का योग क्या कहलाता है?

— राजकोषीय घाटा

995. आर्थिक नियोजन विषय किस सूची में है?

— समवर्ती सूची

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

अभ्यास प्रश्नावली सेट

Set-1

1. यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में पाटलिपुत्र को क्या कहा है?

उत्तर : पोलिबोथ्रा

2. यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है?

उत्तर : नालंदा महाविहार

3. घोड़ाकटोरा झील किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : नालंदा

4. लेसीफर लक्का नामक कीड़ा किस वृक्ष पर मिलता है?

उत्तर : लाख

5. बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिह्नित किया है?

उत्तर : 8

6. 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना सिटी

7. 51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटनदेवी मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना

8. बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है?

उत्तर : पटना

9. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का गठन कब किया गया?

उत्तर : 28 अगस्त, 2015

10. बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया?

उत्तर : 2009 ई.

11. काँवर झील किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : बेगूसराय

12. बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यरूप में कब आया?

उत्तर : 1 अप्रैल, 1949

13. कोटेश्वर नाथ का शिवमंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : जहानाबाद

14. केसरिया, जहाँ खुदाई के पश्चात् भगवान् बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ, कहाँ स्थित है?

उत्तर : पूर्वी चंपारण

15. कटरागढ़ कहाँ स्थित है?

उत्तर : मुजफ्फरपुर

16. मलिक इब्राहीम बैया का मकबरा कहाँ स्थित है?

उत्तर : बिहारशरीफ

17. राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर : 4595 किमी.

18. मौर्यकालीन राजप्रासाद के निर्माण में किस क्षेत्र के लाल बलुआ-पत्थर का प्रयोग किया गया?

उत्तर : उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र

19. किस कर्णाट शासक के समय 'पंजी प्रबंध' का विकास हुआ?

उत्तर : हरि सिंह

20. मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : कैमूर

Set-2

1. 'गेहूँ और गुलाब' बिहार के किस साहित्यकार की रचना है?

उत्तर : रामवृक्ष बेनीपुरी (1994 ई.)

2. बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है?

उत्तर : भागलपुर

3. नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : जमुई

4. बिहार स्कूल ऑफ योगा (मुंगेर) की स्थापना किसने की?

उत्तर : स्वामी सत्यानंद सरस्वती (1963 ई.)

5. 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानकाह किस स्थल पर अवस्थित है?

उत्तर : फुलवारीशरीफ, पटना

6. बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं?

उत्तर : 1

7. राज्य में छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई?

उत्तर : 15 अगस्त, 2006

8. बिहार गृहस्थल योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई?

उत्तर : 2010-11

9. बुद्ध स्मृति स्तूप-सह-सम्यक् दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है?

उत्तर : वैशाली

10. क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है?

उत्तर : 10वाँ

11. बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर : राजधारी सिन्हा

12. काकोलत झरना किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : नवादा

13. बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी?

उत्तर : प्रो. ज्ञान साहा

14. बिड़ला मंदिर, पटना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?

उत्तर : राजबलदेव दासजी बिड़ला

15. अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है?

उत्तर : तसर

16. किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी?

उत्तर : स्मार्ट गंगा सिटी योजना

17. किस युद्ध के पश्चात् लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त, 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई?

उत्तर : बक्सर युद्ध

18. किस खनिज से गंधक निकलता है?

उत्तर : पायराइट

19. किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवस भी कहा जाता है?

उत्तर : केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप

20. मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष पटना के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं?

उत्तर : कुम्हार

Set-3

1. 'पद्मश्री' सीया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदंबा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं?

उत्तर : मिथिला कला

2. बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है?

उत्तर : शशिकला देवी

3. राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है?

उत्तर : देशी मांगुर

4. किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था?

उत्तर : अकबर

5. अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' पानेवाले मैथिली लेखक का नाम क्या है?

उत्तर : साकेतानंद की

6. लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है?

उत्तर : लाल-पीली मिट्टी

7. किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है?

उत्तर : शिला राजादेश

8. सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था?

उत्तर : गुरु गोविंद सिंह

9. किस विद्वान् के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था?

उत्तर : कौटिल्य

10. उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : प. चंपारण

11. गंगानारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है?

उत्तर : भूमिज विद्रोह

12. 'बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016' किस वित्तीय वर्ष में अधिसूचित किया गया?

उत्तर : 2016-17

13. प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे?

उत्तर : 22 दिसंबर, 1921

14. संथाल परगना जिला की स्थापना कब की गई थी?

उत्तर : 30 नवंबर, 1856

15. रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था?

उत्तर : शिताब राय

16. नेपाल एवं भारत में 1959 ई. में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था?

उत्तर : मंडक

17. किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बाँध बनाया गया है?

उत्तर : कोसी

18. श्वेतपुर, कोटिग्राम, कुशपल्लव, विशालानगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना जाता है?

उत्तर : चेचर

19. बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तर : 9 अगस्त

20. किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दानस्वरूप दिए थे?

उत्तर : धर्मपाल

Set-4

1. पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है?

उत्तर : महिपाल

2. प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक धुव को पराजित करनेवाले पाल शासक का नाम क्या था?

उत्तर : धर्मपाल

3. भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है?

उत्तर : तबकाते नासिरी

4. अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था?

उत्तर : सतीप्रथा

5. शैफ खान के मदरसे (पटना) का किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 ई. में भ्रमण किया था?

उत्तर : अहमद बहानी

6. किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोधकार्य किया है?

उत्तर : ऐरिक स्मिथ

7. 'कलि का अंश', 'सर्वक्षत्रांतक', 'दूसरे परशुराम का अवतार', 'भार्गव', 'एकराट' आदि किस राजा को कहा गया है?

उत्तर : महापद्मनंद

8. मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करनेवाले राजा का नाम क्या था?

उत्तर : शिशुनाग

9. पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया?

उत्तर : उदायिन

10. किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था?

उत्तर : उद्धिन

11. भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : सहरसा

12. द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना गया?

उत्तर : शेर खान

13. अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है?

उत्तर : शेरशाह

14. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी?

उत्तर : कुमारगुप्त प्रथम

15. मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासन काल में पड़ा था?

उत्तर : चंद्रगुप्त मौर्य

16. मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करनेवाले शासक का नाम क्या था?

उत्तर : बिंबिसार

17. पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया?

उत्तर : शेरशाह सूरी

18. किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही?

उत्तर : कालाशोक

19. सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है?

उत्तर : सूर शैली या अफगान शैली

20. चार्वाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था?

उत्तर : लोकायत संप्रदाय

Set-5

1. बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है?

उत्तर : जमुई

2. पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था?

उत्तर : फर्रूखसियार

3. बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है?

उत्तर : अनूप लाल मंडल

4. किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई?

उत्तर : 20वीं

5. बिहार छात्र परिषद् को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था?

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

6. रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है?

उत्तर : कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख

7. किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है?

उत्तर : संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना

8. गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है?

उत्तर : संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना

9. राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.97 प्रतिशत) किस दशक में थी?

उत्तर : 1911 से 1921 ई.

10. बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है?

उत्तर : नेपाल

11. बिहार महिला सामाख्या सोसाइटी के नाम से महिला सामाख्या को स्वायत्तता किस वर्ष प्राप्त हुई?

उत्तर : अप्रैल, 2006

12. राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई?

उत्तर : 1962 ई.

13. जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ?

उत्तर : बृहद्रथ

14. मिथिला का 'स्वर्ण युग' किस वंश के शासन काल को कहा जाता है?

उत्तर : कर्णाट वंश

15. 'कौशिकी' किस वस्तु का ब्रांड नाम है?

उत्तर : रेशम धागा

16. सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है?

उत्तर : सुरक्षित वन

17. पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में है?

उत्तर : भगवती सूत्र

18. नंगी हड़ताल (1930 ई.) किस जेल के कैदियों ने की थी?

उत्तर : छपरा जेल

19. बिहार के प्रसिद्ध लोककवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता हैं?

उत्तर : विदेशिया

20. बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है?

उत्तर : किशनगंज

Set-6

1. सुमागंधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है?

उत्तर : सकरी नदी

2. लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है?

उत्तर : घाघरा (सरयू)

3. इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 ई. में किस नदी पर किया गया?

उत्तर : सोन नदी

4. 'भारत का सिराज' किस नगर को कहा जाता था?

उत्तर : जौनपुर

5. मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है?

उत्तर : कामोत्तेजना

6. प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी?

उत्तर : राजगीर

7. रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ किस अभिलेख में वर्णित हैं?

उत्तर : जूनागढ़

8. अशोक को 'बुद्ध शाक्य' किस अभिलेख में कहा गया है?

उत्तर : मास्की

9. अशोक को 'प्रियदर्शी' किस अभिलेख में कहा गया है?

उत्तर : भाब्रू

10. पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था?

उत्तर : 30 वर्ष

11. राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है?

उत्तर : अनुच्छेद 356

12. भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जा सकती है?

उत्तर : अनु. 352

13. किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है?

उत्तर : अभिधम्मपिटक

14. बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है?

उत्तर : विनयपिटक

15. बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है?

उत्तर : अभिधम्मपिटक

16. पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है?

उत्तर : अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र

17. बिहार में कालिदास किस लोककवि को माना जाता है?

उत्तर : भिखारी ठाकुर

18. बिहार के सूबेदार दरिया खान नूहानी ने किस लोदी शासक के समय में विद्रोह किया?

उत्तर : इब्राहीम खान लोदी

19. किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग-अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी?

उत्तर : गिरनार लेख

20. किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं?

उत्तर : मुख्यमंत्री

Set-7

1. बौद्ध संघ में किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित था?

उत्तर : 15 वर्ष

2. बिहार के दो प्रमुख नेता कौन थे, जो 'हरिजन सेवक संघ' से जुड़े थे?

उत्तर : जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी

3. बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई, 1930 को 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' चलाने का निर्णय लिया?

उत्तर : अनुग्रह नारायण सिंह

4. किस कानून के तहत 9 अगस्त, 1942 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था?

उत्तर : भारत रक्षा अधिनियम

5. स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी कहाँ के निवासी थे?

उत्तर : चैनपुर, सीतामढ़ी

6. केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था?

उत्तर : गया षड्यंत्र

7. प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था?

उत्तर : बख्तियार खिलजी

8. शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था?

उत्तर : कालाशोक

9. अशोक का कौशांबी लेख किस राज्य में स्थित है?

उत्तर : उत्तर प्रदेश

10. 185 ई. में पाटलिपुत्र पर किस इंडो-बैक्ट्रियन शासक ने आक्रमण किया था?

उत्तर : डिमेट्रियस

11. इल्लुतमिश के समय 1211 ई. में किसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया था?

उत्तर : गयासुद्दीन

12. पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था?

उत्तर : 1976, लखनऊ अधिवेशन

13. 'होमरूल आंदोलन' के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थीं?

उत्तर : 18 अप्रैल, 1918

14. चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जानेवाला कर का क्या नाम था?

उत्तर : पैन खर्च

15. 'खिलाफत आंदोलन' के क्रम में बिहार में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन किया गया?

उत्तर : 19 मार्च, 1920

16. अप्रैल, 1930 में 'नमक आंदोलन' में बिहार के किस नेता ने गांधीजी के साथ भाग लिया था?

उत्तर : गिरिवरधारी चौधरी (कारो बाबू

17. बिहार के क्रांतिकारी नेता वैकुण्ठ शुक्ल कहाँ के रहनेवाले थे?

उत्तर : जलालपुर, वैशाली

18. अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त, 1942 को पटना में महिलाओं के जुलूस की नेतृत्वकर्त्री महिला कौन थीं?

उत्तर : भगवती देवी

19. मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?

उत्तर : सैयद इमदाद अली

20. 'चंदायन' के रचनाकार कौन हैं?

उत्तर : मुल्ला दाऊद

Set-8

1. सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था?

उत्तर : बिंदुसार

2. बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि किस रानी का अन्य नाम हैं?

उत्तर : राजकुमारी यशोधरा

3. मिथिला शैली में बाँस की आकृति किसका प्रतीक है?

उत्तर : वंशवृद्धि

4. बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ?

उत्तर : श्री दीपनारायण सिंह

5. राज्य में सर्वप्रथम मानसून किस कृषि उप-जोन में आता है?

उत्तर : जोन-II

6. जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : पटना

7. कोसल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासन काल में मिला लिया गया था?

उत्तर : अजातशत्रु

8. चंद्रगुप्त मौर्य को 'भारत का मुक्तिदाता' किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है?

उत्तर : यूनानियों से

9. चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है?

उत्तर : रक्षा

10. 'इंडिका' नामक पुस्तक किसकी रचना है?

उत्तर : मेगास्थनीज

11. बोधगया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देनेवाले कौन थे?

उत्तर : कनिंघम

12. महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक 'खुलासत-उत-तवारीख' किसकी रचना है?

उत्तर : महाराजा कल्याण सिंह

13. बिहार का शासक बनने के बाद 'हजरत-ए-आला' की पदवी किसने धारण की थी?

उत्तर : शेरशाह

14. वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी?

उत्तर : महान सम्राट् अशोक

15. नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था?

उत्तर : बख्तियार खिलजी

16. कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन्य जीव, जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है?

उत्तर : 13

17. महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने समय की कठोर तपस्या के बाद हुई?

उत्तर : 12 वर्ष

18. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर किन ब्रिटिश शासकों ने टिप्पणी लिखी?

उत्तर : कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज एवं विलियम डिग्बी

19. भारतीय पुरातत्त्व विज्ञान का जनक किनको कहते हैं?

उत्तर : कनिंघम

20. किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था?

उत्तर : शेरशाह, दिल्ली

1. मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्योहार क्या है?

उत्तर : कोजगरा

2. बिहार का पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है?

उत्तर : जोन-V

3. सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोप्ट्स आदि नामों से किस राजा को जाना जाता है?

उत्तर : चंद्रगुप्त मौर्य

4. मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है?

उत्तर : मांसलता

5. अगस्त, 2016 में नगर निगम का दर्जा किस नगर को प्रदान किया गया है?

उत्तर : छपरा

6. राबड़ी देवी बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री बनीं?

उत्तर : तीन बार

7. शिव मंदिर, बैकठपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?

उत्तर : राजामान सिंह

8. मिथिला शैली में हाथी और घोड़े की आकृति किसका प्रतीक है?

उत्तर : ऐश्वर्य

9. आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए?

उत्तर : जयराम दास दौलत राम

10. विद्यापति की माता का नाम क्या था?

उत्तर : हासिनी देवी

11. मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 1951 ई.

12. बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित है?

उत्तर : पूर्वी चंपारण

13. 'मिशन इंद्रधनुष' की शुरुआत बिहार राज्य के कितने जिलों में की गई?

उत्तर : चौदह

14. जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है?

उत्तर : पूर्वी चंपारण

15. हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगलागौरी मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : गया

16. कौन नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है?

उत्तर : सोन नदी

17. हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है?

उत्तर : बौद्धमठ

18. हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है?

उत्तर : कर्मनाशा नदी

19. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है?

उत्तर : बरौनी

20. भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 1887 ई.; कुतुबपुर (सारण)

Set-10

1. पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है?

उत्तर : गया

2. दिल्ली-मेरठ स्तंभलेख पहले कहाँ था?

उत्तर : मेरठ

3. रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है?

उत्तर : बटाईदारी अधिनियम

4. रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 1935

5. थंका चित्रशैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं?

उत्तर : पटना संग्रहालय, पटना

6. थंका शैली किस प्रकार की शैली है?

उत्तर : तिब्बती शैली

7. किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था?

उत्तर : काशी

8. शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था?

उत्तर : कालाशोक

9. मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है?

उत्तर : शांति

10. सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था?

उत्तर : छंदक

11. गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के अश्व का क्या नाम था?

उत्तर : कंथक

12. सिद्धू और कान्हू को कहाँ फाँसी दी गई थी?

उत्तर : बरहेट

13. सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जन्मतिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है?

उत्तर : प्रकाश पर्व

14. सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है?

उत्तर : गेहूँ

15. सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

उत्तर : बरौनी

16. विद्यापति के पिता का नाम क्या था?

उत्तर : गणपति ठाकुर

17. सितंबर, 2009 से प्रारंभ अक्षर आँचल योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर : महिला साक्षरता को बढ़ाना

18. छिन्नमस्तिका मंदिर, उच्चौठ कहाँ स्थित है?

उत्तर : मधुबनी

19. दिल्ली की राजगद्दी पर बैठनेवाला पहला बिहारी कौन था?

उत्तर : शेरशाह सूरी

20. बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है?

उत्तर : आठ बार

Set-11

1. दिल्ली-मेरठ स्तंभलेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया?

उत्तर : फिरोजशाह तुग़लक

2. आजाद दस्ते का गठन बिहार में किनके द्वारा किया गया?

उत्तर : जयप्रकाश नारायण

3. विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : गया

4. वर्ष 2011-12 में बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी थी?

उत्तर : 3.5

5. विश्व का सबसे ऊँचा कहा जानेवाला 'विश्व शांति स्तूप' बिहार में कहाँ है?

उत्तर : राजगीर

6. बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है?

उत्तर : विधानपरिषद्

7. विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है?

उत्तर : वज्जि संघ (वैशाली)

8. मुंगेर के बड़हिया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था?

उत्तर : बकाशत भूमि की वापसी की माँग

9. विधानसभा को भंग कौन कर सकता है?

उत्तर : राज्यपाल

10. विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

उत्तर : भागलपुर

11. विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम-से-कम कितने दिन की पूर्व सूचना से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पास कराके पद से हटाया जा सकता है?

उत्तर : चौदह

12. विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएँ किस भाषा में हैं?

उत्तर : मैथिली

13. विश्वविख्यात सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर कब लगता है?

उत्तर : कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर लगभग एक माह तक

14. विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था?

उत्तर : हरिमिश्र

15. मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृतियाँ किसकी प्रतीक हैं?

उत्तर : जीवन

16. सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था?

उत्तर : 23 जून, 1757

17. कोसी परियोजना से किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ होता है?

उत्तर : बिहार और नेपाल

18. विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई?

उत्तर : 15 अगस्त, 1995

19. विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर रह गया?

उत्तर : 94,163 वर्ग किलोमीटर

20. फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा-उल-सफा क्या था?

उत्तर : खैराती अस्पताल

1. विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है?

उत्तर : वित्त विभाग

2. विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे?

उत्तर : राजा जनक

3. विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया?

उत्तर : लिच्छवी

4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं?

उत्तर : जिला पदाधिकारी

5. विष्णुपद मंदिर का नव-निर्माण किसके द्वारा कराया गया है?

उत्तर : इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर

6. विश्व का सबसे लंबा सड़क-पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है?

उत्तर : बिहार

7. विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?

उत्तर : राज्यपाल

8. महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : कुसुमपुर, पटना

9. विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी?

उत्तर : धर्मपाल

10. विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है?

उत्तर : राज्यपाल

11. कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है?

उत्तर : पश्चिम बंगाल

12. विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी कहाँ स्थित है?

उत्तर : भागलपुर

13. विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : बेनीपट्टी

14. विजय प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है?

उत्तर : वीतराग

15. 'विनयपिटक' का संकलन किसके द्वारा किया गया है?

उत्तर : उपाली

16. बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग लुप्रायः बदलती रहती है?

उत्तर : कोसी

17. चिराँद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ?

उत्तर : 1962 ई.

18. बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

उत्तर : 1956 ई.

19. चिराँद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है?

उत्तर : गंगा नदी

20. राज्य में किस स्तर पर इ-किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर : प्रखंड स्तर पर

Set-13

1. तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल किस कुल का था?

उत्तर : पुंड्रवर्धन (बंगाल) बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल

2. सात धाराओं से मिलकर बननेवाली नदी कौन सी है?

उत्तर : कोसी

3. जिला नियोजन एवं विकास परिषद् का प्रधान कौन होता है?

उत्तर : जिला विकास पदाधिकारी

4. राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?

उत्तर : 1950 ई.

5. जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?

उत्तर : जिलाधिकारी

6. राज्य की कौन सी फसल, जो रबी की प्रकार नहीं है, फरवरी-मार्च में काटी जाती है?

उत्तर : अरहर

7. बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है?

उत्तर : पटना

8. कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है?

उत्तर : बूढ़ी गंडक

9. बिहार आनेवाला कौन सा यात्री सेल्यूकस का राजदूत था?

उत्तर : मेगास्थनीज

10. बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है?

उत्तर : झारखंड

11. विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया?

उत्तर : 1990

12. करनाली किस नदी का दूसरा नाम है?

उत्तर : घाघरा

13. कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं?

उत्तर : राष्ट्रीय राजमार्ग-2

14. बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है?

उत्तर : रोहतास

15. बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था?

उत्तर : 1977 ई.

16. किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है?

उत्तर : पटना विश्वविद्यालय

17. बिहार पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना कितनी स्तरीय है?

उत्तर : त्रिस्तरीय

18. चिरौंद का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ है?

उत्तर : चैरो शासक

19. 'गीता रहस्य' के रचयिता कौन हैं?

उत्तर : बाल गंगाधर तिलक

20. लगुई डांस शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है?

उत्तर : बिहार

Set-14

1. लोथल किस सभ्यता का एक बंदरगाह था?

उत्तर : हड़प्पा

2. मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?

उत्तर : घनानंद

3. किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी?

उत्तर : चंद्रगुप्त

4. कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था?

उत्तर : तक्षशिला

5. बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है?

उत्तर : तीन राज्य

6. निर्ग्रंथी का क्या अर्थ है?

उत्तर : बंधन से मुक्त होना

7. लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है?

उत्तर : 25वाँ

8. लिच्छवी दौहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया है?

उत्तर : समुद्रगुप्त

9. हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक किस साम्राज्य का संस्थापक था?

उत्तर : मगध साम्राज्य

10. भारत के महान् ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था?

उत्तर : पाटलिपुत्र

11. उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जल प्रपात स्थित है?

उत्तर : दुर्गावती

12. सुयोधन किस राज्य के राजा थे?

उत्तर : कपिलवस्तु

13. हर्यक वंश के बाद किस वंश का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ?

उत्तर : शिशुनाग वंश

14. गुप्त युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे?

उत्तर : धनवंतरि

15. हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की थी?

उत्तर : शिशुनाग

16. कनहर नदी पर कौन सा जल प्रपात स्थित है?

उत्तर : सुखलदरी

17. धुआँकुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है?

उत्तर : काव

18. चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कौन था?

उत्तर : विष्णुगुप्त

19. हेमचंद्र गुजरात के किस वंश के दरबार में रहनेवाला विद्वान् था?

उत्तर : चालुक्य

20. हजरत मलिक और शेख मखदूम शाह शर्फुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है?

उत्तर : नालंदा जिले में स्थित पीर पहाड़ी पर

Set-15

1. किस विद्वान् के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार-वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था?

उत्तर : प्लिनी

2. भीमबाँध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : मुंगेर

3. भारत के किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था?

उत्तर : बिहार

4. भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है?

उत्तर : 445 किलोमीटर

5. भारत का प्रथम साम्राज्य कौन है?

उत्तर : मगध साम्राज्य

6. भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल 'अब्दुल बारी पुल' बिहार में किस नदी पर है?

उत्तर : सोन नदी

7. मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है?

उत्तर : दरभंगा

8. 'मिशन इंद्रधनुष' की शुरुआत बिहार में कब की गई?

उत्तर : 7 अप्रैल, 2015

9. बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होनेवाली कौन सी नदी है?

उत्तर : बूढ़ी गंडक

10. हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था?

उत्तर : अजातशत्रु

11. देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 3 दिसंबर, 1884, जीरादेई (सिवान)

12. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् के प्रधान 'मुख्यमंत्री' की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं?

उत्तर : अनुच्छेद 164

13. संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है?

उत्तर : अनुच्छेद 170

14. भारत में 2015 की HDI रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस स्थान पर है?

उत्तर : 21वाँ

15. हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र (जोन) का मुख्यालय है?

उत्तर : पूर्वी-केंद्रीय

16. भारत में 2015 के HDI रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन राज्य है?

उत्तर : केरल

17. भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन है?

उत्तर : तबकाते नासिरी

18. भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी?

उत्तर : 1872

19. 'वहाबी आंदोलन' के नेतृत्वकर्ता कौन थे?

उत्तर : सैयद अहमद बरेलवी (उत्तर प्रदेश)

20. भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ?

उत्तर : लॉर्ड मेयो

Set-16

1. लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है?

उत्तर : मुजफ्फरपुर

2. भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर : 2005

3. भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में कब की गई?

उत्तर : 29 अक्टूबर, 1920

4. इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है?

उत्तर : हर्यक वंश

5. भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे?

उत्तर : जयप्रकाश नारायण

6. भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया?

उत्तर : 1961 ई.

7. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया?

उत्तर : 72

8. भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है?

उत्तर : मधेपुरा

9. रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगाँठ कब मनाई?

उत्तर : 2005

10. संविधान की मूल प्रति को अंलकृत करने का कार्य किसने किया था?

उत्तर : नंदलाल बोस

11. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष

का पद निर्धारित किया गया है?

उत्तर : अनुच्छेद-178

12. सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है?

उत्तर : अमरकंटक

13. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं?

उत्तर : अनुच्छेद-157

14. भारतीय संविधान के अनु. 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है?

उत्तर : विधानपरिषद्

15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है?

उत्तर : 500

16. भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?

उत्तर : 1955 ई.

17. भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं?

उत्तर : लोकायत संप्रदाय

18. भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?

उत्तर : अजित केशकंबली

19. मॉरीशस में बोली जानेवाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन है?

उत्तर : भोजपुरी

20. बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है?

उत्तर : कैमूर

Set-17

1. किस तिथि को समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी?

उत्तर : 3 मार्च, 2000

2. भारतीय संघ का 28वाँ राज्य कौन सा बना?

उत्तर : झारखंड

3. भागलपुर में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हैं?

उत्तर : रेशम उद्योग

4. पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है?

उत्तर : अमझोर

5. भुलनी धाम किस जिले में स्थित है?

उत्तर : रोहतास

6. भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे?

उत्तर : आचार्य नरेंद्र देव

7. भूमि सेना का गठन कब हुआ था?

उत्तर : 1979 ई.

8. किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है?

उत्तर : खादर

9. 'राजतरंगिणी' में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है?

उत्तर : कश्मीर

10. भगवान् बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी?

उत्तर : निरंजना नदी

11. धान एवं गेहूँ की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है?

उत्तर : दोमट मिट्टी

12. ग्रांड ट्रंक सड़क की मरम्मत किस राजा के द्वारा की गई थी?

उत्तर : शेरशाह सूरी

13. पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे?

उत्तर : निर्गुण

14. पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष कितने वन दिवसों के आयोजन का निर्णय लिया गया है?

उत्तर : 11

15. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक मानचित्र तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है?

उत्तर : 'ए जर्नी थ्रू बिहार'

16. आम्र वर्षा क्या है?

उत्तर : मार्च-अप्रैल में होनेवाली वर्षा

17. पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?

उत्तर : राज्य सरकार

18. पंचायती राज प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था कौन होती है?

उत्तर : जिला परिषद्

19. 'परिशिष्टिपर्वण' की रचना किसके द्वारा की गई है?

उत्तर : हेमचंद्र

20. पश्चिमी चंपारण स्थित रामपुरवा की खोज किसके द्वारा की गई?

उत्तर : क्लाइल (1899 ई.)

Set-18

1. पहली बार 22 मार्च, 2010 को प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया?

उत्तर : गांधी मैदान में

2. परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा कब से की गई?

उत्तर : वर्ष 2014

3. शेरशाह के समय परगना प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था?

उत्तर : शिकदार

4. सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है?

उत्तर : गंगा

5. पापहरणी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

उत्तर : भागलपुर

6. राज्य का सर्वाधिक ठंडवाला जिला कौन सा है?

उत्तर : गया

7. पादरी की हवेली कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना सिटी

8. पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी?

उत्तर : 1863 ई.

9. भगवान् महावीर का जन्मस्थान कुंडग्राम किस जिले में स्थित है?

उत्तर : वैशाली

10. पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था?

उत्तर : अपपुर

11. पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 1863 ई.

12. पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे?

उत्तर : केशी

13. मंडल आयोग का गठन किस विषय की जाँच के लिए किया गया था?

उत्तर : पिछड़ा वर्ग

14. पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है?

उत्तर : दूध

15. पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की?

उत्तर : उदयन

16. पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था?

उत्तर : वारेन हेस्टिंग्स

17. त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है?

उत्तर : गंडक

18. पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था?

उत्तर : अजातशत्रु ने

19. गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?

उत्तर : रानी अहिल्याबाई

20. पाल वंश का संस्थापक कौन था?

उत्तर : गोपाल

Set-19

1. पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था?

उत्तर : गोपाल

2. पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी?

उत्तर : शुंग वंश

3. पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जानेवाला नृत्य कौन सा है?

उत्तर : पवड़िया नृत्य

4. पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है?

उत्तर : फतुहा के समीप

5. पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं?

उत्तर : बाँगर मिट्टी

6. बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना?

उत्तर : 42.35 प्रतिशत

7. पूर्वी-पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरनेवाले कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं?

उत्तर : NH-28 और NH-31

8. पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था?

उत्तर : 1621 ई., परवेज शाह

9. पैंतीस वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे किस कन्या के हाथ से तपस्या के 49वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?

उत्तर : सुजाता

10. बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है?

उत्तर : गंगा हुगली

11. पादरी की हवेली का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था?

उत्तर : 1751 ई., कपुचिन फादर्स

12. पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे?

उत्तर : पीर अली खान

13. उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बाँटा गया है?

उत्तर : 3

14. दीदारगंज (पटना) से प्राप्त स्त्री-रत्न या यक्षी की मूर्ति का क्या नाम दिया गया है?

उत्तर : चामरग्राहिणी मूर्ति

15. गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : गया

16. नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें बनाया गया?

उत्तर : ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

17. गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?

उत्तर : कैप्टन जॉन गासटिन (1786 ई.)

18. पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : कंपनी शैली

19. पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे?

उत्तर : ईश्वरी प्रसाद वर्मा

20. पार्श्वनाथ के पिता कौन थे?

उत्तर : काशी के राजा अश्वसेन

Set-20

1. पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है?

उत्तर : 67

2. गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में काँप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है?

उत्तर : दियारा

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ राज्य में पटना जिले से कब किया गया?

उत्तर : 25 जुलाई, 2015

4. 'वहाबी आंदोलन' का नेतृत्व पटना में किसने किया था?

उत्तर : विलायत अली एवं इनायत अली

5. गोलघर किस शहर में स्थित है?

उत्तर : पटना

6. पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 1 अक्टूबर, 1917

7. 'रश्मिरथी' के रचयिता कौन हैं?

उत्तर : रामधारी सिंह दिनकर

8. पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनाए गए थे?

उत्तर : जे.जी. जेविंग्स

9. सोमेश्वर पहाड़ी की ऊँचाई कितनी है?

उत्तर : 880 मीटर

10. पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है?

उत्तर : सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (सी.आर.डी.)

11. पटना शैली के किस पारखी को 'पोर्ट्रेट की सर्जना' का आचार्य कहा जाता है?

उत्तर : राधामोहन बाबू

12. दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है?

उत्तर : मौर्य काल

13. पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई?

उत्तर : 1917 ई.

14. बिहार विधानसभा का लघुप्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?

उत्तर : प्रो. श्री अब्दुल बारी

15. हिंदू ब्याँज एसोसिएशन का गठन किसने किया?

उत्तर : बंकिम चंद्र

16. बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए?

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

17. प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है?

उत्तर : हाजीपुर

18. पूर्णरूप से पहला भारतीय बैंक कौन है?

उत्तर : पंजाब नेशनल बैंक

19. पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है?

उत्तर : 483 किलोमीटर

20. पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है?

उत्तर : 44 किलोमीटर

Set-21

1. पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर : 293 किलोमीटर

2. पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

उत्तर : सर फैजल अली

3. प्रयाग स्तंभलेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था?

उत्तर : अकबर

4. प्रयाग स्तंभलेख पहले कहाँ स्थित था?

उत्तर : कौशांबी

5. प्रखंड प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?

उत्तर : प्रखंड विकास पदाधिकारी

6. प्रमंडल प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं?

उत्तर : प्रमंडलीय आयुक्त

7. प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?

उत्तर : महाकस्सप

8. भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए?

उत्तर : बिहार

9. बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी?

उत्तर : 4 मार्च, 1928

10. मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं?

उत्तर : राज्यपाल

11. बौद्ध धर्म में 12 चक्र हैं, इन्हें क्या कहा गया है?

उत्तर : द्वादश निदान

12. प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था?

उत्तर : ई.पू. छठी शताब्दी

13. पहली बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया?

उत्तर : डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

14. पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालयाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे?

उत्तर : बाबू शरदचंद्र राय

15. प्रथम बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?

उत्तर : श्री रामदयालू सिंह

16. श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार हैं?

उत्तर : मंजूषा शैली

17. श्रीहरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है?

उत्तर : पटना साहिब, पटना

18. प्रथम शासक कौन था, जिसने शुद्ध चाँदी का रुपया चलाया?

उत्तर : शेरशाह

19. प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी?

उत्तर : स्थूलभद्र

20. प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?

उत्तर : पाटलिपुत्र में

Set-22

1. पहली जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था?

उत्तर : चंद्रगुप्त मौर्य

2. प्रथम अंग्रेजी समाचार-पत्र 'द बिहार हेराल्ड' का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था?

उत्तर : गुरु प्रसाद सेन

3. प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : नालंदा

4. मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में थे?

उत्तर : कृति सिंह एवं शिव सिंह

5. चीनी यात्री फाहियान ने मगध सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को क्या कहा था?

उत्तर : देव निर्मित महल

6. प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी?

उत्तर : मगही

7. भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है?

उत्तर : चंद्रगुप्त मौर्य

8. प्रसेनजित की किस पुत्री के साथ विवाह कर अजातशत्रु ने संघर्ष को समाप्त किया था?

उत्तर : वाजिरा

9. प्रसेनजित ने पराजित होने पर कहाँ शरण ली थी?

उत्तर : श्रावस्ती

10. बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्युनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक् किया

गया?

उत्तर : मांटैग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1919

11. बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात् पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए?

उत्तर : 2001

12. 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया?

उत्तर : अप्रैल, 2008

13. रणवीर सेना का गठन कब हुआ था?

उत्तर : 1994 ई.

14. रमेश सक्सेना का संबंध किस खेल से है?

उत्तर : निशानेबाजी

15. 'रवि मेहता शील्ड' किस खेल से संबंधित है?

उत्तर : वॉलीबॉल

16. प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थीं?

उत्तर : 98

17. प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त कीं?

उत्तर : 20

18. श्रीराम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बननेवाले पहले बिहारी कौन थे?

उत्तर : संजय उपाध्याय

19. श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गर्वनर था?

उत्तर : उज्जैन

20. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 11 सितंबर, 1908, सिमरिया ग्राम (बेगूसराय)

Set-23

1. राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया?

उत्तर : वर्ष 2014

2. राष्ट्रीय सम विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?

उत्तर : राज्य पथ का निर्माण

3. गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है?

उत्तर : 56980

4. राष्ट्रीय राजमार्ग-2 किन दो स्थानों को जोड़ता है?

उत्तर : कोलकाता-दिल्ली

5. वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी?

उत्तर : पश्चिमी चंपारण, 1989 ई.

6. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति से 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में कुल कितने बाघ हैं?

उत्तर : 28 बाघ

7. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए?

उत्तर : 33.33 प्रतिशत

8. नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था?

उत्तर : बख्तियार खिलजी

9. राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद् द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है?

उत्तर : राजगीर

10. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया?

उत्तर : 1978 ई.

11. NREGA का नाम कब परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया?

उत्तर : 2 अक्टूबर, 2009

12. रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है?

उत्तर : क्रिकेट

13. गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : कटैल-केवाल मिट्टी

14. खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया?

उत्तर : पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर

15. बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर : उदयनाश्रयण चौधरी

16. राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है?

उत्तर : सीतामढ़ी

17. बिहार विधानपरिषद् की प्रथम महिला सभापति कौन थीं?

उत्तर : नईमा खातून

18. रामशरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं?

उत्तर : इतिहासकार

19. रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?

उत्तर : मौलाना अबुल कलाम आजाद

20. रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है?

उत्तर : माधोलाल

Set-24

1. रागिनी गांधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है?

उत्तर : महादेव लाल

2. राहुल सांकृत्यायन 1920 के 'असहयोग आंदोलन' में किस क्षेत्र में सक्रिय थे?

उत्तर : छपरा

3. 'थावे' तीर्थस्थल बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : गोपालगंज

4. राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकते हैं?

उत्तर : 1

5. राज्य में रोगी को चिकित्सकीय परामर्श एवं शिकायत निवारण हेतु कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है?

उत्तर : डायल 1911

6. राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?

उत्तर : ग्रामपंचायत

7. राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में सन्निहित हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियाँ किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् को प्राप्त हैं?

उत्तर : मुख्यमंत्री

8. बिहार के किस मुख्यमंत्री को अपनी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण 'धोती-कुरता से आई.ए.एस.' कहा जाता है?

उत्तर : चंद्रशेखर सिंह

9. बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे?

उत्तर : अब्दुल गफूर

10. राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल किसके परामर्श से करता है?

उत्तर : मंत्रिपरिषद्

11. बिहार का एकमात्र व्याघ्र अभयारण्य 'वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण' का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है?

उत्तर : 899.38 वर्ग किलोमीटर

12. बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है?

उत्तर : 90 प्रतिशत

13. राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

उत्तर : राज्यपाल

14. बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर नहर से सिंचाई की जाती है?

उत्तर : 28.41 प्रतिशत

15. विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेवारी है?

उत्तर : कार्यपालिका

16. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

उत्तर : राज्यपाल

17. राज्य मंत्रिपरिषद् किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

उत्तर : विधानसभा के प्रति

18. 'बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड' बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : पटना

19. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

उत्तर : 1983 ई.

20. मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्य में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है?

उत्तर : हुनर

Set-25

1. छपरा, चंपारण एवं रोहतास जिलों में पाई जानेवाली जनजाति कौन सी है?

उत्तर : गोंड

2. खोंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है?

उत्तर : कृषि

3. सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है?

उत्तर : किशनगंज (6.6 प्रतिशत)

4. बिहार की बिरहोर जनजाति के निवासस्थल को क्या जाता है?

उत्तर : टांडा

5. गया जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?

उत्तर : 29.6 प्रतिशत

6. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 11 जून, 1975

7. राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी?

उत्तर : 20 मई, 1929, मोतिहारी

8. शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : गुलजारबाग (पटना)

9. ज्ञान-प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है?

उत्तर : निर्वाण

10. नगर निगमों की संख्या बिहार में कितनी है?

उत्तर : बारह

11. अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य के किस जिले का है?

उत्तर : मुंगेर (42.6 प्रतिशत)

12. राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन है?

उत्तर : शिवहर (16.9 प्रतिशत)

13. बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपातवाला जिला कौन है?

उत्तर : सीवान

14. राज्य में अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपातवाला जिला कौन है?

उत्तर : भागलपुर

15. अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की दर राज्य में कितनी है?

उत्तर : 923

16. अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर राज्य में कितनी प्रतिशत है?

उत्तर : 28.5 प्रतिशत

17. राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है?

उत्तर : मुख्यमंत्री

18. राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है?

उत्तर : राज्यपाल

19. राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था?

उत्तर : 1986 ई.

20. राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी?

उत्तर : अजातशत्रु

Set-26

1. राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों-स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है?

उत्तर : केसरिया, मनेर और शेरशाह का मकबरा

2. राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?

उत्तर : राज्यपाल

3. बिहार में कितने रेल मंडल स्थित हैं?

उत्तर : 4 (चार)

4. भगवान् नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ अवस्थित है?

उत्तर : बनमनखी (पूर्णिया)

5. संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है?

उत्तर : अनुच्छेद 153 से 162 तक

6. राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई?

उत्तर : बेगूसराय (426.89 प्रतिशत)

7. बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्यावाला जिला कौन सा है?

उत्तर : गया (29.6 प्रतिशत)

8. खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद् द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था कब घोषित किया गया?

उत्तर : 1969 ई.

9. बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है?

उत्तर : भारत छोड़ो आंदोलन से

10. राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रखा था?

उत्तर : अजीमाबाद

Downloaded From
www.studymasterofficial.com

11. संत फ्रांसिस ऑसिसी चर्च बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : मुजफ्फरपुर

12. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा किस जिले में स्थित है?

उत्तर : समस्तीपुर

13. बिहार छात्र परिषद् का गठन किसने किया था?

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

14. राजगृह की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व का सबसे ऊँचा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है?

उत्तर : रत्नगिरि पहाड़ी

15. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार में कहाँ स्थित है?

उत्तर : महेंदु, पटना

16. राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था?

उत्तर : महागोविंद

17. राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है?

उत्तर : गंगा

18. अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढाँचे की स्थापना की सलाह दी?

उत्तर : 2

19. कटिहार रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है?

उत्तर : उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे, गौहाटी

20. पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है?

उत्तर : शक्ति का विकेंद्रीकरण

Set-27

1. रागी के उत्पादन में भारत में बिहार किस स्थान पर है?

उत्तर : प्रथम

2. श्रुति जायसवाल किस खेल से संबंधित है?

उत्तर : टेनिस

3. रेगुलेटिंग ऐक्ट कब पारित हुआ था?

उत्तर : 1973 ई. में

4. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता कौन देता है?

उत्तर : निर्वाचन आयोग

5. रेल मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना

गया?

उत्तर : 9 स्टेशन

6. शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था?

उत्तर : देवभूति

7. शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी?

उत्तर : बसुमित्र

8. राज्य में वर्ष 2005 के अनुसार जन्म दर कितनी है?

उत्तर : 30.4 प्रति हजार

9. राज्य में न्यूनतम लिंगानुपातवाला जिला कौन सा है?

उत्तर : भागलपुर

10. शेरशाह ने भूमि की माप के लिए कौन सा माप प्रयोग किया?

उत्तर : सिंकदरी गज एवं सन की डंडी

11. ज्ञान-प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए?

उत्तर : कैवल्य

12. 'The Motherland' नामक समाचार-पत्र का प्रकाशन किसने किया?

उत्तर : मौलाना मजहरुल हक

13. बिहार विधानपरिषद् के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर : डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

14. बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?

उत्तर : सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा

15. शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की?

उत्तर : 185 ई.पू., पुष्यमित्र शुंग

16. शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर की गई थी?

उत्तर : वृहद्रथ

17. जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर, 1942 को किस जेल से फरार हुए?

उत्तर : हजारीबाग जेल

18. 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था?

उत्तर : माधव विदेह

19. लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 11 अक्टूबर, 1902, सिताब दियारा (सारण)

20. शेर खाँ का वास्तविक नाम क्या था?

उत्तर : फरीद

Set-28

1. शेर-ए-पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे?

उत्तर : लाला लाजपतराय

2. शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा कब निर्मित हुआ था?

उत्तर : 1545 ई.

3. ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए?

उत्तर : बोधिसत्व

4. शेरशाह की मृत्यु किस आग्नेयशास्त्र चलाते समय हुई थी?

उत्तर : उक्का

5. ज्ञान-प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?

उत्तर : राजगृह

6. शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था?

उत्तर : दिल्ली के निकट पँजवाड़ा में; 1472 ई.

7. ज्ञान-प्राप्ति के किस वर्ष बुद्ध वैशाली पहुँचे, जहाँ लिच्छवियों ने उन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था?

उत्तर : आठवें

8. शेरशाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था?

उत्तर : इब्राहीम खान सूर

9. 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' प्राप्त करनेवाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है?

उत्तर : डॉ. रामधारी सिंह 'दिनकर'

10. शेरशाह प्रशासन में मुहासिलाना क्या था?

उत्तर : कर संग्रह शुल्क

11. शेरशाह प्रशासन में विदेशी मामलों की देख-रेख कौन विभाग करता था?

उत्तर : दीवान-ए-रसालत या दीवान-ए-मोहतसिब

12. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया?

उत्तर : 11 नवंबर, 1908

13. वर्ष 1784 ई. में क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई?

उत्तर : तिलका माँझी

14. शेरशाह प्रशासन में जरीबाना क्या था?

उत्तर : सर्वेक्षण शुल्क

15. शेरशाह प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था?

उत्तर : दीवान-ए-वजारत

16. शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था?

उत्तर : सूजाद खान

17. स्यादवाद का अर्थ क्या होता है?

उत्तर : संभवतः

18. स्यादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : सप्तभंगी नय

19. संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश कौन बनाया गया था?

उत्तर : एशली एडेन

20. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है?

उत्तर : अनुच्छेद-213

Set-29

1. चूनापुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है?

उत्तर : पूर्णिया

2. बिहार में कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत ताप विद्युत (कोयला आधारित) के रूप में होता है?

उत्तर : 836 प्रतिशत

3. शेरशाह प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था?

उत्तर : दीवान-ए-इंशा

4. संविधान के अनुच्छेद-213 से राज्यपाल का अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी रहता है?

उत्तर : 6 माह

5. कहलगाँव सुपर थर्मल पावर की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

उत्तर : 1992 ई.

6. संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया है?

उत्तर : अवहट्ट

7. संत मखदूम शाह शेख शर्फुद्दीन का निवास स्थान कहाँ था?

उत्तर : मखदूम कुंड, राजगीर

8. संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना कुल कितने एकड़ भूमि में फैला है?

उत्तर : 153.00 एकड़

9. सबसे कम लिंगानुपातवाला जिला कौन है?

उत्तर : मुंगेर, (876)

10. शेरशाह प्रशासन में खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग का क्या नाम था?

उत्तर : दीवान-ए-बरीद

11. संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया है?

उत्तर : मैथिली

12. शेरशाह प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता था?

उत्तर : दीवान-ए-आरिज

13. सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ 'शतपथ ब्राह्मण' के रचयिता कौन हैं?

उत्तर : याज्ञवल्क्य

14. स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत कब बिहार के भागलपुर जिला को शामिल किया गया है?

उत्तर : मई 2016

15. समुद्र तल से बिहार की औसत ऊँचाई कितनी है?

उत्तर : 53 मीटर

16. सम्राट शाहआलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की?

उत्तर : 12 अगस्त, 1765 को

17. स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था?

उत्तर : महाकच्चायन

18. स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया?

उत्तर : जमींदारों

19. सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 10 नवंबर, 1871, आरा

20. सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है?

उत्तर : शाल वन

Set-30

1. 'सीयर-उल-मुताखरीन' की रचना किसने की?

उत्तर : गुलाम हुसैन तबतबाई

2. सभापति या उप-सभापति को सदस्यों के द्वारा कम-से-कम कितने दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है?

उत्तर : 14 दिन

3. सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 1868 ई., नालंदा जिले में

4. साक्षर भारत अभियान पूरे राज्य में किस वर्ष से लागू कर दिया गया है?

उत्तर : 2011 ई

5. साक्षरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है?

उत्तर : रोहतास (73.37 प्रतिशत)

6. साँझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है?

उत्तर : उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र

7. सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रो. इनायत अहमद ने 1959 ई. में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेश में विभाजित किया है?

उत्तर : 12

8. कहलगाँव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है?

उत्तर : 2340 मेगावाट

9. साँची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था?

उत्तर : सम्राट अशोक

10. सबौर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

उत्तर : भागलपुर

11. साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था?

उत्तर : 9 अगस्त, 1893

12. सारण के चिराँद एवं वैशाली के चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं?

उत्तर : नव प्रस्तर युग

13. सारनाथ स्थित भारत का राजकीय चिह्न किस तरह का स्तंभ है?

उत्तर : सिंह शीर्ष स्तंभ

14. सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, मरवात दर्रा किस पहाड़ी में स्थित हैं?

उत्तर : सोमेश्वर की पहाड़ी

15. सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : मधुबनी

16. सौराठ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

उत्तर : मधुबनी जिला

17. सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया था?

उत्तर : 1974 ई.

18. सबसे कम साक्षर जिला कौन है?

उत्तर : पूर्णिया (51.08 प्रतिशत)

19. बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राज्य के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : पटना

20. सबसे कम जनसंख्यावाला जिला कौन है?

उत्तर : शेखपुरा (6,36,342)

Set-31

1. सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है?

उत्तर : गंडक नदी

2. सोलह महाजनपदों में कौन-कौन से महाजनपद बिहार में स्थित थे?

उत्तर : मगध, अंग एवं वज्जि

3. सबसे कम जनसंख्या घनत्ववाला जिला कौन है?

उत्तर : कैमूर (848 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर)

4. सोलह वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था?

उत्तर : शाक्य गण की राजकुमारी यशोधरा

5. कोसी जल-विद्युत केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है?

उत्तर : कटैया

6. बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ?

उत्तर : 1937 ई.

7. स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ई. में किस सभा का गठन किया था?

उत्तर : अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा

8. बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई थी?

उत्तर : 2071 ई.

9. सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं?

उत्तर : मगही

10. राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्ववाला जिला कौन है?

उत्तर : मधेपुरा

11. सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है?

उत्तर : पटना (58,38,465)

12. लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?

उत्तर : पूर्णिया

13. सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है?

उत्तर : गया (29.6 प्रतिशत)

14. बिहार के किस जंतु वैज्ञानिक को 'डॉल्फिन मैन' के नाम से जाना जाता है?

उत्तर : डॉ. आर.के. सिन्हा

15. स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी थी?

उत्तर : 1952 ई.

16. भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ?

उत्तर : 1952 ई.

17. स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

उत्तर : न्यायमूर्ति सर क्लिपर्ड मनमोहन अग्रवाल

18. पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग की स्थापना कब की गई?

उत्तर : 1949 ई.

19. स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था?

उत्तर : आर्थिक स्थिति

20. सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?

उत्तर : अमरकंटक

Set-32

1. स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

उत्तर : श्रीकृष्ण सिंह

2. गांधीजी ने किसे 'देशभूषण' की उपाधि दी?

उत्तर : मौलाना मजहरुल हक

3. दिनकरजी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए?

उत्तर : रेणुका

4. देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ?

उत्तर : 2001

5. सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज (राजगृह) के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया?

उत्तर : शिशुनाग

6. अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया था?

उत्तर : जेम्स प्रिंसेप, 1837 ई.

7. प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है?

उत्तर : राजगीर

8. सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडेय का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 23 सितंबर, 1941, लोहटी गाँव (गोपालगंज)

9. अशोक के राज्यारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था?

उत्तर : बारहवें वर्ष

10. सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है?

उत्तर : न्यग्रोध गुहा

11. 'सुत्तपिटक' का संकलन किसके द्वारा किया गया है?

उत्तर : आनंद

12. अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है?

उत्तर : 'रूहेया'

13. सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की?

उत्तर : विलियम जॉंस

14. सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 1776 ई., उत्तर प्रदेश के रायबरेली

15. किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था?

उत्तर : 1821 ई.

16. सेंट जोसेफ चर्च, बाँकीपुर कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना

17. विख्यात सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं?

उत्तर : पटना कलम

18. सेन वंश की स्थापना किसने की थी?

उत्तर : लक्ष्मण सेन

19. दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था?

उत्तर : आर्यभट्ट

20. सेल्यूकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था?

उत्तर : हेलेना

Set-33

1. सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था?

उत्तर : मेगास्थनीज

2. सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन-कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे?

उत्तर : हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल

3. सन् 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था?

उत्तर : कुँवर सिंह ने

4. संन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : जलालपुर गाँव (वैशाली)

5. सन् 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर : चितरंजन दास

6. लोरिक मनियार क्या है?

उत्तर : बृहद गीतगाथा

7. स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे?

उत्तर : जयराम दास दौलतराम

8. सेन वंश का अंतिम शासक कौन था?

उत्तर : सामंत सेन

9. सनलाइट सेना का गठन कब हुआ था?

उत्तर : 1989 ई.

10. स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2015 के अनुसार बिहार में पाए जानेवाले कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत अतिसघन वन है?

उत्तर : 0.26 प्रतिशत

11. स्टूडेंट्स गाइडेंस सेंटर योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई?

उत्तर : 2009-10

12. लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 1887 ई., कुतुबपुर गाँव (सारण)

13. सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : औरंगाबाद

14. सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था?

उत्तर : भैरवेंद्र सिंह

15. सूखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है?

उत्तर : कनहर नदी

16. किस जेल में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त, 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया?

उत्तर : बाँकीपुर जेल

17. 'डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार' किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है?

उत्तर : विधि साहित्य

18. उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है?

उत्तर : संलेखना पद्धति (संथारा) एवं निसिद्धी

19. संथालों ने 1855-56 में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया?

उत्तर : भागलपुर राजमहल

20. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?

उत्तर : राज गोपालाचारी

Set-34

1. उड़ीसा-बिहार विधानपरिषद् के प्रथम सभापति कौन थे?

उत्तर : सर वाल्टर मांडे

2. निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?

उत्तर : आर वायड (1945 ई.)

3. उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?

उत्तर : पश्चिमी चंपारण

4. सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए दो विधियाँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर : लॉरेंज वक्र विधि एवं गिनी गुणांक विधि

5. गिनी गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया?

उत्तर : कोरेडो गिनी (1912 ई.)

6. उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में कहाँ का राज्यपाल था?

उत्तर : चंपा

7. उर्दू शायरी में बिहार का नाम रौशन करनेवाले शाह अजीमाबादी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 1846 ई., पटना

8. डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई?

उत्तर : 1853 ई.

9. उच्च न्यायालयों को अधिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है?

उत्तर : अनु. 215

10. उड़ीसा-बिहार विधानपरिषद् कब अस्तित्व में आई?

उत्तर : 7 फरवरी, 1921

11. उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है?

उत्तर : 345 किलोमीटर

12. लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक 'जयप्रकाश' के लेखक कौन हैं?

उत्तर : रामकृष्ण बेनीपुरी

13. उत्तर-नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है?

उत्तर : चिरौंद (सारण)

14. उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भू-भाग को क्या कहा जाता है?

उत्तर : चौर या मन

15. बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुई?

उत्तर : 1971-81 (24.16 प्रतिशत)

16. बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है?

उत्तर : किशनगंज (66 प्रतिशत)

17. भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया?

उत्तर : जुलाई, 1962

18. 'द बिहार हेराल्ड' का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था?

उत्तर : गुरु प्रसाद सेन (1875 ई.)

19. छठी सदी ईसा पूर्व मगध में किस धातु का भंडार था?

उत्तर : लौह

20. योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए प्रो. डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन कब किया गया?

उत्तर : 1989 ई.

Set-35

1. दक्षिण बिहार में प्रवाहित होनेवाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है?

उत्तर : सोन नदी

2. दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल किस ओर है?

उत्तर : दक्षिण से उत्तर की ओर

3. दीवान-ए-वजारत का प्रधान क्या कहलाता था?

उत्तर : वजीर

4. 'दांडी मार्च' में गांधीजी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था?

उत्तर : गिरिवरधारी चौधरी उर्फ 'कासी बाबू'

5. दाएँ से बाएँ लिखी जानेवाली लिपि कौन है?

उत्तर : खरोष्ठी लिपि

6. दशरथ माँझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई?

उत्तर : जून 2013

7. छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ?

उत्तर : 1908 ई.

8. छोटानागपुर पठार और गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जानेवाली मिट्टी का नाम क्या है?

उत्तर : बलथर मिट्टी

9. सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है?

उत्तर : गरीबी रेखा निर्धारण

10. दसवें एवं अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ई. में किस स्थल पर हुआ था?

उत्तर : पटना

11. दुग्ध संघों में दूध खरीद की वृद्धि दर में कोसी दुग्धशाला परियोजना के बाद दूसरे स्थान पर कौन सी परियोजना है?

उत्तर : मगध दुग्ध परियोजना (44.8 प्रतिशत)

12. दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है?

उत्तर : कैमूर

13. छतरी चौहान क्या है?

उत्तर : वीर रस की प्रधानतावाली लोकगाथा

14. देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है?

उत्तर : बिहार

15. देश के सर्वोच्च अलंकरण 'भारतरत्न' से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बिहार के किस जिले के निवासी हैं?

उत्तर : बक्सर

16. देश का उप-प्रधानमंत्री बननेवाली बिहार की विभूति कौन थी?

उत्तर : बाबू जगजीवन राम

17. देश के चार विशिष्ट नागरिक सम्मान 'भारतरत्न', 'पद्मविभूषण', 'पद्मभूषण' एवं 'पद्मश्री' हासिल करनेवाले महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खाँ का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : 21 मार्च, 1916, डुमराँव (बक्सर)

18. देश में नियमित दसवर्षीय जनगणना किसके समय और कब से प्रारंभ हुई?

उत्तर : लॉर्ड रिपन एवं 1881 ई. से

19. परिवार नियोजन कार्यक्रम देश में कब लागू किया गया?

उत्तर : 1948 ई.

20. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1999 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर : 2045 ई.

Set-36

1. देश में दो ऐसे प्रांत कौन से थे, जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था?

उत्तर : गुजरात एवं बिहार

2. देशी, अर्लीबेदाना, शाही, मंदराजी (चायना), कसवा इत्यादि किस फल की किस्में हैं?

उत्तर : लीची

3. 'देशरत्न' की उपाधि किसे दी गई थी?

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. बेरोजगारी की माप के लिए वर्ष 1973 ई. में योजना आयोग ने किस आयोग का गठन किया था?

उत्तर : भगवती आयोग

5. वर्ष 1969-70 ई. में गंडक परियोजना अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बाँध का निर्माण किस स्थान पर किया गया?

उत्तर : त्रिवेणी घाट

6. सामान्य बेरोजगारी दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : क्रोनिक बेरोजगारी दर

7. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है?

उत्तर : 10.41 करोड़

8. बिहार में आनेवाले पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2011 से 2015 ई. के बीच में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर : लगभग 50 प्रतिशत

9. वर्ष 2014-15 में Integrated Development of Wildlife Habitat योजना के तहत किस आश्रयणी के लिए रुपए स्वीकृत किए गए हैं?

उत्तर : कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी

10. रामधारी सिंह 'दिनकर' को 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' किस महाकाव्य की रचना के लिए प्रदान किया गया?

उत्तर : उर्वशी

11. 'इंडिया डिवाइडेड' के लेखक कौन हैं?

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

12. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई?

उत्तर : पटना

13. नेपाल में 'नाना सेना' गठन के सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई?

उत्तर : अमर सिंह

14. वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था?

उत्तर : रिपुंजय

15. वज्जि संघ की राजधानी कौन थी?

उत्तर : वैशाली

16. वज्जि संघ के लिच्छवियों को पराजित करनेवाला मगध का शासक कौन था?

उत्तर : अजातशत्रु

17. 'रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट' पुस्तक की रचना किसने की?

उत्तर : जयप्रकाश नारायण

18. कुँवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करनेवाला पहला सेनानायक कौन था?

उत्तर : कैप्टन डनवर

19. 'बापू के कदमों में' की रचना किसने की?

उत्तर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

20. वह कौन संप्रदाय है, जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है?

उत्तर : हीनयान

Set-37

1. वह पहला मुगल शासक कौन था, जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं?

उत्तर : अकबर

2. 'हाउस ऑफ लाइर्स्' और प्रिवी कौंसिल की सदस्यता प्राप्त करनेवाले प्रथम भारतीय कौन थे?

उत्तर : सच्चिदानंद सिंह

3. 'प्रबोध साहित्य सम्मान' किस भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है?

उत्तर : मैथिली

4. वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?

उत्तर : अब्दुल वहाब (अरब)

5. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 1992

6. 'बिहार केसरी' से किसे संबोधित किया जाता है?

उत्तर : डॉ. श्रीकृष्ण सिंह

7. वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था?

उत्तर : बिबिसार

8. लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 'भारतरत्न' से कब नवाजा गया?

उत्तर : 1999 ई.

9. भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा प्रारंभ करनेवाला देश का पहला राज्य कौन है?

उत्तर : बिहार

10. वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है?

उत्तर : पश्चिमी चंपारण (1989 ई.)

11. जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई?

उत्तर : 5 जून, 1974

12. लौरिक सेना का गठन कब हुआ था?

उत्तर : 1985 ई.

13. 'नव नालंदा महाविहार' में किसका स्मारक है?

उत्तर : ह्वेनसांग स्मारक

14. बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं?

उत्तर : 44

15. चीन के सहयोग से किस विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है?

उत्तर : नालंदा विश्वविद्यालय

16. वर्तमान का बोधिवृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है?

उत्तर : पाँचवीं पीढ़ी

17. वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं?

उत्तर : श्री विजय चौधरी

18. लोदी शासक इब्राहीम खान लोदी के समय में बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था?

उत्तर : दरिया खान नूहानी

19. बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?

उत्तर : 1

20. वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं?

उत्तर : 12 वन्य जीव अभयारण्य

Set-38

1. लॉर्ड कार्नवालिस ने किस वर्ष बिहार-बंगाल क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू की?

उत्तर : 1793 ई.

2. बिहार में राज्य पथों का विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है?

उत्तर : राष्ट्रीय सम विकास योजना

3. वर्तमान समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से देश में 10 प्रमुख राज्यों में बिहार किस स्थान पर है?

उत्तर : 7वें

4. मुस्लिम लीग के बंबई अधिवेशन (1915) की अध्यक्षता किसने की थी?

उत्तर : मौलाना मजहरुल हक

5. अजातशत्रु ने युद्ध में किन मुख्य शस्त्रों का प्रयोग किया था?

उत्तर : कंटक शिला एवं गदामुसल

6. वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?

उत्तर : 1945 ई. में

7. बसाढ़ (वैशाली) से किनके दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं?

उत्तर : महादेवी प्रभुदाया

8. वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है?

उत्तर : शतपथ ब्राह्मण

9. वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बिहार के प्रख्यात वन्य प्राणी संरक्षक श्री रवींद्र कुमार सिन्हा को वर्ष 2016 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

उत्तर : पद्मश्री

10. वन्य जीवों द्वारा फसल हानि, जीव हानि, गृह हानि एवं मनुष्यों के प्राण हानि, अपंगता पर मुआवजे का भुगतान किसके स्तर से किया जाता है?

उत्तर : वन प्रमंडल पदाधिकारी

11. वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 देश के किस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में लागू है?

उत्तर : जम्मू और कश्मीर

12. 'प्रिजन डायरी' की रचना किसने की थी?

उत्तर : जयप्रकाश नारायण

13. बिहार का क्षेत्रफल कितना है?

उत्तर : 94,163 वर्ग किलोमीटर (36,357 वर्ग मील)

14. बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?

उत्तर : 2.86 प्रतिशत

15. चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे?

उत्तर : चाणक्य

16. बिहार की यात्रा करनेवाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था?

उत्तर : राल्फ फिच

17. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजनेवाला शासक कौन था?

उत्तर : सेल्यूकस

18. प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थल पर हुआ?

उत्तर : पाटलिपुत्र

19. चंपा (भामलपुर) का निर्माण किसने करवाया था?

उत्तर : महाराजर्षिद

20. 'चंपारण नील आंदोलन' के राष्ट्रीय नेता कौन थे?

उत्तर : महात्मा गांधी

1. बिहार में सबसे पहले नवपाषाणयुगीन अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई?

उत्तर : चिरौंद (छपरा)

2. चीनी यात्री 'इत्सिंग' ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी?

उत्तर : सातवीं शताब्दी

3. ह्वेनसांग ने किसके शासन काल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी?

उत्तर : हर्षवर्धन

4. सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बननेवाले बिहार के निवासी कौन थे?

उत्तर : भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा

5. चाणक्य पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है?

उत्तर : राजनीतिशास्त्र

6. भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन है?

उत्तर : हाजीपुर

7. चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है?

उत्तर : किशनगंज

8. चाँमरग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है, यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी?

उत्तर : दीदारगंज से

9. भारत के मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार बिहार किस स्थान पर है?

उत्तर : 21वाँ

10. चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है?

उत्तर : पंचम

11. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारंभ कब किया गया?

उत्तर : 5 जून, 2016

12. विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन है?

उत्तर : मुंगेर योग विश्वविद्यालय

13. चौसा का युद्ध कब हुआ था?

उत्तर : 26 जून, 1539

14. चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस भिखारी ने हुमायूँ की जान बचाई?

उत्तर : निजाम

15. चौदह पूर्वास किस जैन का एकमात्र साहित्य है?

उत्तर : दिगंबर जैन

16. चेचर की खोज कब और किसने की थी?

उत्तर : 1978 ई., डॉ. योगेंद्र मिश्र

17. चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : गायघाट, पटना सिटी

18. चंद्रगुप्त बसदि मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : श्रवणबेलगोला

19. 2011 की जनगणना के अनुसार पटना के बाद बिहार का दूसरा बड़ा नगर कौन है?

उत्तर : गया

20. चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था?

उत्तर : जैन धर्म

Set-40

1. चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था?

उत्तर : तक्षशिला

2. चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से कब युद्ध हुआ था?

उत्तर : 303 ई.पू.

3. अशोक चक्र प्राप्त करनेवाले प्रथम बिहारी कौन थे?

उत्तर : रणधीर वर्मा

4. चूना पत्थर-आधारित सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित है?

उत्तर : बंजारी

5. बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थीं?

उत्तर : मंजू प्रकाश

6. फणीश्वरनाथ रेणु कौन थे?

उत्तर : कवि

7. फादर कामिल बुल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर : 1 सितंबर, 1909, बेल्जियम

8. फल्गु नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है?

उत्तर : गया

9. तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी?

उत्तर : पाटलिपुत्र

10. तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम था?

उत्तर : धर्मराजिका स्तूप

11. तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?

उत्तर : 1932 ई. में

12. तराई प्रदेश में ऊबड़-खाबड़ भूमि के कारण किस प्रकार की बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं?

उत्तर : प्रकीर्ण बस्तियाँ

13. 'तारीखे-ए-शेरशाही' के लेखक कौन हैं?

उत्तर : अब्बास खाँ शेरवानी

14. तसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है?

उत्तर : भागलपुर

15. तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है?

उत्तर : फिरदौसी की रचना 'शाहनामा'

16. तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी?

उत्तर : बिहारशरीफ

17. तेऊर नहर किस नदी से निकाली गई है?

उत्तर : गंडक

18. तेलहार झरना किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : रोहतास

19. चाँदी का रुपया जारी करनेवाला प्रथम शासक कौन था?

उत्तर : शेरशाह

20. जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता था?

उत्तर : लोकनायक

Set-41

1. 2001-11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है?

उत्तर : बेगूसराय

2. जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी?

उत्तर : बिहार सोशलिस्ट पार्टी

3. जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई?

उत्तर : 1 मई, 2012

4. जमींदारी उन्मूलन एवं बिचौलिए की समाप्ति संबंधी कानून कब बनाया गया?

उत्तर : 1950 ई.

5. जहाँगीर ने 1621 ई. में किस राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था?

उत्तर : राजकुमार परवेज

6. जरासंध के पिता का क्या नाम था?

उत्तर : वृहद्रथ

7. जापान के किस शहर में हासेगावा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय बनाया गया है?

उत्तर : तोकामांची

8. जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है?

उत्तर : पछुवा विक्षोभ

9. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बिहार में कब और कहाँ स्थापित किया गया?

उत्तर : भागलपुर (1971)

10. जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन (JNNURM) की शुरुआत कब की गई?

उत्तर : दिसंबर, 2005

11. जैनियों ने परम तत्त्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की कल्पना की है?

उत्तर : सप्तभंग

12. जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते थे?

उत्तर : मौरिय

13. बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है?

उत्तर : सोन बहुद्देशीय परियोजना

14. जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी?

उत्तर : चंपा (भागलपुर)

15. 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : कुंडग्राम

16. भगवान् महावीर ने जैन धर्म के पाँच नियम में किस नियम को जोड़ा?

उत्तर : ब्रह्मचर्य

17. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है?

उत्तर : ऋषभदेव (आदिनाथ)

18. बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ की गई?

उत्तर : आरा

19. बिहार के प्रथम महाकवि किन्हें कहा जाता है?

उत्तर : विद्यापति

20. जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं?

उत्तर : चौबीस

Set-42

1. बिहार के किस नगर में आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था?

उत्तर : पटना (1948)

2. जैन साहित्य के बारह अंग की रचना किसने की थी?

उत्तर : स्थूलभद्र

3. 'आगम ग्रंथ' किस संप्रदाय से संबंधित है?

उत्तर : जैन संप्रदाय

4. बिहार में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?

उत्तर : मुजफ्फरपुर (1978)

5. जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपने प्राण त्यागे थे?

उत्तर : श्रवण बेलगोला (मैसूर)

6. जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कमलदह कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना

7. जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान क्या है?

उत्तर : प्रथम

8. जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है?

उत्तर : तीसरा

9. बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद् का गठन किस वर्ष किया गया था?

उत्तर : 1947 ई.

10. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को बिहार में कब से लागू किया गया?

उत्तर : 1 जुलाई, 2006

11. जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?

उत्तर : 2002

12. जगजीवन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?

उत्तर : खगोल

13. जलालगढ़ किला कहाँ स्थित है?

उत्तर : पूर्णिया

14. खादर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : नई जलोढ़ मिट्टी

15. न्यूनतम जनसंख्या घनत्ववाला जिला कौन सा है?

उत्तर : कैमूर

16. बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना

17. न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?

उत्तर : शेखपुरा

18. नंद वंश का संस्थापक कौन था?

उत्तर : महापद्मनंद

19. किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद् का गठन किया गया था?

उत्तर : जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधि. 1974

20. नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुँचाने पर किसानों को कितने हजार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है?

उत्तर : 20 हजार

Set-43

1. किस भाषा को डॉ. गियर्सन ने 'छिकाछिकी' नाम दिया था?

उत्तर : अंगिका

2. नान्यदेव ने कर्णाट की राजधानी कहाँ बनाई थी?

उत्तर : सिमराँवगढ़

3. नागदशक को पुराण में क्या कहा गया है?

उत्तर : दर्शक

4. नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था?

उत्तर : गुप्त वंश

5. उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया?

उत्तर : 1984

6. नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं?

उत्तर : भोज

7. बिहार के किस साहित्यकार को 'भोजपुरी का शेक्सपियर' कहा जाता है?

उत्तर : भिखारी ठाकुर

8. किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है?

उत्तर : सम्राट् कुमारगुप्त

9. किस साहित्यकार को 'मगही का शेली' कहा जाता है?

उत्तर : सुरेश दुबे

10. नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे?

उत्तर : शीलभद्र

11. बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद् की स्थापना कब हुई?

उत्तर : 1939 ई.

12. नव नालंदा महाविहार को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया?

उत्तर : 13 नवंबर, 2006

13. नवरंग कला मंच कहाँ स्थित है?

उत्तर : बक्सर

14. नवादा के निकट अफसढ़ गाँव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है?

उत्तर : आदित्यसेन

15. नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था?

उत्तर : कवि विद्यापति

16. सर्वप्रथम बिहार के तीन प्रखंडों में समन्वित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई?

उत्तर : 2 अक्टूबर, 1975

17. सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है?

उत्तर : बाँका

18. किन दो नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर, हाजीपुर स्थित है?

उत्तर : गंगा और गंडक

19. नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था?

उत्तर : तक्षशिला

20. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई?

उत्तर : 15 अगस्त, 1905

Set-44

1. नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है?

उत्तर : सिमलतुल

2. बिहार के किस स्थान पर 'इंडियन इंस्टीट्यूट पर हैंडलूम टेक्नोलॉजी' की स्थापना की गई?

उत्तर : किशनगंज

3. नूहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था?

उत्तर : शेरशाह

4. अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के किस ओर स्थित है?

उत्तर : उत्तर

5. अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : आमी (छपरा)

6. अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी?

उत्तर : चंपा

7. बिहार में सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थित है?

उत्तर : मुंगेर

8. अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर : जे.बी. कृपलानी

9. अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपए सालाना लिया जानेवाला कर क्या था?

उत्तर : बेटमाफी

10. रैयत के मर जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उनके संपत्ति हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकारी से लिया जानेवाला कर क्या कहलाता था?

उत्तर : बपहीपुतही

11. ब्रिटिशकाल में नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जानेवाला कर क्या था?

उत्तर : पैन खर्च

12. अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है?

उत्तर : सोन

13. बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?

उत्तर : 1903, मरहौरा

14. लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बननेवाले फणींद्र घोष को क्रांतिकारियों ने मारने का जिम्मा किसको सौंपा था?

उत्तर : बैकुंठ शुक्ल

15. बिहार राज्य विद्युत परिषद् की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

उत्तर : 1958

16. अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 ई. में पराजित कर किस मैथिल ब्राह्मण को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था?

उत्तर : महेश ठाकुर

17. अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटानागपुर के राजा बैरीसाल के खिलाफ भेजा था?

उत्तर : शाहबाज खान

18. अंपायर गोपबोस का संबंध किस खेल से है?

उत्तर : क्रिकेट

19. अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?

उत्तर : स्वामी सहजानंद सरस्वती

20. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता की थी?

उत्तर : झरिया सम्मेलन

Set-45

1. अहिरौली मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : बक्सर

2. राज्य अभिषेक के किस वर्ष अशोक द्वारा लुंबिनी की यात्रा की गई और वहाँ का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया?

उत्तर : बीसवें वर्ष

3. 'अभिधम्म पिटक' का संकलन किसके द्वारा किया गया है?

उत्तर : मोगलिपुत्त तिस्स

4. अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है?

उत्तर : विद्यापति

5. अथर्ववेद में 'व्रात्य' शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है?

उत्तर : मगध

6. जनजातियों द्वारा जोती जानेवाली भूमि को 'अर्थशास्त्र' में क्या कहा गया है?

उत्तर : सीता भूमि

7. अर्थशास्त्र में किस फसल को निकृष्ट बताया गया है?

उत्तर : गन्ना

8. वीर कुँवर सिंह स्टेडियम बिहार में किस स्थान पर स्थित है?

उत्तर : आरा

9. अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों (विभाग) का उल्लेख मिलता है?

उत्तर : 18 तीर्थों (विभाग) का

10. तीर्थों (विभाग) के अध्यक्ष को 'अर्थशास्त्र' में क्या कहा गया है?

उत्तर : महामात्र

11. बिहार राज्य खेल परिषद् का गठन किस वर्ष हुआ था?

उत्तर : 1961

12. बिहार में विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर : 75

13. राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर : 243

14. बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर : 16

15. अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?

उत्तर : 54

16. अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?

उत्तर : संजय वेठलीपुत्र

17. अंतिम मौर्य सम्राट् कौन था?

उत्तर : बृहद्रथ

18. अपने पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किनकी आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था?

उत्तर : बड़े भाई नंदीवर्धन

19. अप्रैल, 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन-कौन थे?

उत्तर : प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस

20. अरेराज का शिव मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : मोतिहारी

Set-46

1. 'आर्यभट्ट पुरस्कार' किस विषय के लिए दिया जाता है?

उत्तर : विज्ञान

2. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है?

उत्तर : पटना

3. आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत (सूबा) कितने सरकारों (जिला) में बँटा हुआ था?

उत्तर : सात

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की किस धारा के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) का गठन किया गया है?

उत्तर : धारा-14(1)

5. आरा के पास देव-वरुणार्क से किस शासक का एक पाषाण अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है?

उत्तर : जीवितगुप्त द्वितीय

6. किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे अधिक है?

उत्तर : NH-31

7. अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था?

उत्तर : चंडाशोक या कामाशोक

8. अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है?

उत्तर : रूमिनदेई स्तंभलेख

9. बिहार के किस स्थान पर 'फल विकास एवं शोध संस्थान' स्थित है?

उत्तर : सबौर

10. अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?

उत्तर : प्रिंसेप

11. कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस बृहत शिलालेख से मिलती है?

उत्तर : 13वें बृहत शिलालेख

12. ब्राह्मी लिपि (दाएँ से बाएँ) में लिखा गया अशोक का शिलालेख कौन सा है?

उत्तर : एरागुड़ी शिलालेख

13. अशोक के किस स्तंभलेख में कराधान की चर्चा की गई है?

उत्तर : रूमिनदेई स्तंभलेख

14. बिहार के किस स्थान पर 'चावल विकास एवं शोध संस्थान' स्थित है?

उत्तर : आरा

15. अशोक के समय अवंति का यूनानी गवर्नर कौन था?

उत्तर : तुषाष्प

16. पटना स्थित बिड़ला मंदिर की स्थापना किसने की थी?

उत्तर : राज बलदेव दास जी बिड़ला

17. किन चार अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है?

उत्तर : मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम

18. श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई?

उत्तर : अशोक

19. अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की?

उत्तर : ललितपाटन

20. अशोक अपने जीवन में कौन सा एकमात्र युद्ध लड़ा?

उत्तर : कलिंग

Set-47

1. आर्द्रभूमि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 ई. में कहाँ आयोजित हुआ था?

उत्तर : रामसर (ईरान)

2. औरंगाबाद स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था?

उत्तर : उमगा के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह

3. सन् 1702 ई. में औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था?

उत्तर : राजकुमार अजीम

4. ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमापुर विहारों की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को जाता है?

उत्तर : धर्मपाल एवं देवपाल

5. आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?

उत्तर : मकखली गोसाल

6. राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करनेवाला जिला कौन है?

उत्तर : नालंदा

7. 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी?

उत्तर : 483 ई.पू.

8. अफगान दरिया खान नूहानी की मृत्यु 1523 ई. में होने के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था?

उत्तर : मोहम्मद शाह नूहानी (बहार खान)

9. बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को किस वर्ष एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी?

उत्तर : 1987

10. अजातशत्रु का उपनाम क्या था?

उत्तर : कुणिक

11. अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था?

उत्तर : जैन धर्म

12. कौन शासक अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना?

उत्तर : उदयन

13. अजातशत्रु के साथ प्रेम-संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी?

उत्तर : वैशाली

14. भगवान् नरसिंह अवतार स्तंभ (बनमनखी) बिहार के किस जिले में स्थित है?

उत्तर : पूर्णिया

15. बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है?

उत्तर : खरवार

16. अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार 'रथमूसल' तथा 'महाशिलाकंटक' नामक हथियारों का प्रयोग किया था?

उत्तर : लिच्छवी

17. अजातशत्रु ने अपने शासन के किस वर्ष में गौतम बुद्ध के महापरिर्वाण के पश्चात् उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था?

उत्तर : दसवें वर्ष

18. अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : सुल्तानगंज, भागलपुर

19. अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?

उत्तर : अनुमंडल पदाधिकारी

20. बिहार का कौन सा पक्षी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है?

उत्तर : कुशेश्वर पक्षी विहार

Set-48

1. राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है?

उत्तर : 929

2. अनुसूचित जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपातवाला जिला कौन है?

उत्तर : पटना (726)

3. गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर : सदानीरा

4. गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितना है?

उत्तर : 90650 वर्ग किलोमीटर

5. गौतम बुद्ध को कहाँ कौण्डिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे?

उत्तर : उरूवेला (बोधगया)

6. गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था?

उत्तर : बोधगया

7. अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई?

उत्तर : 2000

8. बिहार राज्य में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई?

उत्तर : 1 अप्रैल, 2001

9. अन्नापूर्णा मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर : पटना

10. अटल पुनरुज्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत) योजना की शुरुआत कब की गई?

उत्तर : 29 अप्रैल, 2016

11. अगस्त, 2016 में 12वें नगर निगम के रूप में किसे मान्यता दी गई?

उत्तर : छपरा

12. बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः किससे संबंधित है?

उत्तर : प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता

13. अलारकलाम किस दर्शन के विद्वान् थे?

उत्तर : सांख्य दर्शन

14. अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरि का शासक कौन था?

उत्तर : रामचंद्र देव

15. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया है?

उत्तर : किशनगंज

16. नवादा के अपसर्ग से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कौन सा कथा-दृश्य अंकित है?

उत्तर : रामायण

17. बिहार में लँगड़ा आम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है?

उत्तर : मुजफ्फरपुर

18. गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब प्राप्त हुआ?

उत्तर : 2002

19. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर : देशबंधु चितरंजन दास

20. गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय तिरहुत का शासक कौन था?

उत्तर : हरिसिंहदेव

Set-49

1. गृह त्याग के कितने समय बाद महावीर ने वस्त्र त्याग दिया?

उत्तर : 13 माह बाद

2. गंडक किसकी सहायक नदी है?

उत्तर : गंगा

3. अनुसूचित जनजातियों में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है?

उत्तर : लखीसराय (12.9 प्रतिशत)

4. अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है?

उत्तर : 28.2 प्रतिशत

5. बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गंगा का मैदान है?

उत्तर : 96.27 प्रतिशत

6. गंगा का मैदान किस सागर का अवशेष है?

उत्तर : टेथिस सागर

7. बिहार में बौद्ध बननेवाला प्रथम शासक कौन था?

उत्तर : बिंबिसार

8. गंगा के मैदान में सर्वाधिक गहरे जलोढ़ का निक्षेप किस जगह के पास पाया जाता है?

उत्तर : पटना के आसपास

9. गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है?

उत्तर : 30 प्रतिशत

10. गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था?

उत्तर : राजा सुयोधन

11. गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं?

उत्तर : सुत्तपिटक

12. गरम सोतों के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बिहार के किस स्थान पर है?

उत्तर : राजगीर

13. गहड़वाल वंश के शासक गोविंदचंद्र के मनेर ताम्रपत्र में किस कर की चर्चा मिलती है?

उत्तर : तुरूष्कदंड

14. 'गीतगोविंद' के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे?

उत्तर : लक्ष्मण सेन

15. गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?

उत्तर : गया

16. गांधीजी का 'चंपारण सत्याग्रह' किससे जुड़ा था?

उत्तर : तिनकठिया

17. गांधीजी ने चंपारण में सबसे पहले 16 अप्रैल, 1917 को कहाँ का दौरा किया?

उत्तर : जसौली पट्टी

18. गोपाल के बाद पाल वंश का कौन शासक बना?

उत्तर : धर्मपाल (770-810 ई.)

19. गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया है?

उत्तर : अहिर्बोली मंदिर

20. गौतम बुद्ध की माता किस कुल की थीं?

उत्तर : कौशल के कोलीय कुल

Set-50

1. गौतम बुद्ध का पालन-पोषण किसके द्वारा किया गया था?

उत्तर : मौसी एवं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी

2. गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था?

उत्तर : कपिलवस्तु के शाक्य कुल में

3. गुप्त सम्राट् जिसने हूणों को पराजित किया था?

उत्तर : स्कंदगुप्त

4. गुप्तधाम कहाँ स्थित है?

उत्तर : रोहतास

5. अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है?

उत्तर : गोपालगंज (1063)

6. अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है?

उत्तर : बेगूसराय (78.6 प्रतिशत)

7. गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?

उत्तर : निरंजना

8. गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था?

उत्तर : सिद्धार्थ

9. गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था?

उत्तर : राजकुमारी महामाया देवी

10. गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?

उत्तर : गंगोत्री

11. गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है?

उत्तर : बक्सर

12. गांधीजी ने भारत में पहली बार 'सत्याग्रह आंदोलन' बिहार में कहाँ प्रारंभ किया?

उत्तर : चंपारण

13. गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, इसे क्या कहते हैं?

उत्तर : महाभिनिष्क्रमण

14. मुंगेर स्थित बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष की गई थी?

उत्तर : 1963 ई.

15. लक्ष्मण कुंड कहाँ अवस्थित है?

उत्तर : मुंगेर

16. लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए दादाभाई नौरोजी ने किस बिहारी को उपाध्यक्ष बनाया था?

उत्तर : परमेश्वर लाल

17. गोगाविल अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : भागलपुर

18. गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार-पत्र 'दि बिहार हेराल्ड' का प्रकाशन कब शुरू हुआ था?

उत्तर : 1875 ई. में

19. गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था?

उत्तर : 26 दिसंबर, 1666

20. बिहार के किस जिले में पशु आहार प्लांट स्थापित किया गया है?

उत्तर : खगड़िया

Set-51

1. गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था?

उत्तर : तख्त श्री हरमिंदर साहिब, पटना

2. गुरुद्वारा हाँद्री साहिब कहाँ स्थित है?

उत्तर : दानापुर

3. गौतम बुद्ध का जन्मस्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है?

उत्तर : कमल का फूल

4. गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम गौतम बुद्ध ने क्या रखा था?

उत्तर : राहुल

5. गुप्तकाल के समय के प्राप्त अभिलेख की भाषा और लिपि क्या है?

उत्तर : संस्कृत भाषा और लिपि ब्राह्मी

6. गुजरात के कवि सोढ़दश ने 11वीं सदी में अपनी किस रचना में धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है?

उत्तर : 'उदयसुंदरी'

7. गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था?

उत्तर : कुतुबुद्दीन ऐबक

8. गैंगेटिक डाल्फिन अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है?

उत्तर : भागलपुर

9. गन्ना विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार द्वारा की गई?

उत्तर : वर्ष 2012-13

10. ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गरम जिला कौन रहता है?

उत्तर : गया

11. नीरजानंद सरस्वती ने बिहार योगा भारती जो गंगा दर्शन विश्व योगपीठ परिसर, मुंगेर में स्थित है, की स्थापना किस वर्ष की थी?

उत्तर : 1994 ई.

12. ग्रीष्मकाल में चलनेवाली गरम हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है?

उत्तर : लू

13. ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित माता भगवती दुर्गा मंदिर मंदारगिरि कहाँ स्थित है?

उत्तर : भागलपुर

14. ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई?

उत्तर : 1916

15. गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?

उत्तर : 563 ई.पू.

16. लीची के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है?

उत्तर : पहला

17. लीची अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है?

उत्तर : मुसहरी, मुजफ्फरपुर

18. लाह का उत्पादन किस कीड़े से होता है?

उत्तर : लेसिफर लक्का या लाह के कीड़े

19. लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बननेवाले फणींद्र घोष की बैकुंठ शुक्ल ने कहाँ हत्या कर दी थी?

उत्तर : बेतिया

20. बिहार दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष से प्रारंभ की गई?

उत्तर : 2010



45. परिशिष्ट

(Appendix)

परिशिष्ट-I

भौगोलिक

कुल क्षेत्रफल—94,163 वर्ग किलोमीटर

भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत—2.86 प्रतिशत

अक्षांशीय विस्तार— $21^{\circ}58'10''N - 27^{\circ}31'15''N$

देशांतरीय विस्तार— $82^{\circ}19'50''E - 88^{\circ}17'40''E$

लंबाई (उत्तर से दक्षिण) —345 किलोमीटर

चौड़ाई (पूरब से पश्चिम) —483 किलोमीटर

समुद्र तल से औसत ऊँचाई—173 फीट (53 मीटर)

राज्य की चौहद्दी—उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आरखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश

जलवायु—उष्ण मानसूनी

औसत वार्षिक वर्षा—109 सेंटीमीटर

सर्वाधिक क्षेत्र पर प्राकृतिक वनस्पति—पर्णपाती वन/मानसूनी वन

सर्वाधिक वर्षा वाला जिला—किशनगंज

न्यूनतम वर्षा वाला जिला—औरंगाबाद

जनसंख्या (2011) —10,40,99,452

राष्ट्रीय जनसंख्या में प्रतिशत—8.58 प्रतिशत

पुरुष—5,42,71,857

महिला—4,98,21,295

ग्रामीण—9,23,41,436

नगरीय—1,17,58,016

घनत्व—1102

साक्षरता—61.80

पुरुष साक्षरता—71.20

महिला साक्षरता—51.50

लिंगानुपात—916

राजभाषा—हिंदी

द्वितीय राजभाषा—उर्दू

राज्य स्थापना दिवस—22 मार्च

राजकीय पशु—बैल

राजकीय पक्षी—घरेलू गौरैया

राजकीय वृक्ष—पीपल

राजकीय चिह्न—बोधिवृक्ष (दो स्वस्तिक के बीच)

राजकीय पुष्प—गेंदा

सारणी-I

नदियों के किनारे अवस्थित बिहार के प्रमुख नगर

नगर—नदी

पटना—गंगा

मुजफ्फरपुर—बूढ़ी गंडक

छपरा—गंगा

हाजीपुर—गंडक

समस्तीपुर—बूढ़ी गंडक

गया—फल्गु

भागलपुर—गंगा

दरभंगा—बाममती

खगड़िया—बूढ़ी गंडक

जहानाबाद—दरधा

बेतिया—बूढ़ी गंडक

सारणी-II

बिहार की नदियाँ— उनके उद्गम स्थल एवं संगम/मुहाना

नदी : गंगा

उद्गम स्थल : गंगोत्तरी हिमनद का गोमुख (उत्तराखंड)

संगम/मुहाना : बंगाल की खाड़ी

नदी : गंडक

उद्गम स्थल : अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग के मध्य से

संगम/मुहाना : गंगा नदी (पटना के पास)

नदी : घाघरा (सरयू)

उद्गम स्थल : गुरला मंथाता चोटी के पास नाम्फा (नेपाल)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (छपरा के पास)

नदी : बूढ़ी गंडक

उद्गम स्थल : सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चऊतरवा चौर

संगम/मुहाना : गंगा नदी (खगड़िया के पास)

नदी : बागमती

उद्गम स्थल : महाभारत श्रेणी (नेपाल)

संगम/मुहाना : बूढ़ी गंडक

नदी : कमला

उद्गम स्थल : महाभारत श्रेणी (नेपाल)

संगम/मुहाना : कोसी

नदी : कोसी

उद्गम स्थल : गोसाईं स्थान (सप्तकोशिकी, नेपाल)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (कुरुसेला के पास)

नदी : महानंदा

उद्गम स्थल : महाभारत श्रेणी (नेपाल)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (मनिहारी, कटिहार के पास)

नदी : सोन

उद्गम स्थल : अमरकंटक चोटी (मध्य प्रदेश)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (दानापुर एवं मनेर के बीच)

नदी : पुनपुन

उद्गम स्थल : छोटानागपुर पठार (पलामू)

संगम/मुहाना : गंगा नदी (फतुहा के पास)

नदी : कर्मनाशा

उद्गम स्थल : सारोदाग (कैमूर)

संगम/मुहाना : गंगा नदी

नदी : फल्गु

उद्गम स्थल : उत्तरी छोटानागपुर पठार (हजारीबाग)

संगम/मुहाना : टाल क्षेत्र

नदी : अजय

उद्गम स्थल : बटबाड़ (जमुई)

संगम/मुहाना : गंगा (पश्चिम बंगाल)

सारणी-III

बिहार के प्रमुख जलकुंड

नाम—स्थान

ब्रह्मकुंड—राजगीर (बिहार का सबसे गरम जलकुंड)

सप्तधारा/सतधरवा—राजगीर

सूर्यकुंड—राजगीर

मखदूमकुंड—राजगीर

नानककुंड—राजगीर

गोमुखकुंड—राजगीर

लक्ष्मणकुंड—मुंगेर

सीताकुंड—मुंगेर

रामेश्वरकुंड—मुंगेर

ऋषिकुंड—मुंगेर

जन्मकुंड—मुंगेर

भीमबाँध—मुंगेर

शृंगारऋषिकुंड—मुंगेर
भरारीकुंड—मुंगेर
पंचतरकुंड—मुंगेर
अग्निकुंड—गया

सारणी-IV

बिहार के प्रमुख जलप्रपात की स्थिति

जलप्रपात का नाम : ककोलत

नदी : कोडरमा पठार से उतरनेवाली धारा

स्थान/जिला : ककोलत (नवादा)

जलप्रपात का नाम : सुखलदरी

नदी : कनहर

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : धुआँकुंड (30 मीटर)

नदी : काव, धोबा

स्थान/जिला : ताराचंडी (रोहतास)

जलप्रपात का नाम : दुर्गावती (खादर कोह) (80 मीटर)

नदी : दुर्गावती

स्थान/जिला : छानपापर (रोहतास)

जलप्रपात का नाम : जिआरखुंड

नदी : फुलवरिया

स्थान/जिला : जिआरखुंड (भोजपुर)

जलप्रपात का नाम : तमासीन

नदी : महाने

स्थान/जिला : —

जलप्रपात का नाम : खुआरी दाह (180 मीटर)

नदी : असाने

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : राकिमकुंड

नदी : गायघाट

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : ओखारीनकुंड (90 मीटर)

नदी : गोपथ

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : सुआरा (120 मीटर)

नदी : पूर्वी सुआरा

स्थान/जिला : रोहतास

जलप्रपात का नाम : देवदारी (58 मीटर)

नदी : कर्मनाशा

स्थान/जिला : रोहतास पठार (रोहतास)

जलप्रपात का नाम : तेलहरकुंड (80 मीटर)

नदी : पश्चिम सुआरा

स्थान/जिला : रोहतास पठार (रोहतास)

सारणी-V

बिहार की प्रमुख जल निमग्न (आर्द्र) भूमि (Wetland) (झील/चौर/मन/गोखुर झील)

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : काँवर झील

स्थिति : मँझौल

जिला : बेगूसराय

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : कुशेश्वर स्थान झील

स्थिति : कुशेश्वर स्थान

जिला : दरभंगा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : घोघा चाप झील

स्थिति : मनिहारी

जिला : कटिहार

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : सिमरी-बख्तियारपुर झील

स्थिति : सिमरी-बख्तियारपुर

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : उदयपुर झील

स्थिति : उदयपुर

जिला : पश्चिमी चंपारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : भुसारा मन

स्थिति : भुसारा

जिला : मुजफ्फरपुर

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : ब्रह्मपुरा मन

स्थिति : मुजफ्फरपुर

जिला : मुजफ्फरपुर

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : केसरिया चौर (खेतर)

स्थिति : मोतिहारी

जिला : पूर्वी चंपारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : चैता चौर

स्थिति : पिपरी पकरी

जिला : पश्चिमी चंपारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : मानसी चौर

स्थिति : फुलिया खार

जिला : खगड़िया

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : भरथुआ चौर

स्थिति : भरथुआ

जिला : मुजफ्फरपुर

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : भग्वा चौर

स्थिति : बलुआ बाजार

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : बोरा चौर

स्थिति : खरकता ताल

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : परबा मुरली चौर

स्थिति : कुमार गेज

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : मुगदपुर चौर

स्थिति : मुरादपुर

जिला : सहरसा

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : हरिया चौर

स्थिति : अकीलपुर

जिला : सारण

जल निमग्न (आर्द्र) भूमि : राघोपुर

स्थिति : माजीपुर, मैनालिया, पैतिया

जिला : वैशाली

पर्यावरण संबंधी दिवस

क्रमांक : 1

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व आर्द्र भूमि (Wetland) दिवस

तिथि : 2 फरवरी

क्रमांक : 2

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व वानिकी दिवस

तिथि : 21 मार्च

क्रमांक : 3

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

तिथि : द्वितीय सप्ताह (मई)

क्रमांक : 4

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व जैव विविधता दिवस

तिथि : 22 मई

क्रमांक : 5

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व पर्यावरण दिवस

तिथि : 5 जून

क्रमांक : 6

महत्त्वपूर्ण दिवस : वन महोत्सव

तिथि : जुलाई-सितंबर

क्रमांक : 7

महत्त्वपूर्ण दिवस : बिहार पृथ्वी दिवस

तिथि : 9 अगस्त

क्रमांक : 8

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व ओजोन दिवस

तिथि : 16 सितंबर

क्रमांक : 9

महत्त्वपूर्ण दिवस : वन्य प्राणी सप्ताह

तिथि : 02-09 अक्टूबर

क्रमांक : 10

महत्त्वपूर्ण दिवस : विश्व पशु कल्याण दिवस

तिथि : 4 अक्टूबर

क्रमांक : 11

महत्त्वपूर्ण दिवस : डॉल्फिन दिवस

तिथि : 5 अक्टूबर

सारणी-VII

बिहार के प्रमुख खनिज

खनिज—स्थान

पायराइट—अमझोर एवं बंजारी (रोहतास)

बॉक्साइट—खड़गपुर (मुंगेर), बंजारी (रोहतास)

टिन—देवराज एवं कुर्कखंड (गया)

ग्रेफाइट—सिमुलतल्ला (जमुई)

अभ्रक—गया, नवादा, जमुई, बाँका

सेलखड़ी—गया, मुंगेर, नवादा

चीनीमिट्टी—मुंगेर, भागलपुर

ग्रेनाइट, एम्बेस्टस—मुंगेर

डोलोमाइट—रोहतास

स्लेट, सिलिका—मुंगेर

यूरेनियम—गया, नवादा

शोरा—सारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर

सोना—मुंगेर

फायर क्ले—भागलपुर

बेरियल—नवादा

पेट्रोलियम—पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज

सारणी-VIII

बिहार में हवाई राजमार्ग

क्र.सं. : 1

नाम : जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

स्थान : पटना

प्रकार : अंतर्राष्ट्रीय

क्र.सं. : 2

नाम : गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

स्थान : गया

प्रकार : अंतर्राष्ट्रीय

क्र.सं. : 3

नाम : भागलपुर हवाई अड्डा

स्थान : भागलपुर

प्रकार : घरेलू

क्र.सं. : 4

नाम : दरभंगा हवाई अड्डा

स्थान : दरभंगा

प्रकार : रक्षा

क्र.सं. : 5

नाम : जोगबनी हवाई अड्डा

स्थान : जोगबनी

प्रकार : घरेलू

क्र.सं. : 6

नाम : चूनापुर हवाई अड्डा

स्थान : पूर्णिया

प्रकार : रक्षा

सारणी-IX

बाढ़ प्रभावित जिले

बाढ़ (28)	अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले (15)	पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर
	सामान्य प्रभावित जिले (13)	पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज
सूखा	अति प्रभावित जिला	गया, नवादा, जमुई, नालंदा, लखीसराय
	प्रभावित जिला	जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद
	आंशिक प्रभावित जिला	कैमूर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, बाँका

सारणी-X

भूकंप प्रभावित जोन के अंतर्गत सम्मिलित जिले

जोन : जोन-V

भूकंप की तीव्रता (MSK) : IX

जिले का नाम : पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, शिवहर

जोन : जोन-IV

भूकंप की तीव्रता (MSK) : VIII

जिले का नाम : पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, पटना, नालंदा

जोन : जोन-III

भूकंप की तीव्रता (MSK) : VII

जिले का नाम : गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नवादा तथा जमुई और

बाँका का दक्षिणी भाग आंशिक रूप से

सारणी-XI

बिहार के प्रमुख भूकंप

क्र.सं. : 1

वर्ष : 26 अगस्त, 1838

प्रभावित क्षेत्र : बिहार, नेपाल

क्र.सं. : 2

वर्ष : 15 जनवरी, 1934

प्रभावित क्षेत्र : नेपाल, बिहार, (पूर्णिया, चंपारण, मुंगेर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज)

क्र.सं. : 3

वर्ष : 25 अप्रैल, 2015

प्रभावित क्षेत्र : बिहार, नेपाल

क्र.सं. : 4

वर्ष : 5 दिसंबर, 2015

प्रभावित क्षेत्र : बिहार, नेपाल

सारणी-XII

वन उत्पाद पर आधारित उद्योग

उद्योग—केंद्र

सिजीनींग एवं गत्ता उद्योग—समस्तीपुर, दरभंगा

प्लाइवुड उद्योग—हाजीपुर, बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर

कत्था उद्योग—बेतिया

रेशम उद्योग—भागलपुर

सारणी-XIII

फसल प्रतिरूप जोन

फसल प्रतिरूप जोन : जोन-I

फसल : धान-गेहूँ, धान-राई, धान-आलू, धान-मक्का, मक्का-गेहूँ, मक्का-आलू, मक्का-राई, धान-मसूर, धान-अलसी (तीसी)

प्रमुख जिले : पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय

फसल प्रतिरूप जोन : जोन-II

फसल : जूट-गेहूँ, जूट-आलू, जूट-उड़द, जूट-सरसों, धान-गेहूँ-मूँग, धान-तोरिया

प्रमुख जिले : पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज

फसल प्रतिरूप जोन : जोन-III

फसल : धान-गेहूँ, धान-चना, धान-मसूर, धान-राई

प्रमुख जिले : शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया

सारणी-XIV

फसल के प्रकार

फसल प्रकार	बोने का समय	काटने का समय	प्रमुख फसल
खरीफ (i) भदई (ii) अगहनी	जून-जुलाई जून जुलाई	अक्टूबर-नवंबर अक्टूबर नवंबर	चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, जूट, गन्ना, सब्जी
रबी	अक्टूबर- नवंबर	मार्च-अप्रैल	जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, खेसारी
जायद	अप्रैल	जून	मक्का, ज्वार, सब्जी, हरा चारा, महुआ

सारणी-XV

बिहार की प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र

फसल—उत्पादन क्षेत्र

चावल—रोहतास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अरवल, बक्सर
गेहूँ—रोहतास, गया, दरभंगा
मक्का—सारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर
जौ—पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया
मडुआ/रागी—सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण
बाजरा—पटना, मुंगेर, गया
तीसी—पटना, भोजपुर, गया
राई, सरसों—पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा
तिल—पश्चिमी चंपारण, शाहाबाद
अरहर—दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर
चना—भोजपुर, बक्सर
मसूर—पटना, चंपारण, गया
खेसारी—पटना, गया, भोजपुर
गन्ना—चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर
जूट—पूर्णिया, कटिहार
तंबाकू—दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, सहरसा
आलू—पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर

सारणी-XVI

फसल उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान

फसल—स्थान

धान—चौथा
गेहूँ—छठा
तंबाकू—तीसरा
जूट—दूसरा
तिलहन—सातवाँ
लीची—प्रथम
आम—प्रथम
जौ—दूसरा
मडुआ—प्रथम
शहद—प्रथम
मखाना—प्रथम
मक्का—तीसरा

सारणी-XVII

बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

क्रमांक	योजना का प्रकार	योजना का नाम	नदी	जिला/राज्य
1.	बहुददेशीय योजना	i. सोन घाटी परियोजना	सोन	रोहतास, बिहार
		ii. गंडक घाटी परियोजना	गंडक	बिहार, उत्तर प्रदेश
		iii. कोसी घाटी परियोजना	कोसी	बिहार, नेपाल
2.	सिंचाई परियोजना	i. दुर्गावती जलाशय योजना	दुर्गावती	कैमूर एवं रोहतास
		ii. ऊपरी किऊल जलाशय योजना	किऊल	लखीसराय एवं मुंगेर
		iii. बागमती परियोजना	बागमती	सीतामढ़ी
		iv. बरनाल जलाशय परियोजना	बरनाल	जमुई
		v. तेउर नहर योजना	तेउर	पूर्वी चंपारण
		vi. कमला नहर योजना	कमला	दरभंगा, मधुबनी
		vii. सकरी नहर योजना	सकरी	गया, मुंगेर
		viii. चंदन जलाशय योजना	चंदन	भागलपुर
		ix. बटुआ जलाशय	बटुआ	भागलपुर

3.	लघु सिंचाई की योजनाएँ	i. जमनिया पंप नहर योजना		
		ii. सम्मत बिगहा मोरहर योजना	मोरहर	जहानाबाद
		iii. कचनामा वीयर योजना		जहानाबाद
		iv. मोर वीयर योजना		
		v. सोलहंडा वीयर योजना	यमुना	जहानाबाद
		vi. सुगरवे वीयर योजना		
		vii. लवाइच रामपुर बराज	दरधा	
		viii. नवागढ़ योजना		जहानाबाद
		ix. सेसंबा वीयर योजना		जहानाबाद
		x. इसरवे चेक डैम		गया
		xi. भेटौरा डैम		गया
		xii. कदहर वीयर योजना		गया
		xiii. बछराजा वीयर योजना		मधुबनी

सारणी-XVIII

बिहार में नदी अंतर्संबंधन योजना

नदियों का नाम : बूढ़ी गंडक-नून-वाया-गंगा

लाभ प्राप्त करनेवाले जिले : समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया

उपलब्धि : 1.26 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन

नदियों का नाम : सकरी-नाटा नदी

लाभ प्राप्त करनेवाले जिले : नवादा, नालंदा, शेखपुरा

उपलब्धि : 68 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन

नदियों का नाम : कोसी-मेची

लाभ प्राप्त करनेवाले जिले : अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया

उपलब्धि : 2.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन

परिशिष्ट-II

सारणी-I

बौद्ध संगीति

संगीति : प्रथम

वर्ष : 483 ई.पू.

स्थान : राजगृह की सप्तपर्णी गुफा

अध्यक्ष : महाकश्यप

शासक : अजातशत्रु

प्रमुख कार्य : सुत एवं विनय पिटक का संकलन

संगीति : द्वितीय

वर्ष : 383 ई.पू.

स्थान : वैशाली

अध्यक्ष : सर्वकामी

शासक : कालाशोक

प्रमुख कार्य : स्थविर एवं महासांघिक में विभाजन

संगीति : तृतीय

वर्ष : 249 ई.पू.

स्थान : पाटलिपुत्र

अध्यक्ष : मोगलिपुत्ततिस्य

शासक : अशोक

प्रमुख कार्य : अभिधम्मपिटक का संकलन

संगीति : चतुर्थ

वर्ष : 95 ई.

स्थान : कुंडलवन (कश्मीर)

अध्यक्ष : वसुमित्र उपाध्यक्ष-अश्वघोष

शासक : कनिष्क

प्रमुख कार्य : हीनयान एवं महायान में विभाजन

सारणी-II

प्रमुख बौद्ध ग्रंथ

बौद्ध साहित्य : जातक कथाएँ

लेखक : —

विवरण : इसकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है।

बौद्ध साहित्य : मिलिंदपन्हो (भाषा-पाली)

लेखक : नागसेन

विवरण : बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्तालाप है।

बौद्ध साहित्य : विशुद्धि मग

लेखक : बुद्ध घोष

विवरण : बौद्ध धर्म का दार्शनिक निचोड़ है।

बौद्ध साहित्य : निदान काटा

लेखक : बुद्ध घोष

विवरण : यह पाली भाषा में गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है।

बौद्ध साहित्य : अट्ठ कथाएँ

लेखक : —

विवरण : त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य।

बौद्ध साहित्य : अभिधम्मकोष

लेखक : वसुबंधु

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : सुदर्भ पुंडरिक

लेखक : वसुबंधु

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : प्रज्ञा पारमिता

लेखक : नागार्जुन

विवरण : इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है।

बौद्ध साहित्य : अकुतोमाया

लेखक : नागार्जुन

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : ललित विस्तार

लेखक : वसुमित्र

विवरण : इसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं।

बौद्ध साहित्य : विभाषा सूत्र

लेखक : वसुमित्र

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : सौंदरानंद

लेखक : अश्वघोष

विवरण : इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है।

बौद्ध साहित्य : बुद्ध चरित्र

लेखक : अश्वघोष

विवरण : इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं।

बौद्ध साहित्य : दीपवंश

लेखक : —

विवरण : श्रीलंका का इतिहास है।

बौद्ध साहित्य : महावंश

लेखक : भदंत महानामा

विवरण : —

बौद्ध साहित्य : दिव्यावदान

लेखक : —

विवरण : नेपाली साहित्य, जिसके दो भाग अशोकावदान और कुणलावदान हैं।

सारणी-III

जैन संगीति

संगीति : प्रथम

वर्ष : 322-298 ई.पू.

स्थान : पाटलिपुत्र

अध्यक्ष : स्थूलभद्र

शासक : चंद्रगुप्त मौर्य

प्रमुख कार्य : 12 अंगों का संकलन तथा श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजन

संगीति : द्वितीय

वर्ष : 512 ई.

स्थान : वल्लभी

अध्यक्ष : देवार्थि-माश्रवण

शासक : —

प्रमुख कार्य : जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया।

सारणी-IV

बुद्धकालीन (छठी सदी ई.पू.) 16 महाजनपद

क्रमांक : 1

महाजनपद : काशी

राजधानी : वाराणसी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 2

महाजनपद : कोसल

राजधानी : अयोध्या एवं श्रावस्ती

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 3

महाजनपद : अंग

राजधानी : चंपा

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 4

महाजनपद : मगध

राजधानी : राजगृह या गिरिव्रज

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 5

महाजनपद : वज्जि

राजधानी : वैशाली

वर्तमान स्थिति : बिहार

क्रमांक : 6

महाजनपद : मल्ल

राजधानी : उत्तरी मल्ल—कुशीनगर, दक्षिणी मल्ल—पावापुरी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश एवं बिहार

क्रमांक : 7

महाजनपद : चेदि

राजधानी : शक्तिमती

वर्तमान स्थिति : पंजाब

क्रमांक : 8

महाजनपद : वत्स

राजधानी : कौशांबी

वर्तमान स्थिति : उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 9

महाजनपद : पुरु

राजधानी : इंद्रप्रस्थ

वर्तमान स्थिति : हरियाणा

क्रमांक : 10

महाजनपद : पांचाल

राजधानी : उत्तरी पांचाल—अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल—कामिल्य

वर्तमान स्थिति : पंजाब

क्रमांक : 11

महाजनपद : मत्स्य

राजधानी : विराट नगर

वर्तमान स्थिति : राजस्थान

क्रमांक : 12

महाजनपद : शूरसेन

राजधानी : मथुरा

वर्तमान स्थिति : पश्चिमी उत्तर प्रदेश

क्रमांक : 13

महाजनपद : अशमक

राजधानी : पाटन/पोतन

वर्तमान स्थिति : आंध्र प्रदेश

क्रमांक : 14

महाजनपद : अवन्ति

राजधानी : उत्तरी अवन्ति—उज्जैन, दक्षिणी अवन्ति—महिष्मती

वर्तमान स्थिति : मध्य प्रदेश

क्रमांक : 15

महाजनपद : गांधार

राजधानी : तक्षशिला

वर्तमान स्थिति : अफगानिस्तान

क्रमांक : 16

महाजनपद : कंबोज

राजधानी : हाटक

वर्तमान स्थिति : अफगानिस्तान

सारणी-V

अशोककालीन मौर्य प्रांत

क्रमांक : 1

प्रांत : उत्तरापथ

राजधानी : तक्षशिला

राजधानी की अवस्थिति : अफगानिस्तान

क्रमांक : 2

प्रांत : दक्षिणापथ

राजधानी : स्वर्णगिरि

राजधानी की अवस्थिति : कर्नाटक

क्रमांक : 3

प्रांत : अवन्ति

राजधानी : उज्जैन

राजधानी की अवस्थिति : मध्य प्रदेश

क्रमांक : 4

प्रांत : कलिंग

राजधानी : तोसली

राजधानी की अवस्थिति : उड़ीसा

क्रमांक : 5

प्रांत : प्राची/पूर्वी राज्य

राजधानी : पाटलिपुत्र

राजधानी की अवस्थिति : बिहार

सारणी-VI

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के द्वारा बिहार में सुरक्षित घोषित स्मारक

क्र. : 1

सुरक्षित स्मारक : पातालपुरी गुफा

ग्राम/स्थल : पत्थरघट्टा पहाड़ी

जिला : भागलपुर

क्र. : 2

सुरक्षित स्मारक : शिलामूर्ति समूह

ग्राम/स्थल : पत्थरघट्टा पहाड़ी

जिला : भागलपुर

क्र. : 3

सुरक्षित स्मारक : विक्रमशिला महाविहार के अवशेष

ग्राम/स्थल : अंतिचक, ओरियप

जिला : भागलपुर

क्र. : 4

सुरक्षित स्मारक : शिला मंदिर

ग्राम/स्थल : कहलगौंव, विक्रमशिला महाविहार से सटा

जिला : भागलपुर

क्र. : 5

सुरक्षित स्मारक : अशोककालीन प्रस्तर स्तंभ

ग्राम/स्थल : लौरिया अरेराज

जिला : पूर्वी चंपारण

क्र. : 6

सुरक्षित स्मारक : अशोककालीन सिंह शीर्षयुक्त प्रस्तर स्तंभ

ग्राम/स्थल : लौरिया नंदनगढ़

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 7

सुरक्षित स्मारक : अशोककालीन दो प्रस्तर स्तंभ के अवशेष

ग्राम/स्थल : रामपुरवा

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 8

सुरक्षित स्मारक : वैदिक शवाधान स्थल पर का टीला

ग्राम/स्थल : मरहिया

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 9

सुरक्षित स्मारक : बौद्ध स्तूप

ग्राम/स्थल : ताजपुर (केसरिया)

जिला : पूर्वी चंपारण

क्र. : 10

सुरक्षित स्मारक : किले के अवशेष, तालाब और अवशेष

ग्राम/स्थल : सागरडीह

जिला : पूर्वी चंपारण

क्र. : 11

सुरक्षित स्मारक : किले के अवशेष

ग्राम/स्थल : चान की गढ़

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 12

सुरक्षित स्मारक : किले के अवशेष एवं स्तूप

ग्राम/स्थल : मरहिया

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 13

सुरक्षित स्मारक : वैदिक शवाधान टीला

ग्राम/स्थल : लौरिया नंदनगढ़

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 14

सुरक्षित स्मारक : वैदिक शवाधान टीला

ग्राम/स्थल : पकरी

जिला : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 15

सुरक्षित स्मारक : प्राचीनगढ़ अथवा किले का अवशेष

ग्राम/स्थल : बलिराजगढ़

जिला : मधुबनी

क्र. : 16

सुरक्षित स्मारक : शोभानाथ पहाड़ी का प्राचीन टीला

ग्राम/स्थल : हसरा, जगदीशपुर

जिला : गया

क्र. : 17

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन बौद्ध मूर्ति समूह

ग्राम/स्थल : घेजन

जिला : जहानाबाद

क्र. : 18

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन बौद्ध एवं अन्य मूर्तियों का समूह

ग्राम/स्थल : मुनेरी गाँव

जिला : गया

क्र. : 19

सुरक्षित स्मारक : सप्त गुफा समूह

ग्राम/स्थल : बराबर-नागार्जुनी पहाड़ी

जिला : जहानाबाद

क्र. : 20

सुरक्षित स्मारक : शमशेर खाँ का मजार

ग्राम/स्थल : शमशेर नगर

जिला : औरंगाबाद

क्र. : 21

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन गढ़

ग्राम/स्थल : कुर्कीहार

जिला : गया

क्र. : 22

सुरक्षित स्मारक : राजा विशाल का गढ़

ग्राम/स्थल : बसाढ़

जिला : वैशाली

क्र. : 23

सुरक्षित स्मारक : जामा मस्जिद

ग्राम/स्थल : हाजीपुर

जिला : पटना

क्र. : 24

सुरक्षित स्मारक : पुरातात्विक स्थल

ग्राम/स्थल : कुम्हारार

जिला : पटना

क्र. : 25

सुरक्षित स्मारक : पुरातात्विक स्थल

ग्राम/स्थल : बुलंदीबाग

जिला : पटना

क्र. : 26

सुरक्षित स्मारक : उत्खनित पुरातात्विक स्थल (स्तूप सहित)

ग्राम/स्थल : हरपुर बसंत

जिला : वैशाली

क्र. : 27

सुरक्षित स्मारक : छोटी पहाड़ी का टीला

ग्राम/स्थल : छोटी पहाड़ी

जिला : पटना

क्र. : 28

सुरक्षित स्मारक : पाँच टीले का समूह

ग्राम/स्थल : पहाड़ी डीह

जिला : पटना

क्र. : 29

सुरक्षित स्मारक : मूर्तियों का समूह

ग्राम/स्थल : दतियाना

जिला : पटना

क्र. : 30

सुरक्षित स्मारक : किले की दीवारें

ग्राम/स्थल : राजगृह

जिला : नालंदा

क्र. : 31

सुरक्षित स्मारक : राजगृह के सभी पुरातात्विक स्थल, स्मारक एवं मूर्तियाँ

ग्राम/स्थल : राजगृह

जिला : नालंदा

क्र. : 32

सुरक्षित स्मारक : उत्खनित अवशेष

ग्राम/स्थल : नालंदा गाँव

जिला : नालंदा

क्र. : 33

सुरक्षित स्मारक : मलिक इब्राहीम बया का मजार

ग्राम/स्थल : बिहारशरीफ

जिला : नालंदा

क्र. : 34

सुरक्षित स्मारक : बुद्ध मूर्ति

ग्राम/स्थल : जगदीशपुर

जिला : नालंदा

क्र. : 35

सुरक्षित स्मारक : मखदूम शाह दौलत मनेरी एवं इब्राहीम खान की मजार

ग्राम/स्थल : मनेर

जिला : पटना

क्र. : 36

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन लकड़ी की बनी मौर्यकालीन दीवार के अवशेष

ग्राम/स्थल : संदलपुर

जिला : पटना

क्र. : 37

सुरक्षित स्मारक : मीर अशरफ निर्मित जामा मस्जिद

ग्राम/स्थल : पटना सिटी

जिला : पटना

क्र. : 38

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन अवशेष

ग्राम/स्थल : घोर कटोरा

जिला : नालंदा

क्र. : 39

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन तालाब

ग्राम/स्थल : मनेर

जिला : पटना

क्र. : 40

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन नगर, प्राचीन भग्नावशेष एवं अन्य सभी प्राचीन स्थल

ग्राम/स्थल : माँझी

जिला : सारण

क्र. : 41

सुरक्षित स्मारक : हसन शाह की मजार

ग्राम/स्थल : सासाराम नगर

जिला : रोहतास

क्र. : 42

सुरक्षित स्मारक : शेरशाह सूरी की मजार

ग्राम/स्थल : सासाराम नगर

जिला : रोहतास

क्र. : 43

सुरक्षित स्मारक : अशोक का शिलालेख

ग्राम/स्थल : चन्दन शहीद पहाड़ी

जिला : रोहतास

क्र. : 44

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन गढ़

ग्राम/स्थल : रोहतास पहाड़ी

जिला : रोहतास

क्र. : 45

सुरक्षित स्मारक : बख्तियार खाँ की मजार

ग्राम/स्थल : मलिक सराय (चैनपुर)

जिला : भभुआ

क्र. : 46

सुरक्षित स्मारक : मुंडेश्वरी का प्राचीन मंदिर

ग्राम/स्थल : पवरा (रामगढ़)

जिला : भभुआ

क्र. : 47

सुरक्षित स्मारक : अशोक स्तंभ और स्तूप

ग्राम/स्थल : कोल्हुआ

जिला : मुजफ्फरपुर

क्र. : 48

सुरक्षित स्मारक : शिव मंदिर

ग्राम/स्थल : कोंच

जिला : गया

क्र. : 49

सुरक्षित स्मारक : एकाश्म स्तंभ

ग्राम/स्थल : लाट

जिला : जहानाबाद

क्र. : 50

सुरक्षित स्मारक : नागरी लिपि में लिखा शिला-अभिलेख

ग्राम/स्थल : सासाराम नगर के ताराचंडी मंदिर के निकट

जिला : रोहतास

क्र. : 51

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन टीला

ग्राम/स्थल : बक्सर नगर

जिला : बक्सर

क्र. : 52

सुरक्षित स्मारक : प्राचीन भग्नावशेष एवं मूर्तियाँ

ग्राम/स्थल : खिजर सराय के निकट कौआडोल

जिला : जहानाबाद

क्र. : 53

सुरक्षित स्मारक : डॉ. राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर

ग्राम/स्थल : जीरादेई

जिला : सीवान

सारणी-VII

पुरातत्त्व निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारक

क्र. : 1

सुरक्षित स्मारक : गोलघर

ग्राम/स्थल : पटना

जिला : पटना

क्र. : 2

सुरक्षित स्मारक : अगमकुआँ

ग्राम/स्थल : गुलजारबाग

जिला : पटना

क्र. : 3

सुरक्षित स्मारक : बेगू हजाम की मस्जिद

ग्राम/स्थल : पटना सिटी

जिला : पटना

क्र. : 4

सुरक्षित स्मारक : जैन मंदिर

ग्राम/स्थल : कमलदह, गुलजारबाग

जिला : पटना

क्र. : 5

सुरक्षित स्मारक : दोरुखी प्रतिमा

ग्राम/स्थल : कंकड़बाग

जिला : पटना

क्र. : 6

सुरक्षित स्मारक : छोटी पटनदेवी

ग्राम/स्थल : पटना सिटी

जिला : पटना

क्र. : 7

सुरक्षित स्मारक : शेरगढ़ किला

ग्राम/स्थल : सब्जी बाजार, सासाराम

जिला : रोहतास

क्र. : 8

सुरक्षित स्मारक : अलावल खाँ का मकबरा

ग्राम/स्थल : सासाराम

जिला : रोहतास

क्र. : 9

सुरक्षित स्मारक : सूर्य मंदिर कंदाहा

ग्राम/स्थल : महवारा, महिषी

जिला : सहरसा

क्र. : 10

सुरक्षित स्मारक : कटरागढ़

ग्राम/स्थल : मुजफ्फरपुर

जिला : मुजफ्फरपुर

क्र. : 11

सुरक्षित स्मारक : नेपाली मंदिर

ग्राम/स्थल : हाजीपुर

जिला : वैशाली

क्र. : 12

सुरक्षित स्मारक : खेरी (पुरातात्विक स्थल)

ग्राम/स्थल : शाहकुंड

जिला : भागलपुर

क्र. : 13

सुरक्षित स्मारक : जलालगढ़ किला

ग्राम/स्थल : कसबा

जिला : पूर्णिया

क्र. : 14

सुरक्षित स्मारक : आरा हाउस

ग्राम/स्थल : आरा

जिला : भोजपुर

क्र. : 15

सुरक्षित स्मारक : चौसागढ़

ग्राम/स्थल : नरवतपुर

जिला : बक्सर

क्र. : 16

सुरक्षित स्मारक : दाऊद खाँ का किला

ग्राम/स्थल : दाऊदनगर

जिला : औरंगाबाद

क्र. : 17

सुरक्षित स्मारक : रामशिला पर्वत

ग्राम/स्थल : गया नगर

जिला : गया

क्र. : 18

सुरक्षित स्मारक : विष्णुपद मंदिर

ग्राम/स्थल : गया नगर

जिला : गया

क्र. : 19

सुरक्षित स्मारक : प्रेतशिला पर्वत

ग्राम/स्थल : बहादुर बिगहा, पहाड़ श्रृंखला

जिला : गया

क्र. : 20

सुरक्षित स्मारक : ब्रह्मयोनि पहाड़ी

ग्राम/स्थल : गया

जिला : गया

क्र. : 21

सुरक्षित स्मारक : हजारीमल पुरानी धर्मशाला

ग्राम/स्थल : बेतिया

जिला : बेतिया

सारणी-VIII

बिहार के नवीनतम चिह्नित पुरातात्विक स्थल

स्थल : जमालुद्दीन चक

जिले का नाम : पटना

स्थल : अल्धाना

जिले का नाम : नालंदा

स्थल : एकसारा

जिले का नाम : नालंदा

स्थल : पस्तान नवटोली

जिले का नाम : मधुबनी

स्थल : लोरिकडीह

जिले का नाम : दरभंगा

स्थल : राज परिसर

जिले का नाम : दरभंगा

स्थल : राजनगर

जिले का नाम : मधुबनी

स्थल : भौरंगगढ़ही

जिले का नाम : मधुबनी

स्थल : कालीमंदिर

जिले का नाम : गया

स्थल : उमगा

जिले का नाम : औरंगाबाद

स्थल : चक

जिले का नाम : दरभंगा

स्थल : महेशीया

जिले का नाम : सीतामढ़ी

Downloaded From
http://t.me/Edu_Books
www.studymasterofficial.com

परिशिष्ट-III

सारणी-I

बिहार के मुख्यमंत्री

स्वतंत्रता से पहले बिहार के मुख्यमंत्री

क्र. : 1

मुख्यमंत्री : मोहम्मद यूनूस

कब से : 01.04.1937

कब तक : 19.07.1937

क्र. : 2

मुख्यमंत्री : श्री कृष्ण सिंह

कब से : 20.07.1937

कब तक : 31.10.1939

क्र. : 3

मुख्यमंत्री : श्री कृष्ण सिंह

कब से : 02.04.1946

कब तक : 28.04.1952

सारणी-II

स्वतंत्रता के बाद बिहार के मुख्यमंत्री

क्र. : 1

मुख्यमंत्री : श्री कृष्ण सिंह

कब से : 24.04.1952

कब तक : 31.01.1961

क्र. : 2

मुख्यमंत्री : दीप नारायण सिंह (कार्यवाहक)

कब से : 01.02.1961

कब तक : 18.02.1961

क्र. : 3

मुख्यमंत्री : बिनोदानंद झा

कब से : 18.02.1961

कब तक : 02.10.1963

क्र. : 4

मुख्यमंत्री : कृष्ण बल्लभ सहाय

कब से : 02.10.1963

कब तक : 05.03.1967

क्र. : 5

मुख्यमंत्री : महामाया प्रसाद सिन्हा

कब से : 05.03.1967

कब तक : 28.01.1968

क्र. : 6

मुख्यमंत्री : सतीश प्रसाद सिंह (कार्यवाहक)

कब से : 28.01.1968

कब तक : 01.02.1968

क्र. : 7

मुख्यमंत्री : बिदेश्वरी प्रसाद मंडल

कब से : 01.02.1968

कब तक : 22.03.1968

क्र. : 8

मुख्यमंत्री : भोला पासवान शास्त्री

कब से : 22.03.1968

कब तक : 29.06.1968

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 29.06.1968

कब तक : 26.01.1969

क्र. : 9

मुख्यमंत्री : सरदार हरिहर सिंह

कब से : 26.02.1969

कब तक : 22.06.1969

क्र. : 10

मुख्यमंत्री : भोला पासवान शास्त्री

कब से : 22.06.1969

कब तक : 04.07.1969

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 04.07.1969

कब तक : 16.02.1970

क्र. : 11

मुख्यमंत्री : दारोगा प्रसाद राय

कब से : 16.02.1970

कब तक : 22.12.1970

क्र. : 12

मुख्यमंत्री : कर्पूरी ठाकुर

कब से : 22.12.1970

कब तक : 02.06.1971

क्र. : 13

मुख्यमंत्री : भोला पासवान शास्त्री

कब से : 02.06.1971

कब तक : 09.01.1972

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 09.01.1972

कब तक : 19.03.1972

क्र. : 14

मुख्यमंत्री : केदार पांडेय

कब से : 19.03.1972

कब तक : 02.07.1973

क्र. : 15

मुख्यमंत्री : अब्दुल गफ्फर

कब से : 02.07.1973

कब तक : 11.04.1975

क्र. : 16

मुख्यमंत्री : डॉ. जगन्नाथ मिश्र

कब से : 11.04.1975

कब तक : 30.04.1977

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 30.04.1977

कब तक : 24.06.1977

क्र. : 17

मुख्यमंत्री : कर्पूरी ठाकुर

कब से : 24.06.1977

कब तक : 21.04.1979

क्र. : 18

मुख्यमंत्री : राम सुंदर दास

कब से : 21.04.1979

कब तक : 17.02.1980

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 17.02.1980

कब तक : 08.06.1980

क्र. : 19

मुख्यमंत्री : डॉ. जगन्नाथ मिश्र

कब से : 08.06.1980

कब तक : 14.08.1983

क्र. : 20

मुख्यमंत्री : चंद्रशेखर सिंह

कब से : 14.08.1983

कब तक : 12.03.1985

क्र. : 21

मुख्यमंत्री : बिदेश्वरी दुबे

कब से : 12.03.1985

कब तक : 13.02.1988

क्र. : 22

मुख्यमंत्री : भागवत झा आजाद

कब से : 14.02.1988

कब तक : 10.03.1989

क्र. : 23

मुख्यमंत्री : सत्येंद्र नारायण सिंह

कब से : 11.03.1989

कब तक : 06.12.1989

क्र. : 24

मुख्यमंत्री : डॉ. जगन्नाथ मिश्र

कब से : 06.12.1989

कब तक : 10.03.1990

क्र. : 25

मुख्यमंत्री : लालू प्रसाद

कब से : 10.03.1990

कब तक : 31.03.1995

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 31.03.1995

कब तक : 04.04.1995

क्र. : 26

मुख्यमंत्री : लालू प्रसाद

कब से : 04.04.1995

कब तक : 25.07.1997

क्र. : 27

मुख्यमंत्री : राबड़ी देवी

कब से : 25.07.1997

कब तक : 12.02.1999

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 12.02.1999

कब तक : 09.03.1999

क्र. : 28

मुख्यमंत्री : राबड़ी देवी

कब से : 09.03.1999

कब तक : 03.03.2000

क्र. : 29

मुख्यमंत्री : नीतीश कुमार

कब से : 03.03.2000

कब तक : 11.03.2000

क्र. : 30

मुख्यमंत्री : राबड़ी देवी

कब से : 11.03.2000

कब तक : 06.03.2005

क्र. : —

मुख्यमंत्री : राष्ट्रपति शासन

कब से : 07.03.2005

कब तक : 24.11.2005

क्र. : 31

मुख्यमंत्री : नीतीश कुमार

कब से : 24.11.2005

कब तक : 19.05.2014

क्र. : 32

मुख्यमंत्री : जीतन राम माँझी

कब से : 20.05.2014

कब तक : 22.02.2015

क्र. : 33

मुख्यमंत्री : नीतीश कुमार

कब से : 22.02.2015

कब तक : अब तक

सारणी-III

बिहार के राज्यपाल

क्र. : 1

राज्यपाल : जयराम दास दौलतराम

कब से : 15.08.1947

कब तक : 11.01.1948

क्र. : 2

राज्यपाल : माधव श्रीहरि अणे

कब से : 12.01.1948

कब तक : 14.06.1952

क्र. : 3

राज्यपाल : रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर

कब से : 15.06.1952

कब तक : 05.07.1957

क्र. : 4

राज्यपाल : डॉ. जाकिर हुसैन

कब से : 06.07.1957

कब तक : 11.05.1962

क्र. : 5

राज्यपाल : मधभूषी अनंतशयनम् आर्यगर

कब से : 12.05.1962

कब तक : 06.12.1967

क्र. : 6

राज्यपाल : नित्यानंद कानूनगो

कब से : 07.12.1967

कब तक : 20.01.1971

क्र. : 7

राज्यपाल : न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा (कार्यवाहक)

कब से : 21.01.1971

कब तक : 31.01.1971

क्र. : 8

राज्यपाल : देवकांत बरुआ

कब से : 01.02.1971

कब तक : 04.02.1975

क्र. : 9

राज्यपाल : रामचंद्र धोडिबा भंडारे

कब से : 04.02.1975

कब तक : 15.06.1976

क्र. : 10

राज्यपाल : जगन्नाथ कौशल

कब से : 16.06.1976

कब तक : 27.05.1978

क्र. : 11

राज्यपाल : न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह (कार्यवाहक)

कब से : 27.05.1978

कब तक : 26.06.1978

क्र. : 12

राज्यपाल : जगन्नाथ कौशल

कब से : 26.06.1978

कब तक : 31.01.1979

क्र. : 13

राज्यपाल : न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह (कार्यवाहक)

कब से : 31.01.1979

कब तक : 09.09.1979

क्र. : 14

राज्यपाल : डॉ. अखलाक-उर-रहमान किदवई

कब से : 10.09.1979

कब तक : 15.03.1985

क्र. : 15

राज्यपाल : पेंडेकांति वेंकट सुबैया

कब से : 15.03.1985

कब तक : 25.02.1988

क्र. : 16

राज्यपाल : गोविंद नारायण सिंह

कब से : 26.02.1988

कब तक : 23.01.1989

क्र. : 17

राज्यपाल : न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन (कार्यवाहक)

कब से : 24.01.1989

कब तक : 28.01.1989

क्र. : 18

राज्यपाल : आर.डी. प्रधान (कार्यवाहक)

कब से : 29.01.1989

कब तक : 02.03.1989

क्र. : 19

राज्यपाल : जगन्नाथ पहाड़िया

कब से : 03.03.1989

कब तक : 21.09.1989

क्र. : 20

राज्यपाल : टी.बी. राजेश्वर (कार्यवाहक)

कब से : 22.09.1989

कब तक : 05.02.1990

क्र. : 21

राज्यपाल : मो. यूनुस सलीम

कब से : 06.02.1990

कब तक : 13.02.1991

क्र. : 22

राज्यपाल : बी. सत्यनारायण रेड्डी

कब से : 14.02.1991

कब तक : 19.03.1991

क्र. : 23

राज्यपाल : मो. शफी कुरैशी

कब से : 19.03.1991

कब तक : 15.07.1993

क्र. : 24

राज्यपाल : डॉ. अखलाक-उर-रहमान किदवई

कब से : 15.07.1993

कब तक : 21.04.1998

क्र. : 25

राज्यपाल : सुंदर सिंह भंडारी

कब से : 22.04.1998

कब तक : 13.03.1999

क्र. : 26

राज्यपाल : न्यायमूर्ति बृजमोहन लाल (कार्यवाहक)

कब से : 13.03.1999

कब तक : 03.10.1999

क्र. : 27

राज्यपाल : सूरजभान

कब से : 03.10.1999

कब तक : 18.11.1999

क्र. : 28

राज्यपाल : विनोद चंद्र पांडेय

कब से : 19.11.1999

कब तक : 12.06.2003

क्र. : 29

राज्यपाल : एम. रामाजोइस

कब से : 12.06.2003

कब तक : 05.11.2004

क्र. : 30

राज्यपाल : बूटा सिंह

कब से : 05.11.2004

कब तक : 26.01.2006

क्र. : 31

राज्यपाल : गोपाल कृष्ण गांधी (कार्यवाहक)

कब से : 27.01.2006

कब तक : 21.06.2006

क्र. : 32

राज्यपाल : रामकृष्ण सूर्यभान गवई

कब से : 22.06.2006

कब तक : 10.07.2008

क्र. : 33

राज्यपाल : रघुनंदन लाल भाटिया

कब से : 10.07.2008

कब तक : 28.06.2009

क्र. : 34

राज्यपाल : देवानंद कुँवर

कब से : 29.06.2009

कब तक : 21.03.2013

क्र. : 35

राज्यपाल : डी.वाई. पाटिल

कब से : 22.03.2013

कब तक : 26.11.2014

क्र. : 36

राज्यपाल : केसरी नाथ त्रिपाठी

कब से : 27.11.2014

कब तक : 15.08.2015

क्र. : 37

राज्यपाल : रामनाथ गोविंद

कब से : 16.08.2015

कब तक : अब तक

सारणी-IV

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

क्र. : 1

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मैनर्ड चैंपस चैमियर

कब से : 01.03.1916

कब तक : 30.10.1917

क्र. : 2

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर थॉमस फेड्रिक डॉब्सन मिलर

कब से : 31.10.1917

कब तक : 31.03.1928

क्र. : 3

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर कार्टनी टेल

कब से : 31.03.1928

कब तक : 06.05.1938

क्र. : 4

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर ऑर्थर ट्रेवर हैरिस

कब से : 10.10.1938

कब तक : 19.01.1943

क्र. : 5

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर सैयद फजल अली

कब से : 19.01.1943

कब तक : 14.10.1946

क्र. : 6

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मौनमोहन अग्रवाल

कब से : 09.01.1948

कब तक : 24.01.1950

क्र. : 7

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर हर्बर्ट रिबटन मेरेडिथ

कब से : 25.01.1950

कब तक : 08.04.1950

क्र. : 8

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति पं. लक्ष्मीकांत झा

कब से : 08.04.1950

कब तक : 01.06.1952

क्र. : 9

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति डेविड ऐजरा रियूबेन

कब से : 01.06.1952

कब तक : 02.09.1953

क्र. : 10

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सर सैयद जफर इमाम

कब से : 03.09.1953

कब तक : 10.01.1955

क्र. : 11

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सुधांशु कुमार दास

कब से : 10.01.1955

कब तक : 30.04.1956

क्र. : 12

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति विद्यानाथीयर रामास्वामी

कब से : 30.04.1956

कब तक : 04.01.1965

क्र. : 13

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति रामास्वामी लक्ष्मी नरसिंहन

कब से : 04.08.1965

कब तक : 02.08.1968

क्र. : 14

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्र

कब से : 09.11.1968

कब तक : 05.09.1970

क्र. : 15

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा

कब से : 05.09.1970

कब तक : 29.09.1972

क्र. : 16

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति नंदलाल उंटवालिया

कब से : 29.09.1972

कब तक : 03.10.1974

क्र. : 17

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद सिंह

कब से : 03.10.1974

कब तक : 01.05.1976

क्र. : 18

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह

कब से : 19.07.1976

कब तक : 12.03.1983

क्र. : 19

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह संधवालिया

कब से : 29.11.1983

कब तक : 27.07.1987

क्र. : 20

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद झा

कब से : 02.01.1988

कब तक : 01.05.1988

क्र. : 21

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन

कब से : 01.05.1988

कब तक : 01.05.1989

क्र. : 22

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति सुशील कुमार झा

कब से : 19.10.1989

कब तक : 23.10.1989

क्र. : 23

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति गंगाधर गणेश सोनी

कब से : 24.10.1989

कब तक : 17.12.1990

क्र. : 24

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति विमल चंद्र प्रसाद

कब से : 18.03.1991

कब तक : 21.10.1994

क्र. : 25

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति कृष्ण स्वामी सुंदर परिपूर्णन

कब से : 24.01.1994

कब तक : 11.06.1994

क्र. : 28

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी

कब से : 19.09.1994

कब तक : 06.03.1995

क्र. : 27

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति गोविंद वल्लभ पटनायक

कब से : 19.05.1995

कब तक : 11.08.1995

क्र. : 28

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति देवेन्द्र प्रताप बाघवा

कब से : 29.09.1995

कब तक : 21.03.1997

क्र. : 29

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति बृजमोहन लाल

कब से : 09.07.1997

कब तक : 06.10.1999

क्र. : 30

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति रवि स्वरूप धवन

कब से : 25.01.2000

कब तक : 22.07.2004

क्र. : 31

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति जे.एन. भट्ट

कब से : 18.07.2005

कब तक : 16.10.2007

क्र. : 32

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति राजेश वालिया

कब से : 05.01.2008

कब तक : 30.03.2008

क्र. : 33

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा

कब से : 13.05.2008

कब तक : दिसंबर, 2008

क्र. : 34

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति जे.वी. कोशी

कब से : मार्च, 2009

कब तक : 13.05.2009

क्र. : 35

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति प्रफुल्ल कुमार मिश्रा

कब से : 12.08.2009

कब तक : 17.09.2009

क्र. : 36

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति दीपक कुमार मिश्रा

कब से : 23.12.2009

कब तक : 24.05.2010

क्र. : 37

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति रेखा एम. दोशित

कब से : 21.06.2010

कब तक : 12.12.2014

क्र. : 38

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति लिंगाला नरसिंहा रेड्डी

कब से : 02.01.2015

कब तक : 01.08.2015

क्र. : 39

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी

कब से : 03.08.2015

कब तक : 29.10.2016

क्र. : 40

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (कार्यवाहक)

कब से : 29.10.2016

कब तक : 14.04.2017

क्र. : 41

मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन

कब से : 15.04.2017

कब तक : —

सारणी-V

बिहार के लोकायुक्त

क्र.सं. : 1

नाम : न्यायमूर्ति श्रीधरवासुदेवा सोहनी

कार्यकाल : 28.05.1971 से 27.05.1978

क्र.सं. : 2

नाम : न्यायमूर्ति श्यामनंदन प्रसाद सिंह

कार्यकाल : 08.06.1978 से 07.06.1983

क्र.सं. : 3

नाम : न्यायमूर्ति त्रिवेणी सहाय मिश्र

कार्यकाल : 18.01.1986 से 17.01.1991

क्र.सं. : 4

नाम : न्यायमूर्ति सैयद सरवर अली

कार्यकाल : 07.02.1991 से 06.02.1996

क्र.सं. : 5

नाम : न्यायमूर्ति सर्वेश्वर पांडेय

कार्यकाल : 08.06.2001 से 07.06.2006

क्र.सं. : 6

नाम : न्यायमूर्ति रामनंदन प्रसाद

कार्यकाल : 25.07.2006 से 24.08.2011

क्र.सं. : 7

नाम : न्यायमूर्ति सी.एम. प्रसाद

कार्यकाल : 25.08.2011 से 24.08.2016

सारणी-VI

बिहार से राज्यसभा सदस्यों के नाम

क्र. : 1

सदस्य का नाम : श्री अली अनवर अंसारी

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 2

सदस्य का नाम : श्री राम जेठ मलानी

दल का नाम : राष्ट्रीय जनता दल

क्र. : 3

सदस्य का नाम : श्री रामनाथ ठाकुर

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 4

सदस्य का नाम : डॉ. सी.पी. ठाकुर

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

क्र. : 5

सदस्य का नाम : श्री धर्मेन्द्र प्रधान

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

क्र. : 6

सदस्य का नाम : श्रीमती कहकशाँ परवीन

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 7

सदस्य का नाम : श्री रविशंकर प्रसाद

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

क्र. : 8

सदस्य का नाम : श्रीमती मीशा भारती

दल का नाम : राष्ट्रीय जनता दल

क्र. : 9

सदस्य का नाम : डॉ. महेंद्र प्रसाद

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 10

सदस्य का नाम : श्री शरद यादव

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 11

सदस्य का नाम : श्री आर.के. सिन्हा

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

क्र. : 12

सदस्य का नाम : श्री गोपाल नारायण सिंह

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

क्र. : 13

सदस्य का नाम : श्री वशिष्ठ नारायण सिंह

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 14

सदस्य का नाम : श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 15

सदस्य का नाम : श्री हरिवंश

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

क्र. : 16

सदस्य का नाम : डॉ. अनिल कुमार साहनी

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

सारणी-VII

16वीं लोकसभा में बिहार से लोकसभा सदस्यों की विवरणी

क्र. : 1

सदस्य का नाम : श्री तारिक अनवर

दल का नाम : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : कटिहार

क्र. : 2

सदस्य का नाम : श्री कीर्ति आजाद

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : दरभंगा

क्र. : 3

सदस्य का नाम : डॉ. अरुण कुमार

दल का नाम : राष्ट्रीय लोक समता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : जहानाबाद

क्र. : 4

सदस्य का नाम : श्री कौशलेन्द्र कुमार

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : नालंदा

क्र. : 5

सदस्य का नाम : श्री संतोष कुमार

दल का नाम : जनता दल (यूनाइटेड)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : पूर्णिया

क्र. : 6

सदस्य का नाम : श्री शैलेश कुमार

दल का नाम : राष्ट्रीय जनता दल

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : भागलपुर

क्र. : 7

सदस्य का नाम : श्री उपेंद्र कुशवाहा

दल का नाम : राष्ट्रीय लोक समता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : काराकाट

क्र. : 8

सदस्य का नाम : श्री चौधरी महबूब अली कैसर

दल का नाम : लोक जनशक्ति पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : खगड़िया

क्र. : 9

सदस्य का नाम : श्री वीरेंद्र कुमार चौधरी

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : झंझारपुर

क्र. : 10

सदस्य का नाम : श्री अश्विनी कुमार चौबे

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : बक्सर

क्र. : 11

सदस्य का नाम : डॉ. संजय जायसवाल

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : पश्चिमी चंपारण

क्र. : 12

सदस्य का नाम : श्री तसलीमुद्दीन

दल का नाम : राष्ट्रीय जनता दल

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : अररिया

क्र. : 13

सदस्य का नाम : श्री सतीश चंद्र दुबे

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : वाल्मीकि नगर

क्र. : 14

सदस्य का नाम : श्रीमती रमा देवी

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : शिवहर

क्र. : 15

सदस्य का नाम : श्रीमती वीणा देवी

दल का नाम : लोक जनशक्ति पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : मुंगेर

क्र. : 16

सदस्य का नाम : श्री अजय निषाद

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : मुजफ्फरपुर

क्र. : 17

सदस्य का नाम : श्री चिराग पासवान

दल का नाम : लोक जनशक्ति पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : जमुई

क्र. : 18

सदस्य का नाम : श्री रामचंद्र पासवान

दल का नाम : लोक जनशक्ति पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : समस्तीपुर

क्र. : 19

सदस्य का नाम : श्री रामविलास पासवान

दल का नाम : लोक जनशक्ति पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : हाजीपुर

क्र. : 20

सदस्य का नाम : श्री हरि माँझी

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : गया

क्र. : 21

सदस्य का नाम : श्री ओम प्रकाश यादव

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : सीवान

क्र. : 22

सदस्य का नाम : श्री जयप्रकाश नारायण यादव

दल का नाम : राष्ट्रीय जनता दल

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : बाँका

क्र. : 23

सदस्य का नाम : श्री हुकुमदेव नारायण यादव

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : मधुबनी

क्र. : 24

सदस्य का नाम : श्री रामकृपाल यादव

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : पाटलिपुत्र

क्र. : 25

सदस्य का नाम : श्रीमती रंजीत रंजन

दल का नाम : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : सुपौल

क्र. : 26

सदस्य का नाम : श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

दल का नाम : राष्ट्रीय जनता दल

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : मधेपुरा

क्र. : 27

सदस्य का नाम : श्री राजीव प्रताप रूडी

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : सारण

क्र. : 28

सदस्य का नाम : श्री छेदी पासवान

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : सासाराम

क्र. : 29

सदस्य का नाम : श्री जनक राम

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : गोपालगंज

क्र. : 30

सदस्य का नाम : श्री नित्यानंद राय

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : उजियारपुर

क्र. : 31

सदस्य का नाम : श्री कुशवाहा राम कुमार शर्मा

दल का नाम : राष्ट्रीय लोक समता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : सीतामढ़ी

क्र. : 32

सदस्य का नाम : श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : महाराजगंज

क्र. : 33

सदस्य का नाम : श्री शत्रुघ्न सिन्हा

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : पटना साहिब

क्र. : 34

सदस्य का नाम : श्री गिरिराज सिंह

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : नवादा

क्र. : 35

सदस्य का नाम : डॉ. भोला सिंह

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : बेगूसराय

क्र. : 36

सदस्य का नाम : श्री राजकुमार सिंह

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : आरा

क्र. : 37

सदस्य का नाम : श्री राधामोहन सिंह

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : पूर्वी चंपारण

क्र. : 38

सदस्य का नाम : श्री सुशील कुमार सिंह

दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : औरंगाबाद

क्र. : 39

सदस्य का नाम : श्री रामकिशोर सिंह

दल का नाम : लोक जनशक्ति पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : वैशाली

क्र. : 40

सदस्य का नाम : श्री मोहम्मद असरारुल हक

दल का नाम : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : किशनगंज

सारणी-VIII

बिहार विधानसभा के सदस्य, 2015

क्र.सं. : 1

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अगिआँव (अ.जा.)195

विधायक/ दल : प्रभुनाथ प्रसाद (जदयू)

क्र.सं. : 2

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अतरी 233

विधायक/ दल : कुंती देवी (राजद)

क्र.सं. : 3

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अमनौर 120

विधायक/ दल : शत्रुघ्न तिवारी (भाजपा)

क्र.सं. : 4

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अमरपुर 159

विधायक/ दल : जनार्दन माँझी (जदयू)

क्र.सं. : 5

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अमौर 56

विधायक/ दल : अब्दुल जलील मस्तान (कांग्रेस)

क्र.सं. : 6

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अररिया 49

विधायक/ दल : ओबैदुर रहमान (कांग्रेस)

क्र.सं. : 7

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अरवल 214

विधायक/ दल : रवींद्र सिंह (राजद)

क्र.सं. : 8

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अलीनगर 81

विधायक/ दल : अब्दुल बारी सिद्दीकी (राजद)

क्र.सं. : 9

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अलौली (अ.जा.)148

विधायक/ दल : चंदन कुमार (राजद)

क्र.सं. : 10

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : अस्थावाँ 171

विधायक/ दल : जितेंद्र कुमार (जदयू)

क्र.सं. : 11

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : आरा 194

विधायक/ दल : मोहम्मद नवाज आलम (राजद)

क्र.सं. : 12

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : आलमनगर 70

विधायक/ दल : नरेंद्र नारायण यादव (जदयू)

क्र.सं. : 13

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : इमामगंज (अ.जा.) 227

विधायक/ दल : जीतन राम मौड़ी (हिअमो)

क्र.सं. : 14

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : इस्लामपुर 174

विधायक/ दल : चंद्रसेन प्रसाद (जदयू)

क्र.सं. : 15

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : उजियारपुर 134

विधायक/ दल : आलोक कुमार मेहता (राजद)

क्र.सं. : 16

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : एकमा 113

विधायक/ दल : मनोरंजन सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 17

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : ओबरा 220

विधायक/ दल : वीरेंद्र कुमार सिन्हा (राजद)

क्र.सं. : 18

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : औरंगाबाद 223

विधायक/ दल : आनंद शंकर सिंह (कांग्रेस)

क्र.सं. : 19

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : औराई 89

विधायक/ दल : सुरेंद्र कुमार (राजद)

क्र.सं. : 20

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कुचायकोट 102

विधायक/ दल : अमरेंद्र कुमार पांडेय (जदयू)

क्र.सं. : 21

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कटिहार 63

विधायक/ दल : ताराकिशोर प्रसाद (भाजपा)

क्र.सं. : 22

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कटोरिया (अ.ज.जा.) 162

विधायक/ दल : स्वीटी सीमा हेब्रम (राजद)

क्र.सं. : 23

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कुढ़नी 93

विधायक/ दल : केदार प्र. गुप्ता (भाजपा)

क्र.सं. : 24

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कदवा 64

विधायक/ दल : शकील अहमद खाँ (कांग्रेस)

क्र.सं. : 25

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कुम्हार 183

विधायक/ दल : अरुण कुमार सिन्हा (भाजपा)

क्र.सं. : 26

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : करगहर 209

विधायक/ दल : बशिष्ठ सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 27

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कुर्था 215

विधायक/ दल : सत्यदेव सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 28

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कल्याणपुर 16

विधायक/ दल : सर्चींद्र प्रसाद सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 29

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कल्याणपुर (अ.जा.) 131

विधायक/ दल : महेश्वर हजारी (जदयू)

क्र.सं. : 30

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : केवटी 86

विधायक/ दल : फराज फातमी (राजद)

क्र.सं. : 31

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) 78

विधायक/ दल : शशि भूषण हजारी (जदयू)

क्र.सं. : 32

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कसबा 58

विधायक/ दल : मो. आफाक आलम (कांग्रेस)

क्र.सं. : 33

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : केसरिया 15

विधायक/ दल : डॉ. राजेश कुमार (राजद)

क्र.सं. : 34

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कहलगाँव 155

विधायक/ दल : सदानंद सिंह (कांग्रेस)

क्र.सं. : 35

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : काराकाट 213

विधायक/ दल : संजय कुमार सिंह (राजद)

क्र.सं. : 36

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : काँटी 95

विधायक/ दल : अशोक कुमार चौधरी (सदातपुर) (निर्दलीय)

क्र.सं. : 37

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : किशनगंज 54

विधायक/ दल : डॉ. मुहम्मद जावेद (कांग्रेस)

क्र.सं. : 38

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कुटुंबा (अ.जा.) 222

विधायक/ दल : राजेश कुमार (कांग्रेस)

क्र.सं. : 39

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कोचाधामन 55

विधायक/ दल : मुजाहिद आलम (जदयू)

क्र.सं. : 40

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : कोढ़ा (अ.जा.) 69

विधायक/ दल : पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान (कांग्रेस)

क्र.सं. : 41

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : खगड़िया 149

विधायक/ दल : पूनम देवी यादव (जदयू)

क्र.सं. : 42

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : खजौली 33

विधायक/ दल : सीताराम यादव (राजद)

क्र.सं. : 43

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गरखा (अ.जा.) 119

विधायक/ दल : मुनेश्वर चौधरी (राजद)

क्र.सं. : 44

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गया टाउन 230

विधायक/ दल : प्रेम कुमार (भाजपा)

क्र.सं. : 45

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गायघाट 88

विधायक/ दल : महेश्वर प्रसाद यादव (राजद)

क्र.सं. : 46

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गुरुआ 225

विधायक/ दल : राजीव नंदन (भाजपा)

क्र.सं. : 47

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गोपालगंज 101

विधायक/ दल : सुभाष सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 48

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गोपालपुर 153

विधायक/ दल : नरेंद्र कुमार नीरज (जदयू)

क्र.सं. : 49

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गोरेयाकोठी 111

विधायक/ दल : सत्यदेव प्रसाद सिंह (राजद)

क्र.सं. : 50

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गोबिंदपुर 238

विधायक/ दल : पूर्णिमा यादव (कांग्रेस)

क्र.सं. : 51

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गोविंदगंज 14

विधायक/ दल : राजू तिवारी (लोचपा)

क्र.सं. : 52

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गोह 219

विधायक/ दल : मनोज कुमार (भाजपा)

क्र.सं. : 53

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : गौड़ाबौराम 79

विधायक/ दल : मदन सहनी (जदयू)

क्र.सं. : 54

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : घोसी 217

विधायक/ दल : कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा (जदयू)

क्र.सं. : 55

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : चकाई 243

विधायक/ दल : सावित्री देवी (राजद)

क्र.सं. : 56

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : चनपटिया 7

विधायक/ दल : प्रकाश राय (भाजपा)

क्र.सं. : 57

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : चेनारी (अ.जा.) 207

विधायक/ दल : ललन पासवान (रालोसपा)

क्र.सं. : 58

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : चेरिया बरियारपुर 141

विधायक/ दल : कुमारी मंजू वर्मा (जदयू)

क्र.सं. : 59

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : चिरैया 20

विधायक/ दल : लाल बाबू प्र. गुप्ता (भाजपा)

क्र.सं. : 60

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : चैनपुर 206

विधायक/ दल : वृज किशोर विंद (भाजपा)

क्र.सं. : 61

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : छपरा 118

विधायक/ दल : डॉ. सी.एन. गुप्ता (भाजपा)

क्र.सं. : 62

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : छातापुर 45

विधायक/ दल : नीरज कुमार सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 63

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जगदीशपुर 197

विधायक/ दल : राम विशुन सिंह (राजद)

क्र.सं. : 64

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जमुई 241

विधायक/ दल : विजय प्रकाश (राजद)

क्र.सं. : 65

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जमालपुर 166

विधायक/ दल : शैलेश कुमार (जदयू)

क्र.सं. : 66

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जहानाबाद 216

विधायक/ दल : मुद्रिका सिंह यादव (राजद)

क्र.सं. : 67

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जाले 87

विधायक/ दल : जिवेश कुमार (भाजपा)

क्र.सं. : 68

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जीरादेई 106

विधायक/ दल : रमेश सिंह कुशवाहा (जदयू)

क्र.सं. : 69

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : जोकीहाट 50

विधायक/ दल : सरफराज आलम (जदयू)

क्र.सं. : 70

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : झंझारपुर 38

विधायक/ दल : गुलाब यादव (राजद)

क्र.सं. : 71

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : झांझा 242

विधायक/ दल : रवींद्र यादव (भाजपा)

क्र.सं. : 72

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : टिकारी 231

विधायक/ दल : अभय कुमार सिन्हा (जदयू)

क्र.सं. : 73

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : ठाकुरगंज 53

विधायक/ दल : नौशाद आलम (तातपौआ) (जदयू)

क्र.सं. : 74

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : डुमराँव 201

विधायक/ दल : ददन यादव (जदयू)

क्र.सं. : 75

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : डिहरी 212

विधायक/ दल : मोहम्मद इलियास हुसैन (राजद)

क्र.सं. : 76

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : ढाका 21

विधायक/ दल : फैसल रहमान (राजद)

क्र.सं. : 77

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : तरारी 196

विधायक/ दल : गीता पांडे (लोजपा)

क्र.सं. : 78

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : तरैया 116

विधायक/ दल : मुद्रिका प्रसाद राय (राजद)

क्र.सं. : 79

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : त्रिवेणीगंज (अ.जा.) 44

विधायक/ दल : वीणा भारती (जदयू)

क्र.सं. : 80

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : तारापुर 164

विधायक/ दल : मेवालाल चौधरी (जदयू)

क्र.सं. : 81

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : तेघड़ा 143

विधायक/ दल : बीरेंद्र कुमार (राजद)

क्र.सं. : 82

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दरभंगा 83

विधायक/ दल : संजय सरावगी (भाजपा)

क्र.सं. : 83

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दरभंगा ग्रामीण 82

विधायक/ दल : ललित कुमार यादव (राजद)

क्र.सं. : 84

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दरौंदा 109

विधायक/ दल : कविता सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 85

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दरौली (अ.जा.) 107

विधायक/ दल : सत्यदेव राम (माले)

क्र.सं. : 86

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दानापुर 186

विधायक/ दल : आशा देवी (भाजपा)

क्र.सं. : 87

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दिनारा 210

विधायक/ दल : जय कुमार सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 88

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : दीघा 181

विधायक/ दल : संजीव चौरसिया (भाजपा)

क्र.सं. : 89

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : धमदाहा 61

विधायक/ दल : लेशी सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 90

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : धोरैया (अ.जा.) 160

विधायक/ दल : मनीष कुमार (जदयू)

क्र.सं. : 91

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नरकटिया 12

विधायक/ दल : शमीम अहमद (राजद)

क्र.सं. : 92

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नरकटियागंज 3

विधायक/ दल : विनय वर्मा (कांग्रेस)

क्र.सं. : 93

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नरपतगंज 46

विधायक/ दल : अनिल कुमार यादव (राजद)

क्र.सं. : 94

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नवादा 237

विधायक/ दल : राजबल्लभ प्रसाद (राजद)

क्र.सं. : 95

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नवीनगर 221

विधायक/ दल : वीरेंद्र कुमार सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 96

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नाथनगर 158

विधायक/ दल : अजय कुमार मंडल (जदयू)

क्र.सं. : 97

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नालंदा 176

विधायक/ दल : श्रवण कुमार (जदयू)

क्र.सं. : 98

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : निर्मली 41

विधायक/ दल : अनिरुद्ध प्रसाद यादव (जदयू)

क्र.सं. : 99

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नोखा 211

विधायक/ दल : अनिता देवी (राजद)

क्र.सं. : 100

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : नौतन 6

विधायक/ दल : नारायण प्रसाद (भाजपा)

क्र.सं. : 101

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : प्राणपुर 66

विधायक/ दल : विनोद कुमार सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 102

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पटना साहिब 184

विधायक/ दल : नंद किशोर यादव (भाजपा)

क्र.सं. : 103

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : परबत्ता 151

विधायक/ दल : रामानंद प्रसाद सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 104

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : परसा 121

विधायक/ दल : चंद्रिका राय (राजद)

क्र.सं. : 105

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : परिहार 25

विधायक/ दल : गायत्री देवी (भाजपा)

क्र.सं. : 106

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पूर्णिया 62

विधायक/ दल : विजय कुमार खेमका (भाजपा)

क्र.सं. : 107

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पातेपुर (अ.जा.) 130

विधायक/ दल : प्रेमा चौधरी (राजद)

क्र.सं. : 108

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पारू 97

विधायक/ दल : अशोक कुमार सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 109

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पालीगंज 190

विधायक/ दल : जय वर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव (राजद)

क्र.सं. : 110

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पिपरा 17

विधायक/ दल : श्यामबाबू प्रसाद यादव (भाजपा)

क्र.सं. : 111

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पिपरा 42

विधायक/ दल : यदुवंश कुमार यादव (राजद)

क्र.सं. : 112

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : पीरपैती (अ.जा.) 154

विधायक/ दल : राम विलास पासवान (राजद)

क्र.सं. : 113

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : फतुहा 185

विधायक/ दल : डॉ. रामानंद यादव (राजद)

क्र.सं. : 114

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : फारबिसगंज 48

विधायक/ दल : विद्या सागर केशरी (भाजपा)

क्र.सं. : 115

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : फुलपरास 39

विधायक/ दल : गुलजार देवी (जदयू)

क्र.सं. : 116

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : फुलवारी (अ.जा.) 188

विधायक/ दल : श्याम रजक (जदयू)

क्र.सं. : 117

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बैकुंठपुर 99

विधायक/ दल : मिथिलेश तिवारी (भाजपा)

क्र.सं. : 118

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बक्सर 200

विधायक/ दल : संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (कांग्रेस)

क्र.सं. : 119

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बख्तियारपुर 180

विधायक/ दल : रणविजय सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 120

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बखरी (अ.जा.) 147

विधायक/ दल : उपेंद्र पासवान (राजद)

क्र.सं. : 121

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेगूसराय 146

विधायक/ दल : अमिता भूषण (कांग्रेस)

क्र.सं. : 122

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बगहा 4

विधायक/ दल : राघव शरण पांडेय (भाजपा)

क्र.सं. : 123

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बछवाड़ा 142

विधायक/ दल : रामदेव राय (कांग्रेस)

क्र.सं. : 124

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बड़हरा 193

विधायक/ दल : सरोज यादव (राजद)

क्र.सं. : 125

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बड़हरिया 110

विधायक/ दल : श्याम बहादुर सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 126

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेतिया 8

विधायक/ दल : मदन मोहन तिवारी (कांग्रेस)

क्र.सं. : 127

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बथनाहा (अ.जा.) 24

विधायक/ दल : दिनकर राम (भाजपा)

क्र.सं. : 128

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बनमनखी (अ.जा.) 59

विधायक/ दल : कृष्ण कुमार ऋषि (भाजपा)

क्र.सं. : 129

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बनियापुर 115

विधायक/ दल : केदार नाथ सिंह (राजद)

क्र.सं. : 130

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेनीपट्टी 32

विधायक/ दल : भावना झा (कांग्रेस)

क्र.सं. : 131

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेनीपुर 80

विधायक/ दल : सुनील चौधरी (जदयू)

क्र.सं. : 132

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बरबीघा 170

विधायक/ दल : सुदर्शन कुमार (कांग्रेस)

क्र.सं. : 133

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बरूरराज 96

विधायक/ दल : नंद कुमार राय (राजद)

क्र.सं. : 134

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : ब्रह्मपुर 199

विधायक/ दल : शंभु नाथ यादव (राजद)

क्र.सं. : 135

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बरारी 68

विधायक/ दल : नीरज कुमार (राजद)

क्र.सं. : 136

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बरौली 100

विधायक/ दल : मो. नेमातुल्लाह (राजद)

क्र.सं. : 137

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बलरामपुर 65

विधायक/ दल : महबूब आलम (माले)

क्र.सं. : 138

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेलसंड 30

विधायक/ दल : सुनीता सिंह चौहान (जदयू)

क्र.सं. : 139

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेलहर 163

विधायक/ दल : गिरिधारी यादव (जदयू)

क्र.सं. : 140

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेलागंज 232

विधायक/ दल : सुरेंद्र प्रसाद यादव (राजद)

क्र.सं. : 141

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बहादुरगंज 52

विधायक/ दल : मो. तौसीफ आलम (कांग्रेस)

क्र.सं. : 142

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बहादुरपुर 85

विधायक/ दल : भोला यादव (राजद)

क्र.सं. : 143

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बाँका 161

विधायक/ दल : राम नारायण मंडल (भाजपा)

क्र.सं. : 144

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बाँकीपुर 182

विधायक/ दल : नितिन नवीन (भाजपा)

क्र.सं. : 145

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बाजपट्टी 27

विधायक/ दल : डॉ. रंजु गीता (जदयू)

क्र.सं. : 146

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बाढ़ 179

विधायक/ दल : ज्ञानेंद्र कुमार सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 147

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बाबूबरही 34

विधायक/ दल : कपिल देब कामत (जदयू)

क्र.सं. : 148

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बायसी 57

विधायक/ दल : अब्दुस सुब्हान (राजद)

क्र.सं. : 149

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बाराचट्टी (अ.जा.) 228

विधायक/ दल : समता देवी (राजद)

क्र.सं. : 150

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बिक्रम 191

विधायक/ दल : सिद्धार्थ (कांग्रेस)

क्र.सं. : 151

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बिस्फी 35

विधायक/ दल : फैयाज अहमद (राजद)

क्र.सं. : 152

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बिहपुर 152

विधायक/ दल : वर्षा रानी (राजद)

क्र.सं. : 153

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बिहारशरीफ 172

विधायक/ दल : डॉ. सुनील कुमार (भाजपा)

क्र.सं. : 154

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बिहारीगंज 71

विधायक/ दल : निरंजन कुमार मेहता (जदयू)

क्र.सं. : 155

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बेलदौर 150

विधायक/ दल : पन्ना लाल सिंह पटेल (जदयू)

क्र.सं. : 156

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बोचहाँ (अ.जा.) 91

विधायक/ दल : बेबी कुमारी (निर्दलीय)

क्र.सं. : 157

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : बोधगया (अ.जा.) 229

विधायक/ दल : कुमार सर्वजीत (राजद)

क्र.सं. : 158

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : भभुआ 205

विधायक/ दल : आनंद भूषण पांडेय (भाजपा)

क्र.सं. : 159

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : भागलपुर 156

विधायक/ दल : अजीत शर्मा (कांग्रेस)

क्र.सं. : 160

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : भोरे (अ.जा.) 103

विधायक/ दल : अनिल कुमार (कांग्रेस)

क्र.सं. : 161

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मखदूमपुर (अ.जा.) 218

विधायक/ दल : सूबेदार दास (राजद)

क्र.सं. : 162

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मुंगेर 165

विधायक/ दल : विजय कुमार विजय (राजद)

क्र.सं. : 163

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मुजफ्फरपुर 94

विधायक/ दल : सुरेश कुमार शर्मा (भाजपा)

क्र.सं. : 164

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मटिहानी 144

विधायक/ दल : नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 165

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मधेपुरा 73

विधायक/ दल : चंद्र शेखर (राजद)

क्र.सं. : 166

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मधुबन 18

विधायक/ दल : राणा रणधीर (भाजपा)

क्र.सं. : 167

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मधुबनी 36

विधायक/ दल : समीर कुमार महासेठ (राजद)

क्र.सं. : 168

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मढ़ौरा 117

विधायक/ दल : जितेंद्र कुमार राय (राजद)

क्र.सं. : 169

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मनेर 187

विधायक/ दल : भाई वीरेंद्र (राजद)

क्र.सं. : 170

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मनिहारी (अ.ज.जा.) 67

विधायक/ दल : मनोहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस)

क्र.सं. : 171

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मसौढ़ी (अ.जा) 189

विधायक/ दल : रेखा देवी (ग्राम—पभेड़ा) (राजद)

क्र.सं. : 172

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : महनार 129

विधायक/ दल : उमेश सिंह कुशवाहा (जदयू)

क्र.सं. : 173

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : महाराजगंज 112

विधायक/ दल : हेम नारायण साह (जदयू)

क्र.सं. : 174

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : महुआ 126

विधायक/ दल : तेज प्रताप यादव (राजद)

क्र.सं. : 175

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : महिषी 77

विधायक/ दल : डॉ. अब्दुल गफूर (राजद)

क्र.सं. : 176

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : माँझी 114

विधायक/ दल : विजय शंकर दुबे (कांग्रेस)

क्र.सं. : 177

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मीनापुर 90

विधायक/ दल : राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (राजद)

क्र.सं. : 178

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मोकामा 178

विधायक/ दल : अनंत कुमार सिंह (निर्दलीय)

क्र.सं. : 179

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मोतिहारी 19

विधायक/ दल : प्रमोद कुमार (भाजपा)

क्र.सं. : 180

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मोरवा 135

विधायक/ दल : विद्या सागर सिंह निषाद (जदयू)

क्र.सं. : 181

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मोहनिया (अ.जा.) 204

विधायक/ दल : निरंजन राम (भाजपा)

क्र.सं. : 182

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : मोहिउद्दीननगर 137

विधायक/ दल : अजय यादव (राजद)

क्र.सं. : 183

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रक्सौल 10

विधायक/ दल : अजय कुमार सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 184

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रघुनाथपुर 108

विधायक/ दल : हरिशंकर यादव (राजद)

क्र.सं. : 185

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रजौली (अ.जा.) 235

विधायक/ दल : प्रकाश वीर (राजद)

क्र.सं. : 186

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रफीगंज 224

विधायक/ दल : अशोक कुमार सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 187

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रून्नीसैंदपुर 29

विधायक/ दल : मंगिता देवी (राजद)

क्र.सं. : 188

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रुपौली 60

विधायक/ दल : बीमा भारती (जदयू)

क्र.सं. : 189

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : राघोपुर 128

विधायक/ दल : तेजस्वी प्रसाद यादव (राजद)

क्र.सं. : 190

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : राजगीर (अ.जा.) 173

विधायक/ दल : रवि ज्योति कुमार (जदयू)

क्र.सं. : 191

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : राजनगर (अ.जा.) 37

विधायक/ दल : रामप्रीत पासवान (भाजपा)

क्र.सं. : 192

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : राजपुर (अ.जा.) 202

विधायक/ दल : संतोष कुमार निराला (जदयू)

क्र.सं. : 193

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : राजापाकार (अ.जा.) 127

विधायक/ दल : शिवचंद्र राम (राजद)

क्र.सं. : 194

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रामगढ़ 203

विधायक/ दल : अशोक कुमार सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 195

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रामनगर (अ.जा.) 2

विधायक/ दल : भागीरथी देवी (भाजपा)

क्र.सं. : 196

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रानीगंज (अ.जा.) 47

विधायक/ दल : अचमित ऋषिदेव (जदयू)

क्र.सं. : 197

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रीगा 23

विधायक/ दल : अमित कुमार (कांग्रेस)

क्र.सं. : 198

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : रोसड़ा (अ.जा.) 139

विधायक/ दल : डॉ. अशोक कुमार (कांग्रेस)

क्र.सं. : 199

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : लखीसराय 168

विधायक/ दल : विजय कुमार सिन्हा (भाजपा)

क्र.सं. : 200

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : लालगंज 124

विधायक/ दल : राज कुमार साह (लोजपा)

क्र.सं. : 201

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : लौकहा 40

विधायक/ दल : लक्ष्मेश्वर राय (जदयू)

क्र.सं. : 202

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : लौरिया 5

विधायक/ दल : विनय बिहारी (भाजपा)

क्र.सं. : 203

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : वजीरगंज 234

विधायक/ दल : अवधेश कुमार सिंह (कांग्रेस)

क्र.सं. : 204

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : वैशाली 125

विधायक/ दल : राज किशोर सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 205

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : वारिसलीगंज 239

विधायक/ दल : अरुणा देवी (भाजपा)

क्र.सं. : 206

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : वारिसनगर 132

विधायक/ दल : अशोक कुमार (जदयू)

क्र.सं. : 207

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : वाल्मीकिनगर 1

विधायक/ दल : धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिकू सिंह (निर्दलीय)

क्र.सं. : 208

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : विभूतिपुर 138

विधायक/ दल : राम बालक सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 209

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : शेखपुरा 169

विधायक/ दल : रणधीर कुमार सोनी (जदयू)

क्र.सं. : 210

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : शेरघाटी 226

विधायक/ दल : विनोद प्रसाद यादव (जदयू)

क्र.सं. : 211

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : शाहपुर 198

विधायक/ दल : राहुल तिवारी (राजद)

क्र.सं. : 212

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : शिवहर 22

विधायक/ दल : शर्फुद्दीन (जदयू)

क्र.सं. : 213

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सकरा (अ.जा.) 92

विधायक/ दल : लाल बाबू राम (राजद)

क्र.सं. : 214

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सुगौली 11

विधायक/ दल : रामचंद्र सहनी (भाजपा)

क्र.सं. : 215

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : संदेश 192

विधायक/ दल : अरुण कुमार (राजद)

क्र.सं. : 216

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सुपौल 43

विधायक/ दल : बिजेन्द्र प्रसाद यादव (जदयू)

क्र.सं. : 217

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : समस्तीपुर 133

विधायक/ दल : अखतरुल इस्लाम शाहीन (राजद)

क्र.सं. : 218

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सरायरंजन 136

विधायक/ दल : विजय कुमार चौधरी (जदयू)

क्र.सं. : 219

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सुल्तानगंज 157

विधायक/ दल : सुबोध राय (जदयू)

क्र.सं. : 220

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सहरसा 75

विधायक/ दल : अरुण कुमार (राजद)

क्र.सं. : 221

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सासाराम 208

विधायक/ दल : अशोक कुमार (राजद)

क्र.सं. : 222

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : साहेबगंज 98

विधायक/ दल : रामविचार राय (राजद)

क्र.सं. : 223

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : साहेबपुर कमाल 145

विधायक/ दल : श्रीनारायण यादव (राजद)

क्र.सं. : 224

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सिकटा 9

विधायक/ दल : खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद (जदयू)

क्र.सं. : 225

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सिकटी 51

विधायक/ दल : विजय कुमार मंडल (भाजपा)

क्र.सं. : 226

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सिकंदरा (अ.जा.) 240

विधायक/ दल : सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी (कांग्रेस)

क्र.सं. : 227

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सिमरी बख्तियारपुर 76

विधायक/ दल : दिनेश चंद्र यादव (जदयू)

क्र.सं. : 228

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सीवान 105

विधायक/ दल : व्यासदेव प्रसाद (भाजपा)

क्र.सं. : 229

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सिंहेश्वर (अ.जा.) 72

विधायक/ दल : रमेश ऋषिदेव (जदयू)

क्र.सं. : 230

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सीतामढ़ी 28

विधायक/ दल : सुनील कुमार (राजद)

क्र.सं. : 231

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सुरसंड 26

विधायक/ दल : सैयद अबू दौजाना (राजद)

क्र.सं. : 232

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सूर्यगढ़ा 167

विधायक/ दल : प्रहलाद यादव (राजद)

क्र.सं. : 233

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सोनपुर 122

विधायक/ दल : डॉ. रामानुज प्रसाद (राजद)

क्र.सं. : 234

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : सोनवर्षा (अ.जा.) 74

विधायक/ दल : रत्नेश सादा (जदयू)

क्र.सं. : 235

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हथुआ 104

विधायक/ दल : रामसेवक सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 236

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हरनौत 177

विधायक/ दल : हरिनारायण सिंह (जदयू)

क्र.सं. : 237

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हरलाखी 31

विधायक/ दल : बसंत कुमार (सलोसपा)

क्र.सं. : 238

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हरसिद्धि (अ.जा.) 13

विधायक/ दल : राजेंद्र कुमार (राजद)

क्र.सं. : 239

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हसनपुर 140

विधायक/ दल : राज कुमार राय (जदयू)

क्र.सं. : 240

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हाजीपुर 123

विधायक/ दल : अवधेश सिंह (भाजपा)

क्र.सं. : 241

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हायाघाट 84

विधायक/ दल : अमर नाथ गामी (जदयू)

क्र.सं. : 242

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हिलसा 175

विधायक/ दल : अत्रि मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव (राजद)

क्र.सं. : 243

क्षेत्र / विधानसभा संख्या : हिसुआ 236

विधायक/ दल : अनिल सिंह (भाजपा)

सारणी-IX

बिहार विधानपरिषद् के सदस्यों के नाम

क्र. : 1

सदस्य का नाम : श्री आदित्य नारायण पांडेय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन गोपालगंज

क्र. : 2

सदस्य का नाम : श्री अर्जुन साहनी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 3

सदस्य का नाम : श्री अशोक चौधरी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 4

सदस्य का नाम : श्री अशोक कुमार अग्रवाल

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन कटिहार

क्र. : 5

सदस्य का नाम : श्री अवधेश नारायण सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र गया

क्र. : 6

सदस्य का नाम : श्री चंदेश्वर प्रसाद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 7

सदस्य का नाम : श्री चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 8

सदस्य का नाम : श्री देवेशचंद्र ठाकुर

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र तिरहुत

क्र. : 9

सदस्य का नाम : श्री दिलीप कुमार चौधरी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र दरभंगा

क्र. : 10

सदस्य का नाम : श्री दिलीप कुमार जायसवाल

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, किशनगंज

क्र. : 11

सदस्य का नाम : श्री दिलीप राय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन सीतामढ़ी, शिवहर

क्र. : 12

सदस्य का नाम : श्री दिनेश प्रसाद सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन क्षेत्र मुजफ्फरपुर

क्र. : 13

सदस्य का नाम : श्री गुलाम रसूल

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 14

सदस्य का नाम : श्री हरिनारायण चौधरी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन क्षेत्र समस्तीपुर

क्र. : 15

सदस्य का नाम : श्री हारून रसीद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 16

सदस्य का नाम : श्री हीराप्रसाद विंद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 17

सदस्य का नाम : श्री जावेद इकबाल अंसाही

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 18

सदस्य का नाम : श्री केदारनाथ पांडेय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : शिक्षक क्षेत्र सारण

क्र. : 19

सदस्य का नाम : श्री कृष्ण कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 20

सदस्य का नाम : श्री लाल बाबू प्रसाद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 21

सदस्य का नाम : श्री ललन कुमार सर्राफ

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 22

सदस्य का नाम : श्री मदन मोहन झा

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : शिक्षक क्षेत्र दरभंगा

क्र. : 23

सदस्य का नाम : श्री मंगल पांडेय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 24

सदस्य का नाम : श्री मनोज यादव

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन भागलपुर, बाँका

क्र. : 25

सदस्य का नाम : श्रीमती मनोरमा देवी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन जहानाबाद, अरवल

क्र. : 26

सदस्य का नाम : डॉ. एम्.के. यादव

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र कोशी

क्र. : 27

सदस्य का नाम : प्रो. नवल किशोर यादव

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र पटना

क्र. : 28

सदस्य का नाम : श्री नीरज कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र पटना

क्र. : 29

सदस्य का नाम : श्री नीतीश कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 30

सदस्य का नाम : श्रीमती नूतन सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन सहरसा, मधेपुरा, सुपौल

क्र. : 31

सदस्य का नाम : श्री प्रशांत कुमार शाही

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 32

सदस्य का नाम : श्री मोहम्मद कुमार आलम

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 33

सदस्य का नाम : श्रीमती राबड़ी देवी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 34

सदस्य का नाम : श्री राधाचरण शाह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन भोजपुर

क्र. : 35

सदस्य का नाम : श्री रंजन कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन औरंगाबाद

क्र. : 36

सदस्य का नाम : श्री राजेश कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन पूर्वी चंपारण

क्र. : 37

सदस्य का नाम : श्री राजेश राम

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन पश्चिमी चंपारण

क्र. : 38

सदस्य का नाम : श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 39

सदस्य का नाम : श्री राजीव रंजन सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 40

सदस्य का नाम : श्री रजनीश कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन बेगूसराय, खगड़िया

क्र. : 41

सदस्य का नाम : श्री रामचंद्र भारती

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 42

सदस्य का नाम : श्री राम लखन राम रमन

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 43

सदस्य का नाम : डॉ. रामबचन राय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 44

सदस्य का नाम : श्री राणा गंगेश्वर सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 45

सदस्य का नाम : श्री रणवीर नंदन

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 46

सदस्य का नाम : श्री रणविजय कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 47

सदस्य का नाम : श्री रीतलाल राय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन पटना

क्र. : 48

सदस्य का नाम : श्रीमती रीना देवी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन नालंदा

क्र. : 49

सदस्य का नाम : श्री सच्चिदानंद राय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन सारण

क्र. : 50

सदस्य का नाम : श्री सुलवान रागीब

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन नवादा

क्र. : 51

सदस्य का नाम : श्री संजय कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 52

सदस्य का नाम : प्रो. संजय कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत

क्र. : 53

सदस्य का नाम : श्री संजय प्रसाद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा

क्र. : 54

सदस्य का नाम : श्री संजय प्रकाश

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 55

सदस्य का नाम : श्री संजय सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 56

सदस्य का नाम : श्री संजीव कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सहरसा

क्र. : 57

सदस्य का नाम : श्री संजीव श्याम सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया

क्र. : 58

सदस्य का नाम : श्री संतोष कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन रोहतास और कैमूर

क्र. : 59

सदस्य का नाम : श्री सतीश कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 60

सदस्य का नाम : श्री सत्येंद्र नारायण सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 61

सदस्य का नाम : श्री प्रसन्न यादव

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 62

सदस्य का नाम : श्री सोने लाल मेहता

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 63

सदस्य का नाम : श्री सुबोध कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन वैशाली

क्र. : 64

सदस्य का नाम : श्री सुमन कुमार

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन मधुबनी

क्र. : 65

सदस्य का नाम : श्री सुनील कुमार सिंह

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन दरभंगा

क्र. : 66

सदस्य का नाम : श्री सूरज नंदन प्रसाद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 67

सदस्य का नाम : श्री सुशील कुमार मोदी

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 68

सदस्य का नाम : तनवीर अख्तर

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 69

सदस्य का नाम : श्री टुंजी पांडेय

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्थानीय स्वशासन सीवान

क्र. : 70

सदस्य का नाम : श्री उपेंद्र प्रसाद

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 71

सदस्य का नाम : श्री विजय कुमार मिश्रा

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : नोमिनेटेड

क्र. : 72

सदस्य का नाम : श्री विनोद कुमार झा

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : विधानसभा

क्र. : 73

सदस्य का नाम : श्री वीरेंद्र नारायण यादव

निर्वाचक क्षेत्र का नाम : स्नातक क्षेत्र सारण

सारणी-X

बिहार के प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल

प्रमंडल	जिला	अनुमंडल
1. पटना	1. पटना	1. पटना सदर, 2. दानापुर, 3. बाढ़, 4. पटना सिटी, 5. मसौढ़ी, 6. पालीगंज
	2. नालंदा	1. बिहारशरीफ सदर, 2. हिलसा, 3. राजगीर
	3. रोहतास	1. सासाराम सदर, 2. विक्रमगंज, 3. डेहरी
	4. भभुआ (कैमूर)	1. भभुआ सदर, 2. मोहनिया
	5. भोजपुर (आरा)	1. आरा सदर, 2. जगदीशपुर, 3. पीरो
	6. बक्सर	1. बक्सर सदर, 2. डुमराँव

2. मगध	1. गया	1. गया सदर, 2. शेरघाटी, 3. टेकारी, 4. नीमचक, 5. बथानी
	2. जहानाबाद	1. जहानाबाद सदर
	3. अरवल	1. अरवल सदर
	4. नवादा	1. नवादा सदर, 2. रजौली
	5. औरंगाबाद	1. औरंगाबाद सदर, 2. दाऊदनगर
3. सारण (छपरा)	1. सारण (छपरा)	1. छपरा सदर, 2. मढ़ौरा, 3. सोनपुर
	2. सीवान	1. सीवान सदर, 2. महाराजगंज
	3. गोपालगंज	1. गोपालगंज सदर, 2. हथुआ
4. तिरहुत (मुजफ्फरपुर)	1. मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर पूर्व, 2. मुजफ्फरपुर पश्चिम, 3. बेलसंड
	2. सीतामढ़ी	1. सीतामढ़ी सदर, 2. पुपरी, 3. बेलसंड
	3. शिवहर	1. शिवहर सदर
	4. प. चंपारण (बेतिया)	1. बेतिया, 2. बगहा, 3. नरकटियागंज
	5. पू. चंपारण	1. मोतिहारी सदर, 2. अरेराज, 3. चकौया, 4. पकड़ौदयाल, 5. रक्सौल, 6. सिकहरना
	6. वैशाली	1. हाजीपुर, 2. महुआ, 3. महनार
5. दरभंगा	1. दरभंगा	1. दरभंगा सदर, 2. बेनीपुर, 3. बिरौल
	2. मधुबनी	1. मधुबनी सदर, 2. जयनगर, 3. बेनीपट्टी, 4. झंझारपुर, 5. फुलपरास
	3. समस्तीपुर	1. समस्तीपुर सदर, 2. दलसिंग सराय, 3. पटोरी, 4. रोसरा
6. कोसी (सहरसा)	1. सहरसा	1. सहरसा, 2. सिमरी बख्तियारपुर
	2. सुपौल	1. चौरपुर, 2. निमली, 3. सुपौल, 4. त्रिवेणीगंज
	3. मधेपुरा	1. मधेपुरा, 2. उदाकिशनगंज

7. पूर्णिया प्रमंडल	1. पूर्णिया	1. पूर्णिया सदर, 2. बनमनखी, 3. वायसी, 4. धमदाहा
	2. अररिया	1. अररिया सदर, 2. फारबिसगंज
	3. किशनगंज	1. किशनगंज
	4. कटिहार	1. कटिहार सदर, 2. बारसोई, 3. मनिहारी
8. भागलपुर	1. भागलपुर	1. भागलपुर सदर, 2. कहलगाँव, 3. नवगछिया
	2. बाँका	1. बाँका सदर
9. मुंगेर	1. मुंगेर	1. मुंगेर, 2. हवेली खड़गपुर, 3. तारापुर
	2. लखीसराय	1. लखीसराय
	3. जमुई	1. जमुई
	4. खगड़िया	1. खगड़िया, 2. गोगरी
	5. शेखपुरा	1. शेखपुरा
	6. बेगूसराय	1. बेगूसराय, 2. तेमड़ा, 3. बलिया, 4. मँझौली, 5. बखड़ी

परिशिष्ट-IV

सारणी-I

समाचार-पत्र

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : बिहारबंधु

स्थापना वर्ष : 1874

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : सर्व हितैषी

स्थापना वर्ष : 1880

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : आर्यावर्त

स्थापना वर्ष : 1941

प्रकाशन स्थल : दरभंगा

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : प्रदीप

स्थापना वर्ष : 1947

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : नवीन भारत

स्थापना वर्ष : 1948

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : विश्वमित्र

स्थापना वर्ष : 1948

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : जनशक्ति

स्थापना वर्ष : 1960

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : आत्मकथा

स्थापना वर्ष : 1970

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : आज

स्थापना वर्ष : 1979

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : बेगूसराय टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1981

प्रकाशन स्थल : बेगूसराय

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : पाटलिपुत्र टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1985

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : नवभारत टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : हिंदुस्तान

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : अमृत वर्षा

स्थापना वर्ष : 1987

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : मौर्य बिहार (संध्या)

स्थापना वर्ष : 1988

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : संध्या प्रहरी

स्थापना वर्ष : 1992

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : दैनिक जागरण

स्थापना वर्ष : 2000

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (हिंदी दैनिक) : दैनिक भास्कर

स्थापना वर्ष : 2013

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (अंग्रेजी दैनिक) : सर्वलाइट

स्थापना वर्ष : 1918

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (अंग्रेजी दैनिक) : हिंदुस्तान टाइम्स

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (अंग्रेजी दैनिक) : टाइम्स ऑफ इंडिया

स्थापना वर्ष : 1986

प्रकाशन स्थल : पटना

समाचार-पत्र का नाम (अंग्रेजी दैनिक) : इंडियन नेशन

स्थापना वर्ष : —

प्रकाशन स्थल : पटना

सारणी-II

हिंदी पत्रिकाएँ

पत्रिकाओं का नाम : बालक (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1926

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : क्षत्रिय पत्रिका (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1881

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : लक्ष्मी (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1903

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : युवक (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1926

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : भूखे (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1933

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : आरती (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1940

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : पारिजात (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1946

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : ज्योत्स्ना (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1948

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : अवंतिका (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1952

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : पाटल (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1952

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : जनमत (मासिक)

स्थापना वर्ष : 1981

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : शिक्षा डाइजेस्ट

स्थापना वर्ष : 1984

प्रकाशन स्थल : पटना

पत्रिकाओं का नाम : अवकाश पाक्षिक

स्थापना वर्ष : 1979

प्रकाशन स्थल : पटना

सारणी-III

साहित्य एवं साहित्यकार

क्र.सं. : 1

साहित्यकार : बाणभट्ट

रचनाएँ : कादंबरी, हर्षचरितम्

क्र.सं. : 2

साहित्यकार : विष्णु शर्मा

रचनाएँ : पंचतंत्र

क्र.सं. : 3

साहित्यकार : कौटिल्य

रचनाएँ : अर्थशास्त्र

क्र.सं. : 4

साहित्यकार : अश्वघोष

रचनाएँ : महायान श्रद्धोत्पाद संग्रह, बुद्धचरित, वज्र सूची

क्र.सं. : 5

साहित्यकार : आर्यभट्ट

रचनाएँ : आर्यभट्टीयम्

क्र.सं. : 6

साहित्यकार : वात्स्यायन

रचनाएँ : कामसूत्रम्

क्र.सं. : 7

साहित्यकार : मंडन मिश्रा

रचनाएँ : भाव विवेक, विधि विवेक

क्र.सं. : 8

साहित्यकार : विद्यापति

रचनाएँ : पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, गौ-रक्षा विजय, भू-परिक्रमा

क्र.सं. : 9

साहित्यकार : मुल्ला दाऊद

रचनाएँ : चंदायन

क्र.सं. : 10

साहित्यकार : ज्योतिश्वर ठाकुर

रचनाएँ : वर्ण रत्नाकार, दर्शन रत्नाकर

क्र.सं. : 11

साहित्यकार : फणीश्वर नाथ रेणु

रचनाएँ : मैला आँचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतपा

क्र.सं. : 12

साहित्यकार : रामधारी सिंह दिनकर

रचनाएँ : प्राणभंग, उर्वशी, रेणुका, द्वन्द्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप-छाँव, कुरुक्षेत्र

क्र.सं. : 13

साहित्यकार : बाबा नागार्जुन

रचनाएँ : बाबा बटेसरनाथ, हजार-हजार बाँहोंवाली, पारो, कुंभीपाक, तुमने कहा था

क्र.सं. : 14

साहित्यकार : देवकीनंदन खत्री

रचनाएँ : चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नौलखाहार

क्र.सं. : 15

साहित्यकार : राहुल सांकृत्यायन

रचनाएँ : बुद्धचर्या, विनयपिटक, धम्मपद, दर्शन-दिग्दर्शन

क्र.सं. : 16

साहित्यकार : शाह अजीमाबादी

रचनाएँ : नक्शेपायदार

क्र.सं. : 17

साहित्यकार : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

रचनाएँ : इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में

क्र.सं. : 18

साहित्यकार : केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

रचनाएँ : ज्वाला, कैकयी, ऋतु वंश

क्र.सं. : 19

साहित्यकार : शिवसागर मिश्र

रचनाएँ : दूब जनम छाई

क्र.सं. : 20

साहित्यकार : रामवृक्ष बेनीपुरी

रचनाएँ : आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, संघमित्रा

क्र.सं. : 21

साहित्यकार : वाचस्पति मिश्रा

रचनाएँ : भाष्य भामति, ब्रह्मसिद्धि के टीकाकार

सारणी-IV

बिहार के विश्वविद्यालय

क्र.सं. : 1

विश्वविद्यालय का नाम : पटना विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1917

क्र.सं. : 2

विश्वविद्यालय का नाम : बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1952

क्र.सं. : 3

विश्वविद्यालय का नाम : तिलकामाँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1960

क्र.सं. : 4

विश्वविद्यालय का नाम : के.एस.डी.एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1961

क्र.सं. : 5

विश्वविद्यालय का नाम : मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

स्थापना वर्ष : 1962

क्र.सं. : 6

विश्वविद्यालय का नाम : राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर

स्थापना वर्ष : 1970

क्र.सं. : 7

विश्वविद्यालय का नाम : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1972

क्र.सं. : 8

विश्वविद्यालय का नाम : नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1987

क्र.सं. : 9

विश्वविद्यालय का नाम : वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

स्थापना वर्ष : 1990

क्र.सं. : 10

विश्वविद्यालय का नाम : भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

स्थापना वर्ष : 1990

क्र.सं. : 11

विश्वविद्यालय का नाम : जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा

स्थापना वर्ष : 1990

क्र.सं. : 12

विश्वविद्यालय का नाम : मौलाना मजरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1998

क्र.सं. : 13

विश्वविद्यालय का नाम : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

स्थापना वर्ष : 2004

क्र.सं. : 14

विश्वविद्यालय का नाम : केंद्रीय बिहार विश्वविद्यालय, गया

स्थापना वर्ष : 2005

क्र.सं. : 15

विश्वविद्यालय का नाम : चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 2007

क्र.सं. : 16

विश्वविद्यालय का नाम : आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय, पटना

स्थापना वर्ष : 2009

क्र.सं. : 17

विश्वविद्यालय का नाम : नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा

स्थापना वर्ष : 2009

सारणी-V

बिहार के चिकित्सा महाविद्यालय

क्र.सं. : 1

मेडिकल कॉलेज का नाम : पटना मेडिकल कॉलेज, पटना

स्थापना वर्ष : 1925

क्र.सं. : 2

मेडिकल कॉलेज का नाम : मेडिकल कॉलेज, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1947

क्र.सं. : 3

मेडिकल कॉलेज का नाम : ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज, गया

स्थापना वर्ष : 1969

क्र.सं. : 4

मेडिकल कॉलेज का नाम : नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना

स्थापना वर्ष : 1969

क्र.सं. : 5

मेडिकल कॉलेज का नाम : एस.के. मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1971

क्र.सं. : 6

मेडिकल कॉलेज का नाम : जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1971

क्र.सं. : 7

मेडिकल कॉलेज का नाम : इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 1983

क्र.सं. : 8

मेडिकल कॉलेज का नाम : जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा

स्थापना वर्ष : 2000

क्र.सं. : 9

मेडिकल कॉलेज का नाम : राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया

स्थापना वर्ष : 2009

क्र.सं. : 10

मेडिकल कॉलेज का नाम : अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 2012

सारणी-VI

बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज

क्र.सं. : 1

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पूसा

स्थापना वर्ष : 1902

क्र.सं. : 2

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना

स्थापना वर्ष : 2008

क्र.सं. : 3

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना

स्थापना वर्ष : 2006

क्र.सं. : 4

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1954

क्र.सं. : 5

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सबौर, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1960

क्र.सं. : 6

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छपरा

स्थापना वर्ष : 2012

क्र.सं. : 7

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना जिसे 2004 ई. में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना का दर्जा मिला

स्थापना वर्ष : 1886

क्र.सं. : 8

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क ऐंड टेक्स्टाइल, नाथ नगर भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1994

क्र.सं. : 9

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, पटना

स्थापना वर्ष : 1982

क्र.सं. : 10

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 2008

क्र.सं. : 11

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज, नालंदा

स्थापना वर्ष : 2008

क्र.सं. : 12

इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम : गया इंजीनियरिंग कॉलेज, गया

स्थापना वर्ष : 2008

सारणी-VII

बिहार के प्रबंधन संस्थान

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर

स्थापना वर्ष : 1973

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐंड सोशल चेंज, पटना

स्थापना वर्ष : 1973

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पटना

स्थापना वर्ष : 1980

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 2008

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गया

स्थापना वर्ष : 2015

सारणी-VIII

बिहार के विधि महाविद्यालय

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : टी.एन.बी. कॉलेज

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : एस.के.जे. लॉ कॉलेज

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : ए.एम. कॉलेज

स्थान : गया

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : महाराजा लॉ कॉलेज

स्थान : आरा

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : पटना लॉ कॉलेज

स्थान : पटना

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : विदेह लॉ कॉलेज

स्थान : मधुबनी

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : लॉ कॉलेज

स्थान : समस्तीपुर

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : शिवानंद मंडल कॉलेज

स्थान : मधेपुरा

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : एम.एस. कॉलेज

स्थान : मोतिहारी

सारणी-IX

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

स्थान : पटना

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय)

स्थान : पटना

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : लीची अनुसंधान केंद्र

स्थान : मुसहरी, मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : दलहन अनुसंधान केंद्र

स्थान : मोकामा

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : मक्का अनुसंधान केंद्र

स्थान : बेगूसराय

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र

स्थान : पटना

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : आलू अनुसंधान संस्थान

स्थान : नालंदा

सारणी-X

बिहार के अन्य शिक्षण संस्थाएँ

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : गवर्मेण्ट कॉलेज ऑफ आर्ट ऐंड क्राफ्ट

स्थान : पटना

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स ऐंड क्राफ्ट

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : नव नालंदा महाविहार

स्थान : नालंदा

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : टी.वी. डिमोंस्ट्रेशन ऐंड ट्रेनिंग सेंटर

स्थान : पटना

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट

स्थान : अगमकुआँ, पटना

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : बिहार शोध संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : के.पी. जायसवाल शोध संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : डॉ. ए.एन. सिन्हा शोध संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : चित्र एवं मूर्तिकला विद्यालय

स्थान : पटना

क्र.सं. : 10

संस्थान का नाम : ए.एन. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान

स्थान : पटना

क्र.सं. : 11

संस्थान का नाम : मदरसा इस्लामिक शमशुल हुदा

स्थान : पटना

क्र.सं. : 12

संस्थान का नाम : ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप ऐंड सोसल चेंज

स्थान : पटना

क्र.सं. : 13

संस्थान का नाम : मंदार विद्यापीठ

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 14

संस्थान का नाम : मूक-बधिर विद्यालय

स्थान : पटना

क्र.सं. : 15

संस्थान का नाम : संस्कृत विद्यापीठ

स्थान : पटना

क्र.सं. : 16

संस्थान का नाम : नेत्रहीन छात्र विद्यालय

स्थान : भागलपुर

क्र.सं. : 17

संस्थान का नाम : पटना नेत्रहीन विद्यालय

स्थान : कदमकुआँ, पटना

क्र.सं. : 18

संस्थान का नाम : जेवियर फायर सेफ्ट अकादमी, एसकेपुरी

स्थान : पटना

क्र.सं. : 19

संस्थान का नाम : बालिका विद्यापीठ

स्थान : लखीसराय

क्र.सं. : 20

संस्थान का नाम : भारतीय नृत्यकला मंदिर

स्थान : पटना

क्र.सं. : 21

संस्थान का नाम : दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट

स्थान : दरभंगा

क्र.सं. : 22

संस्थान का नाम : कृषि अनुसंधान केंद्र

स्थान : मीठापुर, पटना

क्र.सं. : 23

संस्थान का नाम : राजकीय संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला

स्थान : पटना

क्र.सं. : 24

संस्थान का नाम : फल अनुसंधान संस्थान

स्थान : सबौर

क्र.सं. : 25

संस्थान का नाम : सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट

स्थान : पटना

क्र.सं. : 26

संस्थान का नाम : भारतीय नृत्यकला मंदिर

स्थान : पटना

सारणी-XI

प्रमुख पुस्तकालय

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : श्रीनंदन पुस्तकालय, छपरा

स्थापना वर्ष : 1935

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : प्रमंडलीय पुस्तकालय, सहरसा

स्थापना वर्ष : 1954

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : भगवान पुस्तकालय, भागलपुर

स्थापना वर्ष : 1913

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : खुदाबक्स लाइब्रेरी (द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी), पटना

स्थापना वर्ष : 1938

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : पब्लिक लाइब्रेरी, पूर्णिया

स्थापना वर्ष : 1952

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1919

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : प्रमंडलीय पुस्तकालय, गया

स्थापना वर्ष : 1955

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : गोपाल नारायण पुस्तकालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1912

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

स्थापना वर्ष : 1916

क्र.सं. : 10

संस्थान का नाम : श्री शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज, वैशाली

स्थापना वर्ष : 1914

क्र.सं. : 11

संस्थान का नाम : महंत रामशरण दास पुस्तकालय, समस्तीपुर

स्थापना वर्ष : 1939

क्र.सं. : 12

संस्थान का नाम : श्री हिंदी पुस्तकालय, सोहसराय, नालंदा

स्थापना वर्ष : 1924

क्र.सं. : 13

संस्थान का नाम : ज्ञान निकेतन पुस्तकालय, सीतामढ़ी

स्थापना वर्ष : 1946

क्र.सं. : 14

संस्थान का नाम : प्रभावती पुस्तकालय, पटना

स्थापना वर्ष : 1973

क्र.सं. : 15

संस्थान का नाम : श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान व सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, पटना

स्थापना वर्ष : 1924

सारणी-XII

प्रमुख शैक्षणिक/शोध संस्थान

क्र.सं. : 1

संस्थान का नाम : बिहार उर्दू अकादमी, पटना

स्थापना वर्ष : 1975

क्र.सं. : 2

संस्थान का नाम : कला भवन, पूर्णिया

स्थापना वर्ष : 1955

क्र.सं. : 3

संस्थान का नाम : प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान, वैशाली

स्थापना वर्ष : 1955

क्र.सं. : 4

संस्थान का नाम : अरेबिक ऐंड परसियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना

स्थापना वर्ष : 1955

क्र.सं. : 5

संस्थान का नाम : मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, दरभंगा

स्थापना वर्ष : 1951

क्र.सं. : 6

संस्थान का नाम : काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना

स्थापना वर्ष : 1950

क्र.सं. : 7

संस्थान का नाम : बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

स्थापना वर्ष : 1950

क्र.सं. : 8

संस्थान का नाम : मैथिली साहित्य परिषद्

स्थापना वर्ष : 1939

क्र.सं. : 9

संस्थान का नाम : बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, पटना

स्थापना वर्ष : 1919

क्र.सं. : 10

संस्थान का नाम : बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना

स्थापना वर्ष : 1915

क्र.सं. : 11

संस्थान का नाम : रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृत जेनेलॉजी ऐंड एहिम्शा, वैशाली

स्थापना वर्ष : 1955

क्र.सं. : 12

संस्थान का नाम : संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान, पटना

स्थापना वर्ष : 1980

परिशिष्ट-V

सारणी-I

खेल स्टेडियम

क्र.सं. : 1

खेल स्टेडियम : राजेंद्र स्टेडियम

स्थान : छपरा

क्र.सं. : 2

खेल स्टेडियम : सचिवालय इंडोर स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 3

खेल स्टेडियम : संजय गांधी मिनी स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 4

खेल स्टेडियम : हाजीपुर स्टेडियम

स्थान : हाजीपुर

क्र.सं. : 5

खेल स्टेडियम : खुदीराम बोस स्टेडियम

स्थान : मुजफ्फरपुर

क्र.सं. : 6

खेल स्टेडियम : सुब्रह्मण्यम स्टेडियम

स्थान : गया

क्र.सं. : 7

खेल स्टेडियम : वीर कुँवर सिंह पुलिस स्टेडियम

स्थान : आरा

क्र.सं. : 8

खेल स्टेडियम : मोईनुल हक स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 9

खेल स्टेडियम : जगजीवन राम स्टेडियम

स्थान : खगौल

क्र.सं. : 10

खेल स्टेडियम : इंदिरा गांधी स्टेडियम

स्थान : पूर्णिया

क्र.सं. : 11

खेल स्टेडियम : मिथिलेश स्टेडियम

स्थान : पटना

क्र.सं. : 12

खेल स्टेडियम : रेलवे स्टेडियम

स्थान : हाजीपुर

क्र.सं. : 13

खेल स्टेडियम : डाक-तार मनोरंजन एवं इंडोर स्टेडियम

स्थान : पटना

सारणी-II

खेल ट्रॉफी

क्र.सं. : 1

खेल : हॉकी

संबंधित ट्रॉफी : कजंस कप, जयपाल सिंह कप

क्र.सं. : 2

खेल : फुटबॉल

संबंधित ट्रॉफी : मोईनुल हक ट्रॉफी, गवर्नर गोल्ड कप, रवि नेहा ट्रॉफी, अनुग्रह नारायण शील्ड, रवि मेहता ट्रॉफी, रिपब्लिक शील्ड, प्रेसिडेंट कप,

क्र.सं. : 3

खेल : क्रिकेट

संबंधित ट्रॉफी : हेमंत ट्रॉफी, रंधीर वर्मा शील्ड

सारणी-III

प्रमुख खिलाड़ी

क्र.सं. : 1

खेल : क्रिकेट

संबंधित खिलाड़ी : सबा करीम, कीर्ति आजाद, तिलक राज, सुब्रत बनर्जी, रमेश सक्सेना, शेखर सिन्हा, हरि किडवानी, केशव प्रसाद, अविनाश, राकेश शुक्ला, दलजीत सिंह, बलदेव गोसाई, रंधीर सिंह

क्र.सं. : 2

खेल : फुटबॉल

संबंधित खिलाड़ी : बदरी प्रसाद, पी.के. बनर्जी, विधानचंद्र मिश्र, अवधेश कुमार सिन्हा, सुबोध काजीवाल, शत्रुघ्न राय, विजय कुमार, चंद्रशेखर आजाद, मेवालाल, श्याम सुंदर, रवि रंजन, ललन दुबे, रामेश्वर लाल, अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ, चदेशर प्रसाद

क्र.सं. : 3

खेल : हॉकी

संबंधित खिलाड़ी : एल.के. मिंज, जेम्स केरकेटा, हेलेन सोया, यासमनी सांगा, गोपाल मेंगरा, जयपाल सिंह, राशि दुलारी, अमला गुड़ीया, अमृत लकड़ा, पुष्पा टोपनो, सुवारे सांगा, अनमोल काइड, एस. डुंगडुंग, सुशीला टोपनो, प्रियंका कुमारी, विश्वासी

क्र.सं. : 4

खेल : निशानेबाजी

संबंधित खिलाड़ी : जगरनाथ मिश्र, जगरनाथ सिंह, के.के. झा, प्रणव सिन्हा, शेखर भगत, एस.के. राय चौधरी

क्र.सं. : 5

खेल : शतरंज

संबंधित खिलाड़ी : अंजना झा, योगेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, बी.के. श्रीवास्तव, बारूगीज कोसी, विशाल शरीन, पप्पूरमाणी, दिव्येंदु बरुआ, संजीव कुमार, दोलन चंपा बोस

क्र.सं. : 6

खेल : टेनिस

संबंधित खिलाड़ी : दिनेश मोहन, चंद्रभूषण, बीमुडे, नीशेसेन, सुरेंद्र कुमार, खोसू सेन, शैल्य कुमार उपाध्याय

क्र.सं. : 7

खेल : बैडमिंटन

संबंधित खिलाड़ी : अली अकबर, सरोजिनी, कावेरी घोष, चितरंजन सिन्हा, बागु चटर्जी, राज कुमार मिश्र, मोहन अहूजा

क्र.सं. : 8

खेल : बेस बॉल

संबंधित खिलाड़ी : सुनील सिंह, अजय तिवारी, सुधांशु शेखर, स्मितापाल, एहसान अहमद

क्र.सं. : 9

खेल : ताइक्वांडो

संबंधित खिलाड़ी : सत्यजीत शाक्त, शालिनी श्रीवास्तव

क्र.सं. : 10

खेल : बिलियर्ड्स

संबंधित खिलाड़ी : कुमार आधानंद सिन्हा, कुमार तारानंद सिन्हा, कुमार श्यामानंद सिन्हा

क्र.सं. : 11

खेल : कैरम

संबंधित खिलाड़ी : रश्मि कुमारी, रंजन प्रकाश

क्र.सं. : 12

खेल : कराटे

संबंधित खिलाड़ी : नंद दी प्रसाद, पिकी श्रीवास्तव

क्र.सं. : 13

खेल : एथलेटिक्स

संबंधित खिलाड़ी : सरोज लकड़ा, जगराज सिंह, समित्रा सवैया, शिवनाथ सिंह, जमील अंसारी, पुष्पा एक्का, अरविंद पन्ना, ओमपाल सिंह अजमेर सिंह, इकबाल सिंह बलविंद्र सिंह, बहादुर सिंह, मर्सी कुट्टन, अमिताभ राय, शिवनाथ सिंह

क्र.सं. : 14

खेल : सॉफ्टबॉल

संबंधित खिलाड़ी : प्राची शर्मा

क्र.सं. : 15

खेल : तीरंदाजी

संबंधित खिलाड़ी : राजिंदर गुइयाँ, पूर्णिमा महतो, निर्मल कुमार सिंह

क्र.सं. : 16

खेल : पोलवॉल्ट

संबंधित खिलाड़ी : सुंदर सिंह तानवर

क्र.सं. : 17

खेल : बास्केटबॉल

संबंधित खिलाड़ी : राजेश श्रीवास्तव, सुनील कुमार पांडा

क्र.सं. : 18

खेल : भारोत्तोलन

संबंधित खिलाड़ी : बुधवा उराँव, इंद्रजीत सिंह, रतन कुमार बसाक

क्र.सं. : 19

खेल : टेबल टेनिस

संबंधित खिलाड़ी : संजीव शंकर

परिशिष्ट-VI

सारणी-I

बिहार के अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से समृद्ध और पिछड़े जिले

मापदंड : प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद

आर्थिक रूप से सर्वोच्च तीन जिले : पटना, मुंगेर, बेगूसराय

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शिवहर, सुपौल, मधेपुरा

मापदंड : पेट्रोल

आर्थिक रूप से सर्वोच्च तीन जिले : पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शिवहर, अरवल, शेखपुरा

मापदंड : डीजल

आर्थिक रूप से सर्वोच्च तीन जिले : पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शिवहर, अरवल, शेखपुरा

मापदंड : एल.पी.जी.

आर्थिक रूप से सर्वोच्च तीन जिले : पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : शेखपुरा, शिवहर, अरवल

मापदंड : लघु बचत

आर्थिक रूप से सर्वोच्च तीन जिले : पटना, सारण, नालंदा

आर्थिक रूप से पिछड़े तीन जिले : पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया

सारणी-II

बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले

जिला—उत्पादक

भागलपुर—रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े

बाँका—तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े

गया—रेशमी और सूती कपड़े

नालंदा—सजावटी परदे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ और सजावटी कपड़े
नवादा— तसर रेशम और महिलाओं के पोशाक के सामान
दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी—सूती कपड़ों के महीन थान, धोती, कपड़े
औरंगाबाद, रोहतास—ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ
भभुआ—ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ
पटना, सीवान—सूती कपड़े, सजावटी कपड़े
पूर्णिया, कटिहार—जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियाँ, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ

सारणी-III

बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उत्पादन

उद्योग : सूती वस्त्र

स्थान : भागलपुर, गया, औरंगाबाद, डुमराँव, बक्सर, फतुहा, फुलवारीशरीफ, सीवान, मुंगेर

उत्पादन : लुंगी, चादर, गमछा

उद्योग : कालीन

स्थान : ओबरा, दाऊदनगर

उत्पादन : कालीन

उद्योग : रेशमी वस्त्र

स्थान : भागलपुर, गया, वैशाली

उत्पादन : रेशमी वस्त्र

उद्योग : ऊनी वस्त्र

स्थान : हाजीपुर

उत्पादन : ऊनी वस्त्र

उद्योग : तंबाकू

स्थान : मुंगेर

उत्पादन : सिगरेट

उद्योग : बीड़ी

स्थान : बिहारशरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया

उत्पादन : बीड़ी

उद्योग : कागज

स्थान : डालमिया नगर, समस्तीपुर, बगहा, बेगूसराय, पटना

उत्पादन : कागज

उद्योग : सीमेंट

स्थान : बंजारी, जपला, डालमियानगर, कल्याणपुर, बिहटा

उत्पादन : सीमेंट

उद्योग : इंजीनियरिंग

स्थान : मुजफ्फरपुर, मोकामा, जमालपुर

उत्पादन : रेलवे वैगन

उद्योग : उर्वरक

स्थान : बरौनी, अमझोर

उत्पादन : उर्वरक

उद्योग : तेलशोधन कारखाना

स्थान : बरौनी

उत्पादन : पेट्रोल एवं संबंधित उत्पाद

उद्योग : कीटनाशक

स्थान : पूर्णिया

उत्पादन : कीटनाशक

उद्योग : प्लास्टिक

स्थान : हाजीपुर

उत्पादन : पॉलीप्लास्ट

उद्योग : रासायनिक

स्थान : बरौनी, फतुहा

उत्पादन : केमिकल्स

उद्योग : बर्तन

स्थान : सीवान, बिहटा

उत्पादन : बर्तन

उद्योग : दियासलाई

स्थान : कटिहार

उत्पादन : दियासलाई

उद्योग : कंबल

स्थान : गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर

उत्पादन : कंबल

उद्योग : बंदूक

स्थान : मुंगेर

उत्पादन : बंदूक

उद्योग : शीशा

स्थान : पटना

उत्पादन : शीशा

उद्योग : प्लाईवुड

स्थान : हाजीपुर

उत्पादन : प्लाईवुड

उद्योग : चमड़ा

स्थान : मोकामा, दीघा, गया

उत्पादन : चमड़ा

उद्योग : खाद्य प्रसंस्करण

स्थान : हाजीपुर, उदयकिशुनगंज, बेगूसराय, शीतलपुर

उत्पादन : प्रसंस्करित एवं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ

सारणी-IV

बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम

स्थान—उद्योग का नाम

बरौनी—फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बरौनी—इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

मोकामा—भारत वैगन ऐंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

बेला, छपरा—रेल पहिया कारखाना

मढ़ौरा, छपरा—डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना (निर्माणाधीन)

मधेपुरा—रेलवे विद्युत इंजन कारखाना (निर्माणाधीन)

हरनौत—कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप

सारणी-V

केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाएँ

कार्यक्रम—वर्ष

लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO)—1954

सघन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP)—1960-61

सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (IAAP)—1964-65

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम—1969

विभेदीकरण ब्याज दर योजना—1972

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम—1974-75

बीस सूत्रीय कार्यक्रम—1975

मरुभूमि विकास कार्यक्रम—1977-78

काम के बदले अनाज कार्यक्रम—1977-78

ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)—15 अगस्त, 1979

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)—2 अक्टूबर, 1980

राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार कार्यक्रम (NREP)—1980

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)—1982

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)—15 अगस्त, 1983

लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (CAPART)—1 सितंबर, 1986

शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम (SEPUP)—1986

नेहरू रोजगार योजना (NRY)—अक्टूबर, 1989

जवाहर रोजगार योजना (JRY)—अप्रैल, 1989
रोजगार आश्वासन योजना—2 अक्टूबर, 1993
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)—2 अक्टूबर, 1993
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना—1995
वृद्धावस्था पेंशन योजना—1995
संगम योजना —1996
कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना—15 अगस्त, 1997
गंगा कल्याण योजना (GKY)—1997-98
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)—1 दिसंबर, 1997
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना—1 अप्रैल, 1999
अन्नपूर्णा योजना—19 मार्च, 1999
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (NRY)—1999
जनश्री बीमा योजना—10 अगस्त, 2000
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—2000
अंत्योदय योजना—2000
आश्रय बीमा योजना—जून, 2001
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)—25 दिसंबर, 2001
वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना—दिसंबर, 2001
सर्व शिक्षा अभियान —2000-01
खाद्यान्न बैंक योजना—2001
महिला स्वयंसिद्धि योजना—12 जुलाई, 2001
स्वजल धारा योजना—25 दिसंबर, 2002
निर्मल भारत योजना—15 अगस्त, 2002
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—25 दिसंबर, 2000
जनरक्षा बीमा योजना—2002-03
जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना—2002-03
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम (PURA)—15 अगस्त, 2003
जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन—3 दिसंबर, 2005
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान —12 अप्रैल, 2005
भारत निर्माण योजना—16 दिसंबर, 2005
आम आदमी बीमा योजना—2 अक्टूबर, 2007
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना—1 अक्टूबर, 2007
सबला योजना—19 नवंबर, 2010
स्वावलंबन—27 सितंबर, 2010
राजीव गांधी स्कीम फॉर ऐडोलेसेंट गर्ल्स—1 अप्रैल, 2010

महिला कृषि सशक्तीकरण योजना—1 अप्रैल, 2010
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन—2009-10
राजीव आवास योजना (RAY)—2009-10
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना—2009-10
महिला किसान सशक्तीकरण योजना—2010-11
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम (मनरेगा)—2006
मिशन इंद्रधनुष—25 दिसंबर, 2014
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस—21 जून, 2014
स्वच्छ भारत मिशन—2 अक्टूबर, 2014
पहल—15 नवंबर, 2016
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम (BBBP)—22 जनवरी, 2015
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)—28 अगस्त, 2014
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)—2013
नई मंजिल—2014-15
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)—मार्च, 2006
नई रोशनी—2014-15
मातृत्व सहयोग योजना (MSY)—2014
जनबंधु कल्याण योजना—2014-15
इ-वीसा—2014-15
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन—2014-15
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना—2014-15
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना—15 अगस्त, 2014
इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड (InvITs)—2014-15
बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (BRGF) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना—9 मई, 2015
अटल पेंशन योजना—9 मई, 2015
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना—9 मई, 2015
स्टैंड-अप इंडिया—5 अप्रैल, 2016
ग्राम उदय से भारत उदय अभियान—14 अप्रैल, 2016
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)—25 अप्रैल, 2016
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना—1 मई, 2016
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम—2014
सांसद आदर्श ग्राम योजना—11 अक्टूबर, 2014